तफ़सीर
इब्ने कसीर

मुस्तनद-मुदल्लल-मुकम्मल हिन्दी एडिशन

2

अल्लामा हाफ़िज़ ज़ुबैर अली ज़ई (रह.)
अल्लामा नासिरुद्दीन अल्बानी (रह.)
शैख़ अब्दुर्रज़्ज़ाक़ महदी (रह.)
शैख़ अली अहमद अल बाक़ी (रह.)
शैख़ मुबश्शिर अहमद रब्बानी (रह.)

تفسیر ابن کثیر

तफ़सीर इब्ने कसीर

इमाम एमादुद्दीन हाफिज इब्ने कसीर (रह.)

जिल्द 2

तर्जुमा :
मौलाना मुहम्मद जुनागढ़ी

हिन्दी तर्जुमा :
ट्रान्सलेशन डिपार्टमेन्ट
जमीअत अहले हदीस

ज़ेरे एहतिमाम : अन्जूमन खुद्दामुल कुरआन

शो'बा नश्रो इशाअत
शहरी जमीअत अहले हदीस
जोधपुर
सूबाई जमीअत अहले हदीस
राजस्थान

شعبہ نشر و اشاعت
شہری جمعیت اہل حدیث
جودھپور
صوبائی جمعیت اہل حدیث
راجستھان

بِسْــــــمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيم

अस्सलामु अलयकुम व-रहेमतुल्लाही व-बरकातुहू

बाद सलाम के मालुम हो की अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल-व-करम से हदीसों की 6 मोअतबर किताबें सिआ सत्ता / सिआ कुतुब पढ़ने में, समझने में और दावत पहुंचाने में आसानी हो इस नेक मक़सद से उम्मत-ए-मुस्लिमा के ख़िदमात में PDF की शकल में पेश है।

तफसीर ईब्ने क़सीर (8 जिल्द)

1. सहीह बुख़ारी (8 जिल्द)
2. सहीह मुस्लिम (8 जिल्द)
3. सुनन अबु दाऊद (6 जिल्द)
4. ज़ामेअ सुनन तिर्मिज़ी (4 जिल्द)
5. सुनन नसाई शरीफ़ (6 जिल्द)
6. सुनन इब्ने माजह (1 जिल्द)

इन PDF बनाने में हदीस नंबर,पेज नंबर, स्केनींग वग़ैरा मे कोई भूल हुई हो तो बराए मेहरबानी नीचे लिखे हुए मोबाइल नंबर पर इत्तेला करे।

अल्लाह रब्बुल इज्जत इन तमाम किताबों की PDF बनाने में और इसमे ता'ऊन करने वाले हजरात की ख़िदमात को कुबुल फरमाए ओर लोगों के लिए हिदायत का सबब बनाए।

शेरख़ान (अहमदाबाद-गुजरात) M.: +91 9825 696 131

मुस्तनद-मुदल्लल-मुकम्मल हिन्दी एडिशन

अल्लामा हाफ़िज़ ज़ुबैर अली ज़ई (रह.)
अल्लामा नासिरुद्दीन अल्बानी (रह.)
शैख़ अब्दुर्रज़्ज़ाक़ महदी (रह.)
शैख़ अली अहमद अल बाक़ी (रह.)
शैख़ मुबश्शिर अहमद रब्बानी (रह.)

تفسیر ابن کثیر

तफ़्सीर इब्ने कसीर

इमाम एमादुद्दीन हाफिज इब्ने कसीर (रह.)

जिल्द 2

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ

तर्जुमा :
मौलाना मुहम्मद जुनागढ़ी

हिन्दी तर्जुमा :
ट्रान्सलेशन डिपार्टमेन्ट
जमीअत अहले हदीस

ज़ेरे एहतिमाम : अन्जुमन खुद्दामुल कुरआन

शो'बा नश्रो इशाअत
शहरी जमीअत अहले हदीस
जोधपुर
सूबाई जमीअत अहले हदीस
राजस्थान

नाशिर-ناشر

شعبہ نشرواشاعت
شہری جمعیت اہل حدیث
جودھپور
صوبائی جمعیت اہل حدیث
راجستھان

सर्वाधिकार प्रकाशनाधीन सुरक्षित है

इस किताब के प्रकाशन सबंधी सर्वाधिकार प्रकाशक के पास सुरक्षित हैं। कोई व्यक्ति/संस्था/प्रकाशन आदि इस किताब को मुद्रित/प्रकाशित नहीं कर सकता। इस चेतावनी का उल्लंघन करने वालों के ख़िलाफ़ कठोर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसके समस्त हर्ज –ख़र्च के वे स्वयं उत्तरदायी होंगे। सभी विवादों का न्यायक्षेत्र जोधपुर (राजस्थान) होगा।

नाम किताबः **तफ़सीर इब्ने कसीर**

मुरत्तिब (अरबी): **एमामुद्दीन इब्ने कसीर (रह.)**

उर्दू तर्जुमाः **मौलाना मुहम्मद जुनागढ़ी (रह.)**

हिन्दी तर्जुमाः **दारूत–तर्जुमा, शोबा नश्रो इशाअत**
जमीअत अहले हदीस, जोधपुर (राज.)

तस्हीह व नज़्रे सानी: **मौलाना जमशेद आलम सल्फ़ी, 97857-69878**

लेज़र टाइपसेटिंगः **मोहम्मद अकबर, 85030-26306**

मेनेजिंग डायरेक्टरः **अली हम्ज़ा, 82338-55857**

प्रिण्टिंगः **अनमोल प्रिण्टर्स, जोधपुर (राज.)**

तादाद पेजः 470

प्रकाशन (प्रथम संस्करण) शव्वाल 1437 हिजरी (जुलाई 2016 इस्वी)

ता'दादः 1100 कॉपी क़ीमतः 500/- रुपये

प्रकाशक

शहरी जमीअत अहले हदीस, जोधपुर

सूबाई जमीअत अहले हदीस, राजस्थान

अधिकृत विक्रेता

अलकिताब इन्टरनेशनल जामिया नगर, नई दिल्ली	011-26986973
मकतबा तर्जुमान 4116 उर्दू बाजार, नई दिल्ली	011-23273407
अल हीरा पब्लिकेशन, 423 उर्दू मार्केट, मटिया महल,जामा मस्जिद, दिल्ली	09015382970
माबूदी पब्लिकेशन दरियागंज, नई दिल्ली	09582340921
मकतबा अस्सुन्नह मुम्बई	08097444448
दारूल इल्म नागपाड़ा, मुम्बई	022-23088989 022-23082231
उमरी बुक डिपो, मुम्बई	09819961879
मकतबा अलफहीम मऊनाथ, भंजन, यू.पी.	0547-2222013
मौलाना खुर्शीद मुहम्मदी मिर्जापुर, यू.पी.	09919737053
शैख़ सुहैल सल्फ़ी, मकतबा सलफ़िया वाराणासी	09451915874
तौहीद किताब सेन्टर, सीकर	08003972503
अल कौसर टेड्रर्स	09414920119

फेहरिस्त-ए-मज़ामीन

तफ़्सीर सूरह आले इमरान

तीन आयात में इस्मे आ'ज़म	15
माँ के पेट में सूरतें (शक्लें) बनाने वाला अल्लाह तआला है	17
मुहकमात और मुतशाबेहात की वज़ाहत	17
अहले-बिदअत मुतशाबेहात से ही इस्तिदलाल करते हैं	17
ग़लत तावील व तहरीफ़ की मज़म्मत	19
रासिख़ फ़िल इल्म से कौन लोग मुराद हैं	22
काफ़िरों का माल व औलाद कुछ काम नहीं आएगा	23
जंगे बद्र में अल्लाह तआला की क़ुदरत व नुसरत	25
दुनिया का माल व अस्बाब आरज़ी और फ़ानी है	25
सेहरी के वक़्त इस्तिग़फ़ार की फ़ज़ीलत	30
सिर्फ़ दीने-इस्लाम ही अल्लाह तआला के नज़दीक मक़्बूल है	32
यहूद की उनके कुफ्र और अम्बिया को क़त्ल करने की बिना पर मज़म्मत	35
यहूद व नसारा की अपनी किताबों को हाकिम न मानने पर मज़म्मत	37
इज़्ज़त व ज़िल्लत और निज़ामे कायनात अल्लाह तआला के इख़्तियार में है	38
कुफ़्फ़ार से तर्के मवालात	39
अल्लाह तआला तमाम पोशीदा और ज़ाहिर बातों को जानता है	41
अल्लाह तआला से मुहब्बत करते हो तो रसूलुल्लाह (ﷺ) की इत्तेबाअ़ करो	42
चंद बरगुज़ीदा अम्बिया (عليهم السلام)का तज्किरा	43
नज़्र सिर्फ़ अल्लाह तआला के नाम की है	44
बच्चे का नाम रखना और अक़ीक़ा करना	44
मरयम सिद्दीक़ा (عليها السلام) की किफ़ालत और ख़ाला का वालिदा के क़ायम मक़ाम होना	46
हज़रम मरयम (عليها السلام) और कुछ करामात का तज्किरा	46
जकरिया (عليه السلام) की दुआ	48
हज़रत मरयम, ख़दीजा, आइशा और आसिया (रज़ि.) फ़िरऔन की बीवी साहिबा की फ़ज़ीलत	50
हज़रत मरयम (عليها السلام) की इबादत और इताअ़तगुज़ारी	51
क़ुरआ, हज़रत ज़करिया (عليه السلام) के नाम का निकला	51
हज़रत ईसा (عليه السلام) की मु'जिज़ाना पैदाइश	52
हज़रत ईसा (عليه السلام) के अज़ीमुश्शान मु'जिज़ात	55
हज़रत ईसा (عليه السلام) के हवारी और हज़रत मुहम्मद (ﷺ) के हवारी अंसार	57
हज़रत ईसा (عليه السلام) का आसमानों पर उठाया जाना	59
इसाइयों को दा'वते मुबाहिला और उनका इंकार	63
इसाइयों को दा'वते तौहीद	71
यहूदो नसारा के बेइल्मी पर मब्नी झगड़े	73
यहूदियों की बुरी ख़स्लतों का तज्किरा	76
अकसर यहूदी ख़ाइन जबकि कुछ अमानतदार हैं	77
तीन ख़ुशनसीब और तीन बदबख़्त शख़्स	79
कलामुल्लाह में यहूदियों की तहरीफ़	82
अल्लाह तआला का कोई नबी कोई फ़रिश्ता अपनी बंदगी की दा'वत नहीं दे सकता	83
हर नबी को अपने बाद वाले नबी और रसूलों पर ईमान लाने का हुक्म	85

ज़मीन व आसमान की हर चीज़ अल्लाह तआला की तस्बीह में मशग़ूल है	87
अगर मुर्तद सच्ची तौबा कर ले	90
हालते नज़अ(रूह निकलते वक़्त) में तौबा क़बूल नहीं	91
अल्लाह के रास्ते में (अपनी पसंदीदा) अच्छी चीज़ सदक़ा की जाए	93
यहूदियों के सवालात पर आँहज़रत (ﷺ) के जवाबात और यहूदियों की हठधर्मी	94
हर नबी की शरीअत सिर्फ़ अपनी उम्मत के लिए ही ख़ास है	95
अल्लाह तआला का पहला घर	96
बक्का की वजहे तस्मिया	97
मक़ामे इब्राहीम	97
अमन की जगह	98
हज्ज की फ़र्ज़ियत	98
हज्ज का इंकार कुफ़्र है	99
यहूदियों का दीने-इस्लाम की हक़्क़ानियत तस्लीम करने से इंकार करना और अल्लाह तआला के रास्ते से रोकना	100
अहले किताब की बातें मानना गुमराही है	101
अल्लाह तआला से डरने का मतलब अल्लाह तआला की इताअत है	102
फ़िर्क़ाबन्दी की मुमानिअत	104
अम्र बिल मा'रूफ़ नही अनिल मुंकर का फ़रीज़ा अंजाम देने वाली जमाअत	106
दीन में इख़्तिलाफ़ दुख़ूले जहन्नम का सबब है	107
क़यामत के दिन जन्नती और जहन्नमी अपने चेहरों से पहचाने जाएँगे	107
उम्मते-मुहम्मदिया तमाम उम्मतों से बेहतर है	108
नबी अकरम (ﷺ) की ख़ुसूसियात	109
अल्लाह पर तवक्कल करने वाले और दम झाड़ न करवाने वाले बग़ैर हिसाबो-किताब जन्नत में जाएँगे	111
जन्नत में सबसे पहले उम्मते मुहम्मदिया का दाख़िला होगा	114
ईमान वाले हमेशा ग़ालिब रहेंगे	115
ईमान के बग़ैर कोई अमल फ़ायदा बख़्श न होगा	116
काफ़िर मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते	118
जंगे उहुद का तजकिरा	120
जंगे बद्र और जंगे उहुद में लश्करे इस्लाम की फ़रिश्तों से मदद	124
सूद की हुर्मत	127
अल्लाह के नेक बन्दों के औसाफ़	128
आज़माइश के वक़्त ईमान पर इस्तिक़ामत इख़्तियार करना	134
वफ़ाते नबी (ﷺ) की दलील	136
मौत का एक वक़्त मुक़र्रर है	137
दुनिया तलब करने वाले और आख़िरत को चाहने वाले	137
काफ़िरों की बात मानने में ज़िल्लत है	139
जंगे-उहुद के चंद मज़ीद वाक़ियात	140
सय्यदुश्शुहदा हज़रत हम्ज़ा (रज़ि.) की शहादत	142
जंगे उहुद का कुछ तजकिरा	150
ईमानवालों को फ़ासिद ए'तिक़ाद रखने की मुमानिअत	152
नबी (ﷺ) अपनी उम्मत पर रहम दिल हैं	153
बाहमी मश्वरा की अहमियत, मश्वरा करना सुन्नत है	154
नबी (ﷺ) सादिक़ व अमीन है	155
ख़ाइन के लिए सख़्त अज़ाब है	156
ईमानदार और बेईमान बराबर नहीं	160
जंगे उहुद के बक़िया वाक़ियात	161
शहादत की फ़ज़ीलत	165
ईमान की ज़्यादती का सबूत	171
अल्लाह तआला के साथ कुफ़्र करना नबी (ﷺ) पर गिराँ गुज़रता है	174

बुख़्ल की मुमानिअ़त और उसकी मज़म्मत	175
यहूद का अल्लाह तआ़ला की शान में गुस्ताख़ी करना	176
हर जानदार चीज़ को मौत का ज़ायक़ा (मज़ा) चखना है	178
जन्नत में दाख़िला और जहन्नम से नजात ही हक़ीक़ी कामयाबी है	179
सब्र की तल्क़ीन	180
अहले-किताब और आ़लमे अरवाह में किया गया वा'दा	181
अल्लाह तआ़ला की मख़्लूक़ात में ग़ोरो-फ़िक्र की तर्ग़ीब	184
दुआएँ अल्लाह तआ़ला ही क़बूल करने वाला है	191
ईमान के बग़ैर दुनियावी आसाइश आख़िरत मेंकोई फ़ायदा न देगी	193
अहले-किताब मेंसे ईमान लाने वाले कामयाब हैं	194
जिहाद की तैयारी और तर्ग़ीब	197
सूरह निसाअ	202
खुलासा सूरह निसाअ़	204
तफ़्सीर सूरह निसाअ़	206
तख़्लीक़े (पैदाइशे) इंसानियत	207
रिश्तेदारों से क़तअ़ ता'ल्लुक़ी की मुमानिअ़त	208
यतीम का माल नाजाइज़ तरीक़ों से खाना गुनाह है	209
यतीम लड़कियों से निकाह का मसला	209
एक वक़्त में चार औ़रतों से निकाह की इजाज़त	210
माल में तसर्रुफ़ के लिए आ़क़िल बालिग़ होना ज़रूरी है	214
यतीम के माल की हिफ़ाज़त बुलूग़त तक करना और बुलूग़त की अ़लामत	215
तर्का में से हर एक का हिस्सा मुक़र्रर रहे	218
विरासत की तक़्सीम के मसाइल	222
वालिदेन का हिस्सा	225
तक़्सीमे मीरास व़सिय्यत और क़र्ज़ की अदायगी के बाद होगी	226
शौहर और बीवी के दरम्यान मीरास की तक़्सीम का तरीक़ेकार	228
कलाला की तक़्सीमे मीरास	228
शरई वसिय्यत को पूरा करना ज़रूरी है	230
व़सिय्यत में अल्लाह तआ़ला के हुदूद को क़ायम रखने और तोड़ने पर जज़ा व सज़ा	231
इब्तिदा-ए-इस्लाम में फ़ाहिशा (बदकार) औ़रतों की सज़ा का बयान	232
भूलकर जो गुनाह सरज़द हो जाए उसकी तौबा है	234
तौबा का दरवाज़ा कब तक खुला रहता है?	234
मुश्रिक की बख़्शिश नहीं है	236
ज़मान-ए-जाहिलियत और औ़रत को विरासत में लेने का बयान	237
नबी (ﷺ) का अपनी बीवियों से हुस्ने-सुलूक	239
हक़्क़े-मुहर के बारे में चंद अहकाम	240
मुहर वापिस नहीं लिया जा सकता	241
बाप की बीवियाँ बेटे के लिए हराम है	241
वह औ़रतें जिनसे निकाह हराम है	244
कितनी मिक़्दार से रज़ाअ़त साबित होती है और मुद्दते रज़ाअ़त का बयान	245
सुल्बी और रज़ाई बेटों की बीवियाँ हराम जबकि गोद लिए हुए बेटों की बीवियाँ हलाल हैं	249
दो बहनों को एक निकाह में रखना हराम है	250
ऐसी दो लौण्डियों से एक वक़्त में जिमाअ़ करना जो आपस में बहनें हों	250
निकाह के अहकाम	252
निकाहे मुतआ़ की हुर्मत का बयानः	254
आज़ाद औ़रत से निकाह की इस्तिताअ़त न हो तो लौण्डी से निकाह कर लो	256
अल्लाह तआ़ला के अहकाम में सख़्ती नहीं	263
शरीअ़त के ख़िलाफ़ तिजारत और बेअ़े ख़ियार	264
गुनाहे कबीरा का बयान	266

सात कबीरा गुनाह	267
कबीरा गुनाह और सल्फ़े सालिहीन के चंद अक़्वाल	272
औरतें मर्दों के बराबर चलने की बजाए अल्लाह तआला का फ़ज़्ल तलाश करें	276
विरासत के अहकाम	277
नाफ़र्मान बीवी को समझाने के अहकामात	280
मियाँ बीवी के झगड़े में हकमैन का तक़र्रुर	283
हुस्न- सुलूक के मुस्तहिक़ अफ़राद	285
पड़ौसियों के हुक़ूक़ अहादीस की रोशनी में	286
बीवी, मेहमान, मुसाफ़िर, ख़ादिम वग़ैरह से हुस्ने सुलूक	288
बुख़्ल (कंजूसी) और रियाकारी (दिखावा) की मज़म्मत	290
नेकी का अज्र कई गुना मिलेगा, ज़र्रा बराबर ईमान वाला भी बिलआख़िर जन्नती होगा	292
मुश्रिक व काफ़िर को उसके नेक आमाल का सिला	293
जनाबत के अहकाम और शराब के हराम होने का वाक़िया	296
जनाबत की हालत में मस्जिद में दाख़िल होना	298
कुरआनो-हदीस की रोशनी में लमस की तहक़ीक़	300
तयम्मुम और उसके अहकाम	303
तयम्मुम की रुख़्सत और उसका पसे-मंज़र	306
यहूदियों की एक क़ाबिले मज़म्मत ख़स्लत	308
शिर्क नाक़ाबिले माफ़ी जुर्म है	310
चेहरे पर तारीफ़ और ख़ुद पसंदी की मज़म्मत	316
यहूद व नसारा का बुख़्ल व हसद	319
जहन्नम का अ़ज़ाब और जन्नत की राहतों का बयान	320
अमानत की क़िस्में और अमानत की अदायगी की ताकीद	322
अल्लाह तआ़ला व रसूल (ﷺ) की इताअ़त वाजिब जबकि उ़लमा, उमरा की इताअ़त मशरूत है	325
कुरआनो हदीस से ऐ'राज़ करके किसी और से फ़ैसला कराना मना है	330
हुज़ूर (ﷺ) से दुआ कराना आपकी ज़िन्दगी तक था	331
हुज़ूरे अकरम (ﷺ) का फ़ैसला हतमी है	332
कुफ़्फ़ार की फ़ितरत	335
अल्लाह तआ़ला की इताअ़त का इनआ़म	335
काफ़िरों से क़िताल के लिए आलाते हर्ब तैयार रखने का हुक्म	339
मज़्लूम मुसलमानोंकी मदद के लिए जिहाद फ़र्ज़ है	340
जिहाद से जी न चुराओ	342
मौत एक अटल हक़ीक़त है	344
रसूलुल्लाह (ﷺ) की इताअ़त अल्लाह तआ़ला की इताअ़त है	349
कुरआन हकीम की आयात तआ़रूज़ से पाक हैं	351
अल्लाह तआ़ला की मदद मुजाहिदीन के शामिले हाल है	353
सलाम करने के अहकाम व आदाब	355
मुनाफ़िक़ीन और सहाबा का मौक़िफ़	357
अंजाने में हुए क़त्ल की दियत और जान बूझकर किये गये क़त्ल की वईद (सज़ा) का बयान	360
क़त्ले अमद की तौबा और सहाबा (रज़ि.) का मौक़िफ़	363
जो अजनबी सलाम करे उसे काफ़िर न कहो	368
आम हालात में जिहाद फ़र्ज़े किफ़ाया है	371
हिजरत का बयान	374
अज्रो सवाब का दारोमदार निय्यतों पर है	375
नमाज़े क़स्र के अहकाम व मसाइल	377
नमाज़े ख़ौफ़ का बयान	382
अमन की हालत में नमाज़ को वक़्त पर अदा करना	387
क्या नबी (ﷺ) ग़लतफ़हमी मेंपड़ सकते हैं?	389
अल्लाह तआ़ला की रहमत का बयान	392
लोगों के आपसी झगड़ों में इस्लाह कराने की फ़ज़ीलत	394

- अल्लाह तआला की तख़्लीक़ को बदलने की कोशिश और शैतान की चालबाज़ियाँ 397
- ईमान व अमले सालेह के बग़ैर आरज़ूओं का हुसूल नामुम्किन है 399
- हज़रत इब्राहीम (ﷺ) को ख़लीलुल्लाह (ﷺ) का लक़ब क्यूँ कर हासिल हुआ? 402
- यतीम लड़कियों के बारे में चंद हिदायात 405
- शौहर को अपनी बीवियों के बीच इंसाफ़ की ताकीद 407
- अल्लाह तआला की क़ुदरते कामिला का बयान 411
- सच्ची गवाही को छुपाना जाइज़ नहीं ख़्वाह किसी के ख़िलाफ़ हो 413
- अल्लाह तआला की नाज़िलकर्दा तमाम किताबों और नबियों पर ईमान ज़रूरी है 415
- काफ़िरों से मवालात और बुरी मज्लिसों से बचने का हुक्म 416
- मुनाफ़िक़ की मुनाफ़िक़त की मिसाल 418
- मुनाफ़िक़ धोखेबाज़ हैं 419
- काफ़िरों से हर्गिज़ दोस्ती न करो 423
- मज़्लूम ज़ालिम की बुराई कर सकता है 424
- तमाम अम्बिया पर ईमान लाना ज़रूरी है 427
- यहूदी हज़रत मूसा (ﷺ) और ईसा (ﷺ) के गुस्ताख़ हैं 428
- हज़रत ईसा (ﷺ) क़त्ल हुए न सूली पर चढ़ाए गए 430
- हज़रत ईसा (ﷺ) का नुज़ूल क़यामत के क़रीब दोबारा होगा 438
- याजूज माजूज का तजकिरा 445
- बतौर सज़ा हलाल चीज़ें अल्लाह तआला ने हराम कर दीं 449
- अम्बिया की तादाद, उनके दरजात और आसमानी किताबें 451
- मूसा (ﷺ) का अल्लाह तआला से हमकलाम होना 455
- अल्लाह तआला और उसके फ़रिश्ते पैग़म्बर की रिसालत के गवाह हैं 458
- इसाईयों का ग़ुलू 460
- हज़रत ईसा (ﷺ) और तमाम फ़रिश्ते अल्लाह की बन्दगी करते हैं 464
- क़ुरआन लाजवाब दलील और वाज़ेह नूर है 465
- लफ़्ज़े कलाला की बाबत सहाबा (रज़ि.) का मौक़िफ़ 466

सूरह
आले इमरान

آل عمرٰن

FLOW CHART
तरतीबी नक्श-ए- रब्त

MACRO-STRUCTURE
नज़्मे जली

सूरह आले इमरान - 03

आयात 200 मदनी | **पैराग्राफ़ : 7**

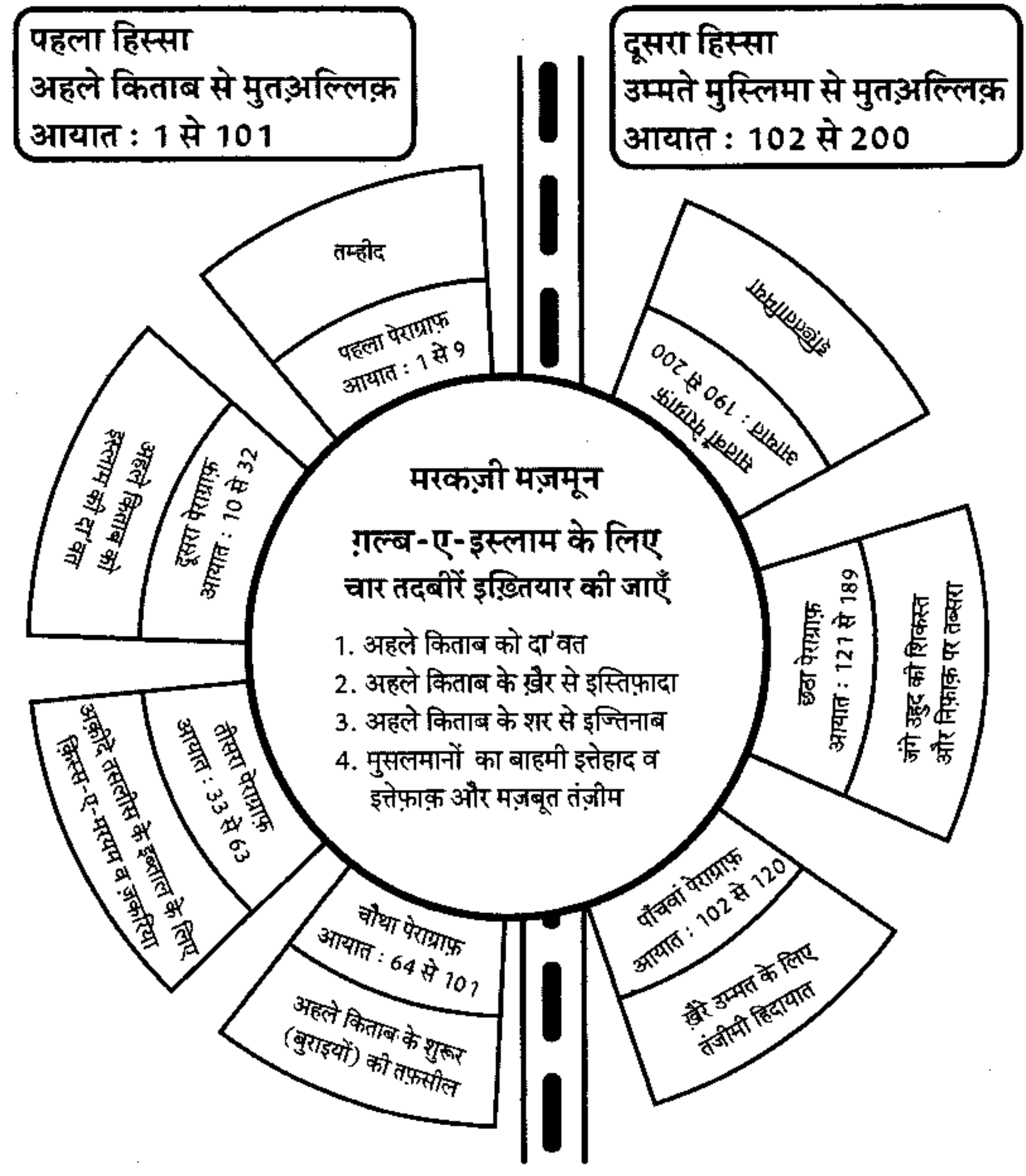

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहिम

खुलासा सूरह आले इमरान

मरकज़ी मज़ामीन (Central Theme)

ये मदनी सूरह है इसका ज़्यादातर हिस्सा तीन और चार हिज़री में नाज़िल हुआ। इसमें 200 आयात और 20 रूकूअ हैं। ''सूरह बकरह के अक्सर हिस्से में ख़िताब यहूद से था इस सूरह में मुख़ातब ईसाई है। सूरह का आग़ाज़ अक़ीदए तौहीद के ऐलान से होता है कि अल्लाह तबारक व तआला वो जिन्दा जावेद जात है जो कायनात का निजाम संभाले हुए है उसके सिवा कोई इलाह नहीं उसी ने हजरत मुहम्मद (ﷺ) पर क़ुरआन नाज़िल किया जो पिछली किताबों की तस्दीक़ करता है।

इसके बाद इस सूरह में बताया गया कि क़ुरआन की आयात दो क़िस्म की है। एक मुहक़मात जो किताब की असल बुनियाद हैं और दूसरी मुतशाबेह। जिन लोगों के दिलों में टेढ़ापन होता है वो फ़ित्ना बरपा करने के लिए मुतशाबेह को मायना पहनाने की कोशिश करते हैं जबकि उनका हक़ीक़ी मफ़हुम अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता इसके बरअक्स जो लोग अपने अक़ीदे में पक्के और इल्म में पुख़्ताकार हैं वो कहते हैं हमारा इनपर ईमान है और ये सब अल्लाह की तरफ़ से है। इस बात को सूरह के शुरू में बताने की ग़ालिबन वज़ह ये है कि इसाईयत की बुनियाद इंजील की कुछ मुतशाबेह आयात और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाज मुतशाबेह अक़ाल की गुमराहकुन तावील पर है। लिहाज़ा मुसलमानों को कलामुल्लाह की मुतशाबेह आयात की गलत ताबीर करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और उनकी तफ़सीर अपने अंदाजे, गुमान, ख्याल, वहम या अपनी राय को सच्चा साबित करने की गरज़ को बुनियाद बनाकर नहीं करनी चाहिए वर्ना वो भी ईसाइयों की तरह गुमराह हो जाएंगे ये किताबुल्लाह की ''तश्रीह का बुनियादी उसूल है।'' अल्लाह के नज़दीक दीन सिर्फ़ इस्लाम है इसलिए जो आख़िरत की भलाई का ख़्वाहिशमन्द है उसे इस्लाम का रास्ता इख़्तियार करना होगा। बादशाहतों का मालिक सिर्फ़ अल्लाह है। वो जिसको चाहता है और जब चाहता है बादशाहत अता कर देता है और जब चाहता है छीन लेता है। इस सूरह में अल्लाह ने रसूलुल्लाह (ﷺ) की इताअत की अहमियत का भी जिक्र किया है।

सूरह की आयत नं. 33 से 80 तक खिताब नसरानियों से हैं। इन आयात में हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की पैदाइश, हज़रत जकरिया अलैहिस्सलाम (जो निहायत बुढ़ापे को पहुँच चुके थे और जिनकी बीवी बांझ थी) के यहां हजरत यह्या अलैहिस्सलाम की पैदाइश और मरियम अलैहस्सलाम के यहाँ अल्लाह की कुदरत से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वाकियात बयान किए गए हैं।

इस सूरह में बताया गया है कि हजरत ईसा की पैदाइश किन हालात में हुई, उनका मुक़ाम व मरतबा

क्या है, उनकी असल हैसियत क्या है और फिर ये कि उनके साथ क्या मामला हुआ। फिर नजरान से ईसाई वफ़्द की आमद और उनके साथ मुनाजरा व मुबाहिला का जिक्र है। ये वफ़्द सन् 9 हिजरी में रसूले अकरम (ﷺ) को मिलने मदीना आया। ये एक आला सतह का वफ़्द (High Level Delegation) था जिसमें तकरीबन 60 अफ़राद थे इस वफ़्द में उनके बड़े-बड़े मज़हबी पेशवा, कौम के सरदार और रईस लोग शामिल थे। इनके कयाम का इंतिज़ाम मस्जिदे नबवी में किया गया था। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने नसरानी वफ़्द के सवालात के जवाब में सूरह आले इमरान की इन आयात की तिलावत फ़रमाई। ये लोग कई दिन मदीना में मुक़ीम रहे उन्होंने पुरी बात समझ भी ली और खामोश भी हो गए लेकिन फिर भी इस्लाम में दाखिल नहीं हुए तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उन्हें मुबाहिले की दावत दी लेकिन वो इस चैलेन्ज़ को कुबूल न कर सके और जिज़्या अदा करने पर राजी हो गए। वापसी से पहले वफ़्द के कुछ लोगों ने इस्लाम कुबूल कर लिया।

सूरह की आयत नम्बर 81-82 में उस अहद का जिक्र है जो अल्लाह नेअंबिया अलैहस्सलाम से लिया था कि वे अपने बाद आने वाले रसूल (हजरत मुहम्मद (ﷺ)) पर ईमान लाए और उनकी मदद करे और ऐसा करने की अपनी उम्मतों को ताकीद करें।

इसी सूरह में सूद की बुराई में दूसरा हुक्म नाज़िल हुआ।

आयत नम्बर 121 से 175 तक का ताल्लुक जंगे उहुद से है इन आयात में मुसलमानों की इब्तिदाई क़ामयाबी और बाद में नाक़ामी व शिकस्त की वुजुहात का जायज़ा लिया गया है। मुसलमानों की गलतियों पर गिरफ़्त की गई और मुसलमानों की कमज़ोरियाँ बताई गई जैसे रसूलुल्लाह (ﷺ) के हुक्म की ख़िलाफ़वर्जी , अनुशासन की कमी, अख़लाक़ी तरबियत की कमी वगैरह-वगैरह और आइन्दा के लिए हिदायत दी गई कि मुनाफ़िक़ीन की चालों से बचे, सब्र व इस्तिकामत इख़्तियार करें, अल्लाह पर भरोसा रखे, रसूल (ﷺ) की इताअ़त व फ़रमाबरदारी करें। आपस में इत्तेहाद रखे नज़्म व जब्त क़ायम रखें।

इस सूरह के आख़िर में दो रुकूअ़ बहुत अहम है। 19 वाँ रुकूअ़ बड़े जामेअ़ मज़ामीन पर मुश्तमिल है इसमें दरहक़ीक़त पूरे सूरह के मज़ामीन को Sum-up किया गया है।

सूरह आले इमरान का आख़री रुकूअ़ कुरआन मजीद के अज़ीमुश्शान मुक़ामात में से हैं जिसमें एक बेहतरीन जामेअ़ दुआ आई है।

***

तफ़्सीर सूरह आले इमरान

यह सूरत मदनी है, इसके शुरू की तिरासी (83) आयात नजरान के ईसाइयों के जो ऐलची हुज़ूर (ﷺ) की ख़िदमत में सन 9 हिज्री में आए थे, उनके बारे में नाज़िल हुई हैं जिसका मुफ़स्सल बयान मुबाहिला की आयत (कुल तआलौ) (3/आले इमरान : 61) की तफ़्सीर में अन्क़रीब आएगा। इंशाअल्लाह! इसकी फ़ज़ीलत में जो अहादीस वारिद हुई है, वह सूरह बक़रह की तफ़्सीर के शुरू में बयान कर दी गई हैं।

***

बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम

''शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला है।''

الٓمّٓ ① اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۙ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۭ② نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَاَنْزَلَ التَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ ③ مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَاَنْزَلَ الْفُرْقَانَ ڛ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ لَھُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۭ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ ④

तर्जुमा : ''अलिफ़ लाम मीम! (1) अल्लाह तआला वह है जिसके सिवा कोई मा'बूद नहीं, जो ज़िन्दा और सबका निगहबान है। (2) जिसने तुझ पर हक़ के साथ इस किताब को नाज़िल फ़र्माया है जो अपने से पहले की सच्चाई करने वाली है, उसी ने इससे पहले तौरात व इंजील को। (3) लोगों की हिदायत करने वाली बनाकर उतारा था और क़ुरआन भी उसने उतारा जो लोग अल्लाह तआला की आयतों से कुफ़्र करते हैं, उनके लिए सख़्त अज़ाब है और अल्लाह तआला ग़ालिब है, बदला लेने वाला है।'' (4)

तीन आयात में इस्मे आ'ज़म (आयत 1-4) : आयतल कुर्सी की तफ़्सीर के बयान में पहले यह हदीस गुज़र चुकी है कि इस्मे आ'ज़म इस आयत और आयतल कुर्सी में है और अलिफ़ लाम मीम की तफ़्सीर सूरह बक़रह में बयान हो चुकी है जिसे दोबारा यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं। (अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम) की तफ़्सीर भी आयतल कुर्सी की तफ़्सीर में हम लिख आए हैं। फिर फ़र्माया कि अल्लाह तआला ने तुझ पर ऐ मुहम्मद (ﷺ)! क़ुरआन करीम को हक़ के साथ नाज़िल फ़र्माया है जिसमें कोई शक नहीं बल्कि यक़ीनन वह अल्लाह की तरफ़ से है जिसे उसने अपने इल्म की वुस्अतों के साथ उतारा है और

फ़रिश्ते इस पर गवाह हैं और अल्लाह की शहादत काफ़ी वाफ़ी है।

यह कुरआन अपने से पहले की तमाम आसमानी किताबों की तस्दीक़ करने वाला है और वह किताबें इस कुरआन की सच्चाई पर दलील हैं, इसलिए कि उनमें जो इस नबी (ﷺ) के आने और इस किताब के उतरने की ख़बर थी, वह सच्ची साबित हुई।

उसी ने हज़रत मूसा बिन इमरान (عليه السلام) पर तौरात उतारी और हज़रत ईसा बिन मरयम (عليه السلام) पर इंजील उतारी, वह दोनों किताबें भी उस ज़माने के लोगों के लिए हिदायत देने वाली थीं।उसने फ़ुरक़ान उतारा जो हक़ बातिल हिदायत व ज़लालत में और गुमराही और राहे रास्त में फ़र्क़ करने वाला है, इसकी वाज़ेह और रोशन दलीलें और ज़बरदस्त बुरहान हर एक को किफ़ायत करने वाले हैं। हज़रत क़तादा और हज़रत रबीअ बिन अनस का बयान है कि फ़ुरक़ान से मुराद यहाँ कुरआन है गो यह मस्दर है लेकिन चूँकि कुरआन का ज़िक्र इससे पहले गुज़र चुका है, इसलिए यहाँ फ़ुरक़ान फ़र्माया। अबू सालेह से यह भी मरवी है कि मुराद इससे तौरात है मगर यह ज़ईफ़ है इसलिए कि तौरात का ज़िक्र इससे पहले गुज़र चुका है, वल्लाहु आ'लम!

क़यामत के दिन मुंकिरों और बातिल परस्तों को सख़्त अज़ाब होंगे, अल्लाह तआला ग़ालिब है, बड़ी शान वाला है, आ'ला सल्तनत वाला है, अम्बिया-ए-किराम और रसूलाने बा-एहतिराम के मुख़ालिफ़ों से और अल्लाह तआला की आयात की तक्ज़ीब करने वालों से जनाब बारी तआला ज़बरदस्त इंतिक़ाम लेगा।

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْفٰى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَآءِ ۝٥ هُوَ الَّذِيْ يُصَوِّرُكُمْ
فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ ۚ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝٦ هُوَ الَّذِيْٓ أَنْزَلَ
عَلَيْكَ الْكِتٰبَ مِنْهُ اٰيٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتٰبِ وَأُخَرُ مُتَشٰبِهٰتٌ ۚ فَأَمَّا
الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَآءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَآءَ
تَأْوِيْلِهٖ ۚ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيْلَهٗٓ إِلَّا اللّٰهُ ۘ وَالرّٰسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ يَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِهٖ ۙ كُلٌّ
مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا ۚ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّآ أُولُوا الْأَلْبَابِ ۝٧ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ إِذْ
هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ۝٨ رَبَّنَآ إِنَّكَ جَامِعُ
النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيْهِ ۚ إِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ۝٩

तर्जुमा : ''यक़ीनन अल्लाह तआला पर ज़मीनो-आसमान की कोई चीज़ पोशीदा नहीं। (5) वह माँ के पेट में तुम्हारी सूरतें जिस तरह की चाहता है, बनाता है उसके सिवा कोई मा'बूद नहीं, वह ग़ालिब है, हिक्मत वाला है। (6) वह अल्लाह जिसने तुझ पर किताब उतारी जिसमें वाज़ेह मज़बूत आयतें हैं जो अस़ल किताब हैं और कुछ मुतशाबेह आयतें हैं पस जिनके दिलों में कजी है वह तो इसकी मुतशाबेह आयतों के पीछे लग जाते हैं, फ़ित्ने की तलब और उनके मुराद की जुस्तजू के लिए उनकी ह़क़ीक़ी मुराद को सिवाए अल्लाह तआला के कोई नहीं जानता, पुख़्ता और मज़बूत इल्म वाले यही कहते हैं कि हम तो उन पर ईमान ला चुके, यह सब हमारे रब की तरफ़ से हैं और नसीहत तो सिर्फ़ अक़्लमंद ह़ासिल करते हैं। (7) ऐ हमारे रब! हमें हिदायत देने के बाद हमारे दिल टेढ़े न कर दे और हमें अपने पास से रह़मत अ़ता फ़र्मा, यक़ीनन तू ही बहुत बड़ी अ़ता देने वाला है। (8) ऐ हमारे रब! तू यक़ीनन लोगों को एक दिन जमा करने वाला है जिसके आने में कोई शक नहीं, यक़ीनन अल्लाह तआला वा'दाख़िलाफ़ी नहीं करता।'' (9)

माँ के पेट में सूरतें (शक्लें) बनाने वाला अल्लाह तआला है (आयत 5-9) : अल्लाह तआला ख़बर देता है कि आसमान व ज़मीन के ग़ैब को वह बख़ूबी जानता है उस पर कोई चीज़ मख़्फ़ी नहीं, वह तुमको तुम्हारी माँ के पेट में सूरतें इनायत फ़र्माता है, जिस तरह की चाहता है अच्छी बुरी नेक बद उसके सिवा इबादत के लायक़ कोई नहीं, वह ग़ालिब है हिक्मत वाला है जबकि सिर्फ़ उसी एक ने तुमको बनाया और पैदा किया, फिर इबादत दूसरे की क्यूँ करो? वह ला ज़वाल इज़्ज़तों वाला, ग़ैर फ़ानी हिक्मतों वाला, अटल हुक्मों वाला है। इसमें इशारा बल्कि तस़रीह़ है कि ह़ज़रत ईसा (عليه السلام) भी अल्लाह ही के पैदा किए हुए और उसी की चोखट पर झुकने वाले थे, जिस तरह कुल इंसान हैं, उन ही इंसानों में से एक आप भी हैं, वह भी माँ के रह़म में बनाए गए और मेरे पैदा करने से पैदा हुए, फिर अल्लाह कैसे बन गए कि उस ला'नती जमाअ़त नस़ारा ने समझ रखा है ह़ालाँकि वह तो एक ह़ालत से दूसरी ह़ालत की तरफ़ रग व रेशा में इधर-उधर फिरते-फिराते रहे। जैसे और जगह है (يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّن بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ) (39/ज़ुमर : 6) वह अल्लाह तआला जो तुमको तुम्हारी माओं के पेटों में पैदा करता है एक पैदाईश के बाद दूसरी तरह़ की बनावट, तीन तीन अंधेरियों में होती है।

यहाँ बयान हो रहा है कि क़ुरआन में ऐसी आयतें भी हैं जिनका बयान बहुत वाज़ेह़ बिलकुल स़ाफ़ और सीधा है, हर शख़्स इनके मतलब तक पहुँच सकता है और कुछ आयात ऐसी भी हैं जिनके मतलब तक उमूमन ज़हन रसानी नहीं कर सकते, अब जो लोग दूसरी क़िस्म की आयात को पहली क़िस्म की तरफ़ लौटाएँ या'नी जिस मसले की स़राह़त जिस आयत में पायें, ले लें तो वह सीधे रास्ते पर हैं और जो स़ाफ़ स़रीह़ आयात को छोड़कर ऐसी आयात को दलील बनाएँ जो उनके फ़हम से बालातर हैं और उनमें उलझ जाएँ, यह वह हैं जो चेहरे के बल गिर पड़े। उम्मुल किताब या'नी अस़ल उसूल किताबुल्लाह की वह स़ाफ़ और वाज़ेह़ आयात हैं।

शक व शुबा में न पड़ो और खुले अहकाम पर अमल करो इन को फ़ैसला करने वाली मानो और जो न समझ में आए, उसे भी उनसे ही समझो। कुछ और आयतें ऐसी भी हैं कि एक मा'नी तो उनका ऐसा निकलता है जो ज़ाहिर आयतों के मुवाफ़िक़ हो और मुम्किन है कि इसके सिवा और मा'नी भी निकलेंगे, वह हर्फ़ लफ़्ज़ और तर्कीब के ए'तिबार से हों न कि वाक़ई तौर पर तो उन ग़ैर ज़ाहिर मा'नों में न फंसो।

मुहकमात और मुतशाबेहात की वज़ाहत : मुहकम और मुतशाबेह के बहुत से मा'नी सलफ़ से मंक़ूल हैं। हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) तो फ़र्माते हैं कि मुहकमात वह हैं जो नासिख़ हों, जिनमें हलाल, हराम, अहकाम, हुक्म, मम्नूआत, हदें और आ'माल का बयान हो, इसी तरह आपसे यह भी मरवी है (قُلْ تَعَالَوْا اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ) (6/अन्आम : 151) और उसके बाद की हुक्मों वाली आयतें मुहकमात हैं और (وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا) (17/इस्रा : 23) और इसके बाद की तीन आयात। हज़रत अबू फ़ाख़्ता (रह.) फ़र्माते हैं कि यह सूरतों के शुरू हैं, यह या बिन या'मर (रह.) फ़र्माते हैं कि यह फ़राइज़ और अहकाम और रोक-टोक और हलाल व हराम की आयात हैं। सईद बिन जुबेर (रह.) कहते हैं, इन्हें असल किताब इसलिए कहा जाता है कि यह तमाम किताबों में हैं। हज़रत मुक़ातिल (रह.) फ़र्माते हैं, इसलिए कि तमाम मज़हब वाले इन्हें मानते हैं। मुतशाबेहात उन आयात को कहते हैं जो मंसूख़ हैं और जो पहले की हैं और जो पीछे की हैं और जिनमें मिसालें दी गई हैं और क़समें खाई गई हैं और जिन पर सिर्फ़ ईमान लाया जाता है और अमल के लिए वह अहकाम नहीं। हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) का भी यही फ़र्मान है। हज़रत मुक़ातिल (रह.) फ़र्माते हैं, इससे मुराद सूरतों के शुरू के हुरूफ़े मुक़त्तआत हैं। हज़रत मुजाहिद (रह.) का क़ौल यह है कि यह एक दूसरी की तस्दीक़ करने वाली हैं। (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर, ता'लीक़न क़ब्ल रक़म : 4547) जैसे और जगह है (كِتٰبًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ) (39/ज़ुमर : 23) और यह भी मज़्कूर है कि यह वह कलाम है जो एक ही तर्ज़ के मातहत हो और मसानी वह है जहाँ दो मुक़ाबिल की चीज़ों का ज़िक्र हो। जैसे सिफ़त जन्नत, दोज़ख़ की और हाल नेकों और बदों का वग़ैरह वग़ैरह। इस आयत मे मुतशाबेह मुहकम के मुक़ाबला में है इसलिए ठीक मतलब वही है जो हमने पहले बयान किया और यही फ़र्मान है हज़रत मुहम्मद बिन इस्हाक़ बिन यसार (रह) का, फ़र्माते हैं कि यह रब की हुज्जत है, इनमें बन्दों का बचाव है, झगड़ों का फ़ैसला है, बातिल का ख़ात्मा है, इन्हें इनके सहीह और असल मतलब से कोई घुमा नहीं सकता, न इनके मा'नी में हेर फेर कर सकता है, मुतशाबेहात की सच्चाई में कलाम नहीं, न उनमें तसर्रुफ़ व तावील करनी चाहिए, इनसे अल्लाह तआला अपने बन्दों के ईमान को आज़माता है जैसे हलाल हराम से आज़माता है उन्हें बातिल की तरफ़ ले जाना और हक़ से फेर देना न चाहिए।

अहले-बिदअत मुतशाबेहात से ही इस्तिदलाल करते हैं : फिर फ़र्माता है कि जिन दिलों में कजी टेढ़पन, गुमराही और हक़ से बातिल की तरफ़ जाना है, वह मुतशाबेह आयात को लेकर अपने बदतरीन मक़ासिद को पूरा करना चाहते हैं और लफ़्ज़ी इख़्तिलाफ़ात से नाजाइज़ फ़ायदा उठाकर अपनी तरफ़ मोड़ लेते हैं और जो मुहकम आयात हैं, उनमें उनका वह मक़्सद पूरा नहीं होता क्योंकि उनके अल्फ़ाज़ बिलकुल साफ़ और खुले हुए होते हैं, न वह उन्हें हटा सकते हैं, न उनमें अपने लिए कोई दलील पाते हैं, इसलिए फ़र्मान है कि इससे

मक़्सद उनका फ़ित्ना की तलाश होती है ताकि अपने मानने वालों को बहकाएँ, अपनी बिदअतों की दलील क़ुरआन से लाना चाहते हैं, ह़ालाँकि क़ुरआन तो बिदअतों की तर्दीद करता है जैसे कि ईसाइयों ने दलील पकड़ी है। ह़ज़रत ईसा (ﷺ) के अल्लाह का लड़का होने पर क़ुरआन के अल्फ़ाज़ रूहुल्लाह और कलिमतुल्लाह से पस इस मुतशाबेह आयात को लेकर साफ़ आयत जिसमें यह लफ़्ज़ है कि (**इन हुव इल्ला अब्द**) या'नी ह़ज़रत ईसा (ﷺ) अल्लाह तआला के गुलाम हैं, जिन पर अल्लाह का इन्आम है। और जगह (إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ) (3/आले इमरान : 59) या'नी ह़ज़रत ईसा (ﷺ) की मिसाल अल्लाह तआला के नजदीक ह़ज़रत आदम (ﷺ) की त़रह़ है कि उन्हें अल्लाह ने मिट्टी से पैदा किया, फिर उसे कहा कि हो जा, वह हो गया, चुनाँचे इसी त़रह़ की और भी स़रीह़ आयतें हैं। इन सबको छोड़ दिया और मुतशाबेह आयतों से ह़ज़रत ईसा (ﷺ) को अल्लाह का बेटा होने पर दलील पकड़ी ह़ालाँकि ह़ज़रत ईसा (ﷺ) अल्लाह की मख़्लूक़ हैं, अल्लाह के बन्दे हैं, उसके रसूल हैं।

ग़लत तावील व तह़रीफ़ की मज़म्मत : फिर फ़र्माता है कि उनकी दूसरी ग़र्ज़ आयत की तह़रीफ़ होती है कि इसे अपनी जगह से हटाकर मफ़्हूम बदल लें। हुज़ूर (ﷺ) ने यह आयत पढ़कर फ़र्माया, "जब तुम उन लोगों को देखो जो मुतशाबेह आयात में झगड़ते हैं, तो उन्हें छोड़ दो" यही लोग इस आयत में मुराद लिए गए हैं। (अह़मद : 6/48; इब्ने माजा : 47; तिर्मिज़ी : 2993; वहुव स़ह़ीह़) यह ह़दीस मुख़्तलिफ़ त़रीक़ से बहुत सी किताबों में मरवी है स़ह़ीह़ बुख़ारी शरीफ़ में भी यह ह़दीस इस आयत की तफ़्सीर में मरवी है, मुलाह़िज़ा हो किताबुल क़द्र। (स़ह़ीह़ बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर, सूरत आले इमरान, बाब मिन्हू आयाते मुह़कमात : 4547; स़ह़ीह़ मुस्लिम, 2665; अबूदाऊद : 4598; तिर्मिज़ी : 2993) एक और ह़दीस में है कि यह लोग ख़्वारिज हैं। (मुस्नद अह़मद : 5/252; वसनदुहू ह़सन लि ज़ातिही) पस इस ह़दीस को ज़्यादा से ज़्यादा मौक़ूफ़ समझ लिया जाए, ताहम इसका मज़्मून स़ह़ीह़ है इसलिए कि पहली बिदअत ख़्वारिज ने ही फैलाई। यह फ़िरक़ा मह़ज़ दुनियावी रंज की वजह से मुसलमानों से अलग हुआ। हुज़ूर (ﷺ) ने जिस वक़्त हुनेन की ग़नीमत का माल तक़्सीम किया, उस वक़्त इन लोगों ने इसे ख़िलाफ़े अदल समझा और इनमें से एक ने जिसे ज़ुल ख़ुवेस़िरा कहा जाता था, उसने हुज़ूर (ﷺ) के सामने आकर साफ़ कहा कि ह़ज़रत! अद्ल कीजिए, आपने इस तक़्सीम में इंस़ाफ़ नहीं किया। आपने फ़र्माया, मुझे तो अल्लाह ने अमीन बनाया है अगर मैं भी अदल न करूँ तो फिर तू तो बर्बाद हुआ और नुक़्स़ान में पड़ा, जब वह लौटा तो ह़ज़रत उमर (رضي الله عنه) ने दरख़्वास्त की कि मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं इसे मार डालूँ। आपने फ़र्माया, छोड़ दो इसकी जिंस से एक ऐसी क़ौम निकलेगी कि तुम लोग अपनी नमाज़ों को उनकी नमाज़ों के मुक़ाबले में और अपनी क़ुरआन ख़्वानी को उनकी क़ुरआन ख़्वानी के मुक़ाबले में ह़क़ीर समझोगे दरअस़ल वह दीन से इस त़रह़ निकल जायेंगे जिस त़रह़ तीर शिकार से निकल जाता है तुम जहाँ उन्हें पाओ क़त्ल करो, उनके क़त्ल करने वाले को बड़ा सवाब मिलेगा। (स़ह़ीह़ बुख़ारी, किताबुल मनाक़िब, बाब अलामाते नबुव्वत फ़िल इस्लाम : 3610; स़ह़ीह़ मुस्लिम : 1064) ह़ज़रत अली (رضي الله عنه) की ख़िलाफ़त के ज़माने में इनका ज़हूर हो गया और आपने उन्हें नहरवान में क़त्ल किया फिर इनमें फूट पड़ी और इनके मुख़्तलिफ़ ख़्यालात के फ़िर्के हो गए और नई-नई बिदअतें दीन में जारी कर लीं और अल्लाह की राह से बहुत दूर जा पड़े।

इनके बाद क़दरिया फ़िर्के का ज़हूर हुआ, फिर मु'तज़िला निकले, जहमिया वग़ैरह पैदा हुए और हुज़ूर (ﷺ) की यह पेशगोई पूरी हुई कि मेरी उम्मत में अन्क़रीब तेहत्तर फ़िर्के होंगे, सब जहन्नमी होंगे, सिवाए एक जमाअत के, सहाबा (رضي الله عنه) ने पूछा वह कौन लोग होंगे? आपने फ़र्माया, वह जो उस चीज़ पर हों जिस पर मैं हूँ और मेरे अस्हाब। (मुस्तदरक हाकिम : 1/129; वसनदुहू ज़ईफ़) अबू यअला की हदीस में है कि आपने फ़र्माया, मेरी उम्मत में एक क़ौम होगी, जो कुरआन तो पढ़ेगी लेकिन इसे इस तरह फेंकेगी जैसे कोई खजूर की गुठलियाँ फेंकता हो। इसके ग़लत मतालिब बयान करेगी। (इत्तिहाफ़ुल ख़ैरतिल महरतु लिल बूसीरी : 8030; वसनदुहू ज़ईफ़) फिर फ़र्माया, इसकी हक़ीक़ी तावील और वाक़ई मतलब अल्लाह तआला ही जानता है, लफ़्ज़न इल्लल्लाह पर वक़्फ़ है या नहीं? इसमें इख़्तिलाफ़ है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (رضي الله عنه) तो फ़र्माते हैं कि तफ़्सीर चार क़िस्म की है, एक वह जिसके समझने में कोई मा'ज़ूर नहीं, एक वह जिसे अरब अपनी लुग़त से समझते हैं, एक वह जिसे जय्यद उलमा और पूरे इल्म वाले ही जानते हैं और एक वह जिसे बजुज़ ज़ाते बारी तआला के और कोई नहीं जानता। (तब्री : 1/57) यह रिवायत पहले भी गुज़र चुकी है हज़रत आइशा (رضي الله عنها) वग़ैरह का भी यही क़ौल है मुअजम कबीर में हदीस है कि मुझे अपनी उम्मत पर सिर्फ़ तीन बातों का डर है, माल की कसरत का, जिससे हसद व बुग़्ज़ पैदा होगा और आपस की सरफटव्वल (माथा फोड़ी) शुरू होगी, दूसरे यह कि किताबुल्लाह की तावील के पीछे पड़ जायेंगे हालाँकि असली मतलब इनका अल्लाह तआला ही जानता है और गहरे इल्म वाले कह देते हैं कि हमारा इस पर ईमान है, आख़िर तक, तीसरे यह कि इल्म हासिल करके इसे बेपरवाही से ज़ाया कर दें। (तबरानी : 3442; वसनदुहू ज़ईफ़) यह हदीस बिलकुल ग़रीब है और हदीस में है कि कुरआन इसलिए नहीं उतरा कि एक आयत दूसरी आयत के ख़िलाफ़ हो, जिसका तुमको इल्म हो, उस पर अमल करो और जो मुतशाबेह हों उन पर ईमान लाओ। (इब्ने मर्दवे व इब्ने सअद : 4/192; वसनदुहू हसन) इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (रह.) और हज़रत मालिक बिन अनस (रह.) से भी यही मरवी है कि गहरे इल्म वाले भी इस हक़ीक़त से आगाह नहीं होते, हाँ! इस पर ईमान रखते हैं। हज़रत इब्ने मसऊद (رضي الله عنه) फ़र्माते हैं इसकी तावील का इल्म अल्लाह तआला ही को है, पुख़्ता इल्म वाले यही कहते हैं कि हमारा इस पर ईमान है। उबय बिन कअब (رضي الله عنه) भी यही फ़र्माते हैं। इमाम इब्ने जरीर भी इसी को पसंद करते हैं, यह तो थी वह जमाअत जो इल्लल्लाह पर वक़्फ़ करती थी और बाद के जुम्ले को इससे अलग करती थी कुछ लोग यहाँ नहीं ठहरते बल्कि फ़िल इल्म पर वक़्फ़ करते हैं और अकसर मुफ़स्सिरीन और अहले उसूल भी यही कहते हैं, इनकी बड़ी दलील यह है कि जो समझ में न आए, ऐसी बात कहनी ठीक नहीं। हज़रत इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) फ़र्माया करते थे कि मैं उन रासिख़ उलमा में हूँ जो तावील जानते हैं। मुजाहिद फ़र्माते हैं, रासिख़ इल्म वाले तफ़्सीर जानते हैं, हज़रत मुहम्मद बिन जा'फ़र बिन ज़ुबेर (रह.) फ़र्माते हैं कि असल तफ़्सीर और मुराद अल्लाह तआला ही जानता है और मज़बूत इल्म वाले कहते हैं कि हम इस पर ईमान लाए, फिर मुतशाबेहात आयात की तफ़्सीर मुहकमात की रोशनी से करते हैं जिनमें किसी को मजाले सुख़न नहीं रहती। मज़ामीने कुरआन ठीक-ठाक समझ में आ जाते हैं, दलील वाज़ेह होती है, उज़्र ज़ाहिर हो जाता है, बातिल छट जाता है और कुफ़्र दूर हो जाता है। हदीस में है कि हुज़ूर (ﷺ) ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (رضي الله عنه) के लिए दुआ की कि ऐ अल्लाह! इन्हें दीन की समझ दे और तफ़्सीर

का इल्म दे। (अहमद : 1/266; वसनदुहू हसन) कुछ उलमा ने यहाँ तफ़्सील की है, वह फ़र्माते हैं तावील दो मा'नी में कुरआन करीम में आई है, एक मा'नी तो जिनसे मफ़्हूम की असल हक़ीक़त और सहीह असलियत, जैसे कुरआन में है (يَآ اَبَتِ هٰذَا تَاْوِيْلُ رُءْيَايَ) (12/यूसुफ़ : 100) मेरे बाप मेरे ख़्वाब की यही ता'बीर है और जगह है (هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا تَاْوِيْلَهٗ يَوْمَ يَاْتِيْ تَاْوِيْلُهٗ) (7/आ'राफ़ : 53) काफ़िरों को इंतिज़ार सिर्फ़ इसकी हक़ीक़त ज़ाहिर होने का है जिस दिन इसका मिस्दाक़ आ जाएगा। पस इन दोनो जगह मुराद तावील से हक़ीक़त है अगर इस आयते मुबारका में तावील से मुराद यही तावील ली जाए तो इल्लल्लाहु पर वक़्फ़ ज़रूरी है इसलिए कि तमाम कामों की हक़ीक़त और असलियत बजुज़ ज़ाते पाक के और कोई नहीं जानता तो रासिख़ून फ़िल इल्म मुब्तदा होगा और यक़ूलू न आमन्ना बिही ख़बर होगी और यह जुम्ला बिलकुल अलग होगा।

दूसरे मा'नी तावील के तफ़्सीर और बयान और एक शै की ता'बीर दूसरी शै से होते हैं। जैसे कुरआन मे है (نَبِّئْنَا بِتَاْوِيْلِهٖ) (12/यूसुफ़ : 36) हमें इसकी तावील बताओ या'नी तफ़्सीर और बयान। अगर आयते मज़्कूरा मे तावील से यह मुराद ली जाए तो फ़िल इल्म पर वक़्फ़ करना चाहिए इसलिए कि पुख़्ता इल्म वाले उलमा जानते हैं और समझते हैं क्योंकि ख़िताब इन ही से है गो हक़ाइक़ का इल्म इन्हें भी नहीं, तो इस बिना पर आमन्ना बिही हाल होगा और यह भी हो सकता है कि मा'तूफ़ हो, बग़ैर मा'तूफ़ अलैहि के, जैसे और जगह है (لِلْفُقَرَآءِ الْمُهٰجِرِيْنَ) (59/हश्र : 8) से (يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا) (59/हश्र : 10) तक और जगह है (وَّ جَآءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا) (89/फ़ज्र : 22) या'नी वजाअल मलाइकतु सुफ़ूफ़न सुफ़ूफ़ा और इनकी तरफ़ से यह ख़बर कि हम इस पर ईमान लाए, इसके मा'नी हैं कि मुतशाबेह पर ईमान लाए।

फिर इक़रार करते हैं कि यह सब या'नी मुहकम और मुतशाबेह हक़ व सिद्क़ है और इनमें से हर एक दूसरे की तस्दीक़ करता है। और गवाही देता है कि यह सब अल्लाह तआला की तरफ़ से है, इसमें कोई इख़्तिलाफ़ और तज़ाद नहीं। जैसे और जगह है (اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلَافًا كَثِيْرًا) (4/निसाअ : 82) या'नी क्या यह लोग कुरआन में ग़ोरो-फ़िक्र नहीं करते, अगर यह अल्लाह के सिवा और की तरफ़ से होता तो इसमें बहुत इख़्तिलाफ़ होता, इसीलिए यहाँ भी फ़र्माया कि इसे सिर्फ़ अक़्लमंद ही समझते हैं, जो इस पर ग़ोरो-फ़िक्र करें जो सहीह सालिम अक़्ल वाले हों जिनके दिमाग़ दुरुस्त हों। हुज़ूर (ﷺ) से सवाल होता है कि पुख़्ता इल्म वाले कौन हैं? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, "जिसकी क़सम सच्ची हो जिसकी जुबान रास्त गो हो, जिसका दिल सलामत हो, जिसका पेट हराम से बचा हुआ हो और जिसकी शर्मगाह ज़िनाकारी से महफ़ूज़ हो, वह मज़बूत इल्म वाले हैं।" (तब्री : 6635; तबरानी : 7658; इसकी सनद में अब्दुल्लाह बिन यज़ीद इब्ने आदम कुरशी है, जो सख़्त ज़ईफ़ रावी है। इमाम अहमद कहते हैं इसकी रिवायात मौज़ूआ हैं। देखिए (मज्मउज़्ज़वाइद : 6/324; अल्मीज़ान : 2/526; रक़म : 4698) और हदीस में है कि आप (ﷺ) ने चंद लोगों को देखा कि वह कुरआन शरीफ़ के बारे में लड़-झगड़ रहे हैं। आपने फ़र्माया, सुनो! तुमसे पहले लोग भी इसी में हलाक हुए कि उन्होंने किताबुल्लाह की आयात को एक दूसरे के ख़िलाफ़ बताकर इख़्तिलाफ़ किया, हालाँकि किताबुल्लाह की हर आयत एक दूसरे की तस्दीक़ करती है तुम उनमें इख़्तिलाफ़ निकालकर एक को दूसरी के मुतज़ाद न बताओ, जो जानो कहो

और जो न जानो, उसे जानने वालों को सौंपो। (मुस्नद अह़मद : 2/185; मुसन्नफ़ अब्दुर्रज़्ज़ाक़ : 20367; इब्ने माजा, किताबुस्सुन्नत, बाब फ़िल क़द्र : 85; शुअबुल ईमान : 2258; वसनदुहू ह़सन; अल्मौसूअतुल ह़दीसिया : 11/354) और ह़दीस में है कि क़ुरआन सात ह़रफ़ों पर उतरा, क़ुरआन में झगड़ना कुफ़्र है, क़ुरआन में इख़्तिलाफ़ और तज़ाद पैदा करना कुफ़्र है, जो जानो उस पर अमल करो, जो न जानो उसे जानने वाले की तरफ़ सौंपो, या'नी जल्ल जलालुहू की तरफ़। (अह़मद : 2/300; मुस्नद अबी यअ़ला : 6016; वहुव सह़ीह़)

रासिख़ फ़िल इल्म से कौन लोग मुराद हैं : राफ़ेअ़ बिन यज़ीद (रह़.) कहते हैं कि रासिख़ फ़िल इल्म वह लोग हैं जो मुतवाज़ेअ हों, जो आजिज़ी करने वाले हों, रब की रज़ा के तालिब हों, अपने से बड़ों से दबने वाले न हों, अपने से छोटे को ह़क़ीर बनाने वाले न हों। फिर फ़र्माया कि यह लोग दुआ करते हैं कि हमारे दिलों को जबकि तूने हिदायत पर जमा दिया है उन्हें उन लोगों के दिलों की तरह़ न कर जो मुतशाबेह के पीछे पड़कर ख़राब हो जाते हैं, बल्कि हमें अपनी सिराते मुस्तक़ीम पर क़ायम रख और अपने मज़बूत दीन पर दाइम रख और हम पर अपनी रह़मत नाज़िल कर हमारे दिलों को मजबूत बना दे, हमारी परागंदगी को दूर कर हमारे ईमान व यक़ीन को बढ़ा, तू बहुत बड़ा देने वाला है। रसूलुल्लाह (ﷺ) दुआ मांगा करते थे। (या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अ़ला दीनिक) ऐ दिलों के फेरने वाले, मेरे दिल को अपने दीन पर जमा हुआ रख। फिर यह दुआ (रब्बना ला तुज़िग़) पढ़ते। (तिर्मिज़ी, किताबुद्दा'वात, बाब दुआउ या मुक़ल्लिबल क़ुलूब : 3522; बइख़्तिलाफ़े यसीर, वसनदुहू ह़सन) और ह़दीस मे है कि आप (ﷺ) बकसरत यह दुआ पढ़ा करते थे (अल्लाहुम्म मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अ़ला दीनिक) ह़ज़रत अस्मा (रज़ि.) ने एक दिन पूछा, क्या दिल उलट पलट हो जाता है? आपने फ़र्माया, हाँ! हर इंसान का दिल अल्लाह तआला की उँगलियों में से दो उँगलियों के बीच है, अगर चाहे क़ायम रखे, अगर चाहे फेर दे। (अह़मद : 6/302; वसनदुहू ह़सन) हमारी दुआ है कि हमारा रब हमारे दिलों को हिदायत के बाद टेढ़ा न कर दे और हमें अपने पास से रह़मतें इनायत फ़र्माए, वह बड़ी दीन वाला है। एक रिवायत में यह भी है कि मैंने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मुझे कोई ऐसी दुआ सिखाईए कि मैं अपने लिए वह दुआ मांगा करूँ। आपने फ़र्माया ''यह दुआ मांग (अल्लाहुम्म रब्ब मुह़म्मदिनिन् नबिय्यि ....) ऐ अल्लाह! ऐ मुह़म्मद नबी (ﷺ) के रब! मेरे गुनाह माफ़ फ़र्मा, मेरे दिल का ग़ुस्सा और रंज और सख़्ती दूर कर दे और मुझे गुमराह करने वाले फ़ित्नों से बचा ले।'' (तबरी : 6649, 6655; इसकी सनद में मुस्ना बिन सबाह़ ज़ईफ़ रावी है।) ह़ज़रत आइशा सिद्दीक़ा (رضي الله عنها) से भी आपकी दुआ (या मुक़ल्लिबल क़ुलूब) सुनकर ह़ज़रत अस्मा (رضي الله عنها) की तरह़ मैंने यही सवाल किया और आपने वही जवाब दिया और फिर क़ुरआन की यह दुआ पढ़ सुनाई। (इब्ने मर्दवे व सनदुहू ज़ईफ़) यह ह़दीस ग़रीब है लेकिन आयते क़ुरआनी की तिलावत के बग़ैर तो बुख़ारी व मुस्लिम मे भी मरवी है। (सह़ीह़ मुस्लिम, किताबुल क़द्र, बाब तसरीफ़ुल्लाहि तआला अल्क़ुलूब कैफ़ शाअ : 2654) नसाई वग़ैरह में है कि ह़ुज़ूर (ﷺ) जब रात को जाते तो यह दुआ पढ़ते (لا اله الا انت سبحانك استغفرك لذنبي واسئلك رحمة اللهم زدني علما ولا تزغ بعد اذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة انك انت الوهاب) (अबूदाऊद, किताबुल अदब, बाब मा यक़ूलुर्रजुल इज़ा तआर मिनल्लैलि : 5061; वसनदुहू ह़सन, अस्सुननुल कुब्रा लिन्नसाई :

10701) ऐ अल्लाह! तेरे सिवा कोई मा'बूद नहीं, मैं तुझसे अपने गुनाहों का इस्तिग़्फ़ार करता हूँ और तुझसे तेरी रह़मत का सवाल करता हूँ, ऐ अल्लाह! मेरे इल्म में ज़्यादती कर और मेरे दिल को जब तूने हिदायत दे दी है, फिर गुमराह न कर और मुझे अपने पास की रह़मत बख़्श, तू बहुत कुछ देने वाला है, ह़ज़रत अबूबक्र सि़द्दीक़ (ﷺ) ने मग़्रिब की नमाज़ पढ़ाई, पहली दो रकअ़तों में अल्ह़म्दु शरीफ़ के बाद मुफ़स्सल की छोटी सी दो सूरतें पढ़ीं और तीसरी रकअ़त में सूरतुल ह़म्द शरीफ़ के बाद यही आयत पढ़ी। अबू अ़ब्दुल्लाह सनाबिह़ी (रह़.) फ़र्माते हैं मैं उस वक़्त उनके क़रीब चला गया था कि मेरे कपड़े उनके कपड़ों से लग गए थे और मैंने ख़ुद अपने कान से ह़ज़रत अबूबक्र सि़द्दीक़ (ﷺ) को यह पढ़ते हुए सुना। (अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक़) ह़ज़रत उ़मर बिन अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ (रह़.) ने जब तक यह ह़दीस नहीं सुनी थी आप इस रकअ़त में सूरत (कुल हुवल्लाहु) पढ़ा करते थे लेकिन यह ह़दीस सुनने के बाद ह़ज़रत अमीरुल मो'मिनीन ने भी इसी को पढ़ना शुरू किया और कभी तर्क नहीं किया। फिर फ़र्माया, वह यह भी कहते हैं कि ऐ अल्लाह! तू क़यामत के दिन अपनी तमाम मख़्लूक़ को जमा करने वाला है और इनमें फ़ैसले और हुक्म करने वाला है, इनके इख़्तिलाफ़ात को मिटाने वाला है और हर एक के भले-बुरे अ़मल का बदला देने वाला है, उस दिन के आने में और तेरे वा'दों के सच्चे होने में कोई कलाम नहीं।

***

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا
وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ ⑩ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَذَّبُوا
بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ۗ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ⑪

तर्जुमा : ''काफ़िरो को उनके माल और उनकी औलादें अल्लाह के अ़ज़ाबों से छुड़ाने में कुछ काम न आयेंगी, यह तो जहन्नम का ईंधन ही हैं। (10) जैसा आले फ़िरऔन का ह़ाल हुआ और उनका जो उनसे पहले थे, हमारी आयात को झुठलाया फिर अल्लाह तआ़ला ने भी उन्हें उनके गुनाहों पर पकड़ लिया और अल्लाह तआ़ला सख़्त अ़ज़ाबों वाला है।'' (11)

काफ़िरों का माल व औलाद कुछ काम नहीं आएगा (आयत 10,11) : फ़र्माता है कि काफ़िर जहन्नम की भट्टियाँ और उसमें जलने वाली लकड़ियाँ हैं, उन ज़ालिमों को उस दिन उ़ज़्र मा'ज़िरत काम न आएगी, उन पर ला'नत है और उनके लिए बुरा घर है, उनके माल, उनकी औलादें उन्हें कुछ भी नफ़ा नहीं पहुँचा सकेंगी, अल्लाह के अ़ज़ाबों से नहीं बचा सकेंगी। जैसे और जगह है (فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ)(9/तौबा : 55) तू उनके माल और उनकी औलाद पर ता'ज्जुब न कर, अल्लाह का इरादा इसकी वजह से उन्हें दुनिया में

भी अ़ज़ाब करने का है, उनकी जानें कुफ्र ही में निकल जाएँगी। इसी तरह इर्शाद है काफ़िरों का शहरों में घूमना घामना तुझे फ़रेब में न डाले, यह तो यूँ ही थोड़ा सा फ़ायदा है फिर उनकी जगह जहन्नम ही है, जो बदतरीन बिछौना है। इसी तरह यहाँ भी फ़र्मान है कि अल्लाह की बातों के झुठलाने वाले, उसके रसूलों का इंकार करने वाले, उसकी किताब के मुख़ालिफ़ उसकी वह्री के नाफ़र्मान, अपनी औलाद और अपने माल से कोई भलाई की तवक़्क़अ न रखें , यह जहन्नम की लकड़ियाँ हैं जिनसे जहन्नम सुलगाई और भड़काई जाएगी। जैसे और जगह है (اِنَّكُمْ وَ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ) (21/अल् अम्बिया : 98) तुम और तुम्हारे मा'बूद जहन्नम की लकड़ियाँ हो।

इब्ने अबी ह़ातिम में है ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (رضی اللہ عنہ) की वालिदा साह़िबा ह़ज़रत उम्मे फ़ज़ल (رضی اللہ عنہا) का बयान है कि मक्का मुकर्रमा में एक रात रसूलुल्लाह (ﷺ) खड़े हो गए और बा आवाज़े बलंद फ़र्माने लगे, लोगों! क्या मैंने अल्लाह की बातें तुम तक पहुँचा दी? लोगों! क्या मैंने तब्लीग़ कर दी? लोगों! क्या मैं वह्दानियत व रिसालत का मत़लब तुम्हें पहुँचा चुका? ह़ज़रत उ़मर (رضی اللہ عنہ) फ़र्माने लगे, हाँ ह़ुज़ूर (ﷺ)! बेशक आपने अल्लाह का दीन हमें पहुँचा दिया। फिर जब सुबह़ हुई तो आपने फ़र्माया, सुनो! अल्लाह की क़सम! इस्लाम ग़ालिब होगा और ख़ूब फैलेगा यहाँ तक कि कुफ़्र अपनी जगह जा छुपेगा। मुसलमान इस्लाम को लेकर समुंदरों को चीरते-फाड़ते निकल जाएँगे और इस्लाम की इशाअ़त करेंगे, याद रखो कि वह ज़माना भी आने वाला है कि लोग क़ुरआन को सीखेंगे, पढ़ेंगे (फिर तकब्बुर बड़ाई और ख़ुदबीनी के त़ौर पर) कहने लगेंगे हम क़ारी हैं, हम आ़लिम हैं, कौन है जो हमसे बढ़ चढ़कर हो? क्या उन लोगों में कुछ भी भलाई होगी? लोगों ने पूछा, ह़ुज़ूर (ﷺ)! वह कौन लोग हैं? आपने फ़र्माया, वह तुम ही मुसलमानों में से होंगे लेकिन ख़्याल रहे कि वह जहन्नम का ईंधन हैं। (इब्ने मर्दवे वसनदुहू ज़ईफ़)

इब्ने मर्दवे में भी यह ह़दीस है, उसमें यह भी है ह़ज़रत उ़मर (رضی اللہ عنہ) ने जवाब में कहा, हाँ, हाँ, अल्लाह की क़सम! आपने बड़े ह़िर्स और चाहत से तब्लीग़ की, आपने पूरी जद्दोजहद और दौड़ धूप की, आपने हमारी ज़बरदस्त ख़ैरख़्वाही की और बेहतरी चाही। (त़बरानी : 25/27, 28; वसनदुहू ज़ईफ़; देखिए ह़दीस साबिक़)

फिर फ़र्माता है जैसा ह़ाल फ़िरऔ़नियों का था और जैसे करतूत उनके थे, लफ़्ज़ दअब हम्ज़ा के जज़्म से भी आता है और हम्ज़ा के ज़बर से भी आता है जैसे नह्रु और नहरु इसके मा'नी शान आ़दत ह़ाल तरीक़े के आते हैं, इम्रउल क़ैस के शेअ़रों में भी यह लफ़्ज़ इसी मा'नी में आया है, मत़लब इस आयते करीमा का यह है कि कुफ़्फ़ार को माल व औलाद अल्लाह के यहाँ कुछ काम न आएगा। जैसे फ़िरऔ़नियों और उनसे अगले कुफ़्फ़ार को कुछ काम न आई, अल्लाह तआ़ला की पकड़ सख़्त है, उसका अ़ज़ाब दर्दनाक है, कोई किसी त़ाक़त से उससे बच नहीं सकता, न उसे हटा सकता है, वह अल्लाह जो चाहे करता है, हर चीज़ उसके सामने पस्त है, न उसके सिवा कोई मा'बूद न रब।

قُلْ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَتُغْلَبُوْنَ وَتُحْشَرُوْنَ اِلٰى جَهَنَّمَ ؕ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿۱۲﴾ قَدْ كَانَ لَكُمْ اٰيَةٌ فِيْ فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا ؕ فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاُخْرٰى كَافِرَةٌ يَّرَوْنَهُمْ مِّثْلَيْهِمْ رَاْيَ الْعَيْنِ ؕ وَاللّٰهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّاُولِي الْاَبْصَارِ ﴿۱۳﴾

तर्जुमा : ''काफ़िरों से कह दो कि तुम अन्क़रीब मग़्लूब किए जाओगे और जहन्नम की तरफ़ जमा किए जाओगे और वह बुरा बिछौना है (12) यक़ीनन तुम्हारे लिए इब्रत की निशानी थी, उन दो जमाअतों में जो गुत्थ गई थीं, एक जमाअत तो अल्लाह की राह में लड़ रही थी और दूसरा गिरोह काफ़िरों का था, वह उन्हें अपने से दो गुना देखते थे, जो आँखों की नज़र थी, अल्लाह तआला जिसको चाहे अपनी मदद से क़वी करता है, उसमें आँखों वालों के लिए बड़ी इब्रत है।'' (13)

जंगे बद्र में अल्लाह तआला की क़ुदरत व नुसरत (आयत 12, 13) : अल्लाह तआला फ़र्माता है कि ऐ मुहम्मद (ﷺ)! काफ़िरों से कह दीजिए कि तुम दुनिया में भी पस्त और मग़्लूब किए जाओगे, हारोगे और मातहत बनोगे और क़यामत के दिन भी हाँककर जहन्नम की तरफ़ जमा किए जाओगे जो बदतरीन बिछौना है। सीरत इब्ने इस्हाक़ में है कि जब बद्र की जंग से हुज़ूर (ﷺ) मुज़फ़्फ़र व मंसूर वापिस लौटे तो बनू क़ेनुक़ाअ के बाज़ार में यहूदियों को जमा किया और फ़र्माया, ऐ यहूदियो! इससे पहले इस्लाम क़बूल कर लो कि तुमको भी वह ज़िल्लत व पस्ती पहुँचे जो क़ुरैश को पहुँची तो उस सरकश जमाअत ने जवाब दिया कि चंद क़ुरैशियों को जो फ़ुनूने जंग से ना आशना थे, आपने हरा लिया तो क्या दिमाग़ में कुछ ग़ुरूर समा गया? अगर हमसे लड़ाई हुई तो हम बतला देंगे कि जंग जू ऐसे होते हैं। आपको अब तक हमसे वास्ता नहीं पड़ा। इस पर यह आयत उतरी। (सीरत लि इब्ने हिशाम : 2/427; दलाइलुन नबुव्वत लिल बैहक़ी : 3/173; यह रिवायत मुर्सल या मुअ़ज़ल (ज़ईफ़) है और शैख़ अल्बानी (रह.) ने इसकी सनद को ज़ईफ़ क़रार दिया है। देखिए (ज़ईफ़ अबूदाऊद : 647) और फ़र्माया गया कि फ़तहे बद्र ने ज़ाहिर कर दिया है कि अल्लाह तआला अपने सच्चे अच्छे और पसंदीदा दीन को और इस दीन वालों को इ़ज़्ज़त व हुर्मत अ़ता फ़र्माने वाला है, वह अपने रसूल (ﷺ) का और आपकी इताअतगुज़ार उम्मत का ख़ुद मददगार है, वह अपनी बातों को ज़ाहिर और ग़ालिब करने वाला है।

दो जमाअतें लड़ाई में गुथ गई थीं, एक तो सहाबा किराम (रज़ि.) की दूसरी मुश्रिकीने क़ुरैश की। यह

वाक़िया जंगे बद्र का है उस दिन मुश्रिकीन पर इस क़द्र रो'ब ग़ालिब आया और अल्लाह तआला ने अपने बन्दों की इस तरह की मदद की कि बावजूद यह कि मुसलमान गिनती में मुश्रिकीन से कहीं कम थे लेकिन मुश्रिकीन को अपने से दो गुना नज़र आते थे। मुश्रिकों ने लड़ाई छिड़ने से पहले ही जासूसी के लिए उमेर बिन सअद को भेजा था जिसने आकर ख़बर दी थी कि तीन सौ हैं कुछ कम या ज़ाइद हों और वाक़िया भी यही था कि सिर्फ़ तीन सौ दस और कुछ थे लेकिन लड़ाई के शुरू होते ही अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने अपने ख़ास और चुनिन्दा फ़रिश्ते एक हज़ार भेजे, एक मा'नी तो यह हैं दूसरा मतलब यह भी बयान किया गया है कि मुसलमान देखते थे और जानते थे कि काफ़िर हमसे दो चंद हैं फिर भी रब अज़्ज़ व जल्ल ने इन ही को मदद की। हज़रत इब्ने अब्बास (رضی اللہ عنہ) फ़र्माते हैं कि बद्री सहाबा तीन सौ तेरह थे और मुश्रिकीन छः सौ सोलह थे लेकिन तवारीख़ की किताबों में मुश्रिकीन की ता'दाद नौ सौ से एक हज़ार बयान की गई है तो शायद हज़रत अब्दुल्लाह का अल्फ़ाज़े क़ुरआन से यह इस्तिदलाल हो। बनुल हज्जाज क़बीला का जो स्याह फ़ाम गुलाम पकड़ा हुआ आया था उससे जब हुज़ूर (ﷺ) ने पूछा कि क़ुरैश की ता'दाद कितनी है? उसने कहा, बहुत हैं, आप (ﷺ) ने फिर पूछा कि बता रोज़ाना कितने ऊँट कटते हैं? उसने कहा, एक दिन नौ दूसरे दिन दस। आपने फ़र्माया, बस तो उनकी गिनती नौ सौ और एक हज़ार के दरम्यान है पस मुश्रिकीन मुसलमानों से तीन गुना थे। (सीरत लि इब्ने हिशाम : 2/195; शैख़ अल्बानी (रह.) ने इसे सहीह मुर्सल क़रार दिया है। देखिए (फ़िक़्हुस्सीरत, पेज : 233) या'नी यह रिवायत भी ज़ईफ़ है।) वल्लाहु आ'लम!

लेकिन यह याद रहे कि अरब कह दिया करते हैं कि मेरे पास एक हज़ार तो हैं लेकिन मुझे ज़रूरत ऐसे ही दो चंद की है और मुराद उनकी तीन हज़ार की होती है तो कोई मुश्किल बाक़ी न रही, लेकिन एक सवाल और है वह यह कि क़ुरआन करीम में और जगह है (وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَ يُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا) (8/अन्फ़ाल : 44) या'नी ''जब आमने सामने आ गये तो अल्लाह ने उन्हें तुम्हारी निगाहों में कम करके दिखाया और तुमको उनकी निगाहों में कम करके दिखाया ताकि जिसके करने का फ़ैसला अल्लाह तआला कर चुका था वह हो जाए।'' पस इस आयत से मा'लूम होता है कि असल ता'दाद से भी कम जचे और मुंदर्जा बाला आयत से मा'लूम होता है कि ज़्यादा बल्कि दुगुने नज़र आए तो दोनों आयतों में तत्बीक़ क्या होगी? इसका जवाब यह है कि इस आयत का शाने नुज़ूल और था और इसका वक़्त और था। हज़रत इब्ने मसऊद (رضی اللہ عنہ) फ़र्माते हैं कि बद्र वाले दिन हमें मुश्रिकीन कुछ ज़्यादा नहीं जचे हमने ग़ोर से देखा फिर भी यही मा'लूम हुआ कि हमसे ज़्यादा गिनती उनकी नहीं, दूसरी रिवायत में है कि मुश्रिकीन की ता'दाद हमें इस क़द्र कम मा'लूम हुई कि मैंने अपने पास के एक शख़्स से कहा कि यह लोग तो कोई सत्तर होंगे, उसने कहा, नहीं नहीं! सौ होंगे, जब उनमें से एक शख़्स पकड़ा गया तो हमने उससे मुश्रिकीन की गिनती पूछी, उसने कहा, एक हज़ार हैं। (तब्री : 6/236) अब जबकि दोनों फ़रीक़ एक दूसरे के सामने सफ़ें बाँधकर खड़े हो गए तो मुसलमानो को यह मा'लूम होने लगा कि मुश्रिकीन हमसे दुगुने हैं, यह इसलिए कि उन्हें अपनी कमज़ोरी का यक़ीन हो जाए और यह अल्लाह तआला पर पूरा भरोसा कर लें और तमामतर तवज्जह अल्लाह की जानिब फेर लें। और अपने रब अज़्ज़ व जल्ल से एआनत और इम्दाद की दुआएँ करने

लगें, ठीक इसी तरह मुश्रिकीन को मुसलमानों की ता'दाद दुगुनी मा'लूम होने लगी ताकि उनके दिलों में रो'ब और डर बैठ जाए और घबराहट और परेशानी बढ़ जाए। फिर जब दोनों भिड़ गए और लड़ाई होने लगी तो हर फ़रीक़ दूसरे को अपनी निस्बत कम नज़र आने लगा ताकि हर एक दिल खोलकर हौसले निकाल ले और अल्लाह तआला हक़ व बातिल का साफ़ फ़ैसला कर दे, ईमान कुफ़्र तुग़ियान पर ग़ालिब आ जाए, मो'मिनों को इज़्ज़त और काफ़िरों को ज़िल्लत मिल जाए। जैसे और जगह है (وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّ اَنْتُمْ اَذِلَّةٌ) (3/आले इमरान : 123) या'नी **''अल्बत्ता अल्लाह तआला ने बद्र वाले दिन तुम्हारी मदद की हालाँकि तुम उस वक़्त कमज़ोर थे।''** इसीलिए यहाँ भी फ़र्माया **''अल्लाह तआला जिसे चाहे अपनी मदद से क़वी बनाए।''** फिर फ़र्माता है **''इसमें इब्रत व नसीहत है उस शख़्स के लिए जो आँखो वाला हो, जिसका दिमाग़ सहीह व सालिम हो, वह अल्लाह तआला के अहकाम की बजाआवरी में लग जायेगा और समझ लेगा कि अल्लाह अपने पसंदीदा बन्दों की इस जहान में भी मदद करता है और क़यामत के दिन भी इनका बचाव करेगा।''**

***

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَآءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ؕ ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الْمَاٰبِ ⑭ قُلْ اَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذٰلِكُمْ ؕ لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَاَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَّرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِالْعِبَادِ ⑮

तर्जुमा : ''लोगों के लिए नफ़्सानी ख़्वाहिशों की चीज़ों को ज़ीनत दी गई है जैसे औरतें और बेटे और जमा किए हुए ख़ज़ाने सोने और चाँदी के और निशानदार घोड़े और चौपाये और खेती यह दुनिया की ज़िन्दगी का फ़ायदा है और लौटने का अच्छा ठिकाना तो अल्लाह तआला ही के पास है। (14) तू कह, क्या मैं तुमको इससे बहुत ही बेहतर चीज़ बताऊँ? तक़्वा वालों के लिए उनके रब के पास जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं जिनमें वह हमेशा रहेंगे और पाकीज़ा बीवियाँ और अल्लाह तआला की रज़ामन्दी है सब बन्दे अल्लाह तआला की निगाह में है।'' (15)

दुनिया का माल व अस्बाब आरज़ी और फ़ानी है (आयत 14, 15) : अल्लाह तआ़ला बयान फ़र्माता है कि दुनिया की जिन्दगी को तरह तरह की लज़्ज़तों से ज़ीनत दी गई है, उन सब चीज़ो में से सबसे पहले औ़रतों को बयान फ़र्माया, इसलिए कि उनका फ़ित्ना बड़ा ज़बरदस्त है। सही़ह़ ह़दीस में है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़र्माते हैं कि "मैंने अपने बाद मर्दों पर औ़रतों से ज़्यादा नुक़्सानदेह और कोई फ़ित्ना नहीं छोड़ा।" (सही़ह़ बुख़ारी, किताबुन् निकाह़; बाब मा युत्तक़ा मिन शुअमिल मर्अति : 5096; सही़ह़ मुस्लिम : 2740; तिर्मिज़ी : 2780; इब्ने माजा : 3998) हाँ! जब किसी शख़्स की निय्यत निकाह़ करके ज़िना से बचने की, औलाद की कसरत की हो तो बेशक यह नेक काम है, इसकी रग़्बत शरीअ़त ने दिलाई है और इसका हुक्म किया है और बहुत सी अह़ादीस निकाह़ करने की फ़ज़ीलत में आई हैं और इस उम्मत में सबसे बेहतर वह है जो सबसे ज़्यादा बीवियाँ वाला हो। (सही़ह़ बुख़ारी, किताबुन् निकाह़, बाब कस्रतुन् निसाअ : 5069; मौक़ूफ़न अ़ली इब्ने अ़ब्बास (رضي الله عنه)) नबी (ﷺ) फ़र्माते हैं "दुनिया एक फ़ायदा है और इसका बेहतरीन फ़ायदा नेक बीवी है। (सही़ह़ मुस्लिम, किताबुर्रिज़ाअ़, बाब ख़ैर मताइद्दुनिया अल्मर्अतुस्सालिह़ा : 1469) कि शौहर अगर उसकी त़रफ़ देखे तो उसे ख़ुश कर दे और हुक्म दे तो बजा लाए और कहीं चला जाए तो अपने नफ़्स की और शौहर के माल की ह़िफ़ाज़त करे।" (इब्ने माजा, किताबुन् निकाह़, बाब फ़ज़्लुन् निसाअ : 1857; वसनदुहू ज़ईफ़ुन जिद्दा) दूसरी ह़दीस में है कि "मुझे औ़रतें और ख़ुश्बू बहुत पसंद हैं और मेरी आँखों की ठण्डक नमाज़ में है।" (नसाई, किताब अ़शरतुन निसाअ, बाब हुब्बुन निसाअ : 3392; वसनदुहू ह़सन) ह़ज़रत आइशा (رضي الله عنها) फ़र्माती हैं कि रसूल (ﷺ) को सबसे ज़्यादा मह़बूब औ़रतें थीं, हाँ! घोड़े उनसे भी ज़्यादा पसंद थे। एक और रिवायत में है कि घोड़ों से ज़्यादा आपकी चाहत की चीज़ कोई और न थी हाँ सिर्फ़ औ़रतें। (नसाई, किताब अ़शरतुन् निसाअ, बाब हुब्बुन् निसाअ : 3393; अ़न अनस (رضي الله عنه); वसनदुहू ज़ईफ़; क़तादा मुदल्लस है और सिमाअ़ की स़राह़त नहीं। पस औ़रतों की मुह़ब्बत भली भी है और बुरी भी, इसी त़रह़ औलाद की कि अगर उनकी कसरत इसलिए चाहता है कि फ़ख़्र व गुरूर करे तो वह बुरी चीज़ है और अगर इसलिए उनकी ज़्यादती चाहता है कि नस्ल बढ़े और मुवह़्ह़िद (तौह़ीद परस्त) मुसलमानों की गिनती उम्मते मुह़म्मद (ﷺ) में ज़्यादा हो तो बेशक यह भलाई की चीज़ है। ह़दीसे मुबारका में है कि "मुह़ब्बत रखने वालियों और ज़्यादा औलाद जनने वाली औ़रतों से निकाह़ करो, क़यामत के दिन मैं तुम्हारी ज़्यादती से और उम्मतों पर फ़ख़्र करने वाला हूँ। (अह़मद : 3/158; वसनदुहू ह़सन; इब्ने ह़िब्बान : 4028; बैहक़ी : 7/81, 82) ठीक इसी त़रह़ माल भी है कि अगर उसकी मुह़ब्बत गिरे पड़े लोगों को ह़क़ीर समझने के लिए और मिस्कीनों ग़रीबों पर फख़्र करने के लिए है तो बेह़द बुरी चीज़ है और अगर माल की चाहत अपनों और ग़ैरों से हुस्नेसुलूक करने, नेकियाँ करने, भली राहों में ख़र्च करने के लिए है तो हर त़रह़ शरअ़न अच्छी और बहुत अच्छी चीज़ है।"

क़िन्त़ार की मिक़्दार में मुफ़स्सिरीन का इख़्तिलाफ़ है। माह़सल (खुलासा) यह है कि बहुत ज़्यादा माल को क़िन्त़ार कहते हैं, जैसे ह़ज़रत ज़ह़्ह़ाक (रह़.) का क़ौल है और क़ौल भी मुलाह़िज़ा हों। एक हज़ार दीनार, बारह हज़ार, चालीस हज़ार, साठ हज़ार, सत्तर हज़ार, अस्सी हज़ार वग़ैरह वग़ैरह। मुस्नद अह़मद की एक मरफ़ूअ़ ह़दीस में है कि "**एक क़िन्त़ार बारह हज़ार ओक़िया का है और हर औक़िया बेहतर है**

ज़मीनो आसमान से।'' (अह्मद : 2/363; इब्ने माजा, किताबुल अदब, बाब बिर्रुल वालिदैन : 3660; वसनदुहू ह्सन) (ग़ालिबन यहाँ मिक़्दार सवाब की बयान हुई है जो एक क़िन्तार मिलेगा, वल्लाहु आ'लम) ह्ज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) से भी ऐसी ही एक मौक़ूफ़ रिवायत भी मरवी है और यही ज़्यादा स़ह़ीह़ है। इसी त़रह़ इब्ने जरीर में ह्ज़रत मुआज़ बिन जबल और ह्ज़रत इब्ने उ़मर (رضي الله عنه) से भी मरवी है और इब्ने अबी ह़ातिम में ह्ज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) और ह्ज़रत अबुद्दर्दा (رضي الله عنه) से मरवी है कि क़िन्तार बारह सौ औक़िया हैं। इब्ने जरीर की एक मरफ़ूअ ह़दीस में भी बारह सौ ओक़िया आए हैं। (इब्ने जरीर वसनदुहू ज़ईफ़) लेकिन वह ह़दीस भी मुमकन है कि वह ह्ज़रत उबय बिन कअ़ब (رضي الله عنه) का क़ौल हो। जैसे और स़ह़ाबा (رضي الله عنه) का भी यही फ़र्मान है। इब्ने मर्दवे में है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़र्माते हैं जो शख़्स़ सौ आयतें पढ़ ले, ग़ाफ़िलों में नहीं लिखा जाएगा और जिसने सौ से ह्ज़ार तक पढ़ लीं उसे अल्लाह तआ़ला की त़रफ़ से एक क़िन्तार अज्र मिलेगा और क़िन्तार बड़े पहाड़ के बराबर है। (इब्ने मर्दवे वसनदुहू ज़ईफ़) मुस्तदरक ह़ाकिम में है कि इस आयत के इस लफ़्ज़ का मत़लब रसूलुल्लाह (ﷺ) से पूछा गया तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ''दो ह्ज़ार ओक़िया।'' (ह़ाकिम : 2/178; वसनदुहू ज़ईफ़) इमाम ह़ाकिम इसे शर्ते शैख़ेन पर बतलाते हैं। बुख़ारी व मुस्लिम इसे नहीं लाए, त़बरानी वग़ैरह मे है एक ह्ज़ार दीनार। (देखिए ह़दीस साबिक़) ह्ज़रत ह्सन बस़री (रह़.) से मौक़ूफ़न या मुर्सलन मरवी है कि बारह सौ दीनार। ह्ज़रत इब्ने अ़ब्बास (رضي الله عنه) से भी यही मरवी है, ह्ज़रत ज़ह्ह़ाक फ़र्माते हैं कि कुछ अ़रब क़िन्तार को बारह सौ का बताते हैं, कुछ बारह ह्ज़ार का। ह्ज़रत अबू सईद ख़ुदरी (رضي الله عنه) फ़र्माते हैं, बैल की खाल के भर जाने के बराबर सोने को क़िन्तार कहते हैं। यह मरफ़ूअ़न भी मरवी है लेकिन ज़्यादा स़ह़ीह़ मौक़ूफ़न है, घोड़ों की मुह़ब्बत तीन क़िस्म की है एक तो वह लोग जो घोड़ों को पालते हैं और अल्लाह की राह मे उन पर सवार होकर जिहाद करने के लिए निकलते हैं, उनके लिए तो यह घोड़े अज्रो सवाब का सबब हैं। दूसरे वह जो फ़ख़्र व गुरूर के त़ौर पर पालते हैं, यह उनके ज़िम्मे है, तीसरे वह जो सवाल से बचने और उसकी नस्ल की ह़िफ़ाज़त के लिए पालते हैं और अल्लाह का ह़क़ नहीं भूलते, यह न बाइसे अज्र न बाइसे अ़ज़ाब हैं। इसी मज़्मून की ह़दीस आयत (व अइद्दू लहुम) की तफ़्सीर में आएगी, इंशाअल्लाह!

मुसव्वमत के मा'नी चरने वाला और पंज कुलियान (या'नी पेशानी और चारों क़दमों पर निशान) वग़ैरह के हैं। रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़र्माते हैं कि ''हर अरबी घोड़ा फ़ज्र के वक़्त अल्लाह तआ़ला की इजाज़त से दो दुआएँ करता है, कहता है कि ऐ अल्लाह! जिसके क़ब्ज़े में तूने मुझे दिया है तू उसके दिल में उसकी अहल व माल से ज़्यादा मुह़ब्बत मेरी पैदा कर दे।'' (नसाई, किताबुल ख़ैल, बाब दा'वतुल ख़ैल : 3609; वसनदुहू स़ह़ीह़) अन्आ़म से मुराद, ऊँट, बकरियाँ, गायें हैं। ह़र्स से मुराद वह ज़मीन है जो खेती बोने या बाग़ लगाने के लिए तैयार की जाए। मुस्नद अह़मद की ह़दीस में है कि ''इंसान का बेहतर माल ज़्यादा नस्ल वाला घोड़ा है और ज़्यादा फलदार दरख़्त खजूर है।'' (अह़मद : 3/468; त़बरानी : 6470, 6471; वसनदुहू ज़ईफ़)

फिर फ़र्माया कि यह सब दुनियावी फ़ायदा की चीज़ें हैं यहाँ की ज़ीनत यहाँ की फ़रेफ़्तगी की यह चीज़ें हैं जो फ़ानी और ज़वाल पाने वाली हैं, अच्छी लौटने की जगह और बेहतरीन सवाब की बाज़गश्त

अल्लाह तआला के पास है। मुस्नद अहमद में है कि जब यह आयत नाज़िल हुई तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (رضی اللہ عنہ) ने फ़र्माया, ऐ अल्लाह! जबकि तूने इसे ज़ीनत दे दी तो इसके बाद क्या? इस पर उसके बाद वाली आयत उतरी कि "ऐ नबी (ﷺ)! आप इनसे कह दीजिए कि मैं तुमको इससे बेहतरीन चीज़ें बतलाता हूँ। यह तो एक न एक रोज़ ज़ाइल होने वाली हैं और मैं जिनकी तरफ़ तुमको बुला रहा हूँ वह सिर्फ़ देरपाही नहीं, बल्कि हमेशगी वाली हैं। सुनो! अल्लाह तआला से डरने वालों के लिए जन्नत है जिसके किनारे किनारे और जिसके दरख़्तों के बीच क़िस्म-क़िस्म की नहरें बह रही हैं, कहीं शहद की कहीं दूध की कहीं पाक शराब की कहीं नफ़ीस पानी की और वह वह ने'मतें हैं, जो न किसी कान ने सुनी हों, न किसी आँख ने देखी हों, न किसी दिल में ख़्याल भी गुज़रा हो, उन जन्नतों में यह मुत्तक़ी लोग हमेशा हमेशा रहेंगे। न यह निकाले जाएँ, न इन्हें दी हुई ने'मतें घटें, न फ़ना हों, फिर वहाँ बीवियाँ मिलेंगी जो मेल कुचेल से, ख़बासत और बुराई से, हैज़ और निफ़ास से, गंदगी और पलीदी से पाक साफ़ हैं, हर तरह सुथरी और पाकीज़ा हैं, इन सबसे बढ़कर यह कि अल्लह की रज़ामंदी इन्हें हासिल हो जाएगी और ऐसी कि उसके बाद नाराज़गी का खटका ही नहीं" इसीलिए सूरह बरा'त की आयत में फ़र्माया (وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ اَكْبَرُ) (9/तौबा : 72) "अल्लाह तआला की थोड़ी सी रज़ामन्दी का हासिल हो जाना भी सबसे बड़ी चीज़ है, या'नी तमाम ने'मतों से आ'ला ने'मत रज़ा-ए-रब और मर्ज़ी मौला है। तमाम के तमाम बन्दे अल्लाह की निगाह में हैं, वह बख़ूबी जानता है कि कौन मेहरबानी का मुस्तहिक़ है।"

اَلَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اِنَّنَآ اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿۱۶﴾

اَلصّٰبِرِيْنَ وَالصّٰدِقِيْنَ وَالْقٰنِتِيْنَ وَالْمُنْفِقِيْنَ وَالْمُسْتَغْفِرِيْنَ بِالْاَسْحَارِ ﴿۱۷﴾

तर्जुमा : "जो लोग कहते हैं कि ऐ हमारे रब! हम ईमान ला चुके, पस हमारे गुनाह मा'फ़ फ़र्मा और हमें आग के अज़ाब से बचा ले। (16) जो सब्र करने वाले और सच बोलने वाले और फ़र्मांबरदारी करने वाले और अल्लाह की राह में ख़र्च करने वाले और पिछली रात को बख़्शिश मांगने वाले हैं।" (17)

सेहरी के वक़्त इस्तिग़फ़ार की फ़ज़ीलत (आयत 16, 17) : अल्लाह तआला अपने मुत्तक़ी बन्दों के औसाफ़ बयान फ़र्माता है कि वह कहते हैं, ऐ परवरदिगार! हम तुझ पर और तेरी किताब पर और तेरे रसूल पर ईमान लाए, हमारे इस ईमान के बाइ'स जो तेरी ज़ात पर और तेरी शरीअत पर है तू हमारी तक़्सीरों (कमियों) को अपने फ़ज़्लो करम से माफ़ फ़र्मा और हमें जहन्नम के अज़ाबों से नजात दे, यह मुत्तक़ी लोग इताअते इलाही बजा लाते हैं और हराम चीज़ों से अलग रहते हैं, सब्र और सहार से काम लेते हैं और अपने ईमान के दा'वे में भी सच्चे हैं, कुल आ'माले ख़ैर बजा लाते हैं, ख़्वाह वह उनके नफ़्स पर भारी पड़ें, इताअत और

ख़ुशूअ ख़ुज़ूअ वाले हैं, अपने माल अल्लाह तआला की हर राह में जहाँ-जहाँ हुक्म है, ख़र्च करते हैं, सिलह रहमी में रिश्तेदारी को बाक़ी रखने मे, बुराईयों के रोकने, आपस में हमदर्दी और ख़ैरख़्वाही करने में, हाजतमंदों, मिस्कीनों और फ़क़ीरों के साथ एहसान करने में, सख़ावत से काम लेते हैं और सेहरी के वक़्त पिछली रात को उठ उठकर इस्तिग़्फ़ार करते हैं। इससे मा'लूम हुआ कि उस वक़्त इस्तिग़्फ़ार फ़ज़ीलत वाला है। यह भी कहा गया है कि कुरआन करीम की इस आयत में हज़रत या'क़ूब (ﷺ) ने अपने बेटों से जो फ़र्माया था कि (सौफ़ अस्तग़्फ़िरु लकुम रब्बी) (12/यूसुफ़ : 98) "मैं अभी थोड़ी देर में तुम्हारे लिए अपने रब से बख़्शिश तलब करूँगा।" इससे मुराद भी सेहरी का वक़्त है, अपनी औलाद से फ़र्माते हैं कि सेहरी के वक़्त मैं तुम्हारे लिए इस्तिग़्फ़ार करूँगा।" बुख़ारी व मुस्लिम वग़ैरह की हदीस में जो बहुत से सहाबियों से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) का यह फ़र्मान मौजूद है कि "अल्लाह तबारक व तआला हर रात आख़िरी तिहाई रात बाक़ी रहते हुए आसमाने दुनिया पर उतरता है और फ़र्माता है कि, कोई साइल है जिसे मैं दूँ? कोई दुआ मांगने वाला है कि मैं उसकी दुआ क़बूल करूँ? कोई इस्तिग़्फ़ार करने वाला है कि मैं उसे माफ़ कर दूँ?" (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तहज्जुद, बाब अद्दुआउ वस्सलातु मिन आख़िरिल्लैल : 1145; सहीह मुस्लिम : 757; अबूदाऊद : 1315) हाफ़िज़ अबुल हसन दारे-क़ुत्नी (रह.) ने तो इस मसला पर एक मुस्तक़िल किताब लिखी है और उसमें इस हदीस की तमाम सनदों को और कुल अल्फ़ाज़ को वारिद किया है। बुख़ारी व मुस्लिम में हज़रत आइशा (رضي الله عنها) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अव्वल रात और दरम्यानी और आख़िरी रात में वित्र पढ़ा है। सबसे आख़िरी वक़्त हुज़ूर (ﷺ) के वित्र पढ़ने का सेहरी तक था। (सहीह बुख़ारी, किताबुल वित्र, बाब साआतुल वित्र : 996; सहीह मुस्लिम : 1736; अबूदाऊद : 1435; नसाई : 1682; तिर्मिज़ी : 456; इब्ने माजा : 1185) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) रात को तहज्जुद पढ़ते रहते और अपने गुलाम हज़रत नाफ़ेअ (رضي الله عنه) से पूछते, क्या सेहरी हो गयी? जब वह कहते, हाँ! तो फिर आप सुबह सादिक़ के निकलने तक दुआ और इस्तिग़्फ़ार में मशग़ूल रहते। (इब्ने अबी हातिम : 2/145) हज़रत हातिब फ़र्माते हैं कि सेहरी के वक़्त मैंने सुना कि कोई शख़्स मस्जिद के किसी गोशा में कह रहा है, ऐ अल्लाह! तूने मुझे हुक्म किया, मैं बजा लाया, यह सेहर का वक़्त है, मुझे बख़्श दे, मैंने देखा तो वह हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (رضي الله عنه) थे। हज़रत अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) फ़र्माते हैं, हमें हुक्म किया जाता है कि हम तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें तो सेहरी की आख़िरी वक़्त सत्तर मर्तबा इस्तिग़्फ़ार करें, अल्लाह तआला से बख़्शिश की दुआ करें।

* * *

شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَۙ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَاُولُوا الْعِلْمِ قَآئِمًا بِالْقِسْطِؕ لَآ اِلٰهَ اِلَّا
هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿١٨﴾ اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا
الْكِتٰبَ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْؕ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ
فَاِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿١٩﴾ فَاِنْ حَآجُّوْكَ فَقُلْ اَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلّٰهِ وَمَنِ
اتَّبَعَنِؕ وَقُلْ لِّلَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ وَالْاُمِّيّٖنَ ءَاَسْلَمْتُمْؕ فَاِنْ اَسْلَمُوْا فَقَدِ
اهْتَدَوْاۚ وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُؕ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِالْعِبَادِ ﴿٢٠﴾

तर्जुमा : ''अल्लाह तआला इस बात की गवाही देता है कि उसके सिवा कोई मा'बूद नहीं और फ़रिश्ते और अहले इल्म भी अल्लाह तआला अद्ल के साथ दुनिया को क़ायम रखने वाला है। उस ग़ालिब और हिक्मत वाले के सिवा इबादत के लायक़ कोई नहीं। (18) बेशक अल्लाह के नज़दीक दीन हुक्म बरदारी ही है, अहले किताब ने अपने पास इल्म आ जाने के बाद आपस की सरकशी और हसद की बिना पर ही इख़्तिलाफ़ किया है, अल्लाह की आयात के साथ जो भी कुफ़्र करे, पस अल्लाह तआला जल्द हिसाब लेने वाला है। (19) फिर भी अगर यह तुझसे झगड़ें तो तू कह दे कि मैंने और मेरे ता'बेदारों ने अल्लाह तआला की इताअत में अपना चेहरा मुतीअ कर लिया और अहले किताब से और अनपढ़ लोगों से कह दे कि क्या तुम भी इताअत करते हो? पस अगर यह भी ताबे'दार बन जाएँ तो यक़ीनन हिदायत वाले हैं और अगर यह रूगर्दानी करें तो तुझ पर सिर्फ़ पहुँचा देना है और अल्लाह तआला बन्दों को ख़ूब देखभाल रहा है।'' (20)

सिर्फ़ दीने-इस्लाम ही अल्लाह तआला के नज़दीक मक़्बूल है (आयत 18-20) : अल्लाह तआला ख़ुद शहादत देता है बस उसकी शहादत काफ़ी है, वह सबसे ज़्यादा सच्चा शाहिद है, सबसे सच्ची बात उसी की है, वह फ़र्माता है कि तमाम मख़्लूक़ उसकी गुलाम है, और उसी की पैदा की हुई है और उसी की मुहताज है, वह सबसे बेनियाज़ है, उलूहियत में अल्लाह होने में वह यक्ता और ला शरीक है, उसके सिवा कोई पूजे जाने के लायक़ नहीं। जैसे फ़र्मान है (لٰكِنِ اللّٰهُ يَشْهَدُ بِمَآ اَنْزَلَ اِلَيْكَ) (4/निसाअ : 166) या'नी ''लेकिन अल्लाह तआला बज़रिया इस किताब के जो वह तेरी तरफ़ अपने इल्म से उतार रहा है, गवाही दे रहा है और

फ़रिश्ते भी गवाही देते हैं'' और अल्लाह तआला की शहादत काफ़ी होती है। फिर अपनी शहादत के साथ फ़रिश्तों की और उलमा की शहादत को मिला रहा है। यहाँ से उलमा की बहुत बड़ी फ़ज़ीलत साबित होती है बल्कि ख़ुसूसियत का'इमन का नसब हाल होने की वजह से है। वह अल्लाह हर वक़्त और हर हाल में ऐसा ही है, फिर ताकीदन दोबारा इर्शाद होता है कि मा'बूदे हक़ीक़ी सिर्फ़ वही है, वह ग़ालिब है, अज़्मत और किब्रियाई वाली उसकी बारगाह है वह अपने क़ौल फ़े'ल शरीअत क़ुदरत और तक़्दीर में हिक्मतों वाला है। मुस्नद अहमद में है कि नबी (ﷺ) ने अरफ़ात में इस आयत की तिलावत की और (अल्हकीम) तक पढ़कर फ़र्माया (وانا على ذالك من الشاهدين يا رب) (अहमद : 1/166; तबरानी : 250; मज्मउज़्ज़वाइद : 6/328; अमलल यौम वल्लैलति लि इब्निस्सना : 435; इब्ने अबी हातिम : 246; इसकी सनद में जुबेर बिन अम्र कुर्शी, अबू सअद अंसारी और अबू यह्या मौला आले ज़ुबेर मज्हूल रावी हैं। देखिए (अल्मौसूअतुल हदीसिया : 3/37) लिहाज़ा यह रिवायत ज़ईफ़ है।) इब्ने अबी हातिम में है कि आपने यूँ फ़र्माया **(व अना अश्हदु अय रब्बि)** (तबरानी : 250; इसकी सनद में अबू सईद उमर बिन हफ़्स बिन साबित मज्हूल रावी है। लिहाज़ा यह रिवायत ज़ईफ़ है।) तबरानी में है कि हज़रत ग़ालिब क़त्तान (रह.) फ़र्माते हैं मैं कूफ़ेमें तिजारती ग़र्ज़ से गया और हज़रत आ'मश के क़रीब ठहरा, रात को हज़रत आ'मश तहज्जुद के लिए खड़े हुए, पढ़ते-पढ़ते जब इस आयत तक पहुँचे और फ़र्माया **(व अना अश्हदु अय रब्बि)** या'नी मैं शहादत देता हूँ उसकी जिसकी शहादत अल्लाह ने दी और मैं इस शहादत को अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ, यह मेरी अमानत अल्लाह तआला के पास है फिर कई दफ़ा (إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامُ) (3/आले इमरान : 19) पढ़ा, मैंने अपने दिल में ख़्याल किया कि शायद इस बारे में कोई हदीस सुनी होगी। सुबह ही सुबह मैं हाज़िरे ख़िदमत हुआ और अर्ज़ किया कि अबू मुहम्मद! क्या बात थी, जो आप इस आयत को बार बार पढ़ते रहे, कहा क्या इसकी फ़ज़ीलत तुम्हें मा'लूम नहीं? मैंने कहा, हज़रत! मैं तो महीना भर से आपकी ख़िदमत में हूँ लेकिन आपने हदीस बयान ही नहीं की। कहने लगे, अल्लाह की क़सम! मैं तो साल भर तक बयान न करूँगा, अब मैं इस हदीस के सुनने की ख़ातिर साल भर तक ठहरा रहा और उनके दरवाज़े पर पड़ा रहा। जब साल कामिल गुज़र गया तो मैंने कहा, ऐ अबू मुहम्मद् साल गुज़र चुका है, उन्होंने कहा अच्छा! सुन मुझे अबू वाइल ने हदीस बयान की। उसने अब्दुल्लाह से सुना, फ़र्माते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, ''इसके पढ़ने वाले को क़यामत के दिन लाया जाएगा और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल फ़र्माएगा, मेरे इस बन्दे ने मेरा अहद लिया है और मैं अहद को पूरा करने में सबसे ज़्यादा हूँ। मेरे इस बन्दे को जन्नत में ले जाओ।'' (तबरानी : 10453; बसनदुहू ज़ईफ़; अल्लामा हेस्मी (रह.) मज्मउज़्ज़वाइद : 6/326; में फ़र्माते हैं कि इसकी सनद में उमर बिन मुख़्तार ज़ईफ़ रावी है।)

फिर अल्लाह तबारक व तआला फ़र्माता है कि वह सिर्फ़ इस्लाम ही को क़बूल फ़र्माता है, इस्लाम हर ज़माने के पैग़म्बर की वह्यी की ताबे'दारी का नाम है और सबसे आख़िर और सब रसूलों को ख़त्म करने वाले हमारे पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद (ﷺ) हैं, आपकी नबुव्वत के बाद सब रास्ते बन्द हो गए, अब जो शख़्स आपकी शरीअत के सिवा किसी चीज़ पर अमल करे, अल्लाह तआला के नज़दीक वह दीनदार नहीं। जैसे और जगह है (وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ) (3/आले इमरान : 85) ''जो शख़्स इस्लाम के सिवा और दीन की तलाश करे, वह उससे क़बूल नहीं किया जाएगा।'' इसी तरह इस आयत में दीन

का इंहिसार सिर्फ़ इस्लाम में कर दिया है। हज़रत इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) की क़िरा'त में (शहिदल्लाहु अन्नहू) है और (इन्नल इस्लाम) है तो मा'नी यह होंगे कि ख़ुद अल्लाह तआला की गवाही है और उसके फ़रिश्तों की और ज़ी इल्म इंसानो की कि अल्लाह तआला के नज़दीक मक़्बूल होने वाला दीन सिर्फ़ इस्लाम ही है। जुम्हूर की क़िरा'त में इन्न ज़ेर के साथ है और मा'नी के लिहाज़ से दोनों ही ठीक हैं लेकिन जुम्हूर का क़ौल ज़्यादा ज़ाहिर है वल्लाहु आ'लम! फिर इर्शाद होता है कि अगली किताब वालों ने अपने अल्लाह तआला के पैग़म्बरों के आ जाने और रब्बानी किताबें उतरने के बाद इख़्तिलाफ़ किया और उसकी वजह सिर्फ़ आपस का बुग़्ज़ व इनाद था कि यह जो कहता है कि मैं इसके ख़िलाफ़ कहूँ, गो वह हक़ ही कहता हो। फिर इर्शाद होता है कि जब अल्लाह की आयात उतर चुकीं अब जो इनका इंकार करे, उन्हें न माने तो अल्लाह तआला भी उससे उसकी इस तक्ज़ीब का बहुत जल्द हिसाब लेगा और किताबुल्लाह की मुख़ालिफ़त की वजह से उसे सख़्त अज़ाब देगा और उसे उसकी इस शरारत का लुत्फ़ चखा देगा। फिर फ़र्माया, अगर यह लोग तुझसे तौहीदे बारी में झगड़ें तो तू कह दे कि मैं तो ख़ालिस अल्लाह ही की इबादत करूँगा जिसका न कोई शरीक है, न उस जैसा कोई है, न उसकी कोई औलाद है, न बीवी और जो भी मेरे उम्मती हैं मेरे दीन पर हैं, उन सबका क़ौल भी यही है। जैसे और जगह फ़र्माया (قُلْ هٰذِهٖ سَبِيْلِيْٓ اَدْعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ ۗ عَلٰى بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِيْ) (12/यूसुफ़ : 85) या'नी "मेरी राह यही है, मैं ख़ूब सोच समझकर देखभाल कर तुमको अल्लाह की तरफ़ बुला रहा हूँ, मैं भी और मेरे ताबे'दार भी यही दा'वत दे रहे हैं।" फिर हुक्म देता है कि ऐ नबी! यहूद व नसारा से जिनके हाथों में किताबुल्लाह है और मुश्रिकीन से जो अनपढ़ हैं कह दो कि तुम सबकी हिदायत इस्लाम में ही है और अगर यह न मानें तो कोई बात नहीं, आप अपना फ़र्ज़े तब्लीग़ अदा कर चुके, अल्लाह तआला ख़ुद इनसे समझ लेगा, इन सबको लौटकर उसी के पास जाना है, वह जिसे चाहे राहे रास्त दिखा दे, जिसे चाहे गुमराह कर दे, अपनी हिक्मत को वही ख़ूब जानता है, उसकी हुज्जत तो पूरी होकर रहती है, उसकी अपने बन्दों पर नज़र है, उसे ख़ूब मा'लूम है कि मुस्तहिक़े हिदायत कौन है और कौन मुस्तहिक़े ज़लालत है, उससे कोई बाज़पुर्स नहीं कर सकता।

यह और इन जैसी आयात में साफ़ सराहत है, इस अम्र पर कि रसूलुल्लाह (ﷺ) तमाम मख़्लूक़ की तरफ़ अल्लाह के नबी बनकर आए हैं और ख़ुद आपके दीन के अहकाम इस पर दलालत करते हैं और किताबो सुन्नत में बहुत सी आयतें और अहादीस इस मज़्मून की हैं। क़ुरआन पाक में एक जगह और है (يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا) (7/आ'राफ़ : 158) "लोगों! मैं तुम सबकी तरफ़ अल्लाह तआला का रसूल हूँ।" और आयत में है (تَبٰرَكَ الَّذِيْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰي عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرَا) (25/फ़ुरक़ान : 1) "बाबरकत है वह अल्लाह जिसने अपने बन्दे पर क़ुरआन नाज़िल फ़र्माया, ताकि वह तमाम दुनिया वालों के लिए तम्बीह करने वाला बन जाए।" बुख़ारी व मुस्लिम में कई कई वाक़ियात से तवातुर के साथ साबित है कि नबी (ﷺ) अरब व अजम के और इधर उधर के तमाम बादशाहों को और दूसरे लोगों को ख़ुतूत भिजवाए, जिनमें उन्हें अल्लाह तआला की तरफ़ आने की दा'वत दी, ख़्वाह वह अरब हों, अजम हों, अहले-किताब हों, या और मज़हब वाले हों और इस तरह आप (ﷺ) ने फ़र्ज़े तब्लीग़ को तमाम व कमाल तक पहुँचा दिया। (सहीह बुख़ारी, किताबुल इल्म, बाब मा युज़्करु फ़िल मुनाविलति व किताब अहलुल इल्म.... : 65) मुस्नद अब्दुर्रज़्ज़ाक़ मे हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने फ़र्माया,

''उस अल्लाह की क़सम! जिसके हाथ में मेरी जान है, इस उम्मत में से जिस किसी के कान मे मेरी नबुव्वत की आवाज़ पहुँचे और वह मेरी लाई हुई शरीअत पर ईमान न लाए, ख़्वाह यहूदी हो ख़्वाह नसरानी और इसी बेईमानी की हालत में मर जाए तो क़त्अन जहन्नमी होगा।'' (सहीह मुस्लिम, किताबुल ईमान, बाब वजूबुल ईमान बिरिसालति नबिय्यिना मुहम्मद (ﷺ) : 153) मुस्लिम शरीफ़ में भी यह हदीस मरवी है और आँहज़रत (ﷺ) का यह फ़र्मान भी है कि ''मैं हर एक सुर्ख़ व स्याह की तरफ़ अल्लाह का नबी बनाकर भेजा गया हूँ।'' (सहीह मुस्लिम, किताबुल मसाजिद, बाब अल्मसाजिद व मवाज़िउस्सलात : 521) और एक हदीस में है कि ''हर नबी सिर्फ़ अपनी क़ौम की तरफ़ भेजा जाता रहा मगर मैं तमाम इंसानों के लिए नबी बनाकर भेजा गया हूँ।'' (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तयम्मुम, बाब रक़म : 1; ह : 335; सहीह मुस्लिम : 521; नसाई : 432) मुस्नद अहमद में हज़रत अनस (رضی اللہ عنہ) से मरवी है कि एक यहूदी लड़का जो नबी (ﷺ) के लिए वुज़ू का पानी रखा करता था और जूतियाँ लाकर रख देता था, वह बीमार पड़ गया। आँहज़रत (ﷺ) उसकी बीमारपुर्सी के लिए तशरीफ़ लाए, उस वक़्त उसका बाप भी उसके सिरहाने बैठा हुआ था। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ''ऐ फ़लाँ! ला इलाहा इल्लल्लाहु कह'' उसने अपने बाप की तरफ़ देखा और बाप को ख़ामोश देखकर ख़ुद भी चुप सा हो गया। हुज़ूर (ﷺ) ने दोबारा यही फ़र्माया, उसने फिर अपने बाप की तरफ़ देखा, बाप ने कहा, अबुल क़ासिम की बात मान ले, पस उस बच्चे ने कहा (अश्हदु ....) नबी (ﷺ) वहाँ से यह फ़र्माते हुए उठे कि अल्लाह तआला का शुक्र है जिसने मेरी वजह से इसे जहन्नम से बचा लिया है, इसे सहीह बुख़ारी में हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) लाए हैं। (अहमद : 3/175; सहीह बुख़ारी, किताबुल जनाइज़, बाब इज़ा असलमस्सबी फ़मात : 1356; अबूदाऊद : 3095) इनके सिवा और भी बहुत सी सहीह अहादीस और क़ुरआन करीम की आयात हैं।

***

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢١﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ ﴿٢٢﴾

तर्जुमा : ''जो लोग अल्लाह तआला की आयात से कुफ़्र करते हैं और नाहक़ नबियों को क़त्ल कर डालते हैं और जो लोग अदलो इंसाफ़ की कहें, उन्हें भी क़त्ल कर डालते हैं तो ऐ नबी! उन्हें दर्दनाक अज़ाबों की ख़बर दे दे। (21) उनके आ'माल दुनिया और आख़िरत में ग़ारत हैं और उनका कोई मददगार नहीं।'' (22)

यहूद की उनके कुफ़्र और अम्बिया को क़त्ल करने की बिना पर मज़म्मत (आयत 21, 22) : यहाँ उन अहले-किताब की मज़म्मत बयान हो रही है जो गुनाह और हुर्मत के काम करते रहते थे, अल्लाह की

अगली पिछली बातों को जो उसने अपने रसूल के ज़रिये पहुँचाईं, झुठलाते रहते थे, इतना ही नहीं, बल्कि पैग़म्बरों को मार डाला करते थे, बल्कि इस क़द्र सरकश थे कि जो लोग उन्हें अदलो-इंसाफ़ की बातें सुनाएँ उन्हें बे-दरीग़ तहे तेग़ कर दिया करते थे। हदीस में है कि ''किब्र व ग़ुरूर यही है कि हक़ को न मानना और हक़ वालों को ज़लील जानना।'' (सहीह मुस्लिम, किताबुल ईमान, बाब तहरीमुल किब्र व बयानुहू) मुस्नद इब्ने अबी हातिम में है कि हज़रत अबू उबेदह बिन जर्राह (رضي الله عنه) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से पूछा कि सबसे ज़्यादा सख़्त अज़ाब किसे होगा? आपने फ़र्माया, ''उसे जो किसी नबी को मार डाले या किसी ऐसे शख़्स को जो भलाई का बताने वाला हो और बुराई से रोकने वाला हो।'' फिर हुज़ूर (ﷺ) ने इस आयत की तिलावत की और फ़र्माया, ''ऐ अबू उबेदह! बनी इस्राईल ने तैयालीस (43) नबियों को दिन के अव्वल हिस्से मे एक साअत में क़त्ल किया, फिर एक सौ सत्तर बनू इस्राईल के ईमानदार जो उन्हें उससे रोकने के लिए खड़े हुए थे और उन्हें भलाई का हुक्म दे रहे थे और बुराई से रोक रहे थे, उन सबको उसी दिन के आख़िरी हिस्से में मार डाला।'' इस आयत में अल्लाह तआला उन ही का ज़िक्र कर रहा है। (इब्ने अबी हातिम : 2/162; वसनदुहू ज़ईफ़; देखिए मीज़ानुल ए'तिदाल : 3/526) इब्ने जरीर में है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (رضي الله عنه) फ़र्माते हैं कि बनी इस्राईल ने तीन सौ नबियों को शुरू दिन में क़त्ल किया और शाम को सब्ज़ी पालक बेचने बैठ गए। (तब्री : 6777; वसनदुहू ज़ईफ़; देखिए हदीस साबिक़) पस उन लोगों की इस सरकशी, तकब्बुर और ख़ुद पसंदी की बिना पर अल्लाह तआला ने उन्हें दुनिया में पस्त व ज़लील कर दिया और आख़िरत के भी रुस्वाई वाले बदतरीन अज़ाब उनके लिए तैयार किए। इसलिए फ़र्माया कि उन्हें दर्दनाक ज़िल्लत वाले अज़ाबों की ख़बर पहुँचा दो, उनके आ'माल दुनिया में भी ग़ारत और आख़िरत में भी बर्बाद और उनका कोई मददगार और सिफ़ारिशी भी न होगा।

***

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ
بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُم مُّعْرِضُونَ ﴿٢٣﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا
النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۖ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٢٤﴾ فَكَيْفَ
إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا
يُظْلَمُونَ ﴿٢٥﴾

तर्जुमा : "क्या तूने उन्हें नहीं देखा जिन्हें एक हिस्सा किताब का दिया गया है, वह अपने आपस के फ़ैसलों के लिए अल्लाह तआला की किताब की तरफ़ बुलाए जाते हैं, फिर भी एक जमाअत उनकी मुँह फेरकर लौट जाती है। (23) इसकी वजह उनका यह कहना है कि हमें तो गिने चुने चंद दिन ही आग लगेगी, उनकी गढ़ी गढ़ाई बातों ने उन्हें उनके दीन के बारे में धोखे में डाल रखा है। (24) पस क्या हाल होगा जबकि हम उन्हें उस दिन जमा करेंगे जिसके आने में कोई शक नहीं और हर शख़्स अपना-अपना किया पूरा पूरा दिया जाएगा और उन पर ज़ुल्म न किया जाएगा।" (25)

यहूद व नसारा की अपनी किताबों को हाकिम न मानने पर मज़म्मत (आयत 23-25) : यहाँ अल्लाह तआला फ़र्माता है कि यह यहूदो नसारा अपने इस दा'वे में भी झूठे हैं कि उनका तौरात व इंजील पर ईमान है क्योंकि उन किताबों की हिदायत के मुताबिक़ जब इन्हें इस नबी आख़िरुज़्ज़माँ की इताअत की तरफ़ बुलाया जाता है तो यह चेहरा फेरे भागते दिखाई देते हैं, इससे इनकी हद दर्जा की सरकशी तकब्बुर व इनाद व मुख़ालिफ़त ज़ाहिर होती है। इस मुख़ालिफ़ते हक़ और इस बेजा सरकशी पर इन्हें उस चीज़ ने दिलेर बना दिया है कि इन्होंने बावजूद अल्लाह तआला की किताब में न होने के अपनी तरफ़ से गढ़ करके यह बयान बना लिया है कि हम तो सिर्फ़ चंद दिन ही आग मे रहें गे। या'नी फ़क़त सात रोज़ दुनिया के हिसाब के हर हज़ार साल के पीछे एक दिन। इसकी पूरी तफ़्सीर सूरह बक़रह में गुज़र चुकी है। इसी वाही और बेसरोपा ख़्याल ने इस बातिल दीन पर उन्हें जमा दिया है हालाँकि यह ख़ुद इनका ख़्याल है, अल्लाह ने न ऐसी बात कही, न इसकी कोई किताबी दलील इनके पास है।

फिर अल्लाह तबारक व तआला इन्हें डाँटता और धमकाता है और फ़र्माता है कि इनका क़यामत वाले दिन क्या हाल होगा? कि इन्होंने अल्लाह पर झूठ बाँधा, रसूलों को झुठलाया, अम्बिया को और हक़ गो उलमा को क़त्ल किया, एक एक बात का अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा और एक एक गुनाह की सज़ा भुगतनी पड़ेगी, उस दिन के आने में कोई शक व शुब्ह नहीं, उस दिन हर शख़्स को पूरा-पूरा बदला दिया जाएगा और किसी पर भी किसी तरह का ज़ुल्म रवा न रखा जाएगा।

***

قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ
وَتُعِزُّ مَنْ تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَآءُ ۭ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۭ اِنَّكَ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٢٦﴾
تُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ ۡ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ
الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ۡ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢٧﴾

तर्जुमा : "तू कह, ऐ मेरे मा'बूद! ऐ तमाम जहान के मालिक! तू जिसे चाहे बादशाही दे और जिससे तू चाहे सल्तनत छीन ले और जिसे चाहे इज़्ज़त दे और तू जिसे चाहे ज़िल्लत दे, तेरे ही हाथों में सब भलाईयाँ हैं, बेशक तू हर चीज़ पर क़ादिर है (26) तू ही रात को दिन में दाख़िल करता है और दिन को रात में ले जाता है, तू ही बेजान से जानदार पैदा करे और तू ही जानदार से बेजान पैदा करे, तू ही है कि जिसे चाहे बेशुमार रोज़ी दे।" (27)

इज़्ज़त व ज़िल्लत और निज़ामे कायनात अल्लाह तआला के इख़्तियार में है (आयत 26, 27) : अल्लाह तबारक व तआला फ़र्माता है कि ऐ मुहम्मद (ﷺ)! आप अपने रब की ता'ज़ीम के तौर पर और उसका शुक्रिया बजा लाने के लिए और उसे अपने तमाम काम सौंप देने के लिए और उसकी ज़ात पाक पर पूरा भरोसा का इज़्हार करते हुए इन अल्फ़ाज़ में उसकी बड़ाई बयान कीजिए जो ऊपर बयान हुईं, या'नी ऐ अल्लाह! मालिकल मुल्क तू है, तमाम मुल्क की मिल्कियत तेरी है जिसे तू चाहे दे और जिससे चाहे दिया हुआ भी ले ले, तू ही देने लेने वाला है, तू जो चाहता है हो जाता है, और जो न चाहे हो ही नहीं सकता।

इस आयत में इस बात की भी तम्बीह और उस ने'मत के शुक्र का भी हुक्म है जो आँहज़रत (ﷺ) और आपकी उम्मत को मर्हमत फ़र्माई गई कि नबुव्वत बनी इस्राईल से हटाकर नबी अरबी कुरेशी उम्मी मक्की हज़रत मुहम्मद (ﷺ) को दे दी गई और आपको अ़लल इत्लाक़ नबियों के ख़त्म करने वाले और तमाम इंस व जिन्न की तरफ़ रसूल बनकर आने वाले बनाकर भेजा तमाम अगलों की ख़ूबियाँ आपमें जमा कर दीं और वह फ़ज़ीलतें आपको दी गईं जिनसे और तमाम अम्बिया भी महरूम रहे, ख़्वाह वह अल्लाह के इल्म की बाबत हों या उस रब की शरीअ़त के मा'मला में हों या हो चुकी और आने वाली ख़बरों के बारे में हों। आप पर अल्लाह तआला ने आख़िरत के कुल हक़ाइक़ खोल दिए आपकी उम्मत को मश्रिक़ से मग़्रिब तक फैला दिया, आपके दीन और आपकी शरीअ़त को तमाम दीनों और कुल मज़हबों पर ग़ालिब कर दिया। अल्लाह तआला का दरूदो सलाम आप पर नाज़िल हो, अबसे लेकर क़यामत तक जब तक रात दिन की गर्दिश बाक़ी रहे, अल्लाह तआला आप पर अपनी रहमतें दवाम के साथ नाज़िल फ़र्माता रहे, आमीन।

पस फ़र्माया कि कहो, ऐ अल्लाह! तू ही अपनी ख़ल्क़ में हेर-फेर करता रहता है जो चाहे कर गुज़रता है जो लोग कहते थे कि इन दो बस्तियों में से किसी बहुत बड़े शख़्स पर अल्लाह तआला ने अपना कलाम क्यूँ नाज़िल न किया? उसका रद्द करते हुए अल्लाह तआला ने फ़र्माया (اَهُمْ يَقْسِمُوْنَ رَحْمَتَ رَبِّكَ) (43/ज़ुख़रुफ़ : 32) "क्या तेरे रब की रहमत के बाँटने वाले यह लोग हैं जब उनकी रोज़ियों तक के मालिक हम हैं जिसे चाहें कम दें जिसे चाहें ज़्यादा दें तो फिर हम पर हुकूमत करने वाले यह कौन? कि फ़लाँ को नबी क्यूँ न बनाया, नबुव्वत भी हमारी मिल्कियत की चीज़ है हम ही जानते हैं कि उसके दिए जाने के क़ाबिल कौन है।"

जैसे और जगह है (اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهٗ) (6/अन्आम : 124) "जहाँ कहीं अल्लाह तआला अपनी रिसालत नाज़िल फ़र्माता है उसे वही सबसे बेहतर जानता है।" और जगह फ़र्माया (اَهُمْ يَقْسِمُوْنَ رَحْمَتَ رَبِّكَ) (17/इस्रा : 201) "देख ले कि हमने किस तरह उनमें आपस में एक को दूसरे पर बरतरी दे रखी है।"

फिर फ़र्माता है कि तू ही रात की ज़्यादती को दिन के नुक़्सान में बढ़ाकर दिन रात को बराबर देता है। फिर इधर का हिस्सा उधर देकर दोनों को छोटा बड़ा कर देता है फिर बराबर कर देता है, ज़मीनो आसमान पर सूरज चाँद पर पूरा पूरा क़ब्ज़ा और तमामतर तसर्रुफ़ तेरा ही है।

इसी त़रह़ जाड़े को गर्मी से और गर्मी को जाड़े से बदलना भी तेरी क़ुदरत में है। बहार व ख़िज़ाँ पर क़ादिर तू ही है तू ही है कि ज़िन्दे से मुर्दे को और मुर्दे से ज़िन्दा को निकाले। खेती दाने से और दाना से खेतियों को लहलहाता है खजूर गुठली से और गुठली खजूर से तू ही पैदा करता है मो'मिन को काफ़िर के यहाँ और काफ़िर को मो'मिन के यहाँ तू ही पैदा करता है, मुर्ग़ी अण्डे से और अण्डा मुर्ग़ी से और इसी त़रह़ की तमामतर चीज़ें तेरे ही क़ब्ज़ा में हैं तू जिसे चाहे उतना माल दे दे जो न गिना जाए, न एह़ात़ा किया जाए और जिसे चाहे भूख के बराबर रोटी भी न दे हम जानते हैं कि यह काम ह़िक्मत से पुर हैं और तेरे इरादे और तेरी चाहत से होते हैं, त़बरानी की ह़दीस में है, ''अल्लाह तआ़ला का इस्मे आ'ज़म इस आयत (क़ुलिल्लाहुम्म) आख़िर तक.. में है कि जब इस नाम से इससे दुआ़ की जाए तो वह क़बूल फ़र्मा लेता है।'' (त़बरानी : 12792; इसकी सनद मुह़म्मद बिन ज़करिया फ़लाबी की वजह से मौज़ूअ़ है।)

***

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِيْ شَيْءٍ اِلَّآ اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقٰىةً ؕ وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ ؕ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ ﴿۲۸﴾

तर्जुमा : ''ईमानवालों को चाहिए कि ईमानवालों को छोड़कर काफ़िरों को अपना दोस्त न बनाएँ और जो ऐसा करेगा वह अल्लाह तआ़ला की किसी ह़िमायत में नहीं मगर यह कि उनके शर्र से किसी त़रह़ बच जाना हो और अल्लाह तआ़ला तुम्हें ख़ुद अपनी ज़ात से डरा रहा है और अल्लाह ही की त़रफ़ लौट जाना है।'' (28)

कुफ़्फ़ार से तर्के मवालात (आयत 28) : यहाँ अल्लाह तर्केमवालात का हुक्म देता है कि मुसलमानों को लायक़ नहीं कि कुफ़्फ़ार से दोस्तियाँ और मुह़ब्बतें करें, उन्हें आपस में ईमानदारों से मेलमिलाप और मुह़ब्बत रखनी चाहिए फिर हुक्म सुनाता है कि जो ऐसा करेगा उससे अल्लाह बिलकुल बेज़ार हो जाएगा। जैसे और जगह है (يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا عَدُوِّيْ وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِيَآءَ) (60/मुम्तह़िना : 1) या'नी ''मुसलमानों! मेरे और अपने दुश्मनों से दोस्ती न करो'' और जगह फ़र्माया ''मो'मिनों! यह यहूदो-नसारा आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं, तुममें से जो भी इनमें से दोस्ती करे वह उन ही में से है।'' और जगह

परवरदिगारे आलम ने मुहाजिर अंसार और दूसरे मो'मिनों के भाईचारा का ज़िक्र करके फ़र्माया है कि "काफ़िर आपस में एक दूसरे के मुहिब्ब व महबूब हैं, तुम अगर ऐसा न करोगे तो ज़मीन में फ़ित्ना फैल जाएगा और ज़बरदस्त फ़साद बरपा हो पड़ेगा। (यानी मुसलमानों को आपस में दोस्ती रखनी चाहिए कुफ़्फ़ार से नहीं)" पर उन लोगों को रुख़सत दी जो किसी शहर मे किसी वक़्त उनकी बदी और उनकी बुराई से डरकर दफ़उल वक़्ती के तौर पर बज़ाहिर कुछ मैलमिलाप ज़ाहिर कर दें लेकिन दिल में उनकी तरफ़ रग़बत और उनसे हक़ीक़ी मुहब्बत न हो, जैसे सहीह बुख़ारी शरीफ़ में हज़रत अबूद्दर्दा (رضي الله عنه) से मरवी है कि हम कुछ क़ौमों से कुशादा पेशानी से मिलते हैं लेकिन हमारे दिल उन पर ला'नत भेजते रहते हैं।" (सहीह बुख़ारी, किताबुल अदब, बाब अल्मदारतु मअन्नास, ता'लीक़न बि सैग़त तम्रीज़ुन क़ब्लल हदीस : 6131; मज़ीद देखिए (सिलसिलतुज़्ज़ईफ़ : 216, 4856) हज़रत इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) फ़र्माते हैं कि सिर्फ़ ज़ुबान से इज़्हार करे लेकिन अमल में उनका साथ ऐसे वक़्त भी हर्गिज़ न दे यही बात और मुफ़स्सिरीन से भी मरवी है और इसी की ताईद अल्लाह तआला का यह फ़र्मान भी करता है (مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ اِيْمَانِهٖۤ اِلَّا مَنْ اُكْرِهَ وَ قَلْبُهٗ مُطْمَىٕنٌّۢ بِالْاِيْمَانِ) (16/नहल : 106) "जो शख़्स अपने ईमान के बाद अल्लाह तआला से कुफ़्र करे सिवाए उन मुसलमानों के जिन पर ज़बरदस्ती की जाए मगर दिल उसका ईमान के साथ मुत्मइन हो" बुख़ारी में है कि हज़रत हसन फ़र्माते हैं कि यह हुक्म क़यामत तक के लिए है। (सहीह बुख़ारी, किताबुल इक्राहु क़ब्ल हदीस : 6940)

फिर फ़र्माया, अल्लाह तआला तुम्हें अपने आपसे डराता है, या'नी अपने दबदबे और अपने अज़ाबों से उस शख़्स को ख़बरदार किए देता है जो उसके फ़र्मान की मुख़ालिफ़त करके उसके दुश्मनों से दोस्तियाँ रखे और उसके दोस्तों से दुश्मनी करे, फिर फ़र्माया, अल्लाह ही की तरफ़ लौटना है हर आमिल को उसके अमल का बदला वहीं मिलेगा। हज़रत मुआज़ (رضي الله عنه) ने खड़े होकर फ़र्माया, ऐ बनी ऊद! मैं अल्लाह तआला के रसूल का क़ासिद होकर तुम्हारी तरफ़ आया हूँ, जान लो कि अल्लाह ही की तरफ़ फिरकर सबको जाना है, फिर या तो जन्नत ठिकाना होगा या जहन्नम। (इब्ने अबी हातिम व सनदुहू ज़ईफ़)

***

قُلْ اِنْ تُخْفُوْا مَا فِيْ صُدُوْرِكُمْ اَوْ تُبْدُوْهُ يَعْلَمْهُ اللّٰهُ ؕ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ
وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿۲۹﴾ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ
مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا ۖۚ وَّمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوْٓءٍ ۚ تَوَدُّ لَوْ اَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهٗۤ اَمَدًۢا بَعِيْدًا ؕ
وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ ؕ وَاللّٰهُ رَءُوْفٌۢ بِالْعِبَادِ ﴿۳۰﴾

तर्जुमा : "कह दे कि अगर तुम अपने सीनों की बातें छुपाओ या ज़ाहिर करो, अल्लाह सबको जानता है, आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है सब उसे मा'लूम है और अल्लाह हर चीज़ पर क़ादिर है। (29) जिस दिन हर नफ़्स अपनी की हुई नेकियों को और अपनी की हुई बुराइयों को मौजूद पा लेगा, आरज़ू करेगा कि काश! उसके और बुराईयों के बीच बहुत ही दूरी होती, अल्लाह तआला तुम्हें अपनी ज़ात से डरा रहा है और अल्लाह तआला अपने बन्दों पर बड़ा ही मेहरबान है।" (30)

अल्लाह तआला तमाम पोशीदा और ज़ाहिर बातों को जानता है (आयत 29, 30) : अल्लाह तआला फ़र्माता है कि वह पोशीदगियों को और छुपी हुई बातों को और ज़ाहिर की हुई बातों को बख़ूबी जानता है, कोई छोटी से छोटी बात भी उस पर पोशीदा नहीं, उसका इल्म सब चीज़ों को हर वक़्त और हर लहज़ा घेरे हुए है, ज़मीन के गोशों में, पहाड़ों में, समुन्दरों में, आसमानों में, हवाओ में, सूराख़ों में ग़र्ज जो कुछ जहाँ कहीं है, सब उसके इल्म में है फिर उन सब पर उसकी कुदरत है जिस तरह चाहे रखे जो चाहे जज़ा सज़ा दे, पस इतने बड़े वसीअ इल्म वाले इतनी बड़ी ज़बरदस्त कुदरत वाले से हर शख़्स को डरते हुए रहना चाहिए, उसकी फ़र्मांबरदारी में मशग़ूल रहना चाहिए और उसकी नाफ़र्मानियों से अलग रहना चाहिए, वह आलिम भी है और क़ादिर भी है।

मुम्किन है किसी को ढील दे दे लेकिन जब पकड़ेगा तब दबोच लेगा फिर न मुहलत मिलेगी, न रुख़्सत, एक दिन आने वाला है जिस दिन तमाम उम्र के बुरे-भले सब काम सामने रख दिए जायेंगे, नेकियों को देखकर ख़ुशी होगी और बुराईयों पर नज़रें डालकर दांत पीसेगा और हसरत व अफ़सोस करेगा और चाहेगा कि मैं उनसे कोसों दूर होता और परे ही परे रहता, कुरआन ने और जगह फ़र्माया है (يُنَبَّؤُا الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ...) (75/क़यामह :13) "सब अगली और पिछली की करायी बातें उस दिन पेश कर दी जाएँगी, शैतान जो उसके साथ साथ दुनिया में रहता था और उसे बुराईयों पर उकसाता था, उससे भी उस दिन बेज़ारी करेगा और कहेगा (يَالَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ) (43/ज़ुख़रुफ़ : 38) "क्या अच्छा होता कि ऐ शैतान! मेरे और तेरे बीच मश्रिक़ मग़्रिब का फ़ासला होता वह तो बड़ा बुरा साथी है" अल्लाह तुम्हें अपने से या'नी अपने अज़ाबों से डरा धमका रहा है, फिर अल्लाह तआला जल्ल जलालुहू अपने नेक बन्दों को ख़ुशख़बरियाँ देता है कि वह उसके लुत्फ़ो-करम से कभी नाउम्मीद न हों, वह निहायत ही मेहरबान बहुत ही रह्म और प्यार रखने वाला है। इमाम हसन बसरी (रह.) फ़र्माते हैं कि यह भी उसकी सरासर मेहरबानी और लुत्फ़ व मुहब्बत है कि उसने अपने से ही अपने बन्दों को डराया। (तब्री : 6/202) यह भी मतलब है कि अल्लाह तआला अपने बन्दों पर रहीम है, बन्दों को भी चाहिए कि सिराते-मुस्तक़ीम से क़दम न हटाएँ, दीने पाक को न छोड़ें, रसूले अकरम (ﷺ) की फ़र्मांबरदारी से चेहरे न मोड़ें।

***

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ
رَحِيمٌ ﴿٣١﴾ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ۖ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴿٣٢﴾

तर्जुमा : ''कह दे कि अगर तुम अल्लाह से मुहब्बत रखते हो तो मेरी ताबे'दारी करो, ख़ुद अल्लाह तुमसे मुहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाह माफ़ कर देगा, अल्लाह तआला बड़ा बख़्शने वाला मेहरबान है। (31) कह दे कि अल्लाह की और उसके रसूल की इत़ाअत करो अगर यह चेहरा फेर लें तो बेशक अल्लाह तआला काफ़िरों को दोस्त नहीं रखता।'' (32)

अल्लाह तआला से मुहब्बत करते हो तो रसूलुल्लाह (ﷺ) की इत्तिबाअ करो (आयत 31, 32) : इस आयत ने फ़ैसला कर दिया कि जो शख़्स अल्लाह की मुहब्बत का दा'वा करे और उसके आ'माल, अफ़आल, अक़ाइद, मुताबिक़े फ़र्माने नबवी न हों, त़रीक़ा मुहम्मदिया पर वह कारबंद न हो तो वह अपने इस दा'वे में झूठा है। सह़ीह़ ह़दीस में है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़र्माते हैं, ''जो शख़्स कोई ऐसा अमल करे जिस पर हमारा हुक्म न हो वह मरदूद है।'' (सह़ीह़ बुख़ारी, किताबुस्सुलह़, बाब इज़ा इस्तलहू अ़ला सुलहे जौरिन फ़स्सुलहु मरदूद : 2697; सह़ीह़ मुस्लिम : 1718) इसीलिए यहाँ भी इर्शाद होता है कि अगर तुम अल्लाह से मुहबबत रखने के दा'वे में सच्चे हो तो मेरी सुन्नतों पर अमल करो, उस वक़्त तुम्हारी चाहत से ज़्यादा अल्लाह तुम्हें देगा या'नी वह ख़ुद तुम्हारे चाहने वाला बन जाएगा। जैसे कि कुछ ह़कीम उलमा ने कहा है कि तेरा चाहना कोई चीज़ नहीं, लुत्फ़ तो उस वक़्त है कि अल्लाह तुझे चाहने लग जाए, ग़र्ज़ अल्लाह की मुहब्बत की निशानी यही है कि हर काम में इत्तिबाअे सुन्नत मद्देनज़र हो। इब्ने अबी ह़ातिम में है कि हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, ''दीन सिर्फ़ अल्लाह के लिए मुहब्बत और उसी के लिए दुश्मनी का नाम है।'' फिर आपने इसी आयत की तिलावत की। (ज़ुअफ़ाउ लिल अ़क़ीली : 1024; ह़ाकिम : 2/291; वसनदुहू ज़ईफ़ुन जिद्दन) लेकिन यह ह़दीस सनदन मुंकर है। फिर फ़र्माता है कि सुन्नत पर चलने की वजह से अल्लाह तआला तुम्हारे तमामतर गुनाहों को भी माफ़ फ़र्मा देगा फिर हर आम व ख़ास़ को हुक्म मिलता है कि सब अल्लाह तआला व रसूल की बात मानते रहें, जो उससे लौट जाएँ या'नी अल्लाह व रसूल की इत़ाअत से हट जाएँ तो वह काफ़िर हैं और अल्लाह उनसे मुहब्बत नहीं रखता, इससे साफ़ वाज़ेह़ हो गया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के त़रीक़े की मुख़ालिफ़त कुफ़्र है ऐसे लोग अल्लाह के दोस्त नहीं हो सकते, गो इनका दा'वा हो लेकिन जब तक अल्लाह के सच्चे नबी उम्मी ख़ातिमुर्रुसूल, रसूले जिन्न व बशर की ताबे'दारी, पैरवी और इत्तिबाअे सुन्नत न करें, वह अपने इस दा'वा में झूठे हैं। रसूलुल्लाह (ﷺ) तो वह हैं कि अगर आज अम्बिया और रसूल बल्कि बेहतरीन और ऊलुल अ़ज़्म पैग़म्बर भी ज़िन्दा होते तो उन्हें भी आपकी माने बग़ैर और आपकी शरीअ़त पर कारबंद हुए बग़ैर चारा ही न था, इसका बयान बस्त और तफ़्सील के साथ आयत (وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ) की तफ़्सीर में आएगा, इंशाअल्लाह तआला!

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٣٣﴾ ذُرِّيَّةً
بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٤﴾ إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي
نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي ۖ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٣٥﴾ فَلَمَّا
وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ
كَالْأُنْثَىٰ ۖ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿٣٦﴾

तर्जुमा : ''बेशक अल्लाह तआ़ला ने तमाम जहान के लोगों में से आदम को और नूह़ को और इब्राहीम के ख़ानदान को इंतिख़ाब फ़र्माया। (33) कि यह सब आपस में एक दूसरे की नस्ल से हैं और अल्लाह है सुनता जानता। (34) जब इमरान की बीवी ने कहा, ऐ मेरे रब! मेरे पेट में जो है उसे मैंने तेरे नाम आज़ाद करने की नज़्र मानी तो तू मेरी त़रफ़ से क़बूल फ़र्मा, यक़ीनन तू ख़ूब सुनने वाला और पूरी त़रह़ जानने वाला है। (35) जब बच्ची पैदा हुई तो कहने लगीं, परवरदिगार! मुझे तो लड़की हुई, अल्लाह तआ़ला को ख़ूब मा'लूम है कि क्या औलाद हुई है और लड़का लड़की जैसा नहीं, मैंने उसका नाम मरयम रखा, इसे मैं तेरी पनाह में देती हूँ और इसकी औलाद को शैत़ान मरदूद से।''(36)

चंद बरगुज़ीदा अम्बिया (عليهم السلام) का तज़्किरा (आयत 33-36) : या'नी अल्लाह तबारक व तआ़ला ने उन बुज़ुर्ग ह़ज़रात को तमाम जहान पर बरगुज़ीदगी इनायत फ़र्माई। ह़ज़रत आदम (عليه السلام) को अपने हाथ से पैदा किया, अपनी रूह़ उनमें फूँकी, हर चीज़ के नाम उन्हें बतलाए, जन्नत में उन्हें बसाया, फिर अपनी ह़िक्मत के इज़्हार के लिए ज़मीन पर उतार दिया। ह़ज़रत नूह़ (عليه السلام) को जबकि ज़मीन पर बुतपरस्ती क़ायम हो गई तो सबसे पहला रसूल बनाकर भेजा फिर जब उनकी क़ौम ने सरकशी की, पैग़म्बर की हिदायत पर अ़मल न किया, ह़ज़रत नूह़ (عليه السلام) ने दिन रात पोशीदा और ज़ाहिर अल्लाह की त़रफ़ दा'वत दी लेकिन क़ौम ने कान न धरे तो सिवाए ताबे'दाराने नूह़ के बाक़ी सबको अपने पानी के अ़ज़ाब या'नी मशहूर तूफ़ाने नूह़ भेजकर डुबो दिया। ख़ानदाने ख़लीलुल्लाह अ़लैहि स़लातुल्लाह को अल्लाह ने बरगुज़ीदगी इनायत फ़र्माई। उसी ख़ानदान में से सय्यदुल बशर, ख़ातिमुल अम्बिया, ह़ज़रत मुह़म्मद (ﷺ) हैं। इमरान के ख़ानदान को भी उसने मुंतख़ब कर लिया, इमरान नाम है ह़ज़रत मरयम के वालिद स़ाह़ब का, जो ह़ज़रत ईसा (عليه السلام) की वालिदा हैं, उनका नसबनामा बक़ौल मुह़म्मद बिन इस्ह़ाक़, यह है इमरान बिन याशिम बिन मीशा बिन ख़रक़िया बिन इब्राहीम

बिन गुराया बिन नाविश बिन अजरा बिन बहवा बिन नाज़िम बिन मुक़ासित बिन ईशा बिन अयाज़ बिन रख़ीअम बिन सुलेमान बिन दाऊद। पस हज़रत ईसा (ﷺ) भी हज़रत इब्राहीम (ﷺ) की नस्ल से हैं, इसका मुफ़स्सल बयान सूरह अन्आम की तफ़्सीर में आएगा, इंशाअल्लाह तआला

नज़्र सिर्फ़ अल्लाह तआला के नाम की है : हज़रत इमरान की बीवी साहिबा का नाम जो हज़रत मरयम (ﷺ) की वालिदा थीं, हन्ना बिन्ते फ़ाक़ूज़ था, मुहम्मद बिन इस्हाक़ फ़र्माते हैं कि उन्हें औलाद नहीं होती थी, एक दिन एक चिड़िया को देखा कि वह अपने बच्चों को फिरा रही है तो उन्हें वल्वला उठा और अल्लाह तआला से उसी वक़्त दुआ की और ख़ुलूस के साथ अल्लाह को पुकारा। अल्लाह तआला ने भी उनकी दुआ क़बूल फ़र्माई और उसी रात उन्हें हमल ठहर गया। जब हमल का यक़ीन हो गया तो नज़्र मानी कि अल्लाह तआला! मुझे जो औलाद देगा उसे बैतुल मक़्दिस की ख़िदमत के लिए अल्लाह के नाम पर आज़ाद कर दूँगी फिर अल्लाह तआला से दुआ की कि परवरदिगार! तू मेरी इस मुख़्लिसाना नज़्र को क़बूल कर, तू मेरी दुआ को सुन रहा है और तू मेरी निय्यत को भी ख़ूब जान रहा है, अब यह तो मा'लूम न था कि लड़का होगा या लड़की। जब बच्चा पैदा हुआ तो देखा कि वह लड़की है और लड़की तो इस क़ाबिल नहीं कि वह मस्जिदे मुक़द्दस की ख़िदमत अंजाम दे सके, उसके लिए तो लड़का होना चाहिए तो आजिज़ी के तौर पर अपनी मजबूरी जनाब बारी तआला में ज़ाहिर की कि ऐ अल्लाह! मैं तो इसे तेरे नाम पर वक़्फ़ कर चुकी थी लेकिन मुझे तो लड़की हुई (वल्लाहु आ'लमु बिमा वज़अत) भी पढ़ा गया है। या'नी यह क़ौल भी हज़रत हन्ना का था कि अल्लाह तआला ख़ूब जानता है कि मेरे यहाँ लड़की हुई और 'ता' के जज़्म के साथ भी आया है या'नी अल्लाह का यह फ़र्मान है कि अल्लाह तआला को बख़ूबी मा'लूम है कि क्या औलाद हुई है और फ़र्माती है कि मर्द औरत बराबर नहीं, मैं इसका नाम मरयम रखती हूँ।

बच्चे का नाम रखना और अक़ीक़ा करना : इससे साबित होता है कि जिस दिन बच्चा हुआ, उसी दिन नाम रखना भी जाइज़ है क्योंकि हमसे पहले लोगों की शरीअत हमारी शरीअत है और यह यहाँ बयान किया गया और तर्दीद नहीं की गई बल्कि इसे साबित और मुक़र्रर रखा गया। इसी तरह हदीस शरीफ़ में भी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, "आज रात मेरे यहाँ लड़का हुआ और मैंने उसका नाम अपने बाप हज़रत इब्राहीम (ﷺ) के नाम पर इब्राहीम रखा।" (सहीह मुस्लिम, किताब फ़ज़ाइल, बाब रहमतुस्सिबियान वल अयाल : 2315; सहीह बुख़ारी : 1303) हज़रत अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) अपने भाई को जबकि वह पैदा हुए लेकर हुज़ूर (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुए, आप (ﷺ) ने उन्हें अपने हाथ से घुट्टी दी और उनका नाम अब्दुल्लाह रखा। (सहीह बुख़ारी, किताबुल अक़ीक़ा, बाब तस्मियातुल मौलूद ग़दातन यूलिद.... : 5470; सहीह मुस्लिम : 5612) एक और हदीस में है कि एक शख़्स ने आकर कहा, या रसूलुल्लाह (ﷺ)! मेरे यहाँ रात को बच्चा हुआ है, क्या नाम रखूँ? फ़र्माया, अब्दुर्रहमान नाम रखो।" (सहीह बुख़ारी, किताबुल अदब, बाब क़ौलन्नबी (ﷺ) सम्मू बिइस्मी : 6179; सहीह मुस्लिम : 2144) एक और सहीह हदीस में है कि हज़रत अबू उसेद (رضي الله عنه) के यहाँ बच्चा हुआ जिसे लेकर आपकी ख़िदमते नबवी में हाज़िर हुए ताकि आप

अपने दस्ते मुबारक से उस बच्चे को घुट्टी दें। आप और तरफ़ मुतवज्जह हो गए, बच्चे का ख़्याल न रहा। हज़रत अबू उसेद (رضي الله عنه) ने बच्चे को वापिस घर भेज दिया, जब आप फ़ारिग़ हुए, बच्चे की तरफ़ नज़र डाली तो उसे न पाया, घबराकर पूछा और मा'लूम करके कहा, "उसका नाम मुंज़िर रखो" (या'नी डराने वाला) (सहीह बुख़ारी, किताबुल अदब, बाब तहवीलुल इस्म इला इस्मि अहसन मिन्हू : 6191; सहीह मुस्लिम : 2149) मुस्नद अहमद और सुनन में एक हदीस मरवी है जिसे इमाम तिर्मिज़ी (रह.) सहीह कहते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, "हर बच्चा अपने अक़ीक़े में गिरवी है, सातवें दिन अक़ीक़ा करे, या'नी जानवर ज़िब्ह करे और नाम रखे और बच्चे का सर मुँडवाए" अहमद : 5/17; अबूदाऊद, किताबुज़्ज़हाया, बाब फ़िल अक़ीक़ा : 2838; वहुव सहीह, तिर्मिज़ी : 1522; नसाई : 4225; इब्ने माजा : 3165; शैख़ अल्बानी (रह.) ने इसे सहीह क़रार दिया है। देखिए (अल्इरवाअ : 1165) एक रिवायत में है "और ख़ून बहाया जाए।" (अबूदाऊद : 2837; वसनदुहू ज़ईफ़; क़तादा मुदल्लिस रावी है और तसरीह बिस्सिमाअ साबित नहीं। यह रिवायत के आख़िर में है लेकिन इमाम अबूदाऊद (युदम्मा) को हम्माम (रह.) का मुग़ालता क़रार देते है क्योंकि सलाम बिन अबी मुतीअ अन क़तादा से (व युसम्मा) बयान करते हैं और इसी तरह इयास बिन दग़ुफ़ल और अश्अस ने हसन से (व युसम्मा) ही बयान किया है। सुननुल कुब्रा : 4546 में भी व युसम्मा ही ज़िक्र किया गया है। लिहाज़ा अल्लामा इब्ने कसीर (रह.) का इसे (युदमा) को अस्बत व अहफ़ज़ क़रार देना महल्ले नज़र है।) और यह ज़्यादा सबूत वाली रिवायत है, वल्लाहु आ'लम!

लेकिन जुबेर बिन बकार की रिवायत जिसमे है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपने साहबज़ादे हज़रत इब्राहीम का अक़ीक़ा किया और नाम इब्राहीम रखा। यह हदीस सनदन साबित नहीं और सहीह हदीस इसके ख़िलाफ़ मौजूद है लेकिन तत्बीक़ भी हो सकती है कि इस नाम की शुहरत उस दिन हुई हो, वल्लाहु आ'लम! हज़रत मरयम (عليها السلام) की वालिदा साहिबा फिर अपनी बच्ची को और उसकी होने वाली औलाद को शैतान के शर्र से अल्लाह की पनाह मे देती हैं , अल्लाह तआला ने माई साहिबा की उस दुआ को भी क़बूल फ़र्मा लिया।

चुनाँचे मुस्नद अब्दुर्रज़्ज़ाक़ में है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़र्माते हैं कि "हर बच्चे को शैतान उसकी पैदाइश के वक़्त कचोका लगाता है, इसी से वह चीख़ कर रोने लगता है लेकिन (हज़रत) मरयम और हज़रत ईसा (عليهما السلام) उससे बचे रहे" इस हदीस को बयान फ़र्माकर हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) फ़र्माते हैं कि अगर तुम चाहो तो इस आयत को पढ़ लो (इन्नी उइज़ुहा बिक) यह हदीस बुख़ारी व मुस्लिम में मौजूद है। यह हदीस और भी बहुत सी किताबों में मुख़्तलिफ़ अल्फ़ाज़ से मरवी है। (अब्दुर्रज़्ज़ाक़ फ़ित्तफ़्सीर : 391; सहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर, सूरह आले इमरान, बाब (व इन्नी उइज़ुहा बिक....) : 4547; सहीह मुस्लिम : 2365) किसी में है कि एक या दो कचोके मारता है। (तबरी : 6887; इसकी सनद में अल्हम्मानी ज़ईफ़ रावी है (अल्मीज़ान : 2/542; रक़म : 4784) एक हदीस मे सिर्फ़ हज़रत ईसा (عليه السلام) का भी ज़िक्र है। शैतान ने उन्हें भी कचोका मारना चाहा लेकिन उन्हें न लगा, पर्दे में लगकर रह गया। (सहीह बुख़ारी, किताब बदउल ख़ल्क़, बाब सिफ़त इब्लीस व जुनूदहू : 3286)

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُوْلٍ حَسَنٍ وَّاَنْۢبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا ۙ وَّ كَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ۚ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ ۙ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا ۚ قَالَ يٰمَرْيَمُ اَنّٰى لَكِ هٰذَا ۭ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاۗءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۞

तर्जुमा : "पस उसे उसके परवरदिगार ने अच्छी तरह क़बूल फ़र्माया और उसे बेहतरीन तरीक़ पर बढ़ाया, उसकी ख़ैरख़बर लेने वाला ज़करिया (عليه السلام) को बनाया जब कभी ज़करिया (عليه السلام) उनके हुज्रे में जाते, उनके पास रोज़ी रखी हुई पाते, पूछा ऐ मरयम! यह रोज़ी तुम्हारे पास कहाँ से आई? जवाब दिया कि यह अल्लाह के पास से बेशक अल्लाह तआला जिसे चाहे बेशुमार रोज़ी दे।" (37)

मरयम सिद्दीक़ा (عليها السلام) की किफ़ालत और ख़ाला का वालिदा के क़ायम मक़ाम होना (आयत 37) : अल्लाह तआला ख़बर देता है कि हज़रत हन्ना की नज़्र को अल्लाह तआला ने बख़ुशी क़बूल फ़र्मा लिया और उसे बेहतरीन तौर पर नशोनुमा बख़्शी ज़ाहिरी ख़ूबी भी अता फ़र्माई और बातिनी ख़ूबी से भरपूर कर दिया और अपने नेक बन्दों में उनकी परवरिश कराई ताकि इल्म और ख़ैर और दीन सीख लें। हज़रत ज़करिया (عليه السلام) को उनका कफ़ील बना दिया, इब्ने इस्हाक़ तो फ़र्माते हैं कि यह इसलिए कि हज़रत मरयम (عليها السلام) यतीम हो गई थीं लेकिन दूसरे बुज़ुर्ग फ़र्माते हैं कि क़हतसाली की वजह से उनकी किफ़ालत का बोझ हज़रत ज़करिया (عليه السلام) ने अपने ज़िम्मे ले लिया था, हो सकता है कि दोनों वजहें मिल गई हों, वल्लाहु आ'लम! इब्ने इस्हाक़ वग़ैरह की रिवायत से मा'लूम होता है कि हज़रत ज़करिया (عليه السلام) उनके ख़ालू थे और कुछ कहते हैं उनके बहनोई थे। जैसे मे'राज वाली सहीह हदीस में है कि आपने हज़रत यह्या (عليه السلام) और हज़रत ईसा (عليه السلام) से मुलाक़ात की जो दोनों ख़ालाज़ाद भाई हैं। (सहीह बुख़ारी, किताब मनाक़िबुल अंसार, बाब मे'राज : 3887) इब्ने इस्हाक़ के क़ौल पर यह हदीस ठीक है क्योंकि इस्तिलाहे अरब मे माँ की ख़ाला के लड़के को भी ख़ालाज़ाद भाई कह देते हैं, पस साबित हुआ कि हज़रत मरयम (عليها السلام) अपनी ख़ाला की परवरिश में थीं। सहीह हदीस में है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज़रत हम्ज़ा (رضي الله عنه) की यतीम साहबज़ादी अमरा को उनकी ख़ाला हज़रत जा'फ़र बिन अबू तालिब (रज़ि.) की बीवी साहिबा के सुपुर्द किया था और फ़र्माया था कि ख़ाला क़ायम मक़ाम माँ के है। (सहीह बुख़ारी, किताबुल मग़ाज़ी, बाब उम्रतुल क़ज़ाअ : 4251, 2699)

हज़रम मरयम (عليها السلام) और कुछ करामात का तज़्किरा : अब अल्लाह तआला हज़रत मरयम (عليها السلام) की बुज़ुर्गी और उनकी करामत बयान फ़र्माता है कि हज़रत ज़करिया (عليه السلام) जब कभी उनके पास उनके हुज्रे में जाते तो बे मौसमी मेवे उनके पास पाते, मस्लन जाड़ों में गर्मियों के मेवे और गर्मियों में जाड़ों के मेवे। हज़रत मुजाहिद,

हज़रत इक्रमा, हज़रत सईद बिन जुबेर, हज़रत अबुश् शअशाअ, हज़रत इब्राहीम नख़ई, हज़रत ज़ह्हाक, हज़रत क़तादा, हज़रत रबीअ बिन अनस, हज़रत अतिया ऊफ़ी, हज़रत सुदी (रह.) इस आयत की तफ़्सीर में यही फ़र्माते हैं। (इब्ने अबी हातिम : 2/227) हज़रत मुजाहिद से यह भी मरवी है कि यहाँ रिज़्क़ से मुराद इल्म और सहीफ़े हैं, जिनमें इल्मी बातें होती थीं लेकिन अव्वल क़ौल ही ज़्यादा सहीह है। इस आयत में औलिया अल्लाह की करामात की दलील है और उसके सबूत में बहुत सी हदीसें भी आई हैं। हज़रत ज़करिया (ﷺ) एक दिन पूछ बैठे कि मरयम! तुम्हारे पास यह रोज़ियाँ कहाँ से आती हैं? सिद्दीक़ा ने जवाब दिया कि अल्लाह के पास से वह जिसे चाहे बेहिसाब रोज़ी देता है।

मुस्नद हाफ़िज़ अबू यअला में हदीस है कि हुज़ूर (ﷺ) पर कई दिन बग़ैर कुछ खाये गुज़र गए, भूख से आपको तक्लीफ़ होने लगी, अपनी सब बीवियों के घर हो आए, लेकिन कहीं भी कुछ न पाया, हज़रत फ़ातिमा (رضی اللہ عنہا) के पास आए और दरयाफ़्त फ़र्माया कि 'बेटी तुम्हारे पास कुछ है कि मैं खा लूँ? मुझे बहुत भूख लग रही है'' वहाँ से भी यही जवाब मिला कि हुज़ूर, कुछ भी नहीं, अल्लाह तआला के नबी अल्लाहुम्म सल्लि व सल्लिम अलैहि वहाँ से निकले ही थे कि हज़रत फ़ातिमा (رضی اللہ عنہا) की लौण्डी ने दो रोटियाँ और गोश्त का टुकड़ा हज़रत फ़ातिमा (رضی اللہ عنہا) के पास भेजा, आपने उसे लेकर लगन में रख लिया और फ़र्माने लगीं गो मुझे मेरे शौहर और बच्चों को भी भूख है लेकिन हम सब फ़ाक़े ही से गुज़ार देंगे और अल्लाह की क़सम! आज तो यह रसूलुल्लाह (ﷺ) को ही दूँगी। फिर हज़रत हसन (رضی اللہ عنہ) को या हुसैन (رضی اللہ عنہ) को आपकी ख़िदमत में भेजा कि आपको बुला लाएँ। हुज़ूर (ﷺ) रास्ते ही में मिले और साथ हो लिए। आप आए तो हज़रत फ़ातिमा (رضی اللہ عنہا) बोलीं, अल्लाह ने कुछ भिजवा दिया है जिसे मैंने आपके लिए छुपाकर रख दिया है। आपने फ़र्माया, ''प्यारी बच्ची! ले आओ, अब जो कूण्डा खोला तो देखती हैं कि रोटी सालन से मच मचाव है देखकर हैरान हो गईं लेकिन फ़ौरन समझ गईं कि अल्लाह तआला की तरफ़ से उसमें बरकत नाज़िल हो गई है। अल्लाह का शुक्रिया किया, अल्लाह के नबी पर दरूद पढ़ा और आपके पास लाकर पेश कर दिया। आपने भी उसे देखकर अल्लाह की ता'रीफ़ बयान की और दरयाफ़्त फ़र्माया कि, ''बेटी यह कहाँ से आया?'' जवाब दिया कि अब्बाजान! अल्लाह के पास से वह जिसे चाहे बेहिसाब रोज़ी दे, आपने फ़र्माया, ''अल्लाह का शुक्र है कि ऐ प्यारी बच्ची! तुझे भी अल्लाह तआला ने बनी इस्राईल की तमाम औरतों की सरदार जैसा कर दिया, उन्हें जब कभी अल्लाह तआला कोई चीज़ अता करता और उनसे पूछा जाता तो यही जवाब दिया करती थीं कि अल्लाह के पास से है, अल्लाह जिसे चाहे बेहिसाब रिज़्क़ देता है'' फिर हुज़ूर (ﷺ) ने हज़रत अली (رضی اللہ عنہ) को बुलाया और आप (ﷺ) ने और हज़रत अली (رضی اللہ عنہ) ने और हज़रत फ़ातिमा (رضی اللہ عنہا) ने और हज़रत हसन और हज़रत हुसैन (رضی اللہ عنہ) ने और आप (ﷺ) की सब अज़्वाजे मुतहहरात और अहले बैत ने ख़ूब शिकम सैर होकर खाया, फिर भी उतना ही बाक़ी रहा जितना पहले था, जो आसपास के पड़ोसियों के यहाँ भेजा गया। यह थी ख़ैरे कसीर और बरकत अल्लाह तआला की तरफ़ से। (अल्मतालिबुल आलियातुल मुसन्नदा : 3958; इत्तिहाफ़ुल ख़ियरह : 9670; वसनदुहू ज़ईफ़; शैख़ अल्बानी (रह.) ने इसे ज़ईफ़ क़रार दिया है। देखिए (सिलसिलतुज़्ज़ईफ़ : 5359)

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ ۚ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۖ إِنَّكَ سَمِيعُ
الدُّعَاءِ ﴿٣٨﴾ فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ
بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿٣٩﴾ قَالَ
رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ ۖ قَالَ كَذَٰلِكَ اللَّهُ
يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴿٤٠﴾ قَالَ رَبِّ اجْعَل لِّي آيَةً ۖ قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ
أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا ۗ وَاذْكُر رَّبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ ﴿٤١﴾

तर्जुमा : ''उसी जगह ज़करिया (عليه السلام) ने अपने रब से दुआ की, कहा कि ऐ मेरे परवरदिगार! मुझे अपने पास से पाकीज़ा औलाद अ़ता फ़र्मा, बेशक तू दुआ सुनने वाला है। (38) पस फ़रिश्तों ने उसे आवाज़ दी कि जबकि वह हुज्रे में खड़ा हुआ नमाज़ पढ़ रहा था कि अल्लाह तआला तुझे यह्या (عليه السلام) की यक़ीनी ख़ुशख़बरी देता है जो अल्लाह के कलिमा की सच्चाई करने वाला और सरदार और औरतों से बेरग़बत और नबी है, नेक लोगों में से। (39) कहने लगे, ऐ मेरे रब! मेरे यहाँ बच्चा कैसे होगा? मैं बिलकुल बूढ़ा हो गया हूँ और मेरी बीवी बाँझ है। फ़र्माया, इसी तरह अल्लाह तआला जो चाहता है करता है। (40) कहने लगे, परवरदिगार! मेरे लिए उसकी कोई निशानी मुक़र्रर कर दे, फ़र्माया, निशान यह है कि तीन दिन तक तू लोगों से बात न कर सकेगा सिर्फ़ इशारे से समझाएगा, तू अपने रब का ज़िक्र बकसरत कर और सुबह शाम उसी की तस्बीह बयान करता रह।'' (41)

ज़करिया (عليه السلام) की दुआ (आयत 38-41) : हज़रत ज़करिया (عليه السلام) ने देखा कि अल्लाह तआला हज़रत मरयम (عليها السلام) को बेमौसम मेवे देता है, जाड़ों में गर्मियों के फल और गर्मियों में जाड़े के फल उनके पास रखे रहते हैं तो बावजूद अपने पूरे बुढ़ापे के और बावजूद अपनी बीवी के बाँझ होने के इल्म के आप भी बेमौसम मेवे या'नी नेक औलाद तलब करने लगे और चूँकि यह तलब बज़ाहिर एक नामुम्किन चीज़ की तलब थी इसलिए निहायत पोशीदगी से यह दुआ मांगी। जैसे और जगह है (نِدَآءً خَفِيًّا) (19/मरयम : 3) यह अपने इबादतख़ाने में ही थे जो फ़रिश्तों ने इन्हें आवाज़ दी और इन्हें सुनाकर कहा कि आपके यहाँ एक लड़का होगा, जिसका नाम यह्या रखना, साथ ही यह भी फ़र्मा दिया कि यह बशारत हमारी तरफ़ से नहीं बल्कि

अल्लाह की तरफ़ से यहया नाम की वजह यह है कि उनकी हयात ईमान के साथ होगी, वह अल्लाह के कलिमा की या'नी हज़रत ईसा बिन मरयम (عليه السلام) की तस्दीक़ करेंगे। हज़रत रबीअ बिन अनस फ़र्माते हैं, सबसे पहले हज़रत ईसा (عليه السلام) की नबुव्वत को तस्लीम करने वाले भी हज़रत यहया (عليه السلام) हैं। हज़रत क़तादा (रह.) का क़ौल है कि हज़रत यहया (عليه السلام) ठीक हज़रत ईसा (عليه السلام) की रविश और आपके तरीक़ पर थे। हज़रत इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) फ़र्माते हैं कि यह दोनों ख़ालाज़ाद भाई थे। हज़रत यहया (عليه السلام) की वालिदा हज़रत मरयम से अकसर ज़िक्र किया करती थीं कि मैं अपने पेट की चीज़ को तेरे पेट की चीज़ को सज्दा करती हुई पाती हूँ। यह थी हज़रत यहया (عليه السلام) की तस्दीक़ दुनिया में आने से भी बेशतर सबसे पहले हज़रत ईसा (عليه السلام) की सच्चाई उन्होंने ही जानी। यह हज़रत ईसा (عليه السلام) से उम्र में बड़े थे, सय्यद के मा'नी हलीम बुर्दबार, इल्म व इबादत में बढ़ा हुआ, मुत्तक़ी और परहेज़गार, फ़क़ीह आलिम ख़ल्क़ व दीन मे सबसे अफ़ज़ल जिसे ग़ुस्सा और ग़ज़ब मग़्लूब न कर सके, शरीफ़ और करीम के हैं। हसूर के मा'नी हैं जो औरतों के पास न आ सके, जिसके यहाँ न औलाद हो, न जिसमें शहवत का पानी हो, इस मा'नी की एक मरफ़ूअ हदीस भी इब्ने अबी हातिम में है कि आँहज़रत (صلى الله عليه وسلم) ने यह लफ़्ज़ तिलावत करके ज़मीन से कुछ उठाकर फ़र्माया, "इसका अज़्व इस जैसा था।" (इब्ने अबी हातिम, इसकी सनद सय्यद बिन सुलेमान नशीती की वजह से ज़ईफ़ है।) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस (رضي الله عنه) फ़र्माते हैं कि सारी मख़्लूक़ में सिर्फ़ हज़रत यहया (عليه السلام) ही अल्लाह से बेगुनाह मिलेंगे, फिर आपने यह अल्फ़ाज़ पढ़े और ज़मीन से कुछ उठाया और फ़र्माया, हसूर उसे कहते हैं जिसका अज़्व इस जैसा हो और हज़रत यहया बिन सईद क़त्तान ने अपनी कलिमा की उँगली से इशारा किया। (वसनदुहू ज़ईफ़) यह रिवायत जो मरफ़ूअ बयान हुई है, इसकी सनद से इस मौक़ूफ़ की सनद ज़्यादा सहीह है और मरफ़ूअ रिवायत में है कि हुज़ूर (صلى الله عليه وسلم) ने एक कपड़े के फंदे की तरफ़ इशारा करके फ़र्माया, ऐसा था और रिवायत में यह भी है कि आपने ज़मीन से एक मुर्झाया हुआ तिनका उठाकर उसकी तरफ़ इशारा करके यह फ़र्माया। (इब्ने अबी हातिम व सनदुहू ज़ईफ़)

इसके बाद हज़रत ज़करिया (عليه السلام) को दूसरी बशारत दी जाती है कि वह तुम्हारा लड़का नबी होगा, यह बशारत पहली ख़ुशख़बरी से भी बढ़ गई। जब बशारत आ गई तो हज़रत ज़करिया (عليه السلام) को ख़याल पैदा हुआ कि बज़ाहिर अस्बाब तो इसका होना महाल है तो कहने लगे, ऐ अल्लाह! मेरे यहाँ बच्चा कैसे हो सकता है, मैं बूढ़ा फूस मेरी बीवी बिलकुल बाँझ। फ़रिश्ते ने उसी वक़्त जवाब दिया कि अल्लाह तआला का अम्र सबसे बड़ा है, उसके पास कोई चीज़ अनहोनी नहीं, न उसे कोई काम भारी पड़े, वह न किसी काम से आजिज़ हो, उसका इरादा हो चुका, वह उसी तरह करेगा। अब हज़रत ज़करिया (عليه السلام) अल्लाह से उसकी अलामत तलब करने लगे तो ज़ाते बारी सुब्हानहू व तआला की तरफ़ से इर्शाद किया गया कि निशान यह है कि तू तीन दिन तक लोगों से बात न कर सकेगा, रहेगा तंदुरुस्त सहीह सालिम लेकिन ज़ुबान से लोगों से बातचीत न की जाएगी सिर्फ़ इशारों से काम लेना पड़ेगा। जैसे और जगह है (ثَلٰثَ لَيَالٍ سَوِيًّا) (19/मरयम : 10) या'नी तीन रातें तंदुरुस्ती की हालत में फिर हुक्म दिया कि उस हाल में तुझे चाहिए कि ज़िक्र और तक्बीर और तस्बीह में ज़्यादा मशग़ूल रहो, सुबह शाम उसी में लगे रहो। इसका दूसरा हिस्सा और पूरा बयान तफ़्सील के साथ सूरह मरयम के शुरू में आएगा, इंशाअल्लाह!

وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَٰٓئِكَةُ يَٰمَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَىٰكِ عَلَىٰ نِسَآءِ
الْعَٰلَمِينَ ﴿٤٢﴾ يَٰمَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّٰكِعِينَ ﴿٤٣﴾ ذَٰلِكَ مِنْ
أَنۢبَآءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ ۚ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَٰمَهُمْ أَيُّهُمْ
يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴿٤٤﴾

तर्जुमा : "जब फ़रिश्तों ने कहा, ऐ मरयम! अल्लाह तआ़ला ने तुझे बरगुज़ीदा कर लिया और तुझे पाक कर दिया और सारे जहान की औरतों में से तुझे इंतिख़ाब कर लिया। (42) ऐ मरयम! तू अपने रब की इत़ाअ़त किया करो और सज्दा करती रह और रुकूअ़ करने वालों के साथ रुकूअ़ कर। (43) यह ख़बर ग़ैब की ख़बरों में से है जिसे हम तेरी त़रफ़ वह़ी से पहुँचाते हैं, तू उनके पास न था जबकि वह अपनी क़लमें डाल रहे थे कि मरयम को उनमें से कौन पाले? और न तू उनके झगड़ने के वक़्त उनके पास था।"(44)

ह़ज़रत मरयम, ख़दीजा, आइशा और आसिया (रज़ि.) फ़िरऔन की बीवी साहिबा की फ़ज़ीलत (आयत 42-44) : यहाँ यह बयान हो रहा है कि अल्लाह तआ़ला के हुक्म से मरयम (عليها السلام) को फ़रिश्तों ने ख़बर पहुँचाई कि अल्लाह ने उन्हें उनकी इबादत की कसरत उनकी दुनिया से बेरग़बती, उनकी शराफ़त और शैत़ानी वसाविस से दूरी की वजह से अपने कुर्बे ख़ास का दर्जा इनायत फ़र्मा दिया है और तमाम जहान की औरतों पर उन्हे ख़ास फ़ज़ीलत दे रखी है। सह़ीह़ मुस्लिम शरीफ़ वग़ैरह में ह़ज़रत अबू हुरेरह (رضي الله عنه) से रिवायत है, फ़र्माते हैं कि रसूल (ﷺ) ने फ़र्माया "जितनी औरतें ऊँट पर सवार होने वालियाँ हैं, उनमें से बेहतर औरतें कुरेश की हैं, जो अपने छोटे बच्चों पर बहुत ही शफ़क़त और प्यार करने वाली, अपने शौहर की चीज़ों की पूरी ह़िफ़ाज़त करने वाली हैं" ह़ज़रत मरयम (عليها السلام) बिन्ते इमरान ऊँट पर कभी सवार नहीं हुईं। (सह़ीह़ बुख़ारी, किताब अह़ादीसुल अम्बिया, बाब क़ौलुहू तआ़ला (إِذْ قَالَتِ الْمَلَٰٓئِكَةُ يَٰمَرْيَمُ...) : 3434; सह़ीह़ मुस्लिम : 2527; आख़िरी जुम्ला (लम तरकब मरयम...) अबू हुरेरह (रज़ि.) का कलाम है) बुख़ारी व मुस्लिम की एक ह़दीस में है कि "औरतों में से बेहतर औरत ह़ज़रत मरयम (عليها السلام) बिन्ते इमरान हैं और ह़ज़रत ख़दीजा बिन्ते खुवेलिद (رضي الله عنها) हैं।" (सह़ीह़ बुख़ारी, किताब अह़ादीसुल अम्बिया, बाब क़ौलुल्लाहि तआ़ला (क़ालतिल मलाइकतु या मरयम ....) : 3433) तिर्मिज़ी की सह़ीह़ ह़दीस में है कि "सारी दुनिया की औरतों में से मरयम बिन्ते इमरान, ख़दीजा बिन्ते खुवेलिद, फ़ात़िमा बिन्ते मुह़म्मद (ﷺ) आसिया फ़िरऔन की बीवी हैं।" (तिर्मिज़ी, किताबुल मनाक़िब, बाब फ़ज़्ल ख़दीजा (رضي الله عنها) : 3878; वहुव सह़ीह़) और ह़दीस में है कि यह चारों औरतें तमाम आलम की औरतों से अफ़ज़ल और बेहतर हैं। और ह़दीस में है कि "मर्दों में से कामिल

मर्द बहुत से हैं लेकिन औरतों में कमाल वाली औरतें सिर्फ़ तीन हैं, मरयम बिन्ते इमरान, आसिया फ़िरऔन की बीवी और ख़दीजा (رضی اللہ عنہا) बिन्ते ख़ुवैलिद और आइशा (رضی اللہ عنہا) की फ़ज़ीलत औरतों पर ऐसी है जैसे सरीद गोश्त के शोरबे में भिगोई हुई रोटी की तमाम खानों पर।'' (सहीह बुख़ारी, किताब अहादीसुल अम्बिया: 3411; सहीह मुस्लिम : 2431; नसाई : 3400; इब्ने माजा : 3280) यह हदीस सिवाए अबूदाऊद के बाक़ी और सब किताबों में है। सहीह बुख़ारी शरीफ़ की इस हदीस में हज़रत ख़दीजा (رضی اللہ عنہا) का ज़िक्र नहीं, मैंने इस हदीस की तमाम सनदें और हर सनद के अल्फ़ाज़ अपनी किताब अल्बिदाया वन्निहाया में हज़रत ईसा (علیہ السلام) के ज़िक्र में जमा कर दिए हैं, वलिल्लाहिल हम्दु वल मिन्नत!

हज़रत मरयम (علیہا السلام) की इबादत और इताअतगुज़ार : फिर फ़रिश्ते फ़र्माते हैं कि ऐ मरयम! तू ख़ुशूअ व ख़ुज़ूअ रुकूअ सुजूद में रहा कर, अल्लाह तबारक व तआला तुझे अपनी क़ुदरत का एक अज़ीमुश्शान निशान बनाने वाला है, इसलिए तुझे रब की तरफ़ पूरी रग़बत रखनी चाहिए, क़ुनूत के मा'नी इताअत के हैं जो आजिज़ी और दिल की हाज़िरी के साथ हो। जैसे इर्शाद है (وَلَهُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قٰنِتُوْنَ...) (30/रूम : 26) या'नी ''उसकी मातहती और मिल्कियत में ज़मीनो-आसमान की हर चीज़ है, सबके सब उसके महकूम और ताबेअ फ़र्मान हैं'' इब्ने अबी हातिम की एक मरफ़ूअ हदीस में है कि ''क़ुरआन में जहाँ कहीं क़ुनूत का लफ़्ज़ है उससे मुराद इताअतगुज़ारी है।'' (वसनदुहू ज़ईफ़) यही हदीस इब्ने जरीर में भी है लेकिन सनद में नकारत है, हज़रत मुजाहिद (रह) फ़र्माते हैं कि हज़रत मरयम (علیہا السلام) नमाज़ में इतना लम्बा क़ियाम करती थीं कि दोनों टख़्नों पर वरम चढ़ जाता था, क़ुनूत से मुराद नमाज़ में लम्बे-लम्बे रुकूअ करना है। हज़रत हसन बसरी (रह.) का क़ौल है कि मुराद यह है अपने रब की इबादत में मशग़ूल रह और रुकूअ व सज्दा करने वालों में से हो जा। हज़रत ओज़ाई (रह.) फ़र्माते हैं कि मरयम सिद्दीक़ा (علیہا السلام) अपने इबादतख़ाने में इस क़द्र बकसरत और बाख़ुशूअ और लम्बी नमाज़ें पढ़ा करती थीं कि दोनों पैरों में ज़र्द पानी उतर आया, रज़ियल्लाहु अन्हा व अरज़ाहा।

क़ुरआ हज़रत ज़करिया (علیہ السلام) के नाम का निकला : यह अहम ख़बरें बयान करके अल्लाह तआला फ़र्माता है कि ऐ नबी! उन बातों का इल्म तुम्हें सिर्फ़ मेरे वही से हुआ, वरना तुम्हें क्या ख़बर? तुम कुछ उस वक़्त उनके पास थोड़े ही मौजूद थे, जो उन वाक़ियात की ख़बर लोगों को पहुँचाते? लेकिन अपनी वही से हमने उन वाक़ियात को इस तरह आप पर खोलकर बयान कर दिया गोया आप उस वक़्त ख़ुद मौजूद थे जबकि हज़रत मरयम (علیہا السلام) की परवरिश के बारे में हर एक दूसरे पर सब्क़त करता था, सबकी चाहत थी कि उस दौलत से मैं मालामाल हो जाऊँ और यह अज्र मुझे मिल जाए। जब आपकी वालिदा साहिबा आपको लेकर बैतुल मक़्दिस की मस्जिदे सुलेमानी में तशरीफ़ लाईं और वहाँ के ख़ादिमों से जो हज़रत मूसा (علیہ السلام) के भाई हज़रत हारून (علیہ السلام) की नस्ल में से था कहा कि मैं इन्हें अपनी नज़्र के मुताबिक़ अल्लाह के नाम पर आज़ाद कर चुकी हूँ। तुम इसे संभालो, यह ज़ाहिर है कि यह लड़की है और यह भी मा'लूम है कि हैज़ की हालत में औरतें मस्जिद में नहीं आतीं, अब तुम जानो तुम्हारा काम, मैं तो इसे घर वापिस नहीं ले जाऊँगी क्योंकि अल्लाह के नाम पर इसे नज़्र कर चुकी हूँ। हज़रत इमरान यहाँ के इमामे नमाज़ थे और क़ुर्बानियों के मुहतमिम

थे और यह उनकी साहबज़ादी थीं तो हर एक ने बड़े चाव से उनके लिए हाथ फैला दिए। इधर से हज़रत ज़करिया (عليه السلام) ने अपना एक हक़ और जताया कि मैं रिश्ते में भी इनका ख़ालू होता हूँ तो यह लड़की मुझ ही को मिलनी चाहिए लेकिन और लोग राज़ी न हुए। आख़िर कुरआ डाला गया और कुरआ में उन सबने अपनी वह क़लमें डालीं जिनसे तौरात लिखते थे तो कुरआ हज़रत ज़करिया (عليه السلام) के नाम निकला। (तब्री : 6/351) और यही इस सआदत से मुशर्रफ़ हुए। दूसरी मुफ़स्सल रिवायतों में यह भी है कि नहरे उरदुन पर जाकर यह कलमें डाली गईं, पानी के बहाव के साथ जो क़लम निकल जाए, वह नहीं और जिसका क़लम ठहर जाए वह हज़रत मरयम (عليها السلام) का कफ़ील बने, चुनाँचे सबकी क़लमें तो पानी बहा ले गया। सिर्फ़ हज़रत ज़करिया (عليه السلام) का क़लम ठहर गया बल्कि उल्टा ऊपर को चढ़ने लगा तो एक तो कुरआ में उनका नाम निकला, दूसरे क़रीब की रिश्तेदारी थी, फिर यह ख़ुद उन तमाम के सरदार इमाम आलिम बल्कि अल्लाह के नबी थे। पस उन ही की हज़रत मरयम (عليها السلام) को किफ़ालत सौंप दी गई।

***

إِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ إِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ۖ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ
مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿٤٥﴾ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ
وَكَهْلًا وَّمِنَ الصّٰلِحِينَ ﴿٤٦﴾ قَالَتْ رَبِّ أَنّٰى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَّلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ ۗ قَالَ
كَذٰلِكِ اللّٰهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ إِذَا قَضٰٓى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٤٧﴾

तर्जुमा : "जब फ़रिश्तों ने कहा, ऐ मरयम! अल्लाह तआला तुझे अपनी एक बात की यक़ीनी ख़ुशख़बरी देता है जिसका नाम मसीह बिन मरयम है जो दुनिया और आख़िरत में इज़्ज़त वाला है और है भी वह मेरी नज़दीकी वालों में से। (45) वह लोगों से अपने गहवारे में से बातें करेगा और अधेड़ उम्र में भी और वह नेक लोगों में से होगा। (46) कहने लगीं, ऐ अल्लाह! मुझे लड़का कैसे होगा? हालाँकि मुझे तो किसी इंसान ने हाथ भी नहीं लगाया, फ़रिश्ते ने कहा, इसी तरह अल्लाह तआला जो चाहे पैदा करता है जब कभी वह किसी काम को करना चाहता है तो सिर्फ़ कह देता है कि हो जा तो वह हो जाता है।" (47)

हज़रत ईसा (عليه السلام) की मु'जिज़ाना पैदाइश (आयत 45-47) : यह ख़ुशख़बरी हज़रत मरयम (عليها السلام) को फ़रिश्ते सुना रहे हैं कि उन्हें एक लड़का होगा, बड़ी शान वाला, जो सिर्फ़ अल्लाह तआला के कलिमे

'कुन' के कहने से होगा और यही तफ़्सीर है अल्लाह के फ़र्मान (مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ) (3/आले इमरान : 39) की जैसे कि जुम्हूर ने ज़िक्र किया और जो बयान इससे पहले गुज़र चुका है। उसका नाम मसीह़ होगा, ईसा बेटा मरयम का, हर मो'मिन उसे इसी नाम से पहचानेगा। मसीह़ नाम होने की वजह यह है कि ज़मीन मे वह बकस्रत सयाह़त करेंगे, माँ की त़रफ़ मंसूब करने की वजह यह है कि उनका बाप कोई न था। अल्लाह के नज़दीक वह दोनों जहान में बरगुज़ीदा हैं और मुक़र्रिबाने ख़ास़ में से हैं, उन पर अल्लाह तआ़ला की शरीअ़त और किताब उतरेगी और बड़ी बड़ी मेहरबानियाँ उन पर दुनिया में नाज़िल होंगी और आख़िरत में भी और ऊलुल अ़ज़्म पैग़म्बरों की त़रह़ अल्लाह के हुक्म से जिसके लिए अल्लाह तआ़ला चाहेगा वह शफ़ाअ़त करेंगे, जो क़बूल हो जाएगी। स़ल्वातुल्लाहि व सलामुहू अ़लैहिम अज्मईन! वह अपने झूले में और अधेड़ उम्र में बातें करेंगे या'नी अल्लाह वह़्दुहू ला शरीक लहू की इबादत की लोगों को बचपन ही मे दा'वत देंगे जो उनका मु'जिज़ा होगा और बड़ी उम्र में जब अल्लाह तआ़ला उनकी त़रफ़ वह़ी करेगा। वह अपने क़ौल फ़े'ल में इल्म स़ह़ीह़ रखने वाले और अ़मले स़ालेह़ करने वाले होंगे। एक ह़दीस में है कि ''बचपन में कलाम सिर्फ़ ह़ज़रत ईसा (ﷺ) ने किया है और जुरेज के साथी ने'' और ह़दीस मे एक और बच्चे का कलाम करना भी मरवी है तो यह तीन हुए। (इब्ने अबी ह़ातिम : 2/272, 273; स़ह़ीह़ बुख़ारी, किताब अह़ादीसुल अम्बिया : 3436; स़ह़ीह़ मुस्लिम : 2550)

ह़ज़रत मरयम (ﷺ) इस बशारत को सुनकर अपनी मुनाजात में कहने लगीं, ऐ अल्लाह! मुझे बच्चा कैसे होगा? मैंने तो निकाह़ नहीं किया और न मेरा इरादा निकाह़ करने का है और न मैं ऐसी बदकार औ़रत हूँ, ह़ाशाअल्लाह! अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल की त़रफ़ से फ़रिश्ते ने जवाब में कहा कि ''अल्लाह का अम्र बहुत बड़ा है, उसे कोई चीज़ आ़जिज़ नहीं कर सकती, वह जो चाहे पैदा कर दे'' इस नुक्ते को ख़्याल मे रखना चाहिए कि ह़ज़रत ज़करिया (ﷺ) के उस सवाल के जवाब मे उस जगह लफ़्ज़ (यफ़्अ़ल) था यहाँ लफ़्ज़ (यख़्लुक़ु) है या'नी पैदा करता है, इसलिए के किसी बात़िल परस्त को कोई शुब्हा का मौक़ा बाक़ी न रहे, और स़ाफ़ लफ़्ज़ों में ह़ज़रत ईसा (ﷺ) का अल्लाह की मख़्लूक़ होना मा'लूम हो जाए, फिर इसकी मज़ीद ताकीद की और फ़र्माया, वह जिस काम को जब कभी करना चाहता है तो सिर्फ़ इतना कह देता है कि हो जा बस वह वहीं हो जाता है, उसके हुक्म के बाद ढील और देर नहीं लगती। जैसे और जगह है (وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ) (54/क़मर : 50) या'नी ''हमारे सिर्फ़ एक मर्तबा के हुक्म से ही बिला ताख़ीर फ़िल फ़ौर आँखें झपकते ही वह काम हो जाता है हमें दोबारा उसे कहना नहीं पड़ता।''

***

وَيُعَلِّمُهُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ ۝٤٨ وَرَسُوْلًا اِلٰى بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ۙ اَنِّيْ
قَدْ جِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ ۙ اَنِّيْٓ اَخْلُقُ لَكُمْ مِّنَ الطِّيْنِ كَهَيْـَٔةِ الطَّيْرِ فَاَنْفُخُ فِيْهِ
فَيَكُوْنُ طَيْرًۢا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ وَاُبْرِئُ الْاَكْمَهَ وَالْاَبْرَصَ وَاُحْيِ الْمَوْتٰى بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ
وَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَاْكُلُوْنَ وَمَا تَدَّخِرُوْنَ ۙ فِيْ بُيُوْتِكُمْ ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لَّكُمْ اِنْ
كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝٤٩ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَلِاُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ
الَّذِيْ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ ۣ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ۝٥٠ اِنَّ
اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ ۭ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ۝٥١

तर्जुमा : "अल्लाह उसे लिखना और ह़िक्मत और तौरात और इंजील सिखाएगा। (48) और वह बनी इस्राईल की त़रफ़ रसूल होगा कि मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की निशानी लाया हूँ, मैं तुम्हारे लिए परिन्दे की शक्ल की त़रह़ मिट्टी का परिन्द बनाता हूँ फिर उसमें फूँक मारता हूँ तो वह अल्लाह तआ़ला के हुक्म से परिन्दा बन जाता है और अल्लाह के हुक्म से जन्मजात अंधे को और कोढ़ी को अच्छा कर देता हूँ और मुर्दे को ज़िन्दा कर देता हूँ और जो कुछ तुम खाओ और अपने घरों में ज़ख़ीरा करो, मैं तुम्हें बता देता हूँ, इसमें तुम्हारे लिए बड़ी निशानी है अगर तुम ईमानदार हो। (49) और मैं तौरात की तस्दीक़ करने वाला हूँ जो मेरे सामने है और मैं इसलिए आया हूँ कि तुम पर कुछ वह चीज़ें ह़लाल करूँ जो तुम पर ह़राम कर दी गई हैं और मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की निशानी लाया हूँ, तुम अल्लाह से डरो और मेरी फ़रमाँबरदारी करो। (50) यक़ीन मानो कि मेरा और तुम्हारा रब अल्लाह ही है, तुम सब उसी की इबादत करो, यही सीधी राह है।" (51)

हज़रत ईसा (عليه السلام) के अज़ीमुश्शान मु'जिज़ात (आयत 48-51) : फ़रिश्ते हज़रत मरयम (عليها السلام) से कहते हैं कि तेरे इस लड़के या'नी ईसा (عليه السلام) को परवरदिगारे आलम लिखना सिखाएगा और हिक्मत सिखाएगा, लफ़्ज़ हिक्मत की तफ़्सीर सूरह बक़रह में गुज़र चुकी है और इसे तौरात सिखाएगा जो हज़रत मूसा बिन इमरान (عليه السلام) पर उतरी थी और इंजील सिखाएगा जो हज़रत ईसा (عليه السلام) पर उतरी। चुनाँचे आपको यह दोनों किताबें हिफ़्ज़ थीं, उन्हें बनी इस्राईल की तरफ़ अपना रसूल बनाकर भेजेगा, इस बात के कहने के लिए कि मेरा यह मु'जिज़ा देखो कि मिट्टी ली, उसका परिन्दा बनाया फिर फूँक मारते ही वह सचमुच का जीता जागता परिन्दा बनकर सबके सामने उड़ने लगा, यह अल्लाह के हुक्म से और उसके फ़र्मान से था। हज़रत ईसा (عليه السلام) की अपनी कुदरत से नहीं, यह एक मु'जिज़ा था, जो आपकी नबुव्वत का निशान था। अक्मह उस अंधे को कहते हैं जिसे दिन के वक़्त दिखाई न दे, मगर रात को दिखाई दे, कुछ ने कहा अक्मह उस नाबीना को कहते हैं जिसे दिन को दिखाई दे मगर रात को दिखाई न दे। कुछ कहते हैं भेंगा और तिरछा और काना मुराद है, कुछ का क़ौल यह भी है कि जो माँ के पेट से बिलकुल अंधा पैदा हुआ हो, यहाँ यही तर्जुमा ज़्यादा मुनासिब है क्यों कि इस मु'जिज़े का कमाल यही है और मुख़ालिफ़ीन को आजिज़ करने के लिए यह सूरत इसकी और सूरतों से आ'ला है, अब्रस़ सफ़ेद दाग़ वाले कोढ़ी को कहते हैं, ऐसे बीमार को भी अल्लाह के हुक्म से हज़रत ईसा (عليه السلام) अच्छे कर देते थे और मुर्दों को भी अल्लाह के हुक्म से आप ज़िन्दा करते थे। अक्सर उलमा का क़ौल है कि हर-हर ज़माने के नबी को उसी ज़माने वालों की मुनासिबत से ख़ास-ख़ास मु'जिज़ात जनाब बारी तआला ने अता फ़र्माए हैं। हज़रत मूसा (عليه السلام) के ज़माने में जादू का बड़ा चर्चा था और जादूगरों की बड़ी क़द्रो ता'ज़ीम थी, तो अल्लाह तआला ने आपको वह मु'जिज़ा दिया कि तमाम जादूगरों की आँखें खुल गईं और उन पर हैरत तारी हो गई और उन्हे कामिल यक़ीन हो गया कि यह तो अल्लाह वाहिद क़ह्हार की तरफ़ से अतिया है, जादू हर्गिज़ नहीं, चुनाँचे उनकी गर्दनें झुक गईं और यक लख़्त वह हल्क़ा बगोश इस्लाम हो गए और बिल आख़िर अल्लाह के मुक़र्रब बन्दे बन गए। हज़रत ईसा (عليه السلام) के ज़माने में तबीबों और हकीमों का दौर दौरा था, कामिल अतिब्बा (डॉक्टर) और माहिर हकीम, इल्मे तबीइयात के पूरे आलिम और लाजवाब कामिलुल फ़न उस्ताद मौजूद थे, पस आपको मु'जिज़े दिए गए जिनसे वह सब आजिज़ थे भला मादर ज़ाद अंधों को बिलकुल बीना कर देना और कोढ़ियोंको उस मुहलिक बीमारी से अच्छा कर देना इतना ही नहीं बल्कि जमादात जो महज़ बेजान चीज़ है उसमें रूह डाल देना और क़ब्रों में से मुर्दों को ज़िन्दा कर देना यह किसी के बस की बात है? सिर्फ़ अल्लाह तआला के हुक्म से बतौर मु'जिज़े यह बातें आपसे ज़ाहिर हुईं, ठीक इसी तरह जब हमारे नबी अकरम हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा (ﷺ) तशरीफ़ लाए, उस वक़्त फ़साहत व बलाग़त नुक्तारसी और बुलंद ख़्याली बोलचाल में नज़ाकत व लताफ़त का ज़माना था, उस फ़न में बुलंद पाया शायरों ने वह कमाल हासिल कर लिया था कि दुनिया उनके क़दमों पर झुक पड़ी थी पस हुज़ूर (ﷺ) को किताबुल्लाह ऐसी अता फ़र्माई गई कि उन सबकी कौंदती हुई बिजलियाँ मांद पड़ गईं और कलामुल्लाह के नूर ने उन्हें नीचा दिखाया और यक़ीने कामिल हो गया कि यह इंसानी कलाम नहीं, तमाम दुनिया से कह दिया गया

और जता जताकर बता बताकर सुना-सुनाकर मुनादी करके बार-बार ए'लान देकर कहा गया कि है कोई जो इस जैसा कलाम कर सके? अकेले-अकेले नहीं सब मिल जाओ और इंसान ही नहीं, जिन्नात को भी अपने साथ शामिल कर लो, फिर सारे कुरआन के बराबर भी नहीं सिर्फ़ दस सूरतों के बराबर ही सही और अच्छा यह भी न सही एक ही सूरत इसके मिस्ल तो बनाकर लाओ लेकिन सबकी कमरें टूट गईं, हिम्मतें पस्त हो गईं, गले ख़ुश्क हो गए, ज़ुबान गुँग हो गई और आज तक सारी दुनिया से न बन पड़ा और न कभी हो सकेगा, भला कहाँ अल्लाह तआला का कलाम और कहाँ मख़्लूक़ का?

पस उस ज़माने के ए'तिबार से उस मु'जिज़े ने अपना असर किया और मुख़ालिफ़ीन को हथियार डालते ही बन पड़ी और जोक़ दर जोक़ इस्लामी हल्क़े मे बढ़ते गए, फिर हज़रत मसीह (عليه السلام) का और मु'जिज़ा बयान हो रहा है कि आपने फ़र्माया भी और करके दिखाया भी कि जो कोई तुममें से आज अपने घर में जो कुछ खाकर आया हो मैं उसे भी अल्लाह तआला के बताए से बता दूँगा, यही नहीं बल्कि कल के लिए भी उसने जो तैयारी की होगी मुझे अल्लाह तआला के मा'लूम कराने से मा'लूम रहता है, यह सब मेरी सच्चाई की दलील है कि मैं जो ता'लीम तुम्हें दे रहा हूँ वह बरहक़ है, हाँ! अगर तुममें ईमान ही नहीं तो फिर क्या मैं अपने से पहली किताब तौरात को भी मानने वाला, उसकी सच्चाई का दुनिया में ए'लान करने वाला हूँ, मैं तुम पर कुछ वह चीज़ें हलाल करने आया हूँ जो मुझसे पहले तुम पर हराम की गई हैं।

इससे साबित हुआ कि हज़रत ईसा (عليه السلام) ने तौरात के कुछ अहकाम मंसूख़ किए हैं गो उसके ख़िलाफ़ भी मुफ़स्सिरीन का ख़्याल है लेकिन दुरुस्त बात यही है।

कुछ हज़रात फ़र्माते हैं कि तौरात का कोई हुक्म आपने मंसूख़ नहीं किया, अल्बत्ता कुछ हलाल चीज़ों में जो इख़्तिलाफ़ था और बढ़ते-बढ़ते गोया उनकी हुर्मत पर इज्माअ हो चुका था, हज़रत ईसा (عليه السلام) ने उनकी हक़ीक़त बयान कर दी और उनके हलाल होने पर मुहर लगा दी, जैसे कुरआन हकीम ने और जगह फ़र्माया (وَلِأُبَيِّنَ لَكُم بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ) (43/ज़ुख़रुफ़ : 63) मैं तुम्हारे कुछ आपस के इख़्तिलाफ़ में साफ़ फ़ैसला कर दूँगा, वल्लाहु आ'लम! फिर फ़र्माया कि मेरे पास अपनी सच्चाई की रब्बानी दलीलें मौजूद हैं तुम अल्लाह तआला से डरो और मेरा कहा मानो जिसका ख़ुलासा सिर्फ़ इस क़द्र है कि उसे पूजो जो मेरा और तुम्हारा पालनहार है, सीधी और सच्ची राह तो सिर्फ़ यही है।

***

فَلَمَّآ اَحَسَّ عِيْسٰى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ اَنْصَارِىْٓ اِلَى اللّٰهِ ؕ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ
نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ ۚ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ ۚ وَاشْهَدْ بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ ﴿۵۲﴾ رَبَّنَآ اٰمَنَّا بِمَآ اَنْزَلْتَ
وَاتَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ ﴿۵۳﴾ وَمَكَرُوْا وَمَكَرَ اللّٰهُ ؕ وَاللّٰهُ خَيْرُ
الْمٰكِرِيْنَ ﴿۵۴﴾

तर्जुमा : "पस जब (हज़रत) ईसा (عليه السلام) ने उनका कुफ़्र मा'लूम कर लिया तो कहने लगे, अल्लाह की राह में मेरी मदद करने वाला कौन कौन है? हवारियों ने जवाब दिया कि हम अल्लाह की राह में मददगार हैं, हम अल्लाह पर ईमान लाए और आप गवाह रहिए कि हम ताबे'दार हैं। (52) ऐ हमारे पालने वाले! अल्लाह हम तेरी उतारी हुई वही पर ईमान लाए और हमने तेरे रसूल की मान ली पस तू हमें गवाहों मे लिख ले। (53) और काफ़िरों ने मकर किया और अल्लाह ने भी और अल्लाह तआला सब दाव करने वालों से बेहतर है।" (54)

हज़रत ईसा (عليه السلام) के हवारी और हज़रत मुहम्मद (ﷺ) के हवारी अंसार (رضي الله عنهم) (आयत 52-54) : या'नी जब हज़रत ईसा (عليه السلام) ने उनकी ज़िद और हठधर्मी को देख लिया कि अपनी गुमराही कज रवी और कुफ़्र व इंकार से यह हटते ही नहीं तो फ़र्माने लगे कि कोई ऐसा भी है जो मेरी ताबे'दारी करे, अल्लाह की तरफ़ पहुँचने के लिए। (इब्ने अबी हातिम : 3/290) और यह मतलब भी बयान किया गया है कि कोई है जो अल्लाह तआला के साथ मेरा मददगार बने लेकिन पहला क़ौल ज़्यादा क़रीब है बज़ाहिर यह मा'लूम होता है कि आपने फ़र्माया, अल्लाह तआला की तरफ़ पुकारने में मेरा हाथ बटाने वाला कौन है? जैसे कि अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मद (ﷺ) भी मक्का मुकर्रमा से हिज्रत करने से पहले मौसमे हज्ज के मौक़े पर फ़र्माया करते थे कि "कोई है जो मुझे अल्लाह तआला का कलाम पहुँचाने के लिए जगह दे? क़ुरैश तो कलामुल्लाह की तब्लीग़ से मुझे रोक रहे हैं?" (अहमद : 3/339; वसनदुहू हसन) यहाँ तक कि मदीना शरीफ़ के बाशिन्दे अंसार-किराम (رضي الله عنهم) इस ख़िदमत के लिए कमरबस्ता हुए, आपको जगह भी दी, आपकी मदद भी की और जब आप उनके यहाँ तशरीफ़ ले गए तो पूरी ख़ैरख़्वाही और बेनज़ीर हमदर्दी की, सारी दुनिया के मुक़ाबले में अपना सीना सपर कर दिया और हुज़ूर (ﷺ) की हिफ़ाज़त ख़ैरख़्वाही और आपके मक़ासिद की कामयाबी में हमातन मसरूफ़ हो गए, रज़ियल्लाहु अन्हुम व अरज़ाहुम!

इसी तरह हज़रत ईसा (عليه السلام) की इस आवाज़ पर भी चंद बनी इस्राईल ने लब्बैक कहा, आप पर

ईमान लाए, आपकी ताईद की, तस्दीक़ की और पूरी मदद पहुँचाई और उस नूर की इत़ाअत में लग गए जो अल्लाह तआ़ला ने उनके साथ उतारा था या'नी इंजील यह लोग धोबी थे और ह़वारी उन्हें उनके कपड़ों की सफ़ेदी की वजह से कहा गया है, कुछ कहते हैं कि यह शिकारी थे। स़ह़ीह़ यह है कि ह़वारी कहते हैं, मददगार को। जैसे बुख़ारी व मुस्लिम की ह़दीस में है कि जंगे-ख़ंदक़ के मौक़े पर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, "है कोई जो सीना सपर हो जाए?" इस आवाज़ को सुनते ही ह़ज़रत ज़ुबेर (رضي الله عنه) तैयार हो गए, आपने दोबारा यही फ़र्माया, फिर भी ह़ज़रत ज़ुबेर (رضي الله عنه) ने ही क़दम उठाया, पस हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, "हर नबी के ह़वारी होते हैं और मेरे ह़वारी ह़ज़रत ज़ुबेर (رضي الله عنه) हैं।" (स़ह़ीह़ बुख़ारी, किताबुल जिहाद, बाब हल यब्असुत्तलीअ़त वह़दहू : 2847; स़ह़ीह़ मुस्लिम : 2415; तिर्मिज़ी : 3745) फिर यह लोग अपनी दुआ में कहते हैं कि हमें शाहिदों में लिख ले, इससे मुराद ह़ज़रत इब्ने अ़ब्बास (رضي الله عنه) के नज़दीक उम्मते मुह़म्मदिया में लिख लेना है, इस तफ़्सीर की रिवायत सनदन बहुत उ़म्दा है।

फिर बनी इस्राईल के उस नापाक गिरोह का ज़िक्र हो रहा है जो ह़ज़रत ईसा (عليه السلام) के जानी दुश्मन थे, उन्हें मरवा देने और सूली देने का क़स्द रखते थे, जिन्होंने उस ज़माने के बादशाह के कान ह़ज़रत ईसा (عليه السلام) की त़रफ़ से भरे थे कि यह शख़्स लोगों को बहकाता फिरता है, मुल्क में बग़ावत कर रहा है और रिआ़या को बिगाड़ रहा है, बाप बेटों में फ़साद बरपा कर रहा है, बल्कि अपनी ख़बासत ख़यानत किज़्ब व दरोग़ में यहाँ तक बढ़ गए कि आपको ज़ानिया का बेटा कहा और बड़े-बड़े बोहतान आप पर बाँधे यहाँ तक कि बादशाह भी दुश्मने जान बन गया और अपनी फ़ौज को भेजा कि उसे गिरफ़्तार करके सख़्त सज़ा के साथ फांसी दे दो, फ़ौज यहाँ से जाती है और जिस घर में आप थे, उसे चारों त़रफ़ से घेर लेती है नाकाबन्दी करके फिर घर में घुसते हैं लेकिन अल्लाह तआ़ला आपको उन मक्कारों के हाथ से स़ाफ़ बचा लेता है और उस घर के रोज़न (रोशनदान) से आपको आसमान की त़रफ़ उठा लेता है और आपकी शबाहत एक और शख़्स पर डाल दी जाती है जो उसी घर में था, यह लोग रात के अंधेरे में उसको ईसा समझ लेते हैं, गिरफ़्तार करके ले जाते हैं, सख़्त तौहीन करते हैं और सर पर काँटों का ताज रखकर उसे स़लीब पर चढ़ा देते हैं, यही उनके साथ अल्लाह तआ़ला का मकर था कि वह अपने नज़दीक यह समझते रहे कि हमने अल्लाह तआ़ला के नबी को फांसी पर लटका दिया ह़ालाँकि अल्लाह तआ़ला ने अपने नबी को तो नजात दे दी थी, उस बदबख़्ती और बदनिय्यती का समरा उन्हें यह मिला कि उनके दिल हमेशा के लिए सख़्त हो गए, बात़िल पर अड़ गए और दुनिया में ज़लीलो ख़्वार हो गए और आख़िर दुनिया तक उस ज़िल्लत में ही पड़े रहेंगे। इसी का बयान इस आयत में है कि अगर उन्हें मकर आते हैं तो क्या हम नहीं जानते, हम तो बेहतर मकर करने वाले हैं।

***

إِذْ قَالَ اللَّهُ يٰعِيسَىٰٓ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا
وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوٓا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ۖ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ
فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٥٥﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا
شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۖ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ ﴿٥٦﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا
الصّٰلِحٰتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِينَ ﴿٥٧﴾ ذٰلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ
الْاٰيٰتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ ﴿٥٨﴾

तर्जुमा : "जब अल्लाह तआला ने फ़र्माया कि ऐ ईसा (عليه السلام)! मैं तुझे पूरा लेने वाला हूँ और तुझे अपनी जानिब उठाने वाला हूँ और तुझे काफ़िरों से पाक करने वाला हूँ और तेरे ताबे'दारों को काफ़िरों के ऊपर रखने वाला हूँ, क़यामत के दिन तक, फिर तुम सबका लौटना मेरी ही तरफ़ है, मैं ही तुम्हारे आपस के तमामतर इख़्तिलाफ़ का फ़ैसला कर दूँगा। (55) पस काफ़िरों को तो मैं दुनिया और आख़िरत में सख़्ततर अ़ज़ाब दूँगा और उनका कोई मददगार न होगा। (56) लेकिन ईमानवालों और नेक आ'माल करने वालों को अल्लाह तआला उनका सवाब पूरा-पूरा देगा, अल्लाह तआला ज़ालिमों से मुहब्बत नहीं करता। (57) यह जिसे हम तेरे सामने पढ़ रहे हैं, आयात हैं और हिक्मत वाली नसीहत है।" (58)

हज़रत ईसा (अ) का आसमानों पर उठाया जाना (आयत 55-58) : क़तादा (रह.) वग़ैरह कुछ मुफ़स्सिरीन तो फ़र्माते हैं मतलब यह है कि मैं तुझे अपनी तरफ़ उठा लूँगा फिर उसके बाद तुझे फ़ौत करूँगा। इब्ने अ़ब्बास (رضي الله عنه) फ़र्माते हैं या'नी मैं तुझे मारने वाला हूँ। वहब बिन मुनब्बह (रह.) फ़र्माते हैं कि अल्लाह तआला ने आपको उठाते वक़्त शुरू दिन में तीन साअ़त (कुछ समय) तक फ़ौत कर दिया था। इब्ने इस्हाक़ कहते हैं कि नसारा का ख़्याल है कि अल्लाह तआला ने आपको सात साअ़त तक फ़ौत रखा, फिर ज़िन्दा किया, वहब फ़र्माते हैं कि तीन दिन तक मौत रही, फिर ज़िन्दा करके उठा लिया, मतरूक़ फ़र्माते हैं या'नी मैं तुझे दुनिया में पूरा-पूरा देने वाला हूँ। यहाँ वफ़ात से मौत मुराद नहीं। इसी तरह इब्ने जरीर फ़र्माते हैं (तवफ़्फ़ा) से यहाँ मुराद उनका रफ़अ़ है और अकसर मुफ़स्सिरीन का क़ौल है कि वफ़ात से मुराद यहाँ नींद है। जैसे और

जगह कुरआन ह़कीम में है (وَهُوَ الَّذِىْ يَتَوَفّٰكُمْ بِالَّيْلِ...) (6/अन्आम : 60) "वह अल्लाह जो तुमको रात को फ़ौत कर देता है" या'नी सुला देता है और जगह है (اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِىْ لَمْ ...) (تَمُتْ فِىْ مَنَامِهَا) (39/जुमर : 42) या'नी "अल्लाह तआ़ला जानों को फ़ौत करता है उनकी मौत के वक़्त और जो नहीं मरते उन्हें उनकी नींद के वक़्त।" रसूलुल्लाह (ﷺ) जब नींद से बेदार होते तो फ़र्माते (اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ....)"अल्लाह का शुक्र है कि जिसने हमें मार डालने के बाद फिर ज़िन्दा किया।" (स़ह़ीह़ बुख़ारी, किताबुद्दा'वात, बाब वज़इल यदि अ़ललख़द्दिल युम्ना : 6314; स़ह़ीह़ मुस्लिम : 2711; अबूदाऊद : 5049; तिर्मिज़ी : 3417; अ़मलल यौम वल्लैलति लिन्नसाई : 747; इब्ने माजा : 3880) और जगह फ़र्माने बारी है (व बि कुफ़्रिहिम...) से (शहीदन) तक पढ़ो। जहाँ फ़र्माया गया है "इनके कुफ़्र की वजह से और ह़ज़रत मरयम (عليها السلام) पर बोहताने अ़ज़ीम बाँध लेने की बिना पर और इस बाइस कि वह कहते हैं कि हमने मसीह़ ईसा बिन मरयम रसूलुल्लाह को क़त्ल कर दिया ह़ालाँकि न क़त्ल किया है और न स़लीब दी है लेकिन उनके लिए शुबा डाल दिया गया।" (मौतिही) की ज़मीर का मरजअ़ ह़ज़रत ईसा (عليه السلام) हैं या'नी तमाम अहले किताब ह़ज़रत ईसा (عليه السلام) पर ईमान लायेंगे जबकि वह क़यामत से पहले ज़मीन पर उतरेंगे, इसका तफ़्सीली बयान अ़न्क़रीब आ रहा है, इंशाअल्लाह तआ़ला। पस उस वक़्त तमाम अहले किताब उन पर ईमान लायेंगे क्योकि न वह जिज़्या लेंगे, न सिवाए इस्लाम के और कोई बात क़बूल करेंगे। इब्ने अबी ह़ातिम में ह़ज़रत ह़सन से (اِنِّىْ مُتَوَفِّيْكَ) की तफ़्सीर यह मरवी है कि उन पर नींद डाली गई और नींद की ह़ालत में ही अल्लाह तआ़ला ने उन्हें उठा लिया। ह़ज़रत ह़सन (रह़.) फ़र्माते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने यहूदियों से फ़र्माया कि ह़ज़रत ईसा (عليه السلام) मरे नहीं, वह तुम्हारी त़रफ़ क़यामत से पहले लौटने वाले हैं।" (त़ब्री : 7129; यह रिवायत मुर्सल है और इसमें अ़ब्दुल्लाह बिन अबी जा'फ़र नाक़ाबिल एह़तिजाज और इसके वालिद सय्येउल ह़िफ़्ज़ हैं (अल्मीज़ान / 404, रक़म : 4252; 3/320; रक़म : 6595) लिहाज़ा यह रिवायत ज़ईफ़ है।)

फिर फ़र्माता है मैं तुझे अपनी त़रफ़ उठाकर काफ़िरों से पाक करने वाला हूँ और तेरे ताबे'दारों को काफ़िरों पर ग़ालिब करने वाला हूँ, क़यामत तक चुनाँचे ऐसा ही हुआ, जब अल्लाह तआ़ला ने ह़ज़रत ईसा (عليه السلام) को आसमान पर चढ़ा लिया तो उनके बाद उनके साथियों के कई फ़रीक़ हो गए, एक फ़िर्क़ा तो आपकी बिअ़सत पर ईमान रखने वाला था कि आप अल्लाह के बन्दे और उसके रसूल हैं और उसकी एक बंदी के लड़के हैं। कुछ वह थे जिन्होंने गुलू से काम लिया और बढ़ गए और आपको अल्लाह का बेटा कहने लगे औरों ने आपको अल्लाह कहा, दूसरों ने तीन में का एक आपको बतलाया, अल्लाह तआ़ला उनके अ़क़ाइद का ज़िक्र कुरआन मजीद में फ़र्माता है फिर उनकी तर्दीद भी कर दी है, तीन सौ साल तक तो यह उसी त़रह़ रहे फिर यूनान के बादशाहों में से एक बादशाह जो बड़ा फ़ीलसूफ़ था जिसका नाम कुस्तुन्तीन था, कहा जाता है कि सिर्फ़ इस दीन को बिगाड़ने के लिए मुनाफ़िक़ाना अंदाज़ ह़ीलाजूई के वह इस दीन में दाख़िल हुआ या जिहालत से दाख़िल हुआ, बहर सूरत उसने दीने मसीह़ को बिलकुल बदल डाला और बड़ी तह़रीफ़ और तग़य्युर की और कमी ज़्यादती भी इस दीन में कर डाली, बहुत से क़ानून ईजाद किए और

अमानते कुब्रा भी उसी की ईजाद है जो दरअसल कमीनापन की ख़यानत है, उसी ने अपने ज़माने में सूअर को हलाल किया, उसी के हुक्म से ईसाई मश्रिक़ की तरफ़ नमाज़ें पढ़ने लगे, उसी ने गिरजाओं और कलीसाओं में इबादतख़ानों और ख़ानक़ाहों में तस्वीरें बनवाईं और अपने एक गुनाह के सबब दस रोज़े रोज़ों में बढ़वा दिए, ग़र्ज़ उसके ज़माने से दीने मसीह मसीही दीन न रहा बल्कि दीने क़ुस्तुन्तीन हो गया, उसने ज़ाहिरी रौनक़ तो ख़ूब दी, बारह हज़ार से ज़ाइद तो इबादतगाहें बनवा दीं और एक शहर अपने नाम से बसाया। मुलैका गिरोह ने उसकी तमाम बातें मान लीं। लेकिन बावजूद इस सब स्याहकारियों के यहूदी उनके हाथ तले रहे और दरअसल निस्बतन हक़ से ज़्यादा क़रीब यही थे, गो फ़िल वाक़ेअ सारे के सारे कुफ़्फ़ार थे अल्लाह की उन पर फटकार हो।

अब जबकि हमारे हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा (ﷺ) को अल्लाह तआला ने अपना बरगुज़ीदा रसूल बनाकर दुनिया में भेजा तो आप पर जो लोग ईमान लाए, उनका ईमान अल्लाह की ज़ात पर भी था, उसके फ़रिश्तों पर भी था, उसकी किताबों पर भी था और उसके तमाम रसूलों पर भी था, पस हक़ीक़त में नबियों के सच्चे ताबेअ़े फ़र्मान यही लोग थे, या'नी उम्मते मुहम्मद, इसलिए कि यह नबी उम्मी अ़रबी ख़ातिमुर्रुसुल सय्यदे औलादे आदम के मानने वाले थे और हुज़ूर (ﷺ) की ता'लीम तमाम हक़्क़ानियत को सच्चा मानने के लिए थी। पस दरअसल हर नबी के सच्चे ताबे'दार सहीह मा'नी में उम्मती कहलाने के मुस्तहिक़ यही थे क्योंकि इन लोगों ने जो अपने तईं ईसा (عليه السلام) की उम्मत कहते थे, दीने ईस्वी को बिलकुल मस्ख़ और फ़स्ख़ कर दिया था।

इसके अ़लावा पैग़म्बर आख़िरुज़्ज़माँ (ﷺ) का दीन भी और तमाम अगली शरीअ़तों का नासिख़ था, फिर महफ़ूज़ रहने वाला था जिसका एक शोशा भी क़यामत तक बदलने का नहीं, इसलिए इस आयत के वा'दे के मुताबिक़ अल्लाह तआ़ला ने काफ़िरों पर इस उम्मत को ग़ल्बा दिया और यह मश्रिक़ से लेकर मग़्रिब तक छा गए, मुल्कों को अपने पैरों तले रौंद दिया और बड़े बड़े जाबिर और कट्टे काफ़िरों की गर्दनें मरोड़ दीं, दौलतें उनके पैरों में आ गईं। फ़तह व ग़नीमत उनकी रकाबें चूमने लगी, मुद्दतों की पुरानी सल्तनतों के तख़्ते उन्होंने उलट दिए, किसरा की अ़ज़ीमुश्शान पुरशान सल्तनत उनके भड़कते हुए आतिशकदे उनके हाथों वीरान और सर्द हुए, क़ैसर का ताजो-तख़्त उन अल्लाह वालों ने ताख़्त व ताराज किया और उन्हें मसीह परस्ती का ख़ूब मज़ा चखाया और उनके ख़ज़ानों को अल्लाह वाहिद की रज़ामन्दी में और उसके सच्चे नबी (ﷺ) (सहीह बुख़ारी, किताब फ़र्ज़ुल ख़म्स, बाब क़ौलुन्नबी (उहिल्लत लकुमुल ग़नाइम) : 3120, 3121; सहीह मुस्लिम : 2918) के दीन की इशाअ़त में दिल खोलकर ख़र्च किया और अल्लाह तआ़ला के लिखे और नबी (ﷺ) के वा'दे चढ़े हुए सूरज की और चौदहवीं के रोशन चाँद की तरह सच्चे होते हुए लोगों ने देख लिए। मसीह (عليه السلام) के नाम को बदनाम करने वाले मसीह के नाम से शैतानों को पूजने वाले उन पाकबाज़ अल्लाह परस्तों के हाथों मजबूर होकर शाम के लहलहाते हुए बाग़ात और आबाद शहरों को उनके हवाले करके बेपनाह भागते हुए रूम (तुर्की) में जा बसे, फिर वहाँ से भी यह बेइज़्ज़त करके निकाले गए और अपने बादशाह के

ख़ास शहर कुस्तुन्तुनिया में पहुँचे लेकिन फिर वहाँ से भी ज़लीलो ख़ार करके निकाल दिए गए और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़! इस्लाम और अहले इस्लाम क़यामत तक इनके ऊपर ही रहेंगे। सब सच्चों के सरदार जिनकी सच्चाई पर अल्लाह की मुहर लग चुकी है, या'नी आँहज़रत (ﷺ) ख़बर दे चुके हैं जो अटल है, न काटे कटे, न तोड़े टूटे, न टाले टले। फ़र्माते हैं कि आपकी उम्मत का आख़िरी गिरोह कुस्तुन्तुनिया को फ़तह करेगा और वहाँ के तमाम ख़ज़ाने अपने क़ब्ज़े में ले लेगा और रूमियों से उनकी वह घमसान लड़ाई होगी कि उसकी नज़ीर से दुनिया ख़ाली हो। (सहीह मुस्लिम, किताबुल फ़ितन, बाब फ़ी फ़तहे कुस्तुन्तुनिया.. : 2897) (हमारी दुआ है कि हर ज़माने में अल्लाह इस उम्मत का हामी व नासिर रहे और रूए ज़मीन के कुफ़्फ़ार पर इन्हें ग़ालिब रखे और इन्हें समझ दे कि न यह अल्लाह के सिवा किसी की इबादत करें, न मुहम्मद (ﷺ) के सिवा किसी की इताअत करें, यही असल है इस्लाम की और यही गुर है उरूजे दुनिया का, मैंने इस सबको एक अलग किताब में जमा कर दिया है।

आगे अल्लाह के क़ौल पर नज़र डालिए कि मसीह ईसा (عليه السلام) के साथ कुफ़्र करने वाले यहूद ओर आपकी शान में बढ़ी-चढ़ी बातें बनाकर बहकने वाले नसरानियों को क़त्ल व क़ैद की माल और सल्तनत के तबाह हो जाने की सज़ा दी और आख़िरत का अज़ाब वहीं देख लेना, जहाँ न कोई बचा सके, न मदद कर सके और इनके बरख़िलाफ़ ईमानदारों को पूरा अज्र अल्लाह तआला अता फ़र्माएगा, दुनिया में भी फ़तह और नुसरत, इज़्ज़त व हुर्मत अता होगी और उक़्बा में भी ख़ास रहमतें और ने'मतें मिलेंगी। अल्लाह तआला ज़ालिमों को नापसंद करता है।

फिर फ़र्माया, ऐ नबी (ﷺ)! यह भी हक़ीक़त है कि हज़रत ईसा (عليه السلام) की और उनकी इब्तिद-ए-पैदाइश की और उनके अम्र की जो अल्लाह तआला ने लोहे महफ़ूज़ से आपकी तरफ़ बज़रिया अपनी ख़ास वही के उतार दी जिसमें कोई शक व शुबा नहीं। जैसे सूरह मरयम में फ़र्माया, ईसा बिन मरयम यही हैं यही सच्ची हक़ीक़त है जिसमें तुम शक व शुबा में पड़े हो, अल्लाह को तो लायक़ ही नहीं कि उसकी औलाद हो, वह इससे बिलकुल पाक है, वह जो करना चाहे कह देता है हो जा बस वह हो जाता है अब यहाँ भी इसके बाद बयान हो रहा है।

***

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ ۖ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ
﴿٥٩﴾ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُن مِّنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿٦٠﴾ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا
جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ
وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ ﴿٦١﴾ إِنَّ هَٰذَا
لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ ۚ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٦٢﴾ فَإِن
تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ ﴿٦٣﴾

तर्जुमा : ''अल्लाह के नज़दीक ईसा (عليه السلام) की मिसाल हू ब हू आदम (عليه السلام) की मिसाल है जिसे मिट्टी से पैदा करके कह दिया कि हो जा, पस वह हो गया। (59) तेरे रब की तरफ़ से हक़ यही है, ख़बरदार! शक करने वालों में न होना। (60) पस जो शख़्स तेरे पास इस इल्म के आ जाने के बाद भी तुझसे इसमें झगड़े तो तू कह दे कि आओ हम तुम अपने-अपने फ़रज़न्दों को और हम तुम अपनी अपनी औरतों को और हम तुम ख़ास अपनी अपनी जानों को बुला लें फिर हम बहज़ारी इल्तिजा करें और झूठों पर अल्लाह की ला'नत डालें। (61) यक़ीनन सिर्फ़ यही सच्चा बयान है और कोई मा'बूद नहीं, बजुज़ अल्लाह के और बेशक ग़ालिब और हिक्मत वाला अल्लाह तआला ही है। (62) फिर भी अगर क़बूल न करें तो अल्लाह तआला भी सहीह तौर पर फ़सादियों को जानने वाला है।'' (63)

ईसाइयों को दा'वते मुबाहिला और उनका इंकार (आयत 59-63) : हज़रत बारी जल्ल इस्मुहू व अला क़दरिही अपनी क़ुदरते कामिला का बयान फ़र्मा रहा है कि हज़रत ईसा (عليه السلام) का तो सिर्फ़ बाप न था और मैंने उन्हें पैदा कर दिया तो क्या अचम्भा है? मैंने हज़रत आदम (عليه السلام) को तो उनसे पहले पैदा किया था हालाँकि उनका भी बाप न था बल्कि माँ भी न थी। मिट्टी से पुतला बनाया और कहा, ऐ आदम! हो जा, उसी वक़्त हो गए, फिर मुझ पर सिर्फ़ माँ से पैदा करना क्या मुश्किल? जबकि बग़ैर माँ और बाप के भी मैंने पैदा कर दिया पस अगर सिर्फ़ बाप न होने की वजह से हज़रत ईसा (عليه السلام) अल्लाह तआला का बेटा कहलाने के

मुस्तह़िक़ हो सकते तो ह़ज़रत आदम (ﷺ) बतरीक़े औला इसका इस्तिह़क़ाक़ रखते हैं और उन्हें ख़ुद तुम भी नहीं मानते फिर ह़ज़रत ईसा (ﷺ) को इस दर्जा से बतौरे औला हटाना चाहिए क्योंकि इब्नियत का दा'वा का बुत्लान और फ़साद यहाँ इससे भी ज़्यादा ज़ाहिर है यहाँ माँ तो है वहाँ तो न माँ थी, न बाप, यह सब कुछ अल्लाह तआला जल्ल जलालुहू की कामिल कुदरतों का ज़ुहूर है कि आदम (ﷺ) को बग़ैर मर्द व औरत के पैदा किया और ह़व्वा को सिर्फ़ मर्द से बग़ैर औरत के पैदा किया और ईसा (ﷺ) को सिर्फ़ औरत से बग़ैर मर्द के पैदा किया और बाक़ी मख़्लूक़ को मर्द व औरत से पैदा किया। इसीलिए सूरह मरयम में फ़र्माया (... وَلِنَجْعَلَهٗٓ اٰيَةً لِّلنَّاسِ) (19/मरयम : 21) हमने ईसा (ﷺ) को लोगों के लिए अपनी कुदरत का निशान बनाया और यहाँ फ़र्माया है कि ईसा (ﷺ) के बारे में रब्बानी सच्चा फ़ैसला यही है उसके सिवा और कुछ कमी ज़्यादती की गुंजाइश ही नहीं है क्योंकि ह़क़ के बाद गुमराही ही होती है पस तुझे ऐ नबी! हर्गिज़ शकी लोगों मे न होना चाहिए।

अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके बाद अपने नबी को हुक्म देता है कि अगर इस क़द्र वाज़ेह़ और कामिल बयान के बाद भी कोई शख़्स तुझसे अम्रे ईसा (ﷺ) के बारे में झगड़े तो उन्हें मुबाहिला की दा'वत दे कि हम फ़रीक़ैन साथ अपने बेटों और बीवियों के मुबाहिला के लिए निकलें और अल्लाह से आजिज़ी करें कि ऐ अल्लाह! हम दोनों में जो झूठा हो उस पर तू अपनी ला'नत नाज़िल फ़र्मा। इस मुबाहिला के नाज़िल होने का और इब्तिदा सूरत से यहाँ तक की इन तमाम आयतों के नाज़िल होने का सबब नजरान के नसारा का वफ़्द था, यह लोग यहाँ आकर हुज़ूर (ﷺ) से ह़ज़रत ईसा (ﷺ) के बारे में बातचीत कर रहे थे, इनका अक़ीदा था कि ह़ज़रत ईसा (ﷺ) अल्लाह तआला के ह़िस्सेदार और अल्लाह के बेटे हैं, पस उनकी तर्दीद और उनके जवाब में यह सब आयात नाज़िल हुईं। इब्ने इस्ह़ाक़ अपनी मशहूर आम सीरत में लिखते हैं और दूसरे मुअर्रिख़ीन ने भी अपनी किताबों में लिखा है कि नजरान के नसरानियों ने बतौर वफ़्द के हुज़ूर (ﷺ) की ख़िदमत में अपने साठ आदमी भेजे थे जिनमे चौदह शख़्स उनके सरदार थे जिनके नाम यह हैं, आक़िब जिसका नाम अब्दुल मसीह़ था। सय्यद जिसका नाम ईहम था, अबू ह़ारिसा इब्ने अल्क़मा जो बक्र बिन वाइल का भाई था और उवेस बिन ह़ारिस ज़ेद और क़ैस और यज़ीद और उसके दोनों लड़के और ख़ुवेलिद और अम्र और ख़लिद और अब्दुल्लाह और मुह़सिन यह सब चौदह सरदार थे लेकिन फिर इनमें बड़े सरदार तीन शख़्स आक़िब जो अमीरे क़ौम था और अक़्लमंद समझा जाता था और साह़िबे मश्वरा था और उसी की राय पर यह लोग मुत्मइन हो जाते थे और सय्यद जो इनका लाट पादरी था, और अबू ह़ारिसा जो मुदर्रिसे आ'ला था, यह बनू बक्र बिन वाइल के अरब क़बीले में से था लेकिन नसरानी बन गया था और रूमियों के यहाँ इसकी बड़ी आवभगत थी, इसके लिए उन्होंने बड़े-बड़े गिरजे बना दिऐ थे और इसके दीन की मज़बूती देखकर इसकी बहुत कुछ ख़ातिरदारी, मदारात और ख़िदमत व इ़ज़्ज़त करते रहते थे। (सीरत लि इब्ने हिशाम : 2/222; दलाइलुन् नुबुव्वा लिल बैहक़ी : 5/382, 383; यह रिवायत मुर्सल या'नी ज़ईफ़ है।) यह शख़्स हुज़ूर (ﷺ) की सिफ़त व शान से वाक़िफ़ था और अगली किताबों में आप (ﷺ) की सिफ़तें पढ़ चुका था, दिल से आपकी नबुव्वत का क़ाइल था लेकिन नसरानियों में जो इसकी तकरीम व ता'ज़ीम थी और वहाँ जो जाह व

मंसब इसे हासिल था, उसके छिन जाने के डर से राहे हक़ की तरफ़ नहीं आता था।

ग़र्ज़ यह वफ़्द मदीना में रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में मस्जिदे नबवी में हाज़िर हुआ। आप उस वक़्त असर की नमाज़ से फ़ारिग़ होकर बैठे ही थे, यह लोग नफ़ीस पोशाकें पहने हुए थे, ख़ूबसूरत नर्म चादरें ओढ़े हुए थे, ऐसा मा'लूम होता था, जैसे बनू हारिस बिन कअब के ख़ानदान के लोग हों। सहाबा (رضی اللہ عنہم) कहते हैं कि इनके बाद इन जैसा बा शौकत वफ़्द कोई नहीं आया, इनकी नमाज़ का वक़्त आ गया तो आपकी इजाज़त से उन्होंने मश्रिक़ की तरफ़ चेहरा करके मस्जिदे नबवी (ﷺ) में ही अपने तरीक़े पर नमाज़ अदा की। बाद नमाज़ के हुज़ूर (ﷺ) से इनकी बातचीत हुई, इधर से बोलने वाले यह तीन थे, अबू हारिसा बिन अल्क़मा, आक़िब या'नी अब्दुल मसीह और सय्यद या'नी ईहम, यह गो शाही मज़हब पर थे लेकिन कुछ उमूर में इख़्तिलाफ़ रखते थे। हज़रत मसीह (علیہ السلام) की निस्बत तीनों ख़्याल इनके थे या'नी वह ख़ुद अल्लाह है और अल्लाह का लड़का है और तीन में का तीसरा है। अल्लाह तआला इनके इस नापाक क़ौल से मुबर्रा है और बहुत ही बुलंद व बाला तक़रीबन तमाम नसारा का यही अक़ीदा है। मसीह (علیہ السلام) के अल्लाह होने की दलील तो उनके पास यह थी कि वह मुर्दों को ज़िन्दा कर देता था और अंधों और कोढ़ियों और बीमारों को शिफ़ा देता था ग़ैब की ख़बरें देता था और मिट्टी की चिड़िया बनाकर फूँक मारकर उड़ा दिया करता था और जवाब उसका यह है कि सारी बातें उससे अल्लाह तआला के हुक्म से सरज़द होती थीं इसलिए कि अल्लाह की निशानियाँ अल्लाह तआला की बातों के सच होने पर और हज़रत ईसा (علیہ السلام) की नबुव्वत पर क़ायम हो जाएँ। अल्लाह तआला का लड़का मानने वालों की हुज्जत यह थी कि उनका बज़ाहिर कोई बाप न था और गहवारे में ही बोलने लगे थे, यह बातें भी ऐसी हैं कि उनसे पहले देखने में ही नहीं आई थीं (इसका जवाब यह है कि यह भी अल्लाह तआला की कुदरत की निशानियाँ थीं ताकि लोग अल्लाह तआला को अस्बाब का महकूम और आदत का मुहताज न समझें वग़ैरह, मुतर्जिम) और तीन में का तीसरा इसलिए कहते थे कि उसने अपने कलाम में फ़र्माया है; हमने क्या हमारा अम्र, हमारी मख़्लूक़, हमने फ़ैसला किया वग़ैरह। पस अगर अल्लाह तआला अकेला ही होता तो यूँ न फ़र्माता बल्कि फ़र्माता, मैंने किया, मेरा अम्र मेरी मख़्लूक़, मैंने फ़ैसला किया वग़ैरह, पस साबित हुआ कि अल्लाह तीन हैं ख़ुद अल्लाह और ईसा और मरयम (जिसका जवाब यह है कि हम का लफ़्ज़ सिर्फ़ बड़ाई के लिए और अज़्मत के लिए है, मुतर्जिम) अल्लाह तआला इन ज़ालिमों मुंकिरों के क़ौल से पाक और बुलंद है, इनके तमाम अक़ाइद का बुत्लान कुरआन करीम में उतरा।

जब यह तीनों पादरी हुज़ूर (ﷺ) से बातचीत कर चुके तो आपने फ़र्माया, तुम मुसलमान हो जाओ, उन्होंने कहा, हम तो मानने वाले हैं ही, आपने फ़र्माया, नहीं! नहीं! नहीं! तुमको चाहिए कि इस्लाम क़बूल कर लो, वह कहने लगे, हम तो आपसे पहले से मुसलमान हैं। फ़र्माया, ''नहीं! तुम्हारा यह इस्लाम क़बूल नहीं, इसलिए कि तुम अल्लाह की औलाद मानते हो, सलीब की पूजा करते हो, ख़िंज़ीर खाते हो'' उन्होंने कहा, अच्छा! फिर यह तो फ़र्माईये कि हज़रत ईसा (علیہ السلام) का बाप कौन था? हुज़ूर (ﷺ) तो ख़ामोश रहे और सूरह आले इमरान की शुरू से लेकर इसी के ऊपर-ऊपर तक की आयात उनके जवाब में नाज़िल हुईं। इब्ने

इस्हाक़ इन सबकी मुख़्तसर सी तफ़्सीर बयान करके फिर लिखते हैं कि आपने यह सब तिलावत करके उन्हें समझा दीं। इस मुबाहिला की आयत को पढ़कर आपने फ़र्माया, अगर नहीं मानते तो आओ! मुबाहिला को निकलो, यह सुनकर वह कहने लगे, ऐ अबुल क़ासिम! हमें मुहलत दीजिए कि हम आपस में मश्वरा कर लें, फिर आपको इसका जवाब देंगे, अब तंहाई में बैठकर उन्होंने आक़िब से मश्वरा लिया जो बड़ा दाना और अक़्लमंद समझा जाता था, उसने अपना हत्मी फ़ैसला इन अल्फ़ाज़ में सुनाया कि ऐ जमाअ़ते नसारा! तुमने यक़ीन के साथ इतना तो मा'लूम कर लिया कि हज़रत मुहम्मद (ﷺ) अल्लाह तआ़ला के सच्चे रसूल हैं और यह भी तुम जानते हो कि हज़रत ईसा (عليه السلام) की हक़ीक़त वही है जो मुहम्मद (ﷺ) की ज़ुबानी तुम सुन चुके हो और तुमको अच्छी तरह इल्म है कि जो क़ौम नबी के साथ मुलाइना करती है, न उनके बड़े बाक़ी रहते हैं, न छोटे बड़े होते हैं बल्कि सबके सब जड़ बुनियाद से उखेड़कर फेंक दिए जाते हैं। याद रखो! अगर तुमने मुबाहिला के लिए क़दम बढ़ाया तो तुम्हारा सतियानाश हो जाएगा, पस या तो तुम इसी दीन को क़बूल कर लो और अगर किसी तरह मानना चाहते ही नहीं हो और अपने दीन पर और हज़रत ईसा (عليه السلام) के बारे में अपने ही ख़यालात पर क़ायम रहना चाहते हो तो आपसे सुलह कर लो और अपने वतन को लौट जाओ।

चुनाँचे यह लोग यह सलाह मश्वरा करके फिर हाज़िरे ख़िदमते नबवी हुए और कहने लगे, ऐ अबुल क़ासिम! हम आपसे मुबाहिला करने के लिए तैयार नहीं, आप अपने दीन पर रहिए और हम अपने ख़यालात पर हैं लेकिन आप हमारे साथ अपने सहाबियों मे से किसी ऐसे शख़्स को भेज दीजिए जिनसे आप ख़ुश हों कि वह हमारे माली झगड़ों का हममें फ़ैसला कर दें। आप लोग हमारी नज़रों में बहुत ही पसंदीदा हैं। आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया, "अच्छा! दोपहर को तुम फिर आना, मैं तुम्हारे साथ किसी मज़बूत अमानतदार को कर दूँगा।" हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (رضي الله عنه) फ़र्माते हैं मैंने किसी दिन भी सरदार बनने की ख़्वाहिश नहीं की सिवाए उस दिन के सिर्फ़ इस ख़याल से कि हुज़ूर (ﷺ) ने जो ता'रीफ़ की है उसका मिस्दाक़ अल्लाह तआ़ला के नज़दीक मैं बन जाऊँ, इसीलिए मैं उस रोज़ सवेरे-सवेरे ज़ुहर की नमाज़ के लिए चल पड़ा। हुज़ूर (ﷺ) तशरीफ़ लाए, नमाज़े ज़ुहर पढ़ाई फिर दायें बायें नज़रें दौड़ाने लगे, मैं बार-बार अपनी जगह ऊँचा हुआ करता था ताकि आपकी निगाहें मुझ पर पड़ें, आप बराबर बग़ौर देखते ही रहे यहाँ तक कि निगाहें हज़रत अबू उबेदह बिन जर्राह (رضي الله عنه) पर पड़ीं, उन्हें तलब फ़र्माया और कहा कि "इनके साथ जाओ और इनके इख़्तिलाफ़ात का फ़ैसला हक़ के साथ कर दो।" चुनाँचे हज़रत अबू उबेदह (رضي الله عنه) उनके साथ तशरीफ़ ले गए। (ज़ईफ़; शैख़ अल्बानी (रह.) ने फ़िक़्हुस्सीरत : पेज 439 में इसे मुर्सल या मुअ़ज़ल क़रार दिया है। मज़ीद देखिए दलाइलुन्नबुव्वति लिल बैहक़ी : 5/385, 392) इब्ने मर्दवे मे भी यह वाक़िया इसी तरह मंक़ूल है लेकिन वहाँ सरदारों की गिनती बारह की है और इस वाक़िया में भी क़द्रे तूल है और कुछ ज़ाइद बातें भी हैं। सहीह बुख़ारी शरीफ़ में बरिवायत हज़रत हुज़ेफ़ा (رضي الله عنه) मरवी है, नजरानी सरदार आक़िब और सय्यद मुलाइना के इरादे से हुज़ूर (ﷺ) के पास आए लेकिन एक ने दूसरे से कहा, यह न कर, अल्लाह की क़सम! अगर यह नबी हैं और हमने इनसे मुबाहिला किया तो हम अपनी औलादों समेत तबाह हो जाएँगे, चुनाँचे फिर दोनों ने मुत्तफ़िक़ होकर कहा, हज़रत! आप हमसे जो तलब फ़र्माते हैं हम वह सब अदा करेंगे। (या'नी जिज़्या देना क़बूल कर लिया) आप हमारे साथ

किसी अमीन शख़्स को कर दीजिए और अमीन ही को भेजना भी। आपने फ़र्माया, ''बेहतर मैं तुम्हारे साथ पूरे और कामिल अमीन को ही करूँगा।'' अस्हाबे रसूल (رضي الله عنهم) एक दूसरे को तकने लगे कि देखें, हुज़ूर (ﷺ) किसे मुंतख़ब करते हैं। आपने फ़र्माया, ऐ अबू उबेदह बिन जर्राह (رضي الله عنه)! तुम खड़े हो जाओ। जब यह खड़े हुए तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ''यह हैं इस उम्मत के अमीन।'' (सहीह बुख़ारी, किताबुल मग़ाज़ी, बाब क़िस्सतु अहले नजरान : 4380; अन इस्राईल; सहीह मुस्लिम : 2420; अन अनस; तिर्मिज़ी : 3796; इब्ने माजा : 135) सहीह बुख़ारी शरीफ़ की और हदीस में है कि ''हर उम्मत का अमीन होता है और इस उम्मत का अमीन अबू उबेदह बिन जर्राह (رضي الله عنه) है।'' (सहीह बुख़ारी, किताबुल मग़ाज़ी, बाब क़िस्सतु अहले नजरान : 4382; सहीह मुस्लिम : 2419) मुस्नद अहमद में हज़रत इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से मरवी है कि अबू जहल मल्ऊन ने कहा, अगर मैं मुहम्मद (ﷺ) को कअ़बा में नमाज़ पढ़ते देख लूँगा तो उसकी गर्दन कुचल दूँगा। फ़र्माते हैं कि आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ''अगर वह ऐसा करता तो सबके सब देखते कि फ़रिश्ते उसे दबोच लेते। और यहूदियों से जब क़ुरआन ने कहा था कि आओ! झूठों के लिए मौत मांगो अगर वह मांगते तो यक़ीनन सब के सब मर जाते और अपनी जगहें जहन्नम की आग मे देख लेते और जिन नसरानियों को मुबाहिला की दा'वत दी गई थी अगर वह हुज़ूर (ﷺ) के मुक़ाबले में मुबाहिला के लिए निकलते तो लौटकर अपने मालों को और अपने बाल बच्चो को न पाते'' सहीह बुख़ारी, तिर्मिज़ी, और नसाई में भी यह हदीस है। (अहमद : 1/248; सहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर, सूरह इक़्रा बिस्मि ..... : 4958; तिर्मिज़ी : 3345) इमाम तिर्मिज़ी (रह.) इसे हसन सहीह कहते हैं। इमाम बैहक़ी ने अपनी किताब दलाइलुन् नुबुव्वत में भी वफ़्दे नजरान के क़िस्से को मुतव्वल बयान किया है, हम इसे यहाँ नक़ल करते हैं क्योंकि उसमें बहुत से फ़वाइद हैं, गो उसमें ग़राबत भी है और इस मक़ाम से वह निहायत मुनासिबत रखता है। सलमा बिन अ़ब्दे यसूअ अपने दादा से रिवायत करते हैं जो पहले नसरानी थे। फिर मुसलमान हो गए कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सूरह ता सीन क़ुरआन में नाज़िल होने से पेशतर अहले नजरान को नामा-ए-मुबारक लिखा जिसकी इबारत यह थी (بسم الله ابراهيم واسحاق ويعقوب من محمد النبى رسول الله الى اسقف نجران واهل نجران اسلم انتم فانى احمد اليكم اله ابراهيم واسحاق ويعقوب۔ امام بعد فانى ادعوكم الى عبادة الله من عبادة العباد وادعوكم الى ولايته الله من ولايته العباد فان ابيتم فالجزيته فان ابيتم فقد اذنتكم بحرب والسلام) या'नी ''इस ख़त को मैं शुरू करता हूँ हज़रत इब्राहीम, हज़रत इस्हाक़, और हज़रत या'क़ूब (عليهم السلام) के रब के नाम से, यह ख़त है मुहम्मद (ﷺ) की तरफ़ से जो अल्लाह के नबी और रसूल हैं। सरदारे नजरान और अहले नजरान की तरफ़ अल्लाह तआ़ला की मैं तुम्हारे सामने हम्दो-सना बयान करता हूँ जो हज़रत इब्राहीम, हज़रत इस्हाक़ और हज़रत या'क़ूब (عليهم السلام) का मा'बूद है फिर मैं तुमको दा'वत देता हू कि बन्दों की इबादत को छोड़कर अल्लाह तआ़ला की इबादत की तरफ़ आ जाओ और बन्दों के वाली बनने को छोड़कर अल्लाह की विलायत की तरफ़ आ जाओ, अगर तुम उसे न मानो तो जिज़्या दो और मातहती इ ख़्तियार कर लो, अगर इससे भी इंकार हो तो तुमको लड़ाई का ए'लान है वस्सलाम।''

जब यह ख़त अस्क़फ़ को पहुँचा और उसने उसे पढ़ाया तो बड़ा सटपटाया, घबरा गया और थरथराने लगा, झट से शुरहबील बिन वदाआ को बुलवाया जो क़बीला हिम्दान का था, सबसे बड़ा मुशीरे सल्तनत यही था, जब कभी कोई अहम काम आ पड़ता तो सबसे पहले या'नी ईहम और सय्यद और आक़िब से भी पेशतर इससे मश्वरा होता जब यह आ गया तो अस्क़फ़ ने हुज़ूर (ﷺ) का ख़त उसे दिया, जब उसने पढ़ लिया तो अस्क़फ़ ने पूछा, बताओ क्या ख़्याल है? शुरहबील ने कहा, बादशाह को ख़ूब इल्म है कि हज़रत इस्माईल (عليه السلام) की औलाद में से अल्लाह के एक नबी के आने का वा'दा अल्लाह की किताब में है, क्या अजब कि वह नबी यही हो। अम्रे नबुव्वत में मैं क्या राय दे सकता हूँ, हाँ! अगर उमूरे सल्तनत की कोई बात होती तो बेशक मैं अपने दिमाग़ पर ज़ोर डालकर कोई बात निकाल लेता। अस्क़फ़ ने उसे अलग बिठाया और अबदुल्लाह बिन शुरहबील को बुलाया, यह भी मुशीरे सल्तनत था और हिम्यर के क़बीले में से था, उसे ख़त दिया पढ़ाया राय पूछी तो उसने भी ठीक वही बात कही जो पहला मुशीर कह चुका था। उसे भी बादशाह ने दूर बिठा दिया। फिर जब्बार बिन फ़ैज़ को बुलाया जो बनू हारिस मे से था। उसने भी यही कहा, जो उन दोनो ने कहा था, बादशाह ने जब देखा कि इन तीनों की राय मुत्तफ़िक़ है तो हुक्म दिया गया कि नाक़ूस बजाए जाएँ, आग जला दी जाए और गिरजों में झण्डे बुलंद किए जाएँ। वहाँ का यह दस्तूर था कि जब सल्तनत को कोई अहम काम होता और रात को जमा करना मक़्सूद होता तो यही करते और अगर दिन का वक़्त होता तो गिरजों मे आग जला दी जाती और नाक़ूस ज़ोर-ज़ोर से बजाए जाते, इस हुक्म के होते ही चारों तरफ़ आग जला दी गई और नाक़ूस की आवाज़ ने हर एक को होशियार कर दिया और झण्डे ऊँचे देखकर आसपास के उस वादी के तमाम लोग जमा हो गए, उस वादी का तूल इतना था कि तेज़ सवार सुबह से शाम तक दूसरे किनारे पहुँचता था, उसमें तेहत्तर गाँव आबाद थे और एक लाख बीस हज़ार तलवार चलाने वाले यहाँ आबाद थे। जब यह सब लोग आ गए तो अस्क़फ़ ने उन्हें रसूलुल्लाह (ﷺ) का नामाएमुबारक पढ़कर सुनाया और पूछा, बताओ तुम्हारी क्या राय है? तो तमाम अ़क़्लमंदों ने कहा कि शुरहबील बिन वदाआ हिम्दानी अब्दुल्लाह बिन शुरहबील अस्बही और जब्बार बिन फ़ैज़ हारसी को बतौर वफ़्द के भेजा जाए, वहाँ से पुख़्ता ख़बर लाएँ। अब यहाँ से यह वफ़्द उन तीनो की सरदारी के मातहत रवाना हुआ, मदीना पहुँचकर उन्हों ने सफ़री लिबास उतार डाला और नक़्श बने हुए रेशमी लम्बे लम्बे हुल्ले पहन लिए और सोने की अंगूठियाँ उँगलियों मे डाल लीं और अपनी चादरों के पल्ले थामे हुए रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुए, सलाम किया लेकिन आपने जवाब न दिया, बहुत देर तक इंतिज़ार किया कि हुज़ूर कुछ बातचीत करें लेकिन उन रेशमी हुल्लों और सोने की अंगूठियों की वजह से आपने उनसे कलाम भी नहीं किया, अब यह लोग हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ (رضي الله عنهما) की तलाश में निकले, इन दोनों बुज़ुर्गों से इनकी पहली मुलाक़ात थी, मुहाजिरीन व अंसार के एक मज्मअ़े में इन दोनों हज़रात को पा लिया, इनसे वाक़िया बयान किया कि तुम्हारे नबी (ﷺ) ने हमें ख़त लिखा, हम उसका जवाब देने के लिए ख़ुद हाज़िर हुए हैं। आपके पास गए, सलाम किया लेकिन जवाब न दिया फिर बहुत देर तक इंतिज़ार में बैठे रहे कि आप (ﷺ) से कुछ बातें हो जाएँ लेकिन आपने हमसे कोई बात न की, आख़िर हम लोग थककर चले आए,

अब आप हज़रात फ़र्मा दीजिए कि क्या हम यूँ ही वापिस चले जाएँ। उन दोनों ने हज़रत अली (رضي الله عنه) बिन अबू तालिब से कहा कि आप ही इन्हें जवाब दीजिए। हज़रत अली (رضي الله عنه) ने फ़र्माया, मेरा ख़्याल है कि यह लोग अपने यह हुल्ले और अपनी यह अंगूठियाँ उतार दें और वही सफ़री मा'मूली लिबास पहनकर हुज़ूर (ﷺ) की ख़िदमत में दोबारा जाएँ, चुनाँचे उन्होंने यही किया, उसी मा'मूली लिबास में गए, सलाम किया आपने जवाब दिया फिर फ़र्माया, ''उस अल्लाह की क़सम! जिसने मुझे हक़ के साथ भेजा है यह जब मेरे पास पहली मर्तबा आए थे तो इनके साथ इब्लीस था।''

अब सवाल व जवाब बातचीत शुरू हुई। हुज़ूर (ﷺ) भी पूछते थे और जवाब भी देते थे, इसी तरह वह भी साइल थे और मुजीब भी। आख़िर में उन्होंने पूछा, आप हज़रत ईसा (عليه السلام) की बाबत क्या फ़र्माते हैं ताकि हम अपनी क़ौम के पास जाकर वह कहें, हमें उसकी ख़ुशी है अगर आप नबी हैं तो आपकी ज़ुबानी सुनें कि आपका उनकी बाबत क्या ख़्याल है? तो आपने फ़र्माया, ''मेरे पास इसका जवाब आज तो नहीं तुम ठहरो तो मेरा रब मुझसे इसकी बाबत जो फ़र्माएगा वह मैं तुमको सुना दूँगा।'' दूसरे दिन वह फिर आए तो आपने उसी वक़्त की उतरी हुई इस आयत

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ○ اَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ○ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ۚ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ ○

की (काज़िबीन) तक तिलावत करके सुनाई। उन्होंने इस बात का इक़रार करने से इंकार कर दिया, दूसरे दिन सुबह ही सुबह रसूलुल्लाह (ﷺ) मुलाइना के लिए हज़रत हसन (رضي الله عنه) और हज़रत हुसेन (رضي الله عنه) को अपनी चादर में लिए हुए तशरीफ़ लाए, पीछे पीछे हज़रत फ़ातिमा (رضي الله عنها) आ रही थीं। उस वक़्त आप (ﷺ) की कई एक बीवियाँ थीं, शुरहबील यह देखते ही अपने दोनों साथियों से कहने लगा कि तुम जानते हो कि नजरान कीसारी वादी मेरी बात को मानती है और मेरी राय पर कारबंद होती है, सुनो अल्लाह की क़सम! यह मा'मला बड़ा भारी है, अगर यह शख़्स मब्ऊस किया गया है तो सबसे पहले इसकी निगाहों में हम ही मलऊन होंगे और सबसे पहले इसकी तर्दीद करने वाले हम ही ठहरेंगे। यह बात उसके और उसके साथियों के दिलों से नहीं जाएगी और हम पर कोई न कोई मुसीबत व आफ़त आएगी। अरब भर में सबसे ज़्यादा क़रीब उनसे मैं ही हूँ और सुनो! अगर यह शख़्स नबी मुर्सल है तो मुलाइना करते ही रूए ज़मीन पर एक बाल या एक नाख़ुन भी हमारा बाक़ी न रहेगा, उसके दोनों साथियों ने कहा, फिर ऐ अबू वलीम! आपकी क्या राय है? उसने कहा, मेरी राय यह है कि इसी को हम हाकिम बना दें जो कुछ यह हुक्म दे, हम उसे मंज़ूर कर लें, यह कभी भी ख़िलाफ़े अदल हुक्म न देगा, उन दोनों ने उसकी बात तस्लीम कर ली। अब शुरहबील ने हुज़ूर (ﷺ) से कहा कि मैं इस मुलाइना से बेहतर चीज़ जनाब के सामने पेश करता हूँ। आपने पूछा, वह क्या? कहा, आज का दिन आने

वाली रात और कल की सुबह तक आप हमारे बारे में जो हुक्म करेंगे, हमें मंज़ूर है। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, शायद और लोग तुम्हारे इस फ़ैसले को न मानें। शुरह्बील ने कहा, इसकी बाबत मेरे इन दोनों साथियों से दरयाफ़्त कर लीजिए। आपने उन दोनों से पूछा, उन्होंने जवाब दिया कि सारी वादी के लोग इन ही की राय पर चलते हैं। वहाँ एक भी ऐसा नहीं जो इनके फ़ैसले को टाल सके। पस हुज़ूर (ﷺ) ने यह दरख़्वास्त क़बूल कर ली, मुलाइना न किया और वापिस लौट गए, दूसरे दिन सुबह ही वह हाज़िरे ख़िदमत हुए तो आपने एक तहरीर उन्हें लिखकर दी जिसमें बिस्मिल्लाह के बाद यह मज़्मून था कि "यह तहरीर अल्लाह के नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह (ﷺ) की तरफ़ से नजरानियों के लिए है, उन पर अल्लाह तआला के रसूल का हुक्म जारी था, हर फल में और हर ज़र्द, सफ़ेद, वं स्याह में और हर गुलाम में लेकिन अल्लाह तआला के रसूल यह सब उन ही को देते हैं, यह हर साल सिर्फ़ दो हज़ार हुल्ले दे दिया करें एक हज़ार रजब में और एक हज़ार सफ़र में वग़ैरह वग़ैरह। (दलाइलुन् नुबुव्वा लिल बैहक़ी : 5/384, 392; वसनदुहू ज़ईफ़; मुहम्मद बिन अबी मुहम्मद मज्हूल है।)

पूरा अहदनामा उन्हें अता फ़र्माया, इससे मा'लूम होता है कि उनका यह वफ़्द सन 9 हिज्री में आया था, इसलिए कि हज़रत जुहरी फ़र्माते हैं कि सबसे पहले जिज़्या इन ही अहले नजरान ने हुज़ूर (ﷺ) को अदा किया और जिज़्या की आयत फ़तहे मक्का के बाद उतरी है जो यह है (قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ...) (9/तौबा : 29)

इस आयत में अहले किताब से जिज़्या लेने का हुक्म हुआ है। इब्ने मर्दवे में है कि आक़िब और तय्यब आँहज़रत (ﷺ) के पास आए, आपने उन्हें मुलाइना के लिए कहा और सुबह को हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा और हज़रत हसन और हज़रत हुसेन (رضي الله عنهم) को लिए हुए आप तशरीफ़ लाए और उन्हें कहला भेजा, उन्होंने क़बूल न किया और ख़िराज देना मंज़ूर कर लिया। आपने फ़र्माया, "उसकी क़सम जिसने मुझे हक़ के साथ भेजा अगर यह दोनों नहीं कहते तो इन पर यही वादी आग बरसाती।" हज़रत जाबिर (رضي الله عنه) फ़र्माते हैं (नदउ अब्नाअना) वाली आयत इन ही के बारे में नाज़िल हुई है (अन्फ़ुसना) से मुराद ख़ुद रसूले करीम (ﷺ) और हज़रत अली (رضي الله عنه) (अब्नाअना) से मुराद हसन और हुसेन (رضي الله عنهما) (निसाअना) से मुराद हज़रत फ़ातिमा (رضي الله عنها) है। (दलाइल लि अबी नईम : 244; इसकी सनद में बिश्र बिन मेहरान और मुहम्मद बिन दीनार ज़ईफ़ रावी हैं। अल्मीज़ान : 1/325; रक़म : 1224; 3/541; रक़म : 7504) मुस्तदरक हाकिम वग़ैरह में भी इस मा'नी की हदीस मरवी है। (हाकिम : 2/593, 594; वसनदुहू ज़ईफ़) फिर जनाब बारी तआला का इर्शाद है यह जो हमने शाने ईसा बयान फ़र्माई है हक़ और सच है, इसमें बाल बराबर कमी ज़्यादती नहीं, अल्लाह तआला क़ाबिले इबादत है, कोई और नहीं और वही ग़ल्बा वाला और हिक्मत वाला है, अब भी अगर यह चेहरा फेर लें और दूसरी बातों में पड़ें तो अल्लाह तआला भी ऐसे बातिलपसंदों को और मुफ़्सिदों को बख़ूबी जानता है, इन्हें बदतरीन सज़ा देगा, उसमें पूरी क़ुदरत है, कोई उससे न भाग सके, न उसका मुक़ाबला कर सके, वह पाक है और ता'रीफ़ों वाला है, हम उसके अज़ाबों से उसकी पनाह चाहते हैं।

قُلْ يَٰٓأَهْلَ الْكِتَٰبِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَآءٍۭ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِۦ شَيْـًٔا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿٦٤﴾

तर्जुमा : "कह दो कि अहले किताब! ऐसी इंसाफ़ वाली बात की तरफ़ आओ जो हममें तुममें बराबर है कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करें, न उसके साथ किसी को शरीक करें, न अल्लाह को छोड़कर आपस में एक दूसरे को ही रब बनाएँ पस अगर वह चेहरा फेर लें तो तुम कह दो कि गवाह रहो, हम तो मुसलमान हैं।" (64)

ईसाइयों को दा'वते तौहीद (आयत : 64) :यहूदियों और नसरानियों और उन ही जैसे लोगों से यहाँ ख़िताब हो रहा है। कलिमा का इत्लाक़ मुफ़ीद जुम्ले पर होता है, जैसे यहाँ कलिमा कहकर फिर (सवाइन) के साथ इसका वस्फ़ बयान किया गया (सवाइन) के मा'नी अदलो इंसाफ़ वाला जिसमें हम तुम बराबर हैं। फिर इसकी तफ़्सीर की कि वह बात यह है कि एक अल्लाह ही की इबादत करें और उसके साथ न किसी बुत को पूजें, न सलीब को, न तस्वीर को, न अल्लाह के सिवा किसी और को, न आग को, न किसी चीज़ को बल्कि तंहा अल्लह वहदुहू लाशरीक लहू की इबादत करो। यही दा'वत तमाम अम्बियाएकिराम की थी। जैसे फ़र्मान है (وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِىٓ إِلَيْهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَاعْبُدُونِ) (21/अम्बिया : 25) या'नी "तुझसे पहले जिस जिस रसूल को हमने भेजा सबकी तरफ़ यही वही की कि मेरे सिवा कोई इबादत के लायक़ नहीं , पस तुम सब मेरी ही इबादत किया करो।" और जगह इर्शाद है (وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِى كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّٰغُوتَ) (16/नह़ल : 36) या'नी "हर उम्मत में रसूल भेजकर हमने यह मुनादी करा दी कि अल्लाह की इबादत करो और उसके सिवा सबसे बचो।" फिर फ़र्माता है कि आपस में भी हम अल्लाह को छोड़कर एक दूसरे को रब न बना लें। इब्ने जुरेज (रह़.) फ़माते हैं या'नी अल्लाह की नाफ़र्मानी में एक दूसरे की इताअत न करें। इकरमा फ़र्माते हैं किसी को सिवाए अल्लाह के सज्दा न करें अगर यह लोग इस इंसाफ़ वाली दा'वत को भी क़बूल न करें तो इन्हें अपनी इताअत गुज़ारी पर गवाह बना लो, हमने बुख़ारी की शरह़ में इस वाक़िया का मुफ़स्सल बयान कर दिया है। जिसमें है कि अबू सुफ़ियान (رضي الله عنه) जब दरबारे क़ेसर में बुलवाए गए और शाहे क़ेसर रूम ने हुज़ूर (ﷺ) के नसब का हाल पूछा तो उन्हें बावजूद काफ़िर और दुश्मने रसूल होने के आपकी ख़ानदानी शराफ़त का इक़रार करना पड़ा और इसी तरह हर हर सवाल का साफ़ और सच्चा जवाब दिया, यह वाक़िया सुलह़ हुदेबिया के बाद का और फ़तह़े मक्का से पहले का है। इसी बाइस क़ेसर के इस सवाल के जवाब में कहा, क्या वह (या'नी रसूलुल्लाह (ﷺ)) बदअहदी करते हैं? अबू सुफ़ियान ने कहा, नहीं करते लेकिन अब एक मुआहिदा हमारा उनसे हुआ है, न जाने उसमें वह

क्या करें? यहाँ सिर्फ़ यह मक़्सद है कि इन तमाम बातों के बाद हुज़ूर (ﷺ) का नामा मुबारक पेश किया जाता है जिसमें बिस्मिल्लाह अल्ख़ के बाद यह लिखा होता है कि यह ख़त मुहम्मद (ﷺ) की तरफ़ से है जो अल्लाह के रसूल हैं, हिरक़्ल की तरफ़ जो रूम का बादशाह है, अल्लाह की तरफ़ से सलाम हो, उसे जो हिदायत का मुत्तबेअ है, उसके बाद इस्लाम क़बूल कर, सलामत रहेगा, इस्लाम क़बूल कर, अल्लाह तआला तुझे दोहरा अज्र देगा और अगर तूने चेहरा फेरा तो तमाम रईसों (जनता) के गुनाहों का बोझ तुझ पर होगा, फिर यही आयत लिखी थी। (स़हीह़ बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर, सूरह आले इमरान, बाब (... قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ) : 4553)

इमाम मुहम्मद बिन इस्ह़ाक़ वग़ैरह ने लिखा है कि इस सूरत या'नी सूरह आले इमरान की शुरू से लेकर इसी से कुछ ऊपर ऊपर तक आयात वफ़्दे नजरान के बारे में नाज़िल हुई हैं। इमाम ज़ुहरी (रह़.) फ़र्माते हैं, सबसे पहले जिज़्या इन ही लोगों ने अदा किया है और इसमें मुत्लक़न इख़्तिलाफ़ नहीं है कि आयते जिज़्या फ़तह़े मक्का के बाद उतरी है पस यह ए'तिराज़ पड़ता है कि जब यह आयत फ़तह़े मक्का के बाद नाज़िल हुई है फिर फ़तह़ से पहले हुज़ूर (ﷺ) ने अपने ख़त में हिरक़्ल को यह आयत कैसे लिखी? इसका जवाब कई तरह़ से हो सकता है एक तो यह कि मुम्किन है यह आयत दो मर्तबा उतरी हो, हुदेबिया से पहले और फ़तह़े मक्का के बाद।

दूसरा जवाब यह है कि मुम्किन है वफ़्द नजरान के बारे में शुरू सूरह से लेकर इस आयत तक उतरी हो और यह आयत इससे पहले उतर चुकी हो, इस सूरत में इब्ने इस्ह़ाक़ का यह फ़र्माना कि इसी के ऊपर ऊपर कुछ आयात इसी वफ़्द के बारे में उतरी हैं। यह मह़फ़ूज़ न हो क्योंकि अबू सुफ़ियान वाला वाक़िया सरासर इसके ख़िलाफ़ है, तीसरा जवाब यह है कि मुम्किन है कि वफ़्दे नजरान हुदेबिया से पहले आया हो और उन्होंने जो कुछ देना मंज़ूर किया हो, यह सिर्फ़ मुबाहिला से बचने के लिए बतौर मुसालिह़त के दिया हो, न कि जिज़्या दिया हो और यह इत्तिफ़ाक़ की बात हो कि आयते जिज़्या इस वाक़िया के बाद उतरी, जिससे इसका इत्तिफ़ाक़ इल्ह़ाक़ हो गया जैसे कि ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन जह़श (رضي الله عنه) ने बद्र से पहले ग़ज़्वा में माले ग़नीमत को पाँच ह़िस्सों में तक़्सीम किया और पाँचवाँ ह़िस्सा बाक़ी रखकर और दूसरे ह़िस्से लश्कर में तक़्सीम कर दिए, फिर उसके बाद माले ग़नीमत की आयात भी इसी के मुताबिक़ उतरीं और यही हुक्म हुआ।

चौथा जवाब यह है कि एह़तिमाल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपने ख़त में जो हिरक़्ल को भेजा, इसमें यह बात इसी तरह़ बतौर ख़ुद लिखी हो, फिर आँह़ज़रत (ﷺ) के अल्फ़ाज़ ही में वह़ी भी नाज़िल हुई हो, जैसे कि ह़ज़रत उ़मर बिन ख़त्ताब (رضي الله عنه) के पर्दे के हुक्म के बारे में इसी तरह़ आयत उतरी और बद्री क़ैदियों के बारे में इन ही की मुवाफ़िक़त में फ़र्माने बारी तआला नाज़िल हुआ और मुनाफ़िक़ों का जनाज़ा न पढ़ने की बाबत भी इन ही कीबात क़ायम रखी गई और मक़ामे इब्राहीम को मुसल्ले बनाने की बाबत भी इसी तरह़ वह़ी नाज़िल हुई (...عَسَىٰ رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ) (66/तह़रीम : 5) भी इन ही की मुवाफ़िक़त में उतरी। पस यह आयत भी इसी तरह़ रसूलुल्लाह (ﷺ) के फ़र्मान के मुवाफ़िक़त में ही उतरी हो, यह बहुत मुम्किन है।

يَاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تُحَآجُّوْنَ فِيْٓ اِبْرٰهِيْمَ وَمَآ اُنْزِلَتِ التَّوْرٰىةُ وَالْاِنْجِيْلُ اِلَّا مِنْۢ
بَعْدِهٖ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿۶۵﴾ هٰٓاَنْتُمْ هٰٓؤُلَآءِ حَاجَجْتُمْ فِيْمَا لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَآجُّوْنَ
فِيْمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۶۶﴾ مَا كَانَ اِبْرٰهِيْمُ
يَهُوْدِيًّا وَّلَا نَصْرَانِيًّا وَّلٰكِنْ كَانَ حَنِيْفًا مُّسْلِمًا ؕ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿۶۷﴾
اِنَّ اَوْلَى النَّاسِ بِاِبْرٰهِيْمَ لَلَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ وَهٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ؕ وَاللّٰهُ وَلِيُّ
الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۶۸﴾

तर्जुमा : "ऐ अहले किताब! तुम इब्राहीम (عليه السلام) की बाबत क्यूँ झगड़ते हो? हालाँकि तौरात व इंजील तो उनके बाद ही नाज़िल की गईं, क्या तुम फिर भी नहीं समझते? (65) सुनो! तुम लोग उसमें झगड़ चुके जिसका तुमको इल्म था फिर अब इस बात में क्यूँ झगड़ते हो जिसका तुमको इल्म ही नहीं और अल्लाह तआला जानता है और तुम नहीं जानते। (66) इब्राहीम (عليه السلام) तो न यहूदी थे, न नसरानी थे बल्कि वह तो एक तरफ़ा ख़ालिस मुस्लिम थे, वह मुश्रिक न थे। (67) सब लोगो से ज़्यादा इब्राहीम (عليه السلام) से नज़दीक वह लोग हैं जिन्होंने उनका कहा माना और यह नबी और जो लोग ईमान लाए, मो'मिनों का वली और सहारा अल्लाह तआला ही है।" (68)

यहूदो नसारा के बेइल्मी पर मब्नी झगड़े (आयत 65-68) : यहूदी हज़रत इब्राहीम (عليه السلام) को अपने में से और नसरानी हज़रत इब्राहीम (عليه السلام) को अपने में से कहते और आपस में इस पर बहस मुबाहिसे करते रहते थे। अल्लाह तआला इन आयतों में दोनों के दा'वे की तर्दीद करता है। हज़रत इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) फ़र्माते हैं, नजरान के नसरानियों के पास यहूदियों के उलमा आए और हुज़ूर (صلى الله عليه وسلم) के सामने उनका झगड़ा शुरू हो गया, हर फ़रीक़ इस बात का मुद्दई था कि हज़रत ख़लीलुल्लाह (عليه السلام) हममें से थे। (इसकी सनद में मुहम्मद बिन अबी मुहम्मद मज्हूल रावी है (ज़ुअफ़ाउ वल मतरूकीन : 3/96; रक़म : 3179) इस पर यह आयत

उतरी कि ऐ यहूदियो! तुम ख़लीलुल्लाह (ﷺ) को अपने में से कैसे बताते हो? हालाँकि उनके ज़माने मे न मूसा (ﷺ) थे, न तौरात, हज़रत मूसा (ﷺ) और किताब तौरात तो ख़लीलुल्लाह (ﷺ) के बाद आई, इसी तरह ऐ नसरानियो! तुम हज़रत इब्राहीम (ﷺ) को नसरानी कैसे कह सकते हो? हालाँकि नसरानियत तो उनके सदियों बाद ज़हूर में आई, क्या तुम इतनी मोटी बात समझने की अक़्ल भी नहीं रखते? फिर इन दोनों फ़िर्क़ों के इस बेइल्मी के झगड़े पर इन्हें रब्बे आलम मलामत करता है कि अगर तुम बहस व मुबाहिसा दीनी उमूर में जो तुम्हारे पास हैं, करते तो भी ख़ैर एक बात थी तुम तो उसमें बातचीत करते हो जिसमें दोनों को मुत्लक़ भी इल्म नहीं।

तुमको चाहिए कि जिस चीज़ का इल्म न हो, उसे उस अलीम अल्लाह के हवाले करो, जो हर चीज़ की हक़ीक़त जानता है और छुपी खुली तमाम चीज़ों का इल्म रखता है, इसीलिए फ़र्माया, अल्लाह तआला जानता है और तुम महज़ बेख़बर हो। दरअसल अल्लाह के ख़लील हज़रत इब्राहीम (ﷺ) न तो यहूदी थे, न नसरानी थे, वह शिर्क से बेज़ार, मुश्रिकों से अलग, सहीह और कामिल ईमान वाले थे और हर्गिज़ मुश्रिक न थे, यह आयत मिस्ल उस आयत के है जो सूरह बक़रह में गुज़र चुकी है (وَقَالُوْا كُوْنُوْا هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى ....تَهْتَدُوْا) (2/बक़रह : 135) या'नी "यह लोग कहते हैं यहूदी नसरानी बनने में हिदायत है" अल्ख़

फिर फ़र्माया कि सबसे ज़्यादा हज़रत इब्राहीम (ﷺ) की मुताबिअत के हक़दार उनके दीन पर उनके ज़माने में चलने वाले थे और अब यह नबी हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा (ﷺ) हैं और आपके साथ के ईमानदारों की जमाअत जो मुहाजिरीन व अंसार हैं और फिर जो भी इनकी पैरवी करते हैं, क़यामत तक। रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़र्माते हैं "हर नबी के दिली दोस्त अम्बिया में से होते हैं, मेरे दिली दोस्त अम्बिया में से मेरे बाप और अल्लाह के ख़लील हज़रत इब्राहीम (ﷺ) हैं।" फिर आपने इसी आयत की तिलावत फ़र्माई। (तिर्मिज़ी, किताबुत्तफ़्सीर, बाब वमिन सूरति आले इमरान : 2995; वसनदुहू ज़ईफ़; सुफ़ियान सौरी मुदल्लिस रावी है और सिमाअ की तसरीह नहीं है।) फिर फ़र्माया, "जो भी अल्लाह के रसूल पर ईमान रखे उनका वली अल्लाह है।"

***

وَدَّتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَوْ يُضِلُّوْنَكُمْ ؕ وَمَا يُضِلُّوْنَ اِلَّآ اَنْفُسَهُمْ وَمَا
يَشْعُرُوْنَ ﴿۶۹﴾ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَاَنْتُمْ تَشْهَدُوْنَ ﴿۷۰﴾ يٰۤاَهْلَ
الْكِتٰبِ لِمَ تَلْبِسُوْنَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿۷۱﴾ وَقَالَتْ
طَّآئِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اٰمِنُوْا بِالَّذِيْۤ اُنْزِلَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَجْهَ النَّهَارِ
وَاكْفُرُوْۤا اٰخِرَهٗ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿۷۲﴾ وَلَا تُؤْمِنُوْۤا اِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِيْنَكُمْ ؕ قُلْ اِنَّ
الْهُدٰى هُدَى اللّٰهِ ۙ اَنْ يُّؤْتٰۤى اَحَدٌ مِّثْلَ مَاۤ اُوْتِيْتُمْ اَوْ يُحَآجُّوْكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ ؕ قُلْ
اِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ ۚ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿۷۳﴾ يَّخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ
يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿۷۴﴾

तर्जुमा : ''अहले किताब की एक जमाअ़त की चाहत है कि तुमको गुमराह कर दें, दरअस़ल वह ख़ुद अपने तईं गुमराह कर रहे हैं और समझते नहीं। (69) ऐ अहले किताब! तुम बावजूद क़ाइल होने के फिर भी दानिस्ता क्यूँ कुफ़्र कर रहे हो? (70) ऐ अहले किताब! बावजूद जानने के ह़क़ व बात़िल को क्यूँ ख़लत़ मलत़ कर रहे हो और क्यूँ ह़क़ को छुपा रहे हो। (71) और अहले किताब की एक जमाअ़त ने कहा कि जो कुछ ईमानवालों पर उतारा गया है, उस पर दिन चढ़े तो ईमान लाओ और शाम के वक़्त काफ़िर बन जाओ ताकि यह लोग भी पलट जाएँ। (72) और सिवाए तुम्हारे दीन पर चलने वालों के और किसी का यक़ीन न करो, तू कह दे कि बेशक हिदायत तो अल्लाह ही की हिदायत है और यह भी कहते हैं कि इस बात का भी यक़ीन न करो कि कोई उस जैसा दिया जाए जो तुम दिए गए हो या तुमसे तुम्हारे रब के पास झगड़ा करेंगे, तू कह दे कि फ़ज़्ल तो अल्लाह ही के हाथ है, वह जिसे चाहे उसे दे, अल्लाह तआ़ला वुस्अ़त वाला और जानने वाला है। (73) अपनी रह़मत के साथ जिसे चाहे मख़सूस कर ले, अल्लाह तआ़ला बड़े फ़ज़्ल वाला है।'' (74)

यहूदियों की बुरी ख़स्लतों का तज़्किरा (आयत 69-74) : यहाँ बयान हो रहा है कि इन यहूदियों के हसद को देखो कि मुसलमानों से कैसे कुछ जल कुढ़ रहे हैं, उन्हें बहकाने की क्या क्या पोशीदा तर्कीबें करते हैं, कैसे-कैसे मकर व फ़रेब के जाल बिछाते हैं, हालाँकि दरअसल इन तमाम चीज़ों का वबाल ख़ुद इनकी जानों पर है लेकिन इन्हें इसका भी शऊर नहीं। फिर इन्हें इनकी यह ज़लील हरकत याद दिलाई जा रही है कि तुम सच्चाई जानते हुए हक़ को भी पहचानते हुए अल्लाह तआला की आयतों से मुंकिर हो रहे हो। बावजूद इल्म के यह बदख़स्लत भी इनमें है कि हक़ व बातिल को मिला देते हैं और इनकी किताबों में जो सिफ़तें रसूलुल्लाह (ﷺ) की हैं, उन्हें छुपालेते हैं।

बहकाने की जो सूरतें गढ़ते हैं उनमें से एक का बयान हो रहा है कि आपस मे मश्वरा करते हैं कि सुबह जाकर ईमान ले आओ मुसलमानों के साथ नमाज़ें पढ़ो और शाम को फिर मुर्तद बन जाओ ताकि जाहिल लोगों के दिल में भी ख़याल गुज़रे कि आख़िर यह लोग जो पलट गए तो ज़ाहिर है कि उन्होंने इस दीन में नुक़्सान या बुराई ही देखी होगी तो क्या अजब कि उनमें से कोई हमारी तरफ़ लौट आए। (तब्री : 6/508) ग़र्ज़ यह एक हीलाजूई थी कि शायद उससे कमज़ोर ईमान वाला लौट जाए कि यह जानने बूझने वाले लोग जब इस दीन में आए, नमाज़ें पढ़ीं, फिर इसे छोड़ दिया तो ज़रूर यहाँ कोई ख़राबी और नुक़्सान देखा होगा। यह लोग कहते थे कि भरोसा अपने वालों ही पर करो, मुसलमानों पर न करो, न अपने भेद इन पर ज़ाहिर होने दो, न अपनी किताब की बातें उन पर खोलो जिससे यह उन पर ईमान लाएँ और अल्लाह के यहाँ भी उनके लिए हम पर हुज्जत बन जाएँ।

तो अल्लाह तआला फ़र्माता है कि तू ऐ नबी! कह दे कि हिदायत तो अल्लाह ही के हाथ है, वह मो'मिनों के दिलों को हर उस चीज़ पर ईमान लाने के लिए आमादा कर देता है जिसे अल्लाह तआला ने नाज़िल फ़र्माया हो, उन्हें उन दलाइल पर कामिल ईमान नसीब होता है गो तुम नबी उम्मी (ﷺ) की सिफ़तें छुपाते फिरो, फिर भी ख़ुशक़िस्मत लोग तो आप(ﷺ) की नबुव्वत के ज़ाहिर निशान एक नज़र में पहचान लेंगे।

इसी तरह वह कहते थे कि तुम्हारे पास जो इल्म है, उसे मुसलमानों पर ज़ाहिर न करो कि वह उसे सीखकर तुम जैसे हो जाएँ, बल्कि अपनी ईमानी कुव्वत की वजह से तुमसे बढ़ जाएँ या अल्लाह तआला के सामने उनकी हुज्जत व दलील क़ायम हो जाए या'नी ख़ुद तुम्हारी किताबों से वह तुमको इल्ज़ाम न देने लगें और तुम ही पर तुम्हारी ही दलीलें न क़ायम करने लगें। अल्लाह तआला फ़र्माता है कि तुम कह दो कि फ़ज़्ल तो अल्लाह के हाथ है, जिसे चाहे दे, सब काम उसी के क़ब्ज़े में हैं वही देने लेने वाला है जिसे चाहे ईमान अमल और इल्म व फ़ज़्ल की दौलत से मालामाल कर दे और जिसे चाहे राहे हक़ से अंधा और कलिमा इस्लाम से बहरा और सहीह समझ से महरूम कर दे, उसके सब काम हिक्मत से ही होते हैं, वह वुस्अत इल्म वाला है। जिसे चाहे अपनी रहमत के साथ ख़ास कर दे वह बड़े फ़ज़्ल वाला है, ऐ मुसलमानों ! बेहद व बेपायाँ एहसानात उसने तुम पर किए हैं, तुम्हारे नबी (ﷺ) को तमाम अम्बिया पर फ़ज़ीलत दी और बहुत ही कामिल और हर हैसियत से पूरी शरीअत उसने तुमको दी।

وَمِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مَنْ اِنْ تَاْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُّؤَدِّهٖٓ اِلَيْكَ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ اِنْ تَاْمَنْهُ
بِدِيْنَارٍ لَّا يُؤَدِّهٖٓ اِلَيْكَ اِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآئِمًا ۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا لَيْسَ عَلَيْنَا
فِى الْاُمِّيّٖنَ سَبِيْلٌ ۚ وَيَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿٧٥﴾ بَلٰى مَنْ اَوْفٰى
بِعَهْدِهٖ وَاتَّقٰى فَاِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ﴿٧٦﴾

तर्जुमा : ''कुछ अहले किताब तो ऐसे हैं कि अगर उन्हें तू ख़ज़ाने का अमीन बना दे तो भी वह तुझे वापिस कर दें और उनमें से कुछ ऐसे भी हैं कि अगर तू उन्हें एक दीनार भी अमानत दे तो तुझे अदा न करें, हाँ! यह और बात है कि तू उसके सर पर ही खड़ा रहे। यह इसलिए कि उन्होंने कह रखा है कि हम पर उन जाहिलों के हक़ का कोई गुनाह नहीं, यह लोग बावजूद जानने के अल्लाह तआ़ला पर झूठ कहते हैं। (75) हाँ! मुवाख़िज़ा होगा) अल्बत्ता जो शख़्स अपना इक़रार पूरा करे और परहेज़ गारी करे तो अल्लाह तआ़ला भी ऐसे परहेज़गारों को दोस्त रखता है।'' (76)

अकसर यहूदी ख़ाइन जबकि कुछ अमानतदार हैं (आयत 75, 76) : अल्लाह तआ़ला मो'मिनों को यहूदियों की ख़यानत पर तम्बीह करता है कि उनके धोखे में न आ जाएँ, उनमें कुछ तो अमानतदार हैं और कुछ बड़े ख़ाइन हैं। कुछ तो ऐसे हैं कि ख़ज़ाने का ख़ज़ाना उनकी अमानत में हो तो ज्यों का त्यों हवाले कर देंगे, फिर छोटी मोटी चीज़ में वह बददयानती कैसे करेंगे? और कुछ ऐसे बद दयानत हैं कि एक दीनार भी वापिस न दें, हाँ! अगर उनके सर हो जाओ तक़ाज़ा बराबर जारी रखो और हक़ तलब करते रहो तो शायद अमानत निकल भी आए वरना हज़म ही कर जाएँ, जब एक दीनार पर यह बद दयानती है तो बड़ी रक़म को क्यूँ छोड़ने लगे। लफ़्ज़ क़िन्तार की पूरी तफ़्सीर सूरह के अव्वल में ही बयान हो चुकी है और दीनार तो मशहूर ही है। इब्ने अबी हातिम में हज़रत मालिक बिन दीनार (रह.) का क़ौल मरवी है कि दीनार को इसलिए दीनार कहते हैं कि वह दीन या'नी ईमान भी है और नार या'नी आग भी है। मतलब यह है कि हक़ के साथ लो तो दीन, नाहक़ के साथ लो तो आतिशे जहन्नम।

इस मौक़े पर इस हदीस का बयान करना भी मुनासिब मा'लूम होता है, जो सहीह बुख़ारी शरीफ़ में कई जगह है और किताबुल किफ़ाला में पूरी है। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, ''बनी इस्राईल में एक शख़्स था जिसने किसी और शख़्स से एक हज़ार दीनार क़र्ज़ मांगे, उसने कहा, गवाह लाओ, कहा अल्लाह तआ़ला की गवाही काफ़ी है, उसने कहा ज़ामिन लाओ। उसने कहा, मैं ज़मानत भी अल्लाह तआ़ला ही की देता हूँ। वह उस पर राज़ी हो गया और वक़्ते अदायगी मुक़र्रर करके रक़म दे दी। वह अपने समुंद्री सफ़र में निकल गया। जब काम काज से

फ़ारिग़ हो गया तो दरिया किनारे किसी जहाज़ का इंतिज़ार करने लगा ताकि जाकर उसका क़र्ज़ अदा कर दे लेकिन सवारी न मिली तो उसने एक लकड़ी ली और उसे बीच में से खोखला करके उसमें एक हज़ार दीनार रख दिए और एक ख़त भी उसके नाम रख दिया, फिर मुँह बंद करके उसे दरिया में डाल दिया और कहा, ऐ अल्लाह! तू अच्छी तरह जानता है कि मैंने फ़लाँ शख़्स से एक हज़ार दीनार क़र्ज़ लिए , तेरी शहादत पर और तेरी ज़मानत पर और उसने भी इस पर ख़ुश होकर मुझे दे दिए, अब मैंने हर चंद कश्ती ढूँढ़ी कि जाकर उसका हक़ मुद्दत के अंदर ही अंदर दे दूँ लेकिन न मिली पस अब आजिज़ आकर तुझ पर भरोसा करके मैं इसे दरिया में डाल देता हूँ, तू इसे उस तक पहुँचा दे। यह दुआ करके लकड़ी को समुंदर मे डालकर चल दिया। लकड़ी पानी में डूब गई, यह फिर भी तलाश में रहा कि कोई सवारी मिले तो जाए और उसका हक़ अदा कर आए। इधर यह क़र्ज़ख़्वाह शख़्स दरिया के किनारे आया कि शायद वह मक़रूज़ किसी कश्ती में उसकी रक़म लेकर आ रहा हो जब देखा कि कश्ती कोई नहीं आई और जाने लगा तो एक लकड़ी किनारे पर पड़ी हुई थी, यह समझकर ले ली कि जलाने के काम आएगी। घर जाकर उसे चीरा तो माल और ख़त निकल पड़ा। कुछ दिनों बाद क़र्ज़ लेने वाला शख़्स आया और कहा, अल्लाह तआला जानता है कि मैंने हर चंद कोशिश की कि सवारी मिले तो आपके पास आऊँ और मुद्दत गुज़र जाने से पहले ही आपका क़र्ज़ अदा कर दूँगा लेकिन कोई सवारी न मिली, इसलिए देर हो गई। उसने कहा तूने जो रक़म भेज दी थी वह अल्लाह तआला ने मुझे पहुँचा दी है, तू अब अपनी यह रक़म वापिस ले जा और राज़ी ख़ुशी लौट जा। (सहीह बुख़ारी, किताबुल किफ़ालत, बाब किफ़ालतु फ़िल फ़र्ज़ : 2291; ता'लीक़न; मज़ीद देखिए : 1498, 2063, 2404, 2430, 2734, 6261)

यह हदीस बुख़ारी शरीफ़ में ता'लीक़ के साथ भी है लेकिन जज़म के सेग़े के साथ और कुछ जगह सनदवार भी है, और किताबों में भी यह रिवायत है।

फिर फ़र्माता है कि अमानत में ख़यानत करने पर हक़दार के ह क़ को अदा न करने पर आमादा करने वाली चीज़ उनका यह ग़लत ख़्याल है कि उन बद दीनों और अनपढ़ों का माल खा जाने में हमें कोई हर्ज नहीं, हम पर यह माल हलाल है। जिस पर अल्लाह तआला फ़र्माता है कि यह अल्लाह तआला पर झूठ है और इसका इल्म ख़ुद उन्हें भी है क्योंकि उनकी किताबों में भी नाहक़ माल को अल्लाह तआला ने हराम क़रार दिया है। लेकिन यह बेवक़ूफ़ ख़ुद अपनी मनमानी और दिल भाती बातें गढ़कर शरीअत के रंग में उन्हें रंग लेते हैं।

हज़रत इब्ने अब्बास (رضی اللہ عنہ) से लोग मसला पूछते हैं कि ज़िम्मी कुफ़्फ़ार की मुर्ग़ी बकरी वग़ैरह कभी ग़ज़्वे की हालत में हमें मिल जाती है तो हम तो समझते हैं कि उसके लेने में कोई हर्ज नहीं, तो आपने फ़र्माया ठीक यही अहले किताब भी कहते हैं कि उम्मियों के माल के ले लेने में हम पर कोई हर्ज नहीं। सुनो! जब वह जिज़्या अदा कर रहे हैं तो उनका कोई माल तुम पर हलाल नहीं, हाँ! वह अपनी ख़ुशी से दे दें तो और बात है। (अब्दुर्रज़्ज़ाक़ फ़ित्तफ़्सीर : 1/419; रक़म : 618; वसनदुहू ज़ईफ़) सईद बिन जुबेर (रह.) फ़र्माते हैं कि जब अहले किताब से हुज़ूर (ﷺ) ने यह बात सुनी तो फ़र्माया, दुश्मनाने अल्लाह झूठे हैं, जाहिलियत की तमाम बातें मेरे क़दमों तले मिट गईं, मगर अमानत कि वह हर फ़ासिक़ व फ़ाजिर की भी अदा करनी पड़ेगी।'' (तब्री : 7266; अन सईद बिन

जुबेर यह रिवायत मुर्सल या'नी ज़ईफ़ है।)

फिर इर्शाद होता है कि लेकिन जो शख़्स अपने अहद को पूरा करे और डरता रहे। अहले किताब होकर फिर अपनी किताब की हिदायत के मुताबिक़ आँ हज़रत (ﷺ) पर ईमान लाए जो अहद तमाम अम्बिया से भी हो चुका है और जिस अहद की पाबंदी उनकी उम्मतों पर भी लाज़मी है, फिर अल्लाह तआला की हरामकर्दा चीज़ों से इज्तिनाब करे, उसकी शरीअत की इताअत करे, रसूलों के ख़ातिम और अम्बिया के सरदार हज़रत मुहम्मद (ﷺ) की पूरी ताबे'दारी करे वह मुत्तक़ी है और मुत्तक़ी अल्लाह तआला के दोस्त हैं।

***

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٧﴾

तर्जुमा : ''बेशक जो लोग अल्लाह तआला के अहद और अपनी क़समों को थोड़ी क़ीमत पर बेच डालते हैं उनके लिए आख़िरत में कोई हिस्सा नहीं, अल्लाह तआला न उनसे बातचीत करेगा, न उनकी तरफ़ क़यामत के दिन देखेगा, न उन्हें पाक करेगा, और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है।'' (77)

तीन ख़ुशनसीब और तीन बदबख़्त शख़्स (आयत 77) : या'नी जो अहले किताब अल्लाह तआला के अहद का पास नहीं करते, न हुज़ूर (ﷺ) की इत्तिबाअ करते हैं, न आपकी सिफ़तों का ज़िक्र लोगों से करते हैं, न आपके बारे में बयान करते हैं और इसी तरह झूठी क़समें खाते हैं और इन बदकारियों से वह इस ज़लील और फ़ानी दुनिया का फ़ायदा हासिल करते हैं उनके लिए आख़िरत में कोई हिस्सा नहीं, न उनसे अल्लाह तआला कोई प्यार मुहब्बत की बात करेगा, न उन पर रहमत की नज़र डालेगा, न उन्हें उनके गुनाहों से पाक साफ़ करेगा बल्कि उन्हें जहन्नम में दाख़िल करने का हुक्म देगा और वहाँ वह दर्दनाक सज़ाएँ भुगतते रहेंगे। इस आयत के बारे में बहुत सी हदीसें भी हैं जिनमें से थोड़ी सी यहाँ भी हम बयान करते हैं।

मुस्नद अहमद में है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़र्माते हैं, ''तीन क़िस्म के लोग हैं जिनसे न तो अल्लाह तआला कलाम करेगा और न उनकी तरफ़ क़यामत के दिन नज़रे रहमत से देखेगा और न उन्हें पाक करेगा।'' हज़रत अबू ज़र (रह.) ने यह सुनकर कहा, यह कौन लोग हैं, या रसूलल्लाह (ﷺ)! यह तो बड़ा घाटे और नुक़सान में पड़े। हुज़ूर अकरम (ﷺ) ने तीन मर्तबा यही फ़र्माया, फिर जवाब दिया कि ''टख़्नों के नीचे कपड़े

लटकाने वाला, झूठी क़सम से अपना सौदा बेचने वाला, देकर एहसान जताने वाला। (अहमद : 5/148; सहीह मुस्लिम, किताबुल ईमान, बाब बयान ग़लिज़ तहरीमे इस्बालिल इज़ार... : 106)

मुस्नद अहमद में है अबू अहमस (रह.) फ़र्माते हैं मैं हज़रत अबू ज़र्र (رضی) से मिला और उनसे ज़िक्र किया कि मैंने सुना है कि आप रसूलुल्लाह (ﷺ) से एक हदीस बयान फ़र्माते हैं, तो फ़र्माया, सुनो! मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) पर झूठ तो बोल नहीं सकता, जबकि मैंने हुज़ूर (ﷺ) से सुन लिया हो तुम कहो वह हदीस क्या है? मैंने कहा, यह कि तीन क़िस्म के लोगों को अल्लाह तआला दोस्त रखता है और तीन क़िस्म के लोगों को दुश्मन रखता है। तो फ़र्माने लगे, हाँ! यह हदीस मैंने बयान भी की है और मैंने हुज़ूर (ﷺ) से सुनी भी है। मैंने पूछा, किस किसको दोस्त रखता है। फ़र्माया, एक तो वह जो मर्दानगी से दुश्मनाने अल्लाह के मुक़ाबले में मैदाने जिहाद में खड़ा हो जाए या तो अपना सीना छिदवा दे या फ़तह करके लौटे। दूसरा वह शख़्स जो किसी क़ाफ़िले के साथ सफ़र में है, बहुत रात गए तक क़ाफ़िला चलता रहा जब थककर चूर हो गए तो उतरे और पड़ाव डाला, सब तो पड़कर सो रहे मगर यह जागता रहा और नमाज़ में मशग़ूल रहा, यहाँ तक कि कूच के वक़्त सबको जगा दिया। तीसरा वह शख़्स जिसकी आदत हो कि जो उसे ईज़ा पहुँचाए यह उस पर सब्र व सिहार करे, यहाँ तक कि मौत उन दोनों को जुदाई करे या सफ़र। मैंने कहा और वह तीन कौन हैं जिनसे अल्लाह तआला नाख़ुश है? फ़र्माया, बहुत क़समें खाने वाला, तकब्बुर करने वाला फ़क़ीर और वह बख़ील जिससे कभी एहसान हो गया हो तो जताने बैठे। (अहमद : 5/151; वसनदुहू ज़ईफ़)

मुस्नद अहमद में है कुंदा क़बीले के एक शख़्स इम्रउल क़ैस बिन आमिर का झगड़ा एक हज़्रमी शख़्स से ज़मीन के बारे में था, जो हुज़ूर (ﷺ) के सामने पेश हुआ तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि हज़्रमी अपना सबूत पेश करे। उसके पास कोई सबूत न था तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, अब कुंदी क़सम खा ले। तो हज़्रमी कहने लगा या रसूलल्लाह (ﷺ)! जब उसकी क़सम पर ही फ़ैसला ठहरा तो रब्बे कअबा की क़सम! यह मेरी ज़मीन ले जाएगा। आपने फ़र्माया, जो शख़्स झूठी क़सम से किसी का माल अपना करेगा तो जब वह अल्लाह तआला से मिलेगा, अल्लाह तआला उससे नाख़ुश होगा। फिर आँहज़रत (ﷺ) ने इस आयत की तिलावत फ़र्माई तो इम्रउल क़ैस (رضی) ने कहा या रसूलल्लाह (ﷺ)! अगर कोई छोड़ दे तो उसे अज्र क्या मिलेगा? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'जन्नत' तो कहने लगे या रसूलल्लाह (ﷺ)! गवाह रहिए कि मैंने वह सारी ज़मीन उसके नाम छोड़ दी। (अहमद : 4/192; सुननुल कुब्रा लिन्नसाई : 5996; वसनदुहू सहीह)

मुस्नद अहमद में है रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़र्माते हैं, "जो शख़्स झूठी क़सम खाए ताकि झूठी क़सम से किसी का माल छीन ले तो अल्लाह तआला से जब यह मिलेगा, अल्लाह तआला उस पर सख़्त ग़ज़बनाक होगा।" हज़रत अश्अस (رضی) फ़र्माते हैं, अल्लाह तआला की क़सम! मेरे ही बारे में यह है। एक यहूदी की और मेरी शिर्कत में एक ज़मीन थी, उसने मेरी ज़मीन का इंकार कर दिया। मैं उसे ख़िदमते नबवी में लाया, हज़रत ने मुझसे फ़र्माया "तेरे पास कुछ सबूत है?" मैंने कहा, नहीं! आप (ﷺ) ने यहूदी से फ़र्माया, "तू

क़सम खा ले।'' मैंने कहा, हुज़ूर (ﷺ)! यह तो क़सम खा लेगा और मेरा माल ले जाएगा। पस अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल ने यह आयत नाज़िल फ़र्माई। (अह़मद : 5/211; सह़ीह़ बुख़ारी, किताबुश्शहादात, बाब सुआलुल ह़ाकिम, अल्मुद्दइ ... 2666, 2667; सह़ीह़ मुस्लिम : 138)

मुस्नद अह़मद में है कि ह़ज़रत इब्ने मसऊद (رضی اللہ عنہ) फ़र्माते हैं रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया है ''जो शख़्स किसी मर्द मुस्लिम का माल बग़ैर ह़क़ के ले ले वह अल्लाह तआ़ला से इस ह़ाल में मिलेगा कि अल्लाह तआ़ला उससे नाराज़ होगा।'' वहीं ह़ज़रत अश्अ़स बिन क़ैस (رضی اللہ عنہ) आ गए और फ़र्माने लगे, अबू अ़ब्दुर्रह़मान आप कौनसी ह़दीस बयान करते हैं? हमने दोहरा दी तो फ़र्माया, यह ह़दीस मेरे ही बारे में हुज़ूर (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माई है। मेरा अपने चचा के लड़के से एक कूएँ के बारे में झगड़ा था, जो उसके क़ब्ज़े में था। हुज़ूर (ﷺ) के पास जब हम अपना मुक़द्दमा ले गए तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ''या तो तू अपनी दलील और सबूत ला कि यह कुआँ तेरा है वरना इसकी क़सम पर फ़ैसला होगा।'' मैंने कहा, या ह़ज़रत! मेरे पास तो कोई दलील नहीं और अगर इसकी क़सम पर मा'मला रहा तो यह तो मेरा कुआँ ले जाएगा, मेरा मुक़ाबिल तो फ़ाजिर शख़्स है। उस वक़्त हुज़ूर (ﷺ) ने यह ह़दीस भी बयान की और इस आयत की भी तिलावत फ़र्माई। (अह़मद : 5/212; वसनदुहू ह़सन)

मुस्नद अह़मद में है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़र्माते हैं कि ''अल्लाह तआ़ला के कुछ बन्दे ऐसे भी हैं जिनसे अल्लाह तआ़ला क़यामत के दिन बात न करेगा, न उनकी त़रफ़ देखेगा।'' पूछा गया कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! वह कौन हैं? फ़र्माया, ''अपने माँ बाप से बेज़ार होने वाली और उनसे बेरग़बती करने वाली लड़की और अपनी औलाद से बेज़ार और अलग होने वाला बाप और वह शख़्स कि जिस पर किसी क़ौम का एह़सान है वह उससे इंकार कर जाए और आँखें फेर ले और उनसे यक्सूई कर ले।'' (सह़ीह़ बुख़ारी, किताबुल बुयूअ़, बाब मा युक्रहू मिनल ह़लफ़ि फ़िल बै'अ : 2088, 2675, 4551)

इब्ने अबी ह़ातिम में है ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अबी ओफ़ा (رضی اللہ عنہ) फ़र्माते हैं कि एक शख़्स ने अपना सौदा बाज़ार में रखा और क़सम खाई कि उसको इतना इतना भाव दिया जाता था ताकि कोई मुसलमान उसमें फंस जाए, पस यह आयत नाज़िल हुई। (सह़ीह़ बुख़ारी, किताबुल बुयूअ़, बाब मा युक्रहू मिनल ह़लफ़ि फ़िल बे'अ : 3088, 2675, 4551) मुस्नद अह़मद में है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़र्माते हैं कि ''तीन शख़्सों से जनाब बारी तक़द्दुस व तआ़ला क़यामत के दिन बात न करेगा, न उनकी त़रफ़ देखेगा, न उन्हें पाक करेगा और उनके लिए दुख दर्द के अ़ज़ाब हैं, एक वह जिसके पास बचा हुआ पानी है फिर वह किसी मुसाफ़िर को नहीं देता, दूसरा वह जो अ़स्र के बाद झूठी क़सम खाकर अपना माल बेचता है, तीसरा वह जो मुसलमान से बे'अ़त करता है उसके बाद अगर वह उसे माल दे तो पूरी करता है और अगर न दे तो बे'अ़त पूरी नहीं करता।'' (अह़मद : 2/480; सह़ीह़ बुख़ारी, किताबुश्शहादात, बाबुल यमीन बअ़दल अ़स्र : 2672; सह़ीह़ मुस्लिम : 108; अबूदाऊद, 3474; तिर्मिज़ी : 1595; इब्ने माजा : 2207) इमाम तिर्मिज़ी (रह़.) इसे ह़सन सह़ीह़ कहते हैं।)

وَاِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيْقًا يَّلْوٗنَ اَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتٰبِ لِتَحْسَبُوْهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتٰبِ ۚ وَيَقُوْلُوْنَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۚ وَيَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿٧٨﴾

तर्जुमा : "यक़ीनन इनमें ऐसा गिरोह भी है जो किताब पढ़ते हुए अपनी ज़ुबान मरोड़ता है ताकि तुम उसे किताब ही की इबारत ख़्याल करने लगो और दरअसल वह किताब में नहीं और यह कहते भी हैं कि वह अल्लाह तआला की तरफ़ से है हालाँकि दरअसल वह अल्लाह तआला की तरफ़ से नहीं, वह तो दानिस्ता (जानबुझ कर) अल्लाह तआला पर झूठ बोलते हैं।" (78)

कलामुल्लाह में यहूदियों की तहरीफ़ (आयत : 78) : यहाँ भी इन ही मल्ऊन यहूदियों का ज़िक्र हो रहा है कि इनका एक गिरोह यह भी करता है कि कलाम को उसकी जगह से हटा देता है, रब्बानी किताब बदल देता है, असल मतलब और सहीह मा'नी ख़ब्त कर देता है और जाहिलों को उस चक्कर में डाल देता है कि किताबुल्लाह यही है, फिर यह ख़ु द अपनी ज़ुबान से भी उसे किताबुल्लाह कहकर जाहिलों के इस ख़्याल को मज़बूत कर देते है और जान बूझकर अल्लाह तआला पर इफ़्तिरा करते हैं और झूठ बकते हैं। ज़ुबान मोड़ने से मतलब यहाँ तहरीफ़ करना है। हज़रत इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से सहीह बुख़ारी शरीफ़ में मरवी है कि यह लोग तहरीफ़ करते थे और इज़ाला कर देते थे। मख़्लूक़ में ऐसा तो कोई नहीं जो किताबुल्लाह का लफ़्ज़ बदल दे, हाँ! यह लोग तहरीफ़ और बेजा तावील करते थे। (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तौहीद, ता'लीक़न क़ब्ल हदीस : 7557)

वहब बिन मुनब्बह (रह.) फ़र्माते हैं कि तौरात व इंजील इसी तरह हैं जिस तरह अल्लाह तआला ने उतारीं, एक हर्फ़ भी उनमें से नहीं बदला लेकिन यह लोग तहरीफ़ व तावील से लोगों को गुमराह करते हैं और जो किताबें इन्होंने अपनी तरफ़ से लिख लीं हैं और जिसे वह अल्लाह तआला की तरफ़ से मशहूर कर रहे हैं, उनसे भी लोगों को बहकाते हैं, हालाँकि दरअसल वह अल्लाह तआला की तरफ़ से नहीं लेकिन अल्लाह तआला की असली किताबें तो महफ़ूज़ हैं जो बदलती नहीं। (इब्ने अबी हातिम) हज़रत वहब (रह.) के इस फ़र्मान का अगर यह मतलब हो कि उनके पास अब जो किताब है तो हम बिलयक़ीन कहते हैं कि वह बदली हुई है और मुहर्रिफ़ (तहरीफशुदा) है और ज़्यादती और नुक़्सान से हर्गिज़ पाक नहीं और फिर जो ज़ुबान अरबी में हमारे हाथों में है उसमें तो बड़ी ख़ता है और बहुत ही ज़्यादती है और कमी भी असल से बहुत है और खुले हुए वहम और साफ़-साफ़ ग़ल्तियाँ मौजूद हैं बल्कि दरअसल इसे तर्जुमा कहना ज़ेबा ही नहीं, वह तो तफ़्सीर और वह भी बेए'तिबार तफ़्सीर है और फिर उन समझदारों की लिखी हुई तफ़्सीर है जिनमें अकसर बल्कि कुल के कुल दरअसल महज़ उल्टी समझ वाले हैं, और अगर हज़रत वहब (रह.) के फ़र्मान का यह मतलब हो कि अल्लाह तआला की किताब जो दरहक़ीक़त रब्बानी किताब है पस वह बेशक महफ़ूज़ व मस्ऊन है इसमें कोई कमी ज़्यादती नामुम्किन है।

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا
عِبَادًا لِّي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلٰكِنْ كُونُوا رَبّٰنِيّٖنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتٰبَ وَبِمَا
كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ﴿٧٩﴾ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلٰٓئِكَةَ وَالنَّبِيّٖنَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ
بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُّسْلِمُونَ ﴿٨٠﴾

तर्जुमा : "किसी ऐसे इंसान को जिसे अल्लाह तआला किताबो-हिक्मत और नबुव्वत दे यह लायक़ नहीं कि फिर भी वह लोगों से कहे कि तुम अल्लाह तआला को छोड़कर मेरे बन्दे बन जाओ बल्कि वह तो कहेगा कि तुम सब रब के हो जाओ, तुम्हारे किताब सिखाने के बाइस और तुम्हारे किताब पढ़ने के सबब।" (79) न यह हो सकता है वह तुमको फ़रिश्तों और नबियों को रब बना लेने का हुक्म करे, क्या वह तुम्हारे मुसलमान होने के बाद तुमको कुफ़्र का हुक्म देगा।" (80)

अल्लाह तआला का कोई नबी कोई फ़रिश्ता अपनी बंदगी की दा'वत नहीं दे सकता (आयत 79, 80) : रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास जब यहूदियों के और नजरानी नसरानियों के उलमा जमा हुए और आप (ﷺ) ने उन्हें इस्लाम क़बूल करने की दा'वत दी तो अबू राफ़िम कुरज़ी कहने लगा कि क्या आप चाहते हैं कि जिस तरह नसरानियों ने हज़रत ईसा बिन मरयम (عليه السلام) की इबादत की हम भी आपकी इबादत करें? तो नजरान के एक नसरानी ने भी जिसे आइस कहा जाता था, यही कहा कि क्या आपकी यही चाहत है? और यही दा'वत है? तो हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, "मआज़ल्लाह! न हम ख़ुद अल्लाह तआला के सिवा दूसरे की पूजा करें न किसी और को अल्लाह तआला के सिवा दूसरे की इबादत की ता'लीम दें, न मेरी पैग़म्बरी का यह मक़सद न मुझे अल्लाह तआला का यह हुक्म।" इस पर यह आयत नाज़िल हुई। (तब्री : 7294; दलाइलुन्नुबुव्वत लिल बैहक़ी : 5/384; वसनदुहू ज़ईफ़) कि किसी इंसान को किताब व हिक्मत और नबुव्वत व रिसालत पा लेने के बाद यह लायक़ ही नहीं कि अपनी परसतिश की तरफ़ लोगों को बुलाए। जब अम्बिया-ए-किराम का जो इतनी बड़ी बुज़ुर्गी फ़ज़ीलत और मर्तबे वाले हैं, यह मंसब नहीं तो किसी और को कब लायक़ है कि अपनी पूजापाट कराए और अपनी बंदगी की तल्क़ीन लोगों को करे। इमाम हसन बसरी (रह.) फ़र्माते हैं कि अदना मो'मिन से भी यह नहीं हो सकता कि वह लोगों को अपनी बंदगी की दा'वत दे। यहाँ यह इसलिए फ़र्माया कि यह यहूद व नसारा आपस में ही एक दूसरे को पूजते थे। क़ुरआन शाहिद है जो फ़र्माता है (اِتَّخَذُوْٓا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ) (9/तौबा : 31) या'नी उन लोगों ने अल्लाह तआला को छोड़कर अपने आलिमों और दरवेशों को अपना रब बना लिया है। मुस्नद अहमद व तिर्मिज़ी की

वह हदीस भी आ रही है कि हज़रत अदी बिन हातिम (رضی اللہ عنہ) ने रसूले मक़्बूल (ﷺ) की ख़िदमत में अर्ज़ किया कि वह तो उनकी इबादत नहीं करते थे तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ''क्यूँ नहीं? वह उन पर हराम को हलाल और हलाल को हराम कर देते थे और यह उनकी मानते चले जाते थे यही उनकी इबादत थी।'' (तिर्मिज़ी, किताब तफ़्सीरुल कुरआन, बाब वमिन सूरतित्तौबा : 3095; वसनदुहू ज़ईफ़; ग़तीफ़ रावी ज़ईफ़ है।)

पस जाहिल दरवेश और बेसमझ उलमा और मशाइख़ इस मज़म्मत और डांट डपट में दाख़िल हैं। रसूलुल्लाह (ﷺ) और उनकी इत्तिबाअ करने वाले उलमा-ए-किराम इससे यक्सू हैं इसलिए कि वह तो सिर्फ़ फ़र्माने रब्बानी और कलामे रसूल की तब्लीग़ करते हैं और उन कामों से रोकते हैं जिनसे अम्बिया-ए-किराम रोके गए हैं। अल्लाह तआला के भेजे हुए हज़राते अम्बिया तो ख़ालिक़ व मख़्लूक़ के दरम्यान सफ़ीर हैं हक़्क़े रिसालत अदा करते हैं और अमानते रब्बानी एहतियात के साथ बंदगाने रब्बे आ'लम को पहुँचा देते हैं। निहायत बेदार मग़ज़ी, मुकम्मल होशियारी कमाल निगरानी और पूरी हिफ़ाज़त के साथ वह पूरी दुनिया के ख़ैरख़्वाह होते हैं। वह अहकामे-इलाही के पहुँचाने वाले होते हैं। रसूलों की हिदायत तो लोगों को रब्बानी बनने की होती है कि वह हिक्मतों वाले और हिल्म वाले बन जाएँ, वह समझदार और आबिद व ज़ाहिद मुत्तक़ी और पारसा हैं। (इब्ने अबी हातिम : 2/365) हज़रत ज़हहाक (रह.) फ़र्माते हैं कि कुरआन सीखने वालों पर हक़ है कि वह बासमझ हों। (ता'लमून) और (तुअल्लिमून) दोनो क़िराअत हैं पहले के मा'नी हैं समझने के, दूसरे के मा'नी हैं ता'लीम देने के। (तदरूसून) के मा'नी है अल्फ़ाज़ याद करने के।

फिर इर्शाद होता है कि वह यह हुक्म नहीं करते कि अल्लाह तआला के सिवा और की इबादत करो, ख़्वाह वह नबी हो। भेजा हुआ ख़्वाह फ़रिश्ता हो, कुर्बे अल्लाह वाला, यह तो वही कर सकता है जो अल्लाह तआला के सिवा दूसरे की इबादत की दा'वत दे, और जो ऐसा करे, उसने कुफ़्र किया और कुफ़्र नबियों का काम नहीं, उनका काम तो ईमान है और ईमान नाम है अल्लाह वाहिद की इबादत और परसतिश का, और यही नबियों की आवाज़ है। जैसे ख़ुद कुरआन फ़र्माता है (وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا نُوْحِیْٓ اِلَيْهِ ..... اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاعْبُدُوْنِ) (21/अम्बिया : 25) या'नी ''तुझसे पहले भी हमने जितने रसूल भेजे सब पर यही वही नाज़िल हुई कि मेरे सिवा कोई मा'बूद है ही नहीं, तुम सब मेरी इबादत करते रहो।'' और जगह फ़र्मान है (وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِیْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ...) (16/नहल : 36) या'नी ''हमने हर उम्मत में रसूल भेजा कि तुम अल्लाह की इबादत करो और अल्लाह के सिवा हर किसी की इबादत से बचो।'' और जगह इर्शाद है तुझसे पहले तमाम रसूलों से पूछ ले कि क्या हमने अपनी ज़ात रहमान के सिवा उनकी इबादत के लिए किसी को मुक़र्रर किया था? फ़रिश्तों की तरफ़ से ख़बर देता है कि (مَنْ يَّقُلْ مِنْهُمْ) (21/अम्बिया : 29) इनमें से अगर कोई कह दे कि मैं मा'बूद हूँ, बजुज़ अल्लाह तआला के तो उसे भी जहन्नम की सज़ा दें और इसी तरह हम ज़ालिमों को बदला देते हैं।

***

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ
مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ ۚ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ
إِصْرِي ۖ قَالُوا أَقْرَرْنَا ۚ قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿٨١﴾ فَمَنْ تَوَلَّىٰ بَعْدَ
ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٨٢﴾

तर्जुमा : ''जब अल्लाह तआला ने नबियों से अहद लिया कि जब मैं तुमको किताब व हिक्मत दूँ फिर तुम्हारे पास वह रसूल आए जो तुम्हारे पास की चीज़ को सच बताए तो तुमको उस पर ईमान लाना और उसकी मदद करना ज़रूरी है, फ़र्माया कि तुम उसके इक़रारी हो और उस पर मेरा ज़िम्मा ले रहे हो? सबने कहा, हमें इक़रार है, फ़र्माया तो अब गवाह रहो और ख़ुद मैं भी तुम्हारे साथ गवाहों में हूँ। (81) पस इसके बाद भी जो पलट जाएँ, वह यक़ीनन पूरे नाफ़र्मान हैं।'' (82)

हर नबी को अपने बाद वाले नबी और रसूलों पर ईमान लाने का हुक्म (आयत : 81, 82) : यहाँ बयान हो रहा है कि हज़रत आदम (ﷺ) से लेकर हज़रत ईसा (ﷺ) तक के तमाम अम्बिया-ए-किराम (ﷺ) से अल्लाह तआला ने वा'दा लिया कि जब कभी भी उनमें से किसी को भी अल्लाह तबारक व तआला किताब व हिक्मत दे और वह बड़े मर्तबे तक पहुँच जाए फिर उसके बाद उसी के ज़माने में रसूल आ जाए तो उस पर ईमान लाना और उसकी नुसरत व इमदाद करना उसका फ़र्ज़ होगा। यह न हो कि अपने इल्म व नबुव्वत पर नज़र डालकर अपने बाद वाले नबी की इत्तिबाअ और इमदाद से रुक जाए। उनसे कहा कि क्या तुम इक़रार करते हो? और मेरा बोझल मज़बूत अहद व मीसाक़ ले रहे हो? सबने कहा, हाँ! हमारा इक़रार है। तो फ़र्माया, गवाह रहो और मैं ख़ुद भी गवाह हूँ। अब इस अहद व मीसाक़ से जो फिर जाए वह क़तई फ़ासिक़, बेहुक्म और बदकार है।

हज़रत अली बिन अबी तालिब और हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (ﷺ) फ़र्माते हैं कि अल्लाह तआला ने हर नबी से अहद लिया कि उसकी ज़िन्दगी में अगर अल्लाह अपने नबी हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा (ﷺ) को भेजे तो उस पर फ़र्ज़ है कि वह आप पर ईमान लाए और आपकी मदद करे। (तब्री : 6/555) और अपनी उम्मत को भी वह यही तल्क़ीन कर दे कि वह भी हुज़ूर पर ईमान लाए और आप (ﷺ) की फ़र्मांबरदारी में लग जाए। ताउस, हसन बसरी और क़तादा (रह.) फ़र्माते हैं कि नबियों से अल्लाह तआला ने अहद लिया कि एक दूसरे की तस्दीक़ करें। कोई यह न समझे कि यह तफ़्सीर ऊपर की तफ़्सीर के ख़िलाफ़ है

बल्कि यह उसकी ताईद है इसीलिए हज़रत ताउस (रह.) से उनके लड़के की रिवायत मिस्ल रिवायत हज़रत अली और हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (ﷺ) के भी मरवी है।

मुस्नद अहमद की रिवायत में है कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (ﷺ) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैंने एक दोस्त कुरज़ी यहूदी से कहा था कि वह तौरात की जामेअ बातें मुझे लिख दे तो अगर आप फ़र्माएँ मैं उन्हें पेश करूँ। हुज़ूर (ﷺ) का चेहरा मुतग़य्यर हो गया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन साबित (ﷺ) ने कहा कि तुम देखते नहीं कि आप (ﷺ) के चेहरा का क्या हाल है? तो हज़रत उमर (ﷺ) कहने लगे कि मैं अल्लाह तआला के रब होने पर, इस्लाम के दीन होने पर, मुहम्मद (ﷺ) के रसूल होने पर ख़ुश हूँ। उस वक़्त हुज़ूर (ﷺ) का गुस्सा दूर हुआ और फ़र्माया, क़सम अल्लाह की जिसके क़ब्ज़े में मेरी जान है, अगर (हज़रत) मूसा (ﷺ) तुममें आ जाएँ और तुम उनकी ताबे'दारी में लग जाओ और मुझे छोड़ दो तो तुम सब गुमराह हो जाओ। तमाम उम्मतों में से मेरे हिस्से की उम्मत तुम हो और तमाम नबियों में से तुम्हारे हिस्से का नबी मैं हूँ।'' (अहमद : 4/265, 266; इसकी सनद मे जाबिर बिन यज़ीद जुअफ़ी ज़ईफ़ रावी है। अत्तक़रीब : 1/123) जिसकी वजह से यह रिवायत सख़्त ज़ईफ़ है। देखिए (अल्मौसूअतुल हदीसिया : 25/198)

मुस्नद अबू यअला में है कि अहले-किताब से कुछ न पूछो, वह ख़ुद गुमराह तो हैं तुमको राहे रास्त कैसे दिखाएँगे। बल्कि मुम्किन है कि तुम किसी बातिल की तस्दीक़ कर लो या किसी हक़ की तक्ज़ीब कर बैठो, अल्लाह तआला की क़सम! अगर मूसा (ﷺ) भी तुममें ज़िन्दा मौजूद होते तो उन्हें भी बजुज़ मेरी ताबे'दारी के और कुछ हलाल न था। (अहमद : 3/338; मुस्नद अबी यअला : 2135; वसनदुहू ज़ईफ़; मुजालिद ज़ईफ़) कुछ अहादीस में है कि अगर मूसा और ईसा (ﷺ) ज़िन्दा होते तो उन्हें भी मेरी इत्तिबाअ के सिवा चारा न था। (यह रिवायत सय्यदना ईसा (ﷺ) के ज़िक्र के साथ बेअसल और बातिल है और सय्यदना मूसा (ﷺ) के ज़िक्र के साथ ज़ईफ़ व मरदूद है।) पस साबित हुआ कि हमारे रसूल हज़रत मुहम्मद (ﷺ) ख़ातिमुल अम्बिया हैं और इमामे आ'ज़म हैं। जिस ज़माने में भी आप (ﷺ) की नबुव्वत होती आप वाजिबुल इताअत थे और तमाम अम्बिया की फ़र्मांबरदारी पर जो उस वक़्त हों, आप (ﷺ) की फ़र्मांबरदारी मुक़द्दम रहती। यही वजह थी कि मे'राज वाली रात बैतुल-मक़्दिस में तमाम अम्बिया (अ.) के इमाम आप ही बनाए गए। इसी तरह मेदाने हश्र में भी अल्लाह तआला को फ़ैसलों के लिए लाने में शफ़ीअ आप (ﷺ) ही होंगे, यही वह मक़ामे महमूद है जो आप (ﷺ) के सिवा और किसी के लायक़ नहीं। तमाम अम्बिया और कुल रसूल उस दिन इस काम से मुँह फेर लेंगे, बिलआख़िर आप (ﷺ) ही ख़ुसूसियत के साथ उस मक़ाम में खड़े होंगे, अल्लाह तआला अपने दरूदो सलाम आप (ﷺ) पर हमेशा-हमेशा भेजता रहे, क़यामत के दिन तक, आमीन।

***

اَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ وَلَهٗٓ اَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا
وَّاِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ ﴿٨٣﴾ قُلْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَآ اُنْزِلَ عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ
وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَآ اُوْتِيَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَالنَّبِيُّوْنَ
مِنْ رَّبِّهِمْ ۖ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ ۡ وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ﴿٨٤﴾ وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ
الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ۚ وَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٨٥﴾

तर्जुमा : ''क्या पस अल्लाह तआला के दीन के सिवा और दीन की तलश में हैं? तमाम आसमानों वाले और सब ज़मीन वाले अल्लाह तआला ही के फ़र्मांबरदार हैं, ख़ुशी से हों तो और जबरन हो तो सब उसी की तरफ़ लौटाए जाएँगे। (83) तू कह दे कि हम अल्लाह तआला पर और जो कुछ हम पर उतारा गया है और जो कुछ इब्राहीम (عليه السلام) और इस्माईल (عليه السلام) पर और इस्हाक़ (عليه السلام) पर और या'क़ूब (عليه السلام) पर और उनकी औलादों पर उतारा गया, सब पर ईमान लाए और जो कुछ मूसा, और ईसा (عليه السلام) पर और दूसरे नबी अल्लाह तआला की तरफ़ से दिए गए, उस पर भी, हम उनमें से किसी के दरम्यान फ़र्क़ नहीं करते, और हम अल्लाह तआला के फ़र्मांबरदार हैं।(84) जो शख़्स इस्लाम के सिवा और दीन तलाश करे उसका वह दीन क़बूल न किया जाएगा, और वह आख़िरत में नुक़्सान पाने वालों में होंगे।'' (85)

ज़मीन व आसमान की हर चीज़ अल्लाह तआला की तस्बीह में मशग़ूल है (आयत 83-85) : अल्लाह तआला के सच्चे दीन के सिवा जो उसने अपनी किताबों में अपने रसूलों की मा'रिफ़त नाज़िल फ़र्माया है या'नी सिर्फ़ अल्लाह वह्दुहू ला शरीक लहू की इबादत करना कोई शख़्स और दीन की तलाश करे और उसे माने उसकी तर्दीद यहाँ बयान हो रही है। फिर फ़र्माया कि आसमान व ज़मीन की तमाम चीज़ें उसकी मुतीअ हैं, ख़्वाह ख़ुशी से हों, ख़्वाह नाख़ुशी से। जैसे कि अल्लाह तआला फ़र्माता है (وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا) अल्ख़ (13/रअद : 15) या'नी ''ज़मीन व आसमान की तमामतर मख़्लूक़ अल्लाह तआला के सामने सज्दे करती है, अपनी ख़ुशी से या जबरन'' और जगह है (اَوَلَمْ يَرَوْا اِلٰى مَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ) (16/नह्ल : 48) ''क्या वह नहीं देखते कि तमाम मख़्लूक़ के साये दायें-बायें झुककर अल्लाह तआला को सज्दा करते हैं और अल्लाह तआला ही को सज्दा करती हैं, आसमानों की सब चीज़ें और ज़मीनों

के कुल जानदार और सब फ़रिश्ते, कोइ भी तकब्बुर नहीं करता, सबके सब अपने ऊपर वाले रब तआला से डरते रहते हैं और जो हुक्म दिए जाएँ बजा लाते हैं।'' पस मो'मिनोंका ज़ाहिर बातिन क़ल्ब व जिस्म दोनों अल्लाह तआला के मुतीअ और उसके फ़र्मांबरदार होते हैं और काफ़िर भी अल्लाह तआला के क़ब्ज़े कुदरत में है और जबरन अल्लाह तआला की जानिब झुका हुआ है, उसके तमाम फ़र्मान उस पर जारी हैं और वह हर तरह कुदरत व मशिय्यते-इलाही के मातहत है, कोई चीज़ भी उसके ग़ल्बे और कुदरत से बाहर नहीं। इस आयत की तफ़्सीर में एक ग़रीब हदीस यह भी वारिद है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, ''आसमानों वाले तो फ़रिश्ते हैं जो बख़ुशी अल्लाह तआला के फ़र्मांबरदार हैं और ज़मीन वाले वह हैं जो इस्लाम पर पैदा हुए हैं, यह भी बशौक़ तमाम अल्लाह तआला के जेरे फ़र्मान हैं, और नाख़ुशी से मातहत वह हैं जो लोग मुसलमान मुजाहिदीन के हाथों में मैदाने जंग में क़ैद होते हैं और तौक़ व ज़ंजीर में जकड़े हुए लाए जाते हैं, यह लोग हैं जो जन्नत की तरफ़ घसीटते जाते हैं और वह नहीं चाहते। (तबरानी : 11473; इसकी सनद में मुहम्मद बिन मिहसन उकाशी है जिसे दारे कुत्नी ने मतरूक और वाज़ेअ क़रार दिया है। देखिए (अल्मीज़ान : 4/25; रक़म : 8120) लिहाज़ा यह रिवायत मौज़ूअ है। जबकि मौक़ूफ़न हज़रत इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से भी साबित नहीं है। वल्लाहु आ'लम) एक सहीह हदीस में है कि तेरे रब तआला को उन लोगों पर ता'ज्जुब होता है जो जन्नत की तरफ़ खींचे जाते हैं, ज़ंजीरों में और रस्सियों में बाँधकर। (सहीह बुख़ारी, किताबुल जिहाद, बाब अल्उसारा फ़िस्सलासिल : 3010) इस हदीस की और सनद भी है लेकिन इस आयत के मा'नी तो यही ज़्यादा क़वी है जो पहले बयान हुए। हज़रत मुजाहिद (रह.) फ़र्माते हैं कि यह आयत इस आयत जैसी है (وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ) (31/लुक़्मान : 25) ''अगर तू इनसे पूछे कि आसमानों और ज़मीन को किसने पैदा किया तो यक़ीनन वह यही जवाब देंगे कि अल्लाह तआला ने।'' इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) फ़र्माते हैं इससे मुराद वह वक़्त है जब रोज़े अज़ल में इन सबसे मीसाक़ और अहद लिया था। और सब उसी की तरफ़ लौटाए जाएँगे या'नी क़यामत के दिन और हर एक को वह उसके अमल का बदला देगा।

फिर फ़र्माता है कि तू कह, हम अल्लाह पर ईमान लाए और कुरआन पर और इब्राहीम और इस्माईल और इस्हाक़ और या'क़ूब (عليهم السلام) पर जो सहीफ़े और वह्यी उतरी हम उस पर भी ईमान लाए और उनकी औलादों पर जो उतरा उस पर भी हमारा ईमान है (अस्बात) से मुराद बनी इस्राईल के क़बाइल हैं जो हज़रत या'क़ूब (عليه السلام) की नस्ल में से थे। यह हज़रत या'क़ूब (عليه السلام) के बारह बेटों की औलाद थे। हज़रत मूसा (عليه السلام) को तौरात दी गई थी और हज़रत ईसा (عليه السلام) को इंजील और भी जितने अम्बिया-ए-किराम अल्लाह तआला की तरफ़ से कुछ लाए, हमारा ईमान उन सब पर है, हम उनमें कोई फ़र्क़ और जुदाई नहीं करते कि किसी को मानें किसी को न मानें बल्कि हमारा सब पर ईमान है और हम अल्लाह तआला के फ़र्मांबरदार हैं। पस इस उम्मत के मो'मिन तमाम अम्बिया और कुल इल्हामी किताबों को मानते हैं किसी के साथ कुफ़्र नहीं करते, हर किताब और हर नबी को सच्चा जानते हैं। फिर फ़र्माया कि दीन अल्लाह तआला के सिवा जो शख़्स किसी और राह पर चले उससे क़बूलियत दूर है और आख़िरत में वह नुक़्सान में पड़ा। जैसे सहीह हदीस में रसूलुल्लाह (ﷺ) का इर्शाद है कि ''जो शख़्स ऐसा अमल करे जिस पर हमारा हुक्म न हो,

वह मरदूद है।'' (सहीह बुख़ारी, किताबुस्सुलह, बाब इज़ा इस्तलहू अला सुलहि जौरिन ....: 2697; सहीह मुस्लिम : 1718; वल लफ़्ज़ लहू) मुस्नद अहमद में है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़र्माते हैं, ''क़यामत के दिन आ'माल आयेंगे, नमाज़ आकर कहेगी कि ऐ अल्लाह! मैं नमाज़ हूँ। अल्लाह तआला फ़र्माएगा तू अच्छी चीज़ है। सदक़ा आएगा और कहेगा कि मैं सदक़ा हूँ, जवाब मिलेगा तू भी ख़ैर पर है। रोज़ा आकर कहेगा मैं रोज़ा हूँ, अल्लाह तआला फ़र्माएगा तू भी बेहतरी पर है, फिर इसी तरह और आ'माल भी आते जाएँगे और सबको यही जवाब मिलता रहेगा। फिर इस्लाम आएगा और कहेगा ऐ अल्लाह! तू सलाम है और मैं इस्लाम। अल्लाह तआला फ़र्माएगा तू ख़ैर पर है, आज तेरे ही बाइस मैं पकडूँगा और तेरी ही वजह से मैं इन्आम करूँगा।'' अल्लाह तआला अपनी किताब में फ़र्माता है (वमय्यंब्तग़ि) यह हदीस सिर्फ़ मुस्नद अहमद में है। (अहमद : 2/362; वसनदुहू ज़ईफ़; मुस्नद अबी यअला : 6231; अल्मुअजमुल औसत लित्तबरानी : 7607; इसकी सनद में अब्बाद बिन राशिद है जिसको इब्ने मुईन और अबूदाऊद वग़ैरह ने ज़ईफ़ कहा है। (अल्मीज़ान 2/365; रक़म : 4113) जबकि हसन बसरी का अबू हुरैरह (رضي الله عنه) से सिमाअ साबित नहीं जिसकी वजह से यह रिवायत ज़ईफ़ है। देखिए (अल्मौसूअतुल हदीसिया : 14/355) और अल्लामा हेस्मी (रह.) का मतन ग़रीब और ख़बर वाही बतलाते हैं। देखिए (मज्मउज़्ज़वाइद : 10/244)) और इसके रावी हसन का हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) से सिमाअ साबित नहीं।

***

كَيْفَ يَهْدِى اللّٰهُ قَوْمًا كَفَرُوْا بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ وَشَهِدُوْٓا اَنَّ الرَّسُوْلَ حَقٌّ
وَّجَآءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ ۭ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٨٦﴾ اُولٰۗىِٕكَ جَزَاۗؤُھُمْ اَنَّ
عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللّٰهِ وَالْمَلٰۗىِٕكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ﴿٨٧﴾ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ
الْعَذَابُ وَلَا ھُمْ يُنْظَرُوْنَ ﴿٨٨﴾ اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوْا ۟ فَاِنَّ
اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٨٩﴾

तर्जुमा : ''अल्लाह तआला उन लोगों को कैसे हिदायत दे जो अपने ईमान लाने और रसूल की हक़्क़ानियत की गवाही देने और अपने पास रोशन दलीलें आ जाने के बाद काफ़िर हो जाएँ। अल्लाह तआला ऐसे बेइंसाफ़ लोगों को राहे रास्त पर नहीं लाता। (86) उन पर तो

यही सज़ा है कि उन पर अल्लाह तआला की और फ़रिश्तों की और तमाम लोगों की ला'नत हो (87) जिसमें यह हमेशा पड़े रहे, न तो इनसे अज़ाब हल्का किया जाएगा और न इन्हें मुहलत दी जाए। (88) मगर जो लोग इसके बाद तौबा और इस्लाह़ कर लें तो बेशक अल्लाह तआला बख़्शने वाला मेहरबान है।" (89)

अगर मुर्तद सच्ची तौबा कर ले (आयत 86-89) : ह़ज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (ﷺ) फ़र्माते हैं कि एक अंसारी मुर्तद होकर मुश्रिकीन से जा मिला। फिर पछताने लगा और अपनी क़ौम से कहलवाया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) से पूछिए कि क्या मेरी तौबा फिर क़बूल हो सकती है? उनके पूछने पर यह आयात नाज़िल हुई। उसकी क़ौम ने उसे कहलवा भेजा, वह फिर तौबा करके नए सिरे से मुसलमान होकर ह़ाज़िर हो गया। (इब्ने जरीर) नसाई, ह़ाकिम और इब्ने ह़िब्बान में भी यह रिवायत मौजूद है। (अह़मद : 1/247; इब्ने ह़िब्बान : 4460; ह़ाकिम : 2/142; त़ब्री : 7358; इसे ह़ाकिम (रह़.) ने सह़ीह़ कहा है और ज़हबी (रह़.) ने इनकी मुवाफ़िक़त की है। नसाई : 7/107; ह़ : 4073; वसनदुहू सह़ीह़) इमाम ह़ाकिम (रह़.) इसे सह़ीह़ुल इस्नाद कहते हैं। मुस्नद अब्दुर्रज़्ज़ाक़ में है कि ह़ारिस बिन सुवेद ने इस्लाम क़बूल किया, फिर अपनी क़ौम में मिल गया और इस्लाम से फिर गया, उसके बारे में यह आयात उतरीं। उसकी क़ौम के एक शख़्स ने यह आयात पढ़कर सुनाई तो उसने कहा, जहाँ तक मेरा ख़्याल है अल्लाह तआला की क़सम! तू सच्चा है और अल्लाह तआला के नबी तो तुझसे बहुत ही ज़्यादा सच्चे हैं और अल्लाह तआला सब सच्चों से ज़्यादा सच्चा है। फिर वह हुज़ूर (ﷺ) की त़रफ़ लौट आए और इस्लाम लाए और बहुत अच्छी त़रह़ से इस्लाम को निभाया। (तफ़्सीर अब्दुर्रज़्ज़ाक़ : 1/131; वसनदुहू ज़ईफ़)

बय्यिनात से मुराद रसूलुल्लाह (ﷺ) की तस्दीक़ पर हुज्जतों और दलीलों का बिलकुल वाज़ेह़ हो जाना है। पस जो लोग ईमान लाए रसूल की ह़क़्क़ानियत मान चुके, दलीलें देख चुके फिर शिर्क के अंधेरों में जा छुपे, यह लोग मुस्तह़िक़े हिदायत नहीं, क्योंकि आँखों के होते हुए अंधेपन को उन्होंने पसंद किया। अल्लाह तआला नाइंसाफ़ लोगों की रहबरी नहीं करता, उन्हें अल्लाह तआला ला'नत करता है और उसकी मख़्लूक़ भी, जो ला'नत दाइमी है, न तो किसी वक़्त उनके अज़ाबों में तख़्फ़ीफ़ होगी न मौक़ूफ़ी।

फिर अपना लुत़्फ़ो-एह़सान राफ़त व रह़म का बयान फ़र्माता है कि इस बदतरीन जुर्म के बाद भी जो मेरी त़रफ़ झुके और अपने बदआ'माल की इस्लाह़ कर ले, मैं भी उससे दरगुज़र कर लेता हूँ।

***

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَٰئِكَ
هُمُ الضَّالُّونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ
أَحَدِهِم مِّلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ ۗ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا
لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ ﴿٩١﴾

तर्जुमा : ''बेशक जो लोग अपने ईमान के बाद कुफ़्र करें फिर कुफ़्र में बढ़ जाएँ उनकी तौबा हर्गिज़-हर्गिज़ क़बूल न की जाएगी, यही गुमराह लोग हैं।(90) हाँ! जो लोग कुफ़्र करें और मरते दम तक काफ़िर रहें उनमें से कोई अगर ज़मीन भर सोना दे गो फ़िदये मे ही हो तो भी हर्गिज़ क़बूल न किया जाएगा, यही लोग हैं जिनके लिए तक्लीफ़ देने वाला अ़ज़ाब है और जिनका कोई मददगार नहीं।'' (91)

ह़ालते नज़अ़ (रूह निकलते वक़्त) में तौबा क़बूल नहीं (आयत 90, 91) : ईमान के बाद कुफ़्र करने वालों को फिर उसी कुफ़्र पर मरने वालों को परवरदिगारे आ'लम डरा रहा है कि मौत के वक़्त की तुम्हारी तौबा क़बूल नहीं होगी। जैसे और जगह है (وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ) (4/निसाअ : 18) आख़िर दम तक या'नी मौत के वक़्त तक गुनाहों मे मुब्तला रहने वाले मौत को देखकर जो तौबा करें वह अल्लाह तआला के यहाँ क़बूल नहीं। और यही यहाँ है कि उनकी तौबा हर्गिज़ मक़्बूल न होगी और यही लोग वह हैं जो राहे ह़क़ से भटककर बातिल राह पर लग गए। ह़ज़रत इब्ने अ़ब्बास (رضی اللہ عنہ) फ़र्माते हैं कि कुछ लोग मुसलमान हुए फिर मुर्तद हो गए फिर इस्लाम लाए फिर मुर्तद हो गए फिर अपनी क़ौम के पास आदमी भेजकर पुछवाया कि क्या अब हमारी तौबा है? उन्हों ने हुज़ूर (ﷺ) से सवाल किया, इस पर यह आयत उतरी (बज़्ज़ार) इसकी इस्नाद बहुत उ़म्दह है। (अद्दुर्रुल मंसूर : 2/258)

फिर फ़र्माता है कि कुफ़्र पर मरने वालों की कोई नेकी क़बूल नहीं, गो उसने ज़मीन भरकर सोना अल्लाह तआला की राह में ख़र्च किया हो। नबी (ﷺ) से पूछा गया कि अ़ब्दुल्लाह बिन जिदआ़न जो बड़ा मेहमान नवाज़ गुलाम आज़ाद करने वाला और खाना खिलाने वाला शख़्स था, क्या उसे उसकी यह नेकी काम आएगी? तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ''नहीं! उसने सारी उ़म्र में एक दफ़ा भी (رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي) (يَوْمَ الدِّينِ) नहीं कहा, या'नी ऐ मेरे रब! मेरी ख़ताओं को क़यामत के दिन बख़्श।'' (सह़ीह़ मुस्लिम, किताबुल ईमान, बाब अद्दलीलु अ़ला अन्न मम् माता अ़लल कुफ़्रि ... : 214) जिस त़रह़ इसकी ख़ैरात ना मक़्बूल है उसी त़रह़ फ़िदया और मुआवज़ा भी। जैसे और जगह है (لَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ) (2/बक़रह : 123) ''इनसे न बदला मक़्बूल न इन्हें सिफ़ारिश का नफ़ा'' और फ़र्माया (لَّا بَيْعٌ

(فِيهِ وَلَا خِلَٰلٌ) (14/इब्राहीम : 31) "उस दिन न ख़रीदो-फ़रोख़्त है न मवद्दत व मुहब्बत" और जगह इर्शाद है (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُم) (5/माइदा : 36) या'नी अगर काफ़िरों के पास ज़मीन में जो कुछ हो और उतना ही और भी हो, फिर वह उन सबको क़यामत के अ़ज़ाबों के बदले फ़िदया दें तो भी नामक़बूल है, उन तक्लीफ़ वाले अलमनाक अ़ज़ाब को सहना ही पड़ेगा। यही मज़्मून यहाँ भी फ़र्माया गया है। कुछ ने (वलविफ़्तदा) की वाव को ज़ाइद कहा है लेकिन वाव को अ़त्फ़ की मानना और वह तफ़्सीर करना जो हमने की बहुत बेहतर है, वल्लाहु आ'लम! पस साबित हुआ कि अल्लाह तआ़ला के अ़ज़ाबों से कुफ़्फ़ार को कोई चीज़ नहीं छुड़ा सकती गो वह बड़े नेक और निहायत ख़र्चीले हों, गो ज़मीन भर-भरकर सोना अल्लाह की राह में लुटाएँ या पहाड़ों और टीलों की मिट्टी और रेत नर्म ज़मीन और सख़्त ज़मीन ख़ुश्की और तरी के हमवज़न सोना अ़ज़ाबों के बदले देना चाहें, दें। मुस्नद अहमद में है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़र्माते हैं "जहन्नमी से क़यामत के दिन कहा जाएगा कि ज़मीन पर जो कुछ है अगर तेरा हो जाए तो क्या तू इस सबको इन सज़ाओं के बदले अपने फ़िदये में दे डालेगा, वह कहेगा, हाँ! तो जनाब बारी तआ़ला का इर्शाद होगा कि मैंने तुझसे बनिस्बत इसके बहुत ही कम चाहा था, मैंने तुझसे उस वक़्त वा'दा लिया था जब तू अपने बाप आदम (عليه السلام) की पीठ में था कि मेरे साथ किसी को शरीक न बनाना लेकिन तू शिर्क किए बग़ैर न रहा।" यह हदीस बुख़ारी व मुस्लिम में भी दूसरी सनद के साथ है। (अहमद : 3/218; सहीह बुख़ार, किताबुर्रिक़ाक़, बाब सिफ़तुल जन्नत वन्नार : 6557; सहीह मुस्लिम : 2805)

मुस्नद अहमद की एक और हदीस में है कि हज़रत अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) फ़र्माते हैं रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया "एक जन्नती को लाया जाएगा और उससे अल्लाह तआ़ला फ़र्माएगा कहो तुमने कैसी जगह पायी? वह जवाब देगा कि ऐ अल्लाह! बहुत ही बेहतर। अल्लाह तआ़ला फ़र्माएगा अच्छा और जो कुछ मांगना हो, माँगो, दिल में जो तमन्ना हो कहो, तो यह कहेगा, बारी तआ़ला! मेरी सिर्फ़ यही तमन्ना है और मेरा एक ही सवाल है कि मुझे दुनिया में फिर भेज दे ताकि मैं तेरी राह मे जिहाद करूँ और फिर शहीद हो जाऊँ, फिर ज़िन्दा हो जाऊँ, फिर शहीद हो जाऊँ, दस मर्तबा ऐसा ही हो। क्यों कि वह शहादत की फ़ज़ीलत और शहीद के मर्तबे देख चुका है। इसी तरह एक जहन्नमी को बुलाया जाएगा और उससे अल्लाह तआ़ला फ़र्माएगा, ऐ इब्ने आदम! तूने अपनी जगह कैसी पायी? वह कहेगा, ऐ अल्लाह! बहुत बुरी। अल्लाह तआ़ला फ़र्माएगा, क्या सारी ज़मीन भरकर सोना देकर इन अ़ज़ाबों से छूटना तुझे पसंद है? वह कहेगा, हाँ! बारी तआ़ला। उस वक़्त जनाब बारी तआ़ला फ़र्माएगा तू झूठा है मैंने तो इससे बहुत ही कम और बिलकुल आसान चीज़ तुझसे तलब की थी लेकिन तूने उसे भी न किया। चुनाँचे वह जहन्नम मे भेज दिया जाएगा। (अहमद : 3/239; नसाई : 3162; वसनदुहू सहीह; इब्ने हिब्बान : 7350; हाकिम : 2/75; इमाम हाकिम (रह.) ने इसे मुस्लिम की शर्त पर सहीह कहा है और इमाम ज़हबी (रह.) ने इनकी मुवाफ़िक़त की है।) पस यहाँ फ़र्माया कि इनके लिए तक्लीफ़ देने वाला अ़ज़ाब है और कोई ऐसा नहीं जो इन अ़ज़ाबों से आपको छुड़ा सके या किसी तरह की मदद कर सके।" (अल्लाह तआ़ला हमें अपने अ़ज़ाबों से महफ़ूज़ रखे, आमीन या रब्बल आलमीन!)

***

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ﴿٩٢﴾

तर्जुमा : ''जब तक तुम अपनी पसंदीदा चीज़ को अल्लाह की राह में ख़र्च न करोगे, हर्गिज़ भलाई न पाओगे, तुम जो ख़र्च करो, उसे अल्लाह तआला बख़ूबी जानता है।'' (92)

अल्लाह के रास्ते में (अपनी पसंदीदा) अच्छी चीज़ सदक़ा की जाए (आयत 92) : हज़रत अम्र बिन मेमून (रह.) कहते हैं कि 'बिर्र' (नेकी व भलाई) से यहाँ जन्नत मुराद है या'नी ''जब तक तुम अपनी पसंदीदा चीज़ को अल्लाह तआला की राह में ख़र्च न करोगे, हर्गिज़ जन्नत में दाख़िल न होगे।'' हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) से रिवायत है कि तमाम अंसार में से हज़रत अबू तलहा (ﷺ) सबसे ज़्यादा मालदार थे। वह अपने तमाम माल और जायदाद में 'बीरेहा' (नामी बाग़) को जो मस्जिदे नबवी (ﷺ) के सामने था, सबसे ज़्यादा पसंद करते थे। आँहज़रत (स) भी अकसर उस बाग़ में जाया करते थे और उसके कूएँ का उम्दह मीठा पानी पिया करते थे। जब यह मज़्कूरा बाला आयत नाज़िल हुई तो हज़रत अबू तलहा (ﷺ) ने हाज़िर होकर आपसे अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! अल्लाह तआला इस तरह फ़र्माता है और मेरा सबसे ज़्यादा अज़ीज़ माल यही 'बीरेहा (नामी बाग़) है। लिहाज़ा मैं इसको इस उम्मीद में कि जो भलाई अल्लाह तआला के पास है वही मेरे लिए जमा रहे, अल्लाह तआला की राह में सदक़ा करता हूँ, लिहाज़ा आप (ﷺ) को इख़्तियार है जिस तरह मुनासिब समझें इसको बांट दें। आप (ﷺ) ख़ुश होकर फ़र्माने लगे कि ''वाह! वाह! यह बहुत ही फ़ायदेमंद माल है, इससे लोगों को बहुत फ़ायदा होगा'' फिर फ़र्माया, ''मेरी राय यह है कि इस बाग़ को अपने रिश्तेदारों में तक़्सीम कर दो।'' हज़रत अबू तलहा (ﷺ) ने अर्ज़ किया कि ''बहुत अच्छा'' और फिर उसे अपने रिश्तेदारों और चचाज़ाद भाईयों में तक़्सीम कर दिया। (मुस्नद अहमद : 3/141; सहीह बुख़ारी, किताबुज़्ज़कात, बाबुज़्ज़कात अलल अक़ारिब : 1461; सहीह मुस्लिम : 998; मुअत्ता इमाम मालिक : 2/595)

बुख़ारी व मुस्लिम में आया है कि एक दफ़ा हज़रत उमर (ﷺ) भी आप (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुए और अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! मेरा सबसे ज़्यादा अज़ीज़ और बेहतर माल वह है जो ख़ेबर में मेरी ज़मीन का एक हिस्सा है (मैं उसको अल्लाह की राह में सदक़ा करना चाहता हूँ) फ़र्माइए क्या करूँ? आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि ''असल (ज़मीन) को अपने क़ब्ज़े में रखो ओर उसकी पैदावार फल वग़ैरह अल्लाह की राह में वक़्फ़ कर दो।'' (सहीह बुख़ारी, किताबुल वसाया बाबुल वक़्फ़ कैफ़ युक्तुब : 2772; सहीह मुस्लिम : 1632; नसाई : 3633; इब्ने माजा : 2397; बइख़्तिलाफ़ अल्फ़ाज़ जबकि इन ही अल्फ़ाज़ से रिवायत को शैख़ अल्बानी (रह.) ने सहीह क़रार दिया है। देखिए (अल्इरवाअ : 1583) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) फ़र्माते हैं कि जब मैं तिलावत के दौरान इस मज़्कूरा बाला आयत पर पहुँचा तो मैं अपने तमाम माल व जायदाद को तसव्वुर में लाया, लेकिन मुझे अपनी रूमी कनीज़ से ज़्यादा कोई चीज़ महबूब नज़र न आई, लिहाज़ा मैंने उसी को अल्लाह तआला की राह में आज़ाद कर दिया (मेरे दिल में उसकी इतनी मुहब्बत है कि) अगर मैं अल्लाह की राह में दी हुई किसी चीज़ को वापिस ले सकता तो उस कनीज़ से तो मैं ज़रूर ही निकाह कर लेता। (मुस्नद बज़्ज़ार, बसनदुह ज़ईफ़; अबू अम्र बिन हम्मास आबिद मस्तूर (मज्हूलुल हाल) है लेकिन फिर भी हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) ने मुख़्तसर ज़वाइदुल बज़्ज़ार : 2/76 में इसकी सनद को हसन क़रार दिया है।)

كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِّبَنِيٓ اِسْرَآءِيْلَ اِلَّا مَا حَرَّمَ اِسْرَآءِيْلُ عَلٰى نَفْسِهٖ مِنْ

قَبْلِ اَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرٰىةُ ؕ قُلْ فَاْتُوْا بِالتَّوْرٰىةِ فَاتْلُوْهَآ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٩٣﴾ فَمَنِ

افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٩٤﴾ قُلْ صَدَقَ

اللّٰهُ ۗ فَاتَّبِعُوْا مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ؕ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿٩٥﴾

तर्जुमा : ''तौरात के नुज़ूल से पहले (हज़रत) या'क़ूब (ﷺ) ने जिस चीज़ को अपने ऊपर हराम कर लिया था, उसके सिवा तमाम खाने बनी इस्राईल पर हलाल थे कहो कि अगर तुम सच्चे हो तो तौरात ले आओ और पढ़कर सुनाओ। (93) उसके बाद भी जो लोग अल्लाह तआ़ला पर झूठ बोहतान बाँधें वही ज़ालिम हैं। (94) कह दो कि अल्लाह तआ़ला सच्चा है तुम सब इब्राहीम हनीफ़ की पैरवी करो जो मुश्रिक न थे।'' (95)

यहूदियों के सवालात पर आँहज़रत (ﷺ) के जवाबात और यहूदियों की हठधर्मी (आयत 93-95) : इमाम अह़मद (रह.) अपनी मुस्नद में इब्ने अ़ब्बास (رضي الله عنه) से रिवायत करते हैं कि एक दफ़ा कुछ यहूदी आँहज़रत (ﷺ) के पास आए और कहा कि हम आपसे चंद ऐसी बातें पूछते हैं जिनके जवाब सिवाए नबियों के और कोई नहीं जानता। आप (ﷺ) उनका जवाब दीजिए। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ''जो चाहो पूछो लेकिन अल्लाह को ह़ाज़िर-नाज़िर जानकर मुझसे वह वा'दा करो जो ह़ज़रत या'क़ूब (ﷺ) ने अपने बेटों (बनी इस्राईल) से लिया था कि अगर मैंने वह बातें तुम्हें ठीक-ठीक बता दीं तो तुम इस्लाम लाकर मेरे ताबेअ़ और फ़र्मांबरदार बन जाओगे।'' उन्होंने क़समें खा खाकर कहा कि हमें यह बात मंज़ूर है। अगर आप (ﷺ) ने स़ह़ीह़ स़ह़ीह़ जवाबात बतला दिए तो हम ज़रूर इस्लाम क़बूल कर लेंगे और आप (ﷺ) के फ़र्मां बरदार बन जाएँगे। फिर कहने लगे कि हमें यह चार बातें बतलाईए, बतलाईए कि ह़ज़रत इस्राईल या'क़ूब (ﷺ) ने अपने ऊपर कौनसा खाना ह़राम कर लिया था? औरत का पानी और मर्द का पानी कैसा होता है? (और क्यूँ) कभी लड़का होता है कभी लड़की? और नबी उम्मी (ﷺ) की नींद कैसी है? और फ़रिश्तों में से कौनसा फ़रिश्ता उसके पास वह़ी लेकर आता है? उसके बाद आप (ﷺ) ने दोबारा उनसे क़समें लीं। और फिर ह़ुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया कि ''ह़ज़रत इस्राईल (ﷺ) सख़्त बीमार हुए तो नज़्र मानी कि अगर अल्लाह तआ़ला शिफ़ा देगा तो जो सबसे ज़्यादा प्यारी चीज़ खाने पीने की है, छोड़ दूँगा। जब शिफ़ायाब हो गए तो ऊँट का गोश्त और दूध छोड़ दिया। मर्द का पानी सफ़ेद रंग का और गाढ़ा होता है और औरत का पानी ज़र्दी माईल पतला होता है, दोनों मे से जो ऊपर आ जाए उस पर औलाद नर व मादा होती है। और शक्ल व शबाहत में भी उसी पर जाती है। इस नबी उम्मी की नींद मे इसकी आँखें सोती हैं लेकिन दिल जागता रहता है। मेरे पास वह़ी लेकर वही

फ़रिश्ता आता है जो तमाम अम्बिया (عليهم السلام) के पास आता रहा।'' या'नी जिब्राईल (عليه السلام), बस इस पर वह चीख़ उठे और कहने लगे अगर कोई और फ़रिश्ता आप (ﷺ) का वली होता तो हमें आप (ﷺ) की नबुव्वत तस्लीम करने में कोई उ़ज़्र न रहता। हर सवाल के जवाब के वक़्त आप (ﷺ) उन्हें क़सम देते और उनसे पूछते और वह इक़रार करते कि हाँ जवाब स़हीह़ है। उन्हीं के बारे में आयत (مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيْلَ) (2/बक़रह : 97) नाज़िल हुई। (अह़मद : 1/278; वसनदुहू ह़सन)

और रिवायत में है कि ह़ज़रत इस्राईल (عليه السلام) को अ़र्कुन निसाअ की बीमारी थी और उसमें उनका एक पाँचवाँ सवाल यह भी है कि यह रअ़द क्या चीज़ है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ''अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल के फ़रिश्तों में से एक फ़रिश्ता है जो बादलों पर मुक़र्रर है उसके हाथ में आग का एक कोड़ा है जिससे बादलों को जहाँ अल्लाह का हुक्म हो ले जाता है, और यह गरज की आवाज़ उसी की आवाज़ है।'' जिब्राईल (عليه السلام) का नाम सुनकर यह कहने लगे, वह तो अ़ज़ाब और जंगो जिदाल का फ़रिश्ता है और हमारा दुश्मन है, अगर पैदावार और बारिश के फ़रिश्ते ह़ज़रत मीकाईल (عليه السلام) आप (ﷺ) के रफ़ीक़ होते तो हम मान लेते। (अह़मद : 1/274; तिर्मिज़ी, किताब तफ़्सीरुल क़ुरआन, बाब वमिन सूरतिर्रअ़द : 3117; वसनदुहू ह़सन) ह़ज़रत या'क़ूब (عليه السلام) के रवय्या पर उनकी औलाद भी रही और वह भी ऊँट के गोश्त से परहेज़ करती रही। इस आयत को अगली आयत से मुनासिबत एक तो यह है कि जिस त़रह़ ह़ज़रत इस्राईल (عليه السلام) ने अपनी चहेती चीज़ अल्लाह तआ़ला की नज़्र कर दी उसी त़रह़ तुम भी किया करो। लेकिन या'क़ूब (عليه السلام) की शरीअ़त में इसका त़रीक़ा यह था कि अपनी पसंदीदा और मरग़ूब चीज़ को अल्लाह के नाम पर तर्क करें, जैसे फ़र्माया (وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ) (2/बक़रह : 177) और फ़र्माया (يُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ) (76/दहर : 8) ''बावजूद मुह़ब्बत और चाहत के वह हमारी राह में माल ख़र्च करते हैं और मिस्कीनों को खाना देते हैं।'' दूसरी मुनासिबत यह भी है कि अगली आयतों में नस़रानियों का रद्द था तो यहाँ यहूदियों का रद्द हो रहा है। उनके रद्द में ह़ज़रत ईसा (عليه السلام) की पैदाइश का स़ह़ीह़ वाक़िया बतलाकर उनके अ़क़ीदे का रद्द किया था, यहाँ नस्ख़ का स़ाफ़ बयान करके उनके बात़िल अ़क़ीदे के रद्द में इर्शाद हो रहा है। उनकी किताब में स़ाफ़ मौजूद था कि जब ह़ज़रत नूह़ (عليه السلام) कश्ती से ख़ुश्की पर उतरे तो उन पर तमाम जानवरों का खाना ह़लाल था, फिर ह़ज़रत या'क़ूब (عليه السلام) ने ऊँट का गोश्त और ऊँट का दूध अपने ऊपर ह़राम कर लिया और उनकी औलाद भी उसे ह़राम जानती रही। चुनाँचे तौरात में भी इसकी ह़ुर्मत नाज़िल हुई। इसी त़रह़ और भी कुछ चीज़ें ह़राम की गईं, यह नस्ख़ नहीं तो और क्या है?

हर नबी की शरीअ़त स़िर्फ़ अपनी उम्मत के लिए ही ख़ास़ है : ह़ज़रत आदम (عليه السلام) की सुल्बी औलाद का आपस में बहन भाई का निकाह़ इब्तिदाअन होता था लेकिन बाद में ह़राम कर दिया। औरतों पर लोण्डियाँ लाना शरीअ़ते इब्राहीमी में मुबाह़ था, ख़ुद ह़ज़रत इब्राहीम (عليه السلام) ह़ज़रत सारा (عليها السلام) पर ह़ज़रत हाजिरा (عليها السلام) को लाए, लेकिन फिर तौरात में इससे रोका गया। दो बहनों से एक साथ निकाह़ करना ह़ज़रत या'क़ूब (عليه السلام) के ज़माने में जाइज़ था बल्कि ख़ुद ह़ज़रत या'क़ूब (عليه السلام) के घर में बैक वक़्त दो सगी बहनें थीं लेकिन फिर तौरात में यह ह़राम हो गया, इसी को नस्ख़ कहते हैं। इसे वह देख रहे हैं अपनी किताब में पढ़ रहे हैं लेकिन फिर नस्ख़ का इंकार करके इंजील को और ह़ज़रत ईसा (عليه السلام) को नहीं मानते और उनके बाद ख़ात्मुल

मुर्सलीन (ﷺ) के साथ भी यही सलूक करते हैं, तो यहाँ फ़र्माया कि तौरात के नाज़िल होने से पहले तमाम खाने हलाल थे, सिवाए उसके जिसे इस्राईल (अलैहिस्सलाम) ने अपनी जान पर हराम कर लिया था, तुम तौरात लाओ और पढ़ो, उसमें मौजूद है। फिर बावजूद इसके तुम्हारी यह बोहतान बाज़ियाँ और इफ़्तिरा परदाज़ियाँ कि अल्लाह तआ़ला ने हमारे लिए हफ़्ता ही के दिन को हमेशा के लिए ईद का दिन मुक़र्रर किया है और हमसे अहद लिया है कि हम हमेशा तौरात के ही आ़मिल रहें और किसी और नबी को न मानें, यह किस क़द्र ज़ुल्म व जोर है तमाम बातों के बावजूद तुम्हारी यह रविश यक़ीनन ज़ालिम व जाबिर ठहराती है।

अल्लाह तआ़ला ने सच्ची ख़बर दे दी, इब्राहीमी दीन वही है जिसे क़ुरआन बयान कर रहा है, तुम इस किताब और इस नबी (ﷺ) की पैरवी करो, न इनसे आ'ला कोई नबी, न इससे बेहतर और ज़्यादा वाज़ेह कोई शरीअ़त। जैसे और जगह (قُلْ اِنَّنِیْ هَدٰىنِیْ رَبِّیْٓ اِلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِیْمٍ) अल्ख़ (6/अन्आम : 161) ''ऐ नबी! तुम कह दो कि मुझे मेरे रब ने सीधी राह इब्राहीम हनीफ़ मुवह्हिद के मज़बूत दीन की दिखा दी है।'' और जगह है ''हमने तेरी तरफ़ वही की कि इब्राहीम हनीफ़ मुवह्हिद (तौहीद परस्त) के दीन की ताबे'दारी कर।''

***

اِنَّ اَوَّلَ بَيۡتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِىۡ بِبَكَّةَ مُبٰرَكًا وَّهُدًى لِّلۡعٰلَمِيۡنَ ۚ‏ ﴿۹۶﴾ فِيۡهِ
اٰيٰتٌ ۢ بَيِّنٰتٌ مَّقَامُ اِبۡرٰهِيۡمَ ۚ وَمَنۡ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا ؕ وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ
الۡبَيۡتِ مَنِ اسۡتَطَاعَ اِلَيۡهِ سَبِيۡلًا ؕ وَمَنۡ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ عَنِ الۡعٰلَمِيۡنَ‏ ﴿۹۷﴾

तर्जुमा : ''अल्लाह तआ़ला का पहला घर जो लोगों के लिए मुक़र्रर किया गया वह जो मक्का मुकर्रमा में है जो तमाम दुनिया के लिए बरकत व हिदायत वाला है। जिसमें खुली-खुली निशानियाँ हैं। (96) मक़ामे इब्राहीम है, इसमें जो आ जाए, अमन वाला हो जाता है, अल्लाह तआ़ला ने उन लोगों पर जो उसकी तरफ़ राह पा सकते हों इस घर का हज्ज फ़र्ज़ कर दिया है। और जो कोई कुफ़्र करे तो अल्लाह तआ़ला (उससे बल्कि) तमाम दुनिया से बेपरवाह है।'' (97)

अल्लाह तआ़ला का पहला घर (आयत 96, 97) : (मस्जिदे-हराम) या'नी लोगों की इबादत, क़ुर्बानी, तवाफ़, नमाज़, ए'तिकाफ़ वग़ैरह के लिए अल्लाह का घर है जिसके बानी हज़रत इब्राहीम ख़लीलुल्लाह (अलैहिस्सलाम) हैं जिनकी ताबे'दारी का दा'वा यहूद व नसारा मुश्रिकीन और मुसलमान सबको है वह अल्लाह का घर जो सबसे पहले मक्का में बनाया गया है, यही ख़लीलुल्लाह हज्ज के पहले मुनादी हैं तो फिर ता'ज्जुब और अफ़सोस है उन पर जो मिल्लते हनीफ़ी का दा'वा करें और इस घर का एहतिराम न करें, हज्ज को

यहाँ न आएँ बल्कि अपने क़िब्ले और का'बे अलग-अलग करते फिरें। इस बैतुल्लाह की बनावट में ही बरकत व हिदायत है और वह तमाम जहान वालों के लिए है।

हज़रत अबू ज़र (ﷺ) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से पूछा कि सबसे पहले कौनसी मस्जिद बनाई गई है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, "मस्जिदे हराम" पूछा फिर कौनसी? मस्जिदे बैतुल मक़्दिस' पूछा इन दोनों के दरम्यान कितना वक़्त है? फ़र्माया, "चालीस साल" पूछा फिर कौनसी? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, जहाँ कहीं नमाज़ का वक़्त आ जाए नमाज़ पढ़ लिया करो सारी ज़मीन मस्जिद है" (मुस्नद अहमद : 5/150; बुख़ारी, किताबुल अम्बिया, बाबरक़म : 10; ह : 3366; सहीह मुस्लिम : 520; नसाई : 690; इब्ने माजा : 753)

हज़रत अली (ﷺ) फ़र्माते हैं कि घर तो पहले बहुत से थे लेकिन ख़ास अल्लाह तआ़ला की इबादत का घर सबसे पहला यही है। किसी शख़्स ने पूछा कि ज़मीन पर पहला घर यही बना है? तो आपने फ़र्माया, नहीं! हाँ! बरकतों और मक़ामे इब्राहीम और अमन वाला घर पहला यही है। बैतुल्लाह के बनाने की पूरी कैफ़ियत सूरह बक़रह की आयत (وَ عَهِدْنَآ اِلٰٓى اِبْرٰهٖمَ) (2/बक़रह : 125) की तफ़्सीर में पहले गुज़र चुकी है वहीं मुलाहिज़ा फ़र्मा लीजिए यहाँ दोबारा बयान करने की ज़रूरत नहीं। सुदी (रह.) कहते हैं सबसे पहले रूए ज़मीन पर यही घर बना। लेकिन सहीह क़ौल हज़रत अली (ﷺ) का ही है। और हदीस जो बैहक़ी में है जिसमें है कि आदम व हव्वा (ﷺ) ने बहुक्मे इलाही बैतुल्लाह बनाया और तवाफ़ किया और अल्लाह तआ़ला ने कहा कि तू सबसे पहला इंसान है और यह सबसे पहला घर है। (दलाइलुन्नबुव्वत लिल बैहक़ी : 2/44, 45; वसनदुहू ज़ईफ़) यह हदीस इब्ने लहीआ की रिवायत से है और वह ज़ईफ़ रावी हैं, मुम्किन है कि यह हज़रत अबदुल्लाह बिन उमर (ﷺ) का अपना क़ौल हो और यरमूक वाले दिन उन्हें जो दो बोरे अहले-किताब की किताबों के मिले थे उन ही में यह भी लिखा हुआ हो।

बक्का की वजहे तस्मिया : बक्का मक्का का मशहूर नाम है, चूँकि बड़े बड़े जाबिर शख़्सों की गर्दनें यहाँ टूट जाती थीं, हर बड़ाई वाला यहाँ पस्त हो जाता था, इसलिए इसे मक्का कहा गया, और इसलिए भी कि लोगों की भीड़-भाड़ यहाँ होती है और हर वक़्त खचाखच भरा रहता है, और इसलिए भी कि यहाँ लोग ख़लत मलत हो जाते हैं, यहाँ तक कि कभी औरतें आगे नमाज़ पढ़ती होती हैं और मर्द उनके पीछे होते हैं जो और कहीं नहीं होता।

हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) फ़र्माते हैं, फ़ज से तन्ईम तक तो मक्का है और बैतुल्लाह से बतहा तक बक्का है। बैतुल्लाह और मस्जिद को बक्का कहा गया है, बैतुल्लाह और उसके आसपास की जगह को बक्का और बाक़ी शहर को मक्का भी कहा गया है। इसके और भी बहुत से नाम हैं, मस्लन बैतुल अतीक़, बैतुल हराम, बलदुल अमीन, बलदुल मामून, उम्मे रहम, उम्मुल कुरा, सलाह, अर्श, क़ादिस, मुक़द्दस, हातिमा, नासिबारास, कोसाअ, अल् बलदुन्नबिय्या, अल्का'बा। इसमें ज़ाहिर निशानियाँ हैं जो इसकी अज़्मत व शराफ़त पर दलील हैं और जिनसे ज़ाहिर है कि ख़लीलुल्लाह की बिना यही है।

मक़ामे इब्राहीम : इसमें मक़ामे-इब्राहीम भी है जिस पर खड़े होकर हज़रत इस्माईल (ﷺ) से पत्थर लेकर हज़रत इब्राहीम (ﷺ) कअबा की दीवार ऊँची कर रहे थे। यह पहले तो बैतुल्लाह शरीफ़ की दीवार से लगा हुआ था, लेकिन हज़रत उमर (ﷺ) ने अपनी ख़िलाफ़त के ज़माने में इसे ज़रा हटाकर मश्रिक़ रुख़ कर दिया

था कि तवाफ़ पूरी तरह हो सके और जो लोग तवाफ़ के बाद मक़ामे इब्राहीम के पीछे नमाज़ पढ़ते हैं, उन पर तश्वीश और भीड़भाड़ न हो। इसी की तरफ़ नमाज़ पढ़ने का हुक्म हुआ है और इसके बारे में भी पूरी तफ़्सीर (وَ اتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهٖمَ مُصَلًّى) अल्ख़ (2/बक़रह : 125) की तफ़्सीर में पहले गुज़र चुकी है, फ़ल्हम्दु लिल्लाह! हज़रत इब्ने अब्बास (رضی اللہ عنہ) फ़र्माते हैं कि आयातिम बय्यिनात में से एक मक़ामे इब्राहीम है, बाक़ी और हैं। हज़रत मुजाहिद (रह.) फ़र्माते हैं कि ख़लीलुल्लाह (علیہ السلام) के निशाने क़दम जो मक़ामे-इब्राहीम पर थे, यह भी आयातिम बय्यिनात में से है। कुल हरम को और हतीम को और सारे अरकाने हज्ज को भी मक़ामे इब्राहीम की तफ़्सीर मे मुफ़स्सिरीन ने दाखिल किया है।

अमन की जगह : इसमें आने वाला अमन में आ जाता है। जाहिलियत के ज़माने में भी मक्का अमन वाला रहा, बाप के क़ातिल को भी यहाँ पाते तो न छेड़ते। इब्ने अब्बास (رضی اللہ عنہ) फ़र्माते हैं, बैतुल्लाह पनाह चाहने वाले को पनाह देता है लेकिन जगह और खाना पीना नहीं देता। और जगह है (اَوَ لَمْ يَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا اٰمِنًا) अल्ख़ (29/अन्कबूत : 67) "यह नहीं देखते कि हमने हरम को अमन की जगह बनाया। और जगह है (وَّ اٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ) (106/कुरैश : 4) "हमने इन्हें ख़ौफ़ से अमन दिया" न सिर्फ़ इंसान को अमन है बल्कि शिकार करना, बल्कि शिकार को भगाना, उसे ख़ौफ़ज़दा करना, उसे उसके ठिकाने या घौंसले से हटाना और उड़ाना भी मना है। इसके दरख़्त काटना, यहाँ की घास उखेड़ना भी नाजाइज़ है। इस मज़्मून की बहुत सी हदीसें वग़ैरह पूरे बस्त (तफ़्सील) के साथ आयत (वअहिदना) अल्ख़ (2/बक़रह : 125) की तफ़्सीर सूरह बक़रह में गुज़र चुकी है।

मुस्नद अहमद, तिर्मिज़ी और नसाई में हदीस है जिसे इमाम तिर्मिज़ी (रह.) ने हसन सहीह कहा है कि नबी (ﷺ) ने मक्का के बाज़ार हरूरह में खड़े होकर फ़र्माया कि, "ऐ मक्का! तू अल्लाह तआला को सारी ज़मीन से बेहतर और प्यारा है अगर मैं ज़बरदस्ती तुझमें से न निकाला जाता तो हर्गिज़ तुझे न छोड़ता।" (अहमद : 4/305; तिर्मिज़ी, किताबुल मनाक़िब, बाब फ़ी फ़ज़्लि मक्का : 3925; वहुव सहीह; इब्ने माजा : 3108) और इस आयत के एक मा'नी यह भी हैं कि वह जहन्नम से बच गया। बैहक़ी की एक मरफ़ूअ हदीस में है "जो बैतुल्लाह में दाख़िल हो वह नेकी में आया और बुराईयों से दूर हुआ" और गुनाह बख़्श दिया गया, लेकिन इसके एक रावी अब्दुल्लाह बिन मुअम्मिल क़वी नहीं हैं। (बैहक़ी : 5/158; शुअबुल ईमान : 4053; वसनदुहू ज़ईफ़)

हज्ज की फ़र्ज़ियत : आयत का यह आख़िरी हिस्सा हज्ज की फ़र्ज़ियत की दलील है कुछ कहते हैं (وَ اَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ) (2/बक़रह : 196) वाली आयत दलीले फ़र्ज़ियत है, लेकिन अव्वल बात ज़्यादा ज़ाहिर है। कई अहादीस में वारिद है कि हज्ज अरकाने-इस्लाम में से एक रुक्न है, इसकी फ़र्ज़ियत पर मुसलमानों का इज्माअ है, और यह बात भी साबित है कि उम्र भर में एक मर्तबा इस्तिताअत वाले मुसलमान पर हज्ज फ़र्ज़ है। नबी (ﷺ) ने अपने ख़ुत्बे में फ़र्माया, "लोगों! तुम पर अल्लाह तआला ने हज्ज फ़र्ज़ किया है, तुम हज्ज करो।" एक शख़्स ने पूछा, हुज़ूर (ﷺ)! क्या हर साल? आप (ﷺ) ख़ामोश हो गए। उसने तीन मर्तबा यही सवाल किया। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, "अगर मैं हाँ कह देता तो फ़र्ज़ हो जाता फिर बजा न ला सकते, मैं जो न कहूँ तुम उसकी पूछ ताछ न करो, तुमसे अगले लोग सवालों की भरमार से और नबियों पर इख़्तिलाफ़ करने से हलाक हो गए। मेरे हुक्मों को ताक़त भर बजा लाओ और जिस चीज़ से मैं मना करूँ, उससे रुक जाओ।"

(मुस्नद अह़मद) (स़ह़ीह़ मुस्लिम, किताबुल ह़ज्ज, बाब फ़र्ज़ुल ह़ज्ज मर्रतन फ़िल उम्र : 1337; नसाई : 2620; अह़मद : 2/508) स़ह़ीह़ मुस्लिम शरीफ़ की इस ह़दीस शरीफ़ में इतनी ज़्यादती है कि यह पूछने वाले अक़रअ़ बिन ह़ाबिस (رضي الله عنه) थे और हुज़ूर (ﷺ) ने जवाब में यह भी फ़र्माया कि ''उम्र में एक मर्तबा फ़र्ज़ है और फिर नफ़्ल।'' (अबूदाऊद, किताबुल मनासिक, बाब फ़र्ज़ुल ह़ज्ज : 1721; वहुव ह़सन; नसाई : 2621; इब्ने माजा : 2886) एक और रिवायत में है कि इसी सवाल के बारे में आयत (لَا تَسْئَلُوْا عَنْ اَشْيَآءَ) (5/माइदा : 101) या'नी ''ज़्यादा सवाल से बचो'' नाज़िल हुई। (मुस्नद अह़मद : 1/113; तिर्मिज़ी, किताबुल ह़ज्ज, बाब मा जाअकुम फ़र्ज़ुल ह़ज्ज : 814; इब्ने माजा : 2884; वसनदुहू ज़ईफ़; सनद मुन्क़तअ़ है अबुल बख़्तरी का सय्यदना अ़ली (رضي الله عنه) से सिमाअ़ साबित नहीं है।) एक और रिवायत में है कि ''अगर मैं हाँ कहता और हर साल ह़ज्ज वाजिब हो जाता तो न बजा ला सकते और फिर अ़ज़ाब नाज़िल होता।'' (इब्ने माजा, अब्वाबुल मनासिक, बाब फ़र्ज़ुल ह़ज्ज : 2885; वहुव स़ह़ीह़)

हाँ! ह़ज्ज में तमत्तोअ़ करने का जवाज़ हुज़ूर (ﷺ) ने एक साइल के सवाल पर हमेशा के लिए जाइज़ फ़र्माया था। (स़ह़ीह़ बुख़ारी, किताबुश्शिर्कत, बाबुल इश्तिराक फ़िल हदयि वल बुदनि ..... : 2505, 2506; स़ह़ीह़ मुस्लिम : 1218) एक और ह़दीस में है कि नबी (ﷺ) ने ह़ज्जतुल विदाअ़ में उम्महातुल मो'मिनीन (رضي الله عنهن) या'नी अपनी बीवियों से फ़र्माया था, ह़ज्ज हो चुका, अब घर से न निकलना। (अबूदाऊद, किताबुल मनासिक, बाब फ़र्ज़ुल ह़ज्ज : 1722; वहुव ह़सन) रही इस्तिताअ़त और त़ाक़त सो वह कभी तो ख़ुद इंसान को बग़ैर किसी ज़रिया के होती है कभी किसी और के वास्ते से जैसे कि कुतुबे अह़काम में इसकी तफ़्सील मौजूद है, तिर्मिज़ी में है कि एक शख़्स ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से पूछा कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! ह़ाजी कौन है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, परागन्दा बालों और मेले-कुचेले कपड़ों वाला। एक और ने पूछा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! कौनसा ह़ज्ज अफ़ज़ल है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ''जिसमें कुर्बानियाँ कसरत से की जाएँ और लब्बैक ज़्यादा पुकारा जाए।'' एक और शख़्स ने सवाल किया, हुज़ूर (ﷺ)! सबील से क्या मुराद है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ''तौशा भत्ता खाने-पीने के लायक़ ख़र्च और सवारी।'' (तिर्मिज़ी, किताबुत्तफ़्सीर, बाब मिन सूरति आले इमरान : 2998; इब्ने माजा : 2896; वसनदुहू ज़ईफ़; इब्राहीम ख़ूज़ी रावी मतरूकुल ह़दीस है।) इस ह़दीस का एक रावी गो ज़ईफ़ है मगर ह़दीस की मुताबिअ़त और सनदों से भी है। बहुत से स़ह़ाबियों (رضي الله عنهم) से मुख़्तलिफ़ सनदों से मरवी है कि हुज़ूर (ﷺ) ने (مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا) की तफ़्सीर में ज़ाद व राह़िला या'नी तौशा और सवारी बतलाई है। (इब्ने माजा, किताबुल मनासिक, बाब मा यूजिबुल ह़ज्ज : 2897; वसनदुहू ज़ईफ़; उ़मर बिन अ़त़ाअ बिन वराज़ रावी ज़ईफ़ है।) मुस्नद अह़मद की एक ह़दीस में है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़र्माते हैं, ''फ़र्ज़ ह़ज्ज जल्दी अदा कर लिया करो न मा'लूम क्या पेश आए।'' (अह़मद : 1/314; वसनदुहू ज़ईफ़) अबूदाऊद वग़ैरह में है कि ''ह़ज्ज का इरादा करने वाले को जल्द अपना इरादा पूरा कर लेना चाहिए।'' (अह़मद : 1/225; अबूदाऊद, किताबुल मनासिक, बाब रक़म : 6; ह़ : 1732; वहुव ह़सन) इब्ने अ़ब्बास (رضي الله عنهما) फ़र्माते हैं जिसके पास तीन सौ दिरहम हों, वह त़ाक़त वाला है। इक्रमा (रह़.) फ़र्माते हैं मुराद सेह़ते जिस्मानी है।

ह़ज्ज का इंकार कुफ़्र है : फिर फ़र्माया जो कुफ़्र करे या'नी फ़र्ज़ियते ह़ज्ज का इंकार करे। ह़ज़रत इक्रमा (रह़.) फ़र्माते हैं जब यह आयत उतरी कि ''दीने इस्लाम के सिवा जो शख़्स कोई और दीन तलाश करे उससे क़बूल न

किया जाएगा'' तो यहूदी कहने लगे कि हम भी मुसलमान हैं। नबी (ﷺ) ने फ़र्माया, ''फिर मुसलमानों पर तो हज्ज फ़र्ज़ है तुम भी हज्ज करो।'' तो वह साफ़ इंकार कर बैठे, जिस पर यह आयत उतरी कि ''इसका इंकारी काफ़िर है और अल्लाह तआला तमाम जहान वालों से बेपरवाह है।'' (यह रिवायत मुर्सल या'नी ज़ईफ़ है)

हज़रत अली (رضی اللہ عنہ) फ़र्माते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, ''जो शख़्स खाने पीने और सवारी पर क़ुदरत रखता हो उतना माल उसके पास हो फिर हज्ज न करे तो उसकी मौत यहूदियत या नसरानियत पर होगी। अल्लाह तआला के लिए लोगों पर हज्जे बैतुल्लाह है जो उसके रास्ते की ताक़त रखें और जो कुफ्र करें तो अल्लाह तआला तमाम जहान वालों से बेपरवाह है। (तिर्मिज़ी, किताबुल हज्ज, बाब मा जाअ फ़ित्तग़्लीज़ फ़ी तर्किल हज्ज : 812; वहुव ज़ईफ़; हिलाल बिन अब्दुल्लाह रावी मतरूक है।) इसके रावी पर भी कलाम है।

हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ि.) फ़र्माते हैं ताक़त रखकर हज्ज न करने वाला यहूदी होकर मरेगा या नसरानी होकर। इसकी सनद बिलकुल सहीह है। (हाफ़िज़ अबूबक्र इस्माईली) (इस रिवायत की औज़ाई तक सनद नहीं मिली और अबू नुऐम ने हिल्यतुल औलिया : 9/252 में ज़ईफ़ सनद के साथ इसे ओज़ाई से रिवायत किया है। मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा : 14452; तबअ जदीद में इसका हसन शाहिद है, वल्लाहु आ'लम! मुस्नद सईद बिन मंसूर में है कि हज़रत फ़ारूक़े-आ'ज़म (رضی اللہ عنہ) ने फ़र्माया, मेरा क़सद है कि मैं लोगों को मुख़्तलिफ़ शहरों में भेजूँ, वह देखें जो लोग बावजूद माल रखने के हज्ज न करते हों, उन पर जिज़्या लगा दें, वह मुसलमान नहीं हैं। (इसकी सनद मुन्क़तअ या'नी ज़ईफ़ है हसन बसरी का हज़रत उमर (رضی اللہ عنہ) से मुलाक़ात करना साबित नहीं।)

***

قُلْ يَاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ۖ وَاللّٰهُ شَهِيْدٌ عَلٰى مَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٩٨﴾

قُلْ يَاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ تَبْغُوْنَهَا عِوَجًا

وَّاَنْتُمْ شُهَدَآءُ ۗ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿٩٩﴾

तर्जुमा : ''कह दीजिए कि ऐ अहले-किताब! तुम अल्लाह तआला की आयतों के साथ कुफ्र क्यूँ करते हो? जो कुछ तुम करते हो अल्लाह तआला उस पर गवाह है। (98) इन अहले किताब से कहो कि तुम अल्लाह तआला की राह से लोगों को क्यूँ रोकते हो? और इसमें ऐ'ब टटोलते हो हालाँकि तुम ख़ुद शाहिद हो। अल्लाह तआला तुम्हारे सारे आ'माल से बेख़बर नहीं।'' (99)

यहूदियों का दीने-इस्लाम की हक़्क़ानियत तस्लीम करने से इंकार करना और अल्लाह तआला के रास्ते से रोकना (आयत 98, 99) : अहले-किताब के काफ़िरों को अल्लाह तआला धमकाता है जो हक़ से इनाद करते थे और अल्लाह तआला की आयतों का इंकार करते थे और लोगों को भी पूरे ज़ोर से इस्लाम से

रोकते थे बावजूद इसके कि रसूलुल्लाह (ﷺ) की हक़्क़ानियत का उन्हे यक़ीनी इल्म था, अगले अम्बिया (عليهم السلام) और रसूलों की पेशीनगोईयाँ और उनकी बशारतें उनके पास मौजूद थीं। नबी उम्मी हाशमी अ़रबी मक्की मदनी सय्यदे औलादे-आदम, ख़ातिमुल अम्बिया रसूले-रब्बे अर्ज़ो-समा का ज़िक्र इनकी किताबों में मौजूद था, फिर भी अपनी बेईमानी पर अड़े रहे थे। इसलिए इनसे अल्लाह तआ़ला फ़र्माता है कि मैं ख़ूब देख रहा हूँ तुम किस त़रह़ मेरे नबियों की तक्ज़ीब करते हो और किस त़रह़ ख़ातिमुल अम्बिया को सताते हो और किस त़रह़ मेरे मुख़्लिस़ बन्दों की राह में रोड़े अटका रहे हो। मैं तुम्हारे अ़ा'माल से ग़ाफ़िल नहीं हूँ, तमाम बुराईयों का बदला दूँगा। उस दिन पकडूँगा जिस दिन कोई सिफ़ारिशी और मददगार न मिले।

***

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تُطِيْعُوْا فَرِيْقًا مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ يَرُدُّوْكُمْ بَعْدَ
اِيْمَانِكُمْ كٰفِرِيْنَ ۝١٠٠ وَكَيْفَ تَكْفُرُوْنَ وَاَنْتُمْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ اٰيٰتُ اللّٰهِ وَفِيْكُمْ
رَسُوْلُهٗ ۭ وَمَنْ يَّعْتَصِمْ بِاللّٰهِ فَقَدْ هُدِيَ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝١٠١

ऐ ईमानवालो! अगर तुम अहले किताबें की उस जमाअत की बातें मान लोगे तो तुम को तुम्हारी ईमानदारी के बाद मुरतद काफ़िर बना देंगे।(100) (गो ये ज़ाहिर है कि) तुम कैसे कुफ्र कर सकते हो? बाबजूद ये कि तुम पर अल्लाह तआ़ला की आयत पढ़ी जाती हैं और तुम में रसूलुल्लाह (ﷺ) मौजूद हैं, जो शख़्स अल्लाह तआ़ला (के दीन) को मज़बूत थाम ले वही राहे रास्त दिखाया जाएगा। (101)

अहले-किताब की बातें मानना गुमराही है (आयत 100, 101) : अल्लाह तबारक व तआ़ला अपने मो'मिन बन्दों को अहले किताब के इस बदबात़िन फ़िर्क़ा की इत्तिबाअ़ करने से रोक रहा है क्योंकि यह ह़ासिद ईमान के दुश्मन हैं और अ़रब की रिसालत उन्हें एक आँख नहीं भाती। जैसे और जगह है (वद्दकसीरुन) अल्ख़ (2/बक़रह : 109) ''यह लोग जल भुन रहे हैं और तुमको ईमान से हटाना चाहते हैं तुम उनके भरों (बहकावे) में न आ जाना, गो कुफ़्र तुमसे बहुत दूर है लेकिन ताहम मैं तुमको आगाह किए देता हूँ। अल्लाह तआ़ला की आयात दिन रात तुममें पढ़ी जा रही हैं और अल्लाह तआ़ला का सच्चा रसूल (ﷺ) तुममें मौजूद है।'' जैसे और जगह है (وَ مَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ) अल्ख़ (57/ह़दीद : 8) ''तुम ईमान क्यूँ न लाओगे रसूल (ﷺ) तुमको तुम्हारे रब की त़रफ़ बुला रहे हैं और तुमसे अ़हद भी हो चुका है।''

हदीस शरीफ़ में है कि हुज़ूर (ﷺ) ने एक दिन अपने अस्हाब (رضی اللہ عنہم) से पूछा, "तुम्हारे नज़दीक सबसे बड़ा ईमान वाला कौन है?" उन्होंने कहा, फ़रिश्ते। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, "भला वह ईमान क्यूँ न लाते? उन्हें तो वह्यी इलाही है।" सहाबा (رضی اللہ عنہم) ने कहा, फिर हम। फ़र्माया, "तुम ईमान क्यूँ न लाते, तुममें तो मैं ख़ुद मौजूद हूँ।" सहाबा (رضی اللہ عنہم) ने कहा, फिर हुज़ूर (ﷺ) ख़ुद ही इर्शाद फर्माएँ कि "तमाम लोगों से ज़्यादा अजीब ईमान वाले वह हैं जो तुम्हारे बाद आयेंगे, वह किताबों में लिखा पायेंगे और उस पर ईमान लायेंगे" (हाकिम : 4/85, 86; वसनदुहू ज़ईफ़; वलहू शवाहिद ज़ईफ़तुन फ़ी मुस्नदिल बज़्ज़ार (अल्बहरुल ज़िख़ार : 1/413; ह : 289) वस्सहीहतु लिल अल्बानी (3215) वग़ैरुहुमा। (इमाम इब्ने कसीर रह. ने इस हदीस को सनदों की और इसके मा'नी मतलब का पूरा बयान शरह सहीह बुख़ारी में कर दिया है, फ़ल्हम्दु लिल्लाह!)

फिर फ़र्माया कि बावजूद इसके तुम्हारा मज़बूती से दीने-इलाही को थाम रखना और अल्लह तआला की पाक ज़ात पर पूरा तवक्कल रखना ही मौजिबे हिदायत है इससे गुमराही दूर होती है यही रुश्दो रज़ा का बाइस है, इसी से सहीह रास्ता हासिल होता है और कामयाबी और मुराद मिलती है।

***

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿۱۰۲﴾
وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا ۠ وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ
اَعْدَآءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖٓ اِخْوَانًا ۚ وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ
مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا ۭ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ﴿۱۰۳﴾

तर्जुमा : "ईमानवालों! अल्लाह तआला से उतना ही डरो जितना उससे डरने का हक़ है, देखो! मरते दम तक मुसलमान ही रहना। (102) अल्लाह तआला की रस्सी को सब मिलकर मज़बूत थाम लो और फूट न डालो और अल्लाह तआला की उस वक़्त की ने'मत को याद रखो जबकि तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, उसने तुम्हारे दिलों में उल्फ़त डालकर अपनी मेहरबानी से तुमको भाई-भाई बना दिया और तुम आग के गढ़े के किनारे पहुँच चुके थे, उसने तुमको बचा लिया। अल्लाह तआला इसी तरह तुम्हारे लिए अपनी निशानियाँ बयान करता है ताकि तुम राह पाओ।" (103)

अल्लाह तआला से डरने का मतलब अल्लाह तआला की इताअत है (आयत 102, 103) :

अल्लाह तआला से पूरा-पूरा डरना यह है कि उसकी इताअत की जाए और नाफ़र्मानी न की जाए, उसका ज़िक्र किया जाए और उसकी याद न भुलाई जाए, उसका शुक्र किया जाए, कुफ़्र न किया जाए। कुछ रिवायतों में यह तफ़्सीर मरफ़ूअ भी मरवी है लेकिन ठीक बात यही है कि यह मौक़ूफ़ है, या'नी हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (رضي الله عنه) का क़ौल है, वल्लाहु आ'लम! (इब्ने अबी हातिम : 2/446; हाकिम : 2/294; वसनदुहू सहीह) हज़रत अनस (رضي الله عنه) का फ़र्मान है कि इंसान अल्लाह तआला से डरने का हक़ नहीं बजा ला सकता जब तक अपनी ज़ुबान को महफ़ूज़ न रखे। (इब्ने अबी हातिम : 2/448) अकसर मुफ़स्सिरीन ने कहा है कि यह आयत (فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) (64/तग़ाबुन : 16) की आयत से मंसूख़ है। इस दूसरी आयत में फ़र्मा दिया कि अपनी ताक़त के मुताबिक़ उससे डरते रहा करो। हज़रत इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) फ़र्माते हैं , मंसूख़ नहीं, बल्कि मतलब यह है कि अल्लाह तआला की राह में जिहाद करते रहो, उसके कामों में किसी मलामत करने वाले की मलामत का ख़्याल न करो, अद्ल पर जम जाओ, यहाँ तक कि ख़ुद अपने नफ़्स पर अद्ल के अहकाम जारी करो, अपने माँ बाप और अपनी औलाद के बारे में भी अद्लो-इंसाफ़ बरता करो। फिर फ़र्माया कि, इस्लाम पर ही मरना या'नी तमाम ज़िन्दगी इस पर क़ायम रहना ताकि मौत भी इसी पर आए। उस रब्बे करीम की आदत यही है कि इंसान अपनी ज़िन्दगी जैसी रखे वैसी ही उसे मौत आती है और जिस मौत मरे उसी पर क़यामत के दिन उठाया जाता है। अल्लाह तआला उसके ख़िलाफ़ से अपनी पनाह में रखे, आमीन।

मुस्नद अहमद में है कि लोग बैतुल्लाह शरीफ़ का तवाफ़ कर रहे थे और हज़रत इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) भी वहाँ थे, उनके हाथ में लकड़ी थी, बयान फ़र्माने लगे कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इस आयत की तिलावत की फिर फ़र्माया कि "अगर ज़कूम का एक क़तरा भी दुनिया में गिरा दिया जाए तो दुनिया वालों की रोज़ियाँ बिगड़ जाएँ वह कोई चीज़ खा पी न सकें, फिर ख़्याल करो कि उन दोज़ख़ियों का क्या हाल होगा, जिनका खाना पीना ही यह ज़कूम होगा।" (अहमद : 1/300; तिर्मिज़ी, किताब सिफ़तु जहन्नम, बाब मा जाअ फ़ी सिफ़ति शराब अहलुन्नार : 2585; वहुव सहीह; इब्ने माजा : 4325) और हदीस में है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़र्माते हैं, "जो शख़्स जहन्नम से अलग होना और जन्नत में जाना चाहता है उसे चाहिए कि मरते दम तक अल्लाह तआला पर और आख़िरत के दिन पर ईमान रखे और लोगों से बर्ताव करे जिसे वह ख़ुद अपने लिए चाहता हो।" (मुस्नद अहमद : 2/192; बिहाज़ल लफ़्ज़; यह रिवायत सहीह मुस्लिम, किताबुल इमारत, बाब वजूबुल वफ़ाइ बै'अतुल ख़लीफ़ा 1844 में भी मुतव्वल मौजूद है।)

हज़रत जाबिर (رضي الله عنه) फ़र्माते हैं मैंने नबी (ﷺ) की ज़ुबानी आपके इंतिक़ाल के तीन दिन पहले सुना कि "देखो मौत के वक़्त अल्लाह तआला से नेक गुमान रखो।" (सहीह मुस्लिम, किताबुल जन्नत बाबुल उमर बिहुस्निज़्ज़न बिल्लाहि तआला इन्दल मौत : 2877; अबूदाऊद : 3113; इब्ने माजा : 4167) रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़र्माते हैं "अल्लाह तआला का फ़र्मान है कि मेरा बन्दा मेरे साथ जैसा गुमान रखे मैं उसके गुमान के पास ही हूँ अगर उसका मेरे साथ अच्छा गुमान है तो मैं उसके साथ अच्छाई करूँगा और अगर वह मेरे साथ बदगुमानी करेगा तो मैं उससे उसी तरह पेश आऊँगा।" (मुस्नद अहमद : 2/391; वसनदुहू ज़ईफ़) इस हदीस का अगला हिस्सा बुख़ारी व मुस्लिम में भी है। (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तौहीद,: 7505; सहीह मुस्लिम : 2675) मुस्नद बज़्ज़ार में है कि एक बीमार अंसारी (رضي الله عنه) की बीमारपुर्सी के लिए आँहज़रत

(ﷺ) तशरीफ़ ले गए और सलाम करके फ़र्माने लगे कि कैसे मिज़ाज हैं? उसने कहा, अल्ह़म्दु लिल्लाह! अच्छा हूँ, रब की रह़मत का उम्मीदवार हूँ और उसके अ़ज़ाबों से डर रहा हूँ। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, सुनो! "ऐसे वक़्त जिस दिल में डर व त़मअ़ दोनों हों उसे अल्लाह तआ़ला उसकी उम्मीद की चीज़ देता है और डर ख़ौफ़ की चीज़ से बचाता है।" (तिर्मिज़ी, किताबुल जनाइज़, बाबुर्रिजाअ बिल्लाह .... : 983; इब्ने माजा : 4261; वहुव ह़सन) मुस्नद अह़मद की ह़दीस में है कि ह़ज़रत ह़कीम बिन ह़िज़ाम (رضي الله عنه) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से बे'त की कि मैं खड़े-खड़े ही गिरूँ। (नसाई, किताबुत्तत्बीक़, बाब कैफ़ यह़्ना लिस्सुजूद : 1085; वहुव स़ह़ीह़; अह़मद : 3/402) इसका मत़लब इमाम नसाई ने तो सुनन नसाई में बाब बाँधकर बयान किया है कि सज्दे में इस त़रह़ जाना चाहिए और यह मा'नी भी बयान किए गए हैं कि न मरूँ मैं मगर मुसलमान होकर, और यह भी मत़लब बयान किया गया है कि जिहाद मे मैं पीठ दिखाता हुआ न मारा जाऊँ।

फ़िर्क़ाबन्दी की मुमानिअ़त : फिर फ़र्माया, इत्तिफ़ाक़ करो, इख़्तिलाफ़ से बचो। ह़ब्लिल्लाह से मुराद अ़हदे रब तआ़ला है, जैसे (إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ) (3/आले इमरान : 112) आख़िर तक; में कुछ कहते हैं, मुराद क़ुरआन है। एक मरफ़ूअ़ ह़दीस में है कि "क़ुरआन अल्लाह तआ़ला की मज़बूत़ रस्सी है और उसकी सीधी राह है।" (तिर्मिज़ी, किताब फ़ज़ाइलुल क़ुरआन, बाब मा जाअ फ़ी फ़ज़्लिल क़ुरआन : 2906; वसनदुहू ज़ईफ़; ह़ारिस अ़ा'वर रावी ज़ईफ़ है।) और रिवायत में है कि "किताबुल्लाह की आसमान से ज़मीन की त़रफ़ लटकाई हुई रस्सी है।" (त़ब्री : 7570; मुस्नद अबी या'ला : 1021; अल्मुअजमुस्स़ग़ीर लित्तबरानी : 2687; वसनदुहू ज़ईफ़) और ह़दीस में है कि "यह क़ुरआन अल्लाह तआ़ला की मज़बूत़ रस्सी है, यह ज़ाहिर नूर है, यह सरासर शिफ़ा देने वाला और नफ़ा बख़्श है, इस पर अ़मल करने वाले के लिए यह बचाव है, इसकी ताबे'दारी करने वाले के लिए यह नजात है।" (दारमी : 2/431; वसनदुहू ज़ईफ़) ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह (رضي الله عنه) फ़र्माते हैं इन रास्तों में तो शयात़ीन चल फिर रहे हैं, तुम रब के रास्ते पर आ जाओ तुम अल्लाह तआ़ला की रस्सी को मज़बूत़ थाम लो, वह रस्सी क़ुरआन करीम है। (दारमी : 2/431; ह़ : 3320) इख़्तिलाफ़ न करो, फूट न डालो, जुदाई न करो, तफ़रीक़ से बचो। स़ह़ीह़ मुस्लिम में है रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़र्माते हैं, "तीन बातों से अल्लाह तआ़ला ख़ुश होता है और तीन बातों से वह नाख़ुश होता है, एक तो यह कि उसी की इ़बादत करो और उसके साथ किसी को शरीक न करो, दूसरे अल्लाह तआ़ला की रस्सी को इत्तिफ़ाक़ से पकड़ो तफ़र्क़ा न डालो। तीसरे मुसलमान बादशाहों की ख़ैरख़्वाही करो। फ़िज़ूल बकवास, ज़्यादा सवाल और बर्बादी माल यह तीनों चीज़ें रब की नाराज़गी का सबब हैं।" (स़ह़ीह़ मुस्लिम, किताबुल अक़्ज़िया, बाब नही अ़न कसरतिल मसाइल मिन ग़ैरि ह़ाजत : 1751) बहुत सी रिवायतें ऐसी भी हैं जिनमें है कि "इत्तिफ़ाक़ के वक़्त वह ख़त़ा से बच जायेंगे।" और बहुत सी अह़ादीस में नाइत्तिफ़ाक़ से डराया भी है। लेकिन बावजूद इसके उम्मत में इख़्तिलाफ़ इफ़्तिराक़ पड़ा इनके तेहत्तर फ़िर्क़े होंगे। जिनमें से एक नजात पाकर जन्नती होगा और जहन्नम के अ़ज़ाबों से बच रहेगा, और यह वह लोग हैं जो उस पर क़ायम हों जिस पर रसूलुल्लाह (ﷺ) और आपके अस्ह़ाब (رضي الله عنهم) थे।

फिर अपनी ने'मत याद दिलाई। जाहिलियत के ज़माने में ओस ख़ज़रज के दरम्यान बड़ी लड़ाईयाँ और सख़्त अ़दावत थी, आपस में बराबर जंग जारी रहती थी, जब दोनों क़बीले इस्लाम लाए तो अल्लाह तआ़ला के फ़ज़्ल से बिलकुल एक हो गए, सब ह़सद, बुग़्ज़ जाता रहा और आपस में भाई भाई बन गए और

नेकी और भलाई के कामों में एक-दूसरे के मददगार और अल्लाह तआला के दीन में एक दूसरे के साथ मुत्तफ़िक़ हो गए। जैसे और जगह है (هُوَ الَّذِیْٓ اَیَّدَكَ بِنَصْرِهٖ وَ بِالْمُؤْمِنِیْنَ ۙ وَ اَلَّفَ بَیْنَ قُلُوْبِهِمْ) अल्ख़ (8/अन्फ़ाल : 62, 63) "वह अल्लाह तआला जिसने तेरी ताईद की अपनी मदद के साथ और मो'मिनों के साथ और उनके दिलों में उल्फ़त डाल दी" अल्ख़। अपना दूसरा एहसान ज़िक्र करता है कि तुम आग के किनारे पहुँच चुके थे और तुम्हारा कुफ़्र तुमको उसमें धकेल देता लेकिन हमने तुम्हें इस्लाम की तौफ़ीक़ अ़ता फ़र्माकर तुमको इससे भी अलग कर लिया। हुनेन की फ़तह के बाद जब माले-ग़नीमत तक़्सीम करते हुए मस्लिहते दीनी के मुताबिक़ हुज़ूर (ﷺ) ने कुछ लोगों को ज़्यादा माल दिया तो किसी शख़्स ने कुछ ऐसे ही ना मुलाइम लफ़्ज़ ज़ुबान से निकाल दिए जिस पर हुज़ूर (ﷺ) ने जमाअ़ते अंसार को जमा करके एक ख़ुत्बा पढ़ा। उसमें यह भी फ़र्माया था कि, "ऐ जमाअ़ते अंसार! क्या तुम गुमराह न थे, फिर अल्लाह तआला ने मेरी वजह से तुमको हिदायत दी? क्या तुम मुतफ़र्रिक़ न थे, फिर अल्लाह तआला ने मेरी वजह से तुम्हारे दिलों में उल्फ़त डाल दी। क्या तुम फ़क़ीर न थे, अल्लाह तआला ने तुम्हें मेरी वजह से ग़नी कर दिया?" हर-हर सवाल के जवाब में यह पाकबाज़ जमाअ़त और अल्लाह का गिरोह कहता जाता था कि हम पर अल्लाह तआला और रसूल (ﷺ) के एहसान और भी बहुत से हैं और बहुत बड़े-बड़े हैं। (सहीह बुख़ारी, किताबुल मग़ाज़ी, बाब ग़ज़्वतुत्ताइफ़ : 4330; सहीह मुस्लिम : 1061)

मुहम्मद बिन इस्हाक़ (रह.) फ़र्माते हैं कि जब ओस व ख़ज़रज जैसे सदियों के आपस के दुश्मनों को यूँ भाई-भाई बना हुआ देखा तो यहूदियों की आँखों में ख़ार खटकने लगा, उन्होंने आदमी मुक़र्रर किए कि वह उनकी बैठक और मज्लिस में जाया करें और अगली लड़ाईयाँ और पुरानी अ़दावतें उन्हें याद दिलायें ताज़ा कराएँ इस तरह उन्हें भड़काएँ।

चुनाँचे उनका यह दाव एक मर्तबा चल भी गया और दोनों क़बीलों में पुरानी आग भड़क उठी, यहाँ तक कि तलवारें खिच गईं, ठीक दो जमाअ़तें हो गई और वही जाहिलियत के ना'रे लगने लगे, हथियार बजने लगे, और एक दूसरे के ख़ून के प्यासे बन गए और यह ठहर गया कि हर्रा के मैदान में जाकर दिल खोलकर लड़ें और दादे मर्दानगी दें और प्यासी ज़मीन को अपने ख़ून से सैराब करें लेकिन हुज़ूर (ﷺ) को पता चल गया। आप (ﷺ) फ़ौरन मौक़ा पर तशरीफ़ लाए और दोनों गिरोहों को ठण्डा किया और फ़र्माने लगे, "फिर जाहिलियत के ना'रे तुम लगाने लगे, मेरी मौजूदगी में ही तुमने फिर जंगो-जिदाल शुरू कर दिया।" फिर आप (ﷺ) ने यही आयत पढ़कर सुनाई, सब नादिम हुए ओर अपनी दो घड़ी पहले की हरकत पर अफ़सोस करने लगे और आपस में नए सिरे से मुआनिक़ा मुसाफ़ा किया और फिर भाईयों की तरह गले मिल गए, हथियार डाल दिए और सुलह सफ़ाई हो गई। (इब्ने इस्हाक़ ने इसे मुअ़ज़ल और अ़ल्लामा अल्वाहिदी ने "अस्बाबुन् नुज़ूल" 233 में मुन्क़तअ़ रिवायत किया है या'नी यह रिवायत दोनों सनदों से ज़ईफ़ है।) हज़रत इक्रमा (रह.) फ़र्माते हैं कि यह आयत उस वक़्त नाज़िल हुई जब हज़रत सिद्दीक़ा (رضی اللہ عنہا) पर मुनाफ़िक़ों ने तोहमत लगाई थी और आप (رضی اللہ عنہا) की बरा'त नाज़िल हुई थी, तब एक दूसरे के मुक़ाबला में तन गए थे, फ़ल्हम्दु लिल्लाह! (यह रिवायत मुर्सल या'नी ज़ईफ़ है)

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ ۭ وَاُولٰۗىِٕكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝١٠٤ وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا وَاخْتَلَفُوْا مِنْۢ
بَعْدِ مَا جَاۗءَھُمُ الْبَيِّنٰتُ ۭ وَاُولٰۗىِٕكَ لَھُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۝١٠٥ يَّوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهٌ
وَّتَسْوَدُّ وُجُوْهٌ ۚ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اسْوَدَّتْ وُجُوْھُھُمْ ۣ اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ فَذُوْقُوا
الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ۝١٠٦ وَاَمَّا الَّذِيْنَ ابْيَضَّتْ وُجُوْھُھُمْ فَفِيْ رَحْمَةِ اللّٰهِ ۭ
ھُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝١٠٧ تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوْھَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ۭ وَمَا اللّٰهُ يُرِيْدُ ظُلْمًا
لِّلْعٰلَمِيْنَ ۝١٠٨ وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۭ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ۝١٠٩

तर्जुमा : ''तुममें से एक जमाअत ऐसी होनी चाहिए जो भलाई की तरफ़ बुलाती रहे और नेक कामों का हुक्म करती रहे और बुरे कामों से रोकती रहे। यही लोग फ़लाह व नजात पाने वाले हैं। (104) तुम उन लोगों की तरह न हो जाना जिन्होंने अपने पास रोशन दलीलें आ जाने के बाद भी तफ़र्क़ा डाला। उन ही लोगों के लिए बड़ा अज़ाब है। (105) जिस दिन कुछ चेहरे सफ़ेद होंगे और कुछ काले। काले चेहरे वालों (से कहा जाएगा) कि तुमने ईमान लाने के बाद कुफ़्र क्यूँ किया? अब अपने कुफ़्र का अ ज़ाब चखो। (106) और सफ़ेद चेहरों वाले अल्लाह तआला की रहमत में दाख़िल होंगे और उसमें हमेशा रहेंगे। (107) ऐ नबी! हम इन हक़्क़ानी आयतों की तिलावत तुझ पर कर रहे हैं। अल्लाह तआला का इरादा लोगों पर ज़ुल्म करने का नहीं। (108) अल्लाह तआला ही के लिए है जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है, और अल्लाह तआला ही की तरफ़ तमाम काम लौटाए जाते हैं।'' (109)

अम्र बिल मा'रूफ़ नही अनिल मुंकर का फ़रीज़ा अंजाम देने वाली जमाअत (आयत 104-109) : हज़रत ज़हहाक (रह.) फ़र्माते हैं उस जमाअत से मुराद ख़ास सहाबा (رضی اللہ عنہم) और ख़ास रावियाने हदीस हैं, या'नी मुजाहिदीन और उलमा। अबू जा'फ़र बाक़िर (रह.) फ़र्माते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इस आयत की तिलावत की, फिर फ़र्माया, ''ख़ैर से मुराद कुरआन व हदीस की इत्तिबाअ है।'' (यह रिवायत मुअज़ल या'नी ज़ईफ़ है।) यह याद रहे कि हर हर मुतनफ़्फ़िस पर तब्लीग़े हक़ फ़र्ज़ है लेकिन ताहम एक जमाअत तो ख़ास उसी काम में मशग़ूल रहनी चाहिए। रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़र्माते हैं, ''तुममें से जो कोई किसी बुराई को देखे उसे हाथ से दूर कर दे अगर उसकी ताक़त न हो तो जुबान से रोके, अगर यह भी न कर सकता हो तो अपने दिल से उसे

बुरा जाने, और ये सबसे कमज़ोर ईमान है। "एक और रिवायत में है कि उसके बाद यह भी है कि "उसके बाद राई के दाने के बराबर भी ईमान नहीं" (सहीह मुस्लिम, किताबुल ईमान, बाब बयान कौनुन् नही अनिल मुंकर : 49; अबूदाऊद : 1140; तिर्मिज़ी : 2172; नसाई : 5012; इब्ने माजा : 1275; अन अबी सईद ख़ुदरी (ﷺ) मुस्नद अहमद में है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़र्माते हैं "उस ज़ात की क़सम! जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम अच्छाई का हुक्म और बुराईयों से मुख़ालिफ़त करते रहो वरना अन्क़रीब अल्लाह तआला तुम पर अज़ाब नाज़िल करेगा, फिर गो तुम दुआएँ करो लेकिन क़बूल न होंगी।" (तिर्मिज़ी, किताबुल फ़ितन, बाब मा जाअ फ़िल अम्रि बिल मा'रूफ़.... : 2169; वहुव हसन; अहमद : 5/391) इस मज़्मून की और भी बहुत सी हदीसें हैं जो किसी और मक़ाम पर ज़िक्र की जाएँगी, इंशाअल्लाह तआला!

दीन में इख़्तिलाफ़ दुख़ूले जहन्नम का सबब है : इसके बाद अल्लाह तआला ने फ़र्माया कि तुम अगले लोगों की तरह इफ़्तिराक़ व इख़्तिलाफ़ न करना, तुम नेक बातों का हुक्म और ख़िलाफ़े शरअ बातों से रोकथाम को न छोड़ना। मुस्नद अहमद में है कि हज़रत मुआविया बिन अबू सुफ़ियान (ﷺ) हज्ज के लिए जब मक्का शरीफ़ में आए तो जुहर की नमाज़ के ब ाद खड़े होकर फ़र्माया कि, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया है कि "अहले किताब अपने दीन में इख़्तिलाफ़ करके बहत्तर गिरोह बन गए और इस मेरी उम्मत के तेहत्तर फ़िर्क़े हो जाएँगे या'नी ख़्वाहिशात में सबके सब जहन्नमी हैं मगर एक और भी जमाअत है और मेरी उम्ममत में ऐसे लोग होंगे जिनकी रग-रग मे इस तरह नफ़्सानी ख़्वाहिशात घुस जाएँगी जिस तरह कुते का काटा हुआ इंसान जिसकी एक-एक रग और एक एक जोड़ मेंउसका असर पहुँच जाता है। ऐ अरब के लोगों ! अगर तुम ही अपने नबी (ﷺ) की लाई हुई चीज़ पर क़ायम न रहोगे तो और लोग तो बहुत दूर हो जाएँगे।" (अहमद : 4/102; अबूदाऊद : किताबुस्सुन्नह, बाब शरहुस्सुन्नह : 4597; वसनदुहू हसन) इस हदीस की बहुत सी सनदें हैं।

क़यामत के दिन जन्नती और जहन्नमी अपने चेहरों से पहचाने जाएँगे : फ़र्माता है उस दिन कुछ चेहरे सफ़ेद होंगे और काले चेहरे वाले भी होंगे। इब्ने अब्बास (ﷺ) का फ़र्मान है कि कुर्आन व सुन्नत को मानने वालों के चेहरे सफ़ेद नूरानी होंगे और अहले बिदअत व मुनाफ़िक़ीन के चेहरे काले होंगे। (इब्ने अबी हातिम : 2/464) हज़रत हसन बसरी (रह.) फ़र्माते हैं कि यह काले चेहरे वाले मुनाफ़िक़ होंगे जिनसे कहा जाएगा कि तुमने ईमान के बाद कुफ़्र क्यूँ किया, अब इसका मज़ा चखो। (इब्ने अबी हातिम : 2/465) और सफ़ेद चेहरे वाले रहमते रब्बानी में हमेशा-हमेशा रहेंगे। हज़रत अबू उमामा (ﷺ) ने जब ख़ारजियों के सर दमिश्क़ की मस्जिद के ज़ीनों पर लटके हुए देखे तो फ़र्माने लगे, यह जहन्नम के कुत्ते हैं ,इनसे बदतर मक़्तूल रूए ज़मीन पर कोई नहीं उन्हें क़त्ल करने वाले बेहतरीन मुजाहिद हैं। फिर आयत (यौम तबयज़्ज़ु) तिलावत फ़र्माई। अबू ग़ालिब ने कहा, क्या जनाब ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से यह सुना है? फ़र्माया, एक दो दफ़ा नहीं, बल्कि सात मर्तबा, अगर ऐसा न होता तो मैं अपनी ज़ुबान से यह अल्फ़ाज़ नहीं निकालता। (तिर्मिज़ी, किताब तफ़्सीरुल कुरआन, बाब वमिन सूरति आले इमरान : 3000; इब्ने माजा, अल्मुक़द्दमा,बाब फ़ी ज़िक्रिल ख़वारिज : 176; वसनदुहू हसन) इब्ने मर्दवे ने यहाँ हज़रत अबू ज़र (ﷺ) की रिवायत से एक लम्बी हदीस नक़्ल की है जो बहुत ही अजीब है लेकिन सनदन ग़रीब है। दुनिया व आख़िरत की यह बातें हम तुम पर ऐ नबी! खोल रहे हैं, अल्लाह तआला आदिल हाकिम है वह ज़ालिम नहीं और हर चीज़ को आप ख़ूब जानता है और हर चीज़ पर कुदरत भी रखता है फिर नामुम्किन है कि वह किसी पर ज़ुल्म करे (काले चेहरे जिनके हुए व इसी लायक़

थे) ज़मीन और आसमान की कुल चीज़ें उसकी मिल्कियत में है और उसी की गुलामी में और हर काम का आख़िरी हुक्म उसी की तरफ़ से है। मुतसर्रिफ़ और बा इख़्तियार हाकिम दुनिया और आख़िरत का वही है।

***

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ؕ وَلَوْ اٰمَنَ اَهْلُ الْكِتٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ؕ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَ
اَكْثَرُهُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿۱۱۰﴾ لَنْ يَّضُرُّوْكُمْ اِلَّاۤ اَذًى ؕ وَاِنْ يُّقَاتِلُوْكُمْ يُوَلُّوْكُمُ الْاَدْبَارَ
ثُمَّ لَا يُنْصَرُوْنَ ﴿۱۱۱﴾ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ اَيْنَ مَا ثُقِفُوْۤا اِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللّٰهِ
وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَآءُوْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ؕ ذٰلِكَ
بِاَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ الْاَنْۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ؕ ذٰلِكَ بِمَا
عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ﴿۱۱۲﴾

तर्जुमा : ''तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए ही पैदा की गई है तुम नेक बातों का हुक्म करते हो और बुरी बातों से रोकते हो और अल्लाह तआला पर ईमान लाते हो। अगर अहले किताब भी ईमान लाते तो उनके लिए बेहतर था, उनमे ईमान वाले भी हैं लेकिन अकसर तो फ़ासिक़ हैं। (110) यह लोग तुमको सताने के सिवा और ज़्यादा कुछ ज़रर नहीं पहुँचा सकते। अगर लड़ाई का मौका आ जाए तो पीठ मोड़ लेंगे। फिर मदद न किए जाएँगे। (111) यह हर जगह ही ज़लील हैं, यह और बात है कि अल्लाह तआला की या लोगों की पनाह में हों, यह ग़ज़बे रब तआला के मुस्तहिक़ हो गए और इन पर फ़क़ीरी डाल दी गई। यह इसलिए कि यह लोग अल्लाह तआला की आयतों से कुफ़्र करते थे और बेवजह अम्बिया को क़त्ल करते थे। यह बदला है इनकी नाफ़र्मानियों और ज़्यादतियों का।'' (112)

उम्मते-मुहम्मदिया तमाम उम्मतों से बेहतर है (आयत 110-112) : अल्लाह तआला ख़बर दे रहा है कि उम्मते-मुहम्मदिया तमाम उम्मतों से बेहतर है। सहीह बुख़ारी शरीफ़ में है कि हज़रत अबू हुरेरह (رضي الله عنه) इस

आयत की तफ़्सीर में फ़र्माते हैं तुम औरों के हक़ में सबसे बेहतर हो तुम लोगो की गर्दनें पकड़ पकड़कर इस्लाम की तरफ़ झुकाते हो। (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर, बाब सूरह आले इमरान (कुन्तुम.....) : 4557) और मुफ़स्सिरीन भी यही फ़र्माते हैं। मतलब यह है कि तुम तमाम उम्मतों से बेहतर हो और सबसे ज़्यादा लोगों को नफ़ा पहुँचाने वाले हो। अबू लहब की बेटी हज़रत दुर्रा (رضي الله عنها) फ़र्माती हैं एक मर्तबा किसी ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से पूछा, आप (ﷺ) उस वक़्त मिम्बर पर थे कि हुज़ूर (ﷺ)! कौनसा शख़्स बेहतर है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, "सब लोगों से बेहतर वह शख़्स है जो सबसे ज़्यादा क़ारी कुरआन हो, सबसे ज़्यादा परहेज़गार हो, सबसे ज़्यादा अच्छाईयों का हुक्म करने वाला, सबसे ज़्यादा बुराईयों से रोकने वाला, सबसे ज़्यादा रिश्ते नाते मिलाने वाला हो। (मुस्नद अहमद : 6/431,432; वसनदुहू ज़ईफ़; इसकी सनद में अब्दुल्लाह बिन उमेरा मज्हूल (अल्मीज़ान : 2/469; रक़म : 449) और शुरेक बिन अब्दुल्लाह मुख़्तलत रावी है। (अत्तक़रीब : 1/35; रक़म : 64))

हज़रत इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) फ़र्माते हैं यह वह सहाबा (رضي الله عنهم) हैं जिन्होंने मक्का से मदीना की तरफ़ हिज्रत की। (हाकिम : 2/294; वसनदुहू सहीह) सहीह बात यह है कि इस आयत में सारी उम्मत शामिल है, हाँ! बेशक यह हदीस में भी है कि, "सबसे बेहतर मेरा ज़माना है फिर उसके बाद उससे मिला हुआ ज़माना फिर उसके बाद वाला।" (सहीह बुख़ारी, किताब फ़ज़ाइले अस्हाबिन्नबी, बाब फ़ज़ाइले अस्हाबिन् नबी (ﷺ) : 3605; सहीह मुस्लिम : 2535) एक और रिवायत में है (وَ كَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا) आख़िर (2/बक़रह : 143) "हमने तुमको बेहतर उम्मत बनाया है ताकि तुम लोगों पर गवाह बनो।" रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़र्माते हैं "तुमने अगली उम्मतों की ता'दाद को सत्तर तक पहुँचा दिया है, अल्लाह तआला के नज़दीक तुम उन सबसे बेहतर और ज़्यादा बुज़ुर्ग हो।" (अहमद : 4/447; तिर्मिज़ी, किताब तफ़्सीरुल कुरआन, बाब वमिन सूरह आले इमरान : 3001; वसनदुहू हसन; इब्ने माजा : 4288) यह मशहूर हदीस है, इमाम तिर्मिज़ी (रह.) ने इसे हसन कहा है। इस उम्मत की अफ़ज़लियत की एक बड़ी दलील इस उम्मत के नबी (ﷺ) की अफ़ज़लियत है। आप (ﷺ) तमाम मख़्लूक़ के सरदार तमाम रसूलों से ज़्यादा इकराम व इज़्ज़त वाले हैं, आप (ﷺ) की शरअ इतनी कामिल और इतनी पूरी है कि ऐसी शरीअत किसी नबी की नहीं तो ज़ाहिर बात है कि इन फ़ज़ाइल को समेटने वाली उम्मत भी उम्मतों में सबसे आ'ला अफ़ज़ल है। इस शरीअत का थोड़ा सा अमल भी और उम्मतों के ज़्यादा अमल से बेहतर व अफ़ज़ल है।

नबी अकरम (ﷺ) की ख़ुसूसियात : हज़रत अली बिन अबी तालिब (رضي الله عنه) फ़र्माते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, "मैं वह वह ने'मतें दिया गया हूँ जो मुझसे पहले कोई नहीं दिया गया।" लोगो ने पूछा, क्या बातें हैं? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, "मेरी मदद रो'ब से की गई है, मैं ज़मीन की चाबियाँ दिया गया हूँ, मेरा नाम अहमद रखा गया है, मेरे लिए मिट्टी पाक की गई है, मेरी उम्मत सबसे बेहतर बनाई गई है।" (मुस्नद अहमद : 1/98; वसनदुहू ज़ईफ़; इब्ने अक़ील ज़ईफ़) इस हदीस की इस्नाद हसन है। हज़रत अबुद्दर्दा (رضي الله عنه) फ़र्माते हैं मैंने अबुल क़ासिम (ﷺ) से सुना, आप फ़र्माते हैं कि "अल्लाह तआला ने हज़रत ईसा (عليه السلام) से फ़र्माया कि, मैं तुम्हारे बाद एक उम्मत खड़ी करने वाला हूँ, जो राहत पर हम्दो शुक्र करेंगे और मुसीबत पर तलबे सवाब और सब्र

करेंगे, हालाँकि उन्हें हिल्म व इल्म न होगा। आप (ﷺ) ने ता'ज्जुब से पूछा कि बग़ैर बारी और दूरअंदेशी और पुख़्ता इल्म के यह कैसे मुम्किन है? रब्बुल आलमीन ने फ़र्माया, मैं उन्हें अपना हिल्म व इल्म अता फ़र्माऊँगा। (अहमद : 6/450; वसनदुहू हसन व सह्हहुल हाकिम : 1/348; व वाफ़क़हुज़्ज़हबी व हस्सनहुल हाफ़िज़ इब्ने हजर) मैं चाहता हू कि यहाँ पर कुछ व ह हदीसें भी बयान कर दूँ जिनका यहाँ ज़िक्र मुनासिब है, सुनिए –

रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़र्माते हैं, "मेरी उम्मत में से सत्तर हज़ार शख़्स बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत मे जाएँगे, जिनके चेहरे चौदहवीं रात के चाँद की तरह चमक रहे होंगे, सब यक दिल होंगे। मैंने अपने रब से गुज़ारिश की कि ऐ अल्लाह! इस ता'दाद में और इज़ाफ़ा फ़र्मा दे। अल्लाह तबारक व तआला ने फ़र्माया, हर एक के साथ सत्तर हज़ार और भी" हज़रत सिद्दीक़े अकबर (رضي الله عنه) यह हदीस बयान फ़र्माया करते थे कि फिर तो इस ता'दाद में गाँव और देहातों वाले बल्कि बादिया नशीन भी आ जाएँगे। (मुस्नद अहमद : 1/6; वसनदुहू ज़ईफ़) हुज़ूर (ﷺ) फ़र्माते हैं, "मुझे मेरे रब ने सत्तर हज़ार आदमियों को मेरी उम्मत में से बग़ैर हिसाब के जन्नत में दाख़िल होने की ख़ुशख़बरी दी।" हज़रत उमर (رضي الله عنه) ने यह सुनकर फ़र्माया, हुज़ूर (ﷺ)! कुछ और ज़्यादती तलब कीजिए। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, "मैंने अपने रब से सवाल किया तो मुझे ख़ुशख़बरी मिली कि हर हज़ार के साथ सत्तर हज़ार और होंगे।" उमर फ़ारूक़ (رضي الله عنه) ने कहा, हुज़ूर (ﷺ)! और बरकत की दुआ करते। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, "मैंने फिर की तो हर हर शख़्स के साथ सत्तर हज़ार का वा'दा हुआ।" हज़रत उमर (رضي الله عنه) ने फिर गुज़ारिश की कि अल्लाह तआला के नबी (ﷺ) और कुछ भी मांगते। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, "मांगा तो मुझे इतनी ज़्यादती और मिली, फिर दोनों हाथ फैलाकर बतलाया कि इस तरह।" रावी हदीस कहते हैं कि इस तरह जब अल्लाह तआला समेटे तो अल्लाह ही जानता है कि किस क़द्र मख़्लूक़ उसमें आएगी, फ़सुब्हानल्लाहि वबिहम्दिही। (मुस्नद अहमद : 1/197; वसनदुहू ज़ईफ़; तबरानी फ़िल कबीर : 2/92; ह : 1413; मुख़्तसरन वसनदुहू ज़ईफ़; इसकी सनद में क़ासिम बिन मेहरान और मूसा बिन उबेद मज्हूल रावी हैं देखिए (मज्मउज़्ज़वाइद : 10/413)

हज़रत सोबान (رضي الله عنه) हिम्स में बीमार हो गए, अब्दुल्लाह बिन क़र्त वहाँ के अमीर थे, वह एयादत को न आ सके, एक कलाई शख़्स जब आपकी बीमारपुर्सी के लिए गया तो आपने उससे पूछा कि क्या लिखना जानते हो? उसने कहा, हाँ! फ़र्माया, लिखो यह ख़त है अमीर अब्दुल्लाह बिन क़ुर्त सोबान की तरफ़ जो रसूलुल्लाह (ﷺ) के ख़ादिम हैं, बाद हम्दो सलात के वाज़ेह हो कि अगर हज़रत ईसा (عليه السلام) या हज़रत मूसा (عليه السلام) का कोई ख़ादिम यहाँ होता और बीमार पड़ता तो तुम एयादत के लिए जाते। फिर कहा, यह ख़त ले जाओ और अमीर को पहुँचा दो। जब यह ख़त अमीरे हिम्स के पास पहुँचा तो घबराकर उठ खड़े हुए और सीधे यहाँ तशरीफ़ लाए कुछ देर बैठकर एयादत करके जब जाने का इरादा किया तो हज़रत सोबान (رضي الله عنه) ने उनकी चादर पकड़कर रोका और फ़र्माया कि एक हदीस सुनते जाईए। मैं ने आँहज़रत (ﷺ) की ज़ुबाने मुबारक से सुना है, आप (ﷺ) ने फ़र्माया, "मेरी उम्मत में से सत्तर हज़ार शख़्स बग़ैर हिसाब के जन्नत में जाएँगे, हर हज़ार के साथ सत्तर हज़ार और होंगे" (मुस्नद अहमद) यह हदीस भी सहीह है। (मुस्नद अहमद : 5/280; वसनदुहू ज़ईफ़)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (رضي الله عنه) फ़र्माते हैं, एक रात हम ख़िदमते नबवी (ﷺ) में देर तक बातें करते रहे, फिर सुबह जब हाज़िरे-ख़िदमत हुए तो हुज़ूर (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, "सुनो! आज रात अम्बिया

(ﷺ) अपनी-अपनी उम्मत समेत मुझे दिखाए गए कुछ अम्बिया के साथ सिर्फ़ तीन शख़्स थे, कुछ के साथ मुख़्तसर सा गिरोह, कुछ के साथ एक जमाअत, किसी के साथ कोई भी न था। जब मूसा (ﷺ) आए तो उनके साथ बहुत से लोग थे, मुझे यह जमाअत पसंद आई। मैंने पूछा, यह कौन हैं? तो जवाब मिला कि यह आपके भाई मूसा (ﷺ) हैं और इनके साथ बनी इस्राईल हैं। मैंने कहा, फिर मेरी उम्मत कहाँ हैं? जवाब मिला, अपनी दाहिनी तरफ़ देखो। अब जो देखता हूँ तो बेशुमार मज्मआ है जिससे पहाड़ियाँ भी ढक गई हैं, अब मुझसे पूछा गया कहो ख़ुश हो। मैंने कहा, मेरे रब! मैं राज़ी हो गया। फ़र्माया गया, सुनो! इनके साथ सत्तर हज़ार और हैं जो बग़ैर हिसाब के जन्नत में दाख़िल होंगे। अब नबी (ﷺ) ने फ़र्माया, (आप (ﷺ) पर मेरे माँ बाप फ़िदा हों) अगर हो सके तो उन सत्तर हज़ार मे से ही होना अगर यह न हो सके तो उनमें से होना जो पहाड़ियों को छुपाए हुए थे, अगर यह भी न हो सके तो उनमें से होना जो आसमान के किनारों-किनारों पर थे।'' हज़रत उकाशा बिन मिहसन (रज़ि.) ने खड़े होकर कहा, हुज़ूर (ﷺ)! मेरे लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह तआला मुझे उन सत्तर हज़ार में से करे। आप (ﷺ) ने दुआ की तो एक दूसरे सहाबी (रज़ि.) ने भी उठकर यही गुज़ारिश की तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ''तुम पर (हज़रत) उकाशा सब्क़त कर गए।''

अल्लाह पर तवक्कल करने वाले और दम झाड़ न करवाने वाले बग़ैर हिसाबो-किताब जन्नत में जाएँगे : अब हम आपस में कहने लगे कि शायद यह सत्तर हज़ार वह लोग होंगे जो इस्लाम पर ही पैदा हुए हों और पूरी उम्र में कभी भी अल्लाह तआला के साथ शिर्क न किया हो। आप (ﷺ) को जब यह मा'लूम हुआ तो फ़र्माया, ''यह वह लोग हैं जो दम झाड़ नहीं कराते, आग के दाग़ नहीं लगवाते, शगून नहीं लेते और अपने रब पर भरोसा रखते हैं'' (मुस्नद अहमद : 1/401, 420; बिसनदिन ज़ईफ़िन) एक और सनद से इतनी ज़्यादती इसमें और भी है कि ''जब मैंने अपनी रज़ामन्दी ज़ाहिर की तो मुझसे कहा गया अब अपनी बाएँ जानिब देखिए। मैंने देखा तो बेशुमार मज्मअ है, जिसने आसमान के किनारों को भी ढक लिया है।'' (मुस्नद अहमद : 1/420; वसनदुहू ज़ईफ़) एक और रिवायत में है कि मौसमे हज्ज का यह वाक़िया है, आप (ﷺ) फ़र्माते हैं, ''मुझे अपनी उम्मत की यह कसरत बहुत पसंद आई, तमाम पहाड़ियाँ और मैदान उनसे पुर थे'' (मुस्नद अहमद : 1/454; वसनदुहू हसन) एक और रिवायत में है कि हज़रत उकाशा (रज़ि.) के बाद खड़े होने वाले एक अंसारी (रज़ि.) थे। (तबरानी) (सहीह बुख़ारी, किताबुल लिबास, बाब अल् बरूद वल हिब्र वशशम्ला : 5811; सहीह मुस्लिम : 216) एक और रिवायत में है कि, ''मेरी उम्मत मे से सत्तर हज़ार या सात लाख आदमी जन्नत मे जाएँगे जो एक दूसरे का हाथ थामे हुए होंगे सब एक साथ जन्नत में जाएँगे, चमकते हुए चौदहवीं रात के चाँद जैसे उनके चेहरे होंगे।'' (तबरानी)(सहीह बुख़ारी, किताबुर्रिक़ाक़, बाब यदख़ुलुल जन्नत सब्ऊन अल्फ़न बिग़ैरि हिसाब : 6543; सहीह मुस्लिम : 526)

हुसेन बिन अब्दुर्रहमान कहते हैं कि मैं सईद बिन जुबेर (रह.) के पास था तो आपने पूछा कि रात को जो सितारा टूटा था तुममें से किसी ने देखा था, मैंने कहा, हाँ हज़रत! मैंने देखा था, यह न समझिएगा कि मैं नमाज़ में था, नहीं बल्कि मुझे बिच्छू ने काट खाया था। हज़रत सईद (रह.) ने पूछा, फिर तुमने क्या किया? मैंने कहा, दम कर दिया था, कहा क्यूँ? मैंने कहा, हज़रत शअबी (रह.) ने बुरेदा बिन हसीब (रज़ि.) की रिवायत से हदीस बयान

की है कि "नज़रे बद और ज़हरीले जानवरों का दम झाड़ करना जाइज़ है।" कहने लगे ख़ैर जिसे जो पहुँचे उस पर अ़मल करे, हमें तो हज़रत इब्ने अ़ब्बास (رضي الله عنه) ने सुनाया है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, "मुझ पर उम्मतें पेश की गईं, किसी नबी के साथ एक जमाअ़त थी किसी के साथ एक शख़्स और दो शख़्स और किसी नबी के साथ कोई न था, अब जो देखा कि एक बड़ी जमाअ़त पर नज़र पड़ी, मैंने समझा यह तो मेरी उम्मत होगी, फिर मा'लूम हुआ कि मूसा (عليه السلام) की उम्मत है, मुझसे कहा गया, आसमान के किनारों की त़रफ़ देखो। मैंने देखा तो वहाँ बेशुमार लोग थे, मुझसे कहा गया कि यह आप (ﷺ) की उम्मत है और इनके साथ सत्तर हज़ार और हैं जो बेहिसाब और बेअ़ज़ाब जन्नत में जाएँगे।" यह ह़दीस बयान फ़र्माकर हुज़ूर (ﷺ) तो मकान पर चले गए और सह़ाबा (رضي الله عنهم) आपस मे कहने लगे, शायद यह हुज़ूर (ﷺ) के सह़ाबी होंगे। किसी ने कहा, नहीं! इस्लाम में पैदा होने वाले और इस्लाम पर ही मरने वाले होंगे वग़ैरह वग़ैरह। आप (ﷺ) तशरीफ़ लाए और पूछा, "क्या बातें कर रहे हो?" हमने ज़िक्र किया तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, "नहीं! यह वह लोग हैं जो न दम झाड़ करें न कराएँ, न दाग़ लगवाएँ न शगून लें बल्कि अपने रब पर भरोसा रखें।" हज़रत उ़काशा (رضي الله عنه) ने दुआ की दरख़्वास्त की, आप (ﷺ) ने दुआ की "कि या अल्लाह! तू इसे उनमें शामिल कर ले।" फिर दूसरे शख़्स ने भी यही कहा। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, उ़काशा आगे बढ़ गए।" यह ह़दीस बुख़ारी में है लेकिन इसमे दम झाड़ करने का लफ़्ज़ नहीं, सह़ीह़ मुस्लिम में यह लफ़्ज़ भी है। (सह़ीह़ बुख़ारी, किताबुर्रिक़ाक़, बाब यदख़ुलुल्जन्नत सब्ऊ़न अल्लफ़न बिग़ैरि ह़िसाब : 6541; सह़ीह़ मुस्लिम : 220)

एक और लम्बी ह़दीस में है कि "पहली जमाअ़त तो नजात पाएगी, उनके चेहरे चौदहवीं रात के चाँद की त़रह़ रोशन होंगे, उनसे ह़िसाब भी न लिया जाएगा, फिर उनके बाद वाले सबसे ज़्यादा रोशन सितारे जैसे चमकदार चेहरे वाले होंगे। (सह़ीह़ मुस्लिम, किताबुल ईमान, बाब अदना अहलुल जन्नत मंज़िलतन : 191) आप (ﷺ) फ़र्माते हैं, "मुझसे मेरे रब का वा'दा है कि मेरी उम्मत में से सत्तर हज़ार शख़्स बग़ैर ह़िसाबो अ़ज़ाब के दाख़िले बहिश्त होंगे, हर हज़ार के साथ सत्तर हज़ार और होंगे और तीन लपें और मेरे रब अ़ज़्ज़ व जल्ला की लपों से।" (किताबुस्सुनन लिह़ाफ़िज़ अबीबक्र बिन आ़सिम) (किताबुस्सुन्नह, लि इब्ने अबी आ़सिम : 589; तिर्मिज़ी, किताब सिफ़तुल क़यामा, बाब मिन्हू दुख़ूल सब्ईन अल्लफ़.... : 2437; वहुव ह़सन; इब्ने माजा : 4286) इसकी इस्नाद बहुत उ़म्दह है। एक और ह़दीस में है कि आप (ﷺ) से सत्तर हज़ार की ता'दाद सुनकर यज़ीद बिन अख़नस (رضي الله عنه) ने कहा, हुज़ूर (ﷺ)! यह तो आप (ﷺ) की उम्मत की ता'दाद के मुक़ाबले में बहुत ही थोड़े हैं, तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, "हर हज़ार के साथ हज़ार और हैं और फिर अल्लाह तआ़ला ने तीन लपें भरकर और भी अ़ता फ़र्माए हैं।" (अह़मद : 5/250; वसनदुहू ह़सन; किताबुस्सुन्नत लि इब्ने अबी आ़सिम : 588) इसकी इस्नाद भी ह़सन हैं (किताबुस्सुनन लि इब्ने कसीर रह़.) एक और ह़दीस में है कि "मेरे रब ने जो इ़ज़्ज़त और जलाल वाला है, मुझसे वा'दा किया है कि मेरी उम्मत में से सत्तर हज़ार को बिला ह़िसाब जन्नत में ले जाएगा, फिर एक एक हज़ार की शफ़ाअ़त से सत्तर सत्तर हज़ार आदमी और जाएँगे फिर मेरा रब अपने दोनों हाथों से तीन लपें भरकर और डालेगा। हज़रत उ़मर (رضي الله عنه) ने यह सुनकर ख़ुश होकर अल्लाहु अकबर कहा और फ़र्माया, इनकी शफ़ाअ़त इनके बाप दादों और बेटों बेटियों और ख़ानदान व क़बीला में होगी, अल्लाह करे मैं तो

उनमें से हो जाऊँ जिन्हें अल्लाह तआला अपनी लपों में भरकर आख़िर में जन्नत मे ले जाएगा। (तबरानी : 22/304, 305; ह : 771; वसनदुहू हसन मिन हदीसि अबी सअद अल्अंसारी वसनदुहू हसन) इस हदीस की सनद में भी कोई इल्लत नहीं, वल्लाहु आ'लम! कदीद में हुज़ूर(ﷺ) ने एक हदीस बयान फ़र्माई, जिसमें यह भी फ़र्माया, "यह सत्तर हज़ार जो बिला हिसाब जन्नत में दाख़िल किए जाएँगे, मेरा ख़्याल है कि उनके आते-आते तो तुम अपने लिए और अपने बाल बच्चों और बीवियों के लिए जन्नत में जगह मुक़र्रर कर चुके होगे" (मुस्नद अहमद : 4/16; इब्ने माजा, किताबुज़्ज़ुहद, बाब सिफ़त उम्मते मुहम्मद (ﷺ)..... : 4285; मिन वजहिन आख़र वहुव सहीह) इसकी सनद भी शर्ते मुस्लिम पर है। एक और हदीस में है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, "अल्लाह तआला का वा'दा है कि मेरी उम्मत में से चार लाख आदमी जन्नत में जाएँगे।" हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ (رضي الله عنه) ने कहा, हुज़ूर (ﷺ)! कुछ और ज़्यादा कीजिए। उसे सुनकर हज़रत उमर (رضي الله عنه) ने फ़र्माया, अबूबक्र बस करो। सिद्दीक़ (رضي الله عنه) ने जवाब दिया क्यूँ साहब! अगर हम सबके सब जन्नत में चले जाएँ तो आपको क्या नुक़्सान है? हज़रत उमर (رضي الله عنه) ने फ़र्माया, अगर अल्लाह तआला चाहे तो एक ही हाथ में सारी मख़्लूक़ को जन्नत में डाल दे। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, "उमर सच कहते हैं।" (मुसन्नफ़ अब्दुर्रज़्ज़ाक़ : 20556; अहमद : 3/165; वसनदुहू ज़ईफ़; अस्सुन्नतु लि इब्ने अबी आसिम : 590) इसी हदीस का और सनद से भी बयान है उसमें ता'दाद एक लाख आई है। (अस्बहानी) (अहमद : 3/193; इसकी सनद में अबू हिलाल, मुहम्मद बिन सुलेम बसरी लीन है (अल्मीज़ान : 3/574; रक़म : 7645) वसनदुहू ज़ईफ़)

एक और रिवायत में है कि जब सहाबा (رضي الله عنهم) ने सत्तर हज़ार और फिर हर एक के साथ सत्तर हज़ार फिर अल्लाह का लप भरकर जन्नती बनाना सुना तो कहने लगे, फिर तो उसकी बदक़िस्मती में क्या शक रह गया जो बावजूद इसके भी जहन्नम में जाए। (मुस्नद अबू यअला : 3783; वसनदुहू ज़ईफ़) ऊपर वाली हदीस एक और सनद से भी बयान हुई है, इसमें ता'दाद तीन लाख की है फिर हज़रत उमर (رضي الله عنه) का क़ौल और हुज़ूर (ﷺ) की तस्दीक़ का बयान है। (तबरानी : 17/64; वसनदुहू ज़ईफ़; इसकी सनद में अबूबक्र बिन उमेर मज्हूल है।) एक और हदीस में जन्नत में जाने वालों का ज़िक्र करके हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, "मेरी उम्मत के सारे मुहाजिर तो उसमें आ ही जाएँगे फिर बाक़ी ता'दाद आ'राबियों से पूरी होगी।" (मुहम्मद बिन सहल) हज़रत अबू सईद (رضي الله عنه) कहते हैं, हुज़ूर (ﷺ) के सामने हिसाब किया गया तो जुम्ला ता'दाद चार करोड़ नव्वे हज़ार हुई। (अल्मुअजमुल औसत लित्तबरानी : 406; अल्कबीर : 22/304, 305; वसनदुहू हसन और मुस्नद अहमद : 2/359 में अबू हुरेरह (رضي الله عنه) से इसका शाहिद मौजूद है।) एक और हसन हदीस तबरानी में है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, "क़सम है उस ज़ात की कि जिसके क़ब्ज़े में मुहम्मद (ﷺ) की जान है तुम एक अंधेरी रात की तरह बेशुमार एक साथ जन्नत की तरफ़ बढ़ोगे, ज़मीन तुमसे पुर हो जाएगी, फ़रिश्ते पुकार उठेंगे कि मुहम्मद (ﷺ) के साथ जो जमाअत आई वह तमाम नबियों की जमाअत से बहुत ज़्यादा है।" (तबरानी : 3455; वसनदुहू ज़ईफ़; मज्मउज़्ज़वाइद : 10/404) हज़रत जाबिर (رضي الله عنه) फ़र्माते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना, आप (ﷺ) ने फ़र्माया, "सिर्फ़ मेरी ताबे'दार उम्मत अहले जन्नत की चौथाई होगी।" सहाबा (رضي الله عنهم) ने ख़ुश होकर ना'रा-ए-तक्बीर बुलंद किया फिर फ़र्माया, "कि मुझे तो उम्मीद है कि तुम अहले जन्नत का तीसरा हिस्सा

हो जाओ।'' हमने फिर तक्बीर कही, फिर फ़र्माया, ''मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम आधो-आध हो जाओ।'' (मुस्नद अहमद : 3/383; वसनदुहू सहीह, मज्मउज़्ज़वाइद : 10/405; कश्फ़ुल इस्तार : 3533) और हदीस में है कि आप (ﷺ) ने सहाबा (رضي الله عنهم) से फ़र्माया, ''क्या तुम राज़ी नहीं हो कि तुम तमाम जन्नतियों के चौथाई हो।'' हमने ख़ुश होकर अल्लाह की बड़ाई बयान की। फिर फ़र्माया कि ''क्या तुम राज़ी नहीं हो कि तुम अहले जन्नत की तिहाई हो।'' हमने फिर तक्बीर कही। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ''मुझे तो उम्मीद है कि तुम जन्नतियों के आधो-आध हो जाओगे।'' (सहीह बुख़ारी, किताबुर्रिक़ाक़, बाबुल हश्र : 2527; सहीह मुस्लिम : 221) तबरानी में यह रिवायत हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (رضي الله عنه) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, ''क्या कहते हो तुम जन्नतियों का चौथा हिस्सा बनना चाहते हो कि चौथाई जन्नत तुम्हारे पास हो और तीन और चौथाईयों में तमाम और उम्मतें हों?'' हमने कहा, अल्लाह तआला और उसका रसूल ख़ूब जानता है। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ''अच्छा तिहाई हिस्सा हो तो।'' हमने कहा, यह बहुत है। फ़र्माया, कहो ''अगर आधो आध हो तो।'' उन्होंने कहा, हुज़ूर (ﷺ)! फिर तो बहुत ही ज़्यादा है। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, सुनो! ''कुल अहले जन्नत की एक सौ बीस सफ़ें हैं जिनमें से अस्सी सफ़ें सिर्फ़ इस मेरी उम्मत की हैं।'' मुस्नद अहमद में भी है कि ''अहले जन्नत की एक सौ बीस सफ़ें हैं उनमें अस्सी सफ़ें सिर्फ़ इस उम्मत की हैं।'' (अहमद : 1/453; वहुव हदीस हसन; मुस्नद अबू यअला : 5358; तबरानी : 10350; इब्ने अबी शैबा : 11/471; शरह मुश्किलुल आसार : 1/156) यह हदीस तबरानी तिर्मिज़ी वग़ैरह में भी है। (अहमद : 5/355; तिर्मिज़ी, किताब सिफ़तुल जन्नत बाब मा जाअ फ़ी कम सफ़ अहलुल जन्नत : 2546; वहुव हसन, इब्ने माजा : 4289)

तबरानी की एक और रिवायत में है कि जब आयत (ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ ۝ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ ۝) (56/वाक़िया : 39, 40) उतरी तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, ''तुम अहले जन्नत की चौथाई हो'' फिर फ़र्माया, ''बल्कि सुलुस (तिहाई) हो'' फिर फ़र्माया ''बल्कि निस्फ़ (आधा) हो'' फिर फ़र्माया ''दो तिहाई हो'' (तबरानी, मुस्नद अहमद : 2/391; बइख़्तिलाफ़े यसीर वसनदुहू ज़ईफ़) (ऐ वसीअ रहमतों वाले और बेरोक ने'मतों वाले अल्लाह तआला! हम तेरा बेइन्तिहा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें ऐसे मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम रसूल (ﷺ) की उम्मत में पैदा किया, तेरे सच्चे रसूल (ﷺ) की सच्ची ज़ुबान से तेरे इस बढ़े चढ़े फ़ज़्लो-करम का हाल सुनकर हम गुनहगारों के चेहरे में पानी भर आया। ऐ माँ बाप से ज़्यादा मेहरबान अल्लाह तआला! हमारी आस न तोड़ और हमें भी उन नेक हस्तियों के साथ जन्नत में दाख़िल फ़र्मा, बारी तआला तेरी रहमत की अनगिनत और बेशुमार बूँदों से अगर एक क़तरा भी हम गुनहगारों पर बरस जाए तो हमारे गुनाहों को धो डालने और हमें तेरी रहमत व रिज़्वान के लायक़ बनाने के लिए काफ़ी हैं, ऐ अल्लाह! इस पाक ज़िक्र के मौक़े पर हम हाथ उठाकर दामन फैलाकर आँसू बहाकर उम्मीदों भरे दिल से तेरी रहमत का सहारा लेकर तेरे काम का दामन थामकर तुझसे भीख मांगते हैं तू क़बूल फ़र्मा और अपनी रहमत से हमें भी अपनी रज़ामन्दी का घर जन्नतुल फ़िरदोस अता फ़र्मा, आमीन इलाहल हक़; आमीन)

जन्नत मे सबसे पहले उम्मते मुहम्मदिया का दाख़िला होगा : सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में है रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़र्माते हैं, ''हम दुनिया में सबसे आख़िर में आए और जन्नत में सबसे पहले जाएँगे और उनको

किताबुल्लाह पहले मिली, हमें बाद में मिली जिन बातों में उन्होंने इख़्तिलाफ़ किया, उनमें अल्लाह तआला ने हमें सह़ीह़ त़रीक़ की तौफ़ीक़ दी, जुम्आ का दिन भी ऐसा ही है कि यहूद हमारे पीछे हैं, हफ़्ता के दिन और नसरानी उनके भी पीछे इतवार के दिन।'' (सह़ीह़ बुख़ारी, किताबुल जुम्आ, बाब फ़र्ज़ुल जुम्अति : 876; सह़ीह़ मुस्लिम : 855) दारे क़ुत्नी में है रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, ''जब तक मैं जन्नत में दाख़िल न हो जाऊँ, अम्बिया (عليهم السلام) पर दुख़ूले जन्नत ह़राम है और जब तक मेरी उम्मत न दाख़िल हो, दूसरी उम्मतों पर दुख़ूले जन्नत ह़राम है।'' (इब्ने अदी : 4/1448; वसनदुहू ज़ईफ़) यह थीं वह ह़दीसें जिन्हें हम इस आयत के तह़त में वारिद करना चाहते थे, फ़ल्ह़म्दु लिल्लाह! उम्मत को भी चाहिए कि यहाँ इस आयत में जितनी सिफ़तें हैं उन पर मज़बूती के साथ क़ायम रहें, या'नी अम्र बिल मा'रूफ़ और नही अनिल मुंकर और ईमान बिल्लाह। ह़ज़रत उमर बिन ख़त्ताब (رضي الله عنه) ने अपने ह़ज्ज में इस आयत की तिलावत फ़र्माकर लोगों से कहा कि अगर तुम इस आयत की ता'रीफ़ में दाख़िल होना चाहते हो तो यह औसाफ़ भी अपने में पैदा करो। इमाम इब्ने जरीर (रह़.) फ़र्माते हैं, अहले किताब इन कामों को छोड़ बैठे थे, जिनकी मज़म्मत कलामुल्लाह ने की। फ़र्माया (كَانُوْا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُّنْكَرٍ فَعَلُوْهُ) (5/माइदा : 79) ''वह लोग बुराई की बातों से लोगों को रोकते न थे।'' चूँकि मुंदर्जा बाला आयत में ईमानदारों की ता'रीफ़ व तौसीफ़ बयान हुई तो उसके बाद अहले किताब की मज़म्मत बयान हो रही है तो फ़र्माया कि अगर यह लोग भी मेरे नबी आख़िरुज़्ज़माँ होने पर ईमान लाते तो उन्हें भी यह फ़ज़ीलतें मिलतीं लेकिन उनमें के अकसर तो कुफ़्र व फ़िस्क़ व इस़ियान पर जमे हुए हैं, हाँ! कुछ लोग ईमान वाले भी हैं।

ईमान वाले हमेशा ग़ालिब रहेंगे : फिर अल्लाह तआला मुसलमानों को बशारत देता है कि तुम न घबराना, अल्लाह तुमको तुम्हारे मुख़ालिफ़ीन पर ग़ालिब रखेगा। चुनाँचे ख़ैबर वाले दिन अल्लाह तआला ने उन्हें ज़लील किया और उनसे पहले बनू क़ैनुक़ाअ, बनू नज़ीर, बनू क़ुरैज़ा को भी अल्लाह ने ज़लील व पस्त किया। इसी त़रह़ शाम के नसरानी, सह़ाबा (رضي الله عنهم) के वक़्त में मग़्लूब हुए और मुल्के शाम उनके हाथों से मुकम्मल तौर पर निकल गया और हमेशा के लिए मुसलमानों के क़ब्ज़े में आ गया और वहाँ एक ह़क़ वाली जमाअत ह़ज़रत ईसा (عليه السلام) के आने तक ह़क़ पर क़ायम रहेगी। ह़ज़रत ईसा (عليه السلام) आकर मिल्लते इस्लाम पर और शरीअते मुह़म्मदिया के मुत़ाबिक़ हुक्म करेंगे, सलीब तोड़ेंगे, ख़िंज़ीर को क़त्ल करेंगे, जिज़्या क़बूल न करेंगे, सिर्फ़ इस्लाम ही क़बूल करेंगे। फिर फ़र्माया कि उनके ऊपर ज़िल्लत और पस्ती डाल दी गई, कहीं भी अमनो अमान और इ़ज़्ज़त नहीं, हाँ! अल्लाह की पनाह के साथ या'नी जब जिज़्या देना और मुस्लिम बादशाह की इत़ाअत करना क़बूल कर लें और लोगों को पनाह या'नी अ़क़्दे ज़िम्मा मुक़र्रर हो जाए या कोई मुसलमान अमन दे दे अगरचे कोई औरत हो बल्कि अगरचे कोई गुलाम हो, उ़लमा का एक क़ौल यह भी है। ह़ज़रत इब्ने अ़ब्बास (رضي الله عنه) का क़ौल है कि ह़ब्ल से मुराद अ़हद है। जो ग़ज़ब के मुस्तह़िक़ हो गए। मिस्कीनी चिपका दी गई, यह उनका कुफ़्र, उनका क़त्ले अम्बिया (عليهم السلام) उनका तकब्बुर, ह़सद, सरकशी वग़ैरह का बदला है। इसी बाइस उन पर ज़िल्लत पस्ती और मिस्कीनी हमेशा के लिए डाल दी गई। उनकी नाफ़र्मानियों और तजावुज़े ह़क़ का यह बदला है, अल्अयाज़ बिल्लाह। अबूदाऊद तयालिसी में ह़दीस है कि बनी इस्राईल एक एक दिन मे तीन तीन सौ नबियों को क़त्ल कर डालते थे और दिन के आख़िरी ह़िस्से में अपने-अपने कामों पर बाज़ारों में लग जाते थे। (इब्ने अबी ह़ातिम, वसनदुहू ज़ईफ़; इब्राहीम नख़ई मुदल्लस हैं और बाक़ी सनद सह़ीह़ है।)

لَيْسُوا سَوَآءً ۭ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اُمَّةٌ قَآئِمَةٌ يَّتْلُوْنَ اٰيٰتِ اللّٰهِ اٰنَآءَ الَّيْلِ وَهُمْ
يَسْجُدُوْنَ ﴿۱۱۳﴾ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُوْنَ فِي الْخَيْرٰتِ ۭ وَاُولٰۗئِكَ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿۱۱۴﴾ وَمَا يَفْعَلُوْا مِنْ
خَيْرٍ فَلَنْ يُّكْفَرُوْهُ ۭ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالْمُتَّقِيْنَ ﴿۱۱۵﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ
اَمْوَالُهُمْ وَلَآ اَوْلَادُھُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَـيْـــًٔا ۭ وَاُولٰۗئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ ھُمْ فِيْهَا
خٰلِدُوْنَ ﴿۱۱۶﴾ مَثَلُ مَا يُنْفِقُوْنَ فِيْ هٰذِهِ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيْحٍ فِيْهَا صِرٌّ
اَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَھُمْ فَاَهْلَكَتْهُ ۭ وَمَا ظَلَمَھُمُ اللّٰهُ وَلٰكِنْ
اَنْفُسَھُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿۱۱۷﴾

तर्जुमा : ''यह सारे के सारे बराबर नहीं बल्कि इन अहले-किताब में एक जमाअ़त (हक़ पर) क़ायम रहने वाली भी है जो रातों के वक़्त भी कलामुल्लाह की तिलावत करते हैं और सज्दे भी करते हैं। (113) अल्लाह तआ़ला पर और क़यामत के दिन पर ईमान भी रखते हैं, भलाईयों का हुक्म करते हैं और बुराईयों से रोकते हैं और भलाई के कामों में जल्दी करते हैं, यह नेकबख़्त लोग हैं। (114) जो कुछ भी भलाईयाँ करें उनकी नाक़द्री न की जाएगी। अल्लाह तआ़ला परहेज़गारों को ख़ूब जानता है। (115) काफ़िरों को उनके माल और उनकी औलादें रब के यहाँ कुछ काम नहीं आएँगी। यह तो जहन्नमी हैं जो हमेशा उसी में पड़े रहेंगे। (116) यह कुफ़्फ़ार जो ख़र्च अख़राजात करें उसकी मिसाल यह है कि एक तुंद (तेज़) हवा चली जिसमें पाला था जो ज़ालिमों की खेती पर पड़ा और उसे तहस नहस कर दिया। अल्लाह तआ़ला ने उन पर ज़ुल्म नहीं किया बल्कि वह ख़ुद अपनी जानों पर ज़ुल्म करते थे।'' (117)

ईमान के बग़ैर कोई अ़मल फ़ायदा बख़्श न होगा (आयत 113-117) : हज़रत इब्ने मसऊ़द (رضی اللہ عنہ) फ़र्माते हैं अहले-किताब और अस्हाबे मुहम्मद बराबर नहीं। मुस्नद अहमद में है रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इशा की नमाज़ में एक मर्तबा देर लगा दी फिर जब आए तो जो अस्हाब मुंतज़िर थे उनसे फ़र्माया, ''किसी दीन वाला

इस वक़्त ज़िक्रुल्लाह नहीं कर रहा सिर्फ़ तुम ही ज़िक्रुल्लाह में हो।'' इस पर यह आयत नाज़िल हुई। (अहमद : 1/396; वसनदुहू हसन; मुस्नद अबी यअ़ला : 5306; इसको इब्ने हिब्बान : 1530; ने सहीह क़रार दिया हो।) लेकिन अकसर मुफ़स्सिरीन का क़ौल है कि अहले-किताब के उ़लमा मस्लन हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन सलाम, हज़रत असद बिन उ़बेद, हज़रत सा'लबा बिन शुअ़बा (ﷺ) वग़ैरह के बारे में यह आयत उतरी कि यह लोग अहले-किताब में शामिल नहीं जिनकी मज़म्मत पहले गुज़री, बल्कि यह बा ईमान जमाअ़त अल्लाह के हुक्म पर क़ायम है, शरीअ़ते मुहम्मदिया की ताबेअ़ है, इस्तिक़ामत व यक़ीन इसमे है।

यह पाक बाज़ लोग रातों के वक़्त तहज्जुद कीनमाज़ में कलामुल्लाह की तिलावत करते रहते थे, अल्लाह पर, क़यामत के दिन पर ईमान रखते हैं और लोगों को भी इन ही बातों का हुक्म करते हैं, इनके ख़िलाफ़ से रोकते हैं नेक कामों में पेश-पेश रहा करते हैं। अब अल्लाह तआ़ला इन्हें ख़िताब अ़ता करता है कि यह सालेह लोग हैं। इस सूरत के आख़िर में फ़र्माया (وَ اِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَمَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ) (3/आले इमरान : 199) आख़िर; कुछ अहले किताब अल्लाह तआ़ला पर इस कुरआन पर और तौरात व इंजील पर भी ईमान रखते हैं , अल्लाह तआ़ला से डरते रहते हैं'' आख़िर तक। यहाँ भी फ़र्माया कि ''इनके यह नेक आ'माल ज़ाया न होंगे बल्कि पूरा बदला मिलेगा।''

तमाम परहेज़गार लोग अल्लाह की नज़रों में हैं वह किसी के अच्छे अ़मल को बर्बाद नहीं करता। हाँ! इन बेदीन लोगों को अल्लाह के यहाँ न माल नफ़ा दे, न औलाद यह तो जहन्नमी हैं। सिर्रुन के मा'नी सख़्त सर्दी के हैं जो खेतियों को जला देती है। ग़र्ज़ जिस तरह किसी की तैयार खेती पर पाला पड़े और वह जलकर ख़ाक्स्तर हो जाए, नफ़ा छोड़ असल भी ग़ारत हो जाए और उम्मीदों पर पानी फिर जाए इसी तरह यह कुफ़्फ़ार हैं । जो कुछ यह ख़र्च करते हैं, इसका नेक बदला तो कहाँ बल्कि और अ़ज़ाब होगा। यह कुछ अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से ज़ुल्म नहीं बल्कि यह इनकी बदआ'मालियों की सज़ा है।

***

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا بِطَانَةً مِّنْ دُوْنِكُمْ لَا يَاْلُوْنَكُمْ خَبَالًا ؕ وَدُّوْا

مَا عَنِتُّمْ ۚ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَآءُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ ۖۚ وَمَا تُخْفِيْ صُدُوْرُهُمْ اَكْبَرُ ؕ قَدْ

بَيَّنَّا لَكُمُ الْاٰيٰتِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿۱۱۸﴾ هٰۤاَنْتُمْ اُولَآءِ تُحِبُّوْنَهُمْ وَلَا يُحِبُّوْنَكُمْ

وَتُؤْمِنُوْنَ بِالْكِتٰبِ كُلِّهٖ ۚ وَاِذَا لَقُوْكُمْ قَالُوْٓا اٰمَنَّا ۚ وَاِذَا خَلَوْا عَضُّوْا عَلَيْكُمُ
الْاَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ ۭ قُلْ مُوْتُوْا بِغَيْظِكُمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿119﴾ اِنْ
تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْھُمْ ۡ وَاِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَّفْرَحُوْا بِهَا ۭ وَاِنْ تَصْبِرُوْا
وَتَتَّقُوْا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُھُمْ شَيْـــًٔـا ۭ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ ﴿120﴾ۧ

तर्जुमा : "ऐ ईमानवालों! तुम अपना वली दोस्त ईमानवालों के सिवा और किसी को न बनाओ (तुम नहीं देखते कि दूसरे लोग तो) तुम्हारी तबाही में कोई कसर नहीं रखते वह तो चाहते ही हैं कि तुम दुख में पड़ो उनकी अ़दावत तो ख़ुद उनकी ज़ुबान से भी ज़ाहिर हो चुकी है। और जो उनके सीनों में पोशीदा है वह बहुत ज़्यादा है। हमने तुम्हारे लिए आयात बयान कर दीं अगर अ़क़्लमन्द हो (तो ग़ोर करो।) (118) हाँ! तुम तो उन्हें चाहते हो और वह तुमसे मुहब्बत नहीं रखते। तुम पूरी किताब को मानते हो (वह नहीं मानते फिर मुहब्बत कैसी?) यह तुम्हारे सामने तो अपने ईमान का इक़रार करते हैं लेकिन तंहाई में मारे गुस्से के उँगलियाँ चबाते रहते हैं। कह दो कि अपने गुस्से ही में मर जाओ। अल्ल्लाह तआ़ला दिलों के भेदों को बख़ूबी जानता है। (119) तुमको अगर भलाई मिले तो यह नाख़ुश होते हैं, हाँ! अगर मुसीबत पहुँचे तो ख़ुश होते हैं। तुम अगर स़ब्र और परहेज़ गारी करो तो उनका मकर तुमको नुक़्सान न देगा। अल्लाह तआ़ला ने उनके आ'मालों का एहात़ा कर रखा है।" (120)

काफ़िर मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते (आयत 118-120) : अल्लाह तआ़ला ईमानदारों को काफ़िरों और मुनाफ़िक़ों की दोस्ती और हमराज़ी से रोकता है कि यह तो तुम्हारे दुश्मन हैं इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में बहल न जाना और इनके मकर के फंदे में फंस न जाना, वरना मौक़ा पाकर यह तुमको सख़्त ज़रर पहुँचाएँगे और अपनी बात़िनी अ़दावत निकालेंगे, तुम उन्हें अपना राज़दार हर्गिज़ न समझना, राज़ की बातें उनके कानों तक हर्गिज़ न पहुँचाना (बित़ानत) कहते हैं इंसान के राज़दार दोस्त को और (मिन दुनिकुम) से मुराद अहले इस्लाम के सिवा तमाम फ़िर्क़े हैं। बुख़ारी वग़ैरह में ह़दीस है हुज़ूर (ﷺ) फ़र्माते हैं, "जिस नबी को अल्लाह ने मब्ऊ़स फ़र्माया और जिस ख़लीफ़ा को मुक़र्रर किया उसके लिए दो बित़ाना मुक़र्रर किए एक तो भलाई की बात समझाने वाला और उस पर रग़बत देने वाला दूसरा बुराई की रहबरी करने वाला और उस पर आमादा करने वाला बस फिर अल्लाह जिसे बचाए वही बच सकता है।" (स़ह़ीह़ बुख़ारी, किताबुल क़द्र, बाब अल्मा'सूम मिन इ़स्मतिल्लाह : 6611; नसाई : 4207) ह़ज़रत उ़मर बिन ख़त्ताब (رضي الله عنه) से कहा गया कि यहाँ पर ह़ीरा का एक शख़्स़ बड़ा अच्छा लिखने वाला और बहुत अच्छे ह़ाफ़िज़ा वाला है आप उसे अपना

महर्रिर (लेखक) और मुंशी मुक़र्रर कर लें। आपने फ़र्माया, फिर तो मैं ग़ैर मो'मिन को बित़ाना (राज़दार) बना लूँगा जो अल्लाह ने मना किया है।'' (इब्ने अबी ह़ातिम : 2/500) इस वाक़िया को और इस आयत को सामने रखकर ज़हन इस नतीजा पर पहुँचता है कि ज़िम्मी कुफ़्फ़ार को भी ऐसे कामों में न लगाना चाहिए ऐसा न हो कि वह मुख़ालिफ़ीन को मुसलमानों के पोशीदा इरादों से वाक़िफ़ कर दे और उनके दुश्मनों को उनसे होशियार कर दे क्योंकि इनकी तो चाहत ही मुसलमानों को नीचा दिखाने की होती है।

अज़्हर बिन राशिद कहते हैं कि लोग ह़ज़रत अनस (ﷺ) से ह़दीसें सुनते थे अगर किसी ह़दीस का मत़लब समझ में न आता तो ह़ज़रत ह़सन बसरी (ﷺ) से जाकर मत़लब हल कर लिया करते थे। एक दिन ह़ज़रत अनस (ﷺ) ने यह ह़दीस बयान की कि मुश्रिकों की आग से रोशनी त़लब न करो और अपनी अंगूठी मे अरबी नक़्श न करो। उन्होंने आकर इमाम स़ाह़ब से इसकी तशरीह़ पूछी तो आपने फ़र्माया, कि पिछले जुम्ले का तो यह मत़लब है कि अंगूठी पर मुह़म्मद (ﷺ) न खुदवाओ और पहले जुम्ले का यह मत़लब है कि मुश्रिकों से अपने कामों में मश्वरा न लो। देखो किताबुल्लाह में भी है कि ईमानदारो अपने सिवा दूसरों को हमराज़ न बनाओ। (नसाई, किताबुज़्ज़ीनत, बाब क़ौलुन्नबी ला तन्क़िशु.... : 5212; वसनदुहू ज़ईफ़; बिदूनि क़िस्सतिन; सुननुल कुब्रा : 9535) लेकिन इमाम स़ाह़ब की यह तशरीह़ क़ाबिले ग़ौर है। ह़दीस का ठीक मत़लब ग़ालिबन यह है कि मुह़म्मद (ﷺ) अरबी ख़त़ में अपनी अंगूठी पर नक़्श न कराओ। चुनाँचे और ह़दीस में स़ाफ़ मुमानिअत मौजूद है। (स़ह़ीह़ बुख़ारी, किताबुल लिबास, बाब क़ौलुन नबी (ला......) : 5877; स़ह़ीह़ मुस्लिम : 2092) यह इसलिए था कि ह़ुज़ूर (ﷺ) की मुहर के साथ मुशाबिहत न हो, और अव्वल जुम्ले का मत़लब यह है कि मुश्रिकों की बस्ती के पास न रहो, उनके पड़ौस से दूर रहो, उनके शहरों से हिज्रत कर जाओ, जैसे अबूदाऊद में है कि ''मुसलमानों और मुश्रिकों के दरम्यान की लड़ाई की आग को क्या तुम नहीं देखते।'' (अबूदाऊद, किताबुल जिहाद, बाब नही अन क़त्लि मनिअ'तसम बिस्सुजूद : 2645; वसनदुहू ज़ईफ़; अबू मुआविया ज़रीर मुदल्लिस रावी है और सिमाअ़ की स़राह़त नहीं। नसाई : 4784; तिर्मिज़ी : 1604) और ह़दीस में है कि ''जो मुश्रिकों से मेल जोल करे या उनके साथ रहे बस वह भी उन ही जैसा है।'' (अबूदाऊद, किताबुल जिहाद, बाब फ़िल इक़ामति बिअर्ज़िश्शिर्क : 2787; वसनदुहू ज़ईफ़)

फिर फ़र्माया, इनकी बातों से भी इनकी अ़दावत टपक रही है, इनके चेहरों से क़याफ़ा शनास इनकी बात़िनी ख़बासतों को मा'लूम कर सकता है, फिर जो इनके दिलों में तबाहकुन शरारतें हैं वह तो तुमसे मख़्फ़ी हैं लेकिन हमने तो स़ाफ़-स़ाफ़ बयान कर दिया है, आक़िल लोग ऐसे मक्कारों की मक्कारी में नहीं आते। फिर फ़र्माया, देखो कितनी कमज़ोरी की बात है कि तुम इनसे मुह़ब्बत रखो और वह तुमको न चाहें, तुम्हारा ईमान कुल किताब पर हो और यह शक शुब्हा में ही पड़े हुए हैं, इनकी किताब को तुम मानो लेकिन यह तुम्हारी किताब का इंकार करें, तो चाहिए यह था कि तुम ख़ुद इन्हें कड़ी नज़रों से देखते लेकिन बरख़िलाफ़ इसके यह तुम्हारी अ़दावत की आग में जल रहे हैं। सामना हो जाए तो अपनी ईमानदारी की दास्तान बयान करने बैठ जाते हैं लेकिन जब ज़रा अलग होते हैं तो ग़ेज़ो ग़ज़ब से जलन और ह़सद से अपनी उँगलियाँ चबाते हैं। पस मुसलमानों को भी इनकी ज़ाहिरदारी पर ख़ुश नहीं होना चाहिए। यह गो जलते झुलसते रहें लेकिन अल्लाह तआ़ला इस्लाम और मुसलमानों को तरक़्क़ी ही देता रहेगा, यह दिन रात हर ह़ैसियत में बढ़ते ही रहेंगे गो वह मारे ग़ुस्से के मर जाएँ। अल्लाह इनके दिलों के भेदों से बख़ूबी वाक़िफ़ है, इनके तमाम मंसूबों पर ख़ाक पड़ेगी,

यह अपनी शरारतों में कामयाब न हो सकेंगे, अपनी चाहत के ख़िलाफ़ मुसलमानों की दिन दूनी तरक़्क़ी देखेंगे और आख़िरत में भी इन्हें ने'मतों वाली जन्नत में पायेंगे, बरख़िलाफ़ इनके यह ख़ुद यहाँ भी रुस्वा होंगे और वहाँ भी जहन्नम की ईंधन बनेंगे। इनकी शिद्दते अदावत की यह कितनी बड़ी दलील है कि जहाँ तुमको कोई नफ़ा पहुँचा और यह कलेजा मसोसने लगे और अगर अल्लाह न करे तुमको कोई नुक़्सान पहुँच गया तो इनकी बाछें खिल गई, बग़लें बजाने और ख़ुशियाँ मनाने लगे, अगर अल्लाह की तरफ़ से मो'मिनों की मदद हुई, यह कुफ़्फ़ार पर ग़ालिब आए, इन्हें ग़नीमत का माल मिला यह ता'दाद में बढ़ गए तो वह जल बुझे और अगर मुसलमानों पर तंगी आ गई या दुश्मनों में घिर गए तो इनके यहाँ ईद मनाई जाने लगी।

अब अल्लाह तआला ईमानदारों को ख़िताब करके फ़र्माता है कि इन शरीरों की शरारत और इन बदबख़्तों के मकर से अगर नजात चाहते हो तो सब्र व तक़्वा और तवक्कल करो, अल्लाह ख़ुद तुम्हारे दुश्मनों को घेर लेगा किसी भलाई के हासिल करने किसी बुराई से बचने की किसी में ताक़त नहीं जो अल्लाह चाहता है होता है, और जो नहीं चाहता, नहीं होता। जो उस पर तवक्कल करे,उसे वह काफ़ी है। इसी मुनासिबत से अब जंगे उहुद का ज़िक्र शुरू होता है जिसमें मुसलमानों के सब्र व तहम्मुल का बयान है और जिसमें अल्लाह की आज़माइश का पूरा नक़्शा है और जिसमें मो'मिन व मुनाफ़िक़ की ज़ाहिरी तमीज़ है। सुनिए इर्शाद होता है।

***

وَاِذْ غَدَوْتَ مِنْ اَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِيْنَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ ؕ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿۱۲۱﴾ اِذْ
هَمَّتْ طَّآئِفَتٰنِ مِنْكُمْ اَنْ تَفْشَلَا ۙ وَاللّٰهُ وَلِيُّهُمَا ؕ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ
﴿۱۲۲﴾ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿۱۲۳﴾

तर्जुमा : ''ऐ नबी! तू उस वक़्त को भी याद कर जब सुबह ही सुबह तू अपने घर से निकलकर मुसलमानों को मैदाने जंग में लड़ाई के मौक़े पर बाक़ायदा बिठा रहा था, अल्लाह तआला सुनने जानने वाला है। (121) जब तुम्हारी दो जमाअतें सुस्ती का इरादा कर चुकी थीं, अल्लाह उनका वली और मददगार है। और उसी की पाक ज़ात पर मो'मिनों को भरोसा रखना चाहिए। (122) जंगे बद्र में भी अल्लाह तआला ने ऐन उस वक़्त तुम्हारी मदद फ़र्माई जबकि तुम निहायत गिरी हुई हालत में थे। फ़क़त अल्लाह ही से डरते रहा करो (न किसी और से) ताकि तुमको शुक्रगुज़ारी की तौफ़ीक़ हो (और यह शुक्रगुज़ारी बाइसे नुसरत व इम्दाद हो।) (123)

जंगे उहुद का तज़्किरा (आयत 121 -123) : यह उहुद के वाक़िया का ज़िक्र है। (इब्ने अबी हातिम : 2/510) गो कुछ मुफ़स्सिरीन ने इसे जंगे ख़ंदक़ का क़िस्सा भी कहा है लेकिन ठीक यही है कि यह वाक़िया जंगे उहुद का है जो सन 3 हिज्री 11 शव्वाल बरोज़ हफ़्ता को पेश आया था। जंगे बद्र में मुश्रिकीन को कामिल

शिकस्त हुई थी, उनके सरदार मौत के घाट उतरे थे, अब उसका बदला लेने के लिए मुश्रिकीन ने बड़ी भारी तैयारी की थी, वह तिजारती माल जो बद्र वाली लड़ाई के मौक़े पर दूसरे रास्ते से बचकर आ गया था वह सब इस लड़ाई के लिए रोक रखा था और चारों तरफ़ से लोगों को जमा करके तीन हज़ार का एक लश्करे जर्रार तैयार किया और पूरे साज़ो-सामान के साथ मदीना पर चढ़ाई की। इधर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने जुम्आ की नमाज़ के बाद मालिक बिन अम्र (رضی اللہ عنہ) के जनाज़े की नमाज़ पढ़ाई जो क़बीला बनी नज्जार में से थे, फिर लोगों से मश्वरा किया कि, ''उनकी मुदाफ़िअत की क्या सूरत तुम्हारे नज़दीक बेहतर है।'' तो अब्दुल्लाह बिन उबय ने कहा कि हमें मदीना से बाहर न निकलना चाहिए अगर वह आए और ठहरे तो गोया जेलख़ाना में आ गए, रुके खड़े रहें और अगर मदीना में घुसे तो एक तरफ़ से हमारे बहादुरों की तलवारें होंगी दूसरी जानिब से तीरअंदाज़ों के बेपनाह तीर होंगे, फिर ऊपर से औरतों और बच्चों की संगबारी होगी। और अगर यूँ ही लौट गए तो बर्बादी और ख़सारे के साथ लौटेंगे। लेकिन इसके बरख़िलाफ़ कुछ उन सहाबा (رضی اللہ عنہم) की राय थी जो जंगे बद्र में शरीक न हो सके थे, यह ज़ोर लगा रहे थे कि मदीना के बाहर जाकर मैदान में ख़ूब दिल खोलकर उनका मुक़ाबला करना चाहिए।

रसूलुल्लाह (ﷺ) घर में तशरीफ़ ले गए और हथियार लगाकर बाहर आए। उन सहाबा (رضی اللہ عنہم) को अब ख़्याल हुआ कि कहीं हमने अल्लाह के नबी (ﷺ) के ख़िलाफ़े मंशा तो मैदान की लड़ाई पर ज़ोर नहीं दिया, इसलिए यह कहने लगे कि हुज़ूर (ﷺ)! अगर यहीं ठहरकर लड़ने का इरादा हो तो यूँ ही कीजिए, हमारी जानिब से कोई इसरार नहीं। आपने फ़र्माया, ''अल्लाह के नबी (ﷺ) को लायक़ नहीं कि वह हथियार पहनकर उतार दे, अब तो मैं न लौटूँगा जब तक कि वह न हो जाए जो अल्लाह को मंज़ूर हो।'' चुनाँचे एक हज़ार का लश्कर लेकर आप मदीना शरीफ़ से निकल खड़े हुए। शूत पर पहुँचकर उस मुनाफ़िक़ अब्दुल्लाह बिन उबय ने दग़ाबाज़ी की और अपनी तीन सौ की जमाअत को लेकर वापिस मुड़ गया। यह लोग कहने लगे कि हम जानते हैं कि लड़ाई तो नहीं होगी, ख़्वाह मख़्वाह ज़हमत क्यूँ उठाएँ? आँहज़रत (ﷺ) ने उसकी कोई परवाह न की और सिर्फ़ सात सौ सहाबा किराम (رضی اللہ عنہم) को लेकर आपने उहुद पहाड़ का रुख़ किया। पहाड़ को पीठ की तरफ़ करके दामने कोह में लश्कर को उतारने का हुक्म दे दिया कि ''जब तक मैं न कहूँ लड़ाई शुरू न करना'' पचास तीरअंदाज़ सहाबियों को अलग करके उनका अमीर हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबेर (رضی اللہ عنہ) को बनाया और उनसे फ़र्मा दिया कि ''पहाड़ी पर चढ़ जाओ और इसबात का ख़्याल रखो कि दुश्मन पीछे से न आ जाए, देखो हम ग़ालिब आ जाएँ या अल्लाह न करे मग़लूब हो जाएँ तुम हर्गिज़-हर्गिज़ अपनी जगह से न हटना।'' यह इंतिज़ामात करके ख़ुद आप भी तैयार हो गए, दुहरी ज़िरह पहनी। (इसकी सनद नहीं मिली नीज़ देखिए फ़िक़्हुस्सीरत लिल्अल्बानी, पेज : 263) हज़रत मुस्अब बिन उमेर (رضی اللہ عنہ) को झण्डा दिया। आज चंद लड़के भी लश्करे मुहम्मदी में नज़र आते थे। यह छोटे सिपाही भी जाँबाज़ी के लिए हमातन मुस्तइद थे कुछ और बच्चों को हुज़ूर (ﷺ) ने साथ नहीं लिया था, उन्हें जंगे ख़ंदक़ में लश्कर में भर्ती किया गया। जंगे ख़ंदक़ उसके दो साल बाद हुई थी। कुरेश का लश्कर बड़े ठाठ से मुक़ाबले पर आ डटा, यह तीन हज़ार सिपाहियों का गिरोह था, इनके साथ दो सौ कोतिल घोड़े थे जिन्हें मौक़ा पर काम आने के लिए साथ रखा था। उनके दाहिने हिस्से पर ख़ालिद बिन वलीद थे और बाएँ पर इकरमा बिन अबू जहल था (यह दोनों सरदार बाद में मुसलमान हो गए (رضی اللہ عنہم)) इनका झण्डा बरदार क़बीला बनू अब्दुद्दार था। (देखिए (दलाइलुन्नुबुव्वत लिल बैहक़ी :

3/206, 210) वसनदुहू ज़ईफ़) फिर लड़ाई शुरू हुई जिसके वाक़ियात इन ही आयतों की मौक़ा ब मौक़ा तफ़्सीर के साथ आते रहेंगे, इंशाअल्लाह तआ़ला!

अल्ग़र्ज़ इस आयत में इसी का बयान हो रहा है कि हुज़ूर (ﷺ) मदीना शरीफ़ से निकले और लोगों को लड़ाई के मौक़े की जगह पर मुक़र्रर करने लगे, मैमना मैसरा लश्कर का मुक़र्रर किया, अल्लाह तआ़ला तमाम बातों को सुनने वाला और सबके दिलों के भेद को जानने वाला है। रिवायतों में यहाँ तक आ चुका है कि हुज़ूर (ﷺ) जुम्आ के दिन मदीना शरीफ़ से लड़ाई के लिए निकले, और क़ुरआन कहता है सुबह़ ही सुबह़ तुम लश्करियों की जगह मुक़र्रर करते थे तो मतलब यह है कि जुम्आ के दिन तो जाकर पड़ाव डाल दिया बाक़ी कार्रवाई हफ़्ता की सुबह़ शुरू हुई। ह़ज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (رضی اللہ عنہ) फ़र्माते हैं, हमारे बारे में या'नी बनू ह़ारिसा और बनू सलमा के बारे में यह आयत नाज़िल हुई है, तुम्हारे दो गिरोहों ने बुज़दिली का इरादा किया था। गो इसमें हमारी एक कमज़ोरी का बयान है लेकिन हम अपने ह़क़ में इस आयत को बहुत बेहतर जानते हैं क्योंकि इसमें यह भी फ़र्मा दिया गया है कि अल्लाह तआ़ला इन दोनों का वली है। (स़ह़ीह़ बुख़ारी, किताबुल मग़ाज़ी, बाब (इज़ हम्मत......) : 4051; स़ह़ीह़ मुस्लिम : 2505)

फिर फ़र्माया कि देखो मैंने बद्र वाले दिन भी तुमको ग़ालिब किया ह़ालाँकि तुम बहुत ही कम और बेसरोसामान थे। बद्र की लड़ाई 2 हिज्री 17 रमज़ान बरोज़ जुम्आ को हुई थी। उसी का नाम यौमुल फ़ुरक़ान रखा गया, उस दिन इस्लाम और अहले इस्लाम को इ़ज़्ज़त मिली शिर्क बर्बाद हुआ। मह़ल्ले शिर्क उजड़ा ह़ालाँकि उस दिन मुसलमान सिर्फ़ तीन सौ तेरह थे, उनके पास सिर्फ़ दो घोड़े थे, फ़क़त़ सत्तर ऊँट थे, बाक़ी सब पैदल थे, हथियार भी इतने कम थे कि गोया न थे और दुश्मन की ता'दाद उस दिन तीन गुनी थी एक ह़ज़ार में कुछ ही कम थे, हर एक ज़िरह बक्तर लगाए हुए ज़रूरत से ज़्यादा वाफ़िर हथियार उ़म्दह उ़म्दह काफ़ी से ज़्यादा घोड़े मालदारी का यह ह़ाल था कि सोने के ज़ेवर पहने हुए। इस मौक़ा पर अल्लाह ने अपने नबी (ﷺ) को इ़ज़्ज़त और ग़ल्बा दिया, अपनी वह़ी ज़ाहिर की, अपने नबी (ﷺ) और आपके साथियों को सुर्ख़ुरू किया और शैतान और उसके लश्करियों को ज़लीलो ख़ार किया। अपने मो'मिन बन्दों और जन्नती लश्करियों को इस आयत में यह एह़सान याद दिलाता है कि बावजूद तुम्हारी ता'दाद की कमी और ज़ाहिरी अस्बाब की ग़ैर मौजूदगी के तुमको ग़ालिब किया ताकि तुम मा'लूम करो कि ग़ल्बा ज़ाहिरी अस्बाब पर मौक़ूफ़ नहीं। इसीलिए दूसरी आयत मे स़ाफ़ फ़र्मा दिया कि जंगे हुनेन में तुमने ज़ाहिरी अस्बाब पर नज़र डाली और अपनी ज़्यादती देखकर ख़ुश हुए लेकिन उस ज़्यादती और मौजूदगिये अस्बाब ने तुमको कुछ फ़ायदा न दिया।

ह़ज़रत अ़याज़ अशअ़री (रह़.) फ़र्माते हैं कि जंगे यरमूक में हमारे पाँच सरदार थे, ह़ज़रत उ़बेदह, ह़ज़रत यज़ीद बिन अबू सुफ़ियान, ह़ज़रत शुरह़्बील बिन ह़स्ना, ह़ज़रत ख़ालिद बिन वलीद और ह़ज़रत अ़याज़ और ख़लीफ़तुल मो'मिनीन ह़ज़रत उ़मर (رضی اللہ عنہ) का हुक्म था कि लड़ाई के वक़्त ह़ज़रत अबू उ़बेदह (رضی اللہ عنہ) सरदारी करें। इस लड़ाई में हमें चारों त़रफ़ से शिकस्त के आसार नज़र आने लगे तो हमने ख़लीफ़-ए-वक़्त को ख़त़ लिखा कि हमें मौत ने घेर रखा है, इम्दाद भेजिए। फ़ारूक़ (رضی اللہ عنہ) का मक्तूब गिरामी हमारी गुज़ारिश के जवाब में आया, जिसमें तह़रीर था कि ''तुम्हारा त़लबे इम्दाद का ख़त़ पहुँचा। मैं तुमको एक ऐसी ज़ात बतलाता हूँ जो सबसे ज़्यादा मददगार और सबसे ज़्यादा मज़बूत़ लश्कर वाली है वह ज़ात अल्लाह तबारक व

तआ़ला की है जिसने अपने बन्दे और रसूलुल्लाह (ﷺ) की मदद बद्र वाले दिन की थी। बद्री लश्कर तो तुमसे बहुत ही कम था। मेरा यह ख़त्त पढ़ते ही जिहाद शुरू कर दो, और अब मुझे कुछ न लिखना, न कुछ पूछना।'' इस ख़त्त से हमारी जुर्अतें बढ़ गईं, हिम्मतें बुलंद हो गईं, फिर हमने जमकर लड़ना शुरु किया, अल्हम्दु लिल्लाह! दुश्मन को शिकस्त हुई और वह भागे। हमने बारह मील तक उनका पीछा किया, बहुत सा माले ग़नीमत हमें मिला जो हमने आपस में बांट लिया। फिर हज़रत अबू उबेदह (رضي الله عنه) कहने लगे मेरे साथ दौड़ कौन करेगा? एक नौजवान ने कहा, अगर आप नाराज़ न हों तो मैं हाज़िर हूँ। चुनाँचे दौड़ने में वह आगे निकल गए। मैंने देखा कि उनकी दोनों ज़ुल्फ़ें हवा में उड़ रही थीं और वह उस नौजवान के पीछे घोड़ा उड़ाए चले जा रहे थे। (अह़मद : 1/49; वसनदुहू सह़ीह़; इब्ने ह़िब्बान : अलएह़सान : 4746) बद्र बिन नारैन एक शख़्स था उसके नाम से एक कुआँ मशहूर था और उस मैदान का जिसमें यह कुआँ था यही नाम हो गया था। बद्र की जंग भी इसी नाम से मशहूर हो गई। यह जगह मक्का और मदीना के दरम्यान है फिर फ़र्माया कि अल्लाह से डरते रहा करो ताकि शुक्र की तौफ़ीक़ मिले और इताअ़त गुज़ारी कर सको।

***

إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَلَٰثَةِ ءَالَٰفٍ مِّنَ الْمَلَٰٓئِكَةِ

مُنزَلِينَ ﴿١٢٤﴾ بَلَىٰٓ ۚ إِن تَصْبِرُوا۟ وَتَتَّقُوا۟ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم

بِخَمْسَةِ ءَالَٰفٍ مِّنَ الْمَلَٰٓئِكَةِ مُسَوِّمِينَ ﴿١٢٥﴾ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ

قُلُوبُكُم بِهِۦ ۗ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴿١٢٦﴾ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ

الَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُوا۟ خَآئِبِينَ ﴿١٢٧﴾ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَىْءٌ أَوْ

يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَٰلِمُونَ ﴿١٢٨﴾ وَلِلَّهِ مَا فِى السَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى

الْأَرْضِ ۚ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢٩﴾

तर्जुमा : ''जब तू मो'मिनों को तसल्ली दे रहा था, क्या आसमान से तीन हज़ार फ़रिश्ते उतारकर अल्लाह तआ़ला का तुम्हारी मदद करना तुमको काफ़ी न होगा। (124) गो यह लोग अपने इस जोश से आएँ लेकिन अगर तुम स़ब्र व परहेज़गारी करोगे तो तुम्हारा रब

तुम्हारी मदद पाँच हज़ार फ़रिश्तों से करेगा, जो निशानदार होंगे। (125) और यह तो महज़ तुम्हारे दिल की ख़ुशी और इत्मिनाने क़ल्ब के लिए है याद रखो, मदद अल्लाह ही की तरफ़ से है जो ग़ालिब और हिक्मतों वाला है। (126) इस इम्दादे इलाही से कुफ़्फ़ार की एक जमाअत कट जाएगी और ज़लील होगी और सारे के सारे नामुराद होकर वापिस चले जाएँगे। (127) ऐ पैग़म्बर! तुम्हारे इख़्तियार में कुछ नहीं, अल्लाह चाहे उनकी तौबा क़बूल करे चाहे अज़ाब करे, क्योंकि वह ज़ालिम हैं। (128) आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है सब अल्लाह ही का है वह जिसे चाहे बख़्शे जिसे चाहे अज़ाब करे। अल्लाह तआला बख़्शिश करने वाला मेहरबान है।'' (129)

जंगे बद्र और जंगे उहुद में लश्करे इस्लाम की फ़रिश्तों से मदद (124-129) : आँहज़रत (ﷺ) का यह तसल्लियाँ देना, कुछ तो कहते हैं बद्र वाले दिन था। हसन बसरी, आमिर शअबी, रबीअ बिन अनस (रह.) वग़ैरह का यही क़ौल है। (इब्ने अबी हातिम : 2/519, 521) इब्ने जरीर (रह.) भी इसी को पसंद करते हैं। आमिर शअबी का क़ौल है कि मुसलमानों को यह ख़बर मिली थी कि कुर्ज़ बिन जाबिर मुश्रिकों की इम्दाद में आएगा, उस पर इस इम्दाद का वा'दा हुआ था लेकिन फिर न वह आया न यह। रबीअ बिन अनस (रह.) फ़र्माते हैं अल्लाह तआला ने मुसलमानों की मदद के लिए पहले तो एक हज़ार फ़रिश्ते भेजे फिर तीन हज़ार हो गए, फिर पाँच हज़ार। (तब्री : 7/178) यहाँ इस आयत में तीन हज़ार और पाँच हज़ार से मदद करने का वा'दा है और बद्र के वाक़िया के बयान के वक़्त एक हज़ार फ़रिश्तों की इम्दाद का वा'दा है। फ़र्माया (أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ) (8/अन्फ़ाल : 9) और तत्बीक़ दोनों आयतों में यही है क्योंकि (मुर्दिफ़ीन) का लफ़्ज़ मौजूद है। पस पहले एक हज़ार उतरे फिर उनके बाद तीन हज़ार पूरे हुए आख़िर पाँच हज़ार हो गए। बज़ाहिर यही मा'लूम होता है कि यह वा'दा जंगे बद्र के लिए था, न कि जंगे उहुद के लिए। कुछ कहते हैं, जंगे उहुद के मौक़े पर वा'दा हुआ था। मुजाहिद, इक्रमा, ज़ह्हाक, ज़ुहरी, मूसा बिन उक़्बा (रह.) वग़ैरह का यही क़ौल है। लेकिन वह कहते हैं कि चूँकि मुसलमान मैदान छोड़कर हट गए, इसलिए फ़रिश्ते नाज़िल हुए क्योंकि (وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا) साथ ही फ़र्माया था। या'नी अगर तुम सब्र करो और तक़्वा करो (फ़ौर) के मा'नी वजद और ग़ज़ब के हैं (मुसव्विमीन) के मा'नी अलामत वाले।

हज़रत अली (رضي الله عنه) फ़र्माते हैं फ़रिश्तों की निशानी बद्र वाले दिन सफ़ेद रंग सूफ़ की थी। (इब्ने अबी हातिम : 2/525) और उनके घोड़ों की निशानी माथे की सफ़ेदी थी। हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) फ़र्माते हैं गर्दन के बालों और दुम का निशान था और यही निशान आपके लश्करियों का था या'नी सूफ़ का। मक्हूल (रह.) कहते हैं फ़रिश्तों की निशानी ऊन की पगड़ियाँ थी जो स्याह रंग के अमामे थे और हुनेन वाले दिन सुर्ख़ अमामे थे। (तबरानी : 11469; वसनदुहू ज़ईफ़ुन जिद्दा मौज़ूअ) इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) फ़र्माते हैं बद्र के अलावा फ़रिश्ते कभी किसी जंग में शामिल नहीं हुए और सफ़ेद रंग अमामों की अलामत थी यह सिर्फ़ मदद के लिए और गिनती बढ़ाने के लिए थे, न कि लड़ते हों। यह भी मरवी है कि जंगे बद्र में हज़रत ज़ुबेर (رضي الله عنه) के सर पर सफ़ेद रंग का साफ़ा था और फ़रिश्तों पर ज़र्द रंग। (इब्ने अबी हातिम : 2/527)

फिर फ़र्माया कि यह फ़रिश्तों का नाज़िल करना और तुमको उसकी ख़बर देना सिर्फ़ तुम्हारी ख़ुशी, दिलजोई और इत्मिनान के लिए है वरना अल्लाह को क़ुदरत है कि बग़ैर उनको उतारे बल्कि बग़ैर तुम्हारे लड़े भी तुमको ग़ालिब कर दे, मदद उसी की तरफ़ से है। जैसे और जगह है (وَ لَوْ يَشَآءُ اللّٰهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ) अल्ख़ (47/मुहम्मद : 4) अगर अल्लाह चाहता तो उनसे ख़ुद ही बदला ले लेता लेकिन वह हर एक को आज़मा रहा है। अल्लाह तआला की राह में जो क़त्ल किए जाएँ उनके आ'माल इकारत नहीं होते, अल्लाह उन्हें राह दिखाएगा, उनके आ'माल संवार देगा और उन्हें जन्नत में ले जाएगा जिसकी ता'रीफ़ वह कर चुका है, वह इज़्ज़त वाला है और अपने हर काम में हिक्मत रखता है। यह हुक्मे जिहाद भी तरह तरह की हिक्मतों पर मब्नी है, इससे कुफ़्फ़ार हलाक होंगे, या ज़लील होंगे या नामुराद वापिस हो जाएँगे। इसके बाद बयान होता है कि दुनिया और आख़िरत के कुल उमूर अल्लाह तआला के हाथ में है। ऐ नबी (ﷺ)! तुमको किसी अम्र का इख़्तियार नहीं। जैसे फ़र्माया (فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ وَ عَلَيْنَا الْحِسَابُ) (13/रअद : 40) "तुम पर सिर्फ़ तब्लीग़ है हिसाब तो हमारे ज़िम्मे है।" और जगह है (لَيْسَ عَلَيْكَ هُدٰىهُمْ) अल्ख़ (2/बक़रह : 272) "तुम्हारे ज़िम्मे इनकी हिदायत नहीं, अल्लाह जिसे चाहे हिदायत दे" और एक जगह है (اِنَّكَ لَا تَهْدِىْ مَنْ اَحْبَبْتَ) अल्ख़ (28/क़सस : 56) "तू जिसे चाहे हिदायत नहीं कर सकता बल्कि अल्लाह जिसे चाहे हिदायत करता है पस मेरे बन्दों में तुझे कोई इख़्तियार नहीं जो हुक्म पहुँचे उसे औरों को पहुँचा दे तेरे ज़िम्मे यही है मुम्किन है अल्लाह उन्हें तौबा की तौफ़ीक़ दे और बुराई के बाद वह भलाई करने लगें और अल्लाह उनकी तौबा क़बूल फ़र्मा ले या मुम्किन है कि उन्हें उनके कुफ़्र व गुनाह की बिना पर अ़ज़ाब करे तो यह ज़ालिम इसके भी मुस्तहिक़ हैं।"

सहीह बुख़ारी में है रसूलुल्लाह (ﷺ) सुबह की नमाज़ में जब दूसरी रकअत के रुकूअ से सर उठाते और (समिअल्लाह....) कह लेते तो कुफ़्फ़ार पर बद दुआ करते कि "ऐ अल्लाह! फ़लाँ पर ला'नत कर" इसके बारे में यह आयत (لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَىْءٌ) नाज़िल हुई। (सहीह बुख़ारी, किताबुल मग़ाज़ी, बाब (लैस.....) : 4069, 4070; नसाई : 1079) मुस्नद अहमद में इन काफ़िरों के नाम भी आए हैं, मस्लन हारिस बिन हिशाम, सुहेल बिन अ़म्र, सफ़वान बिन उमय्या। और उसी में है कि बिलआख़िर इनको हिदायत नसीब हुई और यह मुसलमान हो गए। (अहमद : 2/93; तिर्मिज़ी, किताब तफ़्सीरुल क़ुरआन, बाब वमिन सूरति आले इमरान : 3004; वहुव सहीह) एक रिवायत में है कि चार आदमियों पर यह बद्दुआ दी थी, जिससे रोक दिए गए। सहीह बुख़ारी में हुज़ूर (ﷺ) जब किसी पर बद्दुआ करना या किसी के हक़ में नेक दुआ करना चाहते तो रुकूअ़ के बाद (समिअल्लाह) अल्ख़ और (रब्बना) अल्ख़ पढ़कर दुआ मांगते। कभी कहते, "ऐ अल्लाह! वलीद बिन वलीद, सलमा बिन हिशाम, अ़याश बिन अबी रबीआ और कमज़ोर मो'मिनों को कुफ़्फ़ार से नजात दे, ऐ अल्लाह! क़बीला मुज़र पर अपनी पकड़ और अपना अ़ज़ाब नाज़िल फ़र्मा और उन पर ऐसी क़हतसाली भेज जैसी हज़रत यूसुफ़ (عليه السلام) के ज़माने में भेजी थी।" यह दुआ बा आवाज़े बुलंद हुआ करती थी और कुछ मर्तबा सुबह की नमाज़ के क़ुनूत में यूँ भी कहते कि "ऐ अल्लाह! फ़लाँ-फ़लाँ पर ला'नत भेज" और अ़रब के कुछ क़बीलों के नाम लेते थे। (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर, आले इमरान, बाब (लैस...) : 4560; सहीह मुस्लिम : 675)

और रिवायत में है कि जंगे उहुद में जब आपके दंदाने मुबारक शहीद हो गए, चेहरा ज़ख़्मी हुआ, ख़ून बहने लगा तो ज़ुबान से निकल गया कि "वह क़ौम कैसे फ़लाह पाएगी जिसने अपने नबी के साथ यह किया, हालाँकि नबी अल्लाह की तरफ़ उन्हें बुलाता था।" उस वक़्त यह आयत (لَيْسَ لَكَ) अल्ख़ नाज़िल हुई। (सहीह बुख़ारी, किताबुल मग़ाज़ी, बाब (لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَیْءٌ.....) क़ब्ल हदीस : 4069; सहीह मुस्लिम : 1791) आप इस ग़ज़्वे में एक गढ़े में गिर पड़े थे और ख़ून बहुत निकल गया था। कुछ तो इस ज़ुअफ़ की वजह से और कुछ इस वजह से कि दोहरी ज़िरह पहने हुए थे, उठ न सके। हज़रत हुज़ेफ़ा (ﷺ) के मौला हज़रत सालिम (ﷺ) पहुँचे और चेहरे पर से ख़ून पौंछा, जब इफ़ाक़ा हुआ तो आपने यह फ़र्माया और यह आयत नाज़िल हुई। (यह रिवायत मुर्सल या'नी ज़ईफ़ है) फिर फ़र्माता है कि ज़मीनो आसमान की हर चीज़ उसी की है सब उसके गुलाम हैं जिसे चाहे बख़्शे जिसे चाहे अ़ज़ाब करे, मुतसर्रिफ़ वही है जो चाहे हुक्म करे कोई उससे पुर्सिश नहीं कर सकता, वह ग़फ़ूरुर्रहीम है।

***

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوا الرِّبٰوٓا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُوْنَ ۝١٣٠ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِيْٓ اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ ۝١٣١ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ
لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ۝١٣٢ وَسَارِعُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ
وَالْاَرْضُ ۙ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ ۝١٣٣ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِي السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالْكٰظِمِيْنَ
الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ۭ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ۝١٣٤ وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا
فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَھُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ ۠ وَمَنْ يَّغْفِرُ
الذُّنُوْبَ اِلَّا اللّٰهُ ڞ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰي مَا فَعَلُوْا وَھُمْ يَعْلَمُوْنَ ۝١٣٥ اُولٰۗىِٕكَ جَزَاۗؤُھُمْ
مَّغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَجَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۭ وَنِعْمَ اَجْرُ
الْعٰمِلِيْنَ ۝١٣٦

तर्जुमा : "ऐ ईमानवालों! बढ़ा चढ़ाकर सूद न खाओ और अल्लाह तआला से डरते रहा करो ताकि तुमको नजात मिले। (130) उस आग से डरते रहा करो जो काफ़िरों के लिए तैयार की गई है। (131) अल्लाह और उसके रसूल की फ़र्मांबरदारी करते रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। (132) अपने रब की बख़्शिश की तरफ़ और उस जन्नत की तरफ़ दौड़ो जिसकी चौड़ाई आसमानों और ज़मीनों के ब राबर है, जो परहेज़गारों के लिए तैयार की गई है। (133) जो लोग आसानी और सख़्ती के मौक़े पर भी अल्लाह की राह में ख़र्च करते रहते हैं, गुस्सा पीने वाले और लोगों से दरगुज़र करने वाले हैं। अल्लाह तआला भी उन नेककारों को दोस्त रखता है। (134) जब उनसे कोई नाशाइस्ता काम हो जाए या कोई गुनाह कर बैठें तो फ़ौरन अल्लाह का ज़िक्र और अपने गुनाहों का इस्तिग़फ़ार करने लगते हैं, फ़िल-वाक़ेअ (वास्तव में) अल्लाह के सिवा और कोई गुनाहों का बख़्शने वाला भी नही हो सकता है। और वह लोग बावजूद इल्म के किसी बुरे काम पर नहीं अड़ जाते। (135) उन ही का बदला उनके रब की तरफ़ से मग़फ़िरत है और जन नतें हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं जिसमें वह हमेशा रहेंगे। उन नेक कामों के करने वालों का सवाब बहुत ही अच्छा है।" (136)

सूद की हुर्मत (आयत 130-136) : अल्लाह तआला अपने मो'मिन बन्दों को सूदी लेन-देन से और सूदख़ोरी से रोक रहा है। अहले जाहिलियत सूदी क़र्ज़ा देते थे, मुद्दत मुक़र्रर होती थी अगर उस मुद्दत पर रुपया वसूल न होता तो मुद्दत बढ़ाकर सूद पर सूद बढ़ा दिया करते थे। इसी तरह सूद दर सूद मिल मिलाकर असल रक़म कई गुना बढ़ जाती। अल्लाह तआला ईमानदारों को इस तरह नाहक़ लोगों के म ाल बर्बाद करने से रोक रहा है और तक़्वा का हुक्म देकर उस पर नजात का वा'दा कर रहा है फिर आग से डराता है और अपने अज़ाबों से धमकाता है। फिर अपनी और अपने रसूल (ﷺ) की इताअत पर आमादा करता है और उस पर रहमो करम का वा'दा देता है फिर सआदते दारेन के हुसूल के लिए नेकियों की तरफ़ सब्क़त करने को फ़र्माता है और जन्नत की ता'रीफ़ करता है, चौड़ाई को बयान करके लम्बाई का अंदाज़ा सुनने वालों पर ही छोड़ा जाता है। जिस तरह जन्नती फ़र्श की ता'रीफ़ करते हुए फ़र्माया (بَطَآئِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ) (55/रहमान : 54) या'नी "उसका अस्तर नर्म रेशम का है" तो मतलब यह है कि जब अस्तर ऐसा है तो अब्रे का क्या ठिकाना है। इसी तरह यहाँ भी बयान हो रहा है कि जब अर्ज़ सातों आसमानों और सातों ज़मीनों के ब राबर है तो तूल (लम्बाई) कितना बड़ा होगा। और कुछ ने कहा है कि अर्ज़ व तूल यक्साँ होता है। एक सहीह हदीस में है जब तुम अल्लाह तआला से जन्नत मांगो तो जन्नतुल फ़िरदोस का सवाल करो, वह सबसे ऊँची और सबसे अच्छी जन्नत है, उसी जन्नत से सब नहरें जारी होती हैं और उसकी छत अल्लाह रहमानो रहीम का अर्श है। (सहीह बुख़ारी, किताबुल जिहाद, बाब दरजातुल मुजाहिदीन : 2790, 7423)

मुस्नद अहमद में है कि हिरक़्ल ने हुज़ूर (ﷺ) की ख़िदमत में बतौर ए'तिराज़ के एक सवाल लिख भेजा कि आप मुझे उस जन्नत की दा'वत दे रहे हैं जिसकी चौड़ाई आसमान व ज़मीन के बराबर है तो यह फ़र्माईए कि फिर जहन्नम कहाँ गई? हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, "सुब्हानल्लाह! जब दिन आता है तो रात कहाँ

जाती है?'' जो क़ासिद हिरक़्ल का यह ख़त लेकर ख़िदमते नबवी में हाज़िर हुआ था उससे हज़रत यअ़ला बिन मुर्रह की मुलाक़ात हिम्स में हुई थी। कहते हैं उस वक़्त यह बहुत ही बुढ़ा हो गया था, कहने लगा जब मैंने यह ख़त हुज़ूर (ﷺ) को दिया तो आपने अपनी बाएँ तरफ़ के एक सहाबी को दिया। मैंने लोगों से पूछा, इनका क्या नाम है? लोगों ने कहा, यह हज़रत मुआविया (رضي الله عنه) हैं। (अहमद : 3/441; वसनदुहू ज़ईफ़) हज़रत इमर (رضي الله عنه) से भी यही सवाल हुआ था तो आपने फ़र्माया था कि ''दिन के वक़्त रात और रात के वक़्त दिन कहाँ जाता है?'' यहूदी यह जवाब सुनकर खिस्याने होकर कहने लगे कि यह तौरात से अख़ज़ किया होगा। हज़रत इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से भी यह जवाब मरवी है। एक मरफ़ूअ हदीस में है किसी ने हुज़ूर (ﷺ) से पूछा तो आपने जवाब में फ़र्माया, ''जब हर चीज़ पर रात आ जाती है तो दिन कहाँ जाता है।'' उसने कहा, जहाँ अल्लाह चाहे। आपने फ़र्माया, ''इसी तरह जहन्नम भी जहाँ अल्लाह चाहे'' (मुस्नद बज़्ज़ार : 2196; हाकिम : 1/36; इब्ने हिब्बान : 103; वसनदुहू सहीह) इस जुम्ला के दो मा'नी होते हैं एक तो यह कि रात के वक़्त गो हम दिन को नहीं देख सकते लेकिन ताहम दिन का किसी जगह होना मुम्किन नहीं, इसी तरह गो जन्नत का अ़र्ज़ (चौड़ाई) इतना ही है लेकिन फिर भी जहन्नम के वजूद से इंकार नहीं हो सकता, जहाँ अल्लाह चाहे वह भी है। दूसरे मा'नी यह कि जब दिन एक तरफ़ से चढ़ने लगा और रात दूसरी जानिब होती है उसी तरह जन्नत आ'ला इल्लीय्यीन में है और दोज़ख़ अस्फ़लुस्साफ़िलीन में तो कोई मुनाफ़ात न रही, वल्लाहु आ'लम!

अल्लाह के नेक बन्दों के औसाफ़ : फिर अल्लाह तआला अहले-जन्नत का वस्फ़ बयान फ़र्माता है कि वह सख़्ती में और आसानी में ख़ुशी में और ग़मी में तंदुरुस्ती में ओर बीमारी में ग़र्ज़ हर हाल में अल्ल्लाह की राह में अपना माल ख़र्च करते रहते हैं, जैसे और जगह है या'नी वह लोग दिन रात छुपे-खुले ख़र्च करते रहते हैं, कोई अम्र उन्हें अल्लाह तआला की इताअत से बाज़ नहीं रख सकता, उसकी मख़्लूक़ पर उसके हुक्म से एहसान करते रहते हैं। यह गुस्से को पी जाने वाले और लोगों की बुराईयों से दरगुज़र करने वाले हैं (कज़्म) के मा'नी छुपाने के भी हैं, या'नी अपने गुस्से का इज़्हार भी नहीं करते।

कुछ रिवायतों में है ऐ इब्ने आदम अगर गुस्से के वक़्त तू मुझे याद रखेगा या'नी मेरा हुक्म मानकर गुस्सा पी जाएगा तो मैं भी अपने गुस्से के वक़्त तुझे याद रखूँगा या'नी हलाकत के वक़्त तुझे हलाकत से बचा लूँगा (इब्ने अबी हातिम) और हदीस मे है रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़र्माते हैं, ''जो शख़्स अपना गुस्सा रोक ले, अल्लाह तआला उस पर से अज़ाब हटा लेता है और जो शख़्स अपनी ज़ुबान (ख़िलाफ़े शरअ बातों से) रोक ले, अल्लाह तआला उसकी पर्दापोशी कर लेगा और जो शख़्स अल्लाह तआला की तरफ़ मा'ज़िरत ले जाए अल्लाह तआला उसका उज़्र क़बूल फ़र्माता है।'' (मुस्नद अबू यअ़ला : 4338; वसनदुहू ज़ईफ़) यह हदीस ग़रीब है और इसकी सनद में भी कलाम है। और हदीस शरीफ़ में है कि आप (ﷺ) फ़र्माते हैं ''पहलवान वह नहीं जो किसी को पछाड़ दे बल्कि हक़ीक़तन पहलवान वह है जो गुस्से के वक़्त अपने नफ़्स पर क़ाबू रखे'' (अहमद : 2/236; सहीह बुख़ारी, किताबुल अदब, बाबुल हज़्र मिनल ग़ज़बि : 6114; सहीह मुस्लिम : 2609)

सहीह बुख़ारी व सहीह मुस्लिम मे है रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़र्माते हैं, ''तुममें से कोई ऐसा है जिसे अपने वारिस का माल अपने माल से ज़्यादा महबूब हो?'' लोगों ने कहा, हुज़ूर! कोई नहीं। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ''मैं तो देखता हूँ कि तुम अपने माल से ज़्यादा अपने वारिस का माल चाहते हो इसलिए कि तुम्हारा

माल तो दरहक़ीक़त वह है जो तुम राहे लिल्लाह में ख़र्च कर दो और जो छोड़कर जाओ, वह तुम्हारा माल नहीं बल्कि तुम्हारे वारिसों का माल है तो तुम्हारा राहे लिल्लाह कम ख़र्च करना और जमा ज़्यादा करना, यह दलील है इस अम्र की कि तुम अपने माल से अपने वारिसों के माल को ज़्यादा अज़ीज़ रखते हो।'' फिर फ़र्माया, ''तुम पहलवान किसे जानते हो?'' लोगों ने कहा, हुज़ूर (ﷺ)! उसे जिसे कोई गिरा न सके। आपने फ़र्माय, ''नहीं! बल्कि हक़ीक़तन ज़ोरदार पहलवान वह है जो गुस्से के वक़्त अपने जज़्बात पर क़ाबू रखे।'' फिर फ़र्माया, बेऔलाद किसे कहते हो? लोगों ने कहा जिसकी औलाद न हो। फ़र्माया, नहीं! बल्कि फ़िल वाक़ेअ़ बेऔलाद वह है जिसके सामने उसकी कोई औलाद मरी न हो।'' (अह़मद : 1/382; स़ह़ीह़ बुख़ारी, स़दरुहू, किताबुर्रिक़ाक़, बाब मा क़द्दम मिम्मालिही फ़हुव लहू : 6442; सह़ीह़ मुस्लिम : 2608)

एक और रिवायत में यह भी है कि आपने पूछा कि ''जानते हो मुफ़्लिस कंगाल कौन है?'' लोगों ने कहा, जिसके पास माल न हो। आपने फ़र्माया, ''बल्कि वह जिसने अपना माल अपनी ज़िन्दगी में राहे लिल्लाह न दिया हो।'' (मुस्नद अह़मद : 5/367; मुतव्वलन वसनदुहू ज़ईफ़) ह़ज़रत ह़ारिसा बिन क़ुदामा सअ़दी (﵁) ह़ाज़िरे-ख़िदमते नबवी होकर अ़र्ज़ करते हैं कि हुज़ूर (ﷺ) मुझसे कोई नफ़ा की बात कहिए और मुख़्तसर हो ताकि मैं याद भी रख सकूँ। आपने फ़र्माया, ''गुस्सा न कर।'' उसने फिर पूछा, आपने फिर यही जवाब दिया। कई कई मर्तबा यही कहा सुना। (मुस्नद अह़मद : 5/34; वसनदुहू स़ह़ीह़; ह़ाकिम : 3/615; इब्ने ह़िब्बान : 2689; त़बरानी : 2096) किसी शख़्स़ ने हुज़ूर (ﷺ) से कहा, मुझे कुछ वस़िय्यत कीजिए। आपने फ़र्माया, गुस्सा न कर।'' वह कहते हैं मैंने जो ग़ोर किया तो मा'लूम हुआ कि तमाम बुराईयों का मर्कज़ गुस्सा ही है। (मुस्नद अह़मद : 5/373; वहुव स़ह़ीहुन बिश्शवाहिद)

एक रिवायत में है कि ह़ज़रत अबू ज़र (﵁) को गुस्सा आया तो आप बैठ गए और फिर लेट गए। उनसे पूछा गया यह क्या? फ़र्माया, मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना है, आप फ़र्माते थे ''जिसे गुस्सा आए वह खड़ा हो तो बैठ जाए, अगर उससे भी गुस्सा न जाए तो लेट जाए।'' (अह़मद : 5/152; अबूदाऊद, किताबुल अदब, बाब मा युक़ाल अ़निल ग़ज़ब : 4782; वहुव स़ह़ीहुन) मुस्नद अह़मद की एक रिवायत में है कि उ़र्वा बिन मुह़म्मद (रह़.) को गुस्सा चढ़ा, आप वुज़ू करने बैठ गए और फ़र्माने लगे मैंने अपने उस्तादों से यह ह़दीस़ सुनी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया है कि ''गुस्सा शैत़ान की त़रफ़ से है और शैत़ान आग से पैदा हुआ है और आग को बुझाने वाली चीज़ पानी है।'' पस तुम गुस्सा के वक़्त वुज़ू करने बैठ जाओ। (मुस्नद अह़मद : 4/227; अबूदाऊद, किताबुल अदब, बाब मा युक़ाल इन्दल ग़ज़बि : 4784; वसनदुहू ह़सन) हुज़ूर (ﷺ) का यह भी इर्शाद है कि ''जो शख़्स़ किसी तंगदस्त को मुहलत दे या अपना क़र्ज़ उसे माफ़ कर दे, अल्लाह तआ़ला उसे जहन्नम से आज़ाद कर देता है। लोगों! सुनो जन्नत के आ'माल सख़्त और मुश्किल हैं और जहन्नम के काम आसान और सहल हैं, नेकबख़्त वही है जो फ़ित्नों से बच जाए किसी घूँट का पीना अल्लाह को ऐसा पसंद नहीं, जितना गुस्सा के घूँट का पी जाना, ऐसे शख़्स़ के दिल में ईमान रच जाता है।'' (मुस्नद अह़मद : 1/327; वसनदुहू ज़ईफ़)

हुज़ूर (ﷺ) फ़र्माते हैं, ''जो शख़्स़ अपना गुस्सा उतारने की त़ाक़त रखते हुए फिर भी ज़ब्त कर ले अल्लाह तआ़ला उसका दिल अम्नो-अमान से पुर कर देता है जो शख़्स़ बावजूद मौजूद होने के शोहरत के

कपड़े को तवाज़ो करके छोड़ दे उसे अल्लाह तआला करामत और इज़्ज़त का हुल्ला (जोड़ा) क़यामत के दिन पहनाएगा और जो किसी का सर छुपाए अल्लाह तआला उसे क़यामत के दिन बादशाहत का ताज पहनाएगा।'' (अबूदाऊद, किताबुल अदब, बाब मन कज़म ग़ैज़न : 4778; वसनदुहू ज़ईफ़ इब्ने अज्लान मुदल्लस के सिमाअ की तस्रीह़ नहीं नीज़ सुवेद बिन वहब रावी मज्हूल है।) हुज़ूर (ﷺ) फ़र्माते हैं ''जो शख़्स बावजूद कुदरत के अपना ग़ुस्सा ज़ब्त कर ले उसे अल्लाह तआला तमाम मख़्लूक़ के सामने बुलाकर इख़्तियार देगा कि जिस हूर को चाहे पसंद कर ले।'' (अबूदाऊद, किताबुल अदब, बाब मन कज़म ग़ैज़न : 4777; वसनदुहू ह़सन; तिर्मिज़ी : 2493; इब्ने माजा : 4186) इस मज़्मून की और भी ह़दीसें हैं, पस आयत का मतलब यह हुआ कि वह अपने ग़ुस्से में आपे से बाहर नहीं होते लोगों को उनकी तरफ़ से बुराई नहीं पहुँचती बल्कि अपने जज़्बात को दबाए रखते हैं और अल्लाह से डरकर सवाब की उम्मीद पर मा'मला सुपुर्दे अल्लाह करते हैं, लोगों से दरगुज़र करते हैं, ज़ालिमों के ज़ुल्म का बदला भी नहीं लेते। इसी को एह़सान कहते हैं और इन मुह़सिन बन्दों से अल्लाह मुह़ब्बत रखता है। ह़दीस में है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़र्माते हैं, ''तीन बातों पर मैं क़सम खाता हूँ, एक तो यह कि सदक़ा से माल नहीं घटता, दूसरे यह कि अफ़ू दरगुज़र करने से इंसान की इज़्ज़त बढ़ती है, तीसरे यह कि तवाज़ो, फ़रोतनी और आजिज़ी करने वाले को अल्लाह तआला बुलंद मर्तबा करता है।'' (स़ह़ीह़ मुस्लिम, किताबुल बिर्र वस्सिलह, बाब इस्तिह़बाबुल अफ़्व वत्तवाज़ो : 2588; तिर्मिज़ी : 2029; बिदून क़ौलिही (सुलास अक़्सम अलैहिन्न) मुस्तदरक ह़ाकिम की ह़दीस में है ''जो शख़्स यह चाहे कि उसकी बुनियाद बुलंद हो और उसके दर्जे बढ़ें तो उसे ज़ालिमो से दरगुज़र करना चाहिए और न देने वालों को देना चाहिए और तोड़ने वालों से जोड़ना चाहिए।'' (ह़ाकिम : 2/295; वसनदुहू ज़ईफ़) और ह़दीस में है कि ''क़यामत के दिन एक पुकारने वाला पुकारेगा कि ऐ लोगों से दरगुज़र करने वालो! अपने रब के पास आओ और अपना अज्र लो। मुसलमानों की ख़ताओं को मा'फ़ करने वाले जन्नती लोग हैं।'' (सनदुहू ज़ईफ़ुन मुन्क़तइन) फिर फ़र्माया, यह लोग गुनाह के बाद फ़ौरन ज़िक्रुल्लाह और इस्तिग़फ़ार करते हैं। मुस्नद अह़मद में यह रिवायत ह़ज़रत अबू हुरैरह (رضی اللہ عنہ) से मरवी है रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़र्माते हैं, ''जब कोई शख़्स गुनाह करता है फिर अल्लाह के सामने ह़ाज़िर होकर कहता है, ऐ परवरदिगार! मुझसे गुनाह हो गया तू मा'फ़ कर दे, अल्लाह तआला फ़र्माता है मेरे बन्दे से गो गुनाह हो गया लेकिन उसका ईमान है कि उसका रब गुनाह पर पकड़ता है, अल्लाह तआला फिर फ़र्माता है फिर तीसरी मर्तबा उससे गुनाह हो जाता है, यह फिर तौबा करता है, अल्लाह तआला फिर बख़्शता है, चौथी मर्तबा फिर गुनाह कर बैठता है फिर तौबा करता है तो अल्लाह तआला मा'फ़ कर कहता है अब मेरा बन्दा जो चाहे करे।'' (मुस्नद अह़मद : 2/296; स़ह़ीह़ बुख़ारी, किताबुत्तौह़ीदः 7507; स़ह़ीह़ मुस्लिम : 2758)

ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) फ़र्माते हैं हमने एक मर्तबा जनाब रसूलुल्लाह (ﷺ) से कहा कि या रसूलुल्लाह (ﷺ)! जब हम आपको देखते हैं तो हमारे दिलों मे रिक़्क़त तारी हो जाती है और हम अल्लाह वाले बन जाते हैं लेकिन जब आपके पास से चले जाते हैं तो वह ह़ालत नही रहती, औरतों बच्चों में फंस जाते हैं, घरबार के धंधों में लग जाते हैं। आपने फ़र्माया, ''सुनो! जो केफ़ियत तुम्हारे दिलों की मेरे सामने होती है अगर यही हर वक़्त रहती तो फिर फ़रिश्ते तुमसे मुसाफ़ा करते और तुम्हारी मुलाक़ात को तुम्हारे घरों पर आते। सुनो! अगर तुम गुनाह न करो तो अल्लाह तुमको यहाँ से हटा दे और दूसरी क़ौम को ले आए जो गुनाह करे,

फिर बख़्शिश मांगे, और अल्लाह उन्हें बख़्शे।'' (मुस्नद अहमद : 2/305; वसनदुहू ज़ईफ़) हमने कहा, हुज़ूर (ﷺ)! यह तो फ़र्माईये कि जन्नत की बिना क्या है? आपने फ़र्माया, ''एक ईंट सोने की एक चाँदी की, उसका गारा मुश्के ख़ालिस है, उसके कंकर लूअ लूअ और याक़ूत हैं। उसकी मिट्टी ज़ा'फ़रान है जन्नतियों की ने'मतें कभी ख़त्म न होगी, उनकी ज़िन्दगी हमेशगी वाली होगी। (वसनदुहू ज़ईफ़) उनके कपड़े पुराने न होंगे, उनकी जवानी फ़ना न होगी। तीन शख़्सों की दुआ रद्द नहीं होती, आदिल बादशाह, रोज़ेदार और मज़्लूम। उसकी दुआ बादलों में उठाई जाती है और उसके लिए आसमानों के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जनाब बारी इर्शाद फ़र्माता है मुझे मेरी इज़्ज़त की क़सम! मैं तेरी ज़रूर मदद करूँगा अगरचे कुछ वक़्त के बाद हो।'' (मुस्नद अहमद : 2/305; वसनदुहू ज़ईफ़)

अमीरुल मो'मिनीन हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ (رضی اللہ عنہ) फ़र्माते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, ''जो शख़्स कोई गुनाह करे फिर वुज़ू करके दो रकअत नमाज़ अदा करे और अपने गुनाह की मा'फ़ी चाहे तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला उसके गुनाह मा'फ़ कर देता है।'' (मुस्नद अहमद : 1/2; अबूदाऊद, किताबुस्सलात, बाब फ़िल इस्तिग़्फ़ार : 1521; वसनदुहू हसन; तिर्मिज़ी : 406; इब्ने माजा : 1395; तिर्मिज़ी : 3598; व इब्ने माजा : 1752; मुख़्तसरन) सहीह मुस्लिम में बरिवायत अमीरुल मो'मिनीन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (رضی اللہ عنہ) मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़र्माते हैं ''तुममें से जो शख़्स कामिल वुज़ू करके (اشهدان لا اله الا الله وحده لاشريك له واشهدان محمد اعبده و رسوله) पढ़े उसके लिए जन्नत के आठों दरवाज़े खुल जाते हैं, जिससे चाहे अंदर चला जाए। (सहीह मुस्लिम, किताबुत्तहारत, बाबुज़्ज़िक्रुल मुस्तहब अक़िबुल वुज़ू : 234) अमीरुल मो'मिनीन उस्मान बिन अफ़्फ़ान (رضی اللہ عنہ) सुन्नत के मुताबिक़ वुज़ू करते हैं फिर फ़र्माते हैं, मैंने आँहज़रत (ﷺ) से सुना, आपने फ़र्माया, ''जो शख़्स मुझ जैसा वुज़ू करे फिर दो रकअत नमाज़ अदा करे जिसमें अपने दिल से बातें न करे तो अल्लाह तआला उसके तमाम गुनाह मा'फ़ कर देता है।'' (सहीह बुख़ारी, किताबुल वुज़ू, बाबुल वुज़ू, सलासन सलासा : 159; सहीह मुस्लिम : 226) पस यह हदीस तो हज़रत उस्मान (رضی اللہ عنہ) से इससे अगली रिवायत हज़रत उमर (رضی اللہ عنہ) से उससे अगली रिवायत हज़रत अबूबक्र (رضی اللہ عنہ) से और तीसरी रिवायत को हज़रत अली (رضی اللہ عنہ) रिवायत करते हैं, तो अल्हम्दु लिल्लाह! अल्लाह तआला के वसीअ मग़्फ़िरत और उसकी इंतिहा मेहरबानी की ख़बर सय्यदुल अव्वलीन वल आख़रीन की ज़ुबानी आपके चारों बरहक़ ख़ुल्फ़ा की मा'रिफ़त हमें पहुँची (आओ इस मौक़े पर हम गुनहगार भी हाथ उठाएँ और अपने मेहरबान रहीम व करीम अल्लाह के सामने अपने गुनाहों का इक़रार करके उससे मा'फ़ी तलब करें। ऐ अल्लाह! ऐ माँ बाप से ज़्यादा मेहरबान! ऐ अफ़ू दरगुज़र करने वाले और किसी भिखारी को अपने दर से ख़ाली न फेरने वाले! तू हम ख़ताकारों की स्याहकारियों से भी दरगुज़र फ़र्मा और हमारे कुल गुनाह मा'फ़ फ़र्मा दे, आमीन! मुतर्जिम) यही वह मुबारक आयत है कि जब यह नाज़िल हुई तो इब्लीस रोने लगा (तफ़्सीरुल क़ुरआन लि अब्दिर्रज़्ज़ाक़ : 1/462; रक़म : 454; वसनदुहू ज़ईफ़)

मुस्नद अबू यअला में है रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़र्माते हैं (ला इलाहा इल्लल्लाहु) कसरत से पढ़ा करो और इस्तिग़्फ़ार पर मुदावमित करो, इब्लीस गुनाहों से लोगों को हलाक करना चाहता है और उसकी अपनी हलाकत (ला इलाहा इल्लल्लाहु) से है। यह हदीस देखकर इब्लीस ने लोगों को ख़्वाहिश परस्ती में डाल

दिया। पस वह अपने आपको राहे रास्त पर जानते हैं हालाँकि होते हैं हलाकत में।'' (मुस्नद अबू यअ़ला : 136; वसनदुहू ज़ईफ़ुन जिद्दा मौज़ूअ)

मुस्नद अहमद में है हुज़ूर (ﷺ) फ़र्माते हैं कि इब्लीस ने कहा, ऐ रब! मुझे तेरी इ़ज़्ज़त की क़सम! मैं बनी आदम को आख़िरी दम तक बहकाता रहूँगा। अल्लाह तआला फ़र्माता है, मुझे भी मेरे जलाल और मेरी इ़ज़्ज़त की क़सम! जब तक वह मुझसे बख़्शिश मांगते रहेंगे मैं भी उन्हें बख़्शता रहूँगा।'' (मुस्नद अहमद : 3/29; वसनदुहू ज़ईफ़) मुस्नद बज़्ज़ार में है कि एक शख़्स ने हुज़ूर (ﷺ) से कहा, मुझसे गुनाह हो गया है। आपने फ़र्माया, ''फिर इस्तिग़फ़ार कर।'' उसने कहा, मैंने तौबा की फिर गुनाह हो गया। फ़र्माया, ''फिर तौबा कर ले।'' उसने कहा, मुझसे फिर गुनाह हो गया। आपने फ़र्माया ''फिर इस्तिग़फ़ार कर।'' उसने कहा, मुझसे फिर गुनाह हुआ है। फ़र्माया, इस्तिग़फ़ार किए जा, यहाँ तक कि शैतान थक जाए।'' (मुस्नद बज़्ज़ार : 3249; वसनदुहू ज़ईफ़ुन जिद्दा; मज्मउ़ज़्ज़वाइद : 10/199; इसकी सनद में बश्शार बिन ह़कम है जिसे अबू ज़रआ ने मुंकरुल ह़दीस कहा है। (अल्मीज़ान : 1/309; रक़म : 1173) फिर फ़र्माया, ''गुनाह को बख़्शना अल्लाह ही के इख़्तियार में है।''

मुस्नद अहमद में है रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास एक क़ैदी आया और कहने लगा या अल्लाह! मैं तेरी त़रफ़ तौबा करता हूँ मुहम्मद (ﷺ) की त़रफ़ तौबा नहीं करता (या'नी ऐ अल्लाह! मैं तेरी ही बख़्शिश चाहता हूँ।) आपने फ़र्माया, इसने ह़क़ ह़क़दार को पहुँचाया। (अहमद : 3/435; वसनदुहू ज़ईफ़; त़बरानी : 839) इसरार करने से मुराद यह है कि मा'सियत पर बग़ैर तौबा किए अड़ नहीं जाते अगर कई मर्तबा गुनाह हो जाए तो कई मर्तबा इस्तिग़फ़ार भी करते हैं। मुस्नद अबू यअ़ला में है रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़र्माते हैं, ''इसरार करने वाला और अड़ने वाला नहीं जो इस्तिग़फ़ार करता रहता है अगरचे (बिलफ़र्ज़) उससे एक दिन में सत्तर मर्तबा भी गुनाह हो जाए।'' (अबूदाऊद, किताबुस्सलात, बाब फ़िल इस्तिग़फ़ार : 1514; तिर्मिज़ी : 3559; वसनदुहू ज़ईफ़; मौला अबीबक्र मज्हूलुल ह़ाल है।)

फिर फ़र्माया कि वह जानते हों या'नी इस बात को कि अल्लाह तआला तौबा क़बूल करने वाला है, जैसे और जगह है (اَلَمْ يَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ) (9/तौबा : 104) ''क्या यह नहीं जानते कि अल्लाह तआला अपने बन्दों की तौबा क़बूल फ़र्माता है।'' और जगह है (وَ مَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهٗ) (4/निसाअ : 110) ''जो शख़्स कोई बुरा काम कर ले या गुनाह करके अपनी जान पर ज़ुल्म करे फिर अल्लाह तआला से बख़्शिश त़लब करे तो वह देख लेगा कि अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ला बख़्शिश करने वाला मेहरबान है।''

मुस्नद अहमद में है रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मिम्बर पर बयान फ़र्माया ''लोगों! तुम औरों पर रह़म करो अल्लाह तुम पर रह़म करेगा, लोगों! तुम दूसरों की ख़त़ाएँ मा'फ़ करो, अल्लाह तआला तुम्हारे गुनाहों को बख़्शेगा, बातें बनाने वालों को हलाकत है, गुनाह पर जम जाने वालों को हलाकत है।'' (अहमद : 2/165; वसनदुहू ह़सन) फिर फ़र्माया, ''उन कामों के बदले उनकी जज़ा मग़्फ़िरत है और त़रह़-त़रह़ की बहती नहरों वाली जन्नत है जिसमें वह हमेशा रहेंगे, यह बड़े अच्छे आ'माल हैं।''

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ ۙ فَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ
عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ ﴿١٣٧﴾ هٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَّمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿١٣٨﴾ وَلَا
تَهِنُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٣٩﴾ اِنْ يَّمْسَسْكُمْ قَرْحٌ
فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهٗ ۙ وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ۚ
وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَآءَ ۙ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٤٠﴾
وَلِيُمَحِّصَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَيَمْحَقَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿١٤١﴾ اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ
وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿١٤٢﴾ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ
الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَاَيْتُمُوْهُ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ﴿١٤٣﴾

तर्जुमा : "तुमसे पहले भी ऐसे वाक़ियात गुज़र चुके हैं ज़मीन में चल फिरकर देख लो कि (आसमानी ता'लीम के) झुठलाने वालों का क्या अंजाम हुआ? (137) आम लोगों के लिए तो यह क़ुरआन इज़्हारे (हक़) है और परहेज़गारों के लिए हिदायत व नसीहत है। (138) तुम न सुस्ती करो और न ग़मगीन हो तुम ही ग़ालिब रहोगे अगर तुम ईमानदार हो। (139) अगर तुम ज़ख़्मी हुए हो तो तुम्हारे मुख़ालिफ़ लोग भी तो ऐसे ही ज़ख़्मी हो चुके हैं। हम इन दिनों को लोगों के दरम्यान अदलते-बदलते रहते हैं (शिकस्ते उहुद) इसलिए थी कि अल्लाह तआला ईमानवालों को जान ले और तुममें से कुछ को शहादत का मर्तबा अता फ़र्माए अल्लाह तआला नाहक़ वालों को दोस्त नहीं रखता। (140) (यह वजह भी थी) कि अल्लाह तआला ईमानवालों को बिलकुल अलग कर दे और काफ़िरों को मिटा दे। (141) क्या तुम यह समझ बैठे हो कि तुम जन्नत में चले जाओगे हालाँकि अब तक अल्लाह तआला ने यह मा'लूम नहीं किया कि तुममें से जिहाद करने वाले कौन हैं और सब्र करने वाले कौन हैं? (142) जंग से पहले तो तुम शहादत की आरज़ू में थे अब उसे अपनी आँखों से अपने सामने देख लिया।" (143)

आज़माइश के वक़्त ईमान पर इस्तिक़ामत इख़्तियार करना (आयत 137-143) : चूँकि उहुद वाले दिन सत्तर मुसलमान शहीद हुए थे तो अल्लाह तआला मुसलमानों को तसल्ली व तशफ़्फ़ी देता है कि इससे पहले भी दीनदार लोग नुक़्साने मालो-जान उठाते रहे लेकिन बिलआख़िर ग़ल्बा उन ही का हुआ। तुम अगले वाक़ियात पर एक निगाह डाल लो तो यह राज़ तुम पर खुल जाएगा। इस क़ुरआन में लोगों के लिए अगली उम्मतों का बयान भी है और यह हिदायत व वा'ज़ भी है या'नी तुम्हारे दिलों की हिदायत और तुमको बुराई भलाई से आगाह करने वाला यही क़ुरआन है। मुसलमानों को यह वाक़ियात याद दिलाकर फिर मज़ीद तसल्ली के तौर पर फ़र्माया कि तुम उस जंग के नताइज देखकर बद दिल न हो जाना, न ग़मगीन बनकर बैठ रहना, फ़तह व नुसरत ग़ल्बा और ग़लू बिलआख़िर ऐ मो'मिनीन तुम्हारे लिए ही है। अगर तुमको ज़ख़्म लगे और तुम्हारे आदमी शहीद हुए तो उससे पहले तुम्हारे दुश्मन भी तो क़त्ल हो चुके हैं , वह भी तो ज़ख़्म ख़ूरदा हैं, यह तो चढ़ती ढलती छाँव है हाँ! भला वह है जो अंजामकार ग़ालिब रहे और यह हमने तुम्हारे लिए लिख दिया है यह कुछ मर्तबा की शिकस्त, बिलख़ुसूस इस जंगे-उहुद की इसलिए थी कि हम साबिरों और ग़ैर-साबिरों का इम्तिहान कर लें और जो मुद्दत से शहादत की आरज़ू करते थे उन्हें कामयाब बनाएँ कि वह अपनी जानो माल हमारी राह में ख़र्च करें।

अल्लाह तआला ज़ालिमों को पसंद नहीं करता। यह जुम्ला मुअतर्ज़ा बयान करके फ़र्माया यह इसलिए भी कि ईमानवालों के गुनाह अगर हों तो दूर हो जाएँ वरना उनके दरजात बढ़ें और उसमें काफ़िरों को मिटाना भी है क्योंकि वह ग़ालिब होकर फूलेंगे और सरकशी और तकब्बुर में और बढ़ेंगे और यही उनकी हलाकत और बर्बादी का सबब बनेगा और फिर मर खप जाएँगे। उन सख़्तियों उन ज़लज़लों और उन आज़माइशों के बग़ैर कोई जन्नत में नहीं जा सकता है। जैसे सूरह बक़रह में ज़िक्र किया है ''क्या तुम यह जानते हो कि तुमसे पहले लोगों की जैसी आज़माइश हुई ऐसी तुम्हारी न हो और तुम जन्नत में चले जाओ, अल्ख़। यह नहीं होगा।'' और जगह है (الٓمّٓ ۝ اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْٓا اَنْ يَّقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ ۝) (29/अन्कबूत : 1,2) ''क्या लोगों ने यह गुमान कर रखा है कि हम सिर्फ़ उनके इस क़ौल पर कि हम ईमान लाए उन्हें छोड़ देंगे और उनकी आज़माइश न की जाएगी?'' यहाँ भी यही फ़र्मान है कि जब तक सब्र करनेवाले मा'लूम न हो जाएँ या'नी दुनिया में ही ज़हूर में न आ जाएँ तब तक जन्नत नहीं मिल सकती। फिर फ़र्माया कि तुम इससे पहले तो ऐसे मौक़ा की आरज़ू में थे कि तुम अपना सब्र और अपनी सख़्ती और मज़बूती और इस्तिक़ामत अल्लाह को दिखाओ, अल्लाह की राह में शहादत पाओ। लो अब हमने तुमको मौक़ा दिया तुम भी अपनी साबित क़दमी और ऊलुल अज़्मी दिखाओ। हदीस शरीफ़ में है, ''दुश्मन की मुलाक़ात की आरज़ू न करो, अल्लाह तआला से आफ़ियत तलब करो और जब मैदान पड़ जाए फिर लौहे की लाट (मुठ) की तरह जम जाओ और सब्र के साथ साबित क़दम रहो और जान लो कि जन्नत तलवारों के साये में है।'' (सहीह बुख़ारी, किताबुल जिहाद , बाब कानन्नबी (ﷺ) इज़ा लम युक़ातिल फ़ी अव्वलिन्नहार ....: 2966; सहीह मुस्लिम : 1741; अबूदाऊद : 2631) फिर फ़र्माया कि तुमने अपनी आँखों से उस मंज़र को देख लिया कि नेज़े तने हुए हैं तलवारें खिच रही हैं, भाले उछल रहे हैं, तीर बरस रहे हैं, घमसान का रन पड़ा हुआ है और इधर उधर लाशें गिर रही हैं।

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ ۚ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ؕ اَفَاۡئِنْ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ
انْقَلَبْتُمْ عَلٰٓى اَعْقَابِكُمْ ؕ وَمَنْ يَّنْقَلِبْ عَلٰى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَّضُرَّ اللّٰهَ شَيْـًٔا ؕ
وَسَيَجْزِى اللّٰهُ الشّٰكِرِيْنَ ﴿١٤٤﴾ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوْتَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ كِتٰبًا
مُّؤَجَّلًا ؕ وَمَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا ۚ وَمَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الْاٰخِرَةِ نُؤْتِهٖ
مِنْهَا ۚ وَسَنَجْزِى الشّٰكِرِيْنَ ﴿١٤٥﴾ وَكَاَيِّنْ مِّنْ نَّبِىٍّ قُتِلَ ۙ مَعَهٗ رِبِّيُّوْنَ كَثِيْرٌ ۚ فَمَا
وَهَنُوْا لِمَآ اَصَابَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَمَا ضَعُفُوْا وَمَا اسْتَكَانُوْا ؕ وَاللّٰهُ يُحِبُّ
الصّٰبِرِيْنَ ﴿١٤٦﴾ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ اِلَّآ اَنْ قَالُوْا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَاِسْرَافَنَا
فِىْٓ اَمْرِنَا وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿١٤٧﴾ فَاٰتٰىهُمُ اللّٰهُ ثَوَابَ
الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْاٰخِرَةِ ؕ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٤٨﴾

तर्जुमा : ''(ह़ज़रत) मुह़म्मद (ﷺ) सिर्फ़ रसूल ही हैं इनसे पहले भी बहुत से रसूल हो चुके हैं, क्या अगर इनका इंतिक़ाल हो जाए या यह शहीद हो जाएँ तो तुम इस्लाम से उल्टे पैर फिर जाओगे? और जो कोई फिर जाए तो हर्गिज़ अल्लाह तआला का कुछ न बिगाड़ेगा। अन्क़रीब अल्लाह तआला शुक्रगुज़ारों को नेक बदला देगा। (144) बग़ैर अल्लाह के हुक्म के कोई जानदार नहीं मर सकता, मुक़र्ररशुदा वक़्त लिखा हुआ है। दुनिया की चाहत वालों को हम कुछ दुनिया दे देते हैं और आख़िरत का सवाब चाहने वाले को हम वह भी दे देते हैं, एह़सान मानने वालों को हम बहुत जल्द नेक बदला देंगे। (145) बहुत से नबियों के हमरकाब होकर बहुत से अल्लाह वाले जिहादा कर चुके हैं। उन्हें भी अल्लाह की राह में तक्लीफ़ें पहुँचीं लेकिन न तो उन्होंने हिम्मत हारी न सुस्त हुए न दबे। अल्लाह स़ब्र करने वालों को ही चाहता है। (146) वह यही कहते रहे कि ऐ परवरदिगार! हमारे गुनाहों को

बख़्श और हमसे हमारे कामों में जो बेजा ज़्यादती हुई है, उसे भी मा'फ़ फ़र्मा और हमें साबित क़दमी अ़ता फ़र्मा और हमें काफ़िरों की क़ौम पर मदद दे। (147) अल्लाह तआ़ला ने उन्हें दुनिया का सवाब भी दिया और आख़िरत के सवाब की ख़ूबी भी अ़ता फ़र्माई। अल्लाह तआ़ला नेक लोगों को दोस्त रखता है।'' (148)

वफ़ाते नबी (ﷺ) की दलील (आयत 144-148) : मैदाने-उहुद में मुसलमानों को शिकस्त भी हुई और उनमे से कुछ क़त्ल भी किए गए। उस दिन शैतान ने यह भी मशहूर कर दिया कि मुहम्मद (ﷺ) भी शहीद हो गए और इब्ने कुमिया काफ़िर ने मुश्रिकों में जाकर यह ख़बर उड़ा दी कि मैं हुज़ूर (ﷺ) को क़त्ल करके आया हूँ और दरअसल वह अफ़्वाह भी बेअसल थी और उस शख़्स का यह क़ौल भी ग़लत था। उसने हुज़ूर (ﷺ) पर हमला तो किया था लेकिन उससे सिर्फ़ आपका चेहरा क़द्रे ज़ख़्मी हो गया था और कोई बात न थी। इस ग़लत बात की शोहरत ने मुसलमानों के दिल थोड़े कर दिए उनके क़दम उखड़ गए और लड़ाई से बद दिल होकर भाग खड़े हुए। इसी बारे में यह आयत नाज़िल हुई कि अगले अम्बिया की तरह यह भी एक नबी हैं, हो सकता है कि मैदान में क़त्ल कर दिए जाएँ लेकिन कुछ अल्लाह का दीन जाता नहीं रहेगा। एक रिवायत में है कि एक मुहाजिर ने देखा कि एक अंसारी जंगे-उहुद में ज़ख़्मों से चूर ज़मीन पर गिर पड़ा है और ख़ाक व ख़ून में लोट रहा है, उससे कहा कि आपको भी मा'लूम है कि हुज़ूर (ﷺ) क़त्ल कर दिए गए उसने कहा कि अगर यह सहीह है तो अपना काम कर गए अब आपके दीन पर से तुम सब भी कुर्बान हो जाओ। उसी के बारे में यह आयत उतरी। (दलाइलुन् नबुव्वत लिल बैहक़ी : 3/248, 249; वसनदुहू ज़ईफ़) फिर फ़र्माया कि हुज़ूर (ﷺ) का क़त्ल (वफ़ात) ऐसी चीज़ नहीं कि तुम अल्लाह के दीन से पिछले पैरों फिर जाओ। और ऐसा करने वाले अल्लाह का कुछ न बिगाड़ेंगे अल्लाह तआ़ला उन ही लोगों को जज़ाए ख़ैर देगा जो उसकी इताअ़त पर जम जाएँ और उसके दीन की मदद में लग जाएँ और उसके रसूल की ताबे'दारी में मज़बूत हो जाएँ ख़्वाह रसूल ज़िन्दा हों या न हों। सहीह बुख़ारी शरीफ़ में है कि हुज़ूर (ﷺ) की वफ़ात की ख़बर सुनकर हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ (رضي الله عنه) घोड़े पर सवार होकर मस्जिद में तशरीफ़ ले गए लोगों की हालत देखी भाली और बग़ैर कुछ कहे सुने हज़रत आइशा (رضي الله عنها) के घर पर आए यहाँ हुज़ूर (ﷺ) पर जबरा की चादर ओढ़ा दी गई थी। आपने चादर का कोना चेहरा मुबारक पर से हटाकर बेसाख़्ता बोसा ले लिया और रोते हुए फ़र्माने लगे, ''मेरे माँ बाप आप पर फ़िदा हों, अल्लाह की क़सम! अल्लाह तआ़ला आप पर दो मर्तबा मौत न लाएगा जो मौत आप पर लिख दी गई थी वह आपको आ चुकी।'' (सहीह बुख़ारी, किताबुल मग़ाज़ी, बाब मर्ज़ुन्नबी (ﷺ) व वफ़ातुहू : 4452, 4453) उसके बाद आप फिर मस्जिद में आए और देखा कि हज़रत उमर (رضي الله عنه) ख़ुत्बा सुना रहे हैं। उनसे फ़र्माया कि ख़ामोश हो जाओ। उन्हें चुप कराकर आपने लोगों से फ़र्माया, जो शख़्स मुहम्मद (ﷺ) की इबादत करता था वह जान ले कि मुहम्मद (ﷺ) फ़ौत हो गए और जो शख़्स अल्लाह की इबादत करता था वह ख़ुश रहे कि अल्लाह तआ़ला ज़िन्दा है उस पर मौत नहीं आती'' फिर आपने यह आयत तिलावत फ़र्माई। लोगों को ऐसा

मा'लूम हुआ कि गोया यह आयत अब उतरी है। फिर तो हर शख़्स की ज़ुबान पर यह आयत चढ़ गई और लोगों ने यक़ीन कर लिया कि आप (ﷺ) फ़ौत हो चुके। हज़रत सिद्दीक़े अकबर (رضي الله عنه) की ज़ुबानी इस आयत की तिलावत सुनकर हज़रत उमर (رضي الله عنه) के तो गोया क़दम टूट गए उन्हें भी यक़ीन हो गया कि हुज़ूर (ﷺ) इस जहाने फ़ानी को छोड़कर चल बसे। (सहीह बुख़ारी, हवाला साबिक़ : 4454) हज़रत अली (رضي الله عنه) रसूलुल्लाह (ﷺ) की ज़िन्दगी में फ़र्माते थे कि न हम हुज़ूर (ﷺ) की मौत पर मुर्तद हों न आपकी शहादत पर, अल्लाह की क़सम! अगर हुज़ूर (ﷺ) क़त्ल किए जाएँ तो हम भी उस दीन पर मर मिटें जिस पर आप शहीद हों, अल्लाह की क़सम! मैं तो आपका भाई हूँ, आपका वली हूँ, आपका चचाज़ाद भाई हूँ और आपका वारिस हूँ, मुझसे ज़्यादा हक़दार आप (ﷺ) का कौन होगा? (तबरानी वसनदुहू ज़ईफ़)

मौत का एक वक़्त मुक़र्रर है : फिर इर्शाद होता है कि हर शख़्स अल्लाह तआला के मुक़द्दर से और अपनी मुद्दत पूरी करके ही मरता है। जैसे और जगह है (وَ مَا يُعَمَّرُ مِنْ مُّعَمَّرٍ وَّ لَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهٖٓ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ) (35/फ़ातिर : 11) "न कोई उम्र दिया जाता है न उम्र घटाई जाती है मगर सब किताबुल्लाह में मौजूद है।" और जगह है (هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ طِيْنٍ) अल्ख़ (6/अन्आम : 2) "जिस अल्लाह ने तुमको मिट्टी से पैदा किया फिर वक़्त पूरा किया और अजल मुक़र्रर की।" इस आयत में बुज़दिल लोगों को शुजाअत की रग़बत दिलाई गई है और अल्लाह की राह के जिहाद का शौक़ दिलाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि जवाँमर्दी की वजह से कुछ उम्र घट नहीं जाती और पीछे हटने की वजह से उम्र बढ़ नहीं जाती, मौत तो अपने वक़्त पर आकर ही रहेगी ख़्वाह शुजाअत और बहादुरी बरतो ख़्वाह नामर्दी और बुज़दिलील दिखाओ। हजर बिन अदी (رضي الله عنه) जब दुश्मनाने दीन के मुक़ाबले में जाते हैं और दरिया-ए-दजला बीच में आ जाता है और लश्करे इस्लाम ठिठककर खड़ा हो जाता है तो आप इस आयत की तिलावत करके फ़र्माते हैं कि कोई भी बग़ैर मौत नहीं मरता, आओ इसी दजला में घोड़े डाल दो। यह फ़र्माकर आप अपना घोड़ा दरिया में डाल देते हैं, आपकी देखा-देखी और लोग भी अपने जानवरों को पानी मे डाल देते हैं। दुश्मन का ख़ून ख़ुश्क हो जाता है और उस पर हेबत तारी हो जाती है और कहने लगते हैं कि यह तो दीवाने आदमी हैं, यह तो पानी की मौजों से भी नहीं डरते, भागो! भागो! चुनाँचे सबके सब भाग खड़े हुए। (इब्ने अबी हातिम : 2/584)

दुनिया तलब करने वाले और आख़िरत को चाहने वाले : फिर इर्शाद होता है कि जिसका अमल सिर्फ़ दुनिया के लिए हो तो उसमें से जितना उसके मुक़द्दर में होता है, मिल जाता है लेकिन आख़िरत में वह ख़ाली हाथ रह जाता है और जिसका क़स्द आख़िरत तलबी हो उसे आख़िरत तो मिलती ही है लेकिन दुनिया में भी अपने मुक़द्दर का पा लेता है। जैसे और जगह है (مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الْاٰخِرَةِ) (42/शूरा : 20) "आख़िरत की खेती के चाहने वाले को हम ज़्यादती के साथ देते हैं और दुनिया की खेती के चाहने वाले को हम गो दुनिया दे दें लेकिन आख़िरत में उसका कोई हिस्सा नहीं।" और जगह है (مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ) (17/इस्रा : 18) "जो शख़्स सिर्फ़ दुनिया तलबी ही हो हम उनमे से जिसे

चाहें जिस क़द्र चाहें दुनिया दे देते हैं फिर वह जहन्नमी बन जाता है और ज़िल्लत व रुस्वाई के साथ उसमें जाता है और जो आख़िरत का ख़्वाहाँ हो और कोशाँ भी हो और बाईमान भी हो उनकी कोशिश अल्लाह के यहाँ मशकूर है।'' इसीलिए यहाँ भी फ़र्माया कि हम शुक्रगुज़ारों को अच्छा बदला देते हैं।

फिर अल्लाह तआला उहुद के मुजाहिदीन को ख़िताब करते हुए फ़र्माता है कि इससे पहले भी बहुत से नबी अपनी जमाअतों को साथ लेकर दुश्मनाने दीन से लड़े-भिड़े और वह तुम्हारी तरह राहे इलाही में तक्लीफ़ें भी पहुँचाए गए लेकिन फिर भी मज़बूत दिल और साबिर व शाकिर रहे, सुस्त व ज़ईफ़ न हुए और उस सब्र के बदले उन्होंने अल्लाह की मुहब्बत मोल ले ली। एक यह मा'नी भी बयान किए गए हैं कि ऐ मुजाहिदीने उहुद! तुम यह सुनकर कि हुज़ूर (ﷺ) शहीद हुए क्यूँ हिम्मत हार बैठे? और कुफ़्र के मुक़ाबला में क्यूँ दब गए? हालाँकि तुमसे अगले लोग अपने अम्बिया (عليهم السلام) की शहादत को देखकर भी न दबे, न बिछे बल्कि और तेज़ी के साथ लड़े, यह इतनी बड़ी मुसीबत भी उनके क़दम न डगमगा सकी और उनके दिल थोड़े न कर सकी। फिर तुम हुज़ूर (ﷺ) की शहादत की ख़बर सुनकर इतने बोदे क्यूँ हो गए (रिब्बिय्यून) के बहुत से मा'नी आते हैं मस्लन उलमा अबरार, मुत्तक़ी, आबिद, ज़ाहिद, ताबेअ फ़र्मान वग़ैरह वग़ैरह। (तब्री : 7/266; इब्ने अबी हातिम : 2/587) पस क़ुरआन करीम उनकी इस मुसीबत के वक़्त की दुआ को नक़्ल करता है फिर फ़र्माता है कि उन्हें दुनिया का सवाब नुसरत व मदद ज़फ़र व इक़बाल मिला, और आख़िरत की भलाई और अच्छाई भी उसी के साथ जमा हुई, यह मुहसिन लोग अल्लाह के चहीते बन्दे हैं।

***

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تُطِيْعُوا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَرُدُّوْكُمْ عَلٰٓى اَعْقَابِكُمْ
فَتَنْقَلِبُوْا خٰسِرِيْنَ ﴿۱۴۹﴾ بَلِ اللّٰهُ مَوْلٰىكُمْ ۚ وَهُوَ خَيْرُ النّٰصِرِيْنَ ﴿۱۵۰﴾ سَنُلْقِيْ فِيْ
قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَآ اَشْرَكُوْا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا ۚ
وَمَاْوٰىهُمُ النَّارُ ۭ وَبِئْسَ مَثْوَى الظّٰلِمِيْنَ ﴿۱۵۱﴾ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعْدَهٗٓ اِذْ
تَحُسُّوْنَهُمْ بِاِذْنِهٖ ۚ حَتّٰٓى اِذَا فَشِلْتُمْ وَ تَنَازَعْتُمْ فِي الْاَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَآ
اَرٰىكُمْ مَّا تُحِبُّوْنَ ۭ مِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الْاٰخِرَةَ ۚ ثُمَّ

صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ ۚ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ ۗ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
﴿١٥٢﴾ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ
فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِّكَيْلَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ ۗ وَاللَّهُ خَبِيرٌ
بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٥٣﴾

तर्जुमा : ''ऐ ईमानवालों! अगर तुम काफ़िरों की बातें मानोगे तो वह तुमको तुम्हारी ऐड़ियों के बल पलटा देंगे (या'नी तुमको मुर्तद बना देंगे) फिर तुम नामुराद हो जाओगे।(149) बल्कि अल्लाह ही तुम्हारा मौला है और वह बेहतरीन मददगार है। (150) हम अ़न्क़रीब काफ़िरों के दिलों में रो'ब डाल देंगे, इस वजह से कि यह अल्लाह के साथ उन चीज़ों को शरीक करते हैं जिसकी कोई दलील अल्लाह ने नहीं उतारी। इनका ठिकाना जहन्नम है और इन ज़ालिमों की बुरी जगह है। (151) अल्लाह तआ़ला ने तुमसे अपना वा'दा सच्चा कर दिखाया तुम उसके हुक्म से उन्हें अपने हाथों से काटने लगे यहाँ तक कि तुम कम हिम्मत हो गए और काम में झगड़ने लगे और नाफ़र्मानी करने लगे, उसके बाद कि उसने तुम्हारी चाहत की चीज़ तुमको दिखा दी। तुममें से कुछ दुनिया चाहते थे और कुछ का इरादा आख़िरत का था। फिर तुमको उनसे फेर दिया ताकि तुमको आज़मा ले और यक़ीनन उसने तुम्हारी लग़्ज़िश से दरगुज़र फ़र्मा लिया। ईमानवालों पर अल्लाह तआ़ला बड़े फ़ज़्ल वाला है। (152) जबकि तुम चढ़े चले जा रहे थे और किसी की त़रफ़ तवज्जह तक नहीं करते थे और अल्लाह के रसूल तुमको तुम्हारे पीछे से आवाज़ें दे रहे थे पस तुमको ग़म पर ग़म पहुँचा ताकि तुम फ़ौतशुदा चीज़ पर ग़मगीन न हो और न मिली हुई चीज़ पर उदास हो। अल्लाह तआला तुम्हारे तमाम आ'माल से ख़बरदार है।'' (153)

काफ़िरों की बात मानने में ज़िल्लत है (आयत 149-153) : अल्लाह तआ़ला अपने ईमानदार बन्दों को काफ़िरों और मुनाफ़िक़ों की बातों के मानने से रोक रहा है ओर बतला रहा है कि अगर उनकी मानी तो दुनिया और आख़िरत की ज़िल्लत तुम पर आएगी। उनकी चाहत तो यही है कि तुमको दीने इस्लाम से हटा दें। फिर फ़र्माता है कि मुझ ही को मौला और मददगार जानो मुझ ही से दोस्तियाँ करो मुझ पर ही भरोसा करो मुझ ही से मदद चाहो। फिर फ़र्माया कि इन शरीरों के दिलों में बवजह उनके कुफ़्र के मैं डर ख़ौफ़ डाल दूँगा।

बुख़ारी व मुस्लिम में ह़ज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने

फ़र्माया, "मुझे पाँच बातें दी गई हैं जो मुझसे पहले किसी नबी को नहीं दी गईं। मेरी मदद रो'ब से की गई है महीना भर की राह तक, मेरे लिए ज़मीन मस्जिद और वुज़ू की पाक चीज़ बनाई गई मेरे लिए ग़नीमत के माल हलाल किए गए और मुझे शफ़ाअत दी गई और हर नबी अपनी अपनी क़ौम की तरफ़ ख़ास्सतन भेजा जाता था और मेरी बिअसत और मेरी नबुव्वत तमाम दुनिया के लिए आम हुई।" (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तयम्मुम, बाब रक़म : 11; ह : 335; सहीह मुस्लिम : 521; नसाई : 432) मुस्नद अहमद में है आप (ﷺ) फ़र्माते हैं "अल्लाह तआला ने तमाम नबियों पर" और कुछ रिवायतों में है "तमाम उम्मतों पर मुझे चार फ़ज़ीलतें अता फ़र्माईं हैं। मुझे तमाम दुनिया की तरफ़ रसूल बनाकर भेजा गया, मेरे और मेरी उम्मत के लिए तमाम ज़मीन मस्जिद और पाक बनाई गई मेरे उम्मती को जहाँ नमाज़ का वक़्त आ जाए वहीं उसकी मस्जिद और उसका वुज़ू है, मेरा दुश्मन मुझसे महीना भर की राह पर हो वहीं से अल्लाह उसका दिल रो'ब से पुर कर देता है वह काँपने लगता है। मेरे लिए ग़नीमत के माल हलाल किए गए।" (अहमद : 5/248; तिर्मिज़ी, किताबुस्सियर, बाब मा जाअ फ़िल ग़नीमत : 1553; मुख़्तसरन वहुव हसन) और रिवायत में है कि "मैं मदद किया गया हूँ रो'ब से हर दुश्मन पर।" (सहीह मुस्लिम, किताबुल मसाजिद, बाबुल मसाजिद व मवाज़िउस्सलात : 523) मुस्नद की एक और हदीस में है "मुझे पाँच चीज़ें दी गईं, मैं हर सुर्ख़ व सफ़ेद की तरफ़ भेजा गया, मेरे लिए तमाम ज़मीन वुज़ू और मस्जिद बनाई गई। मेरे लिए ग़नीमत के माल हलाल किए गए जो मुझसे पहले किसी के लिए हलाल न थे मेरी मदद रो'ब से महीनाभर की राह तक की गई। मुझे शफ़ाअत दी गई तमाम अम्बिया (عليهم السلام) ने शफ़ाअत मांग ली लेकिन मैंने अपनी शफ़ाअत को अपनी उम्मत के उन लोगों के लिए जिन्होंने अल्लाह तआला के साथ किसी को शरीक न किया हो, बचा रखी है।" (अहमद : 4/416; वसनदुहू ज़ईफ़) हज़रत इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) फ़र्माते हैं अल्लाह तआला ने अबू सुफ़ियान के दिल में रो'ब डाल दिया और वह लड़ाई से लौट गया।" (इब्ने अबी हातिम : 2/598; इसकी सनद में अतिया ऊफ़ी मजरूह रावी है (अत्तक़रीब : 2/266; रक़म 4120) लिहाज़ा यह सनद ज़ईफ़ है।)

जंगे-उहुद के चंद मज़ीद वाक़ियात : फिर इर्शाद होता है कि अल्लाह तआला ने अपना वा'दा सच्चा कर दिखाया और तुम्हारी मदद की। इससे यह भी इस्तिदलाल हो सकता है कि यह वा'दा उहुद के दिन का था, तीन हज़ार दुश्मन का लश्कर था, ताहम मुक़ाबला पर आते ही उनके क़दम उखड़ गए और मुसलमानों को फ़तहमन्दी हासिल हुई। लेकिन फिर तीरअंदाज़ों की नाफ़र्मानी की वजह से और कुछ हज़रात की पस्त हिम्मती की बिना पर वह वा'दा जो मशरूत था रुक गया। पस फ़र्माता है कि तुम उन्हें अपने हाथ से काटते थे। शुरू दिन में ही अल्लाह तआला ने तुमको उन पर ग़ालिब कर दिया लेकिन तुमने फिर बुज़दिली दिखाई और नबी की नाफ़र्मानी की, उनकी बतलाई हुई जगह से हट गए और आपस में इख़्तिलाफ़ करने लगे, हालाँकि अल्लाह ने तुमको तुम्हारी रग़्बत की चीज़ दिखा दी थी। या'नी मुसलमान साफ़ तौर पर ग़ालिब आ गए थे, माले ग़नीमत आँखों के सामने मौजूद था, कुफ़्फ़ार पीठ फेरकर भाग खड़े हुए थे। तुममें से कुछ ने दुनिया तलबी की और कुफ़्फ़ार की हज़ीमत को देखकर नबी (ﷺ) के फ़र्मान का ख़्याल न करके माले ग़नीमत की तरफ़ लपके गो कुछ नेक निय्यत और

आख़िरत तलब भी थे लेकिन उस नाफ़र्मानी वग़ैरह की बिना पर कुफ़्फ़ार की फिर बन आई और एक मर्तबा तुम्हारी पूरी आज़माइश हो गई, ग़ालिब होकर मग़लूब हो गए, फ़तह के बाद शिकस्त हो गई। लेकिन फिर भी अल्लाह ने तुम्हारे इस जुर्म को मा'फ़ फ़र्मा दिया। क्योंकि वह जानता है कि बज़ाहिर तुम उनसे ता'दाद में और अस्बाब में कम थे। ख़ता का मा'फ़ होना भी (अफ़ा अन्कुम) में दाख़िल है और यह भी मतलब है कि कुछ यूँ ही सी गोशमाली करके कुछ बुज़ुर्गों की शहादत के बाद उसने अपनी आज़माइश को उठा लिया और बाक़ी वालों को मा'फ़ कर दिया। अल्लाह तआला बाईमान लोगों पर फ़ज़्लो करम, लुत्फ़ो रहम ही करता है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (ﷺ) से मरवी है कि हुज़ूर (ﷺ) की मदद जैसी उहुद में हुई है कहीं नहीं हुई। इसी के बारे में इर्शादे बारी है कि अल्लाह ने तुमसे अपना वा'दा सच्चा कर दिखाया लेकिन फिर तुम्हारे करतूतों से मा'मला बरअक्स हो गया। कुछ लोगों ने दुनिया तलबी करके रसूल की नाफ़र्मानी की, या'नी कुछ तीरअंदाज़ों ने जिन्हें हुज़ूर (ﷺ) ने पहाड़ के दर्रे पर खड़ा किया था और फ़र्मा दिया था कि ''तुम यहाँ से दुश्मनों की निगहबानी करो, वह हमारी पीठ की तरफ़ से न आ जाएँ। अगर तुम देखो हम हार भी गए तो तुम अपनी जगह से न हटना और अगर तुम देखो कि हम हर तरह ग़ालिब आ गए तो भी तुम ग़नीमत जमा करने के लिए भी अपनी जगह न छोड़ना।'' जब हुज़ूर (ﷺ) ग़ालिब आ गए तो तीरअंदाज़ों ने हुक्म अदूली की वह अपनी जगह को छोड़कर मुसलमानों में आ मिले और माले ग़नीमत जमा करना शुरू कर दिया, सफ़ों का कोई ख़्याल न रहा, दर्रे को ख़ाली पाकर मुश्रिकों ने भागना बन्द किया और ग़ोरो फ़िक्र करके उस जगह से हमला कर दिया। चंद मुसलमान जो अब तक वहाँ जमे खड़े थे, वह शहीद हो गए और अब उन लोगों ने मुसलमानों की पीठ के पीछे से उनकी बेख़बरी में उस ज़ोर का हमला किया कि मुसलमानों के पैर न जम सके और शुरू दिन की फ़तह अब शिकस्त में बदल गई और यह मशहूर हो गया कि हुज़ूर (ﷺ) शहीद हो गए और लड़ाई के रंग ने मुसलमानों को इसका यक़ीन करा दिया। थोड़ी देर के बाद जबकि मुसलमानों की नज़रें चेहरा मुबारक पर पड़ीं तो वह अपनी सब कोफ़्त और सारी मुसीबत भूल गए और ख़ुशी के मारे हुज़ूर (ﷺ) की तरफ़ लपके। आप इधर आ रहे थे और फ़र्माते थे कि अल्लाह का सख़्त अज़ाब नाज़िल हो उन लोगों पर जिन्होंने अल्लाह के रसूल (ﷺ) के चेहरा को ख़ूना ख़ून कर दिया, उन्हें कोई हक़ न था कि इस तरह हम पर ग़ालिब आ जाएँ थोड़ी देर में हमने सुना कि अबू सुफ़ियान पहाड़ के नीचे खड़ा हुआ कह रहा था (اعل هبل اعل هبل) हुबुल बुत का बोलबाला हो, हुबल बुत का बोलबाला हो। अबूबक्र कहाँ है? उमर कहाँ है? हज़रत उमर (ﷺ) ने पूछा, हुज़ूर (ﷺ)! इसे जवाब दूँ? आपने इजाज़त दी तो हज़रत उमर फ़ारूक़ (ﷺ) ने इसके जवाब में फ़र्माया, (الله اعلى واجل الله اعلى واجل) अल्लाह बहुत बुलंद है और जलालो इज़्ज़त वाला है, अल्लाह बहुत बुलंद और जलालो इज़्ज़त वाला है। वह पूछने लगा बताओ, मुहम्मद (ﷺ) कहाँ हैं? अबूबक्र (ﷺ) कहाँ हैं? उमर (ﷺ) कहाँ हैं? आपने फ़र्माया, यह हैं रसूलुल्लाह (ﷺ) और यह हैं अबूबक्र सिद्दीक़ (ﷺ) और यह हूँ मैं, उमर फ़ारूक़ (ﷺ)। अबू सुफ़ियान कहने लगा, यह बद्र का बदला है यूँ ही धूप छांव उलटती पलटती रहती है, लड़ाई की मिसाल तो कूएँ के ढोल की सी है। हज़रत उमर (ﷺ) ने फ़र्माया, बराबरी हर्गिज़ नहीं, तुम्हारे मक़्तूल जहन्नम में गए और हमारे शहीद जन्नत में पहुँचे। अबू सुफ़ियान कहने लगा, अगर यूँ ही है तो यक़ीनन हम नुक़्सान और

घाटे में रहे, सुनो! तुम्हारे मक़्तूलीन में कुछ नाक कान कटे लोग भी तुम पाओगे गोया हमारे सरदारों की राय से नहीं हुआ लेकिन हमें बुरा भी नहीं मा'लूम हुआ। (ह़ाकिम : 2/296, 297; ह़ाकिम ने इसे स़ह़ीह़ क़रार दिया और ज़हबी (रह़.) ने इनकी मुवाफ़िक़त की है। इस ह़दीस के अक्सर ह़िस्से के शवाहिद के लिए देखिए – स़ह़ीह़ बुख़ारी, किताबुल जिहाद, बाब मा युक्रहू मिनत्तनाज़ो... : 3039) यह ह़दीस ग़रीब है और यह क़िस्सा भी अ़जीब है, यह इब्ने अ़ब्बास (رضي الله عنه) की मुर्सलात से है और वह या इनके वालिद जंगे उहुद मे मौजूद न थे। मुस्तदरक ह़ाकिम में भी यह रिवायत मौजूद है। इब्ने अबी ह़ातिम और बैहक़ी की दलाइलन्नबुव्वत में भी यह मरवी है और स़ह़ीह़ अह़ादीस में इसके कुछ ह़िस्सों के शवाहिद भी हैं।

मुस्नद अह़मद में ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊ़द (رضي الله عنه) फ़र्माते हैं कि उहुद वाले दिन औ़रतें मुसलमानों के पीछे थीं जो ज़ख़्मियों की देखभाल करती थीं। मुझे तो पूरी तरह़ यक़ीन था कि आज के दिन हममें कोई एक भी त़ालिबे दुनिया नहीं बल्कि उस वक़्त अगर मुझसे इस बात पर क़सम उठवाई जाती तो खा लेता लेकिन क़ुरआन में आयत उतरी (منكم من يريد الدنيا) या'नी तुममें कुछ त़ालिबे दुनिया भी हैं। जब स़ह़ाबा (رضي الله عنهم) से हुज़ूर (ﷺ) का ख़िलाफ़ हुआ और आपकी नाफ़र्मानी सरज़द हुई तो उनके क़दम उखड़ गए। हुज़ूर (ﷺ) के साथ सिर्फ़ सात अंसारी और दो मुहाजिर बाक़ी रह गए। जब मुश्रिकीन ने हुज़ूर (ﷺ) को घेर लिया तो आप फ़र्माने लगे, अल्लाह तआ़ला उस शख़्स पर रह़म फ़र्माए जो इन्हें हटाए तो एक अंसारी उठ खड़े हुए और इस जम्मे-ग़फ़ीर के मुक़ाबिल तने तंहा दादे शुजाअ़त देने लगे, यहाँ तक कि शहीद हो गए। फिर कुफ़्फ़ार ने ह़मला किया। आप (ﷺ) ने यही फ़र्माया, फिर एक अंसारी तैयार हो गए और इस बेजिगरी से लड़े कि उन्हें आगे न बढ़ने दिया लेकिन बिलआख़िर यह भी शहीद हो गए। यहाँ तक कि सातों स़ह़ाबा (رضي الله عنهم) अल्लाह के यहाँ पहुँच गये, अल्लाह तआ़ला उनसे ख़ुश हो। हुज़ूर (ﷺ) ने मुहाजिरीन से फ़र्माया, अफ़सोस! हमने अपने साथियों से मुंसिफ़ाना मा'मला न किया। अब अबू सुफ़ियान ने हाँक लगाई कि (اعل هبل) आपने फ़र्माया, कहो (الله اعلى واجل) अबू सुफ़ियान ने कहा (لنا العزى ولا عزى لكم) हमारा उ़ज़्ज़ा बुत है तुम्हारे कोई उ़ज़्ज़ा नहीं। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, कहो (الله مولانا والكافرون لا مولى لهم) अल्लाह हमारा मौला है और काफ़िरों का कोई मौला नहीं। अबू सुफ़ियान कहने लगा आज का दिन बद्र के दिन का बदला, कोई दिन हमारा और कोई दिन तुम्हारा, यह तो हाथों-हाथ का सौदा है, एक के बदले एक है। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, हर्गिज़ बराबरी नहीं! और हमारे शुहदा ज़िन्दा हैं और रोज़ियाँ दिए जाते हैं और तुम्हारे मक़्तूल जहन्नम में अ़ज़ाब किए जा रहे हैं। फिर अबू सुफ़ियान बोला, तुम्हारे मक़्तूलो में तुम देखोगे कि कुछ के कान नाक वग़ैरह काट लिए गए हैं लेकिन मैंने न यह कहा, न इससे रोका, इसे मैंने पसंद किया न नापसंद किया, न मुझे यह भला मा'लूम हुआ न बुरा।

सय्यदुश्शुहदा ह़ज़रत ह़म्ज़ा (رضي الله عنه) की शहादत : अब जो देखा तो मा'लूम हुआ कि ह़ज़रत ह़म्ज़ा (رضي الله عنه) का पेट चाक कर दिया गया था और हिन्दा ने उनका कलेजा चबाया था निगल न सकी तो उगल दिया। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, "नामुम्किन था कि उसके पेट में ह़म्ज़ा (رضي الله عنه) का ज़रा सा गोश्त भी चला जाए।" अल्लाह तआ़ला ह़म्ज़ा (رضي الله عنه) के बदन के किसी ह़िस्से को जहन्नम में ले जाना नहीं चाहता। चुनाँचे ह़ज़रत ह़म्ज़ा (رضي الله عنه)

के जनाज़े को अपने सामने रखकर नमाज़े जनाज़ा अदा की फिर एक अंसारी (رضي الله عنه) का जनाज़ा उठा लिया गया लेकिन हज़रत हम्ज़ा (رضي الله عنه) का जनाज़ा वहीं रहा। इसी तरह सत्तर शख़्स लाए गए और हज़रत हम्ज़ा (رضي الله عنه) की सत्तर बार जनाज़े की नमाज़ पढ़ी गई। (मुस्नद अहमद : 1/463; वसनदुहू ज़ईफ़ लि इंक़िताइही)

सहीह बुख़ारी शरीफ़ में है कि हज़रत बराअ (رضي الله عنه) से मरवी है कि उहुद वाले दिन मुश्रिकों से हमारी मुठभेड़ हुई, हुज़ूर (ﷺ) ने तीरअंदाज़ों की एक जमाअत को अलग बिठा दिया और उनकी सरदारी हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबेर (رضي الله عنه) को सौंपी और फ़र्मा दिया कि "अगर तुम हमें उन पर ग़ालिब आया हुआ देखो तो भी यहाँ से न हटना और वह हम पर ग़ालिब आ जाएँ तो भी तुम अपनी जगह न छोड़ना।" लड़ाई शुरू होते ही अल्लाह के फ़ज़्ल से मुश्रिकों के क़दम पीछे पड़ने लगे, यहाँ तक कि औरतें भी तहमद ऊँचा करके पहाड़ों में इधर उधर दौड़ने लगीं। अब तीरअंदाज़ गिरोह ग़नीमत ग़नीमत कहता हुआ नीचे उतर आया। गो उनके अमीर ने हर चंद उन्हें समझाया लेकिन किसी ने उनकी न सुनी। पस अब मुश्रिकीन मुसलमानों की पीठ की तरफ़ से आन पड़े और (70) बुज़ुर्ग शहीद हुए। अबू सुफ़ियान एक टीला पर चढ़कर कहने लगा, क्या मुहम्मद (ﷺ) ज़िन्दा हैं? क्या अबूबक्र (رضي الله عنه) मौजूद हैं? क्या उमर (رضي الله عنه) ज़िन्दा हैं? लेकिन हुज़ूर (ﷺ) के फ़र्मान से सहाबा (رضي الله عنهم) ख़ामोश रहे तो वह ख़ुशी के मारे उछल पड़ा और कहने लगा, यह सब हमारी तलवारों के घाट उतर गए अगर ज़िन्दा होते तो ज़रूर जवाब देते। अब हज़रत उमर (رضي الله عنه) को ताब ज़ब्त न रही। फ़र्माने लगे, ऐ अल्लाह के दुश्मन! तू झूठा है बिहम्दिल्लाह! हम सब मौजूद हैं और तेरी तबाही और बर्बादी करने वाले अल्लाह ने बाक़ी रखे हैं। (सहीह बुख़ारी, किताबुल जिहाद, बाब मा युक्रहू मिनत्तनाज़ो... : 3039, 4043; अबूदाऊद : 2662) फिर वह बातें हुईं जो ऊपर बयान हो चुकी हैं। सहीह बुख़ारी शरीफ़ में हज़रत आइशा (رضي الله عنها) से रिवायत है कि जंगे उहुद में मुश्रिकों को हज़ीमत (पराजय) हुई और इब्लीस ने आवाज़ लगाई, ऐ अल्लाह तआला के बन्दों! अपने पीछे की ख़बर लो। अगली जमाअत पिछली जमाअतों पर टूट पड़ीं। हज़रत हुज़ेफ़ा (رضي الله عنه) ने देखा कि मुसलमानों की तलवारें उनके वालिद हज़रत यमान (رضي الله عنه) पर बरस रही हैं। हर चंद कहते रहे कि ऐ अल्लाह के बन्दों! यह मेरे बाप यमान (رضي الله عنه) हैं मगर कौन सुनता था, वह तो यूँ ही शहीद हो गए लेकिन हज़रत हुज़ेफ़ह (رضي الله عنه) ने कुछ न कहा, बल्कि फ़र्माया, अल्लाह तआला तुमको मा'फ़ करे। लेकिन हज़रत हुज़ेफ़ा (رضي الله عنه) की यह भलाई उनके आख़िर दम तक उनमें रही। (सहीह बुख़ारी, किताबुल मग़ाज़ी : 4065)

सीरत इब्ने इस्हाक़ में है हज़रत ज़ुबेर बिन अवाम (رضي الله عنه) फ़र्माते हैं मैंने ख़ुद देखा कि मुश्रिक मुसलमानों के अव्वल हमला में ही भाग खड़े हुए थे यहाँ तक कि उनकी औरतें हिन्द वग़ैरह तहमद उठाए तेज़ तेज़ दौड़ रही थीं। लेकिन उसके बाद जब तीरअंदाज़ों ने मर्कज़ छोड़ा और कुफ़्फ़ार ने सिमटकर पीछे की तरफ़ से हमला किया और इधर किसी ने आवाज़ लगाई कि हुज़ूर (ﷺ) शहीद हो गए पस फिर मा'मला बरअक्स हो गया, वरना हम मुश्रिकीन के अलमबरदारों तक पहुँच चुके थे और झण्डा उसके हाथ से गिर पड़ा था लेकिन अम्र बिन्ते अल्क़मा बिन हारिसा औरत ने उसे थाम लिया और क़ुरैश का मज्मअ फिर यहाँ जमा हो गया। (तब्री : 8008; दलाइलन्नबुव्वत लिल बैहक़ी : 3/227, 228; सीरत लि इब्ने हिशाम : 3/21; वसनदुहू

हसन) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) के चचा हज़रत अनस बिन नज़र (ﷺ) यह रंग देखकर हज़रत उमर, हज़रत तलहा (ﷺ) वग़ैरह के पास आते हैं और फ़र्माते हैं तुमने क्यूँ हिम्मतें छोड़ दीं। वह जवाब देते हैं कि हुज़ूर (ﷺ) तो शहीद हो गए। हज़रत अनस(ﷺ) ने फ़र्माया, फिर तुम जी कर क्या करोगे? यह कहा और मुश्रिकीन में घुसे फिर लड़ते रहे यहाँ तक कि अल्लाह से जा मिले। (तब्री : 4945; इब्ने हिशाम : 3/88; इसकी सनद में क़ासिम बिन अब्दुर्रहमान बिन राफ़ेअ मज्हूलुल हाल रावी है जबकि यह रिवायत ज़ईफ़ मुंकर है।) यह बद्र वाले दिन जिहाद में नहीं पहुँच सके थे तो अहद किया था कि आइन्दा अगर कोई मौक़ा आया तो मैं दिखा दूँगा, चुनाँचे उस जंग में वह मौजूद थे जब मुसलमानों में खलबली मची तो उन्होंने कहा, अल्लाह मैं मुसलमानों के इस काम से मा'ज़ूर हूँ और मुश्रिकों के इस काम से बरी हूँ। फिर अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ गए। राह मे हज़रत सअद बिन मुआज़ (ﷺ) मिले और कहने लगे, कहाँ जा रहे हो? मुझे तो जन्नत की ख़ुश्बू की लपटें उहुद पहाड़ से चली आ रही हैं, चुनाँचे मुश्रिकों में घुस गए और बड़ी बेजिगरी से लड़े यहाँ तक कि शहादत हासिल की। अस्सी से ऊपर तीर व तलवार के ज़ख़्म बदन पर आए थे, पहचाने न जाते थे, पोरियाँ देखकर पहचाने गए। (सहीह बुख़ारी, किताबुल मग़ाज़ी, बाब ग़ज़्वते उहुद : 4048; सहीह मुस्लिम : 1903)

सहीह बुख़ारी शरीफ़ में है कि एक हाजी ने बैतुल्लाह शरीफ़ में एक मज्लिस देखकर पूछा कि यह कौन लोग हैं? लोगों ने कहा, क़ुरैशी हैं। पूछा, इनके शैख़ कौन हैं? जवाब मिला, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) हैं। अब वह आया और कहने लगा, मैं कुछ दरयाफ़्त करना चाहता हूँ। हज़रत अब्दुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, पूछो। उसने कहा, आपको इस बैतुल्लाह की हुर्मत की क़सम! क्या आपको इल्म है कि हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान (ﷺ) उहुद वाले दिन भाग गए थे आपने जवाब दिया, "हाँ" कहा क्या आपको मा'लूम है कि वह बद्र वाले दिन भी हाज़िर नहीं हुए थे?" फ़र्माया, "हाँ!" कहा क्या आप जानते हैं कि वह बे'अते रिज़्वान में भी शरीक नहीं हुए थे? फ़र्माया, यह भी ठीक है। अब उसने ख़ुश होकर तक्बीर कही। हज़रत अब्दुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, इधर आ! अब मैं तुझे पूरे वाक़ियात सुनाऊँ। उहुद के दिन का भागना तो अल्लाह ने मा'फ़ कर दिया। बद्र के दिन की ग़ैरहाज़िरी का बाइस यह हुआ कि आपके घर मे रसूलुल्लाह (ﷺ) की साहबज़ादी थीं और वह सख़्त बीमार थीं तो ख़ुद हुज़ूर (ﷺ) ने उनसे फ़र्माया था कि तुम न आओ, मदीना में रहो, तुमको अल्लाह तआला इस जंग में हाज़िर होने का अज्र देगा और ग़नीमत में भी तुम्हारा हिस्सा है। बे'अते रिज़्वान का वाक़िया यह है कि उन्हें रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मक्का वालों के पास अपना पैग़ाम देकर भेजा था, इसलिए कि मक्का में जो इज़्ज़त उन्हें हासिल थी किसी और को न थी। उनके तशरीफ़ ले जाने के बाद यह बे'अत ली गई तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपना दाहिना हाथ खड़ा करके कहा, यह उस्मान (ﷺ) का हाथ है फिर अपने दूसरे हाथ पर रखा (गोया बे'अत ली) फिर उस शख़्स से कहा, अब जा और इसे भी साथ ले जा। (सहीह बुख़ारी, किताब फ़ज़ाइले अस्हाबिन्नबी (ﷺ), बाब फ़ज़ाइले उस्मान : 3699, 4066)

फिर फ़र्माया (إِذْ تُصْعِدُوْنَ) अल्ख़ या'नी तुम अपने दुश्मन से भागकर पहाड़ पर चढ़ रहे थे और मारे डर व दहशत के दूसरी जानिब तवज्जह भी नहीं करते थे। रसूलुल्लाह (ﷺ) को भी तुमने वहीं छोड़ दिया था

वह तुमको आवाज़ दे रहे थे और समझा रहे थे कि "भागो नहीं लौट आओ।" हज़रत सुदी (रह़.) फ़र्माते हैं मुश्रिकीन के इस ख़ुफ़िया और पुरज़ोर और अचानक हमले से मुसलमानों के क़दम उखड़ गए कुछ तो मदीना की तरफ़ लौट आए कुछ पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए। अल्लाह के नबी आवाज़ें देते रहे "अल्लाह के बन्दों! मेरी तरफ़ आओ, अल्लाह के बन्दों! मेरी तरफ़ आओ।" इस वाक़िया का बयान इस आयत में है। अब्दुल्लाह बिन ज़ब्अरी शायर ने इस वाक़िया को नज़्म में भी अदा किया है। आँहज़रत (ﷺ) उस वक़्त सिर्फ़ बारह आदमियों के साथ रह गये थे। मुस्नद अह़मद की लम्बी ह़दीस में भी इन तमाम वाक़ियात का ज़िक्र है। (अह़मद : 4/293; स़ह़ीह़ बुख़ारी : 4043; मुख़्तस़रन) दलाइलुन्नबुव्वा में है कि जब हज़ीमत हुई तब हुज़ूर (ﷺ) के साथ सिर्फ़ ग्यारह अश्ख़ास़ रह गए थे जिनमे एक हज़रत त़लह़ा बिन उ़बैदुल्लाह (رضي الله عنه) थे। आप पहाड़ पर चढ़ने लगे लेकिन मुश्रिकीन ने आ घेरा, आपने अपने साथियों की तरफ़ मुतवज्जह होकर फ़र्माया, कोई है जो इनसे मुक़ाबला करे। हज़रत त़लह़ा (رضي الله عنه) ने इस आवाज़ पर फ़ौरन लब्बेक कहा और तैयार हो गए, लेकिन आपने फ़र्माया, तुम अभी ठहर जाओ। अब एक अंस़ारी तैयार हुए और वह उनसे लड़ने लगे, यहाँ तक कि शहीद हुए। इसी तरह सबके सब एक एक करके शहीद हो गए, अब सिर्फ़ हज़रत त़लह़ा (رضي الله عنه) रह गए। गो यह बुज़ुर्ग हर मर्तबा तैयार हो जाते थे लेकिन हुज़ूर (ﷺ) इन्हें रोक दिया करते थे। आख़िर यह मुक़ाबला पर आए और इस तरह जमकर लड़े कि उन सबकी लड़ाई एक तरफ़ और यह एक तरफ़ की। उस लड़ाई में उनकी उँगलियाँ कट गईं तो ज़ुबान से ह़िस्स निकल गया, आपने फ़र्माया, "अगर तुम बिस्मिल्लाह कह देते या अल्लाह का नाम लेते तो तुमको फ़रिश्ते उठा लेते और आसमान की बुलंदी की तरफ़ ले चढ़ते और लोग देखते रहते।" अब नबी (ﷺ) अपने स़ह़ाबा (رضي الله عنهم) के मज्मअ़ मे पहुँच चुके थे। (नसाई, किताबुल जिहाद, बाब मा यक़ूलु मय्यंत़अनहुल अ़दुव्व : 3151; वहुव ह़सन) स़ह़ीह़ बुख़ारी शरीफ़ में है हज़रत क़ैस बिन अबी ह़ाज़िम (रह़.) फ़र्माते हैं मैंने देखा कि हज़रत त़लह़ा (رضي الله عنه) का वह हाथ जिसे उन्होंने सपर बनाया था, शल हो गया था। (स़ह़ीह़ बुख़ारी, किताबुल मग़ाज़ीः 4063)

हज़रत सअ़द बिन अबी वक़्क़ास़ (رضي الله عنه) फ़र्माते हैं मेरे पास हुज़ूर (ﷺ) ने अपने तरकश से उहुद वाले दिन तमाम तीर फैला दिए और फ़र्माया, "तुझ पर मेरे माँ बाप फ़िदा हों, ले मुश्रिकीन को मार" (स़ह़ीह़ बुख़ारी, ह़वाला साबिक़ : 4055) अब आप उठा उठाकर देते जाते थे और मैं ताक-ताककर मुश्रिकीन को मारता जाता था, उस दिन मैंने दो शख़्स़ों को देखा कि हुज़ूर (ﷺ) के दाएँ-बाएँ थे और सख़्ततर क़िताल कर रहे थे। मैने न तो उससे पहले कभी उन्हें देखा था, न उसके बाद। यह दोनों हज़रत जिब्राईल और हज़रत मीकाईल (عليهما السلام) थे। (स़ह़ीह़ बुख़ारी : 4054; स़ह़ीह़ मुस्लिम, किताबुल फ़ज़ाइल, बाब इकरामुहू (ﷺ) बिक़ितालिल मलाइका, मअ़हू (ﷺ) : 2306) और एक रिवायत मे है कि जो बुज़ुर्ग हुज़ूर (ﷺ) के साथ भगदड़ के बाद थे और एक एक होकर शहीद हुए थे, उन्हें आप (ﷺ) फ़र्माते जाते थे कोई है जो इन्हें रोके और जन्नत में जाए। जन्नत में मेरा रफ़ीक़ बने। (स़ह़ीह़ मुस्लिम, किताबुल जिहाद, बाब ग़ज़्वते उहुद : 1789)

उबय बिन ख़ल्फ़ ने मक्का में क़सम खाई थी कि मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) को क़त्ल करूँगा। जब हुज़ूर (ﷺ) को इसका इल्म हुआ तो आपने फ़र्माया, "वह तो नहीं बल्कि मैं इंशाअल्लाह! इसे क़त्ल करूँगा।" उहुद वाले दिन यह ख़बीस सरतापा लोहे में ग़र्क़ ज़िरह बक्तर लगाए हुए हुज़ूर (ﷺ) की तरफ़ बढ़ा और यह कहता आता था कि अगर मुहम्मद (ﷺ) बच गए तो मैं अपने तईं हलाक कर डालूँगा। इधर से हज़रत मुस्अब बिन उमेर (رضي الله عنه) इस नाहंजार की तरफ़ बढ़े लेकिन आप शहीद हो गए। अब हुज़ूर (ﷺ) उसकी तरफ़ बढ़े उसका सारा जिस्म लोहे मे छुपा हुआ था, सिर्फ़ ज़रा सी पेशानी नज़र आ रही थी। आपने नेज़ा ताककर वहीं लगाया जो ठीक निशाने पर बैठा और यह तेवराकर घोड़े से गिरा। गो उस ज़ख़्म से ख़ून भी न निकला था लेकिन उसकी यह हालत थी कि बिलबिला रहा था। लोगों ने उसे उठा लिया, लश्कर में ले गए और तशफ़्फ़ी देने लगे कि ऐसा कोई कारी ज़ख़्म नहीं लगा, क्यूँ इस क़द्र नामर्दी करता है। आख़िर उनके ता'नों से मजबूर होकर उसने कहा, मैंने सुना है कि हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया है मैं उबय को क़त्ल करूँगा। सच मानो अब मैं कभी नहीं बच सकता, तुम उस पर न जाओ कि मुझे ज़रा सी ख़राश ही आई है, अल्लाह की क़सम! जिसके क़ब्ज़े में मेरी जान है, अगर कुल ज़िल मजाज़ को इतना ज़ख़्म उस हाथ से लग जाता तो सब हलाक हो जाते। पस यूँ ही तड़पते-तड़पते और बिलकते-बिलकते उस जहन्नमी की हलाकत हुई और मरकर जहन्नम रसीद हुआ। (दलाइलन्नबुव्वा लिल बैहक़ी : 3/258, 259; मुर्सलन फ़िल्हदीस ज़ईफ़)

मग़ाज़ी मुहम्मद बिन इस्हाक़ में है कि जब यह शख़्स हुज़ूर (ﷺ) के सामने हुआ तो सहाबा (رضي الله عنهم) ने उसके मुक़ाबले की ख़्वाहिश की लेकिन आपने उन्हें रोक दिया और आप (ﷺ) ने फ़र्माया, "उसे आने दो।" जब वह क़रीब आ गया तो आप (ﷺ) ने हारिस बिन सुम्मा से नेज़ा लेकर उस पर हमला कर दिया। हुज़ूर (ﷺ) के हाथ में नेज़ा देखते ही वह काँप उठा। हमने उसी वक़्त समझ लिया कि उसकी ख़ैर नहीं। आपने उसकी गर्दन पर वार किया और वह लड़खड़ाकर घोड़े पर से गिरा। हज़रत इब्ने उमर (رضي الله عنه) का बयान है कि बतने राबिग़ में उस काफ़िर को मौत आई। एक मर्तबा मैं पिछली रात यहाँ से गुज़रा तो मैंने एक जगह से आग के दहशतनाक शो'ले उठते हुए देखे और देखा कि एक शख़्स को ज़ंजीरों में जकड़े हुए उस आग में घसीटा जा रहा है और वह प्यास-प्यास कर रहा है और दूसरा शख़्स कहता है, उसे पानी न देना, यह पैग़म्बर (ﷺ) के हाथ का मारा हुआ है, यह उबय बिन ख़ल्फ़ है। (इसकी सनद में वाक़दी सख़्त ज़ईफ़ रावी है। और यह ख़बर मुअज़ल भी है, लिहाज़ा मरदूद बातिल है।) बुख़ारी व मुस्लिम की एक हदीस में है आप (ﷺ) ने अपने सामने के चार दाँतों की तरफ़ जिन्हें मुश्रिकीन ने उहुद वाले दिन शहीद किया था, इशारा करके फ़र्मा रहे थे, "अल्लाह का सख़्त ग़ज़ब उन लोगों पर है जिन्होंने अपने नबी के साथ यह किया और उस पर भी अल्लाह का ग़ज़ब है, जिसे अल्लाह का रसूल (ﷺ) अल्लाह की राह में क़त्ल करे।" (सहीह बुख़ारी, किताबुल मग़ाज़ी, बाब मा असाबन्नबी (ﷺ) मिनल जराह...: 4073; सहीह मुस्लिम : 1793) और रिवायत में यह लफ़्ज़ है कि "जिन लोगों ने अल्लाह के रसूल का चेहरा ज़ख़्मी किया।" (सहीह बुख़ारी : 4074-4076) उत्बा बिन अबी वक़्क़ास के हाथों हुज़ूर (ﷺ) को यह ज़ख़्म लगा था, सामने के चार दाँत टूट गए थे, रुख़सारों पर ज़ख़्म आया

था और होंठ पर भी। हज़रत सअ़द बिन अबी वक़्क़ास (رضي الله عنه) फ़र्माया करते थे मुझे जिस क़द्र उस शख़्स के क़त्ल की हिर्स थी किसी और के क़त्ल की न थी, यह शख़्स बड़ा बदख़ुल्क़ था और सारी क़ौम से उसकी दुश्मनी थी और उसकी बुराई में हुज़ूर (ﷺ) का यह फ़र्मान काफ़ी है कि नबी को ज़ख़्मी करने वाले पर अल्लाह सख़्त ग़ज़बनाक है। (दलाइलन्नबुव्वत लिल बैहक़ी : 3/265; इसकी सनद में मज्हूल रावी है। लिहाज़ा यह रिवायत ज़ईफ़ है।) अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक़ में है कि हुज़ूर (ﷺ) ने उसके लिए बद दुआ की कि "ऐ अल्लाह! सालभर में यह हलाक हो जाए और कुफ़्र पर इसकी मौत हो।" चुनाँचे यही हुआ और यह बदबख़्त काफ़िर मरा और जहन्नम वासिल हुआ। (मुसन्नफ़ अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक़ : 9649; दलाइलन्नबुव्वत लिल बैहक़ी : 3/265; वसनदुहू ज़ईफ़) एक मुहाजिर का बयान है कि चारो तरफ़ से उहुद वाले दिन हुज़ूर (ﷺ) पर तीर बारी हो रही थी लेकिन अल्लाह की क़ुदरत से वह सब फेर दिए जाते थे। उबय बिन ख़ल्फ़ ने उस दिन क़सम खाकर कहा कि मुझे मुहम्मद (ﷺ) को दिखा दो वह आज मेरे हाथ से बच नहीं सकता, अगर वह नजात पा गया तो मेरी नजात नहीं। अब वह हुज़ूर (ﷺ) की तरफ़ लपका और बिलकुल आपके पास आ गया और उस वक़्त हुज़ूर (ﷺ) के साथ कोई न था लेकिन अल्लाह ने उसकी आँखों पर पर्दा डाल दिया, उसे हुज़ूर (ﷺ) नज़र ही नही आए। जब वह नामुराद पलटा तो सफ़्वान ने उसे ता'नाज़नी की। उसने कहा, अल्लाह की क़सम! मैंने आपको देखा ही नहीं, वल्लाह! वह अल्लाह की तरफ़ से महफ़ूज़ हैं, हमारे हाथ नहीं लगने के। सुनो! हम चार शख़्सों ने उनके क़त्ल का पुख़्ता मश्वरा किया था और आपस में अ़हदो-पैमान किए थे, हमने हर चंद चाहा लेकिन कामयाबी नहीं हुई। (अख़्रजहुल वाक़दी फ़ी मग़ाज़ी : 1/238; इसकी सनद में वाक़दी और इस्हाक़ बिन अ़ब्दुल्लाह मतरूक हैं। और अबूबक्र बिन उबय सब्रत मुत्तहम-बिल वज़अ़ है (अल्मीज़ान : 1/193; रक़म : 767, 4/504; रक़म : 10024) लिहाज़ा यह रिवायत मौज़ूअ़ है।) वाक़दी कहते हैं लेकिन साबितशुदा बात यह है कि हुज़ूर (ﷺ) की पेशानी को ज़ख़्मी करने वाला इब्ने क़मिया और होंठ और दाँतों पर सदमा पहुँचाने वाला उत्बा बिन अबी वक़्क़ास था।

उम्मुल मो'मिनीन हज़रत आइशा सिद्दीक़ा (رضي الله عنها) का बयान है कि मेरे वालिद हज़रत अबूबक्र (رضي الله عنه) जब उहुद का ज़िक्र करते तो साफ़ कहते कि उस दिन की तमामतर फ़ज़ीलत का सेहरा हज़रत तलहा (رضي الله عنه) के सर है, जब मैं लौटकर आया तो मैंने देखा कि एक शख़्स हुज़ूर (ﷺ) की हिमायत में जान टिकाए लड़ रहा है। मैंने कहा, अल्लाह तआला करे यह तलहा (رضي الله عنه) हो, अब जो क़रीब आकर देखा तो तलहा (रज़ि) ही थे। मैंने कहा, (अल्हम्दु लिल्लाह!) मेरी क़ौम का एक शख़्स है मेरे और मुश्रिकों के दरम्यान एक शख़्स था जो मुश्रिकीन में खड़ा हुआ था लेकिन उसके बे पनाह हमले मुश्रिकों की हिम्मत तोड़ रहे थे। ग़ोर से देखा तो वह हज़रत अबू उ़बेदह बिन जर्राह (رضي الله عنه) थे। अब जो मैंने बग़ोर हुज़ूर (ﷺ) की तरफ़ देखा तो आपके सामने के दाँत टूट गए हैं, चेहरा ज़ख़्मी हो रहा है और पेशानी में ज़िरह की दो कड़ियाँ खप गई हैं। मैं आप (ﷺ) की तरफ़ लपका लेकिन आपने फ़र्माया, अबू तलहा की ख़बर लो। मैंने चाहा कि हुज़ूर (ﷺ) के चेहरा में से वह दोनों कड़ियाँ निकालूँ लेकिन हज़रत अबू उ़बेदह,(رضي الله عنه) ने मुझे क़सम देकर रोक दिया और ख़ुद क़रीब आए और

हाथ से निकालने में ज़्यादा तक्लीफ़ महसूस करके दाँतों से पकड़कर एक को निकाल लिया लेकिन उसमें उनका दांत भी टूट गया। मैंने अब फिर चाहा कि दूसरी मैं निकाल लूँ लेकिन हज़रत अबू उबेदह (ﷺ) ने फिर क़सम दी तो मैं रुक गया। उन्होंने फिर दूसरी कड़ी निकाली। अबकी मर्तबा भी उनके दाँत टूटे। उससे फ़ारिग़ होकर हम हज़रत तलहा (ﷺ) की तरफ़ मुतवज्जह हो गए, हमने देखा कि सत्तर से ज़्यादा ज़ख़्म उन्हें लग चुके हैं। उँगलियाँ कट गई हैं, हमने फिर उनकी भी ख़बर ली। हुज़ूर (ﷺ) के ज़ख़्म का ख़ून हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) ने चूसा ताकि ख़ून थम जाए फिर उनसे कहा गया कि कुल्ली कर डालो, लेकिन उन्होंने कहा, अल्लाह की क़सम! मैं कुल्ली न करूँगा, फिर मैदाने जंग में चले गए। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, "अगर कोई शख़्स जन्नती शख़्स को देखना चाहता हो तो उन्हे देख लें" चुनाँचे यह उसी मैदान में शहीद हुए। (मुस्नद तयालिसी : 1/3; ह : 6; वसनदुहू ज़ईफ़; बज़्ज़ार : 1791; अल्इसाबात लि इब्ने हजर : 3/345; इसकी सनद में इस्हाक़ बिन यहया बिन तलहा है जिसे इमाम नसाई ने मतरूक कहा है। देखिए (अल्मीज़ान : 1/204; रक़म : 802; मज्मउज़्ज़वाइद : 10076)

सहीह बुख़ारी शरीफ़ में है कि हुज़ूर (ﷺ) का चेहरा ज़ख़्मी हुआ सामने के दाँत टूटे, सर का ख़ूद (लोहे की टोपी) टूटा। हज़रत फ़ातिमा (ﷺ) ख़ून धोती थीं और हज़रत अली (ﷺ) ढाल में पानी ला लाकर डालते जाते थे जब देखा कि ख़ून किसी तरह थमता ही नहीं तो हज़रत फ़ातिमा (ﷺ) ने बोरिया जलाकर उसकी राख ज़ख़्म पर रख दी जिससे ख़ून बंद हुआ। (सहीह बुख़ारी, किताबुल मग़ाज़ी, बाब मा असाबन्नबी (ﷺ) मिनल जर्राह यौमे उहुद : 4075; सहीह मुस्लिम : 1790; इब्ने माजा : 3464) फिर फ़र्माता है तुमको ग़म पर ग़म पहुँचा। बिग़म का 'ब' मा'नी में अला के है जैसे (फ़ी जुज़ूइन् नख़्ल) (20/ताहा : 71) में फ़ी मा'नी में अला के है। एक ग़म तो शिकस्त का था जबकि यह मशहूर हो गया कि अल्लाह न करे हुज़ूर (ﷺ) की जान पर बन आई। दूसरा ग़म मुश्रिकों का पहाड़ के ऊपर ग़ालिब आकर चढ़ जाने का जबकि हुज़ूर (ﷺ) फ़र्माते थे इन्हें यह बुलंदी लायक़ न थी। (तफ़्सीर इब्ने जरीर : 4/67; वसनदुहू ज़ईफ़ुन जिद्दा) हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ (ﷺ) फ़र्माते हैं एक ग़म शिकस्त का दूसरा ग़म हुज़ूर (ﷺ) के क़त्ल की ख़बर का और यह ग़म अगले ग़म से भी ज़्यादा था। इसी तरह यह भी है कि एक ग़म तो ग़नीमत हाथ में आकर निकल जाने का दूसरा हज़ीमत होने का। इसी तरह एक ग़म अपने भाईयों के क़त्ल का दूसरा ग़म हुज़ूर (ﷺ) की निस्बत ऐसी मंहूस ख़बर का। फिर फ़र्माता है जो ग़नीमत और फ़तह मन्दी तुमसे फ़ौत हुई और जो ज़ख़्म व शहादत मिली उस पर ग़म न खाओ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो बुलंदी और जलाल वाला है वह तुम्हारे आ'माल से बाख़बर है।

***

ثُمَّ اَنۡزَلَ عَلَيۡكُمۡ مِّنۡۢ بَعۡدِ الۡغَمِّ اَمَنَةً نُّعَاسًا يَّغۡشٰى طَآٮِٕفَةً مِّنۡكُمۡ‌ۙ وَطَآٮِٕفَةٌ
قَدۡ اَهَمَّتۡهُمۡ اَنۡفُسُهُمۡ يَظُنُّوۡنَ بِاللّٰهِ غَيۡرَ الۡحَـقِّ ظَنَّ الۡجَاهِلِيَّةِ‌ؕ يَقُوۡلُوۡنَ هَلۡ لَّنَا
مِنَ الۡاَمۡرِ مِنۡ شَىۡءٍ‌ؕ قُلۡ اِنَّ الۡاَمۡرَ كُلَّهٗ لِلّٰهِ‌ؕ يُخۡفُوۡنَ فِىۡۤ اَنۡفُسِهِمۡ مَّا لَا يُبۡدُوۡنَ
لَكَ‌ؕ يَقُوۡلُوۡنَ لَوۡ كَانَ لَنَا مِنَ الۡاَمۡرِ شَىۡءٌ مَّا قُتِلۡنَا هٰهُنَا‌ؕ قُلۡ لَّوۡ كُنۡتُمۡ فِىۡ
بُيُوۡتِكُمۡ لَبَرَزَ الَّذِيۡنَ كُتِبَ عَلَيۡهِمُ الۡقَتۡلُ اِلٰى مَضَاجِعِهِمۡ‌ۚ وَلِيَبۡتَلِىَ اللّٰهُ مَا
فِىۡ صُدُوۡرِكُمۡ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِىۡ قُلُوۡبِكُمۡ‌ؕ وَاللّٰهُ عَلِيۡمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوۡرِ ﴿۱۵۴﴾ اِنَّ
الَّذِيۡنَ تَوَلَّوۡا مِنۡكُمۡ يَوۡمَ الۡتَقَى الۡجَمۡعٰنِ ۙ اِنَّمَا اسۡتَزَلَّهُمُ الشَّيۡطٰنُ بِبَعۡضِ مَا
كَسَبُوۡا‌ ۚ وَلَقَدۡ عَفَا اللّٰهُ عَنۡهُمۡ‌ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوۡرٌ حَلِيۡمٌ ﴿۱۵۵﴾

तर्जुमा : ''फिर उसने उस ग़म के बाद तुम पर अमन नाज़िल फ़र्माया और तुममें से एक जमाअत को अमन की नींद आने लगी, हाँ! कुछ वह लोग भी थे कि उन्हें अपनी जानों की पड़ी हुई थी, वह अल्लाह के साथ नाहक़ जिहालत भरी बदगुमानियाँ कर रहे थे। और कहते थे क्या हमें भी किसी चीज़ का इख़्तियार है? तू कह दे कि काम तो कुल का कुल अल्लाह के इख़्तियार मे है। यह लोग अपने दिलों के भेद तुझे नहीं बताते, कहते हैं कि अगर हमको कुछ भी इख़्तियार होता तो यहाँ क़त्ल न किए जाते, कह दे कि गो तुम अपने घरों मे होते फिर भी जिनकी क़िस्मत मे क़त्ल होना था वह तो मक़्तल (क़त्ल करने की जगह) की तरफ़ चल खड़े होते। अल्लाह तआला को तुम्हारे सीनों की बातों का आज़माना और तुम्हारे दिल के इरादों का निखारना था। अल्लाह तआला दिलो के भेद से आगाह है। (154) तुममें से जिन लोगों ने उस दिन पीठ दिखाई जिस दिन दोनों जमाअतों की मुठभेड़ हो गई थी यह लोग अपने कुछ करतूतों के बाइस शैतानी अग़वा में आ गए। लेकिन यक़ीन जानो कि अल्लाह तआला ने उन्हें माफ़ कर दिया। अल्लाह तआला ही बख़्शने वाला और तहम्मुल वाला है।'' (155)

जंगे उहुद का कुछ तज़्किरा (आयत 154, 155) : अल्लाह तआला ने अपने बन्दों पर उस ग़म व रंज के वक़्त जो एहसान फ़र्माया था उसका बयान हो रहा है कि उसने उन पर ऊँघ डाल दी, हथियार हाथ में हैं दुश्मन सामने है लेकिन दिल में इतनी तस्कीन है कि आँखें ऊँघ से झुकी जा रही हैं, जो अम्नो अमान का निशान है, जैसे सूरह अन्फ़ाल में बद्र के वाक़िया में है (إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ) (8/अन्फ़ाल : 11) या'नी अल्लाह की तरफ़ से अमन बसूरत ऊँघ नाज़िल हुआ। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (رضي الله عنه) फ़र्माते हैं लड़ाई के वक़्त ऊँघ आने लगी कि बार-बार तलवार मेरे हाथ से छूट गई। आप फ़र्माते हैं जब मैंने आँख उठाकर देखा तो तक़रीबन हर शख़्स को उसी हालत में पाया। (सहीह बुख़ारी, किताबुल मग़ाज़ी, बाब (ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّن بَعْدِ الْغَمِّ...) : 4068; ता'लीक़न, लेकिन 4562; मे मौसूलन भी मौजूद है मज़ीद देखिए : अहमद : 4/29; तिर्मिज़ी : 3007; वसनदुहू सहीह, सुननुल कुब्रा लिन्नसाई : 11198; हाकिम : 2/297) हाँ! अल्बत्ता एक जमाअत वह भी थी जिनके दिलों में निफ़ाक़ था, यह मारे ख़ौफ़ व दहशत के हल्कान हो रहे थे और उनकी बदगुमानियाँ और बुरे ख़्याल हद को पहुँच गए थे। (तिर्मिज़ी, किताब तफ़्सीरुल क़ुरआन, बाब वमिन सूरति आले इमरान : 3008; बिदून ज़िक्रुल आयात सहीह दून क़ौलिही ''वत्ताइफ़तुल उख़्रा.... व अख़ज़ लहू लिल्हक़'' वहुव मुदरज) पस अहले ईमान, अहले यक़ीन, अहले सबात, अहले तवक्कल और अहले सिद्क़ तो यक़ीन करते थे कि अल्लाह अपने रसूल (ﷺ) की ज़रूर मदद करेगा और उनकी मुँह मांगी मुराद पूरी होकर रहेगी लेकिन अहले निफ़ाक़ अहले शक बेयक़ीन ढुल मुल ईमानवालों की अजब हालत थी उनकी जान अज़ाब में थी वह हाए वाए कर रहे थे और उनके दिल में तरह-तरह के वस्वसे उठ रहे थे उन्हें यक़ीने कामिल हो गया था कि अब मरे, वह जान चुके थे कि रसूल और मो'मिन नहींरहे अब बचाव की कोई सूरत नहीं। फ़िल वाक़ेअ मुनाफ़िक़ों का यही हाल है कि जहाँ ज़रा नीचा पांसा देखा, नाउम्मीदी की घंघोर घटाओं ने घेर लिया। बरख़िलाफ़ उनके ईमानदार बद से बदतर हालत में भी अल्लाह से नेक गुमान रखता है।

उनके दिलों के ख़्यालात यह थे कि अगर हमारा कुछ भी बस चलता तो आज की मौत से बच रहते और चुपके-चुपके यूँ कहते भी थे। हज़रत ज़ुबेर (رضي الله عنه) का बयान है कि उस सख़्त ख़ौफ़ के वक़्त हमें तो इस क़द्र नींद आने लगी कि हमारी ठोड़ियाँ सीनों से लग गईं, मैंने अपनी इसी हालत में मुअतब बिन क़ैशर के यह अल्फ़ाज़ सुने कि अगर हमें कुछ भी इख़्तियार होता तो यहाँ क़त्ल न होते। (इब्ने अबी हातिम : 2/620; तब्री : 8093; व इब्ने इस्हाक़ यह सनद हसन है।) अल्लाह तआला उन्हें फ़र्माता है तो मुक़द्दरातुल्लाह (अल्लाह की लिखी हुई तकदीर) में मरने का वक़्त नहीं टलता गो तुम घरों में होते लेकिन फिर भी जिन पर यहाँ कटना लिखा जा चुका था वह घरों को छोड़कर निकल खड़े होते और यहाँ मैदान में आ डटते और अल्लाह का लिखा पूरा उतरता। यह वक़्त इसलिए था कि अल्लाह तुम्हारे दिलों के इरादों और तुम्हारे मख़्फ़ी भेदों को ज़ाहिर कर दे, उस आज़माईश से भले और बुरे नेक और बद मे तमीज़ हो गई, अल्लाह तआला जो दिलों के भेदों और इरादों से पूरी तरह वाक़िफ़ हैं, उसने इस ज़रा से वाक़िया से मुनाफ़िक़ों को ज़ाहिर कर दिया और मुसलमानों का भी ज़ाहिरी इम्तिहान हो गया। अब सच्चे मुसलमानों की लग़्ज़िश का बयान हो रहा है जो इंसानी कमज़ोरी की वजह से उनसे सरज़द हुई। फ़र्माता है यह लग़्ज़िश उनसे शैतान ने करा दी और दरअसल यह उनके अमल का नतीजा था, न यह रसूल (ﷺ) की नाफ़र्मानी करते, न उनके क़दम उखड़ते। उन्हें अल्लाह तआला मा'ज़ूर जानता है और उनसे उसने दरगुज़र फ़र्मा लिया और उनकी उस ख़ता को मा'फ़ कर

दिया। अल्लाह का काम ही तजावुज़ करना बख़्शना मा'फ़ फ़र्माना, हिल्म और बुर्दबारी बरतना, तहम्मुल और अफ़ू करना है। इससे मा'लूम हुआ कि हज़रत उस्मान (ﷺ) वग़ैरह की इस लग़्ज़िश को अल्लाह तआला ने माफ़ कर दिया।

मुस्नद अहमद में है कि वलीद बिन उक़्बा (ﷺ) ने एक मर्तबा अब्दुर्रहमान बिन औफ़ (ﷺ) से कहा, आख़िर तुम अमीरुल मो'मिनीन हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान (ﷺ) से इस क़द्र क्यूँ बिगड़े हुए हो? उन्होंने कहा, उनसे कह दो कि मैंने उहुद वाले दिन फ़रार नहीं किया, बद्र के ग़ज़्वा में ग़ैर-हाज़िर नहीं रहा और न सुन्नते उमर तर्क की। वलीद ने जाकर हज़रत उस्मान (ﷺ) से यह वाक़िया बयान किया तो आपने उसके जवाब में फ़र्माया, कि कुरआन कह रहा है (وَ لَقَدْ عَفَا اللّٰهُ عَنْهُمْ) या'नी उहुद वाले दिन की उस लग़्ज़िश से अल्लाह तआला ने माफ़ कर दिया उस पर आर दिलाना कैसा? बद्र वाले दिन में रसूलुल्लाह (ﷺ) की साहबज़ादी, अपनी बीवी हज़रत रुक़य्या (ﷺ) की तीमारदारी में मसरूफ़ था यहाँ तक कि वह उसी बीमारी में फ़ौत हो गईं चुनाँचे मुझे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने माले ग़नीमत में से पूरा हिस्सा दिया और ज़ाहिर है कि हिस्सा उन्हें मिलता है जो मौजूद हों पस हुक्मन मेरी मौजूदगी साबित हुई। रही सुन्नते उमर (ﷺ) तो उसकी ताक़त न मुझमें है न अब्दुर्रहमान में, जाओ उन्हें यह जवाब भी पहुँचा दो। (अहमद : 1/68; वसनदुहू हसन; मज्मउज़्ज़वाइद : 7/226; तबरानी : 135 मुख़्तसरन)

***

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَقَالُوْا لِاِخْوَانِهِمْ اِذَا ضَرَبُوْا فِي
الْاَرْضِ اَوْ كَانُوْا غُزًّى لَّوْ كَانُوْا عِنْدَنَا مَا مَاتُوْا وَمَا قُتِلُوْا ۚ لِيَجْعَلَ اللّٰهُ ذٰلِكَ
حَسْرَةً فِيْ قُلُوْبِهِمْ ؕ وَاللّٰهُ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿١٥٦﴾ وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ
فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ﴿١٥٧﴾ وَلَئِنْ مُّتُّمْ
اَوْ قُتِلْتُمْ لَاِلَى اللّٰهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿١٥٨﴾ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا
غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ ۠ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ
فِي الْاَمْرِ ۚ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ ﴿١٥٩﴾

तर्जुमा : "ईमानवालों! तुम उन लोगों की तरह न होना जिन्होंने कुफ़्र किया और अपने भाईयों के हक़ में जबकि वह सफ़र में हों या जिहाद में हों, कहा कि अगर यह हमारे पास होते तो न मरते न मार डाले जाते, इसकी वजह यह थी कि इस ख़्याल को अल्लाह तआला उनकी दिली हसरत का सबब बना दे, अल्लाह तआला जिलाता है और मारता है और अल्लाह तुम्हारे हर अमल को देख रहा है। (156) क़सम है अगर तुम अल्लाह की राह में शहीद किए जाओ या अपनी मौत मरो बेशक अल्लाह तआला की बख़्शिश व रहमत उससे बेहतर है जिसे यह जमा कर रहे हैं। (157) बिलयक़ीन ख़्वाह तुम मर जाओ ख़्वाह मार डाले जाओ, जमा तो अल्लाह की तरफ़ ही किए जाओगे। (158) अल्लाह की रहमत के बाइस तू इन पर नर्म दिल है। और अगर तू बदज़ुबान और सख़्त दिल होता तो यह सब तेरे पास से भाग खड़े होते। तू इनसे दरगुज़र कर और इनके लिए इस्तिग़फ़ार कर और काम का मश्वरा इनसे कर लिया कर। फिर जब तेरा पुख़्ता इरादा हो जाए तो अल्लाह पर भरोसा कर बेशक अल्लाह तआला तवक्कल करने वालों को दोस्त रखता है।" (159)

ईमानवालों को फ़ासिद ए'तिक़ाद रखने की मुमानिअत (आयत :156-159) : अल्लाह तआला अपने मो'मिन बन्दों को काफ़िरों जैसे फ़ासिद ए'तिक़ाद रखने की मुमानिअत फ़र्मा रहा है। यह कुफ़्फ़ार समझते थे कि उनके लोग जो सफ़र में या लड़ाई मे मरे अगर वह सफ़र और लड़ाई न करते तो न मरते। फिर फ़र्माता है कि यह बातिल ख़्याल भी उनकी हसरत व अफ़सोस को बढ़ाने वाले हैं दरअसल मौत व हयात अल्लाह के हाथ है मरता है उसकी चाहत से और ज़िन्दगी मिलती है तो उसके इरादे से, तमाम उमूर का जारी करना उसके क़ब्ज़े में है उसकी क़ज़ा व क़द्र टलती नहीं उसके इल्म से और उसकी निगाह से कोई बाहर नहीं, तमाम मख़्लूक़ के हर हर अम्र को वह बख़ूबी जानता है। दूसरी आयत बतला रही है कि राहे अल्लाह मे क़त्ल होना या मरना अल्लाह की मग़्फ़िरत व रहमत का ज़रिया है और यह क़त्अन दुनिया और दुनिया की हर चीज़ से बेहतर है क्यूँ कि यह फ़ानी है, और वह बाक़ी और अबदी है। फिर इर्शाद होता है कि ख़्वाह किसी तरह देना छोड़कर या क़त्ल होकर, लौटना तो अल्लाह ही की तरफ़ है फिर अपने आ'माल का बदला अपनी आँखों से देख लोगे, चाहे बुरा हो चाहे भला हो।

***

إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۖ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ
بَعْدِهِ ۗ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٦٠﴾ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ ۚ وَمَنْ يَغْلُلْ
يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦١﴾
أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ ۚ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ
﴿١٦٢﴾ هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿١٦٣﴾ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿١٦٤﴾

तर्जुमा : ''अगर अल्लाह तआला तुम्हारी मदद करे तो तुम पर कोई ग़ालिब नहीं आ सकता। और अगर वह तुमको छोड़ दे तो उसके बाद कौन है जो तुम्हारी मदद करे? ईमान वालों को अल्लाह ही पर भरोसा रखना चाहिए। (160) नामुम्किन है कि नबी से ख़यानत हो जाए। हर ख़यानत करने वाला ख़यानत को लिए हुए क़यामत के दिन हाज़िर होगा। फिर हर शख़्स अपने आ'माल का पूरा-पूरा बदला दिया जाएगा, और वह ज़ुल्म न किए जाएँगे। (161) क्या पस वह शख़्स जो अल्लाह की ख़ुशनुदी के दर पे है उस शख़्स जैसा है जो अल्लाह तआला की नाराज़गी लेकर लौटता है? और जिसकी जगह जहन्नम है जो बदतरीन जगह है। (162) अल्लाह के पास यह बड़े मर्तबों पर हैं उनके तमाम आ'माल अल्लाह बख़ूबी देख रहा है। (163) बेशक मुसलमानों पर अल्लाह का बड़ा एहसान है कि उन ही में से एक रसूल उनमे भेजा जो उन्हें उसकी आयतें पढ़कर सुनाता है और उन्हें पाक करता है और उन्हें किताब और हिक्मत सिखाता है। यक़ीनन यह सब उससे पहले खुली गुमराही में थे।'' (164)

नबी (ﷺ) अपनी उम्मत पर रहम दिल हैं (आयत 160-164) : अल्लाह तआला अपने नबी पर और मुसलमानों पर अपना एहसान जताता है कि नबी के मानने वालों और उनकी नाफ़र्मानी से बचने वालों के लिए अल्लाह ने नबी के दिल को नर्म कर दिया है अगर उसकी रहमत न होती तो इतनी नर्मी और आसानी न होती। हज़रत क़तादा (रह.) फ़र्माते हैं मा सिला है जो मा'रफ़ा के साथ अरब मिला दिया करते हैं, जैसे (فَبِمَا نَقْضِهِمْ)

अल्ख़ (5/माइदा : 13) मे और नकरा के साथ भी मिला देते हैं, जैसे (عَمَّا قَلِيلٍ) (23/मो'मिनून : 40) में, उसी तरह यहाँ है। या'नी अल्लाह की रहमत से तू इनके लिए नर्म दिल हुआ है। हज़रत हसन बसरी (रह.) फ़र्माते हैं यह हुज़ूर (ﷺ) के अख़्लाक़ हैं जिन पर आपकी बिअसत हुई है। यह आयत ठीक इस आयत जैसी है (لَقَدْ جَاءَكُمْ) (9/तौबा : 128) या'नी तुम्हारे पास तुम्हीं में से एक रसूल आए जिस पर तुम्हारी मशक़्क़त गिराँ गुज़रती है जो तुम पर हिर्स वाले हैं जो मो'मिनों पर शफ़क़त और रहम करने वाले हैं। मुस्नद अहमद में है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज़रत अबू उमामा बाहिली (رضي الله عنه) का हाथ पकड़कर फ़र्माया, ''ऐ अबू उमामा! कुछ मो'मिन वह हैं जिनके लिए मेरा दिल तड़प उठता है।'' (अहमद : 5/267; वसनदुहू हसन; तबरानी : 7499) (फ़ज़्ज़न) से मुराद यहाँ सख़्त कलाम है क्यूँ कि उसके बाद (**गलीज़ल क़ल्ब**) का लफ़्ज़ है या'नी सख़्त दिल। फ़र्मान है कि ''ऐ नबी! अगर तुम सख़्त कलाम और सख़्त दिल होते तो यह लोग तुम्हारे पास से मुंतशिर हो जाते और तुमको छोड़ देते लेकिन अल्लाह तआला ने उनको आपका जानिसार व शैदा बना दिया और उनके दिल लगे हैं, इसलिए आपको भी उनकी तरफ़ से मुहब्बत और नर्मी अता फ़र्माई है।''

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (رضي الله عنه) फ़र्माते हैं रसूलुल्लाह (ﷺ) की सिफ़तों को अगली किताबों में भी पाता हूँ कि आप सख़्त कलाम सख़्त दिल बाज़ारों में शोर मचाने वाले और बुराई का बदला बुराई से लेने वाले नहीं बल्कि दरगुज़र करने वाले और मा'फ़ी देने वाले हैं।'' (सहीह बुख़ारी, किताबुल बुयूअ, बाब कराहयतुस्सख़ब फ़िस्सूक़ : 2125) तिर्मिज़ी की एक ग़रीब हदीस में है रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़र्माते हैं ''लोगों की आवभगत ख़ैरख़्वाही और चश्मपोशी का मुझे अल्लाह की जानिब से इसी तरह हुक्म किया गया है जिस तरह फ़राइज़ की पाबन्दी का।'' (अल्कामिल लिइब्ने अदी : 2/447; वसनदुहू ज़ईफ़ुन जिद्दा; बिश्र बिन उबेद सख़्त मजरूह है और बाक़ी सनद भी मरदूद है।)

बाहमी मश्वरा की अहमियत, मश्वरा करना सुन्नत है : इस आयत में भी फ़र्मान है ''तू इनसे दरगुज़र कर, इनके लिए इस्तिग़्फ़ार कर और कामों का मश्वरा इनसे लिया कर।'' इसीलिए हुज़ूर (ﷺ) की आदते मुबारक थी कि लोगों को ख़ुश करने के लिए अपने कामो में उनसे मश्वरा किया करते थे जैसे कि बद्र वाले दिन क़ाफ़िले की तरफ़ बढ़ने के लिए मश्वरा किया और सहाबा (رضي الله عنهم) ने कहा कि अगर आप समुंदर के किनारे पर खड़ा करके हमें फ़र्माएँगे कि उसमें कूद पड़ो और उस पार निकलो तो भी हम सरताबी न करेंगे। (सहीह बुख़ारी, किताबुल मग़ाज़ीः 3952, 4609) और अगर हमें बर्कुल ग़माद तक ले जाना चाहें तो भी हम आपके साथ हैं, हम वह नहीं कि मूसा (عليه السلام) के सहाबियों की तरह कह दें कि तू और तेरा रब लड़े हम तो यहाँ बैठे हैं, बल्कि हम तो आपके दाएँ बाएँ सफ़ें बाँधकर जमकर दुश्मनों का मुक़ाबला करेंगे। इसी तरह आपने इस बात का मश्वरा भी लिया कि 'मंज़िल कहाँ हो?'' और मुंज़िर बिन अम्र (رضي الله عنه) ने मश्वरा दिया कि उन लोगों से आगे बढ़कर उनके सामने हो। इसी तरह उहुद के मौक़े पर भी आपने मश्वरा किया कि ''आया मदीना में रहकर लड़ें या बाहर निकलें?'' और जुम्हूर की राय यही हुई कि बाहर मैदान मे जाकर लड़ना चाहिए। चुनाँचे आपने यही किया। और आपने जंगे अहज़ाब के मौक़े पर भी अपने अस्हाब से मश्वरा किया कि ''मदीने के फलों की पैदावार का तिहाई हिस्सा देने का वा'दा करके मुख़ालिफ़ीन से मुसालिहत कर ली जाए।''

तो हज़रत सअद बिन उबादा और हज़रत सअद बिन मुआज़ (ﷺ) ने इसका इंकार किया और आपने भी इस मश्वरा को क़बूल कर लिया और मुसालिहत छोड़ दी। इसी तरह आपने हुदेबिया वाले दिन इस अम्र का मश्वरा किया कि ''आया मुश्रिकीन के घरों पर धावा बोल दें?'' तो हज़रत सिद्दीक़ (ﷺ) ने फ़र्माया, हम किसी से लड़ने नहीं आए, हमारा इरादा सिर्फ़ उमरे का है। चुनाँचे उसे भी आपने मंज़ूर कर लिया। इसी तरह जब मुनाफ़िक़ीन ने आपकी बीवी साहिबा उम्मुल मो'मिनीन हज़रत आइशा (ﷺ) पर तोहमत लगाई तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ''ऐ मुसलमानों! मुझे मश्वरा दो कि उन लोगों का मै क्या करूँ जो मेरे घरवालों को बदनाम कर रहे हैं, अल्लाह की क़सम! मेरे इल्म में तो मेरे घर वालों मे कोई बुराई नहीं और जिस शख़्स के साथ तोहमत लगा रहे हैं, वल्लाह! मेरे नज़दीक तो वह भी भलाई वाला ही है।'' (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीरः 4757) और आपने हज़रत आइशा (ﷺ) की जुदाई के लिए हज़रत अली (ﷺ) और हज़रत उसामा (ﷺ) से मश्वरा लिया। ग़र्ज़ लड़ाई के कामों में भी और दीगर उमूर में भी हुज़ूर (ﷺ) सहाबा किराम (ﷺ) से मश्वरा लिया करते थे। इसमे उलमा का इख़्तिलाफ़ भी है कि यह मश्वरा का हुक्म आपको बतौर वजूब के था या इख़्तियारी अम्र था ताकि लोगों के दिल ख़ुश रहें। हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) फ़र्माते हैं इस आयत में हज़रत अबूबक्र व उमर (ﷺ) से मश्वरा करने का हुक्म है (हाकिम : 3/70; वसनदुहू ज़ईफ़) यह दोनों हुज़ूर (ﷺ) के हवारी और आपके वज़ीर थे और मुसलमानों के बाप हैं। (इसकी सनद मे मुहम्मद बिन साइब कल्बी मुत्तहम बिल किज़्ब है (अत्तक़रीब : 2/63; रक़म : 240) लिहाज़ा यह मौज़ूअ है।) मुस्नद अहमद में है रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इन दोनों बुज़ुर्गों से फ़र्माया, ''अगर तुम दोनों की किसी अम्र में एक राय हो जाए तो मैं तुम्हारा ख़िलाफ़ कभी न करूँगा।'' (अहमद : 4/227; वसनदुहू ज़ईफ़ लिइरसालिही) हुज़ूर (ﷺ) से सवाल होता है कि अज़्म के क्या मा'नी हैं तो आपने फ़र्माया ''जब अक़्लमन्द लोगों से मश्वरा हो जाए फिर उनकी मान लेना'' (इब्ने मर्दवे) (इस रिवायत की सनद नहीं मिली लिहाज़ा यह मरदूद है।) इब्ने माजा में आपका यह फ़र्मान भी मरवी है कि ''जिससे मश्वरा किया जाए वह अमीन है।'' अबूदाऊद, तिर्मिज़ी, नसाई वग़ैरह में भी यह रिवायत है। इमाम तिर्मिज़ी (रह.) इसे हसन कहते हैं। (इब्ने माजा, किताबुल अदब, बाबुल मुस्तशारुल मु'तमीन : 3745; अबूदाऊद : 5128; वहुव हसन; तिर्मिज़ी : 2822) और रिवायत में है कि ''जब तुममें से कोई अपने भाई से मश्वरा ले तो उसे चाहिए भली बात का मश्वरा दे।'' (इब्ने माजा, किताबुल अदब, बाबुल मुस्तशारुल मु'तमिन : 3747; वसनदुहू ज़ईफ़; मुहम्मद बिन अबी यअ़ला रावी ज़ईफ़ है।) फिर फ़र्माया ''जब तुम किसी काम का मश्वरा कर चुको फिर उसके करने का पुख़्ता इरादा हो जाए तो अब अल्लाह पर भरोसा करो, अल्लाह तआला भरोसा करने वालों को दोस्त रखता है।''

फिर दूसरी आयत का इर्शाद बिलकुल इसी तरह का है जो पहले गुज़रा कि (وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ) (3/आले इमरान : 126) या'नी मदद सिर्फ़ अल्लाह ही की तरफ़ से है जो ग़ालिब है और हिक्मतों वाला है, फिर हुक्म देता है कि मो'मिनों को तवक्कल और भरोसा ज़ाते बारी ही पर होना चाहिए।

नबी (ﷺ) सादिक़ व अमीन हैं : फिर फ़र्माता है ''नबी को लायक़ नहीं कि वह ख़यानत करे।'' इब्ने अब्बास (ﷺ) फ़र्माते हैं, बद्र के दिन एक सुर्ख़ रंग चादर नहीं मिलती थी तो लोगों ने कहा शायद रसूलुल्लाह

(ﷺ) ने ले ली हो, इस पर यह आयत उतरी। (अबूदाऊद, किताबुल हुरूफ़ : 3971; वसनदुहू ज़ईफ़; ख़सीफ़ रावी ज़ईफ़ है। तिर्मिज़ी, किताब तफ़्सीरुल क़ुरआन, बाब वमिन सूरति आले इमरान : 3009) और रिवायत में है कि मुनाफ़िक़ों ने हुज़ूर (ﷺ) पर किसी चीज़ की तोहमत लगाई थी जिस पर आयत (وَ مَا كَانَ) अल्ख़ उतरी। पस साबित हुआ कि अल्लाह के रसूल (ﷺ) रसूलों के सरदार, हर क़िस्म की ख़यानत से, बेजा तरफ़दारी से मुबर्रा और मुनज़्ज़ा हैं, ख़्वाह वह माल की तक़्सीम हो या अमानत की अदायगी हो। हज़रत इब्ने अब्बास (رضی اللہ عنہ) से मरवी है कि नबी ग़ुलूल (धोखा) नहीं कर सकता कि कुछ लश्करियों को दे और कुछ को उनका हिस्सा न पहुँचाए। इस आयत की यह तफ़्सीर भी की गई है कि यह नहीं हो सकता कि नबी अल्लाह की नाज़िलकर्दा किसी चीज़ को छुपा ले और उम्मत तक उसे न पहुँचाए। (युग़ल) को 'य' के पेश से भी पढ़ा गया है, तो मा'नी यह होंगे कि नबी की ज़ात ऐसी नहीं कि उनके पास वाले उनकी ख़यानत करें। चुनाँचे हज़रत क़तादा और हज़रत रबीअ (रह.) से मरवी है कि बद्र के दिन आप (ﷺ) के अस्हाब ने माले ग़नीमत में से तक़्सीम से पहले कुछ ले लिया था, इस पर यह आयत उतरी (इब्ने जरीर)

ख़ाइन के लिए सख़्त अज़ाब है : फिर ख़ाइन लोगों को डराया जाता है और सख़्त अज़ाबों की ख़बर दी जाती है। अहादीस में भी इसकी बाबत बहुत कुछ सख़्त वईद है चुनाँचे मुस्नद अहमद की हदीस में है कि "सबसे बड़ा ख़यानत करने वाला वह शख़्स है जो पड़ोसी के खेत की ज़मीन या उसके घर की ज़मीन दबा ले, अगर एक हाथ ज़मीन भी नाहक़ अपनी तरफ़ कर लेगा, तो सातों ज़मीनों का तौक़ उसे पहनाया जाएगा।" (अहमद : 5/341; सहीह बुख़ारी : 2452, 3198; सहीह मुस्लिम : 1610) मुस्नद अहमद की और हदीस में है "जिसे हम हाकिम बनाएँगे अगर उसका घर न हो तो वह घर बना सकता है, बीवी न हो तो शादी कर सकता है, ख़ादिम न हो तो रख सकता है, सवारी न हो तो मुहय्या कर सकता है, उसके सिवा अगर कुछ और लेगा तो ख़ाइन होगा।" यह हदीस अबूदाऊद में भी दीगर अल्फ़ाज़ से मन्क़ूल है। (अहमद : 4/229; अबूदाऊद, किताबुल ख़िराज, बाब फ़ी अरज़ाक़िल उम्माल : 2945; वसनदुहू सहीह) इब्ने जरीर की हदीस में है रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़र्माते हैं, "मैं तुममें से उस शख़्स को पहचानता हूँ जो चिल्लाती हुई बकरी को उठाए हुए क़यामत के दिन आएगा और मेरा नाम ले लेकर मुझे पुकारेगा। मैं कह दूँगा कि मैं अल्लाह के पास तेरे कुछ काम नहीं आ सकता, मैं तो पहुँचा चुका था, उसे भी मैं पहचानता हूँ जो ऊँट को उठाए हुए आ जाएगा। जो बोल रहा होगा, यह भी कहेगा कि, ऐ मुहम्मद! ऐ मुहम्मद (ﷺ)! मैं कहूँगा, मैं तेरे लिए अल्लाह के पास किसी चीज़ का मालिक नहीं हूँ, मैं तो तब्लीग़ कर चुका था, और मैं उसे भी पहचानूँगा जो इसी तरह घोड़े को लादे हुए आएगा जो हिनहिना रहा होगा, वह भी मुझे पुकारेगा और मैं कह दूँगा कि मैं तो पहुँचा चुका था आज कुछ काम नहीं आ सकता, और उस शख़्स को भी मैं पहचानता हूँ जो खालें लिए हुए हाज़िर होगा और कह रहा होगा या मुहम्मद! मुहम्मद (ﷺ)! या मुहम्मद! मुहम्मद (ﷺ)! मैं कहूँगा, मैं अल्लाह के पास किसी नफ़ा का इख़्तियार नहीं रखता मैं तो तुझे बता चुका था।" (तब्री : 4/105; ह : 8157; वसनदुहू ज़ईफ़; हफ़्स बिन बिश्र की तोसीक़ मा'लूम नहीं है।) यह हदीस सिहाह सित्ता में नहीं।

मुस्नद अहमद में है कि हुज़ूर (ﷺ) ने क़बीला अज़्द के एक शख़्स को हाकिम बनाकर भेजा, जिसे

इब्नुल लतबिया कहते थे। यह जब ज़कात वसूल करके आए तो कहने लगे यह तो तुम्हारा है और यह मुझे तोहफ़ा में मिला है। नबी (ﷺ) मिम्बर पर खड़े हो गए और फ़र्माने लगे, "इन लोगो को क्या हो गया है, हम इन्हें किसी काम पर भेजते हैं तो आकर कहते हैं, यह तुम्हारा और यह हमारे तोहफ़े का, यह अपने घरो में ही बैठे रहते फिर देखते कि इन्हें तोहफ़ा दिया जाता है या नहीं? उस ज़ात की क़सम! जिसके हाथ में मुहम्मद (ﷺ) की जान है, तुममें से जो कोई इसमें से कोई चीज़ भी ले लेगा, वह क़यामत के दिन इसे अपनी गर्दन पर उठाए हुए लाएगा, ऊँट है तो चिल्ला रहा होगा, गाय है तो बोल रही होगी, बकरी है तो चीख़ रही होगी।" फिर आप (ﷺ) ने अपने हाथ इस क़द्र बुलंद किए कि बग़लों की सफ़ेदी हमें नज़र आने लगी और तीन मर्तबा फ़र्माया, "ऐ अल्लाह! क्या मैंने पहुँचा दिया?" (मुस्नद अहमद : 5/423; सहीह बुख़ारी, किताबुल हिबा, बाब मल्लम युक़्बलुल् हदया लि इल्लति : 2598; सहीह मुस्लिम : 1832) मुस्नद अहमद की एक ज़ईफ़ हदीस में है "ऐसे तहसीलदारो और हाकिमों को जो तोहफ़े मिलें वह ख़यानत हैं।" (अह मद : 5/424; वसनदुहू ज़ईफ़) यह रिवायत सिर्फ़ मुस्नद अहमद की एक ज़ईफ़ है और ऐसा मा'लूम होता है कि गोया अगली मुतव्वल रिवायत का माहसल है। तिर्मिज़ी में है हज़रत मुआज़ बिन जबल (رضی الله عنه) फ़र्माते हैं मुझे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने यमन भेजा जब मैं चल दिया तो आपने मुझे बुलवाया, जब मैं वापिस आया तो फ़र्माया, "मैंने तुझे सिर्फ़ एक बात कहने के लिए बुलवाया है कि मेरी इजाज़त के बग़ैर तुम जो कोई चीज़ लोगे वह ख़यानत है और हर ख़ाइन अपनी ख़यानत को लिए हुए क़यामत के दिन आएगा, बस यही कहना था, जाओ अपने काम में लगो।" (तिर्मिज़ी, किताबुल अहकाम, बाब मा जाअ फ़ी हदायाल उम्रा : 1335; वसनदुहू ज़ईफ़; दाऊद बिन यज़ीद रावी ज़ईफ़ है।) मुस्नद अहमद में है कि हुज़ूर (ﷺ) ने एक दिन खड़े होकर ख़यानत का ज़िक्र किया और उसके बड़े-बड़े गुनाह और वबाल बयान फ़र्माकर हमें डराया। फिर जानवरों को लिए हुए क़यामत के दिन आए, हुज़ूर (ﷺ) से फ़रियादरसी की अर्ज़ करने लगे और आप (ﷺ) के इंकार कर देने का ज़िक्र किया, जो पहले बयान हो चुका है। इसमें सोने चाँदी का भी ज़िक्र है। (अहमद : 2/426; सहीह बुख़ारी, किताबुल जिहाद, बाबुल गुलूल : 3073; सहीह मुस्लिम : 1831) मुस्नद अहमद में है कि रसूले मक़बूल (ﷺ) ने फ़र्माया "ऐ लोगों! जिसे हम आमिल बनाएँ और फिर वह हमसे एक सूई या उससे भी हल्की चीज़ छुपाए तो वह ख़यानत है जिसे लेकर वह क़यामत के दिन हाज़िर होगा।" यह सुनकर एक साँवले रंग के अंसारी हज़रत सअद बिन उबादा (رضی الله عنه) खड़े हो कर कहने लगे, हुज़ूर (ﷺ)! मैं तो आमिल बनने से दस्तबरदार होता हूँ। फ़र्माया, क्यूँ? कहा आपने जो इस तरह फ़र्माया। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, "हाँ! अब भी सुनो! जिसे हम कोई काम सौंपें उसे चाहिए कि थोड़ा बहुत सब कुछ लाए जो उसे दिया जाए, वह ले ले और जिससे रोक दिया जाए रुक जाए।" (सहीह मुस्लिम, किताबुल इमारत, बाब ग़लज़ु तहरीमिल गुलूल : 1831; अहमद : 4/192; अबूदाऊद : 3581)

हज़रत अबू राफ़ेअ (رضی الله عنه) फ़र्माते हैं कि रसूले करीम (ﷺ) उमूमन नमाज़े अस्र के बाद बनू अब्दुल अशहल के यहाँ तशरीफ़ ले जाते थे और तक़रीबन मग़्रिब तक वहीं मज्लिस रहती थी। एक दिन मग़्रिब के वक़्त वहाँ से वापिस चले, वक़्त तंग था, तेज़-तेज़ चल रहे थे, बक़ीअ में आकर फ़र्माने लगे "तुफ़ है तुझे, तुफ़ है

तुझे'' मैं समझा आप मुझे फ़र्मा रहे हैं चुनाँचे मैं अपने कपड़े ठीक-ठाक करने लगा और पीछे रह गया। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ''क्या बात है।'' मैंने कहा, हुज़ूर (ﷺ)! आपके इस फ़र्मान की वजह से मैं रुक गया। आपने फ़र्माया, ''मैंने तुझे नहीं कहा, बल्कि यह क़ब्र फ़लाँ शख़्स की है उसे मैंने फ़लाँ क़बीले की तरफ़ आमिल बनाकर भेजा था, उसने एक चादर ले ली, वह चादर अब आग बनकर उसके ऊपर भड़क रही है।'' (मुस्नद अहमद : 6/392; नसाई, किताबुल इमामत, बाबुल इस्राअ इलस्सलाति मिन ग़ैरि सई : 863; वहुव हसन) हज़रत उबादा बिन सामित (رضي الله عنه) फ़र्माते हैं रसूलुल्लाह (ﷺ) माले ग़नीमत के ऊँट की पीठ के चंद बाल लेते और फ़र्माते ''मेरा भी इसमें वही हक़ हो जो तुममें से किसी एक का, ख़यानत से बचो, ख़यानत करने वाले की रुस्वाई क़यामत के दिन होगी, सूई धागे तक पहुँचा दो और उससे हक़ीर चीज़ भी, अल्लाह की राह मे नज़दीक वालों और दूर वालों से जिहाद करो, वतन में भी और सफ़र में भी। जिहाद जन्नत के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है, जिहाद की वजह से अल्लाह तआला मुश्किलात से और रंजो ग़म से नजात देता है, अल्लाह की हदें नज़दीक व दूर वालों में जारी करो, अल्लाह के बारे में किसी मलामत करने वाले की मलामत तुम्हें न रोके'' (मुस्नद अह मद : 5/330; इब्ने माजा, किताबुल हुदूद, बाब इक़ामतिल हुदूद : 2540; वहुव हसन) इस हदीस का कुछ हिस्सा इब्ने माजा में भी मरवी है। हज़रत अबू मसऊद अंसारी (رضي الله عنه) फ़र्माते हैं कि मुझे जब रसूलुल्लाह (ﷺ) ने आमिल बनाकर भेजना चाहा तो फ़र्माया, ''अबू मसऊद (رضي الله عنه)! जाओ ऐसा न हो कि मैं तुमको क़यामत के दिन इस हाल में पाऊँ कि तुम्हारी पीठ पर ऊँट हो जो आवाज़ निकाल रहा हो, जिसे तुमने ख़यानत से ले लिया हो।'' (अबूदाऊद, किताबुल ख़िराज, बाब फ़ी गुलूलिस्सदक़ति : 2947; वसनदुहू सहीह) इब्ने मर्दवे में है रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़र्माते हैं, ''अगर कोई पत्थर जहन्नम में डाला जाए तो सत्तर साल तक चला जाए लेकिन तह तक नहीं पहुँचता। ख़यानत की चीज़ को इसी तरह जहन्नम में फेंक दिया जाएगा फिर ख़यानत वाले से कहा जाएगा जा उसे ले आ।'' यही मा'नी हैं अल्लाह के इस फ़र्मान के (ومن يغلل يات بما غل يوم القيامته) (इब्ने मर्दवे वसनदुहू ज़ईफ़; हेसमी फ़ी मज्मइज़्ज़वाइद : 10/389; इसमें अहमद बिन अबान नामा'लूम रावी है।) मुस्नद अहमद में है कि ख़ेबर की जंग वाले दिन सहाबा किराम आने लगे और कहने लगे, फ़लाँ शहीद है फ़लाँ शहीद है। जब एक शख़्स की निस्बत यह कहा, तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, ''हर्गिज़ नहीं! मैंने उसे जहन्नम मे देखा है क्योंकि उसने ग़नीमत के माल की एक चादर ख़यानत कर ली थी।'' फिर आपने फ़र्माया, ''ऐ उमर बिन ख़त्ताब (رضي الله عنه)! तुम जाओ और लोगों में मुनादी कर दो कि जन्नत में सिर्फ़ ईमानदार ही जाएँगे।'' चुनाँचे मैं चला और सबमें यह निदा कर दी। यह हदीस मुस्लिम और तिर्मिज़ी में भी है। इमाम तिर्मिज़ी (रह.) इसे हसन सहीह कहते हैं। (सहीह मुस्लिम, किताबुल ईमान, बाब ग़ल्ज़ु तहरीमिल गुलूल... : 114; तिर्मिज़ी : 1574; अहमद : 1/30)

इब्ने जरीर में है कि एक दिन हज़रत उमर (رضي الله عنه) ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन उनेस (رضي الله عنه) से सदक़ात के बारे में तज़्किरा करते हुए फ़र्माया, क्या तुमने रसूलुल्लाह (ﷺ) का यह फ़र्मान नहीं सुना कि आपने सदक़ात में ख़यानत करने वाले की निस्बत फ़र्माया, ''इसमें से जो शख़्स ऊँट या बकरी ले ले वह उसे क़यामत वाले दिन उठाए हुए होगा।'' हज़रत अब्दुल्लाह (رضي الله عنه) ने फ़र्माया, ''हाँ! यह रिवायत इब्ने माजा में भी है। (इब्ने

माजा, किताबुज़्ज़कात, बाब मा जाअ फ़ी ड़म्मालिस्सदक़ति : 1810; वहुव हसन; अहमद : 3/498) मुस्नद अहमद में है कि हज़रत मुस्लिमा बिन अब्दुल मलिक (रह.) के साथ रूम की जंग में हज़रत सालिम बिन अब्दुल्लाह (रह.) भी थे, एक शख़्स के अस्बाब में कुछ ख़यानत का माल भी निकला। सरदारे लश्कर ने हज़रत सालिम (रह.) से इसके बारे में फ़त्वा पूछा तो आपने फ़र्माया, मुझसे मेरे बाप अब्दुल्लाह (ﷺ) ने और उनसे उनके बाप उमर बिन ख़त्ताब (ﷺ) ने बयान किया है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, "जिसके अस्बाब में तुम चोरी का माल पाओ उसे जला दो।" रावी कहता है मेरा ख़्याल है यह भी फ़र्माया, "उसे सज़ा दो" चुनाँचे जब उसका माल बाज़ार में निकाला तो उसमें एक क़ुरआन शरीफ़ भी था। हज़रत सालिम (रह.) से फिर उसकी बाबत पूछा गया। आपने फ़र्माया, उसे बेच दो और उसकी क़ीमत सदक़ा कर दो। (मुस्नद अहमद : 1/22; अबूदाऊद, किताबुल जिहाद, बाब फ़ी उक़ूबतिल ग़ाल : 2713; वसनदुहू ज़ईफ़; सालेह बिन मुहम्मद बिन ज़ाइद रावी ज़ईफ़ है।) इमाम अली बिन मदीनी और इमाम बुख़ारी (रह.) वग़ैरह फ़र्माते हैं, यह हदीस मुंकर है। इमाम दारे कुत्नी (रह.) फ़र्माते हैं, सहीह यह है कि यह हज़रत सालिम (रह.) का अपना फ़त्वा है। हज़रत इमाम अहमद (रह.) और उनके साथियों का क़ौल भी यही है। हज़रत हसन (रह.) भी यही कहते हैं। हज़रत अली (ﷺ) फ़र्माते हैं, इसका अस्बाब जला दिया जाए और उसे मम्लूक की हद से कम मारा जाए और उसका हिस्सा न दिया जाए। अबू हनीफ़ा, मालिक, शाफ़ई और जुम्हूर उलमा (रह.) का मज़हब इसके बरख़िलाफ़ है। यह कहते हैं, उसका अस्बाब न जलाया जाए बल्कि उसके मिस्ल उसे ता'ज़ीर या'नी सज़ा दी जाए। इमाम बुख़ारी (रह.) फ़र्माते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ख़ाइन के जनाज़े की नमाज़ से इंकार कर दिया और उसका अस्बाब नहीं जलाया, वल्लाहु आ'लम! मुस्नद अहमद में है कि क़ुरआन शरीफ़ों के जब तग़य्युर का हुक्म किया गया तो हज़रत इब्ने मसऊद (ﷺ) फ़र्माने लगे, तुममें से जिससे हो सके वह उसे छुपाकर रख ले क्योंकि जो शख़्स जिस चीज़ को छुपाकर रख लेगा उसी को लेकर क़यामत के दिन आएगा। फिर फ़र्माने लगे, मैं ने सत्तर दफ़ा रसूलुल्लाह (ﷺ) की ज़ुबानी पढ़ा है। पस क्या मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) की पढ़ाई हुई क़िरा'त को छोड़ दूँ? (अहमद वसनदुहू ज़ईफ़) इमाम वकीअ (रह.) भी अपनी तफ़्सीर में इसे लाए हैं।)

अबूदाऊद में है कि आँहज़रत (ﷺ) की आदते मुबारका थी कि जब माले ग़नीमत आता तो आप हज़रत बिलाल (ﷺ) को हुक्म देते और वह लोगों में मुनादी करते कि, "जिस जिंस के पास जो जो हो ले आए" फिर आप उसमें से पाँचवाँ हिस्सा निकाल लेते और बाक़ी को तक़्सीम कर देते। एक मर्तबा एक शख़्स उसके बाद बालों का एक गुच्छा लेकर आया और कहने लगा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मेरे पास यह रह गया था। आपने फ़र्माया, क्या तूने हज़रत बिलाल (ﷺ) की मुनादी सुनी थी जो तीन मर्तबा हुई थी।" उसने कहा, हाँ! फ़र्माया "फिर तू उस वक़्त क्यूँ न लाया?" उसने उज़्र बयान किया। आपने फ़र्माया, "अब मैं हर्गिज़ न लूँगा, तू ही इसे लेकर क़यामत के दिन आना।" (अबूदाऊद, किताबुल जिहाद, बाब फ़िल ग़ुलूल इज़ा काना युसीरा : 2712; वसनदुहू हसन)

ईमानदार और बेईमान बराबर नहीं : अल्लाह तआला फिर फ़र्माता है कि अल्लाह की शरअ पर चलकर अल्लाह तआला की रज़ामन्दी के मुस्तहिक़ होने वाले उसके सवाबों को हासिल करने वाले उसके अज़ाबों से बचने वाले और वह लोग जो अल्लाह के ग़ज़ब के मुस्तहिक़ हुए और जो मरकर जहन्नम में ठिकाना पाएँगे, क्या यह दोनों बराबर हो सकते हैं? कुरआन करीम में और जगह है कि अल्लाह की बातों को हक़ मानने वाला और उससे अंधा रहने वाला बराबर नहीं, इसी तरह फ़र्मान है कि जिनसे अल्लाह का अच्छा वा'दा हो चुका है और जो उसे पाक करने वाला है वह और दुनिया का नफ़ा हासिल करने वाला बराबर नहीं। फिर फ़र्माता है कि भलाई और बुराई वाले मुख़्तलिफ़ दर्जों पर हैं। (इब्ने अबी हातिम : 2/646; तब्री : 7/367) वह जन्नत के दर्जों में हैं और यह जहन्नम के तब्क़ों में, जैसे और जगह है (وَ لِكُلٍّ دَرَجٰتٌ مِّمَّا عَمِلُوْا) (6/अन्आम : 132) हर एक के लिए उनके आ'माल के मुताबिक़ दरजात हैं। फिर फ़र्माया, अल्लाह उनके आ'माल देख रहा और अन्क़रीब उन सबको पूरा बदला देगा न नेकी मारी जाएगी, और न बदी बढ़ाई जाएगी बल्कि अमल के मुताबिक़ ही जज़ा व सज़ा होगी।

नबी (ﷺ) बशर हैं : फिर फ़र्माता है कि मो'मिनों पर अल्लाह का बड़ा एहसान है कि उन ही की जिंस से उनमें अपना पैग़म्बर भेजा ताकि उससे बातचीत कर सकें, पूछताछ कर सकें, साथ उठ बैठ सकें और पूरी तरह नफ़ा हासिल कर सकें। जैसे और जगह है (وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا) (30/रूम : 21)

यहाँ भी यही मतलब है कि तुम्हारी जिंस से तुम्हारे जोड़ उसने पैदा किए और जगह है (قُلْ اِنَّمَآ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ) (18/कहफ़ : 110) "कह दे कि मैं तुम जैसा ही इंसान हूँ मेरी तरफ़ वह्नी की जाती है कि तुम सबका मा'बूद एक ही है।" और फ़र्मान है (وَمَآ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّآ اِنَّهُمْ لَيَاْكُلُوْنَ الطَّعَامَ) (وَيَمْشُوْنَ فِي الْاَسْوَاقِ) (25/फ़ुरक़ान : 20) या'नी "तुमसे पहले भी जितने रसूल हमने भेजे वह सब खाना खाते थे और बाज़ारों मे चलते फिरते थे।

और जगह है (وَ مَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِيْٓ اِلَيْهِمْ مِّنْ اَهْلِ الْقُرٰى) (12/यूसुफ़ : 109) या'नी "तुझसे पहले भी हमने मर्दों को ही वह्नी की थी जो बस्तियों के रहने वाले थे।" और इर्शाद है (يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَ الْاِنْسِ اَلَمْ يَاْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ) (6/अन्आम : 130) या'नी "ऐ जिन्नो और इंसानों! क्या तुम्हारे पास तुममें से ही रसूल नहीं आए थे? अल्ग़र्ज़ यह पूरा एहसान है मख़्लूक़ की तरफ़ उन ही में से रसूल भेजे गए ताकि वह पास बैठ उठकर बार-बार सवाल करके पूरी तरह दीन सीख लें। पस अल्लाह तआला फ़र्माता है वह अल्लाह की आयतें या'नी कुरआन करीम उन्हे पढ़ाता है और अच्छी बातों का हुक्म देकर और बुराईयों से रोककर उनकी जानों की पाकीज़गी करता है और शिर्क व जाहिलियत की नापाकी के अस्रात उनसे ज़ाइल करता है और उन्हें किताब और सुन्नत सिखाता है, इस रसूल (ﷺ) के आने से पहले तो यह साफ़ भटके हुए थे, ज़ाहिर बुराई और पूरी जिहालत में थे।

***

اَوَلَمَّاۤ اَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةٌ قَدْ اَصَبْتُمْ مِّثْلَيْهَا ۙ قُلْتُمْ اَنّٰى هٰذَا ؕ قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ
اَنْفُسِكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ﴿۱۶۵﴾ وَمَاۤ اَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ
فَبِاِذْنِ اللّٰهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۱۶۶﴾ وَلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ نَافَقُوْا ۖۚ وَقِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا
قَاتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوِ ادْفَعُوْا ؕ قَالُوْا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّااتَّبَعْنٰكُمْ ؕ هُمْ
لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ اَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْاِيْمَانِ ۚ يَقُوْلُوْنَ بِاَفْوَاهِهِمْ مَّا لَيْسَ فِىْ
قُلُوْبِهِمْ ؕ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُوْنَ ﴿۱۶۷﴾ اَلَّذِيْنَ قَالُوْا لِاِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوْا لَوْ
اَطَاعُوْنَا مَا قُتِلُوْا ؕ قُلْ فَادْرَءُوْا عَنْ اَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿۱۶۸﴾

क्या जब कभी तुम को कोई तकलीफ़ पहुँचे कि तुम उस जैसी दो चन्द पहुंचा चुके हो तो कहते हो कि ये कहां से आ गई? कह दे कि ये ख़ुद तुम्हारी तरफ़ से है। बेशक अल्लाह हर एक चीज़ पर क़ादिर है। (165) और तुम को जो कुछ उस दिन पहुंचा जिस दिन दो जमाअतों में मुठभेड़ हो गई थी वो सब अल्लाह के हुक्म से था और इसलिए अल्लाह तआला ईमान वालों को जान ले।(166) और मुनाफ़िकों को भी मालूम कर ले। जिनसे कहा गया कि आओ राहे इलाही में जिहाद करो या काफ़िरों को हटाओ तो वो कहने लगे कि अगर हम लड़ाई जानते तो ज़रूर तुम्हारा साथ देते। वो उस दिन बनिसबत ईमान के कुफ्र के बहुत क़रीब थे अपने मुंह से वो बातें बनाते हैं जो उनके दिलों में नहीं और अल्लाह तआला बख़ुबी जानता है जिसे वो छुपाते हैं। (167) ये वो लोग हैं जो ख़ुद भी बैठे रहे और अपने भाईयों की बाबत कहा कि अगर वो भी हमारी बात मान लेते तो क़त्ल ना किये जाते। कहो कि अगर तुम सच्चे हो तो अपनी जानों से मौत को हटा दो। (168)

जंगे उहुद के बक़िया वाक़ियात (आयत 165-168) : यहाँ जिस मुसीबत का बयान हो रहा है यह उहुद

की मुसीबत है जिसमें सत्तर सहाबा (رضي الله عنهم) शहीद हुए थे और उससे दोगुनी मुसीबत मुसलमानों ने काफ़िरों को पहुँचाई थी या'नी बद्र वाले दिन सत्तर काफ़िर क़त्ल किए गए थे और सत्तर क़ैद किए गए थे तो मुसलमान कहने लगे कि यह मुसीबत कैसे आ गई? अल्लाह तआ़ला फ़र्माता है यह तुम्हारी अपनी त़रफ़ से है। ह़ज़रत उ़मर बिन ख़त़्ताब (رضي الله عنه) का बयान है कि बद्र के दिन मुसलमानों ने फ़िदया लेकर जिन कुफ़्फ़ार को छोड़ दिया था उसकी सज़ा में अगले साल उनमें से सत्तर मुसलमान शहीद किए गए और सहाबा (رضي الله عنهم) में भगदड़ मच गई। हुज़ूर (ﷺ) रिसालते मआब (ﷺ) के सामने के चार दाँत टूट गए। आपके सर मुबारक पर ख़ूद था वह भी टूटा और चेहरा मुबारक लहूलुहान हो गया। उसका बयान इस आयते मुबारका में हो रहा है (इब्ने अबी ह़ातिम व मुस्नद अह़मद बिन ह़ंबल) (अह़मद : 1/30, 31; वसनदुहू ह़सन) ह़ज़रत अ़ली (رضي الله عنه) से मरवी है कि जिब्राईल (عليه السلام) रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास आए और फ़र्माया, मुह़म्मद (ﷺ) आपकी क़ौम का कुफ़्फ़ार को क़ैदी बनाकर पकड़ लेना, अल्लाह को पसंद न आया, अब उन्हें दो बातों में से एक के इख़्तियार कर लेने का हुक्म दीजिए या तो यह कि उन क़ैदियों को मार डालें या यह कि उनसे फ़िदया वसूल करके छोड़ दें, मगर फिर उन मुसलमानों में से इतनी ही ता'दाद शहीद होगी। हुज़ूर (ﷺ) ने लोगों को जमा करके दोनों बातें पेश कीं। तो उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! यह लोग हमारे क़बाइल के हैं, हमारे रिश्तेदार भाई हैं हम क्यूँ उनसे फ़िदया लेकर न छोड़ दें? और इस माल से हम त़ाक़त कुव्वत ह़ासिल करके अपने दूसरे दुश्मनों से जंग करेंगे और फिर जो हममें से इतने ही आदमी शहीद होंगे तो उसमें हमारी क्या बुराई है? चुनाँचे जुर्माना वसूल करके सत्तर क़ैदियों को छोड़ दिया और ठीक सत्तर ही की ता'दाद मुसलमानों की उसके बाद के ग़ज़्वा उहुद में शहीद हुई। (तिर्मिज़ी, किताबुस्सियर, बाब मा जाअ फ़ी क़त्लिल असारिय्यि वल फ़िदाअ : 1567; वसनदुहू ज़ईफ़; हिशाम बिन ह़स्सान मुदल्लिस व अ़न्अ़न) पस एक मत़लब तो यह हुआ कि यह ख़ुद तुम्हारी त़रफ़ से है या'नी तुमने बद्र के क़ैदियों को ज़िन्दा छोड़ना और उनसे जुर्मान-ए-जंग वसूल करना उस शर्त़ पर मंज़ूर किया था कि तुम्हारे भी इतने ही आदमी शहीद हों तो वह शहीद हुए। दूसरा मत़लब यह है कि तुमने रसूलुल्लाह (ﷺ) की नाफ़र्मानी की थी, इस बाइ़स तुमको यह नुक़्सान पहुँचा। तीरअंदाज़ों को रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हुक्म दिया था कि वह अपनी जगह से न हटें लेकिन वह हट गए। अल्लाह तआ़ला हर चीज़ पर क़ादिर है जो चाहे करे जो इरादा हो हुक्म दे कोई नहीं जो उसका हुक्म टाल सके।

दोनों जमाअ़तों की मुठभेड़ के दिन जो नुक़्सान तुमको पहुँचा कि तुम दुश्मनों के मुक़ाबला से भाग खड़े हुए। तुममें से कुछ लोग शहीद भी हुए और ज़ख़्मी भी हुए, यह सब अल्लाह की त़रफ़ क़ज़ा व क़द्र से था, उसकी ह़िक्मत उसकी मुक़्तज़ा थी, उसका एक सबब यह भी था कि उसके साथी कि रास्ते में से वापिस लौट आए। एक मुसलमान ने उन्हें समझाया भी कि आओ, राहे अल्लाह में जिहाद करो या, कम अज़्कम इन चढ़ आने वालों को तो हटाओ लेकिन उन्होंने टाल दिया कि हम तो फ़ुनूने जंग से बेख़बर हैं, अगर जानते होते तो ज़रूर तुम्हारी पैरवी करते। यह भी मुदाफ़िअ़त में था कि वह मुसलमानों के साथ तो रहते जिससे मुसलमानों की गिनती ज़्यादा मा'लूम होती या दुआएँ करते रहते या तैयारियाँ ही करते। उनके जवाब का एक मत़लब यह भी बयान किया गया है कि अगर हमें मा'लूम होता कि तुम सचमुच दुश्मनों से लड़ोगे तो हम भी तुम्हारा साथ

देते लेकिन हम जानते हैं कि लड़ाई होने की ही नहीं। सीरते मुहम्मद बिन इस्हाक़ में है कि एक हज़ार आदमी लेकर रसूलुल्लाह (ﷺ) उहुद की जानिब बढ़े आधे रास्ते में अ़ब्दुल्लाह बिन उबय बिन सलूल बिगड़ बैठा और कहने लगा औरों की मान ली और मदीना से निकल खड़े हुए और मेरी न मानी अल्लाह की क़सम! हमें नहीं मा'लूम कि हम किस फ़ायदा को मद्देनज़र रखकर अपनी जानें दें? लोगों क्यूँ जानें खो रहे हो। जिस क़द्र निफ़ाक़ और शक व शुब्हा वाले लोग थे, उसकी आवाज़ पर लग गए और तिहाई लश्कर लेकर यह पलीद वापिस लौट गया। हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र बिन हराम बनू सलमा के भाई हर चंद उन्हें समझाते रहे कि ऐ मेरी क़ौम! अपने नबी को अपनी क़ौम को रुस्वा न करो, उन्हें दुश्मनों के सामने छोड़कर पीठ न फेरो लेकिन उन्होंने बहाना बना दिया कि हमें मा'लूम है कि लड़ाई होने की ही नहीं। जब यह बेचारे आजिज़ आ गए तो फ़र्माने लगे जाओ तुम्हें अल्लाह ग़ारत करे, अल्लाह के दुश्मनों ! तुम्हारी कोई हाजत नहीं अल्लाह अपने नबी (ﷺ) का मददगार है। चुनाँचे हुज़ूर (ﷺ) भी उन्हें छोड़कर आगे बढ़ गए। (सीरत लि इब्ने हिशाम : 3/52; मुअ़ज़लन; त़ब्री : 8191; यह रिवायत ज़ईफ़ है।)

जनाब बारी इर्शाद फ़र्माता है कि वह उस दिन बनिस्बत ईमान के कुफ़्र से बहुत ही नज़दीक थे। इससे मा'लूम होता है कि इंसान के अहवाल मुख़्तलिफ़ हैं कभी वह कुफ़्र से क़रीब हो जाता है और कभी ईमान के नज़दीक हो जाता है। फिर फ़र्माया, यह अपने मुँह से वह बातें बनाते हैं जो उनके दिल में नहीं जैसे उनका यही क़ौल कि अगर हम जंग जानते तो ज़रूर तुम्हारा साथ देते। हालाँकि उन्हें यक़ीनन मा'लूम है कि मुश्रिकीन दूरदराज़ से चढ़ाई करके मुसलमानों को नेस्तो-नाबूद कर देने की ठानकर आ गए हैं वह बड़े जले कटे हुए हैं क्योंकि उनके सरदार बद्र वाले दिन मैदान में रह गए थे और उनके अशराफ़ क़त्ल कर दिए गए थे तो अब उन ज़ईफ़ मुसलमानों पर टूट पड़े और यक़ीनन जंगे अ़ज़ीम बरपा होने वाली है। पस जनाब बारी तआ़ला फ़र्माता है उनके दिलों की छुपी हुई बातों का मुझे बख़ूबी इल्म है, यह वह लोग हैं जो अपने भाईयों के बारे में कहते हैं अगर यह हमारा मश्वरा मानते यहीं बैठे रहते और जंग में शिर्कत न करते तो हर्गिज़ न मारे जाते। उसके जवाब मे जनाब बारी जल्ल व अ़ला का इर्शाद होता है कि अगर यह ठीक है और तुम अपनी इस बात पर सच्चे होकर बैठ रहने और मैदाने जंग में न निकलने से इंसान क़त्ल व मौत से बच जाता है तो चाहिए कि तुम तो मर्द ही नहीं इसलिए कि तुम तो घरों में ही बैठे हो। लेकिन ज़ाहिर है कि एक दिन तुम भी चल पड़ोगे गो तुम मज़बूत बुर्जों में पनाह गुंज़ी हो जाओ पस हम तो तुमको तब सच्चा मानें कि तुम मौत को अपनी जानों से टाल दो। हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (رضي الله عنه) फ़र्माते हैं यह आयत अ़ब्दुल्लाह बिन उबय बिन सलूल और उसके साथियों के बारे में उतरी है। (त़ब्री : 7/383)

***

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا ؕ بَلْ اَحْيَآءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ
يُرْزَقُوْنَ ﴿١٦٩﴾ فَرِحِيْنَ بِمَآ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۙ وَيَسْتَبْشِرُوْنَ بِالَّذِيْنَ لَمْ
يَلْحَقُوْا بِهِمْ مِّنْ خَلْفِهِمْ ۙ اَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿١٧٠﴾ يَسْتَبْشِرُوْنَ
بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٧١﴾ اَلَّذِيْنَ
اسْتَجَابُوْا لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ مِنْۢ بَعْدِ مَآ اَصَابَهُمُ الْقَرْحُ ؕ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا مِنْهُمْ
وَاتَّقَوْا اَجْرٌ عَظِيْمٌ ﴿١٧٢﴾ اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ
فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا ۖ وَّقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ ﴿١٧٣﴾ فَانْقَلَبُوْا
بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوْٓءٌ ۙ وَّاتَّبَعُوْا رِضْوَانَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ ذُوْ
فَضْلٍ عَظِيْمٍ ﴿١٧٤﴾ اِنَّمَا ذٰلِكُمُ الشَّيْطٰنُ يُخَوِّفُ اَوْلِيَآءَهٗ ۪ فَلَا تَخَافُوْهُمْ وَخَافُوْنِ
اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٧٥﴾

तर्जुमा : ''जो लोग अल्लाह की राह में शहीद किए गए हैं उनको हर्गिज़ मुर्दा न समझ, बल्कि ज़िन्दा हैं अपने रब के पास रोज़ियाँ दिए जाते हैं। (169) अल्लाह तआला ने अपना फ़ज़्ल जो उन्हें दे रखा है उससे बहुत ख़ुश हैं और ख़ुशियाँ मना रहे हैं और उन लोगों की जो अब तक उनसे नहीं मिले उनके पीछे हैं, यूँ कि उन पर न कोई ख़ौफ़ है और न वह ग़मगीन होंगे। (170) वह ख़ुश वक़्त हैं अल्लाह की ने'मत और फ़ज़्ल से और उससे भी कि अल्लाह तआला ईमानवालों के अज्र बर्बाद नहीं करता। (171) जिन लोगों ने अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म को क़बूल किया उसके बाद कि उन्हें पूरे ज़ख़्म लग चुके थे। उनमें से जिन्होंने नेकी की और परहेज़गारी बरती उनके लिए बड़ा भारी अज्र है। (172) वह

लोग कि जब उनसे लोगों ने कहा कि काफ़िरों ने तुम्हारे मुक़ाबला पर लश्कर जमा कर लिए हैं तुम उनसे ख़ौफ़ खाओ। तो इस बात ने उन्हें ईमान में और बढ़ा दिया और कहने लगे, हमें अल्लाह काफ़ी है और वह बहुत अच्छा कारसाज़ है। (173) नतीजा यह हुआ कि अल्लाह की ने'मत व फ़ज़्ल के साथ यह लौटे। उन्हें कोई बुराई न पहुँची उन्होंने अल्लाह की रज़ामन्दी की पैरवी की। अल्लाह बहुत बड़े फ़ज़्ल वाला है। (174) यह ख़बर देने वाला सिर्फ़ शैतान ही है जो अपने दोस्तों को डराता है। तुम इन काफ़िरों से न डरो और मेरा डर रखो, अगर तुम मो'मिन हो।'' (175)

शहादत की फ़ज़ीलत (आयत 169-175) : अल्लाह तआला फ़र्माता है कि गो शहीद फ़ी सबीलिल्लाह दुनिया में मार डाले जाते हैं लेकिन आख़िरत में उनकी रूहें ज़िन्दा रहती हैं और रोज़ियाँ पाती हैं। इस आयत का शाने नुज़ूल यह है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने चालीस या सत्तर सहाबियों को बी'रे मऊना की तरफ़ भेजा था। यह जमाअत जब उस ग़ार तक पहुँची जो उस कुएँ के ऊपर थी तो उन्होंने वहाँ पड़ाव किया और आपस में कहने लगे कौन है जो अपनी जान को ख़तरा में डालकर अल्लाह के रसूल (ﷺ) का कलिमा उन तक पहुँचाए। एक सहाबी (رضی الله عنه) उसके लिए तैयार हुए और उन लोगों के घरों के पास आकर बाआवाज़े बुलंद फ़र्माया, ऐ बी'रे मऊना वालो! सुनो! मैं अल्लाह के रसूल (ﷺ) का क़ासिद हूँ, मेरी गवाही है कि मा'बूद सिर्फ़ अल्लाह तआला ही है और मुहम्मद (ﷺ) उसके बन्दे और उसके रसूल हैं। यह सुनते ही एक काफ़िर अपना तीर संभाले हुए अपने घर से निकला और इस तरह ताककर लगाया कि इधर की पसली से उधर की पसली मे आर पार निकल गया। उस सहाबी की जुबान से बेसाख़्ता निकला (فزت ورب الكعبة) कअ़बा के रब की क़सम! मैं मुराद को पहुँच गया। अब कुफ़्फ़ार निशानात टटोलते हुए उस ग़ार पर जा पहुँचे और आमिर बिन तुफ़ेल ने जो उनका सरदार था उन सब मुसलमानों को शहीद कर दिया। हज़रत अनस (رضی الله عنه) फ़र्माते हैं, उनके बारे मे कुरआन उतरा कि हमारी जानिब से हमारी क़ौम को यह ख़बर पहुँचा दो कि हम अपने रब से मिले, वह हमसे राज़ी हो गया और हम उससे राज़ी हो गए। हम इन आयात को बराबर पढ़ते रहे, फिर एक मुद्दत के बाद यह मंसूख़ होकर उठा ली गईं और आयत (وَ لَا تَحْسَبَنَّ) उतरी। (मुहम्मद बिन जरीर) (तब्री : 8224; वसनदुहू हसन; आयत की तंसीख़ रिवायत सहीह बुख़ारी : 4095; सहीह मुस्लिम : 6775 में भी मौजूद है।) सहीह मुस्लिम शरीफ़ में है हज़रत मसरूक़ (रह.) फ़र्माते हैं हमने हज़रत अब्दुल्लाह (رضی الله عنه) से इस आयत का मतलब पूछा तो हज़रत अब्दुल्लाह (رضی الله عنه) ने फ़र्माया, हमने रसूलुल्लाह (ﷺ) से इस आयत का मतलब पूछा था तो आपने फ़र्माया, ''उनकी रूहें सब्ज़ रंग परिन्दों के दिलों में है। अर्श की क़िंदीलें उनके लिए हैं सारी जन्नत में जहाँ कहीं चाहें चरें चुगें और क़िंदीलों में आराम करें। उनकी तरफ़ उनके रब ने एक मर्तबा नज़र की और पूछा, कुछ चाहते हो? कहने लगे, ऐ अल्लाह और क्या मांगें, सारी जन्नत में से जहाँ कहीं से चाहें खाएँ पीएँ, इख़्तियार है। फिर क्या तलब करें? अल्लाह तआला ने उनसे फिर यही पूछा। तीसरी मर्तबा फिर यही सवाल किया जब उन्होंने देखा कि बग़ैर कुछ मांगे चारा ही नहीं तो कहने लगे, ऐ रब! हम चाहते हैं कि तू हमारी रूहों को जिस्मों की तरफ़ लौटा दे, फिर हम दुनिया में जाकर तेरी राह में जिहाद करें और मारे जाएँ। अब मा'लूम हो गया कि उन्हें किसी और चीज़ की हाजत नहीं तो उनसे पूछना छोड़ दिया कि क्या चाहते हैं।'' (सहीह मुस्लिम, किताबुल इमारत, बाब बयान अन अरवाहिश्शुहदाअ फ़िल जन्नति : 1887)

रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़र्माते हैं, "जो लोग मर जाएँ और अल्लाह के यहाँ बेहतरी पाएँ वह हर्गिज़ दुनिया में आना पसंद नहीं करते मगर शहीद कि वह तमन्ना करता है कि दुनिया में दोबारा लौटाया जाए और दोबारा राहे अल्लाह में शहीद हो क्योंकि शहादत के दरजात को वह देख रहा है।" (मुस्नद अह्मद : 3/126; सहीह बुख़ारी, किताबुल जिहाद, बाब तमन्नल मुजाहिद अय्यंरजिअ इलद्दुनिया : 2817; सहीह मुस्लिम : 1877) मुस्नद अह्मद में है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (رضی اللہ عنہ) से फ़र्माया, "ऐ जाबिर! तुमको मा'लूम भी है कि अल्लाह ने तुम्हारे वालिद को ज़िन्दा किया और उनसे कहा, ऐ मेरे बन्दे! मांग क्या मांगता है? तो कहा, ऐ अल्लाह! दुनिया में फिर भेज ताकि मैं दोबारा तेरी राह में मारा जाऊँ। अल्लाह तआ़ला ने फ़र्माया, यह तो मैं फ़ैसला कर चुका हूँ कि कोई यहाँ से दोबारा लौटाया नहीं जाएगा।" (अह्मद : 3/361; वसनदुहू ज़ईफ़; मुस्नद हुमैदी : 1265; मुस्नद अबू यअ़ला : 2002) उनका नाम हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र बिन हिज़ाम अंसारी था, अल्लाह उनसे राज़ी हो। सहीह बुख़ारी शरीफ़ में है कि हज़रत जाबिर (رضی اللہ عنہ) फ़र्माते हैं मेरे बाप की शहादत के बाद मैं रोने लगा और अब्बा के चेहरे से कपड़ा हटा-हटाकर बार-बार उनके चेहरा को देख रहा था। सहाबा (رضی اللہ عنہم) मुझे मना करते थे लेकिन आँहज़रत (ﷺ) ख़ामोश थे। फिर हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, जाबिर रो मत! "जब तक तेरे वालिद को उठाया नहीं गया, फ़रिश्ते अपने परों से उस पर साया किए हुए रहे। (सहीह बुख़ारी, किताबुल मग़ाज़ी, बाब मन क़ुति ल मिनल मुस्लिमीन यौम उहुद : 4081; ता'लीक़न जबकि 1244 में मौसूलन भी मौजूद है; सहीह मुस्लिम : 2471) मुस्नद अह्मद में है कि हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, "जब तुम्हारे भाई उहुद वाले दिन शहीद किए गए तो अल्लाह तबारक व तआ़ला ने उनकी रूहें सब्ज़ परिन्दों के दिलों में डाल दीं जो जन्नती दरख़्तों के फल खाएँ और जन्नती नहरों का पानी पिएँ और अ़र्श के साये तले वहाँ लटकती हुई क़िंदीलों में आराम व राहत हासिल करें। जब खाने पीने रहने सहने की यह बेहतरीन ने'मतें उन्हें मिलीं तो कहने लगे, काश! कि हमारे भाईयों को जो दुनिया में हैं हमारी इन ने'मतों की ख़बर मिल जाती ताकि वह जिहाद से चेहरा न फेरें और राहे-अल्लाह की लड़ाईयों से थककर न बैठ रहें, अल्लाह तआ़ला ने उनसे फ़र्माया, तुम बेफ़िक्र रहो मैं यह ख़बर उन तक पहुँचा देता हूँ। चुनाँचे यह आयतें नाज़िल फ़र्माईं।" (अह्मद : 1/265, 266; अबूदाऊद, किताबुल जिहाद, बाब फ़ी फ़ज़्लिश्शहादति : 2520; वहुव हसन)

हज़रत इब्ने अ़ब्बास (رضی اللہ عنہ) से यह भी मरवी है कि हज़रत हम्ज़ा (رضی اللہ عنہ) और आपके साथियों के बारे में यह आयतें उतरीं। (मुस्तदरक हाकिम) यह भी मुफ़स्सिरीन ने फ़र्माया है कि उहुद के शहीदों के बारे में यह आयतें नाज़िल हुईं। (हाकिम : 2/387; वसनदुहू ज़ईफ़; तब्री : 7/389) अबूबक्र इब्ने मर्दवे में हज़रत जाबिर (رضی اللہ عنہ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझे देखा और फ़र्माने लगे, जाबिर क्या बात है कि तुम मुझे ग़मगीन नज़र आते हो? मैंने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ) मेरे वालिद शहीद हो गए जिन पर बारे क़र्ज़ बहुत है और मेरे छोटे-छोटे भाई बहिन बहुत हैं। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, "सुन! मैं तुझे बताऊँ, जिस किसी से अल्लाह ने कलाम किया पर्दे के पीछे से कलाम किया, लेकिन तेरे बाप से आमने सामने बातचीत की, फ़र्माया मुझसे मांग, जो मांगेगा दूँगा। तेरे बाप ने कहा, ऐ अल्लाह! मैं तुझसे यह माँगता हूँ कि तू मुझे दुनिया में दोबारा भेजे और मैं तेरी राह में शहीद हो जाऊँ। अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ला ने फ़र्माया, यह बात तो मैं पहले ही मुक़र्रर कर चुका हूँ कि कोई भी लौटकर दोबारा दुनिया में नहीं जाएगा, कहने लगा, फिर अल्लाह मेरे बाद वालों को इन मरातिब की ख़बर पहुँचा दी जाए, चुनाँचे अल्लाह तआ़ला ने आयत (وَ لَا تَحْسَبَنَّ) अल्ख़ नाज़िल

फ़र्माया।'' (तिर्मिज़ी, किताब तफ़्सीरुल कुरआन, बाब वमिन सूरति आले इमरान : 3010; वसनदुहू हसन; इब्ने माजा : 190, 2800) बैहक़ी में इतना और ज़्यादा है कि हज़रत अब्दुल्लाह (رضي الله عنه) ने फ़र्माया, मैं तो ऐ अल्लाह! तेरी इबादत का हक़ भी अदा नहीं कर सका। (हाकिम : 3/203; वसनदुहू मौज़ूअ; दलाइलुन् नबुव्वत लिल्बैहक़ी : 3/298) मुस्नद अहमद में है शहीद लोग जन्नत में दरवाज़े पर नहर के किनारे गुम्बदे सब्ज़ में हैं, सुबह व शाम उन्हें जन्नत की ने'मतें पहुँच जाती हैं। (अहमद : 1/266; वसनदुहू ज़ईफ़) दोनों अहादीस में तत्बीक़ यह है कि कुछ शुहदा वह हैं जिनकी रूहें परिन्दों के दिलों में हैं और कुछ वह हैं जिनका ठिकाना यह गुम्बद है। और यह भी हो सकता है कि वह जन्नत में से फिरते फिराते यहाँ जमा होते हों और फिर यह खाने यहीं खिलाए जाते हों, वल्लाहु आ'लम! यहाँ पर वह हदीस भी वारिद करना बिलकुल बरमहल होगा जिसमें हर मो'मिन के लिए यही बशारत है। चुनाँचे मुस्नद अहमद में है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, ''मो'मिन की रूह एक परिन्द है जो जन्नत के दरख़्तों के फल खाती फिरती है यहाँ तक कि क़यामत के दिन जबकि अल्लाह तआला सबको खड़ा करे तो उसे भी उसके जिस्म की तरफ़ लौटा देगा।'' (अहमद : 3/455; नसाई : 2075; इब्ने माजा : 4271; वहुव सहीह) इस हदीस के रावियों में तीन जलीलुल क़द्र इमाम हैं जो उन चार इमामों में से हैं जिनके मज़ाहिब माने जा रहे हैं। एक तो इमाम अहमद बिन हंबल (रह.) आपने इस हदीस को रिवायत किया, इमाम मुहम्मद बिन इदरीस शाफ़ई (रह.) से, उनके उस्ताद हैं, हज़रत इमाम मालिक बिन अनस अस्बही (रह.) पस इमाम अहमद, इमाम शाफ़ई, इमाम मालिक (रह.) तीनों ज़बरदस्त पेशवा इस हदीस के रावी हैं। पस इस हदीस से साबित हुआ कि ईमानदार की रूह जन्नती परिन्द की शक्ल में जन्नत में रहती है और शहीदों की रूहें जैसे कि पहले गुज़र चुका, सब्ज़ रंग के परिन्दों के दिलों में रहती हैं। यह रूहें मिस्ल सितारों के हैं जो आम मो'मिनीन की रूहों को यह मर्तबा हासिल नहीं, यह अपने तौर पर आप ही उड़ती हैं। अल्लाह तआला से जो बहुत बड़ा मेहरबान और ज़बरदस्त एहसानों वाला है, हमारी दुआ है कि वह हमें अपने फ़ज़्लो करम से ईमान व इस्लाम पर मौत दे, आमीन।

फिर फ़र्माया कि यह शहीद जिन जिन ने'मतों और आसाइशों में हैं उनसे बेहद मसरूर और बहुत ही ख़ुश हैं और उन्हें यह भी ख़ुशी और राहत है कि उनके भाईबन्द जो उनके बाद राहे अल्लाह में शहीद होंगे, और उनके पास आयेंगे, उन्हें आइन्दा का कुछ डर न होगा और अपने पीछे छोड़ी हुई चीज़ों पर उन्हें हसरत भी न होगी, अल्लाह तआला हमें भी जन्नत नसीब करे। मुहम्मद बिन इस्हाक़ (रह.) फ़र्माते हैं, मतलब यह है कि वह ख़ुश हैं कि उनके और भाईबंद भी जो जिहाद में लगे हुए हैं वह भी शहीद होकर उनकी ने'मतों में उनके शरीके हाल होंगे और अल्लाह तआला के सवाब से फ़ायदा उठाएँगे। हज़रत सुदी (रह.) फ़र्माते हैं शहीद को एक किताब दी जाती है कि फ़लाँ दिन तेरे पास फ़लाँ आएगा पस जिस तरह दुनिया वाले अपने किसी ग़ैर हाज़िर के आने की ख़बर सुनकर ख़ुश होते हैं उसी तरह यह शुहदा उन शहीदों की आने की ख़बर सुनकर मसरूर होते हैं। हज़रत सईद बिन जुबेर (رضي الله عنه) फ़र्माते हैं, मतलब यह है कि जब शहीद जन्नत में गए औरवहाँ अपनी मंज़िलें और रहमतें ओर राहतें देखी तो कहने लगे, काश कि इसका इल्म हमारे उन भाईयों को भी होता जो अब तक दुनिया में ही हैं ताकि वह जवाँ मर्दी से जान तोड़कर जिहाद करते और उन जगहों में जा घुसते जहाँ से ज़िन्दा वापिस आने की उम्मीद न होती, तो वह भी हमारी उन ने'मतों में हिस्सेदार बनते। पस नबी (ﷺ) ने उन लोगों को उनके इस हाल की ख़बर पहुँचा दी और अल्लाह ने उनसे कह दिया कि मैंने तुम्हारी ख़बर तुम्हारे नबी को दे

दी है, उससे वह बहुत ही मसरूर व महफ़ूज़ हुए। बुख़ारी व मुस्लिम में बी'रे मऊना वालों का क़िस्सा बयान हो चुका है जो सत्तर अश्ख़ास अंसारी सहाबी थे और एक ही दिन सुबह के वक़्त सबको बेदर्दी से कुफ़्फ़ार ने तहे तेग़ किया था जिनके क़ातिलों के हक़ में एक माह तक नमाज़ के कुनूत में रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बद्दुआ की थी और जिन पर ला'नत भेजी थी जिनके बारे में कुरआन की यह आयत उतरी थी कि हमारी क़ौम को हमारी ख़बर पहुँचाओ कि हम अपने रब से मिले, वह हमसे राज़ी हुआ और हम उससे राज़ी हुए। (सहीह बुख़ारी, किताबुल मग़ाज़ी, बाब ग़ज़्वते रजीअ ...: 4090; सहीह मुस्लिम : 677) वह अल्लाह की ने'मत व फ़ज़्ल को देख-देखकर मसरूर हैं। हज़रत अब्दुर्रहमान (رضی اللہ عنہ) फ़र्माते हैं कि आयत (يَسْتَبْشِرُوْنَ) तमाम ईमानदारों के हक़ में है ख़्वाह शहीद हों ख़्वाह ग़ैर शहीद। बहुत कम ऐसे मौक़ा हैं कि अल्लाह तआला अपने नबियों की फ़ज़ीलत और उनके सवाबों का ज़िक्र करे और उसके बाद मो'मिनों के सवाबों का ज़िक्र न हो।

फिर उन सच्चे मो'मिनीन का बयान ता'रीफ़ से हो रहा है। जिन्होंने हम्राउल असद वाले दिन हुक्मे रसूलुल्लाह (ﷺ) पर बावजूद ज़ख़्मों से चूर होने के जिहाद पर कमर कस ली थी। मुश्रिकीन ने मुसलमानों को मुसीबतें पहुँचाई और वह अपने घरों की तरफ़ वापिस चल दिए लेकिन फिर उन्हें इसका ख़्याल आया कि मौक़ा अच्छा था मुसलमान हार चुके थे, ज़ख़्मी हो गए थे उनके बहादुर शहीद हो चुके थे अगर हम और जमकर लड़ते तो फ़ैसला ही हो जाता। नबी (ﷺ) उनका यह इरादा मा'लूम करके मुसलमानों को तैयार करने लगे कि "मेरे साथ चलो हम उन मुश्रिकीन के पीछे जाएँ ताकि उन पर रो'ब तारी हो और यह जान लें कि मुसलमान अभी नाताक़त नहीं हुए। "उहुद में जो लोग मौजूद थे सिर्फ़ उन ही को साथ चलने का हुक्म मिला, हाँ! सिर्फ़ हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (رضی اللہ عنہ) को उनके अलावा भी साथ लिया। उस आवाज़ पर भी मुसलमानों ने लब्बेक कही, बावजूद यह कि ज़ख़्मों में चूर और ख़ून में शराबोर थे लेकिन अल्लाह तआला और उसके रसूल (ﷺ) की इताअत के लिए कमरबस्ता हो गए। हज़रत इक्रमा (रह.) का बयान है कि जब मुश्रिकीन उहुद से लौटे तो रास्ते में सोचने लगे कि न तो तुमने मुहम्मद (ﷺ) को क़त्ल किया, न मुसलमानों की औरतों को पकड़ा, अफ़सोस! तुमने कुछ न किया वापिस लौटो। जब यह ख़बर हुज़ूर (ﷺ) को पहुँची तो आपने मुसलमानों को तैयारी का हुक्म दिया, यह तैयार हो गए और मुश्रिकीन के पीछा में निकल खड़े हुए, यहाँ तक कि हम्राउल असद तक या बी'रे अबी उयेयना तक पहुँच गए। मुश्रिकीन के दिल डर व ख़ौफ़ से भर गए और यह कहकर मक्का की तरफ़ चल दिये कि अच्छा अगले साल देखा जाएगा। हुज़ूर (ﷺ) भी वापिस मदीना तशरीफ़ लाए, यह भी बिल इस्तिक़्लाल एक अलग लड़ाई गिनी जाती है, इसी का ज़िक्र इस आयत में है। (सुननुल कुब्रा लिन्नसाई : 11083; तबरानी फ़िल्कबीर : 11632; वसनदुहू ज़ईफ़) उहुद की लड़ाई पन्द्रह शव्वाल बरोज़ हफ़्ता हुई थी, सौलहवी तारीख़ बरोज़ इतवार मुनादिये रसूल (ﷺ) ने निदा दी कि लोगों! दुश्मन की तलब मे चलो और वही लोग चलें जो कल मैदान में थे। उस आवाज़ पर हज़रत जाबिर (رضی اللہ عنہ) हाज़िर हुए और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! कल की लड़ाई मे मैं न था, इसलिए कि मेरे वालिद हज़रत अब्दुल्लाह (رضی اللہ عنہ) ने मुझसे कहा कि बेटे! तुम्हारे साथ यह छोटी-छोटी बहनें हैं, इसे तो न मैं पसंद करूँ न तू कि इन्हें यहाँ तंहा छोड़कर मैं और तुम दोनों ही चल दे, एक जाएगा और एक यहाँ रहेगा, मुझसे यह नहीं हो सकता कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के हमरकाब तुम जाओ और मैं बैठा रहूँ इसलिए मेरी ख़ुशी है कि तुम अपनी बहनों के पास रहो और मैं जाता हूँ, इस वजह से मैं वहाँ रहा और मेरे वालिद आप (ﷺ) के साथ

आए, अब मेरी ऐ'न तमन्ना है कि आज मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं आपके साथ चलूँ। चुनाँचे आप (ﷺ) ने इजाज़त दी।

हुज़ूर (ﷺ) का यह सफ़र इस ग़र्ज़ से था कि दुश्मन दहल जाए और पीछे आता हुआ देखकर समझ ले कि उनमें बहुत कुव्वत है और हमारे मुक़ाबला से यह आजिज़ नहीं, क़बीला बनू अब्दुल अशहल के एक सहाबी का बयान है कि ग़ज़्वा उहुद में हम दोनों भाई शामिल थे और सख़्त ज़ख़्मी होकर हम वापिस लौटे थे, जब अल्लाह तआला के रसूल (ﷺ) के मुनादी ने दुश्मन के पीछे जाने की निदा दी तो हम दोनों भाईयों ने आपस में कहा कि अफ़सोस! न हमारे पास सवारी है कि उस पर सवार होकर अल्लाह के नबी (ﷺ) के साथ जाएँ, न ज़ख़्मों के मारे जिस्म में इतनी ताक़त है कि पैदल साथ हो लें, अफ़सोस! कि यह ग़ज़्वा हमारे हाथ से निकल जाएगा, हमारे बेशुमार गहरे ज़ख़्म हमें आज के जाने से रोक देंगे लेकिन फिर हमने हिम्मत बाँधी। मुझे अपने भाई की निस्बत ज़रा हल्के ज़ख़्म थे जब मेरे भाई बिलकुल आजिज़ आ जाते क़दम न उठता तो मैं उन्हें ज्यों-त्यों करके उठा लेता जब थक जाता उतार देता, यूँ ही ज्यों-त्यों कर हम लश्करगाह तक पहुँच गए (सीरत इब्ने इस्हाक़) (तब्री : 8233; दलाइलुन्नबुव्वत लिल्बैहक़ी : 3/314; वसनदुहू ज़ईफ़) सहीह बुख़ारी शरीफ़ में है कि हज़रत आईशा सिद्दीक़ा (رضی اللہ عنہا) ने हज़रत उर्वा (रह.) से कहा, ऐ भांजे! तेरे दोनों बाप उन्हीं लोगों में से हैं जिनके बारे में (اَلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا) अल्ख़ आयत उतरी है या'नी हज़रत ज़ुबेर और हज़रत सिद्दीक़ (رضی اللہ عنہ) जबकि नबी (ﷺ) को उहुद की जंग में नुक़्सान पहुँचा और मुश्रिकीन आगे चले तो आपको ख़्याल हुआ कि कहीं यह फिर वापिस न लौटे, लिहाज़ा आप (ﷺ) ने फ़र्माया, कोई है जो इनके पीछे जाए। इस पर सत्तर सहाबा इस काम के लिए मुस्तइद्द हो गए जिनमें एक हज़रत अबूबक्र (رضی اللہ عنہ) थे दूसरे हज़रत ज़ुबेर (रज़ि) थे। (सहीह बुख़ारी, किताबुल मग़ाज़ी, बाब (اَلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِلّٰهِ وَ الرَّسُوْلِ) : 4077; सहीह मुस्लिम : 2418) यह रिवायत और बहुत सी सनदों से बहुत सी किताबों मे है। इब्ने मर्दवे मे है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज़रत आईशा (رضی اللہ عنہا) से फ़र्माया कि, ''तेरे दोनों बाप उन लोगों में से हैं'' लेकिन यह मरफ़ूअ बयान करना महज़ ख़ता है इसलिए भी कि इसकी इस्नाद में सिक़ह रावियों का इख़्तिलाफ़ है जो हज़रत आइशा (رضی اللہ عنہا) के बाप दादों में नहीं। सहीह यह है कि यह बात हज़रत आइशा (رضی اللہ عنہا) ने अपने भांजे हज़रत अस्मा बिन्ते अबीबक्र (رضی اللہ عنہا) के लड़के से कही है।

हज़रत इब्ने अब्बास (رضی اللہ عنہ) का बयान है कि अल्लाह तआला ने अबू सुफ़ियान के दिल में रौ'ब डाल दिया और बावजूद यह कि वह उहुद की लड़ाई में क़द्रे कामयाब हो गया था लेकिन ताहम मक्का की तरफ़ चल दिया। नबी (ﷺ) ने फ़र्माया कि, ''अबू सुफ़ियान तुमको नुक़्सान पहुँचाकर लौट गया है, अल्लाह तआला ने उसके दिल को मरऊब कर दिया है।'' उहुद की लड़ाई शव्वाल मे हुई थी और ताजिर लोग ज़ी क़अदा में मदीना आते थे और बद्रे सुग़रा में अपने डेरे हर साल इस माह मे डाला करते थे। अब भी इस वाक़िया के बाद लोग आए, मुसलमान अपने ज़ख़्मों में चूर थे, हुज़ूर (ﷺ) से अपनी तकालीफ़ बयान करते थे और सख़्त सदमा में थे। नबी (ﷺ) ने लोगों को इस बात पर आमादा किया कि वह आप (ﷺ) के साथ चलें और फ़र्माया कि यह लोग अब कूच कर जाएँगे और फिर हज्ज को आएँगे और फिर यह क़ुदरत उन्हें अगले साल तक न होगी लेकिन शैतान ने अपने दोस्तों को धमकाया और बहकाना शुरू कर दिया और कहने लगा कि लोगों ने तुम्हारे इस्तीसाल के लिए लश्कर तैयार कर लिए हैं जिस बिना पर लोग ढीले पड़ गए। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, सुनो!

ख़्वाह तुममें से एक भी न चले, मैं तने-तंहा जाऊँगा। फिर आप (ﷺ) की रग़्बत दिलाने पर हज़रत अबूबक्र, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली, हज़रत जुबेर, हज़रत सअद, हज़रत तलहा, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद, हज़रत हुज़ेफ़ा बिन यमान, हज़रत अबू उबेदह बिन जर्राह (رضي الله عنهم) वग़ैरह सत्तर सहाबा आप (ﷺ) के ज़ेरे रकाब चलने पर आमादा हुए। यह मुबारक लश्कर अबू सुफ़ियान की जुस्तजू में बद्रे सुग़रा तक पहुँच गया, उन ही की इस फ़ज़ीलत और जाँबाज़ी का ज़िक्र इस मुबारक आयत में है। हुज़ूर (ﷺ) इस सफ़र में मदीना से आठ मील हमरा-ए-असद तक पहुँच गए, मदीना में अपना नाइब आप (ﷺ) ने हज़रत इब्ने उम्मे मक्तूम (رضي الله عنه) को बनाया था। वहाँ आप (ﷺ) ने सोम मंगल बुध तक क़याम किया फिर मदीना लौट आए। अस्ना-ए-क़याम में जो क़बीला ख़ुज़ाआ का सरदार मा'बद ख़ुज़ाई यहाँ से निकला था, यह ख़ुद मुश्रिक था लेकिन इस पूरे क़बीले से हुज़ूर की सुलह व सफ़ाई थी, इस क़बीला के मुश्रिक व मो'मिन सब आप (ﷺ) के ख़ैरख़्वाह थे। उसने कहा कि हुज़ूर (ﷺ) के साथियों को जो तक्लीफ़ पहुँची, इस पर हमें सख़्त रंज है। अल्लाह तआला आप (ﷺ) को उनकी ख़ुशी नसीब फ़र्माए। हमरा-ए-असद पर आप (ﷺ) पहुँचे उससे पहले अबू सुफ़ियान चल दिया था, उसने और उसके साथियों ने वापिस आने का इरादा किया था कि जब हम उन पर ग़ालिब आ गए उन्हें क़त्ल किया, मारा पीटा, ज़ख़्मी किया, फिर अधूरा काम क्यूँ छोड़ें वापिस जाकर सबको तहे-तेग़ कर दें। यह मश्विरे हो ही रहे थे कि मा'बद ख़ुज़ाई वहाँ पहुँचा। अबू सुफ़ियान ने उससे पूछा कि कहो, क्या ख़बर हैं? उसने कहा कि, आँहज़रत (ﷺ) सहाबा (رضي الله عنهم) के साथ तुम लोगों के पीछे हैं, वह लोग सख़्त ग़ुस्से में हैं जो पहले लड़ाई में शरीक न थे वह भी आ गए हैं, सबके तेवर बदले हुए हैं और पूरी ताक़त के साथ हमलावर हुए हैं, मैंने तो ऐसा लश्कर भी कभी नहीं देखा, यह सुनकर अबू सुफ़ियान के हाथों के तोते उड़ गए और कहने लगा, अच्छा ही हुआ, जो तुमसे मुलाक़ात हो गई, वरना हम तो ख़ुद उनकी तरफ़ जाने के लिए तैयार थे। मा'बद ने कहा, हर्गिज़ यह इरादा न करो और मेरी बात का क्या है ग़ालिबन तुम यहाँ से कूच करने से पहले ही लश्करे इस्लाम के घोड़ों को देख लोगे, मैं उनके लश्कर उनके ग़ुस्से, उनकी तैयारी और ऊलुल अज़्मी का हाल बयान नहीं कर सकता। मैं तो तुमसे साफ़ कहता हूँ कि भागो और अपनी जानें बचाओ, मेरे पास ऐसे अल्फ़ाज़ नहीं जिनसे मैं इस्लामियों के ग़ेज़ो-ग़ज़ब और तहूरो शुजाअत और सख़्ती और पुख़्तगी का बयान कर सकूँ, पस मुख़्तसर यह है कि जान की ख़ैर मनाते हो तो फ़ौरन यहाँ से कूच करो। अबू सुफ़ियान और उसके साथियों के छक्के छूट गए और उन्होंने यहाँ से मक्का की राह ली। क़बीला अब्दुल क़ैस के आदमी जो कारोबार की ग़र्ज़ से मदीना जा रहे थे, उनसे अबू सुफ़ियान ने कहा कि तुम हुज़ूर (ﷺ) को यह ख़बर पहुँचा देना कि हमने उन्हें तहे तेग़ कर देने के लिए लश्कर जमा कर लिए हैं और हम वापिस लौटने के इरादे में हैं। अगर तुमने यह पैग़ाम पहुँचा दिया तो हम तुमको सूक़े उकाज़ (उकाज़ का बाज़ार) में बहुत सारी किशमिश देंगे। चुनाँचे उन लोगों ने हमरा-ए-असद में आकर बतौर डरावे के नमक मिर्च लगाकर यह वहशत असर ख़बर सुनाई लेकिन सहाबा (رضي الله عنهم) ने निहायत इस्तिक़्लाल और पा मर्दी से जवाब दिया कि हमें अल्लाह तआला काफ़ी है और वही बेहतरीन कारसाज़ है। जनाब रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, ''मैंने उनके लिए एक पत्थर का निशान मुक़र्रर कर रखा है अगर यह लौटेंगे तो वहाँ पहुँचकर इस तरह मिट जाएँगे जैसे गुज़िश्ता कल का दिन।'' (तब्री : 8243; मज़ीद देखिए, सीरत इब्ने हिशाम : 3/81, 83; दूसरा नस्ख़ा : 3/108, 109; वसनदुहू ज़ईफ़)

ईमान की ज़्यादती का सबूत : कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि यह आयत बद्र के बारे में नाज़िल हुई है लेकिन सहीह तर यही है कि हम्रा-ए-असद के बारे में यह आयत नाज़िल हुई। मतलब यह है कि आ'दाए अल्लाह तआला ने उनको पज़्मुर्दा करने के लिए दुश्मनों के साज़ो-सामान और उनकी कसरत व बहतात से डराया लेकिन वह सब्र के पहाड़ साबित हुए, उनके ग़ैर-मुतज़लज़ल यक़ीन में कुछ फ़र्क़ न आया बल्कि वह तवक्कल में और बढ़ गए और अल्लाह की तरफ़ नज़रें करके उससे मदद तलब की। सहीह बुख़ारी शरीफ़ में हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (رضی الله عنه) से मरवी है कि (حسبنا الله) अल्ख़ हज़रत इब्राहीम (عليه السلام) ने आग मे पड़ते वक़्त पढ़ा था और हज़रत मुहम्मद (ﷺ) ने उस वक़्त जबकि काफ़िरों के टिड्डी दल लश्कर से लोगों ने आप (ﷺ) को ख़ौफ़ज़दा करना चाहा। (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर, सूरह आले इमरान, बाब क़ौलुहू (اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ) : 4563) ता'ज्जुब की बात यह है कि इमाम हाकिम (रह.) ने इस रिवायत को वारिद करके फ़र्माया है कि यह बुख़ारी व मुस्लिम में नहीं। (देखिए (हाकिम : 2/298) वहुव हदीस सहीह बिश्शवाहिद) बुख़ारी की एक रिवायत में यह भी है कि यह आख़िरी कलिमा था जो ख़लीलुल्लाह (عليه السلام) की जुबान से आग में पड़ते वक़्त निकला था। (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर, सूरह आले इमरान, बाब क़ौलुहू (اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ) : 4564) हज़रत अनस (رضی الله عنه) वाली रिवायत में है कि उहुद के मौक़े पर जब हुज़ूर (ﷺ) को कुफ़्फ़ार के लश्करों की ख़बर दी गई तो आप (ﷺ) ने यह कलिमा फ़र्माया। (इसकी सनद में अब्दुर्रहीम बिन मुहम्मद बिन ज़ियाद मज्हूल रावी है। लिहाज़ा यह रिवायत मरदूद है।) और रिवायत में है हज़रत अली (رضی الله عنه) की सरदारी के मातहत जब हुज़ूर (ﷺ) ने एक छोटा सा लश्कर रवाना किया और राह में ख़ुज़ाआ के एक आ'राबी ने यह ख़बर सुनाई तो आप (ﷺ) ने यह फ़र्माया था। (इसकी सनद में मुहम्मद बिन उबैदुल्लाह बिन अबी राफ़ेअ ज़ईफ़ रावी है। देखिए (अल्मीज़ान : 3/634; रक़म : 7903) लिहाज़ा यह रिवायत ज़ईफ़ है।) इब्ने मर्दवे की हदीस में है आप (ﷺ) फ़र्माते हैं, जब तुम पर कोई बहुत बड़ा काम आ पड़े तो तुम (حسبنا الله) आख़िर तक पढ़ो। (इब्ने मर्दवे वसनदुहू ज़ईफ़) मुस्नद अहमद में है कि दो शख़्सों के दरम्यान हुज़ूर (ﷺ) ने फ़ैसला किया तो जिसके ख़िलाफ़ फ़ैसला सादिर हुआ था, उसने यही कलिमा पढ़ा। आप (ﷺ) ने उसे वापिस बुलवाकर फ़र्माया, "आजिज़ी और काहिली पर अल्लाह की मलामत हुई है, दानाई, दूरअंदेशी और अक़्लमंदी किया करो, फिर किसी अम्र में फंस जाओ तो यह पढ़ लो।" (अहमद : 6/24; अबूदाऊद, किताबुल क़ज़ाअ, बाबुर्रजुल यहलिफ़ु अला हक़्क़िही : 3627) मुस्नद की और हदीस में है "किस तरह बेफ़िक्र और फ़ारिग़ होकर बाआराम रहूँ हालाँकि सूर वाले ने सूर मुँह में ले रखा है और पेशानी झुकाए हुक्मे अल्लाह का मुंतज़िर है कि कब हुक्म हो और वह सूर फूँक दे।" सहाबा (رضی الله عنهم) ने कहा, हुज़ूर (ﷺ)! क्या क्या पढ़ें? आप (ﷺ) ने फ़र्माया "(حسبنا الله ونعم الوكيل)" पढ़ो। (अहमद : 1/326; तिर्मिज़ी, किताब सिफ़तुल क़यामह, बाब मा जाअ फ़ी शानि सूर : 2431; वहुव ज़ईफ़ अतिया ऊफ़ी रावी ज़ईफ़ है।)

उम्मुल मो'मिनीन हज़रत ज़ेनब और उम्मुल मो'मिनीन हज़रत आइशा (رضی الله عنها) से मरवी है कि हज़रत ज़ेनब (رضی الله عنها) ने फ़ख़्र से फ़र्माया, मेरा निकाह तो ख़ुद अल्लाह तआला ने कर दिया है और तुम्हारे निकाह तुम्हारे वली वारिसों ने किए हैं। सिद्दीक़ा (رضی الله عنها) ने फ़र्माया, मेरी बरा'त और पाकीज़गी की आयतें अल्लाह तआला ने आसमान से अपने पाक कलाम में नाज़िल फ़र्माई हैं। हज़रत ज़ेनब (رضی الله عنها) इसे मान गईं और पूछा, यह बताओ, तुमने हज़रत सफ़वान बिन मुअत्तल (رضی الله عنه) की सवारी पर सवार होते वक़्त क्या पढ़ा था?

सिद्दीक़ा (ﷺ) ने फ़र्माया, (हस्बियल्लाहु वनिअ़मल वकील) यह सुनकर माई साहिबा हज़रत ज़ेनब (ﷺ) ने फ़र्माया, तुमने ईमान वालों का कलिमा कहा था।

चुनाँचे इस आयत में भी रब्बे-रहीम का इर्शाद है कि इन तवक्कल करने वालों की किफ़ायत अल्लाह तआला ने की और उनके साथ जो लोग बुराई का इरादा रखते थे उन्हें ज़िल्लत और बर्बादी के साथ पस्पा किया। यह लोग अल्लाह तआला के फ़ज़्लो करम से अपने शहरों की तरफ़ बग़ैर किसी नुक़्सान और बुराई के लौटे, दुश्मन अपनी मक्कारी में नाकाम रहा, उनसे अल्लाह तआला ख़ुश हो गया क्योंकि उन्होंने उसकी ख़ुशी का काम अंजाम दिया था अल्लाह तआला बड़े फ़ज़्लो-करम वाला है। इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) का फ़र्मान है कि ने'मत तो यह थी कि वह सलामत रहे और फ़ज़्ल यह था कि हुज़ूर (ﷺ) ने ताजिरों के एक क़ाफ़िला से माल ख़रीद लिया जिसमें बहुत ही नफ़ा हुआ और उस कुल मुनाफ़ा को आप (ﷺ) ने अपने साथियों में तक़्सीम फ़र्मा दिया। (दलाइलुन्नुबुव्वत : 3/318; वसनदुहू ज़ईफ़; मुहम्मद बिन नईम बिन अ़ब्दुल्लाह नीसापूरी नामा'लूम है।) मुजाहिद (रह़.) फ़र्माते हैं कि अबू सुफ़ियान ने हुज़ूर (ﷺ) से कहा अब वा'दा की जगह बद्र है। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ''मुम्किन है'' चुनाँचे आप (ﷺ) वहाँ पहुँचे यह डरपोक आया नहीं वहाँ बाज़ार का दिन था, माल ख़रीद लिया जो नफ़ा से बिका। उसका नाम ग़ज़्वा बद्रे सुग़रा है। (यह रिवायत मुर्सल या'नी ज़ईफ़ है।)

फिर फ़र्माता है कि यह शैतान था जो अपने दोस्तों से तुमको धमका रहा था और गीदड़ भबकियाँ दे रहा था, तुमको चाहिए कि उनसे न डरो सिर्फ़ मेरा डर ख़ौफ़ ही दिल में रखो क्योंकि ईमानदारी की यह शर्त है कि जब कोई डराए धमकाए और दीनी उमूर से तुमको बाज़ रखना चाहे तो मुसलमान अल्लाह तआला पर भरोसा करे उसकी तरफ़ सिमट जाए और यक़ीन माने कि काफ़ी और नासिर वही है। जैसे और जगह है (اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهٗ) (39/जुमर : 36) ''क्या अल्लाह तआला अपने बन्दों को काफ़ी नहीं? यह लोग तुझे उसके सिवा औरों से डरा रहे हैं (यहाँ तक फ़र्माया) तू कह कि मुझे अल्लाह तआला काफ़ी है, तवक्कल करने वालों को उसी पर भरोसा करना चाहिए।''

और जगह फ़र्माया, ''ओलिया-ए-शैतान से लड़ो, शैतान का मकर बड़ा बूदा है।'' और जगह इर्शाद है ''यह शैतानी लश्कर है याद रखो, शैतानी लश्कर ही घाटे और ख़सारे में है।'' और जगह इर्शाद है (كَتَبَ اللّٰهُ لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَ رُسُلِيْ) (58/मुजादिला : 21) ''अल्लाह तआला लिख चुका है कि ग़ल्बा यक़ीनन मुझे और मेरे रसूलों को ही होगा, अल्लाह तआला क़वी और अ़ज़ीज़ है।'' और जगह इर्शाद है (وَ لَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ) (22/हज्ज : 40) ''जो अल्लाह की मदद करेगा अल्लाह उसकी इम्दाद करेगा।'' और फ़र्मान है (يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنْ تَنْصُرُوا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ) (47/मुहम्मद : 7) ''ऐ ईमानवालों! अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तआला भी तुम्हारी मदद करेगा।'' आख़िर; और आयत मे है, बिलयक़ीन हम अपने रसूलों की और ईमानदारो की मदद दुनिया में भी करेंगे और उस दिन भी जिस दिन गवाह खड़े होंगे, जिस दिन ज़ालिमों को उ़ज़्र मा'ज़िरत नफ़ा न देगी, उनके लिए ला'नत है और उनके लिए बुरा घर है।

وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِي الْكُفْرِ ۚ اِنَّهُمْ لَنْ يَّضُرُّوا اللّٰهَ شَيْـًٔا ۗ يُرِيْدُ اللّٰهُ
اَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْاٰخِرَةِ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿۱۷۶﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا
الْكُفْرَ بِالْاِيْمَانِ لَنْ يَّضُرُّوا اللّٰهَ شَيْـًٔا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿۱۷۷﴾ وَلَا يَحْسَبَنَّ
الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّمَا نُمْلِيْ لَهُمْ خَيْرٌ لِّاَنْفُسِهِمْ ۭ اِنَّمَا نُمْلِيْ لَهُمْ لِيَزْدَادُوْٓا اِثْمًا ۚ
وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ﴿۱۷۸﴾ مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلٰى مَآ اَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتّٰى
يَمِيْزَ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ ۭ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ
يَجْتَبِيْ مِنْ رُّسُلِهٖ مَنْ يَّشَاۗءُ ۠ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ ۚ وَاِنْ تُؤْمِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَلَكُمْ
اَجْرٌ عَظِيْمٌ ﴿۱۷۹﴾ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَآ اٰتٰىھُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ھُوَ خَيْرًا
لَّھُمْ ۭ بَلْ ھُوَ شَرٌّ لَّھُمْ ۭ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۭ وَلِلّٰهِ مِيْرَاثُ
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿۱۸۰﴾

तर्जुमा : ''कुफ्र में आगे बढ़ने वाले लोग तुझे ग़मनाक न करें, यक़ीन मान कि यह अल्लाह तआ़ला का कुछ न बिगाड़ सकेंगे, अल्लाह तआ़ला का इरादा है कि उनके लिए आख़िरत का कोई हिस्सा न करे, और उनके लिए बड़ा अ़ज़ाब है। (176) कुफ्र को ईमान के बदले ख़रीदने वले हर्गिज़-हर्गिज़ अल्लाह तआ़ला को कोई नुक़्सान नहीं पहुँचा सकते, और उन ही के लिए अलमनाक अ़ज़ाब है। (177) काफ़िर लोग हमारी दी हुई मुहलत को अपने हक़ में बेहतर न समझें। यह मुहलत तो सिर्फ़ इसलिए है कि वह गुनाहोंमें और बढ़ जाए, उन ही के लिए ज़लील करने वाला अ़ज़ाब है। (178) जिस हाल पर तुम हो उसी पर अल्लाह तआ़ला ईमानवालों को छोड़ न देगा जब तक पाक और नापाक को अलग-अलग न कर दे, और न अल्लाह ऐसा है कि तुमको ग़ैब से आगाह कर दे बल्कि अल्लाह तआ़ला अपने रसूलों में से जिसे चाहे इंतिख़ाब कर लेता है। पस तुम अल्लाह तआ़ला पर

और उसके रसूलों पर ईमान रखो, अगर तुम ईमान लाओ और तक़्वा करो तो तुम्हारे लिए बड़ा भारी अज्र है। (179) जिन्हें अल्लाह तआला ने अपने फ़ज़्ल से कुछ दे रखा है वह उसमें अपनी कंजूसी को अपने लिए बेहतर ख़याल न करें। बल्कि वह उनके लिए निहायत बदतर है। अन्क़रीब क़यामत वाले दिन यह अपनी कंजूसी की चीज़ के तौक़ डाले जाएँगे, आसमानों की और ज़मीन की मीरास अल्लाह ही के लिए है। और जो कुछ तुम कर रहे हो उससे अल्लाह तआला आगाह है।'' (180)

अल्लाह तआला के साथ कुफ़्र करना नबी (ﷺ) पर गिराँ गुज़रता है (आयत 176-180) : चूँकि जनाब रसूलुल्लाह (ﷺ) लोगों पर बेहद मुश्फ़िक़ व मेहरबान थे इसलिए कुफ़्फ़ार की बेराह-रवी आप पर गिराँ गुज़रती थी वह ज्यों-ज्यों कुफ़्र की जानिब बढ़ते रहते थे हुज़ूर (ﷺ) ग़मगीन ख़ातिर होते जाते थे इसलिए जनाब बारी आप (ﷺ) को इससे रोकता है और फ़र्माता है कि हिक्मते-इलाही इसी की मुक़्तज़ा है, इनका कुफ़्र आप (ﷺ) को या अल्लाह को कोई नुक़्सान नहीं पहुँचाएगा यह लोग अपना उख़्रवी हिस्सा बर्बाद कर रहे हैं और अपने लिए बहुत बड़े अज़ाबों को तैयार कर रहे हैं, उनकी मुख़ालिफ़त से अल्लाह तआला आपको महफ़ूज़ रखेगा, आप (ﷺ) इन पर ग़म न करें। फिर फ़र्माया, मेरे यहाँ का यह भी मुक़र्ररा क़ायदा है कि जो लोग ईमान को कुफ़्र से बदल डालें वह भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ते बल्कि अपना ही नुक़्सान कर रहे हैं और अपने लिए अलमनाक अज़ाब मुहय्या कर रहे हैं। फिर काफ़िरों का अल्लाह तआला की मुहलत पर इतराना बयान फ़र्माता है। जैसे और जगह है (أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ) अल्ख़ (23/मो'मिनून : 55) या'नी ''क्या कुफ़्फ़ार का यह गुमान है कि उनके माल व औलाद की बढ़ोतरी हमारी तरफ़ से उनकी ख़ैरियत का निशान है? नहीं बल्कि वह बेशऊर हैं।'' और फ़र्माया (فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَٰذَا الْحَدِيثِ) आख़िर; (68/क़लम : 44) या'नी ''मुझे और इस बात के झुठलाने वालों को छोड़ दे हम उन्हें इस तरह आहिस्ता-आहिस्ता पकड़ेंगे कि उन्हें इल्म भी न हो।'' और इर्शाद है (وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ) आख़िर (9/तौबा : 85) या'नी ''इनके माल और औलाद से कहीं तू धोखे में न पड़ जाना, अल्लाह तआला इन्हें इनके बाइस दुनिया में भी अज़ाब करना चाहता है और कुफ़्र पर ही इनकी जान जाएगी।'' फिर फ़र्माता है कि यह तै शुदा अम्र है कि कुछ अह्काम और कुछ इम्तिहानात से अल्लाह तआला जाँच लेगा और ज़ाहिर कर देगा कि उसका वली कौन है और उसका दुश्मन कौन है? मोमिन साबिर और मुनाफ़िक़ फ़ाजिर बिलकुल यक्सू हो जाएँगे और साफ़ खुल पड़ेंगे। इससे मुराद उहुद की जंग का दिन है। (तब्री : 7/424) जिसमें ईमानदारों का सब्रो इस्तिक़ामत पुख़्तगी और तवक्कल फ़र्मांबरदारी और इताअत शआरी और मुनाफ़िक़ीन की बेसब्री और मुख़ालिफ़त, तक्ज़ीब और नामुवाफ़िक़त इंकार और ख़यानत साफ़ ज़ाहिर हो गई, ग़र्ज़ जिहाद का हुक्म हिज्रत का हुक्म यह गोया एक आज़माइश थी जिसने भले-बुरे मे तमीज़ कर दी। (तब्री : 2/424) सुद्दी (रह.) फ़र्माते हैं कि लोगों ने कहा था कि अगर मुहम्मद (ﷺ) सच्चे हैं तो ज़रा बतलाएँ तो कि हममें से सच्चा मो'मिन कौन है और कौन नहीं? इस पर आयत (مَا كَانَ اللَّهُ) नाज़िल हुई। (इब्ने जरीर)

फिर फ़र्मान है कि अल्लाह तआला के ग़ैब को तुम नहीं जान सकते, हाँ! वह ऐसे अस्बाब पैदा कर देता है कि मो'मिन और मुनाफ़िक़ में साफ़ तमीज़ हो जाए। लेकिन अल्लाह तआला अपने रसूलों में से जिसे चाहे पसंदीदा कर लेता है, जैसे और जगह है (عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا) (72/जिन्न : 26)

"अल्लाह तआला आलिमुल ग़ैब है पस अपने ग़ैब पर किसी को मुत्तलअ नहीं करता मगर जिस रसूल को पसंद कर ले, उसके भी आगे पीछे निगहबान फ़रिश्तों को चलाता रहता है।"

फिर फ़र्माता है कि अल्लाह तआला पर उसके पैग़म्बरों पर ईमान लाओ या'नी इताअत करो शरीअत के पाबंद रहो, याद रखो ईमान और तक़्वा में तुम्हारे लिए अज्रे अज़ीम है।

बुख़्ल की मुमानिअत और उसकी मज़म्मत : फिर इर्शाद है कि बख़ील शख़्स अपने माल को अपने लिए बेहतर न समझे वह तो उसके लिए सख़्त ज़रररनाक चीज़ है, दीन में तो है ही लेकिन बसाऔक़ात दुनियावी तौर पर भी इसका अंजाम और नतीजा ये होता है कि इस बख़ीली के माल का उसे क़यामत के दिन तौक़ पहनाया जाएगा। सहीह बुख़ारी में है रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़र्माते हैं, "जिसे अल्लाह माल दे और वह उसकी ज़कात अदा न करे, उसका माल क़यामत के दिन गंजा साँप बनकर जिसकी आँखों पर दो निशान होंगे, तौक़ की तरह उसके गले मे लिपट जाएगा और उसकी बाछों को चीरता रहेगा और कहता जाएगा, मैं तेरा माल हूँ, मैं तेरा ख़ज़ाना हूँ।" फिर आप (ﷺ) ने इसी आयत (وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَآ اٰتٰـهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ) आख़िर तक, की तिलावत फ़र्माई। (सहीह बुख़ारी, किताबुज़्ज़कात, बाब इस्म मानेअ़ज़्ज़कात : 1403; नसाई : 2484) मुस्नद अहमद की एक हदीस में यह भी है कि "यह भागता फिरेगा और वह साँप उसके पीछे दौड़ेगा फिर उसे पकड़कर तौक़ की तरह लिपट जाएगा और काटता रहेगा।" (अहमद : 2/98; तिर्मिज़ी, किताब तफ़्सीरुल क़ुरआन, बाब वमिन सूरति आले इमरान : 3012; वसनदुहू सहीह; नसाई : 2443, 2484; इब्ने माजा : 1784) मुस्नद अबू यअला में है "जो शख़्स अपने पीछे ख़ज़ाना छोड़कर मरे वह ख़ज़ाना एक कोढ़ी साँप की सूरत में जिसकी दोनों आखों पर दो नुक़्ते होंगे, उसके पीछे दौड़ेगा, यह भागेगा और कहेगा तू कौन है? यह कहेगा मैं तेरा ख़ज़ाना हूँ जिसे तू अपने पीछे छोड़कर मरा था यहाँ तक कि वह उसे पकड़ लेगा और उसका हाथ चबा जाएगा। फिर बाक़ी जिस्म भी।" (हाकिम : 1/388, 389; वसनदुहू ज़ईफ़; क़तादा मुदल्लिस व अन्अन; तबरानी : 1408; इब्ने हिब्बान : 3257) तबरानी की हदीस में है, "जो शख़्स अपने आक़ा के पास जाकर उससे अपनी हाजत तलब करे और वह बावजूद बचत होने के न दे उसके लिए क़यामत के दिन ज़हरीला अज्दहा फनफनाता हुआ बुलाया जाएगा। (तब्री : 8284) दूसरी रिवायत में है कि "जो रिश्तेदार मुहताज अपने मालदार रिश्तेदार से सवाल करे और यह न दे उसकी यह सज़ा होगी और वह साँप उसके गले का हार बन जाएगा।" (इब्ने जरीर) (तब्री : 8281; मौक़ूफ़न; वसनदुहू हसन : 8283; मुर्सलन : 8282; मरफ़ूअन मुत्तसलन; वसनदुहू ज़ईफ़; व रवाहु अहमद : 5/3; वन्नसाई : 2567; वसनदुहू हसन) इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) फ़र्माते हैं अहले किताब जो अपनी किताबी बातों के पहचानने में बुख़्ल करते थे उनकी सज़ा का बयान इस आयत में हो रहा है, लेकिन सहीह बात पहली ही है गो यह क़ौल भी आयत के उमूम में दाख़िल है बल्कि यह बतौर औला दाख़िल है, वल्लाहु सुब्हानहू व तआला आ'लम! फिर फ़र्माता है कि आसमानों और ज़मीन की मीरास का मालिक अल्लाह ही है, उसने जो तुमको दे रखा है उसमें से उसके नाम ख़र्च करो, तमाम कामों का मरजअ उसी की तरफ़ है, सख़ावत करो ताकि उस दिन काम आए और ख़्याल रखो कि तुम्हारी निय्यतों और दिली इरादों और कुल आ'माल से अल्लाह तआला ख़बरदार है।

لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ فَقِيْرٌ وَّنَحْنُ اَغْنِيَآءُ ۘ سَنَكْتُبُ مَا
قَالُوْا وَقَتْلَهُمُ الْاَنْۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۙ وَّنَقُوْلُ ذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ﴿۱۸۱﴾ ذٰلِكَ
بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ﴿۱۸۲﴾ اَلَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ
عَهِدَ اِلَيْنَآ اَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُوْلٍ حَتّٰى يَاْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَاْكُلُهُ النَّارُ ۭ قُلْ قَدْ
جَآءَكُمْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِيْ بِالْبَيِّنٰتِ وَبِالَّذِيْ قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوْھُمْ اِنْ كُنْتُمْ
صٰدِقِيْنَ ﴿۱۸۳﴾ فَاِنْ كَذَّبُوْكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ جَاۗءُوْ بِالْبَيِّنٰتِ
وَالزُّبُرِ وَالْكِتٰبِ الْمُنِيْرِ ﴿۱۸۴﴾

तर्जुमा : ''यक़ीनन अल्लाह तआला ने उन लोगों का क़ौल भी सुना जिन्होंने कहा कि अल्लाह तआला फ़क़ीर है और हम तवंगर (मालदार) हैं उनके इस क़ौल को हम लिख लेंगे और उनका अम्बिया को बेवजह क़त्ल करना भी और हम उनसे कहेंगे कि जलने वाले अज़ाब चखो। (181) यह है बदला उसका जो तुम्हारे हाथों ने पहले भेजा अल्लाह तआला अपने बन्दों पर ज़ुल्म करने वाला नहीं। (182) यह लोग हैं जिन्होंने कहा कि अल्लाह तआला ने हमें हुक्म दिया है कि किसी रसूल को न मानें। बेशक वह हमारे पास ऐसी क़ुर्बानी लाए जिसे आग खा जाए। तू कह कि अगर तुम सच्चे हो तो मुझसे पहले तुम्हारे पास जो रसूल और मुजिज़ों के साथ यह भी लाए जिसे तुम कह रहे हो, फिर तुमने उन्हें क्यूँ मार डाला? (183) फिर भी अगर यह लोग तुझे झुठलाएँ तो तुझसे पहले भी बहुत से वह रसूल झुठलाए गए हैं जो रोशन दलीलें सहीफ़े और मुनव्वर किताब लेकर आए।'' (184)

यहूद का अल्लाह तआला की शान में गुस्ताख़ी करना (आयत 181-184) : हज़रत इब्ने अब्बास (رضی اللہ عنہ) फ़र्माते हैं कि जब यह आयत उतरी कि कौन है जो अल्लाह तआला को क़र्ज़े हस्ना दे और वह उसे चंद दर चंद करके दे तो यहूद कहने लगे कि ऐ नबी! तुम्हारा रब फ़क़ीर हो गया है और अपने बन्दों से क़र्ज़ मांग रहा है। इस पर यह आयत (लक़द) आख़िरतक नाज़िल हुई। इब्ने अबी हातिम में है कि हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ (رضی اللہ عنہ) यहूदियों के मदरसे में गए यहाँ का बड़ा मुअल्लिम फ़न्हास था और उसके मातहत एक बहुत बड़ा आलिम अशीअ था लोगों का मज्मअ था और वह उनसे मज़हबी बातें सुन रहे थे। आप (رضی اللہ عنہ) ने फ़र्माया, फ़न्हास! अल्लाह से डर

और मुसलमान हो जा! अल्लाह तआला की क़सम! तुझे ख़ूब मा'लूम है कि आँहज़रत (ﷺ) अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, वह उसके पास से हक़ लेकर आए हैं, उनकी सिफ़तें तौरात व इंजील में तुम्हारे हाथों मे मौजूद हैं तो फ़न्हास ने जवाब मे कहा, अबूबक्र! सुन अल्लाह की क़सम! अल्लाह हमारा मुह्ताज है हम उसके मुह्ताज नहीं उसकी तरफ़ इस तरह नहीं गिड़गिड़ाते जैसे वह हमारी जानिब आजिज़ी करता है बल्कि हम तो उससे बेपरवाह हैं, हम ग़नी और तवंगर हैं, अगर वह ग़नी होता तो हमसे क़र्ज़ तलब न करता। जैसे कि तुम्हारा पैग़म्बर कह रहा है हमें तो सूद से रोके और ख़ुद सूद दे अगर ग़नी होता तो हमे सूद क्यूँ देता। उस पर हज़रत सिद्दीक़ (رضي الله عنه) को सख़्त गुस्सा आया और फ़न्हास के चेहरे पर ज़ोर से थप्पड़ मारा और फ़र्माया, अल्लाह की क़सम! जिसके हाथ में मेरी जान है अगर तुम यहूद से मुआहिदा न होता तो मैं तेरा अल्लाह के दुश्मन! सर काट देता, जाओ बदनसीबों झुठलाते ही रहो, अगर सच्चे हो। फ़न्हास ने जाकर इसकी शिकायत दरबारे मुहम्मद में की। आप (ﷺ) ने सिद्दीक़ (رضي الله عنه) से पूछा कि "इसे क्यूँ मारा?" हज़रत सिद्दीक़ (رضي الله عنه) ने वाक़िया बयान किया लेकिन फ़न्हास अपने क़ौल से मुकर गया कि मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं। इस बारे में यह आयत उतरी। (तब्री : 830; इसकी सनद में मुहम्मद बिन अबी मुहम्मद रावी मज्हूल है। (ज़ुअफ़ा वल मुतरूकीन : 3/96; रक़्म : 3179) लिहाज़ा यह सनद ज़ईफ़ है।)

फिर अल्लाह तआला उन्हें अपने अज़ाब की ख़बर देता है कि उनका यह क़ौल और साथ ही उसी जैसा उनका बड़ा गुनाह या'नी नबियों (عليهم السلام) के क़त्ल को हमने इनके नामा-ए-आ'माल में लिख दिए हैं। एक तरफ़ जनाब बारी तआला की शान में बेअदबी करना दूसरी जानिब नबियों को मार डालना उन कामों पर उन्हें सख़्ततर सज़ा होगी। उनको हम कहेंगे कि जलने वाले अज़ाबों का ज़ायक़ा चखो। और उनसे कहा जाएगा कि, यह तुम्हारी पहली करतूत का बदला है। यह कहकर उन्हें ज़लील व रुस्वा करके अज़ाब पर अज़ाब होंगे, यह सरासर अदलो-इंसाफ़ है और ज़ाहिर है कि मालिक अपने गुलामों पर ज़ुल्म करने वाला नहीं है।

फिर उनको उनके इस ख़्याल में झूठा साबित किया जा रहा है, यह कहते थे कि आसमानी किताबें जो पहले नाज़िल हुईं उनमें अल्लाह तआला ने हमें यह हुक्म दे रखा है कि जब तक कोई रसूल हमें यह मु'जिज़ा न दिखाए कि उसकी उम्मत में से जो शख़्स कुर्बानी करे उसकी कुर्बानी को खा जाने के लिए आसमान से कुदरती आग आए और खा जाए। उनके इस क़ौल के जवाब में इर्शाद होता है कि फिर उस मु'जिज़े वाले पैग़म्बरों को जो अपने साथ दलाइल और बराहीन लेकर आए थे, तुमने क्यूँ मार डाला? उन्हें तो अल्लाह तआला ने मु'जिज़ा भी दे रखा था कि हर एक क़बूलशुदा कुर्बानी को आसमानी आग खा जाती थी लेकिन तुमने उन्हें भी सच्चा न जाना, उनकी मुख़ालिफ़त की और दुश्मनी की बल्कि उन्हें क़त्ल कर डाला। इससे साफ़ ज़ाहिर होता है कि तुमको तुम्हारी अपनी बात का भी पास व लिहाज़ नहीं न तुम हक़ के साथी हो, न किसी नबी के मानने वाले हो, तुम यक़ीनन झूठे हो, फिर अल्लाह तआला अपने नबी (ﷺ) को तसल्ली देता है कि उनके झुठलाने से आप (ﷺ) तंगदिल और ग़मनाक न हों, अगले ऊलुल-अज़्म पैग़म्बरों के वाक़ियात को अपने लिए बाइसे तसल्ली बनाएँ कि वह भी बावजूद दलीलें ज़ाहिर कर देने के और बावजूद अपनी हक़्क़ानियत को बख़ूबी वाज़ेह कर देने के फिर भी झुठलाए गए (ज़ुबुर) से मुराद आसमानी किताबें हैं जो उन सहीफ़ों की तरह आसमान से आएँ जो रसूलों पर उतारे गए थे और (अल्मुनीर) से मुराद वाज़ेह जली और रोशन और चमकीली है।

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ؕ وَاِنَّمَا تُوَفَّوْنَ اُجُوْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ فَمَنْ زُحْزِحَ
عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ؕ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ ﴿۱۸۵﴾
لَتُبْلَوُنَّ فِيْٓ اَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ۟ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ
قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْٓا اَذًى كَثِيْرًا ؕ وَاِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ ذٰلِكَ
مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ﴿۱۸۶﴾

तर्जुमा : "हर जान मौत का मज़ा चखने वाली है। क़यामत के दिन तुम अपने बदले पूरे-पूरे दिए जाओगे, पस जो शख़्स आग से हटा दिया जाए और जन्नत में दाख़िल कर दिया जाए बेशक वह कामयाब हो गया, और दुनिया की ज़िन्दगी तो सिर्फ़ धोखे की जिंस है। (185) यक़ीनन तुम्हारे मालों और जानों में तुम्हारी आज़माइश की जाएगी और यह भी यक़ीनी है कि तुमको उन लोगों की जो तुमसे पहले किताब दिए गए और मुश्रिकों की बहुत सी दुख देने वाली बातें भी सुननी पड़ेंगी, और तुम सब्र कर लो और परहेज़गारी इख़्तियार करो तो यक़ीनन यह बहुत बड़ी हिम्मत का काम है।" (186)

हर जानदार चीज़ को मौत का ज़ायक़ा (मज़ा) चखना है : आयत (185-186) : तमाम मख़्लूक़ को आम इत्तिलाअ है कि हर जानदार मरने वाला है जैसे फ़र्माया, كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ○ وَّيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلٰلِ وَ الْاِكْرَامِ (55/रहमान : 26) या'नी "इस ज़मीन पर जितने हैं सब फ़ानी हैं, सिर्फ़ तेरे रब का चेहरा बाक़ी है जो बुज़ुर्गी और इन्आम वाला है।" पस सिर्फ़ वही रब्बे वाहिद हमेशगी की ज़िन्दगी वाला है जो कभी फ़ना न होगा। जिन्न और इंसान कुल के कुल मरने वाले हैं उसी तरह फ़रिश्ते और हामिलाने अ़र्श भी मर जाएँगे और सिर्फ़ अल्लाह वाहिद ला शरीक लहू दवाम और बक़ा वाला बाक़ी रह जाएगा, पहले भी वही था और आख़िर भी वही रहेगा। जब सब मर जाएँगे, मुद्दत ख़त्म हो जाएगी, सुल्बे आदम से जितनी औलाद होने वाली थी, हो चुकी और फिर सब मौत के घाट उतर गए। मख़्लूक़ात का ख़ात्मा हो गया उस वक़्त अल्लाह तआ़ला क़यामत क़ायम करेगा और मख़्लूक़ को उनके कुल आ'माल की छोटे-बड़े, छुपे-खुले, सग़ीरा-कबीरा सबकी जज़ा व सज़ा मिलेगी, किसी पर ज़र्रा बराबर ज़ुल्म न होगा। यही उसके बाद के जुम्ले में फ़र्माया जा रहा है। हज़रत अ़ली (رضي الله عنه) फ़र्माते हैं कि हुज़ूर (ﷺ) के इंतिक़ाल के बाद हमें ऐसा महसूस हुआ कि गोया कोई आ रहा है पैर की चाप सुनाई देती थी लेकिन कोई शख़्स दिखाई नहीं देता था। उसने आकर कहा, ऐ अहले बे'त! तुम पर सलाम हो और अल्लाह की रहमत व बरकत, हर जान मौत का मज़ा चखने वाली है तुम सबको तुम्हारे आ'माल का बदला पूरा-पूरा क़यामत के दिन दिया जाएगा हर मुसीबत की तलाफ़ी अल्लाह तआ़ला के पास है, हर मरने वाले का बदला है और हर फ़ौत होने

वाले का अपनी गुमशुदा चीज़ को हासिल कर लेना है, अल्लाह तआला ही पर भरोसा रखो उसी से भली उम्मीदें रखो, समझ लो कि सचमुच मुसीबतज़दा वह शख़्स है जो सवाब से महरूम रह जाए तुम पर अल्लाह की तरफ़ से सलामती नाज़िल हो और उसकी रहमतें और बरकतें (इब्ने अबी हातिम)। हज़रत अली (رضي الله عنه) का ख़्याल है कि यह ख़िज़्र (عليه السلام) थे। (इब्ने अबी हातिम, यह रिवायत अली बिन अबी अली हाशमी की वजह से मौज़ूअ है।)

जन्नत में दाख़िला और जहन्नम से नजात ही हक़ीक़ी कामयाबी है : हक़ीक़त यह है कि पूरा कामयाब वह इंसान है जो जहन्नम से नजात पा ले और जन्नत मे चला जाए। हुज़ूर (ﷺ) फ़र्माते हैं, "जन्नत मे एक कोड़े के बराबर जगह मिल जाना दुनिया और दुनिया की तमाम चीज़ों से बेहतर है अगर तुम चाहो तो पढ़ो (فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ) उस पिछली ज़्यादती के बग़ैर यह हदीस बुख़ारी व मुस्लिम वग़ैरह में भी है और ज़्यादती समेत इब्ने अबी हातिम में है। (अहमद : 2/438; तिर्मिज़ी, किताब तफ़्सीरुल कुरआन, बाब वमिन सूरति आले इमरान : 3013; वसनदुहू हसन; इब्ने हिब्बान : 7417; और इमाम हाकिम ने 2/299 में इसे सहीह क़रार दिया है। जबकि अल्लामा ज़हबी (रह.) ने उनकी मुवाफ़िक़त फ़र्माई है। नीज़ इस मा'नी की रिवायत सहीह बुख़ारी : 3250 में भी मौजूद है।) और इब्ने मर्दवे में भी। रसूलुल्लाह (ﷺ) का इर्शाद है कि "जिसकी ख़्वाहिश आग से बच जाने और जन्नत में दाख़िल हो जाने की हो उसे चाहिए कि मरते दम तक अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखे और लोगों से वह सलूक करे जिसे ख़ुद अपने लिए पसंद करता हो।" (सहीह मुस्लिम, किताबुल इमारत, बाब वजूबुल वफ़ाअ बि बे'अतिल ख़लीफ़त.... : 1844) यह हदीस पहले आयत (وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ) (3/आले इमरान : 102) की तफ़्सीर में गुज़र चुकी है। मुस्नद अहमद में भी वकीअ बिन जर्राह की तफ़्सीर में भी यह हदीस है।

इसके बाद दुनिया की हिक़ारत और ज़िल्लत बयान हो रही है कि यह निहायत ज़लील फ़ानी और ज़वाल पज़ीर चीज़ है, जैसे और जगह है (بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى) (87/आ'ला : 16) या'नी "तुम तो हयाते दुनिया पर रीझे जाते हो हालाँकि दरअसल बेहतरी और बक़ा वाली चीज़ आख़िरत है।" दूसरी आयत में है "तुमको जो कुछ दिया गया है यह तो हयाते दुनिया का फ़ायदा है और उसकी ज़ीनत बेहतरीन और बाक़ी रहने वाली अब्क़ा तो वह है जो अल्लाह तआला के पास है।" हदीस शरीफ़ में है "अल्लाह की क़सम! दुनिया आख़िरत के मुक़ाबला में सिर्फ़ ऐसी ही है जैसे कोई शख़्स अपनी उँगली समुंदर मे डुबो ले, उस उँगली के पानी को समुन्दर के पानी के मुक़ाबले में क्या निस्बत है, वह ही दुनिया को आख़िरत के मुक़ाबले में है। (सहीह मुस्लिम, किताबुल जन्नह, बाब फ़नाउद्दुनिया... : 2858; तिर्मिज़ी : 2323; इब्ने माजा : 4108) हज़रत क़तादा (रह.) का इर्शाद है दुनिया क्या है एक यूँ ही सी धोखे की टुटी है जिसे छोड़-छाड़कर तुम्हें चल देना है, उस अल्लाह तआला की क़सम! जिसके सिवा कोई लायक़े इबादत नहीं कि यह तो अन्क़रीब तुमसे जुदा होने वाली और बर्बाद हो जाने वाली चीज़ है पस चाहिए कि होशमंदी बरतो और यहाँ इताअते-इलाही कर लो और ताक़त भर नेकियाँ कमा लो, अल्लाह की दी हुई ताक़त के बग़ैर कोई काम नहीं बनता। फिर इंसानी आज़माइश का ज़िक्र हो रहा है, जैसे और जगह है (وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ) (2/बक़रह : 155) मतलब यह है कि मो'मिन का इम्तिहान ज़रूर होता है कभी जानी कभी माली कभी अहलो अयाल में

कभी और किसी तरह यह आज़माइश दीनदारी के अंदाज़ के मुताबिक़ होती है, सख़्त दीनदार की इब्तिला भी सख़्त और कमज़ोर दीन वाले का इम्तिहान भी कमज़ोर।

सब्र की तल्क़ीन : फिर परवरदिगार जल्ला शानुहू, सहाबा किराम (رضی اللہ عنہم) को ख़बर देता है कि बद्र से पहले मदीना में तुमको अहले किताब और मुश्रिकों से ईज़ा दहिन्दा बातें और सरज़निश सुननी पड़ेगी, फिर तसल्ली देता हुआ तरीक़ा सिखलाता है कि तुम सब्र व सहार कर लिया करो और परहेज़गारी पर तो यह बड़ा भारी काम है। हज़रत उसामा बिन ज़ेद (رضی اللہ عنہ) फ़र्माते हैं कि नबी (ﷺ) और आपके अस्हाब (رضی اللہ عنہم) मुश्रिकीन से और अहले किताब से बहुत कुछ दरगुज़र फ़र्माया करते थे और उनकी ईज़ाओं (तक्लीफ़ों) को सह लिया करते थे और अल्लाह तआला के इस फ़र्मान पर आमिल थे यहाँ तक कि जिहाद की आयतें उतरीं। सहीह बुख़ारी शरीफ़ में इस आयत की तफ़्सीर के मौक़े पर है कि आँहज़रत (ﷺ) अपने गधे पर सवार होकर हज़रत उसामा (رضی اللہ عنہ) को अपने पीछे बिठाकर हज़रत सअद बिन उबादा (رضی اللہ عنہ) की एयादत के लिए हारिस बिन ख़ज़्रज के क़बीले में तशरीफ़ ले चले, यह वाक़िया जंगे बद्र से पहले का है, रास्ते मे एक मख़्लूत मज्लिस बैठी हुई मिली जिसमें मुसलमान भी थे, यहूदी भी थे, मुश्रिकीन भी थे और अब्दुल्लाह बिन उबय बिन सलूल भी था, यह भी अब तक कुफ़्र के खुले रंग में था। मुसलमानों में हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा (रज़ि) भी थे। हुज़ूर (ﷺ) की सवारी से गर्दो गुबार जो उड़ा तो अब्दुल्लाह बिन उबय बिन सलूल ने नाक पर कपड़ा रख लिया और कहने लगा, गुबार न उड़ाओ! हुज़ूर (ﷺ) पास पहुँच ही चुके थे, सवारी से उतर आए, सलाम किया और उन्हे इस्लाम की दा'वत दी और कुरआन की चंद आयतें सुनाईं। तो अब्दुल्लाह बोल पड़ा, सुनिए साहब! आपका यह तरीक़ा हमें पसंद नहीं। आप (ﷺ) की बातें हक़ ही सही लेकिन इसकी क्या वजह है कि आप हमारी मज्लिसों में आकर हमें ईज़ा दें, अपने घर जाईए जो आपके पास आए, उसे सुनाइए। यह सुनकर हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा (رضی اللہ عنہ) ने फ़र्माया, हुज़ूर (ﷺ)! बेशक आप (ﷺ) हमारी मज्लिसों में तशरीफ़ लाया करें, हमें तो इसकी ऐन चाहत है, अब इन सब में आपस में ख़ूब तकरार हुई, एक दूसरे को बुरा भला कहने लगे और क़रीब था कि खड़े होकर लड़ने लगें, लेकिन हुज़ूर (ﷺ) के समझाने से आख़िरकार अम्नो-अमान हो गया और सब ख़ामोश हो गए। आप (ﷺ) अपनी सवारी पर सवार होकर हज़रत सअद (رضی اللہ عنہ) के यहाँ तशरीफ़ ले गए और वहाँ जाकर हज़रत सअद (رضی اللہ عنہ) से फ़र्माया कि ''अबू हुबाब! अब्दुल्लाह बिन उबय ने तो आज यूँ यूँ कहा।'' हज़रत सअद (رضی اللہ عنہ) ने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! आप (ﷺ) जाने दीजिए, मा'फ़ कीजिए और दरगुज़र कीजिए। क़सम अल्लाह की जिसने आप पर कुरआन उतारा, सुनिए उसे तो आप (ﷺ) से बेहद दुश्मनी है और हो भी क्यों न, इसलिए कि यहाँ के लोगों ने उसे सरदार बनाना चाहा था और उसे चौधराहट की पगड़ी बंधवाने का मश्वरा तय हो चुका था। इधर अल्लाह तआला ने आपको अपना नबी बरहक़ बनाकर भेजा। लोगों ने आप (ﷺ) को नबी माना, उसकी सरदारी जाती रही, जिसका उसे रंज है, इसी बाइस यह अपने जले दिल के फफोले फोड़ रहा है। जो कह दिया कह दिया आप उसे अहमियत न दें। चुनाँचे हुज़ूर (ﷺ) ने दरगुज़र कर लिया और यही आपकी आदत थी और आपके अस्हाब (رضی اللہ عنہم) की भी, यहूदियों से मुश्रिकों से दरगुज़र फ़र्माते सुनी अनसुनी कर दिया करते और इस फ़र्मान पर अमल करते। यही हुक्म आयत (وَدَّ كَثِيرٌ) में है जो हुक्म अफ़ू व दरगुज़र का इस आयत (وَلَتَسْمَعُنَّ) में है।

फिर उसके बाद आप (ﷺ) को जिहाद की इजाज़त दी गई और पहला ग़ज़्वा बद्र का हुआ, जिसमें

सरदाराने लश्करे कुफ़्फ़ार क़त्लो ग़ारत हुए। यह हालत और यह शौकते इस्लाम देखकर अब अ़ब्दुल्लाह बिन उबय बिन सलूल और उसके साथी घबराए, बजुज़ उसके कोई चारा नहीं नज़र आया कि बे'अ़त कर लें और बज़ाहिर मुसलमान हो जाएँ। (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर, सूरह आले इमरान, बाब (وَ لَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ) : 4566; सहीह मुस्लिम, किताबुल जिहाद : 1798) पस यह कुल्लिया क़ायदा याद रखना चाहिए कि हर हक़ वाले पर जो नेकी और भलाई का हुक्म करता रहे और जो बुराई और ख़िलाफ़े शरअ़ काम से रोकता रहे ज़रूर मुसीबतें और आफ़तें आती हैं, उसे चाहिए कि उन तमाम तक्लीफ़ों को झेले और राहे अल्लाह में सब्रो सिहार से काम ले, उसी की पाक ज़ात पर भरोसा रखे, उसी से मदद तलब करता रहे और अपनी कामिल रग़्बत और पूरा रुजूअ़ उसी की तरफ़ रखे।

***

وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَتُبَيِّنُنَّهٗ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُوْنَهٗ فَنَبَذُوْهُ وَرَآءَ ظُهُوْرِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۭ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُوْنَ ﴿۱۸۷﴾ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَفْرَحُوْنَ بِمَآ اَتَوْا وَّيُحِبُّوْنَ اَنْ يُّحْمَدُوْا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوْا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿۱۸۸﴾ وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ وَاللّٰهُ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿۱۸۹﴾

तर्जुमा : ''अल्लाह तआ़ला ने जब अहले किताब से अ़हद लिया कि तुम उसे सब लोगों से बयान करते रहा करो और इसे छुपाओ नहीं, फिर भी इन लोगों ने इस अ़हद को अपनी पीठ पीछे डाल दिया और इसे बहुत कम क़ीमत पर बेच डाला, इनका यह व्यापार बहुत बुरा है। (187) वह लोग जो अपने करतूतों पर ख़ुश हैं और चाहते हैं कि जो इन्होंने नहीं किया इस पर भी इनकी ता'रीफ़ें की जाएँ तो इन्हें अ़ज़ाब से छुटकारा में न समझ इनके लिए तो दर्दनाक अ़ज़ाब है। (188) आसमानों और ज़मीनों का मालिक अल्लाह ही है, और अल्लाह तआ़ला हर चीज़ पर क़ादिर है।'' (189)

अहले-किताब और आ़लमे अरवाह में किया गया वा'दा (आयत 187-189) : अल्लाह तआ़ला यहाँ अहले-किताब को डाँट रहा है कि पैग़म्बरों की वसातत से जो अ़हद उनका जनाब बारी तआ़ला से हुआ

था कि हुज़ूर पैग़म्बर आख़िरुज़्ज़माँ (ﷺ) पर यह ईमान लाएँगे और आपके ज़िक्र को और आप (ﷺ) की बशारत की पेशगोई को लोगों में फैलाएँगे और उन्हें आपकी ताबे'दारी पर आमादा करेंगे और फिर जिस वक़्त आप आ जाएँ तो यह दिल आपके ताबे'दार हो जाएँगे, लेकिन इन्होंने उस अ़हद को छुपालिया और उसके ज़ाहिर करने पर जिन दुनिया और आख़िरत की भलाईयों का उनसे वा'दा किया गया था उनके बदले दुनिया की थोड़ी सी पूँजी में उलझकर रह गए, उनकी यह ख़रीदो-फ़रोख़्त बद से बदतर है। इसमे उ़लमा को तम्बीह है कि वह इनकी त़रह़ न करें वरना इन पर भी वही सरज़निश होगी जो उन पर हुई और इन्हें भी अल्लाह की वह नाराज़गी उठानी पड़ेगी जो उन्होंने उठाई। उ़लमा-ए-किराम को चाहिए कि उनके पास जो नफ़ा देने वाला दीनी इल्म हो जिससे लोग नेक अ़मल जमकर कर सकते हों, उसे फैलाते रहें और किसी बात को न छुपाएँ। ह़दीस शरीफ़ में है "जिस शख़्स से इल्म का कोई मसला पूछा जाए और वह उसे छुपा ले तो क़यामत के दिन आग की लगाम पहनाया जाएगा।" (अबूदाऊद, किताबुल इल्म, बाब कराहयतु मन्अ़ल इल्म : 3658; वसनदुहू ह़सन; तिर्मिज़ी : 2649)

दूसरी आयत में रियाकारी की मज़म्मत बयान हो रही है। बुख़ारी व मुस्लिम की ह़दीस में है जो शख़्स झूठा दा'वा करके ज़्यादा माल कमाना चाहे, उसे अल्लाह तआ़ला और कम कर देगा। (स़ह़ीह़ मुस्लिम, किताबुल ईमान, बाब बयान ग़िल्ज़ु तह़रीमे क़त्लिल इंसान नफ़्सुहू : 110; इसकी अस़ल स़ह़ीह़ बुख़ारी 6047 में मौजूद है।) बुख़ारी व मुस्लिम की दूसरी ह़दीस में है "जो न दिया गया हो उसके साथ आसूदगी जताने वाला मिस्ल दो झूठे कपड़े पहनने वाले के है।" (स़ह़ीह़ बुख़ारी, किताबुन्निकाह़, बाबुल म... : 5219; स़ह़ीह़ मुस्लिम : 2129) मुस्नद अह़मद में है कि एक मर्तबा मरवान ने अपने दरबान राफ़ेअ़ से कहा कि ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (رضي الله عنه) के पास जाओ और उनसे कहो कि अगर अपने काम पर ख़ुश होने और न किए हुए काम पर ता'रीफ़ पसंद करने के सबब अल्लाह का अ़ज़ाब होगा तो हममें से कोई इससे छुटकारा नहीं पा सकता। ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह (رضي الله عنه) ने इसके जवाब में फ़र्माया कि तुमको इस आयत से क्या तअ़ल्लुक़? यह तो अहले-किताब के बारे में है। फिर आप (रज़ि.) ने (وَ إِذْ أَخَذَ اللّٰهُ) से इस आयत के ख़त्म तक तिलावत की और फ़र्माया कि इनसे (उलमा-यहूद से) नबी (ﷺ) ने किसी चीज़ के बारे में सवाल किया था तो उन्होंने इसका कुछ और ही ग़लत़ जवाब दिया और बाहर निकलकर गुमान करने लगे कि हमने आप (ﷺ) के सवाल का जवाब दे दिया और साथ ही उनकी यह भी चाहत थी कि आप (ﷺ) के पास हमारी ता'रीफ़ होगी और अस़ली सवाल के जवाब के छुपा लेने पर और अपने झूठे फ़िक़रा चल जाने पर भी वह ख़ुश थे, उसी का बयान इस आयत में है। यह ह़दीस बुख़ारी वग़ैरह में भी है। (अह़मद : 1/289; स़ह़ीह़ बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर, सूरह आले इमरानः 4568; स़ह़ीह़ मुस्लिम : 2778) और स़ह़ीह़ बुख़ारी शरीफ़ में यह भी है कि जब रसूलुल्लाह (ﷺ) मैदाने जंग में तशरीफ़ ले जाते तो मुनाफ़िक़ीन अपने घरो में घुसे बैठे रहते, साथ न जाते, फिर ख़ुशियाँ मनाते कि हम लड़ाई से बच गए, अब जब अल्लाह तआ़ला के नबी (ﷺ) वापिस लौटते तो यह बातें बनाते झूठे सच्चे उ़ज़्र करते और क़समें खा खाकर अपने मा'ज़ूर होने का आप (ﷺ) को यक़ीन दिलाते और चाहते कि न किए हुए काम पर भी हमारी ता'रीफ़ें हों, जिस पर यह आयत उतरी। (स़ह़ीह़ बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर, सूरह आले इमरानः 4567; स़ह़ीह़ मुस्लिम : 2778)

तफ़्सीर इब्ने मर्दवे में है कि मरवान ने ह़ज़रत अबू सईद (رضي الله عنه) से इस आयत के बारे में इसी त़रह़

सवाल किया था जिस तरह ऊपर गुज़रा कि हज़रत इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से पुछवाया तो हज़रत अबू सईद (رضي الله عنه) ने इसका मिस्दाक़ और इसका शाने नुज़ूल उन मुनाफ़िक़ों को क़रार दिया जो ग़ज़्वा के वक़्त बैठ जाते अगर मुसलमानों को नुक़्सान होता तो बग़लें बजाते, अगर फ़ायदा होता तो अपना मा'ज़ूर होना ज़ाहिर करते और फ़तह और नुसरत की ख़ुशी का इज़्हार करते। इस पर मरवान ने कहा, कहाँ यह वाक़िया कहाँ यह आयत? तो हज़रत अबू सईद (رضي الله عنه) ने फ़र्माया कि, यह ज़ेद बिन साबित (رضي الله عنه) भी इससे वाक़िफ़ हैं, मरवान ने हज़रत ज़ेद (رضي الله عنه) से पूछा, आपने भी इसकी तस्दीक़ की, फिर हज़रत अबू सईद (رضي الله عنه) ने फ़र्माया, इसका इल्म हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (رضي الله عنه) को भी है, मज्लिस में मौजूद थे लेकिन उन्हें डर है कि अगर यह ख़बर कर देंगे तो आप उनकी ऊँटनियाँ जो सदक़ा की हैं छीन लेंगे। बाहर निकलकर हज़रत ज़ेद (رضي الله عنه) ने कहा, मेरी शहादत पर तुम मेरी ता'रीफ़ नहीं करते? हज़रत अबू सईद (رضي الله عنه) ने फ़र्माया, तुमने सच्ची शहादत अदा कर दी तो हज़रत ज़ेद (رضي الله عنه) ने फ़र्माया, फिर भी सच्ची शहादत पर मैं मुस्तहिक़े ता'रीफ़ तो हूँ। मरवान उस ज़माने में मदीना के अमीर थे। दूसरी रिवायत में है कि मरवान का यह सवाल राफ़ेअ बिन ख़दीज (رضي الله عنه) से ही पहले हुआ था। इससे पहले की रिवायत में यह गुज़र चुका है कि मरवान ने इस आयत की बाबत हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (رضي الله عنه) से पुछवाया था, तो याद रहे कि उन दोनों में कोई तज़ाद और मुनाफ़ात नहीं हम कह सकते हैं कि आयत आम है, इसे भी शामिल है और उसे भी। मरवान वाली रिवायत में भी मुम्किन है पहले उन दोनो सहाबियों ने जवाब दिये हों फिर मज़ीद तशफ़्फ़ी के तौर पर हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (رضي الله عنه) से भी मरवान ने बज़रिये अपने आदमियों से सवाल किया हो, वल्लाहु आ'लम!

हज़रत साबित बिन क़ैस अंसारी (رضي الله عنه) हाज़िरे-ख़िदमते नबवी होकर अर्ज़ करते हैं कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! मुझे तो अपनी हलाकत का बड़ा अंदेशा है। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, क्यूँ? जवाब दिया एक तो इस वजह से कि अल्लाह तआला ने इस बात से रोका है कि जो न किया हो उस पर ता'रीफ़ को पसंद करें और मेरा यह हाल है कि मैं ता'रीफ़ पसंद करता हूँ, दूसरी बात यह है कि तकब्बुर से अल्लाह तआला ने रोका है ओर मैं जमाल को पसंद करता हूँ। तीसरे यह कि हुज़ूर (ﷺ) की आवाज़ से बुलंद आवाज़ करना मम्नूअ है और मैं बुलंद आवाज़ वाला हूँ। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, "क्या तू इस बात से ख़ुश नहीं कि तेरी ज़िन्दगी बेहतरीन और बाख़ैर हो और तेरी मौत शहादत की मौत हो और तू जन्नती बन जाए।" यह ख़ुश होकर कहने लगे, क्यूँ नहीं या रसूलल्लाह (ﷺ)! यह तो बहुत ही अच्छी बात है, चुनाँचे यही हुआ कि आप (رضي الله عنه) की ज़िन्दगी क़ाबिले तारीफ़ हुई और मौत शहादत की हुई। मुसेलिमा कज़्ज़ाब के साथ मुसलमानों की जो जंग हुई उसमें आप (ﷺ) ने शहादत पाई। (हाकिम : 3/234; इमाम हाकिम (रह.) ने शर्ते शैख़ेन के मुताबिक़ इसे सहीह क़रार दिया और अल्लामा ज़हबी (रह.) ने इनकी मुवाफ़िक़त फ़र्माई है। लेकिन यह रिवायत इर्साल की वजह से ज़ईफ़ है। नीज़ देखिए सहीह इब्ने हिब्बान : 7167, 7123) (तहसबन्नहुम) को (यहसबन्नहुम) भी पढ़ा गया है।

फिर फ़र्मान है कि तू इन्हें अज़ाब से नजात पाने वाला ख़्याल न कर, इन्हें अज़ाब ज़रूर होगा और वह भी दर्दनाक। फिर इर्शाद होता है कि हर चीज़ का मालिक और हर चीज़ पर क़ादिर अल्लाह तआला है, उसे कोई काम आजिज़ नहीं कर सकता, पस तुम उससे डरते रहो और उसकी मुख़ालिफ़त न करो, उसके ग़ज़ब से बचने की कोशिश करो, उसके अज़ाबों से अपना बचाव कर लो, न तो कोई उससे बड़ा न उससे ज़्यादा क़ुदरत वाला है।

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّأُولِي
الْأَلْبَابِ ۝١٩٠ الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيٰمًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِي
خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا ۚ سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ
النَّارِ ۝١٩١ رَبَّنَآ إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهٗ ۗ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ أَنْصَارٍ
۝١٩٢ رَبَّنَآ إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِيْ لِلْإِيْمَانِ أَنْ اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا ۖ رَبَّنَا
فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّاٰتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ ۝١٩٣ رَبَّنَا وَاٰتِنَا مَا
وَعَدْتَّنَا عَلٰى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ۝١٩٤

तर्जुमा : ''आसमानों और ज़मीन की पैदाइश में और रात दिन के हेर-फेर में यक़ीनन अक़्लमंदों के लिए निशानियाँ हैं। (190) जो अल्लाह तआला का ज़िक्र करते हैं, खड़े और बैठे और अपनी करवटों पर लेटे और आसमान व ज़मीन की पैदाइश मे ग़ोरो-फ़िक्र करते हैं। और कहते हैं, ऐ हमारे रब! तूने यह बेफ़ायदा नहीं बनाया, तू पाक है पस हमें अज़ाबे जहन्नम से बचा ले। (191) ऐ हमारे पालने वाले! तू जिसे जहन्नम में डाले यक़ीनन तूने उसे रुस्वा किया, और ज़ालिमों का मददगार कोई नहीं। (192) ऐ हमारे रब! हमने सुना कि मुनादी करने वाला बाआवाज़े बुलंद ईमान की तरफ़ बुला रहा है कि लोगों! अपने रब पर ईमान लाओ, पस हम ईमान लाए। ऐ अल्लाह! अब तू हमारे गुनाह मा'फ़ फ़र्मा और हमारी बुराईयाँ हमसे दूर कर दे और हमारी मौत नेक लोगों के साथ कर। (193) ऐ हमारे परवरिश करने वाले अल्लाह! हमें वह दे जिसका वा'दा तूने हमसे अपने रसूलों की ज़ुबानी किया है और हमें क़यामत के दिन रुस्वा न कर, यक़ीनन तू वा'दाख़िलाफ़ी नहीं करता।'' (194)

अल्लाह तआला की मख़्लूक़ात में ग़ोरो-फ़िक्र की तर्ग़ीब (आयत 190-194) : तबरानी में है हज़रत इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) फ़र्माते हैं कि क़ुरेश यहूदियों के पास गए और उनसे पूछा कि हज़रत मूसा (عليه السلام) तुम्हारे पास क्या क्या मु'जिज़ात लेकर आए थे? उन्होंने कहा, अज़्दहा बन जाने वाली लकड़ी और चमकीला

हाथ, फिर नसरानियों के पास गए उनसे कहा, तुम्हारे पास हज़रत ईसा (عليه السلام) क्या निशानियाँ लाए थे? जवाब मिला कि माँ के पेट के अंधों को बीना कर देना और कोढ़ी को अच्छा कर देना और मुर्दों को ज़िन्दा कर देना। अब कुरैश आँहज़रत (ﷺ) के पास आए और आप (ﷺ) से कहा कि अल्लाह तआ़ला से दुआ कीजिए कि हमारे लिए सफ़ा पहाड़ को सोने का बना दे। आप (ﷺ) ने दुआ की जिस पर आयत (إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَ الْأَرْضِ) उतरी, या'नी निशाने कुदरत देखने वालों के लिए इसी में बड़ी निशानियाँ हैं यह इसी में ग़ोरो-फ़िक्र करेंगे तो उन कुदरतों वाले अल्लाह तआ़ला के सामने झुक जाएँगे। (अस्बाबुन् नुज़ूल लिल वाहिदी : 284; तबरानी : 12322; वसनदुहू ज़ईफ़; इसकी सनद में यह्या अल्हमानी ज़ईफ़ है, देखिए (मज्मउज़्ज़वाइद : 6/332; फ़त्हुल बारी : 8/235) लेकिन इस रिवायत में एक इश्काल है वह यह कि यह सवाल मक्का शरीफ़ में नाज़िल हुआ था और यह आयत मदीना शरीफ़ में नाज़िल हुई, वल्लाहु आ'लम! आयत का मतलब यह है कि आसमान जैसी बुलंद और वुस्अ़त वाली मख़्लूक़ और ज़मीन जैसी पस्त और सख़्त लम्बी चौड़ी मख़्लूक़ फिर आसमान में बड़ी-बड़ी निशानियाँ मस्लन चलने-फिरने वाले और एक जगह ठहरे रहने वाले सितारे और ज़मीन की बड़ी-बड़ी पैदावार मस्लन पहाड़ और जंगल और दरख़्त और घास और खेतियाँ और फल और मुख़्तलिफ़ क़िस्म के जानदार और कानें और अलग-अलग स्वाद वाले और तरह-तरह की ख़ुश्बूओं वाले और मुख़्तलिफ़ ख़्वास वाले मेवे वग़ैरह, क्या यह सब आयाते कुदरत एक सोच समझ वाले इंसान की रहबरी अल्लाह तआ़ला की तरफ़ नहीं कर सकतीं? जो और निशानियाँ देखने की ज़रूरत बाक़ी रहे। फिर दिन रात का आना जाना और उनका कम ज़्यादा होना फिर बराबर हो जाना यह सब उस अ़ज़ीज़ो-अ़लीम अल्लाह तआ़ला की कुदरते-कामिला की पूरी-पूरी निशानियाँ हैं। इसीलिए आख़िर में फ़र्माया कि इसमें अ़क़्लमंदों के लिए काफ़ी निशानियाँ हैं जो पाक नफ़्स वाले हर चीज़ की हक़ीक़त पर नज़रें डालने के आदी हैं और बेवक़ूफ़ों की तरह आँख के अंधे और कान के बहरे नहीं। जिनकी हालत और जगह बयान हुई है कि वह आसमान और ज़मीन की बहुत सी निशानियाँ पैरों तले रौंदते हुए गुज़र जाते हैं और ग़ोरो-फ़िक्र नहीं करते, उनमें के अकसर बावजूद अल्लाह को मानने के फिर भी शिर्क से नहीं बच सकते। अब इन अ़क़्लमन्दों की सिफ़तें बयान हो रही हें कि वह उठते, बैठते, लेटते अल्लाह का नाम लिया करते हैं।

बुख़ारी व मुस्लिम में है कि हुज़ूर (ﷺ) ने हज़रत इमरान बिन हुसेन (رضي الله عنه) से फ़र्माया, ''खड़े होकर नमाज़ पढ़ा करो अगर ताक़त न हो तो बैठकर और यह भी न हो सके तो लेटे-लेटे ही सही।'' (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर, बाब इज़ा लम युतिक़ क़ाइदन सल्लि अ़ला जम्बिन : 1117; अबूदाऊद : 952; तिर्मिज़ी : 372; इब्ने माजा : 1223) या'नी किसी हालत में ज़िक्रे अल्लाह तआ़ला से ग़ाफ़िल मत रहो, दिल में और पोशीदा और ज़ुबान से ज़िक्रुल्लाह करते रहा करो।'' यह लोग आसमान और ज़मीन की पैदाइश में नज़रें दौड़ाते हैं और उनकी हिक्मतों पर ग़ोर करते हैं जो उस ख़ालिक़ यक्ता की अ़ज़्मत व कुदरत इल्मो-हिक्मत इख़्तियारो रहमत पर दलालत करती हैं। हज़रत शैख़ सुलेमान दारानी (रह.) फ़र्माते हैं कि घर से निकलकर जिस-जिस चीज़ पर मेरी नज़र पड़ती है, मैं देखता हूँ कि उसमें अल्लाह तआ़ला की एक ने'मत मुझ पर मौजूद

है और मेरे लिए वह बाइसे-इब्रत है। हज़रत हसन बसरी (रह.) का क़ौल है कि एक साअत ग़ोरो-फ़िक्र करना रात भर के क़याम से अफ़ज़ल है। हज़रत फ़ुज़ेल (रह.) फ़र्माते हैं कि हज़रत हसन (रह.) का क़ौल है कि ग़ोरो फ़िक्र और मुराक़िबा एक ऐसा आईना है जो तेरे सामने तेरी बुराईयाँ-भलाईयाँ पेश कर देगा। हज़रत सुफ़ियान बिन उयेयना (रह.) फ़र्माते हैं ग़ोरो-फ़िक्र एक नूर है जो तेरे दिल पर अपना पर तो डालेगा और बसाऔक़ात यह बैत पढ़ते।

इज़ल मर उ कानत लहू फिक्रतुन   फकी कुल्ले शैइन लहू इब्रतुन

या'नी जिस इंसान को बारीक बीनी की और सोच समझ की आदत पड़ गई उसे हर चीज़ में एक इब्रत और आयत नज़र आती है।

हज़रत ईसा (अलै.) फ़र्माते हैं, ख़ुशनसीब है वह शख़्स जिसका बोलना ज़िक्रुल्लाह और नसीहत हो और उसका चुप रहना ग़ोरो-फ़िक्र हो और उसका देखना इब्रत और तंबीह हो। लुक़मान हकीम (रह.) का यह हिक्मत आमेज़ मक़ोला भी याद रहे कि तंहाई की गोशा-नशीनी जिस क़द्र ज़्यादा हो उसी क़द्र ग़ोरो-फ़िक्र और अंजाम बीनी ज़्यादा होती है और जिस क़द्र यह बढ़ जाए उसी क़द्र वह रास्ते इंसान पर खुल जाते हैं जो उसे जन्नत में पहुँचा दें। हज़रत वहब बिन मुनब्बह (रह.) फ़र्माते हैं जिस क़द्र मुराक़िबा ज़्यादा होगा उसी क़द्र समझ बूझ तेज़ होगी और जितनी समझ ज़्यादा होगी, उतना इल्म नसीब होगा और जिस क़द्र इल्म ज़्यादा होगा नेक आ'माल भी बढ़ेंगे। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (रह.) का इर्शाद है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के ज़िक्र में ज़ुबान का चलाना बहुत अच्छा है और अल्लाह की ने'मतों में ग़ोरो फ़िक्र करना अफ़ज़ल इबादत है। हज़रत मुग़ीस बिन अस्वद (रह.) मज्लिस मे बैठे हुए फ़र्माते कि लोगों! क़ब्रिस्तान हर दिन जाया करो ताकि तुमको अंजाम का ख़्याल पैदा हो फिर अपने दिल में उस मंज़र को हाज़िर करो कि तुम अल्लाह तआला के सामने खड़े हो फिर एक जमाअत को जहन्नम में ले जाने का हुक्म होता है और एक जमाअत जन्नत में जाती है, अपने दिलों को इस हाल में जज़्ब करो और अपने बदन को भी वहीं हाज़िर जान लो। जहन्नम को अपने सामने देखो उसके हथोड़े को उसकी आग के क़ैदख़ानों को अपने सामने लाओ, इतना फ़र्माते ही दहाड़े मार मारकर रोने लगते हैं यहाँ तक कि बेहोश हो जाते हैं।

हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक (रह.) फ़र्माते हैं एक शख़्स ने एक राहिब से एक क़ब्रिस्तान और एक कूड़ा डालने की जगह पर मुलाक़ात की और उससे कहा, ऐ राहिब! तेरे पास इस वक़्त दो ख़ज़ाने हैं, एक ख़ज़ाना लोगों का या'नी क़ब्रिस्तान, एक ख़ज़ाना माल का या'नी कूड़ा-करकट, पाख़ाना पेशाब डालने की जगह। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) खण्डरात पर जाते और किसी टूटे-फूटे दरवाज़े पर खड़े रहकर निहायत हसरत व अफ़सोस के साथ आवाज़ निकालते और फ़र्माते, ऐ उजड़े हुए घरो! तुम्हारे रहने वाले कहाँ हैं? फिर ख़ुद फ़र्माते सब ज़ेरे ज़मीन चले गए, सब फ़ना का जाम पी चुके, सिर्फ़ ज़ाते अल्लाह को हमेशगी वाली बक़ा है हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) का इर्शाद है, दो रकअतें जो दिल बस्तगी के साथ

अदा की जाएँ, उस तमाम नमाज़ से अफ़ज़ल हैं जिसमें सारी रात गुज़ार दी लेकिन दिलचस्पी न थी। इमाम हसन बसरी (रह़.) फ़र्माते हैं ऐ इब्ने आदम! अपने पेट के तीसरे हिस्से में खा, तीसरे हिस्से में पानी पी और तीसरा हिस्सा उन सांसों के लिए छोड़ जिसमें तू आख़िरत की बातों पर अपने अंजाम पर और अपने आ'माल पर ग़ोरो फ़िक्र कर सके। कुछ हकीमों का क़ौल है कि जो शख़्स दुनिया की चीज़ों पर बग़ैर इब्रत हासिल किए नज़र डालता है उस ग़फ़्लत के अंदाज़े से उसकी दिल की आँखें कमज़ोर पड़ती जाती हैं। हज़रत बशीर बिन हारिस हाफ़ी (रह़.) का फ़र्मान है कि अगर लोग अल्लाह तआला की अज़्मत का ख़याल करते तो हर्गिज़ इनसे नाफ़र्मानियाँ नहीं होतीं। हज़रत आमिर बिन अब्दे क़ेस (रह़.) फ़र्माते हैं कि मैंने बहुत से सहाबा (رضی اللہ عنہم) से सुना है कि ईमान की रोशनी ग़ोरो फ़िक्र और मुराक़िबा में है। मसीह इब्ने मरयम सय्यदना हज़रत ईसा (علیہ السلام) का फ़र्मान है कि इब्ने आदम, ऐ ज़ईफ़ इंसान! जहाँ कहीं तू हो अल्लाह तआला से डरता रह, दुनिया में आजिज़ी और मिस्कीनी के साथ रह, अपना घर मस्जिदों को बना ले, अपनी आँखों को रोना सिखा,अपने जिस्म को सब्र की आदत सिखा, अपने दिल को ग़ोरो-फ़िक्र करने वाला बना, कल की रोज़ी की फ़िक्र आज न कर।

अमीरुल मो'मिनीन हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (रह़.) एक मर्तबा मज्लिस में बैठे हुए रो दिए। लोगों ने वजह पूछी तो आपने फ़र्माया, मैंने दुनिया में और इसकी लज़्ज़तों में और इसकी ख़्वाहिशों में ग़ोरो फ़िक्र किया और इब्रत हासिल की, जब नतीजा पर पहुँचा तो मेरी उमंगें ख़त्म हो गईं, हक़ीक़त यह है कि हर शख़्स के लिए इसमें इब्रत व नसीहत है और वा'ज़ व पंद है। हुसेन बिन अब्दुर्रहमान (रह़.) ने भी अपने अश्आर में इस मज़्मून को ख़ूब निभाया है। पस अल्लाह तआला ने अपने उन बन्दों की मदह व सना बयान की जो मख़्लूक़ात और कायनात से इब्रत हासिल करते हैं और नसीहत लें और उन लोगों की मज़म्मत बयान की जो कुदरत की निशानियों पर ग़ोर न करें। मो'मिनों की मदह (तारीफ) मे बयान हो रहा है कि यह लोग उठते बैठते-लेटते अल्लाह तआला का ज़िक्र करते हैं, ज़मीनो आसमान की निशानियों में ग़ौरो-फ़िक्र करते हैं और कहते हैं कि ऐ अल्लाह! तूने इस ख़ल्क़ को अबस और बेकार नहीं बनाया बल्कि हक़ के साथ पैदा किया है ताकि बुरों की बुराई का बदला और नेकों की नेकियों का बदला अता फ़र्माए। फिर अल्लाह तआला की पाकीज़गी बयान करते हैं कि तू इससे मुनज़्ज़ा है कि किसी चीज़ को मुहमल बनाए, ऐ ख़ालिक़े ख़ल्क़! ऐ अदलो इंसाफ़ से कायनात को रचाने वाले! ऐ नुक़्सानों और ऐ'बों से पाक ज़ात! हमें अपनी कुव्वत व ताक़त से उन आ'माल की तौफ़ीक़ फ़र्मा जिनसे हम तेरे अज़ाबों से नजात पा लें और तेरी ने'मतों से मालामाल होकर जन्नत में दाख़िल हो जाएँ। यह यूँ भी कहते हैं कि ऐ अल्लाह! जिसे तू जहन्नम में ले जाए, उसे तूने बर्बाद कर दिया, ज़लीलो-ख़्वार कर दिया और मज्मअ़े हश्र के सामने उन्हें रुस्वा कर दिया, ज़ालिमों का कोई मददगार नहीं, उन्हें न कोई छुड़ा सके, न बचा सके, न तेरे इरादे के आगे आ सके, ऐ रब! हमने पुकारने वाले की पुकार को सुन लिया, जो ईमान इस्लाम की तरफ़ बुलाता है। मुराद इससे आँहज़रत (ﷺ) हैं, जो फ़र्माते हैं कि अपने रब पर ईमान लाओ, हम ईमान ला चुके और ताबे'दारी बजा लाए पस

हमारे ईमानदार इत्तिबाअ की वजह से हमारे गुनाहों को मा'फ़ फ़र्मा, इनकी पर्दापोशी कर और हमारी बुराईयों को हमसे दूर कर दे और हमें सालेह और नेक लोगों के साथ मिला दे, तूने हमसे जो वा'दा अपने रसूलों की ज़ुबानी किए हैं उन्हें पूरा कर। और यह मतलब भी बयान किया गया है कि जो वा'दा तूने अपने रसूलों पर ईमान लाने का लिया था। लेकिन पहला मा'नी ज़ाहिर है।

मुस्नद अहमद की हदीस में है 'अस्क़लान दो उरूस में से एक हैं, यहीं से क़यामत के दिन अल्लाह तआला सत्तर हज़ार शख़्सों को खड़ा करेगा जिन पर हिसाबो-किताब ही नहीं, यहीं से पचास हज़ार शहीद उठेंगे जो वफ़्द बनकर अल्लाह तआला के पास जाएँगे, यहीं शहीदों की सफ़ें होंगी जिनके सर कटे हुए उनके हाथों मे होंगे, उनकी गर्दन की रगों से ख़ून बह रहा होगा, यह कहते होंगे, ऐ अल्लाह! हमसे जो वा'दे अपने रसूलों की मा'रिफ़त तूने किए हैं, उन्हें पूरे कर हमें क़यामत के दिन रुस्वा न कर, तू वा'दाख़िलाफ़ी से पाक है। अल्लाह तआला फ़र्माएगा, मेरे यह बन्दे सच्चे हैं इन्हें नहरे बैज़ा में ग़ुस्ल दिलवाओ। यह उसमें ग़ुस्ल करके पाक-साफ़, गोरे-चिट्टे रंग के होकर निकलेंगे और सारी जन्नत उनके लिए मुबाह होगी, जहाँ चाहें जाएँ आएँ जो चाहें खाएँ पीएँ।'' (अहमद : 3/225; इसकी सनद में हिलाल बिन ज़ेद अबी उक़ाल मुत्तहम बिल वज़अ है। देखिए (अल्मौज़ूआत लि इब्ने जौज़ी : 2/53; अल्मीज़ान : 4/313; तल्ख़ीसुल मौज़ूआत लिज़्ज़हबी रह. : 487) लिहाज़ा यह रिवायत सख़्त ज़ईफ़ व मरदूद है।) यह हदीस ग़रीब है और कुछ तो कहते हैं मौज़ूअ है, वल्लाहु आ'लम! हमें क़यामत के दिन तमाम लोगों के मज्मअ में रुस्वा न कर, तेरे वा'दे सच्चे हैं, तूने जो कुछ ख़बरें अपने रसूलों की ज़ुबानी पहुँचाई हैं सब अटल हैं, रोज़े-क़यामत ज़रूर आना है पस तू हमें उस दिन की रुस्वाई से नजात दे। रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़र्माते हैं कि ''बन्दे पर रुस्वाई डाँट-डपट आर और शर्मिंदगी इस क़द्र डाली जाएगी और इस तरह अल्लाह तआला के सामने खड़ा करके उसे क़ाइल मा'क़ूल किया जाएगा कि वह चाहेगा कि काश! मुझे जहन्नम में ही डाल दिया जाता।'' (मुस्नद अबी यअ़ला : 1776; वसनदुहू ज़ईफ़ुन जिद्दा) इस हदीस की सनद भी ग़रीब है। अहादीस से यह भी साबित है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) रात को तहज्जुद के लिए जब उठते तब सूरह आले-इमरान की इन दस आख़िरी आयात की तिलावत फ़र्माते। चुनाँचे बुख़ारी शरीफ़ में है हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (رضي الله عنه) फ़र्माते हैं मैंने अपनी ख़ाला हज़रत मैमूना (رضي الله عنها) के घर रात गुज़ारी, यह माई साहिबा हुज़ूर (ﷺ) की ज़ोजा थीं, हुज़ूर (ﷺ) जब आए तो थोड़ी देर तक तो आप हज़रत मैमूना (رضي الله عنها) से बातें करते रहे, फिर सो गए, जब आख़िरी तिहाई रात बाक़ी रह गई तो आप (ﷺ) उठ बैठे और आसमान की तरफ़ निगाह करके (إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ) से आख़िर सूरह तक की आयतें तिलावत फ़र्माईं फिर खड़े हुए, मिस्वाक करके वुज़ू किया और ग्यारह रकअत नमाज़ अदा की। हज़रत बिलाल (رضي الله عنه) की सुबह की अज़ान सुनकर फिर दो रकअतें सुबह की सुन्नतें पढ़ीं फिर मस्जिद मे तशरीफ़ लाकर लोगों को सुबह की नमाज़ पढ़ाई। (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर, सूरह आले इमरान, बाब (إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ) : 4569; सहीह मुस्लिम : 763) सहीह बुख़ारी में यह रिवायत दूसरी जगह भी है कि बिस्तर के अर्ज़ में तो मैं सोया और लम्बाई में आँहज़रत (ﷺ) और आपकी बीवी साहिबा उम्मुल मो'मिनीन हज़रत

मैमूना (ﷺ) लेटीं, आधी रात के क़रीब-क़रीब कुछ पहले या कुछ बाद हुज़ूर (ﷺ) जागे, अपने हाथों से अपनी आँखें मलते हुए इन दस आयात की तिलावत की फिर एक लटकी हुई मश्क में से पानी लेकर बहुत अच्छी तरह कामिल वुज़ू किया और नमाज़ में खड़े हो गए, मैंने भी खड़े होकर इसी तरह सब कुछ किया और आपकी बाईं जानिब आपकी इक़्तिदा में नमाज़ के लिए खड़ा हो गया, हुज़ूर (ﷺ) ने अपना दाहिना हाथ मेरे सर पर रखकर मेरे कान को पकड़कर मुझे घुमाकर अपनी दाईं जानिब कर लिया और दो-दो रकअतें करके छः मर्तबा या'नी बारह रकअतें पढ़ीं फिर वित्र पढ़ा और लेट गए, यहाँ तक कि मुअज़्ज़िन ने आकर नमाज़ की ख़बर की, आप (ﷺ) ने खड़े होकर दो हल्की रकअतें अदा कीं और बाहर आकर सुबह की नमाज़ पढ़ाई। (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर, बाब (رَبَّنَآ اِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ): 4571; सहीह मुस्लिम : 763)

इब्ने मर्दवे की इस हदीस में है कि हज़रत अब्दुल्लाह (ﷺ) फ़र्माते हैं मुझसे मेरे वालिद हज़रत अब्बास (ﷺ) ने फ़र्माया कि तुम आज की रात हुज़ूर (ﷺ) की आल में गुज़ारो और आप (ﷺ) की रात की नमाज़ की कैफ़ियत देखो। रात को जब सब लोग इशा की नमाज़ पढ़कर चले गए, मैं बैठा रहा। जब हुज़ूर (ﷺ) जाने लगे तो मुझे देखकर फ़र्माया, ''कौन अब्दुल्लाह?'' मैंने कहा, जी हाँ! फ़र्माया, ''क्यूँ रुके हुए हो?'' मैंने कहा, वालिद साहब का हुक्म है कि रात आप (ﷺ) के घर गुज़ारूँ। तो फ़र्माया, बहुत अच्छा, आओ। घर आकर फ़र्माया, बिस्तर बिछाओ। टाट का तकिया आया और हुज़ूर (ﷺ) उस पर सर रखकर सो गए यहाँ तक कि मुझे आपके ख़र्राटों की आवाज़ आने लगी फिर आप (ﷺ) जागे और सीधी तरह बैठकर आसमान की तरफ़ देखकर तीन मर्तबा (سبحان الملك القدوس) पढ़ा फिर सूरह आले इमरान के ख़ात्मा की आयतें पढ़ीं। और रिवायत में है कि आयात की तिलावत के बाद हुज़ूर (ﷺ) ने यह दुआ पढ़ी (اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن بين يدي نورا ومن خلفي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا واعظم لي نورا يوم القيامة) (इब्ने मर्दवे) यह दुआ कुछ सहीह तरीक़ से भी मरवी है। (सहीह बुख़ारी, किताबुद्दा'वात, बाब अद्दुआउ इज़ा .... : 6316; सहीह मुस्लिम : 763; अबूदाऊद : 5043)

इस आयत की तफ़्सीर के शुरू में तबरानी के हवाले से जो हदीस गुज़री है, उससे तो यह मा'लूम होता है कि यह आयत मक्की है लेकिन मशहूर उसके ख़िलाफ़ है या'नी यह कि आयत मदनी है और उसकी दलील में यह हदीस पेश हो सकती है जो इब्ने मर्दवे में है कि हज़रत अता (रह.), हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) हज़रत उबेद बिन उमेर (रह.), हज़रत आइशा सिद्दीक़ा (ﷺ) के पास आए, आपके और उनके दरम्यान पर्दा था। हज़रत सिद्दीक़ा (ﷺ) ने पूछा, उबेद तुम क्यूँ नहीं आया करते? हज़रत उबेद (रह.) ने जवाब दिया, अम्मा जान! सिर्फ़ इसलिए कि किसी शायर का क़ौल है (زرغبا تزد حبا) या'नी कम कम आओ ताकि मुहब्बत बढ़े। हज़रत इब्ने उमेर ने कहा, अब उन बातों को छोड़ो माई साहिबा! हम यह पूछने के लिए हाज़िर हुए हैं कि सबसे ज़्यादा अजीब बात जो तुमने आँहज़रत (ﷺ) की देखी हो वह हमें बताओ। हज़रत आइशा (ﷺ) रो दीं और

फ़र्माने लगीं, हुज़ूर (ﷺ) के तमाम काम अजीबतर थे। अच्छा एक वाक़िया सुनो, एक रात मेरी बारी में हुज़ूर (ﷺ)! मेरे पास आए और मेरे साथ सोए फिर मुझसे फ़र्माने लगे, आईशा! "मैं अपने अल्लाह तआला की कुछ इबादत करना चाहता हूँ मुझे जाने दे।" मैंने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! अल्लाह की क़सम! मैं आप (ﷺ) का कुर्ब चाहती हूँ और यह भी मेरी चाहत है कि आप अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला की इबादत भी करें। अब आप (ﷺ) खड़े हुए और एक मश्क में से पानी लेकर आप (ﷺ) ने हल्का सा वुज़ू किया और नमाज़ के लिए खड़े हो गए फिर जो रोना शुरू किया तो इतना रोए कि दाढ़ी मुबारक तर हो गई फिर सज्दे में गए और इस क़द्र रोए कि ज़मीनतर हो गई, फिर करवट के बल लेट गए और रोते ही रहे, यहाँ तक कि हज़रत बिलाल (رضي الله عنه) ने आकर नमाज़ के लिए बुलाया और आप (ﷺ) के आँसू रवाँ देखकर दरयाफ़्त किया कि ऐ अल्लाह के सच्चे रसूल (ﷺ)! आप क्यूँ रो रहे हैं? अल्लाह तआला ने तो आपके तमाम अगले पिछले गुनाह मा'फ़ फ़र्मा दिए हैं। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, "बिलाल! मैं क्यूँ न रोऊँ? मुझ पर आज की रात यह आयत उतरी है (إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ) अल्ख़ वैल है उस शख़्स के लिए जो इसे पढ़े और फिर इसमे ग़ोरो तदब्बुर न करे।" (इब्ने मर्दवे, इसकी सनद में अबू जनाब यहया बिन अबी हय्या ज़ईफ़ व मुदल्लिस है लिहाज़ा यह सनद ज़ईफ़ है।)

अब्द बिन हुमेद की तफ़्सीर में भी यह हदीस है, उसमें यह भी है कि जब हम हज़रत आइशा (رضي الله عنها) के पास गए हमने सलाम किया तो आपने पूछा तुम कौन लोग हो? हमने अपने नाम बताए और आख़िर में यह भी है कि नमाज़ के बाद आप (ﷺ) अपनी दाहिनी करवट पर लेटे रुख़सार तले हाथ रखा और रोते रहे यहाँ तक आँसूओं से ज़मीन तर हो गई और हज़रत बिलाल (رضي الله عنه) के जवाब में आप (ﷺ) ने यह भी फ़र्माया कि "क्या शुक्रगुज़ार बन्दा न बनूँ?" और आयात के नाज़िल होने के बारे में (عَذَابَ النَّارِ) तक आप (ﷺ) ने तिलावत की। (अब्द बिन हुमेद वसनदुहू ज़ईफ़; इसकी सनद में भी अबू जनाब ज़ईफ़ मुदल्लिस रावी है।) इब्ने मर्दवे की एक ज़ईफ़ सनद वाली हदीस में हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) सूरह आले इमरान के आख़िर की दस आयतें हर रात को पढ़ते। (अल्यौम वल्लैलति लि इब्निस्सुना : 688; इसकी सनद मुज़ाहिर बिन असलम की वजह से ज़ईफ़ है। लिहाज़ा यह सनद ज़ईफ़ है। देखिए (मज्मउज़्ज़वाइद : 2/77) इस रिवायत मे मुज़ाहिर बिन असलम ज़ईफ़ हैं।

***

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ ۖ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ ۖ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ ﴿١٩٥﴾

तर्जुमा : "उनके रब ने उनकी दुआ क़बूल फ़र्मा ली, तुममें से किसी काम करने वाले के काम को ख़्वाह वह मर्द हो ख़्वाह औरत, मैं हर्गिज़ ज़ाया नहीं करता, तुम आपस में एक ही हो, पस वह लोग जिन्होंने हिज्रत की और अपने घर से निकाल दिए गए और जिन्हें मेरी राह में ईज़ा दी गई और जिन्होंने जिहाद किया और शहीद किए गए, मैं ज़रूर-ज़रूर उसकी बुराईयाँ उनसे दूर कर दूँगा और बिलयक़ीन उन्हें उन जन्नतों में ले जाऊँगा जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, यह है सवाब अल्लाह तआला की तरफ़ से और अल्लाह तआला ही के पास बेहतरीन सवाब है।" (195)

दुआएँ अल्लाह तआला ही क़बूल करने वाला है (आयत 195) : (इस्तजाब) मा'नी में अजाबा के है और यह अरबी में बराबर मुरव्वज है। हज़रत उम्मे सलमा (رضی اللہ عنہا) ने एक दिन हुज़ूर (ﷺ) से पूछा कि क्या बात है औरतों की हिज्रत का कहीं क़ुरआन में अल्लाह तआला ज़िक्र ही नहीं करता, इस पर यह आयत उतरी। अंसार का बयान है कि औरतो में सबसे पहली मुहाजिरा औरत जो होदज में आईं, हज़रत उम्मे सलमा (رضی اللہ عنہا) ही थीं। (हाकिम : 2/300; और इसे शर्ते बुख़ारी के मुताबिक़ क़रार दिया है। और अल्लामा ज़हबी (रह.) ने इनकी मुवाफ़िक़त फ़र्माई है लेकिन इसकी सनद सुफ़ियान बिन उयेयना की तदलीस की वजह से ज़ईफ़ है।) माई साहिबा से यह भी मरवी है कि यह आयत सबसे आख़िर मे उतरी है मतलब आयत का यह है कि साहिबे अक़्ल और साहिबे ईमान लोगों ने जब अल्लाह तआला से दुआएँ मांगीं जिनका ज़िक्र पहले की आयतों में था अल्लाह तआला ने भी उनकी मुँह मांगी मुराद उन्हें अता फ़र्माई। इसीलिए इस आयत को 'फ़' से शुरू किया। जैसे और जगह है (وَ إِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيْ) (2/बक़रह : 186) या'नी "मेरे बंदे तुझसे मेरे बारे में सवाल करें तो तू कह दे कि मैं तो बहुत ही नज़दीक हूँ, जब कभी कोई पुकारने वाला मुझे पुकारता है मैं उसकी पुकार को क़बूल कर लेता हूँ, पस उन्हें भी चाहिए कि मेरी मान लिया करें और मुझ पर ईमान रखें, क्या अजब कि यह रुश्दो हिदायत पा लें।" फिर क़बूलियते दुआ की तफ़्सीर होती है और अल्लाह तआला ख़बर देता है कि मैं किसी आमिल के अमल को रायगाँ नहीं करता बल्कि हर एक को पूरा-पूरा बदला अता फ़र्माता हूँ ख़्वाह मर्द हो, ख़्वाह औरत, हर एक मेरे पास सवाब में और आ'माल के बदले में यक्साँ है, पस जो लोग शिर्क की

जगह को छोड़ें और ईमान की जगह आ जाएँ, दारुल कुफ़्र से हिज्रत करें, भाईयों, दोस्तों, पड़ोसियों, और अपनों को अल्लाह तआला के नाम पर तर्क कर दें, मुश्रिकों की ईज़ाएँ सह-सहकर थककर आजिज़ आकर ईमान को न छोड़ें बल्कि अपने प्यारे वतन से मुँह मोड़ लें। लोगों का उन्होंने कोई नुक़्सान नहीं किया था जिसके बदल में उन्हें सताया जाता बल्कि उनका सिर्फ़ यह क़सूर था कि मेरी राह के पीछे लगने वाले थे, सिर्फ़ मेरी तौहीद की वजह से दुनिया की दुश्मनी मोल ले ली थी, मेरी राह पर चलने के बाइस तरह-तरह से सताए जाते थे, जैसे और जगह है (يُخْرِجُوْنَ الرَّسُوْلَ وَ اِيَّاكُمْ اَنْ تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ رَبِّكُمْ) (60/मुम्तहिना : 1) ''यह लोग रसूल (ﷺ) को और तुमको सिर्फ़ इस बिना पर देस निकाला देते हैं कि तुम अल्लाह तआला पर ईमान रखते हो जो तुम्हारा रब है।'' और इर्शाद है (وَ مَا نَقَمُوْا مِنْهُمْ اِلَّآ اَنْ يُّؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ) (85/बुरूज : 8) ''इनसे दुश्मनी इसी वजह से है कि यह अल्लाह अज़ीज़ व हमीद पर ईमान लाए हैं।''

फिर फ़र्माता है कि इन्होंने जिहाद भी किए और यह शहीद भी हुए, यह आ'ला दर्जा है और बुलंद मर्तबा है कि अल्लाह तआला की राह में जिहाद करता है, सवारी कट जाती है मुँह ख़ाक व ख़ून मे मिल जाता है।

बुख़ारी व मुस्लिम में है कि एक शख़्स ने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! अगर मैं सब्र के साथ नेक निय्यती से और दिलेरी से पीछे न हटकर राहे अल्लाह मे जिहाद करूँ और फिर शहीद कर दिया जाँ, तो क्या अल्लाह तआला मेरी ख़ताएँ मा'फ़ कर देगा। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ''हाँ!'' फिर दोबारा आपने उससे सवाल किया कि ज़रा फिर कहना, तुमने क्या कहा था, उसने फिर दोबारा अपना सवाल दोहराया। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ''हाँ!'' मगर क़र्ज़ मा'फ़ न होगा। यह बात जिब्राईल (عليه السلام) मुझसे अभी अभी कह गए।'' (सहीह बुख़ारी, किताबुल मग़ाज़ी, बाब ग़ज़्वा उहुद : 4046; सहीह मुस्लिम :1885; नसाई : 3156) पस यहाँ फ़र्माता है कि मैं इनकी बदियाँ मा'फ़ फ़र्मा दूँगा और इन्हें उन जन्नतों में ले जाऊँगा जिसमें चारों तरफ़ नहरें बह रही हैं जिनमें से किसी में दूध है किसी में शहद किसी में शराब किसी में साफ़ पानी और वह ने'मतें होगी जो न किसी कान ने सुनी, न किसी आँख ने देखीं, न किसी इंसानी दिल पर कभी ख़्याल गुज़रा, यह है बदला अल्लाह तआला की तरफ़ से। ज़ाहिर है कि जो सवाब उस शहनशाहे आली की तरफ़ से हो, वह किस क़द्र ज़बरदस्त और बेइंतिहा होगा? जैसे किसी शायर का क़ौल है कि अगर वह अज़ाब करे तो वह भी मुहलिक और बर्बाद कर देने वाला और अगर इन्आम दे तो वह भी बेहिसाब, क़यास से बढ़कर क्योंकि उसकी ज़ात बेपरवाह है। नेक आ'माल करने वाले लोगों का बेहतरीन बदला अल्लाह तआला ही के पास है।

हज़रत शद्दाद बिन ओस (रह.) फ़र्माते हैं लोगों! अल्लाह तआला की क़ज़ा पर ग़मगीन और बेसब्र न हो जाया करो। सुनो! मो'मिन पर ज़ुल्म व जोर नहीं होता अगर तुम्हें ख़ुशी और राहत पहुँचे तो अल्लाह तआला की हम्द और उसका शुक्र करो और अगर बुराई पहुँचे तो सब्र व सिहार करो और नेकी और सवाब की तमन्ना रखो, अल्लाह तआला के पास बेहतरीन बदले और पाकीज़ा सवाब हैं।

***

لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِي الْبِلَادِ ۝١٩٦ مَتَاعٌ قَلِيْلٌ ثُمَّ مَاْوٰىهُمْ
جَهَنَّمُ ۭ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ۝١٩٧ لٰكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا
الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا نُزُلًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۭ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّلْاَبْرَارِ ۝١٩٨

तर्जुमा : "तुझे काफ़िरों का शहरों में चलना-फिरना फ़रेब में न डाल दे। (196) यह तो बहुत ही थोड़ा फ़ायदा है। इसके बाद इनका ठिकाना तो जहन्नम है, और वह बुरी जगह है। (197) लेकिन जो लोग अपने रब से डरते रहें उनके लिए जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें जारी हैं उनमें वह हमेशा रहेंगे मेहमानी है अल्लाह तआला की तरफ़ से और नेककारों के लिए जो कुछ अल्लाह तआला के पास है वह बहुत ही बेहतर है।" (198)

ईमान के बग़ैर दुनियावी आसाइश आख़िरत में कोई फ़ायदा न देगी (आयत 196-198) : अल्लाह तआला फ़र्माता है कि इन काफ़िरों की बदमस्ती इनके नाज़ो-नअम इनकी राहत व आराम इनकी ख़ुशहाली और फ़ारिगुल-बाली की तरफ़ ऐ नबी! आप नज़रें न डालिए, यह सब अन्क़रीब ज़ाइल (ख़त्म) हो जाएगा और सिर्फ़ इनकी बदआ'मालियाँ अज़ाब की सूरत में इन पर बाक़ी रह जाएँगी, इनकी यह तमाम ने'मतें आख़िरत के मुक़ाबले में बिलकुल बेकार हैं। इसी मज़्मून की बहुत सीआयतें क़ुरआने-करीम में हैं मस्लन (مَا يُجَادِلُ فِيْٓ اٰيٰتِ اللّٰهِ اِلَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ) (40/मो'मिन : 4) "अल्लाह तआला की आयतों में काफ़िर ही झगड़ते हैं। इनका शहरों मे घूमना-फिरना तुझे धोखे में न डाले" और जगह है (اِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ) (10/यूनुस : 69) "जो लोग अल्लाह तआला पर झूठ बाँधते हैं वह फ़लाह नहीं पाते, दुनिया में चाहे यूँ ही सा फ़ायदा उठा लें लेकिन आख़िरी बाज़-गश्त तो हमारी तरफ़ ही है फिर हम इन्हें इनके कुफ़्र की पादाश में सख़्ततर सज़ाएँ देंगे।" और जगह है "इन्हें हम थोड़ा सा फ़ायदा पहुँचाकर गाढ़ा अज़ाबों की तरफ़ बेबस कर देंगे।" और जगह है कि काफ़िरों को कुछ ढील दे दे। और जगह है कि "क्या वह शख़्स जो हमारे उम्दगी के वा'दे को पा लेने वाला है और वह जो दुनिया में आराम से गुज़ार रहा है और क़यामत के दिन अज़ाबों में हाज़िरी देने वाला है बराबर हो सकते हैं?" चूँकि काफ़िरों का दुनियावी और आख़िरत का हाल बयान हुआ इसलिए साथ ही मो'मिनों का ज़िक्र हो रहा है कि यह मुत्तक़ी गिरोह क़यामत के दिन नहरों वाली बहिश्तों में होगा। इब्ने मर्दवे में है कि रसूले करीम (ﷺ) फ़र्माते हैं इन्हें अबरार इसलिए कहा जाता है कि यह माँ-बाप के साथ और औलाद के साथ नेक सलूक वाले थे। जिस तरह तेरे माँ-

बाप का तुझ पर हक़ है उसी तरह तेरी औलाद का तुझ पर हक़ है। (तब्री : 7/496) यही रिवायत इब्ने अम्र (رضي الله عنه) से मौक़ूफ़न भी मरवी है और मौक़ूफ़ होना ही ज़्यादा ठीक नज़र आता है, वल्लाहु आ'लम!

हज़रत हसन (रह.) फ़र्माते हैं अबरार वह हैं जो किसी को ईज़ा न दें। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (رضي الله عنه) फ़र्माते हैं हर शख़्स के लिए ख़्वाह नेक हो ख़्वाह बद, मौत अच्छी चीज़ है अगर नेक है तो जो कुछ उसके लिए अल्लाह के पास है वह बहुत ही बेहतर है और अगर बद है तो अल्लाह के अज़ाब और उसके गुनाह जो उसकी ज़िन्दगी में बढ़ रहे थे अब बढ़ोतरी ख़त्म हुई, पहले की दलील (وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّلْاَبْرَارِ) है और दूसरे की दलील (وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّمَا نُمْلِيْ لَهُمْ خَيْرٌ لِّاَنْفُسِهِمْ) (3/आले इमरान : 178) या'नी ''काफ़िर हमारी ढील देने को अपने हक़ में बेहतर न ख़याल करें, यह ढील उन्हें गुनाहों में बढ़ा रही है और उनके लिए रुस्वाकुन अज़ाब हैं। हज़रत अबुद्दर्दा (رضي الله عنه) से भी यही मरवी है। (इब्ने मर्दवे मरफ़ूअन वसनदुहू ज़ईफ़ इब्ने जरीर मौक़ूफ़न वसनदुहू ज़ईफ़)

***

وَاِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَمَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ خٰشِعِيْنَ لِلّٰهِ ۙ لَا يَشْتَرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۭ اُولٰۗىِٕكَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿١٩٩﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا ۣ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٢٠٠﴾

तर्जुमा : ''यक़ीनन अहले-किताब में से कुछ ऐसे भी हैं जो अल्लाह तआला पर ईमान लाते हैं और तुम्हारी तरफ़ जो उतरा और उनकी जानिब जो नाज़िल हुआ उस पर भी अल्लाह तआला से डरते रहने वाले हैं, और अल्लाह तआला की आयतों को थोड़े-थोड़े मोल पर बेचते भी नहीं, इनका बदला इनके रब के पास है। यक़ीनन अल्लाह तआला जल्द हिसाब लेने वाला है। (199) ऐ ईमानवालों ! तुम साबित-क़दम रहो और एक दूसरे को थामे रखो, और जिहाद के लिए तैयार रहो ताकि तुम मुराद को पहुँचो।''(200)

अहले-किताब में से ईमान लाने वाले कामयाब हैं (आयत 199, 200) : अल्लाह तआला अहले किताब के उस फ़िर्क़े की ता'रीफ़ें करता है जो पूरे ईमान वाला है, क़ुरआने-करीम को भी मानता है और अपने नबी (ﷺ) की किताब पर भी ईमान रखता है, अल्लाह तआला का डर दिल में रखकर रब तआला के

फ़र्मानों की बजाआवरी में निहायत तंदेही के साथ मशग़ूल है, अल्लाह तआला के सामने आजिज़ी और गिरयावज़ारी करता रहता है, पैग़म्बर आख़िरुज़्ज़माँ (ﷺ) के यह पाक ओसाफ़ और साफ़ निशानियाँ उनकी किताबों में हैं उसे वह पाकर छुपाता नहीं बल्कि हर एक को दिखाता है और आप (ﷺ) के मान लेने की रग़बत दिलाता है, ऐसी जमाअत अल्लाह तआला के पास अज्र पाएगी, ख़्वाह यहूदियों की हो ख़्वाह नसरानियों की। सूरह क़सस में यह मज़्मून इस तरह बयान हुआ है (اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ) (28/क़सस : 52) "जिन्हें हमने इससे पहले किताब दे रखी है वह इस पर भी ईमान लाते हैं और जब यह किताब उन पर पढ़ी जाती है तो साफ़ कह देते हैं कि हम इस पर ईमान लाए यह बरहक़ किताब हमारे रब तआला की है हम तो पहले ही से इसे मानते थे। इन्हें इनके सब्र का दोहरा अज्र दिया जाएगा।" और जगह है "जिनको हमने किताब दी और जो इसे सहीह तौर पर पढ़ते हैं वह तो इस कुरआन पर भी फ़ौरन ईमान लाते हैं...." और जगह इर्शाद है (وَ مِنْ قَوْمِ مُوْسٰى اُمَّةٌ يَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَ بِهٖ يَعْدِلُوْنَ) (7/आ'राफ़ : 159) "हज़रत मूसा (ﷺ) की क़ौम में से भी एक जमाअत हक़ की हिदायत करने वाली और हक़ के साथ अदल करने वाली है।" और मक़ाम पर बयान है (لَيْسُوْا سَوَآءً) (3/आले इमरान : 113) या'नी "अहले-किताब सब यक्साँ नहीं इनमें एक जमाअत रातों के वक़्त भी अल्लाह की किताब पढ़ने वाली है और सज्दा करने वाली।"

और जगह है, ऐ नबी! तुम कहो कि लोगों! तुम ईमान लाओ या न लाओ पहले से जिन्हें इल्म दिया गया है जब उन पर इस कलाम मजीद की आयात तिलावत की जाती है तो वह अपने चेहरों के बल सज्दे में गिर पड़ते हैं और कहते हैं कि हमारा रब पाक है यक़ीनन उसका वा'दा सच्चा है और होकर रहने वाला है, यह लोग रोते हुए चेहरे के बल गिरते हैं और ख़ुशूअ व ख़ुज़ूअ में बढ़ जाते हैं। यह सिफ़तें यहूदियों में पाई गईं गो बहुत कम लोग ऐसे थे, जैसे हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम (ﷺ) और आप ही जैसे और ईमान वाले यहूदी उलमा लेकिन उनकी गिनती दस तक भी नहीं पहुँचती, हाँ नसरानी अकसर हिदायत पर आ गए और हक़ के फ़र्मांबरदार हो गए। जैसे और जगह है (لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الْيَهُوْدَ وَالَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا) से (خٰلِدِيْنَ فِيْهَا) आख़िर आयत तक। मतलब यह है कि ईमानवालों से अदावत और दुश्मनी रखने में सबसे ज़्यादा बढ़े हुए यहूद हैं और मुश्रिक और ईमानवालों से मुहब्बत रखने वालों में पेश-पेश नसरानी हैं अल्ख़। अब फ़र्माता है ऐसे लोग अल्ल्लाह तआला के पास अज्रे अज़ीम के मुस्तहिक़ हैं, हदीस में यह भी आ चुका है कि हज़रत जा'फ़र (ﷺ) बिन अबू तालिब ने जब सूरह मरयम की तिलावत शाहे-नज्जाशी के दरबार मे बादशाह और अराकीने-सल्तनत और उलमा-ए-नसारा के सामने की और उसमें आप पर रिक़्क़त तारी हुई तो बादशाह के साथ सब हाज़िरीने-दरबार भी रो दिए और इस क़द्र मुतासिर हुए कि रोते-रोते उनकी दाढ़ियाँ तर हो गईं। (सीरत इब्ने हिशाम : 1/357; सनदुहू ज़ईफ़ जुहरी अन्अन) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में है कि नज्जाशी के इंतिक़ाल की ख़बर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपने अस्हाब (ﷺ) को दी और फ़र्माया कि "तुम्हारा भाई हब्श में इंतिक़ाल कर गया है उसके जनाज़े की नमाज़ अदा करो।" और मैदान में जाकर सहाबा (ﷺ) की सफ़ें मुरत्तब करके आप (ﷺ) ने उनके जनाज़े की नमाज़ अदा की। (सहीह बुख़ारी, किताब मनाक़िबुल अंसार, बाब मौतुन नज्जाशी : 3877; सहीह मुस्लिम : 951) इब्ने मर्दवे में है कि जब नज्जाशी फ़ौत हुए तो हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, "अपने भाई के लिए इस्तिग़फ़ार करो" तो कुछ लोगों ने कहा, देखिए हुज़ूर (ﷺ)! हमें

नस़रानी के लिए इस्तिग़फ़ार करने का हुक्म देते हैं जो ह़ब्शा में मरा है, इस पर यह आयात नाज़िल हुई। (त़बरानी फ़िल औसत़ : 3688; वसनदुहू ह़सन) गोया इसके मुसलमान होने की शहादत कुरआने-करीम ने दी। इब्ने जरीर में है कि इनकी मौत की ख़बर हुज़ूर (ﷺ) ने दी कि "तुम्हारा भाई अस्ह़मा इंतिक़ाल कर गया है।" फिर हुज़ूर (ﷺ) बाहर निकले और जिस त़रह़ जनाज़े की नमाज़ पढ़ाते थे उसी त़रह़ चार तक्बीरों से नमाज़े जनाज़ा पढ़ाई। इस पर मुनाफ़िक़ों ने ए'तिराज़ किया और यह आयत उतरी। अबूदाऊद में है कि ह़ज़रत आइशा (رضي الله عنها) फ़र्माती हैं कि नज्जाशी के इंतिक़ाल के बाद हम यही सुनते रहे कि इनकी क़ब्र पर नूर देखा जाता है। (अबूदाऊद, किताबुल जिहाद, बाब फ़िन्नूर युरा इन्द क़ब्रश्शहीद : 2523; वसनदुहू ह़सन) मुस्तदरक ह़ाकिम में है कि नज्जाशी का एक दुश्मन उसी की सल्त़नत में से नज्जाशी पर चढ़ाई के लिए तैयार हुआ तो मुहाजिरीन ने कहा कि आप उससे मुक़ाबला करने के लिए चलिए हम भी आपके साथ हैं, आप हमारी बहादुरी के जौहर देख लेंगे और जो हुस्ने सुलूक आपने हमारे साथ किया है उसका बदला भी उतर जाएगा। लेकिन नज्जाशी (رضي الله عنه) ने फ़र्माया कि, लोगों की इम्दाद के साथ बचाव करने से अल्लाह तआला की इम्दाद का बचाव बेहतर है, इस बारे में यह आयत नाज़िल हुई। (ह़ाकिम : 2/300; वसनदुहू ज़ईफ़)

ह़ज़रत मुजाहिद (रह़.) फ़र्माते हैं, इससे मुराद अहले-किताब के मुसलमान लोग हैं। (त़ब्री : 7/499) ह़ज़रत ह़सन बस़री (रह़.) फ़र्माते हैं इससे मुराद वह अहले-किताब हैं जो हुज़ूर (ﷺ) से पहले थे, इस्लाम को पहचानते थे और हुज़ूर (ﷺ) की ताबे'दारी का शर्फ़ भी उन्हें ह़ासिल हुआ तो उन्हें अज्र भी दोहरा मिला, एक तो हुज़ूर (ﷺ) से पहले के ईमान का दूसरा आप (ﷺ) पर ईमान लाने का। बुख़ारी व मुस्लिम में ह़ज़रत अबू मूसा से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, "तीन क़िस्म के लोगों को दोहरा अज्र मिलता है जिनमें से अहले-किताब का वह शख़्स़ है जो अपने नबी (ﷺ) पर ईमान लाया और मुझ पर भी ईमान लाया।" (स़ह़ीह़ बुख़ारी, किताबुल इल्म, बाब ता'लीमुर्रजुल अमतहू व अह्लहू : 97; स़ह़ीह़ मुस्लिम : 154; अबूदाऊद : 2053; तिर्मिज़ी : 1116; नसाई : 3346; इब्ने माजा : 1956) और बाक़ी दो को भी ज़िक्र किया। अल्लाह तआला की आयतों को थोड़ी क़ीमत पर नहीं बेचते या'नी अपने पास की इल्मी बातों को नहीं छुपाते जैसे कि उनमे से एक रज़ील जमाअत का शेवा था, बल्कि यह लोग तो उसे फैलाते और ख़ूब ज़ाहिर करते हैं, उनका बदला उनके रब तआला के पास है, अल्लाह तआला जल्द ह़िसाब लेने वाला है, या'नी जल्द समेटने और घेरने और शुमार करने वाला है। फिर फ़र्माता है कि इस्लाम जैसे मेरे पसंदीदा दीन पर जमे रहो, शिद्दत और नर्मी के वक़्त मुसीबत और राह़त के वक़्त ग़र्ज़ किसी ह़ाल में उसे न छोड़ो यहाँ तक कि दम भी निकले तो उसी पर निकले और अपने इन दुश्मनों से भी स़ब्र व सिहार करो जो अपने दीन को छुपाते हैं। इमाम ह़सन बस़री (रह़.) वग़ैरह उलमा-ए-सल्फ़ ने यही तफ़्सीर बयान फ़र्माई है। मुराबत़ह कहते हैं इबादत की जगह में हमेशगी करने को और साबित-क़दमी से जम जाने को, और कहा गया है कि एक नमाज़ के बाद दूसरी नमाज़ के इंतिज़ार को। यही क़ौल है ह़ज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (رضي الله عنه) सहल बिन ह़नीफ़ और मुह़म्मद बिन कअब कुरज़ी (रह़.) का स़ह़ीह़ मुस्लिम शरीफ़ और नसाई में है रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़र्माते हैं "आओ! मैं तुम्हें बताऊँ कि किस चीज़ से अल्लाह तआला गुनाहों को मिटा देता है और दर्जों को बढ़ाता है, तक्लीफ़ होते हुए कामिल वुज़ू करना दूर से चलकर मस्जिदों में आना, एक नमाज़ के बाद दूसरी नमाज़ का इंतिज़ार करना

यही रिबात़ है, यही मुराबित़ा है, यही अल्लाह तआला की राह की मुस्तअदी है।'' (मुअत्ता इमाम मालिक : 1/261; स़ह़ीह़ मुस्लिम, किताबुत्तहारत, बाब फ़ज़्ले इस्बाग़िल वुज़ू अ़लल मकारेह : 251; नसाई : 143) इब्ने मर्दवे में है कि अबू सलमा (रह़.) से एक दिन ह़ज़रत अबू हुरेरह (رضي الله عنه) ने पूछा, ऐ मेरे भतीजे! जानते हो इस आयत का शाने-नुज़ूल किया है? उन्होंने कहा, मुझे मा'लूम नहीं। आपने फ़र्माया, सुनो! उस वक़्त कोई ग़ज़्वा न था, यह आयत उन लोगों के ह़क़ में नाज़िल हुई है जो मस्जिदों को आबाद रखते थे और नमाज़ों को ठीक वक़्त पर अदा करते थे फिर अल्लाह तआला का ज़िक्र करते थे उन्हें यह हुक्म दिया जाता है कि तुम पाँचों नमाज़ों पर जमे रहो और अपने नफ़्स को और अपनी ख़्वाहिश को रोके रखो और मस्जिदों में मुराबित़ा करो और अल्लाह तआला से डरते रहो। यही आ'माल मौजिबे फ़लाह़ हैं। (इब्ने मर्दवे व सनदुहू ज़ईफ़) इब्ने जरीर की ह़दीस में है ''क्या मैं तुमको वह आ'माल न बताऊँ जो गुनाहों का कफ़्फ़ारा बन जाते हैं, कामिल वुज़ू करना, नापसंदीदगी के वक़्त और इंतिज़ार करना, एक नमाज़ के बाद दूसरी नमाज़ का तुम्हारी मुस्तअदी उसी में होनी चाहिए।'' और ह़दीस में ज़्यादा क़दम चलकर मस्जिद में आना भी है। (इब्ने जरीर बिसनदिन ज़ईफ़िन) और रिवायत में है कि गुनाहों की मा'फ़ी के साथ ही दर्जे भी इन आ'माल से बढ़ते रहते हैं, और यही इस आयत का मत़लब है लेकिन यह ह़दीस बिलकुल ग़रीब है।

अबू सलमा बिन अ़ब्दुर्रह़मान (رضي الله عنه) फ़र्माते हैं यहाँ (राबित़ू) से मत़लब इंतिज़ारे नमाज़ है। (इब्ने जरीर व सनदुहू ज़ईफ़) लेकिन ऊपर बयान हो चुका है कि यह फ़र्मान ह़ज़रत अबू हुरेरह (رضي الله عنه) का है, वल्लाहु आ'लम! और यह भी कहा गया है कि (राबित़ू) से दुश्मन से जिहाद करना और इस्लामी मुल्क की हुदूद की निगहबानी करना और दुश्मनों को इस्लामी शहरों में न घुसने देना है। इसकी तर्ग़ीब में भी बहुत सी ह़दीसें हैं और उस पर भी बड़े सवाब का वा'दा है।

जिहाद की तैयारी और तर्ग़ीब : स़ह़ीह़ बुख़ारी में है ''एक दिन की (जिहाद की) तैयारी सारी दुनिया से और जो उसमे है सबसे अफ़ज़ल है।'' मुस्लिम शरीफ़ की ह़दीस में है ''एक दिन रात की जिहाद की तैयारी एक माह के कामिल रोज़ों और एक माह की तमाम शब-बेदारी से अफ़ज़ल है और इसी तैयारी की ह़ालत में मौत आ जाए तो जितने आ'माले-स़ालिह़ा करता था सबका सवाब पहुँचता रहता है और अल्लाह तआला के पास से रोज़ी पहुँचाई जाती है और फ़ित्नों से अमन पाता है।'' (स़ह़ीह़ मुस्लिम, किताबुल इमारत, बाब फ़ज़्लुर्रिबात़ फ़ी सबीलिल्लाह : 1913) मुस्नद अह़मद में है ''हर मरने वाले के आ'माल ख़त्म हो जाते हैं मगर जो शख़्स़ अल्लाह तआला की राह की तैयारी में हो और इसी ह़ाल मे मर जाए तो उसका अमल क़यामत तक बढ़ता रहता है और उसे क़ब्र के अ़ज़ाब से नजात मिलती है।'' (अह़मद : 6/20; अबूदाऊद, किताबुल जिहाद, बाब फ़ी फ़ज़्लिर्रिबात़ : 2500; वसनदुहू स़ह़ीह़; तिर्मिज़ी : 1621) इब्ने माजा की रिवायत में यह भी है कि ''क़यामत के दिन की घबराहट से उसे अमन मिलेगा।'' (इब्ने माजा, अब्वाबुल जिहाद, बाब फ़ज़्लुर्रिबात़ फ़ी सबीलिल्लाह : 2767; वहुव स़ह़ीह़) मुस्नद की और ह़दीस में है ''इसे सुबह़ शाम जन्नत से रोज़ी पहुँचाई जाती है और क़यामत तक उसके मुराबित़ा का अज्र मिलता रहता है।'' (अह़मद : 2/404; वसनदुहू ज़ईफ़) मुस्नद अह़मद में है ''जो शख़्स़ मुसलमानों की सरह़द के किसी किनारे पर तीन दिन तैयारी में गुज़ारे उसे साल भर तक की और जगह की उस तैयारी का अज्र मिलता है। (अह़मद : 6/362; वसनदुहू ज़ईफ़)

अमीरुल मो'मिनीन हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान (ﷺ) ने अपने मिम्बर पर ख़ुत्बा पढ़ते हुए एक मर्तबा फ़र्माया, तुमको रसूलुल्लाह (ﷺ) से अपनी सुनी हुई बात सुनाता हूँ, मैंने अब तक एक ख़ास ख़्याल से उसे नहीं सुनाया, आप (ﷺ) का फ़र्मान "अल्लाह की राह में एक रात का पहरा एक हज़ार रातों की इबादत से अफ़ज़ल है जो तमाम रातें क़याम में और तमाम दिन रोज़ों में गुज़ारे जाएँ।" (अहमद : 1/61-65; वसनदुहू ज़ईफ़) इस हदीस को अब तक बयान न करने की वजह ख़लीफ़ा रसूल ने यह बयान फ़र्माई है कि मुझे डर था कि इस फ़ज़ीलत के हासिल करने के लिए कहीं तुम सब मदीना छोड़कर मैदाने जंग में न चल दो, अब मैं सुना देता हूँ हर शख़्स को इख़्तियार है कि जो बात अपने लिए पसंद करता है उसका पाबन्द हो जाए। (इब्ने माजा, किताबुल जिहाद, बाब फ़ज़्लुर्रिबात फ़ी सबीलिल्लाह : 2766; वसनदुहू ज़ईफ़; अब्दुर्रहमान बिन ज़ैद बिन असलम ज़ईफ़ रावी है।) दूसरी रिवायत में यह भी है कि आपने फिर फ़र्माया, "क्या मैंने पहुँचा दी?" लोगों ने कहा, हाँ! आपने फ़र्माया, "ऐ जनाब बारी तआला! तू गवाह रह।" (अहमद : 1/62; वहुव हसन बिश्शवाहिद) तिर्मिज़ी शरीफ़ में है कि हज़रत शुरहबील बिन सुम्त (ﷺ) मुहाफ़िज़ते सरहद में थे और ज़माना ज़्यादा गुज़र जाने के बाद कुछ तंगदिल हो रहे थे कि हज़रत सलमान फ़ारसी (ﷺ) उनके पास पहुँचे और फ़र्माया, आओ! मैं तुम्हें अल्लाह के पैग़म्बर की एक हदीस सुनाऊँ। आप (ﷺ) ने फ़र्माया है "एक दिन की सरहद की हिफ़ाज़त एक महीना के सियाम व क़याम से अफ़ज़ल है और जो इसी हालत मे मर जाए वह फ़ित्ना क़ब्र से महफ़ूज़ रहता है और उसके आ'माल क़यामत तक जारी रहते हैं।" (तिर्मिज़ी, फ़ज़ाइलुल जिहाद, बाब मा जाअ फ़ी फ़ज़्लिल मुराबित : 1665; वहुव सहीह) इब्ने माजा में है कि "एक रात अल्लाह की राह में पहरा देना ताकि मुसलमान अमन से रहें, हाँ! निय्यत नेक हो गो वह रात रमज़ान की न हो एक सौ साल की इबादत से अफ़ज़ल है जिसके दिन रोज़े में और जिसकी रातें तहज्जुद में गुज़री हों और एक दिन की अल्लाह की राह की तैयारी ताकि मुसलमान बाहिफ़ाज़त रहें, तलबे सवाब की निय्यत से बग़ैर माहे-रमज़ान के अल्लाह तआला के नज़दीक हज़ार साल के रोज़ों और तहज्जुद से अफ़ज़ल है अब अगर यह ग़ाज़ी सलामती और ज़िन्दगी के साथ अपने वालों में आ गया तो एक हज़ार साल की बुराईयाँ उसके नामा-ए-आ'माल में न लिखी जाएँगी और नेकियाँ लिखी जाएँगी और इस मुराबिता का अज्र क़यामत तक उसे मिलता रहेगा।" (इब्ने माजा, किताबुल जिहाद, बाब फ़ज़्लुर्रिबात फ़ी सबीलिल्लाह : 2768; सनदुहू ज़ईफ़ुन जिद्दा मौज़ूअ; उमर बिन सबीह मतरूक और मुहम्मद बिन यअला सुलमी ज़ईफ़ रावी हैं।) यह हदीस ग़रीब है बल्कि मुंकर है इसके एक रावी अम्र बिन सबीह मुत्तहम हैं।

इब्ने माजा की एक और ग़रीब हदीस में है कि "एक रात की मुस्लिम लश्कर की चौकीदारी एक हज़ार साल की रातों के क़याम और दोनों के सियाम से अफ़ज़ल है, हर साल के तीन सौ साठ दिन और हर दिन मिस्ल एक हज़ार साल के।" (इब्ने माजा, किताबुल जिहाद, बाब फ़ज़्लुल हिर्स वत्तक्बीर फ़ी सबीलिल्लाह : 2770; सनदुहू मौज़ूअ; सईद बिन ख़ालिद मुंकरुल हदीस रावी है) इसके रावी सईद बिन ख़ालिद को अबू ज़रआ (रह.) वग़ैरह अइम्मा ने ज़ईफ़ कहा है, बल्कि इमाम मालिक (रह.) फ़र्माते हैं इसकी रिवायत से मौज़ूअ हदीसें भी हैं। एक मुन्क़तअ हदीस में है, "लश्करे-इस्लाम के चौकीदार पर अल्लाह तआला रहम करे।" (इब्ने माजा, किताबुल जिहाद, बाब फ़ज़्लुल हिर्स... : 2769; वसनदुहू ज़ईफ़; सालेह बिन मुहम्मद

बिन ज़ाइद रावी ज़ईफ़ है।)

हज़रत सहल बिन हंज़ला (رضي الله عنه) फ़र्माते हैं कि हुनेन के दिन हम रसूले-करीम (ﷺ) के साथ चले, शाम की नमाज़ मैंने हुज़ूर (ﷺ) के साथ अदा की जो एक घुड़सवार आया और कहा या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैं आगे निकल गया था और फ़लाँ पहाड़ पर चढ़कर मैंने निगाह डाली तो देखा कि क़बीला हवाज़िन के लोग मैदान मे आ गए हैं, यहाँ तक कि उनकी ऊँटनियाँ बकरियाँ औरतें और बच्चे भी साथ हैं। हुज़ूर (ﷺ) मुस्कुराए और फ़र्माया, "इंशाअल्लाह! यह सब कल मुसलमानों की ग़नीमत में होगा।" फिर फ़र्माया, "बताओ आज की रात पहरा कौन देगा?" हज़रत अनस बिन अबू मर्सद (रज़ि.) ने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैं हाज़िर हूँ। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, "जाओ सवारी ले आओ।" वह अपने घोड़े पर सवार होकर हाज़िर हुए। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, "उस घाटी में चले जाओ और उस पहाड़ी की चोटी पर चढ़ जाओ, ख़बरदार! तुम्हारी तरफ़ से उनके साथ कोई छेड़छाड़ सुबह तक न हो।" सुबह जिस वक़्त नमाज़ के लिए हुज़ूर (ﷺ) नमाज़ की जगह आए, दो सुन्नतें अदा कीं और लोगों से पूछा "कहो तुम्हारा पहरेदार सवार की तो कोई आहट सुनाई नहीं दी?" लोगों ने कहा, नहीं या रसूलल्लाह (ﷺ)! अब तक्बीर कही गई और आप (ﷺ) ने नमाज़ शुरू की, ख़्याल आपका उसी घाटी की तरफ़ था, नमाज़ से सलाम फेरते ही आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ख़ुश हो जाओ, तुम्हारा घुड़सवार आ रहा है। हमने झाड़ियों में से झाँककर देखा तो थोड़ी देर में हमें भी दिखाई दे गया। आकर हुज़ूर (ﷺ) से कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैं उस वादी के ऊपर के हिस्से पर पहुँच गया था और इर्शाद के मुताबिक़ वहीं रात गुज़ारीं, सुबह मैंने दूसरी घाटी भी देख डाली लेकिन वहाँ भी कोई नहीं। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, क्या रात को वहाँ से तुम नीचे भी उतरते थे। जवाब दिया नहीं! सिर्फ़ नमाज़ के लिए और क़ज़ाए हाजत के लिए तो नीचे उतरा था। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, तुमने अपने लिए जन्नत वाजिब कर ली, अब तुम इसके बाद कोई अमल न करो तो भी तुम पर कोई हर्ज नहीं। (अबूदाऊद, किताबुल जिहाद, बाब फ़ज़्लुल हिर्स फ़ी सबीलिल्लाह : 2501; वसनदुहू हसन सुननुल कुब्रा लिन्नसाई : 8870) मुस्नद अहमद में है कि एक ग़ज़्वा के मौक़े पर एक रात को हम बुलंद जगह पर थे और सख़्त सर्दी थी यहाँ तक कि लोग ज़मीन में गढ़े खोद खोदकर अपने ऊपर ढालें ले लेकर पड़े हुए थे, आँहज़रत (ﷺ) ने उस वक़्त आवाज़ दी कि "कोई है जो आज की रात हमारी चौकीदारी करे और मुझसे बेहतरीन दुआ ले" तो एक अंसारी खड़ा हो गया और कहा हुज़ूर (ﷺ)! मैं तैयार हूँ। आप (ﷺ) ने उसे पास बुलाकर नाम पूछा, उसके लिए बहुत दुआ की। अबू रेहाना (رضي الله عنه) यह दुआएँ सुनकर आगे बढ़े और कहने लगे, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैं भी पहरा दूँगा। आप (ﷺ) ने मुझे भी पास बुला लिया और नाम पूछकर मेरे लिए भी दुआएँ कीं लेकिन उस अंसारी सहाबी (رضي الله عنه) से यह दुआ कम थी, फिर आप (ﷺ) ने फ़र्माया "उस आँख पर जहन्नम की आँच हराम है जो अल्लाह तआला के डर से रोए और उस आँख पर भी जो राहे इलाही में शब-बेदारी (रात को जागे) करे।" (अहमद : 4/134; नसाई, किताबुल जिहाद, बाब सवाब ऐनुन सहिरत : 3119; वसनदुहू हसन) मुस्नद अहमद में है रसूलुल्लाह (ﷺ)फ़र्माते हैं, "जो शख़्स मुसलमानों के पीछे से उनका पहरा दे, अपनी ख़ुशी से बग़ैर सुल्तान की उज्रत व तंख़्वाह के वह अपनी आँखों से भी जहन्नम की आग को न देखेगा मगर सिर्फ़ क़सम पूरी होने के लिए जो इस आयत में है (وَإِنْ مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا) (19/मरयम : 71) या'नी "तुम सब उस पर वारिद होंगे। (अहमद : 3/437; वसनदुहू ज़ईफ़)

सहीह बुख़ारी में है "बर्बाद हुआ दुनिया का बन्दा और कपड़ों का बन्दा अगर माल दिया जाए तो ख़ुश है और अगर न दिया जाए तो नाख़ुश है यह बर्बाद हुआ और ख़राब हो गया, उसे अगर कांटा चुभ जाए तो निकालने की कोशिश भी न की जाए, ख़ुशनसीब हुआ और ख़ूब फूला फला वह शख़्स जो अल्लाह तआला की राह में जिहाद के लिए अपने घोड़े की लगाम थामे हुए है बिखरे हुए बाल हैं और गर्द आलूद क़दम हैं अगर चौकीदारी पर मुक़र्रर कर दिया गया है तो चौकीदारी कर रहा है और अगर लश्कर के अगले हिस्सा में मुक़र्रर कर दिया गया है तो वहीं ख़ुश है, लोगों की नज़रों में इतना गिरा पड़ा है कि अगर कहीं जाना चाहे तो इजाज़त न मिले और अगर किसी की सिफ़ारिश करे तो क़बूल न हो।" (सहीह बुख़ारी, किताबुल जिहाद, बाब अल्हिरासतु फ़िल ग़ज़्वि फ़ी सबीलिल्लाहि : 2887) अल्हम्दु लिल्लाह! इस आयत के बारे में ख़ासी हदीसें बयान हो गईं अल्लाह तआला के इस फ़ज़्लो-करम पर उसका शुक्रिया अदा करते हैं और शुक्रगुजारी से रहती दुनिया तक फ़ारिग़ नहीं हो सकते। तफ़्सीर इब्ने जरीर मे है कि हज़रत उबेदह बिन जर्राह (ﷺ) ने अमीरुल मो'मिनीन ख़लीफ़तुल मुस्लिमीन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (ﷺ) को मैदाने जंग से एक ख़त लिखा और उसमें रूमियों की फ़ौज की कसरत उनके आलाते-हर्ब की हालत और उनकी तैयारियों की केफ़ियत बयान की और लिखा कि सख़्त ख़तरा का मौक़ा है। यहाँ से फ़ारूक़े-आ'ज़म (ﷺ) का जवाब गया, जिसमें हम्दो-सना के बाद तहरीर था कि कभी-कभी मो'मिन बन्दों पर सख़्तियाँ भी आ जातीं हैं लेकिन अल्लाह तआला उनके बाद आसानियाँ भेज देता है। सुनो! एक सख़्ती दो आसानियों पर ग़ालिब नहीं आ सकती। सुनो! परवरदिगारे-आलम का फ़र्मान है (يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا) (तबरी : 7/503) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक (रह.) ने 170हिज्री या 177 हिज्री में शहरे तुर्सूस मे हज़रत मुहम्मद बिन इब्राहीम इब्ने अबी सकीना को जबकि वह उनके विदाअ के लिए आए थे और यह जिहाद को जा रहे थे यह अश्आर लिखवाकर हज़रत फ़ुज़ेल बिन अयाज़ (रह.) को भिजवाए।

يَاعَابِدَ الْحَرَمَيْنِ لَوْ اَبْصَرْتَنَا لَعَلِمْتَ اَنَّكَ فِي الْعِبَادَةِ تَلْعَبُ
مَنْ كَانَ يَخْضِبُ خَدَّهٗ بِدُمُوْعِهٖ فَنُحُوْرُنَا بِدِمَآئِنَا تَتَخَضَّبُ
اَوْكَانَ يُتْعِبُ خَيْلَهٗ فِيْ بَاطِلٍ فَخُيُوْلُنَا يَوْمَ الصَّبِيْحَةِ تُتْعَبُ
رِيْحُ الْعَبِيْرِ لَكُمْ وَنَحْنُ عَبِيْرُنَا رَهْجُ السَّنَابِكِ وَالْغُبَارُ الْاَطْيَبُ
وَلَقَدْ اَتَانَا مِنْ مَقَالِ نَبِيِّنَا قَوْلٌ صَحِيْحٌ صَادِقٌ لَا يَكْذِبُ
لَا يَسْتَوِيْ غُبَارُ خَيْلِ اللّٰهِ فِيْ اَنْفِ امْرِیءٍ وَدُخَانُ نَارٍ تَلْهَبُ
هٰذَا كِتَابُ اللّٰهِ يَنْطِقُ بَيْنَنَا لَيْسَ الشَّهِيْدُ بِمَيِّتٍ لَا يَكْذِبُ

"ऐ मक्का मदीना में रहकर इबादत करने वाले! अगर तू हम मुजाहिदीन को देख लेता तो बिलयक़ीन तुझे मा'लूम हो जाता कि तेरी इबादत तो एक खेल है। एक वह शख़्स है जिसके आँसू उसके गालों को तर करते हैं और एक हम हैं जो अपनी गर्दन राहे इलाही में कटवाकर अपने ख़ून में आप नहा लेते हैं। एक वह शख़्स है जिसका घोड़ा बातिल और बे कार कामों में थक जाता है और हमारे घोड़े हमले और लड़ाई के दिन ही थकते हैं। अगर की ख़ुश्बू तुम्हारे लिए हैं और हमारे लिए अगर ख़ुश्बू घोड़ों के टापों की ख़ाक और पाकीज़ा गर्दो-गुबार है यक़ीन मानो हमें नबी करीम (ﷺ) की यह हदीस पहुँच चुकी है जो सरासर रास्ती और दुरुस्ती वाली बिलकुल सच्ची है कि जिस किसी के नाक में उस रब्बानी लश्कर की गर्द भी पहुँच गई उसके नाक में शो'ले मारने वाली जहन्नम की आग का धुआँ भी न जाएगा। और लो यह है कि अल्लाह तआला की पाक किताब जो हममें मौजूद है और साफ़ कह रही है और सच कह रही है कि शहीद मुर्दा नहीं।"

मुहम्मद बिन इब्राहीम (रह.) फ़र्माते हैं जब मैंने मस्जिदे-हराम में पहुँचकर हज़रत फ़ुज़ेल (रह.) को यह अश्आर दिखाए तो आप पढ़कर ज़ारो-क़ितार रोये और फ़र्माया, अबू अब्दुर्रहमान ने अल्लाह की रहमतें उन पर हो। सहीह और सच फ़र्माया और मुझे नसीहत की और मेरे बेहद ख़ैरख़्वाही की। फिर मुझसे फ़र्माया, क्या तुम हदीस लिखते हो, मैंने कहा, जी हाँ! कहा, अच्छा तुम जो यह नसीहत नामा पास लाए हो उसके बदले में मैं तुमको एक हदीस लिखवाता हूँ, वह यह है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) से एक शख़्स ने दरख़्वास्त की कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! मुझे ऐसा अमल बताईए जिससे मैं मुजाहिद का सवाब पा लूँ। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, "क्या तुझमें यह ताक़त है कि नमाज़ ही पढ़ता रहे और थके न हीं और रोज़े रखता चला जाए और कभी बेरोज़ा न रहे।" उसने कहा, हुज़ूर(ﷺ)! इसकी ताक़त कहाँ? मैं इससे बहुत कमज़ोर हूँ। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, "अगर तुझमें इतनी ताक़त होती और तू ऐसा कर भी सकता तो भी मुजाहिद फ़ी सबीलिल्लाह के दर्जे को न पहुँच सकता, तू यह भी जानता है कि मुजाहिद के घोड़े की रस्सी दराज़ हो जाए और वह इधर-उधर चढ़ जाए तो उस पर भी मुजाहिद को नेकियाँ मिलती हैं।" (सहीह बुख़ारी, किताबुल जिहाद, बाब फ़ज़्लुल जिहाद वस्सियर : 2785) इसके बाद अल्लाह तआला ने हुक्म दिया कि अल्लाह तआला से डरते रहो और हर हाल में हर वक़्त हर मा'मला में अल्लाह का डर किया करो।

जनाब रसूले-करीम (ﷺ) ने हज़रत मुआज़ बिन जबल (رضي الله عنه) को जब यमन की तरफ़ भेजा तो फ़र्माया, "ऐ मुआज़! जहाँ भी हो अल्लाह तआला का डर दिल में रख और अगर तुझसे कोई बुराई हो जाए तो फ़ौरन कोई नेकी भी कर ले ताकि वह बुराई मिट जाए और लोगों से ख़ुश अख़्लाक़ व मुरव्वत के साथ पेश आया कर।" (अहमद : 5/236; तिर्मिज़ी, किताबुल बिर्र वस्सुल्त, बाब मा जाअ फ़ी मुआशरतिन्नास : 1987; वहुव हसन) फिर फ़र्माता है कि "इन चार कामों के कर लेने से तुम कामयाब और बामुराद हो जाओगे, दुनिया और आख़िरत में फ़लाह व नजात पा लोगे।" हज़रत मुहम्मद बिन कअब कुरज़ी (रह.) फ़र्माते हैं, मतलब यह है कि तुम मेरा लिहाज़ रखो, मेरे डर से काँपते रहो, मुझसे डरते रहो, मेरे और अपने मा'मले में मुत्तक़ी रहो, तो कल जबकि तुम मुझसे मिलोगे तो नजात याफ़्ता और बामुराद हो जाओगे।" (तब्री : 7/510) इंतिहा। अल्हम्दु लिल्लाह! सूरह आले इमरान की तफ़्सीर मुकम्मल हुई, वलिल्लाहिल हम्दु वल मिन्नतु व नस्अलुहुल मौत अलल किताबि वस्सुन्नति आमीन या इलाहल आलमीन!

सूरह
अन् निसाअ
النساء

FLOW CHART · **MACRO-STRUCTURE**

तरतीबी नक्श-ए- रब्त

सूरह निसाअ

आयातः 176 मदनी पैराग्राफः 9

ज़मानए नुज़ूल : जंगे उहुद (शव्वाल 3 हिजरी) और ग़ज़्वए बनी मुस्तलिक़ (शअ़बान 6 हिजरी) के दर्मियान मुख़्तलिफ़ हिस्सों में नाज़िल हुई, जब उहुद की शिकस्त के बाद बेवाओं और यतीमों के कई मसाइल बशमूल निकाह, मेहर, विरासत वग़ैरह पैदा हो गए थे और मुनाफ़िक़ीन की हिम्मतें बढ़ गई थीं।

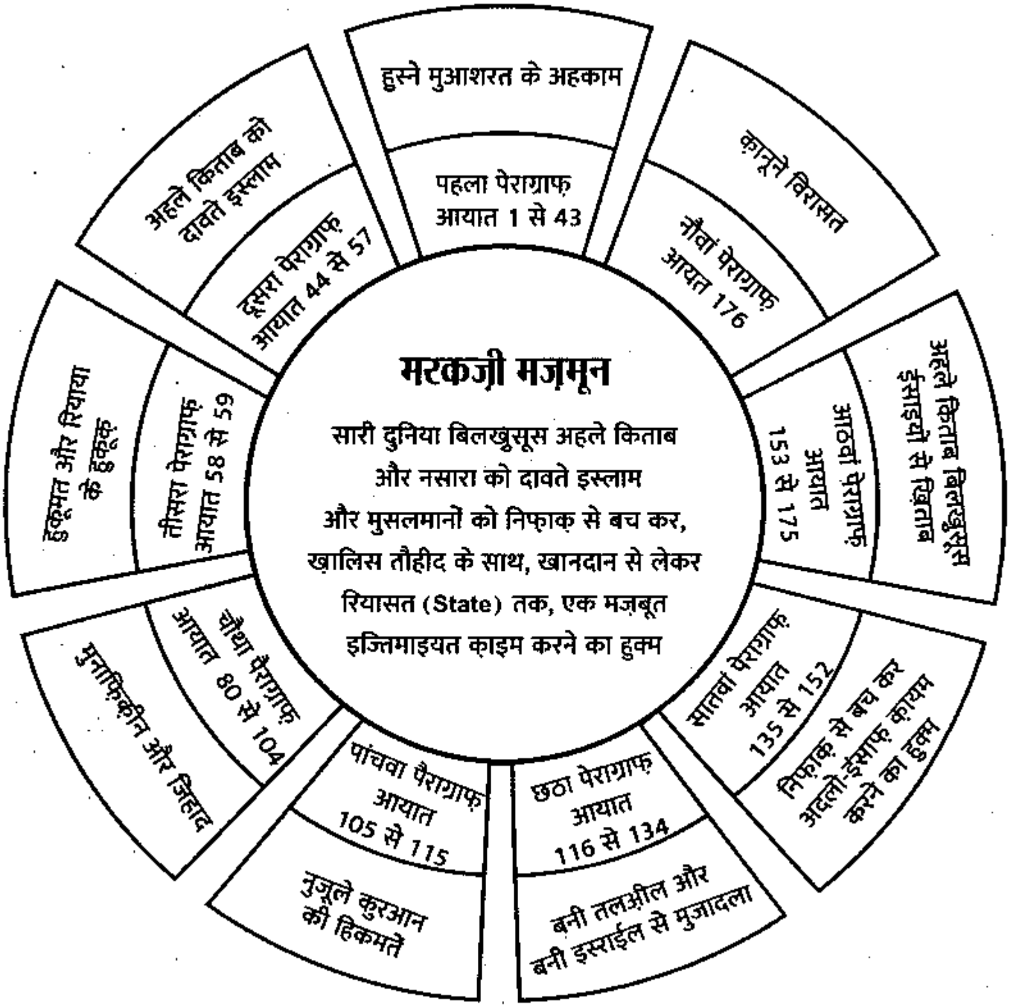

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

खुलासा सूरह निसाअ

अहम व मरकज़ी मज़ामीन का खुलासा

निसाअ के मआनी ख़्वातीन हैं। सूरह का नाम इसकी आयत नम्बर 1 से लिया गया है। इस नाम की एक वज़ह ये भी हो सकती है कि इस सूरह के अक्सर अहकाम औरतों के बारे में हैं। मदनी सूरह है जो तीन हिजरी और 5 हिजरी के दर्मियानी ज़माने में नाज़िल हुई यानी ग़ज़वए उहुद के बाद से ग़ज़वए बनी मुस्तलिक़ के जमाने तक। कुल 176 आयात हैं और 24 रुकूअ हैं। इस मुबारक सूरह के मर्कज़ी मज़ामीन तीन नुक़ात (पाइन्ट) के ईर्दगिर्द घुमते हैं। इस सूरह में कोई तमहीदी गुफ़्तगू नहीं की गई बल्कि बराए रास्त (डायरेक्ट) ख़िताब हो रहा है।

❶ ग़ज़वए उहुद में 70 मुसलमान शहीद हो गए थे। इस हादसे की वज़ह से कई सवालात मुसलमानों के सामने थे कि यतीमों और बेवाओं के मफ़ादात का तहफ्फ़ुज़ कैसे किया जाए, शहीदों की वरासत कैसे तक़सीम हो। इसलिए सूरह के शुरू के हिस्से में अक्सर अहकाम का ताल्लुक यतीमों और औरतों के हुकूक, वरासत के क़वानीन और मुआशरती और खानदानी ज़िंदगी के उसूलों से है। मुआशरे के दबे हुए, पीसे हुए कमज़ोर तबके के हुक़ूक़ की तरफ़ मुतवज्जह किया गया है।

❷ ग़ज़वए उहुद में मुसलमानों की नाक़ामी की सबसे बड़ी वज़ह मुनाफ़िक़ीन का किरदार और उनका तर्ज़े अमल था। अब्दुल्लाह बिन उबय अपने तीन सौ साथियों के साथ ऐन जंग से पहले इस्लामी लश्कर से अलग हो गया। उससे मुसलमानों के हौसले टूट गए और उन्हें सदमा पहुँचा। बाकी लश्कर में भी मुनाफ़िक़ीन और कम हिम्मत लोग थे जिन्होंने मैदाने जंग में बुज़दिली दिखाई और मैदान छोड़ गए। इसलिए इस सूरह में दी गई अक्सर हिदायात का ताल्लुक़ मुनाफ़िक़ीन की चालबाजियों से ख़बरदार करने, उनकी चालों से बचने से हैं। मुसलमनों को उनसे होशियार रहने और उनके साथ कैसा बर्ताव रखा जाए बताया गया है। इस सूरह की 84 आयतों में ख़िताब मुनाफ़िक़ीन से है लेकिन इस बात को ज़्यादा लोग समझ नहीं पाते क्योंकि ख़िताब सिग़ा ''या हय्युअल लज़ीना आमनु'' से है याद रहे कि पुरे कुरआन में कहीं भी ऐ मुनाफ़िक़ीन के अल्फ़ाज़ नहीं आए हैं क्योंकि मुनाफ़िक़ीन भी कानूनन मुसलमान ही होते थे इसलिए ये पहचानने के लिए बड़ी गहरी नज़र की ज़रूरत है कि किस मुक़ाम पर ''या हय्युअल लज़ीना आमनु'' के अल्फ़ाज़ के मुखातब सच्चे मुसलमान हैं। और किस जगह इन अल्फ़ाज़ के मुख़ातब मुनाफ़िक़ीन हैं।

❸ यहूदी अपनी किताबों में हज़रत मुहम्मद (ﷺ) के बारे में पेशीनगोइयों से वाक़िफ़ थे वो आपकी नबूवत और रिसालत को पहचान भी चुके थे, मगर अदावत व हसद की वज़ह से आप (ﷺ) पर ईमान नहीं

लाए थे। वो मीसाक़े मदीना (Madina Pact) में शामिल थे जिसके तहत बाहरी हमलावरों के ख़िलाफ़ मुसलमानों के साथ मदीना का दिफ़ाअ करने के पाबन्द थे। मगर दिफ़ाअ करना तो दूर वो कुरैशे मक्का को मदीना पर हमला करने के लिए उकसाते रहते थे और मुनाफ़िक़ीने मदीना के साथ मिलकर नबी (ﷺ) और मुसलमानों के ख़िलाफ़ साज़िशों में मसरूफ़ रहते थे। इस सूरह में मुसलमानों को यहूदियों के तर्ज़े अमल से आगाह किया गया है और मुसलमानों को यहूद के बारे में मुहतात (सतर्क) रहने की ताक़ीद की गई है। यहूदियों को भी अपनी चालें तर्क करके इस्लाम और मुसलमानों के ब ारे में अपना रवैया दुरूस्त करने की तल्क़ीन की गई हैं और यहूदियों के ज़राइम पर चार्जशीट दी गई है कि किस तरह उन्होंने अल्लाह के साथ अपने अहद व पैमान को तोड़ा, पैगम्बरों की नाफ़रमानी की, नबियों को कत्ल किया। बछड़े को माबूद बनाया, सब्त (सनीचर) के क़ानून की ख़िलाफ़वर्जी की, हज़रत मरियम अलैहस्सलाम पर तोहमत लगाई, सूद व हराम व नाज़ायज़ तरीक़ों से लोगों का माल हड़प किया और ईसा अलैहस्सलाम को कत्ल करने की साजिश की।

सूरह में ईसाइयों के दावे का भी खण्डन किया गया है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तीन खुदाओं में से एक थे। उनकी असल हक़ीक़त बयान की गई कि वो सिर्फ़ अल्लाह के बन्दे और उसके रसूल थे।

इस सूरह की आयत नम्बर 41 में शराब के मुतअल्लिक़ दूसरा हुक्म नाज़िल हुआ कि नशे की हालत में नमाज़ के क़रीब न जाया करो। अगली आयत में तयम्मुम का जिक्र और उसका तरीका बताया गया है।

इन सूरह की आयात 71 से किताल फ़ी सबीलिल्लाह की तरग़ीब दिलाई गई और इताअते रसूल की तल्कीन की गई। ये आयात इस्लाम के आईनी और हुकुमती निज़ाम की बुनियाद फ़राहम करती है।

आयत नम्बर 80 में तागुत से मुराद वो हाकिम या जज या वो इदारा है जो अल्लाह के क़ानून के बजाए किसी और क़ानून के मुताबिक मुकद्दमात का फ़ैसला करें।

***

तफ़्सीर सूरह निसाअ

हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़र्माते हैं कि यह मदीना शरीफ़ में उतरी है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबेर (रज़ि.) और ज़ेद बिन साबित (रज़ि.) भी यही फ़र्माते हैं। हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से यह भी मरवी है कि जब यह सूरत उतरी तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, "अब रोक रखना नहीं है।" (तबरानीः 12033; वसनदुहू ज़ईफ़) मुस्तदरक हाकिम में हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) से मरवी है कि सूरह निसाअ में पाँच आयतें ऐसी हैं कि अगर सारी दुनिया मुझे मिल जाए तब भी मुझे इस क़द्र ख़ुशी न हो जितनी इन आयतों से है या'नी आयत (إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ) "अल्लाह तआला किसी पर ज़र्रा बराबर ज़ुल्म नहीं करता और जिस किसी की जो नेकी होती है उसका सवाब बढ़ा चढ़ाकर देता है और अपनी तरफ़ से जो बतौर इन्आम अज्रे अज़ीम दे वह जुदागाना है।" और इन आयत (إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ) "अगर तुम कबीरा गुनाहों से बच जाओ तो तुम्हारे सग़ीरा गुनाह ख़ुद ही माफ़ फ़र्मा देंगे और तुम्हें इज़्ज़त वाली जगह जन्नत में ले जाएँगे" और आयत (إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ) या'नी "अल्लाह तआला अपने साथ शरीक करने वाले को तो नहीं बख़्शता बाक़ी जिस गुनहगार को चाहे, बख़्श दे" और आयत (وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ) या'नी "यह लोग अगर गुनाह सरज़द हो चुकने के बाद तेरे पास आ जाते और ख़ुद भी अल्लाह तआला से अपने गुनाह की बख़्शिश तलब करते और रसूलुल्लाह (ﷺ) भी उनके लिए इस्तिग़फ़ार तलब करते तो बेशक वह अल्लाह तआला को माफ़ी और मेहरबानी करने वाला पाते।"

इमाम हाकिम (रह.) फ़र्माते हैं यूँ तो इसकी इस्नाद सहीह हैं लेकिन इसके एक रावी अब्दुर्रहमान का अपने बाप से सुनने में इख़्तिलाफ़ है। अब्दुर्रज़्ज़ाक़ की इस रिवायत में आयत (وَلَوْ أَنَّهُمْ) के बदले (وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا) या'नी "जिस शख़्स से कोई बुरा काम हो जाए या अपने नफ़्स पर ज़ुल्म कर गुज़रे फिर अल्लाह तआला से माफ़ी चाहने लग जाए तो बेशक वह अल्लाह तआला को बख़्शने वाला मेहरबान पाएगा।" दोनों हदीसों में तत्बीक़ इस तरह पर है कि एक आयत का बयान करना पहली हदीस में तो रह गया यह और इसका बयान दूसरी में है तो चार आयतें पहली हदीस की और पाँचवीं आयत इस हदीस की (وَمَن يَعْمَلْ) मिलकर पाँच हो गई, या यह है कि (إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ) ही पर आयत पूरी है, और (وَإِن تَكُ حَسَنَةً) को अलग आयत शुमार किया है तो दोनों हदीसों में पाँच पाँच आयतें हो गई, वल्लाहु आलम! (मुतर्जिम)

इब्ने जरीर में हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) से मरवी है कि इस सूरत में आठ आयतें हैं जो इस उम्मत के लिए हर उस चीज़ से बेहतर हैं जिन पर सूरज निकलता और गुरूब होता है। पहली आयत (يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ) अल्लाह तआला चाहता है कि अपने अहकाम तुम पर साफ़-साफ़ बयान कर दे और तुम्हें उन अच्छे लोगों की राहे रास्त दिखा दे जो तुमसे पहले गुज़र चुके हैं और तुम पर मेहरबानी करे, अल्लाह तआला दाना और हिक्मत वाला है। दूसरी आयत (وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ) या'नी "अल्लाह तआला चाहता है कि तुम पर अपनी रहमत नाज़िल करे, तुम्हारी तौबा क़बूल फ़र्माए और ख़्वाहिशों के पीछे पड़े हुए लोगों की चाहत है कि तुम राहे हक़ से बहुत दूर हट जाओ।" तीसरी आयत (يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا) या'नी "इंसान चूँकि कमज़ोर पैदा किया गया है, अल्लाह तआला उस पर तख़्फ़ीफ़ करना चाहता है, बाक़ी कुल आयतें वही हैं जो ऊपर गुज़रीं। इब्ने अबी मुलैका (रह.) फ़र्माते हैं, मैंने हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से सूरह निसाअ की बाबत सुना, पस मैंने क़ुरआन पढ़ा, जबकि मैं छोटा बच्चा था। (हाकिमः 2/300; वसनदुहू हसन)

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

''शुरू अल्लाह के नाम से बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला है।''

يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِیْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَآءً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِیْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ①

तर्जुमाः ''लोगों! अपने परवरदिगार से डरो जिसने तुम्हें एक शख़्स से पैदा किया और उसी से उसकी बीवी को पैदा करके उन दोनों से बहुत से मर्द और औरतें फैला दीं, उस अल्लाह से डरो जिसके नाम पर एक दूसरे से माँगते हो और रिश्ते नाते तोड़ने से बचो। बेशक अल्लाह तआला तुम पर निगहबान है।'' (1)

तख़्लीक़े (पैदाइशे) इंसानियत (आयत 1): अल्लाह तआला ने अपने तक़्वा (डर) का हुक्म दिया है कि जिस्म से उसी एक की ही इबादतें की जाएँ और दिल में सिर्फ़ उसी का डर (ख़ौफ़) रखा जाए। फिर अपनी कुदरते कामिला का बयान फ़र्माता है कि उसने तुम सबको एक ही शख़्स या'नी हज़रत आदम (عليه السلام) से पैदा किया है, आप सोये हुए थे कि बाईं तरफ़ की पसली की पिछली तरफ़ से हज़रत हव्वा (عليها السلام) को पैदा किया, उनकी बीवी या'नी हज़रत हव्वा (عليها السلام) को भी उन ही से पैदा किया, आदम (عليه السلام) ने बेदार होकर उन्हें देखा और अपनी तबीअत को उनकी तरफ़ राग़िब पाया और उन्हें भी इनसे उन्स पैदा हुआ। हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़र्माते हैं, औरत मर्द से पैदा की गई है, इसलिए उसकी हाजत व शहवत मर्द में रखी गई है और मर्द ज़मीन में से पैदा किए गए हैं, इसलिए इनकी हाजत ज़मीन में रखी गई है। पस तुम अपनी औरतों को रोके रखो। सहीह हदीस में है कि ''औरत पसली से पैदा की गई है और सबसे बुलंद पसली सबसे ज़्यादा टेढ़ी है पस अगर तू इसे बिलकुल सीधी करने की कोशिश करेगा तो तू उसे तोड़ देगा और अगर इसमें कुछ कजी बाक़ी छोड़ते हुए फ़ायदा उठाना चाहेगा तो बेशक फ़ायदा उठा सकता है।'' (सहीह बुख़ारी, किताबुन्निकाह, बाबुल मदाराति मअन्निसाअः 5184; सहीह मुस्लिम, किताबुर्रज़ाअ बाबुल वसिय्यति बिन्निसाअ, हदीस नम्बरः 1467)

फिर फ़र्माया, उन दोनों से या'नी आदम व हव्वा (عليهما السلام) से बहुत से इंसान मर्द व औरत दुनिया में चारों ओर फैला दिए जिनकी क़िस्में, सिफ़तें, रंग रूप, बोल-चाल में बहुत कुछ इख़्तिलाफ़ है। जिस तरह यह सब पहले अल्लाह के क़ब्ज़े में थे और फिर इन्हें उसने इधर-उधर फैला दिया, एक वक़्त इन सबको समेट कर फिर अपने क़ब्ज़े में कर के एक मैदान में जमा करेगा। पस अल्लाह तआला से डरते रहो, उसकी इताअत, इबादत करते रहो, उसी अल्लाह के वास्ते से और उसी के नाम पर तुम आपस में एक दूसरे से माँगते रहो, मस्लन यह कहना मैं तुझे

अल्लाह को याद दिलाकर और रिश्ते को याद दिलाकर यूँ कहता हूँ। उसी के नाम की क़समें खाते रहो और अ़हदो पैमान मज़बूत करते रहो।

रिश्तेदारों से क़त्अ़ ता'ल्लुक़ी की मुमानिअ़त: अल्लाह तआ़ला से डरकर रिश्तों नातों की ह़िफ़ाज़त करो, उन्हें तोड़ो नहीं, बल्कि जोड़ो, सिलह रह़मी, नेकी और सुलूक आपस में करते रहो। (अरह़ाम) भी एक क़िरा'त में है या'नी अल्लाह तआ़ला के नाम पर और रिश्ते के वास्ते से। अल्लाह तआ़ला तुम्हारे तमाम अह़वाल और आ'माल पर ख़बरदार है, ख़ूब देखभाल रहा है, जैसे और जगह है (والله على كلى شئى شهيد) ''अल्लाह तआ़ला हर चीज़ पर गवाह और ह़ाज़िर है।'' स़ह़ीह़ ह़दीस में है कि ''अल्लाह की ऐसी इबादत कर कि गोया तू उसे देख रहा है। (स़ह़ीह़ बुख़ारी, किताबुल ईमान, बाब सुआलु जिब्रीलिन्नबी (ﷺ) अ़निल ईमानः 50; स़ह़ीह़ मुस्लिमः 9) पस अगर तू उसे नहीं देख रहा तो वह तो तुझे देख ही रहा है।'' मतलब यह है कि उसका लिह़ाज़ रखो जो तुम्हारे हर उठने बैठने, चलने फिरने पर निगरान है।

यहाँ फ़र्माया गया कि लोगों! तुम सब एक ही माँ बाप की औलाद हो, एक दूसरे पर शफ़क़त किया करो, कमज़ोर और नातवाँ का साथ दो और उनके साथ सुलूक करो। स़ह़ीह़ मुस्लिम शरीफ़ में ह़दीस है कि जब क़बीला मुज़र के चंद लोग रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास चादरें लपेटे हुए आए क्योंकि उनके जिस्म पर कपड़ा तक न था, तो हुज़ूर (ﷺ) ने खड़े होकर नमाज़े ज़ुहर के बाद वाज़ बयान फ़र्माया जिसमें इस आयत की तिलावत की फिर आयत (يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ) (59/ह़श्रः 18) की तिलावत की फिर लोगों को ख़ैरात करने की तर्ग़ीब दी, चुनाँचे जिससे जो हो सका, उन लोगों के लिए दिया, दिरहम व दीनार, खजूर व गेहूँ भी, आख़िर तक। (स़ह़ीह़ मुस्लिम, किताबुज़्ज़कात, बाबुल ह़स्स अ़लस्स़दक़ति...: 2351; तिर्मिज़ीः 2675) मुस्नद और सुनन में ख़ुत्बा ह़ाजात के बयान में है कि फिर तीन आयतें पढ़ीं जिनमें से एक आयत यही है।

وَاٰتُوا الْيَتٰمٰۤى اَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيْثَ بِالطَّيِّبِ ۪ وَلَا تَاْكُلُوْۤا اَمْوَالَهُمْ اِلٰۤى
اَمْوَالِكُمْ ؕ اِنَّهٗ كَانَ حُوْبًا كَبِيْرًا ۝٢ وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا
طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ
مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ؕ ذٰلِكَ اَدْنٰۤى اَلَّا تَعُوْلُوْا ۝٣ وَاٰتُوا النِّسَآءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ؕ فَاِنْ
طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَىْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْٓـًٔا مَّرِيْٓـًٔا ۝٤

तर्जुमा: ''यतीमों को उनके माल दे दिया करो और हलाल चीज़ के बदले नापाक और हराम चीज़ न लो। अपने मालों के साथ उनके माल मिलाकर खा न जाओ, बेशक यह बहुत बड़ा गुनाह है। (2) अगर तुम्हें डर हो कि यतीम लड़कियों से निकाह करके तुम इंसाफ़ न रख सकोगे तो और औरतों में से जो भी तुम्हें अच्छी लगें, तुम उनसे निकाह कर लो, दो-दो, तीन-तीन, चार-चार से, लेकिन अगर तुम्हें बराबरी न कर सकने का डर हो तो एक ही बस है या तुम्हारी मिल्कियत की लौण्डी ही, मुम्किन है कि ऐसा करने से नाइंसाफ़ी और एक तरफ़ झुक पड़ने से बच जाओ। (3) औरतों को उनके मुहर राज़ी ख़ुशी दे दिया करो। हाँ! अगर वह ख़ुद अपनी ख़ुशी से कुछ मुहर छोड़ दें तो उसे शौक़ से ख़ुश हो कर खाओ पियो।'' (4)

यतीम का माल नाजाइज़ तरीक़ों से खाना गुनाह है (आयत 2-4): अल्लाह यतीमों के वालियों को हुक्म देता है कि जब यतीम बुलूग़त और समझदारी को पहुँच जाएँ तो उनके जो माल तुम्हारे पास हों, उन्हें सौंप दो, पूरे-पूरे बग़ैर कमी और ख़यानत, उनके हवाले कर दो। अपने मालों के साथ मिलाकर गड़बड़ी करके खा जाने की निय्यत न रखो। हलाल रिज़्क़ जब अल्लाह तआला तुम्हें दे रहा है फिर हराम की तरफ़ क्यूँ मुँह उठाओ? तक़्दीर की रोज़ी मिलकर ही रहेगी, अपने माल छोड़कर लोगों के मालों को जो तुम पर हराम हैं, न लो, दुबला पतला जानवर देकर मोटा ताज़ा न लो, बोटी देकर बकरे की फ़िक्र न करो, रद्दी देकर अच्छे की, खोटा देकर खरे की निय्यत न रखो। पहले लोग ऐसा कर लिया करते थे कि यतीमों की बकरियों के रेवड़ में से अच्छी बकरी ले ली और अपनी दुबली पतली बकरी देकर गिनती पूरी कर दी, खोटा दिरहम उसके माल में डालकर खरा निकाल लिया और फिर समझ लिया कि हमने तो बकरी के बदले बकरी और दिरहम के बदले दिरहम लिया है। उनके मालों में अपना माल ख़लत मलत करके फिर यह हीला करके कि अब इम्तियाज़ क्या है? उनके माल तलफ़ न करो, यह बड़ा गुनाह है। (तब्री: 7/525-530) एक ज़ईफ़ हदीस में भी यही मआनी आख़िरी जुम्ले के मरवी है। अबूदाऊद की हदीस में एक दुआ में भी हूब का लफ़्ज़ गुनाह के मआनी में आया है। (अबूदाऊद, किताबुत्तिब्ब, बाब कैफ़रुक़ाः 3892; वसनदुहू ज़ईफ़; ज़ियाद बिन मुहम्मद मुंकरुल हदीस रावी है।) हज़रत अबू अय्यूब (रज़ि.) ने जब अपनी बीवी साहिबा (रज़ि.) को तलाक़ देने का इरादा किया था तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उन्हें फ़र्माया था कि ''इस तलाक़ में गुनाह है'' चुनाँचे वह अपने इरादे से बाज़ रहे। (वसनदुहू ज़ईफ़) एक रिवायत में यह वाक़िया हज़रत अबू तलहा और उम्मे सुलेम (रज़ि.) का मरवी है। (हाकिम: 2/302; वसनदुहू ज़ईफ़; हाकिम ने इसे सहीह क़रार दिया है। जबकि ज़हबी ने इसका पीछा करते हुए हाकिम की तस्हीह का रद्द किया है और कहते हैं इसकी सनद में अली बिन आसिम वाही है। इसी तरह तल्ख़ीसुल मुस्तदरक हाकिम 2/302 और मीज़ान: 5873 में इसे मुंकर क़रार दिया है।)

यतीम लड़कियों से निकाह का मसला: फिर फ़र्माता है कि तुम्हारी परवरिश में कोई यतीम लड़की हो और तुम उससे निकाह करना चाहते हो लेकिन चूँकि उसका कोई और नहीं, इसलिए तुम ऐसा न करो कि मुहर और हुक़ूक़ में कमी करके उसे अपने घर डाल लो, इससे बाज़ रहो और औरतें बहुत हैं जिससे चाहो निकाह कर लो।

हज़रत आइशा सिद्दीक़ा (रज़ि.) फ़र्माती हैं, एक यतीम लड़की थी जिसके पास माल भी था और बाग़ भी जिसकी परवरिश में वह थी उसने सिर्फ़ उस माल के लालच में बग़ैर उसको पूरा मुहर वग़ैरह मुक़र्रर करने के उससे निकाह कर लिया जिस पर यह आयत उतरी, मेरा ख़्याल है कि उस बाग़ और माल में यह लड़की हिस्सेदार थी। (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर, सूरतुन्निसाअः 4573) सहीह बुख़ारी शरीफ़ में है कि हज़रत उर्वा बिन ज़ुबेर (रह.) ने हज़रत आइशा (रज़ि.) से इस आयत का मतलब पूछा तो आप (रज़ि.) ने फ़र्माया, "भांजे! यह ज़िक्र उस यतीम लड़की का है जो अपने वली के क़ब्ज़े में है, उसके माल में शरीक है और उसे उसका माल व जमाल अच्छा लगता है, चाहता है कि यह उससे निकाह कर ले लेकिन जो मुहर वग़ैरह और जगह से उसे मिलता है, उतना यह नहीं देता तो उसे मना हो रहा है कि फिर यह उसकी निय्यत छोड़ दे और दूसरी औरत से जिससे चाहे अपना निकाह कर ले।" फिर उसके बाद लोगों ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से उसी की बाबत पूछा और आयत (وَيَسْتَفْتُوْنَكَ فِي النِّسَاءِ) (4/निसाअः 127) नाज़िल हुई। वहाँ फ़र्माया गया है कि "जब यतीम लड़की कम माल वाली और कम जमाल वाली होती है, उस वक़्त तो उसके वाली उससे बेरग़बती करते हैं, फिर कोई वजह नहीं कि माल व जमाल पर माइल हो कर उसकेपूरे हुक़ूक़ अदा न करके उससे अपना निकाह कर लें। (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर, सूरतुन्निसाअः 4573; सहीह मुस्लिमः 3018) हाँ! अदलो इंसाफ़ से पूरा मुहर वग़ैरह मुक़र्रर करें तो कोई हर्ज नहीं, वरना फिर औरतों की कमी नहीं और किसी से जिससे चाहें अपना निकाह कर लें।"

एक वक़्त में चार औरतों से निकाह की इजाज़तः अगर चाहें, दो दो औरतें अपने निकाह में रखें, अगर चाहें तीन-तीन रखें, अगर चाहें चार चार, जैसे और जगह भी यह अल्फ़ाज़ इन ही मआनी में हैं। फ़र्माता है (جَاعِلِ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا أُولِيٓ أَجْنِحَةٍ مَّثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ) (35/फ़ातिरः 1) या'नी "जिन फ़रिश्तों को अल्लाह तआला अपना क़ासिद बनाकर भेजता है उनमें से कुछ दो दो परों वाले हैं कुछ तीन-तीन परों वाले, कुछ चार-चार परों वाले, फ़रिश्तों में इससे ज़्यादा पर वाले फ़रिश्ते भी हैं क्योंकि दलील से यह साबितशुदा है, लेकिन मर्द को एक वक़्त में चार से ज़्यादा बीवियों का जमा करना मना है जैसे कि इस आयत में मौजूद है और जैसे कि हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) और जुम्हूर का क़ौल है। यहाँ अल्लाह तआला अपने एहसान और इन्आम बयान फ़र्मा रहा है, पस अगर चार से ज़्यादा की इजाज़त देनी मंज़ूर होती तो ज़रूर फ़र्मा दिया जाता। हज़रत इमाम शाफ़ेई (रह.) फ़र्माते हैं, हदीस जो कुरआन की वज़ाहत करने वाली है उसने बतला दिया है कि सिवाए रसूलुल्लाह (ﷺ) के किसी के लिए चार से ज़्यादा बीवियों का एक वक़्त जमा करना जाइज़ नहीं, इसी पर उलमा-ए-किराम का इज्माअ है, अल्बत्ता कुछ शिया का क़ौल है कि नौ तक जमा करना जाइज़ है, बल्कि कुछ शिया ने तो कहा है कि नौ से ज़्यादा जमा कर लेने में भी कोई हर्ज नहीं, कोई ता'दाद मुक़र्रर ही नहीं। इनका इस्तिदलाल एक तो रसूलुल्लाह (ﷺ) के फ़े'ल से है जैसाकि हदीस में आ चुका है कि आप (ﷺ) की नौ बीवियाँ थीं। (सहीह बुख़ारी, किताबुन्निकाह, बाब कस्रतुन्निसाअः 5067; सहीह मुस्लिमः 1465) और बुख़ारी शरीफ़ की मुअल्लक़ हदीस के कुछ रावियों ने ग्यारह कहा है। (सहीह बुख़ारी, किताबुल ग़ुस्ल, बाब इज़ा जामअ सुम्म आद...: 268)

हज़रत अनस (रज़ि.) से मरवी है कि आप (ﷺ) ने पंद्रह बीवियों से अक़्द किया, तेरह की रुख़्सती हुई, एक वक़्त में ग्यारह बीवियाँ आप (ﷺ) के पास थीं, इंतिक़ाल के वक़्त आप (ﷺ) की नौ बीवियाँ (रज़ि.) थीं, हमारे उलमा-ए-किराम (रह.) इसके जवाब में फ़र्माते हैं कि यह आप (ﷺ) की ख़ुसूसियत थी, उम्मती को एक वक़्त में चार से ज़्यादा बीवियाँ पास रखने की इजाज़त नहीं जैसे कि यह हदीसें इस अम्र पर दलालत करती हैं। हज़रत ग़ीलान बिन सलमा सक़फ़ी (रज़ि.) जब मुसलमान होते हैं तो उनके पास उनकी दस बीवियाँ होती हैं, हुज़ूर (ﷺ) इर्शाद फ़र्माते हैं कि उनमें से जिन्हें चाहो चार रख लो, बाक़ी को छोड़ दो (चुनाँचे उन्होंने ऐसा ही किया)। फिर हज़रत उमर (रज़ि.) की ख़िलाफ़त के ज़माने में अपनी उन बीवियों को भी तलाक़ दे दी और अपने लड़कों को अपना माल बांट दिया। हज़रत उमर (रज़ि.) को जब यह मा'लूम हुआ तो आपने फ़र्माया, शायद तेरे शैतान ने बात उचक ली और तेरे दिल में यह ख़्याल जमा दिया कि तू अन्क़रीब मरने वाला है इसलिए अपनी बीवियों को तूने अलग कर दिया कि वह तेरा माल न पाएँ और अपना माल अपनी औलाद में तक़्सीम कर दिया, मैं तुझे हुक्म देता हूँ कि अपनी बीवियों से रुजूअ कर ले और अपनी औलाद से माल वापिस ले ले अगर तूने ऐसा न किया तो मैं तेरे बाद तेरी उन मुतल्लक़ा बीवियों को भी तेरा वारिस बनाऊँगा क्योंकि तूने उन्हें इसी डर से तलाक़ दी है और मा'लूम होता है कि तेरी ज़िन्दगी भी अब ख़त्म होने के क़रीब है और अगर तूने मेरी बात न मानी तो याद रख, मैं हुक्म दूँगा कि लोग तेरी क़ब्र पर पत्थर फेंकें जैसे कि अबू रिग़ाल की क़ब्र पर पत्थर फेंके जाते हैं। (मुस्नद अहमदः 2/14; दारे क़ुत्नीः 3/271; बैहक़ीः 7/173; तिर्मिज़ी, किताबुन्निकाह, बा मा जाअ फ़िर्रजुल युस्लिमु व इन्दहू अशर निस्वतिः 1128; इब्ने माजाः 1953; मुख़्तसरन; वसनदुहू ज़ईफ़; इब्ने शिहाब ज़ुहरी मुदल्लस हैं और तसरीह बिस्सिमाअ साबित नहीं) मरफ़ूअ हदीस तक तो इन सब किताबों में है, हाँ! हज़रत उमर (रज़ि.) वाला वाक़िया सिर्फ़ मुस्नद अहमद में है लेकिन यह ज़्यादती हसन है, अगरचे इमाम बुख़ारी (रह.) ने इसे ज़ईफ़ कहा है और इसकी इस्नाद का दूसरा तरीक़ा बताकर इस तरीक़ा को ग़ैर महफ़ूज़ कहा है मगर इस तालील में भी नज़र है, वल्लाहु आलम! और बुज़ुर्ग मुहद्दिसीन ने भी इस पर कलाम किया है लेकिन मुस्नद अहमद वाली हदीस के तमाम रावी सिकह हैं और शर्ते शैख़ेन पर हैं। एक और रिवायत में है कि यह दस औरतें भी अपने शौहर के साथ मुसलमान हुई थीं। मुलाहिज़ा हो, सुनन नसाई) (दारे क़ुत्नीः 3/271; बैहक़ीः 7/183; वसनदुहू हसन) इस हदीस से साफ़ ज़ाहिर हो गया है कि अगर चार से ज़्यादा का एक वक़्त में निकाह में रखना जाइज़ होता तो हुज़ूर (ﷺ) उनसे यह न फ़र्माते कि, "अपनी इन दस बीवियों में से चार को जिन्हें तुम चाहो रोक लो बाक़ी को छोड़ दो" क्योंकि यह सब भी इस्लाम ला चुकी थीं। यहाँ यह बात भी ख़्याल में रखनी चाहिए कि सक़फ़ी के यहाँ तो यह दस औरतें मौजूद थीं, उस पर भी आप (ﷺ) ने छ अलग करा दीं फिर भला कैसे हो सकता है कि कोई शख़्स नए सिरे से चार से ज़्यादा जमा करे? वल्लाहु आलम बिस्सवाब

दूसरी हदीस अबू दाऊद और इब्ने माजा वग़ैरह में है, हज़रत उमेरा असदी (रज़ि.) फ़र्माते हैं मैंने जिस वक़्त इस्लाम क़बूल किया मेरे निकाह में आठ औरतें थीं, मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से ज़िक्र किया। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, "उनमें से जिन्हें चाहो चार को रख लो।" (अबूदाऊद, किताबुत्तलाक़, बाब फ़ीमन अस्लम

व इन्दहू निसाअन अक्सर मिन अरबअः 2241, 2242; इब्ने माजाः 1952; वसनदुहू ज़ईफ़; मुहम्मद बिन अबी लैला ज़ईफ़ रावी है।) इसकी सनद हसन है और इसके शवाहिद भी हैं, रावियों के नामों का हेर फेर वग़ैरह ऐसी रिवायात में नुक़सानदेह नहीं होता।

तीसरी हदीस मुस्नद शाफ़ेई में है हज़रत नोफ़िल बिन मुआविया (रज़ि.) फ़र्माते हैं कि मैंने जब इस्लाम क़बूल किया, उस वक़्त मेरी पाँच बीवियाँ थीं। मुझसे हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, "उनमें से पसंद करके चार को रख लो और एक को अलग कर दो।" मैंने जो सबसे ज़्यादा उम्र की बुढ़िया और बेऔलाद बीवी साठ साल की थीं उन्हें तलाक़ दे दी। (मुस्नद शाफ़ेईः 2/16; वसनदुहू ज़ईफ़) पस यह हदीसें हज़रत ग़ीलान (रज़ि.) वाली पहली हदीस की शवाहिद हैं जैसे कि हज़रत इमाम बैहक़ी (रह.) ने फ़र्माया है। फिर फ़र्माता है कि हाँ! अगर एक से ज़्यादा बीवियों में अद्लो इंसाफ़ न हो सकने का डर हो तो सिर्फ़ एक ही पर इक्तिफ़ा करो, या लौण्डियों ही पर, जैसे और जगह है (وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْٓا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَاۗءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ) (4/निसाअः 129) या'नी "गो तुम चाहो लेकिन तुमसे न हो सकेगा कि औरतों के बीच पूरी तरह अदलो इंसाफ़ को क़ायम रख सको, पस बिलकुल एक ही तरफ़ झुककर दूसरी को मुसीबत में न डाल दो।" हाँ! यह याद रहे कि लौण्डियों में बारी वग़ैरह तक़्सीम वाजिब नहीं अल्बत्ता मुस्तहब है जो करे उसने अच्छा किया और जो न करे उस पर कोई गुनाह नहीं। इसके बाद के जुम्ले का मतलब कुछ ने तो कहा है कि यह क़रीब है उसके कि तुम्हारी अयाल या'नी फ़क़ीरी ज़्यादा न हो। जैसे और जगह है (وان خفتم) (9/तौबाः 28) या'नी "अगर तुम्हें फ़क़ीरी का डर हो। अरबी शायर कहता है

فمايدرى الفقير متى غناه   ومايدرى الغنى متى يعيل

"या'नी फ़क़ीर नहीं जानता कि कब अमीर हो जाएगा और अमीर को न मालूम कि कब फ़क़ीर हो जाएगा।" जब कोई मिस्कीन मुहताज हो जाए। तो अरब कहते हैं आलर्रजुलु या'नी यह शख़्स फ़क़ीर हो गया। ग़र्ज़ इस मअनी में यह लफ़्ज़ मुस्तअमल तो है लेकिन यहाँ यह तफ़्सीर कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं मालूम होती क्योंकि अगर आज़ाद औरतों की कसरत फ़क़ीरी का बाइस बन सकती है तो लोण्डियों की कसरत भी फ़क़ीरी का सबब हो सकती है, पस सही क़ौल जुम्हूर का है कि मुराद यह है कि यह क़रीब है उससे कि तुम ज़ुल्म से बच जाओ। अरब में कहा जाता है कि आल फ़िल हुक्मि जबकि ज़ुल्म व जोर किया हो, अबू तालिब के मशहूर क़सीदे में है,

بميزان قسط لايخيس شعيرة   له شاهد من نفسه غير عائل

यानी ऐसी तराज़ू से तोलता है जो एक जौ बराबर की भी कमी नहीं करती, उसके पास उसका गवाह ख़ुद उसका नफ़्स है जो ज़ालिम नहीं है। इब्ने जरीर में है कि जब कूफ़ियों ने हज़रत उस्मान (रज़ि.) पर एक ख़त में कुछ इल्ज़ाम लिखकर भेजे तो उनके जवाब में ख़लीफ़तुर्रसूल ने लिखा कि (انى لست بميزان اعول) मैं ज़ुल्म की तराज़ू नहीं हूँ। सहीह इब्ने हिब्बान वग़ैरह में एक मरफ़ूअ हदीस इस जुम्ला की तफ़्सीर में मरवी है कि इसका मानी है तुम ज़ुल्म न करो। (सहीह इब्ने हिब्बानः 4018; वसनदुहू सहीहुन) अबू हातिम (रह.) फ़र्माते

हैं इसका मरफ़ूअ होना तो ख़ता है, हाँ! यह हज़रत आइशा (रज़ि.) का क़ौल है। इसी तरह (هنيا امريا) के भी मानी यानी तुम ज़ुल्म न करो, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) हज़रत आइशा (रज़ि.) हज़रत मुजाहिद (रह.), हज़रत इक्रिमा, हज़रत हसन, हज़रत अबू मालिक, हज़रत अबू रज़ीन, हज़रत नख़ई, हज़रत शअबी, हज़रत ज़हहाक और हज़रत अता ख़ुरासानी, हज़रत क़तादा, हज़रत सुद्दी, हज़रत मुक़ातिल बिन हय्यान (रह़ि.) वग़ैरह से भी मरवी है। (तब्रीः 7/549-551) हज़रत इक्रिमा (रह.) ने भी अबू तालिब का वही शेअर पेश किया है। इमाम इब्ने जरीर (रह.) ने इसे रिवायत किया है और ख़ुद इमाम साहिब भी इसी को पसंद करते हैं। फिर फ़र्माता है अपनी बीवियों को उनके मुहर ख़ुशदिली से अदा कर दिया करो जो भी मुक़र्रर हुए हों और जिनको तुमने मंज़ूर किया हो, हाँ! अगर औरत ख़ुद अपना सारा या थोड़ा बहुत मुहर अपनी ख़ुशी से मर्द को माफ़ कर दे तो उसे इख़्तियार है और उस सूरत में बेशक मर्द को उसका अपने इस्तेमाल में लाना हलाल तय्यिब (पाक) है। नबी करीम (ﷺ) के बाद किसी को जाइज़ नहीं कि बग़ैर मुहर वाजिब किये निकाह करे न यह कि झूठ मूट का नाम ही नाम हो। (तब्रीः 7/553) इब्ने अबी हातिम में हज़रत अली (रज़ि.) का क़ौल मरवी है कि तुममें से जब कोई बीमारा पड़े तो उसे चाहिए कि अपनी बीवी से उसके माल के तीन दिरहम या कमो बेश ले, उनका शहद ख़रीद ले और बारिश का पानी उसमें मिला ले तो तीन-तीन भलाईयाँ मिल जाएँगी तो माले औरत और शिफ़ा-ए-शहद और मुबारक बारिश का पानी। हज़रत अबू सालेह (रह.) फ़र्माते हैं कि लोग अपनी बेटियों का मुहर आप लेते थे जिस पर यह आयत उतरी और उन्हें इससे रोक दिया गया (इब्ने अबी हातिम और इब्ने जरीर) इस हुक्म को सुनकर लोगों ने रसूले मक़्बूल (ﷺ) से पूछा कि इनमें आपस में मुहर क्या है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, "जिस चीज़ पर भी इनके घर वाले रज़ामंद हो जाएँ।" (बैहक़ीः 7/239; यह रिवायत मुर्सल यानी ज़ईफ़ है और इसकी सनद में इब्ने अब्दुर्रहमान बिन अल्बुलेमानी मुतकल्लम फ़ीह है। (अल्मीज़ानः 2/551; रक़मः 4826) लिहाज़ा यह रिवायत ज़ईफ़ मरदूद है) (इब्ने अबी हातिम) हुज़ूर (ﷺ) ने अपने ख़ुत्बे में तीन मर्तबा फ़र्माया, "बेवाओं का निकाह किया करो।" एक शख़्स ने खड़े होकर पूछा कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! उनमें आपस का मुहर क्या है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, "जिस पर उनके घर वाले राज़ी हो जाएँ।" (बैहक़ीः 7/239; इसकी सनद में हज्जाज बिन अरतात मुदल्लस और कसीरुल ख़ता (अत्तक़रीबः 1/153; रक़मः 145) और इब्ने बुलेमानी ज़ईफ़ रावी है जबकि उमर और सुलेमानी के बीच इंक़िताअ है। लिहाज़ा यह रिवायत ज़ईफ़ है।) इसके एक रावी इब्ने सलमानी ज़ईफ़ हैं, फिर इसमें इंक़िताअ भी है।

***

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَآءَ اَمْوَالَكُمُ الَّتِيْ جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيٰمًا وَّارْزُقُوْهُمْ فِيْهَا

وَاكْسُوْهُمْ وَقُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ۝۵ وَابْتَلُوا الْيَتٰمٰى حَتّٰۤى اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ۚ

فَاِنْ اٰنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوْۤا اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ ۚ وَلَا تَاْكُلُوْهَاۤ اِسْرَافًا وَّبِدَارًا

اَنْ يَّكْبَرُوْا ؕ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَاْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ ؕ

فَاِذَا دَفَعْتُمْ اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ فَاَشْهِدُوْا عَلَيْهِمْ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا ۝۶

तर्जुमाः ''बेअक़्ल लोगों को अपना माल न दो जिस माल को अल्लाह तआला ने तुम्हारी गुज़रान के क़ायम रखने का ज़रिया बनाया है, हाँ! उन्हें इस माल से खिलाओ, पिलाओ, पहनाओ, ओढ़ाओ और उन्हें माक़ूलियत से नर्म बात कहो। (5) और यतीमों को उनके बालिग़ हो जाने तक सुधारते और आज़माते रहा करो, फिर अगर उनमें तुम होशियारी और हुस्ने तदबीर पाओ तो उन्हें उनके माल सौंप दो। और उनके बड़े हो जाने के डर से उनके मालों को जल्दी-जल्दी फ़िज़ूल ख़र्चियों में तबाह न कर दो, मालदारों को चाहिए कि (उसके माल से) बचते रहें। हाँ! मिस्कीन मुहताज हो तो दस्तूर के मुताबिक़ वाजिबी तौर पर खा ले। फिर जब उन्हें उनके माल सौंपो तो गवाह कर लिया करो। दरअसल हिसाब लेने वाला अल्लाह तआला ही काफ़ी है।''

माल में तसर्रुफ़ के लिए आक़िल बालिग़ होना ज़रूरी है (आयत: 5-6): अल्लाह सुब्हानहू व तआला लोगों को मना फ़र्माता है कि कमअक़्ल बेवक़ूफ़ों को माल के तसर्रुफ़ से रोकें। माल को अल्लाह तआला ने तिजारतों वग़ैरह में लगाकर इंसान का ज़रिया मुआश बनाया है। इससे मालूम हुआ कि कम अक़्ल लोगों को उनके माल के ख़र्च से रोक देना चाहिए। मस्लन नाबालिग़ बच्चा हो या मज्नून व दीवाना हो या कम अक़्ल बेवक़ूफ़ हो और बेदीन हो, बुरी तरह अपने माल को लुटाता हो। इसी तरह ऐसा शख़्स जिस पर क़र्ज़ बहुत चढ़ गया हो जिसे वह अपने कुल माल से भी अदा नहीं कर सकता, अगर क़र्ज़ख़्वाह हाकिमे वक़्त से दरख़्वास्त करें तो हाकिम वह सब माल उसके क़ब्ज़े से ले लेगा और उसे बेदख़ल कर देगा। हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़र्माते हैं यहाँ सुफ़हाअ से मुराद तेरी औलाद और औरतें हैं। (तब्रीः 7/562) इसी तरह हज़रत इब्ने मसऊद (रज़ि.) हकम बिन उयेयना, हसन और ज़हहाक (रह.) से भी मरवी है कि इससे मुराद औरतें और बच्चे हैं। (तब्रीः 7/562) हज़रत सईद बिन जुबेर (रह.) फ़र्माते हैं, यतीम मुराद हैं। (तब्रीः 7/563) मुजाहिद, इक्रिमा और क़तादा (रह.) का क़ौल है कि औरतें मुराद हैं। (तब्रीः 7/564) इब्ने अबी हातिम में है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया,

"बेशक औरतें बेवक़ूफ़ हैं मगर जो अपने शौहर की इताअत गुज़ार हों।" (इब्ने अबी हातिम वसनदुहू ज़ईफ़) इब्ने मर्दवे में भी यह हदीस मुत़व्वल (सविस्तार) मरवी है। हज़रत अबू हुरेरा (रज़ि.) फ़र्माते हैं कि इससे मुराद सरकश ख़ादिम हैं। फिर फ़र्माता है, उन्हें खिलाओ, पहनाओ और अच्छी बात कहो। इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) फ़र्माते हैं, यानी तेरा माल जिस पर तेरी गुज़र बसर मौक़ूफ़ है, उसे अपनी बीवी या बच्चों को न दे डाल कि फिर उनका हाथ तकता फिरे बल्कि अपना माल अपने क़ब्ज़े में रख, उसकी इस्लाह करता रह और ख़ुद अपने हाथ से उनके खाने-कपड़े का बन्दोबस्त कर और उनके ख़र्च उठा। (त़ब्रीः 7/570)

हज़रत अबू मूसा (रज़ि.) फ़र्माते हैं, तीन क़िस्म के लोग हैं कि वह अल्लाह तआ़ला से दुआ़ करते हैं लेकिन अल्लाह तआ़ला क़बूल नहीं फ़र्माता, एक वह शख़्स जिसकी बीवी बद ख़ुल्क़ हो और फिर भी वह उसे तलाक़ न दे, दूसरा वह शख़्स जो अपना माल बेवक़ूफ़ को दे दे हालाँकि अल्लाह तआ़ला का फ़र्मान है बेवक़ूफ़ को अपना माल न दो, तीसरा वह शख़्स जिसका क़र्ज़ किसी पर हो और उसने क़र्ज़ पर किसी को गवाह न किया हो। उनसे भली बात कहो, यानी उनसे नेकी और सिलह रहमी करो। इस आयत से मालूम हुआ कि मुहताजों से सुलूक करना चाहिए, उसे जिसे बिल फ़े'ल तसर्रुफ़ का हक़ न हो, उसके खाने कपड़े की ख़बरगीरी करनी चाहिए और उसके साथ नर्म ज़ुबानी और ख़ुशख़ल्क़ी से पेश आना चाहिए।

यतीम के माल की हिफ़ाज़त बुलूग़त तक करना और बुलूग़त की अ़लामतः फिर फ़र्माया कि यतीमों की देखभाल रखो, यहाँ तक कि वह जवानी को पहुँच जाएँ। यहाँ निकाह से मुराद बुलूग़त है और बुलूग़त उस वक़्त साबित होती है जब उसे ख़ास क़िस्म के ख़्वाब आने लगें जिनमें ख़ास पानी उछलकर निकलता है। हज़रत अ़ली (रज़ि.) फ़र्माते हैं मुझे रसूलुल्लाह (ﷺ) का यह फ़र्मान बख़ूबी याद है कि "एहतिलाम के बाद यतीमी नहीं और न चुप रहना है सारे दिन रात तक।" (सुनन अबी दाऊदः 2873; वसनदुहू ज़ईफ़; ख़ालिद बिन सईद मज्हूलुल हाल रावी है। व उंजुरुल औसत़ लित़बरानीः 3502; वसनदुहू हसन) दूसरी हदीस में है कि "तीन क़िस्म के लोगों पर से क़लम उठा लिया गया है, बच्चे से जब तक कि बालिग़ न हो, सोते हुए शख़्स से जब तक जाग न जाए, मज्नून से जब तक होश न आ जाए।" (अबूदाऊद, किताबुल हुदूद, बाब फ़िल मज्नून युस्रिकु अव युसीबु हद्दनः 4398; तिर्मिज़ीः 1423; नसाईः 3462; इब्ने माजाः 2041; वहुव हसन) पस एक तो अ़लामते बुलूग़ (जवानी की अ़लामत) यह है, दूसरी अ़लामते बुलूग़ कुछ के नज़दीक यह है कि पन्द्रह साल की उ़म्र हो जाए, इसकी दलील बुख़ारी व मुस्लिम की हज़रत इब्ने उ़मर (रज़ि.) वाली हदीस जिसमें वो फ़र्माते हैं कि उहुद वाली लड़ाई में मुझे हुज़ूर (ﷺ) ने अपने साथ न लिया, उस वक़्त मेरी उ़म्र चौदह साल की थी और ख़ंदक़ की लड़ाई में जब मैं पेश किया गया तो आप (ﷺ) ने क़बूल फ़र्मा लिया, उस वक़्त मैं पन्द्रह साल का था। हज़रत उ़मर बिन अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ (रह.) को जब यह हदीस पहुँची तो आप (रह.) ने फ़र्माया, नाबालिग़ बालिग़ की हद यही है। (सहीह बुख़ारी, किताबुश्शहादात, बाब बुलूग़ुस्सिब्बियान व शहादतुहुमः 2664; सहीह मुस्लिमः 1868) तीसरी अ़लामत बुलूग़त की ज़ेरे नाफ़ के बालों का निकलना है। इसमें उ़लमा के तीन क़ौल हैं, एक यह कि अ़लामते बुलूग़ है, दूसरे यह कि नहीं, तीसरे यह कि मुसलमानों में नहीं और ज़िम्मियों में है, इसलिए कि मुम्किन है किसी दवा से यह बाल जल्द निकल आते हों और ज़िम्मी पर जवान होते ही जिज़्या लग जाता है तो उसे क्यों इस्तेमाल करने लगा लेकिन सहीह बात यह है कि सब के हक़ में अ़लामते बुलूग़त है क्योंकि अव्वलन तो जिबिल्ली (फ़ितरी) अम्र है, इलाज मुआलिजा का एहतिमाम बहुत दूर का एहतिमाल है, ठीक यही है कि यह

बाल अपने वक़्त पर ही निकलते हैं। दूसरी दलील मुस्नद अहमद की ह़दीस है जिसमें ह़ज़रत अ़तिया क़ुरज़ी (रज़ि.) का बयान है कि बनू क़ुरेज़ा की लड़ाई के बाद हम लोग हुज़ूर (ﷺ) के सामने पेश किये गए तो आप (ﷺ) ने हुक्म दिया कि एक शख़्स देखे जिसके बाल निकल आए हों, उसे क़त्ल कर दिया जाए और जिसके न निकले हो, उसे छोड़ दिया जाए, चुनाँचे मेरे भी बाल न निकले थे, मुझे छोड़ दिया गया। सुनने अरबआ में भी यह ह़दीस है। (अह़मदः 4/410; अबूदाऊद, किताबुल हुदूद, बाब फ़िल ग़ुलामि युसीबु ह़द्दनः 4404; तिर्मिज़ीः 1584; नसाईः 3460; इब्ने माजाः 2541; वहुव स़ह़ीहुन) और इमाम तिर्मिज़ी (रह़.) इसे ह़सन स़ह़ीह़ फ़र्माते हैं। ह़ज़रत सअ़द (रज़ि.) के फ़ैसले पर राज़ी हो कर यह क़बीला लड़ाई से बाज़ आया था फिर ह़ज़रत सअ़द (रज़ि.) ने यह फ़ैसला किया कि उनमें से लड़ने वाले तो क़त्ल कर दिए जाएँ और बच्चे क़ैद कर लिए जाएँ। ग़राइबे अबी उ़बेद में है कि एक लड़के ने एक नौजवान लड़की की निस्बत कहा कि मैंने इससे बदकारी की है, दरअस़ल यह तोहमत थी। ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) ने उसे तोहमत की ह़द लगानी चाही लेकिन फ़र्माया, देख लो! अगर उसके ज़ेरे नाफ़ के बाल उग आए हों तो उस पर ह़द जारी कर दो वरना नहीं। देखा तो उगे नहीं थे, चुनाँचे उस पर से ह़द हटा दी।

फिर फ़र्माता है कि जब देखो कि यह अपने दीन की स़लाह़ियत और माल की ह़िफ़ाज़त के लायक़ हो गए हैं तो उनके वलियों को चाहिए कि उनके माल उन्हें दे दें, बग़ैर ज़रूरी ह़ाजत के सिर्फ़ इस डर से कि यह बड़े होते ही अपना माल हमसे ले लेंगे तो हम उससे पहले ही इनके माल को ख़त्म कर दें। उनका माल न खाओ, जिसे ज़रूरत न हो ख़्वाह अमीर हो, खाता पीता हो तो उसे चाहिए कि उनके माल में से कुछ भी न लें, मिस्ल मुरदार और बहे हुए ख़ून के यह माल उस पर ह़राम मह़ज़ है, हाँ! अगर वली मिस्कीन, मुह़ताज हो तो बेशक उसे जाइज़ है कि अपनी परवरिश के ह़क़ के मुताबिक़ वक़्त की ह़ाजत और दस्तूर के मौजिब उस माल में से खा पी ले। (स़ह़ीह़ बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर, 4575) अपनी ह़ाजत को देखे और अपनी मेह़नत को अगर ह़ाजत मेहनत से कम हो तो ह़ाजत के मुताबिक़ ले और अगर ह़ाजत मेह़नत से ज़्यादा है तो भी दस्तूर के मु ताबिक ले सकता है । फिर ऐसा वली अगर मालदार बन जाए तो उसे उस खाए हुए और लिए हुए माल को वापिस करना पड़ेगा या नहीं? इसमें दो क़ौल हैं, एक तो यह कि वापिस न देना होगा, इसलिए कि उसने अपने काम के बदले ले लिया है। इमाम शाफ़ई (रह़.) के साथियों के नज़दीक यही सही है, इसलिए कि आयत ने बग़ैर बदल के मुबाह़ क़रार दिया है। और मुस्नद अह़मद वग़ैरह में है कि एक शख़्स ने कहा, या रसूलुल्लाह (ﷺ)! मेरे पास माल नहीं, एक यतीम मेरी परवरिश में है, तो क्या मैं उसके खाने में से खा सकता हूँ, आप (ﷺ) ने फ़र्माया, उस यतीम का माल अपने काम में ला सकता है, शर्त यह है कि ह़ाजत से ज़्यादा न उड़ा, न जमा कर, न यह हो कि अपने माल को तू बचा रखे और उस माल को खाता चला जाए। (अह़मदः 2/186; अबूदाऊद, किताबुल वस़ाया, बाब मा जाअ फ़ीमा लि वलिय्यिल यतीम अंय्यनाला मिम्मालिल् यतीमः 2872; वसनदुहू ह़सन; नसाईः 3698; इब्ने माजाः 2718) इब्ने अबी ह़ातिम में भी ऐसी ही रिवायत है। इब्ने ह़िब्बान वग़ैरह में है कि एक शख़्स ने हुज़ूर (ﷺ) से सवाल किया कि मैं अपने यतीम को अदब सिखाने के लिए ज़रूरतन किस चीज़ से मारूँ? फ़र्माया, जिससे तू अपने बच्चे को तम्बीह करता है, अपने माल बचाकर उसका माल ख़र्च न कर, न उसके माल से दौलतमंद बनने की कोशिश कर। (इब्ने ह़िब्बानः 4244; वसनदुहू ह़सन; अल्मुअजमुस़्स़ग़ीरः 244) ह़ज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) से किसी ने पूछा कि मेरे पास इतने ऊँट हैं और मेरे पास जो यतीम पल रहे हैं उनके भी ऊँट हैं, मैं अपनी ऊँटनियाँ दूध पीने के लिए फ़क़ीरों को तोह़फ़तन दे देता हूँ, तो क्या मेरे लिए जाइज़ है कि उन यतीमों की ऊँटनियों

का दूध पी लूँ? आपने फ़र्माया, अगर उन यतीमों की ऊँटनियों में से गुमशुदा को तू ढूँढ़ लाता है, उनके चारा-पानी की ख़बरगीरी रखता है, उनके हौज़ ठीक करता रहता है और उनकी निगहबानी किया करता है, तो बेशक दूध से भी नफ़ा उठा, लेकिन इस त़रह़ कि न उनके बच्चों को नुक़्सान पहुँचे, न ज़रूरत से ज़्यादा ले। (मौत़ा इमाम मालिक, किताब सिफ़तुन् नबी (ﷺ), बाब मा जाअ फ़ित्तआम...: 33; वहुव स़ह़ीहुन) ह़ज़रत अ़त़ा बिन अबी रिबाह़, ह़ज़रत इक्रिमा, ह़ज़रत इब्राहीम नख़ई, ह़ज़रत अ़तिया औफ़ी, ह़ज़रत ह़सन बस़री (रह़.) का यही क़ौल है।

दूसरा क़ौल यह है कि तंगदस्ती के दूर हो जाने के बाद वह माल यतीम को वापिस देना पड़ेगा, इसलिए कि अस़ल तो मुमानिअ़त है। एक वजह से जवाज़ हो गया था जब वह वजह जाती रही तो उसका बदला देना पड़ेगा, जैसे कोई बेबस और मज़बूर होकर किसी ग़ैर का माल खा ले लेकिन ह़ाजत के निकल जाने के बाद अगर अच्छा वक़्त आया तो उसे वापिस देना होगा। दूसरी दलील यह है कि ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) जब तख़्ते ख़िलाफ़त पर बैठे तो ए'लान फ़र्माया था कि मेरी ह़ैसियत यहाँ यतीम के वाली की ह़ैसियत है अगर मुझे ज़रूरत ही न हुई तो मैं बैतुलमाल से कुछ न लूँगा और अगर मुह़ताजी हुई तो बत़ौर क़र्ज़ के लूँगा, जब आसानी हुई, फिर वापिस कर दूँगा। (इब्ने अबिद्दुनिया) यह ह़दीस सईद बिन मंसूर में भी है और इसकी इस्नाद स़ह़ीह़ है। बैहक़ी में भी यह ह़दीस है। इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) से आयत के इस जुम्ला की तफ़्सीर में मरवी है कि बत़ौर क़र्ज़ खाए। और भी मुफ़स्सिरीन से यह मरवी है। ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़ि.) फ़र्माते हैं मारूफ़ से खाने का मत़लब यह है कि तीन उँगलियों से खाए। और रिवायत में आपसे यह मरवी है कि वह अपने ही माल को सिर्फ़ अपनी ज़रूरत पूरी हो जाने के लायक़ ही ख़र्च करे ताकि उसे यतीम के माल की ह़ाजत ही न पड़े। ह़ज़रत आ़मिर शअ़बी (रह़.) फ़र्माते हैं अगर ऐसी बेबसी हो जिसमें मुरदार खाना जाइज़ हो जाता है तो बेशक खा ले लेकिन फिर अदा करना होगा। यह़्या बिन सअ़द अंस़ारी और रबीआ़ (रह़ि.) से इसकी तफ़्सीर यूँ मरवी है कि अगर यतीम फ़क़ीर हो तो उसे वली उसकी ज़रूरत के मुवाफ़िक़ दे और फिर उस वली को कुछ न मिलेगा। इबारत में यह ठीक नहीं बैठता इसलिए कि इससे पहले यह जुम्ला भी है कि वह ग़नी हो तो रुक जाए, यानी जो वली ग़नी हो, तो यहाँ भी यही मत़लब होगा कि जो वली फ़क़ीर हो न कि जो यतीम फ़क़ीर हो, दूसरी आयत में है (وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهٗ) (17/बनी इस्राईलः 34) यानी "यतीम के माल के क़रीब भी न जाओ, हाँ बत़ौर इस्लाह़ के, फिर अगर तुम्हें ह़ाजत हो तो ह़स्बे ह़ाजत बत़रीक़े मारूफ़ उसमें से खाओ पियो।" फिर ओलिया से कहा जाता है कि जब वह बुलूग़त को पहुँच जाएँ और तुम देख लो कि उनमें तमीज़ आ चुकी है और तुम गवाह रखकर उनके माल उनकेसुपुर्द कर दो, ताकि इंकार करने का मौक़ा ही न मिले, यूँ तो दरअस़ल सच्चा शाहिद और पूरा निगरान और बारीक ह़िसाब लेने वाला अल्लाह तआ़ला ही है, वह ख़ूब जानता है कि वली ने यतीम के माल मे निय्यत कैसी रखी? आया ख़ुर्द-बुर्द किया, तबाह व बर्बाद किया, झूठ सच ह़िसाब लिखा और दिया या स़ाफ़ दिल और नेक निय्यती से निहायत चौकसी और स़फ़ाई से उसके माल का पूरा-पूरा ख़्याल रखा और ह़िसाब किताब स़ाफ़ रखा, इन सब बातों का ह़क़ीक़ी इल्म तो उसी दाना बीना निगरान व निगहबान को है। स़ह़ीह़ मुस्लिम शरीफ़ में है रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ह़ज़रत अबू ज़र (रज़ि.) से फ़र्माया, "ऐ अबू ज़र! मैं तुम्हें नातवाँ पाता हूँ और जो अपने लिए चाहता हूँ वही तेरे लिए भी पसंद करता हूँ, ख़बरदार! हर्गिज़ हर्गिज़ दो शख़्सों का भी सरदार और अमीर न बनना, न कभी किसी यतीम का वली बनना।" (स़ह़ीह़ मुस्लिम, किताबुल इमारत, बाब कराहतुल इमारते बिग़ैर ज़रूरतः 1826; अबूदाऊदः 2868; नसाईः 3697)

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ ۠ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرَ ۭ نَصِيبًا مَّفْرُوْضًا ۞ ٧ وَاِذَا حَضَرَ
الْقِسْمَةَ اُولُوا الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنُ فَارْزُقُوْهُمْ مِّنْهُ وَقُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلًا
مَّعْرُوْفًا ۞ ٨ وَلْيَخْشَ الَّذِيْنَ لَوْ تَرَكُوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعٰفًا خَافُوْا
عَلَيْهِمْ ۠ فَلْيَتَّقُوا اللّٰهَ وَلْيَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ۞ ٩ اِنَّ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ
الْيَتٰمٰى ظُلْمًا اِنَّمَا يَاْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا ۭ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا ۞ ١٠

तर्जुमा: ''माँ-बाप और ख़ुवेश अक़ारिब के तर्का में से मर्दों का भी हिस्सा है और औरतों का भी, जो माँ बाप और ख़ुवेश छोड़ मरें, ख़्वाह वह माल कम हो या ज़्यादा, हिस्सा भी मुक़र्रर किया हुआ है। (7) और जब तक़्सीम के वक़्त क़राबतदार और यतीम और मिस्कीन आ जाएँ तो तुम उसमें से थोड़ा बहुत उन्हें भी दे दो और उनसे नर्मी से बोलो। (8) इस बात से डरें कि अगर वह ख़ुद अपने पीछे नन्हे-नन्हे नातवाँ बच्चे छोड़ जाते जिनके ज़ाया हो जाने का अंदेशा रहता है (तो उनकी चाहत क्या होती?) पस अल्लाह तआला से डरकर जची तुली बात कहा करें। (9) जो लोग नाहक़ ज़ुल्म से यतीमों का माल खा जाते हैं वह तो अपने पेट में आग ही भर रहे हैं। और अल्बत्ता वह दोज़ख़ में जायेंगे।'' (10)

तर्का में से हर एक का हिस्सा मुक़र्रर रहे (आयत 7-10): मुश्रिकीने अरब का दस्तूर था कि जब कोई मर जाता तो उसकी बड़ी औलाद को उसका माल मिल जाता, छोटी औलाद और औरतें बिलकुल मेहरूम रहतीं, इस्लाम ने यह हुक्म नाज़िल फ़र्माकर सबकी मसावियाना (बराबरी की) हैसियत क़ायम कर दी कि वारिस तो सब होंगे ख़्वाह क़राबते हक़ीक़ी हो ख़्वाह बवजहे अक़्दे ज़ोजियत के हो या बवजहे निस्बत आज़ादगी हो, हिस्सा सबको मिलेगा गो कमो बेश हो। उम्मे कजा (रज़ि.) हुज़ूर (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ करती हैं कि हुज़ूर (ﷺ)! मेरी दो लड़कियाँ हैं उनके वालिद फ़ौत हो गए और उनके पास कुछ नहीं , पस यह आयत नाज़िल हुई। यही हदीस दूसरे अल्फ़ाज़ से मीरास की और दोनों आयतों की तफ़्सीर मे भी अन्क़रीब इंशाअल्लाह तआला आएगी, वल्लाहु आ'लम! दूसरी आयत का मतलब यह है कि जब किसी मरने वाले का वर्सा बटने लगा और वहाँ उसका कोई दूर का रिश्तेदार भी आ जाए जिसका कोई हिस्सा मुक़र्रर न हो

और यतीम व मसाकीन आ जाएँ तो उन्हें भी कुछ न कुछ दे दो। इब्तिदाए इस्लाम में तो यह वाजिब था और कुछ कहते हैं, मुस्तहब था, और अब भी यह हुक्म बाक़ी है या नहीं? इसमें भी दो क़ौल हैं, हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) तो इसे बाक़ी बताते हैं। (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर, सूरतुन्निसाअः 4576) हज़रत मुजाहिद, हज़रत इब्ने मसऊद, हज़रत अबू मूसा (रज़ि.), हज़रत अ़ब्दुर्रहमान बिन अबीबक्र, हज़रत अबुल आ़लिया, हज़रत शअ़बी, हज़रत हसन, हज़रत इब्ने सीरीन, हज़रत सईद बिन जुबेर, हज़रत मक्हूल, हज़रत इब्राहीम नख़ई, हज़रत अ़ता बिन अबी रिबाह, हज़रत जुहरी, हज़रत यहया बिन मअ़मर (रह.) भी बाक़ी बतलाते हैं, बल्कि यह हज़रात सिवाए इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) के वुजूब के क़ाइल हैं। (तब्रीः 8/8) हज़रत उ़बेदह (रज़ि.) एक वसिय्यत के वली थे उन्होंने एक बकरी ज़िब्ह की और उन तीनों क़िस्मों के लोगों को खिलाई और फ़र्माया, अगर यह आयत न होती तो यह भी मेरा माल था। हज़रत उ़र्वा (रज़ि.) ने हज़रत मुस्अ़ब (रह.) के माल की तक़्सीम के वक़्त भी दिया। हज़रत जुहरी (रह.) का भी क़ौल है कि यह आयत मुह़कम है, मंसूख़ नहीं। एक रिवायत में हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) से मरवी है कि यह मौक़ूफ़ है वसिय्यत पर। चुनाँचे हज़रत अ़ब्दुर्रहमान बिन अबीबक्र (रज़ि.) के इंतिक़ाल के बाद उनके साहबज़ादे हज़रत अ़ब्दुल्लाह ने अपने बाप का वरसा तक़्सीम किया और यह वाक़िया हज़रत माई आइशा (रज़ि.) की मौजूदगी का है पस घर में जितने मिस्कीन और क़राबतदार थे सबको दिया और इसी आयत की तिलावत की। हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) को जब यह मालूम हुआ तो फ़र्माया, उसने ठीक नहीं किया, इस आयत से मुराद यह है कि जब मरने वाले ने इसकी वसिय्यत की हो। (इब्ने अबी हातिम)

कुछ हज़रात का क़ौल है कि यह आयत बिलकुल मंसूख़ ही है मस्लन हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़ि.) फ़र्माते हैं यह आयत मंसूख़ है और नासिख़ आयत (يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ) है। हिस्से मुक़र्रर होने से पहले यह हुक्म था फिर जब हिस्से मुक़र्रर हो चुके और हर हक़दार को ख़ुद अल्लाह तआ़ला ने हक़ पहुँचा दिया तो अब सदक़ा सिर्फ़ वही रह गया जो मरने वाला कह गया हो। हज़रत सईद बिन मुसय्यिब (रह.) भी यही फ़र्माते हैं कि हाँ! अगर वसिय्यत उन लोगों के लिए हो तो और बात है वरना यह आयत मंसूख़ है। जुम्हूर का और चारों इमामों का यही मज़हब है। इमाम इब्ने जरीर (रह.) ने यहाँ एक अ़जीब क़ौल इख़्तियार किया है, उनकी लम्बी और कई बार की तहरीर का माहसल यह है कि माले वसिय्यत की तक़्सीम के वक़्त जब मय्यित के रिश्तेदार आ जाएँ तो उन्हें दे दें और यतीम मिस्कीन जो आ गए हों उनसे नर्मकलामी और अच्छे जवाब से पेश आओ, लेकिन इसमें नज़र है, वल्लाहु आ'लम! हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) वग़ैरह फ़र्माते हैं तक़्सीम से मुराद यहाँ विर्से की तक़्सीम है, पस यह क़ौल इमाम इब्ने जरीर (रह.) के ख़िलाफ़ है। ठीक मतलब आयत का यह है कि जब यह ग़रीब लोग तर्के की तक़्सीम के वक़्त आ जाएँ और तुम अपना अपना हिस्सा अलग-अलग करके ले जाते हो और यह बेचारे तक रहे हों तो उन्हें भी ख़ाली हाथ न फेरो, उनका वहाँ से मायूस और ख़ाली हाथ वापिस जाना अल्लाह तआ़ला रऊफ़ व रहीम को अच्छा नहीं लगता, बतौरे सदक़ा के अल्लाह की राह में उनसे भी कुछ सुलूक कर दो ताकि यह ख़ुश होकर जाएँ। जैसे और जगह फ़र्माने बारी तआ़ला है कि खेती के कटने के दिन उसका हक़ अदा कर दो और फ़ाक़ाज़दा मिस्कीनों से छुपाकर अपने बाग़ का फल लाने वालों की अल्लाह तआ़ला ने बड़ी मज़म्मत की है, जैसे कि सूरह 'नून' में है कि वह रात के वक़्त छुपकर पोशीदगी से

खेत और बाग़ के दाने और फल लाने के लिए चलते हैं, वहाँ अल्लाह का अज़ाब उनसे पहले पहुँच जाता है और सारे बाग़ को जलाकर खाक कर देता है, दूसरों के हक़ बर्बाद करने वालों का यही हश्र होता है। हदीस शरीफ़ मे है कि जिस माल में सदक़ा मिल जाए या'नी जो शख़्स अपने माल से सदक़ा न दे उसका माल उसके बाइस ग़ारत हो जाता है। (बैहक़ीः 4/159; मुस्नद अल्हुमैदी बि तहक़ीक़ीः 239; वसनदुहू ज़ईफ़)

फिर फ़र्माता है, डरें वह लोग जो अगर अपने पीछे छोड़ जाएँ..। या'नी एक शख़्स अपनी मौत के वक़्त वसिय्यत कर रहा है और उसमें अपने वारिसों को ज़रर पहुँचा रहा है तो उस वसिय्यत के सुनने वाले को चाहिए कि अल्लाह तआला का डर रखे और उसे ठीक बात की रहनुमाई करे और उसके वारिसों के लिए ऐसी भलाई चाहे जैसे अपने वारिसों के साथ भलाई चाहता है, जबकि उनकी बर्बादी और तबाही का डर हो। बुख़ारी व मुस्लिम में है कि जब रसूलुल्लाह (ﷺ) हज़रत सअद बिन अबी वक़्क़ास (रज़ि.) के पास उनकी बीमारी के ज़माने में उनकी एयादत को गए और हज़रत सअद (रज़ि.) ने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मेरे पास माल बहुत है और सिर्फ़ मेरी एक लड़की ही मेरे पीछे है तो अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपने माल की दो तिहाईयाँ अल्लाह की राह में सदक़ा कर दूँ? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ''नहीं।'' उन्होंने कहा, अच्छा आधे की तो इजाज़त दीजिए! आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ''नहीं!'' कहा फिर एक तिहाई की इजाज़त दीजिए। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ''ख़ैर लेकिन है यह भी ज़्यादा, तू अगर अपने पीछे अपने वारिसों को तवंगर छोड़ कर जाए, यह इससे बेहतर है कि उन्हें फ़क़ीर छोड़कर जाए कि वह हाथ फैलाते फिरें।'' (सहीह बुख़ारी, किताबुल वसाया, बाब अय्यंतरुकु वरसतहू अग़्नियाअ ख़ैर....: 2742; सहीह मुस्लिमः 1628) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़र्माते हैं कि लोग एक तिहाई से भी कम यानी चौथाई की ही वसिय्यत करें तो अच्छा है इसलिए कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने तिहाई को भी ज़्यादा फ़र्माया है। (सहीह बुख़ारी, हवाला साबिक़ः 2743; सहीह मुस्लिमः 1629) फ़ुक़्हा फ़र्माते हैं अगर मय्यित के वारिस अमीर हों तब तो ख़ैर तिहाई की वसिय्यत करना मुस्तहब है और अगर फ़क़ीर हों तो मुस्तहब है कि उससे कम की वसिय्यत करे। दूसरा मतलब इस आयत का यह भी बयान किया गया है कि तुम यतीमों का उतना ही ख़्याल रखो जितना तुम चाहते हो कि तुम्हारी छोटी औलाद का तुम्हारे मरने के बाद और लोग ख़्याल रखें। जिस तरह तुम नहीं चाहते कि उनके माल दूसरे ज़ुल्म से खा जाएँ और वह बालिग़ होकर फ़क़ीर रह जाएँ, इसी तरह तुम दूसरों की औलादों के माल न खा जाओ। यह मतलब भी बहुत उम्दा है इसीलिए इसके बाद यतीमों का माल नाहक़ मार लेने वालों की सज़ा बयान फ़र्माई कि यह लोग अपने पेट में अंगारे भरने वाले और जहन्नम वासिल होने वाले हैं। बुख़ारी व मुस्लिम में है हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, ''सात गुनाहों से बचो जो हलाकत का सबब हैं।'' पूछा गया, कौनसे सात गुनाह? फ़र्माया ''अल्लाह के साथ शरीक करना, जादू, बेवजह क़त्ल, सूदख़ोरी, माले यतीम का खा जाना, जिहाद से मुँह मोड़ना, भोली-भाली नावाक़िफ़ मुसलमान औरत पर तोहमत लगाना।'' (सहीह बुख़ारी, किताबुल हुदूद, बाब रम्युल् मुहसनातः 6857; सहीह मुस्लिमः 89) इब्ने अबी हातिम में है कि सहाबा (रज़ि.) ने जब हुज़ूर (ﷺ) से मे'राज की रात का वाक़िया पूछा, जिसमें आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि ''मैंने बहुत से लोगों को देखा कि उनके होंठ नीचे लटक रहे हैं और फ़रिश्ते उन्हें घसीटकर उनका मुँह ख़ूब खोल देते हैं फिर जहन्नम के गर्म पत्थर उनमें ठूँस देते हैं जो उनके पेट में पीछे के रास्ते से निकल जाते हैं और वह बुरी तरह चीख़ चिल्ला रहे हैं, हाय वाय मचा रहे हैं।

मैंने (हज़रत) जिब्राईल (عليه السلام) से पूछा, यह कौन लोग हैं? कहा यतीमों का माल खा जाने वाले हैं जो अपने पेटों में आग भर रहे हैं और अन्क़रीब जहन्नम में डाले जायेंगे।'' (तब्रीः 8725; वसनदुहू ज़ईफ़ुन जिद्दा मौज़ूअ)

हज़रत सुद्दी (रह.) फ़र्माते हैं यतीम का माल खा जाने वाला क़यामत के दिन अपनी क़ब्र से इस तरह उठाया जाएगा कि उसके चेहरे, आँखों , नथुनों और रोएँ रोएँ से आग के शोले निकल रहे होंगे, हर शख़्स देखते ही पहचान लेगा कि उसने किसी यतीम का माल नाहक़ खा रखा है। इब्ने मर्दवे में एक मरफ़ूअ हदीस भी इसी मज़्मून के क़रीब क़रीब मरवी है। (मुस्नद अबी यअला: 7440; इब्ने हिब्बान: 5566; वसनदुहू ज़ईफ़ुन जिद्दा मौज़ूअ) और हदीस में है ''मैं तुम्हें वसिय्यत करता हूँ कि इन दोनों ज़ईफ़ों का माल पहुँचा दो, औरतों का और यतीमों का, इनके माल से बचो।'' (2/बक़रह: 220) सूरह बक़रह में यह रिवायत गुज़र चुकी है कि जब यह आयत उतरी तो जिनके पास यतीम थे, उन्होंने उनके अनाज पानी भी अलग कर दिया, अब ज़मूमन ऐसा होता कि खाने-पीने की अगर इनकी कोई चीज़ बच रहती तो या तो दूसरे वक़्त उसी बासी चीज़ को वह खाए या सड़कर फेंक दी जाए, घरवालों में से कोई भी उसे हाथ नहीं लगाता था। यह बात दोनों तरफ़ नागवार गुज़री, हुज़ूर (ﷺ) के सामने भी इसका ज़िक्र आया, इस पर आयत (و يسئلونک عن اليتمى) उतरी। (अबूदाऊदः 2871; वसनदुहू ज़ईफ़; अता बिन साइब मुख़्तलत रावी है) जिसका मतलब यह है कि जिस काम में यतीमों की बेहतरी समझो, करो। चुनाँचे उसके बाद फिर खाना पीना एक साथ हुआ। (ज़ईफ़ देखिए हाशिया नम्बर 4)

***

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْٓ اَوْلَادِكُمْ ۗ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ ۚ فَاِنْ كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ
اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَاِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۭ وَلِاَبَوَيْهِ
لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِنْ كَانَ لَهٗ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلَدٌ
وَّوَرِثَهٗٓ اَبَوٰهُ فَلِاُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَاِنْ كَانَ لَهٗٓ اِخْوَةٌ فَلِاُمِّهِ السُّدُسُ مِنْۢ بَعْدِ
وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْ بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ۭ اٰبَاۗؤُكُمْ وَاَبْنَاۗؤُكُمْ لَا تَدْرُوْنَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ
نَفْعًا ۭ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ⑪

तर्जुमाः ''अल्लाह तआला तुम्हें तुम्हारी औलादों के बारे में हुक्म करता है कि एक लड़के का हिस्सा दो लड़कियों के बराबर है। और अगर सिर्फ़ लड़कियाँ हों और दो से ज़्यादा हों तो उन्हें माले मतरूका की दो तिहाई मिलेंगी, और अगर एक ही लड़की हो तो उसके लिए आधा है। और मय्यित के माँ बाप में से हर एक के लिए उसके छोड़े हुए माल का छठा हिस्सा है अगर उसकी औलाद हो, और अगर औलाद न हो और माँ बाप वारिस होते हों तो उसकी माँ के लिए तीसरा हिस्सा है, हाँ! अगर मय्यित के कई भाई हों तो फिर उसकी माँ का छठा हिस्सा है यह हिस्से उस वसिय्यत के बाद हैं जो मरने वाला कर गया हो या अदा-ए-क़र्ज़ के बाद। तुम्हारे बाप हैं या तुम्हारे बेटे तुम्हें नहीं मालूम कि उनमें से कौन तुम्हें नफ़ा पहुँचाने में ज़्यादा क़रीब है। यह हिस्से अल्लाह तआला की तरफ़ से मुक़र्ररकर्दा हैं बेशक अल्लाह तआला पूरे इल्म और कामिल हिक्मत वाला है।'' (11)

विरासत की तक़्सीम के मसाइल (आयत 11): यह आयते करीमा और इसके बाद की आयत और इस सूरत के ख़ात्मा की आयत इल्मे फ़राइज़ की आयतें हैं, यह पूरा इल्म इन आयतों और मीरास की अहादीस से इस्तिम्बात किया गया है, जो हदीसें इन आयतों की गोया तफ़्सीर और तौज़ीह हैं। यहाँ हम इस आयत की तफ़्सीर लिखते हैं। बाक़ी जो मीरास के मसाइल की पूरी तक़रीर है और इसमें जिन दलाइल की समझ में जो कुछ इख़्तिलाफ़ हुआ है उसके बयान करने की मुनासिब जगह अहकाम की किताबें हैं, न कि तफ़्सीर, अल्लाह तआला हमारी मदद फ़र्माए। इल्मे फ़राइज़ के सीखने की रग़बत में बहुत सी अहादीस आई हैं, इन आयतों में जिन फ़राइज़ का बयान है यह सबसे ज़्यादा अहम हैं। अबूदाऊद और इब्ने माजा में है, ''इल्म दरअसल तीन हैं और इसके मासिवा फ़िज़ूल भर्ती है, आयाते क़ुरआनिया जो मज़बूत हैं और जिनके अहकाम बाक़ी हैं, सुन्नते क़ाइमा यानी अहादीस जो साबितशुदा फ़रीज़ा आदिला यानी मसाइले मीरास जो इन दो से साबित हैं।'' (अबूदाऊद, किताबुल फ़राइज़, बाब मा जाअ फ़ी तालीमिल फ़राइज़: 2885; वसनदुहू ज़ईफ़; इब्ने माजा: 54) इब्ने माजा की दूसरी ज़ईफ़ सनद वाली हदीस में है कि ''फ़राइज़ सीखो और दूसरों को सिखाओ, यह आधा इल्म है और यह भूल जाते हैं और यही पहली वह चीज़ है जो मेरी उम्मत से छिन जाएगी। (इब्ने माजा, किताबुल फ़राइज़, बाबुल हस्स अला तालीमिल फ़राइज़: 2719; वसनदुहू ज़ईफ़; हफ़्स बिन उमर बिन अबिल उताफ़ रावी ज़ईफ़ है।) हज़रत इब्ने उयेयना (रह.) फ़र्माते हैं इसे आधा इल्म इसलिए कहा गया है कि तमाम लोगों को उमूमन यह पेश आते हैं।

सहीह बुख़ारी शरीफ़ में इस आयत की तफ़्सीर में हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) से मरवी है कि मैं बीमार था, आँहज़रत (ﷺ) और हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) मेरी बीमारपुर्सी के लिए बनू सलमा के मौहल्ले में पैदल तशरीफ़ लाए, मैं उस वक़्त बेहोश था, आप (ﷺ) ने पानी मंगवा कर वुज़ू किया, फिर वुज़ू के पानी का छींटा मुझे दिया जिससे मुझे होश आया तो मैंने कहा, हुज़ूर (ﷺ)! मैं अपने माल की

तक़्सीम किस तरह करूँ? इस पर यह आयते शरीफ़ा नाज़िल हुई। सहीह मुस्लिम शरीफ़ व नसाई शरीफ़ वग़ैरह में भी यह हदीस मौजूद है। (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर, सूरतुन्निसाअः 4577; सहीह मुस्लिमः 1616) अबूदाऊद, तिर्मिज़ी, इब्ने माजा, मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल वग़ैरह में मरवी है कि हज़रत सअ़द बिन रबीअ़ (रज़ि.) की बीवी साहिबा रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास आईं और कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! यह दोनों हज़रत सअ़द (रज़ि.) की लड़कियाँ हैं, इनके वालिद आप (ﷺ) के साथ जंगे उहुद में शरीक थे और वहीं शहीद हुए, इनके चचा ने इनका कुल माल ले लिया है, इनके लिए कुछ नहीं छोड़ा और यह ज़ाहिर है कि इनके निकाह बग़ैर माल के नहीं हो सकते। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ''इसका फ़ैसला ख़ुद अल्लाह तआ़ला करेगा।'' चुनाँचे आयते मीरास नाज़िल हुई। आप (ﷺ) ने उनके चचा के पास आदमी भेजकर हुक्म भेजा कि, ''दो तिहाई इन लड़कियों को दो और आठवाँ हिस्सा इनकी माँ को दो और बाक़ी माल तुम्हारा है।'' (अहमदः 3/352; किताबुल फ़राइज़, बाब मा जाअ फ़ी मीरासिस्सुल्बः 2891; तिर्मिज़ीः 2092; इब्ने माजाः 2720; वसनदुहू ज़ईफ़; इब्ने अ़क़ील रावी ज़ईफ़ है) बज़ाहिर ऐसा मालूम होता है कि हज़रत जाबिर (रज़ि.) के सवाल पर इस सूरत की आख़िरी आयत उतरी होगी, जैसे अ़न्क़रीब आ रहा है, इंशाअल्लाह! इसलिए कि उनकी वारिस सिर्फ़ उनकी बहनें थीं, लड़कियाँ न थीं, वह तो कलाला थे और यह आयत इसी बारे में या'नी हज़रत सअ़द बिन रबीअ़ (रज़ि.) के वरसे के बारे में नाज़िल हुई है और इसके रावी भी ख़ुद हज़रत जाबिर (रज़ि.) हैं। हाँ! हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ने इस हदीस को इसी आयत की तफ़्सीर में वारिद किया है। इसलिए हमने भी उनकी ताबेदारी की, वल्लाहु आ'लम!

मतलब आयत का यह है कि अल्लाह तआ़ला तुम्हें तुम्हारी औलाद के बारे में अ़दल सिखाता है। अहले जाहिलियत तमाम माल लड़कों को दे देते थे और लड़कियाँ ख़ाली हाथ रह जाती थीं तो अल्लाह तआ़ला ने उनका हिस्सा भी मुक़र्रर कर दिया, हाँ! दोनों के हिस्सों में फ़र्क़ था। इसलिए कि मर्दों के ज़िम्मे जो ज़रूरियात हैं वह औरतों के ज़िम्मे नहीं मस्लन अपने मुतअल्लिक़ीन के खाने-पीने और ख़र्च अख़राजात की किफ़ालत तिजारत और कस्ब और इसी तरह की और मुशक़्क़तें, तो उन्हें उनकी हाजत के मुताबिक़ औरतों से दुगुना दिलवाया। कुछ दाना बुज़ुर्गों ने यहाँ एक निहायत बारीक नुक्ता बयान किया है कि अल्लाह तआ़ला अपने बन्दों पर बनिस्बत माँ बाप के भी ज़्यादा मेहरबान है, माँ-बाप को उनकी औलादों के बारे में वसिय्यत कर रहा है कि पस मालूम हुआ कि माँ-बाप अपनी औलाद पर इतने मेहरबान नहीं जितना मेहरबान हमारा ख़ालिक़ अल्लाह अपनी मख़्लूक़ पर है। चुनाँचे एक सहीह हदीस में है कि, ''क़ैदियों में से एक औरत का बच्चा उससे छूट गया, वह बावलों की तरह उसे ढूँढ़ती फिरती थी और जिस बच्चे को पा लेती, अपने सीने से लगाकर उसे दूध पिलाती। आँहज़रत (ﷺ) ने यह देखकर अपने अस्हाब (रज़ि.) से फ़र्माया, ''भला बताओ तो क्या यह औरत बावजूद अपने इख़्तियार के अपने बच्चे को आग में डाल देगी?'' लोगों ने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! हर्गिज़ नहीं। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ''अल्लाह की क़सम! अपने बन्दों पर अल्लाह

इससे भी ज़्यादा मेहरबान है।'' (सहीह बुख़ारी, किताबुल अदब, बाब रहमतुल वलद व तक़्बीलुहू व मुआनिक़तहू: 5999; सहीह मुस्लिमः 2754)

हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़र्माते हैं कि पहले हिस्सेदार और हक़दार माल का सिर्फ़ लड़का था, माँ बाप को बतौरे वसिय्यत के मिल जाता था, अल्लाह तआला ने इसे मंसूख़ कर दिया और लड़के को लड़की से दुगुना दिलवाया और माँ-बाप को छटा-छटा हिस्सा दिलवाया और तीसरा हिस्सा भी, और बीवी को आठवाँ हिस्सा और चौथा हिस्सा और शौहर को आधा और चौथा यानी पाव। (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर, सूरतुन्निसाअ, 4578) फ़र्माते हैं, मीरास के अहकाम उतरने पर कुछ लोगों ने कहा, यह अच्छी बात है कि औरत को छटा और आठवाँ हिस्सा दिलवाया जा रहा है और लड़की को आधो-आध दिलवाया जा रहा है और नन्हे-नन्हे बच्चों का हिस्सा मुक़र्रर किया जा रहा है हालाँकि उनमें से कोई भी न लड़ाई मे निकल सकता है, न माले ग़नीमत ला सकता है, अच्छा तुम जो इस आयत से ख़ामोशी बरतो शायद रसूलुल्लाह (ﷺ) को यह भूल जाए या हमारे कहने की वजह से आप (ﷺ) इन अहकाम को बदल दें। फिर उन्होंने आप (ﷺ) से कहा कि आप लड़की को उसके बाप का आधा माल दिलवा रहे हैं, हालाँकि न वह घोड़े पर बैठने के लायक़, न दुश्मन से लड़ने के क़ाबिल, आप (ﷺ) बच्चे को वरसा दिला रहे हैं भला वह क्या फ़ायदा पहुँचा सकता है? यह लोग जाहिलियत के ज़माने में ऐसा ही करते थे। (तब्रीः 8728; इसकी सनद में अतिया औफ़ी ज़ईफ़ और इससे बयान करने वाले मज्हूल हैं।) कि मीरास सिर्फ़ उसे देते थे जो लड़ने भिड़ने के क़ाबिल हो, सबसे बड़े लड़के को वारिस करते थे (अगर मरने वाले के लड़के लड़कियाँ दोनों हों तो) फ़र्मा दिया कि लड़की को जितना आए उससे दुगुना लड़के को दिया जाए यानी एक लड़की एक लड़का है तो कुल माल के तीन हिस्से करके दो हिस्से लड़के को और एक हिस्सा लड़की को दिया जाएगा। (अब बयान फ़र्माया कि अगर सिर्फ़ लड़कियाँ हों तो उन्हें क्या मिले? (मुतर्जिम) लफ़्ज़ फ़ौक़ को कुछ लोग ज़ाइद बतलाते हैं, जैसे (فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ) (8/अन्फ़ालः 12) में लफ़्ज़ फ़ौक़ ज़ाइद है, लेकिन हम यह नहीं मानते, न इस आयत में न उस आयत में, क्योंकि क़ुरआन में कोई ऐसी ज़ाइद चीज़ नहीं है जो महज़ बेफ़ायदा हो, अल्लाह तआला के कलाम में ऐसा होना महाल है। फिर यह भी ख़्याल फ़र्माईए कि अगर ऐसा ही होता तो उसके बाद (فلهن) न आता बल्कि फ़लहुमा आता। हाँ! उसे हम जानते हैं कि अगर लड़कियाँ दो से ज़्यादा न हों, या'नी सिर्फ़ दो हों तो भी यही हुक्म है यानी उन्हें भी दो सुलुस मिलेगा। क्योंकि दूसरी आयत में दो बहनों को दो सुलुस दिलवाया गया है और जबकि दो बहने दो सुलुस होती हैं तो दो लड़कियों को दो सुलुस क्यूँ न मिलेगा? उनके लिए दो तिहाई बतौर औला होना चाहिए और हदीस में आ चुका है कि दो लड़कियों को रसूलुल्लाह (ﷺ) ने दो तिहाई माल तर्का का दिलवाया जैसा कि इस आयत के शाने नुज़ूल के बयान में हज़रत सअद (रज़ि.) की लड़कियों के ज़िक्र में इससे पहले बयान हो चुका, पस किताबो सुन्नत से यह साबित हो गया। इसी तरह इसकी दलील यह भी है कि एक लड़की अगर हो यानी लड़का न होने की सूरत में तो उसे आधो आध दिलवाया गया है पस अगर दो को भी आधा ही देने का हुक्म करना मक़्सूद होता तो यहीं

बयान हो जाता, जब एक को अलग कर दिया तो मालूम हुआ कि दो का हुक्म वही है जो दो से ज़ाइद का है, वल्लाहु आलम!

वालिदेन का हिस्साः माँ बाप का हिस्सा बयान हो रहा है, उनके वर्से की मुख़्तलिफ़ सूरतें हैं, एक तो यह कि मरने वाले की औलाद एक लड़की से ज़्यादा हो और माँ बाप भी हों तो उन्हें छटा छटा हिस्सा मिलेगा, यानी छटा हिस्सा माँ को और छटा हिस्सा बाप को, अगर मरने वाले की सिर्फ़ एक लड़की ही हो तो आधा माल तो वह लड़की ले लेगी और छटा हिस्सा माँ ले लेगी और छटा हिस्सा बाप को मिलेगा और छटा जो बाक़ी रहा वह भी बतौर अस्बा बाप को मिल जाएगा पस इस हालत में बाप ही वारिस हों तो माँ को तीसरा हिस्सा मिल जाएगा और बाक़ी का कुल माल बाप को बतौरे अस्बा बचत का माल। दूसरी सूरत यह है कि सिर्फ़ माँ बाप ही वारिस हों तो माँ को तीसरा हिस्सा मिल जाएगा और बाक़ी का कुल माल बाप को बतौर अस्बा के मिल जाएगा तो गोया दो सुलुस माल उसके हाथ लगेगा यानी बनिस्बत माँ के दुगुना बाप को मिल जाएगा। अगर मरने वाली औरत का शौहर भी है या मरने वाले मर्द की बीवी है यानी औलाद नहीं माँ बाप हैं और शौहर है या बीवी तो इस पर तो इत्तिफ़ाक़ है कि शौहर को आधा और बीवी को चौथा हिस्सा मिलेगा। फिर उलमा का इसमें इख़्तिलाफ़ है कि माँ को इस सूरत में इसके बाद क्या मिलेगा? तीन क़ौल हैं, एक तो यह कि जो माल बाक़ी रहा उसमें से तीसरा हिस्सा मिलेगा, दोनो सूरतों में यानी ख़्वाह औरत शौहर को छोड़कर मरी ख़्वाह मर्द औरत को छोड़कर मरा हो, इसलिए बाक़ी का माल उनकी निस्बत से गोया कुल माल है और माँ का हिस्सा बाप से आधा है तो उस बाक़ी के माल से तीसरा हिस्सा यह ले ले और दो तीसरे हिस्से जो बाक़ी रहे वह बाप ले लेगा। हज़रत उमर, हज़रत उस्मान (रज़ि.) और बाएतिबार ज़्यादा सही रिवायत हज़रत अली (रज़ि.) का यही फ़ैसला है। हज़रत इब्ने मसऊद (रज़ि.) और हज़रत ज़ेद बिन साबित (रज़ि.) का भी यही क़ौल है, सातों फ़ुक़्हा और चारों इमाम और जुम्हूर उलमा-ए-किराम (रह.) का भी यही फ़त्वा है। दूसरा क़ौल यह है कि इन दोनों सूरतों में भी माँ को कुल माल का सुलुस मिल जाएगा इसलिए कि आयत आम है शौहर बीवी साथ हो तो और न हो तो, आम तौर पर मय्यित की औलाद न होने की सूरत में माँ को दिलवाया गया है। हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) का यही क़ौल है, हज़रत अली और हज़रत मुआज़ बिन जबल (रज़ि.) से भी इसी तरह मरवी है, हज़रत शुरैह और हज़रत दाऊद (रह.) ज़ाहिरी भी यही फ़र्माते हैं। अबुल हसन बिन लुब्बान बसरी भी अपनी किताब ऐजाज़ में जो इल्मे फ़राइज़ के बारे में है, उसी क़ौल को पसंद करते हैं, लेकिन इस क़ौल में नज़र है बल्कि यह क़ौल ज़ईफ़ है क्योंकि आयत ने इसका यह हिस्सा उस वक़्त मुक़र्रर फ़र्माया है जबकि कुल माल की विरासत सिर्फ़ माँ बाप को ही पहुँचती हो और जबकि ज़ोज या ज़ोजा है और वह अपने मुक़र्ररा हिस्से के मुस्तहिक़ हैं तो फिर जो बाक़ी रह जाएगा, बेशक वह उन दोनों ही का हिस्सा है तो उसमें से सुलुस मिलेगा। तीसरा क़ौल यह है कि अगर मय्यित मर्द है और उसकी बीवी मौजूद है तो फ़क़त इस सूरत में तो उसे कुल माल का तिहाई मिलेगा क्योंकि उस औरत का कुल माल का चौथाई मिलेगा, अगर कुल माल के बारह हिस्से किए जाएँ तो तीन हिस्से तो यह लेगी और चार हिस्से माँ को मिले, बाक़ी बचे पाँच हिस्से वह बाप ले लेगा। लेकिन अगर औरत मरी है और उसका शौहर मौजूद है तो माँ को बाक़ी माल का तीसरा हिस्सा मिलेगा अगर कुल

माल का तीसरा हिस्सा इस सूरत में भी माँ को दिलवाया जाए तो उसे बाप से भी ज़्यादा पहुँच जाता है, मस्लन मय्यित के माल के छः हिस्से किए, तीन तो शौहर लेगा, दो माँ लेगी तो बाप के पल्ले एक ही पड़ेगा जो माँ से भी थोड़ा है, इसलिए इस सूरत में छः में से तीन तो शौहर को दिए जाएँगे, एक माँ को और दो बाप को। हज़रत इमाम इब्ने सीरीन (रह.) का यही क़ौल है, यूँ समझना चाहिए कि यह क़ौल दो क़ौलों से मुरक्कब है। ज़ईफ़ यह भी है और सही क़ौल पहला ही है, वल्लाहु आलम! माँ बाप के अहवाल में से तीसरा हाल यह है कि वह भाईयों के साथ हों, ख़्वाह वह सगे भाई हों, या सिर्फ़ बाप की तरफ़ से या सिर्फ़ माँ की तरफ़ से तो वह बाप के होते हुए अपने भाई के वर्से में से कुछ पाएँगे नहीं, लेकिन हाँ! माँ को तिहाई से हटाकर छटा हिस्सा दिलवाएँगे। और अगर कोई और वारिस ही न हो और सिर्फ़ माँ के साथ बाप ही हो तो बाक़ी माल कुल का कुल बाप ही ले लेगा। दो भाई भी हुक्म में बहुत से भाईयों के हैं, जुम्हूर का यही क़ौल है, हाँ! इब्ने अब्बास (रज़ि.) से मरवी है कि आप (ﷺ) ने एक मर्तबा हज़रत उस्मान (रज़ि.) से कहा कि दो भाई माँ को सुलुस से हटाकर सुदुस तक नहीं ले जाते, कुरआन में इख़्वतुन जमा का लफ़्ज़ है, दो भाई अगर मुराद होते अख़ान कहा जाता। ख़लीफ़ा सालिस ने जवाब दिया कि पहले ही से यह चला आता है और चारों तरफ़ यह मसला इस तरह पहुँचा हुआ है, तमाम लोग इसके आमिल हैं, मैं उसे नहीं बदल सकता। अव्वलन तो यह असर साबित ही नहीं, इसके रावी हज़रत शुअबा (रह.) के बारे में हज़रत इमाम मालिक (रह.) की जिरह मौजूद है फिर यह क़ौल इब्ने अब्बास (रज़ि.) का न होने की दूसरी दलील यह है कि ख़ुद हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) के ख़ास अस्हाब और आला शागिर्द भी उसके ख़िलाफ़ हैं, हज़रत ज़ेद (रज़ि.) फ़र्माते हैं कि दो को भी इख़्वतुन कहा जाता है। अल्हम्दु लिल्लाह! मैंने इस मसला को पूरी तरह एक अलग रिसाला में लिखा है। हज़रत सईद बिन क़तादा (रह.) से भी इसी तरह मरवी है। हाँ! मय्यित का अगर एक ही भाई हो तो माँ को तीसरे हिस्से से हटा नहीं सकता। उलमा-ए-किराम का फ़र्मान है कि इसमें हिक्मत यह है कि मय्यित के भाईयों की शादियों का और खाने-पीने वग़ैरह का कुल ख़र्च बाप के ज़िम्मे है, न कि माँ के ज़िम्मे इसलिए मुक़्तज़ा-ए-हिक्मत यही था कि बाप को ज़्यादा दिया जाए। यह तौजीह बहुत ही उम्दा है लेकिन हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से बसनद सहीह मरवी है कि यह छटा हिस्सा जो माँ का कम हो गया है,उन्हें दे दिया जाएगा। यह क़ौल शाज़ है। इमाम इब्ने जरीर (रह.) फ़र्माते हैं, हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) का यह क़ौल तमाम उम्मत के ख़िलाफ़ है। इब्ने अब्बास (रज़ि.) का क़ौल है कि कलाला उसे कहते हैं जिसका बेटा और बाप न हो।

तक़्सीमे मीरास वसिय्यत और क़र्ज़ की अदायगी के बाद होगी: तमाम सलफ़ और ख़ल्फ़ का इज्माअ है कि क़र्ज़ वसिय्यत पर मुक़द्दम है और फ़हवाए आयत को भी अगर बग़ौर देखा जाए तो यही मालूम होता है। तिर्मिज़ी वग़ैरह में है कि हज़रत अली बिन अबी तालिब (रज़ि.) फ़र्माते हैं कि तुम कुरआन में वसिय्यत का हुक्म पहले पढ़ते हो और क़र्ज़ का बाद में लेकिन याद रखना कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने क़र्ज़ पहले अदा कराया है फिर वसिय्यत जारी की है। एक माँ ज़ाद भाई आपस में वारिस होंगे, बग़ैर अल्लाती भाईयों के, आदमी अपने सगे भाई का वारिस होगा न उसका जिसकी माँ दूसरी है। (तिर्मिज़ी, किताबुल फ़राइज़, बाब मा जाअ फ़ी मीरासिल इख़्वति मिनल अब वल उम्मः 2094; इब्ने माजाः 2715; वसनदुहू ज़ईफ़ हारिसुल आवर रावी ज़ईफ़ है।) यह हदीस सिर्फ़ हज़रत हारिस (रह.) से मरवी है और इन पर कुछ मुहद्दिसीन ने जिरह की है, लेकिन

हाफ़िज़े फ़राइज़ थे, इस इल्म में आपको ख़ास दिलचस्पी और दस्तरस थी और हिसाब के भी बड़े माहिर थे, वल्लाहु आ'लम!

फिर फ़र्माया कि हमने बाप बेटों को असल मीरास में अपना अपना मुक़र्ररा हिस्सा लेने वाला बनाया और जाहिलियत की रस्म हटा दी। बल्कि इस्लाम में भी पहले जो यह हुक्म था कि माल औलाद को मिल जाया करता था, माँ बाप को सिर्फ़ बतौर वसिय्यत के मिलता था जैसे हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से पहले बयान हो चुका, यह मंसूख़ करके अब यह हुक्म हुआ। तुम्हें यह नहीं मालूम कि तुम्हें बाप से ज़्यादा नफ़ा पहुँचेगा या औलाद नफ़ा देगी, उम्मीद दोनों से नफ़ा की है, यक़ीन किसी पर भी एक से ज़्यादा नहीं, मुम्किन है कि बाप से ज़्यादा बेटा काम आए और नफ़ा पहुँचाए और मुम्किन है बेटे से ज़्यादा बाप से नफ़ा पहुँचे और वह काम आए। फिर फ़र्माता है कि यह मुक़र्ररा हिस्से और मीरास के यह अह्काम अल्लाह तआला की तरफ़ से फ़र्ज़ है उसमें किसी कमी बेशी की किसी उम्मीद या किसी डर से गुंजाइश नहीं, न किसी को महरूम कर देना लायक़ न किसी को ज़्यादा दिलवा देना, अल्लाह तआला अलीम व हकीम है जो जिसका मुस्तहिक़ है, उसे इतना दिलवाता है, हर चीज़ की जगह को वह बख़ूबी जानता है, तुम्हारे नफ़ा नुक़सान का उसे पूरा इल्म है, उसका कोई काम और कोई हुक्म हिक्मत से ख़ाली नहीं, तुम्हें चाहिए कि उसके अह्काम उसके फ़र्मान मानते चले जाओ।

***

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ
فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْنَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا
تَرَكْتُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِّنْ
بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصُوْنَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُّوْرَثُ كَلٰلَةً أَوِ امْرَاَةٌ وَّلَهٗ
أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوْٓا أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ
شُرَكَآءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصٰى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۙ غَيْرَ مُضَآرٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ
اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَلِيْمٌ ﴿١٢﴾

तर्जुमाः "तुम्हारी बीवियाँ जो कुछ छोड़ मरें और उनकी औलाद न हो तो आधो आध तुम्हारा है, अगर उनकी औलाद हो तो उनके छोड़े हुए में से तुम्हारे लिए चौथाई हिस्सा है उस वसिय्यत की अदायगी के बाद जो वह कर गई हों या क़र्ज़ के बाद। और जो तुम छोड़ जाओ, उसमेंउनकी चौथाई है अगर तुम्हारी औलाद न हो, और अगर तुम्हारी औलाद हो तो फिर उन्हें तुम्हारे तर्के का आठवाँ हिस्सा मिलेगा, इस वसिय्यत के बाद जो तुम कर गए हो और क़र्ज़ की अदायगी के बाद। जिनकी मीरास ली जाती है वह मर्द या औरत कलाला हो यानी उसका बाप बेटा न हो और उसका भाई या एक बहन हो तो उन दोनों में से हर एक का छटा हिस्सा है। और अगर उससे ज़्यादा हों तो एक तिहाई में यह सब शरीक हैं उस वसिय्यत के बाद जो की जाए और क़र्ज़ के बाद जब औरों का नुक़्सान न किया गया हो। मुक़र्रर किया हुआ अल्लाह तआला की तरफ़ से है। और अल्लाह तआला दाना है बुर्दबार।" (12)

शौहर और बीवी के दरम्यान मीरास की तक़्सीम का तरीक़ेकार (आयत 12): अल्लाह तआला फ़र्माता है कि ऐ मर्दो! तुम्हारी औरतें जो छोड़ मरें अगर उनकी औलाद हो तो उसमें से आधो आध तुम्हारा है और उनके बाल बच्चे हों तो तुम्हें चौथाई सूरत में मिलेगा, वसिय्यत और क़र्ज़ के बाद। तर्तीब इस तरह है पहले क़र्ज़ अदा किया जाए फिर वसिय्यत पूरी की जाए फिर वर्सा तक़्सीम हो। यह ऐसा मसला है जिस पर तमाम उलमा-ए-उम्मत का इज्माअ है। पोते भी इस मसला में हुक्म में बेटों ही की तरह हैं बल्कि उनकी औलाद दर औलाद का भी यही हुक्म है कि उनकी मौजूदगी में शौहर को चौथाई मिलेगा। फिर औरतों का हिस्सा बताया कि उन्हें या चौथाई मिलेगा या आठवाँ हिस्सा, चौथाई तो इस हालत में कि फ़ौत होने वाले शौहर की औलाद न हो, और आठवीं हिस्सा इस सूरत में कि औलाद हो, इस चौथाई या आठवीं हिस्से में मरने वाले की सब बीवियाँ शामिल हैं, चार हों तो यह हिस्सा उनमें बराबर तक़्सीम किया जाएगा, तीन या दो हों तब भी और अगर एक हो तो उसी का यह हिस्सा है।

कलाला की तक़्सीमे मीरासः (من بعد وصيته) की तफ़्सीर इससे पहली आयत में गुज़र चुकी है कलाला मुश्तक़ है, इक्लील से इक्लील कहते हैं, उस ताज वग़ैरह को जो सर को हर तरफ़ से घेर ले, यहाँ मुराद यह है कि उसके वारिस इर्द-गिर्द के हाशिया के लोग हैं , असल और फ़रअ यानी जड़ या शाख़ नहीं। हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) से कलाला का मानी पूछा गया तो आप (रज़ि.) फ़र्माते हैं मैं अपनी राय से जवाब देता हूँ अगर ठीक हो तो अल्लाह की तरफ़ से है, और अगर ग़लत हो तो मेरी और शैतान की तरफ़ से है, और अल्लाह तआला और उसका रसूल (ﷺ) इससे बरीउज़्ज़िमा हैं, कलाला वह है जिसका न लड़का हो न बाप। हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ि.) जब ख़लीफ़ा हुए तो आपने भी इससे मुवाफ़िक़त की और फ़र्माया कि मुझे अबूबक्र (रज़ि.) की राय से ख़िलाफ़ करते हुए शर्म आती है। (तब्रीः 8/53) इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़र्माते हैं सबसे आख़िरी ज़माना हज़रत उमर (रज़ि.) का पाने वाला मैं हूँ, मैंने आपसे सुना, फ़र्माते थे बात वही है जो मैंने कही, ठीक और दुरुस्त यही है कि कलाला उसे कहते हैं जिसका न वालिद हो न वलद। हज़रत अली (रज़ि.), इब्ने मसऊद (रज़ि.), इब्ने अब्बास (रज़ि.), ज़ेद बिन साबित (रज़ि.) शअबी, नख़ई, हसन,

क़तादा, जाबिर बिन ज़ेद, हकम (रह.) भी यही फ़र्माते हैं। (तब्रीः 8/55) अहले मदीना, अहले कूफ़ा, अहले बसरा का भी यही क़ौल है, सातों फुक़्हा चारों इमाम और जुम्हूर सल्फ़ व ख़ल्फ़ बल्कि तमाम यही फ़र्माते हैं, बहुत से बुज़ुर्गों ने इस पर इज्माअ नक़ल किया है, और एक मरफ़ूअ हदीस में भी यही आया है। (हाकिमः 4/336; वसनदुहू ज़ईफ़) इब्ने लुबाब फ़र्माते हैं कि हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से यह भी मरवी है कि कलाला वह है जिसकी औलाद न हो। लेकिन सही क़ौल पहला ही है और मुम्किन है कि रावी ने मुराद समझी ही न हो। फिर फ़र्माया कि इसका भाई या बहन हो यानी माँ ज़ाद, जैसे कि सअद बिन अबी वक़्क़ास (रज़ि.) वग़ैरह कुछ सल्फ़ की क़िराअत है, हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) वग़ैरह से भी यही तफ़्सीर मरवी है, तो उनमें से हर एक के लिए छटा हिस्सा है अगर ज़्यादा हों तो एक सुलुस में सब शरीक हैं, माँ जाद भाई बाक़ी वारिसों से कई वजह से मुख़्तलिफ़ हैं एक तो यह कि यह बावजूद अपने वर्सा के दिलाने वाले के भी वारिस होते हैं, मस्लन माँ, दूसरे यह कि उनके मर्द व औरत यानी बहन भाई मीरास में बराबर हैं , तीसरे यह कि यह उसी वक़्त वारिस होते हैं जबकि मय्यित कलाला हो, पस बाप दादा की, बेटे के बेटे के बेटे की मौजूदगी मेंयह वारिस नहीं होते, चौथे यह कि उन्हें सुलुस से ज़्यादा नहीं मिलता, गो यह कितने ही हों, मर्द हों या औरत। हज़रत उमर (रज़ि.) का यह फ़ैसला है कि माँ ज़ाद बहन भाई का वर्सा आपस में इस तरह बटेगा कि मर्द के लिए दो हिस्से और औरत के लिए एक हिस्सा।

हज़रत ज़ुहरी (रह.) फ़र्माते हैं कि हज़रत उमर (रज़ि.) ऐसा फ़ैसला नहीं कर सकते, उस वक़्त तक कि उन्होंने हुज़ूर (ﷺ) से यह न सुना हो। आयत में इतना तो साफ़ है कि अगर उससे ज़्यादा हों तो सुलुस में शरीक हैं। इस सूरत में उलमा का इख़्तिलाफ़ है अगर मय्यित के वारिसों में शौहर हो और माँ हो या दादी हो और दो मा ज़ाद भाई हों और एक या एक से ज़्यादा बाप की तरफ़ से भाई हो तो जुम्हूर तो कहते हैं कि इस सूरत में शौहर को आधा मिलेगा और माँ या दादी को छटा हिस्सा मिलेगा और माँ ज़ाद भाई को तिहाई मिलेगा और उसी में सगे भाई भी शामिल होंगे, क़द्रे मुश्तरक के तौर पर जो माँ ज़ाद भाई है। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ि.) के ज़माने में एक ऐसी ही सूरत पेश आई थी तो आपने शौहर को आधा दिलवाया और सुलुस मा ज़ाद भाईयों को दिलवाया, तो सगे भाईयों ने भी अपने आपको पेश किया। आपने फ़र्माया, तुम उनके साथ शरीक हो। हज़रत उस्मान (रज़ि.) से भी इस तरह शरीक कर देना और दो रिवायतों में से एक रिवायत ऐसी ही इब्ने मसऊद और ज़ेद बिन साबित और इब्ने अब्बास (रज़ि.) से मरवी है। हज़रत सईद बिन मुसय्यिब, क़ाज़ी शुरेह, मसरूक़, ताउस, मुहम्मद बिन सीरीन, इब्राहीम नख़ई, उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, सौरी और शुरेक (रह .) का क़ौल भी यही है, इमाम मालिक और इमाम शाफ़ेई और इमाम इस्हाक़ बिन राहवे (रह.) भी उसी तरफ़ गए हैं, हाँ! हज़रत अली बिन तालिब (रज़ि.) उसमें शिर्कत के क़ाइल न थे बल्कि आप औलाद को इस हालत में सुलुस दिलवाते थे और एक माँ बाप की औलाद को कुछ नहीं दिलाते थे इसलिए कि यह अस्बा उस वक़्त पाते हैं जब ज़ुल फ़ुरूज़ से बच जाए बल्कि वकीअ बिन जर्राह (रह.) कहते हैं कि हज़रत अली (रज़ि.) से इसके ख़िलाफ़ मरवी ही नहीं, हज़रत उबइ बिन कअब, हज़रत अबू मूसा अशअरी (रज़ि.) का क़ौल भी यही है, इब्ने अब्बास (रज़ि.) से भी यही मशहूर है, शअबी, इब्ने अबी लैला, अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ़, मुहम्मद बिन हसन, हसन बिन ज़ियाद, ज़फ़र बिन हुज़ेल, इमाम अहमद, यहया बिन आदम, नुऐम बिन हम्माद, दाऊद बिन अली ज़ाहिरी (रह.) भी इसी तरफ़ गए हैं। अबुल हसन इब्ने लुबान फ़ुर्ज़ी (रह .) ने

भी इसी को इख़्तियार किया है, मुलाहिज़ा हो, इनकी किताबुल ईजाज़।

शरई वसिय्यत का पूरा करना ज़रूरी है: फिर फ़र्माया "यह वसिय्यत के जारी करने के बाद है।" वसिय्यत ऐसी हो जिसमें ख़िलाफ़े अद्ल न हो किसी को ज़रर और नुक़्सान न पहुँचाया गया हो, न किसी पर ज़ुल्म व जबर किया गया हो, किसी वारिस का न वर्सा मारा गया हो, न कमो बेश किया गया हो। इसके ख़िलाफ़ वसिय्यत करने वाला और ऐसी ख़िलाफ़े शरअ वसिय्यत में कोशिश करने वाला अल्लाह तआला के हुक्म और उसकी शरीअत में उसके ख़िलाफ़ करने वाला और उससे लड़ने वाला है। रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़र्माते हैं "वसिय्यत में किसी को ज़रर व नुक़्सान पहुँचाना कबीरा गुनाह है।" (दारे क़ुत्नीः 4/151; वसनदुहू ज़ईफ़ुन जिद्दा) (इब्ने अबी हातिम) नसाई में हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) का क़ौल भी इसी तरह मरवी है। कुछ रिवायतों में हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से इस फ़र्मान के बाद आयत के इस टुकड़े की तिलावत करना भी मरवी है। इमाम इब्ने जरीर (रह.) के क़ौल के मुताबिक़ ठीक बात यही है कि यह मरफ़ूअ हदीस नहीं मौक़ूफ़ क़ौल है। (नसाई फ़िल कुब्राः 11092; वसनदुहू सहीह) अइम्मा किराम (रह.) का इसमें इख़्तिलाफ़ है कि वारिस के लिए जो इक़रार मय्यित कर जाए आया वह सही है या नहीं? कुछ तो कहते हैं सही नहीं है इसलिए कि उसमें तोहमत लगने की गुंजाइश है। हदीस शरीफ़ में बसनद सही आ चुका है कि अल्लाह तआला ने हर हक़दार को उसका हक़ पहुँचा दिया है अब वारिस के लिए कोई वसिय्यत नहीं। (अबूदाऊद, किताबुल वसाया, बाब मा जाअ फ़िल वसिय्यति लिल वारिसः 2870; वसनदुहू हसन; तिर्मिज़ीः 2120; इब्ने माजाः 2713; नसाईः 3671) मालिक, अहमद बिन हंबल, अबू हनीफ़ा (रह.) का क़ौल यही है, शाफ़ेई (रह.) का भी पहला क़ौल यही था लेकिन आख़िरी क़ौल यह है कि इक़रार करना सही माना जाएगा। ताउस, अता, हसन, उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (रहि.) का क़ौल भी यही है। इमाम बुख़ारी (रह.) भी इसी को पसंद करते हैं और अपनी किताब सही बुख़ारी शरीफ़ में इसी को तर्जीह देते हैं, इनकी दलील एक यह रिवायत भी है कि हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (रज़ि.) ने वसिय्यत की कि फ़ुज़ारिया ने जिस चीज़ पर अपने दरवाज़े बंद कर रखे हों, वह न खोले जाएँ। हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ने फिर फ़र्माया है कि कुछ लोग कहते हैं कि इसका यह इक़रार जाइज़ नहीं, बसबब वारिसों के साथ बदगुमानी के, लेकिन मैं कहता हूँ कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया है "बदगुमानी से बचो, बदगुमानी तो सबसे ज़्यादा झूठ है।" (सहीह बुख़ारी, किताबुल अदब, बाब मा यन्हा अनित्तहासुद वत्तदाबुरः 6064; सहीह मुस्लिमः 2563; अबूदाऊदः 4882, 4917; तिर्मिज़ीः 1928) कुरआन करीम में अल्लाह का फ़र्मान मौजूद है कि अल्लाह तआला तुम्हें हुक्म देता है कि "जिसकी जो अमानत हो वह उसे पहुँचा दो।" इसमे वारिस और ग़ैर वारिस की कोई तख़्सीस नहीं। (सहीह बुख़ारी, किताबुल वसाया, बाब क़ौलुल्लाहि (من بعد وصية يوصى بها) क़ब्ल हदीसः 2749) यह याद रहे कि यह इख़्तिलाफ़ उस वक़्त है जब इक़रार फ़िल वाक़ेअ सही हो और नफ़्सुल अम्र के मुताबिक़ हो और अगर सिर्फ़ हीलासाज़ी हो और कुछ वारिसों को ज़्यादा देने और कुछ को कम देने के लिए एक बहाना बनाया गया हो तो बिल इज्माअ उसे पूरा करना हराम है। और इस आयत के साफ़ अल्फ़ाज़ भी इसकी हुर्मत का फ़त्वा देते हैं (इक़रार के फ़िल वाक़ेअ सही होने की सूरत में इसका पूरा करना ज़रूरी है जैसाकि दूसरी जमाअत का क़ौल है और जैसाकि हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) का मज़हब है, मुतर्जिम) फिर फ़र्माया, यह अल्लाह तआला के अहकाम हैं जो अल्लाह अज़ीम व आ'ला व हिल्म वाला है।

تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ؕ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿۱۳﴾ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَتَعَدَّ حُدُوْدَهٗ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا ۖ وَلَهٗ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ﴿۱۴﴾

तर्जुमाः ''यह हदें अल्लाह की मुक़र्रर की हुई हैं, और जो अल्लाह तआला की और उसके रसूल (ﷺ) की फ़र्मांबरदारी करेगा, उसे अल्लाह तआला जन्नतों में ले जाएगा जिनके नीचे नहरें बह रही हैं जिनमें वह हमेशा रहेंगे। यह बहुत बड़ी कामयाबी है। (13) और जो शख़्स अल्लाह तआला की और उसके रसूल (ﷺ) की नाफ़र्मानी करे और उसकी मुक़र्ररा हदों से आगे निकले उसे वह जहन्नम में डाल देगा, जिसमें वह हमेशा रहेगा, ऐसों ही के लिए अहानत (रुस्वा) करने वाला अज़ाब है।'' (14)

वसिय्यत में अल्लाह तआला के हुदूद को क़ायम रखने और तोड़ने पर जज़ा व सज़ा (आयत 13, 14): और जो शख़्स अल्लाह तआला की और उसके रसूल (ﷺ) की नाफ़र्मानी करे और उसकी मुक़र्रर की हुई हदों से आगे निकल जाए उसे वह जहन्नम में डाल देगा जिसमें वह हमेशा रहेगा, ऐसों के लिए ज़लील करने वाला अज़ाब है यानी यह फ़राइज़ और यह मिक्दार जिसे अल्लाह तआला ने मुक़र्रर किया है और मय्यित के वारिसों को उनकी क़राबत की नज़दीकी और उनकी हाजत के मुताबिक़ जितना हिस्सा जिसे दिलवाया है, यह सब अल्लाह की हुदूद हैं तुम उन हदों को न तोड़ो न उससे आगे बढ़ो, जो शख़्स अल्लाह के इन अहकाम को मान ले, कोई हीला हवाला करके किसी वारिस को कमो बेश दिलवाने की कोशिश न करे, अल्लाह का हुक्म और अल्लाह का फ़रीज़ा ज्यों का त्यों बजा लाए अल्लाह का वादा है कि वह उसे हमेशगी वाली जारी पानी वाली नहरों की जन्नत में दाख़िल करेगा, यह कामयाब नसीब वाला और मक़सद को पहुँचाने वाला और मुराद को पाने वाला है और जो अल्लाह तआला के किसी हुक्म को बदल दे, किसी वारिस के वर्से को कमो बेश कर दे, अल्लाह की रज़ा को पेशेनज़र न रखे बल्कि उसके हुक्म को रद्द कर दे और उसके ख़िलाफ़ अमल करे गोया अल्लाह की तक़्सीम को अच्छे से नहीं देखता और उसके हुक्म को अद्ल नहीं समझता तो ऐसा शख़्स हमेशगी वाले रुस्वाई और अहानत वाले दर्दनाक और हेबतनाक अज़ाबों में मुब्तला रहेगा।

रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़र्माते हैं कि ''एक शख़्स सत्तर साल तक नेकी के अमल करता रहता है फिर वसिय्यत के वक़्त ज़ुल्मो सितम करता है, उसका ख़ात्मा बुरे अमल पर होता है और वह जहन्नमी बन जाता है और एक शख़्स बुराई का अमल सत्तर साल तक करता रहता है फिर अपनी वसिय्यत में अद्ल करता है, ख़ात्मा उसका बेहतर हो जाता है तो जन्नत में दाख़िल हो जाता है।''

फिर इस हदीस के रावी हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) फ़र्माते हैं इस आयत को पढ़ो (تِلْكَ حُدُوْدُ اللهِ) से (عَذَابٌ مُّهِيْنٌ) तक। सुनन अबी दाऊद के "बाबुल इज़रार फ़िल वसीय्या" में है रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़र्माते हैं कि "एक मर्द या औरत अल्लाह तआला की इताअत में साठ साल तक लगे रहते हैं फिर मौत के वक़्त वसिय्यत में ज़रर व नुक़्सान पहुँचा जाते हैं तो उनके लिए जहन्नम वाजिब हो जाती है।" फिर हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) ने (من بعد وصيته) से आख़िर तक पढ़ी। तिर्मिज़ी और इब्ने माजा में भी यह हदीस है, इमाम तिर्मिज़ी (रह.) इसे हसन ग़रीब कहते हैं। मुस्नद अहमद में यह हदीस तमाम व कमाल के साथ मौजूद है। (अहमदः 2/278; अबूदाऊदः 2867; इब्ने माजाः 2704; वसनदुहू हसन)

***

وَالّٰتِيْ يَاْتِيْنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوْا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً مِّنْكُمْ ۚ فَاِنْ شَهِدُوْا فَاَمْسِكُوْهُنَّ فِي الْبُيُوْتِ حَتّٰى يَتَوَفّٰىهُنَّ الْمَوْتُ اَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا ﴿۱۵﴾ وَالَّذٰنِ يَاْتِيٰنِهَا مِنْكُمْ فَاٰذُوْهُمَا ۚ فَاِنْ تَابَا وَاَصْلَحَا فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمَا ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ﴿۱۶﴾

तर्जुमाः "तुम्हारी औरतों में से जो बेहयाई का काम करें, उन पर अपने में से चार गवाह रख लो, अगर वह गवाही दें तो उन औरतों को घरों में क़ैद रखो, यहाँ तक कि मौत उनकी उम्रें पूरी कर दे या अल्लाह तआला उनके लिए कोई और रास्ता निकाले। (15) तुममें से जो मर्द ऐसा काम कर लें उन्हें ईज़ा दो। अगर वह तौबा और इस्लाह कर लें तो उनसे चेहरा फेर लो। बेशक अल्लाह तआला तौबा क़बूल करने वाला, रहम करने वाला है।" (16)

इब्तिदा-ए-इस्लाम में फ़ाहिशा (बदकार) औरतों की सज़ा का बयान (आयत 15, 16): इस्लाम के शुरू में यह हुक्म था कि जब आदिल गवाहों की सच्ची गवाही से किसी औरत की स्याहकारी साबित हो जाए तो उसे घर से बाहर न निकलने दिया जाए, घर में ही क़ैद कर दिया जाए और हमेशा क़ैद में रहे यानी मौत से पहले उसे न छोड़ा जाए। उसका बयान फ़र्माकर फिर फ़र्माता है कि हाँ! यह और बात है कि अल्लाह तआला उनके लिए कोई और राह बता दे। फिर जब दूसरी सूरत की सज़ा तज्वीज़ हुई तो वह नासिख़ ठहरी और यह हुक्म हट गया। हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़र्माते हैं, जब तक सूरह नूर की आयत न उतरी ज़िनाकार औरत का यही हुक्म रहा। फिर इस आयत में शादीशुदा को रजम करने यानी पत्थर मार मारकर मार डालने और बे शादी शुदा को कोड़े मारने का हुक्म उतरा। हज़रत इक्रिमा, हज़रत सईद बिन जुबेर, हज़रत हसन, हज़रत अता

ख़ुरासानी, हज़रत अबू सालेह, हज़रत क़तादा, हज़रत ज़ेद बिन असलम और ज़ह्हाक (रह्.) का भी यही क़ौल है कि यह आयत मंसूख़ है और इस अम्र पर सबका इत्तिफ़ाक़ है। हज़रत उबादा बिन सामित (रज़ि.) फ़र्माते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) पर जब वह्ी उतरती तो आप पर उसका बड़ा असर पड़ता और तक्लीफ़ महसूस होती और चेहरे का रंग बदल जाता, पस अल्लाह तआला ने एक दिन अपने नबी (ﷺ) पर वह्ी नाज़िल फ़र्माई जब वह हट गई तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, "मेरी बात ले लो, अल्लाह तआला ने उनके लिए रास्ता निकाल दिया है अगर शादीशुदा औरत और शादीशुदा मर्द हो तो एक सौ कोड़े फिर पत्थरों से मार डालना और ग़ैर शादीशुदा हों तो सौ कोड़े और एक साल की जिलावतनी" (मुस्नद अह्मदः 5/318; सह्रीह मुस्लिम, किताबुल हुदूद बाब हद्दुज़्ज़िनाः 1690) तिर्मिज़ी वग़ैरह में भी यह ह्दीस अल्फ़ाज़ के हेर फेर से मरवी है, इमाम तिर्मिज़ी (रह्.) इसे ह्सन सह्रीह कहते हैं, इसी तरह अबूदाऊद में भी। (अबूदाऊद, किताबुल हुदूद, बाब फ़िर्रजमः 4415; तिर्मिज़ीः 1434; इब्ने माजाः 2549; सह्रीह मुस्लिमः 13/1690) इब्ने मर्दवे की ग़रीब ह्दीस में कुँवारे और ब्याहे हुए के इस हुक्म के साथ ही यह भी है कि दोनों अगर बुढ़े हों तो उन्हें रजम कर दिया जाए। (इब्ने मर्दवे वसनदुहू ज़ईफ़ुन जिद्दा) लेकिन यह ह्दीस ग़रीब है। तबरानी में है हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, "सूरह निसाअ के उतरने के बाद अब रोक रखने का हुक्म नहीं रहा।" (दारे क़ुत्नीः 4/68; बैहक़ीः 6/162; वसनदुहू ज़ईफ़) इमाम अह्मद (रह्.) का मज़हब इस ह्दीस के मुताबिक़ यही है कि ज़ानी शादीशुदा को कोड़े भी लगाए जाएँगे और रजम भी किया जाएगा। और जुम्हूर कहते हैं कि कोड़े नहीं लगेंगे, सिर्फ़ रजम किया जाएगा, इसलिए कि नबी (ﷺ) ने हज़रत माइज़ (रज़ि.) को और ग़ामिदिया औरत को रजम किया लेकिन कोड़े नहीं मारे, इसी तरह दो यहूदियों को भी आप (ﷺ) ने रजम का हुक्म दिया और रजम से पहले उन्हें भी कोड़े नहीं लगवाए। पस जुम्हूर के इस क़ौल के मुताबिक़ मालूम हुआ कि उन्हें कोड़े लगाने का हुक्म मंसूख़ है ज़रूरी नहीं, वल्लाहु आलम! फिर फ़र्माया कि इस बेह्याई के काम को दो मर्द अगर आपस में करें उन्हें ईज़ा पहुँचाओ यानी बुरा भला कहकर शर्म व ग़ैरत दिलाकर जूतियाँ लगाकर। यह हुक्म भी इसी तरह पर रहा यहाँ तक कि इसे भी कोड़े और रजम से मंसूख़ फ़र्माया। हज़रत इक्रिमा, अता, ह्सन, अब्दुल्लाह बिन कसीर (रह्.) फ़र्माते हैं इससे मुराद भी मर्द व औरत हैं।

सुद्दी (रह्.) फ़र्माते हैं मुराद वह नौजवान मर्द हैं जो शादीशुदा न हों। हज़रत मुजाहिद (रह्.) फ़र्माते हैं लवातत के बारे में यह आयत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़र्माते हैं जिसे तुम लवातत करते देखो, उसे और उस दूसरे को दोनों को क़त्ल कर डालो। (अबूदाऊद, किताबुल हुदूद, बाब फ़ीमन अमिला अमल क़ौमे लूतः 4462; वसनदुहू ह्सन; तिर्मिज़ीः 1456; इब्ने माजाः 2561) अगर यह दोनों बाज़ आ जाएँ अपनी बदकारी से तौबा करें अपने आ'माल की इस्लाह कर लें और ठीक-ठाक हो जाएँ तो अब इनके साथ दुरुश्त कलामी और सख़्ती से पेश न आओ, इसलिए कि गुनाह से तौबा कर लेने वाला मिस्ल गुनाह न करने वाले के है। अल्लाह तआला तौबा क़बूल करने वाला और बुर्दबारी करने वाला है। सह्रीह बुख़ारी व मुस्लिम में है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़र्माते हैं "अगर किसी की लौण्डी बदकारी करे तो उसका मालिक उसे ह्द लगा दे और डाँट-डपट न करे। (सह्रीह बुख़ारी, किताबुल हुदूद, बाब ला युस्रिबु अलल अमति इज़ा....: 6839; सह्रीह मुस्लिमः 1703) यानी ह्द लग जाने के बाद फिर उसे आर न दिलाया करे क्योंकि ह्द कफ़्फ़ारा है।"

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوٓءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ
فَأُولَٰٓئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٧﴾ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ
يَعْمَلُونَ السَّيِّـَٔاتِ حَتَّىٰٓ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْـَٰٔنَ وَلَا
الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ ۚ أُولَٰٓئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٨﴾

तर्जुमाः ''अल्लाह तआला सिर्फ़ उन ही लोगों की तौबा क़बूल फ़र्माता है जो नादानी की वजह से कोई गुनाह कर जाएँ फिर जल्द उससे बाज़ आ जाएँ और तौबा करें तो अल्लाह तआला भी उनकी तौबा क़बूल करता है। अल्लाह तआला बड़े इल्म वाला, हिक्मत वाला है। (17) उनकी तौबा की क़बूलियत का वा'दा नहीं जो बुराईयाँ करते चले जाएँ यहाँ तक कि जब उनमें से किसी के पास मौत आ जाए तो कह दे कि मैंने अब तौबा की, न उनकी तौबा है जो कुफ़्र पर ही मर जाएँ। यही लोग हैं जिनके लिए हमने अलमनाक अज़ाब तैयार कर रखे हैं।''(18)

भूलकर जो गुनाह सरज़द हो जाए उसकी तौबा है (आयत 17, 18): मतलब यह है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने उन बन्दों की तौबा क़बूल फ़र्माता है जो नावाक़फ़ियत की वजह से कोई बुरा काम कर बैठें, फिर तौबा कर लें गो यह तौबा मौत के फ़रिश्ते को देख लेने के बाद ग़रग़रे से पहले हो। हज़रत मुजाहिद (रह.) वग़ैरह फ़र्माते हैं जो भी क़सदन या ग़लती से अल्लाह तआला की नाफ़र्मानी करे वह जाहिल है जब तक कि उससे बाज़ न आ जाए। (तब्रीः 8/89) अबुल आलिया (रह.) फ़र्माते हैं सहाबा किराम (रज़ि.) फ़र्माया करते थे कि बन्दा जो गुनाह करे वह जिहालत है। (तब्रीः 8/89) हज़रत क़तादा (रह.) भी सहाबा के एक मज्मअ से इस तरह की रिवायत करते हैं, अता (रह.) और हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से इसी तरह मरवी है।

तौबा का दरवाज़ा कब तक खुला रहता है? जल्दी तौबा कर लेने की तफ़्सीर में मरवी है कि मलकुल मौत को देख लेने से पहले आलमे सक्रात के करीब कहा गया है अपनी तन्दुरुस्ती में तौबा कर लेनी चाहिए गरगरे के वक़्त से पहले की तौबा कुबूल है। हज़रत इक्रिमा (रह.) फ़र्माते हैं कि, दुनिया कुल की कुल क़रीब ही है। इसके बारे में हदीसें सुनिए। रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़र्माते हैं कि ''अल्लाह तआला अपने बन्दों की तौबा क़बूल फ़र्माता है जब तक ग़रग़रा शुरू न हो।'' (तिर्मिज़ी, किताबुद्दअवात, बाब इन्नल्लाह यक़्बलु तौबतल अबदि मा लम युग़रग़रः 3537; वहुव हसन; इब्ने माजाः 4253) जो भी मोमिन बन्दा अपनी मौत से महीना भर पहले तौबा कर ले उसकी तौबा अल्लाह तआला क़बूल फ़र्मा लेता है यहाँ तक कि उसके बाद भी बल्कि मौत से एक दिन पहले भी बल्कि एक साअत पहले भी जो भी इख़्लास और सच्चाई के साथ अपने रब की तरफ़ झुके अल्लाह तआला उसे क़बूल फ़र्माता है और जो महीना पहले तौबा करे, अल्लाह उसकी तौबा क़बूल फ़र्माता है और जो हफ़्ता भर

पहले तौबा करे अल्लाह तआला उसकी तौबा क़बूल फ़र्माता है और जो एक दिन पहले तौबा करे, अल्लाह तआला उसकी तौबा क़बूल फ़र्माता है। यह सुनकर हज़रत अबू अय्यूब (रज़ि.) ने यह आयत पढ़ी तो आपने फ़र्माया, मैं वही कहता हूँ जो रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना हूँ। मुस्नद अहमद में है कि चार सहाबी जमा हुए उनमें से एक ने कहा, मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना है। (मुस्नद तयालिसीः 2284; इसकी सनद अय्यूब की वजह से ज़ईफ़ है।) "जो शख़्स अपनी मौत से एक दिन पहले भी तौबा कर ले अल्लाह तआला उसकी तौबा क़बूल फ़र्माता है।" दूसरे ने पूछा, क्या सचमुच तुमने हुज़ूर (ﷺ) से उसे सुना है? उसने कहा, हाँ! तो दूसरे ने कहा, मैंने हुज़ूर (ﷺ) से सुना है कि "अगर आधा दिन पहले भी तौबा कर ले तो भी अल्लाह तआला क़बूल फ़र्माता है।" तीसरे ने कहा, तुमने यह सुना है? कहा हाँ! मैंने ख़ुद सुना है। कहा, मैंने सुना है कि "अगर एक पहर पहले तौबा नसीब हो जाए तो वह भी क़बूल होती है।" चौथे ने कहा, तुमने यह सुना है? उसने कहा, हाँ! कहा मैंने तो हुज़ूर (ﷺ) से यहाँ तक सुना है कि "जब तक उसके नरख़रे में रूह न आ जाए तौबा के दरवाज़े उसके लिए भी खुले रहते हैं।" (अहमदः 3/425; वसनदुहू ज़ईफ़; इसकी सनद में अब्दुर्रहमान बिन अल बैलमानी ज़ईफ़ रावी है (अल्मीज़ानः 2/551; रक़मः 4827) जिसकी वजह से यह रिवायत ज़ईफ़ है। देखिए (अल्मौसूअतुल हदीसियाः 24/256) इब्ने मर्दवे में मरवी है कि जब तक ग़रग़रा शुरू न हो तब तक तौबा क़बूल होती है। (मुस्नद बज़्ज़ारः 3243; मज्मउज़्ज़वाइदः 10/198; इसकी सनद में यज़ीद बिन अब्दुल मलिक मतरूक रावी है। (अल्मीज़ानः 4/433; रक़मः 9726) लिहाज़ा यह रिवायत मरदूद है।) कई एक मुर्सल अहादीस में भी यह मज़्मून मौजूद है।

हज़रत अबू क़िलाबा (रह.) फ़र्माते हैं, कहा अल्लाह तआला ने जब इब्लीस पर लानत नाज़िल फ़र्माई तो उसने ढील तलब की और कहा, तेरी इ़ज़्ज़त और तेरे जलाल की क़सम! कि इब्ने आदम के जिस्म में जब तक रूह रहेगी, मैं उसके दिल से न निकलूँगा। अल्लाह तआला अ़ज़्ज़ व जल्ला ने फ़र्माया, मुझे अपनी इ़ज़्ज़त और अपने जलाल की क़सम! मैं भी जब तक उसमें रूह रहेगी, उसकी तौबा क़बूल करूँगा। (वसनदुहू हसन इला अबी क़िलाबा (रह.); यह हदीस नहीं बल्कि अबू क़िलाबा (रह.) का क़ौल है।) एक मरफ़ूअ हदीस में भी इसके क़रीब-क़रीब मरवी है।

पस इन तमाम अहादीस से मालूम होता है कि जब तक बन्दा ज़िन्दा है और उसे अपनी हयात की उम्मीद है तब तक वहाँ अल्लाह तआला की तरफ़ झुके तौबा करे तो अल्लाह तआला उसकी तौबा क़बूल करता है और उस पर रुजूअ करता है, अल्लाह तआला अ़लीमो हकीम है, हाँ! जब ज़िन्दगी से मायूस हो जाए, फ़रिश्तों को देख ले और रूह बदन से निकलकर हलक़ तक पहुँच जाए, सीने में घुटने लगे, हलक़ में अटके, ग़रग़रा शुरू हो तो उसकी तौबा क़बूल नहीं होती। इसलिए उसके बाद फ़र्माया कि मरते दम तक जो गुनाहों पर अड़ा रहे और मौत देखकर कहने लगे कि अब मैं तौबा करता हूँ तो ऐसे शख़्स की तौबा क़बूल नहीं होती, जैसे और जगह है (فَلَمَّا رَاَوْا بَاْسَنَا قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَحْدَهٗ) (40/मोमिनः 84) (दो आयतों तक) मतलब यह है कि हमारे अ़ज़ाबों का मुआयना कर लेने के बाद ईमान का इक़रार करना नफ़ा नहीं देता। और जगह है ((يَوْمَ يَاْتِيْ بَعْضُ اٰيٰتِ رَبِّكَ)) (6/अन्आमः 109) मतलब यह है कि जब मख़्लूक़ सूरज को मग़्रिब की तरफ़ से चढ़ते हुए देख लेगी उस वक़्त जो ईमान लाए या नेक अमल करे उसे न उसका अमल नफ़ा दे, न उसका ईमान।

मुश्रिक की बख़्शिश नहीं है: फिर फ़र्माता है कि कुफ्र व शिर्क पर मरने वाले को भी नदामत व तौबा फ़ायदा न देगी, न फ़िदया और बदला क़बूल किया जाएगा, गो ज़मीन भरकर सोना देना चाहे। हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) वग़ैरह फ़र्माते हैं, यह आयत अहले शिर्क के बारे में नाज़िल हुई है। मुस्नद अहमद में है रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़र्माते हैं "अल्लाह तआला अपने बन्दों की तौबा क़बूल करता है और उसे बख़्श देता है जब तक पर्दा न पड़ जाए" कहा गया कि पर्दा पड़ने से क्या मतलब है? फ़र्माया, "शिर्क की हालत में जान निकल जाना" (अहमदः 5/174; वसनदुहू ज़ईफ़; मुस्नद बज़्ज़ारः 3241; इसकी सनद में उमर बिन नुऐम मज्हूल (अल्मीज़ानः 2/651; रक़मः 4828, 3/228; रक़मः 6235) जबकि मक्हूल को अबू ज़र (रज़ि.) से लिक़ा साबित नहीं।) ऐसे लोगों के लिए अल्लाह तआला ने सख़्त दर्दनाक अलमनाक हमेशगी वाले अज़ाब तैयार कर रखे हैं।"

***

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَآءَ كَرْهًا ؕ وَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ
لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اِلَّآ اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوْهُنَّ
بِالْمَعْرُوْفِ ۚ فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـًٔا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا
كَثِيْرًا ﴿۱۹﴾ وَاِنْ اَرَدْتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ ۙ وَّاٰتَيْتُمْ اِحْدٰىهُنَّ قِنْطَارًا
فَلَا تَاْخُذُوْا مِنْهُ شَيْـًٔا ؕ اَتَاْخُذُوْنَهٗ بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا ﴿۲۰﴾ وَكَيْفَ تَاْخُذُوْنَهٗ
وَقَدْ اَفْضٰى بَعْضُكُمْ اِلٰى بَعْضٍ وَّاَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا ﴿۲۱﴾ وَلَا تَنْكِحُوْا
مَا نَكَحَ اٰبَآؤُكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ؕ اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً وَّمَقْتًا ؕ وَسَآءَ
سَبِيْلًا ﴿۲۲﴾

तर्जुमाः "ईमानवालों! तुम्हें हलाल नहीं कि ज़बरदस्ती औरतों को वर्से में ले बैठो। उन्हें इसलिए रोक न रखो कि जो तुमने उन्हें दे रखा है उसमें से कुछ ले लो, हाँ! यह और बात है कि वह कोई खुली बुराई और बेहयाई करें। उनके साथ अच्छे तरीक़े से बूद व बाश रखो, गो तुम उन्हें नापसंद करो लेकिन बहुत मुम्किन है कि तुम एक चीज़ को बुरा जानो और अल्लाह

तआला उसमें बहुत ही भलाई कर दे। (19) अगर तुम एक बीवी की जगह दूसरी बीवी करना चाहो और उनमें से किसी को तुमने ख़ज़ाना का ख़ज़ाना दे रखा हो तो भी तुम उसमें से कुछ भी न लो। क्या तुम उसे नाहक़ और खुला गुनाह होते हुए भी ले लोगे। (20) तुम उसे कैसे ले लोगे हालाँकि तुम एक दूसरे से मिल चुके हो और उन औरतों ने तुमसे मज़बूत अहदो पैमान ले रखा है। (21) उन औरतों से निकाह न करो जिनसे तुम्हारे बापों ने निकाह किया है मगर जो गुज़र चुका। यह बेहयाई का काम और बुग़्ज़ का सबब है और बड़ी बुरी राह है।'' (22)

ज़माना-ए-जाहिलियत और औरत को विरासत में लेने का बयान (आयतः 19-22): सहीह बुख़ारी में है हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़र्माते हैं कि जब कोई शख़्स मर जाता तो उसके वारिस उसकी औरत के पूरे हक़दार समझे जाते, अगर उनमें से कोई चाहता तो अपने निकाह में ले लेता अगर वह चाहते तो दूसरे किसी के निकाह में दे देते, अगर चाहते तो निकाह ही न करने देते, औरत वालों से ज़्यादा हक़दार उस औरत के यही गिने जाते थे। ज़ाहिलियत की इस रस्म के ख़िलाफ़ यह आयत नाज़िल हुई। (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर, सूरतुन्निसाअः 4579; अबूदाऊदः 2089) दूसरी रिवायत में यह भी आया है कि वह लोग उस औरत को मजबूर करते कि वह मुहर के हक़ से दस्तबरदार हो जाए या यूँ ही बेनिकाही बैठी रहे। (अबूदाऊद, किताबुन्निकाहः 2090; वसनदुहू हसन) यह भी मरवी है कि उनमें से कोई आकर उस औरत का शौहर मरते ही उस पर अपना कपड़ा डाल देता और वही उसका मुख़्तार समझा जाता। और रिवायत में है कि यह कपड़ा डालने वाला उसे हसीन पाता तो अपने निकाह में ले लेता, अगर यह बदसूरत होती तो उसे यूँ ही रोके रखता यहाँ तक कि मर जाए, फिर उसके माल का यह वारिस बनता। यह भी मरवी है कि मरने वाले का कोई क़रीबी दोस्त कपड़ा डाल देता फिर अगर वह औरत कुछ फ़िदया और बदला दे तो वह उसे निकाह करने की इजाज़त देता वरना यूँ ही मर जाती। हज़रत ज़ेद बिन असलम (रह.) फ़र्माते हैं कि अहले मदीना का यह दस्तूर था, वारिस उस औरत का भी वारिस बन जाता था, यह लोग औरतों के साथ बड़ी बुरी तरह से पेश आते थे यहाँ तक कि तलाक़ देते वक़्त भी शर्त कर लेते थे कि जहाँ मैं चाहूँ वहाँ तेरा निकाह हो। इस तरह की क़ैदो बंद से आज़ादगी की फिर यह सूरत होती थी कि वह औरत कुछ दे दिलाकर अपनी जान छुड़ाती, पस अल्लाह तआला ने मोमिनों को इससे मना कर दिया। इब्ने मर्दवे में है कि जब अबू क़ैस बिन अस्लत का इंतिक़ाल हुआ तो उनके बेटे ने उनकी बीवी से निकाह करना चाहा, जैसे कि जाहिलियत में दस्तूर था। इस पर यह आयत नाज़िल हुई। हज़रत अता (रह.) फ़र्माते हैं कि किसी बच्चे की संभाल पर उसे लगा देते थे। हज़रत मुजाहिद (रह.) फ़र्माते हैं कि जब कोई मर जाता तो उसका लड़का उसकी बीवी का ज़्यादा हक़दार समझा जाता, अगर चाहता ख़ुद अपनी उस सौतेली माँ से निकाह कर लेता और अगर चाहता दूसरे के निकाह में दे देता, भाई के भतीजे के या जिसके चाहे।

हज़रत इक्रिमा (रह.) की रिवायत में है कि अबू क़ैस की उस बीवी का नाम कब्शा था। उसने इस सूरत की ख़बर हुज़ूर (ﷺ) को दी कि न मुझे यह लोग वारिसो में शुमार करके मरे शौहर का वर्सा देते हैं, न

मुझे छोड़ते हैं कि मैं और कहीं अपना निकाह़ कर लूँ, इस पर यह आयत नाज़िल हुई। (त़ब्रीः 8874; इसकी सनद में ह़ज्जाज बिन अरत़ात मुदल्लस रावी है। (अल्मीज़ानः 1/458; रक़मः 1726) लिहाज़ा यह रिवायत ज़ईफ़ है।) एक रिवायत में है कि कपड़ा डालने की रस्म से पहले ही अगर कोई औ़रत भाग खड़ी हो और अपने मायके (पीहर) आ जाए तो वह छूट जाती थी। ह़ज़रत मुजाहिद (रह़.) फ़र्माते हैं कि जो यतीम बच्ची उनकी विलायत में होती उसे यह रोके रखते, इस उम्मीद पर कि जब हमारी बीवी मर जाएगी तो हम उससे निकाह़ कर लेंगे, या अपने लड़के से उसका निकाह़ करा देंगे। इन सब क़ौलों से मालूम हुआ कि इन तमाम सूरतों की मुमानिअ़त इस आयत में अल्लाह तआ़ला ने कर दी और औ़रतों की जान इस मुसीबत से छुड़ा दी, वल्लाहु आ़लम! फिर फ़र्माता है कि औ़रतों की बूद व बाश में उन्हें तंग करके तक्लीफ़ दे दे कर मजबूर न करो कि वह अपना सारा मुहर छोड़ दें या उसमें से कुछ छोड़ दें या अपने किसी और वाजिबी ह़क़ वग़ैरह से दस्तबरदारी पर आमादा हो जाएँ क्योंकि उन्हें सताया और मजबूर किया जा रहा है। ह़ज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) फ़र्माते हैं मत़लब यह है कि औ़रत नापसंद है, दिल नहीं मिला, छोड़ना चाहता है लेकिन इस सूरत में मुहर वग़ैरह तमाम हुक़ूक़ देने पड़ेंगे उससे बचने के लिए उसे सताता है, त़रह़ त़रह़ से तंग करता है ताकि वह ख़ुद अपने हुक़ूक़ छोड़कर भी चले जाने पर आमादा हो जाए तो इस सूरत से क़ुरआन पाक ने मुसलमानों को रोक दिया।

इब्ने सलमानी फ़र्माते हैं इन दोनों आयतों में से पहली आयत अम्रे जाहिलियत को मिटाने के लिए और दूसरी अम्रे इस्लाम की इस्लाह़ के लिए नाज़िल हुई। इब्ने मुबारक (रह़.) भी यही फ़र्माते हैं मगर इस सूरत में कि इनसे खुली बेह़याई का काम स़ादिर हो जाए, इससे मुराद बक़ौल अकसर मुफ़स्सिरीन स़ह़ाबा व ताबेई़न वग़ैरह, ज़िनाकारी है यानी इस सूरत में जाइज़ है कि उससे मुहर लौटा लेना चाहिए और उसे तंग करे ताकि ख़ुला पर रजामंद हो। (त़ब्रीः 8/115) जैसे सूरह बक़रह की आयत में है (و لا يحل لكم) (2/बक़रहः 229) यानी तुम्हें ह़लाल नहीं कि तुम उन्हें दिए हुए में से कुछ भी लो मगर उस ह़ालत में कि दोनों को अल्लाह तआ़ला की ह़दें क़ायम न रख सकने का डर हो, आख़िर तक। कुछ बुज़ुर्गों ने फ़र्माया है (فاحشة مبينة) से मुराद शौहर का ख़िलाफ़ करना, उसकी नाफ़र्मानी करना, बदज़ुबानी, कजख़ल्क़ी करना, हुक़ूक़े ज़ोजियत अच्छी त़रह़ अदा न करना वग़ैरह है। (त़ब्रीः 8/117) इमाम इब्ने जरीर (रह़.) फ़र्माते हैं कि आयत के अल्फ़ाज़ आ़म हैं, ज़िना को और उसको दोनों को शामिल हैं, यानी इन तमाम सूरतों में शौहर को मुबाह है कि उसे तंग करे ताकि वह अपना कुल ह़क़ या थोड़ा ह़क़ छोड़ दे और फिर यह उसे अलग कर दे। इमाम स़ाह़ब (रह़.) का यह फ़र्मान बहुत ही मुनासिब है, वल्लाहु आ़लम! यह रिवायत भी पहले गुज़र चुकी है कि यहाँ तक इस आयत के उतरने का सबब वही जाहिलियत की रस्म है जिसे अल्लाह तआ़ला ने मना फ़र्मा दिया है। इससे मालूम होता है कि यह पूरा बयान अम्रे जाहिलियत इस्लाम से हटा देने के लिए हुआ है।

इब्ने ज़ेद (रह़.) फ़र्माते हैं, मक्का के क़ुरैश में यह बात जारी थी कि किसी शख़्स़ ने किसी शरीफ़ औ़रत से निकाह़ किया और मुवाफ़िक़त न होती तो यह उसे त़लाक़ दे देता था, लेकिन यह शर्त़ कर लेता था कि बग़ैर उसकी इजाज़त के यह दूसरी जगह निकाह़ नहीं कर सकती, इस बात पर गवाह शाहिद मुक़र्रर हो जाते और इक़रारनामा लिख लिया जाता। अब अगर कहीं से पैग़ाम आए और वह औ़रत राज़ी हो तो यह कहता कि मुझे

इतनी रक़म दे तो मैं तुझे निकाह की इजाज़त दूँगा। अगर वह अदा कर देती तो ख़ैर वरना यूँ ही उसे रोके रखता और दूसरा निकाह न करने देता। इसकी मुमानिअ़त इस आयत में नाज़िल हुई। बक़ौल मुजाहिद (रह.) यह हुक्म और सूरह बक़रह की आयत का हुक्म दोनों एक ही हैं। फिर फ़र्माया, औरतों के साथ अच्छा सुलूक करो, उनके साथ अच्छा बर्ताव बरतो, नर्म बात कहो, नेक सुलूक करो, अपनी हालत भी अपनी ताक़त के मुताबिक़ अच्छी रखो, जैसे तुम चाहते हो कि वह तुम्हारे लिए बनी संवरी हुई अच्छी हालत में रहे, तुम ख़ुद अपनी हालत भी अच्छी रखो। जैसे और जगह है (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ) यानी जैसे तुम्हारे हुक़ूक़ उन पर हैं, वैसे ही उनके हुक़ूक़ भी तुम पर हैं। रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़र्माते हैं, "तुममें सबसे बेहतर शख़्स वह है जो अपनी घरवाली के साथ सबसे बेहतर सुलूक करने वाला हो, मैं अपनी बीवियों से बहुत अच्छी घरदारी बरतता हूँ।" (2/बक़रहः 228)

नबी (ﷺ) का अपनी बीवियों से हुस्ने-सुलूकः नबी करीम (ﷺ) अपनी बीवियों के साथ बहुत लुत्फ़ व ख़ुशी से बहुत नर्म अख़्लाक़ी और ख़ंदा पेशानी से पेश आते थे, उनको ख़ुश रखते थे, उनसे हंसी दिललगी की बातें किया करते थे, उनके दिल अपनी मुट्ठी में रखते, उन्हें अच्छी तरह खाने पीने को देते थे, कुशा दा दिली के साथ उन पर ख़र्च करते थे, ऐसी ख़ुश तबई की बातें बयान फ़र्माते, जिनसे वह हंस देतीं। ऐसा भी हुआ कि हज़रत आइशा सिद्दीक़ा (रज़ि.) के साथ आप (ﷺ) ने दौड़ की, जिस दौड़ में सिद्दीक़ा (रज़ि.) आगे निकल गईं। कुछ मुद्दत बाद फिर दौड़ हुई, अबके हज़रत आइशा (रज़ि.) पीछे रह गईं, तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, "अदला-बदला हो गया" (अबूदाऊद, किताबुल जिहाद, बाब फ़िस्सबक़ि अलर्रुजुलः 2578; वसनदुहू सहीह; इब्ने माजाः 1979; मुख़्तसरन) इससे भी आप (ﷺ) का मतलब यह था कि हज़रत सिद्दीक़ा ख़ुश रहें उनका दिल बहले। जिस बीवी साहिबा (रज़ि.) के यहाँ आप (ﷺ) को रात गुज़ारनी होती वहीं आप (ﷺ) की कुल बीवियाँ जमा हो जातीं, दो घड़ी बैठतीं, बातचीत होती कभी ऐसा भी होता कि उन सबके साथ ही हुज़ूर (ﷺ) रात का खाना तनावुल फ़र्माते फिर सब अपने अपने घर चली जातीं और आप (ﷺ) वहीं आराम फ़र्माते जिनकी बारी होती। अपनी बीवी साहिबा (रज़ि.) के साथ एक ही चादर में सोते, कुर्ता निकाल डालते, सिर्फ़ तहबन्द बंधा हुआ होता। इशा की नमाज़ के बाद घर जाकर दो घड़ी इधर उधर की कुछ बातें करते जिससे घर वालियों का जी ख़ुश हो, अल्ग़र्ज़ निहायत ही मुहब्बत प्यार के साथ अपनी बीवियों को आप (ﷺ) रखते थे। पस मुसलमानों को भी चाहिए कि अपनी बीवियों के साथ अच्छी तरह राज़ी-ख़ुशी मुहब्बत-प्यार से रहें। अल्लाह तआला फ़र्माता है तुम्हारी अच्छाई मेरे नबी की पैरवी में है। इसके तफ़्सीली अहकाम की जगह तफ़्सीर नहीं बल्कि इसी मज़्मून की किताबें हैं, वल्हम्दु लिल्लाह! फिर फ़र्माता है कि बावजूद जी न चाहने के भी औरतों से अच्छी बूद व बाश रखने में बसा मुम्किन है कि अल्लाह तआला बहुत बड़ी भलाई अता फ़र्माए। मुम्किन है नेक औलाद हो जाए और उससे अल्लाह तआला बहुत सी ख़ैर नसीब करे। सहीह हदीस में है कि "मोमिन मर्द मोमिना औरत को अलग न करे अगर उसकी एक आध बात से नाराज़ होगा तो एक आध ख़स्लत अच्छी भी होगी।" (सहीह मुस्लिम, किताबुर्रज़ाइ, बाबुल वसिय्यति बिन्निसाअ, हदीसः 1467)

हक्के-मुहर के बारे में चंद अहकामः फिर फ़र्माता है कि जब तुममें से कोई अपनी बीवी को तलाक़ देना चाहे और उसकी जगह दूसरी औरत से निकाह करना चाहे तो उसे दिए हुए मुहर में से कुछ भी वापिस न ले, भले एक ख़ज़ाना का ख़ज़ाना दिया हुआ हो। सूरह आले इमरान की तफ़्सीर में क़िन्तार का पूरा बयान गुज़र चुका है इसलिए यहाँ दोबारा बयान करना ज़रूरी नहीं। इससे साबित होता है कि मुहर में बहुत सारा माल देना भी जाइज़ है। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ि.) ने पहले बहुत लम्बे चौड़े मुहर से मना फ़र्मा दिया था फिर अपने क़ौल से रुजूअ किया जैसे कि मुस्नद अहमद में है कि आपने फ़र्माया, औरतों के मुहर बाँधने में ज़्यादती न करो अगर यह दुनियावी तौर पर कोई भली चीज़ होती या अल्लाह तआला के नज़दीक यह तक़्वा की चीज़ होती तो तुम सबसे पहले उस पर अल्लाह तआला के रसूल अमल करते। हुज़ूर (ﷺ) ने अपनी किसी बीवी का या किसी बेटी का मुहर बारह ओक़िया से ज़्यादा मुक़र्रर नहीं किया (तक़रीबन सौ सवा सौ रुपया) इंसान लम्बा मुहर बाँधकर फिर मुसीबत में पड़ जाता है यहाँ तक कि धीरे-धीरे उसकी बीवी उसे बोझ मालूम होने लगती है और उसके दिल में उसकी दुश्मनी बैठ जाती है और कहने लगता है कि तूने तो मेरे कँधों पर मश्क लटका दी। (अहमदः 1/40; अबूदाऊद, किताबुन्निकाह, बाबुस्सदाक़ः 2106; वहुव हसन; तिर्मिज़ीः 1114; नसाईः 3351; इब्ने माजाः 1887) यह हदीस बहुत सी किताबों में मुख़्तलिफ़ अल्फ़ाज़ से मरवी है। एक में है कि आपने मिम्बरे नबवी पर खड़े होकर फ़र्माया कि "लोगों! तुमने क्यूँ लम्बे-चौड़े मुहर बाँधने शुरू कर दिए हैं?" रसूलुल्लाह (ﷺ) और आपके अस्हाब (रज़ि.) ने तो चार सौ दिरहम (तक़रीबन सौ रुपया) मुहर बाँधा है अगर यह ज़्यादती तक़्वा और करामत का सबब होती तो तुम उसकी तरफ़ सब्क़त न ले जाते, ख़बरदार! आज से मैं यह न सुनूँ कि किसी ने चार सौ दिरहम से ज़्यादा मुहर मुक़र्रर किया है। यह फ़र्माकर आप नीचे उतर आए तो एक क़ुरेशिया औरत सामने आईं और कहने लगीं, अमीरुल मोमिनीन! क्या आपने चार सौ दिरहम से ज़्यादा के मुहर से मना कर दिया है? आपने फ़र्माया, हाँ! कहा, क्या आपने अल्लाह तआला का कलाम जो उसने नाज़िल फ़र्माया है, नहीं सुना? कहा वह क्या? कहा, सुनिए अल्लाह तबारक व तआला फ़र्माता है (وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا) "तुमने उन्हें ख़ज़ाना दिया हो...." हज़रत उमर (रज़ि.) ने फ़र्माया, "अल्लाह मुझे माफ़ करे, उमर से तो हर शख़्स ज़्यादा समझदार है। फिर आप वापिस चले गए और उसी वक़्त मिम्बर पर खड़े होकर लोगों से फ़र्माया, ऐ लोगों! मैंने तुम्हें चार सौ दिरहम से ज़्यादा के मुहर से रोक दिया था लेकिन अब कहता हूँ जो शख़्स अपने माल में से मुहर में जितना चाहे दे, अपनी ख़ुशी से जितना मुहर मुक़र्रर करना चाहे करे, मैं नहीं रोकता। (अबूयअला, वसनदुहू ज़ईफ़) एक रिवायत में उस औरत का इस आयत को इस तरह पढ़ना मरवी है (وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا مِنْ ذَهَبٍ) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) की क़िराअत में भी इसी तरह है। और हज़रत उमर (रज़ि.) का यह फ़र्माना भी मरवी है कि एक औरत उमर (रज़ि.) पर ग़ालिब आ गई। (मुसन्नफ़ अब्दुर्रज़्ज़ाक़ः 10420; वसनदुहू ज़ईफ़) और एक रिवायत में है कि आपने फ़र्माया था गो ज़ुल ग़ुस्सा यानी यज़ीद बिन हुसैन हारसी की बेटी हो फिर भी मुहर उसका ज़्यादा मुक़र्रर न करो और अगर तुमने किया तो वह ज़्यादती की रक़म मैं बैतुलमाल में से ले लूँगा। इस पर एक लम्बे क़द चौड़ी नाक वाली औरत ने कहा कि हज़रत! आप यह हुक्म नहीं दे सकते... ।(इसकी सनद में मुस्अब बिन साबित ज़ईफ़

रावी है। (अल्मीज़ानः 4/118; रक़मः 8558) जबकि हज़रत उमर (रज़ि.) से इसका लिक़ाअ भी साबित नहीं। लिहाज़ा यह रिवायत ज़ईफ़ है।)

मुहर वापिस नहीं लिया जा सकताः फिर फ़र्माता है कि तुम अपनी बीवी के दिए हुए मुहर कैसे वापिस लौटा सकते हो? हालाँकि तुमने उससे फ़ायदा उठाया या हाजत रवाई की वह तुमसे और तुम उससे मिल गए, यानी मियाँ बीवी के ताल्लुक़ात भी क़ायम हो गए। सहीह बुख़ारी व मुस्लिम की इस हदीस में है कि जिसमें एक शख़्स का अपनी बीवी की निस्बत ज़िनाकारी करने का इल्ज़ाम हुज़ूर (ﷺ) के सामने आइद करना फिर उन दोनों की क़समें खाना और उसके बाद आप (ﷺ) का यह फ़र्माना कि "अल्लाह तआला बख़ूबी इल्म वाला है कि तुम दोनों मे से कौन झूठा है? क्या तुममें से कोई अब भी तौबा करता है?" तीन बार यह फ़र्माया, तो उस मर्द ने कहा, मैंने जो अपना माल उसके मुहर में दिया है उसकी बाबत क्या फ़र्माते हैं? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, "उसी के बदले तो यह तेरे लिए हलाल हुई थी अब अगर तूने इस पर झूठी तोहमत लगाई है तो और भी दूर की बात हो गई।" (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तलाक़, बाब सदाकुल मुलाइनाः 5311; सहीह मुस्लिमः 1493) इसी तरह एक और हदीस में है कि हज़रत नज़र (रज़ि.) ने एक कुँवारी औरत से निकाह किया, जब उससे मिले तो देखा कि उसे ज़िना का हमल है, हुज़ूर (ﷺ) से ज़िक्र किया तो आप (ﷺ) ने उसे अलग करा दिया और मुहर दिलवा दिया और उस औरत को कोड़े मारने का हुक्म दिया और फ़र्माया, "जो बच्चा होगा वह तेरा गुलाम है और मुहर तो सबब था इसकी हिल्लत का" (अबूदाऊदः किताबुन्निकाह, बाबुर्रजुल यतज़व्वजुल मरअत फ़-यजिदुहा हुब्लाः 2131; वसनदुहू ज़ईफ़) ग़र्ज़ आयत में भी मतलब यही है कि दोनों मियाँ बीवी में ख़ल्वत व सुहबत हो चुकी है, फिर मुहर वापिस लेना किया मतलब रखता है। फिर फ़र्माया कि अक़्दे निकाह जो मज़बूत अहदो पैमान है, उसमें तुम जकड़े जा चुके हो, अल्लाह का यह फ़र्मान तुम सुन चुके हो कि बसाओ तो अच्छी तरह और अलग करो तो अच्छे तरीक़े से। चुनाँचे एक हदीस में भी है कि "तुम इन औरतों को अल्लाह की अमानत से लेते हो और इनको अपने लिए अल्लाह तआला के कलिमा से हलाल करते हो" यानी ख़ुत्बा निकाह के तशहहुद से। रसूलुल्लाह (ﷺ) को मे'राज वाली रात जो बेहतरीन इन्आमात अता हुए उनमें एक यह भी था कि आप (ﷺ) से फ़र्माया गया, तेरी उम्मत का कोई ख़ुत्बा जाइज़ नहीं जब तक वह इस अम्र की गवाही न दें कि तू मेरा बन्दा और मेरा रसूल है। (इब्ने अबी हातिम) (वसनदुहू ज़ईफ़; इब्ने जुरेज मुदल्लस रावी है और उसने यह रिवायत इब्राहीम बिन अबी यहया से सुनी है और इब्राहीम मतरूक रावी है।) सहीह मुस्लिम में हज़रत जाबिर (रज़ि.) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपने हज्जतुल विदा के ख़ुत्बे में फ़र्माया है "तुमने औरतों को अल्लाह तआला की अमानत से लिया है और उन्हें अल्लाह तआला के कलिमे से अपने लिए हलाल किया है।" (सहीह मुस्लिम, किताबुल हज्ज, बाब हज्जतुन नबी (ﷺ): 1218; अबू दाऊदः 1905; इब्ने माजाः 3074)

बाप की बीवियाँ बेटे के लिए हराम हैः फिर अल्लाह तआला सौतेली माँओं की हुर्मत बयान फ़र्माता है और उनकी ताज़ीम और तौक़ीर ज़ाहिर करता है, यहाँ तक कि बाप ने किसी औरत से सिर्फ़ निकाह किया, अभी वह रुख़सत होकर भी नहीं आई जो तलाक़ हो गई या बाप मर गया वग़ैरह तो भी वह औरत उसके बेटे पर

हराम हो जाती है। इस पर इज्माअ है। हज़रत अबू क़ैस (रज़ि.) जो बड़े बुज़ुर्ग और नेक अंसारी सहाबी थे, उसके इंतिक़ाल के बाद उनके लड़के क़ैस ने उनकी बीवी से मांगा डाला जो उनकी सौतेली माँ थीं, इस पर उस बीवी साहिबा (रज़ि.) ने फ़र्माया, बेशक तू अपनी क़ौम में नेक है लेकिन मैं तो तुझे अपना बेटा शुमार करती हूँ, ख़ैर मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास जाती हूँ। यहाँ आईं और हुज़ूर (ﷺ) से सारी कैफ़ियत बयान की। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, "अपने घर लौट जाओ।" (बैहक़ीः 7/161; यह रिवायत मुर्सल यानी ज़ईफ़ है, और अश्अस बिन सव्वार और क़ेस बिन रबीअ जुम्हूर मुहद्दिसीन के नज़दीक ज़ईफ़ है। (अल्मीज़ानः 1/263; रक़मः 996, 3/393; रक़मः 6911) फिर यह आयत उतरी कि जिससे बाप ने निकाह किया उससे बेटे का निकाह हराम है। ऐसे वाक़ियात और भी उस वक़्त मौजूद थे जिन्हें इस इरादे से बाज़ रखा गया, एक तो यही अबू क़ेस वाला वाक़िया, उन बीवी साहिबा का नाम उम्मे उबेदुल्लाह ज़मुरा था। दूसरा वाक़िया ख़ल्फ़ का था, उनके घर में अबू तलहा (रज़ि.) की साहबज़ादी थीं, उनके इंतिक़ाल के बाद उसके लड़के सफ़्वान ने उसे अपने निकाह में लाना चाहा था, सुहैली कहते हैं, जाहिलियत में इस निकाह का मामूल था और इसे बाक़ायदा निकाह समझा जाता था और बिलकुल हलाल गिना जाता था, इसीलिए यहाँ भी फ़र्माया गया कि जो पहले गुज़र चुका, जैसे दो बहनों को निकाह में जमा करने की मुमानिअत को बयान फ़र्माकर भी यही कहा गया। किनाना बिन ख़ुज़ेमा ने भी यही किया था कि अपने बाप की बीवी से अपना निकाह किया था, नज़र इसी के बतन से पैदा हुआ था और रसूलुल्लाह (ﷺ) का फ़र्मान मौजूद है कि "मेरी ऊपर की नस्ल भी बाक़ायदा निकाह से ही है न कि ज़िना से।" (वसनदुहू ज़ईफ़) तो मालूम हुआ कि यह बात उनमें बराबर जारी थी और जाइज़ थी और वह उसे निकाह शुमार करते थे। हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़र्माते हैं जिन-जिन रिश्तों को अल्लाह तआला ने हराम किया है उन सबको जाहिलियत वाले भी हराम ही जानते थे सिवाए अपनी सौतेली माँ के और बहनों को एक साथ निकाह में रखने के, पस अल्लाह तआला ने अपने कलाम पाक में इन दोनों रिश्तों को भी हराम ठहरा दिया। हज़रत अता और हज़रत क़तादा (रह.) भी यही फ़र्माते हैं। याद रहे कि सुहैली ने किनाना का जो वाक़िया नक़्ल किया है वह ग़ौरतलब और क़ाबिले-नज़र है। बिलकुल सही नहीं, वल्लाहु आलम! बहरसूरत यह रिश्ता इस उम्मत वालों पर हराम है और निहायत क़बीह अम्र है। यहाँ तक कि फ़र्माया, यह निहायत फ़ुह्श और बुरा काम है और बुग़्ज़ का सबब और बुरा रास्ता है। और जगह फ़र्मान है (وَ لَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ) (6/अन्आमः 151) यानी "किसी बुराई बेहयाई और फ़ुह्श काम के क़रीब भी न जाओ, ख़्वाह वह बिलकुल ज़ाहिर हो ख़्वाह पोशीदा हो।" और फ़र्मान है (وَ لَا تَقْرَبُوا الزِّنٰىٓ) (17/इस्राः 32) "ज़िना के क़रीब न जाओ, यक़ीनन वह फ़ुह्श काम है और बुरी राह है।" यहाँ इससे भी ज़्यादा फ़र्माया कि यह काम साथ ही साथ बड़े बुग़्ज़ का है यानी फ़ी नफ़्सिही भी बड़ा बुरा काम है। इससे बाप बेटे में अदावत पड़ जाती है और दुश्मनी पैदा हो जाती है। यह ज़ाहिर है और उमूमन पाया जाता है कि जो शख़्स किसी औरत से निकाह करता है वह उसके पहले शौहर से बुग़्ज़ ही रखता है, यही वजह है कि आँहज़रत (ﷺ) की बीवियाँ उम्महातुल मोमिनीन क़रार दी गईं और उम्मत पर मिस्ल माँ के हराम की गईं। क्योंकि वह नबी(ﷺ) की बीवियाँ हैं, आप मिस्ल बाप के हैं। बल्कि इज्माअ से साबित है कि आप (ﷺ) के हक़ बाप दादों के हुक़ूक़ से भी बहुत ज़्यादा और बहुत बड़े हैं, बल्कि आप (ﷺ) की मुहब्बत ख़ुद अपनी जानों की मुहब्बत पर भी मुक़द्दम है

सलवातुल्लाहि व सलामुहू अलैहि। यह भी कहा गया है कि यह काम अल्लाह तआला के बुग़्ज़ का मौजिब है और बुरा रास्ता है अब जो ऐसा काम करे वह दीन से मुर्तद है, उसे क़त्ल कर दिया जाए और उसका माल बैतुलमाल में बतौर फ़ै के दाख़िल कर लिया जाए। सुनन और मुस्नद अहमद में मरवी है कि एक सहाबी (रज़ि.) को रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उस शख़्स की तरफ़ भेजा जिसने अपने बाप की बीवी से बाप के मरने के बाद निकाह किया था कि ''उसे क़त्ल कर डालो और उसका माल ले लो।'' (अहमदः 4/397; अबूदाऊद, किताबुल हुदूद, बाब फ़िर्रजुल यज़्नी बिहरीमिहीः 4457; वसनदुहू सहीह; तिर्मिज़ीः 1362; नसाईः 3333; इब्ने माजाः 2607) हज़रत बरा बिन आज़िब (रज़ि.) फ़र्माते हैं कि मेरे चचा हारिस बिन उमेर (रज़ि.) अपने हाथ में नबी (ﷺ) का दिया हुआ झण्डा लेकर मेरे पास से गुज़रे, मैंने पूछा कि चचा! हुज़ूर (ﷺ) ने आपको कहाँ भेजा है? फ़र्माया, उस शख़्स की तरफ़ जिसने अपने बाप की बीवी से निकाह किया है, मुझे हुक्म है कि ''मैं उसकी गर्दन मारूँ'' (मुस्नद अहमदः 4/292; वसनदुहू ज़ईफ़; इसकी सनद में लेस बिन अश्अश बिन सव्वार ज़ईफ़ रावी है। (अल्मीज़ानः 1/263; रक़मः 996)

मसलाः इस पर तो उलमा का इज्माअ है कि जिस औरत से बाप ने मुबाशिरत कर ली ख़्वाह निकाह करके ख़्वाह मिल्कियत में ला के, ख़्वाह शुबा से, वह औरत बेटे पर हराम है, हाँ! अगर जिमाअ न हुआ हो सिर्फ़ मुबाशिरत हुई हो या वह अज़्व देखे हों जिनका देखना अजनबिया होने की सूरत में हलाल न था, तो इसमें इख़्तिलाफ़ है। इमाम अहमद (रह.) तो इस सूरत में भी उस औरत को बेटे पर हराम बतलाते हैं। हाफ़िज़ इब्ने असाकिर (रह.) के इस वाक़िया से भी इस मज़हब की तक़्वियत होती है कि हज़रत ख़दीज हिम्सी (रह.) ने जो हज़रत मुआविया (रज़ि.) के मौला थे, हज़रत मुआविया (रज़ि.) के लिए एक लौण्डी ख़रीदी, जो गोरे रंग की और ख़ूबसूरत थी और बग़ैर कपड़ों के उसे उनके पास भेज दिया। उनके हाथ में एक छड़ी थी, उससे इशारा करके कहने लगे, अच्छा नफ़ा होता अगर इसके लिए अस्बाब होता, फिर कहने लगे, इसे यज़ीद बिन मुआविया के पास ले जाओ, फिर कहा, नहीं, ठहरो! रबीआ बिन अम्र हुर्सी को मेरे पास बुला लाओ। यह बड़े फ़क़ीह थे, जब आए तो हज़रत मुआविया (रज़ि.) ने उनसे यह मसला पूछा कि मैंने इस औरत के यह बदन के हिस्से देखे, यह कपड़े पहने हुए न थी, अब मैं इसे अपने लड़के यज़ीद के पास भेजना चाहता हूँ तो क्या यह उसके लिए हलाल है? हज़रत रबीआ (रह.) ने फ़र्माया, अमीरुल मोमिनीन! ऐसा न कीजिए यह उसके क़ाबिल नहीं रही। फ़र्माया, तुम ठीक कहते हो, अच्छा जाओ, अब्दुल्लाह बिन मसअदा फ़ुज़ारी को बुला लाओ। वह आए, वह गंदुमी रंग के थे, उनसे हज़रत मुआविया (रज़ि.) ने फ़र्माया, इस लौण्डी को मैं तुम्हें देता हूँ ताकि तुम्हारी औलाद सफ़ेद रंग पैदा हो। यह अब्दुल्लाह बिन मसअदा (रज़ि.) वह हैं जिन्हें रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज़रत फ़ातिमा (रज़ि.) को दिया था, आपने उन्हें पाला परवरिश की, फिर अल्लाह के नाम पर आज़ाद कर दिया, फिर यह हज़रत मुआविया (रज़ि.) के पास चले आए थे।

***

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰتُكُمْ وَبَنٰتُكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ وَعَمّٰتُكُمْ وَخٰلٰتُكُمْ وَبَنٰتُ
الْاَخِ وَبَنٰتُ الْاُخْتِ وَاُمَّهٰتُكُمُ الّٰتِيْٓ اَرْضَعْنَكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ
وَاُمَّهٰتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَآئِبُكُمُ الّٰتِيْ فِيْ حُجُوْرِكُمْ مِّنْ نِّسَآئِكُمُ الّٰتِيْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ
فَاِنْ لَّمْ تَكُوْنُوْا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۫ وَحَلَآئِلُ اَبْنَآئِكُمُ الَّذِيْنَ
مِنْ اَصْلَابِكُمْ ۙ وَاَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ
غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿۲۳﴾

तर्जुमाः "हराम की गईं तुम पर तुम्हारी माएँ और तुम्हारी लड़कियाँ और तुम्हारी बहनें और तुम्हारी फूफियाँ और तुम्हारी ख़ालायें और भाई की लड़कियाँ और बहन की लड़कियाँ और तुम्हारी वह माएँ जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया और तुम्हारी दूध शरीक बहनें और तुम्हारी सास और तुम्हारी वह परवरिश शुदा लड़कियाँ जो तुम्हारी गोदियों में हैं, तुम्हारी उन औरतों से जिनसे तुम दुख़ूल कर चुके हो, हाँ! अगर तुमने उनसे जिमाअ न किया हो तो तुम पर कोई गुनाह नहीं। और तुम्हारे सुल्बी सगे बेटों की बीवियाँ और तुम्हारा दो बहनों का जमा करना, हाँ! जो गुज़र चुका सो गुज़र चुका, यक़ीनन अल्लाह तआला बख़्शने वाला मेहरबान है।" (23)

वह औरतें जिनसे निकाह हराम है (आयत 23): नसबी रज़ाई और ससुराली रिश्ते से जो औरतें मर्द पर हराम हैं, उनका बयान इस आयते करीमा में हो रहा है। हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़र्माते हैं, सात औरतें बवजह नसब के हराम हैं और सात बवजह ससुराल के फिर आपने इस आयत की तिलावत की। बहन की लड़कियों तक तो नसबी रिश्ते हैं। (तब्रीः 8/142) जुम्हूर उलमा-ए-किराम ने इस आयत से इस्तिदलाल किया है कि ज़िना से जो लड़की पैदा हुई हो वह भी उस ज़ानी पर हराम है क्योंकि यह भी बेटी है और बेटियाँ हराम हैं। यही मज़हब अबू हनीफ़ा, मालिक और अहमद बिन हंबल (रह.) का है। इमाम शाफ़ेई (रह.) से कुछ इसकी इबाहत में भी हिकायत किया गया है इसलिए कि शरअन यह बेटी नहीं, पस जैसे कि वर्से के बारे में यह बेटी के हुक्म में शामिल न होकर वर्सा नहीं पाती, इसी तरह इस आयत की हुर्मत में भी वह दाख़िल नहीं है, वल्लाहु आलम! (सहीह मज़हब वही है जिस पर जुम्हूर हैं, मुतर्जिम) फिर फ़र्माता है कि जिस तरह तुम पर तुम्हारी सगी माँ हराम है इसी तरह रज़ाई माँ भी हराम है। सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में है कि "रज़ाअत भी उसे

हराम करती है जिसे विलादत हराम करती है। सहीह मुस्लिम में है कि रज़ाअत से भी वह हराम है जो नसब से हराम है।'' (सहीह बुख़ारी, किताबुश्शहादात, बाबुश्शहादत अलल अंसाब ...: 2646; सहीह मुस्लिमः 1444, 1447) कुछ फ़ुक़्हा ने उसमें से चार सूरतें और कुछ ने छः सूरतें मख़्सूस की हैं जो अहकाम के फ़ुरूअ की किताबों में हैं, लेकिन तहक़ीक़ी बात यह है कि उसमें से कुछ भी मख़्सूस नहीं इसलिए कि इसी की मिस्ल कुछ सूरतें नसब में भी पायी जाती हैं और इन सूरतों में कुछ सिर्फ़ ससुराली रिश्ता की वजह से हराम हैं पस हदीस पर कुछ एतिराज़ नहीं पड़ता, वल्हम्दु लिल्लाह!

कितनी मिक़्दार से रज़ाअत साबित होती है और मुद्दते रज़ाअत का बयानः अइम्मा का इसमें भी इख़्तिलाफ़ है कि कितनी मर्तबा दूध पीने से हुर्मत साबित होती है। कुछ तो कहते हैं कि तादाद मुअय्यन नहीं, दूध पीते ही हुर्मत साबित हो गई। इमाम मालिक (रह.) यही फ़र्माते हैं। इब्ने उमर (रज़ि.), सईद बिन मुसय्यिब, उर्वा बिन जुबेर और ज़ोहरी (रह.) का क़ौल भी यही है। दलील यह है कि रज़ाअत यहाँ आम है। कुछ कहते हैं, तीन मर्तबा जब पिये तो हुर्मत साबित हो गई। जैसे कि सहीह मुस्लिम में है कि हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, ''एक मर्तबा का चूसना या दो मर्तबा का पी लेना हराम नहीं करता।'' (सहीह मुस्लिम, किताबुर्रज़ाअत, बाब फ़िल मस्सति वल मस्सतानः 1450; मिन तरीक़िन आख़र अन आइशा (रज़ि.); अबू दाऊदः 2063; तिर्मिज़ीः 1150; नसाईः 3314; इब्ने माजाः 1941) यह हदीस मुख़्तलिफ़ अल्फ़ाज़ से मरवी है। इमाम अहमद, इस्हाक़ बिन राहवे, अबू उबेदा, अबू सौर (रह.) भी यही फ़र्माते हैं। हज़रत अली (रज़ि.), हज़रत आइशा (रज़ि.), हज़रत उम्मे फ़ज़ल, हज़रत इब्ने जुबेर, सुलेमान बिन यसार, सईद बिन जुबेर (रहि.) से भी यही मरवी है।

कुछ कहते हैं कि पाँच मर्तबा के दूध पीने से हुर्मत साबित होती है इससे कम में नहीं। इसकी दलील सहीह मुस्लिम में यह रिवायत है कि हज़रत आइशा सिद्दीक़ा (रज़ि.) फ़र्माती हैं कि पहले क़ुरआन में दस मर्तबा के दूध पिलाने पर हुर्मत का हुक्म उतरा था फिर वह मंसूख़ है कि उनको हुज़ूर (ﷺ) के फ़ौत होने तक वह क़ुरआन में पढ़ा जाता रहा। (सहीह मुस्लिम, किताबुर्रज़ाइ, बाब तहरीमु बिख़म्सि रज़्आतः 1452; अबूदाऊदः 2062; तिर्मिज़ीः 1150; नसाईः 3309) दूसरी दलील सहला बिन्ते सुहैल (रहि.) की रिवायत में है कि इनको रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हुक्म दिया कि हज़रत सालिम (रज़ि.) को जो हज़रत अबू हुज़ेफ़ा (रज़ि.) के मौला थे पाँच मर्तबा दूध पिलाए। हज़रत आइशा (रज़ि.) इसी हदीस के मुताबिक़ जो औरत किसी का आना जाना पसंद करती, उसे यही हुक्म देतीं। (सहीह मुस्लिम, किताबुर्रज़ाइ, बाब रज़ाअतुल कबीरः 1453; नसाईः 3321; इब्ने माजाः 1943) इमाम शाफ़ेई (रह.) और उनके अस्हाब का भी यही फ़र्मान है कि पाँच मर्तबा दूध पीना मुअतबर है (मुतर्जिम की तहक़ीक़ में भी राजेह क़ौल यही है, वल्लाहु आलम) यह भी याद रहे कि जुम्हूर का मज़हब यह है कि यह रज़ाअत दूध छुटने से पहले यानी दो साल के अंदर-अंदर की उम्र में हो, इसका मुफ़स्सल बयान आयत (حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ) की तफ़्सीर में सूरह बक़रा में गुज़र चुका है। फिर इसमें भी इख़्तिलाफ़ है कि इस रज़ाअत का असर रज़ाई माँ के शौहर तक भी पहुँचेगा या नहीं? तो जुम्हूर का और चारों इमामों का फ़र्मान तो यह है कि पहुँचेगा, और कुछ सल्फ़ का क़ौल है कि सिर्फ़ दूध पिलाने वाली

तक ही रहेगा और रज़ाई बाप तक नहीं पहुँचेगा। इसकी तफ़्सील की जगह अहकाम की बड़ी बड़ी किताबें हैं न कि तफ़्सीर। (सहीह क़ौल जुम्हूर का है, वल्लाहु आलम! मुतर्जिम)

फिर फ़र्माता है कि सास हराम है। जिस लड़की से निकाह हो, निकाह की वजह से उसकी माँ उस पर हराम हो गई, ख़्वाह सोहबत करे या न करे। हाँ! जिस औरत के साथ निकाह करता है और उसकी लड़की उसके अगले शौहर से उसके साथ हो तो अगर उससे सोहबत की तो वह लड़की हराम हो गई, अगर मुजामिअत से पहले ही उस औरत को तलाक़ दे दी तो वह लड़की उस पर हराम नहीं, इसीलिए इस आयत में यह क़ैद लगाई। कुछ लोगों ने ज़मीर को सास और उन परवरिश की हुई लड़कियों दोनों की तरफ़ लौटाया है, वह कहते हैं कि सास भी उस वक़्त हराम होती है जब उसकी लड़की से उसके दामाद ने ख़ल्वत की, वरना नहीं। सिर्फ़ अक़्द से न तो औरत की माँ हराम हुई, न औरत की बेटी। हज़रत अली (रज़ि.) फ़र्माते हैं कि जिस शख़्स ने किसी लड़की से निकाह किया, फिर दुख़ूल से पहले ही तलाक़ दे दी तो वह उसकी माँ से निकाह कर सकता है जबकि रबीबा लड़की से उसकी माँ को उसी तरह की तलाक़ देने के बाद निकाह कर सकता है। हज़रत ज़ेद बिन साबित (रज़ि.) से भी यही मन्क़ूल है। एक और रिवायत में है कि आपसे मरवी है कि आप फ़र्माते थे ''जब वह औरत ग़ैर मदख़ूला मर जाए और यह शौहर उसकी मीरास ले तो फिर उसकी माँ को लाना मकरूह है अगर दुख़ूल से पहले तलाक़ हो गई है तो अगर चाहे कर सकता है।'' हज़रत बक्र बिन किनाना (रह.) फ़र्माते हैं कि मेरा निकाह मेरे बाप ने ताइफ़ की एक औरत से कराया, अभी रुख़्सती नहीं हुई थी कि उसका बाप मेरा चचा फ़ौत हो गया, उसकी बीवी यानी मेरी सास बग़ैर शौहर रह गई और थीं वह बहुत मालदार, तो मेरे बाप ने मुझे मश्वरा दिया कि मैं उसकी लड़की को छोड़ दूँ और उससे निकाह कर लूँ, मैंने हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से यह मसला पूछा तो आपने फ़र्माया, तुम्हारे लिए यह जाइज़ है, फिर मैंने हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से पूछा तो उन्होंने फ़र्माया, यह जाइज़ नहीं। मैंने अपने वालिद से ज़िक्र किया, उन्होंने हज़रत मुआविया (रज़ि.) को लिखा और उन दोनों बुज़ुर्गों के फ़त्वे भी लिखे। इसके जवाब में हज़रत मुआविया (रज़ि.) ने तहरीर फ़र्माया कि मैं न तो हराम को हलाल करूँ, न हलाल को हराम, तुम जानो और तुम्हारा काम, तुम हालत देख रहे हो, मामला के तमाम पहलू तुम्हारी नज़रों के सामने हैं, इसके सिवा भी औरतें बहुत हैं। ग़र्ज़ न इजाज़त दी, न इंकार किया। चुनाँचे मेरे बाप ने अपना ख़्याल उसकी माँ की तरफ़ से हटा लिया और मेरा निकाह फिर उससे न कराया।

हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबेर (रज़ि.) फ़र्माते हैं कि औरत की लड़की और औरत की माँ का हुक्म एक ही है अगर औरत से दुख़ूल न किया हो तो यह दोनों हलाल हैं। लेकिन इसकी इस्नाद में मुब्हम रावी है। हज़रत मुजाहिद (रह.) का भी यही क़ौल है, इब्ने ज़ुबेर और हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) भी इसी तरफ़ गए हैं, हज़रत मुआविया (रज़ि.) ने इसमें तवक़्क़ुफ़ (ख़ामोशी) फ़र्माया है, शाफ़ेईयों में से अबुल हसन, अहमद बिन मुहम्मद साबूनी से भी बक़ौल राफ़ई यही मरवी है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) से भी इसी के मिस्ल मरवी है लेकिन फिर आपने अपने इस क़ौल से रुजूअ कर लिया है। तबरानी में है कि क़बीला फ़ुज़ारा की शाख़ क़बीला बनू कमिख़ के एक शख़्स ने एक औरत से निकाह किया, फिर उसकी बेवा माँ के हुस्न की तरफ़

तबीयत झुकी तो हज़रत इब्ने मसऊद (रज़ि.) से मसला पूछा कि क्या मुझे उसकी माँ से निकाह करना जाइज़ है? आपने फ़र्माया, हाँ! चुनाँचे उसने उस लड़की को तलाक़ देकर उसकी माँ से निकाह कर लिया, उससे औलाद भी हुई, फिर हज़रत इब्ने मसऊद (रज़ि.) मदीना तय्यिबा आए और इस मसला की तहक़ीक़ की तो मालूम हुआ कि यह हलाल नहीं। चुनाँचे आप वापिस कूफ़ा गए और उससे कहा कि उस औरत को अलग कर दे, यह तुझ पर हराम है। उसने इस फ़र्मान को मान लिया और उसे अलग कर दिया। जुम्हूर उलमा इस तरफ़ हैं कि लड़की तो सिर्फ़ अक़्दे-निकाह से हराम नहीं होती, उस वक़्त तक कि उसकी माँ से मुबाशिरत न की हो, हाँ! माँ सिर्फ़ लड़की के अक़्दे निकाह होते ही हराम हो जाती है गो मुबाशिरत न हुई हो।

हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़र्माते हैं कि जब कोई शख़्स अपनी बीवी को दुख़ूल से पहले तलाक़ दे दे या वह औरत मर जाए तो उसकी माँ उस पर हलाल नहीं चूँकि यह मुब्हम है इसलिए इसे नापसंद फ़र्माया। (वसनदुहू ज़ईफ़) हज़रत इब्ने मसऊद (रज़ि.), इमरान बिन हुसेन (रज़ि.), मसरूक़, ताउस, इक्रिमा, अता, हसन, मक्हूल, इब्ने सीरीन, क़तादा और ज़ोहरी (रहि.) से भी इसी तरह मरवी है, चारों इमामों, सातों फ़ुक़्हा और जुम्हूर उलमाएसल्फ़ व ख़ल्फ़ का यही मज़हब है, वल्हम्दु लिल्लाह! इमाम इब्ने जुरेज (रह.) फ़र्माते हैं ठीक क़ौल उन ही हज़रात का है जो इसको दोनों सूरतों में हराम बतलाते हैं इसलिए कि अल्लाह तआला ने इनकी हुर्मत के साथ दुख़ूल की शर्त नहीं लगाई जैसे कि लड़की की माँ के लिए यह शर्त लगाई है, फिर इस पर इज्माअ है, जो ऐसी दलील है कि इसका ख़िलाफ़ करना उस वक़्त जाइज़ ही नहीं जबकि इस पर इत्तिफ़ाक़ हो। और एक ग़रीब हदीस में यह भी मरवी है गो इसकी सनद में कलाम है कि हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, जबकि कोई मर्द किसी औरत से निकाह करे, उसे उसकी माँ से निकाह करना हलाल नहीं, उस लड़की से मिल लिया हो तो भी और न मिला हो तो भी, हाँ! जिस औरत से निकाह किया है फिर मिलने से पहले ही उसे तलाक़ दे दी है तो अगर चाहे उसकी लड़की से निकाह कर सकता है। (तब्रीः 8957; वसनदुहू ज़ईफ़) गो इस हदीस की सनद कमज़ोर है लेकिन इस मसला पर इज्माअ हो चुका है जो इसकी सेहत पर ऐसा गवाह है जिसके बाद दूसरी गवाही की ज़रूरत नहीं (ठीक मसला यही है, वल्लाहु आलम, मुतर्जिम)

फिर फ़र्माता है, तुम्हारी परवरिश की हुई वह लड़कियाँ जो तुम्हारी गोद में हों, यह भी तुम पर हराम हैं बशर्ते कि तुमने अपनी उन सौतेली लड़कियों की माँ से सोहबत की हो। जुम्हूर का फ़र्मान है कि ख़्वाह गोद में पली हों या न पली हों, हराम हैं। चूँकि उमूमन ऐसी लड़कियाँ अपनी माँ के साथ ही होती हैं और अपने सौतेले बापों के यहाँ ही परवरिश पाती हैं, इसलिए यह कह दिया गया है कि यह कोई क़ैद नहीं, जैसे इस आयत में है (وَلَا تُكْرِهُوْا فَتَيٰتِكُمْ عَلَى الْبِغَآءِ اِنْ اَرَدْنَ تَحَصُّنًا) (24/नूरः 33) यानी तुम्हारी लौण्डियाँ अगर पाकदामन रहना चाहती हों तो तुम उन्हें बदकारी पर बेबस न करो। यहाँ भी यह क़ैद कि अगर वह पाकदामन रहना चाहें सिर्फ़ बाएतिबार वाक़िया के ग़ल्बा के है यह नहीं कि अगर वह ख़ुद ऐसी न हों तो उन्हें बदकारी पर आमादा करो। इसी तरह इस आयत में है कि गोद में भले न हों फिर भी हराम हैं।

सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में है कि हज़रत उम्मे हबीबा (रज़ि.) ने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! आप मेरी बहन अबू सुफ़ियान की लड़की ग़ज़्ज़ा से निकाह कर लीजिए। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, "क्या तुम यह

चाहती हो?'' माई साहिबा (रज़ि.) ने कहा, हाँ! मैं आप (ﷺ) को तो ख़ाली तो रख नहीं सकती फिर मैं इस भलाई में अपनी बहन को ही क्यूँ न शामिल करूँ? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ''सुनो! वह मुझ पर ह़लाल नहीं।'' उम्मुल मोमिनीन (रज़ि.) ने कहा, हम तो सुनती हैं, आप अबू सलमा (रज़ि.) की बेटी से निकाह़ करना चाहते हैं। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ''उनकी बेटी जो उम्मे सलमा (रज़ि.) से है?'' कहा, हाँ! फ़र्माया, ''सुनो! पहले तो मुझ पर इस वजह से ह़राम है कि वह मेरी रबीबा है जो मेरे यहाँ परवरिश पा रही है, दूसरे यह कि अगर ऐसा न होता तो भी वह मुझ पर ह़राम थीं इसलिए कि वह मेरे दूध भाई की बेटी मेरी भतीजी हैं, मुझे और उसके बाप अबू सलमा को सोयेबा ने दूध पिलाया है। ख़बरदार! अपनी बेटियाँ और अपनी बहनें मुझ पर पेश न करो।'' (सह़ीह़ बुख़ारी, किताबुन्निकाह़ः 5101; सह़ीह़ मुस्लिमः 1449) बुख़ारी की रिवायत में यह अल्फ़ाज़ हैं अगर मेरा निकाह़ उम्मे सलमा (रज़ि.) से न हुआ होता तो भी वह मुझ पर ह़लाल न थीं। (सह़ीह़ बुख़ारी, किताबुन्निकाह़, बाब अर्ज़ल इंसान इब्नतहू...: 5123) पस हुर्मत की असल सिर्फ़ निकाह़ को आप (ﷺ) ने क़रार दिया, यही मज़हब चारों इमामों, सातों फ़क़ीहों, और जुम्हूर सल्फ़ व ख़ल्फ़ (रह़.) का है। ये भी कहा गया है कि अगर वह उसके यहाँ परवरिश पाती हो तो ह़राम है वरना नहीं।

ह़ज़रत मालिक बिन औस बिन ह़दसान (रह़.) फ़र्माते हैं कि मेरी बीवी औलाद छोड़कर मर गईं, मुझे उनसे बहुत मुह़ब्बत थी, इस वजह से उनकी मौत का मुझे बड़ा सदमा हुआ, ह़ज़रत अ़ली (रज़ि.) से मेरी इत्तिफ़ाक़िया मुलाक़ात हुई तो आपने मुझे मग़मूम पा कर पूछा कि क्या बात है? मैंने वाक़िया सुनाया तो आपने फ़र्माया, तुझसे अगले शौहर से भी उसकी कोई औलाद है? मैंने कहा, हाँ! एक लड़की है और वह त़ाइफ़ में रहती है। फ़र्माया, फिर उसे निकाह़ कर लो। मैंने कुरआने करीम की यह आयत पढ़ी कि फिर इसका क्या मत़लब होगा? आपने फ़र्माया, यह तो उस वक़्त है जबकि उसने तेरे यहाँ परवरिश पाई हो और वह तो बक़ौल तेरे त़ाइफ़ में है, तेरे पास है ही नहीं। (इब्ने अबी ह़ातिम, वसनदुहू सह़ीह़) गो इसकी इस्नाद सह़ीह़ है लेकिन यह क़ौल बिलकुल ग़रीब है। दाऊद बिन अ़ली ज़ाहिरी (रह़.) और उसके अस्ह़ाब भी इसी त़रफ़ गए हैं, राफ़ई (रह़.) ने ह़ज़रत इमाम मालिक (रह़.) का भी यही क़ौल बतलाया है, इब्ने ह़ज़म ने भी इसी को इख़्तियार किया है, हमारे शैख़ ह़ाफ़िज़ अबू अ़ब्दुल्लाह ज़हबी (रह़.) ने हमसे कहा कि मैंने यह बात शैख़ इमाम तक़ियुद्दीन इब्ने तैमिया (रह़.) के सामने पेश की तो आप (रह़.) ने इसे बहुत मुश्किल मह़सूस किया और तवक़्क़ुफ़ फ़र्माया, वल्लाहु आलम! हुजूर से मुराद घर है जैसे कि ह़ज़रत अबू उ़बेदा (रह़.) से मरवी है यहाँ जो लौण्डी मिल्कियत में हो और उसके साथ उसकी लड़की हो उसके बारे में ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) से सवाल हुआ कि एक के बाद दूसरी जाइज़ होगी या नहीं ? तो आपने फ़र्माया, मैं इसे पसंद नहीं करता। इसकी सनद मुन्क़त़अ़ है। ह़ज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने ऐसे ही सवाल के जवाब में फ़र्माया है, एक आयत से यह ह़लाल मालूम होती है, दूसरी आयत से ह़राम इसलिए मैं तो इसे हर्गिज़ न करूँ। शैख़ अबू उ़मर बिन अ़ब्दुल्लाह (रह़.) फ़र्माते हैं कि उ़लमा में इस मसला में कोई ख़िलाफ़ नहीं कि किसी को ह़लाल नहीं कि किसी औरत से उसकी मिल्कियत की वजह से वत़ी करे फिर उसकी लड़की से भी उसी मिल्कियत की वजह से वत़ी करे, इसलिए कि अल्लाह तआ़ला ने उसे निकाह़ में भी ह़राम क़रार दिया है। यह आयत मुलाह़िज़ा हो और उ़लमा के नज़दीक

अह्काम निकाह के ताबेअ़ है मगर जो रिवायत ह़ज़रत ड़मर और ह़ज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) से की जाती है। लेकिन अइम्मा फ़त्वा और उनके मुत्तबेईन में से कोई भी इस पर नहीं।

ह़ज़रत क़तादा (रह़.) फ़र्माते हैं, रबीबा की लड़की और उस लड़की की लड़की इस त़रह़ है जिस क़द्र नीचे यह रिश्ता चला जाए, सब ह़राम हैं। ह़ज़रत अबुल आ़लिया (रह़.) से भी इसी त़रह़ बरिवायत क़तादा (रह़.) मरवी है (دَخَلْتُمْ بِهِنَّ) से मुराद ह़ज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) तो फ़र्माते हैं उनसे निकाह़ करना है, ह़ज़रत अ़ता (रह़.) फ़र्माते हैं कि वह रुख़्सत कर दी जाए कपड़ा हटा दिया जाए, छेड़ हो जाए और इरादे से मर्द बैठ जाए। इब्ने जुरैज (रह़.) ने सवाल किया कि अगर यह काम औ़रत ही के घर में हुआ हो। फ़र्माया, वहाँ यहाँ दोनों का हुक्म एक ही है ऐसा अगर हो गया तो उसकी लड़की उस पर ह़राम हो गई। (त़बरीः 8/148) इमाम इब्ने जरीर (रह़.) फ़र्माते हैं कि सिर्फ़ ख़ल्वत और तंहाई हो जाने से उसकी लड़की की हुर्मत साबित नहीं होती, अगर मुबाशिरत करने और हाथ लगाने और शहवत से उसके ह़िस्से की त़रफ़ देखने से पहले ही त़लाक़ दे दी है तो तमाम के इज्माअ़ से यह बात साबित होती है कि लड़की उस पर ह़राम न होगी, उस वक़्त तक कि जिमाअ़ न हुआ हो।

सुल्बी और रज़ाई बेटों की बीवियाँ ह़राम जबकि गोद लिए हुए बेटों की बीवियाँ ह़लाल हैं: फिर फ़र्माया, तुम्हारी बहूएँ भी तुम पर ह़राम हैं जो तुम्हारी अपनी औलाद की बीवियाँ हों यानी गोद लिए लड़कों की बीवियाँ ह़राम नहीं, हाँ! सगे लड़के की बीवी यानी बहू अपने ससुर पर ह़राम है, जैसे और जगह है (فَلَمَّا قَضٰى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنٰكَهَا لِكَيْ لَا يَكُوْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ حَرَجٌ فِيْٓ اَزْوَاجِ اَدْعِيَاۗىِٕهِمْ) यानी जब ज़ेद ने उससे अपनी ह़ाजत पूरी कर ली तो हमने उसे तेरे निकाह़ में दे दिया ताकि मोमिनों पर उनके गोद लिए हुए लड़कों की बीवियों के बारे में कोई तंगी न रहे। ह़ज़रत अ़ता (रह़.) फ़र्माते हैं कि हम सुना करते थे कि जब आँह़ज़रत (ﷺ) ने ह़ज़रत ज़ेद (रज़ि.) की बीवी से निकाह़ किया तो मक्का के मुश्रिकों ने कायें कायें शुरू कर दी। इस पर यह आयत और आयत (وَمَا جَعَلَ اَدْعِيَاۗءَكُمْ اَبْنَاۗءَكُمْ) (33/अह़ज़ाबः 4) और आयत (مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ) (33/अह़ज़ाबः 40) यानी बेशक सुल्बी लड़के की बीवी ह़राम है तुम्हारे गोद लिए लड़के शरअ़न तुम्हारी औलाद के हुक्म में नहीं। आँह़ज़रत (ﷺ) तुममें से किसी मर्द के बाप नहीं, ह़सन बिन मुह़म्मद (रह़.) फ़र्माते हैं कि यह आयतें मुब्हम हैं, जैसे तुम्हारे लड़कों की बीवियाँ तुम्हारी सासें, ह़ज़रत त़ाउस, इब्राहीम, ज़ोहरी, और मक्ह़ूल (रह़.) से भी इसी त़रह़ मरवी है। मैं कहता हूँ मुब्हम से मुराद आ़म हैं यानी मदख़ूल बिहा और ग़ैर मदख़ूल दोनों को शामिल हैं, सिर्फ़ निकाह़ करते ही हुर्मत साबित हो जाती है, ख़्वाह सोह़बत हुई हो या न हुई हो, इस मसला पर इत्तिफ़ाक़ है।

अगर कोई शख़्स सवाल करे कि रज़ाई बेटे की बीवी की हुर्मत कैसे साबित होगी क्योंकि आयत में तो सुल्बी बेटे का ज़िक्र है तो जवाब है कि वह हुर्मत आँह़ज़रत (ﷺ) की इस ह़दीस से साबित है कि आप (ﷺ) ने फ़र्माया, रज़ाअ़त से वह ह़राम है। (स़ह़ीह़ बुख़ारी, किताबुश्शहादात, बाबुश्शहादत अ़लल अंसाबः 2646; स़ह़ीह़ मुस्लिमः 1414) जो नसब से ह़राम है। जुम्हूर का मज़हब यही है कि रज़ाई बेटे की बीवी भी ह़राम है, कुछ लोगों ने तो इस पर इज्माअ़ नक़्ल किया है।

दो बहनों को एक निकाह में रखना हराम है: फिर फ़र्माता है कि दो बहनों का निकाह में जमा करना भी तुम पर हराम है। इसी तरह मिल्कियत की लौण्डियों का हुक्म है कि दो बहनों से एक ही वक़्त वती हराम है, मगर जाहिलियत के ज़माने में जो हो चुका, उससे हम दरगुज़र करते हैं, पस मालूम हुआ कि अब यह काम आइन्दा किसी वक़्त जाइज़ नहीं, जैसे और जगह है (لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَىٰ) (44/दुख़ानः 56) यानी वहाँ मौत न पायेंगे, हाँ! पहली मौत जो आई थी वह आ चुकी। तो मालूम हुआ कि अब आइन्दा कभी मौत नहीं आएगी। सहाबा (रज़ि.) ताबेईन अइम्मा और सल्फ़ व ख़ल्फ़ के उलमा-ए-किराम (रह.) का इज्माअ है कि दो बहनों से एक साथ निकाह करना हराम है, और जो शख़्स मुसलमान हो और उसके निकाह में दो बहनें हों तो उसे इख़्तियार दिया जाएगा कि एक को रख ले और दूसरी को तलाक़ दे दे और यह उसे करना ही पड़ेगा। हज़रत फ़ीरोज़ (रज़ि.) फ़र्माते हैं, मैं जब मुसलमान हुआ तो मेरे निकाह में दो औरतें थीं जो आपस में बहनें थीं, पस आँहज़रत (ﷺ) ने मुझे हुक्म दिया कि "उनमें से एक को तलाक़ दे दूँ।" (मुस्नद अहमद) इब्ने माजा, अबूदाऊद, तिर्मिज़ी में भी यह हदीस है। (मुस्नद अहमदः 4/232; अबूदाऊद, किताबुत्तलाक़, बाब फ़ीमन असलम व इन्दहू निसाउन अकसर ***: 2243; वसनदुहू ज़ईफ़; तिर्मिज़ीः 1129; इब्ने माजाः 1951) तिर्मिज़ी में यह भी है कि हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, "उनमें से जिसे चाहो एक को रख लो और एक को तलाक़ दे दो।" इमाम तिर्मिज़ी (रह.) इसे हसन कहते हैं। इब्ने माजा में अबू ख़राश से ऐसा वाक़िया भी मज़्कूर है। (इब्ने माजा, किताबुन्निकाह, बाबुर्रजुल युस्लिमु...: 1950; वहुव हसन बिश्शवाहिद) मुम्किन है कि ज़ह्हाक बिन फ़ीरोज़ की कुन्नियत अबू ख़राश हो और यह वाक़िया एक ही हो और इसके ख़िलाफ़ भी मुम्किन है।

हज़रत दैलमी (रह.) ने रसूले मक़्बूल (ﷺ) से अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! मेरे निकाह में दो बहनें हैं, आप (ﷺ) ने फ़र्माया, उनमें से जिसे चाहो एक को तलाक़ दे दो (इब्ने मर्दवे) पस दैलमी से मुराद फ़ीरोज़ हैं। यह यमन के उन सरदारों में से थे जिन्होंने अस्वद अनसी मुतनब्बी मल्ऊन को क़त्ल किया।

ऐसी दो लौण्डियों से एक वक़्त में जिमाअ करना जो आपस में बहनें हों: दो लौण्डियों को जो आपस में बहनें हों, एक साथ जमा करके उनसे वती करना भी हराम है, इसकी दलील इस आयत का उमूम है जो बीवियों और लौण्डियों को शामिल है। हज़रत इब्ने मसऊद (रज़ि.) से इसका सवाल हुआ तो आपने मकरूह बतलाया। साइल ने कहा, कुरआन में जो है (إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) यानी मगर वह जिनके मालिक तुम्हारे दायें हाथ हैं, इस पर हज़रत इब्ने मसऊद (रज़ि.) ने फ़र्माया, तेरा ऊँट भी तो तेरे दाहिने हाथ की मिल्कियत में है। जुम्हूर का क़ौल भी यही मशहूर है और चारों इमाम वग़ैरह भी यही फ़र्माते हैं, भले कुछ सल्फ़ ने इस मसला में तवक़्क़ुफ़ किया है। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान (रज़ि.) से जब यह मसला पूछा गया तो आपने फ़र्माया, एक आयत इसे हलाल करती है दूसरी हराम, मैं तो इससे मना नहीं करता। सवाल पूछने वाला वहाँ से निकला तो रास्ते में एक सहाबी (रज़ि.) से मुलाक़ात हो गई, उसने उनसे भी यही सवाल किया, उन्होंने फ़र्माया कि, अगर मुझे कुछ इख़्तियार होता तो मैं ऐसा करने वाले को इब्रतनाक सज़ा देता। हज़रत इमाम मालिक (रह.) फ़र्माते हैं कि मेरा गुमान है कि यह फ़र्माने वाले ग़ालिबन हज़रत अली (रज़ि.) थे। हज़रत जुबेर बिन अवाम (रज़ि.) से भी इसी जैसी रिवायत मरवी है। (मुअत्ता इमाम मालिक, किताबुन्निकाह, बाब मा जाअ फ़ी

कराहियति इस्राबतिल उख़्तैनः 34, 35; वहुव सहीहुन) इस्तिज़्कार इब्ने अ़ब्दुल बर में है कि इस वाक़िया के रावी क़ुबैसा बिन ज़ुवैब ने हज़रत अ़ली (रज़ि.) का नाम इसलिए नहीं लिया कि वह अ़ब्दुल मलिक बिन मरवान का मुसाहिब था और उन लोगों पर आपका नाम भारी पड़ता था। हज़रत इलयास बिन आमिर कहते हैं कि हज़रत अ़ली (रज़ि.) बिन अबी तालिब से सवाल किया कि मेरी मिल्कियत में दो लौण्डियाँ हैं, दोनों आपस में बहनें हैं, एक से मैंने ताल्लुक़ात क़ायम कर रखे हैं और मेरे यहाँ उससे औलाद भी हुई है, अब मेरा जी चाहता है कि उसकी बहन से जो मेरी लौण्डी है, अपने ताल्लुक़ात क़ायम करूँ तो फ़र्माएँ, शरीअ़त का इसमें क्या हुक्म है? आप (रज़ि.) ने फ़र्माया, पहली लौण्डी को आज़ाद करके फिर उसकी बहन से यह ताल्लुक़ात क़ायम कर सकते हो। उसने कहा और लोग तो कहते हैं कि मैं उसका निकाह करा दूँ, फिर उसकी बहन से मिल सकता हूँ। हज़रत अ़ली (रज़ि.) ने फ़र्माया, देखो! इस सूरत मे भी ख़राबी है वह यह कि अगर उसका शौहर उसे तलाक़ दे दे या इंतिक़ाल कर जाए तो वह लौटकर तुम्हारी तरफ़ आ जाएगी, उसे तो आज़ाद कर देने में ही सलामती है, फिर आपने मेरा हाथ पकड़कर फ़र्माया, सुनो! आज़ाद औरतों और लौण्डियों में कोई तादाद की क़ैद नहीं, और दूध पिलाई के रिश्ते से भी वह तमाम औरतें उस रिश्ते की हराम हो जाती हैं जो नस्ल और नसब की वजह से हराम हैं (इसके बाद तफ़्सीर इब्ने कसीर के असल अरबी नुस्ख़े में कुछ इबारत छूटी हुई है बज़ाहिर ऐसा मालूम होता है कि वह इबारत यूँ होगी कि यह रिवायत ऐसी है कि अगर कोई शख़्स मश्रिक़ से या मग़्रिब से सिर्फ़ इस रिवायत को सुनने के लिए सफ़र करके आए और सुनके जाए तो भी उसका सफ़र उसके लिए सूदमंद रहेगा और उसने गोया बहुत सस्ते दामों में बहुत कीमती चीज़ हासिल की, वल्लाहु आलम! मुतर्जिम)

यह याद रहे कि हज़रत अ़ली (रज़ि.) से भी इसी तरह मरवी है जिस तरह हज़रत उ़स्मान (रज़ि.) से मरवी है। चुनाँचे इब्ने मर्दवे में है कि आपने फ़र्माया, दो लौण्डियों को जो आपस में बहनें हों, एक ही वक़्त जमा करके उनसे मुबाशिरत करना एक आयत से हराम साबित होता है और दूसरी से हलाल। हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) फ़र्माते हैं लौण्डियाँ मुझ पर मेरी क़राबत की वजह से जो उनसे है कुछ और लौण्डियायें को हराम कर देती हैं लेकिन उनके ख़ुद आपस में जो क़राबत हो उससे मुझ पर हराम नहीं करतीं, जाहिलियत वाले भी उन औरतों को हराम समझते थे जिन्हें तुम हराम समझते हो मगर अपने बाप की बीवी को यानी जो उनकी सगी माँ न हो और दो बहनों को एक साथ एक वक़्त में निकाह में जमा फ़र्माया कि जो निकाह हो चुके वह हो चुके। हज़रत इब्ने मसऊ़द (रज़ि.) फ़र्माते हैं कि जो आज़ाद औरतें हराम हैं वही लौण्डियाँ भी हराम हैं। हाँ! अ़दद में हुक्म एक नहीं यानी आज़ाद औरतें चार से ज़्यादा जमा नहीं कर सकते, लौण्डियों के लिए यह हद नहीं। हज़रत शअ़बी (रह.) भी यही फ़र्माते हैं, अबू उ़मर (रह.) फ़र्माते हैं कि हज़रत उ़स्मान (रज़ि.) ने इस बारे में जो फ़र्माया है वह सल्फ़ की एक जमाअ़त भी कहती है जिनमें से हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) भी हैं लेकिन पहले तो इसकी नक़्ल में ख़ुद इन्हीं हज़रात से बहुत कुछ इख़्तिलाफ़ है। दूसरे यह कि इस क़ौल की तरफ़ समझदार पुख़ताकार उ़लमाएकिराम (रहि.) ने मुत्लक़न तवज्जह नहीं की और न इसे क़बूल किया। हिजाज़, इराक़, शाम बल्कि मश्रिक़ व मग़्रिब के तमाम फ़ुक़्हा इसके ख़िलाफ़ हैं सिवाए उन चंद के जिन्होंने अल्फ़ाज़ को देखकर और सोच समझ और ग़ौरो ख़ौज़ किए बग़ैर इनसे अलग इख़्तियार की। और इस इज्माअ़ का ख़िलाफ़ किया

है। पूरे इल्म वालों और सच्ची समझ बूझ वालों का तो इत्तिफ़ाक़ है कि दो बहनों को जिस तरह निकाह में जमा नहीं कर सकते, दो लौण्डियाँ भी जो आपस में बहनें हों, मिल्कियत में होने की वजह से एक साथ मिलजुल नहीं सकते। इसी तरह मुसलमानों का इज्माअ़ है कि इस आयत में माँ बेटी बहन वग़ैरह हराम की गई हैं, उनसे जिस तरह निकाह हराम है उसी तरह अगर यह लौण्डियाँ बनकर मातहती में हों तो भी मेल जोल हराम है, ग़र्ज़ निकाह की और मिल्कियत के बाद की दोनों हालतों में यह सबकी सब बराबर हैं, न उनसे निकाह करके मेलजोल हलाल, न मिल्कियत के बाद मेलजोल हलाल। इसी तरह ठीक यही हुक्म दो बहनों के जमा करने का और सास और दूसरे शौहर से औरत की जो लड़की हो उसका है, ख़ुद इनके जुम्हूर का भी यही मज़हब है और यही वह दलील है जो इन चंद मुख़ालिफ़ीन पर पूरी सनद और कामिल हुज्जत है। अल्ग़र्ज़ दो बहनों को एक वक़्त निकाह में रखना भी हराम है और दो बहनों को बतौर लौण्डी के रखकर उनसे मिलना जुलना भी हराम।

وَّالْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَآءِ اِلَّا مَامَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۚ كِتٰبَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَاُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذٰلِكُمْ اَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ مُّحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ ؕ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهٖ مِنْهُنَّ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ فَرِيْضَةً ؕ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا تَرٰضَيْتُمْ بِهٖ مِنْۢ بَعْدِ الْفَرِيْضَةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿٢٤﴾

तर्जुमाः "और (हराम की गईं) शौहर वाली औरतें मगर वह जो तुम्हारी मिल्कियत में आ जाएँ, अल्लाह तआ़ला ने यह अहकाम तुम पर फ़र्ज़ कर दिए हैं, उन औरतों के सिवा और औरतें तुम्हारे लिए हलाल की गईं कि अपने माल के मुहर से तुम इनसे निकाह करना चाहो, बुरे काम से बचने के लिए न कि शहवतरानी करने के लिए। पस जिनसे तुम फ़ायदा उठाओ, उन्हें उनका मुक़र्रर किया हुआ मुहर अदा कर दो और मुहर मुक़र्रर हो जाने के बाद तुम आपस की रज़ामन्दी से जो तै कर लो उसमें तुम पर कोई गुनाह नहीं, अल्लाह तआ़ला इल्म वाला हिक्मत वाला है।" (24)

निकाह के अहकाम (आयत 24): यानी शौहरों वाली औरतें भी हराम हैं, हाँ! कुफ़्फ़ार की जो औरतें मैदाने जंग में क़ैद होकर तुम्हारे क़ब्ज़े में आएँ तो एक हैज़ गुज़ारने के बाद वह तुम पर हलाल हैं। मुस्नद अहमद में हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से रिवायत है कि जंगे ओतास में क़ैदी औरतें आईं जो शौहरों वालियाँ थीं, तो हमने नबी अकरम (ﷺ) से उनके बारे में सवाल किया जिसकी बाबत यह आयत उतरी और उनसे मिलना हलाल किया गया। तिर्मिज़ी, इब्ने माजा और सहीह मुस्लिम वग़ैरह में भी यह हदीस है। (अहमदः 3/72;

सहीह मुस्लिम, किताबुर्रज़ाइ, बाब जवाज़ वतिउल मस्बियतु बअदल इस्तब्राः 1456; अबूदाऊदः 2155; तिर्मिज़ीः 1132) तबरानी की रिवायत है कि यह वाक़िया जंगे ख़ैबर का है। सल्फ़ की एक जमाअत इस आयत के उमूम से इस्तिदलाल करके फ़र्माती है कि लौण्डी को बेच डालना ही उसके शौहर की तरफ़ से उसे पूरी तलाक़ जाना है। इब्राहीम से जब यह मसला पूछा गया तो आपने हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) का यही फ़त्वा बयान किया, और इस आयत की तिलावत फ़र्माई। और सनद से मरवी है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) ने फ़र्माया, जब कोई शौहर वाली औरत बेची जाए तो उसके जिस्म का ज़्यादा हक़दार उसका मालिक है। हज़रत उबय बिन कअब, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह और हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) का भी यही फ़त्वा है कि उसका बिकना ही उसकी तलाक़ है। इब्ने जरीर में है कि लौण्डी की तलाक़ें छः हैं, बेचना भी तलाक़ है, आज़ाद करना भी, हिबा करना भी, बरा'त करना भी और उसके शौहर का तलाक़ देना भी। (यह पाँच सूरतें तो बयान हुईं। छठी सूरत न तफ़्सीर इब्ने कसीर में है, न इब्ने जरीर में, मुतर्जिम)

हज़रत इब्नुल मुसय्यिब (रह.) फ़र्माते हैं कि शौहर वाली औरतों से निकाह हराम है, लेकिन लौण्डियाँ कि उनकी तलाक़ उनका बिक जाना है। हज़रत मअमर और हसन (रह.) भी यही फ़र्माते हैं जो इन बुज़ुर्गों का क़ौल है लेकिन जुम्हूर इनके मुख़ालिफ़ हैं। वह फ़र्माते हैं कि बेचना तलाक़ नहीं है, इसलिए कि ख़रीददार बेचने वाले का नाइब है और बेचने वाला उस नफ़ा को अपनी मिल्कियत से निकाल रहा है और उसे उससे सल्ब करके बेच रहा है। इनकी दलील हज़रत बरीरा (रज़ि.) वाली हदीस है जो बुख़ारी व मुस्लिम वग़ैरह में है कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) ने जब उन्हें ख़रीदकर आज़ाद कर दिया तो उनका निकाह हज़रत मुग़ीस (रज़ि.) से फ़स्ख़ नहीं हुआ, बल्कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उन्हें फ़स्ख़ करने और बाक़ी रखने का इख़्तियार दिया और हज़रत बरीरा (रज़ि.) ने फ़स्ख़ करने को पसंद किया। (सहीह बुख़ारी, किताबुल इत्क़, बाब बेउल वलाअः 2536; सहीह मुस्लिमः 1504; अबूदाऊदः 2233; तिर्मिज़ीः 1154; इब्ने माजाः 2521) यह वाक़िया मशहूर है। पस अगर बिक जाना ही तलाक होता जैसे इन बुज़ुर्गों का क़ौल है तो आँहज़रत (ﷺ) हज़रत बरीरा (रज़ि.) को उनके बिक जाने के बाद अपने निकाह के बाक़ी रखने न रखने का इख़्तियार न देते। इख़्तियार देना दलील है निकाह बाक़ी रहने की, तो आयत में मुराद सिर्फ़ वह औरतें हैं जो जिहाद करते हुए क़ब्ज़े में आ जाएँ, वल्लाहु आलम! और यह भी कहा गया है कि मुहसनात से मुराद पाकदामन औरतें हैं यानी अफ़ीफ़ा औरतें तुम पर हराम हैं जब तक कि तुम निकाह, गवाह, मुहर और वली से उनकी अस्मत के मालिक न बन जाओ, ख़्वाह एक हो ख़्वाह दो ख़्वातीन ख़्वाह चार अबुल आलिया और ताउस (रह़ि.) यही मतलब बयान फ़र्माते हैं। उमर और उबेदा (रह.) फ़र्माते हैं मतलब यह है कि चार से ज़्यादा औरतें तुम पर हराम हैं, हाँ! लौण्डियों में यह गिनती नहीं। फिर फ़र्माया कि यह हुक्म अल्लाह तआला ने तुम पर लिख दिया है यानी चार बीवियों का। पस तुम उसकी किताब को लाज़िम पकड़ो और उसकी हद से आगे न बढ़ो, उसकी शरीअत और उसके फ़राइज़ के पाबन्द रहो। यह भी कहा गया है कि जो औरतें तुम पर हराम है, उनकी वज़ाहत अल्लाह तआला ने अपनी किताब में ज़ाहिर कर दीं।

फिर फ़र्माता है कि जिन औरतों का हराम होना बयान कर दिया, उनके अलावा और सब हलाल हैं।

एक मतलब यह भी बयान किया गया है कि उन चार से कम तुम पर हलाल हैं। लेकिन यह क़ौल दूर का क़ौल है और सहीह मतलब पहला ही है और यही हज़रत अता (रह.) का क़ौल है। क़तादा (रह.) इसका यह मतलब बयान करते हैं कि इससे मुराद लौण्डियाँ हैं। यही आयत दलील है उन लोगों की जो दो बहनों के जमा करने की हिल्लत के क़ाइल हैं। और उनकी भी जो कहते हैं कि एक आयत इसे हलाल करती है और दूसरी हराम। फिर फ़र्माया, तुम उन हलाल औरतों को अपने माल से हासिल करो, चार तक तो आज़ाद औरतें और लौण्डियाँ बग़ैर तअय्युन के, लेकिन हों शरीअत के तरीक़े पर। इसीलिए फ़र्माया, ज़िनाकारी से बचने के लिए और शहवतरानी मक़्सूद न करके। फिर फ़र्माया कि जिन औरतों से तुम फ़ायदा उठाओ उनके उस फ़ायदे के मुक़ाबला में मुहर दे दिया करो। जैसे और आयत में है (وَكَيْفَ تَأْخُذُوْنَهٗ وَقَدْ اَفْضٰى بَعْضُكُمْ اِلٰى بَعْضٍ...) (4/निसाअः 21) यानी ''तुम मुहर को औरतों से कैसे लोगे हालाँकि एक दूसरे से मिल चुके हो।'' और फ़र्माया (وَاٰتُوا النِّسَآءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً) (4/निसाअः 4) ''औरतों के मुहर बख़ुशी अदा कर दिया करो।'' और जगह फ़र्माया (وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا) (2/बकरहः 229) ''तुमने जो कुछ औरतों को दे दिया हो उसमें से वापिस लेना तुम पर हराम है।''

निकाहे मुतआ की हुर्मत का बयानः इस आयत से निकाहे मुतआ पर इस्तिदलाल किया है। बेशक मुतआ इब्तिदाए इस्लाम में मशरूअ था लेकिन फिर मंसूख़ हो गया। इमाम शाफ़ई (रह.) और उलमा-ए-किराम की एक जमाअत ने फ़र्माया है कि दो मर्तबा मुतआ मुबाह हुआ फिर मंसूख़ हो गया। कुछ कहते हैं इससे भी ज़्यादा बार मुबाह और मंसूख़ हुआ। और कुछ का क़ौल है कि सिर्फ़ एक बार मुबाह हुआ फिर मंसूख़ हो गया फिर मुबाह नहीं हुआ। हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) और चंद दीगर सहाबा (रज़ि.) से ज़रूरत के वक़्त इसकी एबाहत मरवी है। हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल (रह.) से भी एक रिवायत ऐसी ही मरवी है। इब्ने अब्बास, उबय बिन कअब (रज़ि.), सईद बिन जुबेर और सुद्दी (रह.) से (मिन्हुन्न) के बाद (اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى) की क़िराअत मरवी है, मुजाहिद (रह.) फ़र्माते हैं, यह आयत निकाहे मुतआ की बाबत नाज़िल हुई लेकिन जुम्हूर इसके ख़िलाफ़ हैं और इसका बेहतरीन फ़ैसला बुख़ारी व मुस्लिम की हज़रत अली (रज़ि.) वाली रिवायत कर देती है जिसमें है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ख़ैबर वाले दिन निकाहे मुतआ से और घरेलू गधों के गोश्त को खाने से मना फ़र्मा दिया। (सहीह बुख़ारी, किताबुल मग़ाज़ी, बाब ग़ज़्वा ख़ैबरः 4716; सहीह मुस्लिमः 1407; नसाईः 3368; तिर्मिज़ीः 1794; इब्ने माजाः 1961) इस हदीस के अल्फ़ाज़ कुतुबे अहकाम में मुक़र्रर हैं। सहीह मुस्लिम शरीफ़ में हज़रत रबीअ सबुरा बिन मअबद जुहनी (रज़ि.) से मरवी है कि फ़तहे मक्का के ग़ज़्वा में वह आँहज़रत (ﷺ) के साथ थे। आपने इर्शाद फ़र्माया, ''ऐ लोगों! मैंने तुम्हें औरतों से मुतआ करने की रुख़्सत दी थी, याद रखो बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने इसे क़यामत तक के लिए हराम कर दिया है जिसके पास इस क़िस्म की कोई औरत हो, उसे चाहिए कि उसे छोड़ दे और तुमने जो कुछ उन्हें दे रखा हो उसमें से उनसे कुछ वापिस न लो।'' (सहीह मुस्लिम, किताबुन्निकाह, बाब निकाहुल मुतआः 1406; इब्ने माजाः 1992) सहीह मुस्लिम शरीफ़ की एक और रिवायत में है कि आप (ﷺ) ने हज्जतुल विदा में यह फ़र्माया था, यह हदीस कई अल्फ़ाज़ से मरवी है जिनकी तफ़्सील की जगह अहकाम की किताबें हैं।

फिर फ़र्माया, तक़र्रुर के बाद भी अगर तुम रज़ामन्दी के साथ कुछ तै कर लो तो कोई हर्ज नहीं। अगले जुम्ले को मुतआ पर महमूल करने वाले तो इसका मतलब यह बयान करते हैं कि जब मुद्दते मुक़र्ररा गुज़र जाए फिर मुद्दत को बढ़ा लेने और जो दिया हो, उसके अलावा और कुछ देने में कोई गुनाह नहीं। सुद्दी (रह.) कहते हैं अगर चाहे तो पहले के मुक़र्ररा मुहर के बाद जो दे चुका है, वक़्त के ख़त्म होने से पेशतर कह दे कि मैं इतनी देर के लिए फिर मुतआ करता हूँ। पस अगर उसने रहम की पाकीज़गी से पहले ज़्यादती ठहरा ली तो जब मुद्दत पूरी हो जाए तो फिर उसका कोई दबाव नहीं, वह औरत अलग हो जाएगी और एक हैज़ तक ठहरकर अपने रहम की सफ़ाई करेगी। इन दोनों में मीरास नहीं, न यह औरत उस मर्द की वारिस होगी न यह मर्द उस औरत का। और जिन हज़रात ने इस जुम्ला को निकाहे मस्नून के मुहर की बाबत कहा है, उनके नज़दीक तो मतलब साफ़ है कि मुहर की अदायगी की ताकीद बयान हो रही है। जैसे फ़र्माया, मुहर बा आसानी और बख़ुशी दे दिया करो, हाँ! अगर मुहर के मुक़र्रर हो जाने के बाद औरत अपने पूरे हक़ को या थोड़े हक़ को छोड़ दे, माफ़ कर दे, उससे दस्तबरदार हो जाए तो मियाँ बीवी में से किसी पर कोई गुनाह नहीं। हज़रत हज़रमी (रह.) फ़र्माते हैं कि लोग मुहर मुक़र्रर कर देते हैं, फिर मुम्किन है तंगी हो जए तो अगर औरत अपने हक़ को छोड़ दे तो जाइज़ है। इमाम इब्ने जरीर (रह.) भी इसी क़ौल को पसंद फ़र्माते हैं। (तब्री: 8/180)

हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़र्माते हैं, मुराद यह है कि मुहर की रक़म पूरी-पूरी उसके हवाले कर दे फिर उसे बसने और अलग होने का पूरा-पूरा इख़्तियार दे। फिर इर्शाद होता है अल्लाह हकीम व अलीम है, इन अहकाम में जो हिल्लत व हुर्मत के बारे में हैं जो हिक्मतें हैं और मस्लिहतें हैं उन्हें वही बख़ूबी जानता है।

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا اَنْ يَّنْكِحَ الْمُحْصَنٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ فَمِنْ مَّا
مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيٰتِكُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ؕ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِكُمْ ؕ بَعْضُكُمْ
مِّنْۢ بَعْضٍ ۚ فَانْكِحُوْهُنَّ بِاِذْنِ اَهْلِهِنَّ وَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ مُحْصَنٰتٍ
غَيْرَ مُسٰفِحٰتٍ وَّلَا مُتَّخِذٰتِ اَخْدَانٍ ۚ فَاِذَاۤ اُحْصِنَّ فَاِنْ اَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ
فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنٰتِ مِنَ الْعَذَابِ ؕ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ
مِنْكُمْ ؕ وَاَنْ تَصْبِرُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۲۵﴾

तर्जुमाः "और तुममें से जिस किसी को आज़ाद मुसलमान औरतों से निकाह करने की पूरी वुस्अत व ताक़त न हो तो वह मुसलमान लौण्डियों से जिनके तुम मालिक हो (अपना निकाह कर ले) अल्लाह तआला तुम्हारे आमाल को बख़ूबी जानने वाला है। तुम सब आपस में एक ही तो हो तो उनके मालिकों की इजाज़त से उनसे निकाह कर लो और क़ायदा के मुताबिक़ उनके मुहर उनको दो, वह पाकदामन हों न एलानिया बदकारी करने वालियाँ, न ख़ुफ़िया आशनाई करने वालियाँ, जब यह लौण्डियाँ निकाह में आ गईं, फिर अगर बेहयाई का काम करें तो उन्हें आधी सज़ा है, उस सज़ा की जो आज़ाद औरतों पर है। कनीज़ों के निकाह का यह हुक्म तुममें से उनके लिए है जिन्हें गुनाह और तक्लीफ़ का अंदेशा हो और तुम्हारा ज़ब्त करना बहुत बेहतर है और अल्लाह तआला बड़ा बख़्शने वाला बड़ी रहमत वाला है।" (25)

आज़ाद औरत से निकाह की इस्तिताअत न हो तो लौण्डी से निकाह कर लो (आयत 25): इर्शाद होता है कि जिसे आज़ाद मुसलमान औरतों से निकाह करने की वुस्अत व कुदरत न हो। रबीआ (रह.) फ़र्माते हैं तौल से मुराद क़स्द व ख़्वाहिश यानी लौण्डी से निकाह की ख़्वाहिश। इमाम इब्ने जरीर (रह.) ने इस क़ौल को वारिद करके फिर उसे ख़ुद ही तोड़ दिया है। मतलब यह है कि ऐसा हाल जब हो तो मुसलमानों की मिल्कियत में जो मुसलमान लौण्डियाँ हैं, उनसे वह निकाह कर ले। तमाम कामों की हक़ीक़त अल्लाह तआला पर आशकारा है। तुम तो सिर्फ़ ज़ाहिर बीन हो। तुम सब आज़ाद गुलाम ईमानी रिश्ता में एक हो। लौण्डियों से निकाह उनके मालिकों की इजाज़त से किया करो। मालूम हुआ कि लौण्डी का वली उसका सरदार है उसकी इजाज़त के बग़ैर उसका निकाह मुनअक़िद नहीं हो सकता, इसी तरह गुलाम भी अपने सरदार की रज़ामन्दी हासिल किए बग़ैर अपना निकाह नहीं कर सकता। हदीस में है "जो गुलाम बग़ैर अपने आक़ा की इजाज़त के अपना निकाह कर ले वह ज़ानी है।" (अबूदाऊद, किताबुन्निकाह, बाब फ़ी निकाहिल अब्दि बिग़ैरि इज़्न मवालीहू: 2078; वसनदुहू ज़ईफ़; तिर्मिज़ीः 1111; इब्ने माजाः 1959; यह रिवायत इब्ने अक़ील की वजह से ज़ईफ़ है।) हाँ! अगर किसी लौण्डी की मालिका कोई औरत हो तो उसकी इजाज़त से उस लौण्डी का निकाह वह कराए जो औरत का निकाह करा सकता है क्योंकि हदीस में है "औरत औरत का निकाह न कराए, न औरत अपना निकाह कराए, वह औरतें ज़िनाकार हैं जो अपना निकाह आप करतीं हैं।" (इब्ने माजा, किताबुन्निकाह, बाब ला निकाह इल्ला बिवलीः 1882; सुननुल कुब्रा लिल बैहक़ीः 7/110; अन अबी हुरैरा (रज़ि.) वसनदुहू सहीहुन व लहू हुक्मुल मरफ़ूअ)

फिर फ़र्माया, औरतों के मुहर ख़ुश नफ़्सी से दे दिया करो, घटाकर कम करके तक्लीफ़ पहुँचाकर, लौण्डी समझकर कमी करके न दो। फिर फ़र्माता है कि देख लिया करो, यह औरतें बदकारी की तरफ़ अज़्ख़ुद माइल न हों, न ऐसी हों कि अगर कोई उनकी तरफ़ माइल हो तो यह झुक जाएँ, न तो ऐलानिया ज़िनाकार हों, न ख़ुफ़िया बदकिरदार हों कि इधर-उधर आशनाइयाँ करती फिरें और छुप-छुपाते दोस्त आशना बनाती जाएँ। जो ऐसी बुरे अख़्लाक़ हों, उनसे निकाह करने को अल्लाह तआला मना फ़र्मा रहा है (أُحْصِنَّ) की दूसरी

क़िराअत (اُحْصِنَّ) भी है, कहा गया है कि दोनों के मानी एक ही हैं। यहाँ एह़सान से मुराद इस्लाम है या निकाह़ का वाली हो जाना है। इब्ने अबी ह़ातिम की एक मरफ़ूअ ह़दीस में है कि "उनका एह़सान इस्लाम और इ़फ़्फ़त है" लेकिन यह ह़दीस मुंकर है इसमें ज़ुअफ़ भी है और एक रावी का नाम नहीं, ऐसी ह़दीस हुज्जत के लायक़ नहीं होती। दूसरा क़ौल यानी एह़सान से मुराद निकाह़ है। ह़ज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) मुजाहिद, इक्रिमा, ताउस, इब्ने जुबेर, ह़सन, क़तादा (रहि.) वग़ैरह का भी यही क़ौल है। इमाम शाफ़ई (रह़.) से भी अबू अ़ली त़ब्री (रह़.) ने अपनी किताब ईज़ाह़ में यही नक़्ल किया है। मुजाहिद (रह़.) फ़र्माते हैं। लौण्डी का मुह़सिन होना यह है कि वह किसी आज़ाद के निकाह़ में चली जाए, इसी त़रह़ ग़ुलाम का एह़सान यह है कि वह किसी आज़ाद मुस्लिमा से निकाह़ कर ले।

इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) से भी यही मन्क़ूल है। शअ़बी और नख़ई (रहि.) भी यही कहते हैं। यह भी कहा गया है कि इन दोनों किराअतों के एतिबार से मानी भी बदल जाते हैं। (اُحْصِنَّ) से मुराद तो निकाह़ है और (اَحْصَنَّ)से मुराद इस्लाम है। इब्ने जरीर (रह़.) इसी को पसंद फ़र्माते हैं लेकिन बज़ाहिर मुराद यहाँ निकाह़ करना ही है, वल्लाहु आलम! इसलिए कि सियाक़े आयत की दलालत इसी पर है। ईमान का ज़िक्र तो लफ़्ज़ों में मौजूद है। बहर दो सूरत जुम्हूर के मज़हब के मुताबिक़ आयत के मानी में भी इश्काल बाक़ी है। इसलिए कि जुम्हूर का क़ौल है कि लौण्डी को ज़िना की वजह से पचास कोड़े लगाए जाएँगे ख़्वाह मुस्लिमा हो या काफ़िरा हो, शादीशुदा हो या ग़ैर शादीशुदा हो। बावजूद यह कि आयत के मफ़्हूम का तक़ाज़ा यह है कि ग़ैर-मुह़सिना लौण्डी पर ह़द ही न हो, पस इसके मुख़्तलिफ़ जवाबात दिए गए हैं। जुम्हूर का क़ौल यह है कि बेशक मंतूक़ मफ़्हूम पर मुक़द्दम है इसलिए हमने इन आ़म अह़ादीस को जिनमें लौण्डियों को ह़द मारने का बयान है इस आयत के मफ़्हूम पर मुक़द्दम किया। स़ह़ीह़ मुस्लिम की ह़दीस में है कि ह़ज़रत अ़ली (रज़ि.) ने अपने ख़ुत्बे में फ़र्माया, "लोगों! अपनी लौण्डियों पर ह़दें क़ायम रखो वह मुह़सिना हों या न हों। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझे अपनी लौण्डी के ज़िना पर ह़द मारने को फ़र्माया। चूँकि वह निफ़ास में थी इसलिए मुझे डर लगा कि कहीं ह़द के कोड़े लगने से यह मर न जाए। चुनाँचे मैंने उस वक़्त उसे ह़द न लगाई और हुज़ूरे अकरम (ﷺ) की ख़िदमत में वाक़िया बयान किया, तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, "तुमने अच्छा किया जब तक वह ठीक ठाक न हो जाए ह़द न लगाना।" (स़ह़ीह़ मुस्लिम, किताबुल हुदूद, बाब ताख़ीरुल ह़द अ़निन्नुफ़साः 1705, 1706; तिर्मिज़ीः 1441; सुननुल कुब्रा लिन्नसाईः 7239, 7299)

मुस्नद अह़मद में है कि आप (ﷺ) ने फ़र्माया, "जब यह निफ़ास से फ़ारिग़ हो तो उसे पचास कोड़े लगाना।" (ज़वाइद मुस्नद अह़मदः 1/136; ह़ः 1142; वसनदुहू ज़ईफ़) ह़ज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) फ़र्माते हैं, मैंने हुज़ूरे अकरम (ﷺ) से सुना, फ़र्माते थे, "जब तुममें से किसी की लौण्डी ज़िना करे और ज़िना ज़ाहिर हो जाए तो उसे वह ह़द मारे और बुरा भला न कहे, फिर अगर दोबारा ज़िना करे तो भी ह़द लगाए और डाँट-डपट न करे, फिर अगर तीसरी मर्तबा ज़िना करे और ज़ाहिर हो तो उसे बेच डाले अगरचे बालों की रस्सी के बदले ही हो।" और स़ह़ीह़ मुस्लिम में है "जब तीन बार यह काम उससे सरज़द हो तो चौथी दफ़ा बेच डाले।" (स़ह़ीह़ बुख़ारी, किताबुल हुदूद, बाब ला युस्रिबु अ़लल अमति इज़ा ज़नतः 6839; स़ह़ीह़ मुस्लिमः 1703;

अबूदाऊदः 4470) अ़ब्दुल्लाह बिन अ़याश बिन अबी रबीआ़ मख़ज़ूमी (रह.) फ़र्माते हैं कि "हम चंद कुरैशी नौजवानों को हज़रत उ़मर फ़ारूक़ (रज़ि.) ने इमारत की लौण्डियों में से कई एक पर हद जारी करने को फ़र्माया। हमने उन्हें ज़िना की हद में पचास-पचास कोड़े लगाए।" (मुअत्ता इमाम मालिकः 2/827; हः 1608; किताबुल हुदूद, बाब जामिउ़ मा जाअ फ़ी हद्दिज़्ज़िनाः 16; वसनदुहू सह़ीहुन) दूसरा जवाब इनका है जो इस बात की तरफ़ गए हैं कि लौण्डी पर एहसान बग़ैर हद नहीं। वह फ़र्माते हैं कि यह मारना बतौर अदब सिखाने और बाज़ रखने के है। इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) इसी तरफ़ गए हैं। ताउस, सईद, अबू उ़बेद, दाऊद ज़ाहिरी (रह.) का मज़हब भी यही है कि इनकी बड़ी दलील मफ़्हूमे आयत है और यह शर्त के मफ़्हूमों में से है और अकसर के नज़दीक यह हुज्जत है इसलिए उनके नज़दीक उ़मूम पर मुक़द्दम हो सकता है। और अबू हुरैरा और ज़ेद बिन ख़ालिद (रज़ि.) की हदीस जिसमें है कि आँहज़रत (ﷺ) से पूछा गया कि जब लौण्डी ज़िना करे और मुह़सिना न हो, यानी निकाह़ न हुआ हो तो क्या किया जाए? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, "अगर वह ज़िना करे तो उसे हद लगाओ, फिर ज़िना करे तो फिर कोड़े लगाओ, फिर बेच डालो, भले एक बालों की रस्सी के बदले ही क्यूँ न बेचना पड़े।" रावी हदीस इब्ने शिहाब (रह.) फ़र्माते हैं, मैं नहीं जानता कि तीसरी मर्तबा के बाद यह फ़र्माया या चौथी मर्तबा के बाद। (सह़ीह़ बुख़ारी, किताबुल हुदूद, बाब इज़ा ज़नतिल अमतुः 6837, 6838; सह़ीह़ मुस्लिमः 1704; अबूदाऊदः 4469)

पस इस हदीस के मुताबिक़ वह जवाब देते हैं कि देखो! यहाँ हद की मिक़्दार और कोड़ों की ता'दाद बयान नहीं फ़र्माई जैसे कि मुह़सिना के बारे में साफ़ फ़र्मा दिया है और जैसे कि कुरआन में मुक़र्रर तौर पर फ़र्माया कि मुह़सनात की निस्बत आधी हद उन पर है। पस आयत व हदीस में इस तरह़ तत्बीक़ देनी वाजिब हो गई, वल्लाहु आलम! इससे भी ज़्यादा सराहत वाली वह रिवायत है जो सईद बिन मंसूर ने बरिवायत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) नक़्ल की है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, "किसी लौण्डी पर हद नहीं जब तक कि वह एह़सान वाली न हो जाए।" यानी जब तक कि वह निकाह़ वाली न हो जाए। "पस जब शौहर वाली बन जाए तो उस पर आधी हद है बनिस्बत उस हद के जो आज़ाद निकाह़ वालियों पर है।" यह हदीस इब्ने ख़ुज़ैमा में भी है लेकिन वह फ़र्माते हैं इसे मरफ़ूअ कहना ख़ता है यह मौक़ूफ़ है यानी हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) का क़ौल है। बैहक़ी में भी यह रिवायत है और आपका भी यही फ़ैसला है। (बैहक़ीः 8/243; अ़न इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) इब्ने अबी शैबाः 9/519; हः 28288; इस सनद में अबू सुफ़ियान बिन उ़येयना मुदल्लस है और रिवायत मअ़नअ़न है।) और कहते हैं कि हज़रत अ़ली और हज़रत उ़मर (रज़ि.) वाली अहादीस एक वाक़िया का फ़ैसला हैं। और अबू हुरैरा (रज़ि.) वाली हदीस के भी कई जवाबात हैं, एक तो यह कि यह मह़मूल है उस लौण्डी पर जो शादीशुदा हो। इस तरह़ इनका फ़िक़्रा है। तीसरा जवाब यह है कि यह हदीस दो सह़ाबियों की है और वह हदीस सिर्फ़ एक सह़ाबी की है, और एक वाली पर वह दो वाली मुक़द्दम है। और इसी तरह़ यह हदीस नसाई में भी मरवी है और मुस्लिम की शर्त पर इसकी सनद है कि हज़रत अ़ब्बाद बिन तमीम (रज़ि.) अपने चचा से जो बद्री सह़ाबी थे, रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि "जब लौण्डी ज़िना करे तो उसे कोड़े लगाओ, फिर जब ज़िना करे तो कोड़े मारो, फिर जब ज़िना करे तो कोड़े मारो, फिर जब ज़िनाकारी

करे तो बेच दो अगरचे बालों की एक रस्सी के बदले ही बेचना पड़े।'' (सुननुल कुब्रा लिन्नसाईः 7238; व ज़ुअफ़ अबा उवेस वलाकिन सनदुहू ह़सन; अबू उवेस ह़सनुल ह़दीस) चौथा जवाब यह है कि यह भी बईद नहीं कि किसी रावी ने जल्द (कोड़े)पर लफ़्ज़ ह़द का इत्लाक़ कर दिया हो और उसने जल्द (कोड़े) को ह़द ख़्याल कर लिया हो, या लफ़्ज़े ह़द का इत्लाक़ तादीब के तौर पर सज़ा देने पर कर दिया हो, जैसे कि लफ़्ज़े ह़द का इत्लाक़ उस सज़ा पर भी किया गया है जो बीमार ज़ानी को खजूर का एक ख़ौशा मारा था जिसमें एक सौ छोटी छोटी शाख़ें थीं और जैसे कि लफ़्ज़ ह़द का इत्लाक़ उस शख़्स पर भी किया गया है जिसने अपनी बीवी की उस लौण्डी के साथ ज़ि ना किया जिसे बीवी ने उसके लिए ह़लाल कर दिया था ह़ालाँकि उसे सौ कोड़ों का लगना तअ़ज़ीर के तौर पर सिर्फ़ एक सज़ा है जैसे कि इमाम अह़मद (रह़) वग़ैरह सल्फ़ का ख़्याल है। ह़द्दे ह़क़ीक़ी यह है कि कुँवारे को सौ कोड़े और ब्याहे हुए को या लूती को रजम, वल्लाहु आलम!

इब्ने माजा वग़ैरह में ह़ज़रत सईद बिन जुबेर (रह़.) का फ़र्मान है कि लौण्डी ने जब तक निकाह़ नहीं किया उसे ज़िना पर मारा न जाए। इसकी इस्नाद तो सह़ीह़ है लेकिन मानी दो हो सकते हैं, एक तो यह कि बिलकुल मारा ही न जाए, न ह़द न और कुछ, तो यह क़ौल बिलकुल ग़रीब है। मुम्किन है आयत के अल्फ़ाज़ पर नज़र करके यह फ़त्वा दे दिया हो और ह़दीस न पहुँची हो। दूसरे मानी यह है कि ह़द के तौर पर न मारा जाए। अगर यह मानी मुराद लिए जाएँ तो यह उसके ख़िलाफ़ नहीं कि और कोई सज़ा दी जाए पस यह ह़ज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) वग़ैरह के फ़त्वे के मुताबिक़ हो जाएगा, वल्लाहु आलम! तीसरा जवाब यह है आयत में दलालत है कि मुह़सिना लौण्डी पर बनिस्बत आज़ाद औरत के आधी ह़द है लेकिन मुह़सिना होने से पहले किताबो सुन्नत के उ़मूम में यह भी शामिल है कि उसे भी सौ कोड़े मारे जाएँ। जैसे अल्लाह तबारक व तआ़ला का फ़र्मान है (اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ) (24/अन्नूरः 2) यानी ''ज़िनाकार औरत और ज़िनाकार मर्द हर एक को सौ सौ कोड़े मारो।'' और जैसे ह़दीस मेंहै हुज़ूरे अकरम (ﷺ) फ़र्माते हैं ''मेरी बात ले लो मेरी बात समझ लो, अल्लाह तआ़ला ने उनके लिए रास्ता निकाल दिया अगर दोनो जानिब ग़ैर शादीशुदा हैं तो सौ कोड़े और एक साल की जिलावतनी और अगर दोनों तरफ़ शादीशुदा हैं तो सौ कोड़े और पत्थरों से रजम कर देना।'' (सह़ीह़ मुस्लिम, किताबुल ह़ुदूद, बाब ह़द्दुज़्ज़िनाः 1690) और इसी तरह़ की और अह़ादीस भी हैं। दाऊद बिन अ़ली ज़ाहिरी (रह़.) का यही क़ौल है लेकिन यह सख़्त ज़ईफ़ है इसलिए कि अल्लाह तआ़ला ने मुह़सिना लौण्डियों को बनिस्बत आज़ाद के आधे कोड़े मारने का अ़ज़ाब बयान फ़र्माया यानी पचास कोड़े तो फिर जब तक वह मुह़सिना न हों, उससे भी ज़्यादा सज़ा की सज़ावार वह कैसे हो सकती हैं ह़ालाँकि क़ायदा शरीअ़त यह है कि एह़सान से पहले कम सज़ा है और एह़सान के बाद ज़्यादा सज़ा है फिर उसके बरअक्स कैसे सह़ीह़ हो सकता है। देखिए शारेअ़ (ﷺ) से आपके सह़ाबा (रज़ि.) ग़ैर शादीशुदा लौण्डी के ज़िना की सज़ा पूछते हैं और आप (ﷺ) उन्हें जवाब देते हैं कि ''उसे कोड़े मारो'' लेकिन यह नहीं फ़र्माते हैं कि एक सौ कोड़े लगाओ। पस अगर इसका वही हुक्म होता जो दाऊद समझते हैं तो उसे बयान कर देना हुज़ूरे अकरम (ﷺ) पर वाजिब था इसलिए कि उनका यह सवाल तो सिर्फ़ इसी वजह से था कि लौण्डी के शादीशुदा हो जाने के बाद उसे सौ कोड़े मारने का बयान नहीं वरना इस क़ैद के लगाने की क्या ज़रूरत थी

कि सवाल में कहते वह ग़ैर शादीशुदा है क्योंकि फिर तो शादीशुदा और ग़ैर शादीशुदा में कोई फ़र्क़ ही न रहा, अगर यह आयत उतरी हुई न होती लेकिन चूँकि इन दोनों सूरतों में से एक का इल्म तो उन्हें हो चुका था इसलिए दूसरी की बाबत सवाल किया और हु ज़ूरे अकरम (ﷺ) ने जवाब देकर मालूम करा दिया।

जैसे बुख़ारी व मुस्लिम में है कि जब सहाबा (रज़ि.) ने हुज़ूरे अकरम (ﷺ) से आप पर दुरूद पढ़ने की निस्बत पूछा तो आपने उसे बयान फ़र्माया और फ़र्माया, ''सलाम तो उसी तरह है जिस तरह तुम ख़ुद जानते हो।'' (सहीह मुस्लिम, किताबुस्सलात, बाबुस्सलाति अलन् नबी (ﷺ): 405) और एक रिवायत में है कि जब अल्लाह तआला का फ़र्मान (يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا) (33/अहज़ाबः 56) नाज़िल हुआ और सलात व सलाम आप पर भेजने का अल्लाह तआला ने हुक्म दिया तो सहाबा (रज़ि.) ने कहा कि सलाम का तरीक़ा और उसके अल्फ़ाज़ तो हमें मालूम हैं, सलात की कैफ़ियत बयान फ़र्माईए। (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर, बाब इन्नल्लाहा व मलाइकतहू; सूरतुल अहज़ाबः 4797; सहीह मुस्लिमः 406) पस ठीक इसी तरह यह सवाल है मफ़्हूमे आयत का चौथा जवाब अबू सौर का है जो दाऊद के जवाब से ज़्यादा बूदा है वह फ़र्माते हैं जब लौण्डियाँ शादीशुदा हो जाएँ तो उनकी ज़िनाकारी की हद उन पर आधी है उस हद की जो शादीशुदा आज़ाद औरतों की ज़िनाकारी की हद है तो ज़ाहिर है कि आज़ाद औरतों की हद इस सूरत में रजम है और यह भी ज़ाहिर है कि रजम आधा नहीं हो सकता तो लौण्डी को इस सूरत में रजम करना पड़ेगा और शादी से पहले उसे पचास कोड़े लगेंगे क्योंकि इस हालत में आज़ाद औरत पर सौ कोड़े हैं। पस दरअसल आयत का मतलब समझने में इससे ख़ता हुई और इसमें जुम्हूर का भी ख़िलाफ़ है बल्कि इमाम शाफ़ेई (रह.) तो फ़र्माते हैं कि किसी मुसलमान का इसमें इख़्तिलाफ़ ही नहीं कि मम्लूक पर ज़िना की सज़ा में रजम है ही नहीं, इसलिए कि आयत दलालत करती है कि उन पर मुहसनात का आधा अज़ाब है और मुहसनात के लफ़्ज़ में जो अलिफ़ लाम है वह अहद का है यानी वह मुहसनात जिनका बयान आयत के शुरू में गुज़र चुका है और मुराद सिर्फ़ आज़ाद औरतें हैं। इस वक़्त यहाँ आज़ाद औरतों के निकाह के मसले की बहस नहीं, बहस यह है कि फिर आगे चलकर इर्शाद होता है कि उन पर ज़िनाकारी की जो सज़ा थी उससे आधी सज़ा उन लौण्डियों पर है, तो मालूम हुआ कि यह उस सज़ा का ज़िक्र है जो आधी हो सकती है और वह कोड़े हैं, वह सौ से आधे पचास रह जाएँगे। रजम यानी संगसार करना ऐसी सज़ा है जिसके हिस्से नहीं हो सकते, वल्लाहु आलम!

मुस्नद अहमद में एक वाक़िया जो अबू सौर के मज़हब की पूरी तर्दीद करता है। इसमें है कि सफ़िया लौण्डी ने एक ग़ुलाम से ज़िनाकारी की और उसी ज़िना से बच्चा हुआ, जिसका दावा ज़ानी ने किया। मुक़द्दमा हज़रत उस्मान (रज़ि.) के पास पहुँचा। आपने हज़रत अली (रज़ि.) को इसका तस्फ़िया सौंपा। हज़रत अली (रज़ि.) ने फ़र्माया, मैं इसमें वही फ़ैसला करूँगा जो रसूलुल्लाह (ﷺ) का फ़ैसला है। बच्चा तो उसका समझा जाएगा जिसकी लौण्डी है और ज़ानी को पत्थर मिलेंगे। फिर उन दोनों को पचास पचास कोड़े लगाए। (अहमदः 1/104; हः 820; वसनदुहू ज़ईफ़) यह भी कहा गया है कि मुराद मफ़्हूम से तम्बीह है, आला के साथ अदना पर, यानी जबकि वह शादीशुदा हों तो उन पर बनिस्बत आज़ाद औरतों के आधी हद है पस उन पर

रजम तो सिरे से किसी सूरत मे है ही नहीं, न ज़िना से पहले न कि ज़िना के बाद, दोनों हालतों में सिर्फ़ कोड़े हैं जिसकी दलील हदीस है। साहिबुल ईज़ाह यही फ़र्माते हैं, और हज़रत इमाम शाफ़ई (रह.) से भी इसी को ज़िक्र करते हैं। इमाम बैहक़ी (रह.) अपनी किताब "सुनन वल आसार" में भी इसे लाए हैं, लेकिन यह क़ौल लफ़्ज़े आयत से बहुत दूर है, इस तरह कि आधी हद होने की दलील सिर्फ़ आयत है उसके सिवा कुछ नहीं, पस इसके सिवा आधा होना किस तरह समझा जाएगा? और यह भी कहा गया है कि मतलब यह है कि शादीशुदा होने की हालत मे सिर्फ़ इमाम ही हद क़ायम कर सकता है, उस लौण्डी का मालिक इस हाल में उस पर हद जारी नहीं कर सकता। इमाम अहमद (रह.) के मज़हब में एक क़ौल यही है हाँ शादी से पहले उसके मालिक को हद जारी करने का इख़्तियार बल्कि हुक्म है लेकिन दोनों सूरतों में हद आधी ही आधी रहेगी और यह भी दूर की बात है इसलिए कि आयत में इसकी दलालत भी नहीं और अगर यह आयत न होती तो हम नहीं जान सकते थे कि लौण्डियों के बारे में आधी हद है और इस सूरत में उन्हें भी उमूम में दाख़िल करके पूरी हद यानी सौ कोड़े और रजम उन पर भी जारी करना वाजिब हो जाता, जैसे कि आम रिवायतों से साबित है। हज़रत अली (रज़ि.) से मरवी है कि लोगों! अपने मातहतों पर हद जारी करो, शादीशुदा या ग़ैर शादीशुदा। और वह आम अहादीस जो पहले गुज़र चुकी हैं जिनमें शौहर वाली और बग़ैर शौहर वाली औरत की कोई तफ़सील नहीं। हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) की रिवायत वाली हदीस जिससे जुम्हूर ने दलील पकड़ी है यह है कि "जब तुममें से किसी की लौण्डी ज़िना करे और फिर उसका ज़िना ज़ाहिर हो जाए तो उसे चाहिए कि उस पर हद जारी करे और डाँट-डपट न करे।" (मुलख़्ख़सन) (सहीह बुख़ारी, किताबुल बुयूअ, बाब बैउल अबदिः 2152; सहीह मुस्लिमः 1703; अबूदाऊदः 4470)

अल्ग़र्ज़ लौण्डी की ज़िनाकारी की हद में कई क़ौल हैं, एक तो यह कि जब तक उसका निकाह नहीं हुआ उसे पचास कोड़े मारे जाएँगे और निकाह होने के बाद भी यही हद रहेगी। और उसे जिलावतन भी किया जाएगा या नहीं? इसमें तीन क़ौल हैं, एक यह कि जिलावतनी होगी, दूसरे यह कि न होगी, तीसरे यह कि जिलावतनी में आधे साल को मल्हूज़ रखा जाएगा यानी छः महीने का देश निकाला दिया जाएगा न कि पूरे साल का। पूरा साल आज़ाद औरतों के लिए है।

यह तीनों क़ौल इमाम शाफ़ेई (रह.) के मज़हब में हैं लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) के नज़दीक जिलावतनी ताज़ीर के तौर पर है वह हद में से नहीं है, इमाम की राय पर मौक़ूफ़ है अगर चाहे जिलावतनी दे या न दे। मर्द व औरत सब इसी हुक्म में दाख़िल हैं। हाँ! इमाम मालिक (रह.) के मज़हब में है कि जिलावतनी सिर्फ़ मर्दों के लिए है, औरतों पर नहीं, इसलिए कि जिलावतनी सिर्फ़ उसकी हिफ़ाज़त के लिए है और अगर औरत को जिलावतन किया गया तो हिफ़ाज़त में से निकल जाएगी और मर्दों या औरतों के बारे में देश निकाले की हदीस सिर्फ़ हज़रत उबादा और हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) से ही मरवी है कि आँहज़रत (ﷺ) ने उस ज़ानी के बारे में जिसकी शादी नहीं हुई थी, हद मारने और एक साल देश निकाला देने का हुक्म फ़र्माया था। (सहीह बुख़ारी, किताबुल हुदूद, बाबुल एतिराफ़ बिज़िनाः 6867, 6868; सहीह मुस्लिमः 1690) इससे मअनवी

मुराद यही है कि इसकी हिफ़ाज़त रहे, और औरत को वतन से निकाले जाने में यह हिफ़ाज़त बिलकुल ही नहीं हो सकती, वल्लाहु आलम!

दूसरा क़ौल यह है कि लौण्डी को उसकी ज़िनाकारी पर शादी के बाद पचास कोड़े मारे जाएँगे और अदब सिखाने के तौर पर उसे कुछ मारपीट की जाएगी लेकिन उसकी कोई मुक़र्रर गिनती नहीं। पहले गुज़र चुका है कि शादी से पहले उसे मारा न जाएगा, जैसे हज़रत सईद बिन मुसय्यिब (रह.) का क़ौल है लेकिन अगर इससे यह मुराद न ली जाए कि सिरे से कुछ मारना ही न चाहिए तो यह तावीली मज़हब होगा, वरना क़ौले सानी में उसे दाख़िल किया जा सकता है। और क़ौल यह है कि शादी से पहले सौ कोड़े और शादी के बाद पचास जैसे कि दाऊद का क़ौल है और यह तमाम क़ौल से बूदा क़ौल है, और यह कि शादी से पहले पचास कोड़े और शादी के बाद रजम जैसे कि अबू सौर का क़ौल है लेकिन यह क़ौल भी बूदा है, वल्लाहु सुब्हानहू व तआला आलमु बिस्सवाब। फिर फ़र्मान है कि लौण्डियों से निकाह करना इन शुरूत की मौजूदगी में जो बयान हुई, उनके लिए है जिन्हें ज़िना में वाक़ेअ होने का ख़तरा हो और तजर्रुदान (बेशादी) पर बहुत शाक़ गुज़र रहा हो, इसकी वजह से सख़्त तक्लीफ़ में हों तो बेशक उन्हें पाकदामन लौण्डियों से निकाह कर लेना जाइज़ है गो इस हालत में भी अपने नफ़्स को रोके रखना और उनसे निकाह न करना बहुत बेहतर है इसलिए कि उससे जो औलाद होगी वह उसके मालिक की लौण्डी गुलाम होगी।

हाँ! अगर शौहर ग़रीब हो तो उसकी यह औलाद उसके आक़ा की मिल्कियत इमाम शाफ़ई (रह.) के क़ौले क़दीम के मुताबिक़ न होगी। फिर फ़र्माया अगर तुम सब्र करो तो तुम्हारे लिए अफ़ज़ल है और अल्लाह ग़फ़ूरुर्रहीम है। जुम्हूरे-उलमा ने इस आयत से इस्तिदलाल किया है कि लौण्डी से निकाह जाइज़ है लेकिन यह ज़रूर है कि यह उस वक़्त में है जब आज़ाद औरतों से निकाह करने की ताक़त न हो और न रुके रहने की ताक़त हो बल्कि ज़िना कर लेने का डर हो। क्योंकि उसमें एक ख़राबी तो यह है कि औलाद गुलामी में जाती है दूसरे एक तरह की सुब्की (बेइज़्ज़ती) है कि आज़ाद औरतों से हटकर लौण्डियों की तरफ़ मुतवज्जा होना।

हाँ! जुम्हूर के मुख़ालिफ़ इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) और उनके साथी हैं वह कहते हैं, यह दोनों बातें शर्त नहीं बल्कि जिसके निकाह में कोई आज़ाद औरत न हो, उसे लौण्डी से निकाह जाइज़ है वह लौण्डी ख़्वाह मोमिना हो, ख़्वाह अहले-किताब में से हो, भले उसे आज़ाद औरत से निकाह करने की ताक़त भी हो और गो उसे बदकारी का डर भी न हो। इसकी बड़ी दलील यह आयत है (وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ) (5/माइदाः 5) यानी "आज़ाद औरतें उनमें से जो तुमसे पहले किताबुल्लाह दिए गए।" पस वह कहते हैं आयत आम है आज़ाद ग़ैर आज़ाद सबको शामिल है और मुहसनात से मुराद पाकदामन बाइस्मत औरतें हैं। लेकिन इसकी ज़ाहिरी दलालत भी उसी मसला पर है जो जुम्हूर का मज़हब है, वल्लाहु आलम!

***

يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوْبَ عَلَيْكُمْ ۗ
وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿٢٦﴾ وَاللّٰهُ يُرِيْدُ اَنْ يَّتُوْبَ عَلَيْكُمْ ۫ وَيُرِيْدُ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ
الشَّهَوٰتِ اَنْ تَمِيْلُوْا مَيْلًا عَظِيْمًا ﴿٢٧﴾ يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّخَفِّفَ عَنْكُمْ ۚ وَخُلِقَ
الْاِنْسَانُ ضَعِيْفًا ﴿٢٨﴾

तर्जुमाः ''अल्लाह तआला चाहता है कि तुम्हारे वास्ते ख़ूब खोलकर बयान करे और तुम्हें तुमसे पहले (नेक) लोगों की राह चलाए और तुम पर अपनी रहमत लौटा दे, अल्लाह तआला पूरे इल्म व हिक्मत वाला है। (26) और अल्लाह तआला चाहता है कि तुम्हारी तौबा क़बूल करे। और जो लोग ख़्वाहिशात के पैरो हैं वह चाहते हैं कि तुम उससे बहुत दूर हट जाओ। (27) अल्लाह तआला चाहता है कि तुमसे बिलकुल तख़फ़ीफ़ कर दे क्योंकि इंसान कमज़ोर पैदा किया गया है।'' (28)

अल्लाह तआला के अह़काम में सख़्ती नहीं (आयत 26-28): फ़र्मान होता है कि ऐ मोमिनों! अल्लाह तआला इरादा कर चुका है कि ह़लालो-ह़राम तुम पर खोल-खोलकर बयान फ़र्मा दे (जैसे कि इस सूरत में और दूसरी सूरतों में उसने बयान फ़र्माया) वह चाहता है कि अगले लोगों की क़ाबिले तारीफ़ राहें तुम्हें समझा दे ताकि तुम उसकी उस शरीअ़त पर अ़मल करने लग जाओ जो उसकी मह़बूब और उसकी रज़ामन्दी की है वह चाहता है कि तुम्हारी तौबा क़बूल फ़र्मा ले जिस गुनाह से जिस ह़रामकारी से तुम तौबा करो वह फ़ौरन क़बूल फ़र्मा लेता है। वह इल्मो-ह़िक्मत वाला है, अपनी शरीअ़त अपने अंदाज़े अपने काम और अपने फ़र्मान में वह सह़ीह़ इल्म और कामिल ह़िक्मत रखता है। ख़्वाहिशे नफ़्सानी के पैरोकार यानी शैतानों के ग़ुलाम यहूदो- नसारा और बदकार लोग तुम्हें ह़क़ से हटाना और बातिल की तरफ़ झुकाना चाहते हैं। अल्लाह तआला अपने हुक्मो अह़काम में रोकने हटाने में शरीअ़त और अंदाज़े मुक़र्रर करने में तुम्हारे लिए आसानियाँ चाहता है और इसी बिना पर चंद शराइत के साथ उसने लौण्डियों से निकाह़ कर लेना तुम पर ह़लाल कर दिया। इंसान चूँकि पैदाईशी कमज़ोर है इसलिए अल्लाह तआला ने अपने अह़काम में कोई सख़्ती नहीं रखी। यह फ़ी नफ़्सिही भी कमज़ोर उसके इरादे और ह़ौसले भी कमज़ोर, यह औरतों के बारे में भी कमज़ोर, यहाँ आकर बिलकुल बेवक़ूफ़ बन जाने वाला।

चुनाँचे जब रसूलुल्लाह (ﷺ) शबे मे'राज में सिदरतुल मुन्तहा से लौटे और मूसा कलीमुल्लाह (عليه السلام) से मुलाक़ात हुई तो आपने पूछा कि आप पर क्या फ़र्ज़ किया गया? फ़र्माया, ''हर दिन रात में पचास

नमाज़ें।'' तो कलीमुल्लाह (عليه السلام) ने फ़र्माया, वापिस जाइये और अल्लाह तआला से तख़्फ़ीफ़ तलब कीजिए, आपकी उम्मत में इसकी ताक़त नहीं, मैं आपसे पहले लोगों का तजुर्बा कर चुका हूँ वह इससे बहुत कम में घबरा गए थे और आपकी उम्मत तो कानों आँखों और दिल की कमज़ोरी में उनसे भी बढ़ी हुई है।

चुनाँचे आप वापिस गए, दस माफ़ करा लाए फिर भी यही बातें हुईं, फिर गए दस कम हुईं, यहाँ तक कि आख़िरी मर्तबा पाँच ही रह गईं। (सहीह मुस्लिम, किताबुस्सलात, बाब कैफ़ फ़ुरिज़तिस्सलातु फ़िल इस्राः 349; सहीह मुस्लिमः 163)

***

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۣ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ عُدْوَانًا وَّظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيْهِ نَارًا ۭ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَي اللّٰهِ يَسِيْرًا ﴿٣٠﴾ اِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَاۗىِٕرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُّدْخَلًا كَرِيْمًا ﴿٣١﴾

तर्जुमाः ''ऐ ईमान वालों! मत खाओ अपने आपस के माल नाजाइज़ तरीक़े से मगर यह कि हो ख़रीदो फ़रोख़्त, तुम्हारी आपस की रज़ामन्दी से, और अपने आपको क़त्ल न करो, यक़ीनन अल्लाह तआला तुम पर निहायत मेहरबान है। (29) और जो शख़्स करेगा यह सरकशी और ज़ुल्म से तो अन्क़रीब हम उसको दाख़िल करेंगे आग में, और वह अल्लाह तआला पर बिलकुल आसान है। (30) अगर तुम बचते रहोगे इन बड़े गुनाहों से जिनसे तुमको मना किया जाता है तो हम तुम्हारे छोटे गुनाह दूर कर देंगे और इज़्ज़त व बुज़ुर्गी की जगह दाख़िल करेंगे।'' (31)

शरीअत के ख़िलाफ़ तिजारत और बेअ़े ख़ियार (आयत 29-31): अल्लाह तआला अपने ईमानदार बन्दों को एक दूसरे के माल बातिल तरीक़े के साथ खाने से मना फ़र्मा रहा है, ख़्वाह उस कमाई के ज़रिये से जो शरअन हराम है जैसे सूदख़ोरी, जुवाबाज़ी और ऐसे ही हर तरह की हीलासाज़ी गो उसे शरई सूरत जवाज़ की दे दी हो। अल्लाह तआला को ख़ूब मालूम है कि असल हक़ीक़त क्या है। हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से

सवाल होता है कि एक शख़्स कपड़ा ख़रीदता है और कहता है कि अगर मुझे पसंद आया तो रख लूँगा वरना कपड़ा और दिरहम वापिस कर दूँगा। आपने इस आयत की तिलावत कर दी यानी इसे बातिल माल खाने में शामिल किया। हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) फ़र्माते हैं यह आयत मुह्कम है यानी मंसूख़ नहीं न क़यामत तक मंसूख़ हो सकती है। आपसे मरवी है कि जब यह आयत उतरी तो मुसलमानों ने एक दूसरे के यहाँ खाना छोड़ दिया जिस पर आयत (لَيْسَ عَلَى الْأَعْمٰى) (24/नूरः 61) उतरी। (तिजारतन) को (तिजारतुन) भी पढ़ा गया है। यह इस्तिस्ना मुन्क़तअ है गोया यूँ फ़र्माया जा रहा है कि हुर्मत वाले अस्बाब से माल न हो, हाँ! शरई तरीक़ पर तिजारत से नफ़ा उठाना जाइज़ है जो ख़रीददार और बेचने वाले की रज़ामन्दी से हो। जैसे और जगह है "किसी बेगुनाह जान को न मारो, हाँ! हक़ के साथ हो तो जाइज़ है।" और जैसे दूसरी आयत में है "वहाँ मौत न चखेंगे मगर पहली बार की मौत।" हज़रत इमाम शाफ़ई (रह.) इस आयत से इस्तिदलाल करके फ़र्माते हैं, ख़रीदो फ़रोख़्त बग़ैर क़बूलियत के सहीह नहीं होती, इसलिए कि रज़ामंदी की पूरी सनद यही है। सिर्फ़ लेन-देन कर लेना कभी भी रज़ामन्दी पर पूरी दलील नहीं बन सकता और जुम्हूर इसके बरख़िलाफ़ हैं। तीनों और इमामों का क़ौल है कि जिस तरह ज़ुबानी बातचीत रज़ामन्दी की दलील है उसी तरह लेन देन भी रज़ामन्दी की दलील है। कुछ हज़रात फ़र्माते हैं कि कम क़ीमत मामूल चीज़ों में तो सिर्फ़ लेना देना ही काफ़ी है और इसी तरह व्यापार का जो तरीक़ा हो सहीह मज़हब में एहतियाती नज़र से तो बातचीत में क़बूलियत का होना और बात है, वल्लाहु आलम! मुजाहिद (रह.) फ़र्माते हैं, ख़रीदो फ़रोख़्त हो या बख़्शिश हो, सबको यह हुक्म शामिल है। इब्ने जरीर (रह.) की मरफ़ूअ हदीस में है "तिजारत रज़ामन्दी है और व्यापार के बाद इख़्तियार है, किसी मुसलमान को जाइज़ नहीं कि दूसरे मुसलमान को धोखा दे।" यह हदीस मुर्सल है पूरी रज़ामन्दी में मज्लिस के ख़ात्मे तक का इख़्तियार भी है। बुख़ारी व मुस्लिम में है हुज़ूरे अकरम (ﷺ) फ़र्माते हैं, "दोनों बायेअ मुश्तरी इख़्तियार वाले हैं जब तक जुदा न हों।" (सहीह बुख़ारी, किताबुल बुयूअ, बाब कम यजूज़ुल ख़ियारः 2108; सहीह मुस्लिमः 1532; अबूदाऊदः 3455; नसाईः 4474) बुख़ारी शरीफ़ में है "जब दो शख़्स ख़रीदो फ़रोख़्त करें तो हर एक को इख़्तियार है जब तक अलग अलग न हों।" (सहीह बुख़ारी, किताबुल बुयूअ, बाब इज़ा ख़य्यरा अहदुहुमा साहिबहू बअदल बेअः 2112; नसाईः 4473) इसी हदीस के मुताबिक़ इमाम अहमद (रह.), इमाम शाफ़ई (रह.) और उनके सब साथियों का फ़त्वा है और जुम्हूर सल्फ़ व ख़ल्फ़ का भी, और इसी पूरी रज़ामन्दी में दाख़िल है ख़रीदो फ़रोख़्त के तीन दिन बाद में इख़्तियार देना भी, गो वह इख़्तियार साल भर तक का हो, जैसे गाँव वालों में वग़ैरह। इमाम मालिक (रह.) का मशहूर मज़हब यही है कि गो उनके नज़दीक सिर्फ़ लेन-देन से ही बे'अ सहीह हो जाती है। शाफ़ई मज़हब में भी एक क़ौल यह है और उनमें से कुछ फ़र्माते हैं कि मामूली कम क़ीमत चीज़ों में जिन्हें लोग व्यापार के लिए रखते हों सिर्फ़ लेन-देन ही काफ़ी है। कुछ अस्हाब का इख़्तियार यही है जैसे कि मुत्तफ़क़ अलैहि है।

फिर फ़र्माता है कि अल्लाह तआला के हराम कामों का इर्तिकाब करके और उसकी नाफ़र्मानी करके और एक दूसरे के माल बेजा तौर पर मारकर, खाकर अपने आपको हलाक न करो, अल्लाह तआला तुम पर रहीम है और उसका हर हुक्म और हर मुमानिअत रहमत वाली है। मुस्नद अहमद में है कि हज़रत अम्र बिन

आस़ (रज़ि.) को ज़ातुस्सलासिल वाले साल रसूलुल्लाह (ﷺ) ने भेजा था। आप फ़र्माते हैं मुझे एक रात एह़तिलाम हो गया, सर्दी बहुत सख़्त थी यहाँ तक कि मुझे नहाने में अपनी जान जाने का ख़तरा हो गया तो मैंने तयम्मुम करके अपनी जमाअत को सुबह़ की नमाज़ पढ़ा दी। जब वहाँ से वापिस हम लोग आँह़ज़रत (ﷺ) की ख़िदमत में ह़ाज़िर हुए तो मैंने यह वाक़िया कह सुनाया। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ''क्या तूने अपने साथियों को जुंबी होने की ह़ालत में नमाज़ पढ़ा दी।'' मैंने कहा, हुज़ूर (ﷺ)! जाड़ा सख़्त था और मुझे अपनी जान जाने का अंदेशा था तो मुझे याद आया कि अल्लाह तआ़ला ने फ़र्माया है ''अपने तईं हलाक न कर डालो, अल्लाह रह़ीम है।'' मैंने तयम्मुम करके सुबह़ की नमाज़ पढ़ा दी तो आप (ﷺ) हंस दिए और मुझे कुछ न फ़र्माया। (स़ह़ीह़ बुख़ारी, किताबुत्तयम्मुम, बाब इज़ा ख़ाफ़ल जुंबि अ़ला नफ़्सिही...: तालीक़न क़ब्ल ह़दीस : 345; और ह़ाफ़िज़ इब्ने ह़जर (रह़.) इसकी इस्नाद को क़वी क़रार देते हैं, अल्फ़तह़ः 1/454; अबूदाऊद, किताबुत्तहारत बाब इज़ा ख़ाफ़ल जुंबिल बरदाः 334; शैख़ अल्बानी (रह़.) ने इसे स़ह़ीह़ क़रार दिया है। देखिए (इरवाउः 154) एक रिवायत में है कि और लोगों ने हुज़ूरे अकरम (ﷺ) से बयान किया और फिर आपके दरयाफ़्त करने पर ह़ज़रत अ़म्र बिन आ़स़ (रज़ि.) ने यह उ़ज़्र (तक्लीफ़) पेश किया। (इब्ने मर्दवे, यह रिवायत यूसुफ़ बिन ख़ालिद की वजह से सख़्त ज़ईफ़ व मर्दूद है।) बुख़ारी व मुस्लिम में है, ''जो शख़्स़ किसी लोहे से ख़ुदकुशी करेगा वह क़यामत तक जहन्नम की आग में लोहे से ख़ुदकुशी करता रहेगा और जो जान बूझकर मर जाने की निय्यत से ज़हर खा लेगा वह हमेशा हमेशा जहन्नम की आग में ज़हर खाता रहेगा।'' (स़ह़ीह़ बुख़ारी, किताबुत्तिब, बाब शरबुस्सम्मः 5778; स़ह़ीह़ मुस्लिमः 109; अबूदाऊदः 3872; तिर्मिज़ीः 2043; व इब्ने माजाः 3460; नसाईः 1967) और रिवायत में है कि ''जो शख़्स़ अपने तईं जिस चीज़ से क़त्ल करेगा वह क़यामत वाले दिन उसी चीज़ से अ़ज़ाब किया जाएगा।'' (स़ह़ीह़ बुख़ारी, किताबुल ऐमान वन्नुज़ूर, बाब मन ह़लफ़ बिमिल्लति सिवा मिल्लतिल इस्लामः 6652; स़ह़ीह़ मुस्लिमः 110; व अबूदाऊदः 3758; तिर्मिज़ीः 1543; नसाईः 3844) हुज़ूर (ﷺ) का इर्शाद है कि ''तुमसे पहले के लोगों में से एक शख़्स़ के ज़ख़्म लगे, उसने छुरी से अपना हाथ काट डाला, ख़ून न रुका और वह उसी में मर गया तो अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ला ने फ़र्माया, मेरे बन्दे ने अपनी जान फ़ना करने की जल्दी की, मैंने उस पर जन्नत को ह़राम किया।'' (स़ह़ीह़ बुख़ारी, किताबुल जनाइज़, बाब मा जाअ फ़ी क़ातिलिन्नफ़्सः 1364; स़ह़ीह़ मुस्लिमः 113) इसीलिए अल्लाह तआ़ला यहाँ फ़र्माता है जो शख़्स़ उसे ज़ुल्म व ज़्यादती के साथ करे यानी ह़राम जानते हुए उसका मुर्तकिब हो और दिलेराना त़ौर से ह़राम पर कारबन्द हो वह जहन्नमी है। पस हर आ़क़िल को इस सख़्त डरावे से डरना चाहिए। दिल के कान खोलकर अल्लाह तआ़ला के इस फ़र्मान को सुनकर ह़रामकारियों से इज्तिनाब करना चाहिए।

गुनाहे कबीरा का बयानः फिर फ़र्माता है अगर तुम बड़े-बड़े गुनाहों से बचते रहोगे तो हम तुम्हारे छोटे छोटे गुनाह माफ़ कर देंगे और तुम्हें जन्नती बना देंगे। ह़ज़रत अनस (रज़ि.) से मरफ़ूअ़न मरवी है कि हमने नहीं देखा मिस्ल उसके जो हमें हमारे रब की त़रफ़ से पहुँची है। फिर हम उसके लिए अपने अहल व माल से जुदा न हो जाएँ कि वह हमारे छोटे छोटे गुनाहों से दरगुज़र फ़र्माता है सिवाए कबीरा गुनाहों के। फिर इसआयत की

तिलावत की। (हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) मुख़्तसर ज़वाइदुल बज़्ज़ारः 2/78 में फ़र्माते हैं कि इसकी सनद में जुल्द बिन अय्यूब ज़ईफ़ रावी है।) इस आयत के बारे में बहुत सी अहादीस भी हैं। थोड़ी बहुत हम यहाँ बयान करते हैं। मुस्नद अहमद में हज़रत सलमान फ़ारसी (रज़ि.) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, "जानते हो जुम्आ का दिन क्या है? मैंने जवाब दिया कि यह वह दिन है जिसमें अल्लाह तआला ने हमारे बाप की पैदाइश को जमा किया। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, "सुनो! अब जो मैं जानता हूँ वह "सुनो! जो शख़्स इस दिन अच्छी तरह पाकीज़गी हासिल करके नमाज़े जुम्आ के लिए आए और नमाज़ ख़त्म हो जाने तक ख़ामोश रहे तो उसका यह अमल अगले जुम्आ तक के गुनाहों का कफ़्फ़ारा हो जाता है, जब तक कि वह क़त्ल से बचा हुआ है।" (अहमदः 5/440; शैख़ अल्बानी (रह.) ने इसे हसन क़रार दिया है। देखिए (सहीह तर्ग़ीबः 689) इस मानी की रिवायत सहीह बुख़ारीः 910; नसाईः 1404; में भी मौजूद है। यह रिवायत शवाहिद के साथ हसन है।) इब्ने जरीर में है कि एक मर्तबा रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ख़ुत्बा सुनाते हुए फ़र्माया, "उस रब की क़सम! जिसके हाथ में मेरी जान है।" तीन मर्तबा यही फ़र्माया, फिर सर नीचा कर लिया और हमने भी सर नीचा कर लिया और लोग रोने लगे और जी दहल गया कि अल्लाह तआला जाने, अल्लाह तआला के रसूल (ﷺ) ने किस चीज़ पर क़सम खाई है और फिर क्यूँ ख़ामोशी इख़्तियार की है, थोड़ी देर में आप (ﷺ) ने सर उठाया और आपका चेहरा बश्शाश था जिससे हम इस क़द्र ख़ुश हुए कि अगर हमें सुर्ख़ रंग के ऊँट मिलते तो इस क़द्र ख़ुश न होते। अब आप (ﷺ) फ़र्माने लगे, "जो बन्दा पाँचों नमाज़ें पढ़े और रमज़ान के रोज़े रखे और ज़कात अदा करता रहे और सात कबीरा गुनाहों से बचे, उसके लिए जन्नत के सब दरवाज़े खुल जाएँगे और उसे कहा जाएगा कि सलामती के साथ इसमें चले जाओ।" (नसाई, किताबुज़्ज़कात, बाब वजूबुज़्ज़कातः 5/8; हः 2440; वसनदुहू हसन लिज़ातिही)

सात कबीरा गुनाहः जिन सात गुनाहों का इसमें ज़िक्र है उनकी तफ़्सील बुख़ारी व मुस्लिम की हदीस में इस तरह पर आई है कि आप (ﷺ) ने फ़र्माया, "उन सात गुनाहों से बचो जो हलाक करने वाले हैं।" पूछा गया कि हुज़ूर (ﷺ)! वह कौनसे गुनाह हैं? फ़र्माया कि "अल्लाह तआला के साथ शिर्क करना और उसे क़त्ल करना जिसका क़त्ल हराम हो, हाँ! अगर किसी शरई वजह से उसका क़त्ल हलाल हो गया हो तो और बात है और जादू करना और सूद खाना और यतीम का माल खाना और मैदाने जंग से कुफ़्फ़ार के मुक़ाबले से भाग खड़ा होना और भोली भाली पाकदामन मुसलमान औरतों पर तोहमत लगाना।" (सहीह बुख़ारी, किताबुल हुदूद, बाब फ़िल मुहसनातिः 6857; सहीह मुस्लिमः 89; अबूदाऊदः 2884; नसाईः 3701) एक रिवायत में जादू के बदले हिज्रत करके फिर वापिस अपने देश में क़याम कर लेना।" (इब्ने अबी हातिम वल्बज़्ज़ार, कशफ़ुल अस्तारः 109; बिसनदिन ज़ईफ़िन व अख़्ता मन हस्सनहू) यह याद रहे कि इन सात कबीरा गुनाहों को कबीरा गुनाह कहने से यह मतलब नहीं कि कबीरा गुनाह सिर्फ़ यही हैं, जैसे कि कुछ और लोगों का ख़याल है जिनके नज़दीक मफ़्हूमे मुख़ालिफ़ मुअतबर है। दरअसल यह बहुत बूदा क़ौल और ग़लत उसूल है, बिलख़ुसूस उस वक़्त जबकि इसके ख़िलाफ़ दलील मौजूद है, और यहाँ तो साफ़ लफ़्ज़ों में और कबीरा गुनाहों का भी ज़िक्र मौजूद है। मुंदर्जा ज़ेल अहादीस मुलाहिज़ा हों। मुस्तदरक हाकिम में है कि हज्जतुल विदा में

रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, "लोगों! सुन लो अल्लाह तआला के वली सिर्फ़ नमाज़ी ही हैं, जो पाँचों वक़्त की फ़र्ज़ नमाज़ों को बाक़ायदा पढ़ते हैं जो रमज़ान शरीफ़ के रोज़े रखते हैं फ़र्ज़ जानकर और सवाब हासिल करने की निय्यत रखकर, इसी तरह हंसी-ख़ुशी ज़कात अदा करते हैं और उन तमाम कबीरा गुनाहों से दूर रहते हैं जिनसे अल्लाह तआला ने रोक दिया है।" एक शख़्स ने पूछा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! वह कबीरा गुनाह क्या हैं? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, "शिर्क, क़त्ल, मैदाने-जंग से भागना, माले यतीम खाना, सूदख़ोरी, पाकदामन औरतों पर तोहमत लगाना, माँ बाप की नाफ़र्मानी करना, बैतुल्लाह की हुर्मत को तोड़ना जो ज़िन्दगी और मौत में तुम्हारा क़िब्ला है। सुनो जो शख़्स मरते दम तक इन बड़े गुनाहों से इज्तिनाब करता रहे और नमाज़ व ज़कात की पाबन्दी करता रहे वह अल्लाह के नबी के साथ जन्नत में सोने के महलों में होगा।" (हाकिमः 1/59; अबूदाऊद, किताबुल वसाया, बाब मा जाअ फ़ित्तशदीद फ़ी अकलि मालिल यतीमः 2875; नसाईः 4017; वसनदुहू ज़ईफ़; यह्या बिन अबी कसीर मुदल्लस रावी है और सिमाअ की सराहत नहीं। शैख़ अल्बानी (रह.) ने भी इसे ज़ईफ़ क़रार दिया है। देखिए (ज़ईफ़ुत्तर्ग़ीबः 461)

हज़रत तयलिसा बिन मयास (रह.) फ़र्माते हैं मुझसे एक गुनाह हो गया जो मेरे नज़दीक कबीरा गुनाह था। मैंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) से इसका ज़िक्र किया तो आपने फ़र्माया, वह कबीरा गुनाह नौ हैं, अल्लाह तआला के साथ शिर्क करना, किसी को बिला वजह मार डालना, मैदाने जंग में दुश्मनाने दीन को पीठ दिखाना, पाकदामन औरतों पर तोहमत लगाना, सूद खाना, यतीम का माल ज़ुल्म से खा जाना, मस्जिदे हराम में इल्हाद फैलाना और जादू को जाइज़ जानना और माँ बाप को नाफ़र्मानी की वजह से रुलाना। हज़रत तयलिसा बिन मयास (रह.) फ़र्माते हैं कि इसके बयान के बाद भी हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) ने देखा कि मेरा डर ख़ौफ़ कम न हुआ तो फ़र्माया, क्या तुझे जहन्नम की आग में दाख़िल होने का डर और जन्नत में जाने की चाहत है? मैंने कहा, बहुत कुछ। फ़र्माया, सुनो! क्या तुम्हारे माँ बाप ज़िन्दा हैं? मैंने कहा, सिर्फ़ वालिदा ज़िन्दा हैं। फ़र्माया, "बस तो तुम उनसे नर्म कलामी से बोला करो और उन्हें खाना खिलाते रहा करो और इन कबीरा गुनाहों से बचते रहा करो, तुम यक़ीनन जन्नत में जाओगे।" इब्ने जरीर वल बुख़ारी फ़िल अदबिल मुफ़रदः 9; वसनदुहू सहीह) और रिवायत में है कि हज़रत तयलिसा हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से मैदाने अरफ़ात में अरफ़ा के दिन पीलू के दरख़्त तले मिले थे, उस वक़्त हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) अपने सर और चेहरे पर पानी बहा रहे थे। उसमें यह भी है कि जब हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) ने तोहमत धरने का ज़िक्र किया तो मैंने कहा, क्या यह भी मिस्ल क़त्ल के बहुत बड़ा गुनाह है? आपने फ़र्माया, हाँ हाँ! और इसमें गुनाहों के ज़िक्र में जादू का ज़िक्र भी है। और रिवायत में है कि मेरी उनकी मुलाक़ात शाम के वक़्त हुई थी और मैंने उनसे बड़े गुनाहों के बारे में सवाल किया तो उन्होंने फ़र्माया, मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना है कि बड़े गुनाह सात हैं। मैंनें पूछा, क्या क्या तो फ़र्माया शिर्क और तोहमत। मैंने कहा, क्या यह भी मिस्ल नाहक़ क़त्ल के है। फ़र्माया, हाँ, हाँ! और किसी मोमिन को बेसबब मार डालना और लड़ाई से भागना और जादू और सूदख़ोरी और यतीम का माल खाना और वालदेन की नाफ़र्मानी करना और बैतुल्लाह में इल्हाद जो ज़िन्दगी में और मौत में तुम्हारा क़िब्ला है। (तब्रीः 9189; मौक़ूफ़न वसनदुहू ज़ईफ़)

मुस्नद अहमद में है कि हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, "जो अल्लाह तआला का बन्दा अल्लाह तआला के साथ किसी को शरीक न करे, नमाज़ क़ायम करे, ज़कात दे, रमज़ान के रोज़े रखे और कबीरा गुनाहों से बचे, वह जन्नती है।" एक शख़्स ने पूछा, कबीरा गुनाह क्या हैं? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, "अल्लाह तआला के साथ शिर्क करना, मुसलमान नफ़्स को क़त्ल करना, लड़ाई वाले दिन भाग खड़े होना।" (अहमदः 5/413; नसाई, किताब तहरीमुद्दमः बाब ज़िक्रुल कबाइरः 4014; वसनदुहू सहीह) इब्ने मर्दवे में है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अहले-यमन को एक किताब लिखवाकर भिजवाई जिसमें फ़राइज़ थे, सुनन थीं, दियत यानी जुर्मानों के अहकाम थे और यह किताब हज़रत अम्र बिन हज़्म (रज़ि.) के हाथ अहले यमन को भिजवाई थी। उस किताब में यह भी था कि "क़यामत के दिन तमाम कबीरा गुनाहों में सबसे बड़ा कबीरा गुनाह यह है कि इंसान अल्लाह तआला के साथ किसी को शरीक करे और ईमानदार शख़्स को बग़ैर हक़ के क़त्ल करे और अल्लाह तआला की राह में जिहाद के मैदान में जाकर लड़ते हुए नामर्दी से जान बचाने की ख़ातिर भाग खड़ा होना और माँ बाप की नाफ़र्मानी करना और नाकर्दा गुनाह औरतों पर इल्ज़ाम लगाना और जादू सीखना और सूद खाना और माले यतीम बर्बाद करना।" (इब्ने मर्दवे व हाकिमः 1/395, 397; हः 1447; व सहीह इब्ने हिब्बान, मअल एहसानः 6525; वसनदुहू ज़ईफ़) एक और रिवायत में कबीरा गुनाहों के बयान में झूठी बात या झूठी शहादत भी है। (सहीह बुख़ारी, किताबुल अदब, बाब उक़ूकुल वालिदेन मिनल कबाइरः 5977; सहीह मुस्लिमः 88) और हदीस में है कि कबीरा गुनाहों के बयान के वक़्त आप टेक लगाकर बैठे हुए थे, लेकिन जब यह बयान फ़र्माया कि "झूठी गवाही और झूठ बात" उस वक़्त आप तकिये से हट गए और बड़े ज़ोर से इस बात को बयान किया और बार बार इसी को दोहराते रहे यहाँ तक कि हमने कहा, काश! अब तो आप न दोहराएँ। (सहीह बुख़ारी, किताबुल अदब, बाब उक़ूकुल वालदेन मिनल कबाइरः 5976; सहीह मुस्लिमः 87; तिर्मिज़ीः 1901) बुख़ारी व मुस्लिम में है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) ने जनाब रसूलुल्लाह (ﷺ) से पूछा कि या हुज़ूर (ﷺ)! कौनसा गुनाह सबसे बड़ा है? आपने फ़र्माया, "यह कि तू अल्लाह तआला का किसी को शरीक बनाए बावजूद यह कि तुझे उसी ने पैदा किया है।" मैंने पूछा, उसके बाद, फ़र्माया कि "तू अपने बच्चे को इस डर से क़त्ल कर दे कि वह तेरे साथ खाएगा।" मैंने पूछा फिर कौनसा गुनाह बड़ा है। फ़र्माया "यह कि तू अपनी पड़ोसन से बदकारी करे।" फिर हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने आयत (وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ *** اِلَّا مَنْ تَابَ) (25/फ़ुरक़ानः 68) तक पढ़ी। (सहीह बुख़ारी, किताबुल अदब, बाब क़त्लुल वलदि ख़श्यतन अय्याकुल मअहूः 6001; सहीह मुस्लिमः 86)

इब्ने अबी हातिम में है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस (रज़ि.) मस्जिदुल हराम में हतीम के अंदर बैठे हुए थे जब एक शख़्स ने शराब के बारे में सवाल किया तो आपने फ़र्माया, मुझ जैसा बूढ़ा बड़ी उम्र का आदमी उस जगह बैठकर अल्लाह तआला के रसूल (ﷺ) पर झूठ बोल सकता है? शराब का पीना तमाम गुनाहों से बड़ा गुनाह है, यह काम तमाम खबासतों की माँ है, शराबी नमाज़ को छोड़ने वाला होता है, वह अपनी माँ और ख़ाला और फूफी से भी बदकारी करने से नहीं चूकता। (तबरानीः 11372, 11498; वसनदुहू ज़ईफ़) यह हदीस ग़रीब है। इब्ने मर्दवे मे है कि हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि.), हज़रत उमर फ़ारूक़

(रज़ि.) और दूसरे बहुत से सहाबा (रज़ि.) एक मर्तबा एक मज्लिस में बैठे हुए थे वहाँ कबीरा गुनाहोंका ज़िक्र चल निकला कि सबसे बड़ा गुनाह कौनसा है तो किसी के पास पुख़्ता और सही जवाब न था, इसलिए उन्होंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) को भेजा कि तुम जाकर हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस (रज़ि.) से पूछकर आओ, मैं गया तो उन्होंने जवाब दिया कि सबसे बड़ा गुनाह शराब पीना है। मैंने वापिस आकर उस मज्लिस में जवाब सुना दिया। उस पर अहले मज्लिस को तस्कीन न हुई और सब हज़रात उठकर हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस (रज़ि.) के घर की ओर चले और ख़ुद उनके पास जाकर पूछा तो उन्होंने बयान किया कि लोगों ने नबी अकरम (ﷺ) के सामने यह वाक़िया बयान किया कि बनी इस्राईल के बादशाहों में से एक ने एक शख़्स को गिरफ़्तार किया, फिर उससे कहा, या तो अपनी जान से हाथ धो बैठ या इन कामों में से किसी को कर। यानी या तो शराब पी या ख़ून नाहक़ कर या ज़िना कर या सूअर का गोश्त खा। उसने ग़ौरो ताम्मुल के बाद जान के डर से शराब को हल्की चीज़ समझकर पीना मंज़ूर कर लिया। जब शराब पी ली तो फिर नशे में वह तमाम कामों को कर गुज़रा जिनसे वह पहले रुका था। हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने यह वाक़िया गोश गुज़ार फ़र्माकर हमसे फ़र्माया, "जो शख़्स शराब पीता है, अल्लाह तआला उस पर जन्नत को हराम कर देता है। अगर शराब पीने के बाद चालीस रातों के अंदर-अंदर मरे तो उसकी मौत जाहिलियत की मौत होती है।" (हाकिमः 4/147; व सह्हहु अला शर्ति मुस्लिम वसनदुहू हसन; अल्मुअजमुल औसतः 365) यह हदीस ग़रीब है। एक और हदीस में झूठी क़सम को भी रसूलुल्लाह (ﷺ) ने कबीरा गुनाहों में शुमार फ़र्माया है। (सहीह बुख़ारी, किताब इस्तिताबतुल मुर्तदीन; बाब इस्मुम मन अश्रक बिल्लाहिः 6920) इब्ने अबी हातिम में झूठी क़सम के बयान के बाद यह फ़र्मान भी है कि "जो शख़्स अल्लाह तआला की क़सम खाकर कोई बात कहे और उसमें मच्छर के पर के बराबर ज़्यादती करे, उसके दिल में एक स्याह दाग़ हो जाता है जो क़यामत तक बाक़ी रहता है।" (अहमदः 3/495; तिर्मिज़ी, किताब तफ़्सीरुल कुरआन, बाब वमिन सूरतिन्निसाअः 3020; वसनदुहू हसन)

इब्ने अबी हातिम में है कि "इंसान का अपने माँ बाप को गाली देना कबीरा गुनाह है।" लोगों ने पूछा, हुज़ूर (ﷺ)! अपने माँ बाप को कैसे गाली देगा? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, "इस तरह कि उसने दूसरे के बाप को गाली दी, उसने उसके बाप को, उसने उसकी माँ को बुरा कहा, उसने उसकी माँ को।" बुख़ारी शरीफ़ में है "सबसे बड़ा गुनाह यह है कि आदमी अपने माँ बाप पर लानत करे।" लोगों ने कहा यह कैसे हो सकता है? फ़र्माया "दूसरे के माँ बाप को कहकर अपने माँ बाप को कहलवाना।" (सहीह बुख़ारी, किताबुल अदब, बाब ला यसुबुर्रजुलु वालिदैहिः 5973; सहीह मुस्लिमः 90; अबूदाऊदः 5141; तिर्मिज़ीः 1902) सहीह हदीस में है "मुसलमान को गाली देना फ़ासिक़ बना देता है, और उसे क़त्ल करना कुफ़्र है।" (सहीह बुख़ारी, किताबुल ईमान, बाब ख़ौफ़ुल मोमिन मिन अय्यंह्बत़ अमलुहू वहुव ला यश्उरूः 48; सहीह मुस्लिमः 64) इब्ने अबी हातिम में है "अक्बरुल कबाइर यानी तमाम कबीरा गुनाहों में बड़ा गुनाह किसी मुसलमान की आबरूरेज़ी करना है, और एक गाली के बदले दो गालियाँ देना है।" (अबूदाऊद, किताबुल अदब बाब फ़िल ग़ीबतः 4877; वसनदुहू ज़ईफ़; ज़ुहेर बिन मुहम्मद से अहले शाम की रिवायात सहीह नहीं होतीं और यह उनमें से है।)

तिर्मिज़ी में है रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, ''जो शख़्स दो नमाज़ों को बग़ैर उ़ज़्र के जमा करे, वह कबीरा गुनाहों के दरवाज़ों में से एक दरवाज़े में घुसा।'' (तिर्मिज़ी, किताबुस्सलात, बाब मा जाअ फ़ीमन अदरक रकअ़तन मिनल अ़स्र क़ब्ल अन तग़रबश्शम्सः 188; वसनदुहू ज़ईफ़ुन जिद्दा हनुश मतरूक रावी है।) इब्ने अबी हातिम में है कि हज़रत उ़मर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) की किताब जो हमारे सामने पढ़ी गयी उसमें भी था कि दो नमाज़ों को बग़ैर शरई उ़ज़्र के जमा करना कबीरा गुनाह है और लड़ाई के मैदान से भाग खड़ा होना और लूट खसोट करना भी कबीरा गुनाह है। अल्ग़र्ज़ ज़ुहर अ़स्र या मग़्रिब इशा पहले वक़्त या पिछले वक़्त बग़ैर शरई रुख़्सत के जमा करके पढ़ना कबीरा गुनाह है फिर जो शख़्स कि बिलकुल ही न पढ़े, उसके गुनाह का तो क्या ठिकाना है। चुनाँचे सहीह मुस्लिम शरीफ़ में है कि ''बन्दे और शिर्क के दरम्यान नमाज़ का छोड़ देना है।'' (सहीह मुस्लिम, किताबुल ईमान, बाब बयानु इत्लाक़ इस्मुल कुफ़्र अ़ला मन तरकस्सलातः 82; अबूदाऊदः 2620; तिर्मिज़ीः 2618; नसाईः 464; व इब्ने माजाः 1078) सुनन की एक हदीस में है कि ''हममें और काफ़िर में फ़र्क़ करने वाली चीज़ नमाज़ का छोड़ देना है जिसने इसे छोड़ा उसने कुफ़्र किया।'' (तिर्मिज़ी, किताबुल ईमान, बाब मा जाअ फ़ी तर्किस्सलातः 2621; वसनदुहू सहीह; नसाईः 464; इब्ने माजाः 1079) और रिवायत में आप (ﷺ) का यह फ़र्मान भी मन्क़ूल है कि ''जिसने अ़स्र की नमाज़ तर्क कर दी, उसके आमाल ग़ारत हो गए।'' (सहीह बुख़ारी, किताब मवाक़ीतुस्सलात, बाब मन तरकल अ़स्रः 553) और हदीस में है कि ''जिससे अ़स्र की नमाज़ फ़ौत हुई, गोया उसका माल और उसके अहलो अयाल सब ही हलाक हो गए।'' (सहीह बुख़ारी, किताब मवाक़ीतुस्सलात, बाब इस्मुन मन फ़ाततहुल अ़स्रः 552; सहीह मुस्लिमः 626)

इब्ने अबी हातिम में है कि एक शख़्स ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सवाल किया कि कबीरा गुनाह क्या क्या हैं? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ''अल्लाह तआ़ला के साथ शिर्क करना, अल्लाह तआ़ला की ने'मत और उसकी रहमत से नाउम्मीद होना और उसके मकर से बेख़ौफ़ हो जाना और यह सबसे बड़ा कबीरा गुनाह है।'' इसी की मिस्ल एक रिवायत और भी बज़्ज़ार में मरवी है लेकिन ज़्यादा ठीक यह है कि वह हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि.) पर मौक़ूफ़ है। (इब्ने अबी हातिम, वसनदुहू हसन; बज़्ज़ार, कशफ़ुल अस्तारः 106; वहुव हसन; मज्मउ़ज़्ज़वाइदः 1/104) इब्ने मर्दवे में है, हज़रत इब्ने उ़मर (रज़ि.) फ़र्माते हैं, सबसे बड़ा कबीरा गुनाह अल्लाह तआ़ला अ़ज़्ज़ व जल्ला के साथ बदगुमानी करना है। यह रिवायत बहुत ही ग़रीब है। (इब्ने मर्दवे वसनदुहू ज़ईफ़) पहले वह हदीस भी गुज़र चुकी है जिसमें हिज्रत के बाद कुफ़्रिस्तान में आकर बसने को भी कबीरा गुनाह फ़र्माया है। यह हदीस इब्ने मर्दवे में है। सात कबीरा गुनाहों में से एक इसे गिना लेकिन इसकी इस्नाद में नज़र है और इसे मरफ़ूअ़ कहना ग़लत है। (इब्ने जरीर, वसनदुहू ज़ईफ़; इब्ने इस्हाक़ अनअ़न) ठीक बात वह है जो तफ़्सीर इब्ने जरीर में मरवी है कि हज़रत अ़ली (रज़ि.) कूफ़े की मस्जिद में एक मर्तबा खड़े होकर मिम्बर पर लोगों को ख़ुत्बा सुना रहे थे। जिसमें फ़र्माया, लोगो! कबीरा गुनाह सात हैं। उसे सुनकर लोग चीख़ उठे। आपने इसी को फिर दोहराया, फिर फ़र्माया, तुम मुझसे इसकी तफ़्सील क्यूँ नहीं पूछते? लोगों ने कहा, अमीरुल मोमिनीन! फ़र्माईए वह क्या हैं? आपने फ़र्माया, अल्लाह तआ़ला के साथ शिर्क करना, जिस

जान को अल्लाह तआला ने मार डालना हराम किया है उसे मार डालना, पाकदामन औरतों पर तोहमत लगाना, यतीम का माल खा जाना, सूदख़ोरी करना, लड़ाई के दिन पीठ दिखाना, हिज्रत के बाद फिर दारुल कुफ़्र में आ बसना। रावी हदीस हज़रत मुहम्मद बिन सहल (रह.) ने अपने वालिद हज़रत सहल बिन ख़ैसमा (रह.) से पूछा कि इसे कबीरा गुनाहों में कैसे दाख़िल किया तो जवाब मिला कि प्यारे बच्चे इससे बढ़कर सितम क्या होगा कि एक शख़्स हिज्रत करके मुसलमानों में मिले, माले ग़नीमत में उसका हिस्सा मुक़र्रर हो जाए, मुजाहिदीन में उसका नाम दर्ज कर दिया जाए, फिर वह इन तमाम चीज़ों को छोड़कर आराबी बन जाए और दारुल कुफ़्र में चला जाए और जैसा था वैसा ही हो जाए। (तब्रीः 4/39)

मुस्नद अहमद में है कि हुज़ूर अकरम (ﷺ) ने अपने हज्जतुल विदा के ख़ुत्बा में फ़र्माया, "ख़बरदार हो जाओ, वह चार हैं। अल्लाह तआला के साथ किसी को शरीक न करो, ख़ूने नाहक़ से बचो, हाँ! शरई इजाज़त और चीज़ है, ज़िनाकारी न करो, चोरी न करो।" (अहमदः 4/339; वहुव सहीह) वह हदीस पहले गुज़र चुकी है जिसमें है कि "वसिय्यत करने में किसी को नुक़्सान पहुँचाना कबीरा गुनाह है।" (दारे कुत्नीः 4/151; हः 4249; वसनदुहू ज़ईफ़ुन जिद्दा) इब्ने जरीर में है कि सहाबा (रज़ि.) ने एक मर्तबा कबीरा गुनाहों का ज़िक्र किया कि अल्लाह तआला के साथ शरीक करना, यतीम का माल खाना, लड़ाई से भाग खड़ा होना, पाकदामन बेगुनाह औरतों पर तोहमत लगाना, माँ बाप की नाफ़र्मानी करना, झूठ बोलना, धोखा देना, ख़यानत करना, जादू करना, सूद खाना, यह सब कबीरा गुनाह हैं, तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया "और इस गुनाह को कहाँ रखते हो जो लोग अल्लाह के अहद और अपनी क़समों को थोड़ी-थोड़ी क़ीमत पर बेचते फिरते हैं।" (तब्रीः 9227; इसकी सनद में जाफ़र बिन ज़ुबेर मुत्तहम बिल किज़्ब है (अल्मीज़ानः 1/406; रक़मः 1502) लिहाज़ा यह रिवायत सख़्त ज़ईफ़ व मरदूद है।) आख़िर आयत तक आपने तिलावत की। इसकी इस्नाद में ज़ुअफ़ है और यह हदीस हसन है। पस इन तमाम अहादीस में कबीरा गुनाहों का ज़िक्र मौजूद है।

कबीरा गुनाह और सल्फ़े सालिहीन के चंद अक़्वालः अब इस बारे में सल्फ़े सालिहीन (रह.) के जो क़ौल हैं वह मुलाहिज़ा हों, इब्ने जरीर में है चंद लोगों ने मिस्र में हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (रज़ि.) से पूछा कि बहुत सी बातें किताबुल्लाह में हम ऐसी पाते हैं कि जिन पर हमारा अमल नहीं इसलिए हम अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर (रज़ि.) से इस बारे में पूछना चाहते हैं। हज़रत इब्ने अम्र (रज़ि.) उन्हें लेकर मदीना आए, हज़रत उमर (रज़ि.) से मिले। आपने पूछा, कब आए? जवाब दिया किइ इतने दिन हुए। पूछा इजाज़त से आए हो? इसका जवाब दिया फिर उन लोगों का ज़िक्र किया। आपने फ़र्माया, उन्हें जमा करो। फिर उनके पास आए और उनमें से एक से पूछा तुझे अल्लाह तआला और हक़्क़े इस्लाम की क़सम है, तूने पूरा क़ुरआने करीम पढ़ा है? उसने कहा, हाँ। फ़र्माया, तूने अपने जी में इसे महफ़ूज़ भी कर लिया है। उसने कहा, नहीं! और अगर हाँ कह देता तो हज़रत उमर (रज़ि.) उसे दलाइल से आजिज़ कर देते। फिर फ़र्माया, अपनी निगाह में अपनी ज़ुबान पर अपनी चाल में उसे घेर लिया है। फिर एक एक से यही सवाल किया। फिर फ़र्माया, तुम उमर को उस मशक़्क़त में डालना चाहते हो कि लोगों को किताबुल्लाह के मुताबिक़ ही ठीक-ठाक कर दे। हमारे रब को पहले ही से हमारी ख़ताओं का इल्म था। फिर आपने आयत (إِنْ تَجْتَنِبُوا) की तिलावत की। फिर फ़र्माया,

अहले मदीना को तुम्हारे आने का यह सबब मालूम है? उन्होंने कहा, नहीं! फ़र्माया, अगर उन्हें भी इसका इल्म होता तो मुझे इस बारे में उन्हें भी वाज़ कहना पड़ता। इसकी इस्नाद हसन है और मतन भी हसन है गो यह रिवायत हसन (रह.) की हज़रत उमर (रज़ि.) से है जिसमें इंक़िताअ है। लेकिन इतने से नुक़्सान को इसकी पूरी शोहरत काफ़ी है। इब्ने अबी हातिम में है हज़रत अली (रज़ि.) फ़र्माते हैं कबीरा गुनाह यह हैं, अल्लाह तआला के साथ शरीक करना, किसी को मार डालना, यतीम का माल खाना, पाकदामन औरतों को तोहमत लगाना, लड़ाई से भाग जाना, हिज्रत के बाद दारुल कुफ़्र में क़याम कर लेना, जादू करना, माँ बाप की नाफ़र्मानी करना, सूद खाना, जमाअत से जुदा होना, ख़रीदो-फ़रोख़्त तोड़ देना। पहले गुज़र चुका है कि हज़रत इब्ने मसऊद (रज़ि.) फ़र्माते हैं, बड़े से बड़ा गुनाह अल्लाह तआला के साथ शरीक करना है और अल्लाह तआला की कुशादगी से मायूस होना है। अल्लाह तआला की रहमत से नाउम्मीद होना है और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के मकर से बेख़ौफ़ होना है। इब्ने जरीर में आप ही से रिवायत है कि सूरह निसाअ के शुरू से लेकर तीस आयतों तक कबीरा गुनाह का बयान है। फिर आपने आयत (إِنْ تَجْتَنِبُوا) की तिलावत की।

हज़रत बुरैदा (रज़ि.) फ़र्माते हैं कबीरा गुनाह अल्लाह तआला के साथ शरीक करना, माँ बाप को नाख़ुश करना, आसूदगी के बाद बचे हुए पानी को हाजतमंदों से रोक रखना, अपने पास के नर जानवरों को किसी मादा के लिए बग़ैर कुछ लिए न देना हैं। (इब्ने अबी हातिम, मौक़ूफ़न वल बज़्ज़ारः 107; वसनदुहुमा ज़ईफ़ुन सालेह बिन हिब्बान ज़ईफ़) बुख़ारी व मुस्लिम की एक मरफ़ूअ हदीस में है "बचा हुआ पानी न रोका जाए और न बची हुई घास रोकी जाए।" (सहीह बुख़ारी, किताबुल मसाक़ात, बाब मन क़ाल इन्ना साहिबल माअ अहक़्क़ु बिल माअः 2353; सहीह मुस्लिमः 1566; तिर्मिज़ीः 1272; इब्ने माजाः 2478) और रिवायत में है "तीन क़िस्म के गुनहगारों की तरफ़ क़यामत के दिन अल्लाह तआला नज़रे रहमत से न देखेगा और न उन्हें पाक करेगा बल्कि उनके लिए दर्दनाक अज़ाब हैं, एक शख़्स जो जंगल में बचे हुए पानी पर क़ब्ज़ा करके मुसाफ़िरों को उससे रोके।" (सहीह बुख़ारी, किताबुल मसाक़ात, बाब इस्मुम म्म मनअ इब्नस्सबील मिनल माअः 2358; सहीह मुस्लिमः 108; अबूदाऊदः 3473; इब्ने माजाः 2207) मुस्नद अहमद में है "जो शख़्स ज़ाइद पानी को और ज़ाइद घास को रोक रखे, अल्लाह तआला क़यामत के दिन उस पर अपना फ़ज़्ल नहीं करेगा।" (अहमदः 2/221; वसनदुहू ज़ईफ़) हज़रत आइशा (रज़ि.) फ़र्माती हैं कबीरा गुनाह वह हैं जो औरतों से बेअत लेने के ज़िक्र में बयान हुए हैं यानी आयत (عَلَىٰٓ أَنْ لَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْـًٔا) (60/मुम्तहिनाः 12) में। हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) इस आयत को अल्लाह तआला के अज़ीमुश्शान एहसानों में बयान फ़र्माते हैं और उस पर बड़ी ख़ुश्नुदी का इज़्हार करते हैं। यानी आयत (إِنْ تَجْتَنِبُوا) को। एक मर्तबा हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) के सामने लोगों ने कहा कबीरा गुनाह सात हैं। आपने फ़र्माया, कई कई मर्तबा सात हैं। दूसरी रिवायत में है, आपने फ़र्माया, सात हल्का दर्जा है वरना सत्तर हैं, एक और शख़्स के इसे कहने पर आपने फ़र्माया, वह सात सौ तक हैं और सात तो बहुत ही क़रीब हैं, हाँ! यह याद रखो कि इस्तिग़फ़ार के बाद कबीरा गुनाह कबीरा नहीं रहता और इसरार और हमेशगी और दवाम करने से सग़ीरा गुनाह सग़ीरा नहीं रहता। और सनद से मरवी है कि आपने फ़र्माया, जिस गुनाह पर जहन्नम की वईद है

या ग़ज़बे इलाही की या लानत की या अ़ज़ाब की वह कबीरा है। और रिवायत में है कि जिससे अल्लाह तआ़ला मना कर दे वह कबीरा है जिस काम में अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ला की नाफ़र्मानी हो वह बड़ा गुनाह है।

ताबेईन के क़ौल भी मुलाहिज़ा हों। उ़बेदा (रह़.) फ़र्माते हैं कबीरा गुनाह यह हैं, अल्लाह तआ़ला के साथ शिर्क, बग़ैर ह़क़ के किसी जान को क़त्ल करना, मैदाने जिहाद में पीठ दिखाना, यतीम का माल उड़ा देना, सूदख़ोरी, बोहतानबाज़ी, हिज्रत के बाद वतन दोस्ती। रावी ह़दीस इब्ने औ़न ने अपने उस्ताद मुह़म्मद (रह़.) से पूछा, क्या जादू कबीरा गुनाह में नहीं? फ़र्माया, यह बोहतान में आ गया। यह लफ़्ज़ बहुत सी बुराईयों को शामिल है। ह़ज़रत उ़बेदा बिन उ़मेर (रह़.) ने कबीरा गुनाहों पर आयाते क़ुरआनी भी तिलावत करके सुनाईं, शिर्क पर (وَ مَنۡ یُّشۡرِکۡ بِاللّٰہِ فَکَاَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَآءِ) (22/ह़ज्जः 31) यानी "अल्लाह तआ़ला के साथ शिर्क करने वाला गोया आसमान से गिर पड़ा। पस उसे परिन्दे लपक ले आएँगे, या हवा किसी दूरदराज़ नामालूम और बदतरीन जगह उसे फेंक देगी।" यतीम के माल पर (اِنَّ الَّذِیۡنَ یَاۡکُلُوۡنَ اَمۡوَالَ الۡیَتٰمٰی ظُلۡمًا) (4/निसाअः 10) यानी "जो लोग ज़ुल्म से यतीमों का माल मार खाते हैं वह अपने पेट में जहन्नम के अंगारे भरते हैं।" सूदख़ोरी पर (اَلَّذِیۡنَ یَاۡکُلُوۡنَ الرِّبٰوا) (2/बक़रहः 275) यानी "जो लोग सूदख़ोरी करते हैं वह क़यामत के दिन मख़बूतुल ह़वास और पागल बनकर खड़े होंगे।" बोहतान पर (اِنَّ الَّذِیۡنَ یَرۡمُوۡنَ الۡمُحۡصَنٰتِ) (24/नूरः 23) "जो लोग पाकदामन बेख़बर ईमान वाली औ़रतों पर तोहमत लगाएँ।" मैदाने जंग से भागने पर (یٰۤاَیُّهَا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡۤا اِذَا لَقِیۡتُمُ الَّذِیۡنَ کَفَرُوۡا زَحۡفًا) (8/अन्फ़ालः 15) "ईमानवालों! जब काफ़िरों से तुम्हारी मुठभेड़ हो जाए तो पीठ न दिखाओ।" हिज्रत के बाद कुफ़्रिस्तान में क़याम करने पर (اِنَّ الَّذِیۡنَ ارۡتَدُّوۡا عَلٰۤی اَدۡبَارِهِمۡ) (47/मुहम्मदः 25) यानी "जो लोग हिदायत के बाद मुर्तद हो जाएँ।" क़त्ले मोमिन पर (وَ مَنۡ یَّقۡتُلۡ مُؤۡمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهٗ جَهَنَّمُ خٰلِدًا فِیۡهَا) (4/निसाअः 93) यानी "जो शख़्स किसी मोमिन को जान-बूझकर मार डाले उसकी सज़ा जहन्नम का अब्दी दाख़िला है।" ह़ज़रत अ़ता (रह़.) से भी कबीरा गुनाहों का बयान मौजूद है और उसमें झूठी गवाही है। ह़ज़रत मुग़ीरा (रह़.) फ़र्माते हैं यह कहा जाता था कि ह़ज़रत अबूबक्र सि़द्दीक़ (रज़ि.) और ह़ज़रत उ़मर फ़ारूक़ (रज़ि.) को बुरा कहना भी कबीरा गुनाह है। मैं कहता हूँ, उ़लमा की एक जमाअ़त ने उसे काफ़िर कहा है जो स़ह़ाबा (रज़ि.) को बुरा कहे। ह़ज़रत इमाम मालिक बिन अनस (रह़.) से यह मरवी है। इमाम मुह़म्मद बिन सीरीन (रह़.) फ़र्माते हैं मैं यह बावर नहीं कर सकता कि किसी के दिल में रसूलुल्लाह (ﷺ) की मुह़ब्बत हो और वह ह़ज़रत अबूबक्र सि़द्दीक़ (रज़ि.) से दुश्मनी रखे। (तिर्मिज़ी, किताबुल मनाक़िब, बाब क़ौले उ़मर लि अबीबक्र या ख़ैरन्नासः 3685; वसनदुहू ज़ईफ़; यह रिवायत अ़ब्दुल्लाह बिन दाऊद अल्वासती की वजह से ज़ईफ़ है) ह़ज़रत ज़ेद बिन असलम (रह़.) इस आयत की तफ़्सीर में फ़र्माते हैं कबाइर यह हैं अल्लाह तआ़ला के साथ शिर्क करना, अल्लाह तआ़ला की आयतों और उसके रसूलों से कुफ़्र करना, जादू करना, औलाद को मार डालना, अल्लाह तआ़ला की औलाद और बीवी मुक़र्रर करना और इसी जैसे वह आ़माल और अक़्वाल हैं जिनके बाद कोई नेकी क़बूल नहीं होती। हाँ! जो ऐसे गुनाह हैं जिनके साथ दीन रह सकता है और अ़मल क़बूल किया जा सकता है ऐसे गुनाहों से बचें, और हमसे यह भी ज़िक्र किया गया है कि आँह़ज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया है "कबीरा गुनाहों से बचो ठीक ठाक

और दुरुस्त रहो और ख़ुशख़बरी सुनो।'' (इब्ने जरीर वसनदुहू ज़ईफ़ मुर्सल) मुस्नद अब्दुर्रज़्ज़ाक़ में बसनदे सहीह रसूलुल्लाह (ﷺ) से मरवी है कि आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ''मेरी शफ़ाअत मेरी उम्मत के कबीरा गुनाह करने वालों के लिए भी है।'' (तिर्मिज़ी, किताब सिफ़तुल क़यामा, बाब मिन्हू हदीसुन शफ़ाअती लि अहलिल कबाइर मिन उम्मतीः 2435; वसनदुहू सहीह; इब्ने माजाः 4310)

इमाम तिर्मिज़ी (रह.) भी इसे हसन सहीह फ़र्माते हैं गो इस रिवायत की और सनदें ज़ुअफ़ से ख़ाली नहीं मगर इसके जो शवाहिद हैं उनमें भी सहीह रिवायात हैं मस्लन एक हदीस में है ''क्या तुम यह जानते हो कि मेरी शफ़ाअत सिर्फ़ मुत्तक़ियों और मोमिनों के लिए ही है? नहीं! नहीं! बल्कि वह ख़ताकारों और गुनाहों में आलूदा लोगों के लिए भी है।'' (इब्ने माजा, किताबुज़्ज़ुहद, बाब ज़िक्रुश्शफ़ाअतः 4311; वसनदुहू हसन)

अब उलमा-ए-किराम के क़ौल सुनिए जिनमें यह बताया गया है कि कबीरा गुनाह किसे कहते हैं, कुछ तो कहते हैं कबीरा गुनाह वह है जिस पर हद्दे शरई हो, कुछ कहते हैं जिस पर क़ुरआन में या हदीस में किसी सज़ा का ज़िक्र हो। कुछ का क़ौल है जिससे दीनदारी कम होती हो और दयानतदारी में कमी वाक़ेअ होती हो। क़ाज़ी अबू सईद (रह.) फ़र्माते हैं जिसका हराम होना लफ़्ज़ों से साबित हो और जिस नाफ़र्मानी पर कोई हद हो, जैसे क़त्ल वग़ैरह इसी तरह हर फ़रीज़ा का तर्क और झूठी गवाही और झूठी रिवायत और झूठी क़सम। क़ाज़ी रूयानी (रह.) फ़र्माते हैं कबाइर सात हैं बेवजह किसी को मार डालना, ज़िना, लवातत, शराब पीना, चोरी, ग़सब (हजम), तोहमत।

और एक आठवीं चीज़ भी दूसरी रिवायत में मरवी है यानी झूठी गवाही और उसी के साथ यह भी शामिल किए गए हैं सूदख़ोरी, रमज़ान के रोज़े बग़ैर किसी शरई उज़्र छोड़ देना, झूठी क़सम, रिश्ते तोड़ना, माँ बाप की नाफ़र्मानी, जिहाद से भागना, माले यतीम का खा जाना, माप तौल में ख़यानत करना, नमाज़ वक़्त से पहले या वक़्त गुज़ार कर बेउज़्र अदा करना, मुसलमान को बेवजह मारना, रसूलुल्लाह (ﷺ) पर जान बूझकर झूठ बाँधना, आप (ﷺ) के सहाबियों को गाली देना, बेसबब गवाही छुपाना, रिश्वत लेना, मर्दो औरतों में नाचाक़ी करा देना, बादशाह के पास चुग़लख़ोरी करना, ज़कात रोक लेना, क़ुदरत के रखने के बाद भी भली बातों का हुक्म न करना, बुरी बातों से न रोकना, क़ुरआन सीखकर भूल जाना, जानदार चीज़ को आग से जलाना, औरत का अपने शौहर के पास बेसबब न आना, अल्लाह तआला की रहमत से नाउम्मीद हो जाना, अल्लाह तआला के मकर से बेख़ौफ़ हो जाना, अहले इल्म और हामिलाने क़ुरआन की बुराइयाँ करना, ज़िहार करना, सूअर का गोश्त खाना, मुरदार खाना, हाँ! अगर बवजह ज़रूरत और इज़्तिरार के खाया हो तो और बात है। इमाम राफ़ई (रह.) फ़र्माते हैं, इनमें से कुछ में तवक़्क़ुफ़ की गुंजाइश है। कबाइर के बारे में बुज़ुर्गाने दीन ने बहुत सी किताबें भी तस्नीफ़ फ़र्माई हैं। हमारे शैख़ हाफ़िज़ अब्दुल्लाह ज़हबी (रह.) ने भी एक किताब लिखी है जिसमें सत्तर कबीरा गुनाह गिनवाए हैं।

और यह भी कहा गया है कि कबीरा गुनाह वह है जिस पर शारेअ (ﷺ) ने जहन्नम की वईद सुनाई है, इस क़िस्म के गुनाह ही अगर गिने जाएँ तो बहुत निकलेंगे, और अगर कबीरा गुनाह हर उस काम को कहा जाए जिससे शारेअ (ﷺ) ने रोक दिया है तो बहुत ही हो जाएँगे, वल्लाहु आलम!

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ ۭ لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا
اكْتَسَبُوْا ۭ وَلِلنِّسَاۗءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۭ وَسْـَٔلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهٖ ۭ اِنَّ اللّٰهَ
كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِــيْمًا ۝32

तर्जुमा: ''उस चीज़ की आरज़ू न करो जिसके सबब अल्लाह तआला ने तुममें से कुछ को कुछ पर बुज़ुर्गी दी है। मर्दों का हिस्सा है जो उनका किया धरा है। और औरतों के लिए हिस्सा है उनका जो उन्होंने किया। और अल्लाह तआला से उसका फ़ज़्ल मांगते रहो यक़ीनन अल्लाह तआला हर चीज़ का जानने वाला है।'' (32)

औरतें मर्दों के बराबर चलने की बजाए अल्लाह तआला का फ़ज़्ल तलाश करें (आयत 32): हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) ने एक मर्तबा कहा था कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! मर्द जिहाद करते हैं और हम औरतें उस सवाब से महरूम हैं। इसी तरह मीरास में भी हमें बनिस्बत मर्दों के आधा हिस्सा मिलता है, इस पर यह आयत नाज़िल हुई। (तिर्मिज़ी, किताब तफ़्सीरुल कुरआन, बाब वमिन सूरतिन्नासः 3022; वसनदुहू ज़ईफ़; सनद मुर्सल है नीज़ इब्ने अबी नुजेह मुदल्लस के सिमाअ की तसरीह नहीं है।) और रिवायत में है कि उसके बाद फिर आयत (اَنِّىْ لَاۤ اُضِيْعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى) (3/आले इमरानः 195) उतरी। और रिवायत में है कि औरतों ने यह आरज़ू की थी कि काश! हम भी मर्द होते तो जिहाद में जाते। और रिवायत में है कि एक औरत ने ख़िदमते नबवी (ﷺ) में हाज़िर होकर कहा था कि देखिए मर्द को दो औरतों के बराबर हिस्सा मिलता है, दो औरतों की शहादत मिस्ल एक मर्द के समझी जाती है फिर अमल में इस तरह हैं कि एक नेकी की आधी नेकी रह जाती है, इस पर यह आयत नाज़िल हुई। (इब्ने अबी हातिम वसनदुहू हसन) सुद्दी (रह.) फ़र्माते हैं कि मर्दों ने तो कहा था कि जब दोहरे हिस्से के मालिक हम हैं तो दोहरा अज्र भी हमें क्यूँ न मिले। और औरतों ने दरख़्वास्त की थी कि जब हम पर जिहाद फ़र्ज़ ही नहीं और हम नहीं करते तो शहादत का सवाब हमें क्यूँ न मिले। इस पर अल्लाह तआला ने दोनों को रोका और हुक्म दिया कि मेरा फ़ज़्ल तलब करते रहो। हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से यह मतलब बयान किया गया है कि इंसान यह आरज़ू न करे कि काश! कि फ़लाँ का माल औलाद मेरा होता। इस पर उस हदीस से कोई इश्काल साबित नहीं हो सकता जिसमें है कि ''हसद के क़ाबिल सिर्फ़ दो हैं, एक मालदार जो अल्लाह की राह में अपना माल लुटाता है और दूसरा कहता है काश कि मेरे पास भी माल होता तो मैं भी इसी तरह फ़ी सबीलिल्लाह ख़र्च करता रहता। पस यह दोनों अल्लाह तआला के नज़दीक अज्र में बराबर हैं।'' (सहीह बुख़ारी, किताबुल इल्म, बाबुल इग़्तिबात फ़िल इल्म वल हुक्मः 73; सहीह मुस्लिमः 816) इसलिए कि यह मम्नूअ नहीं यानी ऐसी नेकी की हिर्स बुरी नहीं यहाँ इस जैसी चीज़ इस जैसे नेक काम के करने की ग़र्ज़ से हासिल होने की तमन्ना है जो महमूद है और वहाँ

उसकी अपनी चीज़ को ख़ुद के क़ब्ज़े में करने की निय्यत है जो हर तरह़ मज़्मूम है। पस दीनी और दुनियावी फ़ज़ीलत की तमन्ना इस तरह़ मना है। फिर फ़र्माया, हर एक को उसके अ़मल का बदला मिलेगा, ख़ैर के बदले ख़ैर और शर के बदले शर और यह भी मुराद हो सकती है कि हर एक को उसके ह़क़ के मुत़ाबिक़ वर्सा दिया जाता है। फिर इर्शाद होता है कि हमसे हमारा फ़ज़्ल मांगते रहा करो आपस में एक-दूसरे की फ़ज़ीलत की तमन्ना बेसूद अम्र है। हाँ! मुझसे मेरा फ़ज़्ल त़लब करो तो मैं करीम हूँ, वह्हाब हूँ, दूँगा और बहुत कुछ दूँगा। जनाब रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़र्माते हैं लोगों! अल्लाह तआ़ला से उसका फ़ज़्ल त़लब करो, अल्लाह तआ़ला से मांगना अल्लाह तआ़ला को पसंद है। याद रखो सबसे आ़ला इ़बादत कुशादगी और वुस्अ़ते रह़मत का इंतिज़ार करना और उसकी उम्मीद रखना है। (तिर्मिज़ी, किताबुद्दअ़वात, बाब फ़ी इंतिज़ारिल फ़रह़ः 3571; वसनदुहू ज़ईफ़; ह़म्माद अस्सफ़ार ज़ईफ़ रावी है।) और रिवायत में है ऐसी उम्मीद रखने वाले अल्लाह तआ़ला को बहुत पसंद है।'' (तिर्मिज़ीः 3571; वसनदुहू ज़ईफ़; इब्ने मर्दवे बिसनदि ह़कीम बिन जुबेर वसनदुहू ज़ईफ़ बिज़ुअ़फ़ि ह़कीम)

अल्लाह तआ़ला अ़लीम है उसे ख़ूब मालूम है कि कौन दिए जाने के क़ाबिल है और कौन फ़क़ीरी के लायक़ है और कौन आख़िरत की नेअ़मतों का मुस्तह़िक़ है और कौन वहाँ की रुस्वाईयों का सज़ावार है। उसे उसके अस्बाब और उसके वसाइल वह मुहय्या और आसान कर देता है।

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٣٣﴾

तर्जुमाः ''माँ बाप और क़रीबी रिश्तेदार जो छोड़ मरें उसके वारिस हमने हर शख़्स के मुक़र्रर कर दिए हैं और जिनसे तुमने अपने हाथों गाँठ बाँधी, उन्हें उनका हिस़्सा दो, ह़क़ीक़तन अल्लाह तआ़ला हर चीज़ पर ह़ाज़िर है।'' (33)

विरासत के अह़काम (आयत 33): बहुत से मुफ़स्सिरीन से मरवी है कि मवाली से मुराद वारिस हैं। कुछ कहते हैं, अ़स्बा मुराद हैं। चचा की औलाद को भी मौला कहा जाता है जैसे ह़ज़रत फ़ज़्ल बिन अ़ब्बास (रज़ि.) के शेअ़र में है। पस मत़लब आयत का यह हुआ कि ऐ लोगों! तुममें से हर एक के लिए हमने अ़स्बा बना दिए हैं जो उस माल के वारिस होंगे जिसे उनके माँ बाप और क़रीबी रिश्तेदार छोड़ गए हैं, और जो तुम्हारे मूँह बोले भाई हैं क़समें खाकर जिनके तुम भाई बने हो और वह तुम्हारे भाई बने हैं, उन्हें उनकी मीरास का ह़िस़्सा दो जैसे कि क़समों के वक़्त तुममें अ़हदो पैमान हो चुका था। यह हुक्म इस्लाम के शुरू में था फिर मंसूख़ हो गया। और हुक्म हुआ कि जिनसे अ़हदो पैमान हुए हैं, वह निभाए जाएँ और भूले न जाएँ लेकिन मीरास उन्हें नहीं पहुँच सकती। स़ह़ीह़ बुख़ारी शरीफ़ में ह़ज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) से मरवी है कि मवाली से मुराद वारिस हैं और बाद के जुम्ले से मुराद यह है कि मुहाजिरीन जब मदीना मुनव्वरा में आए तो यह दस्तूर था कि हर मुहाजिर अपने अंस़ारी

भाईबंद का वारिस होता, उसके ज़ू रहम रिश्तेदार वारिस न होते, पस इस आयत ने इस तरीक़े को मंसूख़ क़रार दिया और हुक्म हुआ कि इनकी मदद करो, इन्हें फ़ायदा पहुँचाओ, इनकी ख़ैरख़्वाही करो लेकिन मीरास इन्हें नहीं पहुँचती, हाँ! वसिय्यत कर जाओ। (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर, सूरतुन्निसाअ (**व लिकुल्लिन जअल्ना मवाली**): 4580)

इस्लाम से पहले यह दस्तूर था कि दो शख़्सों में अहदो-पैमान हो जाता था कि मैं तेरा वारिस और तू मेरा वारिस, इसी तरह अरब के क़बीले अहद-बन्दियाँ कर लेते थे पस हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, जाहिलियत की क़समें और अहदो-पैमान को इस्लाम और मज़बूत करता है। (अहमदः 1/317; दारमीः 2526; मुस्नद अबी यअलाः 2336; इब्ने हिब्बानः 4370; वहुव हदीसुन हसन; तबरानीः 11740) लेकिन अब इस्लाम में क़समें और उस क़सम के अहद नहीं, उसे इस आयत ने मंसूख़ क़रार दिया और फ़र्माया, ज़ी रहम रिश्ततेदार किताबुल्लाह के हुक्म से ज़्यादा औला हैं बनिस्बत अहद करने वालों के, एक रिवायत में है कि हुज़ूर अकरम (ﷺ) ने जाहिलियत की क़समों और अहदों के बारे में यहाँ तक ताकीद की कि फ़र्माया, ''अगर मुझे सुर्ख़ ऊँट दिए जाएँ आर उस क़सम को तोड़ने को कहा जाए जो दारुन्नदवा में हुई थी तो मैं इसे भी पसंद नहीं करता। (तब्रीः 9291; वसनदुहू ज़ईफ़) इब्ने जरीर में है हुज़ूरे अकरम (ﷺ) फ़र्माते हैं ''मैं अपने बचपने में अपने मामूओं के साथ हलफ़े तय्यिबीन में था, मुझको लाल ऊँट मिलें लेकिन उस क़सम को तोड़ना हर्गिज़ पसंद नहीं करता।'' (तब्रीः 9297; वसनदुहू ज़ईफ़) पस याद रहे कि क़ुरैश व अंसार में जो रिश्ता रसूलुल्लाह (ﷺ) ने क़ायम किया था वह सिर्फ़ उल्फ़त व यगानिगत पेदा करने के लिए था, लोगों के सवाल के जवाब में भी हुज़ूरे अकरम (ﷺ) का यह फ़र्मान मरवी है कि जाहिलियत के हलफ़ निभाओ। अब इस्लाम में कोई हलफ़ नहीं। (अहमदः 5/61; वसनदुहू ज़ईफ़) फ़तहे मक्का वाले दिन भी आप (ﷺ) ने खड़े होकर अपने ख़ुत्बा में इस बात का ऐलान किया था। (तब्रीः 9299; वसनदुहू ज़ईफ़)

दाऊद बिन हुसैन (रह.) कहते हैं, मैं हज़रत उम्मे सअद बिन्ते रबीअ (रज़ि.) से क़ुरआन पढ़ता था, मेरे साथ उनके पोते मूसा बिन सअद भी पढ़ रहे थे जो हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) की गोद में यतीमी के अय्याम गुज़ार रहे थे। मैंने इस आयत में आक़दत पढ़ा तो मुझे मेरी उस्ताद जी ने रोका और फ़र्माया (अक़दत) पढ़ो। सुनो! यह आयत हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) और उनके साहबज़ादे हज़रत अब्दुर्रहमान (रज़ि.) के बारे में नाज़िल हुई है। यह पहले इस्लाम के मुंकिर थे, हज़रत सिद्दीक़ (रज़ि.) ने क़सम खा ली कि इसे वारिस न करेंगे, बिलआख़िर जब यह मुसलमानों की बेपनाह तलवारों से इस्लाम की तरफ़ आमादा हुए और मुसलमान हो गए तो जनाब सिद्दीक़ (रज़ि.) को हुक्म हुआ कि उन्हें उनके वर्से के हिस्से से महरूम न करें। इसकी सनद में इब्ने इस्हाक़ मुदल्लस रावी है। (अत्तक़रीबः 2/144) लिहाज़ा यह रिवायत ज़ईफ़ है।) लेकिन यह क़ौल ग़रीब है और सही क़ौल पहला ही है। अल्ग़र्ज़ इस आयत और इन अहादीस से उनका क़ौल रद्द होता है जो क़सम और वादों की बिना पर आज भी वर्सा पहुँचने के क़ाइल हैं जैसे कि इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) और उनके साथियों का ख़्याल है और इमाम अहमद (रह.) से भी एक रिवायत इस क़िस्म की है।

लेकिन सही मज़हब जुम्हूर का है और इमाम मालिक (रह़.) और इमाम शाफ़ेई (रह़.) का और मशहूर क़ौल की बिना पर इमाम अह़मद (रह़.) का भी। पस आयत में इर्शाद है कि हर शख़्स के वारिस उसके क़राबती लोग हैं और कोई नहीं। बुख़ारी व मुस्लिम में है रसूल मक़्बूल (ﷺ) फ़र्माते हैं "हिस्सेदार वारिसों को उनके हिस्सों के मुताबिक़ देकर फिर जो बच जाए तो अस्बा को मिले" (सह़ीह़ बुख़ारी, किताबुल फ़राइज़, बाब मीरासुल वलद मिन अबीही व उम्मिहीः 6732; सह़ीह़ मुस्लिमः 1615; तिर्मिज़ीः 2098) और वारिस वह हैं जिनका ज़िक्र फ़राइज़ की दो आयतों में है। और जिनसे तुमने मज़बूत अहदो-पैमान और क़समा क़समी की है यानी इस आयत के नाज़िल होने से पहले उन्हें उनका हिस्सा दो यानी मीरास का और उसके बाद जो ह़लफ़ हो वह तासीर वाली न समझी जाएगी और यह भी कहा गया है कि ख़्वाह इससे पहले के वादे और क़समें हों ख़्वाह इस आयत के उतरने के बाद हों, सबका यही हुक्म है कि ऐसे ह़लीफ़ों को मीरास न मिलेगी और बक़ौल ह़ज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) उनका हिस्सा नुसरत, इम्दाद, ख़ैरख़्वाही और वसिय्यत है, मीरास नहीं, आप फ़र्माते हैं कि लोग अहदो पैमान कर लिया करते थे कि उनमें से जो पहले मरेगा बाद वाला दूसरा उसका वारिस बनेगा। पस अल्लाह तबारक व तआला ने आयत (व ऊलुल अरह़ाम) नाज़िल फ़र्माकर हुक्म दे दिया कि ज़ी रह़म मह़रम एक से एक औला है, हाँ! अपने दोस्तों के साथ सुलूक करो। यानी अगर उनके लिए सुलुस माल में वसिय्यत कर जाओ तो जाइज़ है, मारूफ़ व मशहूर अम्र भी यही है। और भी बहुत से सलफ़ से मरवी है कि यह आयत मंसूख़ है और नासिख़ आयत (ऊलुल अरह़ामि) वाली है। ह़ज़रत सईद बिन जुबेर (रह़.) फ़र्माते हैं, उन्हें उनका हिस्सा दो यानी मीरास। ह़ज़रत अबूबक्र (रज़ि.) ने एक साह़ब को अपना मौला बनाया था तो उन्हें वारिस किया।

इब्नुल मुसय्यिब (रह़.) फ़र्माते हैं यह आयत उन लोगों के ह़क़ में उतरी है जो अपने बेटों के सिवा औरों को अपना बेटा बनाते थे और उन्हें अपनी जायदाद का जाइज़ वारिस क़रार देते थे पस अल्लाह तआला ने उनका हिस्सा वसिय्यत में से देने को फ़र्माया और मीरास को मवालिय यानी ज़ी रह़म मह़रम रिश्तेदारों की और अस्बा की तरफ़ लौटा दिया और इससे मना कर दिया और इसे नापसंद फ़र्माया कि सिर्फ़ ज़ुबानी दावों और बनाए हुए बेटों को वर्सा दिया जाए हाँ! उनके लिए वसिय्यत में से देने को फ़र्माया। इमाम इब्ने जरीर (रह़.) फ़र्माते हैं, मेरे नज़दीक मुख़्तार क़ौल यह है कि उन्हें हिस्सा दो यानी नुसरत नसीह़त और मऊनत का, यह नहीं कि उन्हें उनके वर्सा का हिस्सा दो तो यह मानी करने से फिर आयत को मंसूख़ बताने की कोई वजह बाक़ी नहीं रहती, न यह कहना पड़ता है कि यह हुक्म पहले था अब नहीं रहा, बल्कि आयत की दलालत सिर्फ़ इसी अम्र पर है कि जो अहदो-पैमान आपस की इम्दाद व एआनत के ख़ैरख़्वाही और भलाई के होते हैं, उन्हें पूरा करो पस यह आयत मुह़कम और ग़ैर मंसूख़ है लेकिन इमाम साह़ब (रह़.) के इस क़ौल में ज़रा नज़र है इसलिए कि इसमें तो शक नहीं कि कुछ अहदो-पैमान सिर्फ़ नुसरत व इम्दाद के ही होते थे लेकिन इसमें भी शक नहीं कि कुछ अहदो पैमान वर्से के होते थे जैसे कि बहुत से सल्फ़ सालेह़ीन से मरवी है और जैसे कि इब्ने अब्बास (रज़ि.) की तफ़्सीर भी गुज़री जिसमें उन्होंने साफ़ फ़र्माया है कि मुहाजिर अंसारी का वारिस होता था। उसके क़रीबी लोग वारिस नहीं होते थे, न ज़ी रह़म रिश्तेदार वारिस होते थे यहाँ तक कि यह हुक्म मंसूख़ हो गया। फिर इमाम साह़ब (रह़.) कैसे फ़र्मा सकते हैं कि यह आयत मुह़कम और ग़ैर मंसूख़ है, वल्लाहु आलम!

اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ؕ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ ؕ وَالّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ ۚ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا ﴿۳۴﴾

तर्जुमाः''मर्द औरतों पर हाकिम हैं इस वजह से कि अल्लाह तआला ने एक को दूसरे पर फ़ज़ीलत दे रखी है और इस वजह से कि मर्दों ने अपने माल ख़र्च किए हैं। पस नेक औरतें फ़र्मांबरदार शौहर की अदमे मौजूदगी में बहिफ़ाज़ते इलाही निगाहदाश्त रखने वालियाँ हैं और जिन औरतों की नाफ़र्मानी और बद दिमाग़ी का तुम्हें डर हो उन्हें नसीहत करो और उन्हें अलग बिस्तरों पर छोड़ दो और उन्हें मार की सज़ा दो फिर अगर वह ताबेदारी करने लगें तो उन पर कोई रास्ता तलाश न करो, बेशक अल्लाह तआला बड़ी बुलंद और बड़ाई वाला है।'' (34)

नाफ़र्मान बीवी को समझाने के अह्कामात (आयत 34): जनाब बारी इर्शाद फ़र्माता है कि मर्द औरत का हाकिम रईस और सरदार है उसे दुरुस्त और ठीक-ठाक रखने वाला है, इसलिए कि मर्द औरतों से अफ़ज़ल हैं यही वजह है कि नबुव्वत मर्दों में रही और इसी तरह शरई तौर पर ख़लीफ़ा भी मर्द ही बन सकता है। हुज़ूरे अकरम (ﷺ) फ़र्माते हैं, ''वह लोग कभी नजात नहीं पा सकते जो अपना वाली किसी औरत को बनाएँ।'' (सहीह बुख़ारी, किताबुल फ़ितन, बाब रक़मः 18, 7099; नसाईः 5390; तिर्मिज़ीः 2262) इसी तरह मंसबे क़ज़ा वग़ैरह भी सिर्फ़ मर्दों के लायक़ ही हैं। दूसरी वजह अफ़ज़लियत की यह है कि मर्द औरतों पर अपना माल ख़र्च करते हैं जो किताबो सुन्नत से उनके ज़िम्मे है मस्लन मुहर में नान नफ़्क़ा में और दीगर ज़रूरियात के पूरा करने में। पस मर्द फ़ी नफ़्सिही अफ़ज़ल और बाएतिबार नफ़ा के और हाजत बरआरी के भी उसका दर्जा बड़ा। पस उसको औरत पर सरदार बनाया गया, जैसे और जगह फ़र्मान है (वलिर्रिजालि अलयहिन्न दरजतुन) (2/बक़रहः 228) इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़र्माते हैं मतलब यह है कि औरतों को मर्दों की इताअत करनी पड़ेगी, उसके बाल बच्चों की निगहदाश्त, उसके माल की हिफ़ाज़त वग़ैरह उसका काम है। हज़रत हसन बसरी (रह.) फ़र्माते हैं एक औरत ने नबी अकरम (ﷺ) के सामने अपने शौहर की शिकायत की कि उसने उसे थप्पड़ मारा है, पस आप (ﷺ) ने बदला लेने का हुक्म दिया ही था जो यह आयत उतरी और बदला न दिलवाया गया। (अस्बाबे नुज़ूल लिल वाहिदीः 311; वत्तब्रीः 9305; मुर्सलन वसनदुहू ज़ईफ़) एक और रिवायत में है कि एक अंसारी अपनी बीवी साहिबा को लिए हुए हाज़िरे ख़िदमत हुए, उस औरत ने हुज़ूरे

अकरम (ﷺ) से कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मेरे इस शौहर ने मुझे थप्पड़ मारा है, जिसका निशान अब तक मेरे चेहरे पर मौजूद है। आपने फ़र्माया, इसे हक़ न था, वहीं यह आयत उतरी कि अदब सिखाने के लिए मर्द औरतों पर हाकिम हैं, तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, "मैंने और चाहा था अल्लाह तआला ने और चाहा।" (इब्ने मर्दवे व सनदुहू मौज़ूअ, इसकी सनद में मुहम्मद बिन अश्अस अल्कूफ़ी मनाकीर और मौज़ूअ रिवायात बयान करने वाला है। देखिए (अल्मीज़ानः 4/28; रक़मः 8131) शअबी (रह़.) फ़र्माते हैं माल ख़र्च करने से मुराद मुहर का अदा करना है। देखो अगर मर्द औरत पर ज़िनाकारी की तोहमत लगाए तो लिआन का हुक्म है और अगर औरत अपने मर्द की निस्बत यह बात कहे और साबित न कर सके तो उसे कोड़े लगेंगे। पस औरतों में से नेक नफ़्स वह हैं जो अपने शौहरों की इताअत गुज़ार हों, अपने नफ़्स और शौहर के माल की हिफ़ाज़त रखने वालियाँ हों जिसे ख़ुद अल्लाह तआला ने महफ़ूज़ रखने का हुक्म दिया है। रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़र्माते हैं, "बेहतर औरत वह है कि जब उसका शौहर उसकी तरफ़ देखे वह उसे ख़ुश कर दे और जब हुक्म दे, बजा लाए और जब कहीं बाहर जाए तो अपने नफ़्स को बुराई से महफ़ूज़ रखे और अपने शौहर के माल की हिफ़ाज़त करे।" फिर आप (ﷺ) ने इस आयत की तिलावत फ़र्माई। (इब्ने जरीर वसनदुहू ज़ईफ़; मुस्नद तयालिसीः 2325; वसनदुहू ज़ईफ़; अस्सुननुल कुब्रा लिन्नसाईः 8961; बिदून ज़िक्रुल आयात वसनदुहू हसन; यह हदीस आयत के ज़िक्र के अलावा सहीह है।) मुस्नद अहमद में है कि आप (ﷺ) ने फ़र्माया "जब कोई औरत पाँचों वक़्त की नमाज़ अदा करे, रमज़ान के रोज़े रखे, अपनी शर्मगाह की हिफ़ाज़त करे, अपने शौहर की फ़र्मांबरदारी करे, उससे कहा जाएगा कि जन्नत के जिस दरवाज़े से तू चाहे जन्नत में चली जा।" (अहमदः 1/191; वसनदुहू ज़ईफ़ुन; अल्मुअजमुल औसत लित्तबरानीः 4595)

फिर फ़र्माया जिन औरतों की सरकशी से तुम डरो यानी जो तुमसे बुलंद होना चाहती हो, नाफ़र्मानी करती हो, बेपरवाही बरतती हो, दुश्मनी रखती हो तो पहले तो उसे ज़ुबानी नसीहत करो, हर तरह से समझाओ, उतार चढ़ाव बताओ, अल्लाह तआला का ख़ौफ़ दिलाओ, बीवी होने के हुक़ूक़ याद दिलाओ, उससे कहो कि देखो! शौहर के इतने हुक़ूक़ हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, "अगर मैं किसी को हुक्म कर सकता कि वह अल्लाह के सिवा दूसरे को सज्दा करे तो औरत को हुक्म करता कि वह अपने शौहर को सज्दा करे क्योंकि सबसे बड़ा हक़ उस पर उसी का है।" (अहमदः 2322; अबूदाऊदः 2140; वसनदुहू हसन; इब्ने माजाः 1853) बुख़ारी शरीफ़ में है कि "जब कोई शख़्स अपनी बीवी को अपने बिस्तर पर बुलाए और वह इंकार कर दे तो सुबह तक फ़रिश्ते उस पर लअनत भेजते रहते हैं। (सहीह बुख़ारी, किताबुन्निकाह, बाब इज़ा माततिल मरअतु मुहाजिराः 5193) सहीह मुस्लिम में है कि जिस रात को कोई औरत बतौर रूठने के अपने शौहर के बिस्तर को छोड़े रहे तो सुबह तक अल्लाह तआला की रहमत के फ़रिश्ते उस पर लअनतें नाज़िल करते रहते हैं।" (सहीह मुस्लिम, किताबुन्निकाह, बाब तहरीमु इम्तिनाइहा मिन फ़िराशि ज़ौजिहाः 1436) तो यहाँ इर्शाद फ़र्माता है कि ऐसी नाफ़र्मान औरतों को पहले तो समझाओ बुझाओ फिर बिस्तरों से अलग करो। (अबूदाऊद, किताबुन्निकाह, बाब फ़ी हक़्क़िल मर्अते अला ज़ौजिहाः 2142; वसनदुहू सहीह; इब्ने माजाः 1850) इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़र्माते हैं यानी सुलाए तो बिस्तर ही पर मगर ख़ुद उससे करवट फेर ले और मुजामिअत न

करे। बातचीत और कलाम भी छोड़ सकता है और यह औरत की बड़ी भारी सज़ा है। कुछ मुफ़स्सिरीन फ़र्माते हैं, साथ सुलाना ही छोड़ दे। हुज़ूर (ﷺ) से सवाल होता है कि औरत का हक़ उसके मियाँ पर क्या है? फ़र्माया यह कि "जब तू खा तो उसे भी खिला, जब तू पहन तो उसे भी पहना, उसके चेहरे पर न मार, गालियाँ न दे और घर से अलग न कर, गुस्सा में अगर तू उससे बतौर सज़ा बातचीत छोड़ दे तो भी उसे घर से न निकाल।" (अबूदाऊद, किताबुन्निकाह, बाब फ़ी हक़्क़िल मर्अते अला ज़ौजिहा: 2142; वसनदुहू सहीह; इब्ने माजा: 1850) फिर फ़र्माया, "इससे भी अगर ठीक-ठाक न हो तो तुम्हें इजाज़त है कि यूँ ही सी डाँट-डपट और मारपीट से भी राहे रास्त पर लाओ।"

सहीह मुस्लिम में नबी अकरम (ﷺ) के हज्जतुल विदा के ख़ुत्बे में है कि "औरतों के बारे में अल्लाह तआला से डरते रहा करो वह तुम्हारी ख़िदमत गुज़ार और मातहत हैं। तुम्हारा हक़ उन पर यह है कि जिसके आने-जाने से तुम नाराज़ हो उसे न आने दें, अगर वह ऐसा न करें तो उन्हें यूँ ही सी तम्बीह भी तुम कर सकते हो लेकिन सख़्त मार जो ज़ाहिर हो, नहीं मार सकते। तुम पर उनका हक़ यह है कि उन्हें खिलाते-पिलाते और पहनाते ओढ़ाते रहो। (सहीह मुस्लिम, किताबुल हज्ज, बाब हज्जतुन् नबी (ﷺ): 1218; अबूदाऊद: 1905; इब्ने माजा: 3074) पस ऐसी मार न मारनी चाहिए जिसका निशान बाक़ी रहे जिससे बदन का कोई हिस्सा टूट जाए या कोई ज़ख़्म आ जाए।" हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़र्माते हैं कि इस पर भी अगर वह न माने तो फ़िदया ले लो और तलाक़ दे दो। एक हदीस में है कि हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, "अल्लाह तआला की लौण्डियों को मारो नहीं।" उसके बाद एक मर्तबा हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ि.) आए और अर्ज़ करने लगे कि 'या रसूलल्लाह (ﷺ)! औरतें आप (ﷺ) के इस हुक्म को सुनकर अपने मर्दों पर दिलेर हो गईं। इस पर हुज़ूर अकरम (ﷺ) ने उन्हें मारने की इजाज़त दी। अब मर्दों की तरफ़ से धड़ाधड़ मारपीट शुरू हो गई और बहुत सी औरतें शिकायतें लेकर आँहज़रत (ﷺ) के पास आईं तो आप (ﷺ) ने लोगों से फ़र्माया, सुनो! "मेरे पास औरतों की फ़रियाद पहुँची, याद रखो, तुममें से जो अपनी औरतों को ज़द व कूब करते हैं वह अच्छे आदमी नहीं।" (अबूदाऊद, किताबुन्निकाह, बाब फ़ी ज़र्बिन्निसाअ: 2146; वहुव सहीह; इब्ने माजा: 1985)

हज़रत अश्अस (रह.) फ़र्माते हैं कि एक मर्तबा मैं हज़रत फ़ारूके आज़म (रज़ि.) का मेहमान हुआ। इत्तिफ़ाक़न उस दिन मियाँ बीवी में कुछ नाचाक़ी हो गई और हज़रत उमर (रज़ि.) ने अपनी बीवी साहिबा को मारा, फिर मुझसे फ़र्माने लगे, अश्अस तीन बातें याद रख, जो मैंने आँहज़रत (ﷺ) से सुनकर याद रखी हैं। "एक तो यह कि मर्द से यह न पूछा जाए कि उसने अपनी औरत को किस बिना पर मारा, दूसरी यह कि वित्र पढ़े बग़ैर सोना मत, और तीसरी बात रावी के ज़हन से निकल गई। (अबूदाऊद, किताबुन्निकाह, बाब फ़ी ज़र्बिन्निसाअ: 2147; वसनदुहू हसन; इब्ने माजा: 1986) फिर फ़र्माया, अगर अब भी औरतें तुम्हारी फ़र्मांबरदार बन जाएँ तो तुम उन पर किसी क़िस्म की सख़्ती न करो, न मारो पीटो, न बेज़ारी का इज़्हार करो। अल्लाह तआला बुलंदियों और बड़ाईयों वाला है यानी अगर औरतों की तरफ़ से क़सूर सरज़द हुए बग़ैर या क़सूर के बाद ठीक हो जाने के बावजूद भी तुमने उन्हें सताया तो याद रखो कि उनकी मदद पर और उनका इंतिक़ाम लेने पर ख़ुद अल्लाह तआला है। और यक़ीनन वो बहुत ज़ोरावर और ज़बरदस्त है।

وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا ۚ اِنْ يُّرِيْدَآ اِصْلَاحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا ﴿٣٥﴾

तर्जुमा: ''अगर तुम्हें मियाँ बीवी की आपस की अनबन का डर हो तो एक मुंसिफ़ मर्द वालों में से और एक औरत की तरफ़ वालों में से मुक़र्रर करो, अगर यह दोनों सुलह कराना चाहेंगे तो अल्लाह तआला दोनों में मिलाप करा देगा। यक़ीनन अल्लाह तआला पूरे इल्म वाला, पूरी ख़बर वाला है।'' (35)

मियाँ बीवी के झगड़े मेंहकमैन का तक़र्रुर (आयत 35): ऊपर इस सूरत को बयान फ़र्माया कि नाफ़र्मानी और कजी औरतों की जानिब से हो, अब यहाँ इस सूरत का बयान हो रहा है कि अगर दोनों एक दूसरे से नालाँ हों तो क्या किया जाए? पस उलमा-ए-किराम फ़र्माते हैं कि ऐसी हालत में हाकिम सिक़ह और समझदार शख़्स को मुक़र्रर करे जो यह देखे कि ज़ुल्मो ज़्यादती किस तरफ़ से है पस ज़ालिम को ज़ुल्म से रोके। अगर इस पर भी कोई बेहतरी की सूरत न निकले तो औरत वालों में से एक उसकी तरफ़ से और मर्द वालों में से एक बेहतर शख़्स उसकी तरफ़ से मुंसिफ़ मुक़र्रर कर दे और यह दोनों मिलकर तहक़ीक़ात करें और जिस अम्र में मस्लिहत समझें उसका फ़ैसला कर दें यानी ख़्वाह अलग करा दें, ख़्वाह मेल-मिलाप करा दें।

लेकिन शारेअ (ﷺ) ने तो इसी अम्र की तरफ़ शौक़ दिलाया है कि जहाँ तक हो सके, कोशिश करे कि कोई शक्ल निबाह की निकल आए। अगर उन दोनों की तहक़ीक़ में शौहर की तरफ़ से बुराई साबित हो तो यह उसकी औरत को उससे रोक लेंगे और उसे मजबूर करेंगे कि अपनी आदत ठीक होने तक उससे अलग रहे और उसके ख़र्च अख़राजात अदा करता रहे। और अगर शरारत औरत की तरफ़ से साबित हो तो उसे नान नफ़्क़ा नहीं दिलाएँगे और शौहर से हंसी ख़ुशी बसर करने पर मजबूर करेंगे। इसी तरह अगर वह तलाक़ का फ़ैसला दें तो शौहर को तलाक़ देनी पड़ेगी। अगर वह आपस में बसने का फ़ैसला करें तो भी उन्हें मानना पड़ेगा बल्कि हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) तो फ़र्माते हैं अगर दोनों पंच इस पर एक हो जाएँ कि उन्हें रज़ामन्दी के साथ एक दूसरे से अपने ताल्लुक़ात निभाने चाहिएँ और इस फ़ैसले को एक ने मंज़ूर कर लिया और दूसरा नहीं करता और इसी हालत में एक का इंतिक़ाल हो गया तो जो राज़ी था वह उसका वारिस बनेगा जो नाराज़ था, लेकिन जो नाराज़ था उसे उसका वर्सा नहीं मिलेगा जो राज़ी था। (इब्ने जरीर)

एक ऐसे ही झगड़े में हज़रत उस्मान (रज़ि.) ने हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) और हज़रत मुआविया (रजि.) को हाकिम मुक़र्रर किया था और फ़र्माया कि अगर तुम उनमें मेल कराना चाहो तो मेल होगा और अगर जुदाई कराना चाहो तो जुदाई होगी। एक रिवायत में है कि अक़ील बिन अबी तालिब ने फ़ातिमा बिन्ते उत्बा बिन रबीआ से निकाह किया तो उसने कहा, तू मेरे पास आएगा भी और मैं ही तेरा ख़र्च भी बर्दाश्त कर लूँगी। अब यह होने लगा कि जब अक़ील उनके पास आना चाहते तो वह पूछती उत्बा बिन रबीआ और शैबा बिन रबीआ कहाँ हैं। यह फ़र्माते, तेरी बाईं जानिब जहन्नम में। इस पर वह बिगड़कर अपने कपड़े ठीक कर लेतीं। एक मर्तबा

यह हज़रत उस्मान (रज़ि.) के पास आए और यह वाक़िया बयान किया। ख़लीफ़तुल मुस्लिमीन उस पर हंसे और हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) और हज़रत मुआविया (रज़ि.) को उनका हकम मुक़र्रर किया। हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) तो फ़र्माते थे कि उन दोनों में अलैहिदगी करा दी जाए लेकिन हज़रत मुआविया (रज़ि.) फ़र्माते थे बनू अब्दे मुनाफ़ में यह तफ़रीक़ मैं नापसंद करता हूँ। अब यह दोनों हज़रात हज़रत अक़ील (रज़ि.) के घर आए, आकर देखा तो दरवाज़ा बन्द है और दोनों मियाँ बीवी अंदर हैं, यह दोनों लौट गए। मुस्नद अब्दुर्रज़्ज़ाक़ में है कि हज़रत अली (रज़ि.) की ख़िलाफ़त के ज़माने में एक मियाँ बीवी अपनी नाचाक़ी का झगड़ा लेकर आए, उसके साथ उसकी बिरादरी के लोग थे और उसके साथ उसके घराने के। हज़रत अली (रज़ि.) ने दोनों जमाअतों में से एक एक को चुना और उसे हकम मुक़र्रर किया फिर दोनों पंचों से कहा, जानते भी हो, तुम्हारा काम क्या है? तुम्हारा मंसब यह है कि अगर चाहो तो दोनों में इज्तिमाअ करा दो अगर चाहो तो तफ़रीक़ करा दो। यह सुनकर औरत ने तो कहा, मैं अल्लाह तआला के फ़ैसले पर राज़ी हूँ, ख़्वाह मिलाप की सूरत में हो, ख़्वाह जुदाई की सूरत में। मर्द कहने लगा, मुझे जुदाई नामंज़ूर है। इस पर हज़रत अली (रज़ि.) ने फ़र्माया, नहीं! नहीं! क़सम अल्लाह की! तुझे दोनों सूरतें मंज़ूर करनी होगी।

पस उलमा का इज्माअ है कि ऐसी सूरत में उन दोनों मुंसिफ़ों को दोनों इख़्तियार हैं यहाँ तक कि हज़रत इब्राहीम नख़ई (रह.) फ़र्माते हैं कि अगर वह चाहें दो और तीन तलाक़ें भी दे सकते हैं। हज़रत इमाम मालिक (रह.) से भी यही मरवी है। हाँ हज़रत हसन बसरी (रह.) फ़र्माते हैं कि उन्हें इज्तिमाअ का इख़्तियार है, तफ़रीक़ का नहीं। हज़रत क़तादा और ज़ैद बिन असलम (रह.) का भी यही क़ौल है। इमाम अहमद और अबू सौर (रह.) और दाऊद (रह.) का भी यही मज़हब है। इनकी दलील (इय्युरीदा इस्लाहन) वाला जुम्ला है कि इसमें तफ़रीक़ का ज़िक्र नहीं। हाँ! अगर यह दोनों जानिब से वकील हैं तो बेशक उनका हुकम जमा और तफ़रीक़ दोनों में नाफ़िज़ होगा और इसमें तो किसी का ख़िलाफ़ मन्क़ूल नहीं। फिर यह भी ख़्याल रहे कि इन दोनों पंच हाकिम की जानिब से मुक़र्रर होंगे और फ़ैसला करेंगे, गो उनसे फ़रीक़ैन नाराज़ हों या यह दोनों मियाँ बीवी की तरफ़ से उनके बनाए हुए वकील होंगे। जुम्हूर का मज़हब तो पहला है और दलील यह है कि इनका नाम क़ुरआन हकीम ने हकम रखा है और हकम के फ़ैसले से कोई ख़ुश हो या नाख़ुश, बहरसूरत उसका फ़ैसला क़तई होगा। आयत के ज़ाहिरी अल्फ़ाज़ भी जुम्हूर के साथ ही हैं।

इमाम शाफ़ई (रह.) का नया क़ौल भी यही है और इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) और इनके अस्हाब का भी यही क़ौल है। दूसरा क़ौल जिनका है वह कहते हैं कि अगर यह हकम की सूरत में होते तो फिर हज़रत अली (रज़ि.) उस शौहर को क्यूँ फ़र्माते कि जब तक औरत ने दोनों सूरतों का इक़रार किया है तू भी न करे तब तक तू झूठा है, वल्लाहु आलम!

इब्ने अब्दुल बर्र (रह.) फ़र्माते हैं कि उलमा-ए-किराम का इज्माअ है कि दोनों पंचों का क़ौल जब मुख़्तलिफ़ हो तो दूसरे के क़ौल का कोई ऐतिबार नहीं, और इस अम्र पर भी इज्माअ है कि यह इत्तिफ़ाक़ कराना चाहे तो इनका फ़ैसला नाफ़िज़ हैं, हाँ! अगर वह जुदाई कराना चाहे तो भी उनका फ़ैसला नाफ़िज़ है या नहीं? इसमें इख़्तिलाफ़ है, लेकिन जुम्हूर का मज़हब यही है कि इसमें भी उनका फ़ैसला नाफ़िज़ है, गो उन्हें वकील न बनाया गया हो।

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْـًٔا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْۢبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرَا ۝٣٦

तर्जुमा: "और अल्लाह तआला की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक न बनाओ और माँ बाप से सुलूक व एहसान करो और रिश्तेदारों से और यतीमों से और मिस्कीनों से और क़राबतदार हमसाया से और अजनबी हमसाया से और पहलू के साथी से और राह के मुसाफ़िर से और उनसे जिनके मालिक तुम्हारे हाथ हैं। यक़ीनन अल्लाह तआला तकब्बुर करने वालों और शैख़ीख़ोरों (डींग मारने वालों) को पसंद नहीं फ़र्माता।" (36)

हुस्न-सुलूक के मुस्तह्हिक़ अफ़राद (आयत 36): अल्लाह तबारक व तआला अपनी इबादत का हुक्म देता है और अपनी तौहीद के मानने को फ़र्माता है और अपने साथ किसी को शरीक करने से रोकता है, इसलिए कि ख़ालिक़, राज़िक़, नेअमतों का देने वाला, तमाम मख़्लूक़ पर हर वक़्त और हर ह़ाल में इन्आम की बारिश बरसाने वाला सिर्फ़ वही है तो इबादत के लायक़ भी सिर्फ़ वही हुआ। ह़ज़रत मुआज़ (रज़ि.) से जनाब रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़र्माते हैं, "जानते हो, अल्लाह तआला का ह़क़ बन्दों पर क्या है?" आप जवाब देते हैं अल्लाह तआला और उसका रसूल बहुत ज़्यादा जानने वाले हैं। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, "यह कि वो उसी की इबादत करे, उसके साथ किसी को शरीक न करें।" फिर फ़र्माया, "जानते हो, जब बन्दे ये करें तो उनका ह़क़ अल्लाह तआला पर क्या है? यह कि उन्हें वह अ़ज़ाब न करें।" (स़ह़ीह़ बुख़ारी, किताबुर्रिक़ाक़, बाब मन जाहद नफ़्सहू फ़ी त़ाअतिल्लाहः 6500; स़ह़ीह़ मुस्लिमः 30) फिर फ़र्माता है कि माँ बाप के साथ एह़सान करते रहो, वही सबब बने हैं तुम्हारे अ़दम से वजूद में आने का। क़ुरआने करीम की बहुत सी आयतों में अल्लाह सुब्ह़ानहू व तआला ने अपनी इबादत के साथ ही माँ बाप से सुलूक व एह़सान करने का हुक्म दिया है। जैसे फ़र्माया (اَنِ اشْكُرْ لِيْ وَلِوَالِدَيْكَ) (31/लुक़्मानः 14) और (وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا) (17/इस्राः 23) यहाँ भी यह बयान फ़र्माकर फिर हुक्म देता है कि अपने रिश्तेदारों से भी सुलूक व एह़सान करते रहो। ह़दीस में है "मिस्कीन को स़दक़ा देना सिर्फ़ स़दक़ा ही है, लेकिन क़रीबी रिश्तेदारों को स़दक़ा देना, स़दक़ा भी है और सिलह रह़मी करना भी।" (तिर्मिज़ी, किताबुज़्ज़कात, बाब मा जाअ फ़िस्सदक़ति अ़ला ज़िल क़ुर्बाः 658; वहुव स़ह़ीह़; नसाईः 2583; इब्ने माजाः 1844) फिर हुक्म होता है कि यतीमों के साथ भी सुलूक व एह़सान करो, इसलिए कि उनकी ख़बरगीरी करने वाला उनके सर पर मुह़ब्बत से हाथ फेरने वाला, उनके लाड चाव उठाने वाला, उन्हें मुह़ब्बत के साथ खिलाने पिलाने वाला उनके सर से उठ गया है फिर मिस्कीनों के साथ नेकी करने का इर्शाद हुआ कि वह ह़ाजतमंद हैं, ख़ाली हाथ हैं, मुह़ताज हैं,

उनकी ज़रूरतें तुम पूरी करो, उनकी एहतियाज तुम दूर करो, उनके काम तुम कर दिया करो। फ़क़ीर व मिस्कीन का पूरा बयान सूरह बरात की तफ़्सीर में आएगा, इंशाअल्लाह तआला।

पड़ौसियों के हुक़ूक़ अहादीस की रोशनी में : अपने पड़ौसियों का ख़्याल रखो उनके साथ भी भला बर्ताव और नेक सुलूक रखो, ख़्वाह क़राबतदार हों या न हों, मुसलमान हों या यहूदी व नसरानी हों। यह भी कहा गया है कि (जारिज़िल क़ुर्बा) से मुराद बीवी है और (जारिज़िल जुनुबि) से मुराद रफ़ीक़े सफ़र है। पड़ौसियों के हक़ में बहुत सी अहादीस आई हैं। कुछ सुन लीजिए। मुस्नद अहमद में रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़र्माते हैं, ''मुझे जिब्राईल (عليه السلام) पड़ौसियों के बारे में यहाँ तक वसिय्यत व नसीहत करते रहे कि मुझे गुमान हुआ कि शायद यह पड़ौसियों को वारिस बना देंगे।'' (सहीह बुख़ारी, किताबुल अदब, बाबुल वुसात बिल जारः 6015; सहीह मुस्लिमः 2624) फ़र्माते हैं बेहतर साथी अल्लाह तआला के नज़दीक वह है जो अपने हमराहियों के साथ ख़ुश सुलूकी में ज़्यादा हो और पड़ौसियों में सबसे बेहतर अल्लाह तआला के नज़दीक वह है जो हमसायों से नेक सुलूक ज़्यादा हो। (तिर्मिज़ी, किताबुल बिर्रि वस्सिलति, बाब मा जाअ फ़ी हक़्क़िल जवारः 1944; वसनदुहू सहीह) फ़र्माते हैं इंसान को न चाहिए कि अपने पड़ौसी की आसूदगी बग़ैर ख़ुद शिकम सेर हो जाए। (अहमदः 1/54; वसनदुहू ज़ईफ़) एक मर्तबा आप (ﷺ) ने सहाबा (रज़ि.) से सवाल किया ''ज़िना के बारे में तुम क्या कहते हो'' लोगों ने कहा, वह हराम है, अल्लाह तआला ने और उसके रसूल (ﷺ) ने उसे हराम किया है, और क़यामत तक वह हराम ही रहेगा। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ''सुनो! दस औरतों से ज़िना करने वाला उस शख़्स के गुनाह से कम गुनहगार है जो अपने पड़ौसी की औरत से ज़िना करे।'' फिर पूछा, तुम चोरी की निस्बत क्या कहते हो? उन्होंने जवाब दिया कि इसे भी अल्लाह तआला ने और उसके रसूल (ﷺ) ने हराम किया है और वह भी क़यामत तक हराम है। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, सुनो! ''दस घरों से चोरी करने वाले का गुनाह उस शख़्स के गुनाह से हल्का है जो अपने पड़ौसी के घर से कुछ चुराए।'' (अहमदः 6/8; वसनदुहू हसन) बुख़ारी व मुस्लिम की हदीस में है हज़रत इब्ने मसऊद (रज़ि.) सवाल करते हैं कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! कौनसा गुनाह सबसे बड़ा है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ''यह कि तू अल्लाह तआला के साथ शरीक ठहराए हालाँकि उसी एक ने तुझे पैदा किया है।'' मैंने पूछा, फिर कौनसा? फ़र्माया, ''तू अपनी औलाद को इस डर से क़त्ल कर दे कि वह तेरे साथ खायेगी।'' मैंने पूछा फिर कौनसा? फ़र्माया, ''यह कि तू अपनी पड़ौसन से ज़िनाकारी करे।'' (सहीह बुख़ारी, किताबुल अदब, बाब क़त्लु वलद ख़श्यत अय्यंअकुल मअहूः 6001; सहीह मुस्लिमः 86) एक अंसारी सहाबी (रज़ि.) फ़र्माते हैं मैं आँहज़रत (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर होने के लिए घर से चला, वहाँ पहुँचकर देखता हूँ कि एक साहब खड़े हैं और हुज़ूर अकरम (ﷺ) उनकी तरफ़ मुतवज्जह हैं। मैंने ख़्याल किया कि शायद उन्हें आपसे कुछ काम होगा। हुज़ूरे अकरम (ﷺ) खड़े हैं और उनसे बातें हो रही हैं। बड़ी देर हो गई यहाँ तक कि मुझे आप (ﷺ) के थक जाने के ख़्याल ने बेचैन कर दिया। बहुत देर के बाद आप (ﷺ) लौटे और मेरे पास आए। मैंने कहा, हुज़ूर (ﷺ)! उस शख़्स ने तो आपको बहुत देर खड़ा रखा, मैं तो परेशान हो गया, आप (ﷺ) के पैर थक गए होंगे। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ''अच्छा तुमने उन्हें देखा?'' मैंने कहा, हाँ! ख़ूब अच्छी तरह देखा। फ़र्माया ''जानते हो वह कौन

थे?'' वह जिब्राईल (ﷺ) थे मुझे पड़ौसियों के हुक़ूक़ की ताकीद करते रहे, यहाँ तक उनके हुक़ूक़ बयान किए कि मुझे खटका हुआ कि ग़ालिबन आज तो पड़ौसी को वारिस ठहरा देंगे।'' (अहमदः 5/32) मुस्नद अब्द बिन हुमैद में है, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) फ़र्माते हैं कि एक शख़्स अवाली मदीना से आया, उस वक़्त रसूलुल्लाह (ﷺ) और हज़रत जिब्राईल (ﷺ) उस जगह नमाज़ पढ़ रहे थे जहाँ जनाज़े की नमाज़ पढ़ी जाती थी, जब आप (ﷺ) फ़ारिग़ हुए तो उस शख़्स ने कहा, हुज़ूर (ﷺ) के साथ यह दूसरा कौन शख़्स नमाज़ पढ़ रहा था। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ''तुमने उन्हे देखा?'' उसने कहा, हाँ! फ़र्माया, ''तूने बहुत बड़ी भलाई देखी। यह जिब्राईल (ﷺ) थे, मुझे पड़ौसियों के बारे में वसिय्यत करते रहे यहाँ तक कि मैंने देखा कि अन्क़रीब उसे वारिस बना देंगे।'' (अल्बज़्ज़ारः 1897; अल्अदबुल मुफ़रदः 126; वसनदुहू ज़ईफ़) आठवीं हदीस बज़्ज़ार में है हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, ''पड़ोसी तीन क़िस्म के हैं एक हक़ वाले यानी अदना, दो हक़ वाले और तीन हक़ वाले यानी आला। एक हक़ वाला वह है जो मुश्रिक हो और उससे रिश्तेदारी न हो। दो हक़ वाला वह है जो मुसलमान हो और रिश्तेदार न हो, एक हक़ इस्लाम दूसरा हक़ पड़ोसी। तीन हक़ वाला वह है जो मुसलमान भी हो, पड़ोसी भी हो और रिश्ते नाते का भी हो तो हक़्क़े-इस्लाम, हक़्क़े-पड़ोसी, हक़्क़े-सिलह रहमी तीन हक़ उसके हो गए।'' (मुस्नद बज़्ज़ारः 1896; वसनदुहू मौज़ूअ) नवीं हदीस मुस्नद अहमद में है कि हज़रत आइशा सिद्दीक़ा (रज़ि.) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से पूछा कि मेरे दो पड़ोसी हैं, मैं एक को हदिया भेजना चाहती हूँ तो किसे भिजवाऊँ? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ''जिसका दरवाज़ा क़रीब हो।'' (सहीह बुख़ारी, किताबुल अदब, बाब हक़्क़ुल जवारि फ़ी क़ुर्बिल अब्वाबः 6020) दसवीं हदीस तबरानी में है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने वुज़ू किया, लोगों ने आप (ﷺ) के वुज़ू के पानी को लेना और मलना शुरू किया, आप (ﷺ) ने पूछा, ''ऐसा क्यूँ करते हो?'' उन्होंने कहा, अल्लाह तआला और उसके रसूल (ﷺ) की मुहब्बत में। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ''जिसे यह अच्छा लगे कि अल्लाह तआला और उसका रसूल (ﷺ) उससे मुहब्बत करें तो उसे चाहिए कि जब बात करे, सच करे और जब अमानत दिया जाए तो अदा करे।'' (तबरानी व अबू नुएम वल बैहक़ी फ़ी शुअबिल ईमानः 1533; वसनदुहू ज़ईफ़; मज्मउज़्ज़वाइदः 4/145) (तफ़्सीर इब्ने कसीर में यह हदीस यहीं पर ख़त्म है लेकिन शायद अगला जुम्ला इसका सहवन रह गया है जिसका सहीह तअल्लुक़ इस मसला से है वह यह कि उसे चाहिए कि पड़ोसी के साथ सुलूक व एहसान करे, मुतर्जिम) ग्यारहवीं हदीस मुस्नद अहमद की है कि ''क़यामत के दिन सबसे पहले जो झगड़ा अल्लाह तआला के सामने पेश होगा वह दो पड़ोसियों का होगा।'' (अहमदः 4/151; वत्तबरानीः 17/303; हः 836; वहुव हदीसुन हसन)

बीवी, मेहमान, मुसाफ़िर, ख़ादिम वग़ैरह से हुस्न सुलूकः फिर हुक्म होता है (साहिबि बिल जंबि) के साथ सुलूक करने का। इससे मुराद बहुत से मुफ़स्सिरीन के नज़दीक औरत है और बहुत से फ़र्माते हैं मुराद सफ़र का साथी है। और यह भी मरवी है कि इससे मुराद दोस्त और साथी है, आम इससे कि सफ़र में हो या क़याम की हालत में। इब्नुस्सबील से मुराद मेहमान है और यह भी कि जो राह गुज़रते हुए ठहर गया हो। पस अगर मेहमान से भी यही मुराद ली जाए कि सफ़र में जाते जाते मेहमान बना तो दोनों एक हो गए। इसका पूरा

बयान भी सूरह बरात की तफ़्सीर में आ रहा है, इंशाअल्लाह तआ़ला! फिर ग़ुलामों के बारे में फ़र्मान हो रहा है कि उनके साथ भी नेक सुलूक रखो, इसलिए कि वह ग़रीब तो तुम्हारे हाथों असीर हैं इस पर तो तुम्हारा कामिल इख़्तियार है तो तुम्हें चाहिए कि इस पर रह़्म खाओ और इसकी ज़रूरियात का अपने इम्कान भर ख़्याल रखो। रसूले करीम (ﷺ) तो अपनी आख़िरी मर्ज़ुल मौत में भी अपनी उम्मत को इसकी वसिय्यत कर गए। फ़र्माते हैं "लोगों! नमाज़ का और ग़ुलामों का ख़ूब ख़्याल रखो।" बार-बार इसी त़रह़ फ़र्माते रहे यहाँ तक कि ज़ुबान रुकने लगी। (इब्ने माजा, किताबुल जनाइज़, बाब मा जाअ फ़ी ज़िक्रि मर्ज़े रसूलिल्लाहि (ﷺ): 1625; वसनदुहू ज़ईफ़; क़तादा अ़न्अन) मुस्नद अह़मद की ह़दीस में है कि आप (ﷺ) फ़र्माते हैं, "तुम ख़ुद जो खाए वह भी स़दक़ा है जो अपने बच्चों को खिलाए वह भी स़दक़ा है जो अपनी बीवी को खिलाए वह भी स़दक़ा है, जो अपने ख़ादिम को खिलाए, वह भी स़दक़ा है।" (अह़मदः 4/131; वसनदुहू ह़सन) मुस्लिम में है कि ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) ने एक मर्तबा अपने दारोग़ा से फ़र्माया कि क्या ग़ुलामों को तुमने उनकी ख़ूराक दे दी? उसने कहा, अब तक नहीं दी। फ़र्माया जाओ! देकर आओ, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया है "इंसान को यही गुनाह काफ़ी है कि जिनकी ख़ूराक का वह मालिक है उनसे रोक रखे।" (स़ह़ीह़ मुस्लिम, किताबुज़्ज़कात, बाब फ़ज़्लुन् नफ़्क़ति अ़लल अ़याल वल मम्लूकः 996; अबूदाऊदः 1692) मुस्लिम में है कि "मम्लूके मातह़त का ह़क़ है कि उसे खिलाया, पिलाया, पहनाया, ओढ़ाया जाए और उसकी त़ाक़त से ज़्यादा काम उससे न लिया जाए।" (स़ह़ीह़ मुस्लिम, किताबुल ईमान, बाब इत़्आमुल मम्लूक मिम्मा यअकुलः 1662) बुख़ारी शरीफ़ में है कि "जब तुममें से किसी का ख़ादिम उसका खाना लेकर आए तो तुम्हें चाहिए कि अगर साथ बिठाकर नहीं खिलाते तो कम अज़्कम उसे लुक़्मा दो लुक़्मा दे दो, ख़्याल करो कि उसके पकाने की गर्मी और तक्लीफ़ उसी ने उठाई है।" (स़ह़ीह़ बुख़ारी, किताबुल अत़्इमा, बाबुल अकल मअ़ल ख़ादिमः 5460; स़ह़ीह़ मुस्लिमः 1663; अबूदाऊदः 3846; तिर्मिज़ीः 1854; इब्ने माजाः 3289) और रिवायत में है "चाहिए तो यह कि उसे अपने साथ बिठाकर खिलाए और अगर खाना कम हो तो लुक़्मा दो लुक़्मा ही दे दिया करो।" (स़ह़ीह़ मुस्लिम, किताबुल ईमान, बाब इत़्आमुल मम्लूक मिम्मा याकुल : 1663) आप (ﷺ) फ़र्माते हैं "तुम्हारे ग़ुलाम भी तुम्हारे भाई हैं। अल्लाह तआ़ला ने उन्हें तुम्हारे मातह़त कर दिया है, पस जिसके हाथ तले उसका भाई हो उसे अपने खाने में से खिलाए और अपने पहनने में से पहनाए और ऐसा काम न ले कि वह आ़जिज़ हो जाए, अगर कोई ऐसा ही मुश्किल काम आ पड़े तो ख़ुद भी उसका साथ दे।" (स़ह़ीह़ बुख़ारी, किताबुल इत्क़, बाब क़ौलन् नबी (ﷺ) (अल्अबीदु इख़्वानुकुम फ़अत़्अमहुम): 2545; स़ह़ीह़ मुस्लिमः 1662; अबूदाऊदः 5158; तिर्मिज़ीः 1945; इब्ने माजाः 3690)

फिर फ़र्माया कि ख़ुदबीन, मुअ़जिब, मुतकब्बिर, ख़ुदपसंद लोगों पर अपनी फ़ोक़ियत जताने वाला, अपने आपको तोलने वाला, अपने तईं दूसरों से बेहतर जानने वाला अल्लाह तआ़ला का पसंदीदा बन्दा नहीं, वह गो अपने आपको बड़ा समझे लेकिन अल्लाह तआला के यहाँ वह ज़लील है, लोगों की नज़रों में वह ह़क़ीर है, भला कितना अंधेर है कि ख़ुद तो अगर किसी से सुलूक करे तो अपना एह़सान उस पर रखे लेकिन रब की नेअ़मतों का जो अल्लाह तआ़ला ने उसे दे रखी हैं शुक्र न करे, लोगों में बैठकर फ़ख़्र करे कि मैं इतना बड़ा

आदमी हूँ, मेरे पास यह है और वह है। हज़रत अबू रजाअ हुर्वी (रह.) फ़र्माते हैं कि हर बदख़ुल्क़ मुतकब्बिर और ख़ुदपसंद होता है। फिर इसी आयत को तिलावत किया और फ़र्माया, हर माँ बाप का नाफ़र्मान सरकश और बदनसीब होता है।

फिर आपने आयत (وَّ بَرًّا بِوَالِدَتِيْ وَ لَمْ يَجْعَلْنِيْ جَبَّارًا شَقِيًّا) (19/मरियमः 32) पढ़ी। हज़रत अवाम बिन होशिब (रह.) भी यही फ़र्माते हैं। हज़रत मुतरिफ़ (रह.) फ़र्माते हैं मुझे हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) की एक रिवायत पहुँची थी और मेरे दिल में तमन्ना थी कि किसी वक़्त ख़ुद हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) से मिलकर इस रिवायत को उन ही की ज़ुबानी सुनूँ। चुनाँचे एक मर्तबा मुलाक़ात हो गई तो मैंने कहा, मुझे ख़बर मिली है कि आप एक हदीस रसूलुल्लाह (ﷺ) की बयान फ़र्माते हैं कि अल्लाह तआला तीन क़िस्म के लोगों को दोस्त रखता है और तीन क़िस्म के लोगों को नापसंद करता है। हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) ने फ़र्माया, हाँ! यह सच है। मैं भला अपने ख़लील पर बोहतान कैसे बाँध सकता हूँ। मैंने कहा, अच्छा फिर वह तीन कौन हैं, जिन्हें अल्लाह तआला दुश्मन रखता है। आपने इसी आयत की तिलावत की और फ़र्माया, इसे तो तुम किताबुल्लाह में भी पाते हो। (हाकिमः 2/88, 89; वसनदुहू सहीह़) बनू तमीम का एक शख़्स रसूले मक़्बूल (ﷺ) से कहता है मुझे नसीहत कीजिए। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ''कपड़ा टख़्ने से नीचा न लटकाओ क्योंकि यह तकब्बुर और ख़ुद पसंदी है जिसे अल्लाह तआला नापसंद रखता है।'' (अहमदः 5/64; लम अजिदहू व रवाहु अहमदः 5/64; बिसनदिन आख़र वसनदुहू सहीह़; व उंज़ुर सुनन अबी दाऊदः 4084)

***

الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ وَيَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُوْنَ مَآ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ؕ وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا ۚ﴿۳۷﴾ وَالَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ رِئَآءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ وَمَنْ يَّكُنِ الشَّيْطٰنُ لَهٗ قَرِيْنًا فَسَآءَ قَرِيْنًا ﴿۳۸﴾ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللّٰهُ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ بِهِمْ عَلِيْمًا ﴿۳۹﴾

तर्जुमाः ''जो लोग ख़ुद बख़ीली करते हैं और दूसरों को भी कंजूसी करने को कहते हैं और अल्लाह तआला ने जो अपना फ़ज़्ल इन्हें दे रखा है, उसे छुपा लेते हैं। हमने इन काफ़िरों के लिए ज़िल्लत की मार तैयार कर रखी है। (37) और जो लोग अपने माल लोगों के दिखावे

के लिए ख़र्च करते हैं और अल्लाह तआला पर और क़यामत के दिन पर ईमान नहीं रखते और जिसका हमनशीन और साथी शैतान हो, पस वो बदतरीन साथी है। (38) भला इनका क्या नुक़्सान था, अगर यह अल्लाह तआला पर और क़यामत के दिन पर ईमान लाते और अल्लाह तआला ने जो इन्हें दे रखा है, उसके नाम पर देते, अल्लाह तआला इन्हें ख़ूब जानने वाला है।'' (39)

बुख़्ल (कंजूसी) और रियाकारी (दिखावा) की मज़म्मत (आयत 37-39): इर्शाद होता है कि जो लोग अल्लाह तआला की ख़ुशनुदी के लिए माल ख़र्च करने से जी चुराते हैं, मस्लन माँ बाप को देना, क़राबतदारों से अच्छा सुलूक करना, यतीम-मिस्कीन, पड़ोसी, रिश्तेदार और ग़ैर-रिश्तेदार पड़ोसी, साथी, मुसाफ़िर, ग़ुलाम और मातहत को उनकी मुहताजी के वक़्त फ़ी सबीलिल्लाह नहीं देते और इतना ही नहीं, बल्कि लोगों को भी कंजूसी का और अल्लाह की राह में ख़र्च न करने का मश्वरा देते हैं। हदीसे मुबारका में है, ''कौनसी बीमारी बुख़्ल की बीमारी से बढ़कर है?'' (सहीह बुख़ारी, किताबुल मग़ाज़ी, बाब क़िस्सा ओमान वल बहरैनः 4383; मिन क़ौलि अबीबक्र) और हदीस में है, ''लोगों! बख़ीली से बचो, इसी ने तुमसे अगलों को ताख़्त व ताराज किया, इसी के सबब इनसे क़तअ रहमी और फ़िस्क़ व फ़िजूर जैसे बुरे काम नुमायाँ हुए। (अहमदः 2/195; वसनदुहू सहीह; अल्हाकिमः 1/11; इब्ने हिब्बानः 5176) फिर फ़र्माया, यह लोग उन दोनों बुराईयों के साथ ही साथ एक तीसरी बुराई के मुर्तकिब हैं यानी अल्लाह तआला की नेअमतों को छुपाते हैं, उन्हें ज़ाहिर नहीं करते, न उनके खाने पीने में वह ज़ाहिर होती है, न पहनने और ओढ़ने में, न देने लेने में। जैसे और जगह है (إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ ○ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ ○) (100/आदियातः 6,7) यानी ''इंसान अपने रब का नाशुक्रा है और वह ख़ुद ही अपनी इस हालत और इस खस्लत पर गवाह है।'' फिर (وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ) (100/आदियातः 8) ''वह माल की मुहब्बत में मस्त है।'' पस यहाँ भी फ़र्मान है कि अल्लाह तआला के फ़ज़्ल को यह छुपाता रहता है फिर उन्हें धमकाया जाता है कि काफ़िरों के लिए हमने एहानत आमेज़ अज़ाब तैयार कर रखे हैं। कुफ़्र के मानी है, पोशीदा रखना और छुपा लेना, पस बख़ील भी अल्लाह तआला की नेअमतों का छुपाने वाला, उन पर पर्दा डाल रखने वाला, बल्कि उनका इंकार करने वाला है। पस वो उन नेअमतों का काफ़िर हुआ। हदीसे मुबारका में है, ''अल्लाह तआला जब किसी बन्दे पर अपनी नेअमत इन्आम फ़र्माता है तो चाहता है कि उसका असर उस पर ज़ाहिर हो।'' (अहमदः 3/474; वसनदुहू ज़ईफ़; वलहू शाहिदुन सहीहुन इन्द अबी दाऊदः 4063; फ़िल हदीस बिही हसन; इस मानी की रिवायत अबूदाऊद, किताबुल लिबास, बाब फ़िल ख़ल्क़ानः 4063; नसाईः 5226 में भी मौजूद है और इसकी सनद सहीह है।) दुआए नबवी (ﷺ) में है (वज्अल्ना शाकिरीन लि-निअमतिक मुस्नी न बिहा अलैका क़ाबिलीहा व अतिम्महा अलयना) ''ऐ अल्लाह! हमें अपनी नेअमतों पर शुक्रगुज़ार बना और उनकी वजह से हमें अपना तारीफ़ करने वाला बना, इनका क़बूल करने वाला बना और इन नेअमतों को हमें भरपूर अता फ़र्मा, आमीन।'' (अबूदाऊद, किताबुस्सलात, बाबुत्तशहहुदः 969; वसनदुहू हसन वहुव सहीहुन) कुछ सल्फ़ का क़ौल है कि यह आयत यहूदियों के उस बुख़्ल के बारे में है जो अपनी किताब में हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह (ﷺ) की सिफ़ात के छुपाने में करते थे। इसीलिए इसके आख़िर में है कि काफ़िरों के लिए ज़िल्लत आमेज़ अज़ाब हमने तैयार कर रखे हैं। कोई शक नहीं कि इस आयत का इत्लाक उन पर भी हो सकता है लेकिन यह बज़ाहिर यहाँ

माल का बुख़्ल बयान हो रहा है गो इल्म का बुख़्ल भी इसमें बतौरे औला दाख़िल है। ख़्याल कीजिए कि बयाने आयत अक़रबा ज़ुअफ़ा को माल देने के बारे में है। इसी तरह इसके बाद वाली आयत में रियाकारी के तौर पर अल्लाह के लिए माल देने वालों की मज़म्मत बयान हो रही है। यहाँ बयान हुआ उन मुम्सिक और बख़ीलों का जो कोड़ी-कोड़ी को दाँतों से थाम रखते हैं।

फिर बयान हुआ उनका जो देते तो हैं लेकिन बदनिय्यती से दुनिया में अपनी वाह वाह होने के ख़ातिर। चुनाँचे एक हदीस में है कि जिन तीन क़िस्म के लोगों से जहन्नम की आग सुलगायी जाएगी वह यही रियाकार होंगे। रियाकार आलिम, रियाकार ग़ाज़ी, रियाकारी सख़ी। यह सख़ी कहेगा कि बारी तआला! तेरी हर हर राह में मैंने अपना माल ख़र्च किया तो उसे अल्लाह तआला की जानिब से जवाब मिलेगा कि तू झूठा है, तेरा इरादा तो सिर्फ़ यही था कि तू सख़ी और जव्वाद मशहूर हो जाए, सो वो हो चुका, यानी तेरा मक़सद दुनिया की शोहरत थी, वह मैं तुझे दुनिया में ही दे चुका, पस तेरी मुराद हासिल हो चुकी।'' (सहीह मुस्लिम, किताबुल इमारत, बाब मन क़ातल लिर्रियाइ वस्सुमआः 1905; नसाईः 3139; तिर्मिज़ीः 2382) और हदीस में है कि हुज़ूर अकरम (ﷺ) ने हज़रत अदी बिन हातिम (रज़ि.) से फ़र्माया कि ''तेरे बाप ने अपनी सख़ावत से जो चाहा था वह उसे मिल गया।'' (अहमदः 4/258; वसनदुहू हसन; इब्ने हिब्बानः 332) हुज़ूरे अकरम (ﷺ) से सवाल होता है कि अब्दुल्लाह बिन जुदआन तो बड़ा सख़ी था जिसने मसाकीन व फ़ुक़रा के साथ बड़े सुलूक किए और अल्लाह के नाम बहुत से गुलाम आज़ाद किए तो क्या उसे इनका नफ़ा न मिलेगा? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ''नहीं! उसने तो उम्र भर में एक दिन भी न कहा कि, ऐ अल्लाह! मेरे गुनाहों को क़यामत के दिन माफ़ कर देना।'' (सहीह मुस्लिम, किताबुल ईमान, बाब अद्दलीलु अला अन्न मम्माता अलल कुफ़्रिः 214; तिर्मिज़ीः 3121; इब्ने माजाः 4279) इसीलिए यहाँ भी फ़र्माता है कि इनका ईमान अल्लाह तआला पर और क़यामत के दिन पर नहीं, वरना शैतान के फंदे में न फंस जाते और बुरे को भला न समझ बैठते। यह शैतान के साथी और शैतान इनका साथी है। साथी की बुराई पर इनकी बुराई भी सोच लो। अरब शायर कहता है

अनिल मरइ ला तस्अल वसल अन क़रीनिही
फ़कुल्लु क़रीनि बिल मुक़ारिन यक़्तदी

''इंसान के बारे में न पूछ, उसके साथियों का हाल पूछ ले हर साथी अपने साथी का ही पैरोकार होता है।''

फिर इर्शाद फ़र्माता है कि इन्हें अल्लाह तआला पर ईमान लाने और सहीह राह पर चलने और रियाकारी को छोड़ देने और इख़्लास व यक़ीन पर क़ायम हो जाने से कौनसी चीज़ ने रोका है। इनका इसमें क्या नुक़्सान है बल्कि सरासर फ़ायदा है कि इनकी आक़िबत संवर जाएगी, यह क्यूँ अल्लाह तआला की राह में माल ख़र्च करने से तंगदिली कर रहे हैं।

अल्लाह तआला की मुहब्बत और उसकी रज़ामंदी हासिल करने की कोशिश क्यूँ नहीं करते। अल्लाह तआला उन्हें ख़ूब जानता है। इनकी भली और बुरी निय्यतों का उसे इल्म है अहले-तौफ़ीक़ और ग़ैर अहले तौफ़ीक़ सब उस पर ज़ाहिर हैं। वह भलों को अमले सालेह की तौफ़ीक़ अता कर अपनी ख़ुशनुदी के काम उनसे लेकर अपनी क़ुर्बत उन्हें अता फ़र्माता है और बुरों को अपनी आली जनाब और ज़बरदस्त सरकार से धकेल देता है जिससे उनकी दुनिया और आख़िरत बर्बाद हो जाती है, इयाज़न बिल्लाहि मिन ज़ालिक

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۖ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ
أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٤٠﴾ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ
شَهِيدًا ﴿٤١﴾ يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ
الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا ﴿٤٢﴾

तर्जुमाः "बेशक अल्लाह तआला एक ज़र्रा बराबर भी ज़ुल्म नहीं करता और अगर नेकी हो तो उसे दुगुनी कर देता है और ख़ास अपने पास से बहुत बड़ा सवाब देता है।(40) पस क्या हाल होगा जिस वक़्त कि हर उम्मत में से एक गवाह हम लायेंगे और तुझे उन लोगों पर गवाह बनाकर लायेंगे। (41) जिस दिन काफ़िर और रसूल के नाफ़र्मान आरज़ू करेंगे कि काश! उन्हें ज़मीन के साथ हमवार कर दिया जाता। और अल्लाह तआला से कोई बात न छुपा सकेंगे।" (42)

नेकी का अज्र कई गुना मिलेगा, ज़र्रा बराबर ईमान वाला भी बिलआख़िर जन्नती होगा (आयत 40-42): बारी तआला रब्बुल आलमीन फ़र्माता है कि वह किसी पर ज़ुल्म नहीं करता, किसी की नेकी को बर्बाद नहीं करता, बल्कि बढ़ा चढ़ाकर क़यामत के दिन इसका अज्रो सवाब अता फ़र्माएगा। जैसे और आयत में है (وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ) (21/अम्बियाः 47) "हम अदल की तराज़ू रखेंगे।" और फ़र्माया कि हज़रत लुक़्मान (عليه السلام) ने अपने साहबज़ादे से फ़र्माया था (يٰبُنَيَّ اِنَّهَآ اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ) (31/लुक़्मानः 16) "ऐ बेटे! अगर कोई चीज़ राई के दाने बराबर हो गो (भले) वह किसी पत्थर में या आसमानों में हो या ज़मीन के अंदर हो, अल्लाह तआला उसे ला हाज़िर करेगा, बेशक अल्लाह तआला बारीक बीन ख़बरदार है।" और जगह फ़र्माया (يَوْمَىِٕذٍ يَّصْدُرُ النَّاسُ) (99/ज़िल्ज़ालः 6) "उस दिन लोग मुख़्तलिफ़ अहवाल पर लौटेंगे ताकि उन्हें उनके आमाल दिखाए जाएँ, पस जिसने ज़र्रा बराबर भी नेकी की होगी वह उसे देख लेगा और जिसने ज़र्रा बराबर भी बुराई की होगी, वह उसे देख लेगा।" बुख़ारी व मुस्लिम की शफ़ाअत के ज़िक्र वाली लम्बी हदीस में है कि "फिर अल्लाह तआला फ़र्माएगा, लौटकर जाओ और जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान देखो, उसे जहन्नम से निकाल लाओ, पस बहुत सी मख़्लूक़ जहन्नम से आज़ाद होगी।" हज़रत अबू सईद (रज़ि.) यह हदीस बयान फ़र्माकर फ़र्माते, अगर तुम चाहो तो आयते क़ुरआनी के इस जुम्ले को पढ़ लो (اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ)(4/सूरह निसाअः40) सहीह बुख़ारी, किताबुत्तौहीद, बाब क़ौलुल्लाहि तआला (वुजूहुय् यौमइज़िन् नाज़िरा): 7439; सहीह मुस्लिमः 183; नसाईः 5013; इब्ने माजाः 179) इब्ने अबी हातिम में हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) का

फ़र्मान मरवी है कि क़यामत के दिन किसी अल्लाह तआला के बन्दे या बन्दी को लाया जाएगा और एक पुकारने वाला तमाम अहले महशर को सुनाकर ऊँची आवाज़ में कहेगा, यह फ़लाँ का बेटा या बेटी है, इसका फ़लाँ नाम है जिस किसी का कोई हक़ इसके ज़िम्मे बाक़ी हो वह आए और ले जाए। उस वक़्त यह हालत होगी कि औरत चाहेगी कि उसका कोई हक़ उसके बाप पर या माँ पर या भाई पर या शौहर पर हो तो दौड़कर आए और ले। रिश्ते नाते कट जाएँगे कोई किसी का पुरसाने हाल न होगा। अल्लाह तआला अपना जो हक़ चाहे, माफ़ कर देगा, लेकिन लोगों के हुकूक़ में से कोई हक़ माफ़ न करेगा। जब हक़दार आ जाएँगे तो उसे कहा जाएगा कि इनके हक़ अदा कर। यह कहेगा, दुनिया तो ख़त्म हो चुकी, आज मेरे हाथ में क्या है जो मैं दूँ? पस उसके नेक आमाल लिए जाएँगे और हक़दारों को दिए जाएँगे और हर एक का हक़ इसी तरह अदा किया जाएगा। अब यह शख़्स अगर अल्लाह का दोस्त है तो उसके पास एक राइ के दाने बराबर नेकी बच रहेगी जिसे बढ़ा चढ़ाकर सिर्फ़ उसी की बिना पर अल्लाह तआला उसे जन्नत में ले जाएगा। फिर आप (ﷺ) ने इसी आयत की तिलावत की और अगर वह बन्दा अल्लाह तआला का दोसत नहीं है बल्कि बदबख़्त और सरकश है तो यह हाल होगा कि फ़रिश्ता कहेगा, बारी तआला इसकी सब नेकियाँ ख़त्म हो गईं और अभी हक़दार बाक़ी रह गए। हुक्म होगा कि उनकी बुराईयाँ लेकर इस पर लाद दो फिर इसे जहन्नम में दाख़िल करो, अआज़नल्लाहु मिन्हा। इस मौक़ूफ़ असर के कुछ शवाहिद मरफ़ूअ अहादीस में भी मौजूद हैं। इब्ने अबी हातिम में इब्ने उमर (रज़ि.) का फ़र्मान है कि आयत (مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا) (6/अन्आमः 160) आराब के बारे में उतरी है। इस पर उनसे सवाल हुआ कि फिर मुहाजिरीन के बारे में क्या है। आपने फ़र्माया, इससे बहुत ही अच्छी आयत (إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ)(4/सूरह निसाअः40) (इब्ने अबी हातिमः वसनदुहू मौज़ूअ; फ़ुज़ैल बिन अतिया औफ़ी से मौज़ूअ रिवायतें बयान की हैं। मज्मउज़्ज़वाइदः 7/26; इसकी सनद में अतिया मजरूह रावी है। (अत्तक़रीबः 2/24; रक़मः 216) लिहाज़ा यह रिवायत मरदूद है।)

मुश्रिक व काफ़िर को उसके नेक आमाल का सिलाः हज़रत सईद बिन जुबेर (रह.) फ़र्माते हैं, मुश्रिक के भी अज़ाबों में इसके सबब कमी कर दी जाती है हाँ! जहन्नम से निकलेगा तो नहीं। चुनाँचे सहीह हदीस में है कि हज़रत अब्बास (रज़ि.) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से पूछा या रसूलल्लाह (ﷺ)! आपके चचा अबू तालिब आपकी पुश्त पनाह बने हुए थे, आपको लोगों की ईज़ाओं से बचाते रहते थे, आप (ﷺ) की तरफ़ से उनसे लड़ते थे, तो क्या उन्हें कुछ नफ़ा भी पहुँचेगा? आप(ﷺ) ने फ़र्माया, "हाँ! वह बहुत थोड़ी सी आग में है और अगर मेरा यह ताल्लुक़ न होता तो जहन्नम के निचले तब्क़े में होते।" (सहीह बुख़ारी, किताब मनाक़िबुल अंसार, बाब क़िस्सा अबी तालिबः 3883; सहीह मुस्लिमः 209) लेकिन यह बहुत मुम्किन है कि यह फ़ायदा सिर्फ़ अबू तालिब के लिए ही हो यानी और कुफ़्फ़ार इस हुक्म में न हों। इसलिए कि मुस्नद तयालिसी की हदीस में है कि "अल्लाह तआला मोमिन की किसी नेकी पर ज़ुल्म नहीं करता, दुनिया में रोज़ी रिज़्क़ वग़ैरह की सूरत में उसका बदला मिलता है और आख़िरत में जज़ा व सवाब की शक्ल में बदला मिलेगा। हाँ! काफ़िर तो अपनी नेकी दुनिया में ही खा जाता है। क़यामत में उसके पास कोई नेकी न होगी।" (सहीह मुस्लिम, किताब सिफ़ातुल मुनाफ़िक़ीन, बाब जज़ाउल मोमिनः 2808) अज्रे अज़ीम से मुराद इस आयत में जन्नत है। अल्लाह तआला हमें अपने फ़ज़्लो करम, लुत्फ़ो रहम से अपनी रज़ामन्दी अता फ़र्माए और जन्नत नसीब करे, आमीन! मुस्नद अहमद की एक ग़रीब हदीस में है, हज़रत अबू उस्मान (रह.) फ़र्माते हैं मुझे ख़बर मिली है कि

हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) ने फ़र्माया है , अल्लाह तआला अपने मोमिन बन्दे को एक नेकी के बदले एक लाख नेकी का सवाब देगा। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ और मैंने कहा, हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) की ख़िदमत में तुम सबसे ज़्यादा मैं रहा हूँ, मैंने तो कभी आपसे यह हदीस नहीं सुनी। अब मैंने पुख़्ता इरादा कर लिया कि जाऊँ हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) से मिलकर उनसे ख़ुद पूछ आऊँ। चुनाँचे मैंने सामाने सफ़र दुरुस्त किया और इस रिवायत की छानबीन के लिए रवाना हुआ। मालूम हुआ कि वह तो हज्ज को गए हैं तो मैं भी हज्ज की निय्यत करके वहाँ पहुँचा, मुलाक़ात हुई। मैंने कहा, अबू हुरैरा (रज़ि.)! मैंने सुना, आपने ऐसी हदीस बयान की है क्या यह सच है? आपने फ़र्माया, क्या तुझे ताज्जुब मालूम होता है, तुमने कुरआन में नहीं पढ़ा कि अल्लाह तआला फ़र्माता है, "जो शख़्स अल्लाह तआला को अच्छा क़र्ज़ दे, अल्लाह तआला उसे बहुत बहुत बढ़ाकर इनायत करता है" और दूसरी आयत में सारी दुनिया को कम कहा गया है अल्लाह तआला की क़सम! मैंने आँहज़रत (ﷺ) से सुना है कि "एक नेकी को बढ़ाकर उसके बदले दो लाख मिलेंगी।" (अहमदः 2/521; वसनदुहू ज़ईफ़) यह हदीस और तरीक़ों से भी मरवी है।

फिर क़यामत के दिन की सख़्ती और होलनाकी का बयान फ़र्मा रहा है कि उस दिन अम्बिया (عليهم السلام) को बतौर गवाह के पेश किया जाएगा। जैसे और आयत में है (وَ اَشْرَقَتِ الْاَرْضُ بِنُوْرِ رَبِّهَا وَ وُضِعَ الْكِتٰبُ وَ جِايْٓءَ بِالنَّبِيّٖنَ وَ الشُّهَدَآءِ) (39/नहलः 69) "ज़मीन अपने रब के नूर से चमकने लगेगी, नामा-ए-आमाल दिए जाएँगे और नबियों और गवाहों को ला खड़ा किया जाएगा।" और जगह फ़र्मान है **(व यौम नब्असु फ़ी कुल्लि उम्मतिन शहीदन अलैहिम मिन अन्फ़ुसिहिम)** "हर उम्मत पर उन ही में से हम गवाह खड़ा करेंगे।" सहीह बुख़ारी शरीफ़ में है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) से फ़र्माया, "मुझे कुछ कुरआन पढ़कर सुनाओ।" हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) ने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैं आपको पढ़कर क्या सुनाऊँगा , आप (ﷺ) पर तो कुरआन उतरा है। फ़र्माया, "हाँ! लेकिन मेरा जी चाहता है कि दूसरे से सुनूँ।" पस मैंने सूरह निसाअ की तिलावत शुरू की, पढ़ते-पढ़ते जब मैंने इस आयत (फ़ कैफ़) की तिलावत की तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, "बस करो।" मैंने देखा कि आप (ﷺ) की आँखों से आँसू बह रहे थे। (सहीह बुख़ारी, किताब फ़ज़ाइलुल कुरआन, बाब क़ौलुल मुक़री लिल क़ारी हस्बुकः 5050; सहीह मुस्लिमः 800; अबूदाऊदः 3668; तिर्मिज़ीः 3028) मुहम्मद बिन फ़ुज़ाला अंसारी (रज़ि.) फ़र्माते हैं कि क़बीला बनी ज़फ़र के पास रसूलुल्लाह (ﷺ) आए और उस सेहरा पर बैठ गए जो अब तक उनके मौहल्ले में है। आपके साथ इब्ने मसऊद, मुआज़ बिन जबल और दीगर सहाबा (रज़ि.) भी थे। आप (ﷺ) ने एक क़ारी से फ़र्माया, "कुरआन पढ़ो" वह पढ़ते पढ़ते जब इस आयत (फ़ कैफ़) तक पहुँचे तो आप (ﷺ) इस क़द्र रोये कि दोनों रुख़सार (गाल) और दाढ़ी तर हो गई, और अर्ज़ करने लगे कि, "या रब! जो मौजूद हैं, उन पर तो ख़ैर मेरी गवाही होगी लेकिन जिन लोगों को मैंने देखा ही नहीं उनकी बाबत कैसे?" (तबरानीः 19/243, 244; हः 546; वसनदुहू ज़ईफ़) इब्ने जरीर में है कि आप (ﷺ) ने फ़र्माया, "मैं उन पर गवाह हूँ जब तक कि मैं उनमें हूँ, पस जब तू मुझे फ़ौत करेगा तब तो तू ही उन पर निगहबान है।" अबू अब्दुल्लाह कुर्तुबी (रह.) ने अपनी किताब तज़्किरा में बाब बाँधा है कि नबी अकरम (ﷺ) की अपनी उम्मत पर शहादत के बारे में क्या आया है। उसमें हज़रत सईद बिन मुसय्यिब (रह.) का क़ौल लाए हैं कि हर दिन सुबह शाम नबी अकरम (ﷺ) पर आपकी उम्मत के आमाल पेश किए जाते हैं नामों के साथ, पस आप (ﷺ) क़यामत के

दिन उन सब पर गवाही देंगे, फिर यही आयत तिलावत फ़र्माई। लेकिन पहले तो यह हज़रत सईद (रह़.) का ख़ुद का क़ौल है, दूसरे यह कि इसकी सनद में इंक़िताअ़ है उसमें एक रावी मुब्हम है जिसका नाम ही नहीं, तीसरे यह ह़दीस मरफ़ूअ़ करके बयान ही नहीं करते।

हाँ! इमाम क़ुर्तुबी (रह़.) इसे क़बूल करते हैं वह इसके लाने के बाद फ़र्माते हैं कि पहले गुज़र चुका है कि अल्लाह तआला के सामने हर पीर और हर जुमेरात को आमाल पेश किए जाते हैं पस वह अम्बिया (عليهم السلام) पर और माँ बाप पर हर जुम्आ को पेश किए जाते हैं। (बेअस़ल है। इस रिवायत को शैख़ अल्बानी (रह़.) ने मौज़ूअ़ क़रार दिया है। देखिए (अज़्ज़ईफ़ः 1480) और इसमें कोई तआरुज़ नहीं। मुम्किन है कि हमारे नबी (ﷺ) पर हर जुम्आ को भी पेश होते हों और हर दिन भी (ठीक यही है कि यह बात स़ेह़त के साथ साबित नहीं, वल्लाहु आ़लम! मुतर्जिम)

फिर फ़र्माता है कि उस दिन काफ़िर और नाफ़र्माने रसूल आरज़ू करेगा कि काश! ज़मीन फट जाती और यह उसमें समा जाता, फिर बराबर हो जाती, क्योंकि नाक़ाबिले बर्दाश्त होलनाकियों, रुस्वाईयों और डांट डपट से घबरा उठेगा। जैसे और आयत में है (يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ) (78/अन् नबाः 40) ''जिस दिन इंसान अपने आगे भेजे हुए आ़माल अपनी आँखों देख लेगा और काफ़िर कहेगा कि काश! मैं मिट्टी हो गया होता।'' फिर फ़र्माया, यह उन तमाम बदआमालियों का उस दिन इक़रार करेंगे जो उन्होंने किए थे, और एक चीज़ भी छुपाकर नहीं रख सकेंगे। एक शख़्स़ ने हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) से कहा, हज़रत एक जगह तो क़ुरआन में है कि मुश्रिकीन क़यामत के दिन कहेंगे (وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ) (6/अन्आमः 23) ''अल्लाह तआला की क़सम! रब की क़सम! हमने शिर्क नहीं किया'' और दूसरी जगह है **(ला यक्तुमूनल्लाह ह़दीसा)** ''अल्लाह तआला से एक बात भी न छुपाएँगे'' फिर इन दोनों आयतों का क्या मत़लब है? आपने फ़र्माया, ''इसका और वक़्त है और उसका वक़्त और है। जब मुवह़्हि़दों को जन्नत में जाते हुए देखेंगे तो कहेंगे, आओ! तुम भी अपने शिर्क का इंकार करो, क्या अ़जब काम चल जाए। फिर उनके चेहरे पर मुहरें लग जाएँगी, और हाथ पैर बोलने लगेंगे, अब अल्लाह तआला से एक बात भी न छुपाएँगे।'' (इब्ने जरीर) मुस्नद अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक़ में है कि उस शख़्स़ ने आकर कहा था बहुत सी चीज़ें मुझ पर क़ुरआन में मुख़्तलिफ़ होती हैं, तो आपने फ़र्माया, ''क्या मत़लब?'' तुझे क्या क़ुरआन में शक है? उसने कहा, शक तो नहीं, हाँ! मेरी समझ में इख़्तिलाफ़ नज़र आ रहा है। आपने फ़र्माया, ''जहाँ जहाँ इख़्तिलाफ़ तुझे नज़र आ रहा हो, उन मक़ामात को पेश कर'' तो उसने यह दो आयतें पेश कीं कि एक से छुपाना साबित होता है, दूसरे से न छुपाना पाया जाता है तो आपने उसे यह जवाब देकर दोनों आयतों की तत़्बीक़ समझा दी। एक और रिवायत में साइल का नाम भी आया है कि वह नाफ़ेअ़ बिन अज़रक़ थे। और यह भी है कि हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने उससे यह भी फ़र्माया कि शायद तुम किसी मज्लिस से आ रहे हो, वहाँ भी तज़्किरा हो रहा होगा, तुमने कहा होगा कि मैं जाता हूँ और इब्ने अ़ब्बास (रज़ि .) से पूछकर आता हूँ। अगर मेरा यह गुमान स़ह़ीह़ है तो तुम्हें लाज़िम है कि जवाब सुनकर उन्हें भी सुना दो। फिर यही जवाब दिया।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ
وَلَا جُنُبًا اِلَّا عَابِرِىْ سَبِيْلٍ حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا ؕ وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰۤى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ
اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَآئِطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا
صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُوْرًا ﴿٤٣﴾

तर्जुमाः ''ऐ ईमानवालों! तुम जब नशे में मस्त हो तो नमाज़ के क़रीब भी न जाओ जब तक कि अपनी बात को समझने न लगो और न जनाबत की हालत में जब तक कि ग़ुस्ल न कर लो, हाँ! अगर राह चलते मुसाफ़िर हो तो और बात है ओर अगर तुम बीमार हो या सफ़र में हो या तुममें से कोई पाख़ाने से आया हो या तुमने औरतों से मुबाशिरत की हो और तुम्हें पानी न मिले तो पाक मिट्टी का क़सद करो और अपने चेहरे और अपने हाथ मल लो। बेशक अल्लाह तआला माफ़ करने वाला बख़्शने वाला है।'' (43)

जनाबत के अहकाम और शराब के हराम होने का वाक़िया (आयत 43): अल्लाह तबारक व तआला अपने ईमानवाले बन्दों को नशे की हालत में नमाज़ पढ़ने से रोक रहा है क्योंकि उस वक़्त नमाज़ी मालूम ही नहीं कर सकता कि वह क्या कह रहा है। साथ ही महल्ले नमाज़ यानी मस्जिद में आने से भी मुमानिअत है, उसे भी और जुंबी शख़्स को भी यानी जिसे नहाने की हाजत हो, हाँ! ऐसा शख़्स किसी काम की वजह से मस्जिद के एक दरवाज़े से जाकर दूसरे से निकल जाए, वहाँ ठहरे नहीं तो यह गुज़रना जाइज़ है। नशे की हालत में नमाज़ के क़रीब न जाने का हुक्म शराब की हुर्मत से पहले था, जैसे उस हदीस से ज़ाहिर है जो हमने सूरह बक़रह की आयत (يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ) (2/बक़रहः 219) की तफ़्सीर में ज़िक्र की है, नबी अकरम (ﷺ) ने जब वह आयत हज़रत उमर (रज़ि.) के सामने तिलावत की तो आपने दुआ मांगी कि ''ऐ अल्लाह! शराब के बारे में और साफ़-साफ़ बयान नाज़िल फ़र्मा।'' फिर यह आयत उतरी, यानी नशे की हालत में नमाज़ के क़रीब न जाने की। इस पर नमाज़ों के वक़्त इसका पीना लोगों ने छोड़ दिया। इसे सुनकर भी जनाब फ़ारूक़ (रज़ि.) ने यही दुआ मांगी तो आयत (يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْاَنْصَابُ وَ الْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ) से (فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ) (5/माइदाः 90, 91) तक नाज़िल हुई जिसमें शराब से बचने का हुक्म साफ़ मौजूद है। इसे सुनकर फ़ारूक़ आज़म (रज़ि.) ने फ़र्माया, हम बाज़ आए। (अबूदाऊदः 3670; वसनदुहू ज़ईफ़; अबू इस्हाक़ मुदल्लस के सिमाअ की तसरीह नहीं, नीज़ सनद में इंक़िताअ है।) इसी रिवायत की एक सनद में है कि जब सूरह निसाअ की यह

आयत नाज़िल हुई और नशे के वक़्त नमाज़ पढ़ने की मुमानिअत हुई, उस वक़्त यह दस्तूर था कि जब नमाज़ खड़ी होती तो एक शख़्स आवाज़ लगाता कि कोई नशा वाला नमाज़ के क़रीब न आए। (अबूदाऊद, अव्वल किताबुल अश्रिबा, बाब तहरीमुल ख़म्रः 3671; वसनदुहू सहीह) इब्ने माजा शरीफ़ में है हज़रत सअद (रज़ि.) फ़र्माते हैं मेरे बारे में चार आयतें नाज़िल हुई हैं, एक अंसारी ने खाना तैयार किया और बहुत से लोगों की दावत की हम सबने ख़ूब खाया पिया, फिर शराबें पीं और मख़्मूर हो गए, फिर आपस में फ़ख़्र जताने लगे, एक शख़्स ने ऊँट के जबड़े की हड्डी उठाकर हज़रत सअद (रज़ि.) को मारी जिससे नाक पर ज़ख़्म आया और उसका निशान बाक़ी रह गया, उस वक़्त तक शराब को इस्लाम ने हराम नहीं किया था पस यह आयत नाज़िल हुई। यह हदीस सहीह मुस्लिम शरीफ़ में भी पूरी मरवी है। (सहीह मुस्लिम, किताब फ़ज़ाइलुस्सहाबा, बाब फ़ी फ़ज़्लि सअद बिन अबी वक़्क़ास (रज़ि.)ः 1748; अबूदाऊदः 208; तिर्मिज़ीः 3189)

इब्ने अबी हातिम की रिवायत में है कि अब्दुर्रहमान बिन औफ़ (रज़ि.) ने दावत की लोग गए, खाना खाया, फिर शराब पी और मस्त हो गए, इतने में नमाज़ का वक़्त आ गया, एक शख़्स को इमाम बनाया, उसने नमाज़ में सूरह (قُلْ يٰاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ) (109/काफ़िरूनः1) में इस तरह पढ़ा **(मा आबुदु मा तअबुदून. व नहनु नअबुदु मा तअबुदून)** इस पर यह आयत उतरी और नशा की हालत में नमाज़ का पढ़ना मना किया गया। यह हदीस तिर्मिज़ी में भी है और हसन है। (तिर्मिज़ी, किताब तफ़्सीरुल क़ुरआन, बाब वमिन सूरतिन्निसाअः 3026; वहुव हसन) इब्ने जरीर की रिवायत में है कि हज़रत अली, हज़रत अब्दुर्रहमान (रज़ि.) और तीसरे एक और साहब ने शराब पी और हज़रत अब्दुर्रहमान (रज़ि.) नमाज़ में इमाम बनाए गए और क़ुरआन की क़िरात ख़लत-मलत कर दी, इस पर यह आयत उतरी। अबूदाऊद और नसाई में भी यह रिवायत है। (अबूदाऊद, किताबुल अश्रिबा, बाब तहरीमुल ख़म्रः 3671; वसनदुहू हसन) इब्ने जरीर (रह.) की एक और रिवायत में है हज़रत अली (रज़ि.) ने इमामत की और जिस तरह पढ़ना चाहिए था न पढ़ सके, इस पर यह आयत नाज़िल हुई। और एक रिवायत में मरवी है कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ (रज़ि.) ने इमामत कराई और इस तरह पढ़ा **(क़ुल या अय्युहल काफ़िरून○ आबुदु मा तअबुदून○ व अन्तुम आबिदून मा आबुद○ व अना आबिदुम्मा अबदतुम○ लकुम दीनुकुम वलिय यदीन○)** पस यह आयत नाज़िल हुई और ग़फ़लत की हालत में नमाज़ पढ़ना हराम कर दिया गया। हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़र्माते हैं कि शराब की हुर्मत से पहले लोग नशा की हालत में नमाज़ को खड़े हो जाया करते थे। पस इस आयत से उन्हें ऐसा करने से रोक दिया गया। (इब्ने जरीर) हज़रत क़तादा (रह.) फ़र्माते हैं कि इसके नाज़िल होने के बाद लोग इससे रुक गए, फिर शराब की मुत्लक़ हुर्मत नाज़िल हुई। हज़रत ज़हहाक (रह.) फ़र्माते हैं इससे शराब का नशा मुराद नहीं बल्कि नींद का ख़ुमार मुराद है। इमाम इब्ने जरीर (रह.) फ़र्माते हैं ठीक यही है कि मुराद इससे शराब का नशा है और यहाँ ख़िताब उनसे किया गया है जो नशे में हैं लेकिन न इतने कि अहकामे-शरइ उन पर जारी ही न हो सकें, क्योंकि नशा की ऐसी हालत वाला शख़्स मज्नून के हुक्म में है। बहुत से उसूली हज़रात का क़ौल है कि ख़िताब उन लोगों की तरफ़ मुतवज्जा है जो कलाम को समझ सकें, न ऐसे नशे वालों की तरफ़ जो समझते ही नहीं कि उनसे क्या कहा जा रहा है। इसलिए कि ख़िताब का समझना

शर्त है तक्लीफ़ की और यह भी कहा गया कि गो अल्फ़ाज़ यह हैं कि नशा की ह़ालत में नमाज़ न पढ़ो लेकिन मुराद यह है कि नशे की चीज़ खाओ पियो भी नहीं इसलिए कि दिन रात में पाँच वक़्त नमाज़ फ़र्ज़ है तो कैसे मुम्किन है कि एक शराबी उन पाँचों वक़्त की नमाज़ें ठीक वक़्त पर अदा कर सके ह़ालाँकि शराब बराबर पी रहा है, वल्लाहु आ़लम! पस यह हुक्म भी उसी त़रह़ होगा जिस त़रह़ यह हुक्म है कि ईमानवालों! अल्लाह तआ़ला से डरते रहो जैसा कि उससे डरने का ह़क़ है और न मरना तुम मगर इस ह़ालत में कि तुम मोमिन हो। तो इससे मुराद यह है कि ऐसी तैयारी हर वक़्त रखो और ऐसे पाकीज़ा आ़माल हर वक़्त करते रहो कि जब तुम्हें मौत आए तो इस्लाम पर दम निकले। यह जो इस आयत में इर्शाद हुआ है कि यहाँ तक कि तुम मालूम कर सको जो तुम कह रहे हो, यह नशा की ह़द है यानी नशा की ह़ालत में उस शख़्स को समझा जाएगा जो अपनी बात नासमझ सके। नशा वाला इंसान क़िरात में ख़लत़ मलत़ कर देगा उसे सोचने समझने और ग़ौरो फ़िक्र करने का मौक़ा न मिलेगा, न उससे आ़जिज़ी और ख़ुशूअ ख़ुज़ूअ हो सकता है। मुस्नद अह़मद में है रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़र्माते हैं "जब तुममें से कोई ऊँघने लगे और हो वह नमाज़ में तो उसे चाहिए कि वह लौट जाए और सो जाए जब तक कि वह जानने लगे जो कुछ कह रहा है।" (अह़मदः 3/150; स़ह़ीह़ बुख़ारी, किताबुल वुज़ू, बाबुल वुज़ू मिनन्नौमि वमल्लम् यर मिनन्नासति...: 213) बुख़ारी और नसाई में भी यह ह़दीस है। (स़ह़ीह़ बुख़ारी, किताबुल वुज़ू, बाबुल वुज़ूअ मिनन्नौमिः 213; नसाईः 443) और इसके कुछ तुरूक़ में यह अल्फ़ाज़ भी है कि मुम्किन है कि चाहे तो वह अपने लिए इस्तिग़फ़ार करना लेकिन ज़ुबान से उसके ख़िलाफ़ निकले। (स़ह़ीह़ बुख़ारी, किताबुल वुज़ू, बाबुल वुज़ूअ मिनन्नौमिः 212; स़ह़ीह़ मुस्लिमः 786; अबूदाऊदः 1310; तिर्मिज़ीः 355; इब्ने माजाः 1370)

जनाबत की ह़ालत में मस्जिद में दाख़िल होनाः फिर फ़र्मान है कि जुंबी नमाज़ के क़रीब न जाए जब तक गुस्ल न कर ले। हाँ! बत़ौर गुज़र जाने के मस्जिद में से गुज़रना जाइज़ है। ह़ज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) फ़र्माते हैं ऐसी नापाकी की ह़ालत में मस्जिद में जाना नाजाइज़ है, हाँ! मस्जिद की एक त़रफ़ से दूसरी त़रफ़ निकल जाने मे कोई ह़र्ज नहीं, मस्जिद में बैठे नहीं। (इब्ने अबी ह़ातिम, वसनदुहू ह़सन; अबू जाफ़र राज़ी ह़स्सनल ह़दीस ह़ाहुना) और भी बहुत से स़ह़ाबा (रज़ि.) और ताबेईन (रह़.) का यही क़ौल है। ह़ज़रत यज़ीद बिन अबू ह़बीब (रज़ि.) फ़र्माते हैं कुछ अंस़ार जो मस्जिद के आसपास रहते थे और जुंबी होते थे घर में पानी नहीं होता और घर के दरवाज़े मस्जिद से मुत्तस़िल थे उन्हें इजाज़त हुई कि मस्जिद से इसी ह़ालत में गुज़र सकते हैं। बुख़ारी की ह़दीस से यह भी बात स़ाफ़ त़ौर पर साबित होती है कि लोगों के घरों के दरवाज़े मस्जिद में थे चुनाँचे हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने अपने आख़िरी मर्ज़ुल मौत में फ़र्माया था कि "मस्जिद में जिन जिन लोगों के दरवाज़े पड़ते हैं सबको बंद कर दो, सिर्फ़ अबूबक्र (रज़ि.) का दरवाज़ा खुला रहने दो।" (स़ह़ीह़ बुख़ारी, किताबुस़्स़लात, बाबुल ख़ौख़त वल मुमिर फ़िल मस्जिदः 467) इससे यह भी मालूम हो गया कि आप (ﷺ) के बाद आपके जानशीन ह़ज़रत अबूबक्र (रज़ि.) होंगे तो उन्हें हर वक़्त और बकसरत मस्जिद में आने जाने की ज़रूरत रहेगी ताकि मुसलमानों के अहम उमूर का फ़ैसला कर सकें, इसलिए आप (ﷺ) ने सबके दरवाज़े बन्द करने और सि़द्दीक़े अकबर (रज़ि.) का दरवाज़ा खुला रहने की हिदायत फ़र्माई। कुछ सुनन की इस

हदीस में बजाए हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) के हज़रत अली (रज़ि.) का नाम है वह बिलकुल ग़लत है। (अहमदः 1/331; मुतव्वला (सविस्तार) अन इब्ने अब्बास (रज़ि.) वसनदुहू हसन; अल्हाकिमः 3/132; वसह्हहहू ववाफ़क़हुज़्ज़हबी) सहीह यही है जो सहीह में है इस आयत से अकसर अइम्मा ने दलील पकड़ी है कि जुंबी शख़्स को मस्जिद में ठहरना हराम है, हाँ! गुज़र जाना जाइज़ है। इसी तरह हैज़ व निफ़ास वाली औरतों को भी यही हुक्म है। और कुछ कहते हैं इन दोनों को गुज़रना भी जाइज़ नहीं मुम्किन है मस्जिद में आलूदगी हो। और कुछ कहते हैं अगर इस बात का डर न हो तो उनका गुज़रना भी जाइज़ है। सहीह मुस्लिम शरीफ़ की हदीस में है कि आँहज़रत (ﷺ) ने हज़रत आइशा (रज़ि.) से फ़र्माया कि, "मस्जिद से मुझे बोरिया उठा दो" तो माई साहिबा (रज़ि.) ने अर्ज़ किया कि हुज़ूरे अकरम (ﷺ)! मैं हैज़ से हूँ। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, "तेरा हैज़ तेरे हाथ में नहीं।" (सहीह मुस्लिम, किताबुल हैज़, बाब जवाज़ु गुस्लुल हाइज़ा रअसु ज़ौजिहाः 298) इससे साबित होता है कि हाइज़ा मस्जिद में आ जा सकती है और निफ़ास वाली का भी यही हुक्म है। यह दोनों बतौर रास्ता चलने के आ जा सकती हैं। अबूदाऊद में फ़र्माने रसूलुल्लाह (ﷺ) है कि "मैं हाइज़ा और जुंबी के लिए मस्जिद को हलाल नहीं करता।" (अबूदाऊद, किताबुत्तहारत, बाब फिज्जुंबि यदख़ुलुल मस्जिदः 232; वसनदुहू हसन) इमाम अबू मुस्लिम ख़त्ताबी (रह.) फ़र्माते हैं इस हदीस को एक जमाअत ने ज़ईफ़ कहा है क्योंकि अफ़्लत इसका रावी मज्हूल है। लेकिन इब्ने माजा में यह रिवायत है उसमें अफ़्लत की जगह मअदूम जुहली हैं। (इब्ने माजाः 645; वसनदुहू ज़ईफ़; अबू ख़त्ताब और महदूज मज्हूल रावी हैं।) पहली हदीस बरिवायत हज़रत आइशा (रज़ि.) है और यह दूसरी बरिवायत हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) है, लेकिन ठीक नाम हज़रत आइशा (रज़ि.) का ही है। एक और हदीस तिर्मिज़ी में है जिसमें है कि "ऐ अली! इस मस्जिद में जुंबी होना मेरे और तेरे सिवा किसी को हलाल नहीं।" (तिर्मिज़ीः 3727; वसनदुहू ज़ईफ़; अतिया औफ़ी रावी ज़ईफ़ है।) यह हदीस बिलकुल ज़ईफ़ है और हर्गिज़ साबित नहीं हो सकती, इसमें सालिम रावी है जो मतरूक है और उनके उस्ताद अतिया भी ज़ईफ़ है, वल्लाहु आलम! इस आयत की तफ़्सीर में हज़रत अली (रज़ि.) फ़र्माते हैं, मतलब यह है कि जुंबी शख़्स उस हालत में बग़ैर गुस्ल किए नमाज़ नहीं पढ़ सकता लेकिन अगर वह सफ़र में हो और पानी न मिले तो पानी के मिलने तक पढ़ सकता है। (इब्ने अबी हातिम, वसनदुहू ज़ईफ़) इब्ने अब्बास (रज़ि.), सईद बिन जुबेर (रह.) ज़ह्हाक (रह.) से भी यही मरवी है। हज़रत मुजाहिद, हसन, हकम, ज़ेद और अब्दुर्रहमान से भी इसी के मिस्ल मरवी है। अब्दुल्लाह बिन कसीर (रह.) फ़र्माते हैं, हम सुना करते थे कि यह आयत सफ़र के हुक्म में है। इस हदीस से भी इस मसला की शहादत हो सकती है कि हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, "पाक मिट्टी मुसलमान की तहारत है गो (भले) दस साल तक पानी न मिले, और जब मिल जाए तो उसी को इस्तेमाल करे यह तेरे लिए बेहतर है।" (मुस्नद अहमदः 5/155; अबूदाऊद, किताबुत्तहारत, बाबुल जुंबि यतयम्ममुः 332; वसनदुहू हसन; तिर्मिज़ीः 124; नसाई) इमाम इब्ने जरीर (रह.) फ़र्माते हैं इन दोनों क़ौलों में पहला क़ौल उन लोगों का है जो कहते हैं कि मुराद बतौर गुज़र जाने के मस्जिद में जाना है, क्योंकि जिस मुसाफ़िर को जनाबत की हालत में पानी न मिले उसका हुक्म तो आगे साफ़ बयान हुआ है पस अगर यही मतलब यहाँ भी लिया जाए तो फिर उसे लौटाने की दूसरे जुम्ला में कुछ ऐसी ज़रूरत बाक़ी नहीं रहती। पस मानी आयत के अब यह हुए कि ईमानवालों! नमाज़ के लिए मस्जिद में न जाओ

जबकि तुम नशे में हो जब तक तुम अपनी बात को आप न समझने लगो, इसी तरह जनाबत की हालत में भी मस्जिद में न जाओ जब तक नहा न लो, हाँ! बतौर गुज़र जाने के रास्ते काटने के जाइज़ है। (आबिरुन) के मानी आने जाने यानी गुज़र जाने के हैं, इसका मस्दर अब्रन और उबूरन आता है जब कोई नहर से गुज़र जाए तो अरब कहते हैं (अब्बर फ़ुलानुन् नहर) फ़लाँ शख़्स ने नहर उबूर कर लिया, इसी तरह क़वी ऊँटनी को जो सफ़र काटती हो (अब्बरल अस्फ़ार) कहते हैं। इमाम इब्ने जरीर (रह.) जिस क़ौल की ताइद करते हैं यही क़ौल जुम्हूर का भी है और आयत से ज़ाहिर भी यही है यानी अल्लाह तआला उस नाक़िस हालत में नमाज़ से मना करता है जो मक़्सूदे नमाज़ के ख़िलाफ़ है। इसी तरह नमाज़ की जगह में भी ऐसी हालत से आने को रोकता है जो उस जगह की अज़्मत और पाकीज़गी के ख़िलाफ़ हो, वल्लाहु आलम!

फिर जो फ़र्माया कि यहाँ तक कि तुम गुस्ल कर लो, यह दलील है इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) और इमाम मालिक (रह.) और इमाम शाफ़ई (रह.) की कि जुंबी को मस्जिद में ठहरना हराम है जब तक कि गुस्ल न कर ले या अगर पानी न मिले या पानी हो लेकिन उसके इस्तेमाल की क़ुदरत न हो तो तयम्मुम कर ले। हज़रत इमाम अहमद (रह.) फ़र्माते हैं कि जब जुंबी ने वुज़ू कर लिया तो उसे मस्जिद में ठहरना जाइज़ है चुनाँचे मुस्नद अहमद और सुनन सईद बिन मंसूर में मरवी है। हज़रत अता बिन यसार (रह.) फ़र्माते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) के सहाबा (रज़ि.) को देखा कि वह जुंबी होते और वुज़ू करके मस्जिद में बैठे रहते। (सईद बिन मंसूर वसनदुहू हसन लि ज़ातिही) वल्लाहु आलम! फिर तयम्मुम के मौक़े बयान किए। जिस बीमारी की वजह से तयम्मुम जाइज़ हो जाता है वह वह बीमारी है कि उस वक़्त पानी के इस्तेमाल से किसी हिस्से के फ़ौत हो जाने या उसके ख़राब हो जाने या मर्ज़ के बढ़ जाने का डर हो। कुछ उलमा ने हर मर्ज़ पर तयम्मुम की इजाज़त का फ़त्वा दिया है क्योंकि आयत में उमूम है। हज़रत मुजाहिद (रह.) फ़र्माते हैं कि एक अंसारी सहाबी बीमार थे, न तो खड़े होकर वुज़ू कर सकते थे न उनका कोई ख़ादिम था जो उन्हें पानी दे। उन्होंने आप (ﷺ) से इसका ज़िक्र किया, उस पर यह हुक्म नाज़िल हुआ। यह रिवायत मुर्सल है। दूसरी हालत तयम्मुम के जवाज़ की सफ़र है ख़्वाह लम्बा सफ़र हो, ख़्वाह छोटा हो। ग़ाइत कहते हैं नर्म ज़मीन को यहाँ इससे किनाया किया गया है पाख़ाना पेशाब से।

क़ुरआनो-हदीस की रोशनी में लमस की तहक़ीक़: (लामस्तुम की दूसरी क़िराअत (लमस्तुम) है। इसकी तफ़्सीर में दो क़ौल हैं एक यह कि मुराद जिमाअ (हमबिस्तरी) है जैसे और आयत में है (وَاِنْ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ) (2/बक़रहः 237) यानी अगर तुम अपनी बीवियों को मुजामिअत से पहले तलाक़ दो और उनका मुहर मुक़र्रर हो उससे आधा दे दो। और आयत में है ऐ ईमानवालो! जब तुम ईमान वाली औरतों से निकाह करो फिर मुजामिअत से पहले उन्हें तलाक़ दे दो तो उनके ज़िम्मे इद्दत नहीं। यहाँ भी लफ़्ज़ (मिन क़ब्लि अन तमस्सुहुन्न) है। हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से मरवी है कि (औला मस्तुमुन्निसाअ) से मुराद मुजामिअत है। हज़रत अली, हज़रत उबय बिन कअब (रज़ि.), हज़रत मुजाहिद, हज़रत ताउस, हज़रत हसन, हज़रत उबैद बिन उमेर, हज़रत सईद बिन जुबेर, हज़रत शअबी, हज़रत क़तादा, हज़रत मुक़ातिल बिन हय्यान (रहि.) से भी यही मरवी है। सईद बिन जुबेर (रह.) फ़र्माते हैं एक मर्तबा इस लफ़्ज़ पर मुज़ाकिरा हुआ तो चंद

मवाली ने कहा यह जिमाअ नहीं और चंद अरब ने कहा, यह जिमाअ है। मैंने हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से इसका बयान किया, आपने पूछा, तुम किनके साथ थे, मैंने कहा, मवाली के। फ़र्माया, मवाली मग़्लूब हो गए। लमस और मस्स और मुबाशिरत का मानी जिमाअ है, अल्लाह तआला ने यहाँ किनाया किया है। कुछ और हज़रात ने इससे मुराद मुत्लक़ छूना लिया है ख़्वाह किसी हिस्सा जिस्म को किसी औरत के किसी हिस्से जिस्म से मिलाया जाए तो वुज़ू वाजिब हो जाता है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) फ़र्माते हैं, लमस, जिमाअ के सिवा को कहते हैं, आप फ़र्माते हैं बोसा भी लमस में दाख़िल है और इससे भी वुज़ू करना पड़ेगा। (मुअत्ता इमाम मालिक, किताबुत्तहारत, बाबुल वुज़ू मिन क़ुब्बलतिर्रजुल इम्रातहू: 65; बैहक़ीः 1/124; मुतव्वलन वसनदुहू ज़ईफ़ व मुख़्तसरन; वसनदुहू सहीहुन वहुव सहीहुन बिश्शवाहिद मज्मउज़्ज़वाइदः 1/252) फ़र्माते हैं मुबाशिरत से हाथ लगाने से बोसा लेने से वुज़ू करना पड़ेगा, लमस से मुराद छूना है। इब्ने उमर (रज़ि.) भी औरत का बोसा लेने से वुज़ू करने के क़ाइल थे, इसे लमस में दाख़िल जानते थे। उबेदा, अबू उस्मान, साबित, इब्राहीम, ज़ेद (रह.) भी कहते हैं लमस से मुराद जिमाअ के अलावा है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) फ़र्माते हैं इंसान का अपनी बीवी को बोसा लेना और उसे हाथ लगाना मुलामिसत है, उससे वुज़ू करना पड़ेगा। (मुअत्ता इमाम मालिक, किताबुत्तहारत, बाबुल वुज़ू मिन क़ुब्बलतिर्रजुल इमरअतहू: 64; हः 93; वहुव सहीह) दारे क़ुत्नी में ख़ुद हज़रत उमर (रज़ि.) से भी इसी तरह मरवी है लेकिन दूसरी रिवायत में आपसे इसके ख़िलाफ़ भी पायी जाती है कि आप बावुज़ू थे आपने अपनी बीवी का बोसा लिया फिर वुज़ू न किया और नमाज़ अदा की। पस दोनों रिवायतों के साबित मानने के बाद यह फ़ैसला करना पड़ेगा कि आप वुज़ू को मुस्तहब मानते थे, वल्लाहु आलम! मुत्लक़ छूने से वुज़ू के क़ाइल इमाम शाफ़ई (रह.) और उनके साथी हैं और इमाम मालिक (रहि.) हैं और इमाम अहमद बिन हंबल (रह.) से भी यही मंक़ूल है। इस क़ौल के क़ाइल कहते हैं कि यहाँ दो क़िराअतें हैं (ला मस्तुम) और (लमस्तुम) और लमस का इत्लाक़ हाथ लगाने पर भी क़ुरआने करीम में आया है। चुनाँचे इर्शाद है (وَ لَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتٰبًا فِيْ قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوْهُ بِاَيْدِيْهِمْ) (6/अन्आमः 7) ज़ाहिर है कि यहाँ हाथ लगाना ही मुराद है। इसी तरह हज़रत माइज़ बिन मालिक (रज़ि.) को रसूलुल्लाह (ﷺ) का यह फ़र्माना कि शायद तुमने बोसा लिया होगा या हाथ लगाया होगा। (सहीह बुख़ारी, किताबुल हुदूद, बाब हल यक़ूलुल इमाम लिल मुक़िर्र ल अल्लक अव ग़मिज़तः 6844) वहाँ भी लफ़्ज लमस्त है। और सिर्फ़ हाथ लगाने के मानी में ही है। और हदीस में है (वल् यदु ज़िना हल्लम्स) हाथ का ज़िना छूना और हाथ लगाना है। (अहमदः 2/349, 350; वसनदुहू ज़ईफ़; सहीह इब्ने हिब्बानः 4422; वसनदुहू सहीह इब्ने ख़ुज़ेमाः 30; वसनदुहू सहीह) हज़रत आइशा (रज़ि.) फ़र्माती हैं बहुत कम दिन ऐसे गुज़रते थे कि रसूलुल्लाह (ﷺ) हमारे पास आकर बोसा न लेते हों और हाथ न लगाते हों। (अहमदः 6/108; अबूदाऊद, किताबुन्निकाह, बाबुल क़सम बैनन्निसाइः 2135; वसनदुहू हसन) बुख़ारी व मुस्लिम की हदीस में है कि हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने बेअे मुलामिसत से मना फ़र्माया। (सहीह बुख़ारी, किताबुल बुयूअ, बाब बैअल मुलामिसतः 2144; सहीह मुस्लिमः 1512) यह भी हाथ लगाने की बेअ है। पस यह लफ़्ज़ जिस तरह जिमाअ पर बोला जाता है। हाथ से छूने पर भी बोला जाता है। शायर कहता है (**व लमसत कफ़्फ़ी कफ़्फ़हू अत्लुबुल ग़िना**) "मेरा हाथ उसके हाथ से मिला मैं तवंगरी चाहता था।" एक और रिवायत में है कि एक

शख़्स मुहम्मद (ﷺ) की ख़िदमत में ह़ाज़िर होकर अ़र्ज़ करता है कि हुज़ूरे अकरम (ﷺ)! उस शख़्स के बारे में क्या फ़ैसला है जो एक अजनबिया औरत के साथ वह तमाम काम करता है जो मियाँ बीवी में होते हैं, सिवाए जिमाअ़ के तो आयत (**अक़ीमिस्सलात**) नाज़िल होती है और हुज़ूरे अकरम (ﷺ) फ़र्माते हैं, वुज़ू करके नमाज़ अदा कर ले। इस पर ह़ज़रत मुआज़ (रज़ि.) पूछते हैं, क्या यह उसी के लिए ख़ास है या सब मुसलमानों के लिए आम है। आप (ﷺ) जवाब देते हैं, तमाम ईमान वालों के लिए है। (अह़मदः 5/244; वसनदुहू ज़ईफ़; तिर्मिज़ीः 3113; वसनदुहू ज़ईफ़; सनद में इंकिताअ़ है।) इमाम तिर्मिज़ी (रह़.) इसे ज़ाइदा की ह़दीस से रिवायत करके फ़र्माते हैं, इसकी सनद मुत्तसिल नहीं, इमाम नसाई (रह़.) इसे मुर्सलन रिवायत करते हैं। अल्ग़र्ज़ इस क़ौल के क़ाइल इस ह़दीस से यह कहते हैं कि इसे वुज़ू का हुक्म इसीलिए दिया था कि उस औरत को छूआ था, जिमाअ़ नहीं किया था। इसका जवाब यह दिया जाता है कि अव्वलन तो यह मुन्क़तअ़ है, इब्ने अबी लैला (रह़.) और मुआज़ (रज़ि.) के दरम्यान मुलाक़ात का सबूत नहीं। दूसरे यह कि हो सकता है उसे वुज़ू का हुक्म फ़र्ज़ नमाज़ की अदायगी के लिए दिया हो, जैसे कि ह़ज़रत सिद्दीक़ (रज़ि.) वाली ह़दीस में है कि "जो बन्दा कोई गुनाह करे फिर वुज़ू करके दो रकअ़त नमाज़ अदा करे तो अल्लाह तआ़ला उसके गुनाह को माफ़ फ़र्मा देता है...।" (अबूदाऊदः 1521; वसनदुहू ह़सन; तिर्मिज़ीः 3006; इब्ने माजाः 2395) यह पूरी ह़दीस सूरह आले इमरान की आयत (ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ) (3/आले इमरानः 135) की तफ़्सीर में गुज़र चुकी है। इमाम इब्ने जरीर (रह़.) फ़र्माते हैं, इन दोनों क़ौलों में से पहला क़ौल उनका है जो कहते हैं कि मुराद इससे जिमाअ़ है न कि और, क्योंकि स़ह़ीह़ मरफ़ूअ़ ह़दीस में आ चुका है कि नबी अकरम (ﷺ) ने अपनी किसी बीवी स़ाह़िबा का बोसा लिया और वुज़ू न किया और नमाज़ पढ़ी। ह़ज़रत आइशा सिद्दीक़ा (रज़ि.) ने फ़र्माया, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) अपनी किसी बीवी का बोसा लेते फिर नमाज़ को जाते और वुज़ू न करते। मैंने कहा वह आप ही होंगी तो आप मुस्कुरा दीं। (अबूदाऊद, किताबुत्तहारत, बाबुल वुज़ू मिनल क़ब्बलतिः 179; वहुव ह़सन; तिर्मिज़ीः 86) इसकी सनद में कलाम है। लेकिन दूसरी सनदों से साबित है कि ऊपर के रावी यानी ह़ज़रत सिद्दीक़ा (रज़ि.) से सुनने वाले ह़ज़रत उ़र्वा बिन ज़ुबेर (रह़.) हैं। और रिवायत में है कि वुज़ू के बाद हुज़ूरे अकरम (ﷺ) मेरा बोसा लेते फिर वुज़ू न दोहराते। (त़ब्रीः 9637; इसकी सनद में इंक़िताअ़ की वजह से ज़ईफ़ है।) और सनद से मरवी है कि आप (ﷺ) ने बोसा लिया फिर वुज़ू न किया और नमाज़ अदा की। (अबूदाऊद, किताबुत्तहारत, बाबुल वुज़ूइ मिनल् क़ब्बलतिः 178; वहुव ह़सन; नसाईः 170) ह़ज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) फ़र्माती हैं कि हुज़ूरे अकरम (ﷺ) बोसा लेते ह़ालाँकि आप (ﷺ) रोज़े से होते फिर न तो रोज़ा जाता, न नया वुज़ू करते। (त़ब्रीः 9638; वसनदुहू ज़ईफ़; अल्मुअजमुल औसत़ लित्तबरानीः 3817; वल्लफ़्ज़ लित्तब्री; अ़ल्लामा हैसमी ने मज्मउ़ज़्ज़वाइदः 1/247; में यज़ीद बिन सिनान की वजह से इसे मालूल क़रार दिया है।) (इब्ने जरीर) ह़ज़रत ज़ैनब बिन्ते ख़ुज़ैमा (रज़ि.) फ़र्माती हैं हुज़ूरे अकरम (ﷺ) बोसा लेने के बाद वुज़ू न करते और नमाज़ पढ़ते। (अह़मदः 6/62; वसनदुहू ज़ईफ़; इसकी सनद में ह़ज्जाज बिन अरत़ात मुदल्लस और ज़ैनब अस्सहमिया को दारे क़ुत़नी ने मज्हूल कहा है। (अल्मीज़ानः 1/458; रक़मः 1726, 2/108; रक़मः 3039)

तयम्मुम और उसके अहकामः फिर अल्लाह तआला फ़र्माता है कि अगर पानी न पाओ तो पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लो। इससे अकसर फुक़्हा ने इस्तिदलाल किया है कि पानी न पाने वाले के लिए तयम्मुम की इजाज़त पानी की तलाश के बाद है। कुतुबे फुरूअ में तलाश की कैफ़ियत भी लिखी है। बुख़ारी व मुस्लिम में है कि हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने एक शख़्स को देखा कि अकेला है और लोगों के साथ उसने नमाज़ नहीं पढ़ी, तो आप (ﷺ) ने उससे पूछा, "तूने लोगों के साथ नमाज़ क्यूँ न पढ़ी? क्या तू मुसलमान नहीं है?" उसने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! हूँ तो मुसलमान लेकिन जुंबी हो गया और पानी न मिला। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, "फिर इस सूरत में तुझे मिट्टी काफ़ी थी।" (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तयम्मुम, बाब रक़मः 9, 348; सहीह मुस्लिमः 682) तयम्मुम के लफ़्ज़ी मानी क़सद करने के हैं, अरब कहते हैं (**तयम्ममकल्लाहु बि हिफ़्ज़िही**) यानी अल्लाह तआला अपनी हिफ़ाज़त के साथ तेरा क़सद करे। इम्रउल क़ैस के शेअर में भी यह लफ़्ज़ इसी मानी में आया है। सईद के मानी में कहा गया है कि हर वह चीज़ जो ज़मीन से ऊपर को चढ़े पस उसमें मिट्टी, रेत, दरख़्त, पत्थर, घास भी दाख़िल हो जाएँगे। इमाम मालिक (रह.) का क़ौल यही है। और कहा गया है कि जो चीज़ मिट्टी की जिंस हो जैसे रेत, हिड़ताल और चूना, यह मज़हब अबू हनीफ़ा का है। और यह भी कहा गया है कि सिर्फ़ मिट्टी ही। यह क़ौल है हज़रत इमाम शाफ़ई (रह.), इमाम अहमद बिन हंबल (रह.) और उनके तमाम साथियों का। इसकी दलील एक तो कुरआने करीम के यह अल्फ़ाज़ हैं (فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا) (18/कहफ़ः 40) यानी "हो जाए वह मिट्टी फिसलनी" दूसरी दलील सहीह मुस्लिम शरीफ़ की यह हदीस है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, "हमें तमाम लोगों पर तीन फ़ज़ीलतें दी गई हैं, हमारी सफ़ें मिस्ल फ़रिश्तों की सफ़ों के की गईं, हमारे लिए सारी ज़मीन मस्जिद बनाई गई और ज़मीन की मिट्टी हमारे लिए पाक और पाक करने वाली बनाई गई जबकि हम पानी न पाएँ।" (सहीह मुस्लिम, किताबुल मसाजिद, बाबुल मसाजिद व मवाज़िउस्सलातः 522) अल्फ़ाज़े हदीस में तुर्बत का लफ़्ज़ है और सनद से बजाए तुर्बत के तुराब का लफ़्ज़ मरवी है। पस इस हदीस में एहसान के जताने के वक़्त मिट्टी की तख़्सीस की गई। अगर कोई और चीज़ भी वुज़ू के क़ायम-मक़ाम काम में आने वाली होती तो उसका ज़िक्र भी साथ ही कर देते। यहाँ पर लफ़्ज़ तय्यिब जो है इस मानी में कहा गया है कि मुराद हलाल है, और कहा गया है कि मुराद पाक है। जैसे हदीस में है, रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़र्माते हैं, "पाक मिट्टी मुसलमान का वुज़ू है गो दस साल तक पानी न पाए फिर जब पानी मिले तो उसे अपने जिस्म से लगाए यह उसके लिए बेहतर है। (अबूदाऊद, किताबुत्तहारत, बाबुल जुंबि यतयम्ममुः 332; वसनदुहू हसन; तिर्मिज़ीः 124; नसाईः 323; वसनदुहू ज़ईफ़ मुहम्मद बिन साबित इन्दल जुम्हूर ज़ईफ़ रावी है।) इमाम तिर्मिज़ी (रह.) इसे हसन सहीह कहते हैं। हाफ़िज़ अबुल हसन क़त्तान (रह.) भी इसे सहीह कहते हैं। इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़र्माते हैं, सबसे ज़्यादा पाक मिट्टी खेत की ज़मीन की मिट्टी है, बल्कि तफ़्सीर इब्ने मर्दवे में तो इसे मरफ़ूअन वारिद किया है। (इब्ने अबी हातिमः 3/962; हः 5374; वसनदुहू ज़ईफ़; मौक़ूफ़, वल मरफ़ूअ लम अजिदहू)

फिर फ़र्मान है कि उसे अपने चेहरे पर और हाथ पर मलो। तयम्मुम वुज़ू का बदल है सिर्फ़ पाकीज़गी हासिल करने में न कि तमाम हिस्सों के बारे में, तो सिर्फ़ चेहरे और दोनों हाथों पर मलना काफ़ी है और इस पर

इज्माअ है, लेकिन कैफ़ियते तयम्मुम में अइम्मा का इख़्तिलाफ़ है। जदीद मज़हबे शाफ़ेई यह है कि दो दफ़ा करके चेहरे और दोनों हाथों का कोहनियों तक मसह करना वाजिब है इसलिए कि यदैन का इत्लाक़ बग़लों तक और कोहनियों तक होता है जैसे आयते वुज़ू में, और इसी लफ़्ज़ का इत्लाक़ होता है और मुराद सिर्फ़ हथेलियाँ ही होती हैं जैसे कि चोर की हद के बारे में फ़र्माया (फ़क़्तऊ अयदियहुमा) कहते हैं। यहाँ तयम्मुम के हुक्म में हाथ का ज़िक्र मुत्लक़ है और वुज़ू के हुक्म में मुक़य्यद है, इसलिए इस मुत्लक़ को मुक़य्यद पर महमूल किया जाएगा क्योंकि तहूरियत जामेअ मौजूद है। और कुछ लोग इसकी दलील में दारे कुत्नी वाली रिवायत पेश करते हैं कि हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, तयम्मुम की दो ज़र्बें हैं, एक मर्तबा हाथ मारकर चेहरे पर मलना और एक मर्तबा हाथ मारकर दोनों हाथों को कोहनियों तक मलना। (हाकिमः 1/179; दारे कुत्नीः 1/180) लेकिन यह हदीस सहीह नहीं है इसलिए कि इसकी इस्नाद में ज़ुअफ़ है, हदीस साबित नहीं। अबूदाऊद की एक हदीस में है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपने हाथ एक दीवार पर मारे और चेहरे पर मले, फिर दोबारा हाथ मारकर अपनी दोनों बाज़ूओं पर मले। (अबूदाऊद, किताबुत्तहारत, बाबुत तयम्मुम फ़िल हज़रः 330; मुंकर मुहम्मद बिन साबित अल्अब्दी ज़ईफ़ रावी है। वसनदुहू ज़ईफ़) लेकिन इसकी सनद में मुहम्मद बिन साबित अल्अब्दी ज़ईफ़ हैं इन्हें कुछ हाफ़िज़ाने हदीस ने ज़ईफ़ कहा है, यही हदीस कुछ सिक़ह रावियों ने भी रिवायत की है लेकिन वह मरफ़ूअ नहीं करते बल्कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) का फ़ेल बतलाते हैं। इमाम बुख़ारी व इमाम अबू ज़रआ और इमाम इब्ने अदी (रहि.) का फ़ैसला है कि यह मौक़ूफ़ ही है और इमाम बैहक़ी (रह.) फ़र्माते हैं कि इस हदीस को मरफ़ूअ करना मुंकर है। इमाम शाफ़ई (रह.) की दलील यह हदीस भी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने तयम्मुम किया और अपने चेहरे और अपने दोनों बाज़ूओं पर हाथ फेरा। (बैहक़ीः 1/205; वसनदुहू ज़ईफ़ुन जिद्दा, मुन्क़तअ) हज़रत अबू ज़हम (रज़ि.) फ़र्माते हैं, मैंने देखा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) पेशाब कर रहे हैं, मैंने आपको सलाम किया लेकिन आप (ﷺ) ने जवाब न दिया। फ़ारिग़ होकर आप (ﷺ) एक दीवार के पास गये और अपने दोनों हाथ उस पर मारकर अपने चेहरे पर मले, फिर दीवार पर दोनों हाथ मारकर दोनो हाथों को कोहनियो तक मले फिर मेरे सलाम का जवाब दिया। (तब्रीः 9673; यह सनद ख़ारिजा बिन मुस्अब की वजह से सख़्त ज़ईफ़ है जबकि इस मानी की रिवायत ज़िराऐन के ज़िक्र के बग़ैर सहीह बुख़ारी 338 में मौजूद है।) (इब्ने जरीर) यह तो था इमाम शाफ़ई (रह.) का नया मज़हब, आपका पुराना मज़हब यह है कि ज़र्बें तो तयम्मुम में दो ही हैं लेकिन दूसरी ज़र्ब में हाथो को पहुँचों तक मलना चाहिए। तीसरा क़ौल यह है कि सिर्फ़ एक ही ज़र्ब यानी एक ही मर्तबा दोनों हाथों का मिट्टी पर मार लेना काफ़ी है।

गर्द आलूद हाथों को चेहरे पर मले और दोनों पहुँचों तक। मुस्नद अहमद में एक शख़्स अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ि.) के पास आया कि मैं जुंबी हो गया और मुझे पानी न मिला तो मुझे क्या करना चाहिए। आपने फ़र्माया, नमाज़ न पढ़नी चाहिए। दरबार में हज़रत अम्मार (रज़ि.) भी मौजूद थे, फ़र्माने लगे, अमीरुल मोमिनीन! क्या आपको याद नहीं कि मैं और आप एक लश्कर में थे, जुंबी हो गए थे और हमें पानी न मिला तो आपने तो नमाज़ न पढ़ी और मैंने मिट्टी में लोट-पोटकर नमाज़ अदा कर ली। जब हम वापिस

पलटे और आँहज़रत (ﷺ) की ख़िदमत में पहुँचे तो मैंने इस वाक़िये को हुज़ूरे अकरम (ﷺ) से बयान किया, तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, तुझे इतना काफ़ी था, फिर हुज़ूर अकरम (ﷺ) ने अपने हाथ ज़मीन पर मारे और उनमें फूँक मारी और अपने चेहरे को मला और हथेलियों को मला। (सहीह बुख़ारी, किताबुत् तयम्मुम, बाब तयम्ममु हल युन्फ़ख़ु फ़ीहाः 338; सहीह मुस्लिमः 368; अबूदाऊदः 326; नसाईः 316; इब्ने माजाः 569) मुस्नद अहमद में है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, ''तयम्मुम में एक ही मर्तबा हाथ मारना है जो चेहरे के लिए और दोनों हाथों की हथेलियों के लिए है।'' (मुस्नद अहमदः 4/263; अबूदाऊदः 327; वहुव हसन; तिर्मिज़ीः 144) मुस्नद अहमद में है, हज़रत शक़ीक़ (रह.) फ़र्माते हैं कि मैं हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) और हज़रत अबू मूसा (रज़ि.) के पास बैठा हुआ था तो अबू यअ़ला ने हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) से कहा कि अगर कोई शख़्स पानी न पाए तो नमाज़ न पढ़े। उस पर हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) ने फ़र्माया, क्या तुम्हें याद नहीं! हज़रत अम्मार ने हज़रत उमर (रज़ि.) से क्या कहा था? यह कहा था कि ऐ उमर (रज़ि.)! आपको याद नहीं जबकि मुझे और आप (रज़ि.) को रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ऊँटों में भेजा था, वहाँ मैं जुंबी हो गया और मिट्टी में लोट-पोट लिया, वापिस आकर हुज़ूरे अकरम (ﷺ) से यह बयान किया तो आप (ﷺ) हँस दिए और फ़र्माया, ''तुझे इसी तरह करना काफ़ी था, फिर आप (ﷺ) ने अपने दोनों हाथ ज़मीन पर मारे और अपनी दोनों हथेलियों को एक साथ मल लिया और अपने चेहरे पर एक बार हाथ फेर लिए, ज़र्ब एक ही रही, तो हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) ने फ़र्माया, लेकिन हज़रत उमर (रज़ि.) ने इस पर क़नाअ़त नहीं की। यह सुनकर हज़रत अबू मूसा (रज़ि.) ने फ़र्माया, फिर तुम उसका क्या करोगे जो सूरह निसाअ में है कि पानी न पाओ तो पाक मिट्टी का क़सद करो। इसका जवाब हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) न दे सके और फ़र्माने लगे कि, सुनो! अगर हमने लोगों को तयम्मुम की रुख़सत दे दी तो बहुत मुम्किन है कि पानी जब उन्हें ठण्डा मालूम होगा तो वो तयम्मुम करने लगेंगे। (सहीह बुख़ारी, किताबुत तयम्मुम, बाबुत तयम्मुम ज़रबतुनः 347; सहीह मुस्लिमः 368; अबूदाऊदः 321; नसाईः 320) सूरह माइदा में फ़र्मान है (फ़म्सहू बि वुजूहिकुम व अयदियकुम मिन्हू) उसे अपने चेहरे और हाथ पर मलो। इससे हज़रत इमाम शाफ़ेई (रह.) ने दलील पकड़ी है कि तयम्मुम का पाक मिट्टी से होना और उसका भी गुबार आलूद होना जिससे हाथों पर गुबार लगे और वह चेहरे और हाथ पर मला जाए, ज़रूरी है जैसे कि हज़रत अबू जहम वाली हदीस में है कि उन्होंने हुज़ूरे अकरम (ﷺ) को इस्तिन्जा करते देखा और सलाम किया। और उसमें यह भी है कि फ़ारिग़ होकर आप (ﷺ) एक दीवार के पास गए और अपनी लकड़ी से खुरच कर फिर हाथ मारकर तयम्मुम किया।

फिर फ़र्मान है कि अल्लाह तआला तुम पर तुम्हारे दीन में तंगी और सख़्ती करना नहीं चाहता, बल्कि वो तुमको पाक साफ़ करना चाहता है इसीलिए पानी न पाने के वक़्त मिट्टी के साथ तयम्मुम कर लेने को मुबाह क़रार देकर तुम पर अपनी नेअ़मत इन्आम फ़र्माई ताकि तुम शुक्र करो। पस यह उम्मत इस नेअ़मत के साथ मख़सूस है जैसाकि बुख़ारी व मुस्लिम की हदीस में है, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) फ़र्माते हैं, ''मुझे पाँच चीज़ें ऐसी दी गईं हैं जो मुझसे पहले किसी को नहीं दी गईं, महीने भर की राह तक मेरी मदद रौब (डर) से की गयी है, मेरे लिए सारी ज़मीन मस्जिद और पाक करने वाली बनायी गयी है, मेरे जिस उम्मती को जहाँ नमाज़ का वक़्त आ जाए वह वहीं पढ़ ले, उसकी मस्जिद और उसका वुज़ू वहीं उसके पास मौजूद है, मेरे लिए ग़नीमत

(जंग में हाथ आने वाला माल) के माल हलाल किए गए हैं जो मुझसे पहले किसी के लिए हलाल न थे, मुझे शफ़ाअत दी गयी, तमाम अम्बिया (ﷺ) सिर्फ़ अपनी अपनी क़ौम की तरफ़ भेजे जाते रहे लेकिन मैं तमाम दुनिया की तरफ़ भेजा गया। (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तयम्मुम, बाबः 1, 335; सहीह मुस्लिमः 521) और सहीह मुस्लिम के हवाले से वह हदीस भी पहले गुज़र चुकी है कि "तमाम लोगों पर हमें तीन फ़ज़ीलतें इनायत की गईं, हमारी सफ़ें फ़रिश्तों की सफ़ों की तरह बनायी गईं, हमारे लिए सारी ज़मीन मस्जिद बनाई गई और उसकी मिट्टी वुज़ू बनायी गई जबकि हमें पानी न मिले।" (सहीह मुस्लिम, किताबुल मसाजिद बाबुल मसाजिदः 552) इस आयते करीमा में अल्लाह तआला बुज़ुर्ग व बरतर हुक्म देता है कि अपने चेहरे और अपने हाथ पर मसह कर लो, पानी न मिलने के वक़्त, बेशक अल्लाह तआला माफ़ करने वाला और बख़्शने वाला है। उसके अफ़्व व दरगुज़र की शान है कि उसने तुम्हारे लिए पानी न मिलने के वक़्त तयम्मुम मशरूअ करके नमाज़ गुज़ार लेने की इजाज़त मर्हमत फ़र्माई, अगर यह रुख़्सत न होती तो तुम एक गुना मुश्किल में पड़ जाते, क्योंकि इस आयते करीमा में नमाज़ को नाक़िस हालत में अदा करना मना किया गया है मस्लन नशा की हालत हो या जनाबत की हालत हो या बेवुज़ू हो तो जब तक अपनी बातें ख़ुद समझने जितना होश और बाक़ायदा गुस्ल और शरई तरीक़ पर वुज़ू न हो, नमाज़ नहीं पढ़ सकता लेकिन बीमारी की हालत में और पानी न मिलने की सूरत में गुस्ल और वुज़ू के क़ायम-मक़ाम तयम्मुम कर दिया, पस अल्लाह तआला के इस एहसान पर हम उसके शुक्रगुज़ार हैं, फ़ल्हम्दु लिल्लाह!

तयम्मुम की रुख़्सत और उसका पसे-मंज़रः तयम्मुम की रुख़्सत नाज़िल होने का वाक़िया भी सुन लीजिए, हम इस वाक़िया को सूरह निसाअ की इस आयत की तफ़्सीर में इसलिए बयान करते हैं कि सूरह माइदा मे जो तयम्मुम की आयत है वह नाज़िल होने में इसके बाद की है। इसकी दलील यह है कि यह ज़ाहिर है कि यह आयत शराब की हुर्मत से पहले की है और शराब जंगे उहुद के कुछ अर्से बाद जबकि नबी (ﷺ) बनू नज़ीर के यहूदियों का मुहासिरा किए हुए थे, हराम हुई है और सूरह माइदा आख़िरी आख़िरी जो क़ुरआन नाज़िल हुआ उसमें से है, बिलख़ुसूस इस सूरत का इब्तिदाई हिस्सा। तो मुनासिब यही है कि तयम्मुम का शाने नुज़ूल यहीं बयान किया जाए, अल्लाह नेक तौफ़ीक़ दे, उसी का भरोसा है। मुस्नद अहमद में है कि हज़रत आइशा (रज़ि.) ने हज़रत अस्मा (रज़ि.) से एक हार वापिस कर देने के वादा पर मुस्तआर लिया था वह सफ़र में कहीं गुम हो गया, हुज़ूर (ﷺ) ने उसे ढूँढने के लिए आदमी भेजे, उन्हें हार मिल गया लेकिन नमाज़ का वक़्त उसकी तलाश में ही आ गया और उनके साथ पानी न था, उन्होंने बेवुज़ू नमाज़ अदा की और आँहज़रत (ﷺ) के पास पहुँचकर इसकी शिकायत की, उस पर तयम्मुम का हुक्म नाज़िल हुआ। हज़रत उसैद बिन हुज़ैर (रज़ि.) कहने लगे, ऐ माई आइशा! अल्लाह तआला जज़ाए ख़ैर दे, क़सम अल्लाह तआला की, जो तक्लीफ़ तुमको पहुँचती है, उसका अंजाम तुम्हारे और मुसलमानों के लिए ख़ैर ही ख़ैर होता है। (अहमदः 6/57; सहीह बुख़ारी, किताबुत्तयम्मुम, बाब इज़ा लम यजिद माअन वला तुराबनः 336; सहीह मुस्लिमः 367; अबूदाऊदः 317; नसाईः 323; इब्ने माजाः 568) बुख़ारी में है हज़रत सिद्दीक़ा (रज़ि.) फ़र्माती हैं, हम अपने किसी सफ़र में थे बैदा या ज़ातुल जैश में मेरा हार टूटकर कहीं गिर गया। जिसके ढूँढने के लिए हुज़ूरे अकरम (ﷺ) क़ाफ़िले के साथ ठहर गये। अब न तो हमारे पास पानी था न वहाँ उस मैदान में कहीं पानी था। लोग मेरे वालिद हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) के पास मेरी शिकायतें करने लगे कि देखो हम इनकी वजह

से कैसी मुसीबत में पड़ गए। चुनाँचे मेरे वालिद साहब मेरे पास आए, उस वक़्त रसूलुल्लाह (ﷺ) मेरी रान पर अपना सर मुबारक रखकर सो गए थे। आते ही मुझे कहने लगे, तूने हुज़ूरे अकरम (ﷺ) को और लोगों को रोक दिया, अब न तो उनके पास पानी है, न यहाँ और कहीं पानी नज़र आता है। अल्ग़र्ज़ मुझे ख़ूब डांटा डपटा और अल्लाह तआला जाने क्या क्या कहा और मेरे पहलू में अपने हाथ से कचूके भी मारते रहे लेकिन मैंने ज़रा सी भी जुंबिश न की कि ऐसा न हो हुज़ूरे अकरम (ﷺ) के आराम में ख़लल वाक़ेअ हो, सारी रात गुज़र गई, सुबह को लोग जागे लेकिन पानी न था, अल्लाह तआला ने तयम्मुम की आयत नाज़िल फ़र्माई और सबने तयम्मुम किया। हज़रत उसैद बिन हुज़ैर (रज़ि.) कहने लगे, ऐ अबूबक्र (रज़ि.) के घराने वालो! यह सब कुछ तुम्हारी पहली ही बरकत नहीं। अब जब हमने उस ऊँट को उठाया जिस पर मैं सवार थी तो उसके नीचे से ही हार मिल गया। (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तयम्मुम, बाबः 1, 334; सहीह मुस्लिमः 367; नसाईः 310) मुस्नद अहमद में है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) अपनी बीवी साहिबा माई आइशा (रज़ि.) के साथ ज़ाते जैश से गुज़रे, माई साहिबा का यमनी ख़ुरमुहरों का हार टूटकर कहीं गिर पड़ा था और गुम हो गया था, उसकी तलाश में यहाँ ठहर गए। सारी रात आप (ﷺ) के साथ मुसलमानों ने और आप (ﷺ) ने यहीं गुज़ारी, सुबह उठे तो पानी बिलकुल न था, पस अल्लाह तआला ने अपने नबी अकरम (ﷺ) पर पाक मिट्टी से तयम्मुम करके पाकी हासिल करने की रुख़सत की आयत उतारी और मुसलमान हुज़ूरे अकरम (ﷺ) के साथ खड़े हुए, ज़मीन पर अपने हाथ मारे और जो मिट्टी उनमें लगी, उसे झाड़े बग़ैर अपने चेहरों पर और अपने हाथों पर मूँढों तक और हाथों के नीचे से बग़ल तक मल ली। (अहमदः 4/263, 264; अबूदाऊदः 320; वसनदुहू सहीह)

इब्ने जरीर की रिवायत में है कि इससे पहले तो हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) हज़रत आयशा (रज़ि.) पर सख़्त गुस्सा होकर गए थे लेकिन तयम्मुम की रुख़सत के हुक्म को सुनकर ख़ुशी-ख़ुशी अपनी साहबज़ादी साहिबा (रज़ि.) के पास आए और कहने लगे, तुम बड़ी मुबारक हो, मुसलमानों को इतनी रुख़सत मिली। फिर मुसलमानों ने एक ज़र्ब से चेहरे मले और दूसरी ज़र्ब से कोहनियों और बग़लों तक हाथ। (तब्रीः 9675)

इब्ने मर्दवे में रिवायत है हज़रत अस्लअ बिन शुरैक (रज़ि.) फ़र्माते हैं, मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) की ऊँटनी को चला रहा था जिस पर हुज़ूर (ﷺ) सवार थे, जाड़े का मौसम था, रात का वक़्त था, सर्दी पड़ रही थी और मैं जुंबी हो गया और इधर हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने कूच का इरादा किया तो मैंने अपनी उस हालत में हुज़ूरे अकरम (ﷺ) की ऊँटनी चलाना पसंद न किया, साथ ही यह भी ख़्याल आया कि अगर सर्द पानी से नहाऊँगा तो मर जाऊँगा या बीमार पड़ जाऊँगा। मैं ने चुपके से एक अंसारी को कहा कि आप ऊँटनी की नकेल थाम लीजिए, चुनाँचे वह चलाते रहे और मैंने आग सुलगाकर पानी गर्म करके गुस्ल किया, फिर दौड़ भागकर क़ाफ़िला में पहुँच गया। आप (ﷺ) ने मुझसे फ़र्माया, ''अस्लअ! क्या बात है, ऊँटनी की चाल कैसे बिगड़ी हुई है?'' मैंने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैं इसे नहीं चला रहा था बल्कि फ़लाँ अंसारी सहाबी (रज़ि.) चला रहे थे। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ''ये क्यूँ?'' मैंने सारा वाक़िया बयान किया, इस पर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने आयत **(ला तक़्रबुस्सलात) से (ग़फ़ूरा)** तक नाज़िल फ़र्माई। (तबरानीः 875, 876, 877; वसनदुहू ज़ईफ़ुन जिद्दा; मज्मउज़्ज़वाइदः 1/242; इसकी सनद में हुसैम बिन रज़ीक़ और रबीअ बिन बद्र मजरूह रावी हैं। (अल्मीज़ानः 4/322; रक़मः 2/38; रक़मः 273) यह रिवायत दूसरी सनद से भी मरवी है।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يَشْتَرُوْنَ الضَّلٰلَةَ وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ
تَضِلُّوا السَّبِيْلَ ۝ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاَعْدَآئِكُمْ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَلِيًّا ۙ وَّكَفٰى بِاللّٰهِ
نَصِيْرًا ۝ مِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ وَيَقُوْلُوْنَ سَمِعْنَا
وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَّرَاعِنَا لَيًّا ۢ بِاَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِى الدِّيْنِ ؕ وَلَوْ
اَنَّهُمْ قَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاَقْوَمَ ۙ وَلٰكِنْ
لَّعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ۝

तर्जुमाः ''क्या तूने उन्हें न देखा जिन्हें किताब का कुछ हिस्सा दिया गया है, वह गुमराही ख़रीदते हैं और चाहते हैं कि तुम भी राह से भटक जाओ। (44) अल्लाह तआला तुम्हारे दुश्मनों को ख़ूब जानने वाला है और अल्लाह तआला का दोस्त होना काफ़ी है और अल्लाह तआला का मददगार होना काफ़ी है। (45) कुछ यहूद बातों को उनकी ठीक जगह से हेर-फेर कर देते हैं और कहते हैं, हमने सुना और नाफ़र्मानी की और सुन तुझे तेरे ख़िलाफ़ न सुनाया जाए और हमारी रिआयत कर (लेकिन इस कहने में) अपनी ज़ुबान को पेच देते हैं और दीन में ताना देते हैं, और अगर यह लोग कहते हैं कि हमने सुना और हमने फ़र्मांबरदारी की और आप सुनिए और हमें देखिए तो यह उनके लिए बहुत बेहतर और निहायत ही मुनासिब था। लेकिन अल्लाह तआला ने उनके कुफ़्र की वजह से उन्हें लानत की है पस यह बहुत ही कम ईमान लाते हैं।'' (46)

यहूदियों की एक क़ाबिले मज़म्मत ख़स्लत (आयत 44-46): अल्लाह तबारक व तआला बयान फ़र्माता है कि यहूदियों की एक मज़्मूम (बदतरीन) ख़स्लत यह भी है कि वह गुमराही को हिदायत पर इख़्तियार करते हैं। आख़िरी नबी (ﷺ) पर जो उतरा है, उससे भी रूगर्दानी करते हैं और जो अल्लाह का इल्म उनके अपने पास है, उन्हें भी पसे पुश्त डाल देते हैं। ख़ुद अपनी किताबों में नबी (ﷺ) की बशारतें पढ़ते हैं लेकिन ताहम अपने मुरीदों से चढ़ावा लेने के लालच में ज़ाहिर नहीं करते, बल्कि साथ ही चाहत यह रखते हैं कि ख़ुद मुसलमान भी राहे रास्त से भटक जाएँ। अल्लाह तआला की किताब के मुंकिर हो जाएँ, हिदायत को और सच्चे इल्म को छोड़ दें। अल्लाह तआला तुम्हारे दुश्मनों से ख़ूब बाख़बर है वह तुम्हें उनसे होशियार कर रहा है कि कहीं तुम उनके धोखे में न आ जाओ, अल्लाह तआला की हिमायत काफ़ी है तुम यक़ीन रखो कि वह अपनी तरफ़ झुकने वालों की ज़रूर हिमायत करता है, वह उनका मददगार बन जाता है। तीसरी आयत जो लफ़्ज़ मिन से शुरू हुई है

उसमें मिन बयाने जिंस के लिए है, जैसे (فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ) (22/हज्जः 30) में। फिर यहूदियों के इस फ़िर्क़ा की जिस तहरीफ़ का ज़िक्र है उससे मुराद यह है कि वह अल्लाह तआला के कलाम के मतलब को बदल देते हैं और ख़िलाफ़े मंशा तफ़्सीर करते हैं। और यह फ़ेल उनका जान-बूझकर क़सदन होता है जिससे यह अल्लाह तआला के ज़िम्मे इफ़्तिरा परवाज़ी के मुर्तकिब होते हैं। फिर कहते हैं कि ऐ पैग़म्बर! जो आपने कहा, हमने सुना लेकिन हम मानने के न हीं। ख़्याल कीजिए उनके कुफ़्र व इल्हाद को देखिए कि जानकर समझकर खुले लफ़्ज़ों में नापाक ख़्याल का इज़्हार करते हैं और कहते हैं, आप सुनिए अल्लाह करे, आप न सुनें या यह मतलब कि आप सुनिए आपकी न सुनी जाए, लेकिन पहला मतलब ज़्यादा अच्छा है। यह कहना इनका बतौर हँसी और मज़ाक़ के था, अल्लाह तआला उन्हें लानत करे और (**राइना**) कहते थे जिससे बज़ाहिर समझा जाता था कि यह लोग कहते हैं हमारी तरफ़ कान लगाईए। लेकिन वह इस लफ़्ज़ से मुराद यह लेते थे तुम बड़ी रऊनत वाले हो, इसका पूरा मतलब (يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقُوْلُوْا رَاعِنَا) (2/बक़रहः 104) की तफ़्सीर में गुज़र चुका है। मक़्सद यह है कि जो ज़ाहिर करते थे उसके ख़िलाफ़ अपनी ज़ुबानों को मोड़कर तअन आमेज़ लहजे में अपने दिल में मख़्फ़ी रखते थे। दरअसल हुज़ूर (ﷺ) की बेअदबी और गुस्ताख़ी करते थे पस उन्हें हिदायत की जाती है कि वह इन दो मानी वाले अल्फ़ाज़ का बोलना छोड़ दें, सीधी सच्ची और मुनासिब बात है लेकिन उनके दिल भलाई से दूर डाल दिए गए हैं। असल ईमान कामिल तौर से इनके दिल में जगह ही नहीं पाता। इस जुम्ला की तफ़्सीर भी पहले गुजर चुकी है मतलब यह है कि नफ़ा देने वाला ईमान इनमें नहीं।

***

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اٰمِنُوْا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ
نَّطْمِسَ وُجُوْهًا فَنَرُدَّهَا عَلٰۤى اَدْبَارِهَاۤ اَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّاۤ اَصْحٰبَ
السَّبْتِ ؕ وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُوْلًا ۝۴۷ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا
دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ ۚ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدِ افْتَرٰۤى اِثْمًا عَظِيْمًا ۝۴۸

तर्जुमाः "ऐ अहले किताब! जो कुछ हमने नाज़िल फ़रमाया है जो उसे भी सच्चा बताने वाला है जो तुम्हारे पास है, इस पर इससे पहले ईमान लाओ कि हम चेहरे बिगाड़ दें और उन्हें लौटाकर पीठ की तरफ़ कर दें या उन पर लानत भेज दें जैसे हमने हफ़्ते के दिन वलों पर लानत कर दी। अल्लाह तआला का अम्र होना तो बस होना ही है। (47) यक़ीनन अल्लाह तआला अपने साथ शरीक किए जाने को नहीं बख़्शता और उसके सिवा जिसे चाहे बख़्श देता है। जो अल्लाह तआला के साथ शरीक मुक़र्रर करे उसने बहुत बड़ा तूफ़ान बाँधा।" (48)

शिर्क नाक़ाबिले माफ़ी जुर्म है (आयत 47-48): अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ला यहूद व नसारा को हुक्म देता है कि मैं ने अपनी ज़बरदस्त किताब अपने बेहतरीन नबी अकरम (ﷺ) के साथ नाज़िल फ़र्माई है जिसमें ख़ुद तुम्हारी अपनी किताब की तस्दीक़ भी है। इस पर ईमान लाओ इससे पहले कि हम तुम्हारी सूरतें मस्ख़ कर दें यानी चेहरे उल्टे कर दें, आँखें बजाए इधर के उधर हो जाएँ। या यह मतलब कि तुम्हारे चेहरे मिटा दें, आँखें कान नाक सब मिट जाएँ फिर यह मस्ख़ चेहरा भी उल्टा हो जाए। यह अ़ज़ाब इनके करतूत का बदला है। यह भी हक़ से हटकर बातिल की तरफ़, हिदायत से फिरकर ज़लालत की तरफ़ बढ़े चले जा रहे हैं तो अल्लाह तआला भी इनहें धमकाता है कि मैं भी इसी तरह तुम्हारा चेहरा उलट दूँगा ताकि तुम्हें पिछले पैरों चलना पड़े, तुम्हारी आँखें गुद्दी की तरफ़ कर दूँगा। और इसी जैसी तफ़्सीर कुछ ने (إِنَّا جَعَلْنَا فِيْ أَعْنَاقِهِمْ) (36/यासीनः 8) की आयत में भी की है। ग़र्ज यह बुरी मिसाल उनकी गुमराही और हिदायत से दूर होने की वजह से बयान हुई है। हज़रत मुजाहिद (रह़.) से मरवी है कि मतलब यह है कि हम तुम्हें सचमुच हक़ के रास्ते से धकेल दें और गुमराही की तरफ़ मुतवज्जा कर दें हम तुम्हें काफ़िर बना दें और तुम्हारे चेहरे बन्दरों जैसे कर दें। अबू ज़ेद (रह़.) फ़र्माते हैं कि लौटा देना यह था कि हिजाज़ की ज़मीन से शहरे शाम में पहुँचा दिया। यह भी मज़्कूर है कि इसी आयत को सुनकर कअ़ब अह़बार (रह़.) इस्लाम लाए थे। इब्ने जरीर में है कि हज़रत इब्राहीम (रह़.) के सामने हज़रत कअ़ब (रह़.) के इस्लाम का तज़्किरा हुआ तो आपने फ़र्माया, हज़रत कअ़ब (रह़.) हज़रत उ़मर (रज़ि.) के ज़माने में मुसलमान हुए, यह बैतुल मक़्दिस जाते हुए मदीना में आए, हज़रत उ़मर (रज़ि.) इनके पास गए और फ़र्माया, ऐ कअ़ब (रह़.)! मुसलमान हो जाओ। उन्होंने जवाब दिया तुम तो क़ुरआन में पढ़ते हो तौरात जिनसे उठवाई गई और उन्होंने उसे न उठाया उनकी मिसाल गधे की सी है जो बोझ लादे हुए हो और यह भी तुम जानते हो कि मैं भी उन लोगों में से हूँ जो तौरात उठवाए गए। इस पर हज़रत उ़मर (रज़ि.) ने उन्हें छोड़ दिया। यह यहाँ से चलकर ह़िम्स पहुँचे, वहाँ सुना कि एक शख़्स जो उनके घराने में से था इस आयत की तिलावत कर रहा है। जब उसने आयत ख़त्म की उन्हें डर लगने लगा कि कहीं सचमुच इस आयत की वईद मुझ पर सादिक़ न आ जाए और मेरा चेहरा मिटकर पलट न जाए। यह झट से कहने लगे **(या रब्बी अस्लम्तु)** ऐ मेरे रब! मैंने ईमान लाया। फिर ह़िम्स से ही वापिस अपने वतन यमन में आए और यहाँ से अपने तमाम घरवालों को लेकर सारे कुंबे समेत मुसलमान हो गए। (इब्ने जरीर व सनदुहू ज़ईफ़; इसकी सनद में जाबिर बिन नूह ज़ईफ़ रावी है। (अल्मीज़ानः 1/379; रक़मः 1421) इब्ने अबी ह़ातिम में हज़रत कअ़ब (रह़.) के इस्लाम का वाक़िया इस तरह मरवी है कि उनके उस्ताद अबू मुस्लिम जलीली उनके हुज़ूर ख़िदमत में हाज़िर होने में देर लगाने की वजह से हर वक़्त उन्हें मलामत करते रहते थे। फिर उन्हें भेजा कि यह देखें, आप (ﷺ) वही पैग़म्बर हैं जिनकी ख़ुशख़बरी और औसाफ़ तौरात में हैं। यह आए तो फ़र्माते हैं जब मैं मदीना शरीफ़ पहुँचा तो नागहाँ मैंने सुना कि एक शख़्स क़ुरआने करीम की इस आयत की तिलावत कर रहा है, ऐ अहले किताब! जो हमने उतारा है, जो तुम्हारे पास की किताब को सच्चा बताने वाला है, उस पर उससे पहले ईमान लाओ कि हम तुम्हारे चेहरे मिटा दें और उन्हें उल्टा कर दें। मैं चौंक उठा और जल्दी-जल्दी ग़ुस्ल करने बैठ गया और अपने चेहरे पर हाथ फेरता जाता था कि कहीं मुझे ईमान लाने में देर न हो जाए और मेरा चेहरा उल्टा न हो जाए। फिर मैं बहुत जल्द आकर मुसलमान हो गया। (इब्ने अबी ह़ातिम व सनदुहू ज़ईफ़ुन जिद्दा; इसकी सनद में अ़म्र बिन वाक़िद दमिश्क़ी है। जिसे इमाम बुख़ारी ने मुंकरुल ह़दीस और दारे क़ुत्नी ने मतरूक कहा है। देखिए

(अल्मीज़ानः 3/291; रक़्मः 6465) फिर फ़र्माता है या हम उन पर लानत करें जैसे कि हफ़्ता वालों पर हमने लानत नाज़िल की यानी जिन लोगों ने हफ़्ता वाले दिन ह़ीले करके शिकार खेला ह़ालाँकि उन्हें इस काम से मना कर दिया गया था, जिसका नतीजा यह हुआ कि वह बंदर और सूअर बना दिए गए। उनका मुफ़स्सल वाक़िया सूरह आराफ़ में आएगा, इंशाअल्लाह तआला। फिर फ़र्माया, अल्लाह तआला के काम पूरे होकर ही रहते हैं। वह जब कोई हुक्म दे दे तो कोई नहीं जो उसकी मुख़ालिफ़त कर सके।

फिर ख़बर देता है कि अल्लाह तआला अपने साथ शिर्क किए जाने के गुनाह को नहीं बख़्शता यानी जो शख़्स अल्लाह तआला से इस ह़ाल में मुलाक़ात करे कि वह मुश्रिक हो उस पर बख़्शिश के दरवाज़े बन्द हैं। इस जुर्म के सिवा और गुनाहों को ख़्वाह वह कैसे ही हों जिसके चाहे बख़्श देता है। इस आयते करीमा के बारे में बहुत सी ह़दीसें हैं, हम यहाँ बक़द्रे आसानी ज़िक्र करते हैं। पहली ह़दीस बह़वाला मुस्नद अह़मद। "अल्लाह तआला के न ज़दीक गुनाहों के तीन दीवान हैं, एक तो वह जिसकी अल्लाह तआला कुछ परवाह नहीं करता, दूसरा वह जिसमें से अल्लाह तआला कुछ न हीं छो ड़ता, तीसरा वह जिसे अल्लाह तआला हर्गिज़ नहीं बख़्शता। पस जिसे वह बख़्शता नहीं वह शिर्क है। अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ला ख़ुद फ़र्माता है कि अल्लाह तआला अपने साथ शरीक किए जाने को मुआफ़ नहीं करता। और जगह इर्शाद है जो शख़्स अल्लाह तआला के साथ शरीक कर ले उस पर अल्लाह तआला जन्नत को ह़राम कर देता है।

और जिस दीवान की अल्लाह तआला के यहाँ कोई ऐसी वक़्अत नहीं वह बन्दे का अपनी जान पर ज़ुल्म करना है जिसका ताल्लुक़ उससे और अल्लाह तआला से है। किसी दिन का रोज़ा जिसे उसने छोड़ दिया या नमाज़, पस अल्लाह तआला उसे बख़्श देता है। और जिस दीवान की अल्लाह तआला को कोई चीज़ तर्क नहीं करता वह बन्दों के आपस के मज़ालिम हैं जिनका बदला और क़िसास ज़रूरी है।" (मुस्नद अह़मदः 6/240; वसनदुहू ज़ईफ़) दूसरी ह़दीस बह़वाला मुस्नदे बज़्ज़ार अल्फ़ाज़ के हेर फेर के साथ मतलब वही है। (बज़्ज़ारः 3439; वसनदुहू ज़ईफ़ुन जिद्दा; ज़ाइदा बिन अबिर्रिक़ाद व ज़ियाद नुमैरी मज्रूह़ान) तीसरी ह़दीस बह़वाला मुस्नद अह़मद " मुम्किन है अल्लाह तआला हर गुनाह को बख़्श दे मगर वह शख़्स जो कुफ़्र की ह़ालत में मरा और वह जिसने किसी ईमानदार को जान बूझकर क़त्ल कर डाला।" (मुस्नद अह़मदः 4/99; नसाईः 3989; वसनदुहू सह़ीह़) चौथी ह़दीस बह़वाला मुस्नद अह़मद "अल्लाह तआला फ़र्माता है ऐ बन्दे! तू जब तक मेरी इबादत करता रहेगा और मुझसे नेक उम्मीद रखेगा, मैं भी जो तक़्सीरें (ख़ताएँ) तेरी हैं उन्हें माफ़ करता रहूँगा, ऐ मेरे बन्दे! अगर तू सारी ज़मीन भरकर ख़ताएँ लेकर मेरे पास आएगा तो मैं ज़मीन भर जाए इतनी मग़्फ़िरत लेकर तुझसे मिलूँगा, बशर्तेकि तूने मेरे साथ शिर्क न किया हो।" (मुस्नद अह़मदः 5/154; वसनदुहू ह़सन)

पाँचवीं ह़दीस बह़वाला मुस्नद अह़मद "जो बन्दा ला इलाहा इल्लल्लाहु कहे फिर उसी पर उसका इंतिक़ाल हो वह ज़रूर जन्नत में जाएगा।" यह सुनकर ह़ज़रत अबू ज़र्र (रज़ि.) ने पूछा कि अगरचे उसने ज़िना और चोरी भी की हो। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, "गो उसने ज़िनाकारी और चोरी भी की हो। तीन मर्तबा यही सवाल व जवाब हुआ। चौथे सवाल पर आप (ﷺ) ने फ़र्माया, गो अबू ज़र्र की नाक ख़ाक आलूद हो। पस ह़ज़रत अबू ज़र्र (रज़ि.) वहाँ से अपनी चादर घसीटते हुए निकले कि अबू ज़र्र की नाक ख़ाक आलूद हो और उसके बाद भी जब कभी आप यह ह़दीस बयान फ़र्माते, यह जुम्ला ज़रूर कहते। (सह़ीह़ बुख़ारी,

किताबुल्लिबास, बाबुस्सियाबुल अब्यज़ः 5827; सहीह मुस्लिमः 94) यह हदीस दूसरी सनद से क़द्रे ज़्यादती के साथ भी मरवी है, इसमें है कि हज़रत अबू ज़र्र (रज़ि.) फ़र्माते हैं मैं नबी अकरम (ﷺ) के साथ मदीना के मैदान में चला जा रहा था। उहुद पहाड़ की तरफ़ हमारी नज़रें थीं कि हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, ऐ अबू ज़र्र (रज़ि.)! मैंने कहा, लब्बैक या रसूलल्लाह (ﷺ)! आप (ﷺ) ने फ़र्माया, सुनो! ''मेरे पास अगर इस उहुद पहाड़ के बराबर भी सोना हो तो मैं न चाहूँगा कि तीसरी शाम को उसमें से कुछ भी बाक़ी रह जाए, सिवाए उस दीनार के जिसे मैं क़र्ज़ा चुकाने के लिए रख लूँ, बाक़ी तमाम माल मैं इस तरह और इस तरह अल्लाह की राह में अल्लाह के बन्दों को दे डालूँगा। और आप (ﷺ) ने दाएँ बाएँ और सामने लपें फेंकीं।'' फिर कुछ देर हम चलते रहे जो हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने मुझे पुकारा और फ़र्माया, ''जिनके पास यहाँ ज़्यादती है वही वहाँ कमी वाले होंगे मगर जो इस तरह और इस तरह करे।'' और आपने अपने दाएँ, सामने और बाएँ लपें भरकर देते हों, इस तरह इशारा किया। फिर कुछ देर चलने के बाद फ़र्माया, अबू ज़र्र (रज़ि.)! ''मैं अभी आता हूँ तुम यहीं ठहरो।'' आप (ﷺ) तशरीफ़ ले गए और मेरी नज़रों से ओझल हो गए और मुझे आवाज़ें सुनाई देने लगीं, दिल बेचैन हो गया कि कहीं तन्हाई में कोई दुश्मन न आ गया हो। मैंने क़स्द किया कि पहुँचूँ लेकिन साथ ही हुज़ूर (ﷺ) आए तो मैंने कहा, हुज़ूर (ﷺ)! यह आवाज़ें कैसी आ रही थीं? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ''मेरे पास जिब्राईल (عليه السلام) आए थे और फ़र्मा रहे थे कि आप (ﷺ) की उम्मत में से जो इंतिक़ाल करे और वह अल्लाह तआला के साथ किसी को शरीक न करता हो वह जन्नत में जाएगा। मैंने कहा, गो ज़िना और चोरी भी उससे सरज़द हुई हो तो फ़र्माया, हाँ! गो ज़िना और चोरी भी हुई हो।'' (सहीह बुख़ारी, किताबुल इस्तीज़ान, बाब मन अजाबा बि लब्बैकः 6268; सहीह मुस्लिम, किताबुज़्ज़कात, बाब अत्तर्ग़ीब फ़िस्सदक़ति हदीसः 1) और बुख़ारी व मुस्लिम में यह भी है कि हज़रत अबू ज़र्र (रज़ि.) फ़र्माते हैं मैं रात के वक़्त निकला, देखा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) अकेले तशरीफ़ ले जा रहे हैं तो मुझे ख़्याल हुआ कि शायद इस वक़्त आप (ﷺ) किसी को साथ ले जाना नहीं चाहते तो मैं चाँद की रोशनी में हुज़ूरे अकरम (ﷺ) के पीछे हो लिया। आप (ﷺ) ने मुड़कर जब मुझे देखा तो पूछा कौन है? मैंने कहा, अबू ज़र्र (रज़ि.), अल्लाह तआला मुझे आप (ﷺ) पर क़ुर्बान कर दे तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, आओ मेरे साथ चलो। थोड़ी देर तो हम चलते रहे। फिर आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ''ज़्यादती वाले ही क़यामत के दिन कमी वाले होंगे मगर वह जिन्हें अल्लाह तआला ने माल दिया फिर वह दाएँ-बाएँ, आगे-पीछे नेक कामों में ख़र्च करते रहे।'' फिर कुछ देर चलने के बाद आप (ﷺ) ने मुझे एक जगह बिठाकर जिसके आसपास पत्थर थे, फ़र्माया, मेरी वापसी तक यहीं बैठे रहना। फिर आप (ﷺ) आगे निकल गए यहाँ तक कि ''मेरी नज़र से ओझल हो गए।'' आप (ﷺ) को ज़्यादा देर लग गई। फिर मैंने देखा कि आप (ﷺ) तशरीफ़ ला रहे हैं और ज़ुबाने मुबारक से फ़र्माते आ रहे हैं ''भले ज़िना किया हो, भले चोरी की हो'' जब मेरे पास पहुँचे तो मैं रुक न सका, पूछा कि ऐ अल्लाह के नबी! अल्लाह तआला मुझे आप (ﷺ) पर क़ुर्बान करे, इस मैदान के किनारे आप (ﷺ) किससे बातें कर रहे थे, मैंने सुना, कोई आप (ﷺ) को जवाब भी दे रहा था। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ''वह जिब्राईल (عليه السلام) थे यहाँ मेरे पास आए और फ़र्माया, ''अपनी उम्मत को ख़ुशख़बरी सुना दो कि जो मरेगा और अल्लाह तआला के साथ उसने किसी को शरीक न किया हो, वह जन्नती होगा।'' मैंने कहा, ऐ जिब्राईल (عليه السلام)! गो उसने चोरी की हो और ज़िना किया हो। फ़र्माया, ''हाँ!'' मैंने फिर यही सवाल किया। जवाब दिया हाँ। मैंने फिर यही पूछा

तो फ़र्माया, हाँ! और अगरचे उसने शराब पी हो।'' (सहीह बुख़ारी, किताबुर्रिक़ाक़, बाब अल्मुक्सिरून हुमुल मुक़िल्लूनः 6443; सहीह मुस्लिम, किताबुज़् ज़कात, बाबुत्तर्ग़ीब फ़िस्सदक़ति हदीसुनः 2) छटी हदीस बहवाला मुस्नद अब्द बिन हुमैद। एक शख़्स हुज़ूरे अकरम (ﷺ) के पास आया और कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! वाजिब कर देने वाली चीज़ें क्या हैं? आप (ﷺ) ने फ़र्माया ''जो शख़्स बग़ैर शिर्क के मरा उसके लिए जन्नत वाजिब है और जो शिर्क करते हुए मरा उसके लिए जहन्नम वाजिब है।'' (सहीह मुस्लिम, किताबुल ईमान, बाब अद्दलीलु अला मम्मात ला युश्रिक बिही शैअनः 269; अन जाबिर (रज़ि.)) यही हदीस और तरीक़ से मरवी है जिसमें है कि ''जो शख़्स अल्लाह तआला के साथ शिर्क न करता हुआ मरा उसके लिए बख़्शिश हलाल है अगर अल्लाह तआला चाहे उसे अज़ाब करे अगर चाहे बख़्श दे, अल्लाह तआला अपने साथ शिर्क किए जाने को नहीं बख़्शता, इसके सिवा जिसे चाहे बख़्श दे।'' (इसकी सनद में मूसा बिन उबेदा रब्ज़ी ज़ईफ़ रावी है। (अल्मीज़ानः 2/256; रक़मः 363) लिहाज़ा यह रिवायत ज़ईफ़ है।) (इब्ने अबी हातिम) और सनद से मरवी है कि आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ''बन्दे पर मग़्फ़िरत हमेशा रहती है जब तक कि पर्दे न पड़ जाएँ।'' पूछा गया कि हुज़ूर (ﷺ)! पर्दे पड़ जाना क्या है? फ़र्माया, ''शिर्क जो शख़्स शिर्क न करता हुआ अल्लाह तआला से मुलाक़ात करे, उसके लिए बख़्शिशे रब्बानी हलाल हो गई अगर चाहे अज़ाब करे अगर चाहे बख़्श दे।'' फिर आप (ﷺ) ने आयत (इन्नल्लाहा ला यग़्फ़िरु....) तिलावत फ़र्माई। (इसकी सनद में भी मूसा बिन उबेदा रब्ज़ी है। लिहाज़ा यह रिवायत ज़ईफ़ है।) (मुस्नद अबी यअला) सातवीं हदीस बहवाला मुस्नद अहमद ''जो शख़्स मरे इस हाल में कि अल्लाह तआला के साथ शरीक न करता हो, वह जन्नत में दाख़िल होगा।'' (मुस्नद अहमदः 3/79; इसकी सनद में अतिया औफ़ी मज्रूह रावी है। (अत्तक़रीबः 2/24; रक़मः 216) लिहाज़ा यह रिवायत मरदूद है।) आठवीं हदीस बहवाला मुस्नद अहमद। रसूलुल्लाह (ﷺ) एक मर्तबा सहाबा (रज़ि.) के पास आए और फ़र्माया, ''तुम्हारे रब अज़्ज़ व जल्ला ने मुझे इख़्तियार दिया कि मेरी उम्मत में से सत्तर हज़ार का बेहिसाब जन्नत में जाना पसंद कर लूँ या इस बात को कि अल्लाह तआला के पास जो चीज़ मेरे लिए मेरी उम्मत की बाबत छुपी महफ़ूज़ है उसे क़बूल कर लूँ'' तो कुछ सहाबा (रज़ि.) ने कहा,क्या अल्लाह तआला आप (ﷺ) के लिए यह महफ़ूज़ चीज़ बचाकर भी रखेगा। आप (ﷺ) यह सुनकर अंदर तशरीफ़ ले गए। फिर तक्बीर पढ़ते हुए बाहर आए और फ़र्माने लगे, ''मेरे रब ने मुझे हर हज़ार के साथ सत्तर हज़ार की ज़्यादती अता फ़र्माई और वह पोशीदा हिस्सा भी।'' हज़रत अबू अय्यूब अंसारी (रज़ि.) जब यह हदीस बयान फ़र्मा चुके तो हज़रत अबू रूहम (रह.) ने सवाल किया कि वह पोशीदा महफ़ूज़ (सुरक्षित) चीज़ क्या है? इस पर लोगों ने उन्हें कुछ-कुछ कहना शुरू कर दिया कि कहाँ तुम और कहाँ हुज़ूरे अकरम (ﷺ) के लिए इख़्तियारकर्दा चीज़। हज़रत अबू अय्यूब (रज़ि.) ने फ़र्माया,सुनो! जहाँ तक हमारा गुमान है जो बिलकुल यक़ीन के क़रीब है यह है कि वह चीज़ जन्नत में जाना है हर उस शख़्स का जो सच्चे दिल से गवाही दे कि ''अल्लाह तआला एक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं और मुहम्मद (ﷺ) उसके बन्दे और रसूल हैं।'' (मुस्नद अहमदः 5/413 मज्मउज़्ज़वाइद : 10/374; इसकी सनद में इब्ने लहीआ मुख़्तलत (अत्तक़रीबः 1/444; रक़म : 574) और अब्दुल्लाह बिन नाशिर मज्हूल रावी है लिहाज़ा यह रिवायत ज़ईफ़ मरदूद है।)

नवीं हदीस बहवाला इब्ने अबी हातिम एक शख़्स हुज़ूरे अकरम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मेरा भतीजा हराम से बाज़ नहीं आता। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ''उसकी

दीनदारी कैसी है?'' कहा नमाज़ी है, और तौहीद वाला है, आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ''जाओ और उससे उसका दीन बतौर हिबा के तलब करो अगर इंकार करे तो उससे ख़रीद लो।'' उसने जाकर उससे तलब किया तो उसने इंकार कर दिया। उसने आकर हुज़ूरे अकरम (ﷺ) को ख़बर दी तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, मैंने उसे अपने दीन पर चिमटा हुआ पाया, इस पर आयत (इन्नल्लाहा ला यग़्फ़िरु...) नाज़िल हुई। (तबरानी : 4063; मज्मउज़्ज़वाइद : 5/7; इसकी सनद में वासिल बिन साइब है जिसे इमाम बुख़ारी (रह.) ने मुंकरुल हदीस और नसाई (रह.) ने मतरूक कहा है। देखिए (अल्मीज़ान : 4/328; रक़म : 9322) लिहाज़ा यह रिवायत ज़ईफ़ है।) दसवीं हदीस बहवाला हाफ़िज़ अबू यअला एक शख़्स रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास आया और कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैंने कोई हाजत या हाजत वाला नहीं छोड़ा मगर ज़िन्दगी में सब कर करा चुका तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ''क्या तू यह गवाही नहीं देता कि अल्ल्लाह तआला के सिवा कोई माबूद नहीं और मुहम्मद (ﷺ) अल्लाह तआला के रसूल हैं।'' तीन मर्तबा उसने कहा, हाँ! आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ''यह इन सब पर ग़ालिब आ जाएगा।'' (मुस्नद अबू यअला : 3433; वसनदुहू सहीहुन, मज्मउज़्ज़वाइद : 10/83) ग्यारहवीं हदीस बहवाला मुस्नद अहमद। हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) ने ख़िज़म बिन जविश यमामी से कहा कि ऐ यमामी! किसी शख़्स से हर्गिज़ यह न कहना कि अल्लाह तआला तुझे न बख़्शेगा या तुझे जन्नत में दाख़िल न करेगा। यमामी (रह.) ने कहा, हज़रत! यह बात तो हम लोग अपने भाईयों और दोस्तों से भी गुस्से-गुस्से में कह जाते हैं। आपने फ़र्माया, ख़बरदार! हर्गिज़ न कहना, सुनो! मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना है, आप (ﷺ) ने फ़र्माया, बनी इस्राईल में से दो शख़्स थे एक तो इबादत में बहुत चुस्त चालाक था और दूसरा अपनी जान पर ज़्यादती करने वाला और दोनों में दोस्ताना और भाईचारा था। आबिद बसा औक़ात उस दूसरे को किसी न किसी गुनाह मे देखता रहता था और कहता रहता था कि ऐ शख़्स! बाज़ रह। वह जवाब देता तू मुझे मेरे रब पर छोड़ दे, क्या तू मुझ पर निगहबान बनाकर भेजा गया है। एक मर्तबा आबिद ने देखा कि वह फिर किसी गुनाह के काम को कर रहा है जो गुनाह उसे बहुत बड़ा मालूम हुआ तो कहा, अफ़सोस! तुझ पर बाज़ आ। उसने वही जवाब दिया तो आबिद ने कहा,अल्लाह की क़सम! अल्लाह तआला तुझे हर्गिज़ न बख़्शेगा या जन्नत न देगा। अल्लाह तआला ने उनके पास फ़रिश्ता भेजा जिसने उनकी रूहें क़ब्ज़ कर लीं जब यह दोनों अल्लाह तआला के यहाँ जमा हुए तो अल्लाह तआला ने उस गुनहगार से फ़र्माया, जा मेरी रहमत की बिना पर जन्नत में दाख़िल हो जा, और उस आबिद से फ़र्माया, क्या तुझे हक़ीक़ी इल्म था? क्या तू मेरी चीज़ पर क़ादिर था? इसे जहन्नम की तरफ़ ले जाओ।'' हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, ''उसकी क़सम जिसके क़ब्ज़े में अबुल क़ासिम की जान है! उसने एक कलिमा ज़ुबान से निकाल दिया जिसने उसकी दुआ और आख़िरत बर्बाद कर दी।'' (मुस्नद अहमद : 2/423; अबूदाऊद : किताबुल अदब, बाब फ़िन्नही अनिल बग़यी : 4901; वसनदुहू हसन)

बारहवीं हदीस बहवाला तबरानी ''जिसने इस बात का यक़ीन कर लिया कि मैं गुनाहों की बख़्शिश पर क़ादिर हूँ तो मैं उसे बख़्श ही देता हूँ और कोई परवाह नहीं करता, जब तक कि वह मेरे साथ शरीक न करे।'' (तब्री वसनदुहू ज़ई फ़ुन; इसकी सनद में इब्राहीम बिन हकम बिन अबान है जिसे इमाम नसाई ने मतरूकुल हदीस कहा है। देखिए (अल्मीज़ान : 1/27; रक़म : 72) तेरहवीं हदीस ब-हवाला बज़्ज़ार और अबू यअला। ''जिस अमल पर अल्लाह तआला ने किसी सवाब का वादा किया है उसे तो मालिक ज़रूर पूरा करेगा और जिस पर सज़ा का फ़र्माया है वह उसके इख़्तियार में है।'' (मुस्नद अबू यअला : 3316; बज़्ज़ार :

3635; वसनदुहू ज़ईफ़) हज़रत इब्ने उ़मर (रज़ि.) फ़र्माते हैं कि हम सहाबा (रज़ि.) क़ातिल के बारे में और यतीम का माल खा जाने वाले के बारे में और पाकदामन औरतों पर तोहमत लगाने वाले के बारे में और झूठी गवाही देने वाले के बारे में कोई शक व शुब्हा ही नहीं करते थे, यहाँ तक कि आयत (इन्नल्लाहा ला यग़्फ़िरु) उतरी और अस्हाबे रसूलुल्लाह (ﷺ) गवाही से रुक गए। (तब्री : 9737; इब्ने अबी हातिम; वसनदुहू ज़ईफ़)। इब्ने जरीर की यह रिवायत इस तरह है कि जिन गुनाहों पर जहन्नम का ज़िक्र किताबुल्लाह में है उसे करने वाले के जहन्नमी होने में हमें कोई शक ही न था, यहाँ तक कि हम पर यह आयत उतरी, जब हमने इसे सुना तो हम शहादत से रुक गए और तमाम उमूर अल्लाह तआला की तरफ़ सौंप दिए। (इब्ने अबी हातिम वसनदुहू ज़ईफ़; इसकी सनद में सालेह बिन बिश्र अल्मुर्री ज़ईफ़ रावी है।) बज़्ज़ार में आप ही की एक रिवायत है कि कबीरा गुनाह करने वालों के लिए इस्तिग़्फ़ार करने से हम रुके हुए थे, यहाँ तक कि हमने हुज़ूरे अकरम (ﷺ) से यह आयत सुनी और आप (ﷺ) ने यह भी फ़र्माया कि "मैंने अपनी शफ़ाअत को अपनी उम्मत में से कबीरा गुनाह करने वालों के लिए मुअख़्ख़र कर रखा है। (बज़्ज़ार : 3254; वसनदुहू हसन) अबू जाफ़र राज़ी की रिवायत में आप (ﷺ) का यह फ़र्मान है कि जब आयत (قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ) (39/जुमर : 53) नाज़िल हुई यानी "ऐ मेरे वह बन्दो! जिन्होंने अपनी जानों पर ज़ुल्म किया है तुम मेरी रहमत से मायूस न हो जाओ।" तो एक शख़्स ने खड़े होकर पूछा, हुज़ूर (ﷺ)! शिर्क करने वाला भी? आप (ﷺ) को उसका यह सवाल पसंद न आया फिर आप (ﷺ) ने (इन्नल्लाहा ला यग़्फ़िरु) पढ़कर सुनाई। (तब्री : 9735, 9736; इब्ने जरीर वसनदुहू ज़ईफ़) सूरह तन्ज़ील की यह आयत मशरूत है तौबा के साथ, पस जो शख़्स जिस गुनाह से तौबा करे, अल्लाह तआला उसकी तरफ़ रुजूअ करता है गो बार-बार करे, पस मायूस न होने की आयत में तौबा की शर्त ज़रूर है वरना उसमें मुश्रिक भी आ जाएगा और फिर मतलब सही न होगा। क्योंकि इस आयत में वज़ाहत के साथ यहाँ मौजूद है कि अल्लाह तआला के साथ शिर्क करने वाले की बख़्शिश नहीं। हाँ! इसके सिवा जिसे चाहे यानी गो उसने तौबा भी न की हो। इस मतलब के साथ इस आयत में जो उम्मीद दिलाने वाली है और ज़्यादा उम्मीद की आस पैदा हो जाती है, वल्लाहु आलम!

फिर फ़र्माता है जो अल्लाह तआला के साथ शिर्क करे उसने बड़े गुनाह का इफ़्तिरा बाँधा जैसे और आयत में है शिर्क बहुत बड़ा ज़ुल्म है। बुख़ारी व मुस्लिम में है हज़रत इब्ने मसऊद (रज़ि.) से मरवी है, फ़र्माते हैं, मैंने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! सबसे बड़ा गुनाह क्या है? फ़र्माया यह कि, "तू अल्लाह तआला का शरीक बनाए हालाँकि उसी ने तुझे पैदा किया है।" (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तौहीद, बाब क़ौलुल्लाहि तआला (**फ़ला तज्अलुल्लाह अन्दादा**) : 7540; सहीह मुस्लिम : 86) फिर पूरी हदीस बयान की। इब्ने मर्दवे में है रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़र्माते हैं "मैं तुम्हें सबसे बड़ा कबीरा गुनाह बतलाता हूँ, वह अल्लाह तआला के साथ शरीक करना है।" फिर आप (ﷺ) ने इसी आयत का यह आख़िरी हिस्सा तिलावत फ़र्माया, फिर माँ-बाप की नाफ़र्मानी करना, फिर आप (ﷺ) ने यह आयत तिलावत फ़र्माई कि (اَنِ اشْكُرْ لِيْ وَلِوَالِدَيْكَ اِلَيَّ الْمَصِيْرُ) (31/लुक़्मानः 41) "मेरा शुक्र कर और अपने माँ बाप का शुक्रिया कर मेरी तरफ़ लौटना है।" (इब्ने मर्दवे वसनदुहू ज़ईफ़; इसकी सनद में सईद बिन बशीर दमिश्क़ी की क़तादा से रिवायत है जिसे मुंकर क़रार दिया जाता है। (अल्मीज़ानः 2/128; रक़म : 3143)

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يُزَكُّوْنَ اَنْفُسَهُمْ ؕ بَلِ اللّٰهُ يُزَكِّيْ مَنْ يَّشَآءُ وَلَا يُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا ﴿٤٩﴾ اُنْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ ؕ وَكَفٰى بِهٖۤ اِثْمًا مُّبِيْنًا ﴿٥٠﴾ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يُؤْمِنُوْنَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوْتِ وَيَقُوْلُوْنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا هٰۤؤُلَآءِ اَهْدٰى مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا سَبِيْلًا ﴿٥١﴾ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ ؕ وَمَنْ يَّلْعَنِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ نَصِيْرًا ﴿٥٢﴾

तर्जुमा : "क्या तूने उन्हें नहीं देखा जो अपनी पाकीज़गी और सताइश ख़ुद करते हैं। बल्कि अल्लाह तआला जिसे चाहे पाकीज़ा करता है किसी पर एक धागे के बराबर भी ज़ुल्म न किया जाएगा। (49) देख तो यह लोग अल्लाह तआला पर किस तरह झूठ बाँधते हैं। यह सरीह गुनाह इसे काफ़ी है। (50) क्या तूने उन्हें देखा जिन्हें किताब का कुछ हिस्सा मिला है जो बुतों का और बातिल माबूदों का ऐतिक़ाद रखते हैं और काफ़िरो के हक़ में कहते हैं कि यह लोग ईमानवालों से ज़्यादा राहे रास्त वाले हैं। (51) यही हैं जिन्हें अल्लाह तआला ने लानत की और जिसे अल्लाह तआला लानत कर दे, तो उसका कोई मददगार न पाएगा।" (52)

चेहरे पर तारीफ़ और ख़ुद पसंदी की मज़म्मत (आयत 49-52) : यहूद और नसारा का क़ौल था कि हम अल्लाह तआला की औलाद और उसके चहीते हैं और कहते थे कि जन्नत में सिर्फ़ यहूद जाएँगे या नसरानी। इनके इस क़ौल की तर्दीद में यह आयत (**अलम तरा...**) नाज़िल हुई। और बक़ौले मुजाहिद (रह.) इस आयत का शाने नुज़ूल यह है कि यह लोग अपने बच्चों को इमाम बनाते थे और कहते थे कि यह बेगुनाह हैं। यह भी मरवी है कि इनका ख़्याल था कि हमारे जो बच्चे फ़ौत हो गए हैं, वह हमारे लिए कुर्बते-इलाही का सबब हैं, हमारे सिफ़ारिशी हैं और हमें वह पाक कर देंगे, पस यह आयत उतरीं। हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) यहूदियों का अपने बच्चों को आगे करने का वाक़िया बयान करके फ़र्माते हैं ,वह झूठे हैं, अल्लाह तआला किसी गुनहगार को बेगुनाह की वजह से छोड़ नहीं देता। यह कहते थे कि जैसे हमारे बच्चे बेख़ता हैं ऐसे ही हम भी बेगुनाह हैं। और कहा गया है कि यह आयत दूसरों की बढ़ी-चढ़ी मदह व तारीफ़ बयान करने के रद्द में उतरी है। सहीह मुस्लिम शरीफ़ में है कि हमें रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हुक्म दिया कि "मदह करने वालों के चेहरे मिट्टी से भर दें।" (सहीह मुस्लिम, किताबुज़्ज़ुहद, बाबुन्नही अनिल मदह : 3002; अबूदाऊद : 4804; तिर्मिज़ी : 2393; इब्ने माजा : 3742) बुख़ारी व मुस्लिम में है कि आँहज़रत (ﷺ) ने एक मर्तबा एक शख़्स को दूसरे

की मदह़ व सताइश करते हुए सुनकर फ़र्माया, "अफ़सोस! तूने इस अपने साथी की गर्दन तोड़ दी।" फिर फ़र्माया, अगर तुममें से किसी को ऐसी ही ज़रूरत की वजह से किसी की तारीफ़ करनी भी हो तो यूँ कहे कि मैं फ़लाँ शख़्स को ऐसा समझता हूँ। ह़क़ीक़ी पाकीज़गी कि यह अल्लाह तआला के नज़दीक ऐसा ही है, चेहरे पर तारीफ़ न करे।" (स़ह़ीह़ बुख़ारी, किताबुल अदब, बाब मा युक्रहू मिनत्तमादोह : 6061; स़ह़ीह़ मुस्लिम : 3000) मुस्नद अह़मद में ह़ज़रत उ़मर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) का क़ौल है जो कहे मैं मोमिन हूँ वह काफ़िर है और जो कहे कि मैं आ़लिम हूँ वह जाहिल है और जो कहे कि मैं जन्नती हूँ वह जहन्नमी है। (मुस्नद अह़मद, वसनदुहू ज़ईफ़; इसकी सनद में नुऐम बिन अबिल हिन्द है जिसकी ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) से मुलाक़ात साबित नहीं। लिहाज़ा यह रिवायत ज़ईफ़ है।) इब्ने मर्दवे में आपके फ़र्मान में यह भी मरवी है कि "मुझे तुम पर सबसे ज़्यादा डर इस बात का है कि कोई शख़्स ख़ुद पसंदी करने लगे और अपनी समझ पर आप फ़ख़्र करने बैठ जाए।" (इब्ने मर्दवे वसनदुहू ज़ईफ़; इसकी सनद में मूसा बिन उ़बेदा ज़ईफ़ रावी है। (अल्मीज़ान : 4/213; रक़म : 8895) मुस्नद अह़मद में है कि ह़ज़रत मुआ़विया (रज़ि.) बहुत ही कम ह़दीस बयान फ़र्माते और बहुत कम जुम्अ़े ऐसे होंगे जिनमें आपने यह चंद ह़दीसें न सुनाई हों कि "जिसके साथ अल्लाह तआ़ला का इरादा भलाई का होता है उसे अपने दीन की समझ अ़ता फ़र्माता है और यह माल मीठा और सब्ज़ रंग है जो उसे उसके ह़क़ के साथ लगेगा, उसे उसमें बरकत दी जाएगी, तुम आपस में एक दूसरे की मदह़ व सताइश से परहेज़ करो इसलिए कि यह छुरी फेरना है।" (मुस्नद अह़मद : 4/93) यह पिछला जुम्ला इनसे इब्ने माजा में भी मरवी है। (इब्ने माजा, किताबुल अदब, बाबुल मदह़ : 3743; वसनदुहू ह़सन) ह़ज़रत इब्ने मसऊ़द (रज़ि.) फ़र्माते हैं कि इंसान सुबह़ को अपना दीन लेकर निकलता है फिर जबकि वह लौटता है तो उसके पास उसके दीन में से कुछ भी नहीं होता, इस त़रह़ कि वह किसी से मिला और उसकी मदह़ सराई शुरू की, और क़समें खा-खाकर कहने लगा आप ऐसे ही हैं और ऐसे ही हैं ह़ालाँकि न वह उसके नुक़्स़ान का मालिक है, न नफ़ा का और बहुत मुम्किन है कि इन तारीफ़ी कलिमात के बाद भी उससे उसका काम न निकले लेकिन उसने तो अल्लाह तआ़ला को नाख़ुश कर दिया, फिर आपने इसी आयते तज़्किया की तिलावत फ़र्माई (इब्ने जरीर) और इसका तफ़्स़ीली बयान आयत (فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ) (53/नज्म : 32) की तफ़्सीर में आएगा, इंशाअल्लाह तआ़ला! पस यहाँ इर्शाद होता है कि अल्लाह तआ़ला ही है वह जिसे चाहे पाक कर दे क्योंकि तमाम चीज़ों की ह़क़ीक़त और अस़लियत का आ़लिम वही है।

फिर फ़र्माया कि अल्लाह तआ़ला एक धागे के वज़न के बराबर भी किसी की नेकी छोड़ न देगा। फ़तील के मानी हैं खजूर की गुठली के बीच का धागा, और मरवी है कि वह धागा जिसे कोई अपनी उँगलियों से बट ले।

फिर फ़र्माता है इनकी इफ़्तिरा परवाज़ी तो देखो कि किस त़रह़ अल्लाह तआ़ला की औलाद और उसके मह़बूब बनने के दावेदार हैं और कैसे कह रहे हैं कि हमें तो सिर्फ़ चंद दिन आग में रहना होगा और किस त़रह़ अपने बड़ों के नेक आ़माल पर एतिमाद किए हुए हैं, ह़ालाँकि किसी का अ़मल दूसरे को कुछ नफ़ा नहीं दे सकता। जैसे इर्शाद है (تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ) (2/बक़रह : 41) "यह एक गिरोह है जो गुज़र चुका, उनके

आमाल उनके साथ और तुम्हारे आमाल तुम्हारे साथ।'' फिर फ़र्माता है कि उनका यह खुला झूठ व इफ़्तिरा ही उनके लिए काफ़ी है। जिब्त के मानी हज़रत फ़ारूक़े आज़म (रज़ि.) वग़ैरह से जादू के और ताग़ूत के मानी शैतान के मरवी हैं। (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ़सीर, बाब **(व इन कुन्तुम मर्ज़ा ....)** क़ब्ल हदीस : 4583) यह भी कौल है कि जिब्त हब्श का लफ़्ज़ है, इसके मानी शैतान के हैं। शिर्क, बुत, काहिन वग़ैरह के मानी भी आए हैं। कुछ कहते हैं इससे मुराद हुय्यि बिन अख़्तब है। कुछ कहते हैं कअब बिन अशरफ़ है। एक हदीस में है, फ़ाल और परिन्दों से यानी उनके नाम या उनके उड़ने या बोलने या उनके नाम से शगून लेना और ज़मीन पर लकीरें खींचकर मामला तै करना यह सब जिब्त है। (अबूदाऊद, किताबुल कहाना, बाब फ़िल ख़त्ति व ज़ज्रुत्तैर : 3907; वसनदुहू ज़ईफ़; हय्यान बिन अला मज्हूल रावी है।) हसन (रह.) कहते हैं, जिब्त शैतान की गुनगुनाहट है। (मुस्नद अहमद : 3/477, 5/60; अबूदाऊद : 3907; वसनदुहू ज़ईफ़; हय्यान बिन अला मज्हूल रावी है।) ताग़ूत की निस्बत पहले सूरह बक़रा में कलाम गुज़र चुका है इसलिए यहाँ दोबारा बयान करने की ज़रूरत नहीं। हज़रत जाबिर (रज़ि.) से जब ताग़ूत की निस्बत सवाल होता है तो फ़र्माते हैं कि यह काहिन लोग हैं जिनके पास शैतान आते थे। मुजाहिद (रह.) फ़र्माते हैं, इंसानी सूरत में यह शयातीन हैं जिनके पास लोग अपने झगड़े ले जाते हैं और उन्हें हाकिम मानते हैं। हज़रत इमाम मालिक (रह.) फ़र्माते हैं इसे मुराद हर वह चीज़ है जिसकी इबादत अल्लाह तआला के सिवा की जाए।

फिर फ़र्माया कि इनकी जिहालत बेदीनी और ख़ुद अपनी किताब के साथ इंकार की नौबत यहाँ तक पहुँच गई है कि काफ़िरों को मुसलमानों पर तर्जीह और अफ़ज़लियत देते हैं। इब्ने अबी हातिम में है कि हुय्यी बिन अख़्तब और कअब बिन अशरफ़ मक्का वालों के पास आए तो अहले मक्का ने उनसे कहा, तुम अहले किताब हो और अहले इल्म हो, भला बताओ तो हम बेहतर हैं या मुहम्मद (ﷺ)! उन्होंने कहा, तुम क्या हो और वह क्या हैं। तो अहले मक्का ने कहा, हम सिलह रहमी करते हैं, तैयार ऊँटनियाँ ज़िब्ह करके खिलाते हैं, लस्सी पिलाते हैं, गुलामों को आज़ाद करते हैं, हाजियों को पानी पिलाते हैं और मुहम्मद (ﷺ) तो संबूर हैं, हमारे रिश्ते नाते तुड़वाए, उनका साथ हाजियों के चोरों ने दिया है जो क़बीला ग़िफ़ार में से हैं, अब बतलाओ हम अच्छे हैं या वह? तो उन दोनों ने कहा, तुम बेहतर हो और तुम ज़्यादा सीधे रास्ते पर हो, इस पर यह आयत उतरी, दूसरी रिवायत में है कि इन ही के बारे में **(इन्ना शानिअक हुवल अब्तर)** उतरी है। (इब्ने अबी हातिम वसनदुहू ज़ईफ़ व अहमद कमा ज़करहू इब्ने कसीर वसनदुहू सहीह; इब्ने हिब्बान; अल्एहसान : 6538; वसनदुहू सहीह)

बनू वाइल और बनू नज़ीर के चंद सरदार जब अरब में हुज़ूरे अकरम (ﷺ) के ख़िलाफ़ आग लगा रहे थे और जंग की अज़ीम तैयारी में थे उस वक़्त जब यह कुरैश के पास आए तो कुरैशियों ने इन्हें आलिम व दरवेश जानकर इनसे पूछा कि बतलाओ हमारा दीन अच्छा है या मुहम्मद (ﷺ) का, तो इन लोगों ने कहा, तुम अच्छे दीन वाले और उनसे ज़्यादा सही रास्ते पर हो। इस पर यह आयत उतरी, और ख़बर दी गई कि यह लानती गिरोह है, और इनका मुमिद (मददगार) व मुआविन दुनिया और आख़िरत में कोई नहीं, इसलिए कि सिर्फ़ कुफ़्फ़ार को अपने साथ मिलाने के लिए बतौर चापलूसी और ख़ुशामदी के यह कलिमात अपनी मालूमात

के ख़िलाफ़ कह रहे हैं लेकिन याद रख लें कि यह कामयाब नहीं हो सकते। चुनाँचे यही हुआ, ज़बरदस्त लश्कर लेकर सारे अ़रब को अपना करके तमामतर कुव्वत व ताक़त इकट्ठी करके इन लोगों ने मदीना शरीफ़ पर चढ़ाई की, यहाँ तक कि रसूलुल्लाह (ﷺ) को मदीना के इर्द-गिर्द ख़ंदक़ खोदनी पड़ी। लेकिन बिलआख़िर दुनिया ने देख लिया कि इनका मकर इन ही पर लौट आया, यह ख़ाइब व ख़ासिर रहे, नामुराद, नाकाम पलटे, दामने मुराद ख़ाली रहा, बल्कि नामुरादी और मायूसी व नुक़्साने अ़ज़ीम के साथ लौटना पड़ा। अल्लाह तआ़ला ने मोमिनों की किफ़ायत आप की, और अपनी क़ुव्वत व इ़ज़्ज़त से काफ़िरों को औंधे मुँह गिरा दिया, फ़ल्हम्दु लिल्लाहिल कबीरिल मुतआ़ल।

***

اَمْ لَهُمْ نَصِيْبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَاِذًا لَّا يُؤْتُوْنَ النَّاسَ نَقِيْرًا ﴿٥٣﴾ اَمْ يَحْسُدُوْنَ
النَّاسَ عَلٰى مَآ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۚ فَقَدْ اٰتَيْنَآ اٰلَ اِبْرٰهِيْمَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ
وَاٰتَيْنٰهُمْ مُّلْكًا عَظِيْمًا ﴿٥٤﴾ فَمِنْهُمْ مَّنْ اٰمَنَ بِهٖ وَمِنْهُمْ مَّنْ صَدَّ عَنْهُ ۭ وَكَفٰى
بِجَهَنَّمَ سَعِيْرًا ﴿٥٥﴾

तर्जुमा : "क्या इनका कोई हिस्सा सल्तनत में है? अगर ऐसा हो तो फिर तो किसी को एक खजूर के शिगाफ़ के बराबर भी कुछ न देंगे। (53) या यह लोगों का हसद करते हैं उस पर जो अल्लाह तआ़ला ने अपने फ़ज़्ल से उन्हें दिया है।। पस हमने तो आले इब्राहीम को किताब और हिक्मत भी दी है और बड़ी सल्तनत भी अ़ता फ़र्माई है। (54) फिर इनमें से कुछ ने तो इस किताब को माना और कुछ इससे रुक गए। और काफ़ी है जहन्नम का जलाना।" (55)

यहूद व नसारा का बुख़्ल व हसद (53-55) : यहाँ बतौर इंकार के सवाल होता है कि क्या वह मुल्क के किसी हिस्से के मालिक हैं, यानी नहीं हैं। फिर इनकी बख़ीली बयान होती है कि अगर ऐसा होता तो यह किसी को ज़रा सा भी नफ़ा पहुँचाने के रवादार न होते। ख़ुसूसन अल्लाह तआ़ला के इस आख़िरी पैग़म्बर (ﷺ) को इतना भी न देते जितना खजूर की गुठली के बीच की झिल्ली होती है। जैसे और आयत में है (قُلْ لَّوْ اَنْتُمْ تَمْلِكُوْنَ خَزَاۗىِٕنَ رَحْمَةِ رَبِّيْٓ اِذًا لَّاَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْاِنْفَاقِ ۭ وَكَانَ الْاِنْسَانُ قَتُوْرًا) (17/इस्रा : 100) यानी "अगर तुम मेरे रब की रहमतों के ख़ज़ानों के मालिक होते तो तुम ख़र्च हो जाने के डर से बिलकुल ही रोक लेते।" गो ज़ाहिर है कि वह कम नहीं हो सकते लेकिन तुम्हारी कंजूसी तुम्हें डरा देती। इसीलिए फ़र्मा दिया कि इंसान बड़ा ही कंजूस है। इस बुख़्ल के बयान के बाद फिर इनका हसद बयान हो रहा है कि नबी अकरम (ﷺ) को अल्लाह तआ़ला ने जो बड़ी भारी नबुव्वत अ़ता फ़र्माई है और आप (ﷺ) चूँकि अ़रब में से हैं

बनी इस्राईल में से नहीं हैं इसलिए यह जले जाते हैं और लोगों को आप (ﷺ) की तस्दीक़ से रोक रहे हैं। इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) फ़र्माते हैं यहाँ (**अन्नास**) से मुराद हम हैं कोई और नहीं।

अल्लाह तआ़ला फ़र्माता है कि हमने आले इब्राहीम को जो बनी इस्राईल के क़बाइल में औलादे इब्राहीम से हैं, नबुव्वत दी, किताब नाज़िल फ़र्माई, तरीक़े तालीम किए, उनमें बादशाहत भी दी, बावजूद इसके उनमें से कुछ तो मोमिन हुए, इस इन्आम व इकराम को माना,लेकिन कुछ ने फिर भी इसके साथ कुफ़्र किया, इसे तस्लीम न किया और लोगों को भी इससे रोका हालाँकि वह भी बनी इस्राईल ही थे तो जबकि यह अपने वालों से ही मुंकिर हो चुके हैं तो फिर ऐ नबी (ﷺ)! आप (ﷺ) का इंकार इनसे क्या दूर है, जबकि आप (ﷺ) इनमें से भी नहीं। (तबरानी : 3/113; वसनदुहू ज़ईफ़; हैसमी (रह.) कहते हैं कि इसकी सनद में यहया अलहिमानी ज़ईफ़ रावी है। देखिए (मज्मउ़ज़्ज़वाइद : 7/9) यह भीा मतलब हो सकता है कि कुछ इस पर यानी मुहम्मद (ﷺ) पर ईमान लाए और कुछ न लाए। पस यह काफ़िर अपने कुफ़्र में बहुत सख़्त और निहायत पक्के हैं और हिदायत व हक़ से बहुत ही दूर हैं। फिर इन्हें इनकी सज़ा सुनाई जा रही है कि जहन्नम में जलना इन्हें काफ़ी होगा इनके कुफ़्र व इनाद के बदले, इनकी तक्ज़ीब और सरकशी की यह सज़ा काफ़ी है।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا ۖ كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ
بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿٥٦﴾
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ ۖ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا ﴿٥٧﴾

तर्जुमा : ''जिन लोगों ने हमारी आयतों का इंकार किया, उन्हें हम यक़ीनन आग में डाल देंगे जब इनकी खालें पक जाएँगी हम इनके सिवा और खालें बदल देंगे ताकि अ़ज़ाब चखते रहें। यक़ीनन अल्लाह तआ़ला ग़ालिब हिक्मत वाला है। (56) और जो लोग ईमान लाए और शाइस्ता आमाल किए, हम अ़न्क़रीब उन्हें उन जन्नतों में ले जाएँगे जिनके नीचे नहरें बह रही हैं जिनमें वह हमेशा-हमेशा रहेंगे। उनके लिए वहाँ साफ़ सुथरी बीवियाँ होंगी। और हम उन्हें घनी छाँव और पूरी राहत में ले जाएँगे।'' (57)

जहन्नम का अ़ज़ाब और जन्नत की राहतों का बयान (आयत 56, 57) : अल्लाह तआ़ला की आयतों के न मानने और रसूलों से लोगों को बरगश्ता करने वालों की सज़ा और उनके बुरा अंजाम का ज़िक्र हो रहा है कि इन्हें उस आग में धकेला जाएगा जो उन्हें चारों तरफ़ से घेर ले और इनके रोंगटे-रोंगटे को सुलगा

दे और यही नहीं बल्कि यह अ़ज़ाब दाइमी हो, एक चमड़ा जल गया तो दूसरा बदल दिया गया जो सफ़ेद काग़ज़ की तरह होगा। एक एक काफ़िर की सौ-सौ खालें होंगी हर हर खाल पर क़िस्म-क़िस्म के अलग-अलग अ़ज़ाब होते होंगे। एक एक दिन में सत्तर हज़ार मर्तबा खाल उलट-पलट होगी। (इब्ने अबी हातिम वसनदुहू ज़ईफ़; हिशाम बिन हस्सान अ़न्अ़न) यानी कह दिया जाएगा कि फिर लौट आए वह फिर लौट आएगी। हज़रत उ़मर (रज़ि.) के सामने जब इस आयत की तिलावत होती है तो आप पढ़ने वाले से दोबारा सुनाने की फ़र्माइश करते हैं वह दोबारा पढ़ता है तो हज़रत मुआ़ज़ बिन जबल (रज़ि.) फ़र्माते हैं, मैं आपको इसकी तफ़्सीर सुनाऊँ, एक एक साअ़त में सौ-सौ बार बदली जाएगी। इस पर हज़रत उ़मर (रज़ि.) ने फ़र्माया, मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से यही सुना है। (इब्ने अबी हातिम व इब्ने मर्दवे वसनदुहू ज़ईफ़; इसकी सनद में अबू हुर्मुज़ बसरी ज़ईफ़ रावी है। (अल्मीज़ान : 4/243; रक़म : 9000) दूसरी रिवायत में है कि उस वक़्त कअ़ब (रह.) ने कहा था कि मुझे इस आयत की तफ़्सीर याद है मैंने उसे इस्लाम लाने से पहले पढ़ा था। आपने फ़र्माया, अच्छा बयान करो अगर वह वही हुई जो मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुनी है तो हम उसे क़बूल कर लेंगे वरना हम उसे क़ाबिले इल्तिफ़ात न समझेंगे। तो आपने फ़र्माया, एक साअ़त में एक सौ बीस मर्तबा। इस पर हज़रत उ़मर फ़ारूक़ (रज़ि.) ने फ़र्माया, मैंने इसी तरह हुज़ूरे अकरम (ﷺ) से सुना है। (इब्ने मर्दवे वसनदुहू ज़ईफ़; इसकी सनद में भी अबू हुर्मुज़ है लिहाज़ा यह रिवायत ज़ईफ़ है।) हज़रत रबीअ़ बिन अनस (रह.) फ़र्माते हैं पहली किताब में लिखा हुआ है कि उनकी खालें चालीस हाथ या छिहत्तर हाथ की होंगी, और उनके पेट इतने बड़े होंगे कि अगर उनमें पहाड़ रखा जाए तो समा जाए। जब उन खालों को आग खा लेगी तो और खालें आ जाएँगी।

एक हदीस में इससे भी ज़्यादा है, मुस्नद अहमद में है कि जहन्नमी जहन्नम में इस क़द्र बड़े-बड़े बना दिए जाएँगे कि उनके कान की नोक से मुँह सात-साल की राह पर होगा और उनकी खाल की मोटाई सत्तर ज़िराअ़ होगी और कुचली मिस्ल उहुद पहाड़ के होगी। (मुस्नद अहमद : 2/26; वसनदुहू ज़ईफ़; जबकि इस मानी की रिवायत सहीह बुख़ारी 6551, सहीह मुस्लिम 7186 में भी मौजूद हैं।) और यह भी कहा गया है कि मुराद खाल से लिबास है लेकिन यह ज़ईफ़ है और ज़ाहिरी लफ़्ज़ के ख़िलाफ़ है।

फिर नेक लोगों का अंजाम बयान हो रहा है कि वह जन्नते अ़द्न में होंगे जिसके चप्पे-चप्पे पर नहरें जारी होंगी कि जहाँ चाहें उन्हें ले जाएँ, अपने महल्लात में, बाग़ात में, रास्तों पर ग़र्ज़ जहाँ जी चाहें, वहाँ वो पाक नहरें बहने लगेंगी। फिर सबसे बड़ा मज़ा यह है कि यह तमाम नेअ़मतें अब्दी और हमेशगी वाली होंगी, न उनमें ज़वाल आये, न उनमें कमी हों, न वो वापिस ले ली जावे, न फ़ना हों, न सड़े, न बिगड़े, न ख़राब हों, न ख़त्म हों। फिर उनके लिए वहाँ हैज़ व निफ़ास से, गंदगी और पलीदी से, मेल-कुचेल और बू बास से रज़ील सिफ़तों और वाही अख़्लाक़ से पाक बीवियाँ होंगी और घने लम्बे चौड़े साये होंगे जो बहुत फ़रहत वाले बड़े सुरूर वाले राहत अफ़्ज़ा, दिल लुभाने वाले होंगे। रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़र्माते हैं, जन्नत में एक दरख़्त है जिसके साये तले एक सौ साल तक भी एक सवार चला जाए तो उसका साया ख़त्म न हो, यह शजरतुल ख़ुल्द है। (तब्री : 9843; वसनदुहू ज़ईफ़; शजरतुल ख़ुल्द के अल्फ़ाज़ में रावी का तफ़र्रुद है, बक़िया हदीस की सहीह मुताबिअ़त मौजूद है। हदीस का पहला हिस्सा सहीह बुख़ारी 3251 में अ़न अनस (रज़ि.) और सहीह मुस्लिम 2828 में अ़न सईद (रज़ि.) मौजूद है।) (इब्ने जरीर)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

तर्जुमा : ''अल्लाह तआला तुम्हें ताकीदी हुक्म देता है कि अमानत वालों की अमानतें उन्हें पहुँचाओ और जब लोगों का फ़ैसला करो तो अद्ल व इंसाफ़ से फ़ैसला करो, यकीनन वह बेहतर चीज़ है जिसकी नसीहत तुम्हें अल्लाह तआला कर रहा है। बेशक अल्लाह तआला सुनने वाला, जानने वाला है।'' (58)

अमानत की क़िस्में और अमानत की अदायगी की ताकीद (आयत 58) : रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़र्माते हैं जो तेरे साथ अमानतदारी का बर्ताव करे तू उसकी अमानत अदा कर और जो तेरे साथ ख़यानत करे तू उसकी ख़यानत मत कर। (मुस्नद अहमद : 3/414; अबूदाऊद, किताबुर्रिबाअ, बाब फ़िर्रजुल यअख़ुजु हक़्क़ा : 3535; वसनदुहू ज़ईफ़; शुरैक क़ाज़ी मुदल्लस और क़ैस बिन रबीअ ज़ईफ़ रावी है। तिर्मिज़ी : 1264) (इमाम अहमद व अहले सुनन)। आयत के अल्फ़ाज़ आम हैं, अल्लाह तआला अ़ज़्ज़ व जल्ला के कुल हुक़ूक़ की अदायगी को भी शामिल हैं जैसे रोज़ा, नमाज़, ज़कात, कफ़्फ़ारा, नज़्र वग़ैरह। और बन्दों के आपस के कुल हुक़ूक़ को भी शामिल हैं जैसे अमानत दी हुई चीज़ें वग़ैरह। पस जिस हक़ को जो अदा न करेगा उसकी पकड़ क़यामत के दिन होगी। सहीह हदीस में है कि ''क़यामत के दिन हर हक़दार का हक़ उसे दिलवाया जाएगा यहाँ तक कि बेसींग वाली बकरी को अगर सींग वाली बकरी ने मारा है तो उसका बदला भी दिलवाया जाएगा।'' (सहीह मुस्लिम, किताबुल बिर्र वस्सिलह, बाब तहरीमुज़्ज़ुल्म : 2582; तिर्मिज़ी : 2420) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) फ़र्माते हैं कि शहादत की वजह से तमाम गुनाह मिट जाते हैं मगर अमानत नहीं मिटती, भले कोई शख़्स अल्लाह की राह में शहीद हुआ हो उसे भी क़यामत के दिन लाया जाएगा और कहा जाएगा कि अपनी अमानत अदा करो। जवाब देगा कि दुनिया तो अब है नहीं, मैं कहाँ से उसे अदा करूँ। फ़र्माते हैं फिर वह चीज़ उसे जहन्नम की तह में नज़र आएगी, और कहा जाएगा कि उसे ले आ। वह उसे अपने कँधे पर लादकर ले चलेगा, लेकिन वह गिर पड़ेगी फिर उसे लेने जाएगा, पस इसी अ़ज़ाब में वह मुब्तला रहेगा। हज़रत ज़ाज़ान (रह.) इस रिवायत को सुनकर हज़रत बराअ (रज़ि.) के पास आकर बयान करते हैं। वह कहते हैं मेरे भाई ने सच कहा, फिर क़ुरआन की इस आयत को पढ़ते हैं। (इब्ने अबी हातिम व सनदुहू ज़ईफ़; सौरी अ़न्अ़न) इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) वग़ैरह फ़र्माते हैं हर नेक व बद पर यही हुक्म है। अबुल आ़लिया (रह.) फ़र्माते हैं जिस चीज़ का हुक्म दिया गया और जिस चीज़ से मना किया गया वह सब अमानत है। हज़रत उबय बिन कअ़ब (रज़ि.) फ़र्माते हैं, औरत अपनी शर्मगाह की भी अमानतदार है। रबीअ बिन अनस (रह.) फ़र्माते हैं जो जो मामलात तेरे और दूसरे के बीच हों यह सबको शामिल है। हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) फ़र्माते हैं इसमें यह भी दाख़िल है कि सुलतान ईद वाले दिन औरतों को ख़ुत्बा सुनाए। इस आयत के शाने नुज़ूल में मरवी है कि जब रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मक्का फ़तह किया और इत्मिनान के साथ बैतुल्लाह शरीफ़ में आए तो अपनी ऊँटनी पर सवार

होकर तवाफ़ किया, हज्रे अस्वद को अपनी लकड़ी से छूते थे। उसके बाद उस्मान बिन तलहा (रज़ि.) को जो कअ़बा के कुंजी बरदार थे, बुलाया, उनसे चाबी मांगी, उन्होंने देनी चाही, इतने में हज़रत अब्बास (रज़ि.) ने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! अब यह मुझे सौंपिए ताकि मेरे घराने में ज़मज़म का पानी पिलाना और कअ़बा की कुंजी रखना दोनों ही बातें रहें। यह सुनते ही हज़रत उस्मान बिन तलहा (रज़ि.) ने अपना हाथ रोक लिया। हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने दोबारा तलब की फिर वही वाक़िया हुआ। आप (ﷺ) ने तीसरी बार तलब की। हज़रत उस्मान (रज़ि.) ने यह कह कर दे दी कि अल्लाह तआ़ला की अमानत के साथ देता हूँ। हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने कअ़बा का दरवाज़ा खोला, अंदर गए वहाँ जो बुत और तस्वीरें थीं सब तोड़कर फेंक दीं। हज़रत इब्राहीम (عليه السلام) का बुत भी था जिसके हाथ में फ़ाल के तीर थे। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह तआ़ला मुश्रिकीन को ग़ारत करे, भला ख़लीलुल्लाह (عليه السلام) को इन तीरों से क्या सरोकार।'' फिर उन तमाम चीज़ों को बर्बाद करके उनकी जगह पानी डालकर उन्हें मिटाकर आप (ﷺ) बाहर आए, कअ़बा के दरवाज़े पर खड़े होकर आप (ﷺ) ने कहा, ''कोई माबूद नहीं, बजुज़ अल्लाह तआ़ला के, वह अकेला है जिसका कोई शरीक नहीं, उसने अपने वादे को सच्चा किया, अपने बन्दे की मदद की और तमाम लश्करों को उसी अकेले ने शिकस्त दी।'' फिर आप (ﷺ) ने एक लम्बा ख़ुत्बा दिया जिसमें यह भी फ़र्माया, ''कि जाहिलियत के तमाम झगड़े अब मेरे पैरों तले कुचल दिए गए, ख़्वाह माली हों ख़्वाह जानी, हाँ! बैतुल्लाह शरीफ़ की चौकीदारी का और हाजियों को पानी पिलाने का मंसब ज्यों का त्यों बाक़ी रहेगा।'' उस ख़ुत्बा को पूरा करके आप बैठे ही थे कि हज़रत अ़ली (रज़ि.) ने आगे बढ़कर कहा, हुज़ूर (ﷺ)! चाबी मुझे दीजिए ताकि बैतुल्लाह शरीफ़ की चौकीदारी का और हाजियों को ज़मज़म पिलाने का मंसब दोनों यक्जा हो जाएँ लेकिन आप (ﷺ) ने उन्हें चाबी न दी। मक़ामे इब्राहीम को कअ़बा के अंदर से निकालकर आप (ﷺ) ने कअ़बा की दीवार से मिलाकर रख दिया और लोगों से कह दिया कि ''तुम्हारा क़िब्ला यही है।'' फिर आप (ﷺ) तवाफ़ में मशग़ूल हो गए। अभी दो फेरे ही फिरे थे कि हज़रत जिब्राईल (عليه السلام) नाज़िल हुए और आप (ﷺ) ने अपनी ज़ुबाने मुबारक से इस आयत की तिलावत शुरू की। इस पर हज़रत उमर (रज़ि.) ने फ़र्माया, मेरे माँ बाप हुज़ूरे अकरम (ﷺ) पर क़ुर्बान हों, मैंने तो इससे पहले आप (ﷺ) को इस आयत की तिलावत करते हुए नहीं सुना। अब आप (ﷺ) ने हज़रत उस्मान बिन तलहा (रज़ि.) को बुलाया और उन्हें चाबी सौंप दी और फ़र्माया, ''आज का दिन वफ़ा और नेकी और सुलूक का दिन है।'' (सीरतुन्नबी (ﷺ) लि इब्ने हिशाम : 4/42; इस रिवायत का आख़िरी हिस्सा ज़ईफ़ है और बाक़ी हसन है। देखिए सीरत लि इब्ने हिशाम बि तहक़ीक़ी : ह : 412 ब)

यह वही उस्मान बिन तलहा (रज़ि.) हैं जिनकी नस्ल में आज तक कअ़बतुल्लाह की कुँजी चली आ रही है, यह सुलह हुदेबिया और फ़तह मक्का के बीच इस्लाम लाए थे जबकि ख़ालिद बिन वलीद (रज़ि.) और अम्र बिन आस (रज़ि.) मुसलमान हुए थे। उनका चचा उस्मान बिन तलहा उहुद की लड़ाई में मुश्रिकों के साथ था बल्कि उनका झण्डा बरदार था और वहीं बहालते कुफ़्र मारा गया था। अल्ग़र्ज़ मशहूर तो यही है कि यह आयत इस बारे में उतरी है। अब ख़्वाह इस बारे में नाज़िल हुई या न हुई हो, बहर सूरत इसका हुक्म आम है जैसे हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) और हज़रत मुहम्मद बिन हनफ़िया (रह.) का क़ौल है कि हर हर शख़्स को हर हर अमानत की अदायगी का हुक्म है।

फिर इर्शाद होता है कि फ़ैसले अ़द्ल के साथ करो, ह़ाकिमों के अह़कमुल ह़ाकिमीन का हुक्म हो रहा है कि किसी ह़ालत में अ़द्ल का दामन न छोड़ो। ह़दीस में है ''अल्लाह तआ़ला ह़ाकिम के साथ होता है जब तक कि वह ज़ुल्म न करे। जब ज़ुल्म करता है तो उसे उसी की त़रफ़ सौंप देता है।'' (इब्ने माजा, किताबुल अह़काम, बाबुत्तग़लीज़ फ़िल ह़ैफ़ि वर्रिश्वति : 2312; वसनदुहू ह़सन; तिर्मिज़ी : 1330) एक असर में है ''एक दिन का अ़द्ल चालीस साल की इ़बादत के बराबर है।'' (यह असर नहीं मिला बल्कि इस बाब में मरफ़ूअ़ ज़ईफ़ रिवायतों के लिए देखिए ज़ईफ़ अत्तग़ीब वत्तर्हीब : 2/70, 71; ह़ : 1317, 1318) फिर फ़र्माता है कि यह अदायगिये अमानत का और अ़द्लो इंसाफ़ का हुक्म और इसी त़रह़ शरीअ़त के तमाम अह़काम और मम्नूआत तुम्हारे लिए बेहतरीन और नफ़ा वाली चीज़ें हैं जिनका अम्र परवरदिगार तुम्हें कर रहा है। (इब्ने अबी ह़ातिम) और रिवायत में है कि ह़ज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) ने इस आयत के आख़िरी अल्फ़ाज़ पढ़ते हुए अपना अंगूठा अपने कान में रखा और शहादत की उँगली अपनी आँख पर रखी (यानी इशारे से सुनना देखा, कान और आँख पर उँगली रखकर बताया) फ़र्माया मैंने इसी त़रह़ रसूलुल्लाह (ﷺ) को पढ़ते और करते देखा है। राविये ह़दीस अबू ज़करिया (रह़.) फ़र्माते हैं हमारे उस्ताद मुक़री (रह़.) ने भी इसी त़रह़ पढ़कर इशारा करके हमें बताया, अपने दाहिने हाथ का अंगूठा अपनी दाएँ आँख पर रखा और उसके पास की उँगली अपने दाहिने कान पर रखी। (इब्ने अबी ह़ातिम)। यह ह़दीस इसी त़रह़ इमाम अबूदाऊद (रह़.) ने भी रिवायत की है। (अबूदाऊद, किताबुस्सुन्ना, बाब फ़िल जहमिया : 4728; वसनदुहू ज़ईफ़) और इमाम इब्ने ह़िब्बान (रह़.) भी अपनी स़ह़ीह़ में इसे लाए हैं और ह़ाकिम (रह़.) ने मुस्तदरक ह़ाकिम में और इब्ने मर्दवे ने अपनी तफ़्सीर में भी इसे वारिद किया है। इसकी सनद में जो अबू यूनुस (रह़.) हैं वह ह़ज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) के मौला हैं, इनका नाम सुलैम बिन जुबैर है।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِي الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۭ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ۝59

तर्जुमा : ''ऐ ईमानवालों! फ़र्मांबरदारी करो अल्लाह तआ़ला की और फ़र्मांबरदारी करो रसूलुल्लाह (ﷺ) की और तुममें से इख़्तियार वालों की, फिर अगर किसी चीज़ में इख़्तिलाफ़ हो तो उसे रुजूअ़ करो अल्लाह तआ़ला की त़रफ़ और रसूलुल्लाह (ﷺ) की त़रफ़, अगर तुम्हें अल्लाह तआ़ला पर और क़यामत के दिन पर ईमान है। यह बहुत बेहतर है और अंजाम के लिहाज़ से बहुत अच्छा है।'' (59)

अल्लाह तआ़ला व रसूल (ﷺ) की इत़ाअ़त वाजिब जबकि उ़लमा, उमरा की इत़ाअ़त मशरूत़ है

(आयत 59) : सहीह बुख़ारी शरीफ़ में बरिवायत हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक छोटे से लश्कर मे हज़रत अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफ़ा बिन क़ैस (रज़ि.) को भेजा था उनके बारे में यह आयत उतरी है। (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर, बाब **(अतीउल्लाह व अतीउर्रसूल)** : 4584; सहीह मुस्लिम : 1834; अबूदाऊद : 2624; तिर्मिज़ी : 1672) बुख़ारी व मुस्लिम में है कि हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने एक लश्कर भेजा जिसकी सरदारी एक अंसारी को दी। एक मर्तबा वह लोगों पर सख़्त गुस्सा हो गए और फ़र्माने लगे कि क्या तुम्हें रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मेरी फ़र्मांबरदारी का हुक्म नहीं दिया? सबने कहा, हाँ! बेशक दिया है। फ़र्माने लगे, अच्छा लकड़ियाँ जमा करो। फिर आग मंगवाकर लकड़ियाँ जलाईं, फिर हुक्म दिया कि तुम इस आग में कूद पड़ो। एक नौजवान ने कहा, लोगो! सुनो आग से बचने के लिए ही तुमने दामने रसूलुल्लाह (ﷺ) में पनाह ली है तुम जल्दी न करो जब तक कि हुज़ूरे अकरम (ﷺ) से मुलाक़ात न हो जाए फिर अगर आप (ﷺ) भी यही फ़र्माएँ तो बेझिझक इस आग मे कूद पड़ना। चुनाँचे यह लोग हुज़ूरे अकरम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुए और सारा वाक़िया कह सुनाया। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, "अगर तुम आग मे चले जाते तो हमेशा की आग ही में रहते, सुनो! फ़र्मांबरदारी सिर्फ़ मारूफ़ (भलाई के कामों) में है।" (सहीह बुख़ारी, किताबुल मग़ाज़ी, बाब सीरते अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफ़ा : 4340; सहीह मुस्लिम : 1840; अबूदाऊद : 2625; नसाई : 4210) अबूदाऊद मे है कि "मुसलमान पर सुनना और मानना फ़र्ज़ है गो जी चाहे या तबीयत रुके लेकिन उस वक़्त तक कि अल्लाह तआला और रसूलुल्लाह (ﷺ) की नाफ़र्मानी का हुक्म न दिया जाए, जब नाफ़र्मानी का हुक्म मिले तो न सुने न माने।" (अबूदाऊद, किताबुल जिहाद, बाब फ़ित्ताअत : 2626; वल बुख़ारी : 7144; व मुस्लिम : 1839) बुख़ारी व मुस्लिम में है हज़रत उबादा बिन सामित (रज़ि.) फ़र्माते हैं, हमसे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बेअत ली, सुनने की और मानने की, गो हमारी ख़ुशी हो या हमारी नाख़ुशी हो, हमारी सख़्ती हो या हमारी आसानी हो और गो हम पर दूसरे को तर्जीह दी जा रही हो, और हमसे बेअत ली कि काम के अहल से उस काम को न छीनें मगर यह कि तुम खुला कुफ़्र देखो जिसके बारे में तुम्हारे पास कोई वाज़ेह रब्बानी दलील हो। (सहीह बुख़ारी, किताबुल फ़ितन, बाब क़ौलुन्नबी (ﷺ) सतरौना बअदी उमूरन : 7056; सहीह मुस्लिम : 1709; नसाई : 4154) बुख़ारी शरीफ़ में है "सुनो और इताअत करो अगरचे तुम पर हब्शी गुलाम अमीर बनाया गया हो, गोया कि उसका सर किशमिश है।" (सहीह बुख़ारी, किताबुल अहकाम, बाबुस्समअ वत्ताअत : 7142; इब्ने माजा : 2860) सहीह मुस्लिम में है हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) फ़र्माते हैं, मुझे मेरे ख़लील (यानी रसूल ﷺ) ने वसिय्यत की सुनने की और मानने की अगरचे नाक़िस हाथ पैर वाला हब्शी गुलाम हो।" (सहीह मुस्लिम, किताबुल इमारत, बाब वुजूबु ताअतल उमरा फ़ी ग़ैरि मअसिया : 1837) मुस्लिम की हदीस में है कि हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने हज्जतुल विदा के ख़ुत्बा में फ़र्माया गो तुम पर गुलाम आमिल बनाया जाए जो तुम्हें किताबुल्लाह के साथ साथ ले जाना चाहे तो तुम उसकी सुनो और मानो। (सहीह मुस्लिम, किताबुल इमारत, बाब वुजूबु ताअतिल उमरा फ़ी ग़ैरि मअसिया : 1838; नसाई : 4197) एक रिवायत में गुलाम हब्शी अजज़ा कटा के अल्फ़ाज़ हैं। (सहीह मुस्लिम, किताबुल इमारत, बाब वुजूब ताअतल उमरा फ़ी ग़ैरि मअसिया : 1838) इब्ने जरीर में है कि "मेरे बाद वाले तुमसे मिलेंगे, नेकों से नेक और बदों से बद, तुम हर एक उस अम्र में जो मुताबिक़े हक़ हो, उसकी सुनो और

मानो और उनके पीछे नमाज़ें पढ़ते रहो अगर वह नेकी करेंगे तो उनके लिए नफ़ा है और तुम्हारे लिए भी, अगर वह बदी करेंगे तो तुम्हारे लिए तुम्हारी अच्छाई है और उन पर बोझ है।" (त़ब्री : 9881; वसनदुहू ज़ईफ़ुन जिद्दा; त़बरानी फ़िल औसत़ : 6306; मज्मउज़्ज़वाइद : 5/218; इसकी सनद में अब्दुल्लाह बिन मुहम्मद बिन उर्वा सख़्त ज़ईफ़ रावी है। (अल्मीज़ान : 2/486; रक़म : 4539)

हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) फ़र्माते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, बनी इस्राईल में मुसलसल लगातार अल्लाह के रसूल आया करते थे, एक के बाद एक, और मेरे बाद कोई नबी नहीं मगर ख़ुल्फ़ा होंगे और बकसरत होंगे।" लोगों ने पूछा, फिर हुज़ूरे अकरम (ﷺ) हमें क्या हुक्म देते हैं। फ़र्माया, "पहले की बेअ़त पूरी करो फिर उसके बाद वाले की, उनके हक़ उन्हें दे दो। अल्लाह तआ़ला उनसे उनकी रईयत (जनता) के बारे में सवाल करने वाला है।" (सह़ीह़ बुख़ारी, किताब अहादीसुल अम्बिया, बाब मा ज़ुकिरा अन बनी इस्राईल : 3455; सह़ीह़ मुस्लिम : 1842; इब्ने माजा : 2871) आप फ़र्माते हैं "जो शख़्स अपने अमीर का कोई नापसंदीदा काम देखे, उसे सब्र करना चाहिए जो शख़्स जमाअ़त से बालिश्त भर जुदा हो गया तो वह जाहिलियत की मौत मरेगा।" (सह़ीह़ बुख़ारी, किताबुल अह़काम, बाबुस्समअ़ वत्ताअ़त : 7143; सह़ीह़ मुस्लिम : 1849) इर्शाद है "जो शख़्स इत़ाअ़त से हाथ खींच ले वह क़यामत के दिन अल्लाह तआ़ला से हुज्जत व दलील के बग़ैर मुलाक़ात करेगा और जो इस ह़ालत में मरे कि उसकी गर्दन में बेअ़त न हो वह जाहिलियत की मौत मरेगा।" (सह़ीह़ मुस्लिम, किताबुल इमारत, बाब वुजूबु मुलाज़िमते जमाअ़तिल मुस्लिमीन : 1849) हज़रत अब्दुर्रह़मान (रज़ि.) फ़र्माते हैं मैं बैतुल्लाह शरीफ़ में गया, देखा तो हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र बिन आ़स़ (रज़ि.) कअ़बा के साये में तशरीफ़ फ़र्मा हैं और लोगों का एक मज्मअ़ जमा है मैं भी उस मज्लिस में एक त़रफ़ बैठ गया, उस वक़्त हज़रत अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) ने यह हदीस बयान की, फ़र्माया, एक सफ़र में हम रसूले मक़्बूल (ﷺ) के साथ थे, एक मंज़िल में उतरे, कोई अपना ख़ैमा ठीक करने लगा कोई अपने तीर संभालने लगा, कोई किसी और काम में मशग़ूल हो गया। अचानक हमने सुना कि मुनादी निदा कर रहा है। हमातन गोश हो गए तो सुना कि रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़र्मा रहे हैं, "हर नबी पर अल्लाह तआ़ला की त़रफ़ से फ़र्ज़ होता है कि अपनी उम्मत को तमाम नेकियाँ जो वह जानता है सिखा दे और तमाम बुराईयों से जो उसकी नज़र में हैं आगाह कर दे, सुनो! इस मेरी उम्मत की आ़फ़ियत का ज़माना इसका अव्वल का ज़माना है, आख़िर ज़माने में बड़ी-बड़ी बलाएँ आएँगी और ऐसे उमूर नाज़िल होंगे जिन्हें मुसलमान नापसंद रखें और ताबड़तोड़ फ़ित्ने आते रहेंगे। एक फ़ित्ना आएगा कि मोमिन समझ लेगा इसी में मेरी हलाकत है फिर वह हटकर दूसरा उससे भी बड़ा आएगा जिसमें उसे अपनी हलाकत का कामिल यक़ीन आ जाएगा पस यूँ ही लगातार फ़ित्ने और ज़बरदस्त आज़माइशें और कामिल तक्लीफ़ें आती रहेंगी, पस जो शख़्स इस बात को पसंद करे कि जहन्नम से दूरी हो और जन्नत हिस़्से में आए, उसे चाहिए कि मरते दम तक अल्लाह तआ़ला पर और क़यामत के दिन पर पूरा ईमान रखे और लोगों से वह बर्ताव करे जो ख़ुद अपने साथ पसंद करता है। सुनो! जिसने इमाम से बेअ़त कर ली उसने अपने हाथ का क़ब्ज़ा और अपने दिल का फल उसे दे दिया, अब उसे चाहिए कि उसकी इत़ाअ़त करे, अगर कोई और आकर उससे छीनना चाहे तो उस दूसरे की गर्दन उड़ा दो।"

अ़ब्दुर्रहमान (रह़.) फ़र्माते हैं, मैं यह सुनकर क़रीब गया और कहा, आपको मैं अल्लाह की क़सम देता हूँ, क्या ख़ुद आपने इसे रसूलुल्लाह (ﷺ) की ज़ुबानी सुना है तो आपने अपने दोनों हाथ अपने कान और दिल की त़रफ़ बढ़ाकर फ़र्माया, मैंने हुज़ूरे अकरम (ﷺ) से अपने इन दोनों कानों से सुना और अपने इस दिल में मह़फ़ूज़ कर लिया। मैंने कहा, देखिए आपके चचाज़ाद भाई मुआ़विया को कि वह हमें हमारे अपने माले बात़िल से खाने और आपस मे एक दूसरे से जंग करने का हुक्म देते हैं ह़ालाँकि अल्लाह तआ़ला इन दोनों कामों से मुमानिअ़त करता है, इर्शाद है (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ) (4/निसाअ : 29) इसे सुनकर ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) ज़रा सी देर ख़ामोश रहे फिर फ़र्माया, अल्लाह तआ़ला की इत़ाअ़त में उनकी इत़ाअ़त करो और अल्लाह तआ़ला की नाफ़र्मानी का हुक्म जो वह दें, उसे न मानो। (स़ह़ीह़ मुस्लिम, किताबुल इमारत, बाब वुजूबुल वफ़ा बेअ़तुल ख़लीफ़ा : 1844; अबूदाऊद : 4248; मुख़्तस़रन; नसाई : 4196; इब्ने माजा : 3956) इस त़रह़ की ह़दीसें और भी बहुत सी हैं।

इसी मुमानिअ़त की तफ़्सीर में ह़ज़रत सुद्दी (रह़.) से मरवी है कि रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने एक लश्कर भेजा जिसके अमीर ह़ज़रत ख़ालिद (रज़ि.) को बनाया। उस लश्कर में ह़ज़रत अ़म्मार बिन यासिर (रज़ि.) भी थे। यह लश्कर जिस क़ौम की त़रफ़ जाना चाहता था चला, रात के वक़्त उसकी बस्ती के पास पहुँचकर पड़ाव किया। उन लोगों को अपने जासूसों से पता चल गया और वह सबके सब रातों रात भाग खड़े हुए। स़िर्फ़ एक शख़्स़ रह गया, उसने अपने घरवालों से कहा और उन्होंने उसका सब अस्बाब जमा किया, फिर यह रात के अंधेरे में ह़ज़रत ख़ालिद (रज़ि.) के लश्कर में चला आया और पता चला कि ह़ज़रत अ़म्मार (रज़ि.) के पास पहुँचा और उनसे कहा कि ऐ अबुल यक़्ज़ान! मैं इस्लाम क़बूल कर चुका हूँ और गवाही दे चुका हूँ कि अल्लाह तआ़ला के सिवा कोई माबूद नहीं और यह कि मुह़म्मद (ﷺ) उसके बन्दे और उसके रसूल हैं, मेरी सारी क़ौम तुम्हारा यहाँ आना सुनकर भाग गई है, स़िर्फ़ मैं बाक़ी रह गया हूँ, तो क्या कल मेरा यह इस्लाम मुझे नफ़ा देगा, अगर नफ़ा न दे तो मैं भी भाग जाऊँ। ह़ज़रत अ़म्मार (रज़ि.) ने फ़र्माया, यक़ीनन यह इस्लाम तुम्हें नफ़ा देगा तुम न भागो बल्कि ठहरे रहो। सुबह़ के वक़्त जब ह़ज़रत ख़ालिद (रज़ि.) ने लश्कर-कशी की तो सिवाए उस शख़्स़ के वहाँ किसी को न पाया, उसे उसके माल समेत गिरफ़्तार कर लिया गया। जब ह़ज़रत अ़म्मार (रज़ि.) को मालूम हुआ तो आप ह़ज़रत ख़ालिद (रज़ि.) के पास आए और कहा, इसे छोड़ दीजिए यह इस्लाम ला चुका है और मेरी पनाह में है। ह़ज़रत ख़ालिद (रज़ि.) ने फ़र्माया, तुम कौन हो जो किसी को पनाह दे सको। इस पर दोनों बुज़ुर्गों में कुछ तेज़ कलामी हो गई, और उस पर क़िस्सा बढ़ा यहाँ तक कि रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में सारा वाक़िया बयान किया गया। आप (ﷺ) ने ह़ज़रत अ़म्मार (रज़ि.) की पनाह को जाइज़ क़रार दिया और फ़र्माया, ''आइन्दा अमीर की त़रफ़ से पनाह न देना।'' फिर दोनों में तेज़ कलामी होने लगी। इस पर ह़ज़रत ख़ालिद (रज़ि.) ने हुज़ूरे अकरम (ﷺ) से कहा, इस नाक कटे गुलाम को आप (ﷺ) कुछ नहीं कहते। देखिए, यह मुझे बुरा भला कह रहा है। हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, ''ख़ालिद! अ़म्मार को बुरा न कहो। अ़म्मार को गालियाँ देने वाले को अल्लाह तआ़ला गालियाँ देगा, अ़म्मार से दुश्मनी रखने वाले से अल्लाह तआ़ला दुश्मनी रखेगा, अ़म्मार पर जो लानत भेजेगा, उस पर अल्लाह तआ़ला की लानत नाज़िल

होगी।'' अब तो हज़रत ख़ालिद (रज़ि.) को लेने के देने पड़ गए। हज़रत अम्मार (रज़ि.) गुस्सा में चल दिए थे, आप दौड़े भागे उनके पास गए, दामन थाम लिया, उज़्र माज़िरत की और अपनी ग़लती माफ़ कराई, पीछा न छोड़ा जब तक कि हज़रत अम्मार (रज़ि.) राज़ी रज़ामन्द न हो गए। पस अल्लाह तआला ने यह आयत नाज़िल फ़र्माई। (तब्री : 9866; अन सुद्दी वसनदुहू ज़ईफ़; हाकिम : 3/390, 390; ह : 5674; व इब्ने हिब्बान : 7040; वसनदुहू सहीहुन मिन हदीसि ख़ालिद बिन वलीद (रज़ि.) इस आयत के ज़िक्र में दूसरे लफ़्ज़ों में बयान हुई है।) (अम्रे इमामत व ख़िलाफ़त के बारे में शराइत वग़ैरह का बयान आयत (وَ اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً) (2/बक़रह : 30) की तफ़्सीर में गुज़र चुका है वहाँ मुलाहिज़ा हो। मुतर्जिम) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से भी यह रिवायत मरवी है (इब्ने जरीर और इब्ने मर्दवे)। हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) वग़ैरह फ़र्माते हैं ऊलुल अम्र से मुराद समझ बूझ वाले और दीन वाले हैं यानी उलमा। ज़ाहिर बात तो यह मालूम होती है, आगे हक़ीक़ी इल्म अल्लाह तआला को है कि यह लफ़्ज़ आम हैं उमरा, उलमा दोनों इससे मुराद हैं जैसे कि पहले गुज़रा। कुरआन फ़र्माता है (لَوْ لَا یَنْهٰهُمُ الرَّبّٰنِیُّوْنَ) (5/माइदा : 63) यानी इनके उलमा ने इन्हें झूठ बोलने और हराम खाने से क्यूँ न रोका।'' और जगह है (فَسْـَٔلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ) (16/नहल : 43) कुरआन व हदीस के जानने वालों से पूछ लिया करो अगर तुम्हें इल्म न हो।

सहीह हदीस में है मेरी इताअत करने वाला अल्लाह तआला की इताअत करने वाला है और जिसने मेरी नाफ़र्मानी की उसने अल्लाह तआला की नाफ़र्मानी की, और जिसने मेरे अमीर की इताअत की, उसने मेरी फ़र्मांबरदारी की, और जिसने मेरे मुक़र्ररकर्दा अमीर की नाफ़र्मानी की उसने मेरी नाफ़र्मानी की। (सहीह बुख़ारी, किताबुल अहकाम, बाब क़ौलुल्लाहि तआला (अतीउल्लाह व अतीउर्रसूल) : 7137; सहीह मुस्लिम : 1835; नसाई : 4198) पस यह हैं अहकाम उलमा, उमरा की इताअत के। इस आयत में इर्शाद होता है कि अल्लाह तआला की इताअत करो यानी उसकी किताब की इत्तिबाअ करो, अल्लाह तआला के रसूल (ﷺ) की इताअत करो यानी उसकी सुन्नतों पर अमल करो, और हुक्म वालों की इताअत करो यानी उस चीज़ में जो अल्लाह तआला की इताअत हो। अल्लाह तआला के फ़र्मान के ख़िलाफ़ अगर उनका कोई हुक्म हो तो इताअत न करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे वक़्त उलमा, उमरा को मानना हराम है जैसे कि पहली हदीस गुज़र चुकी कि इताअत सिर्फ़ मारूफ़ में है, यानी फ़र्माने रब्बानी व फ़र्माने रसूल (ﷺ) के दायरे में। मुस्नद अहमद में इससे भी ज़्यादा साफ़ हदीस है जिसमें है कि कोई इताअत अल्लाह तआला के फ़र्मान के ख़िलाफ़ में नहीं। (मुस्नद अहमद : 4/426; वहुव सहीहुन बिशशवाहिद) आगे चलकर फ़र्माया कि अगर तुममें किसी बारे में झगड़ा हो जाए तो उसे अल्लाह तआला की तरफ़ लौटाओ यानी किताबुल्लाह और सुन्नते रसूल (ﷺ) की तरफ़, जैसे कि हज़रत मुजाहिद (रह.) की तफ़्सीर है।

पस यहाँ सरीह और साफ़ लफ़्ज़ों में अल्लाह तआला अज़्ज़ व जल्ल का हुक्म हो रहा है कि लोग जिस मसला में इख़्तिलाफ़ करते हैं ख़्वाह वह मसला उसूले दीन के बारे में हो ख़्वाह वह फ़ुरूए दीन के बारे में, उसके तस्फ़िया की सूरत सिर्फ़ यही है कि किताबो सुन्नत को हाकिम मान लिया जाए जो उसमें हो वह क़बूल कर लिया जाए। जैसे और आयते कुरआनी में है (وَ مَا اخْتَلَفْتُمْ فِیْهِ مِنْ شَیْءٍ فَحُكْمُهٗٓ اِلَى اللّٰهِ)

(42/शूरा : 10) यानी ''जिस किसी चीज़ में तुम्हारा इख़्तिलाफ़ हो, उसका फ़ैसला अल्लाह तआला की तरफ़ है'' पस किताबो सुन्नत जो हुक्म दे और जिस मसला पर सेहत की शहादत दे वही हक़ है बाक़ी सब बातिल है। कुरआन फ़र्माता है कि हक़ के बाद जो है वह ज़लालत व गुमराही है, इसीलिए यहाँ भी इस हुक्म के साथ ही इर्शाद होता है अगर तुम अल्लाह तआला पर और क़यामत पर ईमान रखते हो, यानी अगर तुम ईमान के दावे में सच्चे हो तो जिस मसला का तुम्हें इल्म न हो जिस मसला में इख़्तिलाफ़ हो जिस अम्र में जुदा-जुदा राय हों उन सबका फ़ैसला किताबुल्लाह और हदीसे रसूलुल्लाह (ﷺ) से किया करो जो इन दोनों में हो मान लिया करो। पस साबित हुआ कि जो शख़्स इख़्तिलाफ़ी मसाइल का तस्फ़िया किताबो सुन्नत की तरफ़ न ले जाए वह अल्लाह तआला पर और क़यामत पर ईमान नहीं रखता। फिर इर्शाद होता है कि झगड़ों में और इख़्तिलाफ़ात में किताबुल्लाह और सुन्नते रसूलुल्लाह (ﷺ) की तरफ़ फ़ैसला लाना और उनकी तरफ़ रुजूअ करना ही बेहतर है और यही नेक अंजाम ख़ुश आइन्द है और यही अच्छे बदले दिलाने वाला काम है। बहुत अच्छी जज़ा इसी का फल है।

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ
يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ ۖ وَيُرِيدُ
الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿٦٠﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ
وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا ﴿٦١﴾ فَكَيْفَ إِذَا
أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا
إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا ﴿٦٢﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ
وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ﴿٦٣﴾

तर्जुमा : ''क्या तूने उन्हें नहीं देखा? जिनका दावा तो यह है कि जो कुछ तुझ पर और जो कुछ तुझसे पहले उतारा गया है उस पर उनका ईमान है। लेकिन अपने फ़ैसले ग़ैरुल्लाह की तरफ़ ले जाना चाहते हैं। हालाँकि उन्हें हुक्म दे दिया गया है कि शैतान का इंकार करें। शैतान तो यह चाहता ही है कि उन्हें बहका कर दूर डाल दे। (60) इनसे जब कभी कहा जाए कि

अल्लाह तआला की नाज़िलकर्दा कलाम की और रसूलुल्लाह (ﷺ) की तरफ़ आओ, तो तू देख लेगा कि यह मुनाफ़िक़ तुझसे चेहरा फेर कर अटक जाते हैं। (61) फिर क्या बात है कि जब इन पर इनके करतूत के सबब कोई मुसीबत आ पड़ती है तो फिर यह तेरे पास आकर अल्लाह तआला की क़समें खाते हैं कि हमारा इरादा तो सिर्फ़ भलाई और मेल-मिलाप ही का था। (62) यह वह लोग हैं कि इनके दिलों का भेद अल्लाह तआला पर बख़ूबी रोशन है तू इनसे चश्मपोशी कर, इन्हें नसीहत करता रह और इन्हें वह बात कह जो इनके दिलों में घर करने वाली हो।" (63)

क़ुरआनो हदीस से ऐ'राज़ करके किसी और से फ़ैसला कराना मना है (आयत 60-63) : ऊपर की आयत में अल्लाह तआला ने उन लोगो के दावे को झुठलाया है जो ज़ुबानी इक़रार तो करते हैं कि अल्लाह तआला की तमाम अगली किताबों पर और इस क़ुरआन पर भी हमारा ईमान है लेकिन जब कभी किसी मसला की तहक़ीक़ करनी हो जब कभी किसी इख़्तिलाफ़ को मिटाना हो जब कभी किसी झगड़े का फ़ैसला करना हो तो क़ुरआनो हदीस की तरफ़ रुजूअ नहीं करते बल्कि किसी और तरफ़ जाते हैं। यह आयत नाज़िल भी हुई है उन दो शख़्सों के बारे में जिनमें कुछ इख़्तिलाफ़ था एक तो यहूदी था दूसरा अंसारी। यहूदी तो कहता था कि चल मुहम्मद (ﷺ) से फ़ैसला करा लें और अंसारी कहता था कि कअब बिन अशरफ़ के पास चलो। यह भी कहा गया है कि यह आयत उन मुनाफ़िक़ों के बारे में उतरी है जो इस्लाम को ज़ाहिर करते थे लेकिन दर-पर्दा अहकामे जाहिलियत की तरफ़ झुकना चाहते थे। इसके सिवा और क़ौल भी हैं। आयत अपने हुक्म और अल्फ़ाज़ के ऐतिबार से आम है, इन तमाम वाक़ियात को शामिल है, हर उस शख़्स की मज़म्मत और बुराई का इज़्हार करती है जो किताबो सुन्नत से हटकर किसी और बातिल की तरफ़ अपना फ़ैसला ले जाए और यही मुराद यहाँ तागूत से है (यानी क़ुरआनो हदीस के सिवा की चीज़ या शख़्स) सुदूद से मुराद तकब्बुर से चेहरा फेर लेना। जैसे और आयत में है (وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا) (31/लुक़्मान : 21) यानी "जब इनसे कहा जाए कि अल्लाह तआला की उतारी हुई वही की फ़र्मांबरदारी करो, तो जवाब देते हैं कि हम तो अपने बाप दादों की पैरवी पर रहेंगे।" ईमानवालों का जवाब यह नहीं होता बल्कि उनका जवाब दूसरी आयत में इस तरह ज़िक्र किया गया है (إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ) (24/नूर : 51) यानी "ईमानवालों को जब अल्लाह और रसूलुल्लाह (ﷺ) के फ़ैसले और हुक्म की तरफ़ बुलाया जाता है तो उनका जवाब यही होता है कि हमने सुना और हमने तहे दिल से क़बूल किया।"

फिर मुनाफ़िक़ों की मज़म्मत में बयान हो रहा है कि उनके गुनाहों के सबब जब तक्लीफ़ें पहुँचती हैं और तेरी ज़रूरत महसूस होती है तो दौड़े हुए तेरे पास आते हैं और तुझे ख़ुश करने के लिए उज़्र माज़िरत करने बैठ जाते हैं और क़समें खाकर अपनी नेकी और सलाहियत का यक़ीन दिलाना चाहते हैं और कहते हैं कि आप (ﷺ) के सिवा दूसरों की तरफ़ उन मुक़द्दमात के ले जाने से हमारा मक़्सूद सिर्फ़ यही था कि ज़रा दूसरों का दिल रख लिया जाए और आपस का मेल-जोल निभ जाए वरना दिल से कुछ हम उनकी अच्छाई के मुअतक़िद नहीं। जैसे और आयत में (فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ) से (أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ) (5/माइदा : 52) तक बयान हुआ है यानी "तू देखेगा कि बीमार दिल यानी मुनाफ़िक़ यहूद व नसारा की दोस्ती की तमाम तर सई करते

फिरते हैं और कहते हैं कि हमें आफ़त में फंस जाने का ख़तरा है पस बहुत मुम्किन है कि अल्लाह तआला फ़तह लाए या अपना कोई हुक्म लाए और यह लोग उन इरादों पर पशेमान होने लगें जो उनके दिलों में पोशीदा हैं। हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़र्माते हैं अबू बरज़ा असलमी एक काहिन शख़्स था, यहूद अपने कुछ फ़ैसले उनसे कराते थे। एक वाक़िया में मुश्रिकीन भी उसकी तरफ़ दौड़े, इस पर यह आयात (अलम तरा) से (तौफ़ीक़ा) तक नाज़िल हुईं। (मुअजमुल कबीर : 12045; वसनदुहू ज़ईफ़; इसमें अहमद बिन अब्दुर्रहीम बिन यज़ीद हूती मज्हूलुल हाल है। मज्मउज़्ज़वाइद : 7/9)

फिर फ़र्माता है कि इस क़िस्म के लोग यानी मुनाफ़िक़ों के दिलों में क्या है इसका इल्म अल्लाह तआला को कामिल है, उस पर कोई छोटी से छोटी चीज़ भी मख़फ़ी नहीं, वह उनके ज़ाहिर बातिन का आलिम है तू इनसे चश्म पोशी कर, इनके बातिनी इरादों पर डांट-डपट न कर, हाँ! इन्हें निफ़ाक़ से और दिल में शर्र व फ़साद रखने से बाज़ रहने की नसीहत करता रह और दिल में लगने वाली बातें इनसे कर बल्कि इनके लिए दुआ भी कर।

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا لِيُطَاعَ بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ جَآءُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ﴿٦٤﴾ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ﴿٦٥﴾

तर्जुमा : "हमने हर रसूल को सिर्फ़ इसीलिए भेजा कि अल्लाह तआला के हुक्म से उसकी फ़र्मांबरदारी की जाए। और अगर यह लोग जब कभी अपनी जानों पर ज़ुल्म करते तेरे पास आ जाते और अल्लाह तआला से इस्तिग़फ़ार करते और रसूल (ﷺ) भी उनके लिए इस्तिग़फ़ार करते तो यक़ीनन यह लोग अल्लाह तआला को माफ़ करने वाला मेहरबान पाते। (64) सो क़सम है तेरे परवरदिगार की, यह ईमानदार नहीं हो सकते जब तक कि आपस के इख़्तिलाफ़ में तुझ ही को हाकिम न मान लें फिर जो फ़ैसले तू इनमे कर दे उनसे अपने दिल में किसी तरह की तंगी और नाख़ुशी न पाएँ और फ़र्मांबरदारी के साथ क़बूल कर लें।" (65)

हुज़ूर (ﷺ) से दुआ कराना आपकी ज़िन्दगी तक था (आयत 64-65) : मतलब यह है कि हर ज़माना के रसूल की ताबेदारी उसकी उम्मत पर अल्लाह तआला की तरफ़ से फ़र्ज़ होती है। मंसबे रिसालत यही है कि उसके तमाम फ़र्मानों को अल्लाह तआला के अहकाम समझा जाए। हज़रत मुजाहिद (रह.) फ़र्माते हैं (बि-इज़्निल्लाहि) से यह मुराद है उसकी तौफ़ीक़ अल्लह तआला के हाथ है, उसकी कुदरत व मशिय्यत पर

मौक़ूफ़ है, जैसे और आयत में है (اِذْ تَحُسُّوْنَهُمْ بِاِذْنِهٖ) (3/आले इमरान : 152) यहाँ भी इज़्न से मुराद अम्रे-कुदरत और मशीयत है, यानी उसने तुम्हें उन पर ग़ल्बा दिया। फिर अल्लाह तआला आसियों (नाफ़र्मानों) और ख़ताकारों को इर्शाद फ़र्माता है कि उन्हें रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास आकर अल्लाह तआला से इस्तिग़फ़ार करना चाहिए और ख़ुद रसूलुल्लाह (ﷺ) से भी अर्ज़ करना चाहिए कि आप हमारे लिए दुआ कीजिए। जब वह ऐसा करेंगे तो यक़ीनन अल्लाह तआला उनकी तरफ़ रुजूअ करेगा, उन्हें बख़्श देगा और उन पर रहम करेगा। अबू मंसूर सब्बाग़ ने अपनी किताब में जिसमें मशहूर क़िस्से लिखे हैं, लिखा है कि उत्बा का बयान है मैं हुज़ूरे अकरम (ﷺ) की तुर्बत के पास बैठा हुआ था जो एक आराबी आया और उसने कहा अस्सलामु अलैक या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैंने कुरआने करीम की यह आयत सुनी और आपके पास आया हूँ ताकि आपके सामने अपने गुनाहों का इस्तिग़फ़ार कर सकूँ और आप (ﷺ) की सिफ़ारिश तलब करूँ। फिर उसने यह अश्आर पढ़े:

یا خیر من دفنت بالقاع اعظمه　　　فطاب من طیبهن القاع والاکم

نفسی الفداء لقبر انت ساکنه　　　فیه العفاف وفیه الجود والکرم

''जिन जिनकी हड्डियाँ मैदानों मे दफ़न की गई हैं और उनकी ख़ुश्बू से वह मैदान और वह टीले महक उठे हैं। ऐ उन तमाम में से बेहतरीन हस्ती! मेरी जान उस क़ब्र पर से सदक़े हो जिसका साकिन तू है जिसमें पारसाई और सख़ावत और करम है।''

फिर आराबी तो लौट गया और मुझे नींद आ गई। ख़्वाब में क्या देखता हूँ कि गोया हुज़ूरे अकरम (ﷺ) मुझसे फ़र्मा रहे हैं, जा उस आराबी को ख़ुशख़बरी सुना कि अल्लाह तआला ने उसके गुनाह माफ़ कर दिए। (बेसनद व बेअसल वाक़िया) (यह ख़्याल रहे कि न तो यह किसी हदीस की किताब का वाक़िया है, न इसकी कोई सहीह सनद है, बल्कि आयत का यह हुक्म हुज़ूरे अकरम (ﷺ) की ज़िन्दगी में ही था, विसाल के बाद नहीं जैसे कि (जाऊका) का लफ़्ज़ बतला रहा है और मुस्लिम शरीफ़ की हदीस में है कि हर इंसान का हर अमल उसकी मौत के साथ मुन्क़तअ हो जाता है। (सहीह मुस्लिम, किताबुल वसिय्यत, बाब मा युल्हक़ुल इंसान मिनस्सवाब : 1631) वल्लाहु आलम, मुतर्जिम)

हुज़ूरे अकरम (ﷺ) का फ़ैसला हत्मी है : फिर अल्लाह तआला अपनी बुज़ुर्ग और मुक़द्दस ज़ात की क़सम खाकर फ़र्माता है कि कोई शख़्स ईमान की हुदूद में नहीं आ सकता जब तक कि तमाम उमूर (मुआमलात) में अल्लाह तआला के इस आख़िरी नबी मुहम्मद (ﷺ) को अपना सच्चा हाकिम न मान ले। और आप (ﷺ) के हर-हर हुक्म हर-हर फ़ैसले हर-हर सुन्नत और हर-हर हदीस को क़ाबिले क़बूल और हक़्क़े सरीह तस्लीम न करने लगे, दिल को और जिस्म को यक्सर ताबेअ रसूलुल्लाह (ﷺ) न बना ले। ग़र्ज़ ज़ाहिर, बातिन, छोटे-बड़े कुल उमूर में हदीसे रसूलुल्लाह (ﷺ) को असल उसूल समझे वही मोमिन है। पस फ़र्मान है कि तेरे अहकाम को कुशादा दिली से तस्लीम कर लिया करें, अपने दिल में तंगी तुरशी न लाएँ। तस्लीमे कुल्ली कुल अहादीस के साथ रहे, न तो अहादीस के मानने से रुकें, न उन्हें हटाने के अस्बाब तलाशें,

न उनके मर्तबा की किसी और चीज़ को समझें, न उनकी तर्दीद करें, न उनका मुक़ाबला करें, न उनके तस्लीम करने में झगड़ें। जैसे फ़र्माने रसूल (ﷺ) है "उसकी क़सम जिसके क़ब्ज़े में मेरी जान है! तुममें से कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वह अपनी ख़्वाहिश को उस चीज़ का पैरोकार न बना ले जिसे मैं लाया हूँ।" (शरहुस्सुन्ना लिल बग़वी : 104; इसकी सनद हिशाम बिन हस्सान की तदलीस की वजह से ज़ईफ़ है।) सहीह बुख़ारी शरीफ़ में है कि हज़रत ज़ुबेर (रज़ि.) का किसी शख़्स से नालियों से बाग़ में पानी लेने के बारे में झगड़ा हो गया तो हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, "ज़ुबेर (रज़ि.)! तुम पानी पिला लो फिर पानी को अंसारी के बाग़ मे जाने दो।" उस पर अंसारी ने कहा, हाँ! या रसूलल्लाह (ﷺ)! यह तो आपकी फूफी के लड़के हैं यह सुनकर आपका चेहरा मुतग़य्यर हो गया और फ़र्माया, "ज़ुबेर! तुम पानी पिलाओ तो फिर पानी को रोके रखो, यहाँ तक कि बाग़ की दीवारों तक पहुँच जाए फिर अपने पड़ौसी की तरफ़ छोड़ दो।" पहले तो हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने एक ऐसी सूरत निकाली थी कि जिसमें हज़रत ज़ुबेर (रज़ि.) को तक्लीफ़ न हो, और अंसारी को कुशा दगी हो जाए लेकिन जब अंसारी ने उसे अपने हक़ में बेहतर न समझा तो आप (ﷺ) ने हज़रत ज़ुबेर (रज़ि.) को उनका पूरा हक़ दिलवाया। हज़रत ज़ुबेर (रज़ि.) फ़र्माते हैं जहाँ तक मेरा ख़याल है यह आयत (फ़ला व रब्बिक...) इसी बारे में नाज़िल हुई है। (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर, बाब (फ़ला व रब्बिक ला युअमिनून...) : 4585, 2359; सहीह मुस्लिम : 2357; अबूदाऊद : 3637; तिर्मिज़ी : 1363; नसाई : 5418; इब्ने माजा : 15, 1480) मुस्नद अहमद की एक मुर्सल हदीस में है कि यह अंसारी बद्री थे। (अहमद : 1/165, 166; ह : 1419; बुख़ारी : 2708; वहुव सहीह) और रिवायत में है, दोनों मे झगड़ा यह था कि पानी की नहर से पहले हज़रत ज़ुबेर (रज़ि.) का खजूरों का बाग़ पड़ता था फिर अंसारी का। अंसारी कहते थे कि पानी रोको मत। यूँ ही दोनों बाग़ों में एक साथ आए। (मुस्नद अहमद : 4/5; सहीह बुख़ारी : 2359; सहीह मुस्लिम : 2357) इब्ने अबी हातिम में है कि यह दोनों दावेदार हज़रत ज़ुबेर और हज़रत हातिब बिन अबी मल्तआ (रज़ि.) थे। (इब्ने अबी हातिम वसनदुहू ज़ईफ़ुन; ज़ुहरी अन्अन) आप (ﷺ) का फ़ैसला उनमें यह हुआ कि पहले ऊँचे वाला पानी पिला ले फिर नीचे वाला। दूसरी एक ज़्यादा ग़रीब हदीस में शाने नुज़ूल यह मरवी है कि दो शख़्स अपना एक झगड़ा लेकर ख़िदमते नबवी (ﷺ) में आए, आप (ﷺ) ने फ़ैसला कर दिया लेकिन जिसके ख़िलाफ़ फ़ैसला था उसने कहा, हुज़ूर (ﷺ)! आप हमें हज़रत उमर (रज़ि.) के पास भेज दीजिए। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, बहुत अच्छा, उनके पास चले जाओ। जब यहाँ आए तो जिसके मुवाफ़िक़ फ़ैसला हुआ था उसने सारा वाक़िया कह सुनाया। हज़रत उमर (रज़ि.) ने उस दूसरे से पूछा, क्या यह सच है। उसने इक़रार किया। आपने फ़र्माया, अच्छा तुम दोनों यहाँ ठहरो मैं आता हूँ और फ़ैसला कर देता हूँ। थोड़ी देर में तलवार ताने आ गए और उस शख़्स की जिसने कहा था कि हमें हज़रत उमर (रज़ि.) के पास भेज दीजिए, गर्दन उड़ा दी। दूसरा शख़्स यह देखते ही दौड़ा भागा आँहज़रत (ﷺ) के पास पहुँचा और कहा, हुज़ूर (ﷺ)! मेरा साथी तो मार डाला गया और अगर मैं भी जान बचा कर भागकर न आ जाता तो मेरी भी ख़बर न थी। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, मैं उमर को ऐसा न जानता था कि वह इस जुर्अत के साथ एक मोमिन का ख़ून बहा देंगे। इस पर यह आयत उतरी और उसका ख़ून बर्बाद गया और अल्लाह तआला ने हज़रत उमर (रज़ि.) को बरी कर दिया। लेकिन यह तरीक़ा लोगों में उसके बाद भी जारी न हो जाए, इसलिए उसके बाद ही यह आयत उतरी (وَلَوْ اَنَّا كَتَبْنَا) (4/निसाअ : 66) जो आगे आती है। (इब्ने अबी हातिम)

इब्ने मर्दवे में भी यह रिवायत है जो ग़रीब है और मुर्सल है और इब्ने अबी लहीआ रावी ज़ईफ़ है, वल्लाहु आलम! दूसरी सनद मरवी है दो शख़्स रसूले मक़्बूल (ﷺ) के पास अपना झगड़ा लेकर आए। आप (ﷺ) ने हक़ वाले के हक़ में डिक्री दे दी लेकिन जिसके ख़िलाफ़ फ़ैसला हुआ था, उसने कहा मैं राज़ी नहीं हूँ। आप (ﷺ) ने पूछा, तू क्या चाहता है? कहा, यह कि हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) के पास चलें। दोनों वहाँ पहुँचे जब यह वाक़िया जनाब सिद्दीक़ (रज़ि.) ने सुना तो फ़र्माया, तुम्हारा फ़ैसला वही है जो हुज़ूर (ﷺ) ने किया। वह अब भी ख़ुश न हुआ और कहा, हज़रत उमर (रज़ि.) के पास चलो, वहाँ गए फिर वह हुआ जो आपने ऊपर पढ़ा। (तफ़्सीर हाफ़िज़ अबू इस्हाक़) (इस रिवायत के रावी हमज़ा बिन हबीब की सय्यदना उमर (रज़ि.) से मुलाक़ात साबित नहीं लिहाज़ा यह रिवायत मुन्क़तअ होने की वजह से ज़ईफ़ है।)

وَلَوْ اَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ اَنِ اقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ اَوِ اخْرُجُوْا مِنْ دِيَارِكُمْ مَّا فَعَلُوْهُ
اِلَّا قَلِيْلٌ مِّنْهُمْ ؕ وَلَوْ اَنَّهُمْ فَعَلُوْا مَا يُوْعَظُوْنَ بِهٖ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاَشَدَّ
تَثْبِيْتًا ﴿٦٦﴾ وَّاِذًا لَّاٰتَيْنٰهُمْ مِّنْ لَّدُنَّآ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿٦٧﴾ وَّلَهَدَيْنٰهُمْ صِرَاطًا
مُّسْتَقِيْمًا ﴿٦٨﴾ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ
مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصّٰلِحِيْنَ ۚ وَحَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا ﴿٦٩﴾
ذٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللّٰهِ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ عَلِيْمًا ﴿٧٠﴾

तर्जुमा : "और अगर हम इन पर यह फ़र्ज़ कर देते कि अपनी जानों को क़त्ल कर डालो या अपने घरों से निकल जाओ तो इसे इनमें से बहुत ही कम लोग बजा लाते। और अगर यह वही करें जिसकी इन्हें नसीहत की जाती है तो यक़ीनन यही इनके लिए बेहतर हो और बहुत ज़्यादा मज़बूती वाला हो। (66) और तब तो इन्हें हम अपने पास से बड़ा सवाब दें। (67) और यक़ीनन इन्हें राहे-रास्त दिखा दें। (68) और जो भी अल्लाह तआला की और रसूलुल्लाह (ﷺ) की फ़र्मांबरदारी करे वह उन लोगों के साथ होगा जिन पर अल्लाह तआला ने इन्आम किया है। जैसे नबी और सिद्दीक़ और शहीद और सालेहीन लोग, यह बेहतरीन रफ़ीक़ हैं। (69) यह फ़ज़्ल अल्लाह तआला की तरफ़ से है, और अल्लाह तआला काफ़ी है जानने वाला।" (70)

कुफ़्फ़ार की फ़ितरत (आयत 66-70) : अल्लाह तआला ख़बर देता है कि अकसर लोग ऐसे हैं कि अगर इन्हें उन मना कर्दा कामों का भी हुक्म दिया जाता जिन्हें यह इस वक़्त कर रहे हैं तो यह उन कामों को भी न करते। इसलिए कि इनकी ज़लील तबीयतें हुक्मे-इलाही की मुख़ालिफ़ पर ही बनाई गई हैं। पस यहाँ अल्लाह तआला ने अपने उस इल्म की ख़बर दी है जो हुआ नहीं लेकिन होता तो किस तरह होता? इस आयत को सुनकर एक बुजुर्ग ने फ़र्माया था अगर अल्लाह तआला हमें यह हुक्म देता तो यक़ीनन हम कर गुज़रते लेकिन उसका शुक्र है कि उसने हमें इससे बचा लिया। जब आँहज़रत (ﷺ) को यह बात पहुँची तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, "बेशक मेरी उम्मत में ऐसे-ऐसे लोग भी हैं जिनके दिलों में ईमान मज़बूत पहाड़ों से भी ज़्यादा गड़ा हुआ और साबित है।" (इब्ने अबी हातिम) (तब्री : 9926; अन अबी इस्हाक़; यह रिवायत मुर्सल ज़ईफ़ है।) इस रिवायत की दूसरी सनद में है कि कई एक सहाबा (रज़ि.) ने यह फ़र्माया था। सुद्दी (रह.) का क़ौल है कि एक यहूदी ने हज़रत साबित बिन क़ैस बिन शिमास (रज़ि.) से फ़ख़्रिया कहा कि अल्लाह तआला ने हम पर ख़ुद हमारा क़त्ल फ़र्ज़ किया तो हम वह भी कर गुज़रे। इस पर हज़रत साबित (रज़ि.) ने फ़र्माया, अल्लाह की क़सम! अगर हम पर यह फ़र्ज़ होता तो हम भी कर गुज़रते। इस पर यह आयत उतरी। और रिवायत में है कि जब यह आयत उतरी तो आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया, "अगर यह हुक्म होता तो उसके बजा लाने वालों में एक इब्ने उम्मे अब्द भी होते" (इब्ने अबी हातिम) (यह रिवायत मुर्सल ज़ईफ़ है और इसकी सनद में मुस्अब बिन साबित ज़ईफ़ रावी है। (अल्मीज़ान : 4/118; रक़म : 8558) और रिवायत में है कि आप (ﷺ) ने इस आयत को पढ़कर हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा (रज़ि.) की तरफ़ हाथ से इशारा करके फ़र्माया कि "यह भी इस पर अमल करने वालों मे से एक हैं।" (यह रिवायत मुर्सल ज़ईफ़ है और इसकी सनद में इस्माईल बिन अयाश है उसकी ग़ैर शामियों से रिवायत ज़ईफ़ होती है। (अल्मीज़ान : 1/243)

अल्लाह तआला की इताअत का इन्आम : फिर फ़र्माता है कि अगर यह लोग हमारे हुक्म बजा लाते और हमारी मना कर्दा चीज़ों और कामों से रुक जाते तो यह उनके हक़ में उससे बेहतर होता कि वह हुक्म की मुख़ालिफ़त करें और मुमानिअत में मुब्तला हों, और यही ज़्यादा सच्चाई वाला होता, उस वक़्त हम इन्हें जन्नत अता फ़र्माते और दुनिया और आख़िरत की बेहतर राह की रहनुमाई करते। फिर फ़र्माता है जो शख़्स अल्लाह व रसूलुल्लाह (ﷺ) के अहकाम पर अमल करे और मनाकर्दा कामों से दूर रहे, उसे अल्लाह तआला इज़्ज़त के घर में ले जाएगा और नबियों का रफ़ीक़ बनाएगा और सिद्दीक़ों का जो मर्तबे में नबियों के बाद हैं, फिर शहीदों का फिर तमाम मोमिनों का जिन्हें सालेह कहा जाता है जिनका ज़ाहिर बातिन आरास्ता है। ख़्याल तो करो यह कैसे पाकीज़ा और बेहतरीन रफ़ीक़ हैं। सहीह बुख़ारी शरीफ़ में है हज़रत आइशा (रज़ि.) फ़र्माती हैं "मैंने नबी अकरम (ﷺ) से सुना था कि "हर नबी को उसके मर्ज़ के ज़माने में दुनिया में रहने और आख़िरत में जाने का इख़्तियार दिया जाता है।" जब हुज़ूरे अकरम (ﷺ) बीमार पड़े जिससे आप (ﷺ) न उठे तो आपकी आवाज़ बहुत बैठ गई थी लेकिन मैंने सुना कि आप (ﷺ) फ़र्मा रहे हैं "उनका साथ जिन पर अल्लाह तआला ने इन्आम किया है जो नबी हैं, सिद्दीक़ हैं, शहीद हैं और नेकोकार हैं।" मैंने मालूम कर लिया कि अब आप (ﷺ) को इख़्तियार दिया गया है। (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर, बाब (फ़उलाइका मअल्लज़ीन...)

: 4586; सहीह मुस्लिम : 2444; इब्ने माजा : 1620) यही मतलब है जो दूसरी हदीस में आप (ﷺ) के यह अल्फ़ाज़ वारिद हुए हैं कि "ऐ अल्लाह! मैं बुलंद व बाला रफ़ीक़ तलब करता हूँ।" तीन बार यह कलिमा आप (ﷺ) ने ज़ुबाने मुबारक से इर्शाद फ़र्माये, फिर फ़ौत हो गए।" (सहीह बुख़ारी, किताबुल मग़ाज़ी, बाब आख़र मा तकल्लमा बिहिन् नबी (ﷺ) : 4463; सहीह मुस्लिम : 2444) अलैहि अफ़ज़लुस्सलातु वत्तस्लीम!

इब्ने जरीर में है कि एक अंसारी हुज़ूरे अकरम (ﷺ) के पास आए। आप (ﷺ) ने देखा कि वह सख़्त ग़मगीन हैं। सबब पूछा तो जवाब मिला कि हुज़ूर (ﷺ)! यहाँ तो सुबह शाम हम लोग आप (ﷺ) की ख़िदमत में आ बैठते हैं, दीदार भी हो जाता है और दो घड़ी सुहबत भी मयस्सर हो जाती है लेकिन कल क़यामत के दिन तो आप (ﷺ) नबियों की आला मज्लिस में होंगे तो हम आप (ﷺ) तक पहुँच भी न सकेंगे। हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने कुछ जवाब न दिया, इस पर हज़रत जिब्राईल (عليه السلام) यह आयत लाए, आँहज़रत (ﷺ) ने आदमी भेजकर उन्हें यह ख़ुशख़बरी सुना दी। (यह रिवायत मुर्सल ज़ईफ़ है।) यही असर मुर्सल सनद से भी मरवी है जो सनद बहुत ही अच्छी है। हज़रत रबीअ (रह.) फ़र्माते हैं सहाबा (रज़ि.) से रसूलुल्लाह (ﷺ) ने कहा कि यह ज़ाहिर है कि हुज़ूरे अकरम (ﷺ) का दर्जा आप (ﷺ) पर ईमान लाने वालों से यक़ीनन बहुत ही बड़ा है पस जबकि जन्नत में यह सब जमा होंगे तो आपस में एक दूसरे को कैसे देखेंगे और कैसे मिलेंगे। पस यह आयत उतरी और हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, "ऊपर के दर्जे वाले नीचे वालों के पास उतर आयेंगे और नाज़ व नअम से हर वक़्त रहेंगे।" (यह रिवायत मुर्सल ज़ईफ़ है।) इब्ने मर्दवे में है कि एक शख़्स हुज़ूरे अकरम (ﷺ) के पास आए और कहने लगे, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैं आपको अपनी जान से अपने अहलो-अयाल से और अपने बच्चों से भी ज़्यादा महबूब रखता हूँ, मैं घर में होता हूँ लेकिन शौक़े ज़ियारत मुझे बेक़रार कर देता है, सब्र नहीं होता, दौड़ता भागता आता हूँ और दीदार करके चला जाता हूँ लेकिन जब मुझे आप (ﷺ) की और अपनी मौत याद आती है और इसका यक़ीन है कि आप (ﷺ) जन्नत में नबियों के साथ बड़े-ऊँचे दर्जे में होंगे तो डर लगता है कि फिर मैं हुज़ूरे अकरम (ﷺ) के दीदार से महरूम हो जाऊँगा। आप (ﷺ) ने तो कोई जवाब न दिया लेकिन यह आयत नाज़िल हुई। (इब्ने मर्दवे, यह रिवायत शवाहिद के साथ हसन है।) इस रिवायत के और भी तरीक़ हैं।

सहीह मुस्लिम शरीफ़ में रबीआ बिन कअब असलमी (रज़ि.) फ़र्माते हैं मैं रात को हुज़ूरे अकरम (ﷺ) की ख़िदमत में रहता और पानी वग़ैरह ला दिया करता था। एक बार आप (ﷺ) ने मुझसे फ़र्माया, "कुछ मांग।" मैंने कहा, जन्नत में आपकी रिफ़ाक़त मांगता हूँ।" फ़र्माया, "इसके सिवा और।" मैंने कहा, वह भी यही। फ़र्माया, "पस मेरी मदद कर तू ख़ुद भी ब कसरत सज्दे किया कर।" (सहीह मुस्लिम, किताबुस्सलात, बाब फ़ज़्लस्सुजूद : 489) मुस्नद अहमद में है एक शख़्स ने आँहज़रत (ﷺ) से कहा, मैं अल्लाह तआला के बे शरीक होने की और आप (ﷺ) के रसूल होने की गवाही देता हूँ, पाँचों वक़्त की नमाज़ें पढ़ता हूँ, अपने माल की ज़कात देता हूँ और रमज़ान के रोज़े रखता हूँ। तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, "जो मरते दम तक इसी पर रहेगा वह क़यामत के दिन नबियों, सिद्दीक़ों, शहीदों के साथ इस तरह होगा" फिर आप

(ﷺ) ने अपनी दो ऊँगलियाँ उठाकर इशारा करके बतलाया "लेकिन शर्त यह है कि माँ बाप का नाफ़र्मान न हो।" (वसनदुहू ज़ईफ़ुन) मुस्नद अहमद में है "जिस ने अल्लाह तआला की राह में एक हज़ार आयतें पढ़ीं वह इंशाअल्लाह तआला! क़यामत के दिन नबियों, सिद्दीक़ों, शहीदों और सालिहों के साथ लिखा जाएगा।" (मुस्नद अहमद : 3/437; वसनदुहू ज़ईफ़) तिर्मिज़ी में है "सच्चा अमानतदार ताजिर नबियों, सिद्दीक़ों, शहीदों के साथ होगा।" (तिर्मिज़ी, किताबुल बुयूअ, बाब मा जाअ फ़ित्तिजारि : 1209; वसनदुहू ज़ईफ़; अबू हम्ज़ा मैमून रावी ज़ईफ़ है।) इन सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त बशारत इस हदीस में है जो सिहाह और मसानीद वग़ैरह में सहाबा किराम (रज़ि.) की एक ज़बरदस्त जमाअत से बतवातुर मरवी है कि नबी अकरम (ﷺ) से उस शख़्स के बारे में पूछा गया जो एक क़ौम से मुहब्बत रखता था। (सहीह बुख़ारी, किताब फ़ज़ाइले अस्हाबिन् नबी (ﷺ), बाब मनाक़िबे उमर (रज़ि.) : 3688; सहीह मुस्लिम : 2639) हज़रत अनस (रज़ि.) फ़र्माते हैं, मुसलमान जिस क़द्र इस हदीस से ख़ुश हुए उतना किसी और चीज़ से ख़ुश नहीं हुए। हज़रत अनस (रज़ि.) फ़र्माते हैं, अल्लाह की क़सम! मेरी मुहब्बत तो आँहज़रत (ﷺ) से है और हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) से है और उमर (रज़ि.) से है तो मुझे उम्मीद है कि अल्लाह तआला मुझे भी उन ही के साथ उठाएगा गो (भले) मेरे आमाल उन जैसे नहीं। (सहीह बुख़ारी, किताबु फ़ज़ाइलु अस्हाबिन नबी (ﷺ), बाब मनाक़िबे उमर (रज़ि.) : 3688; सहीह मुस्लिम : 2639) (या अल्लाह तआला! तू हमारे दिल में भी अपने नबी अकरम (ﷺ) और उनके चाहने वालों की मुहब्बत से भर दे और हमारा हश्र भी उन ही के साथ कर दे, आमीन।)

रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़र्माते हैं "जन्नती लोग अपने से बुलंद दर्जा वाले जन्नतियों को उनके बालाख़ानों में इस तरह देखेंगे जैसे तुम किसी चमकीले सितारे को जो मश्रिक़ या मग़रिब में हो, देखते हो, उनमें बहुत कुछ फ़ासला होगा।" सहाबा (रज़ि.) ने कहा, यह मंज़िलें तो अम्बिया-ए-किराम (عليهم السلام) के लिए ही मख़्सूस होंगी, कि कोई और तो वहाँ तक कैसे पहुँच सकता है। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, "क्यूँ नहीं! उसकी क़सम जिसके हाथ में मेरी जान है उन मंज़िलों तक वह भी पहुँचेंगे जो अल्लाह तआला पर ईमान लाए और रसूलों को सच्चा जाना और माना।" (सहीह बुख़ारी, किताब बदउल ख़ल्क़, बाब मा जाअ फ़ी सिफ़तिल जन्नति : 3256; सहीह मुस्लिम : 2831)

एक हब्शी हुज़ूरे अकरम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर होता है, आप (ﷺ) फ़र्माते हैं "पूछो और समझो" वह कहता है या रसूलल्लाह (ﷺ)! आप लोगों को सूरत में रंग में नबुव्वत में अल्लाह तआला ने हम पर फ़ज़ीलत दे रखी है, क्या अगर मैं उस चीज़ पर ईमान लाऊँ जिस पर आप (ﷺ) ईमान लाए हैं और उन अहकाम को बजा लाऊँ जिन्हें आप (ﷺ) बजा ला रहे हैं, तो क्या जन्नत में आप (ﷺ) का साथ मिलेगा? हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, "हाँ! उस अल्लाह तआला की क़सम! जिसके हाथ में मेरी जान है जन्नती हब्शी तो ऐसा गोरा चिट्टा हो कर जन्नत में जाएगा कि उसका बदन एक हज़ार बरस के फ़ासले से ही नूरानियत के साथ जगमगाता हुआ नज़र आएगा। फिर फ़र्माया (**ला इलाहा इल्लल्लाहु**) कहने वाले के लिए अल्लाह तआला के पास अहदो वादा है और (**सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही**) कहने वाले के लिए एक लाख चौबीस हज़ार नेकियाँ लिखी जाती हैं।" इस पर एक और साहब ने कहा, हुज़ूर (ﷺ)! जब यह है तो फिर हम

कैसे हलाक हो सकते हैं? तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि, "एक इंसान क़यामत के दिन इस क़द्र आमाल लेकर आएगा कि अगर किसी पहाड़ पर रखे जाएँ तो उस पर भी बोझल हो जाएँ, लेकिन एक नेअ़मत जो खड़ी होगी तो महज़ उसके शुक्रिया में ही यह आमाल कम नज़र आएंगे, हाँ! यह और बात है कि अल्लाह तआ़ला अपनी रह़मते कामिला से उसे ढाँक ले और जन्नत दे दे" और यह आयतें उतरीं (هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ) से (وَّمُلْكًا) (كَبِيْرًا) (76/दहर : 1-20) तक। तो ह़ब्शी स़हाबी कहने लगे, या रसूलल्लाह (ﷺ)! क्या जन्नत में जिन-जिन चीज़ों को आप (ﷺ) की आँखें देखेंगी, मेरी आँखें भी देख सकेंगी। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, "हाँ। इस पर वह रोये और इस क़द्र रोये कि उसी में फ़ौत हो गए।" ह़ज़रत इब्ने उ़मर (रज़ि.) फ़र्माते हैं, मैंने देखा कि उनकी नअ़शे मुबारक को ख़ुद रसूलुल्ल्लाह (ﷺ) क़ब्र में उतार रहे थे। (त़बरानी फ़िल कबीर : 13595; वसनदुहू ज़ईफ़) यह रिवायत ग़रीब है और इसमें नकारत भी है और इसकी सनद भी ज़ईफ़ है। फिर फ़र्माता है यह ख़ास़ अल्लाह तआ़ला की इनायत और उसका फ़ज़्ल है, उसकी रह़मत से ही यह उसके क़ाबिल हुए न कि अपने आ़माल से, अल्लाह तआ़ला ख़ूब जानने वाला है, उसे बख़ूबी मालूम है कि मुस्तह़िक़े हिदायत व तौफ़ीक़कौन है।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا خُذُوْا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوْا ثُبَاتٍ اَوِ انْفِرُوْا جَمِيْعًا ﴿٧١﴾ وَاِنَّ
مِنْكُمْ لَمَنْ لَّيُبَطِّئَنَّ ۚ فَاِنْ اَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةٌ قَالَ قَدْ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيَّ اِذْ لَمْ
اَكُنْ مَّعَهُمْ شَهِيْدًا ﴿٧٢﴾ وَلَئِنْ اَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللّٰهِ لَيَقُوْلَنَّ كَاَنْ لَّمْ تَكُنْۢ
بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهٗ مَوَدَّةٌ يّٰلَيْتَنِيْ كُنْتُ مَعَهُمْ فَاَفُوْزَ فَوْزًا عَظِيْمًا ﴿٧٣﴾ فَلْيُقَاتِلْ فِيْ
سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يَشْرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ ۭ وَمَنْ يُّقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ
اللّٰهِ فَيُقْتَلْ اَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿٧٤﴾

तर्जुमा : "ऐ मुसलमानों ! अपने हथियार लिए रहो फिर गिरोह-गिरोह बनकर कूच करो या सबके सब एक साथ निकल खड़े हो। (71) और यक़ीनन तुममें से कुछ वह भी हैं जो पसो-पेश करते हैं फिर अगर तुम्हें कोई नुक़्स़ान होता है तो कहते हैं अल्लाह तआ़ला ने मुझ पर बड़ा फ़ज़्ल किया कि मैं इनके साथ मौजूद न था।(72) और अगर तुम्हें अल्लाह तआ़ला का कोई फ़ज़्ल मिल जाए तो इस त़रह कि गोया तुम में उन में दोस्ती थी ही नहीं, कहते हैं,

काश! मैं भी इनके साथ होता तो बड़ी कामयाबी को पहुँचता। (73) पस जो लोग दुनिया की ज़िन्दगी को आख़िरत पर क़ुर्बान करने वाले हैं उन्हें अल्लाह तआला की राह में जिहाद करना चाहिए जो शख़्स राहे बारी तआला में जिहाद करते हुए शहादत पा ले या ग़ालिब आ जाए, यक़ीनन हम उसे बहुत बड़ा सवाब इनायत फ़र्माएँगे।'' (74)

काफ़िरों से क़िताल के लिए आलाते हर्ब तैयार रखने का हुक्म (आयत 71-74) : अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुसलमानों को हुक्म देता है कि वह हर वक़्त अपने बचाव के अस्बाब मुहय्या रखें हर वक़्त हथियार बन्द रहें ताकि दुश्मन उन पर बाआसानी कामयाब न हो जाए। ज़रूरत के हथियार तैयार रखें, अपनी तादाद बढ़ाते रहें, क़ुव्वत मज़बूत करते रहें, बाक़ायदा मरदानावार जिहाद के लिए एक आवाज़ में उठ खड़े हों, छोटे-छोटे लश्करों में बटकर या बड़ी पूरी फ़ौज की सूरत में जैसा मौक़ा हो आवाज़ आते ही कूच बोल दें। यह मुनाफ़िक़ीन की ख़स्लत है कि ख़ुद भी अल्लाह की राह से जी चुराएँ और दूसरों को ढीला करें। जैसे अब्दुल्लाह बिन उबय बिन सलूल सरदारे मुनाफ़िक़ीन का काम था, अल्लाह तआला उसे रुस्वा करे। उनकी हालत यह है कि अगर हिक्मते रब्बानी से मुसलमानों को दुश्मनों के मुक़ाबले में कामयाबी न हुई, दुश्मन उन पर छा गया, उन्हें नुक़्सान पहुँचा, उनके आदमी शहीद हुए, तो यह घर बैठा फूलता है और अपनी दानाई पर अकड़ता है, और अपना उस जिहाद में शरीक न होना अपने हक़ में अल्लाह तआला का इन्आम समझता है लेकिन बेख़बर यह नहीं समझता कि जो अज्रो सवाब उन मुजाहिदीन को मिला उस सबसे यह बदनसीब एक लख़्त महरूम रहा। अगर यह होता तो यह भी ग़ाज़ी का दर्जा पाता और अपने सब्र के सवाब समेटता, या शहादत के बुलंद मर्तबे तक पहुँच जाता। और अगर मुसलमान मुजाहिदीन को अल्लाह तआला का फ़ज़्ल मिल गया यानी यह दुश्मनों पर ग़ालिब आ गए, उनकी फ़तह हुई, दुश्मनों को इन्होंने पामाल किया और माले ग़नीमत लौण्डी गुलाम लेकर ख़ैरो-आफ़ियत, ज़फ़र व नुसरत के साथ लौटे तो अब यह अंगारों पर लौटता है और ऐसे लम्बे-लम्बे सांस लेकर हाय-वाय करता है और इस तरह पछताता है और ऐसे कलिमात ज़ुबान से निकालता है गोया यह कभी तुम्हारा था ही नहीं, गोया इसका दीन ही और है। कहता है हाय हाय मैं इनके साथ न हुआ, वरना मुझे भी हिस्सा मिलता। लौण्डी गुलाम वाला माल मताअ वाला बन जाता। अल्ग़र्ज़ दुनिया ही पर रीझा हुआ और उसी पर मिटा हुआ है। पस अल्लाह तआला की राह में निकल खड़े होने वाले मोमिनों को चाहिए कि उनसे जिहाद करें जो अपने दीन को दुनिया के बदले बेचते रहे हैं, अपने कुफ़्र और अदमे ईमान के सबब अपनी आख़िरत को बर्बाद करके दुनिया बनाते हैं। सुनो! अल्लाह की राह का मुजाहिद कभी नुक़्सान नहीं उठाता, उसके दोनों हाथों में लड्डू हैं। क़त्ल किया गया तो अज्र मौजूद, ग़ालिब रहा तो सवाब हाज़िर। बुख़ारी व मुस्लिम में है कि ''अल्लाह तआला की राह के मुजाहिद का ज़ामिन ख़ुद अल्लाह तआला ही है, या तो उसे फ़ौत करके जन्नत में पहुँचाएगा या जिस जगह से वह चला है वहीं अज्रो ग़नीमत के साथ सहीह सालिम वापिस लाएगा।'' (सहीह बुख़ारी, किताब फ़र्ज़ुल ख़म्स, बाब क़ौलुन्नबी (ﷺ) उहिल्लत लकुमुल ग़नाइम : 3123; सहीह मुस्लिम : 1876; नसाई : 3124) फ़ल्हम्दु लिल्लाह!

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَآءِ
وَ الْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَاۤ اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا ۚ
وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا ۚۙ وَّاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا ﴿۷۵﴾ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ
فَقَاتِلُوْۤا اَوْلِيَآءَ الشَّيْطٰنِ ۚ اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطٰنِ كَانَ ضَعِيْفًا ﴿۷۶﴾

तर्जुमा : ''भला क्या वजह है कि तुम अल्लह की राह में और उन नातवानों के छुटकारे के लिए जिहाद न करो? जो मर्द औरतें और नन्हें-नन्हें बच्चे यूँ दुआएँ मांग रहे हैं कि ऐ हमारे परवरदिगार! इन ज़ालिमों की बस्ती से हमें नजात दे, और हमारे लिए ख़ुद अपने पास से हिमायती और कारसाज़ मुक़र्रर कर दे और हमारे लिए ख़ास अपने पास से मददगार बना। (75) जो लोग ईमान लाए हैं वह तो अल्लाह तआला की राह में जिहाद करते हैं और जिन लोगों ने कुफ़्र किया है वह अल्लाह तआला के सिवा औरों की राह मे लड़ते हैं पस तुम शैतान के दोस्तों से जंग करो, यक़ीन मानो कि शैतानी हीला बिलकुल बूदा और सख़्त कमज़ोर है।'' (76)

मज़्लूम मुसलमानों की मदद के लिए जिहाद फ़र्ज़ है (आयत 75-76) :अल्लाह तआला मोमिनों को अपनी राह के जिहाद की रग़बत दिलाता है और फ़र्माता है कि वह कमज़ोर, बेबस लोग जो मक्का में है जिनमें औरतें और बच्चे भी हैं, जो वहाँ के क़याम से उकता गए हैं, जिन पर कुफ़्फ़ार नित नई आफ़तें तोड़ रहे हैं जो महज़ बे बाल व पर हैं, उन्हें आज़ाद कराओ, जो बेकस दुआएँ माँग रहे हैं कि उस बस्ती यानी मक्का से हमारा निकलना मुम्किन हो। मक्का शरीफ़ को इस आयत में भी क़रया कहा गया है (وَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ هِيَ اَشَدُّ قُوَّةً مِّنْ قَرْيَتِكَ الَّتِيْۤ اَخْرَجَتْكَ) (47/मुहम्मद : 13) यानी बहुत सी बस्तियाँ इस बस्ती से कहीं ज़्यादा ताक़त व कुव्वत वाली थीं जिस बस्ती से यानी बस्ती वालों ने तुझे निकाला। मक्का के रहने वाले काफ़िरों के ज़ुल्म की शिकायत कर रहे हैं और साथ ही अपनी दुआओं में कहते हैं कि ऐ रब! हमारा वली और मददगार अपने पास से मुक़र्रर कर। सहीह बुख़ारी में है हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) फ़र्माते हैं, मैं और मेरी वालिदा भी उन्हीं कमज़ोरों में थे। (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर, बाब (**वमा लकुम ला तुक़ातिलून...**) : 4587) और रिवायत में है कि आपने (**इल्लल मुस्तज़अफ़ी-न मिनर्रिजालि वन्निसाइ वल् विल्दानि**) पढ़कर फ़र्माया, मैं और मेरी वालिदा साहिबा भी उन्हीं लोगों में हैं जिन्हें अल्लाह तआला ने माज़ूर रखा है। (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर, बाब (**वमा लकुम ला तुक़ातिलून...**) : 4588)

फिर फ़र्माता है ईमानवालों अल्लाह तआला की फ़र्माबरदारी के और उसकी रज़ामंदी के मातहत जिहाद करते हैं और कुफ़्फ़ार इत्ताअते शैतान में लड़ते हैं तो मुसलमानों को चाहिए कि शैतान के दोस्तों से जो अल्लाह तआला के दुश्मन हैं, दिल खोलकर जंग करें, और यक़ीन मानें की शैतान के हथकण्डे, उसके मकर व फ़रेब सब नक़्श बर आब हैं। (पानी पर लकीर के बराबर है)

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ قِيْلَ لَهُمْ كُفُّوْٓا اَيْدِيَكُمْ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ۚ
فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللّٰهِ اَوْ
اَشَدَّ خَشْيَةً ۚ وَقَالُوْا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ ۚ لَوْلَآ اَخَّرْتَنَآ اِلٰٓى اَجَلٍ
قَرِيْبٍ ؕ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيْلٌ ۚ وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقٰى ۫ وَلَا تُظْلَمُوْنَ
فَتِيْلًا ﴿۷۷﴾ اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يُدْرِكْكُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِيْ بُرُوْجٍ مُّشَيَّدَةٍ ؕ
وَاِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَّقُوْلُوْا هٰذِهٖ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۚ وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ
يَّقُوْلُوْا هٰذِهٖ مِنْ عِنْدِكَ ؕ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ؕ فَمَالِ هٰٓؤُلَآءِ الْقَوْمِ لَا
يَكَادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ حَدِيْثًا ﴿۷۸﴾ مَآ اَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ ۫ وَمَآ اَصَابَكَ
مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَّفْسِكَ ؕ وَاَرْسَلْنٰكَ لِلنَّاسِ رَسُوْلًا ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ﴿۷۹﴾

तर्जुमा : "क्या तुमने उन्हें नहीं देखा जिन्हें हुक्म किया गया था कि अपने हाथों को रोके रखो और नमाज़ें पढ़ते रहो और ज़कात अदा करते रहो। फिर जब उन लोगों को जिहाद का हुक्म दिया गया उसी वक़्त उनकी एक जमाअत लोगों से इस क़द्र डरने लगी जैसे अल्लाह तआला का डर हो बल्कि उससे भी ज़्यादा। और कहने लगे, ऐ हमारे रब! तूने हम पर जिहाद क्यूँ फ़र्ज़ कर दिया? क्यूँ हमें थोड़ी सी ज़िन्दगी और न जीने दी। तू कह दे कि दुनिया की सूदमंदी तो बहुत ही कम है और परहेज़गारों के लिए तो आख़िरत ही बेहतर है। तुम पर एक धागे के

बराबर भी सितम रवा न रखा जाएगा। (77) तुम जहाँ कहीं भी हो मौत तुम्हें आ पकड़ेगी गो तुम मज़बूत ख़म्बों में हो। इन्हें अगर कोई भलाई मिलती है तो कहते हैं कि यह अल्लाह तआला की तरफ़ से है और अगर कोई इन्हें बुराई पहुँचती है तो कह उठते हैं कि यह तेरी तरफ़ से है। इन्हें कह दो कि सब कुछ अल्लाह तआला की तरफ़ से है। इन्हें क्या हो गया है कि एक बात समझने के भी क़रीब नहीं। (78) तुझे जो भलाई मिलती है वह अल्लाह तआला की तरफ़ से है और जो बुराई पहुँचती है वह तेरे अपने नफ़्स की तरफ़ से है। हमने तुझे तमाम लोगों को पैग़ाम पहुँचाने वाला बनाकर भेजा है। और अल्लाह तआला शहादत (गवाही) के लिए काफ़ी है।''(79)

जिहाद से जी न चुराओ (आयत 77-79) : वाक़िया बयान हो रहा है कि इस्लाम के शुरू में जबकि मुसलमान मक्का-मुकर्रमा में थे, कमज़ोर थे, कम थे, हुर्मत वाले शहर में थे, कुफ़्फ़ार का ग़लबा था, यह उन ही के शहर में थे, वह बकसरत थे, जंगी अस्बाब में हर तरह फ़ोक़ियत रखते थे, उनकी मुख़ालिफ़त बर्दाश्त करें, उनके ज़ुल्मो-सितम सह लिया करें , जो अह्काम रब के नाज़िल हो चुके हैं उन पर आमिल रहें, नमाज़ें अदा करते रहें, ज़कात देते रहा करें। गो उनमें उमूमन माल की ज़्यादती भी न थी लेकिन ताहम मिस्कीनों और मुहताजों के काम आने का और उनकी हमदर्दी करने का उन्हें हुक्म दिया गया था। अल्लाह की मस्लिहत का इक़्तिज़ा यह था कि सरेदस्त यह कुफ़्फ़ार से न लड़ें बल्कि सब्र व सिहार से काम लें। इधर काफ़िर बड़ी दिलेरी से उन पर सितम के पहाड़ तोड़ रहे थे, हर छोटे बड़े को सख़्त से सख़्त सज़ाएँ दे रहे थे मुसलमानों के नाक में दम कर रखा था इसलिए उनके दिल में रह-रहकर जोश उठता था और ज़ुबान से अल्फ़ाज़ निकल जाते थे कि इन रोज़मर्रा की मुसीबतों से तो यही बेहतर है कि एक मर्तबा दिल की भड़ास निकल जाए, दो-दो हाथ मैदान में हो लें, काश! कि अल्लाह तआला हमें जिहाद का हुक्म दे दे, लेकिन अब तक हुक्म न हुआ। जब उन्हें हिज्रत की इजाज़त मिली और मुसलमान अपनी ज़मीन, ज़र रिश्ता, कुंबा अल्लाह तआला पर क़ुर्बान करके अपना दीन लेकर मक्का-मुकर्रमा से भाग खड़े हुए, मदीना तय्यिबा पहुँचे यहाँ उन्हें अल्लाह ने हर तरह की सहूलत दी, अमन की जगह दी, इम्दाद के लिए अंसारे मदीना मिल गए, तादाद में कसरत हो गई, क़ुव्वत व ताक़त क़द्रे बढ़ गई तो अब अल्लाह तआला की तरफ़ से इजाज़त मिली कि यहाँ अपने लड़ने वालों से लड़ो। जिहाद का हुक्म उतरते ही कुछ लोग सटपटाए ख़ौफ़ज़दा हुए, जिहाद का तसव्वुर करके मैदान में क़त्ल किए जाने का मंज़र औरतों के बेवा का ख़याल, बच्चों की यतीमी का मंज़र आँखों के सामने आ गया। घबराहट में कह उठे कि ऐ अल्लाह! अभी से जिहाद क्यूँ फ़र्ज़ कर दिया, कुछ तो मुहलत दी होती।

इसी मज़्मून को दूसरी आयतों में इस तरह बयान किया है। (وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُوْرَةٌ) (47/मुहम्मद : 20) मुख़्तसर मतलब यह है कि ईमानदार कहते हैं कोई सूरत क्यूँ नाज़िल नहीं की जाती। जब कोई सूरत उतारी जाती है और उसमें जिहाद का ज़िक्र होता है तो बीमार दिल लोग चीख़ उठते हैं और टेढ़े तेवरों से तुझे घूरते हैं और मौत की ग़शी वालों की तरह अपनी आँखें बंद कर लेते हैं, उन पर अफ़सोस है।

हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ (रज़ि.) और आपके साथी मक्का में रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास आते हैं और कहते हैं, ऐ नबी (ﷺ)! हम कुफ़्र की हालत में ज़ी इज़्ज़त थे, आज इस्लाम की हालत में ज़लील समझे जाने लगे (मतलब यह था कि आप (ﷺ) की हुक्म बरदारी ज़रूरी है और आप (ﷺ) मुक़ाबला से मना करते हैं जिससे कुफ़्फ़ार की जुर्अत बढ़ गई है और वह हमें ज़लील करने लगे हैं तो आप (ﷺ) हमें मुक़ाबला की इजाज़त क्यूँ नहीं देते लेकिन आप (ﷺ) ने जवाब दिया मुझे अल्लाह तआला का हुक्म यही है कि हम दरगुज़र करें। ख़बरदार! काफ़िरों से जंग न करना। फिर जब मदीना की हिज्रत हुई और यहाँ जिहाद के अहकाम नाज़िल हुए तो लोग रुकने लगे, इस पर यह आयत उतरी। (नसाई, हाकिम, इब्ने मर्दवे) (नसाई, किताबुल जिहाद, बाब वजुबुल जिहाद : 3088; वसनदुहू सहीह)

सुद्दी (रह.) फ़र्माते हैं सिर्फ़ सलात व ज़कात का हुक्म ही था तो तमन्नाएँ करते थे कि जिहाद फ़र्ज़ हो, जब फ़रीज़-ए-जिहाद नाज़िल हुआ तो कमज़ोर दिल लोग इंसानों से ऐसा डरने लगे जैसे अल्लाह तआला से डरना चाहिए बल्कि उससे भी ज़्यादा और कहने लगे, ऐ रब! तूने हम पर जिहाद क्यूँ फ़र्ज़ कर दिया, क्यूँ हमें अपनी मौत के सहीह वक़्त तक फ़ायदा न उठाने दिया। उन्हें जवाब मिलता है कि दुनिया की ज़िन्दगी का नफ़ा बिलकुल फ़ालतू और साथ ही बहुत ही कम है, हाँ! आख़िरत मुत्तक़ियो के लिए दुनिया से बहुत ही बेहतर और पाकीज़ा है।

हज़रत मुजाहिद (रह.) फ़र्माते हैं यह आयत यहूदियों के बारे में उतरी है। जवाबन कहा गया कि परहेज़गारों का अंजाम आग़ाज़ से बहुत ही अच्छा है, तुम्हें तुम्हारे आमाल पूरे-पूरे दिए जाएँगे, कामिल अज्र मिलेगा, एक नेक अमल भी ग़ारत न किया जाएगा नामुम्किन है कि एक बाल बराबर ज़ुल्म अल्लाह तआला की तरफ़ से किसी पर किया जाए। इस जुम्ले में उन्हें दुनिया से बेरग़बती दिलाई जा रही है और आख़िरत की तरफ़ तवज्जह दिलाई जा रही है और जिहाद की रग़बत दी जा रही है।

हज़रत हसन (रह.) फ़र्माते हैं अल्लाह तआला उस बन्दे पर रहम करे जो दुनिया के साथ ऐसा ही रहे, सारी दुनिया अव्वल से आख़िर तक इस तरह है जैसे कोई सोया हुआ शख़्स अपने ख़्वाब में अपनी पसंदीदा चीज़ को देखे लेकिन आँख खुलते ही मालूम हो जाता है कि कुछ न था। अबू मिस्हर (रह.) का यह कलाम कितना प्यारा है :-

ولا خیر فی الدنیا لمن لم یکن له　　　من الله فی دار المقام نصیب

فان تعجب الدنیا رجالا فانها　　　متاع قلیل والزوال قریب

यानी उस शख़्स के लिए दुनिया भलाई से यक्सर ख़ाली है जिसे कल आख़िरत का कोइ हिस्सा मिलने वाला नहीं। गो दुनिया देख देखकर कुछ लोग रीझ रहे हैं लेकिन दरअसल यह यूँ ही सा फ़ायदा है और वह भी बहुत जल्द फ़ना हो जाने वाला है।

फिर इर्शादे बारी तआला है कि आख़िर मौत का मज़ा हर एक को चखना ही है कोई ज़रिया किसी को

उससे बचा नहीं सकता, जैसे फ़र्मान है (كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ) (55/रहमान : 26) जितने यहाँ हैं सब फ़ानी हैं और जगह इर्शाद है (كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ) (3/आले इमरान : 185) हर-हर जानदार को मरना है। फ़र्माता है (وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ) (21/अम्बिया : 34) "तुझसे अगले लोगों में से भी किसी के लिए हमने हमेशगी की ज़िन्दगी मुक़र्रर नहीं की।"

मक़्सद यह है कि ख़्वाह कोई जिहाद करे या न करे, ज़ाते अल्लाह तआला के सिवा मौत का मज़ा तो एक न एक दिन हर किसी को चखना होगा। हर एक का एक वक़्त मुक़र्रर है और हर एक की मौत की जगह भी मुअय्यन है।

हज़रत ख़ालिद बिन वलीद (रज़ि.) उस वक़्त जबकि आप बिस्तरे मर्ग पर हैं, फ़र्माते हैं क़सम अल्लाह की फ़लाँ फ़लाँ जगह ग़र्ज़ बीसयों लड़ाईयों में सैंकड़ों मअरकों में मैं गया, साबित क़दमी पा मर्दी के साथ दिलेराना जिहाद किए और देख लो मेरे जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा न पाओगे जिसे कोई निशान नेज़े या बरछे तीर या भाले का तलवार और हथियार का न हो लेकिन चूँकि मैदाने जंग में मौत न लिखी थी, अब देखो अपने बिस्तरे मर्ग पर अपनी मौत मर रहा हूँ, कहाँ हैं लड़ाई से जी चुराने वाले नामर्द मेरी ज़ात से सबक़ सीखें। **रज़ियल्लाहु अन्हू व अरज़ाहू**

मौत एक अटल हक़ीक़त है : फिर फ़र्माया कि मौत के पंजे से बुलंद व बाला मज़बूत व महफ़ूज़ क़िले और महल भी बचा नहीं सकते। कुछ ने कहा है मुराद इससे आसमान के बुर्ज हैं, लेकिन यह क़ौल ज़ईफ़ है सहीह यही है कि मुराद महफ़ूज़ मक़ामात है यानी कितनी ही हिफ़ाज़त मौत से की जाए लेकिन वह अपने वक़्त से आगे पीछे नहीं हो सकती। ज़ुहैर का शेअर है कि मौत से भागने वाला गो सीढ़ियाँ लगाकर अस्बाबे आसमानी भी जमा कर ले ताहम उसे कोई नफ़ा नहीं पहुँच सकता।

एक क़ौल है। मुशय्यदा तशदीद के साथ और मशयद बग़ैर तशदीद एक ही मानी में हैं और कुछ इन दोनों में फ़र्क़ के क़ाइल हैं। कहते हैं कि अव्वल का मानी मुतव्वल (लाँग) दूसरे का मानी मुज़य्यन यानी चूने से। इब्ने जरीर और इब्ने अबी हातिम में इस मौक़े पर एक लम्बा क़िस्सा बज़ुबाने हज़रत मुजाहिद (रह.) मरवी है। (यह असर इस्राईलियात से है। वल्लाहु आलम) कि अगले ज़माने में एक औरत हामिला थी जब उसे दर्द होने लगे और बच्ची पैदा हुई तो उसने अपने मुलाज़िम से कहा कि जाओ, कहीं से आग ले आओ। वह बाहर निकला तो देखा कि दरवाज़े पर एक शख़्स खड़ा है, पूछता है कि क्या हुआ लड़की या लड़का। उसने कहा, लड़की हुई है। कहा, सुन यह लड़की एक सौ आदमियों से ज़िना कराएगी फिर उसके यहाँ अब जो शख़्स मुलाज़िम है उसी से उसका निकाह होगा और एक मकड़ी उसकी मौत का सबब बनेगी। यह शख़्स यहीं से पलट आया और आते ही एक तेज़ छुरी लेकर उस लड़की के पेट को चीर डाला और उसे मुर्दा समझकर वहाँ से भाग निकला। उसकी माँ ने यह हाल देखकर अपनी बच्ची के पेट में टांके दिए और इलाज मुआलजा शुरू किया जिससे उसका ज़ख़्म भर गया, अब एक ज़माना गुज़र गया, इधर यह लड़की बुलूग़त को पहुँच गई और थी भी अच्छी शक्ल सूरत की, बदचलनी में पड़ गई, इधर वह मुलाज़िम समुन्दर के रास्ते कहीं चला गया,

काम-काज शुरू किया और बहुत रक़म पैदा की, कुल माल समेटकर बहुत मुद्दत बाद यह फिर उसी अपने गाँव में आ गया और एक बुढ़िया औरत को बुलाकर कहा कि मैं निकाह करना चाहता हूँ, गाँव में जो बहुत ख़ूबसूरत औरत हो उससे मेरा निकाह करा दो। यह औरत गई और चूँकि शहर भर में उस लड़की से ज़्यादा ख़ूबसूरत कोई औरत न थी यहीं पैग़ाम डाला, मंज़ूर हो गया, निकाह भी हो गया और विदाइ होकर यह उसके य हाँ आ भी गई, दोनों मियाँ बीवी में बहुत मुहब्बत हो गई।

एक दिन बातों-बातों में उस औरत ने उससे पूछा, आख़िर आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, यहाँ कैसे आ गए वग़ैरह। उसने अपना तमाम माजरा बयान कर दिया कि मैं यहाँ एक औरत के यहाँ मुलाज़िम था, वहाँ से उसकी लड़की के साथ यह हरकत करके भाग गया था, अब इतने बरसों के बाद यहाँ आया हूँ, तो उस लड़की ने कहा, जिसका पेट चीरकर तुम भागे थे मैं वही हूँ यह कहकर अपने उस ज़ख़्म का निशान भी उसे दिखाया तब तो उसे यक़ीन आ गया और कहने लगा जब तू वही है तो एक बात तेरी निस्बत मुझे और भी मालूम है वह यह कि तू एक सौ आदमियों से मुझसे पहले मिल चुकी है। उसने कहा, ठीक है यह काम तो मुझसे हुआ है लेकिन गिनती याद नहीं।

उसने कहा कि मुझे तेरी निस्बत एक और बात भी मालूम है कि वह यह कि तेरी मौत का सबब एक मकड़ी बनेगी, ख़ैर चूँकि मुझे तुझसे बहुत ज़्यादा मुहब्बत है, मैं तेरे लिए एक बुलंद व बाला पुख़्ता और आला महल तामीर करा देता हूँ, उसी में तू रह ताकि वहाँ तक ऐसे कीड़े मकोड़े पहुँच ही न सकें, चुनाँचे ऐसा ही महल तैयार हुआ और यह वहाँ रहने सहने लगी।

एक मुद्दत के बाद एक दिन दोनों मियाँ बीवी बैठे थे कि अचानक छत पर एक मकड़ी दिखाई दी। उसे देखते ही उस शख़्स ने कहा, देखो आज यहाँ मकड़ी दिखाई दी। औरत बोली अच्छा यह मेरी जान लेवा है? जब ही सही कि मैं इसकी जान लूँ। गुलामों को हुक्म दिया कि इसे ज़िन्दा पकड़कर मेरे सामने लाओ। वह पकड़कर लाए, उसने ज़मीन पर रखकर अपने पैर के अंगूठे से उसे मसल डाला, उसकी जान निकल गई, उसमें से पीप जो निकला उसका एक आध क़तरा उसके अंगूठे के नाख़ुन और गोश्त के बीच उड़कर पड़ा, उसका ज़हर चढ़ा पैर स्याह काला पड़ गया और उसी में आख़िर मर गई।

हज़रत उस्मान (रज़ि.) पर जब बाग़ी चढ़ दौड़े तो आप (रज़ि.) ने उम्मते मुहम्मदिया (ﷺ) की ख़ैर ख़्वाही और उनके इत्तिफ़ाक़ की दुआ के बाद दो शेअर पढ़े जिनका मतलब भी यही है कि मौत को टालने वाली कोई चीज़ और कोई हीला कोई कुव्वत और कोई चालाकी नहीं।

हज़र के बादशाह सातिरून को किसरा साबूर ज़ुल अक्ताफ़ ने जो क़त्ल किया वह वाक़िया भी हम यहाँ लिखते हैं। इब्ने हिशाम में है जब साबूर इराक़ में था तो उसके इलाक़ा पर सातिरून ने चढ़ाई की थी उसके बदले में उसने जब चढ़ाई की तो यह क़िला बन्द हो गया। दो साल तक मुहासिरा रहा लेकिन क़िला फ़तह न हो सका।

एक दिन सातिरून की बेटी नज़ीरा अपने बाप के क़िले का गश्त लगा रही थी जो अचानक उसकी नज़र साबूर पर पड़ गई। यह उस वक़्त शाहाना पुरतकल्लुफ़ रेशमी लिबास में ताज शाही सर पर रखे हुए था।

नज़ीरा के दिल में आया कि इससे मेरी शादी हो जाए तो क्या ही अच्छा हो, चुनाँचे उसने ख़ुफ़िया पैग़ाम भेजने शुरू किए और वादा हो गया कि अगर यह लड़की उस क़िला पर साबूर का क़ब्ज़ा करा दे तो साबूर उससे अपना निकाह़ कर लेगा। उसका बाप सातिरून बड़ा शराबी था, सारी रात उसकी नशा में कटती थी। उसकी लड़की ने मौक़ा पाकर रात को अपने बाप को नशा में मदहोश देखकर उसके सिराहने से क़िला के दरवाज़े की चाबियाँ चुपके से निकाल लीं और अपने एक भरोसेमंद ग़ुलाम के साथ साबूर तक पहुँचा दीं जिससे उसने दरवाज़ा खोल दिया और शहर में क़त्ले आ़म कराया और क़ाबिज़ हो गया। यह भी कहा गया है कि उस क़िला में एक जादू था जब तक उस त़िल्सिम को तोड़ा न जाए क़िला का फ़तह़ होना नामुम्किन था, उस लड़की ने उसके तोड़ने का त़रीक़ा उसे बतला दिया कि एक चितकबरा कबूतर लेकर उसके पैर किसी बाकिरा के पहले हैज़ के ख़ून से रंग लो फिर उस कबूतर को छोड़ दो वह जाकर उस क़िले की दीवार पर बैठे फ़ौरन वह त़िल्सिम टूट जाएगा और क़िला का फाटक खुल जाएगा।

चुनाँचे साबूर ने यही किया और क़िला फ़तह करके सातिरून को क़त्ल कर डाला, तमाम लोगों को तहे तेग़ किया और सारे शहर को उजाड़ दिया और उस लड़की को अपने साथ ले गया और उससे निकाह़ कर लिया। एक रात जबकि यह लड़की नज़ीरा अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी उसे नींद नहीं आ रही थी, तिलमिला रही थी और बेचैनी से करवटें बदल रही थी तो साबूर ने पूछा, क्या बात है? उसने कहा, शायद बिस्तर मे कुछ है जिससे मुझे नींद नहीं आ रही। शमा जलाई गई, बिस्तरा टटोला गया तो गुल आस की एक पत्ती निकली। साबूर उस नज़ाकत पर हैरान रह गया कि एक इतनी छोटी सी पत्ती बिस्तर में होने की बिना पर उसे नींद नहीं आई। पूछा कि तेरे वालिद के यहाँ तेरे लिए क्या होता था। उसने कहा, सिर्फ़ नर्म रेशम का बिस्तरा था, सिर्फ़ बारीक नर्म रेशम लिबास था, सि र्फ़ नलियों का गूदा खाया करती थी और सिर्फ़ अंगूरी ख़ालिस़ शराब पीती थी यह इंतिज़ाम मेरे बाप ने मेरे लिए कर रखा था। यह थी भी ऐसी कि उसकी पिण्डली का गूदा तक बाहर से नज़र आता था।

इन बातों ने साबूर पर एक और रंग चढ़ा दिया और उसने कहा, जिस बाप ने तुझे इस त़रह़ पाला पोसा उसके साथ तूने यह सुलूक किया कि मेरे हाथों उसे क़त्ल कराया, उसके मुल्क को ताख़्त ताराज कराया, फिर मुझे तुझसे क्या उम्मीद रखनी चाहिए। अल्लाह जाने मेरे साथ तू क्या करे, उसी वक़्त हुक्म दिया कि इसके सर के बाल घोड़े से बाँध दिये जाएँ और घोड़े को बेलगाम छोड़ दिया जाए। चुनाँचे यही हुआ घोड़ा बिदका, भागा, उछलने लगा और उसकी टापों से ज़मीन पर पछाड़ें खाते हुए उसके जिस्म का चूरा-चूरा हो गया। चुनाँचे इस वाक़िया को अ़रब शुअ़रा ने नज़्म भी किया है।

फिर फ़र्माता है अगर उन्हें तरसाली फुलवारी औलाद व खेती हाथ लगे तो कहते हैं, यह अल्लाह तआ़ला की त़रफ़ से है और अगर क़ह़त़साली पड़े, तंग रोज़ी मौत और कमी औलाद व माल की और खेत और बाग़ की हो तो झट से कह उठते हैं कि यह नतीजा है नबी की ताबेदारी का यह फ़ायदा है मुसलमान होने का, यह फल है दीनदार बनने का। फ़िरऔ़नी भी इसी त़रह़ बुराइयों में ह़ज़रत मूसा (عليه السلام) और मुसलमानों की त़रफ़ बदशगूनी लिया करते थे।

जैसे कि कुरआन ने और जगह इसका ज़िक्र किया है एक आयत में है (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّعْبُدُ اللّٰهَ عَلٰى حَرْفٍ) (22/हज्ज : 11) यानी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक किनारे खड़े रहकर इबादते इलाही करते हैं यानी अगर भलाई मिली तो बाछें खिल जाती हैं और अगर बुराई पहुँचे तो उलटे पैरों सिरक जाते हैं, यह हैं जो दोनों जहान में बर्बाद होंगे। पस यहाँ भी उन मुनाफ़िक़ों की जो बज़ाहिर मुसलमान हैं और पेट के खोटे हैं, बुराई बयान हो रही है कि जहाँ कुछ नुक़्सान हुआ और मचल गए कि यह तो इस्लाम की वजह से हमें नुक़्सान हुआ। सुद्दी (रह.) फ़र्माते हैं (हसनह) से मुराद यहाँ बारिशों का होना, जानवरों में ज़्यादती होना, बाल बच्चे बकसरत होना, ख़ुशहाली मयस्सर आना वग़ैरह है। अगर यह होता तो कहते कि यह सब अल्लाह की तरफ़ से है और इसके ख़िलाफ़ होता तो उस बेबरकती का सबब रसूलुल्लाह (ﷺ) को बताते और कहते यह सब तेरी तरफ़ से है। यानी हमने अपने बड़ों की राह छोड़ दी और इस नबी (ﷺ) की ताबेदारी इख़्तियार की, इसलिए इस मुसीबत में फंस गए और इस बला में पड़ गए। पस परवरदिगार उनके नापाक क़ौल और इस पलीद अक़ीदे की तर्दीद करते हुए फ़र्माता है कि सब कुछ अल्लाह तआला की तरफ़ से है, उसकी क़ज़ा व क़द्र हर भले बुरे फ़ासिक़ फ़ाजिर नेक व बद मोमिन काफ़िर पर जारी है। भलाई बुराई सब उसकी तरफ़ से है।

फिर इनके इस क़ौल की जो महज़ शक व शुब्हा कम इल्मी बेवक़ूफ़ी, जिहालत, और ज़ुल्म की बिना पर है, तर्दीद करते हुए फ़र्माता है कि इन्हें क्या हो गया, जो बात समझने की क़ाबिलियत भी इनमें से जाती रही। एक ग़रीब हदीस जो (**कुल्लुम् मिन इन्दिल्लाहि**) के बारे में है, उसे भी सुनिए।

बज़्ज़ार में है हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ बैठे हुए थे कि कुछ लोगों के साथ हज़रत अबूबक्र और हज़रत उमर (रज़ि.) आए, उन दोनों की आवाज़ें बुलंद हो रही थीं और हुज़ूर (ﷺ) के क़रीब आकर दोनों साहब बैठ गए तो हुज़ूर (ﷺ) ने पूछा, "तेज़-तेज़ बातचीत क्या हो रही थी?" एक शख़्स ने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! (हज़रत) अबूबक्र (रज़ि.) तो कह रहे थे नेकियाँ और भलाईयाँ अल्लाह तआला की तरफ़ से हैं और बुराईयाँ और बदियाँ हमारी तरफ़ से हैं। आप (ﷺ) ने हज़रत उमर (रज़ि.) से पूछा "तुम क्या कह रहे थे।" हज़रत उमर (रज़ि.) ने कहा, मैं कह रहा था कि दोनों बातें अल्लाह तआला की तरफ़ से हैं। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, "यही बहस पहले हज़रत जिब्राईल (عليه السلام) और हज़रत मीकाईल (عليه السلام) में हुई थी, मीकाईल (عليه السلام) वही कहते थे जो अबूबक्र (रज़ि.) कह रहे हैं और जिब्राईल (عليه السلام) वह कह रहे थे जो ऐ उमर! तुम कह रहे हो, पस आसमान वालों में ही जबकि इख़्तिलाफ़ हो तो ज़मीन वालों में तो होना ही था, आख़िर (हज़रत) इस्राफ़ील (عليه السلام) की तरफ़ फ़ैसला गया और उन्होंने फ़ैसला किया कि हस्नात और सय्यिआत दोनों अल्लाह तआला की तरफ़ से हैं।"

फिर आप (ﷺ) ने दोनों बुज़ुर्गों की तरफ़ मुतवज्जा होकर फ़र्माया, मेरा फ़ैसला सुनो और याद रखो, अगर अल्लाह तआला अपनी नाफ़र्मानी की जाने को न चाहता तो इब्लीस को पैदा ही न करता" लेकिन शैख़ुल इस्लाम इमाम तक़ियुद्दीन अबुल अब्बास हज़रत इब्ने तैमिया (रह.) फ़र्माते हैं, यह हदीस मौज़ूअ है और तमाम उन मुहद्दिसीन का जो हदीस की परख रखते हैं, इत्तिफ़ाक़ है कि यह रिवायत गढ़ी हुई है।

फिर अल्लाह तआला अपने नबी (ﷺ) से ख़िताब करके फ़र्माता है और मुराद उमूम है यानी सबसे ही ख़िताब है कि तुम्हें जो भलाई पहुँचती है वह अल्लाह तआला का फ़ज़्ल लुत्फ़ रहमत है और जो बुराई पहुँचती है वह ख़ुद तुम्हारी तरफ़ से तुम्हारे आमाल का नतीजा है। जैसे और आयत में है (وَ مَآ اَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ وَ يَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ) (42/शूरा : 30) यानी जो मुसीबत तुम्हें पहुँचती है, वह तुम्हारे कुछ आमाल की वजह से है और अभी तो अल्लाह तआला बहुत सी बदआमालियों से दरगुज़र फ़र्माता रहता है।

(फ़मिन् नफ़्सिक) से मुराद बसबब गुनाह है, यानी शामते आमाल। आँहज़रत (ﷺ) से मन्कूल है कि हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, जिस शख़्स का ज़रा सा जिस्म किसी लकड़ी से छिल जाए या उसका क़दम फिसल जाए या उसे ज़रा सी मेहनत करनी पड़े जिससे पसीना आ जाए, वो भी किसी न किसी गुनाह पर होता है और अभी तो अल्लाह तआला जिन गुनाहों से चश्मपोशी फ़र्माता है। जिन्हें माफ़ कर देता है। वह बहुत सारे हैं।'' (तब्री : 9975; यह रिवायत मुर्सल यानी ज़ईफ़ है।) इस मुर्सल हदीस का मज़्मून एक मुत्तसिल सहीह हदीस में है।

हुज़ूर (ﷺ) फ़र्माते हैं, उसकी क़सम! जिसके हाथ में मेरी जान है कि ईमानदार को ग़म व रंज, तक्लीफ़ व मशक़्क़त पहुँचती है, यहाँ तक कि जो कांटा भी लगता है, उसकी वजह से भी अल्लाह तआला उसके गुनाहों का कफ़्फ़ारा कर देता है। (सहीह बुख़ारी, किताबुल मर्ज़ा, बाब मा जाअ फ़ी कफ़्फ़ारतिल मर्ज़ : 5641; सहीह मुस्लिम : 2573) अबू सालेह (रह.) फ़र्माते हैं मतलब इस आयत का यह है कि जो बुराई तुझे पहुँचती है, उसका सबब तेरा गुनाह है। हाँ! उसे मुक़द्दर करने वाला अल्लाह तआला ख़ुद आप है।

हज़रत मुतरिफ़ बिन अब्दुल्लाह (रह.) फ़र्माते हैं, तुम तक़दीर के बारे में क्या चाहते हो, क्या तुम्हें सूरह निसाअ की यह आयत काफ़ी नहीं। फिर इस आयत को पढ़कर फ़र्माते हैं, अल्लाह की क़सम! लोग अल्लाह तआला की तरफ़ सौंप नहीं दिए गए। इन्हें हुक्म दिए गए हैं, उसी की तरफ़ वह लौटते हैं। यह क़ौल बहुत क़वी और मज़बूत है। क़दरिया और जबरिया की पूरी तर्दीद करता है तफ़्सीर इस बहस का मौज़ूअ नहीं। फिर फ़र्माता है कि तेरा काम ऐ नबी (ﷺ)! शरीअत की तब्लीग़ करना है उसकी रज़ामंदी और नाराज़गी के काम को उसके अहकाम और उसकी मुमानिअत को लोगों तक पहुँचा देना है, अल्लाह तआला की गवाही काफ़ी है उसने तुझे रसूल बनाकर भेजा है।

इसी तरह उसी की गवाही उस अम्र पर भी काफ़ी है कि तूने तब्लीग़ कर दी, तेरे और इनके दरम्यान जो हो रहा है उसे भी वो मुशाहिदा कर रहा है। यह जिस तरह इनाद व तकब्बुर तेरे साथ बरतते हैं, उसे भी वह देख रहा है।

***

مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ ۚ وَمَنْ تَوَلّٰى فَمَآ اَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا
ﻫﻩ وَيَقُوْلُوْنَ طَاعَةٌ ۡ فَاِذَا بَرَزُوْا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِىْ
تَقُوْلُ ۚ وَاللّٰهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُوْنَ ۚ فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۚ وَكَفٰى
بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ﮁ

तर्जुमा : "इस रसूल (ﷺ) की जो इताअत करे उसी ने अल्लाह की फ़र्मांबरदारी की, और जो चेहरा फेर ले तो हमने तुझे कुछ इन पर निगहबान बनाकर नहीं भेजा। (80) यह कहते तो हैं कि इताअत है फिर जब आपके पास से उठकर बाहर निकलते हैं तो उनमें की एक जमाअत जो कह गई है उसके ख़िलाफ़ रातों को मश्वरे करती है, इनकी रातों की बातचीत अल्लाह तआला लिख रहा है। तू इनकी तरफ़ इल्तिफ़ात (तवज्जो) भी न कर और अल्लाह तआला पर भरोसा रख, अल्लाह तआला काफ़ी कारसाज़ है।"(81)

रसूलुल्लाह (ﷺ) की इताअत अल्लाह तआला की इताअत है (80-81) : अल्लाह तआला का इर्शाद है कि मेरे बन्दे और रसूल (हज़रत) मुहम्मद (ﷺ) का इताअतगुज़ार सहीह मानी में मेरा इताअतगुज़ार है। आप (ﷺ) का नाफ़र्मान मेरा नाफ़र्मान है। इसलिए कि आप (ﷺ) अपनी तरफ़ से कुछ नहीं कहते, जो फ़र्माते हैं वह वही होता है जो मेरी तरफ़ से वह्यी किया जाता है। हुज़ूर (ﷺ) फ़र्माते हैं "जो मेरी मानने वाला है अल्लाह की मानने वाला है और जिसने मेरी नाफ़र्मानी की। उसने अल्लाह तआला की नाफ़र्मानी की जिसने अमीर की इताअत की, उसने मेरी इताअत की और जिसने अमीर की नाफ़र्मानी की उसने मेरी नाफ़र्मानी की। यह हदीस बुख़ारी व मुस्लिम में साबित है।" (सहीह बुख़ारी, किताबुल अहकाम, बाब क़ौलुल्लाहि तआला (अतीउल्लाह व अतीउर्रसूल) : 7137; सहीह मुस्लिम : 1835; अन अबी हुरैरा (रज़ि.))

फिर फ़र्माता है जो चेहरा फेरकर बैठे रहे तो उसका गुनाह ऐ नबी! आप पर नहीं। आप (ﷺ) का ज़िम्मे तो सिर्फ़ पहुँचा देना है। जो नेक नसीब मान लेंगे नजात और अज्र हासिल कर लेंगे, हाँ! उनकी नेकियों का सवाब आप (ﷺ) को भी होगा क्योंकि दरअसल उस राह के रहबर उस नेकी के मुअल्लिम आप (ﷺ) हैं, और जो न माने न अमल करें तो नुक़्सान उठाएगा, बदनसीब बनेगा, अपने बोझों आप मरेगा, उसका गुनाह आप पर नहीं। इसलिए कि आप (ﷺ) ने समझाने बुझाने की राहे हक़ दिखाने में कोई कमी नहीं की। हदीस में है "अल्लाह तआला और उसके रसूल (ﷺ) की इताअत करने वाला रुश्दो-हिदायत वाला है और अल्लाह व रसूल (ﷺ) का नाफ़र्मान अपने ही नफ़्स को ज़रर पहुँचाने वाला है।" (अबूदाऊद, किताबुस्सलात, बाबुर्रजुल यख़्तुबु अला क़ौसिन : 1097; वसनदुहू ज़ईफ़; क़तादा मुदल्लस और अबू अयाज़ मज्हूल रावी है।)

फिर मुनाफ़िक़ों का हाल बयान हो रहा है कि ज़ाहिरी तौर पर तो इताअत का इक़रार मुवाफ़िक़त का इज़्हार करते हैं। लेकिन जहाँ नज़रों से दूर हुए, वहाँ से हटकर अपनी जगह पहुँचे कि ऐसे हो गए गोया उन तिलों में तेल ही न था। जो कुछ यहाँ कहा था उसके बिलकुल बरअक्स रातों को छुपछुपाते सरगोशियाँ करने बैठ गए।

हालाँकि अल्लाह तआला उनकी इन पोशीदगियों, चालाकियों और चालों को बख़ूबी जानता है उसके मुक़र्ररकर्दा ज़मीन के फ़रिश्ते इन सब करतूतों और इन तमाम बातों को उसके हुक्म से इनके नामा-ए-आमाल में लिख रहे हैं। पस इन्हें डांटा जा रहा है कि यह क्या बेहूदा हरकत है? उससे जिसने तुम्हें पैदा किया है उससे तुम्हारी कोई बात छुप सकती है? जो तुम ज़ाहिर बातिन यक्साँ नहीं रखते, ज़ाहिर बातिन का जानने वाला तुम्हें तुम्हारे इस बेहूदा हरकत पर सख़्त सज़ा देगा।

और आयत में भी मुनाफ़िक़ों की इस ख़स्लत का बयान इन अल्फ़ाज़ में फ़र्माया है कि (وَ يَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَ بِالرَّسُوْلِ وَ اَطَعْنَا) (24/नूर : 47)

फिर अपने नबी को हुक्म देता है कि आप (ﷺ) इनसे दरगुज़र कीजिए, बुर्दबारी बरतिये, इनकी ख़ता माफ़ कर दीजिए, इनका हाल इनके नाम से दूसरों को न कहिए, इनसे बिलकुल बेख़ौफ़ रहिए, अल्लाह तआला पर भरोसा कीजिए, जो उस पर भरोसा करे जो उसकी तरफ़ रुजूअ करे उसे वह काफ़ी वाफ़ी है।

اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ ؕ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلَافًا
كَثِيْرًا ﴿٨٢﴾ وَاِذَا جَآءَهُمْ اَمْرٌ مِّنَ الْاَمْنِ اَوِ الْخَوْفِ اَذَاعُوْا بِهٖ ؕ وَلَوْ رَدُّوْهُ اِلَى
الرَّسُوْلِ وَاِلٰٓى اُولِى الْاَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِيْنَ يَسْتَنْۢبِطُوْنَهٗ مِنْهُمْ ؕ وَلَوْلَا
فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطٰنَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿٨٣﴾

तर्जुमा : ''क्या यह लोग क़ुरआन में ग़ौर नहीं करते? अगर यह अल्लाह तआला के सिवा किसी और की तरफ़ से होता तो यक़ीनन इसमें बहुत कुछ इख़्तिलाफ़ पाते। (82) जहाँ इन्हें कोई ख़बर अमन की या ख़ौफ़ की मिली कि इन्होंने उसे मशहूर करना शुरू किया। अगर यह लोग इसे रसूल (ﷺ) के और अपने में से ऐसी बातों की तह तक पहुँचने वालों के हवाले कर देते तो उसकी हक़ीक़त वह लोग मालूम कर लेते जो तहक़ीक़ का माद्दा रखते हैं। अगर अल्लाह तआला का फ़ज़्ल और उसकी रहमत तुम पर न होती तो मादूदे चंद के अलावा तुम सब शैतान के पैरोकार बन जाते।'' (83)

क़ुरआन हकीम की आयात तआरूज़ से पाक हैं (आयत 82, 83) : अल्लाह तआला अपने बन्दों को हुक्म देता है कि वह क़ुरआन को ग़ौर, फ़िक्र, ताम्मुल व तदब्बुर से पढ़ें, इससे ऐराज़ न करें, बेपरवाही न बरतें, इसके मज़बूत मज़्मून इसके हिक्मत भरे अहकाम, इसके फ़सीह व बलीग़ अल्फ़ाज़ को सोचें। साथ ही ख़बर देता है कि यह पाक किताब इख़्तिलाफ़ इज़्तिराब तआरुज़ और तज़ाद से पाक है इसलिए कि हकम व हमीद अल्लाह का कलाम है, वह ख़ुद हक़ है और इसी तरह उसका कलाम भी सरासर हक़ है। चुनाँचे और जगह है (اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ اَمْ عَلٰى قُلُوْبٍ اَقْفَالُهَا) (47/मुहम्मद : 24) यह लोग क्यों क़ुरआन में ग़ौरो-फ़िक्र नहीं करते, क्या इनके दिलों पर संगीन क़ुफ़्ल (ताला) लग गए हैं। फिर फ़र्माता है अगर यह क़ुरआन अल्लाह की तरफ़ से नाज़िल शुदा न होता जैसे कि मुश्रिकीन का और मुनाफ़िक़ीन का ज़अम है अगर यह फ़िल वाक़ेअ किसी का अपनी तरफ़ से गढ़ा हुआ होता कोई और इसका क़ाइल होता तो ज़रूरी बात थी कि इसमें लोगों को इख़्तिलाफ़ मिलता, यानी नामुम्किन है कि इंसानी कलाम इज़्तिराब व तज़ाद से सालिम हो, फिर तो यह होता कि कहीं कुछ पाते और कहीं कुछ और यहाँ एक बात कही आगे जाकर इसके ख़िलाफ़ भी कह गए। पस इस पाक किताब का ऐसी मुतज़ाद बातों से बचा हुआ होना साफ़ दलील है कि यह अल्लाह तआला का कलाम है। और जगह पुख़्ता आलिमों का क़ौल बयान किया गया है कि वह कहते हैं हम इस पर ईमान लाए यह सब हमारे रब की तरफ़ से है। यानी मुहकम और मुतशाबेह सब हक़ है इसीलिए मुतशाबेह को मुहकम की तरफ़ लौटा देते हैं और हिदायत पा लेते हैं। और जिनके दिलों में कजी है वह मुहकम को मुतशाबेह की तरफ़ लौटाकर गुमराह हो जाते हैं। यही वजह है जो अल्लाह तआला ने अव्वल क़िस्म वालों की तारीफ़ की और दूसरी क़िस्म वाले लोगों की बुराई बयान की गई है। अम्र बिन शुऐब अन अबीही अन जद्दिही वाली हदीस में है कि मैं और मेरे भाई ऐसी मज्लिस में बैठे कि सुर्ख़ ऊँटों का मिल जाना भी उसके पासंग में भी नहीं। हम दोनों आए, देखा कि हुज़ूर (ﷺ) के दरवाज़े पर चंद बुज़ुर्ग सहाबा (रज़ि.) खड़े हुए हैं हम अदब के साथ एक तरफ़ बैठ गए, उनमें क़ुरआने करीम की किसी आयत की बाबत मुज़ाकिरा चल रहा था। और कुछ इख़्तिलाफ़ था आख़िर बात बढ़ गई। और ज़ोर-ज़ोर से आपस में बातचीत होने लगी। रसूलुल्लाह (ﷺ) उसे सुनकर सख़्त ग़ज़बनाक होकर बाहर तशरीफ़ लाए। चेहरा मुबारक लाल हो रहा था, उन पर मिट्टी डालने लगे और फ़र्माने लगे, "बस ख़ामोश रहो, तुमसे अगली उम्मतें इसी वजह से तबाह हो गईं कि उन्होंने अपने अम्बिया पर इख़्तिलाफ़ किया और किताबुल्लाह की एक आयत को दूसरी आयत के ख़िलाफ़ बतला दिया, याद रखो क़ुरआन की कोई आयत दूसरी आयत के ख़िलाफ़ उसे झुठलाने वाली नहीं बल्कि क़ुरआन की एक-एक आयत दूसरी की तस्दीक़ करती है तुम जैसे जान लो अमल करो जिसे न मालूम कर सको उसे उसके जानने वाले के लिए छोड़ दो।" (मुस्नद अहमद : 2/181; वसनदुहू हसन) और रिवायत में है कि सहाबा (रज़ि.) तक़्दीर के बारे में बहस कर रहे थे। रावी कहते हैं कि काश! मैं उस मज्लिस में न बैठता। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (रज़ि.) फ़र्माते हैं, मैं दोपहर के वक़्त हाज़िरे ख़िदमते रसूल (ﷺ) हुआ, मैं बैठा ही था जो एक आयत के बारे में दो शख़्सों के बीच इख़्तिलाफ़ हो गया और आवाज़ें ऊँची होने लगी तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, तुमसे पहली उम्मतों की हलाकत की वजह सिर्फ़ उनका किताबुल्लाह में इख़्तिलाफ़ करना ही था। (मुस्नद अहमद : 2/178; इब्ने माजा फ़िल मुक़द्दमा बाब फ़िल क़द्र : 85; वसनदुहू हसन)

अफ़वाहों के बारे में एक अहम उसूल : फिर इन जल्दबाज़ लोगों को रोका जा रहा है। जो किसी अमन की या ख़ौफ़ की ख़बर पाते ही बेतह़क़ीक़ उसे इधर से उधर तक पहुँचा देते हैं ह़ालाँकि मुम्किन है वह बिलकुल ही ग़लत़ हो। स़ह़ीह़ मुस्लिम शरीफ़ के मुक़द्दमा में ह़दीस है कि ''इंसान के झूठा होने के लिए यही काफ़ी है कि जो सुने उसको बयान करने लग जाए।'' (स़ह़ीह़ मुस्लिम फ़िल मुक़द्दमा, बाब अन्नही अ़निल ह़दीस बिकुल्लि मा समिअ : 7; अबूदाऊद : 4992)

बुख़ारी व मुस्लिम में है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने क़ीलो क़ाल (ज़िद बहस) से मना फ़र्माया।(स़ह़ीह़ बुख़ारी, किताबुर्रिक़ाक़, बाब मा यकरहू मिन क़ीलो क़ाल : 6473; स़ह़ीह़ मुस्लिम : 1715) यानी सुनी सुनाई बातें बयान करने से जिनकी तह़क़ीक़ अच्छी त़रह़ से न की हो। अबूदाऊद की ह़दीस में है ''इंसान का यह बुरा काम है कि यूँ कहता फिरे लोगों ने यह ख़्याल किया यह कहा।'' (अबूदाऊद, किताबुल अदब, बाब फ़ी क़ौलिर्रजुल ज़अ़मू : 4972; वहुव स़ह़ीह़) और स़ह़ीह़ ह़दीस में है ''जो शख़्स कोई बात बयान करे और वह गुमान करता हो कि यह ग़लत़ है वह भी झूठों में का एक झूठा है।'' (स़ह़ीह़ मुस्लिम फ़िल मुक़द्दमा, बाब वुजूबुर्रिवायते अ़निस्सिक़ात : 1; इब्ने माजा : 39) यहाँ पर हम ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) वाली रिवायत का वारिद करना भी मुनासिब जानते हैं कि जब उन्हें यह ख़बर पहुँची कि ह़ुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने अपनी बीवियों को त़लाक़ दे दी है तो आप (ﷺ) अपने घर से चले, मस्जिद में आए, यहाँ भी लोगों को यह कहते हुए सुना तो बज़ाते खुद रसूले करीम (ﷺ) के पास पहुँचे और ख़ुद आपसे पूछा कि क्या यह सच है कि आपने अपनी अज़्वाजे मुत़ह्हरात को त़लाक़ दे दी? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ''ग़लत़ है'' चुनाँचे ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) ने अल्लाह तआ़ला की बड़ाई बयान की। (स़ह़ीह़ बुख़ारी, किताबुल इल्म, बाबुत्तनाउब फ़िल इल्म : 89; स़ह़ीह़ मुस्लिम : 1479) स़ह़ीह़ मुस्लिम में है कि फिर आप (ﷺ) आए और मस्जिद के दरवाज़े पर खड़े होकर बा आवाज़े बुलंद फ़र्माया, लोगों! रसूले-मक़्बूल (ﷺ) ने अपनी बीवियों को त़लाक़ नहीं दी। इसी पर यह आयत नाज़िल हुई। पस ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) वह हैं जिन्होंने इस मामला की तह़क़ीक़ की। (स़ह़ीह़ मुस्लिम, किताबुत्तलाक़, बाब फ़िल ईलाइ : 1479)

इल्मी इस्तिलाह़ में इस्तिम्बात़ कहते हैं किसी चीज़ को उसके ठिकाने और मख़्ज़न से निकालने को मस्लन (जैसे) जब कोई शख़्स किसी कान को खोदकर उसके नीचे से कोई चीज़ निकाले तो अ़रब कहते हैं, **इस्तिम्बात़ुर्रजुल** फिर फ़र्माता है कि अगर अल्लाह तआ़ला का फ़ज़्लो रह़म तुम पर न होता तो तुम सबके सब बजुज़ कामिल ईमानदार लोगों के शैत़ान के ताबेदार बन जाते। ऐसे मौक़ों पर यह भी मानी होते हैं कि तुम कुल के कुल, चुनाँचे अ़रब के ऐसे शेअ़र भी हैं।

***

فَقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِۚ لَا تُكَلَّفُ اِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَۚ عَسَى اللّٰهُ اَنْ
يَّكُفَّ بَاْسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْاؕ وَاللّٰهُ اَشَدُّ بَاْسًا وَّاَشَدُّ تَنْكِيْلًا ۝٨٤ مَنْ يَّشْفَعْ
شَفَاعَةً حَسَنَةً يَّكُنْ لَّهٗ نَصِيْبٌ مِّنْهَاۚ وَمَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَّكُنْ لَّهٗ
كِفْلٌ مِّنْهَاؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيْتًا ۝٨٥ وَاِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوْا
بِاَحْسَنَ مِنْهَاۤ اَوْ رُدُّوْهَاؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيْبًا ۝٨٦ اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا
هُوَؕ لَيَجْمَعَنَّكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِؕ وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ حَدِيْثًا ۝٨٧

तर्जुमा : "तू अल्लाह तआला की राह में जिहाद करता रह, तुझे सिर्फ़ तेरी ज़ात की निस्बत हुक्म दिया जाता है, हाँ! ईमानवालों को रग़बत दिलाता रह, बहुत मुम्किन है कि अल्लाह तआला काफ़िरों की जंग को रोक दे, अल्लाह तआला सख़्त लड़ाई वाला है और सज़ा देने में बहुत सख़्त है। (84) जो शख़्स किसी नेकी और भले काम की सिफ़ारिश करे उसे भी उसका कुछ हिस्सा मिलेगा। और जो बुराई और बदी की सिफ़ारिश करे उसके लिए भी उसमें से एक हिस्सा है। अल्लाह तआला हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। (85) और जब तुम्हें सलाम किया जाए तो तुम उससे अच्छा जवाब दो या उन ही अल्फ़ाज़ को लौटा दो। बेशक अल्लाह तआला हर चीज़ का हिसाब लेने वाला है। (86) अल्लाह तआला वह है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं । वह तुम सबको यक़ीनन क़यामत के दिन जमा करेगा जिसके आने में कोई शक नहीं। अल्लाह तआला से ज़्यादा सच्ची बात वाला और कौन होगा?" (87)

अल्लाह तआला की मदद मुजाहिदीन के शामिले हाल है (आयत 84-87) : रसूलुल्लाह (ﷺ) को हुक्म हो रहा है कि ख़ुद अपनी ज़ात से राहे अल्लाह में जिहाद कीजिए अगरचे कोई भी आप (ﷺ) का साथ न दे। अबू इस्हाक़ (रह.) हज़रत बराअ बिन आज़िब (रज़ि.) से पूछते हैं कि एक मुसलमान तंहा अकेला हो और दुश्मन एक सौ हों तो क्या वह उनसे जिहाद करे। आपने फ़र्माया, हाँ! तो कहा फिर कुरआन की इस आयत से तो मना साबित होता है, अल्लाह तआला फ़र्माता है अपने हाथों हलाकत में न पड़ो। तो हज़रत बराअ (रज़ि.) ने फ़र्माया, सुनो! अल्लाह तआला अपने नबी (ﷺ) से फ़र्माता है, अल्लाह तआला की राह में लड़, तुझे फ़क़त तेरे नफ़्स की तक्लीफ़ दी जाती है और हुक्म दिया जाता है कि मोमिनों को भी तर्ग़ीब देता

रह (इब्ने अबी हातिम)। मुस्नद अहमद में इतना और भी है कि "मुश्रिकीन पर तंहा हमला करने वाला हलाकत की तरफ़ बढ़ने वाला नहीं बल्कि इससे मुराद अल्लाह तआला की राह में ख़र्च करने से रुकने वाला है।" (अहमद : 4/281; वसनदुहू हसन; इस मानी की रिवायत सहीह बुख़ारी 4516 में भी मौजूद है।) और रिवायत में है कि जब यह आयत उतरी तो आप (ﷺ) ने सहाबा (रज़ि.) से फ़र्माया, मुझे मेरे रब ने जिहाद का हुक्म दिया है पस तुम भी जिहाद करो। (वसनदुहू ज़ईफ़) यह हदीस ग़रीब है। फिर फ़र्माता है मोमिनों को दिलेरी दिला और उन्हें जिहाद की रग़बत दिला। चुनाँचे बद्र वाले दिन मैदाने जिहाद में मुसलमानों की सफ़ें दुरुस्त करते हुए हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, उठ खड़े हो उस जन्नत की तरफ़ जिसकी चौड़ाई आसमान व ज़मीन है। (सहीह मुस्लिम, किताबुल इमारत, बाब सुबूतुल जन्नत लिश्शहीद : 1901) जिहाद की तर्ग़ीब की बहुत सी हदीसें हैं। बुख़ारी में है "जो अल्लाह तआला पर और उसके रसूल (ﷺ) पर ईमान लाए नमाज़ क़ायम करे, ज़कात देता रहे, रमज़ान के रोज़े रखे, अल्लाह तआला पर ह क़ है कि उसे जन्नत में दाख़िल कर दे, अल्लाह तआला की राह में हिज्रत की हो या जहाँ पैदा हुआ है वहीं ठहरा रहा हो।" लोगों ने कहा, हुज़ूर (ﷺ)! क्या लोगों को इसकी ख़ुशख़बरी हम न दे दें? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, "सुनो! जन्नत में सौ दर्जे हैं जिनमे से एक एक दर्जे में इस क़द्र बुलंदी है जितनी ज़मीनो आसमान में, यह दर्जे अल्लाह तआला ने उनके लिए तैयार किये हैं जो उसकी राह में जिहाद करें, पस जब तुम अल्लाह तआला से जन्नत मांगो तो जन्नतुल फ़िरदौस तलब करो, वह बेहतरीन जन्नत है और सबसे आला है, उसके ऊपर रहमान का अर्श है और उसी से जन्नत की सब नहरें जारी होती हैं।" (सहीह बुख़ारी, किताबुल जिहाद, बाब दरजातुल मुजाहिदीन : 2790) मुस्लिम की हदीस में है "जो शख़्स अल्लाह तआला के रब होने पर इस्लाम के दीन होने पर , मुहम्मद (ﷺ) के रसूल व नबी होने पर राज़ी हो जाए उसके लिए जन्नत वाजिब है।" हज़रत अबू सईद (रज़ि.) इसे सुनकर ख़ुश होकर कहने लगे, हुज़ूर (ﷺ)! दोबारा इर्शाद हो। आप (ﷺ) ने दोबारा इसी को बयान फ़र्माकर कहा, एक और अ मल है जिसके सबब अल्लाह तआला अपने बन्दे के सौ दर्जे बुलंद करता है, एक दर्जा से दूसरे दर्जे तक इतनी बुलंदी है जितनी ज़मीनो आसमान में है। पूछा, वह अमल क्या है। फ़र्माया, "अल्लाह तआला की राह में जिहाद।" (सहीह मुस्लिम, किताबुल इमारत, बाब बयानु **मा अअद्दहुल्लाहु लिल मुजाहिद** : 1884; नसाई : 3133)

फिर फ़र्माता है जब आप जिहाद के लिए तैयार हो जाएँगे मुसलमान आपकी तालीम से जिहाद पर आमादा हो जाएँगे तो फिर अल्लाह तआला की मदद शामिले हाल रहेगी, अल्लाह तआला कुफ़्र का धड़ तोड़ देगा कुफ़्फ़ार की हिम्मत पस्त कर देगा, उनके हौसले न पड़ेंगे कि तुम्हारे मुक़ाबले में आएँ। अल्लाह तआला से ज़्यादा जंगी कुव्वत रखने वाला और उससे सख़्त सज़ा देने वाला कोई नहीं, वह क़ादिर है कि दुनिया में ही इन्हें मग़्लूब करे और यहीं इन्हें अज़ाब करे, इसी तरह आख़िरत में भी उसी को क़ुदरत हासिल है। जैसे और आयत में है (وَلَوْ يَشَآءُ اللّٰهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ) (47/मुहम्मद : 4) अगर अल्लाह तआला चाहे उनसे अज़्ख़ुद बदला ले ले, लेकिन वह उनको और तुम्हें आज़मा रहा है, जो शख़्स किसी अम्रे ख़ैर में कोशिश करे तो उसे भी इस भलाई का सवाब मिलेगा और जो उसके ख़िलाफ़ कोशिश करे और बदनतीजा बरआमद करे उसकी कोशिश और निय्यत का उस पर भी उसका बोझ होगा।

नबी अकरम (ﷺ) फ़र्माते हैं, "सिफ़ारिश करो अज्र पाओगे अल्लाह तआला अपने नबी अकरम (ﷺ) की ज़ुबान पर वह जारी करेगा जो चाहे।" (सहीह बुख़ारी, किताबुज़्ज़कात, बाब तहरीज़ु अलस्सदक़ति

: 1432; सहीह मुस्लिम : 2627) यह आयत एक दूसरे की सिफ़ारिश करने के बारे में नाज़िल हुई है। इस मेहरबानी को भी देखिए कि फ़र्माया, महज़ सिफ़ारिश पर ही अज्र मिल जाएगा ख़्वाह उससे काम बने या न बने। अल्लाह तआला तो हर चीज़ का हाफ़िज़ है, हर चीज़ पर हाज़िर है, हर चीज़ का हिसाब लेने वाला है, हर चीज़ पर क़ादिर है, हर चीज़ पर हमेशगी करने वाला है, हर एक को रोज़ी देने वाला है, हर इंसान के आमाल का अंदाज़ा करने वाला है।

सलाम करने के अहकाम व आदाब : मुसलमानों! जब तुम्हें कोई मुसलमान सलाम करे तो उसके सलाम के अल्फ़ाज़ से बेहतर अल्फ़ाज़ में उसका जवाब दो, या कम से कम उन्हीं लफ़्ज़ों को दोहराओ। पस ज़्यादती मुस्तहब है और बराबरी फ़र्ज़ है। इब्ने जरीर (रह.) में है कि एक शख़्स रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और कहा, **अस्सलामु अलैक या रसूलल्लाह (ﷺ)!** आप (ﷺ) ने फ़र्माया **(व अलैकस्सलामु व रहमतुल्लाहि)** फिर दूसरा आया, उसने कहा **(अस्सलामु अलैक या रसूलल्लाहि व रहमतुल्लाह)** आप (ﷺ) ने जवाब में फ़र्माया **(व अलैकस्सलामु वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू)** फिर एक और साहब आए, उन्होंने कहा **(अस्सलामु अलैक व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू)** आप (ﷺ) ने जवाब में फ़र्माया (व अलैक) तो उसने कहा, ऐ अल्लाह तआला के नबी (ﷺ)! फ़लाँ और फ़लाँ ने आप (ﷺ) को सलाम किया तो आप (ﷺ) ने जवाब कुछ ज़्यादती के साथ दिया जो मुझे नहीं दिया। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, "तुमने हमारे लिए कुछ बाक़ी न छोड़ा, फ़र्माने इलाही है जब तुम पर सलाम किया जाए तो तुम उससे अच्छा जवाब दो या उसी को लौटा दो इसलिए हमने वही अल्फ़ाज लौटा दिए।" (तब्री : 10050; वसनदुहू ज़ईफ़; नीज़ देखिए अज़्ज़ईफ़तु लिल अल्बानी : 5433) यह रिवायत इब्ने अबी हातिम में भी इस तरह मुअल्लक़ मरवी है। इसे अबूबक्र इब्ने मर्दवे ने रिवायत किया है और मैंने इसे मुस्नद में नहीं देखा, वल्लाहु आलम! इस हदीस से यह भी मालूम हुआ कि सलाम के कलिमात में इससे ज़्यादती नहीं। अगर होती तो आँहज़रत (ﷺ) इस आख़िरी सहाबी के जवाब में वह लफ़्ज़ कह देते।

मुस्नद अहमद में है एक शख़्स हुज़ूरे-अकरम (ﷺ) के पास आया और **(अस्सलामु अलैकुम या रसूलल्लाह)** कहकर बैठ गए। आप (ﷺ) ने जवाब दिया और फ़र्माया, दस नेकियाँ मिलीं, दूसरे आए और **(अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि या रसूलल्लाहि)** कहकर बैठ गए। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, बीस नेकियाँ मिलीं। फिर तीसरे साहब आए, उन्होंने **(अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू)** आप (ﷺ) ने फ़र्माया, तीस नेकियाँ मिलीं। (अहमद : 4/439; अबूदाऊद, किताबुल अदब, बाब कैफ़स्सलाम : 5195; वसनदुहू हसन; तिर्मिज़ी : 2689) इमाम तिर्मिज़ी (रह.) इसे हसन ग़रीब बतलाते हैं। हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) इस आयत को आम लेते हैं और फ़र्माते हैं कि ख़ल्कुल्लाह में से जो कोई सलाम करे उसे जवाब दो, गो वह मजूसी हो। हज़रत क़तादा (रह.) फ़र्माते हैं सलाम का इससे बेहतर जवाब देना तो मुसलमानों के लिए है और इसी को लौटा देना अहले ज़िम्मा के लिए है। लेकिन इस तफ़्सीर में ज़रा नज़र है जैसे कि ऊपर की हदीस में गुज़र चुका कि मुराद यह है कि सलाम से अच्छा जवाब दे और अगर मुसलमान सलाम के सभी अल्फ़ाज़ कह दे तो फिर जवाब देने वाला उन ही को लौटा दे। ज़िम्मी लोगों को ख़ुद सलाम की इब्तिदा करना तो ठीक नहीं, और वह ख़ुद करें तो जवाब में उतने ही अल्फ़ाज़ कह दे। बुख़ारी व मुस्लिम में है "जब कोई यहूदी तुम्हें सलाम करे तो ख़्याल रखो, यह कह देते हैं **(अस्सामु अलैक)** तो तुम कह दे **(व**

अलैक) (सहीह बुख़ारी, किताबुल इस्तीज़ान, बाब कैफ़रद्दु अला अहलिज़्ज़िम्मति बिस्सलाम : 6257; सहीह मुस्लिम : 2164; अबूदाऊद : 5206; तिर्मिज़ी : 1603) सहीह मुस्लिम में है ''यहूदो नसारा को तुम पहले सलाम न करो और जब रास्ते में मुलाक़ात हो जाए तो उन्हें तंगी की तरफ़ मुज़्तरिब कर दो।'' (सहीह मुस्लिम, किताबुस्सलाम, बाब अन्नही अन इब्तिदाइ अहलिल किताब बिस्सलाम : 2167; अबूदाऊद : 5205; तिर्मिज़ी : 1602, 2700) इमाम हसन बसरी (रह.) फ़र्माते हैं सलाम नफ़्ल है और जवाबे सलाम फ़र्ज़ है। (अल्अदबुल मुफ़रद : 1040; वसनदुहू ज़ईफ़) और उलमा-ए-किराम का फ़र्मान भी यही है पस अगर जवाब न देगा तो गुनहगार होगा इसलिए कि जवाबे सलाम अल्लाह तआला का हुक्म है। फिर अल्लाह तआला अपनी तौहीद बयान फ़र्माता है और उलूहियत में अपना यक्ता होना ज़ाहिर करता है और उसमें ज़िम्नन क़सम भी है। वह अन्क़रीब तमाम अगलों पिछलों को मैदाने महशर में जमा करेगा और वहाँ हर एक को उसके अमल का बदला देगा। उस अल्लाह तआला से ज़्यादा सच्ची बात वाला और कोई नहीं, उसकी ख़बर उसका वादा उसकी वईद सब सच है, वही माबूदे बरहक़ है उसके सिवा कोई मुरब्बी नहीं।

فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنٰفِقِيْنَ فِئَتَيْنِ وَاللّٰهُ اَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوْا ۭ اَتُرِيْدُوْنَ اَنْ تَهْدُوْا
مَنْ اَضَلَّ اللّٰهُ ۭ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ سَبِيْلًا ﴿٨٨﴾ وَدُّوْا لَوْ تَكْفُرُوْنَ كَمَا
كَفَرُوْا فَتَكُوْنُوْنَ سَوَاۗءً فَلَا تَتَّخِذُوْا مِنْهُمْ اَوْلِيَاۗءَ حَتّٰي يُهَاجِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ
اللّٰهِ ۭ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوْهُمْ وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ ۠ وَلَا تَتَّخِذُوْا مِنْهُمْ
وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ﴿٨٩﴾ اِلَّا الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ اِلٰى قَوْمٍۢ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ اَوْ
جَاۗءُوْكُمْ حَصِرَتْ صُدُوْرُھُمْ اَنْ يُّقَاتِلُوْكُمْ اَوْ يُقَاتِلُوْا قَوْمَھُمْ ۭ وَلَوْ شَاۗءَ اللّٰهُ
لَسَلَّطَھُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقٰتَلُوْكُمْ ۚ فَاِنِ اعْتَزَلُوْكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ وَاَلْقَوْا اِلَيْكُمُ
السَّلَمَ ۙ فَمَا جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيْلًا ﴿٩٠﴾ سَتَجِدُوْنَ اٰخَرِيْنَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ
يَّاْمَنُوْكُمْ وَيَاْمَنُوْا قَوْمَھُمْ ۭ كُلَّمَا رُدُّوْٓا اِلَى الْفِتْنَةِ اُرْكِسُوْا فِيْهَا ۚ فَاِنْ لَّمْ

يَعۡتَزِلُوكُمۡ وَيُلۡقُوٓاْ إِلَيۡكُمُ ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُّوٓاْ أَيۡدِيَهُمۡ فَخُذُوهُمۡ وَٱقۡتُلُوهُمۡ
حَيۡثُ ثَقِفۡتُمُوهُمۡۚ وَأُوْلَٰٓئِكُمۡ جَعَلۡنَا لَكُمۡ عَلَيۡهِمۡ سُلۡطَٰنٗا مُّبِينٗا ﴿٩١﴾

तर्जुमा : "तुम्हें क्या हो गया? कि मुनाफ़िक़ों के बारे में दो गिरोह हो रहे हो, इन्हें तो इनके आमाल की वजह से अल्लाह तआला ने औंधा कर दिया है। अब क्या तुम यह मंसूबे बाँध रहे हो कि अल्लाह तआला के गुमराह किए हुओं को राहे-रास्त पर ला खड़ा करो, जिसे अल्लाह तआला राह भुला दे तू हर्गिज़ उसके लिए कोई राह न पाएगा। (88) इनकी तो चाहत है कि जिस तरह के काफ़िर वह हैं तुम भी उनकी तरह कुफ़्र करने लगो और फिर सब एक जैसे हो जाओ पस जब तक यह इस्लाम की ख़ातिर वतन न छोड़ें, इनमें से किसी को हक़ीक़ी दोस्त न बनाओ, पस अगर यह चेहरा फेर लें तो इन्हें पकड़ो और क़त्ल करो, जहाँ भी यह हाथ लग जाएँ। ख़बरदार! इनमें से किसी को अपना दोस्त और मददगार न समझ बैठना। (89) सिवाए उनके जो उस क़ौम से रिश्ता रखते हों जिनसे तुम्हारा मुआहिदा हो चुका है या जो तुम्हारे पास इस हालत में आएँ कि तुमसे जंग करने से भी तंग दिल हैं और अपनी क़ौम से भी जंग करने से तंग दिल हैं और अगर अल्लाह तआला चाहता तो इन्हें तुम पर मुसल्लत कर देता और वह तुमसे यक़ीनन जंग करते। पस अगर यह लोग तुमसे यक्सूई इख़्तियार कर लें और तुमसे लड़ाई न करें और तुम्हारी जानिब सुलह का पैग़ाम डालें तो अल्लाह तआला ने तुम्हारे लिए उन पर कोई राह लड़ाई की नहीं की। (90) तुम कुछ और लोगों को ऐसा भी पाओगे जिनकी (बज़ाहिर) चाहत है कि तुमसे भी अमन में रहें और अपनी क़ौम से भी अमन में रहें। (लेकिन) जब कभी फ़ित्ना अंगेज़ी की तरफ़ लौटाए जाते हैं तो औंधे मुँह उसमें डाल दिए जाते हैं पस अगर यह लोग तुमसे किनाराकशी न करें और तुमसे सुलह की सिलसिला का लिहाज जुबानी न करें और अपने हाथ न रोक लें तो उन्हें पकड़ो और मारो जहाँ कहीं भी पा लो। यही वह हैं जिन पर हमने तुम्हें ज़ाहिर हुज्जत इनायत फ़र्माई है।" (91)

मुनाफ़िक़ीन और सहाबा का मौक़िफ़ (आयत 88-91) : इसमें इख़्तिलाफ़ है कि मुनाफ़िक़ों के किस अम्र में मुसलमानों के बीच दो क़िस्म के ख़यालात दाख़िल हुए थे। हज़रत ज़ेद बिन साबित (रज़ि.) फ़र्माते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब मैदाने उहुद में तशरीफ़ ले गए तब आप (ﷺ) के साथ मुनाफ़िक़ भी थे जो जंग से पहले ही वापिस लौट आए थे, उनके बारे में कुछ मुसलमान तो कहते थे कि उन्हें क़त्ल कर देना चाहिए और कुछ कहते थे नहीं यह भी ईमानवाले हैं। (सहीह मुस्लिम, किताब सिफ़ातुल मुनाफ़िक़ीन, बाब सिफ़ातुल मुनाफ़िक़ीन : 2776) इस पर यह आयत उतरी तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, "यह शहर तैबा है, यह ख़ुद ब ख़ुद मैल कुचैल को इस तरह दूर कर देगा जिस तरह भट्टी लोहे के मैल-कुचैल को छांट देती है।" (सहीह बुख़ारी,

किताबुल मग़ाज़ी, बाब ग़ज़्वा उहुद : 4050, 1884; सहीह मुस्लिम : 1384; तिर्मिज़ी : 3028) इब्ने इस्हाक़ में है कि कुल लश्कर जंगे उहुद में एक हज़ार का था, अब्दुल्लाह बिन उबय बिन सलूल तीन सौ आदमियों को अपने साथ लेकर वापिस लौट आया था और हुज़ूरे अकरम (ﷺ) के साथ फिर सात सौ ही रह गए थे।

हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़र्माते हैं, मक्का में कुछ लोग थे जो कलिमा गो थे लेकिन मुसलमानों के ख़िलाफ़ मुश्रिकों की मदद करते थे यह अपनी किसी ज़रूरी हाजत के लिए मक्का से निकले, उन्हें यक़ीन था कि अस्हाबे रसूल (ﷺ) से उनकी कोई रोक-टोक न होगी क्योंकि बज़ाहिर कलिमा के क़ाइल थे, उधर जब मदनी मुसलमानों को इसका इल्म हुआ तो उनमें से कुछ तो कहने लगे इन नामर्दों से पहले जिहाद करो यह हमारे दुश्मनों की तरफ़दार हैं और कुछ ने कहा, सुब्हानल्लाह! जो लोग तुम जैसा कलिमा पढ़ते हैं तुम उनसे लड़ोगे? सिर्फ़ इस वजह से कि उन्होंने हिज्रत नहीं की और अपने घर नहीं छोड़े हम किस तरह उनके ख़ून और उनके माल हलाल कर सकते हैं? उनका यह इख़्तिलाफ़ रसूलुल्लाह (ﷺ) के सामने हुआ, आप (ﷺ) ख़ामोश थे तब यह आयत नाज़िल हुई। (इब्ने अबी हातिम)

हज़रत सअद बिन मुआज़ (रज़ि.) के लड़के फ़र्माते हैं हज़रत आइशा सिद्दीक़ा (रज़ि.) पर जब तोहमत लगाई गई और रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मिम्बर पर खड़े होकर फ़र्माया, ''कोई है जो मुझे अब्दुल्लाह बिन उबय बिन सलूल की ईज़ा (तकलीफ़) से बचाए, उस पर ओस व ख़ज़रज के दरम्यान जो इख़्तिलाफ़ हुआ उसकी बाबत यह आयत नाज़िल हुई है। लेकिन यह क़ौल ग़रीब है। इनके सिवा और क़ौल भी हैं। अल्लाह तआला ने उन्हें उनकी नाफ़र्मानी की वजह से हलाक कर दिया, इनकी हिदायत की कोई राह नहीं, यह तो चाहते हैं कि सच्चे मुसलमान भी उन जैसे गुमराह हो जाएँ इस क़द्र अदावत उनके दिलों में है, तो तुम्हें मुमानिअत की जाती है कि जब तक यह हिज्रत न करें उन्हें अपना न समझो, यह ख़्याल न करो कि यह तुम्हारे दोस्त और मददगार हैं, बल्कि यह ख़ुद इस लायक़ हैं कि इनसे बाक़ायदा जिहाद किया जाए। फिर उनमें से उन हज़रात का इस्तिस्ना किया जाता है जो किसी ऐसी क़ौम की पनाह में चले जाएँ जिससे मुसलमानों का अहदो-पैमान सुलह व सुलूक है तो इनका हुक्म भी वही होगा जो मुआहिदा वाली क़ौम का है। सुराक़ा बिन मालिक मुदलजी (रज़ि.) कहते हैं जब जंगे बद्र और जंगे उहुद में मुसलमान ग़ालिब आए और आसपास के लोगों में इस्लाम की बख़ूबी इशाअत हो गई तो मुझे मालूम हुआ कि हुज़ूरे अकरम (ﷺ) का इरादा है कि ख़ालिद बिन वलीद (रज़ि.) को एक लश्कर देकर मेरी क़ौम बनू मुदलिज की गोशमाली के लिए रवाना फ़र्माएँ तो मैं आप (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया मैं आप (ﷺ) को एहसान याद दिलाता हूँ, लोगों ने मुझसे कहा ख़ामोश रह लेकिन हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, ''इसे कहने दो, कहो क्या कहना चाहते हो।'' मैंने कहा, मुझे मालूम हुआ है कि आप (ﷺ) मेरी क़ौम की तरफ़ लश्कर भेजने वाले हैं मैं चाहता हूँ कि आप (ﷺ) उनसे सुलह कर लें इस बात पर कि अगर क़ुरैश इस्लाम लाएँ तो वह भी मुसलमान हो जाएँगे और अगर वह इस्लाम न लाएँ तो उन पर भी आप चढ़ाई न करें। हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने हज़रत ख़ालिद बिन वलीद (रज़ि.) का हाथ अपने हाथ में लेकर फ़र्माया, इनके साथ जाओ और इनके कहने के मुताबिक़ इनकी क़ौम से सुलह कर आओ। पस इस बात पर सुलह हो गई कि वह दुश्मनाने दीन की किसी क़िस्म की मदद न करेंगे, और अगर क़ुरैश इस्लाम लाएँ तो यह भी मुसलमान हो जाएँगे, पस अल्लाह तआला ने यह आयत उतारी कि यह चाहते हैं कि तुम भी कुफ़्र करो, जैसे वह कुफ़्र करते हैं फिर तुम और वह बराबर हो जाओ पस इनमें से किसी

को दोस्त न जानो। (यह रिवायत ह़सन (रह़.) और सुराक़ा (रज़ि.) के बीच इंकिताअ की वजह से ज़ईफ़ है। देखिए (तहज़ीबुत्तह्ज़ीब : 3/396) यही रिवायत इब्ने मर्दवे में है और उसमें है आयत (**इल्लल्लज़ी-न यसिलून**) नाज़िल हुई। पस जो भी इनसे मिल जाता वह उन्हीं की त़रह़ पुरअमन रहता। क़लाम के अल्फ़ाज़ से ज़्यादा मुनासिबत इसी को है।

स़ह़ीह़ बुख़ारी शरीफ़ में सुलह़ हुदेबिया के क़िस्से में है कि फिर जो कुछ मक्की कुफ़्फ़ार की जमाअत में दाख़िल हो जाता और अमन पा लेता और जो चाहता मदनी मुसलमानों से मिलता और अहदनामा की वजह से मामून हो जाता। (स़ह़ीह़ बुख़ारी, किताबुश्शुरूत़, बाबुश्शुरूत़ फ़िल जिहाद : 2731, 2732) ह़ज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) का क़ौल है कि इस हुक्म को फिर इस आयत ने मंसूख़ कर दिया कि (فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ) (9/तौबा : 5) यानी जब हुर्मत वाले महीने गुज़र जाएँ तो मुश्रिकीन से जिहाद करो जहाँ कहीं उन्हें पाओ। फिर एक दूसरी जमाअ़त का ज़िक्र हो रहा है जिसे मुस्तस्ना (अलग) किया है जो मैदान में लाए जाते हैं लेकिन बेचारे बेबस होते हैं वह न तो तुमसे लड़ना चाहते हैं, न तुम्हारे साथ मिलकर अपनी क़ौम से लड़ना पसंद करते हैं बल्कि वह ऐसे बीच के लोग हैं जो न तुम्हारे दुश्मन कहे जा सकते हैं न दोस्त। यह भी अल्लाह तआला का फ़ज़्ल है कि उसने उन लोगों को तुम पर मुसल्लत़ नहीं किया अगर वह चाहता तो उन्हें ज़ोर व त़ाक़त देता और उनके दिल में डाल देता कि वह तुमसे लड़ें। पस अगर यह तुम्हारी लड़ाई से बाज़ रहें और सुलह़ व स़फ़ाई से यकसू हो जाएँ तो तुम्हें भी उनसे लड़ने की इजाज़त नहीं। इसी क़िस्म के लोग थे जो बद्र वाले दिन बनू हाशिम के क़बीले में से मुश्रिकीन के साथ आए थे जो दिल से उसे नापसंद रखते थे जैसे ह़ज़रत अ़ब्बास (रज़ि.) वग़ैरह। यही वजह थी कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ह़ज़रत अ़ब्बास (रज़ि.) के क़त्ल को मना कर दिया था और हुक्म दिया था कि उन्हें ज़िन्दा गिरफ़्तार कर लिया जाए। फिर एक और गिरोह का ज़िक्र किया जाता है। जो बजाहिर तो ऊपर वालों जैसा है लेकिन दरअस़ल निय्यत में बहुत रन्जिश है, यह लोग मुनाफ़िक़ हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) के पास आकर इस्लाम ज़ाहिर करके अपने जान माल मुसलमानों से महफ़ूज़ करा लेते हैं, उधर कुफ़्फ़ार में मिलकर उनके माबूदाने बात़िला की परसतिश करके उनमें से होना ज़ाहिर करके उनसे मिले रहते हैं ताकि उनके हाथों भी अमन में रहें, दरअस़ल यह लोग हैं काफ़िर, जैसे और जगह है अपने शयात़ीन के पास तंहाई में जाकर कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं। यहाँ भी फ़र्माता है कि जब कभी फ़ित्ना अंगेज़ी की त़रफ़ लौटाए जाते हैं तो जी खोलकर पूरी सरगर्मी से उसमें ह़िस्सा लेते हैं जैसे कोई औंधे मुँह गिरा हुआ हो। फ़ित्ना से मुराद यहाँ शिर्क है।

ह़ज़रत मुजाहिद (रह़.) फ़र्माते हैं यह लोग भी मक्का वाले थे यहाँ आकर बत़ौर रियाकारी के इस्लाम क़बूल करते थे वहाँ जाकर उनके बुत पूजते थे, तो मुसलमानों को फ़र्माया जाता है कि अगर यह अपनी इस दोग़ली रविश से बाज़ न आए तुम्हारी ईज़ारसानी से अलग न हों, सुलह़ न करें तो इन्हें अमन अमान न दो, इनसे भी जिहाद करो, इन्हें क़ैदी बनाओ और जहाँ पाओ, क़त्ल कर दो, बेशक इन पर हमने तुम्हें ज़ाहिर ग़लबा और खुली हुज्जत अ़त़ा फ़र्माई है।

***

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَّقْتُلَ مُؤْمِنًا اِلَّا خَطَـًٔا ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا
فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَّدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلٰٓى اَهْلِهٖٓ اِلَّآ اَنْ يَّصَّدَّقُوْا ۭ فَاِنْ كَانَ مِنْ
قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۭ وَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍۢ بَيْنَكُمْ
وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلٰٓى اَهْلِهٖ وَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۚ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ
فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ۡ تَوْبَةً مِّنَ اللّٰهِ ۭ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿٩٢﴾ وَمَنْ
يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاۗؤُهٗ جَهَنَّمُ خٰلِدًا فِيْهَا وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهٗ
وَاَعَدَّ لَهٗ عَذَابًا عَظِيْمًا ﴿٩٣﴾

तर्जुमा : ''किसी मोमिन को दूसरे मोमिन का क़त्ल कर देना ज़ेबा नहीं मगर ग़लती से हो जाए (तो और बात है) जो शख़्स किसी मुसलमान को बिला क़सद मार डाले उस पर एक मुसलमान गुलाम की गर्दन की आज़ादगी है और मक़्तूल के अज़ीज़ों को ख़ून बहा पहुँचाना, हाँ! यह और बात है कि वह लोग बतौर सदक़ा के माफ़ करदें, और अगर मक़्तूल तुम्हारी दुश्मन क़ौम का हो और हो वह मुसलमान, तो सिर्फ़ एक मोमिन गुलाम की गर्दन आज़ाद करनी लाज़िम है और अगर मक़्तूल उस क़ौम से हो कि तुममें और उनमें अहदो पैमान है तो ख़ून बहा लाज़िम है जो उसके कुंबे वालों को पहुँचाया जाए और एक मुसलमान गुलाम की आज़ादगी, पस जो न पाए उसके जिम्मे दो महीने के लगातार रोज़े हैं, अल्लाह तआला से बख़्शवाने के लिए। और अल्लाह तआला बख़ूबी जानने वाला और हिक्मत वाला है। (92) और जो कोई किसी मोमिन का क़सदन क़त्ल कर डाले उसकी सज़ा दोज़ख़ है जिसमें वह हमेशा रहेगा, उस पर अल्लाह तआला का ग़ज़ब है उसे अल्लाह तआला ने लानत की है और उनके लिए बड़ा अज़ाब तैयार कर रखा है।'' (93)

अंजाने में हुए क़त्ल की दियत और जान बूझकर किये गये क़त्ल की वईद (सज़ा) का बयान (आयत 92, 93) : इर्शाद होता है कि किसी मुसलमान को लायक़ नहीं कि किसी हाल में अपने मुसलमान

भाई का ख़ून नाहक़ करे। बुख़ारी व मुस्लिम में है रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़र्माते हैं, ''किसी मुसलमान का जो अल्लाह तआला के एक होने की और मेरे रसूल होने की शहादत देता हो, ख़ून बहाना हलाल नहीं, मगर तीन हालतों में, एक तो यह कि उसने किसी को क़त्ल कर दिया हो, दूसरे शादीशुदा होकर ज़िना किया हो, तीसरे दीने इस्लाम को छोड़ देने वाला, जमाअत से फ़ुर्क़त करने वाला।'' (सहीह बुख़ारी, किताबुदियात बाब क़ौलुहू तआला (अन्नफ़्स बिन्नफ़्सि) :6878; सहीह मुस्लिम : 1676; अबूदाऊद : 4352; तिर्मिज़ी : 1402; इब्ने माजा : 2534) फिर यह भी याद रहे कि जब इन तीनों कामों में से कोई काम किसी से वाक़ेअ हो जाए तो रिआया में से किसी को उसके क़त्ल का इख़्तियार नहीं, इमाम या नाइब इमाम का यह मंसब है। इसके बाद इस्तिस्ना मुन्क़तअ है, अरब शायरों के कलाम में भी इस क़िस्म के इस्तिस्ना बहुत से मिलते हैं। इस आयत के शाने नुज़ूल में एक क़ौल तो यह मरवी है कि अयाश बिन अबी रबीआ जो अबू जहल का माँ की तरफ़ से भाई था जिसकी माँ का नाम अस्मा बिन्ते मख़्रमा था उसके बारे में उतरी है, उसने एक शख़्स को क़त्ल कर डाला था जैसे वह इस्लाम लाने की वजह से सज़ाएँ दे रहा था यहाँ तक कि उसकी जान ले ली, उनका नाम हारिस बिन यज़ीद ग़ामदी था, हज़रत अयाश (रज़ि.) के दिल में यह ख़ार रह गया और उन्होंने ठान ली कि मौक़ा पाकर इसे क़त्ल कर दूँगा। अल्लाह तआला ने कुछ दिनों बाद क़ातिल को भी इस्लाम की हिदायत दी वह मुसलमान हो गए और हिज्रत भी कर ली लेकिन हज़रत अयाश (रज़ि.) को यह मालूम न था, फ़तह मक्का वाले दिन यह उनकी नज़र में आ गए, यह जानकर कि यह अब तक कुफ़्र पर हैं उन पर अचानक हमला कर दिया और क़त्ल कर दिया इस पर यह आयत उतरी। दूसरा क़ौल यह है कि यह आयत हज़रत अबुद्दर्दा (रज़ि.) के बारे में नाज़िल हुई है जबकि उन्होंने एक काफ़िर शख़्स पर हमला किया तलवार तानी ही थी तो उसने कलिमा पढ़ लिया लेकिन उनकी तलवार चल गई और उसे क़त्ल कर डाला। जब हुज़ूरे अकरम (ﷺ) से यह वाक़िया बयान हुआ तो हज़रत अबुद्दर्दा (रज़ि.) ने अपना यह उज़्र बयान किया कि उसने सिर्फ़ जान बचाने की ग़र्ज़ से कलिमा पढ़ा था। आप (ﷺ) नाराज़ होकर फ़र्माने लगे, ''क्या तुमने उसका दिल चीरकर देखा था।'' यह वाक़िया सहीह हदीस में भी है लेकिन वहाँ नाम दूसरे सहाबी का है। (सहीह बुख़ारी, किताबुल मग़ाज़ी, बाब बअसुन्नबी (ﷺ) उसामा : 4269; सहीह मुस्लिम : 96; अन उसामा बिन ज़ेद (रज़ि.)) फिर क़त्ले ख़ता का ज़िक्र हो रहा हे कि इसमें दो चीज़ें वाजिब हैं एक तो ग़ुलाम आज़ाद करना दूसरे दियत देना। उस ग़ुलाम के लिए भी शर्त है कि वह ईमानवाला हो। काफ़िर को आज़ाद करना काफ़ी न होगा, छोटा नाबालिग़ बच्चा भी काफ़ी न होगा जब तक कि वह अपने इरादे से ईमान का क़सद करने वाला और इतनी उम्र का न हो। इमाम इब्ने जरीर (रह.) का मुख़्तार क़ौल यह है कि अगर उसके माँ बाप दोनों मुसलमान हों तो जाइज़ है वरना नहीं। जुम्हूर का मज़हब यह है कि मुसलमान होना शर्त है छोटे-बड़े की कोई क़ैद नहीं।

एक अंसारी (रज़ि.) स्याह फ़ाम लौण्डी को लेकर हुज़ूरे अकरम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर होते हैं और कहते हैं, मेरे ज़िम्मे एक मुसलमान गर्दन का आज़ाद करना है अगर यह मुसलमान हो तो मैं इसे आज़ाद कर दूँ। आप (ﷺ) ने उस लौण्डी से पूछा, ''क्या तू गवाही देती है कि अल्लाह तआला के सिवा कोई माबूद नहीं।'' उसने कहा, हाँ! आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ''क्या इस बात की भी गवाही देती है कि मैं अल्लाह तआला

का रसूल हूँ।'' उसने कहा, हाँ! फ़र्माया, ''क्या मरने के बाद जी उठने की भी तू क़ाइल है।'' उसने कहा, हाँ! आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ''इसे आज़ाद कर दो।'' (मुस्नद अहमद : 3/452; वसनदुहू ज़ईफ़; ज़ुहरी अन्अन; मज्मउज़्ज़वाइद : 4/244) इसकी इस्नाद सहीह है और सहाबी कौन थे इसका मख़्फ़ी रहना सनद में मुज़िर नहीं। यह रिवायत हदीस की और बहुत सी किताबों में इस तरह है कि आप (ﷺ) ने उससे पूछा, ''अल्लाह तआला कहाँ है?'' उसने कहा, आसमानों में। पूछा, ''मैं कौन हूँ?'' जवाब दिया आप अल्लाह तआला के रसूल हैं। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ''इसे आज़ाद कर दो यह ईमान वाली है।'' (सहीह मुस्लिम, किताबुल मसाजिद, बाब तहरीमुल कलाम फ़िस्सलाति : 537) पस एक तो गर्दन आज़ाद करना वाजिब है, दूसरे ख़ून बहा देना जो मक़्तूल के घरवालों को सौंप दिया जाएगा, यह बदला है उनके मक़्तूल का। यह दियत सौ ऊँट है पाँच क़िस्मों के, बीस तो दूसरी साल की उम्र की ऊँटनियाँ और बीस इसी उम्र के ऊँट और बीस तीसरे साल में लगी हुई ऊँटनियाँ और बीस पाँचवें साल में लगी हुई और बीस चौथे साल में लगी हुई। यही फ़ैसला क़त्ले ख़ता के ख़ून बहा का रसूलुल्लाह (ﷺ) ने किया है, मुलाहिज़ा हो सुनन व मुस्नद अहमद। (अबूदाऊद : 4545; तिर्मिज़ी : 1386; नसाई : 4806; इब्ने माजा : 2631; अहमद : 1/450; वसनदुहू ज़ईफ़; हज्जाज बिन इरतात ज़ईफ़ मुदल्लस रावी है।) यह हदीस बरिवायत हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) मौक़ूफ़ भी मरवी है। हज़रत अली (रज़ि.) और एक जमाअत से भी यही मन्क़ूल है और यह भी कहा गया है यह दियत चार चौथाईयों में बटी हुई है, यह ख़ून बहा क़ातिल के आक़िला और उसके अस्बा यानी वारिसों के बाद के क़रीबी रिश्तेदारों पर है, उसके अपने माल पर नहीं। इमाम शाफ़ेई (रह.) फ़र्माते हैं मैं इस अम्र मे किसी को मुख़ालिफ़ नहीं जानता कि हु ज़ूरे अकरम (ﷺ) ने दियत का फ़ैसला उन्हीं लोगों पर किया है और यह हदीस ख़ास्सा मे कसरत से है। इमाम साहब जिन अहादीस की तरफ़ इशारा करते हैं वह बहुत सी हैं, बुखारी व मुस्लिम में हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) से मरवी है कि हुज़ैल क़बीला की दो औरतें आपस में लड़ीं, एक ने दूसरी को एक पत्थर मारा वह हामिला थी बच्चा भी ज़ाया हो गया और वह भी मर गई, क़िस्सा आँहज़रत (ﷺ) के पास आया तो आप (ﷺ) ने फ़ैसला किया ''कि उस बच्चे के बदले में तो एक जान लौण्डी या गुलाम और औरत (जो क़त्ल हुई है) के बदले दियत और वह दियत क़ातिला औरत के हक़ीक़ी वारिसों के रिश्तेदारों के ज़िम्मे है।'' (सहीह बुख़ारी, किताबुद्दियात, बाब जनीनुल मर्अति : 6910; सहीह मुस्लिम : 1681; अबूदाऊद : 4576; नसाई : 4822) इससे यह भी मालूम हुआ कि जो क़त्ले अमद ख़ता से हो वह भी हुक्म में ख़ता महज़ के है, यानी दियत के ऐतिबार से यहाँ इसमें तक़्सीम सुलुस पर होगी तीन हिस्से होंगे क्योंकि इसमें शबाहते अमद यानी बिल क़सद भी है। सहीह बुख़ारी शरीफ़ में है बनू ख़ुज़ेमा की जंग के लिए हज़रत ख़ालिद बिन वलीद (रज़ि.) को हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने एक लश्कर पर सरदार बनाकर भेजा उन्होंने जाकर उन्हें दावते इस्लाम दी उन्होंने दावत तो क़बूल कर ली लेकिन बवजह नादानिस्तगी (अंजाने में) बजाए **अस्लम्ना** यानी हम मुसलमान होने के **सबाना** कहा, यानी हम बेदीन हुए। ख़ालिद (रज़ि.) ने उन्हें क़त्ल करना शुरू कर दिया। जब हुज़ूरे अकरम (ﷺ) को यह ख़बर पहुँची तो आपने हाथ उठाकर जनाब बारी तआला मे अर्ज़ की, ''या अल्लाह! ख़ालिद (रज़ि.) के इस काम से मैं अपनी बेज़ारी और बरात तेरे सामने ज़ाहिर करता हूँ।'' फिर हज़रत अली (रज़ि.) को बुलाकर उन्हें भेजा कि ''जाओ उनके मक़्तूलों को दियत चुका आओ और जो उनका

माली नुक़्सान हुआ हो उसे भी कोड़ी कोड़ी चुका आओ।'' (सहीह बुख़ारी, किताबुल मग़ाज़ी, बाब बअसन् नबी (ﷺ) ख़ालिद बिन वलीद (रज़ि.) : 4339; नसाई : 5407) इससे साबित हुआ कि इमाम या नाइब इमाम की ख़ता का बोझ बैतुलमाल पर होगा।

फिर फ़र्माता है ख़ून बहा जो वाजिब है अगर ओलिया मक़्तूल अज़्ख़ुद इससे दस्त बरदारी करें तो उन्हे इख़्तियार है वह बतौरे सदक़ा के उसे माफ़ कर सकते हैं। फिर फ़र्मान है कि अगर मक़्तूल मुसलमान हो लेकिन उसके ओलिया ह़र्बी काफ़िर हों तो क़ातिल पर दियत नहीं, क़ातिल पर उस सूरत में सिर्फ़ आज़ादगी गर्दन है और अगर उसके वली वारिस उस क़ौम में से हों जिनसे तुम्हारी सुलह़ और अ़हदो पैमान है तो दियत देनी पड़ेगी, अगर मक़्तूल मोमिन था तो कामिल ख़ून बहा, और अगर मक़्तूल काफ़िर था तो कुछ के नज़दीक तो पूरी दियत है कुछ के नज़दीक आधी, कुछ के नज़दीक तिहाई, तफ़्सील कुतुबे अह़काम मे मुलाह़िज़ा हो। और क़ातिल पर मोमिन बुर्दे (गुलाम) को आज़ाद करना भी लाज़िम है। अगर किसी को इसकी त़ाक़त बवजह मुफ़्लिसी के न हो तो उसके ज़िम्मे दो महीने के रोज़े हैं जो लगातार पे दर पे रखने होंगे। अगर किसी शरई उ़ज़्र मस्लन बीमारी या ह़ैज़ या निफ़ास के बग़ैर कोई रोज़ा बीच में से छोड़ दिया तो फिर नये सिरे से रोज़े शुरू करने पड़ेंगे। सफ़र के बारे में दो क़ौल हैं एक तो यह कि यह भी शरई उ़ज़्र है दूसरे यह कि यह उ़ज़्र नहीं। फिर फ़र्माता है क़त्ले ख़त़ा की तौबा की यह सूरत है कि गुलाम आज़ाद नहीं कर सकता तो रोज़े रख ले, और जिसे रोज़ों की भी त़ाक़त न हो वह मिस्कीनों को खाना खिला सकता है या नहीं, तो एक क़ौल तो यह है कि साठ मिस्कीनों को खिला दे जैसे कि ज़िहार के कफ़्फ़ारे में है, वहाँ साफ़बयान फ़र्मा दिया यहाँ इसलिए बयान नहीं किया गया कि यह डराने और ख़ौफ़ दिलाने का मक़ाम है। आसानी की सूरत अगर बयान कर दी जाती तो हेबत व अ़ज़्मत इतनी बाक़ी न रहती। दूसरा क़ौल यह है कि रोज़े के नीचे कुछ नहीं, अगर होता तो बयान के साथ ही बयान कर दिया जाता, ह़ाजत के वक़्त से बयान को मुअख़्ख़र करना ठीक नहीं (बज़ाहिर क़ौले सानी ही अच्छा मालूम होता है, वल्लाहु आलम! मुतर्जिम) अल्लाह अ़लीम व ह़कीम है। इसकी तफ़्सीर कई मर्तबा गुज़र चुकी है।

क़त्ले अमद की तौबा और सह़ाबा (रज़ि.) का मौक़िफ़ : क़त्ले ख़त़ा के बाद अब क़त्ले अ़मद का बयान हो रहा है, इसकी सख़्त बुराई और निहायत ताकीद वाली डरावनी सज़ा फ़र्माई जा रही है, यह वह गुनाह है जिसे अल्लाह तआ़ला ने शिर्क के साथ मिला दिया है, फ़र्माता है (وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰـهًا اٰخَرَ وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ) (25/फ़ुरक़ान : 67) यानी मुसलमान बन्दे वह हैं जो अल्लाह तआ़ला के साथ किसी और को माबूद ठहराकर नहीं पुकारते और न वह किसी शख़्स को नाह़क़ क़त्ल करते हैं। दूसरी जगह फ़र्मान है (قُلْ تَعَالَوْا اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ) (6/अन्आम : 151) यहाँ भी अल्लाह तआ़ला ने ह़राम किए हुए कामों का ज़िक्र करते हुए शिर्क का और क़त्ल का ज़िक्र फ़र्माया है। और भी इस मज़्मून की आयतें बहुत सी हैं और ह़दीसें भी इस बाब में बहुत सी वारिद हुई हैं। मुस्लिम व बुख़ारी में है '' क़यामत के दिन सबसे पहले ख़ून का फ़ैसला होगा।'' (सह़ीह़ बुख़ारी, किताबुर्रिक़ाक़, बाबुल क़िसास़ यौमल क़ियामा : 6533; सह़ीह़ मुस्लिम : 1678) अबूदाऊद में है ''ईमानदार नेकियों और भलाईयों में बढ़ता रहता है जब तक कि ख़ूने नाह़क़ न करे अगर ऐसा कर लिया तो तबाह हो जाता है।'' (अबूदाऊद, किताबुल फ़ितन,

बाब फ़ी ताज़ीमे क़त्लिल मोमिन : 4270; वसनदुहू सहीह) और हदीस में है "सारी दुनिया का ज़वाल अल्लाह तआला के नज़दीक एक मुसलमान के क़त्ल से कम दर्जे का है।" (तिर्मिज़ी, किताबुद्दियात, बाब मा जाअ फ़ी तशदीदे क़त्लिल मोमिन : 1395; वहुव हसन; नसाई : 3992) और हदीस में है "अगर तमाम रूए ज़मीन के और आसमान के लोग किसी एक मुसलमान के क़त्ल में शरीक हों तो अल्लाह तआला सबको औंधे मुँह जहन्नम में डाल दे।" (तिर्मिज़ी, अब्वाबुद्दियात, बाबुल हुक्म फ़िद्दिमाअ : 1398; वसनदुहू ज़ईफ़ुन; यज़ीद रक़्क़ाशी ज़ईफ़ रावी है।) और हदीस में है "जिस शख़्स ने किसी मुसलमान के क़त्ल पर आधे कलिमा से भी एआनत की वह क़यामत के दिन अल्लाह तआला के सामने इस हालत में आएगा कि उसकी पेशानी पर लिखा हुआ होगा कि यह शख़्स अल्लाह की रहमत से महरूम है।" (इब्ने माजा, अब्वाबुद्दियात, बाबुत्तग़्लीज़ फ़ी क़त्लि मुस्लिम ज़ुल्मन : 2620; वसनदुहू ज़ईफ़; यज़ीद बिन ज़ियाद मतरूक रावी है।)

हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) का तो क़ौल है कि जिसने मोमिन को क़सदन क़त्ल किया उसकी तौबा क़बूल ही नहीं। अहले कूफ़ा जब इस मसले में इख़्तिलाफ़ करते हैं तो इब्ने ज़ुबेर (रह.) इब्ने अब्बास (रज़ि.) के पास आकर पूछा करते हैं, आप फ़र्माते हैं, यह आख़िरी आयत है जिसे किसी आयत ने मंसूख़ नहीं किया। (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर, सुरतुन्निसाअ **(मय्यंक़्तुल मुमिनन मुतअम्मिदा)** : 4590; सहीह मुस्लिम : 3023) और आप फ़र्माते हैं कि दूसरी आयत **(वल्लज़ी-न ला यदऊन)** जिसमें तौबा का ज़िक्र है वह अहले शिर्क के बारे में नाज़िल हुई है। (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ़सीर, सुरतुल फ़ुरक़ान बाब क़ौलुहू तआला **(इल्ला मन ताब व आमना)** : 4766; सहीह मुस्लिम : 3023) लेकिन जबकि किसी शख़्स ने इस्लाम की हालत में किसी मुसलमान को ग़ैर शरई वजह से क़त्ल किया उसकी सज़ा जहन्नम है और उसकी तौबा क़बूल नहीं। हज़रत मुजाहिद (रह.) से जब यह क़ौले इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान हुआ तो फ़र्माने लगे, मगर जो नादिम हो। (सहीह बुख़ारी, किताब मनाक़िबुल अंसार, बाब मा लक़ियन्नबी (ﷺ) व अस्हाबहू मिनल मुश्रिकीन बिमक्कति : 3855) सालिम बिन अबुल जअद (रह.) फ़र्माते हैं, हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) जब नाबीना हो गए थे एक मर्तबा हम उनके पास बैठे हुए थे। जो एक शख़्स आया और आपको आवाज़ देकर पूछा कि उसके बारे में आप क्या फ़र्माते हैं जिसने किसी मोमिन को जान-बूझकर मार डाला। आपने फ़र्माया, उसकी सज़ा जहन्नम है जिसमें वह हमेशा रहेगा अल्लाह तआला का उस पर ग़ज़ब है और उस पर अल्लाह की लानत है और उसके लिए अज़ाबे अज़ीम तैयार है उसने फिर पूछा अगर वह तौबा करे नेक अमल करे और हिदायत पर जम जाए तो? फ़र्माने लगे, उसकी माँ उसे रोए उसे तौबा और हिदायत कहाँ, उसकी क़सम जिसके हाथ में मेरी जान है! मैंने नबी अकरम (ﷺ) से सुना है "उसकी माँ उसे रोए जिसने मोमिन को जान बूझकर मार डाला है वह क़यामत के दिन उसे दाएँ या बाएँ हाथ से थामे हुए रहमान के अर्श के सामने आएगा, उसकी रगों मे ख़ून उछल रहा होगा और अल्लाह तआला से कहेगा कि ऐ अल्लाह! इससे पूछ कि इसने मुझे क्यूँ क़त्ल किया।" उस अल्लाह तआला की क़सम! जिसके हाथ में मेरी जान है कि इस आयत के नाज़िल होने के बाद हुज़ूरे अकरम (ﷺ) की वफ़ात तक इसे मंसूख़ करने वाली कोई आयत नहीं उतरी। और रिवायत में इतना और भी है कि न हुज़ूरे अकरम (ﷺ) के बाद कोई वही उतरेगी। (तबरी : 10193;

अह़मद : 1/240; नसाई, किताबुल क़सामा, बाब मा जाअ फ़ी किताबिल क़िसास : 4870; इब्ने माजा : 2621; यह रिवायत शवाहिद के साथ सह़ीह़ है।) हज़रत ज़ेद बिन साबित, हज़रत अबू हुरैरा, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.), हज़रत अबू सलमा बिन अब्दुर्रह़मान, उबेद बिन उमेर, क़तादा, ज़ह्ह़ाक (रह़ि.) भी हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) के ख़्याल के साथ हैं। इब्ने मर्दवे में है कि मक़्तूल अपने क़ातिल को पकड़कर क़यामत के दिन अल्लाह तआला के सामने लाएगा, दूसरे हाथ से अपना सर उठाए हुए होगा और कहेगा, ऐ मेरे रब! इससे पूछ कि इसने मुझे क्यूँ क़त्ल किया? क़ातिल कहेगा, परवरदिगार! इसलिए कि तेरी इज़्ज़त हो। अल्लाह तआला फ़र्माएगा पस यह मेरी राह में है। दूसरा मक़्तूल भी अपने क़ातिल को पकड़े हुए लाएगा और यही कहेगा। क़ातिल जवाबन कहेगा इसलिए कि फ़लाँ की इज़्ज़त हो। अल्लाह तआला फ़र्माएगा, इसका गुनाह वह लेकर लौटा। फिर उसे आग में झोंक दिया जाएगा। जिस गढ़े में सत्तर साल तक तो नीचे ही चला जाएगा। (इब्ने मर्दवे वसनदुहू ज़ईफ़; नसाई : 4002; बि लफ़्ज़ि आख़र वसनदुहू ज़ईफ़; वहुव सह़ीहुन बिश्शवाहिद)

मुस्नद अह़मद में है मुम्किन है अल्लाह तआला तमाम गुनाह बख़्श दे, लेकिन एक तो वह शख़्स जो कुफ़्र की ह़ालत में मरा, दूसरा वह जो किसी मोमिन का क़सदन क़ातिल बना। (नसाई, किताबुल मुह़ारिबा, (तह़रीमुद्दम) : 3989; वसनदुहू सह़ीह़) इब्ने मर्दवे में भी ऐसी ही ह़दीस है और वह बिलकुल ग़रीब है। (अबूदाऊद : 4270; वसनदुहू सह़ीह़ व इब्ने ह़िब्बान : 5980; वल ह़ाकिम : 4/351; वल् बैहक़ी : 6/21)मह़फ़ूज़ वह ह़दीस है जो बह़वाला सनद बयान हुई। इब्ने मर्दवे में और ह़दीस है कि "जान बूझकर ईमानदार को मार डालने वाला काफ़िर है।" यह ह़दीस मुंकर है और इसकी इस्नाद में बहुत कलाम है। (इब्ने मर्दवे वसनदुहू ज़ईफ़ुन जिद्दा, इसकी सनद में बक़िया बिन वलीद मुदल्लस और ज़ेद बिन जुबेर मतरूक रावी है (अल्मीज़ान : 1/331; रक़म : 1250, 2/99; रक़म : 2995) हुमेद कहते हैं मेरे पास अबुल आलिया आए। मेरे एक दोस्त भी उस वक़्त मेरे पास थे। हमसे कहने लगे तुम दोनों मुझसे कम उम्र और ज़्यादा ह़िफ़्ज़ वाले हो, आओ मेरे साथ बिश्र बिन आसिम के पास चलो। जब वहाँ पहुँचे तो हज़रत बिश्र (रज़ि.) से फ़र्माया, इन्हें भी वह ह़दीस सुना दो। उन्होंने सुनानी शुरू की कि उत्बा बिन मालिक लैसी (रज़ि.) ने कहा, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक छोटा सा लश्कर भेजा था। उसने एक क़ौम पर छापा मारा वह लोग भाग खड़े हुए उनके साथ एक शख़्स भागा जा रहा था, उसके पीछे एक लश्करी भागा, जब उसके क़रीब नंगी तलवार लिए हुए पहुँच गया तो उसने कहा, मैं तो मुसलमान हूँ। उसने कुछ ख़्याल न किया, तलवार चला दी। इस वाक़िया की ख़बर हुज़ूरे अकरम (ﷺ) को हुई तो आप बहुत नाराज़ हुए और सख़्त सुस्त कहा। यह ख़बर उस शख़्स को भी पहुँची। एक दिन रसूले अकरम (ﷺ) ख़ुत्बा पढ़ रहे थे कि उस क़ातिल ने कहा, हुज़ूर (ﷺ)! अल्लाह की क़सम! उसने तो यह बात मह़ज़ क़त्ल से बचने के लिए कही थी। आप (ﷺ) ने उस की तरफ़ से नज़रें फेर ली और ख़ुत्बा सुनाते रहे। उसने दोबारा कहा, आप (ﷺ) ने फिर चेहरा फेर लिया। उससे सब्र न हो सका, तीसरी बार कहा तो आप (ﷺ) ने उसकी तरफ़ तवज्जह की और नाराज़गी आप (ﷺ) के चेहरे से टपक रही थी, फ़र्माने लगे, क़ातिल मोमिन पर अल्लाह तआला का इंकार है।" तीन बार यही फ़र्माया। यह रिवायत नसाई में भी है। (मुस्नद अह़मद : 5/289; वसनदुहू ह़सन; इसके शवाहिद के लिए मज़ीद देखिए सह़ीह़ बुख़ारी : 4269; सह़ीह़ मुस्लिम : 96; अबूदाऊद : 2643) पस एक मज़हब तो यह हुआ कि क़ातिल मोमिन की

तौबा नहीं। दूसरा मज़हब यह है कि तौबा उसके और अल्लाह तआला के बीच है। जुम्हूर सल्फ़ व ख़ल्फ़ का यही मज़हब है कि अगर उसने तौबा की और अल्लाह तआला की तरफ़ रुजूअ किया, ख़ुशूअ व ख़ुज़ूअ में लगा रहा, नेक आमाल करने लग गया तो अल्लाह तआला उसकी तौबा क़बूल कर लेगा और मक़्तूल को अपने पास से बदला देकर उसे राज़ी कर लेगा। अल्लाह तआला फ़र्माता है (इल्ला मन ताब) यह ख़बर है और ख़बर में नस्ख़ का एहतिमाल ही नहीं और एक आयत को मुश्रिकों के बारे में और एक आयत को मोमिनों के बारे में ख़ास करना यह ज़ाहिर के ख़िलाफ़ है और किसी साफ़ दलील का मोह्ताज है, वल्लाहु आलम!

अल्लाह तआला का फ़र्मान है (قُلْ يٰعِبَادِیَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ) (39/ज़ुमर : 53) "ऐ मेरे वह बन्दो! जिन्होंने अपनी जानों पर ज़्यादती की है तुम मेरी रहमत से मायूस न हों।" यह आयत अपने उमूम के ऐतिबार से हर गुनाह को शामिल है ख़्वाह कुफ़्र व शिर्क हो ख़्वाह शक व निफ़ाक़ हो ख़्वाह क़त्ल व फ़िस्क़ हो कुछ भी हो। जो अल्लाह तआला की तरफ़ रुजूअ करे अल्लाह तआला उसकी तरफ़ माइल होगा जो तौबा करे अल्लाह तआला उसे माफ़ कर देगा। फ़र्माता है (اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ) (4/निसाअ : 48) "अल्लाह तआला शिर्क को तो बख़्शता नहीं , उसके सिवा तमाम गुनाह जिसे चाहे बख़्श दे।" अल्लाह तआला की इस करीमी के सदक़े जाइए कि उसने इसी सूरत में इसी आयत से पहले भी जिसकी तफ़्सीर अब हम कर रहे हैं अपनी आम बख़्शिश की आयत बयान फ़र्माई और फिर इस आयत के बाद ही इसी तरह अपनी आम बख़्शिश का ऐलान फिर किया ताकि बन्दों को इसकी कामिल मग़्फ़िरत की कामिल उम्मीद बंध जाए, वल्लाहु आलम!

बुख़ारी व मुस्लिम की वह हदीस भी इस मौक़े पर याद रखने के क़ाबिल है जिसमें है कि "एक बनी इस्राईली ने एक सौ क़त्ल किये थे, फिर एक आलिम से पूछता है कि क्या मेरी तौबा क़बूल हो सकती है, वह जवाब देता है कि तुझमें और तेरी तौबा मे कौन है जो हाइल हो? और उसे कहता है कि तू इस बदमस्ती को छोड़कर नेकियों के शहर में जा बस। चुनाँचे यह हिज्रत करता है और रास्ते ही में मर जाता है और रहमत के फ़रिश्ते उसे ले जाते हैं।" (सहीह बुख़ारी, किताब अहादीसुल अम्बिया, बाब रक़म : 54; हदीस, रक़म : 3470; सहीह मुस्लिम : 2766) यह हदीस पूरी-पूरी कई मर्तबा बयान हो चुकी है जबकि बनी इस्राईल में यह है तो इस उम्मते मरहूमा मे क़ातिल की तौबा के दरवाज़े बन्द क्यूँ हुए, उन पर तो हमसे बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ थीं, जिन सबसे अल्लाह तआला ने हमें आज़ाद कर दिया और रहमतुल लिल आलमीन जैसे नबी (ﷺ) को भेजकर वह दीन हमें दिया जो आसानियों और राहतों वाला सीधा साफ़ और आसान है। पस अब यहाँ जो सज़ा क़ातिल की बयान फ़र्माई है उससे यह मुराद है कि उसकी सज़ा यह है अगर उसे सज़ा दे। चुनाँचे हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) और सल्फ़ की एक जमाअत यही फ़र्माती है। बल्कि इस मानी की एक हदीस भी इब्ने मर्दवे में है, लेकिन सनदन वह सहीह नहीं, और इसी तरह हर वईद का मतलब यही है कि अगर कोई अमले सालेह वग़ैरह उसके मुक़ाबिल में नहीं तो उस बदी का बदला वह है जो वईद में बयान हुआ। यही तरीक़ा वईद के बारे में हमारे नज़दीक निहायत दुरुस्त और एहतियात वाला है, वल्लाहु आलम!

और क़ातिल के जहन्नम मे जाने की तक़्दीर पर भी, ख़्वाह वह बक़ौले इब्ने अब्बास (रज़ि.) वग़ैरह तौबा न होने की वजह से हो ख़्वाह बक़ौले जुम्हूर दूसरा नेक अमल नजात दहिन्दा न होने की वजह से हो, वह

हमेशा जहन्नम में न रहेगा बल्कि यहाँ ख़ुलूद से मुराद बहुत देर तक रहना है। जैसाकि मुतवातिर अह़ादीस से साबित है कि जहन्नम में से वह भी निकल आएँगे जिनके दिल में राई के छोटे से छोटे दाने बराबर भी ईमान होगा। (सह़ीह़ बुख़ारी, किताबुत्तौह़ीद, बाब क़ौलुहू तआला (वुजूहुय्यौमइज़िन् नाज़िरा) : 7439; सह़ीह़ मुस्लिम : 183) और ऊपर जो एक ह़दीस बयान हुई कि मुम्किन है अल्लाह तआला तमाम गुनाहों को बजुज़ कुफ़्र और क़त्ले मोमिन के माफ़ कर दे, उसमें असा तुर्जा का है तो इन दोनों सूरतों में तुर्जा यानी उम्मीद गो उठ जाए फिर भी वक़ूअ यानी ऐसा होना इन दोनों मे से एक में नहीं उठता और वह क़त्ल है। क्योंकि शिर्क व कुफ़्र का माफ़ न होना तो अल्फ़ाज़े क़ुरआन से साबित हो चुका। और जो अह़ादीस गुज़री जिनमें है कि क़ातिल को मक़्तूल लेकर आएगा, यह बिलकुल ठीक हैं। चूँकि इसमें इंसानी ह़क़ है, वह तौबा से टल नहीं सकता बल्कि इंसानी ह़क़ तो तौबा होने की सूरत में भी ह़क़दार को पहुँचाना ज़रूरी है। इसमें जिस त़रह़ क़त्ल है उसी त़रह़ चोरी है, ग़स्ब है, तोहमत है और दूसरे हुक़ूक़े इंसानी हैं जिनका तौबा से माफ़ न होना इज्माअन साबित है बल्कि तौबा की सेह़त की शर्त़ है कि इन हुक़ूक़ को अदा करे। और जब अदायगी मह़ाल है तो क़यामत के दिन उसका मुत़ालबा ज़रूरी है। लेकिन मुत़ालबा से सज़ा का वाक़ेअ होना ज़रूरी नहीं। मुम्किन है कि क़ातिल के और सब आमाले स़ालिह़ा मक़्तूल को दे दिये जाएँ या कुछ दे दिए जाएँ और उसके पास फिर भी कुछ रह जाएँ और यह बख़्श दिया जाए। और यह भी मुम्किन है कि क़ातिल का मुत़ालबा अल्लाह तआला अपने फ़ज़्लो करम से अपने पास से और अपनी त़रफ़ से हूरो क़ुस़ूर और बुलंद दरजात जन्नत देकर पूरा कर दे और उसके बदले वह अपने क़ातिल से दरगुज़र करने पर ख़ुश हो जाए और क़ातिल को अल्लाह तआला बख़्श दे वग़ैरह, वल्लाहु आलम! जान बूझकर मार डालने वाले के लिए कुछ तो दुनियावी अह़काम हैं और कुछ आख़िरत के। दुनिया में तो अल्लाह तआला ने मक़ तूल के वलियों को उस पर ग़लबा दिया है। फ़र्माता है (وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ) (17/इस्रा : 33) "जो जुल्म से क़त्ल किया जाए हमने उसके पीछे वालों को ग़लबा दिया है" उन्हें इख़्तियार है कि या तो बदला लें यानी क़ातिल को भी क़त्ल कराएँ या मुआफ़ कर दें, या दियत यानी ख़ून बहा जुर्माना वसूल कर लें और उसके जुर्माना मे सख़्ती है। जो तीन क़िस्मों पर है, तीस तो चौथे साल की उम्र में लगे ऊँट और तीस पाँचवें साल में लगे हुए और चालीस गाभिन ऊँटनियाँ जैसे कि कुतुबे-अह़काम में साबित है।

इसमें अइम्म-ए-किराम ने इख़्तिलाफ़ किया है कि इस पर गुलाम का आज़ाद करना या दो माह के लगातार रोज़े रखना या खाना खिलाना है या नहीं? पस इमाम शाफ़ेई (रह़.) और उनके अस्ह़ाब और उलमा की एक जमाअत तो इसके क़ाइल है कि जब ख़त़ा में यह है तो अमद मे बत़ौरे औला होना चाहिए, और उन पर जवाबन झूठी ग़ैर शरई क़िस्म के कफ़्फ़ारे को पेश किया गया है। और उन्होंने इसका उज़्र अमदन छोड़ दी हुई नमाज़ की क़ज़ा को बनाया है जैसेकि इस पर इज्माअ है ख़त़ा में।

इमाम अह़मद (रह़.) के अस्ह़ाब और दूसरे ह़ज़रात कहते हैं क़त्ले अमद कफ़्फ़ारे से बहुत बढ़ चढ़कर है, इसलिए इसमें कफ़्फ़ारा नहीं। और इसी त़रह़ झूठी क़सम और उनके लिए इन दोनों सूरतों में और अमदन छोड़ी हुई नमाज़ में फ़र्क़ करने की कोई राह नहीं। इसलिए कि यह जान बूझकर छोड़ी हुई नमाज़ की क़ज़ा के

वुजूब के क़ाइल हैं। अगली जमाअत की एक दलील यह हदीस भी है जो मुस्नद अहमद में मरवी है कि लोग हज़रत वासिला बिन अस्क़अ (रज़ि.) के पास आए और कहा कोई ऐसी हदीस सुनाओ जिसमें कमी ज़्यादती न हो तो वह बहुत नाराज़ हुए और फ़र्माने लगे, क्या तुम क़ुरआन लेकर जब पढ़ते हो तो उसमें कमी ज़्यादती भी करते हो? उन्होंने कहा, हज़रत हमारा मतलब यह है कि ख़ुद रसूलुल्लाह (ﷺ) से आपने जो सुनी हो। कहा, हम हुज़ूरे अकरम (ﷺ) के पास अपने में से एक आदमी की बाबत गए जिसने बवजह क़त्ल के अपने तईं जहन्नमी बना लिया था। तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, "उसकी तरफ़ से एक ग़ुलाम आज़ाद करो, उसके एक एक हिस्से के बदले उसका एक-एक हिस्सा अल्लाह तआला जहन्नम से आज़ाद कर देगा।" (मुस्नद अहमद : 4/107; अबूदाऊद : 3964; वसनदुहू हसन)

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا ضَرَبْتُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَتَبَيَّنُوْا وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ اَلْقٰٓى اِلَيْكُمُ السَّلٰمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا ۚ تَبْتَغُوْنَ عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۡ فَعِنْدَ اللّٰهِ مَغَانِمُ كَثِيْرَةٌ ۭ كَذٰلِكَ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوْا ۭ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ﴿٩٤﴾

तर्जुमा : "ऐ ईमानवालों! जब तुम अल्लाह की राह मे जा रहे हो तो तहक़ीक़ कर लिया करो और जो तुमसे सलाम अलैक करे तुम उसे न कह दो कि तू ईमान वाला नहीं। तुम ज़िन्दगानी दुनिया के अस्बाब की तलाश में हो तो अल्लाह तआला के पास बहुत सी ग़नीमतें हैं, पहले तुम भी ऐसे ही थे फिर अल्लाह तआला ने तुम पर एहसान किया लिहाज़ा तुम ज़रूर तहक़ीक़ व तफ़्तीश कर लिया करो, बेशक अल्लाह तआला तुम्हारे आमाल से बाख़बर है।" (94)

जो अजनबी सलाम करे उसे काफ़िर न कहो (आयत 94) : तिर्मिज़ी वग़ैरह की एक सहीह हदीस में है कि बनू सुलेम का एक शख़्स बकरियाँ चराता हुआ सहाबा (रज़ि.) की एक जमाअत के पास से गुज़रा और सलाम किया तो सहाबा (रज़ि.) आपस में कहने लगे, यह मुसलमान तो है नहीं सिर्फ़ अपनी जान बचाने के लिए सलाम करता है, चुनाँचे उसे क़त्ल कर दिया और बकरियाँ लेकर चले आए। इस पर यह आयत उतरी। (सहीह बुख़ारी, किताब तफ़्सीरुल क़ुरआन, बाब वमिन सूरतिन्निसाअ : 3030) यह हदीस तो सहीह है लेकिन कुछ ने इसमे इल्लतें निकाली हैं कि सिमाक रावी से सिवाए इस तरीक़े के और कोई मख़्रज ही इसका नहीं और यह कि इक्रिमा से इसके रिवायत करने में भी ताम्मुल है, और यह कि इस आयत के शाने नुज़ूल में और वाक़ियात भी मरवी हैं। कुछ कहते हैं मुहकम बिन जसामा के बारे में उतरी है कुछ कहते हैं उसामा बिन

ज़ेद (रज़ि.) के बारे में नाज़िल हुई है और इसके सिवा भी क़ौल हैं। लेकिन मैं कहता हूँ यह सब कलाम मरदूद है, सिमाक से इसे बहुत से बड़े-बड़े इमामों ने रिवायत किया है, इक्रिमा (रह़.) से सह़ीह़ में दलील ली गई है। यही रिवायत दूसरे त़रीक़ से ह़ज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से सह़ीह़ बुख़ारी में मरवी है। (सह़ीह़ बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर, बाब सूरतुन्निसाअ (**वला तक़ूलू लिमन अल्क़ा इलैकुमुस्सलामा**) : 4591; सह़ीह़ मुस्लिम : 3025) सुनन सईद इब्ने मंसूर में भी मरवी है। इब्ने जरीर और इब्ने अबी ह़ातिम में है कि एक शख़्स को उसके वालिद और उसकी क़ौम ने अपने इस्लाम की ख़बर पहुँचाने के लिए रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में भेजा। रास्ते मे उसे हुज़ूरे अकरम (ﷺ) के भेजे हुए एक लश्कर से रात के वक़्त मुलाक़ात हुई। उसने उनसे कहा कि मैं मुसलमान हूँ लेकिन उन्हें यक़ीन न आया और उसे दुश्मन समझकर क़त्ल कर डाला। उनके वालिद को जब यह इल्म हुआ तो यह ख़ुद रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में ह़ाज़िर हुए और वाक़िया बयान किया। चुनाँचे आप (ﷺ) ने एक हज़ार दीनार दिये और दियत अदा की और उन्हें इज़्ज़त के साथ रुख़्सत किया, इस पर यह आयत उतरी।

मुह़ल्लम बिन जसामा का वाक़िया यह है कि हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने अपना एक छोटा सा लश्कर अज़म की त़रफ़ भेजा। जब यह लश्कर बत़ने अज़म में पहुँचा तो आमिर बिन अज्बत़ अश्जई अपनी सवारी पर सवार अस्बाब के साथ आ रहे थे, पास पहुँचकर सलाम किया, सब तो रुक गए लेकिन मुह़ल्लम बिन जसामा ने कुछ आपस की बिना पर उस पर झपटकर ह़मला कर दिया। उन्हें क़त्ल कर डाला और अस्बाब क़ब्ज़े में ले लिये। फिर हम हुज़ूरे अकरम (ﷺ) के पास पहुँचे और आप (ﷺ) से यह वाक़िया बयान किया, इस पर यह आयत उतरी। (मुस्नद अह़मद : 6/11; मज्मउज़्ज़वाइद : 7/8) एक और रिवायत में है कि आमिर ने इस्लामी त़रीक़े के मुत़ाबिक़ सलाम किया था। लेकिन जाहिलियत की पहली अदावत के सबब मुह़ल्लम ने उसे तीर चलाकर मार डाला। आप (ﷺ) ने यह ख़बर पाकर आमिर के लोगों से कहा सुना, लेकिन उयेयना ने कहा, नहीं नहीं! अल्लाह की क़सम! जब तक उसकी औरतों पर भी वही मुसीबत न आए जो मेरी औरतों पर आई। मुह़ल्लम अपनी दोनों चादरें ओढ़े हुए आए और रसूले करीम (ﷺ) के सामने बैठ गए, इस उम्मीद पर कि हुज़ूरे अकरम (ﷺ) उनके लिए इस्तिग़फ़ार करें। लेकिन आप (ﷺ) ने फ़र्माया, "अल्लाह तुझे न बख़्शे।" यह यहाँ से सख़्त नादिम शर्मसार रोते हुए उठे, अपनी चादरों से आँसू पोंछते जाते थे। सात दिन भी न गुज़र पाए थे जो इंतिक़ाल कर गए। लोगों ने उन्हें दफ़न किया लेकिन ज़मीन ने उनकी लाश उगल दी। हुज़ूरे अकरम (ﷺ) से जब यह ज़िक्र हुआ तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, "तुम्हारे इस साथी से निहायत ही बदतर लोगों को ज़मीन संभाल लेती है लेकिन अल्लाह का इरादा है कि वह तुम्हें मुसलमान की हुर्मत दिखाए।" चुनाँचे उनके लाश को पहाड़ पर डाल दिया गया और ऊपर से पत्थर रख दिए गए और यह आयत नाज़िल हुई। (इब्ने जरीर वसनदुहू ज़ईफ़)

सह़ीह़ बुख़ारी शरीफ़ में तालीक़न मरवी है कि हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने ह़ज़रत मिक़्दाद (रज़ि.) से फ़र्माया, जबकि उन्होंने क़ौमे कुफ़्फ़ार के साथ जो मुसलमान मख़्फ़ी ईमान लाने वाला था उसे क़त्ल कर दिया

था बावजूद यह कि उसने अपने इस्लाम का इज़्हार कर दिया था कि, "तुम भी मक्का में इसी तरह थे कि ईमान छुपाए हुए थे।" (सहीह बुख़ारी, किताबुद्दियात, बाब क़ौलुल्लाह (**वमय्यक़्तुल मुमिनन मुतअम्मिदा**....) : 6966; तालीक़न) बज़्ज़ार में यह वाक़िया पूरा इसी तरह मरवी है कि रसूले अकरम (ﷺ) ने एक छोटा लश्कर भेजा था जिसमे हज़रत मिक़्दाद (रज़ि.) भी थे। जब दुश्मनों के पास पहुँचे तो देखा कि सब तो इधर उधर हो गए हैं , एक मालदार शख़्स वहाँ रह गया। उसने उन्हें देखते ही कहा, अश्हदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु लेकिन ताहम उन्होंने हमला कर दिया और उसे क़त्ल कर डाला। एक शख़्स जिसने यह वाक़िया देखा था वह सख़्त गुस्सा हुआ और कहने लगा, मिक़्दाद! तुमने उसे क़त्ल कर डाला जिसने कलिमा पढ़ा था? मैं इसका ज़िक्र हुज़ूरे अकरम (ﷺ) से करूँगा। जब यह लश्कर वापिस पहुँचा तो उस शख़्स ने यह वाक़िया हुज़ूरे अकरम (ﷺ) से अर्ज़ किया। आप (ﷺ) ने मिक़्दाद (रज़ि.) को बुलवाया और फ़र्माया, "तुमने यह क्या किया? कल क़यामत के दिन तुम **ला इलाहा इल्लल्लाहु** के सामने क्या करोगे?" पस अल्लाह तआला ने यह आयत उतारी और आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि "ऐ मिक़्दाद! वह शख़्स मख़्फ़ी मुसलमान था जिस तरह तू मक्का में अपने ईमान को मख़्फ़ी रखता था। फिर तूने उसके इस्लाम ज़ाहिर करने के बावजूद उसे मारा?" (बज़्ज़ार : 2202; वसनदुहू ज़ईफ़ुन; नीज़ देखिए, ज़ईफ़तुल लिल अल्बानी : 4109)

फिर फ़र्माता है कि जिस ग़नीमत के लालच में तुम ग़फ़्लत बरत रहे हो और सलाम करने वालों के ईमान में शक व शुबा करके उन्हें क़त्ल कर डालते हो, सुनो! यह ग़नीमत भी अल्लाह तआला की तरफ़ से है। उसके पास बहुत सी ग़नीमतें हैं जो वह तुम्हें हलाल ज़रायेअ से देगा। और वह तुम्हारे लिए उस माल से बेहतर होंगी। तुम भी अपना वह वक़्त याद करो कि तुम भी ऐसे ही थे, अपने ज़ुअफ़ और अपनी कमज़ोरी की वजह से ईमान ज़ाहिर करने की जुर्अत न कर सकते थे। क़ौम में छुपे-छुपे फिरते थे, आज अल्लाह तआला ने तुम पर एहसान किया, तुम्हें कुव्वत दी और तुम खुले बन्दों अपने इस्लाम का इज़्हार कर रहे हो, तो जो बे अस्बाब अब तक दुश्मनों के पंजे में फंसे हुए हैं और ईमान का ऐला न खुले तौर पर नहीं कर सके, जब वह अपने ईमान ज़ाहिर करें तुम्हें तस्लीम कर लेना चाहिए। और आयत में है (وَاذْكُرُوْٓا اِذْ اَنْتُمْ قَلِيْلٌ) (8/अन्फ़ाल : 26) याद करो जबकि तुम कम थे कमज़ोर थे। अल्ग़र्ज़ इर्शाद होता है कि जिस तरह यह बकरी का चरवाहा अपना ईमान छुपाए हुए था उसी तरह इससे पहले जबकि बेसरो सामानी और क़िल्लत की हालत में तुम मुश्रिकों के बीच थे, ईमान छुपाए फिरते थे। यह मतलब भी बयान किया गया है कि तुम भी पहले इस्लाम वाले न थे, अल्लाह तआला ने तुम पर एहसान किया और तुम्हें इस्लाम नसीब हुआ। हज़रत उसामा (रज़ि.) ने क़सम खाई थी कि इसके बाद कभी किसी **ला इलाहा इल्लल्लाहु** कहने वाले को क़त्ल न करूँगा, क्यों कि उन्हें भी इस बारे में पूरी सरज़निश हुई थी। फिर ताकीदन दोबारा फ़र्माया, बख़ूबी तहक़ीक़ कर लिया करो। फिर धमकी दी जाती है कि अल्लाह को अपने आमाल से ग़ाफ़िल न समझो। जो तुम कर रहे हो वह सबकी पूरी ख़बर रखता है।

***

لَا يَسْتَوِى الْقٰعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ اُولِى الضَّرَرِ وَالْمُجٰهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ
اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ۭ فَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ عَلَى
الْقٰعِدِيْنَ دَرَجَةً ۭ وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى ۭ وَفَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ عَلَى الْقٰعِدِيْنَ
اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿٩٥﴾ دَرَجٰتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَّرَحْمَةً ۭ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٩٦﴾

तर्जुमा : ''अपनी जानों और मालों से अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले मोमिन और बग़ैर उ़ज़्र के बैठे रहने वाले मोमिन बराबर नहीं। अपने मालों और अपनी जानों से जिहाद करने वालों को बैठे रहने वालों पर अल्लाह तआ़ला ने दर्जों में बहुत फ़ज़ीलत दे रखी है। और यूँ तो अल्लाह तआ़ला ने हर एक को ख़ूबी और अच्छाई का वादा दिया है, लेकिन मुजाहिदीन को बैठे रहने वालों पर बहुत बड़े अज्र की फ़ज़ीलत दे रखी है। (95) अपनी तरफ़ से मर्तबे की भी और बख़्शिश की भी और रह़मत की भी। और अल्लाह तआ़ला बख़्शिश करने वाला और रह़म करने वाला है।'' (96)

आ़म हालात में जिहाद फ़र्ज़े किफ़ाया है (आयत 95, 96) : सह़ीह़ बुख़ारी में है कि जब इस आयत के शुरू के अल्फ़ाज़ उतरे कि घरों में बैठे रहने वाले और जिहाद करने वाले मोमिन बराबर नहीं। आप (ﷺ) ह़ज़रत ज़ैद (रज़ि.) को बुलाकर उसे लिखवा रहे थे कि ह़ज़रत इब्ने उम्मे मक्तूम (रज़ि.) नाबीना आए और कहने लगे, हुज़ूर (ﷺ)! मैं तो नाबीना हूँ। इस पर अल्फ़ाज़ (**ग़ैरु ऊलिज़्ज़रर**) नाज़िल हुए यानी वह बैठे रहने वाले जो बेउ़ज़्र हों। (सह़ीह़ बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर, सूरतुन्निसाअ, बाब (**ला यस्तविल क़ाइदून...**) : 4593; सह़ीह़ मुस्लिम : 1898) और रिवायत में है कि ह़ज़रत ज़ैद (रज़ि.) अपने साथ क़लम दवात और शाना लेकर आए थे। और ह़दीस में है कि इब्ने उम्मे मक्तूम (रज़ि.) ने फ़र्माया था, या रसूलल्लाह (ﷺ)! अगर मुझमें ताक़त होती तो मैं ज़रूर जिहाद में शामिल होता। इस पर वह अल्फ़ाज़ उतरे। उस वक़्त हुज़ूरे अकरम (ﷺ) की रान ह़ज़रत ज़ैद (रज़ि.) की रान पर थी, इस क़द्र बोझ उन पर पड़ा कि क़रीब था कि रान टूट जाए। (सह़ीह़ बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर, सूरतुन्निसाअ, बाब (**ला यस्तविल क़ाइदून..**) : 4592; तिर्मिज़ी : 3033; नसाई : 3101) और ह़दीस में है कि जिस वक़्त इन अल्फ़ाज़ की वह़्य उतरी और सकीनत आप (ﷺ) पर नाज़िल हुई, मैं आप (ﷺ) के पहलू में था। अल्लाह तआ़ला की क़सम! वह बोझ मुझ पर रसूलुल्लाह (ﷺ) की रान का पड़ा कि मैंने उससे ज़्यादा बोझल चीज़ कोई नहीं उठाई। फिर वह़्य हट जाने के बाद आप (ﷺ) ने अ़ज़ीमन) तक आयत लिखवाई और मैंने उसे शाने की हड्डी पर लिख लिया। और ह़दीस

में यह अल्फ़ाज़ भी हैं कि अभी तो इब्ने उम्मे मक्तूम (रज़ि.) के अल्फ़ाज़ ख़त्म भी न हुए थे जो आप (ﷺ) पर वह़ी नाज़िल होनी शुरू हो गई। ह़ज़रत ज़ैद (रज़ि.) फ़र्माते हैं वह मंज़र अब तक मेरी नज़रों के सामने है। गोया मैं देख रहा हूँ कि उन बाद में उतरे हुए अल्फ़ाज़ को मैंने उनकी जगह पर अपनी तह़रीर में बाद में बढ़ाए हैं। (अबूदाऊद, किताबुल जिहाद, बाब अर्रुख़्सतु फ़िल क़ुऊद... : 2507; वसनदुहू ह़सन) ह़ज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) फ़र्माते हैं मुराद बद्र की लड़ाई में जाने वाले और उसमें ह़ाज़िर न होने वाले हैं। (स़ह़ीह़ बुख़ारी, किताबुत्तफ़सीर, सुरतुन्निसाअ, बाब (ला यस्तविल क़ाइदून...) : 4595) बद्र की जंग के मौक़े पर ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन जह़श और ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम (रज़ि.) आकर ह़ुज़ूरे अकरम (ﷺ) से कहने लगे कि हम दोनों नाबीना हैं, क्या हमें रुख़्सत है? तो उन्हें आयते क़ुरआनी में रुख़्सत दी गई। पस मुजाहिदीन को जिन बैठे रहने वालों पर फ़ज़ीलत दी गई है वह वह हैं जो स़ेह़त व तंदुरुस्ती वाले हों। (सुनन तिर्मिज़ी, किताबुत्तफ़्सीर, बाब वमिन सूरतिन्निसाअ : 3032) पस पहले तो मुजाहिदीन को बैठे रहने वालों पर मुत़्लक़न फ़ज़ीलत थी लेकिन फिर उसी वह़ी के साथ जो अल्फ़ाज़ उतरे उसने उन लोगों को जिन्हें मुबाह़ उ़ज़्र हों, आ़म बैठने वालों से अलग कर लिया, जैसे अंधे लंगड़े, लूले और बीमार, यह मुजाहिदीन के दर्जे में हैं। फिर मुजाहिदीन की जो फ़ज़ीलत बयान हुई है वह भी उन लोगों पर है जो बेवजह जिहाद में शामिल न हुए हों जैसे कि इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) की तफ़्सीर गुज़री, और यही होना भी चाहिए। बुख़ारी में है रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, "मदीना में ऐसे लोग भी हैं कि तुम जिस जिहाद के लिए सफ़र करो और जिस जंगल में कूच करो वह तुम्हारे साथ अज्र में तुम जैसे हैं।" स़ह़ाबा (रज़ि.) ने कहा, बावजूद इसके कि वह मदीना में मुक़ीम हैं। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, "हाँ! इसलिए कि उन्हें उ़ज़्र ने रोक रखा था।" (स़ह़ीह़ बुख़ारी, किताबुल मग़ाज़ी, बाब : 82; ह़ : 4423; इब्ने माजा : 2764) और रिवायत में है कि "तुम जो ख़र्च करते हो उसका सवाब भी जो तुम्हें मिलता है उन्हें भी मिलता है।" (अबूदाऊद, किताबुल जिहाद, बाब अर्रुख़्सतु फ़िल क़ुऊद... : 2508; वहुव स़ह़ीहुन) इसी मत़लब को एक शायर ने इन अल्फ़ाज़ में मंज़ूम किया है :-

يارا حلين الى البيت العتيق لقد　　سرتم جسوما و سرنا نحن ارواحا

انا اقمنا على عذر و عن قدر　　ومن اقام على عذر فقدراحا

"यानी ऐ अल्लाह तआ़ला के घर के ह़ज्ज करने वालों! गो तुम अपने जिस्मों समेत उसी त़रफ़ चल रहे हो लेकिन हम भी अपनी रूह़ानी रविश से उसी त़रफ़ लपके जा रहे हैं, सुनो! बेत़ाक़ती और उ़ज़्र ने हमें रोक रखा है, और यह ज़ाहिर है कि उ़ज़्र से रुक जाने वाला कुछ जाने वाले से कम नहीं।"

फिर फ़र्माता है हर एक से अल्लाह तआ़ला का वादा जन्नत और बहुत बड़े अज्र का है। इससे यह भी मालूम हुआ कि जिहाद फ़र्ज़े ऐन नहीं बल्कि फ़र्ज़े किफ़ाया है। फिर इर्शाद है, मुजाहिदीन को ग़ैर मुजाहिदीन पर बड़ी फ़ज़ीलत है। फिर उनके बुलंद दरजात, उनके गुनाहों की माफ़ी और उन पर जो बरकत व रह़मत है, उसका बयान फ़र्माया और अपनी आ़म बख़्शिश और आ़म रह़म की ख़बर दी। बुख़ारी व मुस्लिम में है "जन्नत में सौ दर्जे हैं जो अल्लाह तआ़ला ने अपनी राह के मुजाहिदीन के लिए तैयार किए हैं। हर दो दर्जों में इस क़द्र फ़ास़ला

है जितना आसमान व ज़मीन में।'' (सहीह बुख़ारी, किताबुल जिहाद, बाब दरजातुल मुजाहिदीन फ़ी सबीलिल्लाहि : 2790; अन अबी हुरैरा (रज़ि.); सहीह मुस्लिम : 1884) और हदीस में है हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, ''जो शख़्स अल्लाह तआला की राह में तीर चलाए उसे जन्नत का दर्जा मिलता है।'' एक शख़्स ने पूछा, दर्जा क्या है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ''वह तुम्हारे यहाँ के घरों के बालाख़ानों जितना नहीं बल्कि दो दर्जों में सौ साल का फ़ासला है।'' (नसाई, किताबुल जिहाद, बाब सवाबुम् मिर्रमी बासुहुम : 3146; अन कअब बिन मुर्रा (रज़ि.); वसनदुहू ज़ईफ़; सनद में इंक़िताअ है सालिम ने शुरहबील से नहीं सुना।)

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّٰهُمُ الْمَلَٰٓئِكَةُ ظَالِمِيٓ أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ ۖ قَالُوا كُنَّا
مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ ۚ قَالُوٓا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا
فِيهَا ۚ فَأُولَٰٓئِكَ مَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ﴿٩٧﴾ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ
الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴿٩٨﴾
فَأُولَٰٓئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿٩٩﴾ وَمَن يُهَاجِرْ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَٰغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً ۚ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ
مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ
غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٠٠﴾

तर्जुमा : ''जो लोग अपनी जानों पर ज़ुल्म करने वाले हैं जब फ़रिश्ते उनकी रूह क़ब्ज़ करते हैं, पूछते हैं तुम किस हाल में थे। यह जवाब देते हैं कि हम अपनी जगह कमज़ोर और मग़लूब थे। फ़रिश्ते कहते हैं, क्या अल्लाह तआला की ज़मीन कुशादा न थी कि तुम हिजरत कर जाते। यही लोग हैं जिनका ठिकाना जहन्नम है और वह बुरी जगह है पहुँचने की। (97) मगर जो मर्द औरतें और बच्चे बेबस हैं जिन्हें न तो किसी चाराकार की ताक़त और न किसी रास्ते का इल्म। (98) बहुत मुम्किन है कि अल्लाह तआला उनसे दरगुज़र करे। अल्लाह तआला दरगुज़र करने वाला और माफ़ करने वाला है। (99) जो कोई अल्लाह की राह में वतन को

छोड़ेगा वह ज़मीन में बहुत से क़ियाम की जगहें भी पाएगा और कुशादगी भी, जो कोई अपने घर से अल्लाह तआला और उसके रसूल (ﷺ) की तरफ़ निकल खड़ा हो फिर उसे मौत ने आ पकड़ा तो भी यक़ीनन उसका अज्र अल्लाह तआला के ज़िम्मे साबित हो गया, अल्लाह तआला बख़्शने वाला बड़ा मेहरबान है।" (100)

हिज्रत का बयान (आयत 97-100) : मुहम्मद बिन अ़ब्दुर्रहमान अस्वद (रह.) फ़र्माते हैं, अहले मदीना से जंग करने के लिए जो लश्कर तैयार किया गया, उसमें मेरा नाम भी था। मैं हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) के मौला हज़रत इक्रिमा (रह.) से मिला और इस बात का ज़िक्र किया, तो उन्होंने मुझे उसमें शामिल होने से बहुत सख़्ती से रोका और कहा, सुनो! हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) से मैंने सुना है कि कुछ मुसलमान लोग जो हुज़ूरे अकरम (ﷺ) के ज़माने में मुश्रिकों के साथ थे और उनकी तादाद बढ़ाते थे, बसा औक़ात ऐसा भी होता कि उनमें से कोई किसी तीर से हलाक कर दिया जाता या मुसलमानों की तलवारों से क़त्ल कर दिया जाता। उन्हीं के बारे में यह आयत उतरी है। (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ़सीर, बाब (**इन्नल्लज़ी न तवफ़्फ़ाहुम..**) : 4596) यानी मौत के वक़्त उनका अपनी बेताक़ती का हीला अल्लाह के यहाँ क़बूल नहीं होता। और रिवायत में है कि ऐसे लोग जो अपने ईमान को छुपाकर रखते थे जबकि वह बद्र की लड़ाई में काफ़िरों के साथ आ गए तो मुसलमानों के हाथों उनमें से कुछ मारे गए। जिस पर मुसलमान ग़मगीन हुए कि अफ़सोस! यह तो हमारे ही भाई थे और हमारे ही हाथों मारे गए। उनके लिए इस्तिग़फ़ार करने लगे, इस पर यह आयत उतरी। पस बाक़ी मांदा मुसलमानों की तरफ़ यह आयत लिखी कि उनका कोई उ़ज़्र नहीं था। कहा यह निकले और उनसे मुश्रिकीन मिले और उन्होंने तक़िया किया। पस यह आयत उतरी। (तबरी : 10265; वसनदुहू ज़ईफ़) (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ) (2/बक़रह : 8) हज़रत इक्रिमा (रह.) फ़र्माते हैं, यह आयत उन लोगों के बारे में उतरी है जो इस्लाम का कलिमा पढ़ते थे और थे मक्का में ही। उनमें अ़ली बिन उमय्या बिन ख़ल्फ़ और अबू क़ैस बिन वलीद बिन मुग़ीरा और अबू मंसूर बिन हज्जाज और हारिस बिन ज़मआ थे। ज़ह्हाक (रह.) कहते हैं उन मुनाफ़िक़ों के बारे में उतरी है जो रसूलुल्लाह (ﷺ) की हिज्रत के बाद भी मक्का में रह गए, फिर बद्र की लड़ाई में मुश्रिकों के साथ आए, फिर कुछ मैदाने जंग में भी काम आए। मक़्सद यह है कि आयत का हुक्म आ़म है हर उस शख़्स का जो हिज्रत पर क़ादिर हो फिर भी मुश्रिकों में पड़ा रहे और दीन पर मज़बूत न रहे वह अल्लाह के नज़दीक ज़ालिम है। और इस आयत की रू से और मुसलमानों के इज्माअ़ से वह हराम काम करने वाला है। इस आयत में हिज्रत के छोड़ देने को ज़ुल्म कहा गया है। ऐसे लोगों से उनके नज़अ़ के आ़लम में फ़रिश्ते कहते हैं कि तुम यहाँ क्यूँ ठहरे रहे? क्यूँ हिज्रत न की? यह जवाब देते हैं कि हम अपने शहर से दूर शहर कहीं नहीं जा सकते थे। जिसके जवाब में फ़रिश्ते कहते हैं क्या अल्लाह की ज़मीन में कुशादगी न थी? अबूदाऊद में है "जो शख़्स मुश्रिकीन में मिला-जुला रहे उन ही के साथ रहे सहे वह भी उन ही जैसा है।" (अबूदाऊद, किताबुल जिहाद, बाब फ़िल इक़ामत बि अर्ज़िशिर्क : 2787; वसनदुहू ज़ईफ़; ख़ुबैब मज्हूल और जाफ़र रावी ज़ईफ़ है।) यह है दोस्ती का नतीजा सुद्दी (रह.) फ़र्माते हैं जबकि हज़रत अ़ब्बास (रज़ि.) अक़ील और नौफ़िल गिरफ़्तार किए गए तो आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया, "अ़ब्बास! तुम अपना फ़िदया भी दो और भतीजे का भी।" हज़रत अ़ब्बास (रज़ि.) ने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! क्या हम आप (ﷺ) के क़िब्ले की तरफ़ नमाज़ें नहीं पढ़ते थे? क्या हम कलिमा शहादत

अदा नहीं करते थे? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, "अ़ब्बास! तुमने बह़स तो छेड़ी लेकिन इसमें तुम रह जाओगे। सुनो! अल्लाह तआ़ला फ़र्माता है" फिर आप (ﷺ) ने यही आयत तिलावत फ़र्माई। यानी तुमने हिज्रत क्यूँ न की? (त़बरी : 1027; यह रिवायत मुर्सल है।)

फिर जिन लोगों को हिज्रत के छोड़ देने पर मलामत न होगी उनका ज़िक्र फ़र्माता है कि जो लोग मुश्रिकीन के हाथों से न छूट सकें और कभी छूट भी जाएँ तो रास्ते का इल्म उन्हें नहीं। उनसे अल्लाह तआ़ला दरगुज़र करेगा। अ़सा का कलिमा अल्लाह तआ़ला के कलाम में वजूब और यक़ीन के लिए होता है। अल्लाह तआ़ला दरगुज़र करने वाला और बहुत ही माफ़ी देने वाला है। ह़ज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) का बयान है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इशा की नमाज़ में **समिअ़ल्लाहुलिमन ह़मिदा** कहने के बाद सज्दे में जाने से पहले यह दुआ़ मांगी कि "ऐ अल्लाह! अ़याश बिन अबी रबीआ़ को सलमा बिन हिशाम को, वलीद बिन वलीद को और तमाम बेबस नात़ाक़त मुसलमानों को कुफ़्फ़ार के पंजे से नजात दे। ऐ अल्लाह! अपना सख़्त अ़ज़ाब क़बीला मुज़र पर नाज़िल फ़र्मा। ऐ अल्लाह! उन पर ऐसी क़ह़तसाली नाज़िल फ़र्मा जैसे ह़ज़रत यूसुफ़ (عليه السلام) के ज़माने में आई थी।" (स़ह़ीह़ बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर, सूरतुन्निसाअ, बाब क़ौल (**फ़-उलाइक अ़सल्लाहु अय्यंअ़फ़ुव अ़न्हुम**) : 4598; स़ह़ीह़ मुस्लिम : 675; अबूदाऊद : 1442) इब्ने अबी ह़ातिम में ह़ज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सलाम फेरने के बाद क़िब्ला की त़रफ़ ही चेहरा किए हुए हाथ उठाकर दुआ़ मांगी "ऐ अल्लाह! वलीद बिन वलीद को, अ़याश बिन अबी रबीआ़ को, सलमा बिन हिशाम को और तमाम नातवाँ बेत़ाक़त मुसलमानों को जो न ह़ीले की त़ाक़त रखते हैं न राह पाने की, काफ़िरों के हाथों से नजात दे।" (इब्ने अबी ह़ातिम, वसनदुहू ज़ईफ़; इसकी सनद में अ़ली बिन ज़ैद बिन जिदआ़न ज़ईफ़ रावी है। (अत्तक़रीब : 2/37; रक़म : 342)

इब्ने जरीर में है हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ज़ुहर की नमाज़ के बाद यह दुआ़ मांगा करते थे। इस ह़दीस के शवाहिद स़ह़ीह़ में भी इस सनद के सिवा और सनदों से भी हैं जैसे कि पहले गुज़रा।

ह़ज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) फ़र्माते हैं, मैं और मेरी वालिदा उन ज़ईफ़ औरतों और बच्चों में थे जिनका ज़िक्र इस आयत में है हमें अल्लाह तआ़ला ने माज़ूर रखा। (स़ह़ीह़ बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर, सुरतुन्निसाअ, बाब (**इल्लल मुस्तज़्अ़फ़ीन मिनर्रिजालि वन निसाइ**) : 4597)

अज्रो सवाब का दारोमदार निय्यतों पर है : हिज्रत की तर्ग़ीब देते हुए और मुश्रिकों से अलग होने की हिदायत करते हुए फ़र्माता है कि अल्लाह की राह में हिज्रत करने वाला हरासाँ न हो वह जहाँ जाएगा अल्लाह तआ़ला उसके लिए अस्बाबे पनाह तैयार कर देगा और वह आराम के साथ वहाँ इक़ामत कर सकेगा। मुराग़म के एक मानी एक जगह से दूसरी जगह जाने के भी हैं। मुजाहिद (रह़.) फ़र्माते हैं वह अपने दुख से बचाव की बहुत सी सूरतें पा लेगा। अमन के बहुत से अस्बाब उसे मिल जाएँगे। दुश्मनों के शर से बच जाएगा और वह रोज़ी भी पाएगा। गुमराही से हिदायत उसे मिलेगी और फ़क़ीरी तवंगरी(मालदारी) से बदल जाएगी। फिर फ़र्माता है जो शख़्स हिज्रत करने की निय्यत से अपने घर से निकला फिर हिज्रतगाह पहुँचने से पहले ही रास्ते में मर गया उसे भी हिज्रत का कामिल सवाब मिल गया। हुज़ूरे अकरम (ﷺ) फ़र्माते हैं "हर अ़मल का मदार निय्यत पर है और हर शख़्स के लिए वह है जो उसने निय्यत की। पस जिसकी हिज्रत अल्लाह तआ़ला की

तरफ़ और उसके रसूल (ﷺ) की तरफ़ हो उसकी हिज्रत अल्लाह तआला की रज़ामन्दी और रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़ुशनुदी का सबब होगी, और जिसकी हिज्रत दुनिया हासिल करने के लिए हो या किसी औरत से निकाह करने के लिए हो तो उसे असल हिज्रत का सवाब नहीं मिलेगा। बल्कि उसकी हिज्रत उसी तरफ़ समझी जाएगी।'' (सहीह बुख़ारी, किताब बदउल वही, बाब कैफ़ कान बदउल वही इला रसूलिल्लाहि (ﷺ) : 1; सहीह मुस्लिम : 1907; अबूदाऊद : 2201; तिर्मिज़ी : 1647; नसाई : 3825) यह हदीस आम है हिज्रत वग़ैरह तमाम आमाल को शामिल है। बुख़ारी व मुस्लिम की हदीस में उस शख़्स के बारे में है जिसने निन्नान्वे क़त्ल किए थे, फिर एक आबिद को क़त्ल करके सौ पूरे किए फिर एक आलिम से पूछा कि क्या उसकी तौबा क़बूल हो सकती है? उसने कहा, तेरी तौबा के और तेरे बीच कोई चीज़ हाइल नहीं, तू अपनी बस्ती से हिज्रत करके फ़लाँ शहर चला जा जहाँ अल्लाह के आबिद बन्दे रहते हैं। चुनाँचे यह हिज्रत करके उस बस्ती की तरफ़ चला, रास्ते में ही था जो मौत आ गयी। रहमत और अज़ाब के फ़रिश्तों में इसके बारे में इख़्तिलाफ़ हो गया। यह तो कह रहे थे यह शख़्स तौबा करके हिज्रत करके चल खड़ा हुआ और वह कह रहे थे यह वहाँ पहुँचा तो नहीं। फिर उन्हें हुक्म किया गया कि वह उस तरफ़ की और इस तरफ़ की ज़मीन नाप लें जिस बस्ती से यह शख़्स क़रीब हो उसके रहने वालों में से उसे मिला दिया जाए। फिर ज़मीन को अल्लाह तआला ने हुक्म दिया कि बुरी बस्ती की जानिब से दूर हो जाए और नेक बस्ती वालों की तरफ़ क़रीब हो जाए। जब ज़मीन नापी गई तो तौहीद वालों की बस्ती से एक बालिश्त बराबर क़रीब निकली और उसे रहमत के फ़रिश्ते ले गए। एक रिवायत में है कि मौत के वक़्त यह अपने सीने के बल नेक लोगों की बस्ती की तरफ़ घिसटता हुआ गया। (सहीह बुख़ारी, किताब अहादीसुल अम्बिया, बाब : 54; ह : 3470; सहीह मुस्लिम : 2766)

मुस्नद अहमद में हदीस है ''जो शख़्स अपने घर से अल्लाह की राह में जिहाद की निय्यत से निकला'' फिर आप (ﷺ) ने अपनी तीनों उँगलियों यानी कलिमा की उँगली बीच की उँगली और अंगूठे को मिलाकर कहा, फिर फ़र्माया, ''कहाँ हैं मुजाहिद? फिर वह अपनी सवारी पर से गिर पड़ा या उसे किसी जानवर ने काट खाया या अपनी मौत मर गया तो उसके जिहाद का सवाब अल्लाह तआला के ज़िम्मे साबित हो गया।'' (रावी कहते हैं अपनी मौत मरने के लिए जो कलिमा हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने इस्तेमाल किया) वल्लाह! मैंने इस कलिमा को आप (ﷺ) से पहले किसी अरब की ज़ुबानी नहीं सुना, और जो शख़्स ग़ज़ब की हालत में क़त्ल किया गया वह जगह का मुस्तहिक़ हो गया। (मुस्नद अहमद : 4/36; वसनदुहू ज़ईफ़; मज्मउज़्ज़वाइद : 5/280; इसकी सनद में मुहम्मद बिन इस्हाक़ मुदल्लस रावी है। (अत्तक़रीब : 2/144; इस रिवायत में सिमाअ की तसरीह नहीं है।) हज़रत ख़ालिद बिन हज़ाम (रज़ि.) हिज्रत करके हब्शा की तरफ़ चले लेकिन रास्ते में ही उन्हें एक साँप ने डस लिया और उसी में उनकी रूह क़ब्ज़ हो गई। उनके बारे में यह आयत उतरी। हज़रत ज़ुबेर (रज़ि.) फ़र्माते हैं मैं चूँकि हिज्रत करके हब्शा पहुँच गया था और मुझे उनकी ख़बर मिल गई थी कि यह भी हिज्रत करके आ रहे हैं और मैं जानता था कि क़बीला बनू असद से उनके सिवा और कोई हिज्रत करके आने का नहीं और कमो बेश जितने मुहाजिर थे उनके साथ रिश्ते कुंबे के लोग थे, लेकिन मेरे साथ कोई न था। मैं उनका यानी हज़रत ख़ालिद (रज़ि.) का बेचैनी से इंतिज़ार कर रहा था जो मुझे उनकी इस तरह की अचानक शहादत की ख़बर मिली तो मुझे बहुत ही रंज हुआ। यह असर बहुत ही ग़रीब है। (इब्ने अबी हातिम वसनदुहू ज़ईफ़) यह भी वजह है कि यह क़िस्सा मक्का मुकर्रमा का है और आयत मदीना तय्यिबा में

उतरी है। लेकिन बहुत मुम्किन है कि रावी का मक़्सूद यह हो कि आयत का हुक्म आम है गो शाने नुज़ूल यह न हो, वल्लाहु आलम! और रिवायत में है कि हज़रत ज़मुरा बिन जुंदुब (रज़ि.) हिज्रत करके सूलुल्लाह (ﷺ) की तरफ़ चले लेकिन आप (ﷺ) के पास पहुँचने से पहले ही रास्ते में इंतिक़ाल कर गए। उनके बारे में यह आयत नाज़िल हुई। (इब्ने अबी हातिम वसनदुहू ज़ईफ़) और रिवायत में है कि हज़रत अबू ज़मुरा जिनको आँखों से दिखाई न देता था जब वह आयत (**इल्लल मुस्तज़अफ़ीन**) सुनते हैं तो कहते हैं मैं मालदार हूँ और चाराकार भी रखता हूँ, मुझे हिज्रत करनी चाहिए। चुनाँचे सामाने सफ़र तैयार कर लिया और हुज़ूरे अकरम (ﷺ) की तरफ़ चल खड़े हुए लेकिन अभी तनईम में ही थे जो मौत आ गई, उनके बारे में यह आयत नाज़िल हुई। (यह रिवायत मुर्सल यानी ज़ईफ़ है।) तबरानी में है रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, ''अल्लाह तआला फ़र्माता है जो शख़्स मेरी राह मे ग़ज़्वा करने के लिए निकला सिर्फ़ मेरे वादों को सच्चा जानकर और मेरे रसूलों पर ईमान रखकर पस वह अल्लाह तआला की ज़मानत में है या तो वह लश्कर के साथ फ़ौत होकर जन्नत में जाएगा या अल्लाह तआला की ज़मानत में वापिस लौटेगा और ग़नीमत व अज्र और अल्लाह का फ़ज़्ल लेकर। अगर वह अपनी मौत मर जाए या मार डाला जाए या घोड़े से गिर जाए या ऊँट पर से गिर पड़े या कोई ज़हरीला जानवर काट ले या अपने बिस्तर पर किसी तरह भी फ़ौत हो जाए वह शहीद है।'' अबूदाऊद में इतनी ज़्यादती भी है कि ''वह जन्नती है।'' कुछ अल्फ़ाज़ अबूदाऊद में नहीं हैं। (अबूदाऊद, किताबुल जिहाद, बाब फ़ीमन मात ग़ाज़िया : 2499; वसनदुहू ज़ईफ़; मक्हूल ने अब्दुर्रहमान बिन ग़नम को नहीं पाया।) अबू यअ़ला में है ''जो शख़्स हज्ज के लिए निकला फिर मर गया, क़यामत तक उसके लिए हज्ज का सवाब लिखा जाता रहेगा। जो उमरे के लिए निकला और रास्ते में फ़ौत हो गया उसके लिए क़यामत तक उमरे का अज्र लिखा जाता है। जो जिहाद के लिए निकला और फ़ौत हो गया उसके लिए क़यामत तक जिहाद का सवाब लिखा जाता है। यह हदीस भी ग़रीब है।'' (अबूयअ़ला : 6357; वसनदुहू ज़ईफ़)

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَوٰةِ ۖ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا ﴿١٠١﴾

तर्जुमा : ''जब तुम सफ़र में जा रहे हो तो तुम पर नमाज़ों के क़स्र करने में कोई गुनाह नहीं, अगर तुम्हें डर हो कि काफ़िर तुम्हें सताएँगे। अल्बत्ता काफ़िर तुम्हारे खुले दुश्मन हैं।'' (101)

नमाज़े क़स्र के अहकाम व मसाइल (आयत 101) : फ़र्माने इलाही है कि तुम कहीं सफ़र में जा रहे हो, यही अल्फ़ाज़ सफ़र के लिए सूरह मुज़म्मिल मे भी आए हैं, तो तुम पर नमाज़ की तख़्फ़ीफ़ करने में कोई गुनाह नहीं। यह कमी या तो कमिय्यत में यानी बजाए चार रकअ़त के दो रकअ़त है जैसे कि जुम्हूर ने इस आयत में समझा है। गो फिर इनमें कुछ मसाइल में इख़्तिलाफ़ हुआ है। कुछ तो कहते हैं, यह शर्त है कि सफ़र इताअ़त का हो मस्लन जिहाद के लिए या हज्ज व उमरे के लिए या तलबे इल्म व ज़ियारत के लिए वग़ैरह। इब्ने उमर, अता और यह्या की एक रिवायत की रू से इमाम मालिक (रह.) का यही क़ौल है। क्योंकि इससे आगे फ़र्मान है

अगर तुम्हें कुफ़्फ़ार की ईज़ारसानी का डर हो। कुछ कहते हैं इस क़ैद की कोई ज़रूरत नहीं कि सफ़र अल्लाह की कुर्बत का ही हो बल्कि नमाज़ की कमी हर मुबाह़ सफ़र के लिए है, जैसे इज़्तिरार और बेबसी की सूरत में मुरदार खाने की इजाज़त है। हाँ! शर्त यह है कि सफ़र मअसियत का न हो। इमाम शाफ़ई (रह़.), इमाम अह़मद (रह़.) वग़ैरह अइम्मा का यही क़ौल है। एक शख़्स ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सवाल किया कि मैं तिजारत के सिलसिले में दरयाई सफ़र करता हूँ तो आप (ﷺ) ने उसे दो रकअ़त पढ़ने का हुक्म दिया, यह ह़दीस मुर्सल है। कुछ लोगों का मज़हब है कि हर सफ़र में नमाज़ को क़स्र करना चाहिए। सफ़र ख़्वाह मुबाह़ हो ख़्वाह मम्नूअ हो, यहाँ तक कि अगर कोई डाका डालने के लिए और मुसाफ़िरों को सताने के लिए निकला हो उसे भी नमाज़ें क़स्र करने की इजाज़त है। अबू ह़नीफ़ा, सौरी और दाऊद (रह़.) का यही क़ौल है कि आयत आ़म है, लेकिन यह क़ौल जुम्हूर के क़ौल के ख़िलाफ़ है, कुफ़्फ़ार से डर की जो शर्त लगाई है यह ब-एतिबार अकसरियत के है। आयत के नाज़िल होने के वक़्त चूँकि उ़मूमन यही ह़ाल था इसलिए आयत में भी इसे बयान कर दिया गया। हिज्रत के बाद के सफ़र मुसलमानों के सबके सब ख़ौफ़ वाले ही होते थे, क़दम-क़दम पर दुश्मन का ख़तरा रहता था बल्कि मुसलमान सफ़र के लिए निकल ही न सकते थे बजुज इसके कि या तो जिहाद को जाएँ या किसी ख़ास लश्कर के साथ जाएँ। और यह क़ायदा है कि जब मंतूक़ ब एतिबार ग़ालिब के आए तो इसका मफ़्हूम मुअ़तबर नहीं होता। जैसे और आयत में है कि अपनी लौण्डियों को बदकारी के लिए मजबूर न करो अगर वह पाकदामनी करना चाहती हों, और जैसे फ़र्माया, उनकी बेटियाँ जो तुम्हारी परवरिश में हैं जिन औ़रतों से तुमने सुह़बत की है। पस जैसे कि इन दोनों आयतों में क़ैद का बयान है। लेकिन इसके होने पर ही हुक्म का दारोमदार नहीं बल्कि इसके बग़ैर भी हुक्म वही है, यानी लौण्डियों को बदकारी के लिए मजबूर करना ह़राम है गो वह पाकदामनी चाहती हों या न चाहती हों। इसी त़रह़ उस औ़रत की लड़की ह़राम है जिससे निकाह़ होकर सुह़बत हो गई हो ख़्वाह वह उसकी परवरिश में हो या न हो ह़ालाँकि दोनों जगह कुरआन में क़ैद मौजूद है। पस जिस त़रह़ इन दोनों मौक़ों में बग़ैर इन कुयूद के भी हुक्म यही है इसी त़रह़ यहाँ भी गो ख़ौफ़ न हो, ताहम मह़ज़ सफ़र की वजह से नमाज़ को क़स्र करना जाइज़ है।

मुस्नद अह़मद में है कि ह़ज़रत यअ़ला बिन उमय्या ने ह़ज़रत उ़मर फ़ारूक़ (रज़ि.) से पूछा कि नमाज़ की तख़्फ़ीफ़ का हुक्म तो डर की ह़ालत में है और अब तो अमन है। ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) ने जवाब दिया कि यही ख़्याल मुझे भी हुआ था और यही सवाल मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से किया था तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, यह अल्लाह का सदक़ा है जो उसने तुम्हें दिया है तुम उसके सदक़े को क़बूल करो। (सह़ीह़ मुस्लिम, किताब सलातुल मुसाफ़िरीन व क़सरुहा, बाब सलातुल मुसाफ़िरीन : 686; अबूदाऊद : 1199, 1200; तिर्मिज़ी : 3034; इब्ने माजा : 945) मुस्लिम और सुनन वग़ैरह में भी यह ह़दीस है, बिलकुल सह़ीह़ रिवायत है। अबू ह़ंज़ला ह़ज़्ज़ा (रह़.) ने ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) से सफ़र की नमाज़ के बारे में पूछा तो आप (रज़ि) ने फ़र्माया, दो रकअ़तें हैं। उन्होंने कहा, कुरआन में तो ख़ौफ़ के वक़्त दो रकअ़त हैं और इस वक़्त तो पूरी त़रह़ अमनो अमान है। तो आपने फ़र्माया, यही सुन्नत है रसूलुल्लाह (ﷺ) की। (इब्ने अबी शैबा) एक और शख़्स के सवाल पर ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) ने फ़र्माया था, आसमान से तो रुख़्सत उतर चुकी है अब अगर तुम

चाहो तो उसे लौटा दो। हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़र्माते हैं, मक्का और मदीना के बीच हमने बावजूद अमन के रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ दो रकअत पढ़ीं। (तिर्मिज़ी, किताबुल जुम्आ (अस्सफ़र) बाब मा जाअ फ़ित्तक़्सीर फ़िस्सफ़र : 547; वहुव सह़ीह़; नसाई : 1436, 1437; बि मअनाहू) और हदीस में है कि नबी करीम (ﷺ) मदीना से मक्का मुअज़्ज़मा की तरफ़ चले बजुज़ ख़ौफ़े रब्बानी के किसी दुश्मन का डर न था और आप (ﷺ) बराबर दो रकअ त ही अदा फ़र्माते रहे। (तिर्मिज़ी, किताबुल जुम्आ (अस्सफ़र) बाब मा जाअ फ़ित्तक़्सीर फ़िस्सफ़र : 547; वहुव सह़ीह़; नसाई : 1437) बुख़ारी की हदीस में है कि वापसी में भी यही दो रकअत आप (ﷺ) पढ़ते रहे। और मक्का में उस सफ़र में आप (ﷺ) ने दस दिन क़याम किया था। (सह़ीह़ बुख़ारी, किताबुत्तक़्सीर, बाब मा जाअ फ़ित्तक़्सीर वकम युक़ीमु ह़त्ता युक़्सर : 1081; सह़ीह़ मुस्लिम : 693; अबूदाऊद : 1233; तिर्मिज़ी : 548; नसाई : 1454; इब्ने माजा : 1077) मुस्नद अह़मद में ह़ज़रत ह़ारिसा (रज़ि.) से रिवायत है कि मैंने नबी अकरम (ﷺ) के साथ मिना में ज़ुहर की और अ़सर की नमाज़ दो रकअ़त पढ़ी है ह़ालाँकि उस वक़्त हम बकसरत थे और निहायत ही पुरअमन थे। (सह़ीह़ बुख़ारी, किताबुत्तक़्सीर, बाबुस्सलात बि मिना : 1083; सह़ीह़ मुस्लिम : 696) सह़ीह़ बुख़ारी में है ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) फ़र्माते हैं मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ और ह़ज़रत अबूबक्र (रज़ि.) के साथ और ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) के साथ और ह़ज़रत उ़स्मान (रज़ि.) के साथ (सफ़र में) दो रकअ़त पढ़ी हैं, लेकिन ह़ज़रत उ़स्मान (रज़ि.) अब अपनी ख़िलाफ़त के आख़िरी ज़माना में पूरी पढ़ने लगे हैं। (सह़ीह़ बुख़ारी, किताबुत्तक़्सीर, बाबुस्सलात बि मिना : 1082; सह़ीह़ मुस्लिम : 1590; नसाई : 6451) बुख़ारी की और रिवायत में है कि जब ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि.) से ह़ज़रत उ़स्मान (रज़ि.) की चार रकअ़तों का ज़िक्र आया, तो आपने इन्ना लिल्लाह पढ़कर फ़र्माया, मैंने तो ह़ुज़ूरे अकरम (ﷺ) के साथ भी मिना में दो रकअ़त पढ़ी हैं और सिद्दीक़े अकबर (रज़ि.) के साथ भी और उ़मर (रज़ि.) के साथ भी, काश कि बजाए इन चार रकअ़तों के मेरे ह़िस्से में दो ही मक़्बूल रकअ़त आतीं। (सह़ीह़ बुख़ारी, किताबुत्तक़्सीर, बाबुस्सलात बि मिना : 1084; सह़ीह़ मुस्लिम : 695) पस यह अह़ादीस खुल्लम-खुल्ला दलील हैं इस बात की कि सफ़र की दो रकअ़त के लिए डर का होना शर्त नहीं बल्कि निहायत अमन और इत्मिनान के सफ़र में भी दो रकअ़त अदा कर सकता है।

इसीलिए कुछ उ़लमा ए किराम ने फ़र्माया है कि यहाँ कैफ़ियत में यानी क़िराअत, क़ौमा, रुकूअ़ और सुजूद वग़ैरह में क़स्र और कमी मुराद है न कि कमियत में यानी तादादे रकअ़ात में तख़्फ़ीफ़ करना। ज़ह़्ह़ाक, मुजाहिद और सुद्दी (रह़.) का यही क़ौल है जैसे कि आ रहा है। इसकी एक दलील इमाम मालिक (रह़.) की रिवायतकर्दा यह ह़दीस भी है कि ह़ज़रत आ़इशा (रज़ि.) फ़र्माती हैं, नमाज़ दो रकअ़तें ही सफ़र ह़ज़र में फ़र्ज़ की गई थी। फिर सफ़र में तो वही दो रकअ़तें हैं और इक़ामत की ह़ालत में दो और बढ़ा दी गईं। (सह़ीह़ बुख़ारी, किताबुस्सलात, बाब कैफ़ फ़ुरिज़तिस्सलातु फ़िल इस्रा : 350; सह़ीह़ मुस्लिम : 685; अबूदाऊद : 1198; नसाई : 453) पस उ़लमा की यह जमाअ़त कहती है कि अ़सल नमाज़ दो रकअ़त थी तो फिर इस आयत में क़स्र से मुराद कमिय्यत यानी रकअ़त की तादाद में कमी कैसे हो सकती है? इस क़ौल की बहुत बड़ी ताईद

सराहतन इस हदीस से भी होती है जो मुस्नद अहमद में हज़रत उमर (रज़ि.) की रिवायत से है कि बज़ुबाने नबी अकरम (ﷺ) सफ़र की दो रकअत हैं और ज़ुहा की नमाज़ भी दो रकअत है और ईदुल फ़ित्र की नमाज़ भी दो रकअत है और जुम्आ की नमाज़ भी दो रकअत है यही पूरी नमाज़ है क़स्र वाली नहीं। (नसाई, किताब तक़्सीरुस्सलात, बाब : 1; ह : 1441; वहुव सहीहुन; इब्ने माजा : 1063) यह हदीस नसाई, इब्ने माजा और सहीह इब्ने हिब्बान में भी है, इसकी सनद बशर्ते मुस्लिम है। इसके रावी इब्ने अबी लैला का हज़रत उमर (रज़ि.) से सिमाअ साबित है जैसे कि इमाम मुस्लिम (रह.) ने अपनी सहीह के मुक़द्दमा में लिखा है। (उन्ज़ुर आख़िर मुक़द्दमा सहीह मुस्लिम) और ख़ुद इस रिवायत में और इसके सिवा भी सराहतन मौजूद है और यही ठीक भी है, इंशाअल्लाह तआला! गो (भले) कुछ मुहद्दिसीन इसके सुनने के क़ाइल नहीं। लेकिन इसे मानते हुए भी इस सनद में नुक़्सान नहीं आता क्योंकि कुछ तुरूक़ (सनदों) में इब्ने अबी लैला का एक रावी से और इनका हज़रत उमर (रज़ि.) से सुनना मरवी है। और इब्ने माजा में इनका कअब बिन अज्रा (रह.) से रिवायत करना और इनका हज़रत उमर (रज़ि.) से रिवायत करना भी मरवी है। (देखिए, इब्ने माजा, किताब इक़ामतिस्सलात, बाब तक़्सीरुस्सलात फ़िस्सफ़रि : 1064; वसनदुहू सहीह) वल्लाहु आलम! मुस्लिम वग़ैरह में हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) से मरवी है कि अल्लाह तआला ने तुम्हारे नबी हज़रत मुहम्मद (ﷺ) की ज़ुबानी नमाज़ को इक़ामत की हालत में चार रकअत फ़र्ज़ किया है और सफ़र में दो रकअत और ख़ौफ़ में एक रकअत, पस जैसे कि हज़र में इससे पहले और इसके पीछे नमाज़ पढ़ते थे या पढ़ी जाती थी उसी तरह सफ़र में भी। (सहीह मुस्लिम, किताब सलातुल मुसाफ़िरीन व क़सरुहा, बाब सलातुल मुसाफ़िरीन व क़सरुहा : 687; अबूदाऊद : 1247; नसाई : 1532) और इस रिवायत में और हज़रत आइशा (रज़ि.) वाली रिवायत में जो ऊपर गुज़री कि हज़र में अल्लाह तआला ने दो रकअत ही फ़र्ज़ की थीं, कुछ मुनाफ़ात नहीं, इसलिए कि असल दो ही थीं बाद में दो और बढ़ा दी गईं, फिर हज़र की चार रकअतें हो गईं तो अब कह सकते हैं कि इक़ामत की हालत में फ़र्ज़ चार रकअतें हैं। जैसे कि इब्ने अब्बास (रज़ि.) की इस रिवायत में है, वल्लाहु आलम! अल्ग़र्ज़ यह दोनों रिवायतें इसे साबित करती हैं कि सफ़र में दो रकअत नमाज़ है और वही पूरी नमाज़ है कमी वाली नहीं, और यही हज़रत उमर (रज़ि.) की रिवायत से साबित हो चुका है तो मुराद इसमें क़स्र कैफ़ियत है जैसे कि सलाते ख़ौफ़ में। इसीलिए फ़र्माया है अगर तुम डरो इस बात से कि काफ़िर तुम्हें फ़ित्ने में डाल देंगे और उनमें बाद फ़र्माया जब तू उनमें हो और नमाज़ पढ़ो तो भी।

फिर क़स्र का मक़्सूदे सिफ़त और कैफ़ियत भी बयान फ़र्मा दी। इमामुल मुहद्दिसीन हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ने किताब सलाते ख़ौफ़ को इसी आयत (व इज़ा ज़रब्तुम) से (मुहीना) तक लिखकर शुरू किया है।

ज़हहाक (रह.) इसकी तफ़्सीर में फ़र्माते हैं कि यह लड़ाई का वक़्त है इंसान अपनी सवारी पर नमाज़ व तक्बीरें पढ़ ले, उसका चेहरा जिस तरफ़ भी हो उसी तरफ़ ही सहीह है। सुद्दी (रह.) फ़र्माते हैं कि सफ़र में जब तूने दो रकअत पढ़ीं तो वह क़स्र की पूरी मिक़्दार है। हाँ! जब काफ़िरों की फ़ित्ना अंगेज़ी का डर हो तो एक ही रकअत क़स्र है और यह बजुज़ ऐसे ख़ौफ़ के वक़्त के हलाल नहीं।

मुजाहिद (रह.) फ़र्माते हैं इस आयत से मुराद वह दिन है जबकि हुज़ूरे अकरम (ﷺ) अपने सहाबा किराम (रज़ि.) के साथ अस्फ़ान में थे और मुश्रिक ज़ज्नान में थे, एक दूसरे से बरसरे पेकार बिलकुल तैयार इधर ज़ुहर की नमाज़ का वक़्त आ गया। हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने तमाम सहाबा (रज़ि.) के साथ हस्बे मामूल चार रकअतें पूरी अदा कीं। उधर मुश्रिकीन ने सामान व अस्बाब को लूट लेने का इरादा किया। (यह रिवायत मुर्सल यानी ज़ईफ़ है।) इब्ने जरीर (रह.) इसे मुजाहिद, और सुद्दी, और जाबिर, और इब्ने उमर (रज़ि.) से रिवायत करते हैं और इसी को इख़्तियार करते हैं और इसी को कहते हैं कि यही ठीक है। हज़रत ख़ालिद बिन उसैद (रज़ि.) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) से कहते हैं सलाते ख़ौफ़ के क़स्र का हुक्म तो हम किताबुल्लाह में पाते हैं लेकिन सलाते मुसाफ़िर के क़स्र का हुक्म किताबुल्लाह में नहीं मिलता तो हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) जवाब देते हैं हमने अपने नबी अकरम (ﷺ) को सफ़र में नमाज़ को क़स्र करते हुए पाया और हमने भी उस पर अमल किया। (तब्री : 10323) ख़्याल फ़र्माइये कि इसमें क़स्र का इत्लाक़ सलाते ख़ौफ़ पर किया और आयत से मुराद भी सलाते ख़ौफ़ ली और सलाते मुसाफ़िर को उसमें शामिल नहीं किया, और हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) ने भी इसका इक़रार किया। इस आयत से मुसाफ़िर की नमाज़ का क़स्र बयान नहीं फ़र्माया, बल्कि उसके लिए अमले रसूलुल्लाह (ﷺ) को सनद बताया। इससे ज़्यादा सराहत वाली रिवायत इब्ने जरीर की है कि हज़रत सम्माक (रह.) आपसे सलाते सफ़र का मसला पूछते हैं। आप फ़र्माते हैं सफ़र की नमाज़ दो रकअत है और यही दो रकअत सफ़र की पूरी नमाज़ है क़स्र नहीं, क़स्र तो सलाते ख़ौफ़ में है कि इमाम एक रकअत पढ़ता है, दूसरी जमाअत दुश्मन के सामने है। फिर यह चले गए वह आ गए, एक रकअत इमाम ने उन्हें पढ़ाई तो इमाम की दो रकअत हुईं और इन दोनों जमाअतों की एक एक रकअत हुई। (तब्री : 10332)

وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَوٰةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ
وَلْيَأْخُذُوٓا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَآئِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ
أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ
كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً
وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن
تَضَعُوٓا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ۝١٠٢

तर्जुमा : "जब तू इनमें हो और इन्हें नमाज़ में खड़ा कर ले तो चाहिए कि इनकी एक जमाअत तो तेरे साथ अपने हथियार लिए खड़ी हो, फिर जब यह सज्दा कर चुकें तो यह तो हटकर तुम्हारे पीछे आ जाएँ, और वह दूसरी जमाअत जिसने नमाज़ नहीं पढ़ी वह आ जाए और तेरे साथ नमाज़ अदा करे और अपना बचाव और अपने हथियार लिए रहें, काफ़िर चाहते हैं कि किसी तरह तुम अपने हथियारों और अपने सामान से बेख़बर हो जाओ तो वह तुम पर अचानक धावा बोल दें, हाँ! अपने हथियार उतार रखने में उस वक़्त तुम पर कोई गुनाह नहीं जबकि तुम्हें तक्लीफ़ हो या बारिश की वजह से या बीमार हो जाने की वजह से अपने बचाव की चीज़ें साथ लिए रहो, अल्लाह तआला ने मुंकिरों के लिए ज़िल्लत की मार तैयार कर रखी है।" (102)

नमाज़े ख़ौफ़ का बयान (आयत 102) : नमाज़े ख़ौफ़ की कई क़िस्में हैं और मुख़्तलिफ़ सूरतें और हालतें हैं कभी तो ऐसा होता है कि दुश्मन क़िब्ला की तरफ़ है कभी दुश्मन दूसरी जानिब होता है, नमाज़ भी कभी चार रकअत की होती है कभी तीन रकअत की जैसे मग़्रिब, कभी दो जैसे फ़ज्र और सलाते सफ़र, कभी जमाअत से अदा करनी मुम्किन होती है कभी लश्कर इस तरह गुत्थे हुए होते हैं कि नमाज़ बाजमाअत मुम्किन ही नहीं होती बल्कि अलग-अलग क़िब्ले की तरफ़ और ग़ैर क़िब्ले की तरफ़ पैदल और सवार जिस तरह बन पड़े, बल्कि ऐसा भी होता है और जाइज़ भी है कि दुश्मनों के हमलों से बचते जाएँ, उन पर बराबर हमले करते जाएँ, नमाज़ भी अदा करते जाएँ। ऐसी हालत में सिर्फ़ एक ही रकअत नमाज़ पढ़ी जाती है जिसके जवाज़ का उलमा का फ़त्वा है और दलील हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) की हदीस है जो इससे अगली आयत की तफ़्सीर में बयान हो चुकी है। अता, जाबिर, हसन, मुजाहिद, हकम, क़तादा, हम्माद, ताउस, ज़ह्हाक, मुहम्मद बिन नस्र मरवज़ी, इब्ने हज़्म (रह.) का यही फ़त्वा है। सुबह की नमाज़ में एक ही रकअत इस हालत में रह जाती है। इस्हाक़ बिन राहवे (रह.) फ़र्माते हैं ऐसी दौड़ धूप के वक़्त एक ही रकअत काफ़ी है, इशारे से अदा करे अगर इस क़द्र पर भी क़ादिर न हो तो सज्दा कर ले यह भी ज़िक्रुल्लाह है। और लोग कहते हैं सिर्फ़ एक तक्बीर ही काफ़ी है लेकिन यह हो सकता है कि एक सज्दा और एक तक्बीर से मुराद भी एक रकअत हो। जैसे कि इमाम अहमद बिन हंबल (रह.) और इनके अस्हाब का फ़त्वा है, और यही क़ौल है जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.), अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.), कअब (रज़ि.) वग़ैरह सहाबा का।

सुद्दी (रह.) भी यही फ़र्माते हैं। लेकिन जिन लोगों का क़ौल सिर्फ़ एक तक्बीर का ही बयान हुआ है उसके बयान करने वाले उसे पूरी रकअत पर महमूल नहीं करते बल्कि सिर्फ़ तक्बीर ही जो ज़ाहिर है मुराद लेते हैं जैसे कि इस्हाक़ बिन राहवे का मज़हब है। अमीर अब्दुल वह्हाब बिन बख़्त मक्की भी इसी तरफ़ गए हैं। यहाँ तक कि वह कहते हैं अगर इस पर भी कुदरत न हो तो उसे अपने नफ़्स में भी न छोड़े यानी निय्यत ही कर ले, वल्लाहु आलम! (लेकिन सिर्फ़ निय्यत के कर लेने या सिर्फ़ अल्लाहु अकबर कह लेने पर इक्तिफ़ा करने या सिर्फ़ एक ही सज्दा कर लेने की कोई दलील कुरआनो हदीस से नज़र से नहीं गुज़री, वल्लाहु आलम, मुतर्जिम)

कुछ उलमा ने ऐसे ख़ास औक़ात में नमाज़ को ताख़ीर करके पढ़ने की रुख़्सत भी दी है। इनकी दलील

यह है कि नबी अकरम (ﷺ) ने जंगे ख़ंदक़ में सूरज डूब जाने के बाद ज़ुहर अ़सर की नमाज़ अदा की थी। (सह़ीह़ बुख़ारी, किताब मवाक़ीतुस्सलात, बाब मन सल्ला बिन्नासि जमाअ़तु बअ़द ज़िहाबुल वक़्त : 596; सह़ीह़ मुस्लिम : 631) फिर मग़्रिब इशा की। (तिर्मिज़ी, किताबुस्सलात, बाब मा जाअ फ़िर्रजुलि तफ़ुतुहुस्सलवात : 179; वहुव ह़सन; नसाई : 623) फिर इसके बाद बनू क़ुरैज़ा की जंग के दिन उनकी त़रफ़ जिन्हें भेजा था उन्हे ताकीद कर दी थी कि तुममें से कोई भी बनू क़ुरैज़ा तक पहुँचने से पहले अ़सर की नमाज़ न पढ़े। यह जमाअ़त अभी रास्ते में ही थी जो अ़सर का वक़्त आ गया तो कुछ ने तो कहा, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) का मक़्सद इस फ़र्मान से सिर्फ़ यही था कि हम जल्दी बनू क़ुरैज़ा पहुँचें न यह कि नमाज़ का वक़्त हो जाए तो भी नमाज़ न पढ़ें चुनाँचे उन लोगों ने तो रास्ते में ही बरवक़्त नमाज़ अदा कर ली। औरों ने बनू क़ुरैज़ा पहुँचकर नमाज़ पढ़ी जबकि सूरज ग़ुरूब हो चुका था। जब इस बात का ज़िक्र हुज़ूरे अकरम (ﷺ) को हुआ तो आपने दोनों जमाअ़तों में से किसी एक को भी डांट-डपट नहीं की। (सह़ीह़ बुख़ारी, किताबुल मग़ाज़ी, बाब मरजिइन्नबी (ﷺ) मिनल अह़ज़ाब : 4119; सह़ीह़ मुस्लिम : 1770) हमने इस पर तफ़्सीली बह़स अपनी किताबुस्सीरत में की है और इसे साबित किया है कि सह़ीह़ बात के क़रीब वह जमाअ़त थी जिन्होंने वक़्त पर नमाज़ अदा कर ली, गो दूसरी जमाअ़त भी माज़ूर थी। मक़्सूद यह है कि उस जमाअ़त ने जिहाद के मौक़े पर दुश्मनों पर ताख़्त करते हुए उनके क़िले की त़रफ़ जंग जारी रखते हुए नमाज़ को मुअख़्ख़र कर दिया। दुश्मनों का यह गिरोह मल्ऊन यहूदियों का था जिन्होंने अहद तोड़ दिया था और सुलह़ के ख़िलाफ़ किया था। लेकिन जुम्हूर कहते हैं सलाते ख़ौफ़ नाज़िल होने से यह सब मंसूख़ हो गया। यह वाक़ियात इस आयत के नाज़िल होने से पहले के हैं सलाते ख़ौफ़ के हुक्म के बाद अब जिहाद के वक़्त नमाज़ को वक़्त से टालना जाइज़ नहीं रहा। अबू सईद (रज़ि.) की रिवायत से भी यही ज़ाहिर है जिसे शाफ़ई (रह़.) ने मरवी की है। (नसाई : 2/17; ह़ : 662; वसनदुहू सह़ीह़) लेकिन सह़ीह़ बुख़ारी (सह़ीह़ बुख़ारी, किताबुल ख़ौफ़, बाब : 4; ह़ : 945, 946) के बाब अस्सलातु इन्द मुनाहज़तिल हुसून में है कि औज़ाई (रह़.) फ़र्माते हैं अगर फ़तह़ की तैयारी हो और नमाज़ बा जमाअ़त का इम्कान न हो तो हर शख़्स अलग-अलग अपनी अपनी नमाज़ इशारे से अदा कर ले यह भी न हो सकता हो तो नमाज़ में ताख़ीर कर लें यहाँ तक कि जंग ख़त्म हो जाए या अमन मिल जाए उस वक़्त दो रकअ़त पढ़ लें और अगर अमन न मिले तो एक रकअ़त अदा कर लें। सिर्फ़ तक्बीर का कह लेना काफ़ी नहीं। ऐसा ही हो तो नमाज़ को देर करके पढ़े जबकि इत्मिनान नसीब हो जाए। ह़ज़रत मक्हूल (रह़.) का फ़र्मान भी यही है।

ह़ज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) फ़र्माते हैं कि तुस्तर के क़िला के मुह़ासिरे में मैं मौजूद था। सुबह़ सादिक़ के वक़्त दस्त ब दस्त जंग शुरू हुई और सख़्त हंगामा का रन पड़ा। हम लोग नमाज़ न पढ़ सके और बराबर जिहाद में मशग़ूल रहे। जब अल्लाह तआ़ला ने हमें क़िला पर क़ाबिज़ कर दिया उस वक़्त हमने दिन चढ़े नमाज़ पढ़ी, उस जंग में हमारे इमाम ह़ज़रत अबू मूसा (रज़ि.) थे। ह़ज़रत अनस (रज़ि.) फ़र्माते हैं उस नमाज़ के बदले सारी दुनिया और उसकी तमाम चीज़ें भी मुझे ख़ुश नहीं कर सकतीं। (सह़ीह़ बुख़ारी, अब्वाब सलातुल ख़ौफ़, बाबुस्सलात इन्द मुनाहज़तिल हुसून व लिक़ाइल अदुव्व क़ब्ल ह़दीस : 945)

इमाम बुख़ारी (रह़.) इसके बाद जंगे ख़ंदक़ में हुज़ूरे अकरम (ﷺ) का नमाज़ों को ताख़ीर करना बयान करते हैं। फिर बनू क़ुरैज़ा वाला वाक़िया और हुज़ूरे अकरम (ﷺ) का फ़र्मान कि तुम बनू क़ुरैज़ा पहुँचने

से पहले अस़र की नमाज़ न पढ़ना वारिद करते हैं। गोया इमामे हुमाम ह़ज़रत इमाम बुख़ारी (रह़.) इसी को पसंद करते हैं कि ऐसी सख़्त लड़ाई और पूरे ख़त़रे और क़रीब फ़तह़ के मौक़े पर अगर नमाज़ में देर हो जाए तो कोई ह़र्ज नहीं।

ह़ज़रत अबू मूसा (रज़ि.) वाला फ़तह़े तुस्तर का वाक़िया ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) की ख़िलाफ़त के ज़माने का है, और यह मन्क़ूल नहीं कि ख़लीफ़तुल मुस्लिमीन ने या किसी और स़ह़ाबी ने इस पर ऐतिराज़ किया हो। और यह लोग यह भी कहते हैं कि ख़ंदक़ के मौक़े पर स़लाते ख़ौफ़ की आयतें मौजूद थीं, इसलिए कि यह आयतें ग़ज़्वा ज़ातुर्रिक़ाअ़ में नाज़िल हुई हैं और यह ग़ज़्वा ग़ज़्वएख़ंदक़ से पहले का है और इस पर जुम्हूर उ़लमा-ए-सियर व मग़ाज़ी का इत्तिफ़ाक़ है। मुह़म्मद बिन इस्ह़ाक़, मूसा बिन उ़क़्बा, वाक़दी, मुह़म्मद बिन सअ़द कातिबे वाक़दी और ख़लीफ़ा बिन ख़य्यात़ वग़ैरह इसी के क़ाइल हैं। हाँ! इमाम बुख़ारी (रह़.) वग़ैरह का क़ौल है कि ग़ज़्वा ज़ातुर्रिक़ाअ़ ख़ंदक़ के बाद हुआ था बसबब ह़दीसे अबू मूसा (रज़ि.) के और यह ख़ुद ख़ैबर में ही आए थे। (स़ह़ीह़ बुख़ारी, किताबुल मग़ाज़ी, बाब ग़ज़्वा ज़ातुर्रिक़ाअ़ क़ब्ल ह़दीस : 4125) वल्लाहु आलम! लेकिन ताज्जुब तो इस बात पर है कि क़ाज़ी अबू यूसुफ़, मुज़्नी, इब्राहीम बिन इस्माईल बिन अ़लिया (रह़ि.) कहते हैं कि स़लाते ख़ौफ़ मंसूख़ है, रसूलुल्लाह (ﷺ) के ग़ज़्वा ख़ंदक़ में देर करके नमाज़ पढ़ने से। यह क़ौल बिलकुल ही ग़रीब है। इसलिए कि ग़ज़्वा ख़ंदक़ के बाद की स़लाते ख़ौफ़ की अह़ादीस साबित हैं, उस दिन की नमाज़ की देर को मक्ह़ूल और औज़ाई के क़ौल पर ही मह़मूल करना ज़्यादा क़वी और ज़्यादा दुरुस्त है। यानी इनका वह क़ौल जो बह़वाला बुख़ारी बयान हुआ कि क़ुर्बे फ़तह़ और अ़दमे इम्कान स़लाते ख़ौफ़ के वक़्त ताख़ीर जाइज़ है, वल्लाहु आलम! आयत में हुक्म होता है कि जब तू इन्हें बाजमाअ़त नमाज़ पढ़ाए यह ह़ालत पहली ह़ालत के सिवा है। उस वक़्त यानी इंतिहाई ख़ौफ़ के वक़्त तो एक ही रकअ़त जाइज़ है और वह भी अलग अलग पैदल सवार क़िब्ले की तरफ़ चेहरा करके या न करके जिस त़रह़ मुम्किन हो। जैसे कि ह़दीस गुज़र चुकी। यह ह़ाल इमामत और जमाअ़त का बयान हो रहा है। जमाअ़त के वाजिब होने पर यह आयत बेहतरीन और मज़बूत़ दलील है कि जमाअ़त की वजह से बहुत कमी कर दी गई। अगर जमाअ़त वाजिब न होती तो यह सूरत जाइज़ न की जाती। कुछ ने इससे एक और इस्तिदलाल भी किया है। वह कहते हैं कि इसमें चूँकि यह लफ़्ज़ है कि जब तू उनमें हो और यह ख़ित़ाब नबी करीम (ﷺ) से है तो मालूम हुआ कि स़लाते ख़ौफ़ का हुक्म आप (ﷺ) के बाद मंसूख़ हो गया। यह इस्तिदलाल बिलकुल ज़ईफ़ है।

यह इस्तिदलाल तो ऐसा ही है जैसा इस्तिदलाल उन लोगों का था जो ज़कात को ख़ुल्फ़ा-ए-राशिदीन से रोक बैठे थे और कहते थे कि क़ुरआन में है (خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً) (9/तौबा : 103) यानी "तू उन लोगों के मालों से ज़कात ले जिससे तू उन्हें पाक साफ़ करे और तू उनके लिए रह़मत की दुआ कर, तेरी दुआ उनके लिए बाइसे तस्कीन है।" तो हम आप (ﷺ) के बाद किसी को ज़कात न देंगे बल्कि हम आप अपने हाथ से ख़ुद जिसे चाहें देंगे और स़िर्फ़ उसी को देंगे जिसकी दुआ हमारे लिए सबबे सुकून बने। लेकिन यह इस्तिदलाल उनका वाही था। इसीलिए स़ह़ाबा (रज़ि.) ने इसे रद्द कर दिया और उन्हें मजबूर किया कि यह ज़कात अदा करें बल्कि उनमे से जिन लोगों ने उसे रोक लिया था उनसे जंग की।

आओ हम आयत की स़िफ़त बयान करने से पहले इसका शाने नुज़ूल बयान कर दें। इब्ने जरीर में है

कि बनू नज्जार की एक क़ौम ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सवाल किया कि हम बराबर इधर उधर आमद व रफ़्त किया करते हैं तो हम नमाज़ किस तरह पढ़ें। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने अपना यह क़ौल नाज़िल फ़र्माया (وَ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْاَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ) (4/निसाअ : 101) फिर साल भर तक कोई वह्नी न आई, फिर जबकि आप (ﷺ) एक ग़ज़्वे में थे ज़ुहर की नमाज़ के लिए खड़े हुए, मुश्रिकीन कहने लगे, अफ़सोस! क्या ही अच्छा मौक़ा हाथ से जाता रहा, काश! कि इनकी नमाज़ की ह्रालत में हम यक्बारगी अचानक इन पर ह्रमला कर देते। उस पर कुछ मुश्रिकीन ने कहा, यह मौक़ा तो तुम्हें फिर मिलेगा, उसके थोड़ी देर बाद ही यह दूसरी (यानी नमाज़े अ़सर) के लिए खड़े होंगे। लेकिन अल्लाह तआ़ला ने अ़सर की नमाज़ से पहले और ज़ुहर की नमाज़ के बाद (इन ख़िफ़्तुम) से पूरी दो आयतों तक नाज़िल फ़र्मा दीं और काफ़िर नाकाम रहे। ख़ुद अल्लाह तआ़ला ने सलाते ख़ौफ़ की तालीम दी। (त़बरी : 10319; वसनदुहू ज़ईफ़; इसकी सनद में अ़ब्दुल्लाह बिन हाशिम मज्हूल और इसका शैख़ वाही (कमज़ोर) है।) गो यह सियाक़ निहायत ही ग़रीब है लेकिन इसे मज़बूत करने वाली और रिवायतें भी हैं।

ह्ज़रत अबू अयाश ज़ुरक़ी (रह्र.) फ़र्माते हैं अस्फ़ान में हम नबी करीम (ﷺ) के साथ थे, ख़ालिद बिन वलीद (रज़ि.) उस वक़्त कुफ़्र की ह्रालत में थे और मुश्रिकीन के लश्कर के सरदार थे यह लोग हमारे सामने पड़ाव डाले थे, तब हमने यह क़िब्ला रुख़, ज़ुहर की नमाज़ जब हमने अदा की तो मुश्रिकों के चेहरे में पानी भर आया और वह कहने लगे, अफ़सोस! हमने मौक़ा हाथ से खो दिया, वक़्त था कि यह उधर नमाज में मशग़ूल थे और हम उन पर दफ़अ़तन धावा बोल देते। फिर उनमें कुछ जानने वालों ने कहा, ख़ैर कोई बात नहीं, इसके ब ाद इनकी एक और नमाज़ का वक़्त आ रहा है और वह नमाज़ तो इन्हें अपने बाल बच्चों से भी ज़्यादा अ़ज़ीज़ है उस वक़्त सही, पस ज़ुहर अ़सर के बीच अल्लाह तआ़ला ने ह्ज़रत जिब्राईल (ﷺ) को नाज़िल फ़र्माया और आयत **(इज़ा कुन्त फ़ीहिम)** उतारी। चुनाँचे अ़सर की नमाज़ के वक़्त हमें रसूलुलाह (ﷺ) ने हुक्म दिया हमने हथियार सजा लिए और अपनी दो सफ़ें कर के हुज़ूरे अकरम (ﷺ) के पीछे खड़े हो गए। क़याम में रुकूअ़ में, क़ौमा में सबके सब साथ रहे। जब आप (ﷺ) सज्दे में गए तो दो सफ़ों में से पहली सफ़ आप (ﷺ) के साथ सज्दे में गई और दूसरी सफ़ खड़ी की खड़ी उनकी निगहबानी करती रही जब सज्दों से फ़ारिग़ होकर यह लोग खड़े हो गए तो अब दूसरी सफ़ वाले सज्दे में गए। जब यह दोनों सज्दे कर चुके तो अब पहली सफ़ वाले दूसरी सफ़ वालों की जगह चले गए और दूसरी सफ़ वाले पहली सफ़ वालों की जगह आ गए। फिर क़याम रुकूअ़ और क़ौमा सबने हुज़ूरे अकरम (ﷺ) के साथ ही साथ अदा किया। और जब आप (ﷺ) सज्दे में गए तो पहली सफ़ आप (ﷺ) के साथ सज्दे में गई और दूसरी सफ़ वाले खड़े हुए पहरा देते रहे जब यह सज्दों से फ़ारिग़ हो गए और अत्तह्रिय्यात में बैठे तब दूसरी सफ़ के लोगों ने सज्दे किए और अत्तह्रिय्यात में सबके सब साथ मिल गए और सलाम भी हुज़ूरे अकरम (ﷺ) के साथ सबने एक साथ फेरा। सलाते ख़ौफ़ एक बार तो आप (ﷺ) ने यहाँ अस्फ़ान में पढ़ी और दूसरी बार बनू सुलैम की ज़मीन में। (मुस्नद अह्रमद : 4/59, 60; अबूदाऊद, किताब सलातुस्सफ़र, बाब सलातुल ख़ौफ़ : 1236; वसनदुहू सह्रीह्र; नसाई : 1551) यह ह्रदीस मुस्नद अह्रमद, अबूदाऊद और नसाई में भी है। इसकी इस्नाद सह्रीह्र है और शाहिद भी बकसरत हैं। बुख़ारी में भी यह रिवायत इख़्तिसार के साथ है और इसमें है बावजूद यह कि सब लोग नमाज़ में थे लेकिन एक दूसरे की चौकीदारी कर रहे थे। (सह्रीह्र बुख़ारी, किताब सलाते ख़ौफ़, बाब

यह्रूसु बअ्ज़ुहुम बअ्ज़न फ़ी सलातिल ख़ौफ़ : 944; नसाई : 1534) इब्ने जरीर में है कि सुलेमान बिन क़ैस यश्करी ने हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) से पूछा, नमाज़ के क़स्र करने का हुक्म कब नाज़िल हुआ? तो आपने फ़र्माया, कुरेशियों का एक क़ाफ़िला शाम से आ रहा था हम उसकी तरफ़ चले, जब नख़्ला में पहुँचे तो एक शख़्स रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास पहुँच गया और कहने लगा, क्या आप मुझसे डरते नहीं? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, नहीं! उसने कहा, आप (ﷺ) को मुझसे कौन बचा सकता है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ''अल्लाह तआ़ला मुझे तुझसे बचा लेगा'' फिर तलवार खींच ली और डराया धमकाया, फिर कूच की मुनादी हुई और आप (ﷺ) हथियार सजाकर चले। फिर अज़ान हुई और सहाबा (रज़ि.) दो हिस्सों में बंट गए। एक हिस्सा आप (ﷺ) के साथ नमाज़ अदा कर रहा था और दूसरा हिस्सा पहरा दे रहा था जो आपके मुत्तसिल था वह दो रकअ़त आपके साथ पढ़कर पीछे हटकर पीछे वालों की जगह चले गए और पीछे वाले अब आगे बढ़ आए और उन अगलों की जगह खड़े हो गए, उन्हें भी हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने दो रकअ़त पढ़ाई फिर सलाम फेर दिया। पस हुज़ूरे अकरम (ﷺ) की चार रकअ़तें हुईं और सबकी दो दो हुईं और अल्लाह तआ़ला ने नमाज़ की कमी का और हथियार लिए रहने का हुक्म नाज़िल फ़र्माया। (तब्री : 10330) मुस्नद अहमद की इसी हदीस में है कि जो शख़्स तलवार ताने रसूलुल्लाह (ﷺ) पर हमलावर हुआ था, यह दुश्मन के क़बीले में से था उसका नाम ग़ौरिस बिन हारिस था। जब आप (ﷺ) ने अल्लाह तआ़ला का नाम लिया तो उसके हाथ से तलवार छूट गई। आप (ﷺ) ने तलवार अपने हाथ में ले ली और उससे कहा, अब तू बता कि तुझे कौन बचाएगा, तो वह माफ़ी मांगने लगा कि मुझ पर आप रहम कीजिए। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, क्या तू अल्लाह तआ़ला केएक होने की और मेरे रसूल होने की गवाही देता है? उसने कहा, यह तो नहीं, हाँ! मैं इक़रार करता हूँ कि आप (ﷺ) से लडूँगा नहीं और उन लोगों का साथ न दूँगा जो आप (ﷺ) से बरसरे पैकार हों। आपने उसे माफ़ कर दिया। जब यह अपने वालों में आया तो कहने लगा, रूए ज़मीन पर हुज़ूरे अकरम (ﷺ) से बेहतर कोई शख़्स नहीं। (मुस्नद अहमद : 3/390; वसनदुहू सहीह; इब्ने हिब्बान : 2872)

और रिवायत में है कि यज़ीद फ़क़ीर (रह.) ने हज़रत जाबिर (रज़ि.) से पूछा कि सफ़र में जो दो रकअ़त हैं, क्या यह क़स्र की हैं? आपने फ़र्माया, पूरी नमाज़ है क़स्र तो बवक़्ते जिहाद एक रकअ़त है फिर सलाते ख़ौफ़ का इसी तरह ज़िक्र किया। इसमें यह भी है कि आप (ﷺ) के सलाम के साथ आपके पीछे वालों ने और उन लोगों ने सलाम फेरा और उसमें दोनों हिस्सा फ़ौज के साथ एक एक रकअ़त पढ़ने का बयान है। पस सबकी एक एक रकअ़त हुई और हुज़ूरे अकरम (ﷺ) की दो रकअ़तें। (इब्ने अबी हातिम, वसनदुहू हसन; नसाई : 1547; वसनदुहू सहीह) और रिवायात में है कि एक जमाअ़त आप (ﷺ) के पीछे सफ़बस्ता नमाज़ में थी और एक जमाअ़त दुश्मन के मुक़ाबिल थी। फिर एक रकअ़त के बाद आप (ﷺ) के पीछे वाले अगलों की जगह आ गए और यह पीछे हो गए। (मुस्नद अहमद : 3/298; नसाई, किताब सलातुल ख़ौफ़ : 1546; वहुव सहीह) यह हदीस बहुत सी किताबों में बहुत सी सनदों के साथ हज़रत जाबिर (रज़ि.) से मरवी है। एक और हदीस में है जो बरिवायते सालिम अ़न अबीह मरवी है उसमें भी यह है कि फिर खड़े होकर सहाबा (रज़ि.) ने एक एक रकअ़त अपनी अदा कर ली। (सहीह बुख़ारी : 4133; सहीह मुस्लिम : 1942; अबूदाऊद : 1243; तिर्मिज़ी : 564; नसाई : 1536) इस हदीस की भी बहुत सी सनदें और बहुत से अल्फ़ाज़ हैं। हाफ़िज़ अबूबक्र इब्ने मर्दवे ने इन सबको जमा कर दिया है और इसी तरह इब्ने जरीर ने भी। हम

इसे किताब अहकामे कबीर में लिखना चाहते हैं, इंशाअल्लाह तआला! ख़ौफ़ की नमाज़ में हथियार लिए रहने का हुक्म कुछ के नज़दीक तो बतौर वुजूब के है, क्यों कि आयत के ज़ाहिरी अल्फ़ाज़ यही हैं। इमाम शाफ़ेई (रह.) का भी एक क़ौल यही है और इसी की ताईद इस आयत के पिछले फ़िक़रे से भी होती है कि बारिश या बीमारी की वजह से हथियार उतार रखने में तुम पर गुनाह नहीं। अपना बचाव साथ लिए रहो, यानी ऐसे तैयार रहो कि वक़्त आते ही बेतकल्लुफ़ बेतक्लीफ़ हथियार से आरास्ता हो जाओ। अल्लाह तआला ने काफ़िरों के लिए एहानत वाला अज़ाब तैयार कर रखा है।

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيٰمًا وَّقُعُودًا وَّعَلٰى جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا
اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلٰوةَ ۚ إِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتٰبًا
مَّوْقُوتًا ﴿١٠٣﴾ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ ۖ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ
كَمَا تَأْلَمُونَ ۚ وَتَرْجُونَ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا يَرْجُونَ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٠٤﴾

तर्जुमा : **"फिर जब तुम नमाज़ अदा कर चुको तो उठते बैठते और लेटते अल्लाह तआला का ज़िक्र करते रहो, और जब इत्मिनान पाओ तो नमाज़ क़ायम करो, यक़ीनन नमाज़ तो मोमिनों पर मुक़र्ररा वक़्तों पर फ़र्ज़ है। (103) उन लोगों का पीछा करने से हारे दिल होकर बैठे न रहो। अगर तुम्हें बेआरामी होती है तो उन्हें भी तो तुम्हारी तरह बेआरामी होती है, और तुम अल्लाह तआला से वह आरज़ूएँ रखते हो जो आरज़ूएँ उन्हें नहीं, अल्लाह दाना और हकीम है।" (104)**

अमन की हालत में नमाज़ को वक़्त पर अदा करना (आयत 103, 104) : जनाब बारी अज़्ज़ इस्मुहू इस आयत में हुक्म देता है कि नमाज़े ख़ौफ़ के बाद अल्लाह तआला का ज़िक्र बकसरत किया करो। गो ज़िक्र अल्लाह तआला का हुक्म और उसकी तर्ग़ीब व ताकीद और नमाज़ों के बाद बल्कि हर वक़्त ही है, लेकिन यहाँ ख़ुसूसियत से इसलिए बयान फ़र्माया कि यहाँ बहुत बड़ी रुख़्सत इनायत फ़र्माई है, नमाज़ में तख़्फ़ीफ़ कर दी, फिर हालते नमाज़ में इधर उधर हटना जाना आना मस्लिहत के मुताबिक़ जाइज़ रखा। जैसे हुर्मत वाले महीनों के बारे में फ़र्माया, उनमें अपनी जानों पर ज़ुल्म न करो। गो और औक़ात में भी ज़ुल्म मम्नूअ है लेकिन उन पाक महीनों में इससे बचाव की मज़ीद ताकीद की। तो फ़र्मान होता है कि अपनी हर हालत में अल्लाह तआला का ज़िक्र करते रहो और जब इत्मिनान हासिल हो जाए, डर ख़ौफ़ न रहे तो बाक़ायदा ख़ुशूअ ख़ुज़ूअ से अरकाने नमाज़ को पाबन्दी से मुताबिक़े शरअ बजा लाओ। यह नमाज़ तुम पर वक़्ते मुक़र्ररा में अल्लाह की तरफ़ से फ़र्ज़े ऐन है। जिस तरह हज्ज का वक़्त मुअय्यन है उसी तरह नमाज़ का वक़्त भी मुक़र्रर है। एक वक़्त के

बाद दूसरा फिर दूसरे के बाद तीसरा।

फिर फ़र्माता है दुश्मनों की तलाश में कम हिम्मती न करो। चुस्ती और चालाकी से घात की जगह बैठकर उनकी ख़बर लो। अगर क़त्ल व ज़ख़्म व नुक़्सान तुम्हें पहुँचता है तो क्या उन्हें नहीं पहुँचता? इसी मज़्मून को इन अल्फ़ाज़ में भी अदा किया गया है (إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ) (3/आले इमरान : 104) पस मुसीबत और तक्लीफ़ के पहुँचने में तो तुम और वह बराबर हो, लेकिन हाँ! फ़र्क़ और बहुत बड़ा फ़र्क़ यह है कि तुम्हें ज़ाते बारी तआला से उम्मीदें और वह आसरा हैं जो उन्हें नहीं। तुम्हें अज्रो सवाब भी मिलेगा तुम्हारी मदद व ताईद भी होगी जैसे कि ख़ुद अल्लाह ने ख़बर दी है और वादा किया है। न उसकी ख़बर झूठी, न उसका वादा टलने वाला। पस तुम्हें बनिस्बत उनके बहुत तग व दो चाहिए। तुम्हारे दिलों में जिहाद का वल्वला होना चाहिए। तुम्हें उसकी रग़बत कामिल होनी चाहिए। तुम्हारे दिलों में अल्लाह तआला के कलिमे को क़ायम करने मज़बूत करने फैलाने और बुलंद करने की तड़प हर वक़्त मौजूद रहनी चाहिए। अल्लाह तआला जो कुछ मुक़र्रर करता है जो फ़ैसला करता है जो जारी करता है। जो शरअ मुक़र्रर करता है जो काम करता है, सब में पूरी ख़बर वाला, सहीह और सच्चे इल्म वाला, साथ ही हिक्मत वाला भी है। हर हाल में हर वक़्त सज़ावार तारीफ़ व हम्द के लायक़ वही है।

إِنَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَآ أَرٰىكَ اللّٰهُ ۚ وَلَا تَكُنْ
لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيمًا ﴿١٠٥﴾ وَّاسْتَغْفِرِ اللّٰهَ ۖ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٠٦﴾ وَلَا تُجَادِلْ
عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ ۚ إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا ﴿١٠٧﴾
يَّسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللّٰهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا
يَرْضٰى مِنَ الْقَوْلِ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴿١٠٨﴾ هٰٓأَنتُمْ هٰٓؤُلَآءِ جٰدَلْتُمْ عَنْهُمْ
فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۖ فَمَنْ يُّجَادِلُ اللّٰهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ أَمْ مَّنْ يَّكُونُ عَلَيْهِمْ
وَكِيلًا ﴿١٠٩﴾

तर्जुमा : "यक़ीनन हमने तेरी तरफ़ हक़ के साथ अपनी किताब नाज़िल फ़र्माई है ताकि तू लोगों में उस चीज़ के साथ इंसाफ़ करे जिससे अल्लाह ने तुझे शनासा किया है। ख़यानत करने वालों का हिमायती न बन। (105) अल्लाह तआला से बख़्शिश मांगता रह, बेशक अल्लाह तआला बख़्शिश करने वाला मेहरबानी करने वाला है। (106) और उनकी तरफ़ से झगड़ा न कर जो ख़ुद अपनी ही ख़यानत करते हैं, दग़ाबाज़ गुनहगार अल्लाह को अच्छे नहीं लगते। (107) लोगों से तो छुप जाते हैं (लेकिन) अल्लाह तआला से नहीं छुप सकते, वह रातों के वक़्त जबकि अल्लाह की नापसंदीदा बातों के ख़ु फ़िया मश्वरे करते हैं उस वक़्त भी अल्लाह तआला उनके पास होता है उनके तमाम आमाल को वह घेरे हुए है। (108) ख़बरदार! तुम हो वह लोग कि दुनिया में तुम उनकी हिमायत करते हो, लेकिन अल्लाह के सामने क़यामत के दिन उनकी हिमायत कौन करेगा वह कौन है जो उनका वकील बनकर खड़ा हो सकेगा।" (109)

क्या नबी (ﷺ) ग़लतफ़हमी में पड़ सकते हैं? (आयत 105-109) : अल्लाह तआला अपने नबी अकरम (ﷺ) से फ़र्माता है कि यह क़ुरआन जो आप पर अल्लाह तआला ने उतारा है वह सरासर और मुकम्मल हक़ है उसकी ख़बरें भी हक़ उसके फ़र्मान भी हक़। फिर फ़र्माता है ताकि तुम लोगों के दरम्यान वह इंसाफ़ करो जो अल्लाह तुम्हें समझाए। कुछ उलमा-ए-उसूल ने इससे इस्तिदलाल किया है कि नबी अकरम (ﷺ) को इज्तिहाद से हुक्म करने का इख़्तियार दिया गया था। इसकी दलील वह हदीस भी है जो बुख़ारी व मुस्लिम में है कि हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने अपने दरवाज़े पर झगड़ने वालों की आवाज़ सुनी तो आप (ﷺ) बाहर आए और फ़र्माने लगे, "सो मैं एक इंसान हूँ जो सुनता हूँ उसके मुताबिक़ फ़ैसला करता हूँ, बहुत मुम्किन है कि एक शख़्स ज़्यादा हुज्जतबाज़ और चर्ब ज़ुबान हो और मैं उसकी बातों को सही जानकर उसके हक़ में फ़ैसला कर दूँ और फ़िल वाक़ेअ वह हक़दार न हो तो वह समझ ले कि वह उसके लिए जहन्नम का टुकड़ा है, अब उसे इख़्तियार है कि ले ले या छोड़ दे।" (सहीह बुख़ारी, किताबुल अहकाम, बाब मन क़ज़ा लहू बि हक़्क़ि अख़ीही फ़ला याख़ुज़हू... : 7181; सहीह मुस्लिम : 1713) मुस्नद अहमद में है कि दो अंसारी एक वर्से के बारे में हुज़ूरे अकरम (ﷺ) के पास अपना क़ज़िया लाए, वाक़िया को ज़माना गुज़र चुका था। शाहिद और गवाह कोई न था। तो उस वक़्त आपने वही हदीस बयान फ़र्माई और फ़र्माया कि "वह इस मेरे फ़ैसले की बिना पर अपने भाई का हक़ न ले ले। अगर ऐसा करेगा तो क़यामत के दिन अपनी गर्दन में जहन्नम की आग लटकाकर आएगा।" अब तो वह दोनों बुज़ुर्ग रोने लगे और हर एक कहने लगा, मैं अपना हक़ भी अपने भाई को दे रहा हूँ। हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, "अब तुम ऐसा करो कि जाओ अपने तौर पर जहाँ तक तुमसे हो सके, ठीक-ठीक हिस्से बांट लो फिर क़ुरआ डालकर हिस्सा ले लो और हर एक दूसरे को अपना रहा सहा ग़लती का हक़ माफ़ कर दे।" (मुस्नद अहमद : 6/308; अबूदाऊद : 3584; वसनदुहू हसन) अबूदाऊद में भी यह हदीस है और उसमें यह भी अल्फ़ाज़ है कि "मैं तुम्हारे बीच अपनी समझ से उन उमूर का फ़ैसला करता हूँ जिनमें कोई वही नाज़िल नहीं होती।" (अबूदाऊद, किताबुल क़ज़ा, बाब फ़ी क़ज़ाइल क़ाज़ी इज़ा अख़्ता : 3585; वहुव हसन)

इब्ने मर्दवे में है कि अंसार का एक गिरोह एक जिहाद में हुज़ूरे अकरम (ﷺ) के साथ था वहाँ एक शख़्स की चादर किसी ने चुरा ली और उसका गुमान उस चोरी का तुअम्मा इब्ने उबैरिक़ की तरफ़ था। हुज़ूरे अकरम (ﷺ) की ख़िदमत में यह क़िस्सा पेश हुआ, चोर ने उस चादर को एक शख़्स के घर में उसकी बेख़बरी में डाल दिया और अपने कुंबे क़बीले वालों से कहा, मैंने चादर फ़लाँ के घर में डाल दी है तुम रात को हुज़ूरे अकरम (ﷺ) के पास जाओ और आपसे ज़िक्र करो कि हमारा साथी तो चोर नहीं, चोर फ़लाँ है और हमने पता लगा लिया है कि चादर भी उसके घर में मौजूद है। पस आप (ﷺ) हमारे साथी की तमाम लोगों के रूबरू बरियत कर दीजिए और उसकी हिमायत कीजिए वरना डर है कि कहीं वह हलाक न हो जाए। आपने ऐसा ही किया, इस पर यह आयतें उतरीं। और जो लोग अपने झूठ को छुपा करके हुज़ूरे अकरम (ﷺ) के पास आए थे उनके बारे में (यस्तख़्फ़ून) से दो आयतें नाज़िल हुईं। (इब्ने मर्दवे, वसनदुहू ज़ईफ़; इसकी सनद में अतिया बिन सअद औफ़ी मजरूह रावी है (अत्तक़रीब : 2/24; रक़म : 216)

फिर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने फ़र्माया जो बुराई और बदी का काम करे। उससे मुराद भी यही लोग हैं, और चोर के और उसके हिमायतों के बारे में फ़र्मान उतरा कि जो गुनाह और ख़ता करे और नाकर्दा गुनाह के ज़िम्मे इल्ज़ाम लगाए वह बोहतानबाज़ और खुला गुनहगार है। लेकिन यह सियाक़ ग़रीब है। कुछ बुज़ुर्गों से मरवी है कि यह आयत बनू उबेरिक़ के चोर के बारे में नाज़िल हुई है।

यह क़िस्सा मुतव्वल (सविस्तार) तिर्मिज़ी किताबुत्तफ़्सीर में बज़ु बानी हज़रत क़तादा (रज़ि.) इस तरह मरवी है कि हमारे घराने के बनू उबेरिक़ क़बीले का एक घर था जिसमें बशर, बशीर और मुबश्शिर थे। बशीर एक मुनाफ़िक़ शख़्स था। अश्आर में रसूलुल्लाह (ﷺ) के स हाबा (रज़ि.) की हिजू करता, फिर उन अश्आर को किसी और की तरफ़ मंसूब करके ख़ूब मज़े ले लेकर पढ़ा करता। अस्हाबे रसूलुल्लाह (ﷺ) जानते थे कि यही ख़बीस इन शेअरों को बनाने वाला है। यह लोग जाहिलियत के ज़माने से ही फ़ाक़ा मस्त चले आते थे। मदीने के लोगों का अकसर खाना जो और खजूरें थीं, हाँ! तवंगर (मालदार) लोग शाम के आए हुए क़ाफ़िले वालों से मैदा ख़रीद लेते, जिसे वह ख़ुद अपने लिए मख़्सूस कर लेते, बाक़ी घर वाले उमूमन जो और खजूरें ही खाते। मेरे चचा रफ़ाआ बिन ज़ेद ने भी शाम के आए हुए क़ाफ़िले से एक बोझ (कट्टा) मैदा का ख़रीदा और अपने बालाख़ाने में उसे महफ़ूज़ रख लिया, जहाँ हथियार, ज़िरहें और तलवारें वग़ैरह भी रखी हुईं थीं। रातों को चोरों ने नीचे नक़ब लगाकर अनाज ग़ल्ला भी निकाल लिया और हथियार भी उठा ले गए। सुबह मेरे चचा मेरे पास आए और सारा वाक़िया बयान किया। अब हम तजस्सुस (पता) करने लगे तो पता चला कि आज रात को बनू उबेरिक़ के घर में आग जल रही थी और कुछ खाना पका रहे थे, ग़ालिबन वह तुम्हारे यहाँ से चोरी कर गए हैं। इससे पहले ही जब अपने घराने वालों से पूछताछ कर रहे थे तो उस क़बीले के लोगों ने हमसे कहा था कि तुम्हारा चोर लबीद बिन सहल है। हम जानते थे कि लबीद का यह काम नहीं वह एक दयानतदार सच्चा मोमिन शख़्स था। हज़रत लबीद (रज़ि.) को जब यह ख़बर मिली तो वह आपे से बाहर हो गए। तलवार ताने बनू उबेरिक़ के पास आए और कहने लगे, या तो तुम मेरी चोरी साबित कर दो, वरना मैं तुम्हें क़त्ल कर दूँगा। उन लोगों ने उनकी बरात की और माफ़ी चाह ली वह चले गए। हम सबके सब पूरी तहक़ीक़ात के बाद इस नतीजे पर पहुँचे कि चोरी उबेरिक़ ने की है। मेरे चचा ने मुझसे कहा कि तुम जा कर रसूलुल्लाह (ﷺ) से ख़बर तो करो। मैंने जाकर हुज़ूरे अकरम (ﷺ) से सारा वाक़िया बयान किया और यह भी कहा कि आप हमें हमारे हथियार वापिस दिलवा दीजिए, ग़ल्ला की

वापसी की ज़रूरत नहीं। हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने मुझे इत्मिनान दिलाया कि "अच्छा मैं इसकी तहक़ीक़ करूँगा।" यह ख़बर जब बनू उबेरिक़ को हुई तो उन्होंने अपना एक आदमी आपके पास भेजा जिनका नाम उसैद बिन उर्वा था। उन्होंने आकर कहा कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! यह तो ज़ुल्म हो रहा है बनू उबेरिक़ तो सलाहियत और इस्लाम वाले लोग हैं, उन्हें क़तादा इब्ने नोअमान और उनके चचा चोर बतलाते हैं। और बग़ैर किसी सबूत और दलील के चोरी का बदनुमा इल्ज़ाम उन पर रखते हैं, वग़ैरह। फिर जब मैं ख़िदमते नबवी (ﷺ) में पहुँचा तो आपने मुझसे फ़र्माया। "यह तो तुम बहुत बुरा करते हो कि दीनदार और भले लोगों के ज़िम्मे चोरी का इल्ज़ाम लगाते हो और तुम्हारे पास इस काम का कोई सबूत भी नहीं।" मैं चुपचाप वापिस चला आया और दिल में सख़्त पशेमान और परेशान था। ख़्याल आता था कि काश! कि मैं उस माल से चुप-चाप दस्त बरदार हो जाता और आप (ﷺ) से इसका ज़िक्र ही न करता तो अच्छा था। इतने में मेरे चचा आए और मुझसे पूछा, कहो तुमने क्या किया? मैंने सारा वाक़िया उनसे बयान किया जिसे सुनकर उन्होंने कहा (**अल्लाहुल मुस्तआन**) अल्लाह ही से हम मदद चाहते हैं। उनका जाना था कि हुज़ूरे अकरम (ﷺ) पर बज़रिया वही यह आयतें उतरीं। पस (ख़ाइनीन) से मुराद बनू उबेरिक़ हैं। आपको इस्तिग़फ़ार का हुक्म हुआ, उस फ़र्मान से जो आपने हज़रत क़तादा (रज़ि.) को फ़र्माया था, फिर साथ ही फ़र्मा दिया गया कि अगर यह लोग इस्तिग़फ़ार करें तो अल्लाह तआला इन्हें बख़्श देगा।

फिर फ़र्माया, नाकर्दा गुनाह के ज़िम्मे अपना गुनाह थोपना बदतरीन जुर्म है (**अज्रन अज़ीमा**) तक यानी उन्होंने जो हज़रत लबीद (रज़ि.) की निस्बत कहा कि चोर यह हैं। जब यह आयतें उतरीं तो हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने बनू उबेरिक़ से हमारे हथियार दिलवाए। मैं उन्हें लेकर अपने चचा के पास आया। यह बेचारे बुढ़े थे। आँखों से भी कम नज़र आता था। मुझसे फ़र्माने लगे बेटा जाओ! यह सब हथियार अल्लाह तआला के नाम ख़ैरात कर दो। मैं आज तक अपने चचा की निस्बत क़द्रे बदगुमान था कि यह दिल से इस्लाम में पूरे तौर पर दाख़िल नहीं हुए लेकिन इस वाक़िया ने ये बदगुमानी मेरे से दूर कर दी और मैं उनके सच्चे इस्लाम का क़ाइल हो गया। बशीर यह आयतें सुनकर मुश्रिकीन में जा मिला और सलाफ़ा बिन्ते सअद बिन सुमय्या के यहाँ जाकर अपना क़याम किया। उसके बारे में इसके बाद की आयतें (व मय्युंशाक़िक़िर्रसूल) से (बईदा) तक नाज़िल हुईं। और हज़रत हस्सान (रज़ि.) ने उसके इस काम की मज़म्मत और उसकी हिजू अपने शेअरों में की। उन अश्आर को सुनकर उस औरत को बड़ी ग़ैरत आई और बशीर का सब अस्बाब अपने सर पर रखकर अब्तह मैदान में फेंक आई और कहा, तू कोई भलाई लेकर मेरे पास नहीं आया बल्कि हस्सान (रज़ि.) की हिजू के अश्आर लेकर आया है, मैं तुझे अपने यहाँ नहीं ठहराने की। (तिर्मिज़ी, किताब तफ़्सीरुल क़ुरआन, बाब वमिन सूरतिन्निसाअ : 22/3036; वसनदुहू हसन; अल्हाकिम : 4/385, 388; व इब्ने इस्हाक़ सरह बिस्सिमाअ इन्दहू) यह रिवायत बहुत सी किताबों में बहुत सी सनदों से मुतव्वल (सविस्तार) और मुख़्तसर मरवी है।

उन मुनाफ़िक़ों की कम अक़्ली का बयान हो रहा है कि वह अपनी स्याहकारियों को लोगों से छुपाते फिरते हैं, भला इससे क्या नतीजा? अल्लाह तआला से तो पोशीदा नहीं रख सकते? फिर उन्हें धमकाया जा रहा है कि तुम्हारे पोशीदा राज़ भी अल्लाह से छुप नहीं सकते। फिर फ़र्माता है माना कि दुनियावी हाकिमों के यहाँ जो ज़ाहिरदारी पर फ़ैसले करते हैं तुमने ग़ल्बा हासिल कर लिया, लेकिन क़यामत के दिन अल्लाह के सामने जो ज़ाहिर व बातिन का आलिम है, तुम क्या कर सकोगे? वहाँ किसे वकील बनाकर पेश करोगे जो तुम्हारे झुठे दावे की ताईद करे। मतलब यह है कि उस दिन तुम्हारी कुछ नहीं चलेगी।

وَمَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهٗ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿۱۱۰﴾
وَمَنْ يَّكْسِبْ اِثْمًا فَاِنَّمَا يَكْسِبُهٗ عَلٰى نَفْسِهٖ ۭ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿۱۱۱﴾ وَمَنْ
يَّكْسِبْ خَطِيْۗئَةً اَوْ اِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهٖ بَرِيْۗـــًٔا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا ﴿۱۱۲﴾
وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهٗ لَهَمَّتْ طَّاۗىِٕفَةٌ مِّنْهُمْ اَنْ يُّضِلُّوْكَ ۭ وَمَا
يُضِلُّوْنَ اِلَّآ اَنْفُسَھُمْ وَمَا يَضُرُّوْنَكَ مِنْ شَيْءٍ ۭ وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ
وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ ۭ وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا ﴿۱۱۳﴾

तर्जुमा : ''जो शख़्स कोई बुराई करे या अपनी जान पर ज़ुल्म करे फिर अल्लाह तआला से इस्तिग़फ़ार करे तो वह अल्लाह तआला को बख़्शने वाला मेहरबानी करने वाला पायेगा। (110) जो गुनाह करता है उसका बोझ उसी पर है। अल्लाह तआला बख़ूबी जानने वाला और पूरी हिक्मत वाला है। (111) जो शख़्स कोई गुनाह या ख़ता करके किसी नाकर्दा गुनाह के ज़िम्मे थोप दे उसने बड़ा बोहतान उठाया और खुला गुनाह किया। (112) अगर अल्लाह तआला का फ़ज़्लो रहम तुझ पर न होता तो उनकी एक जमाअत ने तो तुझे बहकाने का क़सद कर लिया था। दरअसल यह अपने तईं ही गुमराह करते हैं यह तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, अल्लाह तआला ने तुझ पर किताब व हिक्मत उतारी है और तुझे वह वह सिखाया है जिसे तू नहीं जानता था। अल्लाह तआला का तुझ पर बड़ा भारी फ़ज़्ल है।'' (113)

अल्लाह तआला की रहमत का बयान (आयत 110-113) : अल्लाह तआला अपने करम और अपनी मेहरबानी को बयान फ़र्माता है कि जिस गुनाह से जो कोई तौबा करे, अल्लाह तआला उसकी तरफ़ मेहरबानी से रुजूअ करता है, हर वह शख़्स जो रब की तरफ़ झुके रब अपनी मेहरबानी से और अपनी वुस्अते रहमत से उसे ढाँप लेता है और उसके छोटे और बड़े गुनाहों को बख़्श देता है, गो वह गुनाह आसमान व ज़मीन और पहाड़ों से भी बड़े हों। बनी इस्राईल में जब कोई गुनाह करता तो उसके दरवाज़े पर कुदरती हुरूफ़ में उसका कफ़्फ़ारा लिखा हुआ नज़र आ जाता जो उसे अदा करना पड़ता और उन्हें यह भी हुक्म था कि उनके कपड़े पर अगर पेशाब लग जाए तो उतना कपड़ा कतरवा डालें। अल्लाह तआला ने इस उम्मत पर आसानी कर दी, पानी से धो लेना ही कपड़े की पाकी रखी और तौबा कर लेना ही गुनाह की माफ़ी रखी। एक औरत ने हज़रत

अ़ब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़ल (रज़ि.) से सवाल किया कि एक औ़रत ने बदकारी की, फिर जब बच्चा हुआ तो उसे मार डाला। आपने फ़र्माया, उसकी सज़ा जहन्नम है, वह रोती हुई वापिस चली तो आपने उसे बुलाया और आयत (**वमंय्यअ़मल**) पढ़कर सुनाई तो उसने अपने आँसू पोंछ डाले और वापिस लौट गई। हुज़ूरे अकरम (ﷺ) फ़र्माते हैं, जिस मुसलमान से कोई गुनाह सरज़द हो जाए फिर वह वुज़ू करके दो रकअ़त नमाज़ अदा करके अल्लाह तआ़ला से इस्तिग़फ़ार करे तो अल्लाह तआ़ला उसके उस गुनाह को बख़्श देता है। फिर आपने इस आयत (وَ الَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً) (3/आले इमरान : 135) की तिलावत की। (अबूदाऊद : 1521; वसनदुहू हसन) इस आयत का पूरा बयान हमने मुस्नद अबूबक्र में कर दिया है और कुछ बयान सूरह आले इमरान की तफ़्सीर में भी गुज़रा है।

हज़रत अबू दर्दा (रज़ि.) फ़र्माते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) की आ़दते मुबारक थी कि मज्लिस में से उठकर अपने किसी काम के लिए कभी जाते और वापिस तशरीफ़ लाने का इरादा भी होता तो जूती या कपड़ा कुछ न कुछ छोड़ जाते। एक मर्तबा आप अपनी जूती छोड़े हुए थे और डोलची पानी के साथ लेकर चले। मैं भी आपके पीछे हो लिया। आप कुछ दूर जाकर बग़ैर हाजत पूरी किए वापिस आए और फ़र्माने लगे "मेरे पास मेरे रब की त़रफ़ से एक आने वाला आया और मुझे यह पैग़ाम दे गया" फिर आपने यह आयत (वमंय्यअ़मल...) पढ़ी और फ़र्माया, मैं अपने सहाबा (रज़ि.) को ख़ुशख़बरी सुनाने के लिए रास्ते से ही लौट आया हूँ।

इससे पहले चूँकि आयत (**मय्यअ़मल सूअंय्युजज़ा बिही**) यानी "हर बुराई करने वाले को उस बुराई का बदला मिलेगा" उतर चुकी थी इसलिए सहाबा (रज़ि.) मशक़्क़त में थे। मैंने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! गो किसी ने ज़िना किया हो, चोरी की हो, फिर वह इस्तिग़फ़ार करे तो उसे भी अल्लाह बख़्श देगा? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, "हाँ!" मैंने दोबारा पूछा, आप (ﷺ) ने फिर कहा, "हाँ!" मैं तीसरी बार पूछा, तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, "हाँ! हाँ! गो अबू दर्दा की नाक ख़ाक आलूद हो।" पस हज़रत अबू दर्दा (रज़ि.) जब यह हदीस बयान करते अपनी नाम पर मार बतलाते। (इब्ने मर्दवे वसनदुहू ज़ईफ़) इसकी इस्नाद ज़ईफ़ है और यह हदीस ग़रीब है।

फिर फ़र्माता है कि गुनाह कमाने वाला अपना ही बुरा करता है जैसे और जगह है कोई दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा, एक दूसरे को नफ़ा न पहुँचा सकेगा , हर शख़्स अपने करतूत का ज़िम्मेदार है। कोई न होगा जो बोझ उठाए। रब का इल्म रब की हिक्मत, रब का अ़द्ल, रब की हिक्मत के ख़िलाफ़ है कि एक के गुनाह पर दूसरा पकड़ा जाए। फिर फ़र्माता है जो ख़ुद बुरा काम करके किसी बेगुनाह के सर चिपका दे जैसे बनू उबेरिक़ ने लबीद (रज़ि.) का नाम लिया जो वाक़िया तफ़्सीलवार इससे अगली आयत की तफ़्सीर में बयान हो चुका है, या मुराद ज़ैद बिन समीन यहूदी है जैसे कुछ और मुफ़स्सिरीन का ख़्याल है कि उस चोरी की तोहमत उस क़बीले ने उस बेगुनाह के ज़िम्मे लगाई थी और ख़ुद ही ख़ाइन और ज़ालिम थे। आयत गो शाने नुज़ूल के ऐतिबार से ख़ास़ है लेकिन हुक्म के ऐतिबार से आ़म है जो भी ऐसा करे अल्लाह की सज़ा का मुस्तहिक़ है। इसके बाद की आयत (वलौला) का तअ़ल्लुक़ भी इसी वाक़िया से है यानी लबीद बिन उ़र्वा और उनके साथियों ने बनू उबेरिक़ के चोरों की हुज़ूरे अकरम (ﷺ) के सामने बरात करके उनकी पाकदामनी का इज़्हार

करके हुज़ूरे अकरम (ﷺ) को असलियत से हटाने का सारा काम पूरा कर लिया था लेकिन अल्लाह ने जो आपकी अस्मत का हक़ीक़ी निगहबान है आपको इस ख़तरनाक मौक़े पर ख़ाइनों की तरफ़दारी से बचा लिया और असली वाक़िया साफ़ कर दिया। किताब से मुराद क़ुरआन और हिक्मत से मुराद सुन्नत है। नुज़ूले वही से पहले आप जो न जानते थे उनका इल्म परवरदिगार ने आपको बज़रिया वही कर दिया। जैसे और आयत में है (وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ اَمْرِنَا) (42/शूरा : 52) से पूरी सूरत तक। और आयत में है (وَمَا كُنْتَ تَرْجُوْٓا اَنْ يُّلْقٰٓى اِلَيْكَ الْكِتٰبُ) (28/क़सस : 86) इसीलिए यह भी फ़र्माया। यह सब बातें अल्लाह तआला का फ़ज़्ल है जो आपके शामिले हाल है।

***

لَا خَيْرَ فِيْ كَثِيْرٍ مِّنْ نَّجْوٰىهُمْ اِلَّا مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوْفٍ اَوْ اِصْلَاحٍۢ
بَيْنَ النَّاسِ ۭ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ ابْتِغَاۗءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا
عَظِيْمًا ۝۱۱۴ وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ
سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى وَنُصْلِهٖ جَهَنَّمَ ۭ وَسَاۗءَتْ مَصِيْرًا ۝۱۱۵

तर्जुमा : ''इनके अकसर मुसालहती मश्वरे बेख़ैर हैं, हाँ! भलाई उसके मश्वरे में है जो ख़ैरात का या नेक बात का या लोगों में सुलह कराने का हुक्म करे। जो शख़्स सिर्फ़ अल्लाह तआला की रज़ामन्दी हासिल करने के इरादे से यह काम करे उसे हम यक़ीनन बहुत बड़ा सवाब देंगे। (114) जो शख़्स बावजूद राहे हिदायत की वज़ाहत हो जाने की भी रसूलुल्लाह (ﷺ) का ख़िलाफ़ करे और तमाम मोमिनों की राह छोड़कर चले हम उसे उधर ही मुतवज्जा कर देंगे। जिधर व ख़ुद मुतवज्जा हुआ है और उसे दोज़ख़ में डाल देंगे, वह बहुत ही बुरी जगह है पहुँचने की। (115)

लोगों के आपसी झगड़ों में इस्लाह कराने की फ़ज़ीलत (आयत 114, 115) : लोगों के अक्सर कलाम बेख़ैर होते हैं, सिवाए उनके जिनकी बातें ख़ैरात करने की, अच्छाई की, लोगों में मेल-मिलाप की हों। हज़रत सुफ़ियान सौरी (रह.) की एयादत के लिए लोग जाते हैं, उनमें सईद बिन हस्सान (रह.) भी होते हैं, तो आप फ़र्माते हैं, सईद! तुमने उम्मे सालेह की रिवायत से जो हदीस बयान की थी, आज उसे फिर सुनाओ। आप सनद बयान करके फ़र्माते हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, इंसान की तमाम बातें उस पर वबाल ही हैं बजुज़ ज़िक्रुल्लाह के और अच्छे कामों के बतलाने के और बुरे कामों से रोकने के। हज़रत सुफ़ियान (रह.) ने कहा, यही मज़्मून इस आयत में है। यही मज़्मून आयत (يَوْمَ يَقُوْمُ الرُّوْحُ) (78/नबा : 38) में है, यही मज़्मून सूरह

असर में है। (सुनन तिर्मिज़ी, किताबुज़्ज़ुहद, बाब 63; ह : 2412; इब्ने माजा : 3974; वसनदुहू ज़ईफ़; उम्मे सालेह मज्हूलुल हाल रावी है।)

मुस्नद अहमद में फ़र्माने रसूलुल्लाह (ﷺ) है कि लोगों मे मेलमिलाप और इस्लाह करने के लिए जो भली बात कहे या इधर से उधर कोई इस क़िस्म की बात करे, वह झूठों में दाख़िल नहीं। हज़रत उम्मे कुलसुम बिन्ते उ़क़्बा (रज़ि.) फ़र्माती हैं मैंने आपको ऐसी बातों की तीन मौक़ों पर इजाज़त देते हुए सुना है, जिहाद में, लोगों के बीच इस्लाह कराने में और मियाँ बीवी की बातों में दोनों को। यह माई साहिबा हिज्रत करने वालियों और बेअ़त करने वालियों में से हैं। (मुस्नद अहमद : 6/403; सहीह बुख़ारी, किताबुस्सुलह, बाब लैसल काज़िबुल्लज़ी युस्लिहु बैनन्नास : 2692; सहीह मुस्लिम : 2605)

एक और हदीस में है "क्या मैं तुम्हें एक ऐसा अ़मल बताऊँ जो रोज़े नमाज़ और सदक़ा से भी अफ़ज़ल है?" लोगों ने ख़्वाहिश की तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, "वह आपस में इस्लाह कराना है।" फ़र्माते हैं और आपस का फ़साद नेकियों को मूँड डालता है। (अबूदाऊद, किताबुल अदब, बाब फ़ी इस्लाहि ज़ातिल बैन : 4919; वसनदुहू ज़ईफ़; आमश रावी मुदल्लस है और तस्रीह बिस्सिमाअ़ साबित नहीं।) बज़्ज़ार में है हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने हज़रत अबू अय्यूब (रज़ि.) से फ़र्माया, "आ मैं तुझे एक तिजारत बताऊँ, लोग जब लड़ झगड़ रहे हों तो उनमें मुसालिहत करा दे, जब एक दूसरे से नाराज़ हो गए हों तू उन्हें मिला दे। अल्लाह तआ़ला फ़र्माता है कि ऐसी भली बातें रब की रज़ामन्दी के लिए ख़ुलूस और नेक निय्यती से जो करे वह अज्रे अ़ज़ीम पाएगा।" (मुस्नद बज़्ज़ार : 2060; नहवल मानी वसनदुहू ज़ईफ़)

जो शख़्स ग़ैर शरई तरीक़ पर चले यानी शरअ़ एक तरफ़ हो और उसकी राह एक तरफ़ हो, फ़र्माने रसूल कुछ हो और उसका मुंतहा-ए-नज़र और हो, हालाँकि उस पर हक़ खुल चुका हो, दलील देख ली हो फिर भी मुख़ालिफ़ते रसूल करके मुसलमानों की साफ़ रविश से हट जाए तो हम भी उसे टेढ़ी और बुरी राह पर ही उसे लगा देते हैं। उसे फिर वही अच्छी और भली मालूम होने लगती है, यहाँ तक कि बीचोंबीच जहन्नम में जा पहुँचता है। मोमिनों की राह के अ़लावा राह ढूँढना दरअसल रसूलुल्लाह (ﷺ) से शिक़ाक़ व ख़िलाफ़ करना ही है लेकिन कभी तो शारेअ़ (ﷺ) की साफ़ बात का ख़िलाफ़ होता है कभी उस चीज़ का ख़िलाफ़ होता है जिस पर सारी उम्मते मुहम्मदिया मुत्तफ़िक़ हो जिसमें उन्हें ख़ता से अल्लाह ने उनकी शराफ़त व करामत की वजह से महफ़ूज़ कर रखा है। इस बारे में बहुत सी हदीसें भी हैं और हमने भी अहादीसुल उसूल में इनका बड़ा हिस्सा बयान किया है। कुछ उ़लमा तो इसके तवातुरे मअ़नवी के क़ाइल हैं। हज़रत इमाम शाफ़ेई (रह.) ने ग़ौरो-फ़िक्र के बाद इस आयत से इत्तिफ़ाक़े उम्मत के दलील होने पर इस्तिदलाल किया है। हक़ीक़तन यही इस बारे में बेहतरीन और क़वीतर चीज़ है। कुछ दीगर इमामों ने इस दलालत को मुश्किल और आयत के मतलब से दूर भी बताया है।

ग़र्ज़ ऐसा करने वाले की रस्सी अल्लाह तआ़ला भी ढीली छोड़ देता है, जैसे फ़र्मान है (سَنَسْتَدْرِجُهُمْ) (68/क़लम : 24) और (फ़लम्मा ज़ाग़ू) और (नज़रूहुम) (6/अन्आम : 110) यानी हम उन्हें उनकी बेख़बरी में धीरे धीरे मुहलत बढ़ाते रहते हैं, उनके बहकते ही हम भी उनके दिलों को टेढ़ा कर देते हैं। हम उन्हें उनकी सरकशी में हैरान छोड़ देते हैं। बिलआख़िर उनकी जाए बाज़गश्त जहन्नम में बन जाती है। जैसे फ़र्मान है ज़ालिमों का उनके जोड़ों के साथ हश्र करो। और जैसे फ़र्माया, ज़ालिम आग को देखकर जान लेंगे कि उसमें कूदना पड़ेगा लेकिन कोई सूरत छुटकारे की न पाएँगे।

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ ۚ وَمَنْ يُّشْرِكْ
بِاللّٰهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا بَعِيْدًا ﴿١١٦﴾ اِنْ يَّدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖٓ اِلَّآ اِنٰثًا ۚ وَاِنْ يَّدْعُوْنَ
اِلَّا شَيْطٰنًا مَّرِيْدًا ﴿١١٧﴾ لَّعَنَهُ اللّٰهُ ۘ وَقَالَ لَاَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا
﴿١١٨﴾ وَّلَاُضِلَّنَّهُمْ وَلَاُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ اٰذَانَ الْاَنْعَامِ وَلَاٰمُرَنَّهُمْ
فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ ؕ وَمَنْ يَّتَّخِذِ الشَّيْطٰنَ وَلِيًّا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَقَدْ خَسِرَ
خُسْرَانًا مُّبِيْنًا ﴿١١٩﴾ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيْهِمْ ؕ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطٰنُ اِلَّا غُرُوْرًا ﴿١٢٠﴾
اُولٰٓئِكَ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۫ وَلَا يَجِدُوْنَ عَنْهَا مَحِيْصًا ﴿١٢١﴾ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا
الصّٰلِحٰتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ؕ وَعْدَ
اللّٰهِ حَقًّا ؕ وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيْلًا ﴿١٢٢﴾

तर्जुमा : ''उसे तो अल्लाह तआ़ला क़त्अन न बख़्शेगा कि उसके साथ शरीक मुक़र्रर किया जाए, हाँ! शिर्क के सिवा के गुनाह जिसके चाहे माफ़ कर देता है। अल्लाह तआ़ला के साथ शरीक करने वाला बहुत दूर की गुमराही में जा पड़ा। (116) यह तो अल्लाह तआ़ला को छोड़कर सिर्फ़ औरतों को पुकारते हैं। और दरअस़ल यह सिर्फ़ सरकश शैतान को पूजते हैं। (117) जिसे अल्लाह तआ़ला लानत कर चुका है और उसने बेड़ा उठाया है कि तेरे बन्दों में से अज़्ल में मुक़र्ररशुदा हिस्सा मैं लेकर रहूँगा। (118) और उन्हें राह से बहकाता रहूँगा और झूठी उम्मीदें दिलाता रहूँगा और उन्हे सिखाऊँगा कि जानवरों के कान चीर दें और उनसे कहूँगा कि अल्लाह तआ़ला की बनायी हुई स़ूरत को बिगाड़ दें। सुनो! जो शख़्स अल्लाह तआ़ला को छोड़कर शैतान को अपना दोस्त बनाएगा वह स़रीह नुक़्स़ान में डूबेगा। (119) वह उनसे ज़ुबानी वादे करता रहेगा और सब्ज़ बाग़ दिखाता रहेगा। शैतान के जो वादे उनसे हैं वह सरासर फ़रेबकारियाँ हैं। (120) यह वह लोग हैं जिनकी जगह जहन्नम है जहाँ से उन्हें न

भागना मिलेगा, न छुटकारा। (121) और जो ईमान लाएँ और भले काम करें हम उन्हें उन जन्नतों में ले जायेंगे जिनके नीचे चश्मे जारी हैं जहाँ यह अब्दल अबाद (हमेशा-हमेश) रहेंगे। यह है अल्लाह तआला का वादा जो सरासर सच्चा है। कौन है जो अपनी बात में अल्लाह तआला से ज़्यादा सच्चा हो?" (122)

अल्लाह तआला की तख़्लीक़ को बदलने की कोशिश और शैतान की चालबाज़ियाँ (आयत 116-122) : इस सूरत के शुरू में पहली आयत के बारे में हम पूरी तफ़्सीर कर चुके हैं और वहीं इस आयत से ताल्लुक़ रखने वाली हदीसें भी बयान कर दी हैं। हज़रत अली (रज़ि.) फ़र्माया करते थे, क़ुरआन की कोई आयत मुझे इस आयत से ज़्यादा महबूब नहीं। (तिर्मिज़ी : 3037; वसनदुहू ज़ईफ़; सुवेर रावी ज़ईफ़ है।) मुश्रिकीन से दुनिया और आख़िरत की भलाई दूर हो जाती है। वह राहे हक़ से दूर जा पड़ते हैं। वह अपने नफ़्स को और अपने दोनों जहान को बर्बाद कर लेते हैं। यह मुश्रिकीन औरतों के परस्तार हैं। हज़रत कअब (रह.) फ़र्माते हैं, हर सनम के साथ एक जुंबिया औरत है। हज़रत आइशा (रज़ि.) फ़र्माती हैं (इनासा) से मुराद बुत हैं। यह क़ौल और मुफ़स्सिरीन का भी है। ज़हहाक (रह.) का क़ौल है कि मुश्रिकीन फ़रिश्तों को पूजते थे और उन्हें अल्लाह की बेटियाँ कहते थे और कहते थे उनकी इबादत से हमारी असल ग़र्ज़ अल्लाह तआला की नज़दीकी हासिल करना है। और इनकी तस्वीरें औरतों की शक्ल की क़ायम करते थे, फिर हुक्म करते थे और तक़्लीद करते थे और कहते थे कि यह सूरतें फ़रिश्तों की हैं जो अल्लाह तआला की लड़कियाँ हैं। यह तफ़्सीर आयत (أَفَرَءَيْتُمُ اللَّٰتَ) (53/नज्म : 19) के मज़्मून से ख़ूब मिलती है, जहाँ इनके बुतों के नाम लेकर अल्लाह ने फ़र्माया है यह ख़ूब इंसाफ़ है कि लड़के तो तुम्हारे और लड़कियाँ मेरी। और आयत में है (وَجَعَلُوا الْمَلَٰٓئِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَٰدُ الرَّحْمَٰنِ إِنَٰثًا) (43/ज़ुख़रुफ़ : 19) "इन लोगों ने अल्लाह तआला के ग़ुलाम फ़रिश्तों को मुअन्नस समझ रखा है।" और जगह है अल्लाह तआला में और जिन्नात में नसब निकालते हैं। इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़र्माते हैं, मुराद मुर्दे हैं। हसन (रह.) फ़र्माते हैं, हर बेरूह चीज़ इनास है ख़्वाह सूखी लकड़ी हो ख़्वाह पत्थर हो। लेकिन यह क़ौल ग़रीब है।

फिर इर्शाद होता है कि दरअसल यह शैतान के पुजारी हैं क्योंकि वही इन्हें यह राह सुझाता है और यह दरअसल उसी की मानते हैं। जैसे फ़र्मान है (أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ) (36/यासीन : 60) **"ऐ बनी आदम! क्या मैंने तुमसे शैतान की इबादत न करने का वादा नहीं लिया था?"** इसी वजह से फ़रिश्ते क़यामत के दिन साफ़ कह देंगे कि हमारी इबादत के दावेदार दरअसल शैतानी पूजा के फंदे में थे। शैतान को रब ने अपनी रहमत से अलग कर दिया है और अपने पास से निकाल बाहर कर दिया है। उसने भी बेड़ा उठा रखा है कि अल्लाह तआला के बन्दों को माकूल तादाद में बहका लेगा। क़तादा (रह.) फ़र्माते हैं, यानी हर हज़ार में से नौ सौ निन्नान्वे को जहन्नम में अपने साथ ले जाएगा एक बच रहेगा जो जन्नत का मुस्तहिक़ होगा। उसने कहा है कि मैं उन्हें हक़ से बहकाऊँगा और उन्हें उम्मीदें दिलाता रहूँगा कि यह तौबा छोड़ बैठेंगे, ख़्वाहिशों के पीछे पड़ जाएँगे, मौत को भूल बैठेंगे, नफ़्स परवरी और आख़िरत से दूरी में पड़ जाएँगे, जानवरों के कान काटकर सूराख़दार करके अल्लाह के सिवा दूसरों के नाम करने की इन्हें तल्क़ीन करूँगा, अल्लाह की बनायी हुई सूरतों को बिगाड़ना सिखाऊँगा, जैसे जानवरों को ख़सी करना।

एक ह़दीस में इससे भी मुमानिअ़त आई है (शायद मुराद इससे नस्ल मुन्क़तअ़ करने की ग़र्ज़ से ऐसा करना है) एक मानी यह भी किये गए हैं कि चेहरे पर गोदना गुदवाना, जो स़ह़ीह़ मुस्लिम की ह़दीस में मम्नूअ़ है और जिसके करने वाले पर अल्लाह तआ़ला की लानत वारिद हुई है। (स़ह़ीह़ मुस्लिम, किताबुल्लिबास, बाब अन्नही अ़न ज़रबिल ह़ैवान फ़ी वज्हेही : 2116, 2117; तिर्मिज़ी : 1710) इब्ने मसऊ़द (रज़ि.) से स़ह़ीह़ सनद से मरवी है कि गोदने वालियों और गुदवाने वालियों, पेशानी के बाल नोचने वालियों और नुचवाने वालियों पर जो हुस्न व ख़ूबसूरती के लिए अल्लाह तआ़ला की बनावट को बिगाड़ती हैं, अल्लाह तआ़ला की लानत है। मैं उन पर लानत क्यूँ न करूँ? जिन पर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने लानत की है और जो किताबुल्लाह में मौजूद है। फिर आपने आयत (وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ) (69/ह़श्र : 7) पढ़ी। (स़ह़ीह़ बुख़ारी, किताबुल्लिबास, बाब अल्मुतफ़ल्लिजात लिल्ह़ुस्नि : 5931; स़ह़ीह़ मुस्लिम : 5571) कुछ और मुफ़स्सिरीने किराम (रह़.) से मरवी है कि मुराद अल्लाह तआ़ला के दीन को बदल देना है। जैसे और आयत में है (فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا ۭ فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۭ لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ) (30/रूम : 30) यानी "अपना चेहरा क़ायम रखकर अल्लाह के एक त़रफ़ा दीन की जानिब, यह अल्लाह की वह फ़ित़रत है जिस पर तमाम इंसानों को उसने पैदा किया, अल्लाह तआ़ला की ख़ल्क़ में कोई तब्दीली नहीं।" इस पिछले जुम्ले को जब अम्र के मानी में लिया जाए तो यह तफ़्सीर ठीक हो जाती है, यानी फ़ित़रते अल्लाह को न बदलो, लोगों को मैंने जिस फ़ित़रत पर पैदा किया है उसी पर रहने दो। स़ह़ीह़ैन में है "हर बच्चा फ़ित़रते इस्लाम पर पैदा होता है लेकिन उसके माँ बाप उसे यहूदी या नस़रानी या मजूसी बना लेते हैं।" जैसे बकरी का स़ह़ीह़ सालिम बच्चा बिलकुल बेऐ़ब होता है लेकिन फिर लोग उसके कान वग़ैरह काट देते हैं और उसे ऐ़बदार कर देते हैं। (स़ह़ीह़ बुख़ारी, किताबुल जनाइज़, बाब मा क़ील फ़ी औलादिल मुश्रिकीन : 1385; स़ह़ीह़ मुस्लिम : 2658; तिर्मिज़ी : 2138) स़ह़ीह़ मुस्लिम में है, अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल फ़र्माता है, मैंने अपने बन्दों को यक्सूई वाले दीन पर पैदा किया, लेकिन शैत़ान ने आकर उन्हें बहका दिया। फिर मैंने अपने ह़लाल को उन पर ह़राम कर दिया। (स़ह़ीह़ मुस्लिम, किताबुल जन्ना, बाबुस़्स़िफ़ातुल्लती युअ़रफ़ु बिहा फ़िद्दुनिया : 2865)

शैत़ान को दोस्त बनाने वाला अपना नुक़्स़ान करने वाला है, जिस नुक़्स़ान की कभी भरपाई न हो सके। क्यों कि शैत़ान उन्हें सब्ज़ बाग़ दिखाता रहता है। फ़लाह़ व बहबूद उनकी ग़लत़ राह में उन्हें समझाता है और दरअस़ल वह बड़ा फ़रेब और स़ाफ़ धोखा होता है। चुनाँचे क़यामत के दिन स़ाफ़ कहेगा कि अल्लाह तआ़ला के वादे सच्चे थे और मैं तो वादाख़िलाफ़ हूँ ही। मेरा कोई ज़ोर तुम पर था ही नहीं। मेरी पुकार को सुनते ही क्यूँ तुम मस्त व बेअ़क़्ल बन गए। अब मुझे क्यूँकोसते हो, अपने तईं बुरा कहो। शैत़ानी वादों को स़ह़ीह़ जानने वाले उसकी दिलाई हुई उम्मीदों को पूरी होने वाली समझने वाले आख़िर जहन्नम में जायेंगे जहाँ से छुटकारा मुश्किल नहीं, नामुम्किन होगा।

इन बदबख़्तों के ज़िक्र के बाद अब नेक लोगों का ह़ाल बयान हो रहा है कि जो दिल से मेरे मानने वाले हैं और जिस्म से मेरी ताबेदारी करने वाले हैं, मेरे अह़काम पर अ़मल करते हैं, मेरी मनाकर्दा चीज़ों से दूर रहते हैं, मैं उन्हें अपनी नेअ़मतें दूँगा। उन्हें जन्नतों में ले जाऊँगा, जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, जिसमें ज़वाल व इंतिक़ाल और नुक़्स़ान भी नहीं। अल्लाह तआ़ला का यह वादा अटल और बिलकुल सच्चा है और यक़ीनन

पूरा होने वाला है। अल्लाह तआला से ज़्यादा सच्चीबात और किसकी होगी? उसके सिवा कोई माबूदे बरह़क़ नहीं, न उसके सिवा कोई मुरब्बी है।

रसूलुल्लाह (ﷺ) अपने ख़ुत्बे में फ़र्माया करते थे, **''सबसे ज़्यादा सच्ची बात अल्लाह की बात है और सबसे बेहतर हिदायत मुहम्मद (ﷺ) की हिदायत है और तमाम कामों में सबसे ज़्यादा बुरा काम दीन में नई निकाली हुई बात है और हर ऐसी नई बात बिदअ़त है और हर बिदअ़त गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली है।''** (स़ह़ीह़ मुस्लिम, किताबुल जुम्आ, बाब तख़्फ़ीफ़ुस्सलात वल ख़ुत्बा : 867; नसाई : 1578; इब्ने माजा : 45; वल्लफ़्ज़ु लिन्नसाई)

لَيْسَ بِاَمَانِيِّكُمْ وَلَآ اَمَانِيِّ اَهْلِ الْكِتٰبِ ۭ مَنْ يَّعْمَلْ سُوْۗءًا يُّجْزَ بِهٖ ۙ وَلَا يَجِدْ لَهٗ
مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ﴿١٢٣﴾ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى
وَھُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰۗىِٕكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ نَقِيْرًا ﴿١٢٤﴾ وَمَنْ اَحْسَنُ دِيْنًا
مِّمَّنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَھُوَ مُحْسِنٌ وَّاتَّبَعَ مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ۭ وَاتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرٰهِيْمَ
خَلِيْلًا ﴿١٢٥﴾ وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۭ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيْطًا ﴿١٢٦﴾

तर्जुमा : ''ह़क़ीक़ते ह़ाल न तो तुम्हारी आरज़ू के मुत़ाबिक़ है और न अहले किताब की उम्मीदों पर मौक़ूफ़ है जो बुरा करेगा उसकी सज़ा पाएगा और किसी को न पाएगा जो उसकी हिमायत व मदद अल्लाह के पास कर सके। (123) जो ईमान वाले मर्द हो या औ़रत और वह नेक आ़माल करे, यक़ीनन ऐसे लोग जन्नत में जाएँगे और खजूर के शिगाफ़ बराबर भी उनका ह़क़ न मारा जाएगा। (124) दीन के एतिबार से उनसे अच्छा कौन है जो अपना चेहरा अल्लाह तआ़ला के अह़काम पर धर दे और हो भी नेककार, साथ ही यक्सूई वाले इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) के दीन की पैरवी कर रहा हो। इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) को अल्लाह तआ़ला ने अपना दोस्त बना लिया है। (125) आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है सब अल्लाह तआ़ला ही का है। और अल्लाह तआ़ला हर चीज़ को घेरे रखने वाला है।'' (126)

ईमान व अ़मले स़ालेह़ के बग़ैर आरज़ूओं का ह़ुसूल नामुम्किन है (आयत 123-126) : ह़ज़रत क़तादा (रह़.) फ़र्माते हैं हमसे ज़िक्र किया गया है कि अहले किताब और मुसलमानो में चर्चा होने लगा। अहले किताब तो यह कहकर अपनी फ़ज़ीलत जता रहे थे कि हमारे नबी तुम्हारे नबी (ﷺ) से पहले के हैं

और हमारी किताब भी तुम्हारी किताब से पहले की है और मुसलमान कह रहे थे कि हमारे नबी आख़िरी नबी (ﷺ) हैं और हमारी किताब तमाम अगली किताबों के फ़ैसले करने वाली है। इस पर यह आयतें उतरीं और मुसलमानों की और दीन वालों पर फ़ज़ीलत बयान हुई। मुजाहिद (रह़.) से मरवी है कि अहले अ़रब ने कहा, न तो हम मरने के बाद दोबारा ज़िन्दा होंगे, न हमें अ़ज़ाब होगा। यहूदियों ने कहा, सिर्फ़ हम ही जन्नती हैं। यही क़ौल नस़रानियों का भी था और कहते थे कि आग हमें सिर्फ़ चन्द दिन सताएगी। आयत का मज़्मून यह है कि सिर्फ़ इज़्हार करने और दावा करने से स़दाक़त व ह़क़्क़ानियत साबित नहीं होती, बल्कि ईमानदार वह है जिसका दिल स़ाफ़हो और अ़मल शाहिद हों और अल्लाह की दलील उसके हाथों में हो, न तुम्हारी ख़्वाहिशें और सिर्फ़ दावे कोई वक़्अ़त (क़द्रो-क़ीमत) रखें, न अहले-किताब की तमन्नाएँ और बुलंद बातें। नजात का मदार क़ौल ही नहीं, बल्कि अल्लाह सुब्ह़ानहू व तआ़ला की हुक्म बरदारी और रसूलों की ताबेदारी है बुराई करने वाले किसी निस्बत की वजह से नामुम्किन है कि उस बुराई के ख़मियाज़े से छूट जाएँ, बल्कि रत्ती-रत्ती भलाई बुराई क़यामत के दिन अपनी आँखों अपने सामने देख लेंगे।

यह आयत स़ह़ाबा (रज़ि.) पर बहुत गिराँ गुज़री थी और ह़ज़रत सिद्दीक़ (रज़ि.) ने कहा था कि हुज़ूर (ﷺ)! नजात कैसे मिलेगी? जबकि एक एक अ़मल का बदला ज़रूरी है? तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह तआ़ला तुझे बख़्शे, अबूबक्र! यह जज़ा वही है जो कभी तेरी बीमारी की सूरत में होती है कभी तक्लीफ़ की सूरत में, कभी स़दमे और ग़म व रंज की सूरत में और कभी और बला व मुसीबत की शक्ल में। (मुस्नद अह़मद : 1/11; वसनदुहू ज़ईफ़) और रिवायत में है हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, "हर बुराई करने वाला दुनिया में बदला पाएगा।" (मुस्नद अह़मद : 1/6; वसनदुहू ज़ईफ़) इब्ने मर्दवे में है ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) ने फ़र्माया, देखो! जिस जगह ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ुबेर (रज़ि.) को सूली दी गई है वहाँ तुम न चलना। ग़ुलाम भूल गया और ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) की नज़र इब्ने ज़ुबेर (रज़ि.) पर पड़ी तो फ़र्माने लगे, अल्लाह की क़सम! जहाँ तक मेरी मालूमात हैं मेरी गवाही है कि तू रोज़ेदार और नमाज़ी और रिश्ते नाते जोड़ने वाला था, मुझे अल्लाह तआ़ला से उम्मीद है कि जो लग़्ज़िशें तुझसे हो गईं, उनका बदला दुनिया में ही हो गया। अब तुझे अल्लाह तआ़ला कोई अ़ज़ाब न देगा। फिर ह़ज़रत मुजाहिद (रह़.) की त़रफ़ देखकर फ़र्माने लगे मैंने ह़ज़रत अबूबक्र (रज़ि.) से सुना है, वह फ़र्माते थे, रसूलुल्लाह (ﷺ) से मैंने सुना है "जो शख़्स़ बुराई करता है उसका बदला दुनिया ही में पा लेता है।" (अबूयअ़ला : 18; वसनदुहू ज़ईफ़) दूसरी रिवायत में है कि ह़ज़रत इब्ने उ़मर (रज़ि.) ने ह़ज़रत इब्ने ज़ुबेर (रज़ि.) को सूली पर देखकर फ़र्माया, "ऐ अबू ख़ुबैब! अल्लाह तुझ पर रह़म करे, मैंने तेरे वालिद की ज़ुबानी यह ह़दीस सुनी है। (मुस्नद बज़्ज़ार : 2205; वसनदुहू ज़ईफ़) इब्ने मर्दवे में है ह़ज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) की मौजूदगी में यह आयत उतरी। जब हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने इसे पढ़कर सुनाया तो ह़ज़रत सिद्दीक़ (रज़ि.) ग़मनाक हो गए, उन्हें यह मालूम होने लगा कि गोया हर हर अ़मल का बदला ही मिलना जब ठहरा तो नजात मुश्किल हो जाएगी। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, सुनो सिद्दीक़ (रज़ि.)! तुम और तुम्हारे साथ यानी मोमिन तो दुनिया में ही बदला दे दिए जाएँगे और उन मुसीबतों के सबब तुम्हारे गुनाह मुआ़फ़ हो जाएँगे। क़यामत के दिन पाक साफ़ उठोगे। हाँ और लोग जो हैं उनकी बुराईयाँ जमा होती जाती हैं और क़यामत के दिन उन्हें सज़ा दी जाएगी। (तिर्मिज़ी, किताब तफ़्सीरुल क़ुरआन, बाब वमिन सूरतिन् निसाअ : 3039; वसनदुहू ज़ईफ़; मूसा बिन उ़बेदा रब्ज़ी रावी ज़ईफ़

है और मौला इब्ने सबाअ़ मज्हूल है।) यह ह़दीस तिर्मिज़ी (रह़.) ने भी रिवायत की है और कहा है कि इसका रावी मूसा बिन उ़बेदा ज़ईफ़ है और दूसरा रावी मौला बिन सिबाअ़ मज्हूल है। और भी बहुत से त़रीक़ से इस रिवायत का माह़सल (ख़ुलासा) मरवी है।

एक और ह़दीस में है, ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) ने कहा, "या रसूलल्लाह (ﷺ)! यह आयत सबसे ज़्यादा हम पर भारी पड़ती है।" तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, "मोमिन का यह बदला वही है जो मुख़्तलिफ़ क़िस्म की परेशानियों और तक्लीफ़ों की सूरत में उसे दुनिया में ही मिल जाता है।" (अबूदाऊद, किताबुल जनाइज़, बाब एयादतुन्निसाअ : 3093; वसनदुहू ह़सन) और ह़दीस में है कि आप (ﷺ) ने फ़र्माया, "यहाँ तक कि मोमिन अपनी नक़दी जेब में रख ले फिर ज़रूरत के वक़्त तलाश करे थोड़ी देर न मिले फिर जेब में हाथ डालने से निकल आए तो उतनी देर में जो उसे स़दमा हुआ उससे भी उसके गुनाह मुआ़फ़ होते हैं और यह भी उसकी बुराइयों का बदला हो जाता है। यूँ ही मस़ाइबे दुनिया उसे ऐसा कुंदन बना देते हैं कि क़यामत का कोई बोझ उस पर नहीं रहता। जिस त़रह़ सोना भट्टी में तपाकर निकाल लिया जाए उसी त़रह़ यह दुनिया से पाक स़ाफ़ होकर अल्लाह तआ़ला के पास जाता है।" (तिर्मिज़ी, किताब तफ़्सीरुल क़ुरआन, बाब वमिन सूरतिल बक़रह : 2991; वसनदुहू ज़ईफ़; अ़ली बिन ज़ेद ज़ईफ़ और उमय्या राविया मज्हूला है।) इब्ने मर्दवे में है रसूलुल्लाह (ﷺ) से इस आयत के बारे में सवाल किया गया तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, "मोमिन को हर चीज़ में अज्र दिया जाता है यहाँ तक कि मौत की सख़्ती का भी।" (इसकी सनद में मुह़म्मद बिन ज़ेद और आ़इशा (रज़ि.) के बीच इंक़िताअ़ है। लिहाज़ा यह रिवायत ज़ईफ़ है।) मुस्नद अह़मद में है "जब बन्दे के गुनाह ज़्यादा हो जाते हैं और उन्हें दूर करने वाले बकसरत नेक आ़माल नहीं होते तो अल्लाह तआ़ला उस पर कोई ग़म डाल देता है जिससे उसके गुनाह माफ़ हो जाते हैं।" (मुस्नद अह़मद : 6/157; वसनदुहू ज़ईफ़) सईद बिन मंसूर लाए हैं कि जब स़ह़ाबा (रज़ि.) पर इस आयत का मज़्मून गिराँ गुज़रा तो हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने उनसे फ़र्माया, "ठीक-ठाक रहो और मिले जुले रहो, मुसलमान की हर तक्लीफ़ उसके गुनाहों का कफ़्फ़ारा है, यहाँ तक कि काँटे का लगना भी।" (स़ह़ीह़ मुस्लिम, किताबुल बिर्र वस्सिलह, बाब सवाबुल मोमिन फ़ीमा.... : 2574; तिर्मिज़ी : 3038) और रिवायत में है कि स़ह़ाबा (रज़ि.) रो रहे थे और रंज में थे जो हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने उनसे यह फ़र्माया। एक शख़्स़ ने हुज़ूर (ﷺ) से पूछा कि हमारी इन बीमारियों में हमें क्या मिलता है? आपने फ़र्माया, "यह तुम्हारे गुनाहों का कफ़्फ़ारा हो जाती है।" इसे सुनकर ह़ज़रत कअ़ब बिन अ़ज्रा (रज़ि.) ने दुआ़ मांगी कि या अल्लाह! मरते दम तक मुझसे बुख़ार जुदा न हो लेकिन ह़ज्ज व उ़मरा, जिहाद और नमाज़ बाजमाअ़त से मह़रूम न रहूँ। उनकी यह दुआ़ क़बूल हुई। जब उनके जिस्म पर हाथ लगाया जाता बुख़ार चढ़ा रहता। (मुस्नद अह़मद : 3/23; वसनदुहू ह़सन) हुज़ूरे अकरम (ﷺ) से एक मर्तबा कहा गया कि क्या हर बुराई का बदला दिया जाएगा? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, हाँ! इसी जैसा और इसी जितना, लेकिन हर भलाई का बदला दस गुना करके दिया जाएगा, पस उस पर अफ़सोस है जिसकी इकाईयाँ, दहाईयों से बढ़ जाएँ। (इसकी सनद में मुह़म्मद बिन साइब कलबी मतरूक (अत्तक़रीब : 2/163; रक़म : 240) और अबू स़ालेह़ बाज़ान का इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) से सुनना साबित नहीं। लिहाज़ा यह रिवायत मौज़ूअ़ है।) (इब्ने मर्दवे)

ह़ज़रत ह़सन (रह़.) फ़र्माते हैं इससे मुराद काफ़िर हैं, जैसे और आयत में है (وَهَلْ نُجٰزِىٓ اِلَّا الْكَفُوْرَ) इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) और स़ईद बिन जुबेर (रह़.) फ़र्माते हैं यहाँ बुराई से मुराद शिर्क है, यह

शख़्स अल्लाह तआला के सिवा अपना कोई वली और मददगार न पाएगा, हाँ! यह और बात है कि तौबा कर ले। इमाम इब्ने जरीर (रह.) फ़र्माते हैं, ठीक बात यही है कि हर बुराई को यह आयत शामिल है जैसे कि अहादीस गुज़र चुकीं, वल्लाहु आलम!

बुरे अमलों की सज़ा का ज़िक्र करके अब नेक आमाल की जज़ा का बयान फ़र्मा रहा है। बुराई की सज़ा तो दुनिया में ही हो जाती है और बन्दे के लिए यही अच्छा है, या आख़िरत में होती है अल्लाह तआला उससे महफ़ूज़ रखे, हम अल्लाह तआला से सवाल करते हैं कि वह हमें दोनों जहान की आफ़ियत अता फ़र्माए और मेहरबानी और दरगुज़र करे और अपनी पकड़ और नाराज़गी से बचा ले। आमाले सालिहा को अल्लाह तआला पसंद करता है और अपने एहसानो करम व रहम से उन्हें क़बूल फ़र्माता है, किसी मर्द औरत के किसी नेक अमल को वह बर्बाद नहीं करता, हाँ! यह शर्त है कि हो वह ईमान वाला। उन नेक लोगों को वह अपनी जन्नत में दाख़िल करेगा और उनकी हस्नात में कोई कमी नहीं आने देगा। नक़ीर कहते हैं खजूर की गुठली की पुश्त पर जो ज़रा सी लकीर होती है। फ़तील कहते हैं उस गुठली के बीच जो हल्का सा छिलका होता है उसको यह दोनों तो खजूर के बीच में होते हैं और क़ित्मीर कहते हैं उस बीज के ऊपर के लिफ़ाफ़े को और यह तीनों लफ़्ज़ इस मौक़े पर कुरआन में आए हैं।

फिर फ़र्माया, उससे अच्छे दीन वाला कौन है जो अपने आमाले ख़ालिस उस अल्लाह के लिए करे। ईमानदारी और नेक निय्यती के साथ उसके फ़र्मान के मुताबिक़ उसके अहकाम बजा लाए और हो भी वह मुहसिन यानी शरीअत का पाबंद व दीने हक़ और हिदायत पर चलने वाले रसूल (ﷺ) की हदीस पर अमल करने वाले। हर नेक अमल की कुबूलियत के लिए यह दोनों बातें शर्त हैं यानी ख़ुलूस और वही (शरीअत) के मुताबिक़ होना। ख़ुलूस से यह मतलब है कि फ़क़त अल्लाह तआला की रज़ामन्दी मत्लूब हो। और ठीक होना यह है कि शरीअत के मुताबिक़ हो। पस ज़ाहिर तो कुरआनो-हदीस मुवाफ़िक़ होने से ठीक हो जाता है और बातिन नेक निय्यती से संवर जाता है। अगर इन दो बातों में से एक भी न हो तो वह अमल फ़ासिद बेकार होता है, इख़्लास न होने से मुनाफ़िक़त आ जाती है, लोगों की रज़ाजूई और उन्हें दिखाना मक़्सूद हो जाता है और अमल क़ाबिले कुबूल नहीं रहता, सुन्नत के मुवाफ़िक़ न होने से ज़लालत और जिहालत का मज्मूआ हो जाता है और इससे भी अमल पाया कुबूलियत से गिर जाता है और चूँकि मोमिन का अमल रियाकारी से शरीअत के ख़िलाफ़ से बचा हुआ होता है इसलिए उसका अमल सबसे अच्छा अमल हो जाता है। जो अल्लाह को पसंद आता है और उसकी जज़ा का बल्कि और गुनाहों की बख़्शिश का सबब बन जाता है, इसीलिए उसके बाद ही फ़र्माया, "मिल्लते इब्राहीम हनीफ़ (عليه السلام) की पैरवी करो। यानी आँहज़रत (ﷺ) की और आपके क़दम-ब-क़दम चलने वालों को जो भी क़यामत तक हों, जैसे और आयत में है (اِنَّ اَوْلَى النَّاسِ بِاِبْرٰهِيْمَ) (3/आले इमरान:68) यानी "इब्राहीम (عليه السلام) से क़रीबतर वह लोग हैं जो उनकी हुक्मबरदारी करते रहें" और यह नबी अकरम (ﷺ) और आयत में फ़र्माया (ثُمَّ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ) "फिर हमने तेरी तरफ़ वही की कि इब्राहीम हनीफ़ (عليه السلام) के मिल्लत की पैरवी कर, जो मुश्रिक न थे।" हनीफ़ कहते हैं क़सदन शिर्क से बेज़ारी करने और पूरी तरह हक़ की तरफ़ मुतवज्जा हो जाने वाले को जिसे कोई रोकने वाला रोक न सके और कोई हटाने वाला हटा न सके।

हज़रत इब्राहीम (عليه السلام) को ख़लीलुल्लाह (عليه السلام) का लक़ब क्यूँ कर हासिल हुआ? फिर हज़रत

ख़लीलुल्लाह (عليه السلام) की इत्तिबाअ की ताकीद और तर्ग़ीब के लिए उनका वस्फ़ बयान किया कि वह अल्लाह के दोस्त हैं। यानी बन्दा तरक़्क़ी करके जिस आला से आला दर्जे तक पहुँच सकता है उस तक वह पहुँच गए। दोस्त के दर्जे से कोई दर्जा बड़ा नहीं, मुहब्बत का यह आलातर मक़ाम है और यहाँ तक हज़रत इब्राहीम (عليه السلام) पहुँच गए हैं। इसकी वजह उनकी कामिल इताअत है जैसे फ़र्मान है (وَإِبْرَٰهِيمَ ٱلَّذِى وَفَّىٰ) (53/नज्म : 37) यानी इब्राहीम (عليه السلام) को जो हुक्म मिला वह उसने बख़ुशी बजा लाए, कभी अल्लाह तआला की मर्ज़ी से मुँह न मोड़ा, कभी इबादत से न उक्ताए, कोई चीज़ उन्हें इबादते रब्बानी से मानेअ (रोकने वाली) न हुई। और आयत में है (وَإِذِ ٱبْتَلَىٰٓ إِبْرَٰهِۦمَ رَبُّهُۥ بِكَلِمَٰتٍ فَأَتَمَّهُنَّ) (2/बक़रह : 124) जब जब जिस जिस तरह अल्लाह ने उनकी आज़माइश ली, वह पूरा उतरे, जो जो अल्लाह तआला ने फ़र्माया, उन्होंने कर दिखाया। फ़र्मान है कि इब्राहीम (عليه السلام) यक्सूई से तौहीद के रंग मे शिर्क से बचता हुआ हमारा ताबेअ फ़र्मान बना रहा। हज़रत मुआज़ (रज़ि.) ने यमन में सुबह की नमाज़ में जब यह आयत पढ़ी, तो एक शख़्स ने कहा, लक़द क़र्रत अयनु उम्मि इब्राहीम'' इब्राहीम (عليه السلام) की माँ की आँखें ठण्डी हुईं। (सहीह बुख़ारी, किताबुल मग़ाज़ी, बाब बअसु अबी मूसा व मुआज़ बिन जबल इलल यमन : 4348)

कुछ लोग कहते हैं कि ख़लीलुल्लाह लक़ब की यह वजह हुई कि एक मर्तबा क़हतसाली के मौक़े पर आप अपने एक दोस्त के पास मिस्र में या मुसल में गए कि वहाँ से कुछ अनाज ग़ल्ला ले आएँ। यहाँ कुछ न मिला, ख़ाली हाथ लौटे। जब अपनी बस्ती के क़रीब पहुँचे तो ख़्याल आया आओ! इस रेत के तौदे में से बोरियाँ भरकर ले चलूँ ताकि घरवालों को क़द्रे तस्कीन हो जाए। चुनाँचे भर लीं और जानवरों पर लादकर ले चले। अल्लाह की कुदरत से वह रेत सचमुच अनाज बन गया। आप तो घर पहुँचकर लेट गए, थके हारे तो थे ही, आँख लग गई। घरवालों ने बोरियाँ खोलीं और उन्हें बेहतरीन आटे से भरा पाया। आटा गूँधा, रोटियाँ पकाईं। जब यह जागे और घर में सबको ख़ुश-ख़ुश पाया और रोटियाँ भी तैयार देखीं तो ताज्जुब से पूछने लगे, आटा कहाँ से आया? जो तुमने रोटियाँ पकाईं। उन्होंने कहा, आप ही तो अपने दोस्त के य हाँ से लाए हैं। अब आप समझ गए और फ़र्माया, हाँ! यह मैं अपने दोस्त अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल से लाया हूँ। पस अल्लाह तआला ने भी आपको अपना दोस्त बना लिया और ख़लीलुल्लाह का लक़ब दे दिया। लेकिन इसकी सेहत और इस वाक़िया में ज़रा ताम्मुल है। ज़्यादा से ज़्यादा यह है कि यह बनी इस्राईल की रिवायत हो, जिसे हम सच्चा नहीं कह सकते, गो झुठला भी नहीं सकते। ह क़ीक़त यह है कि आपको यह लक़ब इसलिए मिला कि आपके दिल में अल्लाह तआला की मुहब्बत हद दर्जा की थी, कामिल इताअत शिआरी और फ़र्मांबरदारी थी। अपनी इबादतों से अल्लाह को ख़ुश कर लिया था। नबी अकरम (ﷺ) ने भी अपने आख़िरी ख़ुत्बे में फ़र्माया, ''लोगों! अगर मैं ज़मीन वालों में से किसी को ख़लील और दिली दोस्त बनाने वाला होता तो अबूबक्र बिन अबू क़हाफ़ा (रज़ि.) को बनाता, बल्कि तुम्हारे साथी मुहम्मद (ﷺ) अल्लाह तआला के ख़लील हैं।'' (सहीह बुख़ारी, किताब फ़ज़ाइले अस्हाबिन्नबी (ﷺ) बाब क़ौलिन्नबी (ﷺ) सद्दुल अब्वाब ....: 3654; सहीह मुस्लिम : 2382; बइख़्तिलाफ़ यसीर) और रिवायत में है ''अल्लाह तआला ने जिस तरह इब्राहीम (عليه السلام) को ख़लील बना लिया था, उसी तरह मुझे भी अपना ख़लील कर लिया है।'' (सहीह मुस्लिम, किताबुल मसाजिद, बाब अन्नही अन बिनाइल मस्जिद अलल कुबूर : 532)

एक मर्तबा अस्हाबे रसूलुल्लाह, आप (ﷺ) के इंतिज़ार में बैठे हुए थे ज़िक्र तज़्किरे कर रहे थे, एक

कह रहे थे ताज्जुब है कि अल्लाह तआला ने अपनी मख़्लूक़ में से हज़रत इब्राहीम (अलैहि०) को अपना ख़लील बनाया, दूसरे ने कहा, उससे भी बढ़कर मेहरबानी यह है कि हज़रत मूसा (अलैहि०) से ख़ुद बातें कीं और उन्हें कलीम बनाया, एक ने कहा और ईसा (अलैहि०) तो रूहुल्लाह और कलिमतुल्लाह हैं, एक ने कहा, आदम (अलैहि०) सफ़ीउल्लाह और अल्लाह तआला के पसंदीदा हैं। हुज़ूरे अकरम (सल्ल०) जब बाहर तशरीफ़ लाए, सलाम किया और यह बातें सुनीं तो फ़र्माया, "बेशक तुम्हारा क़ौल सहीह है, इब्राहीम (अलैहि०) ख़लीलुल्लाह हैं और मूसा (अलैहि०) कलीमुल्लाह हैं और ईसा (अलैहि०) रूहुल्लाह और कलिमतुल्लाह हैं और आदम (अलैहि०) सफ़ीउल्लाह हैं और इसी तरह मुहम्मद मुस्तफ़ा (सल्ल०) हैं। सुनो! मैं वाक़िया बयान करता हूँ कुछ फ़ख़्र के तौर पर नहीं कहता कि मैं हबीबुल्लाह हूँ, मैं सबसे पहला सिफ़ारिश करने वाला हूँ और सबसे पहले सिफ़ारिश क़ुबूल किया जाने वाला हूँ, और सबसे पहले जन्नत का कुण्डा खटखटाने वाला हूँ। अल्लाह तआला मेरे लिए जन्नत को खोलेगा और मुझे उसमें दाख़िल करेगा और मेरे साथ मोमिन फ़ुक़रा होंगे, क़यामत के तमाम अगलों पिछलों से ज़्यादा इकराम व इज़्ज़त वाला मैं हूँ। यह बतौर फ़ख़्र के नहीं बल्कि बतौर वाक़िया के मालूम कराने के मैं तुमसे कह रहा हूँ।" (इब्ने मर्दवे वसनदुहू ज़ईफ़)

यह हदीस इस सनद से तो ग़रीब है लेकिन इसके कुछ शवाहिद मौजूद हैं। हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़र्माते हैं, क्या तुम इससे ताज्जुब करते हो कि ख़ुल्लत इब्राहीम (अलैहि०) के लिए थी और कलाम हज़रत मूसा (अलैहि०) के लिए था और दीदार हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) के लिए सलवातुलाहि व सलामुहू अज्मईन (मुस्तदरक हाकिम : 1/65)

इसी तरह की रिवायत हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) और बहुत से सहाबा (रज़ि.) ताबेईन (रह.) और सल्फ़ व ख़ल्फ़ से मरवी है। इब्ने अबी हातिम में है हज़रत इब्राहीम (अलैहि०) की आदत थी कि मेहमानों के साथ खाएँ। एक दिन आप मेहमान की जुस्तजू में निकले लेकिन कोई न मिला। वापिस आए घर में दाख़िल हुए तो देखा कि एक शख़्स खड़ा है। पूछा, ऐ अल्लाह तआला के बन्दे! तुझे मेरे घर में आने की इजाज़त किसने दी? उसने कहा, इस मकान के हक़ीक़ी मालिक ने। पूछा तुम कौन हो? कहा, मैं मलकुल मौत हूँ, मुझे अल्लाह तआला ने अपने एक बन्दे के पास इसलिए भेजा है कि मैं उसे यह बशारत सुना दूँ कि अल्लाह तआला ने उसे अपना ख़लील कर लिया है। यह सुनकर हज़रत इब्राहीम (अलैहि०) ने कहा, फिर तो मुझे ज़रूर बताइए कि वह बुज़ुर्ग कौन हैं? अल्लाह तआला की क़सम! गो वह ज़मीन के किसी दूर के कोने में हों मैं ज़रूर जाकर उनसे मुलाक़ात करूँगा फिर अपनी बाक़ी ज़िन्दगी उनकी ख़िदमत में ही गुज़ार दूँगा। यह सुनकर हज़रत मीकाईल (अलैहि०) ने कहा, वह शख़्स ख़ुद आप ही हैं। आपने फिर पूछा, क्या सचमुच मैं ही हूँ? फ़रिश्ते ने कहा, हाँ! आप ही हैं। आपने फिर पूछा, क्या आप मुझे बताएँगे कि किस बिना पर किन उमूर पर अल्लाह तआला ने मुझे अपना दोस्त बनाया? फ़रिश्ते ने फ़र्माया, इसलिए कि तुम हर एक को देते रहते हो और किसी से ख़ुद कुछ तलब नहीं करते। और रिवायत में है जबसे हज़रत इब्राहीम (अलैहि०) को ख़लीलुल्लाह के मुम्ताज़ और मुबारक लक़ब से अल्लाह तआला ने मुलक़्क़ब किया तबसे उनके दिल में इस क़द्र ख़ौफ़े अल्लाह तआला और हेबते रब समा गई कि उनके दिल का उछलना दूर से इस तरह सुना जाता था जिस तरह फ़िज़ा में परिन्द की परवाज़ की आवाज़। सहीह हदीस में जनाब रसूलुल्लाह (सल्ल०) की निस्बत भी वारिद है जिस वक़्त अल्लाह का डर आप पर ग़ालिब आ जाता था तो आपके रोने की आवाज़ जिसे आप ज़ब्त करते जाते थे इस तरह दूर व

नज़दीक वालों को सुनाई देती थी जैसे किसी हण्डियाँ की खड़खड़ाहट की आवाज़ हो। (अबूदाऊद, किताबुस्सलात, बाब अल्बुकाउ फ़िस्सलात : 904; वसनदुहू सहीहुन; नसाई : 1215)

फिर फ़र्माता है कि ज़मीनो आसमान में जो कुछ है सब अल्लाह तआला की मिल्कियत में और उसकी ग़ुलामी में और उसी का पैदा किया हुआ है जिस तरह जब जो तसर्रुफ़ उनमें वह करना चाहता है बग़ैर किसी रोक टोक के बग़ैर किसी के मश्वरे के और बग़ैर किसी की शिर्कत और मदद के कर गुज़रता है, कोई नहीं जो उसके इरादे से उसे दूर रख सके, कोई नहीं जो उसके हुक्म में हाइल हो सके, कोई नहीं जो उसकी मर्ज़ी को बदल सके, वह अज़्मतों और क़ुदरतों वाला, वह अद्ल व हिक्मत वाला, वह लुत्फ़ व रहम वाला, वाहिद व समद अल्लाह तआला है। उसका इल्म हर छोटी बड़ी चीज़ को घेरे हुए है। मख़्फ़ी से मख़्फ़ी और छोटी से छोटी और दूर से दूर वाली चीज़ भी उस पर पोशीदा नहीं। हमारी नज़रों से जो पोशीदा हैं, उसके इल्म में सब ज़ाहिर हैं।

وَيَسْتَفْتُوْنَكَ فِي النِّسَآءِ ۭ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِيْهِنَّ ۙ وَمَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتٰبِ فِيْ يَتٰمَى النِّسَآءِ الّٰتِيْ لَا تُؤْتُوْنَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُوْنَ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْوِلْدَانِ ۙ وَاَنْ تَقُوْمُوْا لِلْيَتٰمٰى بِالْقِسْطِ ۭ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِهٖ عَلِيْمًا ﴿١٢٧﴾

तर्जुमा : "तुझसे औरतों के बारे में हुक्म पूछा करते हैं। तू कह दे कि ख़ुद अल्लाह तआला उनके बारे में हुक्म दे रहा है, और क़ुरआन की वह आयतें जो तुम पर उन यतीम लड़कियों के बारे में पढ़ी जाती हैं जिन्हें उनका मुक़र्रर हक़ तुम नहीं देते और उन्हें अपने निकाह में लाने की रग़बत रखते हो और कमज़ोर बच्चों के बारे में और उस बारे में कि यतीमों की कारगुज़ारी इंसाफ़ के साथ करो। तुम जो नेक काम करो बिलाशुबा अल्लाह तआला उसे पूरी तरह जानने वाला है।" (127)

यतीम लड़कियों के बारे में चंद हिदायात (आयत 127) : सहीह बुख़ारी शरीफ़ में है हज़रत आइशा सिद्दीक़ा (रज़ि.) फ़र्माती हैं, इससे मुराद वह शख़्स है जिसकी परवरिश में कोई यतीम बच्ची हो, जिसका वली व वारिस भी वही हो, माल में शरीक हो गया हो, अब चाहता यह हो कि उस यतीमा से मैं निकाह कर लूँ, इस बिना पर और जगह शादी से रोकता हो, ऐसे शख़्स के बारे में यह आयत उतरी है। (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ़सीर, बाब (**व यस्तफ़्तूनक फ़िन्निसाइ....**) : 4600; सहीह मुस्लिम : 3018; अबूदाऊद : 2068) एक रिवायत में है कि इस आयत के उतरने के बाद जब फिर लोगों ने हुज़ूरे अकरम (ﷺ) से उन

यतीम लड़कियों के बारे में सवाल किया तो अल्लाह तआला ने आयत (यस्तफ़्तूनक...) नाज़िल फ़र्माई। फ़र्माता है कि इस आयत में जो यह फ़र्माया गया है (وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ) इससे मुरादपहली आयत (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ) (4/निसाअ : 3) है।

आपसे यह भी मन्क़ूल है कि यतीमा लड़कियों के वली वारिस जब उनके पास माल कम पाते या वह हसीन न होतीं तब तो उनसे निकाह करने से दूर रहते और अगर मालदार और साहिबे जमाल पाते तो निकाह की रग़बत करते, लेकिन इस हाल में भी चूँकि उन लड़कियों का और कोई मुहाफ़िज़ नहीं होता था, उनके मुहर और हुक़ूक़ में कमी करते थे, तो अल्लाह तआला ने उन्हें रोक दिया कि बग़ैर पूरा मुहर और पूरे हुक़ूक़ देने के निकाह कर लेने की इजाज़त नहीं। (सहीह बुख़ारी, किताबुश्शिरका, बाब शिर्कतुल यतीम व अहलुल मीरास : 2494; सहीह मुस्लिम : 3018; अन आइशत (रज़ि.) मुतव्वलन) मक़्सद यह है कि ऐसी यतीम बच्ची जिससे उसके वली को निकाह हलाल हो तो वह उससे निकाह कर सकता है बशर्ते कि जो मुहर उस जैसी उसके कुंबे क़बीले की और लड़कियों को मिला है उसे भी दे और अगर ऐसा न करे तो उसे चाहिए उससे निकाह भी न करे। इस सूरत के शुरू की इस मज़्मून की पहली आयत का भी यही मतलब है और कभी ऐसा भी होता है कि उस यतीम बच्ची से ख़ुद उसका ऐसा वली जिसे उससे निकाह करना हलाल है, उसे अपने निकाह में लाना नहीं चाहता, ख़्वाह किसी वजह से हो लेकिन यह जानकर कि यह जब दूसरे के निकाह में चली जाएगी तो जो माल मेरे और इस लड़की के बीच शराकत में है वह भी मेरे क़ब्ज़े से जाता रहेगा तो ऐसे नावाजिबी काम से इस आयत में रोक दिया गया। यह भी मरवी है कि जाहिलियत में दस्तूर था कि यतीमा लड़की का वली जब लड़की को अपनी विलायत में लेता तो उस पर एक कपड़ा डाल देता। अब किसी की मजाल न थी कि उससे निकाह कर सके। अब अगर वह ख़ूबसूरत होती तो उससे ख़ुद आप निकाह कर लेता और माल भी हज़म कर जाता। और अगर वह सूरत शक्ल में अच्छी न होती और मालदार होती तो उसे दूसरी जगह निकाह करने से रोक देता, वह बेचारी यूँ ही मर जाती और यह उसका माल क़ब्ज़े में कर लेता। इससे अल्लाह तआला इस आयत में मना कर रहा है। हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से इसके साथ ही यह भी मरवी है कि जाहिलियत वाले छोटे लड़कों को और छोटी लड़कियों को वारिस नहीं समझते थे। इस रस्म को भी क़ुरआन ने ख़त्म कर दिया और हर एक को हिस्सा दिलवाया और फ़र्माया कि लड़की को और लड़के को ख़्वाह छोटे हों या बड़े, हिस्सा ज़रूर दो। हाँ! लड़की को आधा और लड़के को पूरा यानी दो लड़कियों के बराबर। और यतीम लड़कियों के बारे में इंसाफ़ का हुक्म दिया कि जब जमाल व माल वाली से ख़ुद तुम अपना निकाह कर लेते हो तो फिर उनसे भी कर लिया करो जो माल व जमाल में कम हों। फिर फ़र्माया, यक़ीन मानो कि तुम्हारे तमाम आमाल से अल्लाह तआला बाख़बर है तो तुम्हें चाहिए कि ख़ैर के काम करो, हुक्मबरदारी करो और नेक बदले हासिल करो।

***

وَاِنِ امْرَاَةٌ خَافَتْ مِنْۢ بَعْلِهَا نُشُوْزًا اَوْ اِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ اَنْ
يُّصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ؕ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ؕ وَاُحْضِرَتِ الْاَنْفُسُ الشُّحَّ ؕ وَاِنْ تُحْسِنُوْا
وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ﴿١٢٨﴾ وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْٓا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ
النِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ؕ وَاِنْ
تُصْلِحُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿١٢٩﴾ وَاِنْ يَّتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّٰهُ كُلًّا مِّنْ
سَعَتِهٖ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ وَاسِعًا حَكِيْمًا ﴿١٣٠﴾

तर्जुमा : ''अगर किसी औरत को अपने शौहर की बद दिमाग़ी और बेपरवाही का डर हो तो दोनों आपस में जो सुलह कर लें उसमें किसी पर कोई गुनाह नहीं। सुलह बहुत बेहतर चीज़ है तमअ (लालच) हर हर नफ़्स में हाज़िर कर दी गयी है। अगर तुम अच्छा सुलूक करो और परहेज़गारी करो तो तुम जो कर रहे हो उस पर अल्लाह तआला पूरी तरह ख़बरदार है। (128) तुमसे यह तो कभी न हो सकेगा कि अपनी तमाम बीवियों में हर तरह अद्ल करोगे तुम उसकी कितनी ही आरज़ू करो पस बिलकुल ही एक की तरफ़ माइल होकर दूसरी को उधर लटकती हुई न छोड़ो। और अगर तुम इस्लाह करो और एहतियात करो तो बेशक अल्लाह तआला बड़ी मग़्फ़िरत और रहमत वाला है। (129) और अगर मियाँ बीवी अलग हो जाएँ तो अल्लाह तआला अपनी वुस्अत से हर एक को बेनियाज़ कर देगा, अल्लाह तआला वुस्अत वाला, हिक्मत वाला है।'' (130)

शौहर को अपनी बीवियों के बीच इंसाफ़ की ताकीद (आयत 128-130) : अल्लाह तआला मियाँ बीवी के हालात और उनके अहकाम बयान फ़र्मा रहा है। कभी मर्द उससे नाख़ुश हो जाता है कभी चाहने लगता है और कभी अलग कर देता है। पस पहली हालत में जबकि औरत को अपने शौहर की नाराज़गी का ख़्याल है और उसे ख़ुश करने के लिए अपने तमाम हुक़ूक़ से या किसी ख़ास हक़ से वह दस्तबरदारी कर ले तो कर सकती है। मस्लन अपना खाना कपड़ा छोड़ दे या शब बाशी का हक़ मुआफ़ कर दे तो दोनों के लिए यह जाइज़ है। फिर उसी की रग़बत दिलाता है कि सुलह ही बेहतर है। हज़रत सौदा बिन्ते ज़मआ (रज़ि.) जब बहुत बड़ी उम्र की हो जाती हैं और उन्हें मालूम होता है कि हुज़ूर अकरम (ﷺ) उन्हें अलग कर देने का इरादा रखते हैं तो

कहती हैं कि मैं अपनी बारी का हक़ हज़रत आइशा (रज़ि.) को देती हूँ, चुनाँचे उसी पर सुलह हो गई और हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने उसे क़बूल फ़र्मा लिया। अबूदाऊद में है कि इसी पर यह आयत उतरी। इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़र्माते हैं मियाँ बीवी जिस बात पर रज़ामन्द हो जाएँ वह जाइज़ है। (तिर्मिज़ी, किताब तफ़्सीरुल कुरआन, बाब वमिन सूरतिन्निसाअ : 3040; वसनदुहू ज़ईफ़; वहुव सहीहुन बिश्शवाहिद) आप फ़र्माते हैं कि हुज़ूरे अकरम (ﷺ) के विसाल के वक़्त आपकी नौ बीवियाँ थीं जिनमें से आपने आठ की बारियाँ तक़सीम कर रखी थीं। (सहीह बुख़ारी, किताबुन्निकाह, बाब कस्रतुन्निसाअ : 5068; सहीह मुस्लिम : 1465; मिन तरीक़ इब्ने जुरैज)

बुख़ारी व मुस्लिम में है कि हज़रत सौदा (रज़ि.) का दिन भी हुज़ूरे अकरम (ﷺ) हज़रत आइशा (रज़ि.) को देते थे। (सहीह बुख़ारी, किताबुन्निकाह, बाब अल्मरअतु तहिबु यौमहा मिन ज़ौजिहा : 5212; सहीह मुस्लिम : 1463) हज़रत उर्वा (रह.) का क़ौल है कि हज़रत सौदा (रज़ि.) ने बड़ी उम्र में जब यह मालूम किया कि हुज़ूर (ﷺ) उन्हें छोड़ देना चाहते हैं तो ख़्याल किया कि आपको सिद्दीक़ा (रज़ि.) से पूरी मुहब्बत है, अगर मैं अपनी बारी उन्हें दे दूँ तो क्या अजब है कि हुज़ूरे अकरम (ﷺ) राज़ी हो जाएँ और मैं आपकी बीवियों में ही आख़िर दम तक रह जाऊँ। (सनदुहू हसन इला उर्वा व लहू शवाहिद वहुव बिहा सहीहुन) हज़रत आइशा (रज़ि.) का बयान है कि हुज़ूरे अकरम (ﷺ) रात गुज़ारने में अपनी तमाम बीवियों को बराबर के दर्जे पर रखा करते थे। उमूमन हर दिन सब बीवियों के यहाँ आते, बैठते, बोलते, चालते मगर हाथ न बढ़ाते फिर आख़िर में जिन बीवी साहिबा की बारी होती उनके यहाँ जाते और रात वहीं गुज़ारते। फिर हज़रत सौदा (रज़ि.) का वाक़िया बयान फ़र्माया, जो ऊपर गुज़रा। (अबूदाऊद, किताबुन्निकाह, बाब फ़िल क़िस्मि बैनन्निसाअ : 2135; वसनदुहू हसन) मुअजम अबुल अब्बास की एक मुर्सल हदीस में है कि हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने हज़रत सौदा (रज़ि.) को तलाक़ की ख़बर भिजवाई, यह हज़रत आइशा (रज़ि.) के यहाँ जा बैठीं। जब आप तशरीफ़ लाए तो कहने लगीं, आपको उस अल्लाह तआला की क़सम है जिसने आप पर अपना कलाम नाज़िल फ़र्माया और अपनी मख़्लूक़ में से आप (ﷺ) को बरगुज़ीदा और अपना पसंदीदा बनाया, आप मुझसे रुजूअ कर लीजिए, मेरी उम्र बड़ी हो गई है, मुझे मर्द की ख़ास ख़्वाहिश नहीं रही लेकिन यह चाहत है कि क़यामत के दिन आपकी बीवियों में उठाई जाऊँ। चुनाँचे आपने यह मंज़ूर कर लिया और रुजूअ कर लिया। फिर यह कहने लगीं, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैं अपनी बारी का दिन और रात आपकी महबूबा हज़रत आइशा (रज़ि.) को हिबा करती हूँ। (वसनदुहू ज़ईफ़ुन लिइरसालिही) बुख़ारी शरीफ़ में है कि इस आयत से मुराद यह है कि एक बुढ़िया औरत जो अपने शौहर को देखती है कि वह उससे मुहब्बत नहीं कर सकता बल्कि उसे अलग करना चाहता है तो वह कहती है कि मैं अपना हक़ छोड़ती हूँ तू मुझे जुदा न कर, तो आयत दोनों को रुख़्सत देती है। (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर, सुरतुन्निसाअ, बाब (व इनिम् राअतुन ख़ाफ़त मिम् बअलिहा) : 4601; सहीह मुस्लिम : 3021) यही सूरत उस वक़्त भी है जब किसी की दो बीवियाँ हों और एक से उसको बवजह उसके बुढ़ापे या बदसूरती के मुहब्बत न हो और वह उसे जुदा करना चाहता हो, और यह बवजह अपने लगाव या कुछ और मसालेह के अलग होना पसंद न करती हो तो उसे हक़ है कि अपने कुछ या सब हुक़ूक़ से अलग हो जाए और शौहर उसकी बात को मंज़ूर करके उसे जुदा न करे।

इब्ने जरीर में है कि एक शख़्स ने हज़रत उमर (रज़ि.) से एक सवाल किया (जिसे उसकी बेहूदागोई

की वजह से) आपने नापसंद फ़र्माया और उसे कोड़ा मार दिया। फिर एक और ने इसी आयत की बाबत सवाल किया तो आपने फ़र्माया, "हाँ! यह बातें पूछने की हैं" इससे ऐसी सूरत मुराद है कि मस्लन एक शख़्स की बीवी है लेकिन वह बुढ़िया हो गई है, औलाद नहीं होती, उसने औलाद की ख़ातिर किसी जवान औरत से निकाह़ किया, फिर यह दोनों जिस चीज़ पर इत्तिफ़ाक़ कर लें, जाइज़ है। (त़ब्री : 10684) ह़ज़रत अ़ली (रज़ि.) से जब इस आयत की निस्बत पूछा गया तो आपने फ़र्माया कि इससे मुराद वह औरत है जो बवजह अपने बुढ़ापे के या बदसूरती के या बदख़ुल्क़ी के या गंदगी के अपने शौहर की नज़रों में गिर जाए और उसकी चाहत यह हो कि शौहर मुझे छोड़ न दे, तो यह अपना पूरा या आधा मुहर माफ़ कर दे, या अपनी बारी माफ़ कर दे वग़ैरह तो इस त़रह़ सुलह़ कर सकते हैं। (त़ब्री : 10580) सल्फ़ और अइम्मा से बराबर इसकी यही तफ़्सीर मरवी है बल्कि तक़रीबन इस पर इत्तिफ़ाक़ है मेरे ख़्याल से तो इसका कोई मुख़ालिफ़ नहीं, वल्लाहु आलम!

मुह़म्मद बिन मस्लमा (रज़ि.) की साह़बज़ादी ह़ज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (रज़ि.) के घर में थीं। बवजह बुढ़ापे के या किसी और अम्र के यह उन्हें चाहते न थे यहाँ तक कि त़लाक़ देने का इरादा कर लिया। इस पर उन्होंने कहा, आप मुझे त़लाक़ न दीजिए हाँ! जो आप चाहें वही मुझे मंज़ूर है। इस पर यह आयत उतरी। (ह़ाकिम : 2/308, 309; वसनदुहू ज़ईफ़) इन दोनों आयतों में ज़िक्र है उस औरत का जिससे उसका शौहर बिगड़ा हुआ हो, उसे चाहिए कि अपनी बीवी से कह दे कि अगर वह चाहे तो उसे त़लाक़ दे दे और अगर वह चाहे तो इस बात को पसंद करके उसके घर में रहे कि वह माल की तक़्सीम में और बारी की तक़्सीम में। इस पर दूसरी बीवी को तर्जीह़ देगा। अब उसे इख़्तियार है अगर यह दूसरी शिक़ को मंज़ूर करे तो शरअ़न शौहर को जाइज़ है कि उसे बारी न दे और जो मुहर वग़ैरह उसने छोड़ा है उसे अपनी मिल्कियत समझे। ह़ज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (रज़ि.) अंसारी की बीवी साह़िबा जब उम्र दराज़ हो गईं तो उन्होंने एक नौजवान लड़की से निकाह़ किया और फिर उसे ज़्यादा चाहने लगे और उसे अगली बीवी पर मुक़द्दम रखने लगे। आख़िर उसने तंग आकर त़लाक़ त़लब की आपने दे दी, फिर इद्दत ख़त्म होने के क़रीब लौटा ली। लेकिन फिर वही ह़ाल हुआ कि जवान बीवी को ज़्यादा चाहने लगे और उसकी त़रफ़ झुक गए। उसने फिर त़लाक़ मांगी, आपने दोबारा त़लाक़ दे दी, फिर लौटा लिया लेकिन फिर वही नक़्शा पेश आया। फिर उसने क़सम दी कि मुझे त़लाक़ दे दो, तो आपने फ़र्माया, देखो! अब यह तीसरी और आख़िरी तलाक़ है अगर तुम चाहो तो मैं दे दूँ और अगर चाहो तो इसी त़रह़ रहना मंज़ूर कर लो। उसने सोचकर जवाब दिया मुझे इसी त़रह़ मंज़ूर है। चुनाँचे वह अपने हुक़ूक़ से दस्तबरदार हो गईं और उसी त़रह़ रहने सहने लगीं। (ह़ाकिम : 2/308, 309; वसनदुहू ज़ईफ़ बइख़्तिलाफ़ यसीर) इस जुम्ले का कि सुलह़ ख़ैर है एक मानी तो यह बयान किया गया है कि शौहर का अपनी बीवी को यह इख़्तियार देना कि अगर तू चाहे तो इसी त़रह़ रह कि दूसरी बीवी के बराबर तेरे हुक़ूक़ न हों और अगर तू चाहे तो त़लाक़ ले ले, यह बेहतर है उससे कि यूँ ही दूसरी को उस पर तर्जीह़ दिए हुए रहे। लेकिन इससे अच्छा मत़लब यह है कि बीवी अपना कुछ ह़क़ छोड़ दे और शौहर उसे त़लाक़ न दे और आपस में मिलकर रहें। यह त़लाक़ देने और लेने से बेहतर है, जैसे कि ख़ुद नबी अकरम (ﷺ) ने ह़ज़रत सौदा (रज़ि.) बिन्ते ज़मआ़ को अपनी ज़ोजियत में रखा और उन्होंने अपना दिन ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) को हिबा कर दिया। आपके इस काम में भी आपकी उम्मत के लिए बेहतरीन नमूना है कि ना मुवाफ़िक़त की सूरत में भी त़लाक़ की नौबत न आए।

चूँकि अल्लाह के नज़दीक सुलह़ इफ़्तिराक़ से बेहतर है इसलिए यहाँ फ़र्मा दिया कि सुलह़ ख़ैर है।

बल्कि इब्ने माजा वग़ैरह की ह़दीस में है तमाम ह़लाल चीज़ों में सबसे ज़्यादा नापसंद चीज़ अल्लाह तआला के नज़दीक त़लाक़ है। (अबूदाऊद, किताबुत्तलाक़, बाब फ़ी कराहयतित्तलाक़ : 2178; वसनदुहू ह़सन इब्ने माजा : 2018)

फिर फ़र्माया, तुम्हारा एह़सान और तक़्वा करना यानी औरत की त़रफ़ की नाराज़गी से दरगुज़र करना और उसे बावजूद नापसंदीदगी के उसका पूरा ह़क़ अदा करना, बारी में , लेन देन में, बराबरी करना, यह बेहतरीन काम है जिसे अल्लाह तआला बख़ूबी जानता है और जिस पर वह बहुत अच्छा बदला अ़ता करेगा। फिर इर्शाद होता है कि गो (भले) तुम चाहो कि अपनी कई एक बीवियों के बीच हर त़रह़ बिलकुल पूरा अ़द्लो इंसाफ़ और बराबरी करो तो भी तुम कर नहीं सकते। इसलिए कि गो एक एक रात की बारी बाँध लो लेकिन मुह़ब्बत चाहत शहवत जिमाअ़ वग़ैरह में बराबरी कैसे कर सकते हो? इब्ने अबी मुलैका फ़र्माते हैं। यह आयत ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) के बारे में नाज़िल हुई है। हुज़ूरे अकरम (ﷺ) उन्हें बहुत चाहते थे। इसीलिए एक ह़दीस में है कि हुज़ूरे अकरम (ﷺ) औरतों के बीच सह़ीह़ त़ौर पर मसावात रखते थे लेकिन फिर भी अल्लाह तआला से दुआ करते हुए फ़र्माते थे, "इलाही! यह वह तक़्सीम है जो मेरे बस में थी अब जो चीज़ मेरे क़ब्ज़े से बाहर है यानी दिली ताल्लुक़ उसमें तू मुझे मलामत न करना।" (अबूदाऊद, किताबुन्निकाह़, बाब फ़िल क़िस्म बैनन्निसाअ : 2134; वसनदुहू सह़ीह़; तिर्मिज़ी : 1140; नसाई : 3395; इब्ने माजा : 1971) इसकी इस्नाद स़ह़ीह़ है लेकिन इमाम तिर्मिज़ी (रह़.) फ़र्माते हैं कि दूसरी सनद से यह मुर्सलन मरवी है और वह ज़्यादा स़ह़ीह़ है।

फिर फ़र्माया "बिलकुल ही एक जानिब झुक न जाओ कि दूसरी को लटका दो" वह न बेशौहर के रहे न शौहर वाली, तुम इससे बेरुख़ी बरतो और हो वह तुम्हारी ज़ोजियत में। न तो उसे त़लाक़ ही दो जो वह अपना दूसरा निकाह़ कर ले न उसके वह ह़क़ अदा करो जो हर बीवी के उसके मियाँ पर हैं। हुज़ूरे अकरम (ﷺ) फ़र्माते हैं जिसकी दो बीवियाँ हों फिर वह बिलकुल एक ही की त़रफ़ झुक जाए तो क़यामत के दिन अल्लाह के सामने इस त़रह़ आएगा कि उसका आधा जिस्म साक़ित़ होगा। (मुस्नद अह़मद : 2/247; अबूदाऊद, किताबुन्निकाह़, बाबुल क़िस्म बैनन्निसाअ : 2133; वसनदुहू ज़ईफ़; क़तादा मुदल्लस रावी है और तसीह़ बिस्सिमाअ साबित नहीं। तिर्मिज़ी : 1141; इब्ने माजा : 1969)

इमाम तिर्मिज़ी (रह़.) फ़र्माते हैं यह ह़दीस मरफ़ूअ़ त़रीक़ से सिवाए हुमाम की ह़दीस के पहचानी नहीं जाती। फिर फ़र्माता है अगर तुम अपने कामों की इस्लाह़ कर लो, और जहाँ तक तुम्हारे इख़्तियार में औरतों के बीच अ़द्लो-इंसाफ़ और बराबरी है करो, और हर ह़ाल में अल्लाह तआला से डरते रहा करो, तो अगर तुम किसी वक़्त किसी एक की त़रफ़ कुछ म ाइल हो गए हो, उसे अल्लाह तआला मुआफ़ कर देगा। फिर तीसरी ह़ालत बयान फ़र्माता है कि अगर कोई सूरत ही निबाह की न हो और दोनों अलग हो जाएँ, तो अल्लाह तआला एक को दूसरे से बेनियाज़ कर देगा। उसे उससे अच्छा शौहर और उसे उससे अच्छी बीवी देगा। अल्लाह तआला का फ़ज़्ल बहुत वसीअ़ है वह बड़े एह़सानों वाला है और साथ ही वह ह़कीम है, तमाम काम, सारी तक़्दीरें और पूरी शरीअ़त ह़िक्मत से सरासर भरपूर है।

وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ
قَبْلِكُمْ وَاِيَّاكُمْ اَنِ اتَّقُوا اللّٰهَ ؕ وَاِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي
الْاَرْضِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَنِيًّا حَمِيْدًا ﴿۱۳۱﴾ وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ
وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ﴿۱۳۲﴾ اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ اَيُّهَا النَّاسُ وَيَاْتِ بِاٰخَرِيْنَ ؕ وَكَانَ
اللّٰهُ عَلٰى ذٰلِكَ قَدِيْرًا ﴿۱۳۳﴾ مَنْ كَانَ يُرِيْدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللّٰهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا
وَالْاٰخِرَةِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ﴿۱۳۴﴾

तर्जुमा : "ज़मीन और आसमानों की हर हर चीज़ अल्लाह तआला ही की मिल्कियत में है। और वाक़ई हमने उन लोगों को जो तुमसे पहले किताब दिए गए थे और तुमको भी यही हुक्म दिया है कि अल्लाह तआला से डरते रहा करो, और अगर तुम कुफ़्र करो तो अल्लाह तआला ही के लिए है जो आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है, अल्लाह तआला बहुत बेहाजत और तारीफ़ किया गया है। (131) अल्लाह तआला के इख़्तियार में है आसमानों की सब चीज़ें और ज़मीन की भी, और अल्लाह तआला काफ़ी कारसाज़ है। (132) अगर उसे मंज़ूर हो तो ऐ लोगों! वह तुम सबको फ़ना कर दे और दूसरों को ले आए, अल्लाह तआला इस पर पूरी क़ुदरत रखता है। (133) जो शख़्स दुनिया का सवाब चाहता हो तो अल्लाह तआला के पास तो दुनिया और आख़िरत का सवाब मौजूद है, अल्लाह तआला बहुत सुनने वाला और ख़ूब देखने वाला है।" (134)

अल्लाह तआला की क़ुदरते कामिला का बयान (आयत 131-134) : अल्लाह तआला ख़बर देता है कि ज़मीनो आसमान का मालिक और हाकिम वही अल्लाह है। फ़र्माता है जो अह़काम तुम्हें दिए जाते हैं कि अल्लाह तआला से डरते रहो, उसकी वह्दानियत को मानो, उसकी इबादत करो और किसी और की इबादत न करो, यही अह़काम तुमसे पहले के अहले किताब को दिए गए थे। और अगर तुम कुफ़्र करो (तो अल्लाह तआला का क्या बिगाड़ोगे?) वह तो ज़मीन आसमान का तंहा मालिक है। जैसे कि हज़रत मूसा (عليه السلام) ने अपनी क़ौम से फ़र्माया था कि अगर तुम और तमाम रूए ज़मीन के इंसान कुफ़्र करने लगो तो भी अल्लाह तआला बेपरवाह और लायक़े सताइश है। और जगह फ़र्माया (فَكَفَرُوْا وَتَوَلَّوْا وَّاسْتَغْنَى اللّٰهُ ۚ وَاللّٰهُ غَنِيٌّ)

(حَمِيْدٌ) (64/तग़ाबुन : 6) "उन्हों ने कुफ़्र किया और चेहरा फेर लिया, अल्लाह तआ़ला ने उनसे बेनियाज़ी की, और अल्लाह तआ़ला बहुत ही बेनियाज़ और तारीफ़ किया गया है। अपने तमाम बन्दों से ग़नी और अपने तमाम कामों में ह़म्द किया गया है।"

आसमान व ज़मीन की हर चीज़ का वह मालिक है, और हर शख़्स के तमाम काम पर वह गवाह है, और हर चीज़ का वह आ़लिम और शाहिद है। वह क़ादिर है कि अगर तुम उसकी नाफ़र्मानियाँ करो तो वह तुम्हें बर्बाद कर दे और ग़ैरों को आबाद कर दे। जैसे और आयत में है (وَاِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُوْنُوْٓا اَمْثَالَكُمْ) (47/मुह़म्मद : 38) "अगर तुम चेहरा फेरो गे तो अल्लाह तआ़ला बदलकर तुम्हारे सिवा और क़ौम को लाएगा जो तुम जैसे न होंगे।" कुछ सल्फ़ से मंक़ूल है कि इस आयत पर ग़ौर करो और सोचो कि गुनहगार बन्दे अल्लाह तआ़ला के नज़दीक किस क़द्र ज़लील और बेक़द्र हैं? और आयत में यह भी फ़र्माया है कि अल्लाह तआ़ला पर यह काम कुछ मुश्किल नहीं।

फिर फ़र्माता है कि ऐ वो शख़्स! जिसका पूरा क़सद और जिसकी तमामतर कोशिश सिर्फ़ दुनिया के लिए है तो जान ले कि दोनों जहान दुनिया और आख़िरत की भलाईयाँ अल्लाह तआ़ला के क़ब्ज़े में है, तू जब उससे दोनों ही त़लब करेगा तो वह तुझे देगा और वह तुझे बेपरवाह कर देगा और आसूदा बना देगा। और जगह फ़र्माया, कुछ लोग वह हैं जो कहते हैं, ऐ अल्लाह! हमें दुनिया दे, उनका कोई ह़िस्सा आख़िरत में नहीं। और ऐसे भी हैं जो दुआएँ करते हैं कि ऐ हमारे रब! हमें दुनिया की भलाईयाँ दे और आख़िरत में भी भलाईयाँ अ़त़ा फ़र्मा और जहन्नम के अ़ज़ाब से हमें नजात अ़त़ा फ़र्मा। यह हैं जिन्हें उनके आ़माल का पूरा ह़िस्सा मिलेगा। और जगह है जो शख़्स आख़िरत की खेती का इरादा रखे, हम उसकी खेती में ज़्यादती करेंगे। और आयत में है (مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ) (17/इस्रा : 18) "जो शख़्स दुनिया त़लब हो तो हम जिसे चाहें जितना चाहें दुनिया में दे दें।"

इमाम इब्ने जरीर (रह़.) ने इस आयत के यह मानी बयान किए हैं कि जिन मुनाफ़िक़ों ने दुनिया की जुस्तजू में ईमान क़बूल किया था, उन्हें दुनिया भले मिल गई यानी मुसलमानों से माले ग़नीमत में से ह़िस्सा मिल गया हो लेकिन आख़िरत में उनके लिए अल्लाह तआ़ला के पास जो तैयारी है वह उन्हें वहाँ मिलेगी यानी जहन्नम की आग और वहाँ के बदतरीन अ़ज़ाब।

तो इमाम इब्ने जरीर (रह़.) के नज़दीक यह आयत मिस्ल आयत (मन काना युरीदुल हयातदुनिया व ज़ीनतहा) के है। कोई शक नहीं कि इस आयत के मानी तो बज़ाहिर यही हैं, लेकिन पहली आयत को भी इस मानी में लेना ज़रा ग़ौरत़लब अम्र है। क्योंकि इस आयत के अल्फ़ाज़ तो साफ़ बता रहे हैं कि दुनिया और आख़िरत की ख़ैर देना अल्लाह तआ़ला के हाथ में है तो हर शख़्स को चाहिए कि वह अपनी हिम्मत एक ही चीज़ की जुस्तजू में ख़र्च न कर दे बल्कि दोनों चीज़ों के ह़ासिल करने की कोशिश करे, जो तुम्हें दुनिया देता है वही आख़िरत का भी मालिक है। यह बड़ी पस्त हिम्मती होगी कि तुम अपनी आँखें बंद कर लो और बहुत देने वाले से थोड़ा मांगो। नहीं नहीं! बल्कि तुम दुनिया और आख़िरत के बड़े बड़े कामों और बेहतरीन ऐशे जावेदानी की कोशिश व सई करो। याद रखो दोनों जहान का मालिक वही है, हर हर नफ़ा नुक़्सान उसी के हाथ में है

कोई नहीं जिसे उसके साथ शराकत हो या उसके कामों में दख़ल हो, सआदत व शक़ावत उसने तक़्सीम की है, ख़ज़ानों की चाबियाँ उसने अपनी मुट्ठी में रख ली हैं। वह हर एक मुस्तहिक़ को जानता है और जिसका वह मुस्तहिक़ होता है उसे वही पहचानता है। भला तुम ग़ौर तो करो कि तुम्हें देखने सुनने की ताक़त देने वाले का देखना सुनना कैसा कुछ होगा।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ ۚ اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا ۣ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰٓى اَنْ تَعْدِلُوْا ۚ وَاِنْ تَلْوٗٓا اَوْ تُعْرِضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ﴿١٣٥﴾

तर्जुमा : "ऐ ईमान वालों! अद्लो इंसाफ़ पर मज़बूती से जम जाने वाले और ख़ुशनुदिये अल्लाह तआला के लिए सच्ची गवाही देने वाले बन जाओ भले वह ख़ुद तुम्हारे अपने ख़िलाफ़ हो या अपने माँ बाप के या अज़ीज़ रिश्तेदार के, वह शख़्स अगर अमीर हो तो और फ़क़ीर हो तो दोनों के साथ अल्लाह तआला को ज़्यादा ताल्लुक़ है, सो तुम ख़्वाहिशे नफ़्स के पीछे पड़कर इंसाफ़ न छोड़ देना, और अगर तुमने कज-बयानी या पहलू तही की तो जान लो कि जो कुछ तुम करोगे अल्लाह तआला उससे पूरी तरह बाख़बर है।" (135)

सच्ची गवाही को छुपाना जाइज़ नहीं ख़्वाह किसी के ख़िलाफ़ हो (आयत 135) : अल्लाह तआला ईमानवालों को हुक्म देता है कि वह अद्लो इंसाफ़ पर मज़बूती से जमे रहें। इससे एक इंच इधर उधर न खिसकें, ऐसा न हो कि किसी के डर की वजह से या किसी लालच की बिना पर किसी की ख़ुशामद में या किसी पर रहम खाकर या किसी की सिफ़ारिश से अद्लो इंसाफ़ छोड़ बैठें। सब मिलकर अद्ल को क़ायम व जारी करें। एक दूसरे की इस मामला में मदद करें और ख़ल्के बारी में अदालत के सिक्के जमा दें। अल्लाह तआला के लिए गवाह बन जाएँ। जैसे और जगह है (وَاَقِيْمُوا الشَّهَادَةَ لِلّٰهِ) (65/तलाक़ : 2) यानी "गवाहियाँ अल्लाह तआला की रज़ाजूई के लिए दो" जो बिलकुल सहीह साफ़ सच्ची और बेलाग हों। उन्हें बदलो नहीं, छुपाओ नहीं, चबाकर न बोलो, साफ़ साफ़ सच्ची गवाही दो। चाहे वह ख़ुद तुम्हारे अपने ख़िलाफ़ हो। तुम हक़गोई से न रुको और यक़ीन मानो कि अल्लाह तआला अपने इताअत गुज़ार बन्दों की मुख़्लिसी की सूरतें बहुत सी निकाल देता है। कुछ इसी पर मौक़ूफ़ नहीं कि झूठी शहादत से ही उसका छुटकारा होगा। भले सच्ची शहादत माँ बाप के ख़िलाफ़ होती हो, भले उस शहादत से रिश्तेदारों का नुक़्सान होता हो लेकिन तुम सच को हाथ से न जाने दो, गवाही सच्ची दे दो। इसलिए कि हक़ हर एक पर ग़ालिब है, गवाही के वक़्त न तवंगर का लिहाज़ करो न ग़रीब पर रहम करो। उनकी मस्लिहतों को अल्लाह तआला तुमसे बहुत बेहतर जानता है। तुम हर सूरत और हर हालत में सच्ची शहादत अदा करो। देखो किसी के बुरे में आकर ख़ुद अपना

बुरा न कर लो। किसी की दुश्मनी में अस्बियत और क़ौमियत में फ़ना होकर अद्लो इंसाफ़ हाथ से न छोड़ बैठो बल्कि हर हाल हर आन अद्लो-इंसाफ़ का मुजस्समा बने रहो। जैसे और जगह फ़र्माने बारी तआला है (وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۭاِعْدِلُوْا ۣ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى) (5/माइदा : 8) **"किसी क़ौम की अदावत तुम्हें ख़िलाफ़े अद्ल करने पर आमादा न कर दे, अद्ल करते रहो। यही तक़्वा की शान के क़रीबतर है।"**

हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा (रज़ि.) को जब रसूले करीम (ﷺ) ने ख़ेबर वालों के खेतों और बाग़ों का अंदाज़ा करने को भेजा तो उन्होंने आपको रिश्वत देनी चाही कि आप मिक़्दार कम बताएँ तो आपने फ़र्माया, सुनो! अल्लाह तआला की क़सम! नबी अकरम (ﷺ) मुझे तमाम मख़्लूक़ से ज़्यादा अज़ीज़ हैं और तुम मेरे नज़दीक कुत्तों और ख़िंज़ीरों से बदतर हो, लेकिन बावजूद इसके हुज़ूरे अकरम (ﷺ) की मुहब्बत में आकर या तुम्हारी अदावत को सामने रखकर नामुम्किन है कि मैं इंसाफ़ से हट जाऊँ और तुममें अद्ल न करूँ। यह सुनकर वह कहने लगे, बस इसी से तो ज़मीनो आसमान क़ायम है। यह पूरी हदीस सूरह माइदा की तफ़्सीर में आएगी, इंशाअल्लाह तआला!

फिर फ़र्माता है अगर तुमने शहादत में तहरीफ़ की, बदल दी, ग़लतगोई से काम लिया, वाक़िया के ख़िलाफ़ गवाही दी, दबी ज़ुबान से पेचीदा अल्फ़ाज़ कहे, वाक़ियात कमो बेश कर दिए, या कुछ छुपा लिया, कुछ बयान कर दिया, तो याद रखो! अल्लाह तआला जैसे बाख़बर हाकिम के सामने यह चाल चल नहीं सकती, वहाँ जाकर उसका बदला पाओगे और सज़ा भुगतोगे। हुज़ूरे अकरम (ﷺ) का इर्शाद है "बेहतरीन गवाह वह हैं जो पूछने से पहले ही सच्ची गवाही दे दें।" (सहीह मुस्लिम, किताबुल अक़्ज़िया, बाब बयानु ख़ैरिश्शुहूद : 1719)

***

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ الَّذِيْ نَزَّلَ عَلٰي رَسُوْلِهٖ
وَالْكِتٰبِ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ ۭ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلٰۗىِٕكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ
وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًۢا بَعِيْدًا ١٣٦

तर्जुमा : "ऐ ईमानवालों ! अल्लाह तआला पर और उसके रसूल पर और उस किताब पर जो उसने अपने रसूल (ﷺ) पर उतारी और उन किताबों पर जो उससे पहले उसने नाज़िल की हैं, ईमान लाओ, जो शख़्स अल्लाह तआला से और उसके फ़रिश्तों से और उसकी किताबों से और उसके रसूलों से और क़यामत के दिन से कुफ़्र करे वह तो बहुत बड़ी दूर की गुमराही में जा पड़ा।" (136)

अल्लाह तआला की नाज़िलकर्दा तमाम किताबों और नबियों पर ईमान ज़रूरी है (आयत 136) : ईमानवालों को हुक्म हो रहा है कि ईमान में पूरे पूरे दाख़िल हो जाएँ। तमाम अहकाम को कुल शरीअत को ईमान की तमाम जुज़्इयात को मान लें। यह ख़याल न हो कि उसमें तहसीले हासिल है नहीं बल्कि तक्मीले कामिल है। ईमान लाए हो तो अब उसी पर क़ायम रहो, अल्लाह तआला को माना है तो जिसे जिस तरह वह मनवाए मानते चले जाओ। यही मतलब हर मुसलमान की इस दुआ का है कि हमें सिराते मुस्तक़ीम की हिदायत कर, यानी हमारी हिदायत को साबित रख, मदाम रख, उसमें हमें मज़बूत कर और दिन ब दिन बढ़ाता रह। इसी तरह यहाँ भी मोमिनों को अपनी ज़ात पर और अपने रसूल (ﷺ) पर ईमान लाने को फ़र्माया है। और आयत में ईमानवालों से ख़िताब करके फ़र्माया, अल्लाह तआला से डरो और उसके रसूल (ﷺ) पर ईमान लाओ। पहली किताब से मुराद क़ुरआन है और इससे पहले की किताब से मुराद तमाम नबियों पर जो जो किताबें नाज़िल हुईं, सब हैं।

क़ुरआन के लिए लफ़्ज़ (नज़्ज़ल) बोला गया और दीगर किताबों के लिए (अन्ज़ल) इसलिए कि क़ुरआन बतदरीज वक़्तन फ़वक़्तन थोड़ा थोड़ा करके नाज़िल हुआ और बाक़ी किताबें पूरी की पूरी एक साथ नाज़िल हुईं। फिर फ़र्माया जो शख़्स अल्लाह तआला के साथ उसके फ़रिश्तों के साथ उसकी किताबों के साथ उसके रसूलों के साथ आख़िरत के दिन के साथ कुफ़्र करे वह राहे हिदायत से बहक गया, और बहुत दूर की ग़लत राह पर चला गया, गुमराही में इधर से उधर हो गया।

***

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللَّهُ
لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ﴿١٣٧﴾ بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا
﴿١٣٨﴾ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۚ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ
الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴿١٣٩﴾ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ
اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ
إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴿١٤٠﴾

तर्जुमा : ''जिन लोगों ने ईमान कुबूल करके फिर कुफ़्र किया फिर ईमान लाकर फिर कुफ़्र किया फिर अपने कुफ़्र में बढ़ गए अल्लाह तआला यक़ीनन उन्हें न बख़्शेगा और न उन्हें राहे हिदायत समझाएगा। (137) मुनाफ़िक़ों को इस अम्र की ख़बर पहुँचा दो कि उनके लिए दर्दनाक अज़ाबे यक़ीनी है। (138) जिनकी यह हालत है कि मुसलमानों को छोड़कर काफ़िरों को दोस्त बनाते फिरते हैं, क्या उनके पास इज़्ज़त की तलाश में जाते हैं? पस इज़्ज़त तो सारी की सारी अल्लाह तआला के क़ब्ज़े में है (139) अल्लाह तआला तुम्हारे पास अपनी किताब में यह हुक्म उतार चुका है कि तुम जब किसी मज्लिस वालों को अल्लाह तआला की आयतों के साथ कुफ़्र करते मज़ाक़ उड़ाते हुए सुनो तो उस मज्मआ में उनके साथ न बैठो, जब तक कि वह उसके अलावा और बातें न करने लगें (वरना) तुम भी उस वक़्त उन ही जैसे हो, यक़ीनन अल्लाह तआला तमाम काफ़िरों और सब मुनाफ़िक़ो को जहन्नम में जमा करने वाला है।'' (140)

काफ़िरों से मवालात और बुरी मज्लिसों से बचने का हुक्म (आयत 137-140) : इर्शाद हो रहा है कि जो ईमान लाकर फिर मुर्तद हो जाए फिर वह मोमिन होकर काफ़िर बन जाएँ फिर अपने कुफ़्र पर जम जाए और उसी हालत में मर जाए तो न उसकी तौबा कुबूल, न उसकी बख़्शिश का कोई इम्कान, न उन्हें छुटकारा, न फ़लाह, न अल्लाह तआला उन्हें बख़्शे, न राहे रास्त पर लाए। हज़रत अली (रज़ि.) इस आयत की तिलावत फ़र्माकर फ़र्माते थे, मुर्तद से तीन बार कहा जाए कि तौबा कर ले। फिर फ़र्माया, यह मुनाफ़िक़ों का हाल है कि आख़िर में इनके दिलों पर मुहर लग जाती है, फिर वह मोमिनों को छोड़ काफ़िरों से दोस्तियाँ करते हैं। उधर बज़ाहिर मोमिनों से मिले-जुले रहते हैं, उधर काफ़िरों में बैठकर उन मोमिनों का मज़ाक़ उड़ाते हैं, और कहते हैं कि हम तो उन्हें बेवक़ूफ़ बना रहे हैं दरअसल साथ तो हम तुम्हारे हैं। पस अल्लाह तआला उनके मक़्सदे असली को उनके सामने पेश करके उसमें उनकी नाकामी को बयान करता है कि तुम चाहते हो कि उनके पास तुम्हारी इज़्ज़त हो, यह तुम्हें धोखा हुआ है और तुम ग़लती कर रहे हो। सुनो! इज़्ज़तों का मालिक तो अल्लाह तआला वह्दहू ला शरीक लहू है, वह जिसे चाहे इज़्ज़त देता है। और आयत में है (مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعِزَّةَ) (35/फ़ातिर : 10) और फ़र्माया (وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ) (63/मुनाफ़िक़ून : 8) यानी ''इज़्ज़त अल्लाह तआला के लिए है और उसके रसूल (ﷺ) की और मोमिनों की, लेकिन मुनाफ़िक़ बेसमझ लोग हैं।'' मक़्सूद यह है कि अगर हक़ीक़ी इज़्ज़त चाहते हो तो अल्लाह तआला के नेक बन्दों के साथ मिल जाओ, अल्लाह की इबादत की तरफ़ झुक जाओ और उस जनाब बारी तआला से इज़्ज़त के ख़्वाहाँ बनो। दुनिया और आख़िरत में वह तुम्हें अज़ीज़ बना देगा। मुस्नद अहमद बिन हंबल की यह हदीस इस जगह याद रखने के क़ाबिल है कि हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, ''जो शख़्स फ़ख़्र व गुरूर के तौर पर अपनी इज़्ज़त ज़ाहिर करने के लिए अपना नसब अपने कुफ़्फ़ार बाप दादों से जोड़े और नौ तक पहुँच जाए वह भी उनके साथ दसवाँ जहन्नमी होगा।'' (मुस्नद अहमद : 4/134; वसनदुहू ज़ईफ़)

फिर फ़र्मान है जब मैं तुम्हें मना कर चुका कि जिस मज्लिस में अल्लाह तआला की आयतों से इंकार किया जा रहा हो और उनका मज़ाक़ उड़ाया जा रहा हो उसमें न बैठो, फिर भी अगर तुम ऐसी मज्लिसों में शरीक होते रहोगे तो याद रखो! मेरे यहाँ तुम भी उनके शरीककार समझे जाओगे। उनके गुनाह में तुम भी उन ही जैसे हो जाओगे।'' जैसे एक ह़दीस में है कि ''जिस दस्तरख़्वान पर शराबनोशी हो रही हो उस पर किसी ऐसे शख़्स को न बैठना चाहिए जो अल्लाह तआला पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखता हो।'' (तिर्मिज़ी, किताबुल अदब, बाब मा जाअ फ़ी दुख़ूलिल ह़म्माम : 2801; वसनदुहू ज़ईफ़; इसकी सनद में लैस बिन अबी सुलैम रावी ज़ईफ़ है।) इसआयत में जिस मुमानिअ़त का ह़वाला दिया गया है वह सूरह अन्आम की जो मक्की सूरत है यह आयत है (وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ) (6/अन्आम : 68) ''जब तू इन्हें देखे जो मेरी आयतों में ग़ोते लगाने बैठ जाते हैं तो तू उनसे चेहरा फेर ले।''

ह़ज़रत मुक़ातिल बिन ह़य्यान (रह़.) फ़र्माते हैं इस आयत का हुक्म (إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ) (सूरह अन्निसा 4:140) अल्लाह तआला के इस फ़र्मान (وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ وَّلَٰكِنْ ذِكْرَىٰ) (لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ) (सूरह अन्आम 6:69) से मंसूख़ हो गया। यानी मुत्तक़ियों पर उनके ह़िसाब का कोई बोझ नहीं लेकिन नसीह़त है, क्या अजब कि वह बच जाएँ। फिर फ़र्माने बारी तआला है अल्लाह तआला तमाम मुनाफ़िक़ों को और सारे काफ़िरों को जहन्नम में जमा करने वाला है। यानी जिस त़रह़ यह मुनाफ़िक़ इन काफ़िरों के कुफ़्र में यहाँ शरीक हैं, क़यामत के दिन जहन्नम में हमेशा रहने के लिए और वहाँ के सख़्ततर दिल दहलाने वाले अ़ज़ाबों के सहने में भी उनके शरीके ह़ाल रहेंगे। वहाँ की सज़ाओं में वहाँ की क़ैदो-बन्द में त़ौक़ व ज़ंजीरों में, गर्म खोलते हुए पानी के कड़वे घूँट उतारने में और ख़ून व पीप के ज़हर मार करने में भी उनके साथ होंगे, और दाइमी सज़ा का ऐलान सबको साथ ही सुना दिया जाएगा।

***

الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ
وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِّنَ
الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿١٤١﴾

तर्जुमा : "यह लोग तुम्हारे अंजामकार का इंतिज़ार करते रहते हैं फिर अगर तुम्हें अल्लाह तआला फ़तह दे तो कहते हैं क्या हम तुम्हारे साथी नहीं और अगर काफ़िरों को थोड़ा सा ग़ल्बा मिल जाए तो कहने लगते हैं क्या हम तुम पर ग़ालिब न आने लगे थे और क्या हमने तुम्हें मुसलमानों के हाथों से न बचाया था, पस क़यामत में ख़ुद अल्लाह तआला तुम्हें फ़ैसला कर देगा, और अल्लाह तआला काफ़िरों को ईमान वालों पर हर्गिज़ राह न देगा।" (141)

मुनाफ़िक़ की मुनाफ़िक़त की मिसाल (आयत 141) : मुनाफ़िक़ों की बदबातिनी का ज़िक्र है कि मुसलमानों की बर्बादी उनकी पस्ती की तलाश में लगे रहते हैं टोह लेते रहते हैं अगर किसी जिहाद में मुसलमान कामयाब व कामरान हो गए अल्लाह तआला की मदद से यह ग़ालिब आ गए तो तू इनके पेट में घुसने के लिए आ आकर कहते हैं क्यूँ जी! हम भी तो तुम्हारे साथी हैं और अगर किसी वक़्त मुसलमानों की आज़माइश के लिए अल्लाह तआला ने काफ़िरों को ग़लबा दे दिया जैसे उहुद में हुआ था भले अंजामकार हक़ ही ग़ालिब रहा, तो यह उनकी तरफ़ लपकते हैं और कहते हैं देखो! पोशीदा तौर पर तो हम तुम्हारी ताईद ही करते रहे और उन्हें नुक़्सान पहुँचाते रहे, यह हमारी ही चालाकी थी जिसकी बदौलत आज तुमने उन पर फ़तह पा ली। यह हैं उनके करतूत कि दो कश्तियों में पैर रख छोड़ते हैं। "धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का।" भले यह अपनी इस मक्कारी को अपने लिए बाइसे फ़ख़्र जानते हों लेकिन दरअसल यह सरासर इनकी बेईमानी और कम यक़ीनी की दलील है। भला कच्चा रंग कब तक? गाजर की पूँगी कब तक बजेगी? काग़ज़ की नाव कब तक चलेगी? वक़्त आ रहा है कि अपने किये पर नादिम होंगे, अपनी बेवक़ूफ़ी पर हाथ मलेंगे, अपने शर्मनाक करतूत पर आँसू बहाएँगे, अल्लाह तआला का सच्चा फ़ैसला सुन लेंगे और तमाम भलाईयों से नाउम्मीद हो जाएँगे, भरम खुल जाएगा, छुपा खुला हो जाएगा, राज़ फ़ाश हो जाएगी, अंदर का बाहर आ जाएगा। यह पॉलिसी और हिक्मते अमली यह मस्लिहते वक़्त और इक़्तिज़ाए मौक़ा निहायत डरावनी सूरत से सामने आ जाएगा और आलिमुल ग़ैब के बेपनाह अज़ाबों का शिकार बन जाएँगे, नामुम्किन है कि काफ़िरों को अल्लाह तआला मोमिनों पर राह दे दे। हज़रत अली (रज़ि.) से एक शख़्स ने इसका मतलब पूछा तो आपने पहले जुम्ले के साथ मिलाकर पढ़ दिया। मतलब यह था कि क़यामत के दिन ऐसा न होगा। यह भी मरवी है कि सबील से मुराद हुज्जत है। लेकिन ताहम इसके ज़ाहिरी मानी मुराद लेने में भी कोई मानेअ नहीं। यानी यह नामुम्किन है कि अल्लाह तआला अब से लेकर क़यामत तक कोई ऐसा वक़्त लाए कि काफ़िर इस क़द्र ग़लबा हासिल कर लें कि मुसलमानों का नाम मिटा दें। यह और बात है कि किसी जगह किसी वक़्त दुनियावी तौर पर उन्हें ग़लबा मिल जाए लेकिन अंजामकार मुसलमानों के हक़ में ही मुफ़ीद होगा, दुनिया में भी और आख़िरत में भी।

फ़र्माने बारी तआला है (إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا) (40/मोमिन : 51) "हम अपने रसूलों की और ईमानवाले बन्दों की मदद दुनिया में भी लाज़मी तौर पर ज़रूर करेंगे।" और इस मानी के करने में एक मज़ा यह भी है कि मुनाफ़िक़ों के दिलों में जो मुसलमानों की ज़िल्लत के और उनकी

बर्बादी के आने के वक़्त का इंतिज़ार था, मायूस कर दिया गया कि कुफ़्फ़ार को मुसलमानों पर अल्लाह तआला इस तरह ग़ालिब न कर देगा कि तुम फूले न समाओ। और वह जिस डर से मुसलमानों का साथ खुले तौर पर न देते थे उस डर को भी ज़ाइल कर दिया कि तुम यह न समझो कि किसी वक़्त भी मुसलमान मिट जाएँगे।

इसी मतलब की वज़ाहत आयत (فَتَرَى الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ) (5/माइदा : 52) में कर दी है। इस आयते करीमा से हज़रात उलमा-ए-किराम ने इस अम्र पर भी इस्तिदलाल किया है कि मुसलमान गुलाम को काफ़िर के हाथ बेचना जाइज़ नहीं। क्योंकि इस सूरत में एक काफ़िर को एक मुसलमान पर ग़ालिब कर देना है और इसमें मुस्लिम की ज़िल्लत है।

जिन कुछ इल्म रखने वाले हज़रात ने इस सौदे को जाइज़ रखा है वह उसे हुक्म करते हैं अपनी मिल्कियत से उसी वक़्त आज़ाद कर दे।

***

اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ۚ وَاِذَا قَامُوْٓا اِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى ۙ يُرَآءُوْنَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿١٤٢﴾ مُّذَبْذَبِيْنَ بَيْنَ ذٰلِكَ ۖ لَآ اِلٰى هٰٓؤُلَآءِ وَلَآ اِلٰى هٰٓؤُلَآءِ ۗ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ سَبِيْلًا ﴿١٤٣﴾

तर्जुमा : "बेशक मुनाफ़िक़ अल्लाह तआला से चालबाज़ियाँ कर रहे हैं, और वह उन्हें इस चालबाज़ी का बदला देने वाला है, और जब नमाज़ को खड़े होते हैं तो बड़ी काहिली की हालत में खड़े होते हैं। सिर्फ़ लोगों को दिखाते हैं। और यादे रब्बानी तो यूँ ही सी बराए नाम करते हैं। (142) बीच में ही मुअल्लक़ डगमगा रहे हैं, न पूरे उनकी तरफ़ न सहीह तौर पर उनकी तरफ़, जिसे अल्लाह तआला गुमराही में डाल दे तो तू उसके लिए कोई राह न पाएगा।" (143)

मुनाफ़िक़ धोखेबाज़ हैं (आयत 142, 143) : सूरह बक़रह के शुरू में भी आयत (يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ) इस मज़्मून की गुज़र चुकी है। यहाँ भी यही बयान हो रहा है कि यह कम समझ रखने वाले मुनाफ़िक़ उस रब के सामने चालें चलते हैं जो सीनों में छुपी हुई बातों का जानने वाला है और दिल के पोशीदा राज़ों से आगाह है। कमफ़हमी से यह ख़याल किए बैठे हैं कि जिस तरह इनका निफ़ाक़ दुनिया में चल गया और मुसलमानों में मिले जुले रहे, उसी तरह अल्लाह तआला के पास भी यह मक्कारी चल जाएगी। चुनाँचे क़ुरआन में है कि क़यामत के दिन भी यह लोग अल्लाह तआला के सामने अपनी यक रंगी की क़स्में खायेंगे जैसे यहाँ खाते हैं, लेकिन

उस आलिमुल ग़ैब के सामने यह नाकारा क़समें हर्गिज़ काम नहीं आएगी। अल्लाह तआला भी उन्हें धोखे में रख रहा है। वह ढील देता है बढ़ोतरी देता है, यह फूलते हैं, ख़ुश होते हैं और अपने लिए उसे अच्छाई समझने लगते हैं। क़यामत में भी इनका यही हाल होगा मुसलमानों के नूर के सहारे में होंगे, वह आगे निकल जाएँगे, यह आवाज़ें देंगे कि ठहरो हम भी तुम्हारी रोशनी में चलें, जवाब मिलेगा कि पीछे मुड़ जाओ और रोशनी तलाश कर लाओ। यह मुड़ेंगे इधर पर्दा हाइल हो जाएगा।

मुसलमानों की जानिब रहमत और उनकी तरफ़ ज़हमत। हदीस शरीफ़ में है "जो सुनाएगा यानी किसी के ऐब बयान करेगा अल्लाह तआला भी उसे सुनाएगा यानी उसके ऐब ज़ाहिर कर देगा और जो रियाकारी करेगा, अल्लाह तआला भी उसे दिखाएगा।" (सहीह बुख़ारी, किताबुर्रिक़ाक़, बाबुर्रियाअ वस्सुम्आ : 6499; सहीह मुस्लिम : 2987) एक और हदीस में है "इन मुनाफ़िक़ों में वह भी होंगे कि बज़ाहिर लोगों के सामने अल्लाह तआला उनकी निस्बत फ़र्माएगा, इन्हें जहन्नम में ले जाओ, फ़रिश्ते ले जाकर दोज़ख़ में डाल देंगे, अल्लाह तआला अपनी पनाह में रखे।"

फिर इन मुनाफ़िक़ों की बदज़ौक़ी का बयान हो रहा है कि नमाज़ जैसी बेहतरीन इबादत भी ख़ुशूअ व ख़ुज़ूअ और दिलचस्पी से अदा करनी इन्हें नसीब नहीं होती, क्योंकि नेक निय्यती, हुस्न अमली, हक़ीक़ी ईमान, सच्चा यक़ीन इनमें है ही नहीं। हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) थके हारे हुए बदन से कसमसाकर नमाज़ पढ़ना मकरूह जानते थे और फ़र्माते थे कि नमाज़ी को चाहिए कि ज़ोक़ व शौक़ से, राज़ी ख़ुशी पूरी रग़बत और इंतिहाई तवज्जोह के साथ नमाज़ में खड़ा हो और यक़ीन माने कि उसकी आवाज़ पर अल्लाह तआला के कान हैं, उसकी तलब पूरी करने को अल्लाह तआला तैयार है। यह तो हुई उन मुनाफ़िक़ों की ज़ाहिरी हालत कि थके हारे तंगदिली के साथ बतौर बेकार टालने के नमाज़ के लिए आए। फिर अंदरूनी हालत यह है कि इख़्लास से कोसों दूर हैं। रब से कोई ताल्लुक़ नहीं रखते, नमाज़ी मशहूर होने के लिए लोगों में अपने ईमान को ज़ाहिर करने के लिए नमाज़ें पढ़ रहे हैं, भला इन सनम आशना दिल वालों को नमाज़ में क्या मिलेगा? यही वजह है कि उन नमाज़ों में जिनमें लोग एक दूसरे को कम देख सकें, यह ग़ैर हाज़िर रहते हैं जैसे इशा की नमाज़ और फ़ज्र की नमाज़। बुख़ारी व मुस्लिम में है, रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़र्माते हैं "सबसे ज़्यादा बोझल नमाज़ मुनाफ़िक़ों पर इशा और फ़ज्र की है, अगर दरअसल यह इन नमाज़ों के फ़ज़ाइल के दिल से क़ाइल होते तो घुटनों भी चलकर आना पड़े, यह ज़रूर आ जाते, मैं तो इरादा कर रहा हूँ कि तक्बीर कहलवाकर किसी को अपनी इमामत की जगह खड़ा करके नमाज़ शुरू कराकर कुछ लोगों से लकड़ियाँ उठवाकर उनके घरों में जाऊँ जो जमाअत में शामिल नहीं होते और लकड़ियाँ उनके घरों के आसपास लगाकर हुक्म दूँ कि आग लगाओ और उनके घरो को जला दो।" (सहीह बुख़ारी, किताबुल अज़ान, बाब फ़ज़्ल सलातुल इशा फ़िल जमाअत : 657; सहीह मुस्लिम : 651) एक रिवायत में है, "अल्लाह तआला की क़सम! अगर इन्हें एक चर्ब हड्डी या दो अच्छे खुर मिलने की उम्मीद हो तो दौड़े चले आएँ लेकिन आख़िरत की और अल्लाह तआला के सवाबों की इन्हें इतनी भी क़द्र नहीं। (सहीह बुख़ारी, किताबुल अज़ान, बाब वुजूब सलातुल जमाअत : 644; सहीह मुस्लिम : 651) अगर बाल-बच्चों और औरतों का जो घरों में रहती हैं, मुझे ख़्याल न होता तो यक़ीनन

मैं उनके घर जला देता।'' (मुस्नद अहमद : 2/367; वसनदुहू ज़ईफ़)

अबू यअला में है हुज़ूरे अकरम (ﷺ) फ़र्माते हैं ''जो शख़्स लोगों की मौजूदगी में तो नमाज़ को संवार कर ठहर ठहर कर अदा करे लेकिन जब कोई न हो तो जैसे-तैसे नमाज़ पढ़ ले, यह वह है जिसने अपने रब की एहानत की।'' (मुस्नद अबी यअला : 5117; वसनदुहू ज़ईफ़ुन) फिर फ़र्माया, ''यह लोग अल्लाह का ज़िक्र भी बहुत ही कम करते हैं।'' यानी नमाज़ में इनका दिल नहीं लगता, यह अपनी कही हुई बात समझते भी नहीं बल्कि ग़ाफ़िल दिल और बेपरवाह नफ़्स से नमाज़ पढ़ लेते हैं। आँहज़रत (ﷺ) फ़र्माते हैं, ''यह नमाज़ मुनाफ़िक़ की नमाज़ है, यह नमाज़ मुनाफ़िक़ की नमाज़ है, यह नमाज़ मुनाफ़िक़ की नमाज़ है कि बैठा हुआ सूरज की तरफ़ देख रहा है, यहाँ तक कि जब वह डूबने लगा तो शैतान ने अपने दोनों सींग उसके आसपास लगा दिए तो यह खड़ा हुआ और जल्दी-जल्दी चार रकअत पढ़ लीं जिनमें अल्लाह तआला का ज़िक्र बराए नाम ही किया।'' (सहीह मुस्लिम, किताबुल मसाजिद, बाब इस्तिहबाबुत्तक्बीर बिल अस्र : 622)

यह मुनाफ़िक़ मुतहय्यर शशदर व परेशान हाल हैं। ईमान व कुफ़्र के बीच इनका दिल डाँवा डोल हो रहा है। न तो साफ़ तौर से मुसलमानों के साथी हैं, न बिलकुल कुफ़्फ़ार के साथ, कभी ईमान का नूर चमक उठा तो इस्लाम की सदाक़त करने लगे, कभी कुफ़्र की अंधेरियाँ ग़ालिब आ गईं तो ईमान से एक तरफ़ हो गए। न तो हुज़ूरे अकरम (ﷺ) के सहाबा (रज़ि.) की तरफ़ हैं , न यहूदियों की जानिब। रसूले अकरम (ﷺ) का इर्शाद है कि ''मुनाफ़िक़ की मिसाल ऐसी है जैसे दो रेवड़ के बीच की बकरी का कभी तो वह में-में करती उस रेवड़ की तरफ़ दौड़ती है कभी इस तरफ़। उसके नज़दीक अभी तै नहीं हुआ कि इसमें जाए या उसके पीछे लगे।'' (सहीह मुस्लिम, किताब सिफ़ातुल मुनाफ़िक़ीन, बाब सिफ़ातुल मुनाफ़िक़ीन : 2784) एक रिवायत में है कि इस मानी की हदीस हज़रत उबेद बिन उमैर (रज़ि.) ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) की मौजूदगी में कुछ अल्फ़ाज़ के हेर फेर से बयान की तो हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) ने अपने सुने हुए अल्फ़ाज़ दोहराकर कहा, यूँ नहीं बल्कि दरअस़ल हदीस यूँ हैं। जिस पर हज़रत उबेद (रज़ि.) नाराज़ हुए। (मुम्किन है एक बुज़ुर्ग ने एक तरह के अल्फ़ाज़ सुने हो, दूसरे ने दूसरी क़िस्म के।) (मुस्नद अहमद : 2/32; वसनदुहू ज़ईफ़; इस क़िस्से के साथ इसकी सनद में अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल्लाह बिन उत्बा अल्मसऊदी मुख़्तलत रावी है और यह रिवायत इसके इख़्तिलात के बाद की है। जबकि मरफ़ूअ रिवायत सहीह मुस्लिम 2784; अहमद : 2/47 में मौजूद है। तफ़्स़ील के लिए देखिए (अल्मौसूअतुल हदीसिया : 8/476; 9/99)

इब्ने अबी हातिम में है ''मोमिन काफ़िर और मुनाफ़िक़ की मिसाल उन तीन शख़्सों जैसी है जो एक दरिया पर गए, एक तो किनारे पर ही खड़ा रह गया, दूसरा उतरकर पार होकर मंज़िले मक़्सूद को पहुँच गया, तीसरा उतरा, चला, जब बीचों बीच पहुँचा तो इधर वाले ने पुकारना शुरु किया कि कहाँ हलाक होने चला, इधर आ, वापिसचला आ। उधर वाले ने आवाज़ दी कि आ जाओ, नजात के साथ मंज़िले मक़्सूद पर मेरी तरह पहुँच जाओ, आधा रास्ता तै कर चुके हो। अब यह हैरान होकर कभी इधर देखता है, कभी उधर नज़र डालता है, तज़ब्ज़ुब में है कि किधर जाऊँ, किधर न जाऊँ? तभी एक ज़बरदस्त लहर आई और बहाकर ले चली, ग़ौते खा खाकर मर गया। पस पार हो जाने वाला तो मोमिन है, किनारे खड़ा रह जाने वाला काफ़िर है और लहरों में

डूबकर मरने वाला मुनाफ़िक़ है।'' और हदीस में है ''मुनाफ़िक़ की मिसाल उस बकरी जैसी है जो हरे भरे टीले पर बकरियों को देखकर आई और सूँघकर चल दी, फिर दूसरे टीले पर चढ़ी और सूँघकर आ गई।'' (तब्री : 10737; यह रिवायत मुर्सल यानी ज़ईफ़ है।)

फिर फ़र्माया, जिसे अल्लाह तआला ही राहे हक़ से फेर दे उसका वली व मुर्शिद कौन हो? उसके गुमराह कर्दा को राह कौन दिखा सके? अल्लाह तआला ने इन मुनाफ़िक़ों को बदतरीन बुरे कामों के सबब रास्ती से धकेल दिया है। अब न कोई इन्हें राहे रास्त पर ला सके, न छुटकारा दिला सके। अल्लाह तआला की मर्ज़ी का ख़िलाफ़ कौन कर सकता है? वो सब पर हाकिम है, उस पर किसी की हुकूमत नहीं।

***

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۭ
اَتُرِيْدُوْنَ اَنْ تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا ۝۱۴۴ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِي الدَّرْكِ
الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ۚ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيْرًا ۝۱۴۵ اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا وَاَصْلَحُوْا
وَاعْتَصَمُوْا بِاللّٰهِ وَاَخْلَصُوْا دِيْنَهُمْ لِلّٰهِ فَاُولٰۗىِٕكَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۭ وَسَوْفَ يُؤْتِ
اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ اَجْرًا عَظِيْمًا ۝۱۴۶ مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ وَاٰمَنْتُمْ ۭ
وَكَانَ اللّٰهُ شَاكِرًا عَلِيْمًا ۝۱۴۷

तर्जुमा : ''ऐ ईमानवालों! मोमिनों को छोड़कर काफ़िरों को दोस्त न बनाओ, क्या तुम यह चाहते हो कि अपने ऊपर अल्लाह तआला की साफ़ हुज्जत क़ायम कर लो। (144) मुनाफ़िक़ तो यक़ीनन जहन्नम के सबसे नीचे तब्क़े में जाएँगे, नामुम्किन है कि तू उनका कोई मददगार पा ले। (145) हाँ! जो तौबा कर ले और इस्लाह कर ले और अल्लाह तआला पर पूरा यक़ीन रखे और ख़ालिस अल्लाह तआला ही के लिए दीनदारी करे तो यह लोग मोमिनों के साथ है, अल्लाह तआला मोमिनों को बहुत बड़ा अज्र देगा। (146) अल्लाह तआला तुम्हें सज़ा देकर क्या करेगा, अगर तुम शुक्रगुज़ारी करते रहो और ईमान के साथ रहो, अल्लाह तआला बहुत क़द्र करने वाला और पूरा इल्म रखने वाला है।'' (147)

काफ़िरों से हर्गिज़ दोस्ती न करो (आयत 144-147) : काफ़िरों से दोस्तियाँ करने से उनसे दिली मुहब्बत रखने से, उनके साथ हर वक़्त उठने बैठने से मुसलमानों के भेद उनको देने से और पोशीदा ताल्लुक़ात उनसे क़ायम रखने से अल्लाह तआला ईमान वालों को रोक रहा है, जैसे और आयत में है (لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ) (3/आले इमरान : 28) मोमिनों को चाहिए कि बजुज़ (सिवाय) मोमिनों के कुफ़्फ़ार से दोस्ती न करें। ऐसा करने वाला अल्लाह के यहाँ किसी भलाई का मुस्तहिक़ नहीं। हाँ! अगर सिर्फ़ बचाव के तौर पर ज़ाहिरदारी हो तो और बात है। अल्लाह तआला तुम्हें अपने आपसे डरा रहा है, यानी अगर तुम उसकी नाफ़र्मानियाँ करोगे तो तुम्हें उसके अज़ाबों से डरना चाहिए। इब्ने अबी हातिम में हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) का फ़र्मान मरवी है कि आपने फ़र्माया, क़ुरआन में जहाँ कहीं ऐसी इबारतों में सुलतान का लफ़्ज़ है वहाँ इससे मुराद हुज्जत है। यानी तुमने अगर मोमिनों को छोड़ कर कुफ़्फ़ार से दिली दोस्ती के ताल्लुक़ात पैदा किए तो तुम्हारा यह काम काफ़ी सबूत होगा और पूरी दलील होगी उस अम्र की कि अल्लाह तआला तुम्हें सज़ा दे। कई एक सल्फ़ मुफ़स्सिरीन (रह.) ने इस आयत की यही तफ़्सीर की है।

फिर मुनाफ़िक़ों का अंजाम बयान फ़र्माया है कि यह अपने उस सख़्त कुफ़्र की वजह से जहन्नम के सबसे नीचे के तब्क़े में दाख़िल किए जाएँगे। (दर्क) मुक़ाबिल है दर्जा के। बहिश्त में दर्जे हैं एक से एक बाला और दोज़ख़ में दर्क हैं, एक से एक पस्त। हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) फ़र्माते हैं, इन्हें आग के संदूकों मे बंद करके जहन्नम में डाला जाएगा और यह जलते झुलसते रहेंगे। हज़रत इब्ने मसऊद (रज़ि.) फ़र्माते हैं यह संदूक़ लोहे के होंगे जो आग लगते ही आग के हो जाएँगे और चारों तरफ़ से बिलकुल बंद होंगे, और कोई न होगा जो उनकी किसी तरह की मदद करे, जहन्नम से निकाल सके या अज़ाबों मे ही कुछ कमी करा सके। हाँ! उनमें से जो तौबा कर लें, नादिम (शर्मिंदा) हो जाएँ और सच्चे दिल से निफ़ाक़ से हट जाएँ और रब से अपने उस गुनाह की माफ़ी चाहें फिर अपने आमाल में इख़्लास पैदा करें, सिर्फ़ ख़ुशनुदी बारी और मर्ज़ी मौला के लिए नेक आमाल पर कमर कस लें, रियाकारी को इख़्लास से बदल दें, अल्लाह के दीन को मज़बूती से थाम लें तो बेशक अल्लाह तआला उनकी तौबा क़ुबूल करेगा और इन्हें सच्चे मोमिनों में दाख़िल कर लेगा और बड़े सवाब और आला अज्र इनायत फ़र्माएगा। इब्ने अबी हातिम में है आँहज़रत (ﷺ) फ़र्माते हैं, अपने दीन को ख़ालिस कर लो तो थोड़ा अमल भी काफ़ी हो जाएगा। (हाकिम : 4/306; वसनदुहू ज़ईफ़) फिर इर्शाद होता है कि अल्लाह तआला ग़नी है, बेनियाज़ है। बन्दों को वो सज़ा देना नहीं चाहता, हाँ! जब गुनाहों पर दिलेर हो जाएँ तो तम्बीह ज़रूर है। पस फ़र्माया अगर तुम अपने आमाल को संवार लो और अल्लाह तआला पर और उसके रसूल पर सच्चे दिल से ईमान लाओ तो कोई वजह नहीं जो अल्लाह तआला तुम्हें अज़ाब करे। वह तो छोटी छोटी नेकियों की भी क़द्रदानी करने वाला है। जो उसका शुक्र अदा करे वह उसकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई करता है। वह पूरे और सहीह इल्म वाला है। जानता है कि किसका अमल इख़्लास वाला और क़बूलियत वाला और क़द्र के लायक़ है। उसे मालूम है कि किस दिल में क़वी ईमान है और कौनसा दिल ईमान से ख़ाली है। जो इख़्लास और ईमान वाले हैं उन्हें भरपूर और कामिल बदले अल्लाह तआला इनायत करेगा। (अल्लाह तआला हमें ईमान व इख़्लास की दौलत से मालामाल करे और फिर अज्रो सवाब से निहाल करे, आमीन!)

لَا يُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْٓءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلَّا مَنْ ظُلِمَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيْعًا عَلِيْمًا ﴿۱۴۸﴾

اِنْ تُبْدُوْا خَيْرًا اَوْ تُخْفُوْهُ اَوْ تَعْفُوْا عَنْ سُوْٓءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيْرًا ﴿۱۴۹﴾

तर्जुमा : "बुराई के साथ आवाज़ बुलंद करने को अल्लाह तआला पसंद नहीं करता मगर मज़्लूम को इजाज़त है। अल्लाह तआला ख़ूब सुनता जानता है। (148) अगर तुम किसी नेकी को ऐलानिया करो या छुपाकर या किसी बुराई से दरगुज़र करो, पस यक़ीनन अल्लाह तआला पूरी मुआफ़ी करने वाला और पूरी क़ुदरत वाला है।" (149)

मज़्लूम ज़ालिम की बुराई कर सकता है (148, 149) : हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) इस आयत की तफ़्सीर में फ़र्माते हैं कि किसी मुसलमान को दूसरे के लिए बद दुआ करनी जाइज़ नहीं, हाँ! जिस पर ज़ुल्म किया गया हो उसे अपने ज़ालिम के लिए बद दुआ करनी जाइज़ है और वह भी अगर सब्र व तहम्मुल से काम ले तो फ़ज़ीलत उसी में है। (तब्री : 9/344) अबूदाऊद में है कि हज़रत आइशा सिद्दीक़ा (रज़ि.) की कोई चीज़ चोर चुरा कर ले गए तो आप (रज़ि.) उनके लिए बद दुआ करने लगीं। हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने सुनकर फ़र्माया, "क्यूँ उसका बोझ हल्का कर रही हो?" (अबूदाऊद, किताबुल वित्र, बाब अद्दुआ : 1497; अहमद : 6/45; इस्नाद ज़ईफ़ हबीब बिन अबी साबित मुदल्लस के सिमाअ की तसरीह नहीं है। और शैख़ अल्बानी (रह.) ने इस रिवायत को ज़ईफ़ क़रार दिया है। (ज़ईफ़ अबूदाऊद : 321) इसके अलावा इस मतन से यह रिवायत उन जगहों में भी मौजूद है। अज़्ज़ुअफ़ा : 2631; सुननुल कुब्रा लिन्नसाई : 7309; शरहुस्सुन्ना : 13049) हज़रत हसन (रह.) फ़र्माते हैं उसके लिए बद दुआ नहीं करनी चाहिए बल्कि यह दुआ करनी चाहिए (اللهم اعنى عليه واستخرج حقى منه) ऐ अल्लाह! उस चोर पर तू मेरी मदद कर और उससे मेरा हक़ दिलवा दे। (तब्री : 9/344) आपसे एक रिवायत में मरवी है कि अगरचे मज़्लूम को ज़ालिम के कोसने के लिए रुख़्सत है मगर यह ख़्याल रहे कि हद से बढ़ न जाए। अब्दुल करीम बिन मालिक जज़्री (रह.) इस आयत की तफ़्सीर में फ़र्माते हैं, गाली देने वाले को यानी बुरा कहने वाले को बुरा तो कह सकते हैं। लेकिन बोहतान बाँधने वाले पर बोहतान न बाँधो। एक दूसरी आयत में है (وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهٖ فَاُولٰٓئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّنْ سَبِيْلٍ) (42/शूरा : 41) "जो मज़्लूम अपने ज़ालिम से उसके ज़ुल्म का इंतिक़ाम ले, उस पर कोई मुवाख़िज़ा नहीं।" अबूदाऊद में है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़र्माते हैं "दो गालियाँ देने वाले जो कहें उसका वबाल उस पर है जिसने शुरुआत की हो, हाँ! अगर मज़्लूम हद से बढ़ जाए तो और बात है।" (अबूदाऊद, किताबुल अदब, बाबुल मुस्तिब्बान : 4894; तिर्मिज़ी : 1981; मुस्लिम, किताबुल बिर्र वस्सिला, बाब अन्नही अनिस्सबाब : 2587) मुजाहिद (रह.) फ़र्माते हैं जो शख़्स किसी के यहाँ मेहमान बनकर जाए और

मेज़बान उसका हक़्क़े मेहमानी अदा न करे तो उसे जाइज़ है कि लोगों के सामने अपने मेज़बान की शिकायत करे जब तक कि वह हक़्क़े ज़ियाफ़त अदा न कर दे।

अबूदाऊद और इब्ने माजा वग़ैरह में है कि सहाबा (रज़ि.) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से शिकायत की कि आप (ﷺ) हमें इधर-उधर भेजते हैं, कुछ मर्तबा ऐसा भी होता है कि वहाँ के लोग हमारी मेहमान नवाज़ी नहीं करते। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, सुनो! अगर वह अपने लायक़ मेज़बानी करें तो ख़ैर वरना तुम उनसे अपने लायक़ ले लिया करो।'' (सहीह बुख़ारी, किताबुल मज़ालिम, बाब क़िसासुल मज़्लूम इज़ा वजद माला ज़ालिमिही : 2461; मुस्लिम : 1727; अबूदाऊद : 3752; इब्ने माजा : 3676; अहमद : 4/149; इब्ने हिब्बान : 5288; बैहक़ी : 9/179; मुस्नदुल फ़िरदौस : 1047) मुस्नद अहमद की हदीस में फ़र्माने रसूल (ﷺ) है कि ''जो मुसलमान किसी अहले क़बीला के यहाँ मेहमान बनकर जाए सारी रात गुज़र जाए लेकिन वह लोग उसकी मेहमानदारी न करें तो हर मुसलमान पर उस मेहमान की नुसरत ज़रूरी है उस शख़्स के माल से उसकी खेत से बक़द्र उसकी मेहमानी दिलवा दें।'' (मुस्नद अहमद : 4/134; अबूदाऊद, किताबुल अत्इमा, बाब मा जाअ फ़िज़्ज़ियाफ़ति : 3751; वहुव हसन; हाकिम : 4/132) मुस्नद अहमद की हदीस में है ''ज़ियाफ़त की रात हर मुसलमान पर वाजिब है अगर कोई मुसाफिर सुबह तक महरूम रह जाए तो यह उस मेज़बान के ज़िम्मे क़र्ज़ है, ख़्वाह अदा करे ख़्वाह बाक़ी रखे। (मुस्नद अहमद : 4/133; अबूदाऊद, किताबुल अत्इमा, बाब मा जाअ फ़िज़्ज़ियाफ़ति : 3750; वसनदुहू सहीहुन; इब्ने माजा : 3677; मुश्किलुल आसार : 4/39; शैख़ अल्बानी (रह.) ने इसकी सनद को सहीह क़रार दिया है। (सिलसिलतुस्सहीहा : 2204) इन हदीसों की वजह से इमाम अहमद (रह.) वग़ैरह का मज़हब है कि ज़ियाफ़त वाजिब है।

अबूदाऊद वग़ैरह में है कि एक शख़्स ख़िदमते नबवी (ﷺ)में हाज़िर होकर अर्ज़ करता है कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! मुझे मेरा पड़ोसी बहुत ईज़ा पहुँचाता है। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ''जा! एक काम कर अपना कुल माल व अस्बाब घर से निकालकर बाहर रख दे।'' उसने ऐसा ही किया और रास्ते पर अस्बाब डाल कर वहीं बैठ गया। अब जो गुज़रता है वह पूछता है क्या बात है? यह कहता है मेरा पड़ौसी मुझे सताता है मैं तंग आ गया हूँ। वह उसे बुरा भला कहता है, कोई कहता है अल्लाह की मार उस पर, कोई कहता है अल्लाह ग़ारत करे। जब पड़ौसी को अपनी इस तरह की रुस्वाई का हाल मालूम हुआ तो उसके पास आया, मिन्नतें करके ले गया कि अपने घर चलो! अल्लाह की क़सम! अब मरते दम तक आपको किसी तरह न सताऊँगा। (अबूदाऊद, किताबुल अदब, बाब फ़ी हक़्क़िल जवार : 5153; वसनदुहू हसन; हाकिम : 4/160; इब्ने हिब्बान : 520; अल्अदबुल मुफ़रद : 124; शैख़ अल्बानी (रह.) ने इस रिवायत को अल्अदबुल मुफ़रद की तख़रीज में हसन सहीह क़रार दिया है। देखिए (1/56)) फिर इर्शाद है कि ''ऐ लोगों! तुम किसी नेकी को ज़ाहिर करो तो और पोशीदा करो तो, तुम पर किसी ने ज़ुल्म किया हो और तुम उससे दरगुज़र करो तो अल्लाह तआला के पास तुम्हारे लिए बड़ा सवाब, पूरा अज्र और आला दर्जे हैं।'' वह ख़ुद भी माफ़ करने वाला है और बन्दों की भी यह आदत उसे भाती है। बावजूद इंतिक़ाम की क़ुदरत के फिर भी माफ़ फ़र्माता रहता है। एक रिवायत में है ''अर्श के उठाने वाले फ़रिश्ते अल्लाह की तस्बीह करते रहते हैं।'' (

कुछ तो कहते हैं (سبحانك على حلمك بعد علمك) ऐ अल्लाह! तेरी ज़ात पाक है कि तू बावजूद जानने के फिर भी बुर्दबारी और चश्मपोशी करता है। कुछ कहते हैं (سبحانك على عفوك بعد قدرتك) ऐ अल्लाह! क़ुदरत के बावजूद दरगुज़र करने वाले ऐ अल्लाह! तमाम पाकियाँ तेरी ज़ात के लायक़ हैं। सही़ह ह़दीस में है ''सदक़ा और ख़ैरात से किसी का माल घटता नहीं, अफ़ू दरगुज़र करने और माफ़ कर देने से अल्लाह तआला और इज़्ज़त बढ़ाता है। और जो शख़्स अल्लाह के हुक्म से तवाज़ोअ, फ़रोतनी और आजिज़ी करे अल्लाह उसके मर्तबे और उसकी तौक़ीर और बढ़ा देता है।'' (सही़ह मुस्लिम, किताबुल बिर्र, बाब इस्तिहबाबिल अफ़ू वत्तवाज़ोअ : 2588; तिर्मिज़ी : 2029; अह़मद : 2/235; इब्ने ह़िब्बान : 3248; इब्ने ख़ुज़ैमा : 2438; बैहक़ी : 4/187; सुननुल कुब्रा : 4/187; शोअ़बुल ईमान : 3411; बग़वी : 1633; दारमी : 1676; मुस्नद अबी यअ़ला : 6458)

***

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ
وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَٰلِكَ
سَبِيلًا ﴿١٥٠﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴿١٥١﴾
وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَٰئِكَ سَوْفَ
يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٥٢﴾

तर्जुमा : ''जो लोग अल्लाह तआला के साथ और उसके पैग़म्बरों के साथ कुफ़्र करते हैं और जो लोग यह चाहते हैं कि अल्लाह के और उसके रसूलों के बीच फ़र्क़ रखें और जो लोग कहते हैं, कुछ नबियों पर तो हमारा ईमान है और कुछ पर नहीं और चाहते हैं कि उसके और इसके बीच कोई राह निकालें (150) यक़ीन मानो कि यह सब लोग असली काफ़िर हैं। और काफ़िरों के लिए हमने एहानत आमेज़ सज़ा तैयार कर रखी है। (151) और जो लोग अल्लाह पर और उसके तमाम पैग़म्बरों पर ईमान लाते हैं और उनमें से किसी में फ़र्क़ नहीं करते, यह हैं जिन्हें अल्लाह तआला उनके पूरे सवाब देगा। अल्लाह बड़ी मग़्फ़िरत वाला बड़ी रह़मत वाला है।'' (152)

तमाम अम्बिया पर ईमान लाना ज़रूरी है (आयत 150-152) : इस आयत में बयान हो रहा है कि एक नबी को भी जो न माने वह काफ़िर है। यहूदी सिवाए हज़रत ईसा (ﷺ) और हज़रत मुहम्मद (ﷺ) के और तमाम नबियों को मानते थे, नसरानी अफ़ज़लुर्रुसुल ख़ातिमुल अम्बिया हज़रत मुहम्मद (ﷺ) के सिवा और अम्बिया (ﷺ) पर ईमान रखते थे, सामरी, युशअ (ﷺ) के बाद किसी की नबुव्वत का क़ाइल न था। हज़रत युशअ (ﷺ) हज़रत मूसा बिन इमरान (ﷺ) के ख़लीफ़ा थे। मजूसियों की निस्बत मशहूर है कि वह अपना नबी ज़र्दश्त को मानते थे लेकिन उनकी शरीअत के जब यह मुंकिर हो गए तो अल्लाह तआला ने वह शरीअत ही उनसे उठा ली, वल्लाहु आलम! पस यह लोग हैं जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूलों में फ़र्क़ किया यानी किसी नबी को माना किसी का इंकार कर दिया। किसी दलीले इलाही की बिना पर नहीं बल्कि महज़ अपनी नफ़्सानी ख़्वाहिश, जोश तास्सुब और तक़्लीदे आबाई की वजह से। इससे यह भी मालूम हुआ कि एक नबी को न मानने वाला अल्लाह के नज़दीक तमाम नबियों का मुंकिर है, इसलिए कि अगर और अम्बिया को बवजह उनके नबी होने के मानता तो उस नबी का मानना भी उसी वजह से उस पर ज़रूरी था। जब वह एक को नहीं मानता तो मालूम हुआ कि जिन्हें वह मानता है उन्हें भी किसी दुनियावी ग़र्ज़ से मानता है। पस उनकी शरीअत मानने न मानने के बीच की है यह यक़ीनी और हत्मी कुफ़्फ़ार हैं। किसी नबी पर इनका शरई ईमान नहीं बल्कि तक़्लीदी और तास्सुबी ईमान है जो क़ाबिले क़बूल नहीं। पस इन कुफ़्फ़ार को एहानत और रुस्वाई वाले अज़ाब होंगे क्योंकि जिन पर यह ईमान न लाकर उनकी तौहीन करते थे उसका बदला यही है कि इनकी तौहीन हो और इन्हें ज़िल्लत वाले अज़ाब में डाला जाए, इनके ईमान न लाने की वजह ख़्वाह ग़ौरो फ़िक्र न करके नबुव्वत की तस्दीक़ न करना हो, ख़्वाह हक़ वाज़ेह हो चुकने के बाद दुनियावी वजह से चेहरा फेरकर नबुव्वत से इंकार किया जाना हो। जैसे अकसर यहूदी उलमा का शेवा हुज़ूर (ﷺ) के बारे में था कि महज़ हसद की वजह से आपकी अज़ीमुश्शान नबुव्वत के मुंकिर हो गए और आप (ﷺ) की मुख़ालिफ़त व अदावत में आकर मुक़ाबले पर तुल गए। पस अल्लाह तआला ने उन पर दुनिया की ज़िल्लत भी डाली और आख़िरत की ज़िल्लत की मार भी उनके लिए तैयार कर रखी है। फिर उम्मते मुहम्मदिया **अला साहिबिहस्सलातु वत्तस्लीम** की तारीफ़ हो रही है कि रब पर ईमान रखकर तमाम अम्बिया (ﷺ) को बिला तफ़्रीक़ किये मानते हैं, अल्लाह की इस आख़िरी किताब पर ईमान लाकर और तमाम आसमानी किताबों को भी अल्लाह की किताबें तस्लीम करते हैं। जैसे एक आयत में है **(कुल्लुन आमना बिल्लाहि)** फिर उनके लिए जो अज्रे जमील और सवाबे अज़ीम उसने तैयार कर रखे हैं उसे भी बयान फ़र्मा दिया कि इनके पूरे ईमान की वजह से इन्हें अज्रो सवाब अता होंगे। अगर इनसे कोई गुनाह भी सरज़द हो गया तो अल्लाह तआला मुआफ़ करेगा और इन पर अपनी रहमत की बारिश करेगा।

***

يَسْـَٔلُكَ اَهْلُ الْكِتٰبِ اَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتٰبًا مِّنَ السَّمَآءِ فَقَدْ سَاَلُوْا مُوْسٰى
اَكْبَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَقَالُوْٓا اَرِنَا اللّٰهَ جَهْرَةً فَاَخَذَتْهُمُ الصّٰعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ۚ ثُمَّ اتَّخَذُوا
الْعِجْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذٰلِكَ ۚ وَاٰتَيْنَا مُوْسٰى
سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا ﴿١٥٣﴾ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّوْرَ بِمِيْثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ
سُجَّدًا وَّقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوْا فِى السَّبْتِ وَاَخَذْنَا مِنْهُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا ﴿١٥٤﴾

तर्जुमा : "तुझसे यह अहले किताब दरख़्वास्त करते हैं कि तू इनके पास कोई आसमानी किताब लावे। हज़रत मूसा (عليه السلام) से तो इन्होंने इससे बहुत बड़ी दरख़्वास्त की थी, कहा था कि तू हमें खुल्लम खुल्ला अल्लाह तआला को दिखा दे पस इनके इस ज़ुल्म के सबब इन पर कड़ाके की बिजली आ पड़ी। फिर बावजूद यह कि इनके पास बहुत दलीलें पहुँच चुकीं थीं इन्होंने बछड़े को अपना माबूद बना लिया लेकिन हमने यह भी मुआफ़ कर दिया और हमने मूसा (عليه السلام) को खुला ग़लबा और स़रीह़ दलील इनायत फ़र्माई। (153) और इनका क़ौल लेने के लिए हमने इनके सरों पर तूर पहाड़ ला खड़ा कर दिया और इन्हें हुक्म दिया कि सज्दा करते हुए दरवाज़े में जाओ और यह भी फ़र्माया कि हफ़्ता के दिन में तजावुज़ न करना और हमने इनसे सख़्त से सख़्त क़ौल व क़रार लिए।" (154)

यहूदी हज़रत मूसा (عليه السلام) और ईसा (عليه السلام)के गुस्ताख़ हैं (आयत 153, 154) : यहूदियों ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से कहा कि जिस तरह हज़रत मूसा (عليه السلام) अल्लाह की तरफ़ से तौरात एक साथ लिखी हुई हमारे पास लाए, आप भी कोई आसमानी किताब पूरी लिखी लिखाई ले आइए। यह भी मरवी है कि इन्होंने कहा था कि हमारे नाम अल्लाह तआला ख़त़ भेजे कि हम आपकी नबुव्वत को मान लें। यह सवाल भी इनका बदनिय्यती से बतौर मज़ाक़ के और बतौर कुफ़्र के था। जैसे कि अहले मक्का ने भी इसी तरह का एक सवाल किया था जो सूरह इस्रा में मज़्कूर है कि "जब तक अ़रब की सरज़मीन पर दरियाओं के रेल-पेल और तरोताज़गी न हो जाए हम आप पर ईमान नहीं लाएँगे।" पस बतौर तसल्ली के आँह़ज़रत (ﷺ) से अल्लाह तआला फ़र्माता है, इनकी इस सरकशी और बेजा सवाल पर आप रंजीदा ख़ातिर न हों , इनकी यह बुरी आदत पुरानी है। इन्होंने ह़ज़रत मूसा (عليه السلام) से इससे भी ज़्यादा बेहूदा सवाल किया था कि हमें अल्लाह तआला को दिखाओ, इस तकब्बुर, सरकशी और फ़िज़ूल सवाल की पादाश भी यह भुगत चुके हैं यानी इन पर आसमानी

बिजली गिरी थी। जैसे सूरह बक़रह में तफ़्सीलवार बयान गुज़र चुका है, मुलाहिज़ा हो (وَاِذْ قُلْتُمْ يٰمُوْسٰى لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى نَرَى اللّٰهَ جَهْرَةً) (2/बक़रह : 55) यानी "जब तुमने कहा था कि ऐ मूसा (عليه السلام)! हम तुझ पर हर्गिज़ ईमान न लाएँगे जब तक कि अल्लाह तआ़ला को हम साफ़ तौर पर अपनी आँखों से न देख लें। पस तुम्हें बिजली के कड़ाके ने पकड़ लिया और एक दूसरे के सामने सब हलाक हो गए। फिर भी हमने तुम्हारी मौत के बाद फिर तुम्हें ज़िन्दा कर दिया ताकि तुम शुक्र करो।" फिर फ़र्माता है कि "बड़ी-बड़ी निशानियाँ देख चुकने के बाद भी इन लोगों ने बछड़े को पूजना शुरू कर दिया।" मिस्र में अपने दुश्मन फ़िरऔन का हज़रत मूसा (عليه السلام) के मुक़ाबले में हलाक होना, उसके तमाम लश्करों का नामुरादी की मौत मरना और उनका उस दरिया में से बचकर पार निकल आना, अभी-अभी इनकी निगाहों के सामने हुआ था लेकिन वहाँ से कुछ दूर जाकर बुतपरस्त को बुतपरस्ती करते हुए देखकर अपने पैग़म्बर (عليه السلام) से कहते हैं, हमारा भी एक ऐसा ही माबूद बना दो जिसका पूरा बयान सूरह आ'राफ़ में है और सूरह ताहा में भी।

हज़रत मूसा (عليه السلام) अल्लाह तआ़ला से मुनाजात करते हैं। इनकी तौबा की क़ुबूलियत की यह सूरत ठहरती है कि जिन्होंने गौशाला परस्ती नहीं की वह गौशाला परस्तों को क़त्ल करें जब क़त्ल शुरू हो जाता है तो अल्लाह तआ़ला उनकी तौबा क़बूल करता है और मरे हुओं को भी दोबारा ज़िन्दा कर देता है। पस यहाँ फ़र्माता है "हमने उससे भी दरगुज़र किया और यह जुर्मे अ़ज़ीम भी बख़्श दिया और मूसा (عليه السلام) को ज़ाहिर हुज्जत और ग़लबा इनायत फ़र्माया" और जब इन लोगों ने तौरात के अहकाम मानने से इंकार कर दिया, हज़रत मूसा (عليه السلام) की फ़र्मांबरदारी से बेज़ारी ज़ाहिर की तो इनके सरों पर तूर पहाड़ को मुअल्लक़ कर दिया और इनसे कहा कि अब बोलो, पहाड़ गिराकर दबा दूँ या अहकाम क़बूल करते हो? तो यह सब सज्दे में गिर पड़े और गिरयावज़ारी शुरू की और अहकामे इलाही बजा लाने का मज़बूत अहदो पैमान किया यहाँ तक दिल में दहशत थी कि सज्दे में भी कंखियों से ऊपर को देख रहे थे कि कहीं पहाड़ न गिर पड़े और दबकर न मर जाएँ, फिर पहाड़ हटा लिया गया। इनकी दूसरी सरकशी का बयान हो रहा है कि क़ौल व फ़ेल दोनों को बदल दिया। हुक्म मिला था कि बैतुल मक़्दिस के दरवाज़े में सज्दे करते हुए जाएँ और (हित्ततुन) कहें यानी "ऐ अल्लाह! हमारी ख़ताएँ बख़्श" कि हमने जिहाद छोड़ दिया और थककर बैठ गए जिसकी सज़ा में चालीस साल मैदान "तीह" में सरगश्ता और हैरान व परेशान रहे लेकिन इनकी कमज़र्फ़ी का यहाँ भी मुज़ाहिरा हो रहा है और अपनी रानों के बल घसीटते हुए दरवाज़े में जाने लगे और हिन्ततुन फ़ी शिअ़रतिन कहने लगे यानी गेहूँ की बालीं हमें दे। फिर इनकी और शरारत सुनिए कि हफ़्ता वाले दिन की ताज़ीम व तक्रीम करने का इनसे वादा लिया गया और मज़बूत अहदो पैमान हो गया लेकिन इन्होंने इसकी भी मुख़ालिफ़त की और नाफ़र्मानी पर कमरबस्ता हो कर हुर्मत के इर्तिकाब के हीले निकाल लिए जैसे कि सूरह आ'राफ़ में मुफ़स्सल बयान है। मुलाहिज़ा हो आयत (وَسْـَٔلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِيْ كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ) (7/आ'राफ़ : 163) एक हदीस में भी है कि "यहूदियों से ख़ुसूसी तौर पर अल्लाह तआ़ला ने हफ़्ता वाले दिन की ताज़ीम का अहद लिया था।" (तिर्मिज़ी, किताबुल अदब, बाब मा जाअ फ़ी क़िब्लतिल यदि वर्रिज्ल : 2732; वसनदुहू हसन) यह पूरी हदीस सूरह इस्रा की आयत (وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى تِسْعَ اٰيٰتٍ) (17/इस्रा : 101) की तफ़्सीर में आएगी, इंशाअल्लाह तआ़ला!

فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيْثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَقَتْلِهِمُ الْاَنْۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ
وَّقَوْلِهِمْ قُلُوْبُنَا غُلْفٌ ؕ بَلْ طَبَعَ اللّٰهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿۱۵۵﴾
وَّبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلٰى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيْمًا ﴿۱۵۶﴾ وَّقَوْلِهِمْ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيْحَ
عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ۚ وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ وَلٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ ؕ وَاِنَّ
الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِيْهِ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ ؕ مَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ اِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ ۚ وَمَا
قَتَلُوْهُ يَقِيْنًا ﴿۱۵۷﴾ بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ﴿۱۵۸﴾ وَاِنْ مِّنْ اَهْلِ
الْكِتٰبِ اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ ۚ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكُوْنُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا ﴿۱۵۹﴾

तर्जुमा : ''(यह सज़ा) ब सबब इनकी वादाख़िलाफ़ी के और अहकामे-इलाही के साथ कुफ़्र करने के और अल्लाह के नबियों को नाहक़ क़त्ल कर डालने के और यूँ कहते हैं कि हमारे दिलों पर ग़िलाफ़ है। हालाँकि दरअसल उनके कुफ़्र की वजह से उन पर अल्लाह तआला ने मुहर लगा दी है पस यह क़द्रे क़लील ही ईमान लाते हैं। (155) और इनके कुफ़्र के सबब और मरयम (عليها السلام) पर बहुत बड़ा बोहतान बाँधने के सबब (156) और यूँ कहने के सबब कि हमने अल्लाह के रसूल मसीह बिन मरयम (عليه السلام) को क़त्ल कर दिया, हालाँकि न तो उन्होंने क़त्ल किया न सूली पर चढ़ाया बल्कि उनके लिए वही सूरत बना दी गई थी यक़ीन जानो कि ईसा (عليه السلام) के बारे में इख़्तिलाफ़ करने वाले उनके हाल में शक में हैं। इन्हें इसका कोई यक़ीन नहीं बजुज़ तख़मीनी बातों पर अमल करने के, इतना यक़ीनी है कि इन्होंने इसे क़त्ल नहीं किया। (157) बल्कि अल्लाह तआला ने इन्हें अपनी तरफ़ उठा लिया है, अल्लाह तआला बड़ा ज़बरदस्त और पूरी हिक्मतों वाला है। (158) अहले किताब में एक भी ऐसा न बचेगा जो हज़रत ईसा (عليه السلام) की मौत से पहले उन पर ईमान न ला चुके और क़यामत के दिन आप उन पर गवाह होंगे।''(159)

हज़रत ईसा (عليه السلام) क़त्ल हुए न सूली पर चढ़ाए गए (आयत 155-159) : अहले किताब के उन गुनाहों का बयान हो रहा है जिनकी वजह से वह अल्लाह की रहमतों से दूर डाल दिए गए। मलऊन व मतरूद

हो गए। पहले तो इनकी वादाख़िलाफ़ी की जो वादे अल्लाह से इन्होंने किए थे उन पर क़ायम न रहे, दूसरी अल्लाह की आयतों यानी हुज्जत व दलील और नबियों के मुजिज़ों से इंकार व कुफ़्र, तीसरे बवजह नाहक़ अम्बिया-ए-किराम का क़त्ल व ख़ून। अल्लाह के रसूलों की एक बड़ी जमाअत इनके हाथों क़त्ल हुई। चौथे इनका यह और यह क़ौल कि हमारे दिल ग़िलाफ़ों में हैं, यानी पर्दे में हैं जैसे मुश्रिकीन ने कहा था (وَقَالُوْا قُلُوْبُنَا فِيْٓ اَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُوْنَآ اِلَيْهِ) (41/हामीम सज्दा : 5) यानी "ऐ नबी! तेरी दावत से हमारे दिल पर्दे में हैं।" और यह भी कहा गया है कि इनके इस क़ौल का मतलब यह है कि हमारे दिल इल्म के बर्तन हैं वह इल्म व इरफ़ान से भरे हैं। सूरह बक़रह में भी इसकी नज़ीर गुज़र चुकी है। अल्लाह तआला इनके इस क़ौल की तर्दीद करता है कि यूँ नहीं बल्कि उन पर अल्लाह तआला ने मुहर लगा दी है, क्योंकि यह कुफ़्र में पुख़्ता हो चुके थे। पस पहली तफ़्सीर की बिना पर यह मतलब हुआ कि वह उ़ज़्र करते थे कि हमारे दिल बवजह इन पर ग़िलाफ़ होने के नबी (ﷺ) की बातों को याद नहीं कर सकते तो उन्हें जवाब दिया गया कि ऐसा नहीं, बल्कि तुम्हारे कुफ़्र की वजह से तुम्हारे दिल मस्ख़ हो गए हैं और दूसरी तफ़्सीर की बिना पर तो जवाब हर तरह ज़ाहिर है, सूरह बक़रह की तफ़्सीर में इसकी पूरी तफ़्सील व तशरीह गुज़र चुकी है। पस बतौर नतीजे के फ़र्मा दिया कि अब इनके दिल कुफ़्र व सरकशी और ईमान की कमी पर ही रहेंगे।

फिर इनका पाँचवाँ जुर्मे अज़ीम बयान हो रहा है कि इन्होंने सय्यदा मरयम (عليها السلام) पर ज़िनाकारी जैसी बदतरीन व शर्मनाक तोहमत लगाई। और इसी ज़िनाकारी के अमल से हज़रत ईसा (عليه السلام) को पैदाशुदा बतलाया। कुछ ने इससे भी एक क़दम आगे रखा और कहा कि यह बदकारी हैज़ की हालत में हुई थी। अल्लाह की इन पर फटकार हो कि इनकी बदज़ुबानी से अल्लाह के मक़्बूल बन्दे भी न बच सके। फिर इनका छठा गुनाह बयान हो रहा है कि यह बतौर मस्ख़री और अपनी बड़ाई के यह हाँक भी लगाते हैं कि हमने (हज़रत) ईसा (عليه السلام) को मार डाला जैसे कि बतौर मस्ख़री मुश्रिकीन हुज़ूर (ﷺ) से कहते थे कि ऐ वह शख़्स जिस पर क़ुरआन उतारा गया है तू तो मज्नून है। पूरा वाक़िया यह है कि जब अल्लाह तआला ने हज़रत ईसा (عليه السلام) को नबुव्वत से सरफ़राज़ फ़र्माकर भेजा और आपके हाथ पर बड़े-बड़े मुजिज़े दिखलाए मस्लन पैदाइशी अंधों को बीना करना, कोढ़ियों को अच्छा करना, मुर्दों को ज़िन्दा करना, मिट्टी के परिन्द बनाकर फुंक मारना और उनका जानदार हो कर उड़ जाना वग़ैरह तो यहूदियों को बहुत तैश आया और यह मुख़ालिफ़त पर कमरबस्ता हो गए और हर तरह से ईज़ारसानी शुरू कर दी, आपकी ज़िन्दगी तंग कर दी। किसी बस्ती में चंद दिन आराम करना भी आपको नसीब न हुआ, सारी उ़म्र जंगलों और बयाबानों में अपनी वालिदा के साथ सियाहत में गुज़ारी फिर भी इन्हें चेन न आया और यह उस ज़माने के दमिश्क़ के बादशाह के पास गए, यह सितारापरस्त मुश्रिक था, उस मज़हब वालों को उस वक़्त यूनान कहा जाता था। यहाँ आकर यह बहुत रोये पीटे और बादशाह को हज़रत ईसा (عليه السلام) के ख़िलाफ़ उक्साया और कहा कि यह शख़्स बड़ा मुफ़्सिद है (नऊज़ुबिल्लाह), लोगों को बहका रहा है। रोज़ नए फ़ित्ने खड़े करता है। अमन में ख़लल डालता है और लोगों को बग़ावत सिखाता है वग़ैरह। बादशाह ने अपने गवर्नर को जो बैतुल मक़्दिस में था, एक फ़र्मान लिखा कि वह (हज़रत) ईसा (عليه السلام) को गिरफ़्तार कर ले और सूली पर चढ़ाकर और उसके सर पर कांटों का ताज रखकर लोगों को इस दुख से नजात दिलवाए। उसने फ़र्माने शाही पढ़कर यहूदियों के एक गिरोह को अपने साथ लेकर उस मकान का मुहासिरा कर लिया, जिसमें ईसा (عليه السلام) थे। आपके साथ उस वक़्त बारह, तेरह या ज़्यादा से ज़्यादा सत्रह

आदमी थे। जुम्आ के दिन अस़र के बाद उसने मुहासिरा कर लिया और हफ़्ता की रात तक मकान को घेरे में लिए रखा।

जब हज़रत ईसा (عليه السلام) ने यह महसूस कर लिया कि या तो वह मकान में घुसकर आपको गिरफ़्तार कर लेंगे या आपको ख़ुद बाहर निकलना पड़ेगा तो आप (عليه السلام) ने अपने सहाबा से फ़र्माया, तुममें से कौन इस बात को पसंद करता है कि उस पर मेरी मुशाबिहत डाल दी जाए यानी उसकी सूरत अल्लाह तआला मुझ जैसी बना दे और वह उनके हाथों गिरफ़्तार हो और मुझे अल्लाह ख़ुलासी दे, मैं उसके लिए जन्नत का ज़ामिन हूँ। यह सुनकर एक नौजवान ने कहा, मुझे मंज़ूर है। लेकिन हज़रत ईसा (عليه السلام) ने उन्हें इस क़ाबिल न जानकर दोबारा यही कहा, तीसरी दफ़ा कहा, मगर हर मर्तबा सिर्फ़ यही तैयार हुए। अब आपने भी मंज़ूर कर लिया और देखते ही देखते उसकी सूरत कुदरतन बदल गई, बिलकुल यह मालूम होने लगा कि हज़रत ईसा (عليه السلام) यही हैं और छत की तरफ़ रोज़न (रोशनदान) नमूदार हो गया और हज़रत ईसा (عليه السلام) पर ऊँघ की हालत तारी हो गई और इसी तरह वह आसमान पर उठाए गए। जैसे कुरआन करीम में है (إِذْ قَالَ اللَّهُ يٰعِيسَىٰٓ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ) (3/आले इमरान : 55) यानी "जब अल्लाह तआला ने फ़र्माया, ऐ ईसा (عليه السلام)! मैं तुझे पूरा पूरा लेने वाला हूँ और अपनी तरफ़ उठाने वाला हूँ..." हज़रत रूहुल्लाह (عليه السلام) के आसमान पर उठाए जाने के बाद यह लोग उस घर से बाहर निकले। यहूदियों की जमाअत ने उस बुज़ुर्ग सहाबी को जिस पर जनाब मसीह (عليه السلام) की शबाहत डाल दी गई थी, ईसा (عليه السلام) समझकर पकड़ लिया और रातों रात उसे सूली पर चढ़ाकर उसके सर पर कांटों का ताज रख दिया। अब यहूद ख़ुशियाँ मनाने लगे कि हमने ईसा बिन मरयम (عليه السلام) को क़त्ल कर दिया और मज़ा तो यह है कि ईसाइयों की कमअक़्ल और जाहिल जमाअत ने भी यहूदियों की हाँ में हाँ मिला दी। हाँ! सिर्फ़ वह लोग जो मसीह (عليه السلام) के साथ उस मकान में थे और जिन्हें यक़ीनी तौर पर मालूम था कि मसीह (عليه السلام) आसमान पर चढ़ा लिए गए हैं और फ़लाँ शख़्स है जो धोखे में उनकी जगह शहीद हो गये, बाक़ी ईसाई भी यहूदियों की सी राग अलापने लगे, यहाँ तक कि फिर यह भी गढ़ लिया कि ईसा (عليه السلام) की वालिदा सूली तले बैठकर रोती चिल्लाती रहीं और यह भी कहते हैं कि आपने उनसे कुछ बातें भी कीं, वल्लाहु आलम!

दरअसल यह सब बातें अल्लाह की तरफ़ से अपने बन्दों का इम्तिहान हैं जो उसकी हिक्मते बालिग़ा का तक़ाज़ा है पस इस ग़लती को अल्लाह तआला ने वाज़ेह और ज़ाहिर करके हक़ीक़ते हाल से अपने बन्दों को ख़बरदार कर दिया और अपने सबसे बेहतर रसूल और बड़े मर्तबे वाले पैग़म्बर (ﷺ) की ज़ुबानी अपने पाक सच्चे और बेहतरीन कलाम में साफ़ कर दिया कि हक़ीक़तन न किसी ने हज़रत ईसा (عليه السلام) को क़त्ल किया, न सूली दी बल्कि उनके शबीह जिस शख़्स पर डाली गई थी उसे वह ईसा (عليه السلام) ही समझ बैठे जो यहूद व नसारा आपके क़त्ल के क़ाइल हो गए हैं वह सबके सब शक व शुबा और हैरत व ज़लालत में मुब्तला हैं, इनके पास कोई दलील नहीं, न इन्हें ख़ुद कुछ इल्म है। सिर्फ़ अटकल पच्चू, सुनी सुनाई बातों की तक़्लीदी चाल के सिवा कोई दलील नहीं, इसलिए फिर इसके साथ फ़र्मा दिया कि यह यक़ीनी अम्र है कि रूहुल्लाह (عليه السلام) को किसी ने क़त्ल नहीं किया, बल्कि जनाब बारी तआला ने जो ग़ालिब तर है और जिसकी कुदरतें

बन्दों के फ़हम में भी नहीं आ सकतीं और जिसकी हिक्मतों की तह तक और जिसके कामों की लम तक कोई नहीं पहुँच सकता, अपने ख़ास बन्दे को जिन्हें अपनी रूह कहा था अपने पास उठा लिया।

हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़र्माते हैं जब अल्लाह तआला ने हज़रत ईसा (अलैहि.) को आसमान पर उठाना चाहा तो आप घर में आए, उस वक़्त घर में बारह हवारी थे, आपके बालों से पानी के क़तरे टपक रहे थे, आपने फ़र्माया, "तुममें कुछ ऐसे हैं जो मुझ पर ईमान ला चुके हैं मगर बारह-बारह बार मुझसे कुफ़्र करेंगे।" फिर आप (सल्ल.) ने फ़र्माया, "तुममें से कौन शख़्स इसे पसंद करता है कि उस पर मेरी शबीह डाली जाए और मेरी जगह वह क़त्ल कर दिया जाए और जन्नत में मेरा दोस्त बने।" इस रिवायत में यह भी है कि हज़रत रूहुल्लाह की पेशगोई के मुताबिक़ कुछ ने आपसे बारह बारह बार कुफ़्र किया, फिर उनके तीन गिरोह हो गए, याक़ूबिया, नस्तूरिया और मुसलमान। याक़ूबिया तो कहने लगे, ख़ुद अल्लाह हममें था जब तक चाहा रहा, फिर आसमान पर चढ़ गया, नस्तूरिया का ख़्याल हो गया कि अल्लाह का लड़का हममें था जिसे एक ज़माना तक हममें रखकर फिर अल्लाह तआला ने अपने पास चढ़ा लिया, और मुसलमानों का अक़ीदा रहा कि अल्लाह का बन्दा और रसूल हममें था, जब तक अल्लाह ने चाहा हममें रहा, और फिर अल्लाह ने उसे अपनी तरफ़ उठा लिया। इन पहले दो गुमराह फ़िर्क़ों का ज़ोर हो गया और उन्होंने तीसरे सच्चे और अच्छे फ़िर्क़े को कुचलना और दबाना शुरू किया। चुनाँचे यह कमज़ोर होते गए यहाँ तक कि अल्लाह तआला ने पैग़म्बर (सल्ल.) को मब्ऊस फ़र्माकर इस्लाम को ग़ालिब किया। (इब्ने अबी हातिमः 4/1110) इसकी इस्नाद बिलकुल सहीह हैं और नसाई में हज़रत अबू मुआविया (रह.) से भी मंक़ूल है। इसी तरह सल्फ़ में से बहुत से बुज़ुर्गों का क़ौल है। हज़रत वहब बिन मुनब्बा (रह.) फ़र्माते हैं कि जिस वक़्त शाही सिपाही और यहूदी हज़रत ईसा (अलैहि.) पर चढ़कर आए और मुहासिरा में ले लिया उस वक़्त आपके साथ सत्रह हवारी थे। उन लोगों ने जब दरवाज़े खोलकर देखा तो सब लोग हज़रत ईसा (अलैहि.) की शक्लो सूरत के हैं वह यह देखकर कहने लगे कि तुम लोगों ने हम पर जादू कर दिया है अब या तो जो हक़ीक़ी ईसा (अलैहि.) हों, हमें सौंप दो या इसे मंज़ूर कर लो कि हम तुम सबको क़त्ल कर डालेंगे। यह सुनकर रूहुल्लाह (अलैहि.) ने फ़र्माया कि कोई है जो जन्नत में मेरा दोस्त बनना और यहाँ मेरे बदले सूली पर चढ़ना मंज़ूर कर ले? एक सहाबी इसके लिए तैयार हो गए और कहने लगे, ईसा (अलैहि.)! मैं ही हूँ। चुनाँचे दुश्मनाने दीन ने उन्हें गिरफ़्तार किया, क़त्ल किया और सूली पर चढ़ाया और फिर बग़लें बजाने लगे कि हमने ईसा (अलैहि.) को क़त्ल कर दिया हालाँकि दरअसल ऐसा नहीं हुआ बल्कि वह धोखे में पड़ गए और अल्लाह ने अपने रसूल (अलैहि.) को उसी वक़्त अपने पास बुलाकर रिफ़अत बख़्शी।

तफ़सीर इब्ने जरीर में है कि जब अल्लाह तआला ने हज़रत ईसा (अलैहि.) को ख़बर दी कि वह दुनिया से वापिस होने वाले हैं, तो आप पर बहुत गिराँ गुज़रा और मौत की घबराहट बढ़ गई तो आपने अपने हवारियों की दावत की, खाना तैयार किया और सबसे कह दिया कि आज रात को मेरे पास तुम सब ज़रूर आना, मुझे एक ज़रूरी काम है। जब हवारिय्यीन आए तो ख़ुद खाना खिलाया, सब काम काज अपने हाथों करते रहे। जब वह खाने से फ़ारिग़ हुए तो ख़ुद उनके हाथ धुलाए और अपने कपड़े से उनके हाथ पोंछे, यह उन पर गिराँ गुज़रा

और अच्छा मालूम न हुआ लेकिन आपने फ़र्माया, सुनो! ''इस रात मैं जो कुछ कर रहा हूँ अगर तुममें से किसी ने मुझे इससे रोका तो मेरा उससे कुछ वास्ता नहीं न वह मेरा न मैं उसका।'' चुनाँचे तमाम मुअतक़िदीने मसीह (अलैहि०) ख़ामोश हो गए और जब आप उस इज़्ज़त अफ़्ज़ा दावत के कामों से फ़ारिग़ हो गए तो फ़र्माया, देखो! ''तुम्हारे नज़दीक मैं तुम सबमें ज़्यादा मर्तबे वाला हूँ, इसके बावजूद मैंने ख़ुद तुम्हारी ख़िदमत की है यह इसलिए कि तुम मेरी सुन्नत पर आमिल बन जाओ। ख़बरदार! तुममें से कोई अपने आपको अपने भाईयों से बड़ा न समझे बल्कि हर बड़े छोटे की ख़िदमत करे जिस तरह मैं ने ख़ुद तुम्हारी की है। अब तुमसे मेरा ख़ास काम था और जिसकी वजह से मैंने आज तुम्हें बुलाया है वह भी सुन लो कि तुम सब मिलकर आज रात भर ख़ुशूअ ख़ुज़ूअ से मेरे लिए दुआएँ करो कि अल्लाह तआला मेरी अजल को मुअख़्ख़र कर दे।'' चुनाँचे सबने दुआएँ कीं, लेकिन ख़ुशूअ व ख़ुज़ूअ का वक़्त आने से पहले ही ऐसी बेतरह उन्हें नींद आने लगी कि ज़ुबान से एक लफ़्ज़ निकालना मुश्किल हो गया। आप उन्हें बेदार करने लगे और एक एक को झिंझोड़कर कहने लगे ''तुम्हें क्या हो गया है? एक रात भी जाग नहीं सकते? मेरी कुछ मदद नहीं करते?'' लेकिन सबने जवाब दिया, ऐ रसूलुल्लाह (अलैहि०)! हम ख़ुद हैरान हैं कि यह क्या हो रहा है? एक ही नहीं, बल्कि कई कई रातें जागते थे। जागने के आदी हैं, लेकिन रब जाने आज क्या बात है कि बेतरह की नींद ने घेर लिया है? दुआ के और हमारे दरम्यान कोई क़ुदरती रुकावट पैदा हो गई है तो आपने फ़र्माया, फिर चरवाहा न रहेगा और बकरियाँ तीन तेरह हो जाएँगी। ग़र्ज़ इशारों, किनायों में सूरते हाल का इज़्हार करते रहे, फिर फ़र्माया, देखो! ''तुममें से एक शख़्स सुबह का मुर्ग़ बोलने से पहले तीन मर्तबा मेरे साथ कुफ़्र करेगा और तुममें से एक चंद दिरहम के बदले मुझे बेच देगा और मेरी क़ीमत खाएगा।'' अब यह लोग यहाँ से बाहर निकले। इधर उधर चले गए। यहूदी जो अपनी जुस्तजू में थे, उन्होंने शम्ऊन हवारी को पहचानकर उसे पकड़ा और कहा, यह भी उसका साथी है। मगर शम्ऊन ने कहा, ग़लत है मैं उसका साथी नहीं हूँ, उन्होंने यह बावर करके उसे छोड़ दिया लेकिन कुछ आगे जाकर यह दूसरी जमाअत के हाथ लग गया और वहाँ से भी इसी तरह इंकार करके अपने आपको छुड़वाया। इतने में मुर्ग़ ने बांग दी अब यह अफ़सोस करने लगे और सख़्त ग़मगीन हुए। सुबह को एक हवारी यहूदियों के पास पहुँचता है और कहता है कि अगर मैं तुम्हें ईसा (अलैहि०) का पता बता दूँ तो मुझे क्या दिलवाओगे? उन्होंने कहा, तीस दिरहम। चुनाँचे उसने वह रक़म ले ली और हज़रत ईसा (अलैहि०) का पता बतला दिया, इससे पहले वह शुबा में थे, अब उन्होंने गिरफ़्तार कर लिया और रस्सियों में जकड़कर ले चले और बतौर तानाज़नी के कहते जाते थे कि आप तो मुर्दों को ज़िन्दा कर दिया करते थे, जिन्नात को भगा दिया करते थे, मज्नून को अच्छा कर दिया करते थे, अब क्या बात है कि ख़ुद अपनी ज़ात को भी नहीं बचा सकते, इन रस्सियों को भी नहीं तोड़ सकते?'' थू है तुम्हारे चेहरे पर।'' यह कहते जाते थे और कांटे उनके ऊपर डालते जाते थे। इसी तरह बेदर्दी से घसीटते हुए जब उस लकड़ी के पास लाए जहाँ सूली देनी थी और इरादा किया कि सूली चढ़ा दें, उस वक़्त अल्लाह तआला ने अपने नबी (अलैहि०) को अपनी तरफ़ चढ़ा लिया और उन्होने दूसरे शख़्स को जो आपका हमशक्ल था, सूली पर चढ़ा दिया।

फिर सात दिन के बाद हज़रत मरयम (अलैहि०) और वह औरत जिसको हज़रत ईसा (अलैहि०) ने जिनसे

नजात दिलवाई थी, वहाँ आईं और गिरयावज़ारी करने लगीं, तो उनके पास हज़रत ईसा (ﷺ) आए और उनसे कहा, "क्यूँ रोती हो? मुझे तो अल्लाह तआला ने अपनी तरफ़ बुलंद कर लिया है और मुझे इनकी ईज़ाएँ नहीं पहुँचीं, इन पर तो शुबा डाल दिया गया है। मेरे हवारियों से कहो कि मुझसे फ़लाँ जगह मिलें।" चुनाँचे यह बशारत जब हवारियों को मिली तो वह सबके सब ग्यारह आदमी उस जगह पहुँचे, जिस हवारी ने आपको बेचा था उसे उन्होंने वहाँ पाया। पूछने पर मालूम हुआ कि उसने नदामत और शर्मिन्दगी की वजह से अपना गला घोंटकर आप ही ख़ुदकुशी कर ली। आपने फ़र्माया, "अगरवह तौबा करता तो अल्लाह तआला उसे क़बूल कर लेता।" फिर पूछा कि यह बच्चा जो तुम्हारे साथ है इसका नाम यह्या है अब यह तुम्हारा साथी है। सुनो! "सुबह को तुम्हारी ज़ुबानें बदल दी जाएँगी। हर शख़्स अपनी अपनी क़ौम की ज़ुबानें बोलने लगेगा तो उसे चाहिए कि अपनी क़ौम में जाकर मेरी दावत पहुँचाए और अल्लाह से डराए।" यह वाक़िया निहायत ही ग़रीब है।

इब्ने इस्हाक़ का क़ौल है कि बनी इस्राईल का यह बादशाह जिसने हज़रत ईसा (ﷺ) के क़त्ल के लिए अपनी फ़ौज भेजी थी उसका नाम दाऊद था। हज़रत ईसा (ﷺ) उस वक़्त सख़्त घबराहट में थे, कोई शख़्स अपनी मौत से इस क़द्र परेशान, हवास बाख़्ता और इस क़द्र हाय वाय करने वाला न होगा। जिस क़द्र आपने उस वक़्त की, यहाँ तक कि फ़र्माया, "ऐ अल्लाह! अगर मौत के प्याले को किसी से भी टालने वाला है तो मुझसे टाल दे" और यहाँ तक घबराहट और ख़ौफ़ की वजह से उनके जिस्म से ख़ून फूटने लगा।" उस वक़्त उस मकान में आपके साथ बारह हवारी थे, जिनके नाम यह हैं, फ़िरतूस, याक़ूबस, वीलौनख़स, यह (याक़ूब का भाई था) उंदारलीस, फ़ीलिब्स, इब्ने यल्मा वमन्ता, तूमास, याक़ूब बिन हल्क़ाया, निदावसीस, क़ताबिया, लियूदस, रकरियायूता करयायूता। कुछ कहते हैं कि तेरह आदमी थे, एक और का नाम सरजिस था, उसी ने अपने आपको सूली पर चढ़ाया जाना हज़रत ईसा (ﷺ) की बशारत पर मंज़ूर किया था।

जब हज़रत ईसा (ﷺ) आसमान पर चढ़ा लिये गए और बक़िया लोग यहूद के हाथो में क़ैद हो गए। अब जो शुमार करते हैं तो एक कम है। एक शख़्स की कमी हो जाने से उनके बीच इख़्तिलाफ़ हो गया। यह लोग जब उस जमाअत पर छापा मारते और उन्हें गिरफ़्तार करना चाहते तो हज़रत ईसा (ﷺ) को पहचानते तो न थे, तो लियूदस रकरियायूता ने तीस दिरहम लेकर उनसे कहा था कि मैं सबसे पहले जाता हूँ, जिस शख़्स को जाकर मैं बोसा दूँ, तुम समझ लेना कि ईसा (ﷺ) वही हैं। जब यह अंदर पहुँचते हैं तो उस वक़्त हज़रत ईसा (ﷺ) उठा लिए गए थे और हज़रत सरजिस आपकी सूरत में बना दिए गए थे। उसने जाकर हस्बे क़रारदाद उन्हीं का बोसा लिया और सरजिस गिरफ़्तार कर लिए गए। इस इर्तिकाब और मुख़बिरी के बाद यह हवारी बहुत नादिम हुआ और अपने गले में रस्सी डालकर फांसी पर लटक गया और नसरानियों में मल्ऊन बना। कुछ कहते हैं उसका नाम लियूदस रकरियायूता था। यह जैसे ही हज़रत ईसा (ﷺ) की शनाख़्त के लिए उस घर में दाख़िल हुआ तो हज़रत ईसा (ﷺ) उठा लिए गए और ख़ुद उसकी सूरत हज़रत ईसा (ﷺ) जैसी हो गई और उसी को लोगों ने पकड़ लिया। यह हज़ार चीख़ता चिल्लाता रहा कि मैं ईसा नहीं हूँ; मैं तो तुम्हारा साथी हूँ, मैंने ही ईसा का पता दिया था लेकिन कौन सुने? आख़िर उसी को तख़्तादार पर लटका दिया गया। अब अल्लाह ही को इल्म है कि ईसा (ﷺ) की मुशाबिहत में सरफ़रोशी करने वाला मोमिन सादिक़

सरजिस था, या रकरियायूता मुनाफ़िक़ हवारी? मुजाहिद (रह.) का क़ौल है कि हज़रत रूहुल्लाह (ﷺ) की मुशाबिहत जिस पर डाली गई थी उसे सलीब पर चढ़ाया गया और हज़रत रूहुल्लाह (ﷺ) को अल्लाह तआला ने ज़िन्दा आसमान पर उठा लिया। इब्ने जरीर (रह.) फ़र्माते हैं कि हज़रत ईसा (ﷺ) की शबीह आपके उन तमाम साथियों पर डाल दी गई थी।

"हज़रत ईसा (ﷺ) की वफ़ात से पहले तमाम अहले किताब आप पर ईमान लाएँगे।" उसके बाद बयान होता है कि जनाब रूहुल्लाह (ﷺ) की मौत से पहले तमाम अहले किताब आप पर ईमान लाएँगे और क़यामत के दिन आप उनके गवाह होंगे।

इब्ने जरीर (रह.) फ़र्माते हैं कि इसकी तफ़्सीर में कई क़ौल हैं।

पहला क़ौल : यह है कि ईसा (ﷺ) की मौत से पहले, यानी जब आप क़त्ले दज्जाल के लिए दोबारा ज़मीन पर आएँगे, उस वक़्त तमाम मज़ाहिब उठ जाएँगे और सिर्फ़ मिल्लते इस्लामिया जो दरअसल इब्राहीम हनीफ़ की मिल्लत है रह जाएगी। इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़र्माते हैं (मौतिही) से मुराद हज़रत ईसा (ﷺ) की मौत है। (तब्री : 9/380) अबू मालिक (रह.) फ़र्माते हैं जब जनाब मसीह (ﷺ) उतरेंगे उस वक़्त कुल अहले किताब आप पर ईमान लाएँगे। (तब्री : 9/380) इब्ने अब्बास (रज़ि.) से दूसरी रिवायत में है ख़ुसूसन यहूदी एक भी बाक़ी नहीं रहेगा। हसन बसरी (रह.) फ़र्माते हैं यानी नज्जाशी और उनके साथी। आपसे मरवी है कि अल्लाह की क़सम! हज़रत ईसा (ﷺ) अल्लाह के पास अब ज़िन्दा मौजूद हैं जब आप ज़मीन पर नाज़िल होंगे। उस वक़्त अहले किताब में से एक भी बाक़ी न बचेगा जो आप पर ईमान न लाएगा। आपसे जब इस आयत की तफ़्सीर पूछी जाती है, तो आप फ़र्माते हैं अल्लाह तआला ने मसीह (ﷺ) को अपने पास उठा लिया है और क़यामत से पहले आप (ﷺ) को दोबारा ज़मीन पर इस हैसियत से भेजेगा कि हर नेक व बुरे आप पर ईमान लाएँगे। क़तादा और अब्दुर्रहमान (रह.) वग़ैरह बहुत से मुफ़स्सिरीन का यही राय है और यही क़ौल हक़ है और यही तफ़्सीर बिलकुल ठीक है। इंशाअल्लाह तआला, अल्लाह तआला की मदद और उसकी तौफ़ीक़ से हम इसे कुछ दलाइल से साबित करेंगे।

दूसरा क़ौल : यह है कि हर अहले-किताब आप पर अपनी मौत से पहले ईमान लाता है, इसलिए कि मौत के वक़्त हक़ व बातिल सब पर वाज़ेह हो जाता है तो हर किताबी यानी हर अहले किताब हज़रत ईसा (ﷺ) की हक़्क़ानियत को इस दारे फ़ानी से रवानगी के पेशतर ही बावर कर लेता है। इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़र्माते हैं, कोई यहूदी नहीं मरता जब तक कि वह हज़रत रूहुल्लाह (ﷺ) पर ईमान न लाए। मुजाहिद (रह.) का यही क़ौल है बल्कि इब्ने अब्बास (रज़ि.) से तो यहाँ तक मरवी है कि अगर किसी अहले किताब की गर्दन तलवार से उड़ा दी जाए तो उसकी रूह नहीं निकलती जब तक कि वह हज़रत ईसा (ﷺ) पर ईमान न लाए और यह न कह दे कि आप अल्लाह के बन्दे और उसके रसूल हैं। हज़रत उबय बिन कअ़ब (रज़ि.) की क़िरात में (क़ब्ल मौतिहिम) है। इब्ने अब्बास (रज़ि.) से पूछा गया कि फ़र्ज़ करो कोई दीवार से गिरकर मर जाए? फ़र्माया, फिर भी उस दरम्यानी फ़ासला में वह ईमान ला चुकता है। इक्रिमा, मुहम्मद बिन सीरीन, ज़ह्हाक,

और ज़ुवैबा (रज़ि.) से भी यही मरवी है। एक क़ौल इमाम हसन (रह.) से ऐसा भी मरवी है कि जिसका मतलब साबिक़ा क़ौल की ताईद में भी हो सकता है और हज़रत ईसा (عليه السلام) की मौत से पहले का भी हो सकता है।

तीसरा क़ौल : यह है कि अहले किताब में से कोई नहीं मगर कि वह आँहज़रत (ﷺ) पर अपनी मौत से पहले ईमान लाएगा। इक्रिमा (रह.) यही फ़र्माते हैं। इब्ने जरीर (रह.) फ़र्माते हैं इन सब क़ौलों में ज़्यादातर सहीह क़ौल पहला ही है कि जब हज़रत ईसा (عليه السلام) आसमान से क़ुर्बे क़यामत उतरेंगे उस वक़्त कोई अहले किताब आप पर ईमान लाए बग़ैर न रहेगा। फ़िल वाक़ेअ इमाम साहब का यह फ़ैसला हक़ बजानिब है इसलिए कि यहाँ की आयतों से साफ़ ज़ाहिर है कि असल मक़सद यहूदियों के इस दावा को ग़लत साबित करना है कि हमने जनाब मसीह (عليه السلام) को क़त्ल किया और सूली दी। और इसी तरह जिन जाहिल ईसाइयों ने भी यह कहा है, उनके क़ौल को भी बातिल करना है तो अल्लाह तआला ख़बर देता है कि फ़िल वाक़ेअ नफ़्सुल अम्र में न तो रूहुल्लाह (عليه السلام) मक़्तूल हुए न मस्लूब हुए बल्कि उनके लिए शुबा डाल दिया गया और उन्होंने हज़रत ईसा (عليه السلام) के एक हमशक्ल शख़्स को क़त्ल किया लेकिन ख़ुद उन्हें इस हक़ीक़त का इल्म न हो सका, अल्लाह तआला ने अपने नबी (عليه السلام) को तो अपने पास चढ़ा लिया वह ज़िन्दा हैं। अब तक बाक़ी हैं क़यामत के क़रीब उतरेंगे जैसे सहीह मुतवातिर अहादीस में है। ''मसीह दज्जाल को क़त्ल करेंगे, सलीब को तोड़ेंगे, ख़िंज़ीर को क़त्ल करेंगे, जिज़्या क़बूल नहीं करेंगे। ऐलान कर देंगे कि या तो इस्लाम क़बूल करो या तलवार से मुक़ाबला करो।'' पस इस आयत में ख़बर देता है कि उस वक़्त अहले किताब तमाम के त माम आपके हाथ पर ईमान क़बूल करेंगे और एक भी ऐसा न रहेगा जो इस्लाम से रुक सके या रुके पस जिसे यह गुमराह यहूद और जाहिल नसरानी मरा हुआ जानते हैं और सूली पर चढ़ाया हुआ मानते हैं, यह इनकी हक़ीक़ी मौत से पहले ही उन पर ईमान लाएँगे और जो काम इन्होंने उनकी मौजूदगी में किए हैं और करेंगे, यह उन पर क़यामत के दिन अल्लाह के सामने गवाही दें गे यानी आसमान पर उठाए जाने से पहले की ज़िन्दगी के मुआयना किए हुए काम और दोबारा की आख़िरी ज़िन्दगी जो ज़मीन पर गुज़ारी उसमें उसके सामने जो काम उन्होंने किए वह सब आपकी नज़रों के सामने होंगे और अल्लाह के सामने उन्हें पेश करेंगे।

हाँ! इसकी तफ़्सीर में जो दो क़ौल और बयान हुए हैं वह भी वाक़िया के ऐतिबार से बिलकुल सहीह और दुरुस्त हैं। मौत के फ़रिश्ता के आ जाने के बाद अहवाले आख़िरत और सच झूठ का मुआयना हो जाता है। उसी वक़्त हर शख़्स सच्चाई को सच कहने और समझने लगता है लेकिन वह ईमान अल्लाह के नज़दीक मुअतबर नहीं। इस सूरत के शुरू में है (وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ) (4/निसाअ : 18) दूसरी जगह फ़र्मान है (فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ) (40/मोमिन : 84) यानी ''जो लोग मौत के आ जाने तक बुराईयों में मशग़ूल रहें उनकी तौबा क़बूल नहीं।'' और जो लोग अज़ाबे इलाही को देखकर ईमान लाएँ उन्हें भी उनका ईमान नफ़ा न देगा।'' पस इन दोनों आयतों को सामने रखकर हम कहते हैं कि पिछले दो क़ौलों की जो इमाम इब्ने जरीर (रह.) ने तर्दीद की है, यह ठीक नहीं इसलिए कि इमाम साहब (रह.) फ़र्माते हैं अगर पिछले दोनों क़ौलों को इस आयत की तफ़्सीर में सहीह माना जाए तो लाज़िम है कि किसी यहूदी या नसरानी के अक़रबा उसके वारिस न हों, इसलिए कि वह तो हज़रत

ईसा (अलै.) पर और हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) पर ईमान लाकर मरा उसके वारिस तो यहूदी व नसारा हैं और मुसलमान का वारिस काफ़िर नहीं हो सकता। लेकिन हम कहते हैं यह उस वक़्त है जब ईमान ऐसे वक़्त लाए कि अल्लाह के नज़दीक मुअतबर हो, न कि ऐसे वक़्त ईमान लाना जो बिलकुल बेकार है। इब्ने अब्बास (रज़ि.) के क़ौल पर गहरी नज़र डालिए कि दीवार से गिरते हुए दरिन्दे के चबाते हुए, तलवार के चलते हुए वह ईमान लाता है, पस साफ़ ज़ाहिर है कि ऐसी हालत का ईमान मुत्लक़ नफ़ा नहीं दे सकता। जैसे कुरआन की मुंदर्जा बाला दोनों आयतें ज़ाहिर कर रही हैं, वल्लाहु आलम! मेरे ख़्याल से तो यह बात बहुत साफ़ है कि इस आयत की तफ़्सीर के पिछले दोनों क़ौल भी मुअतबर मान लेने से कोई इश्काल पेश नहीं आता, अपनी जगह वह भी ठीक हैं लेकिन हाँ! आयत से वाक़ई मतलब तो वही है जो पहला क़ौल है और इससे मुराद यह है कि ईसा (अलै.) आसमानों पर ज़िन्दा मौजूद हैं, क़यामत के क़रीब ज़मीन पर उतरेंगे और यहूदियों व नसरानियों दोनों को झूठा बताएँगे और जो इफ़रात व तफ़रीत इन्होंने की है उसे बातिल क़रार देंगे। एक तरफ़ मल्ऊन जमाअत यहूदियों की है जिन्होंने आपको आपकी इज़्ज़त से बहुत गिरा दिया, और ऐसी नापाक बातें आपकी शान में कहीं जिनसे एक भला इंसान घिन खाए। दूसरी जानिब नसरानी हैं, जिन्होंने आपके मर्तबे को इस क़द्र बढ़ाया कि जो आप में न था, इसका भी इस्बात किया और मक़ामे नबुव्वत से मक़ामे रुबूबियत तक पहुँचा दिया, जिससे अल्लाह की ज़ात बिलकुल पाक है।

हज़रत ईसा (अलै.) का नुज़ूल क़यामत के क़रीब दोबारा होगा : अब उन हदीसों को सुनिए जिनमें बयान है कि हज़रत ईसा (अलै.) आख़िर ज़माने में क़यामत के क़रीब आसमान से ज़मीन पर उतरेंगे और अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू की इबादत की तरफ़ सबको बुलाएँगे। सहीह बुख़ारी जिसे सारी उम्मत ने क़बूल किया है उसमें इमाम बुख़ारी (रह.) किताब ज़िक्रे अम्बिया में यह हदीस लाए हैं कि रसूलुल्लाह (सल्ल.) ने फ़र्माया, ''उस अल्लाह की क़सम! जिसके हाथ में मेरी जान है कि अन्क़रीब तुममें इब्ने मरयम (अलै.) नाज़िल होंगे, आदिल हाकिम बनकर सलीब को तोड़ेंगे, ख़िंज़ीर को क़त्ल करेंगे और जिज़्या हटा देंगे, माल इस क़द्र बढ़ जाएगा कि उसे कोई लेना पसंद न करेगा, एक सज्दा कर लेना दुनिया और दुनिया की सब चीज़ों से ज़्यादा महबूबतर होगा।'' इस हदीस को बयान फ़र्माकर रावी हदीस हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) ने बतौर शहादत कुरआन की इसी आयत (व इम्मिन) आख़िर तक तिलावत की। (सहीह बुख़ारी, किताब अहादीसुल अम्बिया, बाब नुज़ूल ईसा बिन मरयम (अलै.) : 3448; सहीह मुस्लिम : 155; तिर्मिज़ी : 2233; इब्ने माजा : 4078; इब्ने हिब्बान : 6818; अहमद : 2/240; मुस्नद हुमैदी : 1097; शरह मुश्किलुल आसार : 103; शरीअत लिल आजरी, पेज : 380; अल्ईमान लि इब्ने मन्दा : 408, 411) सहीह मुस्लम में भी यह हदीस है। और सनद से यही रिवायत बुख़ारी व मुस्लिम में मरवी है। उसमें है कि सज्दा उस वक़्त फ़क़त अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए होगा और इस आयत की तिलावत में (क़ब्ल मौतिही) के बाद यह फ़र्मान भी है कि (क़ब्ल मौति ईसा बिन मरयम) फिर इसे हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) का तीन मर्तबा दोहराना भी है। मुस्नद अहमद की हदीस में है, ''हज़रत ईसा (अलै.) हज्ज या उमरे पर या दोनों पर लब्बैक कहेंगे, मैदाने फ़ज्जे रौहा में।'' (मुस्नद अहमद : 2/240; वसनदुहू सहीह; इब्ने हिब्बान : 6820; बैहक़ी : 5/2; मुस्नद हुमैदी :

1005; इसकी सनद शर्ते मुस्लिम पर सह़ीह़ है। देखिए (अल्मौसूअतुल ह़दीसिया : 12/217) यह ह़दीस मुस्लिम में भी है। (सह़ीह़ मुस्लिम, किताबुल ह़ज्ज, बाब एहलालुन्नबी (ﷺ) व हदिया : 1252) मुस्नद अह़मद की दूसरी ह़दीस में है, "ईसा बिन मरयम (عليه السلام) उतरेंगे, सूअर को क़त्ल करेंगे, सलीब को मिटायेंगे, नमाज़ बाजमाअत होगी और माल राहे इलाही में इस क़द्र कसरत से दिया जाएगा कि कोई क़बूल करने वाला न मिलेगा। ख़िराज छोड़ देंगे, रौह़ा में जाएँगे और वहाँ ह़ज्ज या उमरा करेंगे या दोनों एक साथ करेंगे।" फिर अबू हुरैरा (रज़ि.) ने यही आयत पढ़ी लेकिन आपके शागिर्द ह़ज़रत ह़ंज़ला का ख़्याल है कि ह़ज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) ने फ़र्माया कि ह़ज़रत ईसा (عليه السلام) के इंतिक़ाल से पहले आप पर ईमान लाएँगे। मुझे नहीं मालूम कि यह सब ह़दीस के ही अल्फ़ाज़ हैं या ह़ज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) के अ पने। (मुस्नद अह़मद : 2/290; वहुव सह़ीह़ुन बिश्शवाहिद)

सह़ीह़ बुख़ारी में है, उस वक़्त क्या होगा जब तुम्हारे बीच मसीह़ बिन मरयम (عليه السلام) उतरेंगे और तुम्हारा इमाम तुम्हीं में से होगा।" (सह़ीह़ बुख़ारी, किताब अह़ादीसुल अम्बिया, बाब नुज़ूलु ईसा बिन मरयम (عليه السلام) : 3449; सह़ीह़ मुस्लिम : 100; मुसन्नफ़ अब्दुर्रज़्ज़ाक : 20841; अल्अस्माउ वस्सिफ़ातु लिल बैहक़ी : 895) अबूदाऊद और मुस्नद अह़मद वग़ैरह में है कि ह़ुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, "अम्बिया-ए-किराम (عليهم السلام) सब एक बाप के बेटे भाई की त़रह़ हैं, माएँ जुदा-जुदा और दीन एक, ईसा बिन मरयम (عليه السلام) से ज़्यादा नज़दीकतर मैं हूँ, इसलिए कि मेरे और उनके बीच कोई नबी नहीं, यक़ीनन वह उतरने वाले हैं। पस तुम उन्हें पहचान लो, दरम्याना क़द है, सुर्ख़ रंग है, दो मिम्सर कपड़े ओढ़े और बाँधे हुए होंगे, उनके सर से क़तरे टपक रहे होंगे अगरचे तरी न पहुँची हो। सलीब तोड़ेंगे, सूअर को क़त्ल करेंगे, जिज़्या क़बूल न करेंगे, लोगों को इस्लाम की त़रफ़ बुलाएँगे, उनके ज़माना में तमाम मिल्लतें मिट जाएँगी, सिर्फ़ इ स्लाम ही इस्लाम रहेगा। उनके ज़माना में अल्लाह तआला मसीह़ दज्जाल को हलाक करेगा, फिर ज़मीन पर अमानत वाक़ेअ होगी यहाँ तक कि काले नाग ऊँटों के साथ, चीते गायों के साथ और भेड़िये बकरियों के साथ चरते चुगते फिरेंगे, और बच्चे साँपों से खेलेंगे, उन्हें वह कोई नुक़्सान न पहुँचाएँगे।" चालीस बरस तक ठहरेंगे फिर फ़ौत होंगे और मुसलमान आपके जनाज़े की नमाज़ अदा करेंगे।" (अबूदाऊद, किताबुल मलाह़िम, बाब ख़ुरूजुद्दज्जाल : 4324; बइख़्तिलाफ़े यसीर, वसनदुहू ह़सन; अह़मद : 2/406; बि हाज़िहिल अल्फ़ाज़; ह़ाकिम : 2/595; इब्ने ह़िब्बान : 6821; मुसन्नफ़ अब्दुर्रज़्ज़ाक़ : 20845; शैख़ अल्बानी (रह़.) ने इस रिवायत की सनद को सह़ीह़ क़रार दिया है। देखिए (सिलसिलतुस्सह़ीह़ा : 2182) इब्ने जरीर की इसी रिवायत में है "आप लोगों से इस्लाम पर जिहाद करेंगे।" इस ह़दीस का एक टुकड़ा सह़ीह़ बुख़ारी में भी है, और रिवायत में है कि "सबसे ज़्यादा क़रीबतर ह़ज़रत ईसा (عليه السلام) से दुनिया और आख़िरत में मैं हूँ।" (सह़ीह़ बुख़ारी, किताब अह़ादीसुल अम्बिया, बाब क़ौलुल्लाहि तआला **(वज़्कुर फ़िल किताबि मरयम इज़न तबज़त मिन अहलिहा)** : 3443; सह़ीह़ मुस्लिम : 2365)

सह़ीह़ मुस्लिम में है "क़यामत क़ायम न होगी जब तक रूमी आमाक़ या दाबिक़ में न उतरें और उनके मुक़ाबले के लिए मदीना से मुसलमानों का लश्कर न जाए, जो उस वक़्त तमाम ज़मीन के लोगों से ज़्यादा

अल्लाह के पसंदीदा होंगे। जब सफ़ें बंध जाएँगी तो रूमी कहेंगे हम तुमसे लड़ना नहीं चाहते, हममें से जो दीन बदलकर तुममें जा मिले हैं हम उनसे लड़ना चाहते हैं, तुम बीच से हट जाओ लेकिन मुसलमान कहेंगे, अल्लाह की क़सम! यह हो ही नहीं सकता कि हम अपने कमज़ोर भाईयों को तुम्हारे ह़वाले कर दें। चुनाँचे लड़ाई शुरू होगी, मुसलमानों के उस लश्कर का तिहाई ह़िस्सा तो शिकस्त खाकर भाग खड़ा होगा, उन लोगों की तौबा अल्लाह तआला हर्गिज़ क़बूल न करेगा और तिहाई ह़िस्सा शहीद हो जाएगा जो अल्लाह तआला के नज़दीक सबसे अफ़ज़ल शहीद होंगे लेकिन आख़िरी तिहाई ह़िस्सा फ़तह़ ह़ासिल कर लेगा और रूमियों पर ग़ालिब आ जाएगा। यह फिर किसी फ़ित्ने में न पड़ेंगे। कुस्तुन्तुनिया को फ़तह़े करेंगे। अभी तो वह अपनी तलवारें ज़ेतून में लटकाए हुए माले ग़नीमत तक़्सीम कर रह होंगे जो शैतान चीख़कर कहेगा कि तुम्हारे बाल बच्चों में दज्जाल आ गया है। उसके इस झूठ को सच जानकर मुसलमान यहाँ से निकल खड़े होंगे। शाम में पहुँचेंगे, दुश्मनों से जंग आज़मा होने के लिए सफ़ें ठीक कर रहे होंगे कि दूसरी जानिब नमाज़ की इक़ामत होगी और ह़ज़रत ईसा बिन मरयम (عليه السلام) नाज़िल होंगे, उनकी इमामत करायेंगे। जब दुश्मने रब उन्हें देखेगा तो इस त़रह़ घुलने लगेगा जिस त़रह़ नमक पानी में घुलता है। अगर ह़ज़रत ईसा (عليه السلام) उसे यूँ ही छोड़ दें तब भी वह घुलते घुलते ख़त्म हो जाए लेकिन अल्लाह तआला उसे आपके हाथ से क़त्ल कराएगा और आप अपने ह़र्बे पर उसका ख़ून लोगों को दिखाएँगे।'' (स़ह़ीह़ मुस्लिम, किताबुल फ़ितन, बाब फ़ी फ़तह़े कुस्तुन्तुनिया व ख़ुरूजुद् दज्जाल व नुज़ूले ईसा बिन मरयम : 2897; इब्ने ह़िब्बान : 6813)

मुस्नद अह़मद और इब्ने माजा में है हु ज़ूर (ﷺ) फ़र्माते हैं, ''मेअराज वाली रात मैंने इब्राहीम, मूसा, और ईसा (عليهم السلام) से मुलाक़ात की, आपस में क़यामत की निस्बत बातचीत होने लगी। इब्राहीम (عليه السلام) ने अपनी ला इल्मी ज़ाहिर की। इसी त़रह़ मूसा (عليه السلام) ने भी, लेकिन ह़ज़रत ईसा (عليه السلام) ने फ़र्माया, उसके आने का ठीक वक़्त तो सिवाए अल्लाह तआला के कोई नहीं जानता, हाँ! मुझसे मेरे रब ने जो वादा लिया है वह यह है कि दज्जाल निकलेगा उसके साथ दो शाख़ें होंगी। मुझे देखकर इस त़रह़ पिघलने लगेगा कि जिस त़रह़ सीसा पिघलता है। पस अल्लाह तआला उसे हलाक करेगा जब वह मुझे देख लेगा। यहाँ तक कि पत्थर और दरख़्त भी बोलने लगेंगे कि ऐ मुसलमान! यहाँ मेरे पीछे एक काफ़िर है आ और इसे क़त्ल कर। पस अल्लाह तआला उन सबको ग़ारत कर देगा और लोग अम्नो-अमान के साथ अपने अपने वत़न और शहरों को लौट जाएँगे। उसके बाद याजूज माजूज निकलेंगे और हर त़रफ़ से चढ़ दौड़ेंगे, तमाम शहरों को रौंद लेंगे। जिस जिस चीज़ पर गुज़र होगा उसे हलाक कर देंगे, जिस पानी के पास से गुज़रेंगे, पी जाएँगे, लोग फिर लौटकर मेरे पास आएँगे। मैं अल्लाह से दुआ करूँगा तो अल्लाह तआला उन सबको एक साथ फ़ना कर देगा, लेकिन उनके मुर्दा जिस्मों से हवा बिगड़ जाएगी, बदबू फैल जाएगी। फिर बारिश बरसेगी इस क़द्र कि उनकी तमाम लाशों को बहाकर समुन्दर में डाल देगी। बस उस वक़्त क़यामत की इस त़रह़ आमद-आमद होगी जिस त़रह़ पूरे दिन की ह़ामिला औरत हो कि उसके घर वाले नहीं जानते कि सुबह़ को बच्चा हो जाएगा या शाम को हो जाए। रात को पैदा हो या दिन को।'' (मुस्नद अह़मद : 1/375; इब्ने माजा, किताबुल फ़ितन, बाब फ़ित्नतुद् दज्जाल व ख़ुरूज ईसा बिन मरयम : 4081; वसनदुहू स़ह़ीह़; ह़ाकिम : 4/488) मुस्नद अह़मद में है कि ह़ज़रत अबू नज़रा (रह़.)

फ़र्माते हैं कि हम हज़रत उस्मान बिन अबुल आस (रज़ि.) के पास जुम्आ के दिन आए कि अपना लिखा हुआ क़ुरआन उनके क़ुरआन से मिलाएँ, जुम्आ का जब वक़्त आया तो आपने हमसे फ़र्माया, ग़ुस्ल करो, फिर ख़ुश्बू ले आए जो हमने मली, फिर मस्जिद में आए और एक शख़्स के पास बैठ गए। जिन्होंने हमसे दज्जाल वाली हदीस बयान की। फिर हज़रत उस्मान बिन अबुल आस (रज़ि.) आए, हम खड़े हो गए, फिर सब बैठ गए। आपने फ़र्माया, मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना है कि ''मुसलमानों के तीन शहर हो जाएँगे। एक दोनों समुंदर मिलने की जगह पर, एक हीरा में, एक शाम में। फिर तीन घबराहटें लोगों को होंगी। फिर दज्जाल निकलेगा यह पहले शहर की तरफ़ जाएगा वहाँ के लोग तीन हिस्सो में हो जाएँगे। एक हिस्सा तो कहेगा कि हम इसके मुक़ाबले पर ठहरे रहेंगे और देखेंगे कि क्या होता है? और दूसरी जमाअत गाँव के लोगों से मिल जाएँगे और तीसरी जमाअत दूसरे शहर में चली जाएगी जो उनसे क़रीब होगा। दज्जाल के साथ सत्तर हजार लोग होंगे, जिनके सरों पर ताज होंगे। उनकी अकसरियत यहूदियों की और औरतों की होगी। यहाँ के यह मुसलमान एक घाटी में सिमटकर महसूर हो जाएँगे, उनके जानवर जो चरने चुगने को गए होंगे, वह भी हलाक हो जाएँगे, इस वजह से इनके मसाइब बहुत बढ़ जाएँगे और भूख की वजह से बुरा हाल हो जाएगा यहाँ तक कि अपनी कमानों की तानें भून-भूनकर खा लेंगे। जब सख़्त तंगी में होंगे तो उन्हें समुन्दर में से आवाज़ आएगी कि लोगों! तुम्हारे लिए इम्दाद आ गई इस आवाज़ को सुनकर यह लोग ख़ुश होंगे क्योंकि आवाज़ से जान लेंगे कि यह किसी आसूदा शख़्स की आवाज़ है। ऐन सुबह की नमाज़ के वक़्त हज़रत ईसा बिन मरयम (عليه السلام) नाज़िल होंगे। उनका अमीर आपसे कहेगा कि ऐ रूहुल्लाह (عليه السلام)! आगे बढ़िए और नमाज़ पढ़ाइए लेकिन आप कहेंगे कि इस उम्मत के कुछ लोग कुछ के अमीर हैं। चुनाँचे उन ही का अमीर आगे बढ़ेगा और नमाज़ पढ़ाएगा। फ़ारिग़ होने के बाद आप अपना हर्बा हाथों में लेकर मसीह दज्जाल का रुख़ करेंगे। दज्जाल आपको देखकर सीसे की तरह पिघलने लगेगा। आप उसके सीने पर वार करेंगे जिससे वह हलाक हो जाएगा और उसके साथी शिकस्त खाकर भाग खड़े होंगे लेकिन उन्हें कहीं अमन नहीं मिलेगा यहाँ तक कि अगर वह किसी दरख़्त तले छुपेंगे तो वह दरख़्त पुकार कर कहेगा, ऐ मोमिन! यह एक काफ़िर मेरे पास छुपा हुआ है और उसी तरह पत्थर भी।'' (मुस्नद अहमद : 4/216, 217; इब्ने अबी शैबा : 8/650; वसनदुहू ज़ईफ़; तबरानी : 8310; मज्मउज़्ज़वाइद : 7/342; हाकिम : 4/478; इस रिवायत में अली बिन ज़ेद बिन जिदआन ज़ईफ़ रावी है। (अत्तक़रीब : 2/37)

इब्ने माजा में है कि हुज़ूर (ﷺ) ने अपने एक ख़ुत्बा का कमो बेश हिस्सा दज्जाल का वाक़िया बयान करने और उससे डराने में ही सर्फ़ किया। जिसमें यह भी फ़र्माया कि ''दुनिया की शुरुआत से लेकर आख़िर तक कोई फ़ित्ना उससे बड़ा नहीं। तमाम अम्बिया (عليهم السلام) अपनी अपनी उम्मतों को उससे आगाह करते रहे हैं। मैं सबसे आख़िरी नबी हूँ और तुम सबसे आख़िरी उम्मत हो, वह यक़ीनन तुम्हीं में आएगा। मैं अल्लाह तआला के हर मुसलमान को ख़लीफ़ा बनाता हूँ। वह शाम व इराक़ के बीच निकलेगा दाएँ बाएँ ख़ूब घूमेगा। लोगों! ऐ अल्लाह तआला के बन्दों! देखो देखो! तुम साबित क़दम रहना। सुनो! मैं तुम्हें उसकी ऐसी सिफ़त सुनाता हूँ जो किसी नबी ने अपनी उम्मत को नहीं सुनाई। वह इब्तिदाअन दावा करेगा कि मैं नबी हूँ, पस तुम

याद रखना कि मेरे बाद कोई नबी नहीं, फिर वह उससे भी बढ़ जाएगा और कहेगा मैं अल्लाह हूँ, पस तुम याद रखना कि अल्लाह को इन आँखों से कोई देख नहीं सकता, हाँ! मरने के बाद दीदारे बारी तआला हो सकता है। और सुनो! वह काना होगा और तुम्हारा रब काना नहीं, उसकी दोनों आँखों के बीच ''काफ़िर'' लिखा हुआ होगा जिसे पढ़ा लिखा और अनपढ़ ग़र्ज़ हर ईमान वाला पढ़ लेगा। उसके साथ आग होगी और बाग़ होगा। उसकी आग दरअसल जन्नत होगी और उसका बाग़ दरअसल जहन्नम होगा। सुनो! तुममें से जिसे वह आग में डाले वह अल्लाह से फ़रियादरसी चाहे और सूरह कहफ़ की शुरु की आयात पढ़े, उसकी वह आग उस पर ठण्डक और सलामती बन जाएगी, जैसे कि ख़लीलुल्लाह (عليه السلام) पर नमरूद की आग हो गई थी। उसका एक फ़ित्ना यह भी होगा कि वह एक आराबी से कहेगा कि अगर मैं तेरे मरे हुए बाप को ज़िन्दा कर दूँ, फिर तो तू मुझे रब मान लेगा? वह इक़रार करेगा, इतने में दो शैतान उसकी माँ और बाप की शक्ल में ज़ाहिर होंगे और उससे कहेंगे, बेटे! यही तेरा रब है तू इसे मान ले। उसका एक फ़ित्ना यह भी होगा कि वह एक शख़्स पर मुसल्लत कर दिया जाएगा। उसे आरे से चिरवाकर दो टुकड़े करवा देगा, फिर लोगों से कहेगा मेरे इस बन्दे को देखना अब मैं ज़िन्दा कर दूँगा लेकिन फिर भी यह यही कहेगा कि इसका रब मेरे सिवा और है। चुनाँचे यह उसे उठाएगा और यह ख़बीस उससे पूछेगा कि तेरा रब कौन है? वह जवाब देगा मेरा रब अल्लाह तआला है और तू अल्लाह का दुश्मन दज्जाल है। अल्लाह की क़सम! अब तो मुझे पहले से भी ज़्यादा यक़ीन हो गया है।'' दूसरी सनद से मरवी है कि हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, यह मोमिन मेरे तमाम उम्मत से ज़्यादा बुलंद दर्जा का जन्नती होगा। हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) फ़र्माते हैं इस हदीस को सुनकर हमारा ख़्याल था कि यह शख़्स हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) ही होंगे। आपकी शहादत तक हमारा यही ख़्याल रहा। हुज़ूर (ﷺ) फ़र्माते हैं ''उसका एक फ़ित्ना यह भी होगा कि वह आसमान को पानी बरसाने का हुक्म देगा और आसमान से बारिश होगी वह ज़मीन को पैदावार उगाने का हुक्म देगा और ज़मीन से पैदावार होगी। उसका एक फ़ित्ना यह भी होगा कि वह एक क़बीले के पास जाएगा वह उसे न मानेंगे उसी वक़्त उनकी तमाम चीज़ें बर्बाद और हलाक हो जाएँगी। दूसरे क़बीले के पास जाएगा जो उसे अल्लाह मान लेंगे, उसी वक़्त उसके हुक्म से उन पर आसमान से बारिश बरसेगी और ज़मीन फल और खेती उगाएगी, उनके जानवर पहले से ज़्यादा मोटे ताज़े और दूध वाले हो जाएँगे, सिवाए मक्का और मदीना के तमाम ज़मीन (मुमालिक) का दौरा करेगा। जब मदीना का रुख़ करेगा तो यहाँ हर हर राह पर फ़रिश्तों को खुली तलवारें लिए हुए पाएगा। तो सुम्बहा की इंतिहाई हद पर ज़रीबे अहमर के पास ठहर जाएगा। फिर मदीना में तीन भुकम्प आएँगे उस वजह से जितने मुनाफ़िक़ मर्द और जिस क़द्र मुनाफ़िक़ा औरतें होंगी सब मदीना से निकलकर उसके लश्कर में मिल जाएँगे और मदीना उन गंदे लोगों को इस तरह अपने से दूर फेंकेगा जिस तरह भट्टी लोहे के मेल-कुचेल को अलग कर देती है। उस दिन का नाम यौमुल ख़लास होगा।''

उम्मे शुरेक (रह.) ने हुज़ूर (ﷺ) से पूछा कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! उस दिन अरब कहाँ होंगे? फ़र्माया, ''अव्वलन तो होंगे ही बहुत कम और अकसरियत उनकी बैतुल-मक़्दिस में होगी। उनका इमाम एक नेक शख़्स होगा जो आगे बढ़कर सुबह की नमाज़ पढ़ा रहा होगा, जूँही हज़रत ईसा बिन मरयम (عليه السلام)

नाज़िल होंगे। यह इमाम पीछे की तरफ़ हट जाएगा ताकि आप आगे बढ़कर इमामत कराएँ, लेकिन आप उसकी कमर पर हाथ रखकर फ़र्माएँगे कि आगे बढ़िए और नमाज़ पढ़ाइए, इक़ामत तुम्हारे लिए कही गई है। पस उनका इमाम ही नमाज़ पढ़ाएगा। नमाज़ से फ़ारिग़ होकर आप फ़र्माएँगे कि दरवाज़ा खोल दो पस दरवाज़ा खोल दिया जाएगा। उधर दज्जाल सत्तर हज़ार यहूदियों का लश्कर लिए हुए मौजूद होगा जिनके सर पर ताज और जिनकी तलवारों पर सोना होगा। दज्जाल आपको देखकर इस तरह घुलने लगेगा जिस तरह नमक पानी में घुलता है और एक दम पीठ फेरकर भागना शुरू कर देगा लेकिन आप फ़र्माएँगे, अल्लाह ने मुक़र्रर कर दिया है कि तू मेरे हाथ से एक ज़र्ब खाएगा, तू उसे टाल नहीं सकता। चुनांचे आप उसे मश्रिक़ी बाबे लुद के पास पकड़ लेंगे और वहीं उसे क़त्ल करेंगे। अब यहूदी बदहवासी से मुंतशिर होकर भागेंगे लेकिन उन्हें कहीं सर छुपाने को जगह न मिलेगी। हर पत्थर, हर दरख़्त, हर दीवार और हर जानवर बोलता होगा कि ऐ मुसलमान! यहाँ यहूदी है आकर इसे मार डाल। हाँ! बबूल का दरख़्त यहूदियों का दरख़्त है यह नहीं बोलेगा।'' हुज़ूर (ﷺ) फ़र्माते हैं, ''उसका रहना चालीस साल तक होगा। साल महीना भर की तरह और महीना जुम्आ जैसा और बाक़ी दिन मिस्ल शरारा के। सुबह ही एक शख़्स शहर के दरवाज़े से चलेगा और अभी दूसरे दरवाज़े तक नहीं पहुँचा होगा जो शाम हो जाएगी।'' लोगों ने पूछा कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! फिर उन छोटे दिनों में हम कैसे नमाज़ पढ़ेंगे? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ''अंदाज़ा कर लिया करो जिस तरह इन लम्बे दिनों में अंदाज़ा से पढ़ा करते थे।'' हुज़ूर (ﷺ) फ़र्माते हैं ''फिर ईसा बिन मरयम (عليه السلام) मेरी उम्मत में हाकिम होंगे, आदिल होंगे, इमाम होंगे मुन्सिफ़ होंगे, सलीब को तोड़ेंगे, ख़िंज़ीर का क़त्ल करेंगे, जिज़्ये को हटा देंगे, सदक़ा छोड़ दिया जाएगा। पस बकरी और ऊँट पर कोशिश न की जाएगी। हसद और बुग़्ज़ बिलकुल जाता रहेगा। हर ज़हरीले जानवर का ज़हर हटा दिया जाएगा, बच्चे अपनी उँगली साँप के मुँह में डालेंगे लेकिन वह उन्हें कोई नुक़्सान न पहुँचाएगा। शेरों से लड़के खेलेंगे कुछ नुक़्सान न होगा। भेड़िए बकरियों के रेवड़ में इस तरह फिरेंगे जैसे रखवाला कुत्ता हो। तमाम ज़मीन इस्लाम और इस्लाह से इस तरह भर जाएगी जैसे कोई बर्तन पानी से लबालब भरा हुआ हो। सबका कलिमा एक हो जाएगा। अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न होगी, लड़ाई और जंग बिलकुल मौक़ूफ़ हो जाएगी। क़ुरैश अपना मुल्क सल्ब कर लें गे। ज़मीन मिस्ल सफ़ेद चाँदी के मुनव्वर हो जाएगी और जैसी बरकतें ज़माना आदम (عليه السلام) में थीं, उगा देगी। एक जमाअत को एक अंगूर का खोशा पेट भरने के लिए काफ़ी होगा। एक अनार इतना बड़ा होगा कि एक जमाअत खाए और सैर हो जाए, बैल इतनी इतनी क़ीमत पर मिलेगा और घोड़ा चंद दिरहमों में मिलेगा।'' लोगों ने पूछा, उसकी क़ीमत गिर जाने की क्या वजह होगी? फ़र्माया, ''इसलिए कि लड़ाइयों में उसकी सवारी बिलकुल न ली जाएगी'' पूछा गया कि बैल की क़ीमत बढ़ जाने की क्या वजह है? फ़र्माया, ''इसलिए कि तमाम ज़मीन में खेतियाँ होनी शुरू हो जाएँगी। दज्जाल के ज़ुहूर से तीन साल पेशतर से सख़्त क़हतसाली होगी। पहले साल बारिश का तीसरा हिस्सा बहुक्मे इलाही रोक लिया जाएगा और ज़मीन की पैदावार का भी तीसरा हिस्सा कम हो जाएगा। फिर दूसरे साल अल्लाह आसमान को हुक्म देगा कि बारिश की दो तिहाईयाँ कम कर दे और यही हुक्म ज़मीन को होगा कि अपनी पैदावार की दो तिहाईयाँ कम कर दे। तीसरे साल आसमान से बारिश का एक क़तरा न बरसेगा, न ज़मीन से कोई रूइदगी पैदा होगी। तमाम जानवर उस क़हत से हलाक हो जाएँगे, मगर जिसे अल्लाह चाहे।'' आपसे पूछा गया कि फिर उस वक़्त लोग ज़िन्दा कैसे

रह जाएँगे?'' आपने फ़र्माया, ''उनकी ग़िज़ा के क़ायम मक़ाम उस वक़्त उनका **ला इलाहा इल्लल्लाहु** कहना और अल्लाहु अकबर कहना और सुब्हानल्लाह कहना और अल्हम्दु लिल्लाह कहना होगा।'' इमाम इब्ने माजा (रह़.) फ़र्माते हैं मेरे उस्ताद ने अपने उस्ताद से सुना, वह फ़र्माते थे, यह ह़दीस इस क़ाबिल है कि बच्चों के उस्ताद इसे बच्चों को भी सिखा दें बल्कि लिखवाएँ ताकि उन्हें भी याद रहे।'' (इब्ने माजा, किताबुल फ़ितन, बाब फ़ित्नतुद् दज्जाल व ख़ुरूज ईसा बिन मरयम (ﷺ) व ख़ुरूज याजूज व माजूज : 4077; वसनदुहू ज़ईफ़ुन; इस रिवायत में इस्माईल बिन राफ़ेअ ज़ईफ़ुल ह़िफ़्ज़ (अत्तक़रीब : 1/69, 507) और मुह़ारिबी मुदल्लस रावी है। जिसकी वजह से यह रिवायत ज़ईफ़ है और शैख़ अल्बानी (रह़.) ने भी इस रिवायत को ज़ईफ़ क़रार दिया है। देखिए (ज़ईफ़ इब्ने माजा : 884) यह ह़दीस इस सनद से है तो ग़रीब लेकिन इसके कुछ ह़िस्सों की शवाहिद दूसरी ह़दीसें हैं (लि तुक़ातिलुन्नल यहूद फ़ी यक़ूलिल बह़र) (स़ह़ीह़ बुख़ारी, किताबुल जिहाद, बाब क़ितालिल यहूद : 2925; स़ह़ीह़ मुस्लिम : 2921; तिर्मिज़ी : 2237; अह़मद : 2/149; अबू यअ़ला : 5523) (ला तक़ूमुस्साअ़तु फ़ी युक़ातिलुल मुस्लिमून) (स़ह़ीह़ बुख़ारी, ह़वाला साबिक़ : 2926; बिदून ज़िक्र (अल्ग़रक़द) स़ह़ीह़ मुस्लिम : 2922; बिहाज़िहिल अल्फ़ाज़) इसी ह़दीस के मिस्ल एक ह़दीस ह़ज़रत नवास बिन सिम्आ़न (रज़ि.) से मरवी है उसे भी हम यहाँ ज़िक्र करते हैं।

स़ह़ीह़ मुस्लिम में है एक दिन सुबह़ को आँह़ज़रत (ﷺ) ने दज्जाल का ज़िक्र किया और इस त़रह़ उसे बुलंद व पस्त किया कि हम समझे कहीं मदीना के नख़्लिस्तान में मौजूद न हो। फिर जब हम लौटकर आपकी त़रफ़ आए तो हमारे चेहरों से आपने जान लिया और पूछा कि क्या बात है? हमने बयान कर दिया तो आपने फ़र्माया, ''दज्जाल के अ़लावा मुझे तो तुम पर और उससे भी बढ़कर ख़ौफ़ है, अगर वह मेरी मौजूदगी में निकला तो मैं ख़ुद उससे निपट लूँगा और अगर वह मेरे बाद आया तो हर मुसलमान उससे आप भुगत लेगा। मैं अपना ख़लीफ़ा हर मुसलमान पर अल्लाह को बनाता हूँ, वह जवान होगा, आँख उसकी उभरी हुई होगी। पस यूँ समझ लो अ़ब्दुल उ़ज़्ज़ा बिन क़ुत्न की त़रह़ होगा। तुममें से जो उसे देखे उसको चाहिए कि सूरह कहफ़ की शुरु की आयतें पढ़े। वह शाम व इराक़ के दरम्यानी गोशे से निकलेगा और दाएँ बाएँ गश्त करेगा। ऐ अल्लाह के बन्दों! ख़ूब साबित क़दम रहना'' हमने पूछा ह़ुज़ूर (ﷺ)! वह कितनी मुद्दत रहेगा? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ''चालीस दिन, एक दिन एक साल के बराबर, एक दिन एक महीना के बराबर, एक दिन हफ़्ता के बराबर, और बाक़ी दिन तुम्हारे मामूल के दिनों की त़रह़।'' फिर हमने पूछा कि जो दिन साल के बराबर होगा, क्या उसमें एक ही दिन की नमाज़ें काफ़ी होंगी? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ''नहीं! बल्कि अंदाज़ा कर लो।'' हमने पूछा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! उसकी रफ़्तार की सु (तेजी)कैसी होगी? फ़र्माया, ''ऐसी जैसे बादल हवाओं से भागते हैं। एक क़ौम को अपनी त़रफ़ बुलाएगा वह मान लेंगे तो आसमान से उन पर बारिश होगी, ज़मीन से खेती और फल उगेंगे, उनके जानवर तरोताज़ा और ज़्यादा दूध देने वाले हो जाएँगे। एक क़ौम के पास जाएगा जो उसे झुठलाएगी और उसका इंकार कर देगी। यह वहाँ से वापिस होगा तो उनके हाथ में कुछ न रहेगा। वह बंजर ज़मीन पर खड़ा होकर हुक्म देगा कि ऐ ज़मीन के ख़ज़ानों! निकल आओ तो वह सब निकल आएँगे और शहद की मक्खियों की त़रह़ उसके पीछे पीछे फिरेंगे, यह एक नौजवान को बुलाएगा, उसे क़त्ल करेगा

और उसके ठीक दो टुकड़े करके इतनी इतनी दूर डाल देगा कि एक तीर की रफ़्तार हो, फिर उसे आवाज़ देगा तो वह ज़िन्दा होकर हँसता हुआ उसके पास आ जाएगा। अब अल्लाह तआला मसीह बिन मरयम (ﷺ) को भेजेगा, वह दमिश्क़ के सफ़ेद शर्क़ी मीनार के पास दो चादरें ओढ़े बाँधे दो फ़रिश्तों के परों पर बाज़ू रखे हुए उतरेंगे जब सर झुकाएँगे तो क़तरे टपकेंगे और जब झुकाएँगे तो मिस्ल मोतियों के वह क़तरे लुढ़केंगे। जिस काफ़िर तक उनका सांस पहुँच जाएगा वह मर जाएगा और आपका सांस वहाँ तक पहुँचेगा जहाँ तक निगाह पहुँचेगी। आप दज्जाल का पीछा करेंगे और बाबे लुद के पास उसे क़त्ल करेंगे। फिर उन लोगों के पास आएँगे जिन्हें अल्लाह तआला ने उस फ़ित्ने से बचाया होगा, उनके चेहरों पर हाथ फेरेंगे और उनके जन्नती दर्जों की उन्हें ख़बर देंगे। अब अल्लाह तआला की तरफ़ से हज़रत ईसा (ﷺ) के पास वही आएगी कि मैं अपने बन्दों को भेजता हूँ जिनका मुक़ाबला कोई नहीं कर सकता, तो तुम मेरे उन ख़ास बन्दों को तूर की तरफ़ ले जाओ।

याजूज माजूज का तज़्किरा : फिर याजूज माजूज निकलेंगे और वह हर तरफ़ से कूदते फाँदते आ जाएँगे। बहीरा तबिरिया पर उनका पहला गिरोह आएगा और उसका सारा पानी पी जाएगा, जब उनके बाद ही दूसरा गिरोह आएगा तो वह ऐसा सूखा पड़ा होगा कि वह कहेंगे, शायद ही यहाँ कभी पानी होगा। हज़रत ईसा (ﷺ) और आपके साथी मोमिन वहाँ इस क़द्र महसूर रहेंगे कि एक बैल का सर उन्हें उससे भी अच्छा लगेगा जैसे तुम्हें आज एक सौ दीनार महबूब हैं, अब आप और मोमिन अल्लाह से दुआएँ और इल्तिजा करेंगे, अल्लाह तआला याजूज माजूज पर गर्दन की गिल्टी की बीमारी भेज देगा जिसमें सारे के सारे एक साथ एक दम फ़ना हो जाएँगे। फिर हज़रत ईसा (ﷺ) और आपके साथी ज़मीन पर उतरेंगे, मगर ज़मीन पर बालिश्त भर जगह भी ऐसी न पाएँगे जो उनकी लाशों से और बदबू से ख़ाली हो, फिर आप अल्लाह तआला से दुआएँ और इल्तिजा करेंगे तो बुख़्ती ऊँटों की गर्दनों के बराबर एक क़िस्म के परिन्दे अल्लाह तआला भेजेगा जो उनकी लाशों को जहाँ अल्लाह चाहेगा डाल आएँगे। फिर बारिश होगी जिससे तमाम ज़मीन धुल-धुलाकर हथेली जैसी हो जाएगी। फिर ज़मीन को हुक्म होगा कि अपने फल निकाल और अपनी बरकतें लौटा। उस वक़्त एक अनार एक जमाअत को काफ़ी होगा, और वह सब उसके छिल्के तले आराम हासिल कर सकेंगे। एक ऊँटनी का दूध एक पूरे क़बीले से नहीं पिया जाएगा, फिर परवरदिगारे आलम एक मज़ेदार और पाकीज़ा हवा चलाएगा जो तमाम ईमान वाले मर्द औरतों की बग़ल तले से निकल जाएगी और साथ ही उनकी रूह भी परवाज़ कर जाएगी और बदतरीन लोग बाक़ी रह जाएँगे जो आपस में गधों की तरफ़ धींगा मश्ती में मशग़ूल हो जाएँगे। उन पर क़यामत क़ायम होगी।'' (सहीह मुस्लिम, किताबुल फ़ितन, बाब ज़िक्रुद् दज्जाल : 2937; मुस्नद अहमद : 4/181; इनके अलावा यह रिवायत मुख़्तसरन उन जगहों में भी मौजूद है। अबूदाऊद : 4321; तिर्मिज़ी : 2240; अस्सुननुल कुब्रा : 8024; मुअजमुस्सहाबा : 3/163; अमलल यौम वल्लैला : 947) मुस्नद अहमद में भी एक ऐसी ही हदीस है, उसे हम सूरह अम्बिया की आयत (حَتّٰىٓ اِذَا فُتِحَتْ يَاْجُوْجُ وَمَاْجُوْجُ) (21/अम्बिया : 96) की तफ़सीर में बयान करेंगे, इंशाअल्लाह तआला। सहीह मुस्लिम में है कि एक शख़्स हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) के पास आया और कहा कि यह क्या बात है? जो मुझे पहुँची है कि आप फ़र्माते हैं क़यामत यहाँ यहाँ तक आ जाएगी। आपने सुब्हानल्लाह या **ला इलाहा इल्लल्लाहु** कहकर फ़र्माया, मेरा तो अब जी चाहता है कि तुम्हें

अब कोई ह़दीस ही न सुनाऊँ। मैंने तो यह कहा था कि कुछ ज़माने के बाद तुम बड़े-बड़े काम देखोगे, बैतुल्लाह जला दिया जाएगा और यह होगा और वो होगा वग़ैरह। फिर फ़र्माया, रसूलुल्लाह (ﷺ) का फ़र्मान है कि ''दज्जाल निकलेगा और मेरी उम्मत में चालीस तक ठहरेगा मुझे मालूम नहीं कि चालीस दिन या चालीस महीने या चालीस साल, फिर अल्लाह तआला ईसा बिन मरयम (عليه السلام) को भेजेगा, आपकी सूरत मिस्ल ह़ज़रत उ़र्वा बिन मसऊ़द (रज़ि.) के है , आप दज्जाल को तलाश करके क़त्ल करेंगे, फिर साल साल लोग इस त़रह़ रहेंगे कि दो में कुछ अ़दावत न होगी, फिर एक ठण्डी हवा शहरे शाम की त़रफ़ से चलेगी और सब ईमान वालों को फ़ौत कर देगी, जिसके दिल में एक ज़र्रा बराबर भी भलाई या ईमान होगा अगरचे वह किसी पहाड़ के ग़ार में हो, वह भी फ़ौत हो जाएगा फिर बदतरीन लोग बाक़ी रह जाएँगे जो परिन्दों जैसे हल्के और दरिन्दों जैसे दिमाग़ों वाले होंगे, अच्छाई बुराई की कोई तमीज़ उनमें न होगी, शैत़ान उनके पास इंसानी सूरत में आकर उन्हें बुतपरस्ती की त़रफ़ माइल कर देगा लेकिन उनकी इस ह़ालत में भी उनकी रोज़ियों के दरवाज़े उन पर खुले हुए होंगे और ज़िन्दगी बाआराम गुज़र रही होगी, फिर सूर फूँका जाएगा जिससे लोग गिरने पड़ने लगेंगे, एक शख़्स जो अपने ऊँटों को पानी पिलाने के लिए उनका ह़ौज़ ठीक कर रहा होगा सबसे पहले सूर की आवाज़ उसके कान में पड़ेगी जिससे यह और तमाम लोग बेहोश हो जाएँगे, ग़र्ज़ कि सबके फ़ना हो चुकने के बाद अल्लाह तआला बारिश बरसाएगा जो मिस्ल शबनम के या मिस्ल साये के होगा। उससे दोबारा जिस्म पैदा होंगे फिर दूसरा सूर फूँका जाएगा, सब के सब जी उठेंगे। फिर कहा जाएगा, लोगों! अपने रब की त़रफ़ चलो, फ़रिश्तों से कहा जाएगा इन्हें ठहराओ, इनसे सवाल किया जाएगा, फिर फ़र्माया जाएगा, जहन्नम का ह़िस्सा निकालो। पूछा जाएगा, कितनों से कितने? जवाब मिलेगा हर हज़ार में से नौ सौ निन्नान्वे, यह दिन है जो बच्चों को बूढ़ा बना देगा और यही दिन है कि जिसमें पिण्डली खोली जाएगी।'' (स़ह़ीह़ मुस्लिम, किताबुल फ़ितन, बाब ख़ुरूजुद् दज्जाल व मकसहू फ़िल अर्ज़.....: 2940)

मुस्नद अह़मद में है ''इब्ने मरयम (عليه السلام) बाबे लुद के पास यालिस की जानिब मसीह़ दज्जाल को क़त्ल करेंगे।'' (मुस्नद अह़मद : 3/420; अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक़ : 20835) तिर्मिज़ी में बाबे लुद है और यह ह़दीस स़ह़ीह़ है। (तिर्मिज़ी, किताबुल फ़ितन, बाब मा जाअ फ़ी क़त्लि ईसा बिन मरयम अद्दज्जाल : 2244; वहुव ह़सन) इसके बाद इमाम तिर्मिज़ी (रह़.) ने चंद और स़ह़ाबा (रज़ि.) के नाम लिए हैं कि उनसे भी इस बाब की अह़ादीस मरवी हैं तो इससे मुराद वह अह़ादीस हैं जिनमें दज्जाल का मसीह़ (عليه السلام) के हाथ से क़त्ल होना मज़्कूर है। सिर्फ़ दज्जाल के ज़िक्र की अह़ादीस तो बेशुमार हैं जिन्हें जमा करना सख़्त दुश्वार है। मुस्नद में है कि अ़र्फ़ा से आते हुए ह़ुज़ूर (ﷺ) अपने स़ह़ाबा (रज़ि.) के एक मज्मआ के पास से गुज़रे उस वक़्त वहाँ क़यामत के ज़िक्र अज़्कार हो रहे थे, तो आपने फ़र्माया, ''जब तक दस बातें न हो लें क़यामत क़ायम न होगी, आफ़ताब का मग़्रिब की जानिब से निकलना, धुएँ का आना, दाब्बतुल अर्ज़ का निकलना, याजूज-माजूज का आना, ईसा बिन मरयम (عليه السلام) का नाज़िल होना, दज्जाल का आना, तीन जगह ज़मीन का धंस जाना, शरक़ो, ग़रब में और जज़ीरा अ़रब में और अ़दन से एक आग का निकलना जो लोगों को हाँककर एक जगह कर देगी, वह शब बाशी भी उन ही के साथ करेगी और जब दोपहर को वह आराम करेंगे यह आग उनके साथ ही रहेगी।''

(मुस्नद अह्मद : 4/6; वहुव सह़ीह़; इब्ने ह़िब्बान : 6843; मुस्नद हुमैदी : 827; तबरानी : 3033; शरहुस्सुन्ना : 4250; अल्आहाद वल मसानी : 1013; मुस्नद तयालिसी : 1067; इस रिवायत की सनद सह़ीह़ है। देखिए (अल्मौसूअतुल ह़दीसिया : 26/63)) यह ह़दीस मुस्लिम और सुनन में भी है। (सह़ीह़ मुस्लिम, किताबुल फ़ितन, बाब फ़िल आयातिल् लती तकूनु क़ब्लस्साअत : 2901; अबूदाऊद : 4311; तिर्मिज़ी : 2183; सुननुल कुब्रा लिन्नसाई : 11380; इब्ने माजा : 4041 मुख़्तसरन) और ह़ज़रत हुज़ैफ़ा बिन उसैद ग़फ़्फ़ारी (रज़ि.) से मौक़ूफ़न भी मरवी है, वल्लाहु आलम! पस आँह़ज़रत (ﷺ) की यह मुतवातिर अह़ादीस जो ह़ज़रत अबू हुरैरा, ह़ज़रत मसऊद, ह़ज़रत उस्मान बिन अबुल आस, ह़ज़रत अबू उमामा, ह़ज़रत नुवास बिन सम्आन, ह़ज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर, ह़ज़रत मज्मअ बिन जादिया, ह़ज़रत शुरैह़ा और ह़ज़रत हुज़ैफ़ा बिन उसैद (रज़ि.) से मरवी हैं यह साफ़ दलालत करती हैं कि ह़ज़रत ईसा (عليه السلام) नाज़िल होंगे। साथ ही इनमें यह भी बयान है कि किस तरह़ उतरेंगे और कहाँ उतरेंगे? और किस वक़्त उतरेंगे यानी सुबह़ की नमाज़ की इक़ामत के वक़्त शाम के शहर दमिश्क़ के शरक़ी (पूर्वी) मीनार पर उतरेंगे। उस ज़माने में यानी 741 हिज्री में जामेअ अम्वा का मीनार सफ़ेद पत्थर से बहुत मज़बूत बनाया गया है इसलिए कि आग के सदमा से यह जल गया था और यह आग लगाने वाले ग़ालिबन मल्ऊन ईसाई थे, क्या अजब कि यही वह मीनारा हो जिस पर मसीह़ बिन मरयम (عليه السلام) नाज़िल हों गे और सूअरों को क़त्ल करेंगे। सलीबों को तोड़ देंगे, जिज़्ये को हटा देंगे और सिवाए दीने इस्लाम के और दीन क़बूल न करेंगे जैसे कि बुख़ारी व मुस्लिम की ह़दीसें गुज़र चुकी हैं जिनमें पैग़म्बर मुह़म्मद (ﷺ) ने यह ख़बर दी है और इसे साबित बतलाया है यह वह वक़्त होगा जब तमाम शक शुबा हट जाएँगे और लोग ह़ज़रत ईसा (عليه السلام) की पैरवी के मातह़त इस्लाम क़बूल कर लेंगे। जैसे इस आयत में है और जैसे फ़र्मान है (وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ) (43/ज़ुख़रुफ़ : 61) एक क़िराअत में लअलमुन है यानी ''जनाब मसीह़ (عليه السلام) का नुज़ूल क़यामत का एक ज़बरदस्त निशान है'' यानी क़ुर्बे क़यामत का, इसलिए कि आप दज्जाल के आ चुकने के बाद तशरीफ़ लाएँगे, उसे क़त्ल करेंगे, जैसे कि सह़ीह़ ह़दीस में है कि ''अल्लाह तआला ने कोई बीमारी ऐसी नहीं पैदा की जिसका इलाज न मुहय्या किया हो।'' (सह़ीह़ बुख़ारी, किताबुत्तिब, बाब मा अन्ज़लल्लाहु दाअन इल्ला अंज़ला लहू शिफ़ाअन : 5678) आप ही के वक़्त में याजूज माजूज निकलेंगे जिन्हें अल्लाह तआला आप (عليه السلام) की दुआ की बरकत से हलाक करेगा। क़ुरआन करीम उनके निकलने की भी ख़बर देता है, फ़र्मान है (حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ ۝ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ) (21/अम्बिया : 96, 97) यानी याजूज-माजूज का निकलना भी क़ुर्बे-क़यामत की दलील है, अब ह़ज़रत ईसा बिन मरयम (عليه السلام) की सिफ़तें मुलाह़िज़ा हों, पहले की दो ह़दीसों में आपकी सिफ़त गुज़र चुकी है।

बुख़ारी व मुस्लिम में है कि ''मैंने ह़ज़रत मूसा (عليه السلام) से मुलाक़ात की वह दरम्याना क़द, साफ़ बालों वाले हैं जैसे शनूआ क़बीले के लोग होते हैं और ह़ज़रत ईसा (عليه السلام) से भी मुलाक़ात की, वह लाल रंग म्याना क़द हैं, ऐसा मालूम होता है कि गोया अभी ह़म्माम (गुसलख़ाने) से निकले हैं। ह़ज़रत इब्राहीम (عليه السلام) को भी मैंने देखा बस वह बिलकुल मुझ जैसे थे।'' (सह़ीह़ बुख़ारी, किताब अह़ादीसुल अम्बिया, बाब क़ौलुल्लाहि

तआला (वज़्कुर फ़िल किताबि मरयम इज़न् तबज़त मिन अहलिहा) : 3437; सहीह मुस्लिम : 168) बुख़ारी की और रिवायत में है। "हज़रत ईसा (ﷺ) सुर्ख़ रंग घुँघराले बालों वाले और चौड़े चकले सीने वाले थे, (हज़रत) मूसा (ﷺ) गंदुमी रंग के जिस्म और सीधे बालों वाले थे जैसे रब्त के लोग होते हैं।" (सहीह बुख़ारी, किताब अहादीसुल अम्बिया, बाब क़ौलुल्लाहि तआला (वज़्कुर फ़िल किताबि मरयम इज़म् तबज़त मिन अहलिहा) : 3438) इसी तरह आपने दज्जाल की शक्लो सूरत भी बयान कर दी है कि उसकी दाहिनी आँख कानी होगी जैसे फूला हुआ अंगूर। (सहीह बुख़ारी, हवाला साबिक़ : 3439; सहीह मुस्लिम : 169) आप (ﷺ) फ़र्माते हैं "मुझे कअबा के पास ख़्वाब में दिखलाया गया कि एक बहुत गंदुमी रंग वाले जिनके सर के पट्टे दोनों मुन्धों तक थे, साफ़ बालों वाले, जिनके सर से पानी के क़तरे टपक रहे थे, दो शख़्सों के मुन्धों पर हाथ रखे तवाफ़ कर रहे हैं। मैंने पूछा, यह कौन हैं? तो मुझे बतलाया गया कि यह मसीह बिन मरयम हैं। मैंने उनके पीछे ही एक शख़्स को देखा जिसके दाहिनी आँख कानी थी, इब्ने क़तन से बहुत मिलता जुलता था, सख़्त उलझे हुए बाल थे वह भी दो शख़्सों के मुन्धों पर हाथ रखे बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहा है। मैंने कहा, यह कौन है? कहा गया, यह मसीहुद् दज्जाल है।" (सहीह बुख़ारी, किताब अहादीसुल अम्बिया, बाब क़ौलुल्लाहि तआला (वज़्कुर फ़िल किताबि मरयम इज़म् तबज़त मिन अहलिहा) : 3440; सहीह मुस्लिम : 169) बुख़ारी की रिवायत में हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) से मरवी है, कहा, अल्लाह की क़सम! हुज़ूर (ﷺ) ने ईसा (ﷺ) को लाल रंग का नहीं बतलाया बल्कि आपने गंदुमी रंग का बतलाया है फिर ऊपर वाली पूरी हदीस है, हज़रत ज़ोहरी (रह.) फ़र्माते हैं इब्ने क़तन क़बीला ख़ुज़ाआ का एक शख़्स था जो जाहिलियत में मर चुका था। (सहीह बुख़ारी, हवाला साबिक़ : 3441; सहीह मुस्लिम : 171; बिदूनि क़ौलज़्ज़ोहरी) वह हदीस भी गुज़र चुकी जिसमें यह बयान है कि "जनाब मसीह (ﷺ) अपने नुज़ूल के बाद चालीस साल रहेंगे फिर फ़ौत होंगे और मुसलमान आप (ﷺ) का जनाज़ा की नमाज़ अदा करेंगे।" इस रिवायत की तख़रीज आयत 159 के तहत गुज़र चुकी है।) हाँ! मुस्लिम की एक हदीस में है कि "आप (ﷺ) यहाँ सात साल रहेंगे।" (शैख़ अल्बानी (रह.) क़िस्सतुल मसीहिद् दज्जाल पेज 145 में लिखते हैं कि इस रिवायत की सहीह मुस्लिम (2940) में कोई असल नहीं बल्कि सात साल के बारे में यह है कि उनके बाद लोग सात साल उस हालत में रहेंगे कि उनके बीच कोई अदावत न होगी।) तो मुम्किन है कि चालीस साल का फ़र्मान उस मुद्दत समेत हो जो आपने दुनिया में अपने आसमानों पर उठाए जाने से पहले गुज़ारी है जिस वक़्त आप उठाए गए, उस वक़्त आप (ﷺ) की उम्र तैंतीस साल की थी और सात साल अब आख़िर ज़माने के तो पूरी चालीस साल हो गए, वल्लाहु आलम! (इब्ने असाकिर) कुछ का क़ौल है जब आप (ﷺ) आसमानों पर चढ़ाए गए उस वक़्त आप (ﷺ) की उम्र डेढ़ साल की थी, यह बिलकुल वाही और दूर का क़ौल है, हाँ! हाफ़िज़ अबुल क़ासिम (रह.) ने अपनी तारीख़ में कुछ सल्फ़ से यह भी वारिद किया है कि आप (ﷺ) हुज़ूर (ﷺ) के हुज्रे में आपके साथ दफ़न किए जाएँगे। (मज्मउज़्ज़वाइद : 8/206; तिर्मिज़ी, किताब मनाक़िब, बाब सलुल्लाह लिल वसीला : 3617; वसनदुहू हसन) वल्लाहु आलम! फिर इर्शाद है कि "यह क़यामत के दिन उन पर गवाह होंगे" यानी इस बात के कि अल्लाह की रिसालत आपने उन्हें पहुँचा दी थी और ख़ुद आपने अल्लाह की उबूदियत का इक़रार किया था जैसे सूरह माइदा के आख़िर में (व इज़ क़ालल्लाह) से (हकीम) तक है यानी आपकी गवाही का वहाँ ज़िक्र है और अल्लाह के सवाल का।

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبٰتٍ اُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ
سَبِيْلِ اللّٰهِ كَثِيْرًا ﴿۱۶۰﴾ وَّاَخْذِهِمُ الرِّبٰوا وَقَدْ نُهُوْا عَنْهُ وَاَكْلِهِمْ اَمْوَالَ النَّاسِ
بِالْبَاطِلِ ؕ وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿۱۶۱﴾ لٰكِنِ الرّٰسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ
مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُوْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيْمِيْنَ
الصَّلٰوةَ وَالْمُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَالْمُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ اُولٰٓئِكَ
سَنُؤْتِيْهِمْ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿۱۶۲﴾

तर्जुमा : ''जो नफ़ीस चीज़ें उनके लिए हलाल की गई थी वह हमने उन पर हराम कर दीं, उनके ज़ुल्म के सबब और अल्लाह की राह से अकसर लोगों को रोकने के सबब। (160) और सूद जिससे वह मना किये गये थे उसे लेने के सबब और लोगों का माल नाहक़ मार खाने के सबब। उनमें से जो कुफ़्फ़ार हैं हमने उनके लिए अलमनाक अज़ाब मुहय्या कर रखे हैं। (161) लेकिन उनमें से जो कामिल और मज़बूत इल्म वाले हैं और ईमान वाले हैं जो उस पर ईमान लाते हैं जो तेरी तरफ़ उतारा गया और जो तुझसे पहले उतारा गया और नमाज़ को क़ायम करने वाले हैं और ज़कात के अदा करने वाले हैं और अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखने वाले हैं। यह है जिन्हें हम बहुत बड़े-बड़े अजर अता फ़र्माएँगे।'' (162)

बतौर सज़ा हलाल चीज़ें अल्लाह तआला ने हराम कर दीं (आयत 160-162) : इस आयत के दो मतलब हो सकते हैं एक तो यह कि हुर्मत क़द्री हो यानी मुक़द्दराते इलाही में यह था कि यह लोग अपनी किताब को बदल दें, उसमें तहरीफ़ कर लें और हलाल चीज़ों को अपने ऊपर हराम ठहरा लें, सिर्फ़ अपने तशद्दुद और अपनी सख़्तगीरी की वजह से। दूसरा यह कि हुर्मते शरई है यानी नुज़ूले तौरात से पहले जो कुछ चीज़ें उन पर हलाल थीं तौरात के उतरने के वक़्त उनकी कुछ बदकारियों की वजह से वह हराम क़रार दे दी गईं, जैसे फ़र्मान है (كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِّبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ)(6/अन्आम : 147) यानी ऊँट का गोश्त और दूध जो हज़रत इस्राईल (عليه السلام) ने अपने ऊपर हराम कर लिया था उसके मासिवा तमाम खाने बनी इस्राईल के लिए हलाल थे फिर तौरात में उन पर कुछ चीज़ें हराम की गईं। जैसे सूरह अन्आम में फ़र्माया (**व अलल्लज़ीना हादू हर्रम्ना....**) ''और यहूदियों पर हमने हर नाख़ुनदार जानवर हराम कर दिया और गाय बकरी की चर्बी भी जो

अलग-थलग हो, हमने उन पर हराम क़रार दे दी।" यह इसलिए कि यह बाग़ी ताग़ी और मुख़ालिफ़े रसूल और इख़्तिलाफ़ करने वाले लोग थे। पस यहाँ भी यही बयान हो रहा है कि उनकी ज़ुल्म व ज़्यादती के सबब, ख़ुद अल्लाह की राह से हटकर दूसरों को उससे भटकाने के सबब जो उनकी पुरानी आदत थी, रसूलों के दुश्मन बन जाते थे, उन्हें क़त्ल कर डालते थे, उन्हें झुठलाते थे, मुक़ाबला करते थे और तरह तरह के हीले करके सूदख़ोरियाँ करते थे जो महज़ हराम थीं, और भी जिस तरह बन पड़ता लोगों के माल मार खाने की ताक में लगे रहते और इस बात को जानते हुए कि अल्लाह ने यह काम हराम किए हैं, जुरअत से उन्हें कर गुज़रते थे, इस सबब उन पर हलाल चीज़ें भी कुछ कुछ हमने हराम कर दीं। उन कुफ़्फ़ार के लिए दर्दनाक अज़ाब तैयार हैं "लेकिन उनमें जो सच्चे दीन वाले और पुख़्ता इल्म वाले हैं। इस जुम्ला की तफ़्सीर सूरह आले इमरान में गुज़र चुकी है और जो मोमिन हैं यह तो क़ुरआन को और तमाम पहली किताबों को मानते हैं।" हज़रत इब्ने अब्बास(रज़ि.) फ़र्माते हैं इससे मुराद हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम, हज़रत सअल्बा बिन सईद, हज़रत ज़ैद बिन सईद, हज़रत उसैद बिन उबेद (रज़ि.) हैं जो इस्लाम में आ गए थे और हुज़ूर (ﷺ) की नबुव्वत को मान चुके थे। आगे का जुम्ला (**वल्मुक़ीमीनस्सलात**) तमाम अइम्मा (रह.) के क़ुरआन में और उबय बिन कअब (रज़ि.) के मुस्हफ़ में इसी तरह है लेकिन बक़ौल अल्लामा इब्ने जरीर इब्ने मसऊद (रज़ि.) के सहीफ़ा में (**वल मुक़ीमूनस्सलात**) है। सहीह क़िरअत अगली ही है जिन लोगों ने इसे किताबत की ग़लती बताया है उनका क़ौल ग़लत है कुछ तो कहते हैं इसकी नसबी हालत मदह की वजह से है जैसे (وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا وَالصّٰبِرِيْنَ) (2/बक़रह : 177) में है और कलामे अरब में और शेअरों में बराबर यह क़ायदा मौजूद पाया जाता है। कुछ कहते हैं, यह ग़लत है। अगले जुम्ले पर यानी (**बिमा उंज़िला इलैक वमा उंज़िला मिन क़ब्लिक**) पर यानी "वह उस पर भी ईमान लाते हैं और नमाज़ के क़ायम करने पर भी उनका ईमान हैं" यानी उसे वाजिब व बरहक़ मानते हैं। यहाँ यह मतलब है इससे मुराद फ़रिश्ते हैं यानी उनका क़ुरआन पर और अल्लाह की किताबों पर और फ़रिश्तों पर ईमान है, इमाम इब्ने जरीर (रह.) इसी को पसंद फ़र्माते हैं लेकिन इसमें ताम्मुल की जरूरत है, वल्लाहु आलम!

"और ज़कात अदा करने वाले हैं" यानी माल की या जान की और दोनों भी मुराद हो सकते हैं, वल्लाहु आलम! और सिर्फ़ अल्लाह ही को लायक़े इबादत जानते हैं और मौत के बाद की ज़िन्दगी पर भी यक़ीने कामिल रखते हैं कि हर भले बुरे अमल की जज़ा, सज़ा उस दिन में मिलेगी, यही लोग हैं जिन्हें हम अज्रे अज़ीम यानी जन्नत देंगे।

***

إِنَّآ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ كَمَآ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ نُوحٍ وَٱلنَّبِيِّـۧنَ مِنۢ بَعْدِهِۦ ۚ وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰٓ
إِبْرَٰهِيمَ وَإِسْمَٰعِيلَ وَإِسْحَٰقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ
وَهَٰرُونَ وَسُلَيْمَٰنَ ۚ وَءَاتَيْنَا دَاوُۥدَ زَبُورًا ﴿١٦٣﴾ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَٰهُمْ عَلَيْكَ مِن
قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ۚ وَكَلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ﴿١٦٤﴾ رُّسُلًا
مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةٌۢ بَعْدَ ٱلرُّسُلِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ
عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١٦٥﴾

तर्जुमा : "यक़ीनन हमने तेरी तरफ़ उसी तरह वही की है जैसे कि नूह (अलैहि०) और उनके बाद वाले नबियों की तरफ़ की, और हमने वही की इब्राहीम और इस्माईल और इस्हाक़ और याक़ूब (अलैहि०) और उनकी औलादों पर और ईसा और अय्यूब और यूनुस और हारून और सुलेमान (अलैहि०) की तरफ़ और हमने दाऊद (अलैहि०) को ज़बूर अता फ़र्माई। (163) और तुझसे पहले के बहुत से रसूलों के व ाक़ियात हमने तुझसे बयान किए हैं और बहुत से रसूलों के नहीं भी किए और मूसा (अलैहि०) से अल्लाह तआला ने साफ़ तौर पर क़लाम किया। (164) हमने उन्हें रसूल बनाया है जो ख़ुश-ख़बरियाँ सुनाने वाले और आगाह करने वाले ताकि लोगों की कोई हुजत और इल्ज़ाम रसूलों के भेजने के बाद अल्लाह तआला पर न रह जाए, अल्लाह तआला बड़ा ग़ालिब और बड़ा हिक्मत वाला है।" (165)

अम्बिया की तादाद, उनके दरजात और आसमानी किताबें (आयत 163-165) : हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़र्माते हैं कि सकन और अदी बिन ज़ेद ने कहा, ऐ मुहम्मद (सल्ल०)! हम नहीं मानते कि हज़रत मूसा (अलैहि०) के बाद अल्लाह तआला ने किसी इंसान पर कुछ उतारा हो, इस पर यह आयात उतरीं। (तब्री : 9/40; इसकी सनद में मुहम्मद बिन अबी मुहम्मद मज्हूल रावी है। (अज़्ज़ुअफ़ा वल मतरूकीन लि इब्ने जौज़ी : 3/96; रक़म : 3179) मुहम्मद बिन कअब कुरज़ी (रह.) फ़र्माते हैं जब आयत (यस्अलुक अहलुल किताब) से (अज़ीमा) तक उतरी और यहूदियों के बुरे आमाल का आइना उनकेसामने रख दिया गया तो उन्होंने साफ़ कह दिया कि किसी इंसान पर अल्लाह ने कोई अपना कलाम नाज़िल नहीं फ़र्माया, न मूसा

(अलैहि०) पर न ईसा (अलैहि०) पर न किसी और नबी पर। आप (सल्ल०) उस वक़्त गोठ लगाए बैठे थे, उसे आपने खोल दिया और फ़र्माया, किसी पर भी नहीं? पस अल्लाह तआला ने यह आयत (**वमा क़दरुल्लाह**) नाज़िल फ़र्माई। लेकिन यह क़ौल ताम्मुल तलब है इसलिए कि यह आयत सूरह अन्आम में है जो मक्किया है और सूरह निसाअ की मुंदर्जा बाला आयत मदनिया है जो उनके रद्द में है जबकि उन्होंने कहा था कि आसमान से कोई किताब आप उतार लाएँ जिसके जवाब में फ़र्माया गया कि हज़रत मूसा (अलैहि०) से उन्होंने इससे भी बड़ा सवाल किया था फिर उनके ड़यूब बयान फ़र्माए और उनकी पहली और अब की स्याहकारियाँ खोलीं, फिर फ़र्माया कि "अल्लाह तआला ने अपने बन्दे और रसूल हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) की तरफ़ उसी तरह वह्यी नाज़िल फ़र्माई है जिस तरह और अम्बिया की तरफ़" ज़बूर उस किताब का नाम है जो हज़रत दाऊद (अलैहि०) पर उतरी थी। उन अम्बिया (अलैहि०) के क़िस्से सूरह क़सस की तफ़्सीर में बयान करेंगे, इंशाअल्लाह तआला। फिर फ़र्माता है इस आयत यानी मक्की सूरत की आयत से पहले बहुत से अम्बिया (अलैहि०) का ज़िक्र हो चुका है। और बहुत सों का नहीं भी हुआ। जिन अम्बिया (अलैहि०) के नाम कुरआन के लफ़्ज़ों में आ गए हैं यह हैं, आदम, इदरीस, नूह, हूद, सालेह, इब्राहीम, लूत, इस्माईल, इस्हाक़, याक़ूब, शुऐब, मूसा, हारून, यूनुस, दाऊद, सुलेमान, यस्आ, ज़करिया, ईसा, यह्या, और बक़ौल अकसर मुफ़स्सिरीन ज़ुल किफ़्ल, अय्यूब और इलियास (अलैहि०) और हज़रत मुहम्मद (सल्ल०)। और बहुत से ऐसे रसूल भी हैं जिनका ज़िक्र क़ुरआन में नहीं किया गया। इसी वजह से अम्बिया और मुर्सलीन की तादाद में इख़्तिलाफ़ है। इस बारे में मशहूर हदीस हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) की है जो तफ़सीर इब्ने मर्दवे में यूँ है कि आपने पूछा, या रसूलल्लाह (सल्ल०)! अम्बिया कितने हैं? "फ़र्माया एक लाख चौबीस हज़ार।" मैंने पूछा कि उनमें से रसूल कितने हैं? फ़र्माया "तीन सौ तेरह, बहुत बड़ी जमाअत" मैंने फिर पूछा, सबसे पहले कौनसे हैं? फ़र्माया, "आदम (अलैहि०)।" मैंने कहा, क्या वह भी रसूल थे? फ़र्माया, "हाँ! अल्लाह तआला ने उन्हें अपने हाथ से पैदा किया फिर उनमें अपनी रूह फूँकी फिर दुरुस्त और ठीक-ठाक किया" फिर फ़र्माया, "ऐ अबू ज़र! चार सिरयानी हैं, आदम, शीस, नूह और ख़नूख़ (अलैहि०) जिनका मशहूर नाम इदरीस (अलैहि०) है। इन ही ने पहले क़लम से ख़त लिखा। चार अरबी हैं। हूद, सालेह, शुऐब (अलैहि०) और तुम्हारे नबी (सल्ल०) ऐ अबू ज़र! बनू इस्राईल में पहले नबी हज़रत मूसा (अलैहि०) हैं और आख़िरी हज़रत ईसा (अलैहि०) हैं, तमाम नबियों में सबसे पहले हज़रत आदम (अलैहि०) हैं और सबसे आख़िरी नबी तुम्हारे नबी (सल्ल०) हैं।" (इब्ने हिब्बान 361; व सनदुहू ज़ईफ़ुन जिद्दा, हिल्यतुल औलिया : 1/166; इसकी सनद में इब्राहीम बिन हिशाम बिन यह्या बिन ग़स्सानी दमिश्क़ी मजरूह रावी है। अबू हातिम ने इसे कज़्ज़ाब कहा है (अल्जरह वत्तादील : 3/142; रक़म : 469) इमाम ज़हबी ने मतरूक कहा है (अल्मीज़ान : 7/179; रक़म : 9522) जिसकी वजह से यह रिवायत सख़्त ज़ईफ़ है।) इस पूरी हदीस को जो बहुत लम्बी है, हाफ़िज़ अबू हातिम (रह.) ने अपनी किताब अल्अन्वाउ वत्तक़ासीम में रिवायत किया है जिस पर सेहत का निशान दिया है लेकिन इनके बरख़िलाफ़ इमाम अबुल फ़र्ज इब्ने जौज़ी (रह.) इसे बिलकुल मौज़ूअ बतलाते हैं और इब्राहीम बिन हिशाम इसके एक रावी पर वज़्ज़ाअ होने का वहम करते हैं। हक़ीक़त यह है कि अइम्मा जरह व तादील में से बहुत से लोगों ने उन पर इस हदीस की वजह से कलाम किया है, वल्लाहु आलम! लेकिन यह हदीस दूसरी सनद से हज़रत अबू उमामा (रज़ि.) से भी मरवी है। (मुस्नद अहमद

: 5/265, 266; व सनदुहू ज़ईफ़; तबरानी : 7871; मज्मउज़्ज़वाइद : 1/159; इस रिवायत में मआन बिन रफ़ाआ (अज़्ज़ुअफ़ा वल मतरूकीन : 3/126; रक़म : 3353) अली बिन यज़ीद (मज्मउज़्ज़वाइद : 1/159) और क़ासिम अबू अब्दुर्रहमान ज़ईफ़ रावी हैं जैसाकि इब्ने कसीर ने ज़िक्र किया जिसकी वजह से यह रिवायत सख़्त ज़ईफ़ है।) लेकिन इसमें मआन बिन रफ़ाआ सलामी ज़ईफ़ हैं और अली बिन यज़ीद भी ज़ईफ़ हैं और क़ासिम बिन अब्दुर्रहमान भी ज़ईफ़ हैं और हदीस अबू यअला में है कि "अल्लाह तआला ने आठ हज़ार नबी भेजे हैं, चार हज़ार बनी इस्राईल की तरफ़ और चार हज़ार बाक़ी और लोगों की तरफ़।" (मुस्नद अबी यअला : 4132; मज्मउज़्ज़वाइद : 8/210; इसकी सनद में मूसा बिन उबेदा रब्ज़ी और यज़ीद रक़्क़ाशी ज़ईफ़ रावी हैं (मज्मउज़्ज़वाइद : 8/210) जिसकी वजह से यह रिवायत भी सख़्त ज़ईफ़ है।) यह हदीस भी ज़ईफ़ है इसमें रब्ज़ी और उसके उस्ताद रक़्क़ाशी दोनों ज़ईफ़ हैं, वल्लाहु आलम! अबू यअला की एक और हदीस में है कि आप (ﷺ) ने फ़र्माया, "आठ हज़ार अम्बिया मेरे भाई गुज़र चुके हैं उनके बाद हज़रत ईसा (عليه السلام) आए उनके बाद मैं आया हूँ।" (मुस्नद अबी यअला : 4092; मज्मउज़्ज़वाइद : 8/211; इस रिवायत में मुहम्मद बिन साबित अब्दी लीनुल हदीस रावी है। (अत्तक़रीब : 2/149) जबकि यज़ीद रक़्क़ाशी ज़ईफ़ (अत्तक़रीब : 2/361) है।) और हदीस में है "मैं आठ हज़ार नबियों के बाद आया हूँ जिनमें से चार हज़ार तो बनी इस्राईल में से थे।" (हिल्यतुल औलिया : 3/162; इसकी सनद मुस्लिम बिन ख़ालिद की वजह से ज़ईफ़ है।) यह हदीस इस सनद से ग़रीब तो ज़रूर है लेकिन इसके तमाम रावी मारूफ़ हैं और सनद में कोई डर नहीं बजुज़ अहमद बिन तारिक़ के इनके बारे में मुझे कोई अलालत या जरह नहीं मिली, वल्लाहु आलम!

अबू ज़र ग़िफ़ारी (रज़ि.) वाली लम्बी हदीस जो अम्बिया की गिनती के बारे में है उसे भी सुन लीजिए, आप फ़र्माते हैं, मैं मस्जिद में आया उस वक़्त हुज़ूर (ﷺ) अकेले तशरीफ़ फ़र्मा थे, मैं भी आपके पास बैठ गया और कहा, आपने नमाज़ का हुक्म दिया है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, "हाँ! वह बेहतर चीज़ है चाहे कोई ज़्यादती करे, चाहे कमी।" मैंने कहा, हुज़ूर (ﷺ)! कौनसे आमाल अफ़ज़ल हैं? फ़र्माया, "अल्लाह पर ईमान लाना, उसकी राह में जिहाद करना।" मैंने कहा, हुज़ूर (ﷺ)! कौनसा मोमिन अफ़ज़ल है? फ़र्माया, "सबसे अच्छे अख़्लाक़ वाला।" मैंने कहा हुज़ूर (ﷺ) कौनसा मुसलमान आला है? फ़र्माया, "जिसकी ज़ुबान और हाथ से मुसलमान सलामत रहें।" मैंने पूछा कि कौनसी हिज्रत अफ़ज़ल है? फ़र्माया, "बुराइयों को छोड़ देना।" मैंने पूछा कि कौनसी नमाज़ अफ़ज़ल है? फ़र्माया, "लम्बे कुनूत वाली।" मैंने पूछा कौनसा रोज़ा अफ़ज़ल है? फ़र्माया, "फ़र्ज़ किफ़ायत करने वाला है और अल्लाह तआला के पास बहुत बढ़ा चढ़ा अज्रो सवाब है।" मैंने पूछा कौनसा जिहाद अफ़ज़ल है? फ़र्माया, "जिसका घोड़ा भी काट दिया जाए और ख़ुद उसका भी ख़ून बहा दिया जाए।" मैंने कहा, कौनसा गुलाम आज़ाद करना अफ़ज़ल है? फ़र्माया, "जिस क़द्र गिराँ क़ीमत हो और मालिक को ज़्यादा पसंद हो।" मैंने पूछा कौनसा सदक़ा अफ़ज़ल है? फ़र्माया, "कम माल वाले का कोशिश करना और चुपके से मोहताज को दे देना।" मैंने कहा, कुरआन में सबसे बड़ी आयत कौनसी है? फ़र्माया, आयतल कुर्सी फिर आप (ﷺ) ने फ़र्माया, "ऐ अबू ज़र! सातों आसमान कुर्सी

के मुक़ाबले में ऐसे हैं जैसे कोई हल्क़ा किसी चटियल मैदान के मुक़ाबला में और अर्श की फ़ज़ीलत कुर्सी पर भी ऐसी है जैसे वसीअ मैदान की हल्के पर।'' मैंने कहा, हुज़ूर (ﷺ)! अम्बिया कितने हैं? फ़र्माया ''एक लाख चौबीस हज़ार।'' मैंने कहा, उनमें से रसूल कितने हैं? फ़र्माया, तीन सौ तेरह, बहुत बड़ी पाक जमाअत।'' मैंने पूछा, सबसे पहले कौन हैं? फ़र्माया, ''आदम (عليه السلام)।'' मैंने कहा, वह भी नबी रसूल थे? फ़र्माया, ''हाँ! उन्हें अल्लाह तआला ने अपने हाथ से पैदा किया और अपनी रूह उनमें फूँकी और उन्हें सहीह तर बनाया।'' फिर आप (ﷺ) ने फ़र्माया, सुनो! ''चार तो सरयानी हैं। आदम, शीश, ख़नूख़ और यही इदरीस (عليه السلام) हैं जिन्होंने सबसे पहले क़लम से लिखा और नूह (عليه السلام) और चार अरबी हैं। हूद, शुऐब, सालेह (عليه السلام) और तुम्हारे नबी (ﷺ)। सबसे पहले रसूल हज़रत आदम (عليه السلام) हैं और सबसे आख़िरी रसूल मुहम्मद (ﷺ) हैं।'' मैंने पूछा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! अल्लाह तआला ने किताबें किस क़द्र नाज़िल फ़र्माई हैं? फ़र्माया ''एक सौ चार, हज़रत शीस (عليه السلام) पर पचास सहीफ़े और हज़रत ख़नूख़ (عليه السلام) पर तीस सहीफ़े, हज़रत इब्राहीम (عليه السلام) पर दस सहीफ़े, और हज़रत मूसा (عليه السلام) पर तौरात से पहले दस सहीफ़े और तौरात, इंजील, ज़बूर और फ़ुरक़ान।'' मैंने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! हज़रत इब्राहीम (عليه السلام) के सहीफ़ों में क्या था? फ़र्माया, ''उसका कुल यह था, ऐसे मुसल्लत किए हुए बादशाह मतीली मग़रूर मैंने तुझे दुनिया जमा करने और मिला मिलाकर रखने के लिए नहीं भेजा बल्कि इसलिए कि तू मज़्लूम की पुकार को मेरे सामने से हटा दे, अगर मेरे पास पहुँचे तो मैं उसे रद्द न करूँगा गो वह मज़्लूम काफ़िर ही हो, और उनमें मिसालें भी थीं यह कि आक़िल को लाज़िम है कि वह अपने औक़ात के कई हिस्से करे एक वक़्त अपने नफ़्स का हिसाब ले, एक वक़्त अल्लाह की सिफ़त में ग़ौर करे, एक वक़्त अपने खाने पीने की फ़िक्र करे, आक़िल को तीन चीज़ों के सिवा किसी में अपने आपको मुन्हमिक न करना चाहिए या तो तौशा आख़िरत या हुसूले मआश, या ग़ैर हराम चीज़ों से सुरूर व लज़्ज़त। आक़िल को चाहिए कि अपना वक़्त देखता रहे, अपने काम मे लगा रहे। अपनी ज़ुबान की निगहदाश्त करे, जो शख़्स अपने क़ौल को अपने काम से मिलाता रहेगा वह बहुत कम होगा। कलाम करो जो तुम्हें नफ़ा दे।'' मैंने पूछा, मूसा (عليه السلام) के सहीफ़ों में क्या था? फ़र्माया, ''सरासर इब्रतें, मुझे ताज्जुब है उस शख़्स पर जो मौत का यक़ीन रखता है फिर मस्त है, तक़्दीर का यक़ीन रखता है फिर हाय हाय में पड़ा हुआ है, दुनिया की बे सबाती देखता है फिर उस पर इत्मिनान किए हुए है, क़यामत के दिन के हिसाब को जानता है फिर बेअमल है।'' मैं ने कहा, हुज़ूर (ﷺ)! अगले अम्बिया की किताबों में जो था उसमें से कुछ हमारी किताब में हमारे हाथो में है? आपने फ़र्माया, ''हाँ! पढ़ो (قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى) (87/आला : 14) आख़िर सूरत तक।'' मैंने कहा, हुज़ूर (ﷺ)! मुझे वसिय्यत कीजिए। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ''मैं तुझे अल्लाह तआला से डरते रहने की वसिय्यत करता हूँ यही तेरे काम का सर है।'' मैंने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! कुछ और भी। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ''तिलावते क़ुरआन और ज़िक्रुल्लाह में मशग़ूल रह वह तेरे लिए आसमानों में ज़िक्र का और ज़मीन में नूर का सबब होगा।'' मैंने फिर कहा, हुज़ूर (ﷺ)! और ज़्यादा फ़र्माईए, फ़र्माया, ''ख़बरदार! ज़्यादा हंसी से बच वह दिल को मुर्दा कर देती है और चेहरा का नूर दूर कर देती है।'' मैंने कहा और ज़्यादा फ़र्माईए, फ़र्माया, ''जिहाद में मशग़ूल रह, मेरी उम्मत की रुहबानियत और दरवेशी यही है।'' मैंने कहा और वसिय्यत कीजिए। फ़र्माया, ''सिवाए भली बात कहने के ज़ुबान बंद रखाकर, इससे

शैतान भाग जाएगा और दीनी कामों मे बड़ी ताईद होगी।'' मैंने कहा, कुछ और भी फ़र्मा दीजिए। फ़र्माया, ''अपने से नीचे दर्जे के लोगों को देखा कर और अपने से आला दर्जा के लोगों पर नज़रें न डाल, इससे तेरे दिल में अल्लाह की नेअमतों की अज़्मत होगी।'' मैंने कहा, मुझे और ज़्यादा नसीहत कीजिए, फ़र्माया, ''मिस्कीनों से मुहब्बत रख और उनके साथ बैठ, उससे अल्लाह की रहमतें तुझे बहुत बड़ी मालूम होंगी।'' मैंने कहा और फ़र्माईए। फ़र्माया, ''क़राबतदारों से मिला रह, भले वह तुझसे न मिलें।'' मैंने कहा, और। फ़र्माया, ''हक़गोई कर, गो वह किसी को कड़वी लगे।'' मैंने और भी नसीहत तलब की। फ़र्माया, ''अल्लाह तआला के बारे में मलामत करने वाले की मलामत का ख़ौफ़ न कर।'' मैंने कहा और फ़र्माईए। फ़र्माया, ''अपने ऐबों पर नज़र डालकर दूसरों की ऐबगिरी से बाज़ आ जा।'' फिर मेरे सीने पर आप (ﷺ) ने अपना दस्ते मुबारक रखकर फ़र्माया, ''ऐ अबू ज़र! तदबीर के बराबर कोई अक़्लमंदी नहीं और हराम से रुक जाने के बराबर कोई परहेज़गारी नहीं और अच्छे अख़्लाक़ जैसा कोई नसब नहीं।'' (यह रिवायत इब्राहीम बिन हिशाम अल्गस्सानी के ज़ुअफ़ (अल्जरह वत्तादील : 2/1/142; रक़म : 469) की वजह से सख़्त ज़ईफ़ है। जैसकि पीछे गुज़र चुका है और शैख़ अल्बानी (रह.) ने भी इस पर ज़ईफ़ुन जिद्दा का हुक्म लगाया है। देखिए (ज़ईफ़ुल जामेअ : 4931)) मुस्नद अहमद में भी यह हदीस कुछ कमी के साथ है। (मुस्नद अहमद : 5/178, 179)

हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) पूछते हैं कि क्या ख़ारजी भी दज्जाल के क़ाइल हैं? लोगों ने कहा, नहीं! फ़र्माया, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया है, ''मैंने एक हज़ार बल्कि ज़्यादा नबियों को ख़त्म करने वाला हूँ, हर हर नबी ने अपनी उम्मत को दज्जाल से डराया है लेकिन मेरे सामने अल्लाह ने उसकी वह अलामत बयान फ़र्माई हैं जो किसी और से नहीं फ़र्माईं। सुनो! वह भेंगा है और रब ऐसा हो नहीं सकता, उसकी दाहिनी आँख भेंगी कानी है, दीदा ऊपर को उठा हुआ है ऐसा जैसे चूने की साफ़ दीवार पर किसी का खंकार पड़ा हो और उसकी बाएँ आँख एक चमकीले सितारे जैसी है। वह तमाम ज़ुबानें बोलेगा, उसके साथ जन्नत की सूरत होगी, सरसब्ज़ और पानी वाली, और दोज़ख़ की सूरत होगी स्याह धुएँदार।'' (मुस्नद अहमद : 3/79; वसनदुहू ज़ईफ़; अल्हाकिम : 2/597; मुख़्तसरन; मज्मउज़्ज़वाइद : 7/346; इस रिवायत मे मुजालिद बिन सईद (अज़्ज़ुअफ़ा वल मतरूकीन इब्नुल जौज़ी : 3/35) और अब्दुल मुत्आल बिन अब्दुल वह्हाब (अत्ताजीलुल मन्फ़अत लि इब्ने हजर; पेज : 179) ज़ईफ़ रावी हैं जिसकी वजह से यह रिवायत ज़ईफ़ है।) एक हदीस में है ''एक लाख नबियों को ख़त्म करने वाला हूँ बल्कि ज़्यादा का।'' (यह रिवायत भी मुजालिद बिन सईद की वजह से ज़ईफ़ है। जैसाकि पहले गुज़र चुका है।)

मूसा (عليه السلام) का अल्लाह तआला से हमकलाम होना : फिर फ़र्माया, ''मूसा (عليه السلام) से ख़ुद अल्लाह ने साफ़ तौर पर कलाम किया यह उनकी ख़ास सिफ़त है कि वह कलीमुल्लाह थे'' एक शख़्स अबूबक्र बिन अयाश (रह.) के पास आता है और कहता है कि एक शख़्स इस जुम्ला को पढ़ता है ''व कल्लमल्लाह मूसा तक्लीमा'' यानी मूसा (عليه السلام) ने अल्लाह से बात की है। इस पर आप बहुत बिगड़े और फ़र्माया, यह किसी काफ़िर ने पढ़ा होगा। मैंने आमश से, आमश ने यह्या से, यह्या ने अब्दुर्रहमान से, अब्दुर्रहमान ने अली से, अली (रज़ि.) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से पढ़ा है (व कल्लमल्लाहु मूसा तक्लीमा) (मज्मउज़्ज़वाइद : 7/12,

13; अल्मुअ़जमुल औसत़ लित्तबरानी : 8603; हैसमी कहते हैं इस रिवायत में अह़मद बिन अ़ब्दुल जब्बार बिन मैमून ज़ईफ़ रावी है। (मज्मउ़ज़्ज़वाइद ह़वाला साबिक़)) ग़र्ज़ उस शख़्स की मानवी और लफ़्ज़ी तह़रीफ़ पर आप इस क़द्र नाराज़ हुए। अ़जब यह कोई मुअ़तज़िला हो इसलिए कि मुअ़तज़िला का यह अ़क़ीदा है कि न अल्लाह ने मूसा (عليه السلام) से कलाम किया, न किसी और से। किसी मुअ़तज़िला ने एक बुज़ुर्ग के सामने इस आयत को इसी त़रह़ पढ़ा तो उन्होंने उसे बुरा कहकर फ़र्माया, "फिर इस आयत में यह बेईमानी कैसे करोगे? जहाँ फ़र्माया है (وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ) (7/आराफ़ : 142) यानी "मूसा (عليه السلام) हमारे वादे पर आए और उनसे उनके रब ने कलाम किया" मत़लब यह है कि यहाँ तो यह तावील व तह़रीफ़ न चलेगी।

इब्ने मर्दवे की ह़दीस में है कि हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, "जब अल्लाह तआ़ला ने ह़ज़रत मूसा (عليه السلام) से कलाम किया तो वह स्याह चींटी का अंधेरी रात में किसी साफ़ पत्थर पर चलना भी देख लेते थे।" (मज्मउ़ज़्ज़वाइद : 8/203; हैसमी कहते हैं इस रिवायत में ह़सन बिन अबी जाफ़र जुफ़री मतरूक रावी है। (मज्मउ़ज़्ज़वाइद ह़वाला साबिक़) यह ह़दीस ग़रीब है और इसकी इस्नाद सह़ीह़ नहीं और जब मौक़ूफ़न बक़ौल अबू हुरैरा (रज़ि.) साबित हो जाए तो बहुत अच्छी है। मुस्तदरक ह़ाकिम वग़ैरह में है है कि "कलीमुल्लाह (عليه السلام) से जब अल्लाह ने कलाम किया तो वह सूफ़ की चादर और सूफ़ की सलवार और ग़ैर मज़्बूह़ गधे की खाल की जूतियाँ पहने हुए थे। (ह़ाकिम : 2/379; वसनदुहू ज़ईफ़ुन जिद्दा, तिर्मिज़ी, किताबुल् लिबास, बाब मा जाअ फ़ी लुबसिस्सूफ़ : 1734; वसनदुहू ज़ईफ़ु जिद्दा; शरीअ़त लिल आजिरी, पेज : 326; अज़्ज़ुअ़फ़ा लिल अ़क़ीली : 97; अल्कामिल : 2/79; अल्आमाली लि इब्ने शाहीन : 2/66; ज़ैल तारीख़े बग़दाद : 10/125/2; तारीख़े दमिश्क़ : 17/161/1; शैख़ अल्बानी (रह़.) ने इस रिवायत पर ज़ईफ़ुन जिद्दा का हुक्म लगाया है। देखिए (सिलसिलतुज़्ज़ईफ़ : 1240)

इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) फ़र्माते हैं एक लाख चालीस ह़ज़ार बातें अल्लाह तआ़ला ने ह़ज़रत मूसा से (عليه السلام) कीं जो सब वसिय्यतें थीं फिर तो लोगों का कलाम ह़ज़रत मूसा (عليه السلام) से सुना नहीं जाता था क्योंकि कानो में उसी पाक कलाम की गूँज थी। (अल्मुअ़जमुल औसत़ : 3949; इसकी सनद में जुवेबिर बिन सईद नामी रावी मतरूक है (अत्तक़रीब : 1/136; रक़म : 131; अज़्ज़ुअ़फ़ा वल मतरूकीन : 1/177; शैख़ अल्बानी (रह़.) ने इस रिवायत पर ज़ईफ़ुन जिद्दा का हुक्म लगाया है। देखिए (सिलसिलतुज़्ज़ईफ़ : 5258)) इसकी सनद भी ज़ईफ़ है फिर इसमें इंक़िताअ़ भी है। एक असर इब्ने मर्दवे वग़ैरह में है ह़ज़रत जाबिर (रज़ि.) फ़र्माते हैं तूर वाले दिन ह़ज़रत मूसा (عليه السلام) से जो कलाम अल्लाह ने किया उसकी सिफ़त जिस दिन पुकारा था उस कलाम की सिफ़त से अलग थी तो मूसा (عليه السلام) ने उसका भेद मालूम करना चाहा। अल्लाह तआ़ला ने फ़र्माया, मूसा! अभी तो मैंने दस ह़ज़ार ज़ुबानों के बराबर की क़ुव्वत से कलाम किया है ह़ालाँकि मुझे तमाम ज़ुबानों की क़ुव्वत है बल्कि उन सबसे भी ज़्यादा। बनी इस्राईल आपसे सिफ़ते कलामे रब्बानी जब पूछने लगे तो आपने फ़र्माया, मैं तो कुछ नहीं कह सकता। उन्होंने कहा, अच्छा कोई तशबीह तो बयान करो। आपने फ़र्माया, तुमने कड़ाके की आवाज़ सुनी होगी वह उसके मुशाबेह थी लेकिन वैसी न थी। (मज्मउ़ज़्ज़वाइद :

8/204; बज़्ज़ार : 2353; यह रिवायत शरीअत लिल आजरी पेज : 326; अल्मौज़ूआत : 1/112; मरफ़ूअन मरक़ूम है जबकि मौक़ूफ़ और मौज़ूअ रिवायात में फ़ज़्ल बिन ईसा रक़्क़ाशी सख़्त ज़ईफ़ रावी है (अल्मीज़ान : 5/431; रक़म : 6846) इसके एक रावी फ़ज़्ल रक़्क़ाशी ज़ईफ़ हैं और बहुत ही ज़ईफ़ हैं। हज़रत कअब (रह.) फ़र्माते हैं अल्लाह तआला ने जब हज़रत मूसा (عليه السلام) से कलाम किया तमाम ज़ुबानों से सिवा अपने कलाम के तो हज़रत कलीमुल्लाह (عليه السلام) ने पूछा, बारी तआला! यह तेरा कलाम है? फ़र्माया, नहीं! और न तू मेरे कलाम की इस्तिक़ामत कर सकता है। हज़रत मूसा (عليه السلام) ने पूछा कि ऐ रब! तेरी मख़्लूक़ में से किसी का कलाम तेरे कलाम के मुशाबेह है? फ़र्माया नहीं! सिवाए सख़्त बिजली के।

यह रिवायत भी मौक़ूफ़ है और यह ज़ाहिर है कि हज़रत कअब (रह.) अगली किताबों से रिवायत किया करते थे जिनमें बनी इस्राईल की हिकायतें हर तरह की सहीह और ग़ैर सहीह होती हैं। रसूल ही हैं जो अल्लाह की इताअत करने वालों और उसकी रज़ामन्दी के मुतलाशियों को जन्नतों की ख़ुशख़बरियाँ देते हैं और उसके फ़र्मान का ख़िलाफ़ करने वालों और उसके रसूलों को झुठलाने वालों को अज़ाब व सज़ा से डराते हैं।

फिर फ़र्माता है अल्लाह तआला ने अपनी किताबें जो नाज़िल फ़र्माई हैं और अपने रसूल जो भेजे हैं और उनसे अपनी मर्ज़ी नामर्ज़ी जो मालूम कराई है यह इसलिए कि किसी को कोई हुज्जत या किसी का कोई उज़्र बाक़ी न रह जाए जैसे और आयत में है (وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُم بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ) (20/ताहा : 134) यानी "अगर हम इन्हें इससे पहले ही अपने अज़ाब से हलाक कर देते तो वह यह कह सकते थे कि ऐ हमारे रब! तूने हमारी तरफ़ रसूल क्यूँ नहीं भेजे जो हम इनकी बातें मानते और इस ज़िल्लत व रुस्वाई से बच जाते।"

इसी जैसी यह आयत भी है (व लौला अन तुसीबुहुम) (28/क़सस : 47) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम की हदीस में है हुज़ूर (ﷺ) फ़र्माते हैं "अल्लाह तआला से ज़्यादा बाग़ैरत कोई नहीं है इसीलिए अल्लाह तआला ने तमाम बुराईयों को हराम किया है ख़्वाह ज़ाहिर हों ख़्वाह पोशीदा और ऐसा भी कोई नहीं जिसे बनिस्बत अल्लाह की मदह ज़्यादा पसंद हो यही वजह है कि उसने ख़ुद अपनी मदह आप की है और कोई ऐसा नहीं है जिसे अल्लाह से ज़्यादा उज़्र पसंद हो इसी वजह से अल्लाह तआला ने नबियों को ख़ुशख़बरियाँ सुनाने वाले और डराने वाले बनाकर भेजा।" (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर, बाब क़ौलुहू तआला (वला तक़रबुल फ़वाहिश मा ज़हर मिन्हा वमा बतन) : 4634; सहीह मुस्लिम : 2760; तिर्मिज़ी : 353; सुननुल कुब्रा लिन् नसाई : 11173; इब्ने हिब्बान : 294; अहमद : 1/381; इब्ने अबी शैबा : 1/247; अब्दुर्रज़्ज़ाक़ : 1925; शरहुस्सुन्ना : 2373; मुस्नद अबी यअला : 5169; हिल्यतुल औलिया : 5/43; तबरानी : 10441) दूसरी रिवायत में यह अल्फ़ाज़ हैं कि "इसी वजह से उसने रसूल भेजे और किताबें उतारीं।" (सहीह मुस्लिम, किताबुत्तौबा, बाब ग़ैरतुल्लाहि तआला व तहरीमुल फ़वाहिश : 2760)

***

لٰكِنِ اللّٰهُ يَشْهَدُ بِمَآ اَنْزَلَ اِلَيْكَ اَنْزَلَهٗ بِعِلْمِهٖ ۚ وَالْمَلٰٓئِكَةُ يَشْهَدُوْنَ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ
شَهِيْدًا ﴿١٦٦﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَدْ ضَلُّوْا ضَلٰلًاۢ بَعِيْدًا ﴿١٦٧﴾
اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَظَلَمُوْا لَمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيْقًا ﴿١٦٨﴾
اِلَّا طَرِيْقَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ؕ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ﴿١٦٩﴾ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ
قَدْ جَآءَكُمُ الرَّسُوْلُ بِالْحَقِّ مِنْ رَّبِّكُمْ فَاٰمِنُوْا خَيْرًا لَّكُمْ ؕ وَاِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ
لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿١٧٠﴾

तर्जुमा : ''जो कुछ तेरी तरफ़ उतारा है उसकी बाबत ख़ुद अल्लाह गवाही देता है कि उसे अपने इल्म से उतारा है और फ़रिश्ते भी गवाही देते हैं और काफ़ी है अल्लाह गवाह। (166) जिन लोगों ने कुफ़्र किया और अल्लाह की राह से औरों को रोका वह यक़ीनन गुमराही में दूर निकल गए। (167) जिन लोगों ने कुफ़्र किया और ज़ुल्म किया उन्हें अल्लाह तआला हर्गिज़-हर्गिज़ न बख़्शेगा और न उन्हें कोई राह दिखाएगा। (168) बजुज़ जहन्नम की राह के जिसमें वह हमेशा हमेशा पड़े रहेंगे और यह अल्लाह तआला पर बिलकुल आसान है। (169) ऐ लोगों! तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ़ से हक़ लेकर रसूल आ गया है पस तुम ईमान लाओ ताकि तुम्हारे लिए बेहतरी हो, और अगर तुम काफ़िर हो गए तो अल्लाह ही की है हर वह चीज़ जो आसमानों व ज़मीन में है। और अल्लाह दाना है, हिक्मत वाला है।'' (170)

अल्लाह तआला और उसके फ़रिश्ते पैग़म्बर की रिसालत के गवाह हैं (आयत 166-170) : चूँकि पिछली आयतों में हुज़ूर (ﷺ) की नबुव्वत का सबूत था और आप (ﷺ) की नबुव्वत के मुंकिरों का रद्द था इसलिए यहाँ फ़र्माता है कि कुछ लोग तुझे झुठलाएँगे, तेरी मुख़ालिफ़त करेंगे लेकिन अल्लाह ख़ुद ही तेरी रिसालत का शाहिद है वह फ़र्माता है कि उसने अपनी पाक किताब कुरआन मजीद को फ़ुरक़ान हमीद को तुझ पर नाज़िल फ़र्माया है जिसके पास बातिल फटक ही नहीं सकता। इसमें उन चीज़ों का इल्म है जिस पर उसने अपने बन्दों को ख़बरदार करना चाहा यानी दलीलें, हिदायत और फ़ुरक़ान और अल्लाह की रज़ामंदी और

नाराज़ी के अहकाम और गुज़िश्ता की और आइन्दा की ख़बरें और अल्लाह तआ़ला की वह मुक़द्दस सिफ़तें जिन्हें न तो कोई नबी मुर्सल जानता है और न कोई मुक़र्रब फ़रिश्ता सिवाए उसके कि वह ख़ुद मालूम कराए। जैसे इर्शाद है (وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ) (2/बक़रह : 255) और फ़र्मान है (وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا) (20/ताहा : 110)

अ़ता बिन साइब (रह़.) जब अबू अ़ब्दुर्रह़मान सुलमी (रह़.) से क़ुरआन शरीफ़ पढ़ चुकते हैं तो आप फ़र्माते हैं, तूने अल्लाह तआ़ला का इल्म लिया है पस आज तुझसे अफ़ज़ल कोई नहीं, सिवाए उसके जो अ़मल में तुझसे बढ़ जाए, फिर आपने आयत (अन्ज़लहू बि इल्मिही) से आख़िर तक पढ़ी। फिर फ़र्माता है कि अल्लाह की शहादत के साथ ही साथ फ़रिश्तों की शहादत भी है कि जो तेरे पास आया है जो वह़ी तुझ पर उतरी है वह बिलकुल सच और सरासर ह़क़ है। यहूदियों की एक जमाअ़त हुज़ूर (ﷺ) के पास आती है तो आप फ़र्माते हैं, अल्लाह की क़सम! मुझे पुख़्ता तौर पर मालूम है कि तुम मेरी रिसालत का इल्म रखते हो। उन लोगों ने इसका इंकार कर दिया पस अल्लाह अ़ज़्ज़ा व जल्ला ने यह आयत उतारी। (त़बरी : 9/409; इस रिवायत में मुह़म्मद बिन अबी मुह़म्मद मज्हूल रावी है (अज़्ज़ुअ़फ़ा वल मतरूकीन : 3/96; रक़म : 3179)

फिर फ़र्माता है कि जिन लोगों ने कुफ़्र किया, ह़क़ की इत्तिबाअ़न की बल्कि और लोगों को भी राहे ह़क़ से रोकते रहे। यह स़ह़ीह़ राह से हट गए हैं और ह़क़ीक़त से अलग हो गए हैं और हिदायत से खो दिए गए हैं। यह लोग जो हमारी आयतों के मुंकिर हैं, हमारी किताब को नहीं मानते अपनी जान पर ज़ुल्म करते हैं, हमारी राह से रोकते और रुकते हैं, हमारे मनाकर्दा कामों को कर रहे हैं, हमारे अहकाम से रूगर्दां हैं, उन्हें हम न बख़्शेंगे न ख़ैर भलाई की त़रफ़ उनकी रहनुमाई करेंगे हाँ उन्हें जहन्नम का रास्ता दिखा देंगे जिसमें वह हमेशा पड़े रहेंगे। लोगों तुम्हारे रब की तरफ़ से ह़क़ को लेकर अल्लाह के रसूल (ﷺ) आ गए तुम उस पर ईमान लाओ और उसकी फ़र्मांबरदारी करो यही तुम्हारे ह़क़ में बेहतर है। अगर तुम कुफ़्र करोगे तो अल्लाह तआ़ला तुमसे बेनियाज़ है तुम्हारा ईमान न उसे नफ़ा पहुँचाए न तुम्हारा कुफ़्र उसे ज़रर पहुँचाए। ज़मीनो आसमान की तमाम चीज़ें उसकी मिल्कियत में हैं। यही क़ौल ह़ज़रत मूसा (عليه السلام) का अपनी क़ौम से था कि तुम और रूए ज़मीन के तमाम लोग भी अगर कुफ़्र पर इज्माअ़ कर लें तो अल्लाह तआ़ला का कुछ नहीं बिगाड़ सकते वह तमाम जहान से बेपरवाह है वह अ़लीम है जानता है मुस्तह़िक़े हिदायत कौन है और मुस्तह़िक़े ज़लालत कौन है? वह ह़कीम है उसके क़ौलों उसके फ़ेलों उसकी शरअ़ उसकी तक़्दीर सब ह़िक्मत से पुर हैं।

***

يَاَهۡلَ الۡكِتٰبِ لَا تَغۡلُوۡا فِىۡ دِيۡنِكُمۡ وَلَا تَقُوۡلُوۡا عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الۡحَـقَّ ؕ اِنَّمَا الۡمَسِيۡحُ
عِيۡسَى ابۡنُ مَرۡيَمَ رَسُوۡلُ اللّٰهِ وَكَلِمَتُهٗ ۚ اَ لۡقٰٮهَاۤ اِلٰى مَرۡيَمَ وَرُوۡحٌ مِّنۡهُ فَاٰمِنُوۡا
بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ ۚ وَلَا تَقُوۡلُوۡا ثَلٰثَةٌ ؕ اِنۡتَهُوۡا خَيۡرًا لَّـکُمۡ ؕ اِنَّمَا اللّٰهُ اِلٰـهٌ وَّاحِدٌ ؕ سُبۡحٰنَهٗۤ
اَنۡ يَّكُوۡنَ لَهٗ وَلَدٌ ۘ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الۡاَرۡضِ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيۡلًا ﴿۱۷۱﴾

तर्जुमा : "ऐ अहले किताब! अपने दीन के बारे में हद से न गुज़र जाओ और अल्लाह पर बजुज़ हक़ के और कुछ न कहो, मसीह बिन मरयम (عليه السلام) तो सिर्फ़ अल्लाह तआला के रसूल हैं और उसके हुक्म हैं जिसे मरयम (عليها السلام) की तरफ़ डाल दिया था और उसके पास की रूह है पस तुम अल्लाह को और उसके सब रसूलों को मानो। और न कहो कि रब तीन हैं, इससे बाज़ आ जाओ कि तुम्हारे लिए बेहतरी है। अल्लाह इबादत के लायक़ तो सिर्फ़ एक ही है और वह उससे पाक है कि उसकी औलाद हो, उसी के लिए है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है और बस अल्लाह ही काम बनाने वाला।" (171)

ईसाइयों का गुलू (आयत 171) : अहले किताब को ज़्यादती और हद से आगे बढ़ जाने से अल्लाह तआला रोक रहा है। ईसाई हज़रत ईसा (عليه السلام) के बारे में हद से गुज़र गए थे और नबुव्वत से बढ़ाकर इलाही मक़ाम तक पहुँचा रहे थे। बजाए इताअत के इबादत करने लगे थे, और यह ख़्याल कर लिया था कि जो कुछ यह अइम्मा दीन कह दें उसका मानना हमारे ज़िम्मे ज़रूरी है सच झूठ, हक़ व बातिल और हिदायत व ज़लालत के परखने का कोई हक़ हमें हासिल नहीं, जिसका ज़िक्र कुरआन की इस आयत में है (اِتَّخَذُوۡۤا اَحۡبَارَهُمۡ وَ رُهۡبَانَهُمۡ اَرۡبَابًا مِّنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ) (9/तौबा : 31) मुस्नद अहमद में है हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, "मुझे तुम ऐसा न बढ़ाना जैसे नसारा ने ईसा बिन मरयम (عليه السلام) को बढ़ाया। मैं तो सिर्फ़ एक बन्दा हूँ पस तुम मुझे अब्दुल्लाह और रसूलुल्लाह कहना।"(मुस्नद अहमद : 1/23; वहुव सहीह बिश्शवाहिद यह रिवायत सहीह दर्जा की है। (अल्मौसूअतुल हदीसिया : 1/295) यह हदीस बुख़ारी वग़ैरह में भी है। (सहीह बुख़ारी, किताब अहादीसुल अम्बिया, बाब क़ौलुल्लाहि तआला (वज़्कुर फ़िल किताबि मरयम इज़न् तबज़त मिन अहलिहा) : 3445; मुस्नद हुमैदी : 27; अहमद : 1/23; अबू यअला : 153; इब्ने हिब्बान : 6239) मुस्नद की और हदीस में है कि किसी शख़्स ने आपसे कहा, ऐ मुहम्मद! ऐ हमारे सरदार! और सरदार के लड़के! ऐ हमारे सबसे बेहतर

और बेहतर के लड़के! आप (ﷺ) ने फ़र्माया, "लोगों! अपनी बात का ख़ुद ख़्याल कर लिया करो, तुम्हें शैतान इधर उधर न कर दे। मैं मुहम्मद बिन अ़ब्दुल्लाह हूँ, मैं रब का गुलाम और उसका रसूल हूँ, क़सम अल्लाह की मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे मेरे मर्तबे से बढ़ा दो।" (अहमद : 3/153; वसनदुहू सहीह; सुननुल कुब्रा लिन्नसाई : 10078; इब्ने हिब्बान : 6240; दलाइलुन्नुबुव्वा : 5/498; तारीख़ुल औसत : 1/11; अल्मुख़्तारतुल लिज़िया : 1227; शैख़ अल्बानी (रह.) ने इसकी सनद को सहीह क़रार दिया है। देखिए (सिलसिलतुस्सहीहा : 1097)

फिर फ़र्माता है अल्लाह पर इफ़्तिरा न बाँधो, उसकी बीवी और औलाद न मुक़र्रर करो, अल्लाह उससे पाक है उससे दूर है, उससे बुलंद व बाला है, उसकी बड़ाई और इ़ज़्ज़त में कोई उसका शरीक नहीं, उसके सिवा न तो कोई माबूद है, न रब। मसीह ईसा बिन मरयम रसूलुल्लाह हैं, वह अल्लाह के गुलामों में से एक गुलाम हैं और उसकी मख़्लूक़ हैं, वह सिर्फ़ कलिमा कुन के कहने से पैदा हुए हैं जिस कलिमा को लेकर हज़रत जिब्राईल (عليه السلام) हज़रम मरयम सिद्दीक़ा (عليها السلام) के पास गए और रब की इजाज़त से उसे उनमें फूँक दिया। पस हज़रत ईसा (عليه السلام) पैदा हुए चूँकि महज़ इसी कलिमा से बग़ैर बाप के आप पैदा हुए और इसी ख़ुसूसियत से कलिमतुल्लाह कहा गया। कुरआन की और आयत में है (مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ) (5/माइदा : 75) यानी "मसीह बिन मरयम (عليه السلام) सिर्फ़ रसूलुल्लाह (ﷺ) हैं, उनसे पहले भी बहुत से रसूल गुज़र चुके हैं उनकी वालिदा सच्ची हैं यह दोनों खाना खाया करते थे।" और आयत में है (إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ) (3/आले इमरान : 59) "ईसा (عليه السلام) की मिसाल अल्लाह के नज़दीक आदम (عليه السلام) की तरह है जिसे मिट्टी से बनाकर फ़र्माया, हो जा पस वह हो गया।" कुरआन करीम और जगह फ़र्माता है (وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا) (21/अम्बिया : 91) "जिसने अपनी शर्मगाह की हिफ़ाज़त की और हमने अपनी रूह फूँकी और ख़ुद उसे और उसके बच्चे को लोगों के लिए निशानी बनाया।" और जगह फ़र्माया (وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ) (66/तहरीम : 12) से आख़िर सूरत तक। हज़रत ईसा (عليه السلام) की बाबत और आयत में है (إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ) (43/ज़ुख़रुफ़ : 59) "वह हमारा एक बन्दा था जिस पर हमने इन्आम किया था। पस यह मतलब नहीं कि ख़ुद कलिम-ए-रब ईसा (عليه السلام) बन गया बल्कि यह कलिम-ए-रब से हज़रत ईसा (عليه السلام) पैदा हुए। इमाम इब्ने जरीर (रह.) ने (इज़ क़ालतिल मलाइकतु) की तफ़्सीर में जो कहा है उससे यह मुराद ठीक है कि अल्लाह तआला का कलिमा जो हज़रत जिब्राईल (عليه السلام) की मारिफ़त फूँका गया उससे हज़रत ईसा (عليه السلام) पैदा हुए। सहीह बुख़ारी में है "जिसने अल्लाह के एक और ला शरीक होने और मुहम्मद (ﷺ) के अ़ब्द व रसूल होने की और ईसा (عليه السلام) के अ़ब्द व रसूल होने की गवाही दी और यह माना कि आप अल्लाह तआला के कलिमा से थे जो हज़रत मरयम (عليها السلام) की तरफ़ डाला गया था और अल्लाह की फूँकी हुई रूह थे और जिसने जन्नत दोज़ख़ को बरहक़ माना वह ख़्वाह कैसे ही आमाल पर हो, अल्लाह तआला पर हक़ है कि उसे जन्नत में ले जाए।" (सहीह बुख़ारी, किताब अहादीसुल अम्बिया, बाब क़ौलुल्लाहि तआला (या अहलल किताब ला तग़्लू फ़ी दीनिकुम....) : 3435; सहीह मुस्लिम : 28; अहमद : 5/313; अबू अवाना : 9; अल्ईमान लि इब्ने मुन्दा : 44; शरहुस्सुन्ना : 55; मुस्नद बज़्ज़ार : 2682; सुननुल कुब्रा लिन्नसाई :

11132; अमलुल यौम वल्लैला : 1131) और रिवायत में इतनी ज़्यादती भी है कि "जन्नत के आठों दरवाज़ों में से जिससे चाहे दाख़िल हो जाए।" (सहीह बुख़ारी हवाला साबिक़, इब्ने हिब्बान : 207; अमलुल यौम वल्लैला : 1130) जैसाकि जनाब ईसा (ﷺ) को आयत व हदीस में (रूहुम् मिन्हु) कहा है ऐसे ही क़ुरआन की एक आयत में है (وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ) (45/जासिया : 13) "उसने मुसख़्ख़र किया तुम्हारे लिए जो कुछ आसमानों में है और जो ज़मीन में है तमाम के तमाम अपनी तरफ़ से" यानी अपनी मख़्लूक़ से और अपने पास से यही मतलब (रूहुम् मिन्हु) का है यानी अपनी मख़्लूक़ और अपने पास की रूह से पस लफ़्ज़ "मिन" तब्ईज़ के लिए नहीं जैसे मल्ऊन नसरानियों का ख़याल है कि हज़रत ईसा (ﷺ) अल्लाह का एक जुज़ थे, बल्कि मिन इब्तिदा के लिए है जैसे कि दूसरी आयत में है। हज़रत मुजाहिद (रह.) फ़र्माते हैं (रूहुम मिन्हु) से मुराद "रसूलुम मिन्हु" है और लोग कहते हैं "मुहब्बतुम् मिन्हू" लेकिन ज़्यादा ज़ाहिर पहला क़ौल है यानी आप (ﷺ) पैदा किए गए हैं रूह से जो ख़ुद अल्लाह की मख़्लूक़ है, पस आपको रूहुल्लाह कहना ऐसा ही है जैसे नाक़तुल्लाह और बैतुल्ल्लाह कहा गया है यानी सिर्फ़ शराफ़त के इज़्हार के लिए अपनी तरफ़ निस्बत की। और हदीस में है कि "मैं अपने रब के पास उसके घर में जाऊँगा।"

फिर फ़र्माता है कि तुम इसका यक़ीन कर लो कि अल्लाह वाहिद है, बीवी बच्चों से पाक है और यक़ीन मान लो कि जनाब ईसा (ﷺ) अल्लाह के गुलाम, अल्लाह की मख़्लूक़ और उसके बरगुज़ीदा रसूल हैं। तुम तीन न कहो, यानी हज़रत ईसा बिन मरयम (ﷺ) को शरीके इलाही न बनाओ, अल्लाह तआला शिर्कत से मुबर्रा है। सूरह माइदा में फ़र्माया (لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ) (5/माइदा : 73) यानी "जो कहते हैं कि अल्लाह तआला तीन में का तीसरा है वह काफ़िर हो गए, अल्लाह तआला एक ही है उसके सिवा कोई और लायक़े इबादत नहीं।" सूरह माइदा के आख़िर में है कि क़यामत के दिन हज़रत ईसा (ﷺ) से सवाल होगा कि अपनी और अपनी वालिदा की इबादत का हुक्म लोगों को तुमने दिया था? आप साफ़ तौर पर इंकार देंगे। नसरानियों का इस बारे में कोई ज़ाब्ता ही नहीं है वह बेतरह भटक रहे हैं और अपने आपको बर्बाद कर रहे हैं, उनमें से कुछ तो हज़रत ईसा (ﷺ) को ख़ुद अल्लाह मानते हैं और कुछ शरीके इलाही मानते हैं और कुछ अल्लाह का बेटा कहते हैं, सच तो यह है कि अगर दस नसरानी जमा हों तो उनके ख़्यालात ग्यारह होंगे। सईद बिन ब तरीक़ अस्कन्दरी जो 400हिज्री के क़रीब गुज़रा है उसने और कुछ उनके और बड़े उलमा ने ज़िक्र किया है कि क़ुस्तुन्तीन "बानी क़ुस्तुन्तुनिया" के ज़माने में उस ज़माने के नसरानियों का उस बादशाह के हुक्म से इज्तिमाअ हुआ जहाँ दो हज़ार से ज़्यादा उनके लाट पादरी थे फिर इस क़द्र इख़्तिलाफ़ आपस में किया कि किसी बात पर सत्तर अस्सी आदमियों से ज़्यादा इत्तिफ़ाक़ ही नहीं कर सके, दस का एक अक़ीदा है बीस का एक ख़्याल है, चालीस और ही कहते हैं, साठ और तरफ़ जा रहे हैं, ग़र्ज़ हज़ार हा की तादाद में से बमुश्किल तीन सौ अठारह आदमी एक क़ौल पर जमा हो गए, बादशाह ने उसी अक़ीदा को ले लिया बाक़ी को छोड़ दिया और उसी की ताईद व नुसरत की और उनके लिए कलीसे और गिरजे बना दिए और किताबें लिखवा दीं और क़वानीन ज़ब्त कर दिए। यहीं उन्होंने अमानते कुब्रा का मसला गढ़ा जो दरअसल बदतरीन ख़यानत है। उन लोगों को मल्कानिया कहते हैं। फिर दोबारा उनका इज्तिमाअ हुआ उस वक़्त जो फ़िर्क़ा बना उसका नाम

याक़ूबिया है। फिर तीसरी मर्तबा के इज्तिमाअ में जो फ़िर्क़ा बना उसका नाम निस्तूरिया है। यह तीनों फ़िर्क़े अक़ानीमे सलसा को हज़रत ईसा (عليه السلام) के लिए साबित करते हैं। इनमें भी बाहमी इख़्तिलाफ़ है और हर एक दूसरे को काफ़िर कहते हैं, और हमारे नज़दीक तो तीनों काफ़िर हैं। अल्लाह तआला फ़र्माता है, इससे बाज़ आओ यह बाज़ रहना ही तुम्हारे लिए अच्छा है, अल्लाह तो एक ही है वह तौहीद वाला है उसकी ज़ात इससे पाक है कि उसके यहाँ औलाद हो, तमाम चीज़ें उसकी मख़्लूक़ हैं और उसकी मिल्कियत में हैं। सब उसकी गुलामी में हैं और सब उसके क़ब्ज़े में हैं वह हर चीज़ पर वकील है फिर मख़्लूक़ में से कोई उसकी बीवी और कोई उसका बच्चा कैसे हो सकता है? दूसरी आयत में है (بَدِيعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ، اَنّٰى يَكُوْنُ لَهٗ وَلَدٌ) (6/अन्आम : 102) यानी "वह तो आसमान व ज़मीन की इब्तिदाई आफ़रीनश (पैदा) करने वाला है, उसका लड़का कैसे हो सकता है?" सूरह मरयम में (وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ) से (फ़र्दन) तक मे भी इसका मुफ़स्सल इंकार फ़र्माया है।

***

لَنْ يَّسْتَنْكِفَ الْمَسِيْحُ اَنْ يَّكُوْنَ عَبْدًا لِّلّٰهِ وَلَا الْمَلٰٓئِكَةُ الْمُقَرَّبُوْنَ ؕ وَمَنْ يَّسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ اِلَيْهِ جَمِيْعًا ﴿۱۷۲﴾ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُوَفِّيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ وَيَزِيْدُهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ۚ وَاَمَّا الَّذِيْنَ اسْتَنْكَفُوْا وَاسْتَكْبَرُوْا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ۙ وَّلَا يَجِدُوْنَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ﴿۱۷۳﴾

तर्जुमा : "मसीह (عليه السلام) को अल्लाह का बन्दा होने में कोई नंग व आर और तकब्बुर व इंकार हर्गिज़ हो ही नहीं सकता और न मुक़र्रब फ़रिश्तों को, उसकी बंदगी से जो भी दिल चुराए, और तकब्बुर व इंकार करे पस अल्लाह तआला उन सबको इकट्ठा अपनी तरफ़ जमा करेगा। (172) पस जो लोग ईमान लाए हैं और शाइस्ता आमाल किए हैं उनको उनका पूरा-पूरा सवाब इनायत करेगा और अपने फ़ज़्ल से उन्हें और ज़्यादती देगा। और जिन लोगों ने नंग व आर और सरकशी व इंकार किया उन्हें अलमनाक अज़ाब करेगा। और वह अपने लिए सिवाए रब के कोई हिमायती दोस्त और मदद करने वाला न पायेंगे।" (173)

हज़रत ईसा (ﷺ) और तमाम फ़रिश्ते अल्लाह की बन्दगी करते हैं (आयत 172, 173) : मतलब यह है कि मसीह (ﷺ) और बेहतरीन फ़रिश्ते भी अल्लाह की बन्दगी से तकब्बुर और कशीदगी नहीं कर सकते। न यह उनकी शान के लायक़ है। बल्कि जो जिस क़द्र मर्तबे में क़रीब होता है वह उसी क़द्र रब की इबादत में ज़्यादा होता है। कुछ लोगों ने इस आयत से इस्तिदलाल किया है कि फ़रिश्ते इंसानों से अफ़ज़ल हैं लेकिन दरअसल इसका कोई सबूत इस आयत में नहीं है। इसलिए यहाँ मलाइका का अत्फ़ मसीह पर है और "इस्तिन्काफ़" के मानी रुकने के हैं और फ़रिश्तों में यह कुदरत बनिस्बत मसीह (ﷺ) के ज़्यादा है इसलिए यह फ़र्माया गया और रुक जाने पर ज़्यादा क़ादिर होने से अफ़ज़लियत लाज़िम नहीं आती। और यह भी कहा गया है कि जिस तरह हज़रत मसीह (ﷺ) को लोग पूजते थे उसी तरह फ़रिश्तों की भी इबादत करते थे तो इस आयत में मसीह (ﷺ) को अल्लाह की इबादत से न रुकने वाले बताकर फ़रिश्तों की भी यही हालत बयान कर दी है जिससे साबित हो गया कि जिन्हें तुम पूजते हो वह अल्लाह को पूजते हैं, फिर उनकी पूजा कैसी? जैसे और आयत में है (بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُوْنَ) (21/अम्बिया : 26) और इसीलिए यहाँ भी फ़र्माया कि जो उसकी इबादत से रुके मुँह मोड़े और सरकशी करे वह एक वक़्त उसी के पास लौटने वाला है। और अपने बारे में उसका फ़ैसला सुनने वाला है जो ईमान लाएँ और नेक आमाल करें उनका पूरा सवाब भी दिया जाएगा। रहमते ऐज़दी अपनी तरफ़ से भी इन्आम अता करेगी। इब्ने मर्दवे की हदीस में है कि "अज्र तो यह है कि जन्नत में पहुँचा दिया और ज़्यादती व फ़ज़्ल यह है कि जो लोग क़ाबिले दोज़ख़ हों उन्हें भी उनकी शफ़ाअत होगी जिनसे उन्होंने भलाई और अच्छाई की थी।" (अल्मुअजमुल औसत (5766) वल मुअजमुल कबीर (10462) अस्सुन्नतु लि इब्ने अबी आसिम : 846; इस रिवायत में इस्माईल बिन अब्दुल्लाह कुन्दी है ज़हबी कहते हैं आमश से इसकी रिवायत और बक़िया की इससे रिवायत मुंकर होती है। (अल्मीज़ान : 1/239; रक़म : 901) और शैख़ अल्बानी (रह.) ने इस रिवायत को ज़ईफ़ क़रार दिया है। देखिए (ज़िलालुल जन्नत : 846) लेकिन इसकी सनद साबितशुदा नहीं। हाँ! अगर इब्ने मसऊद (रज़ि.) के क़ौल पर ही इसे रिवायत किया जाए तो ठीक है। फिर फ़र्माया "जो लोग अल्लाह की इबादत व इताअत से रुक जाएँ और उससे तकब्बुर करें उन्हें परवरदिगार दर्दनाक अज़ाब करेगा और यह अल्लाह के सिवा किसी को वली और मददगार न पाएँगे" जैसे और आयत में है (إِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دٰخِرِيْنَ) (40/मोमिन : 60) "जो लोग मेरी इबादत से तकब्बुर करें वह ज़लील व हक़ीर होकर जहन्नम में जाएँगे यानी उनके इंकार और उनके तकब्बुर का यह बदला उन्हें मिलेगा कि ज़लील व हक़ीर और ख़्वार व नाचार करके जहन्नम में दाख़िल किए जाएँगे।"

***

يَاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ نُوْرًا مُّبِيْنًا ﴿١٧٤﴾

فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَاعْتَصَمُوْا بِهٖ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِيْ رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ

وَّيَهْدِيْهِمْ اِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ﴿١٧٥﴾

तर्जुमा : ''ऐ लोगों! तुम्हारे पास तुम्हारे रब की त़रफ़ से सनद और दलील आ पहुँची और हमने तुम्हारी जानिब वाज़ेह़ और स़ाफ़ नूर उतार दिया। (174) पस जो लोग अल्लाह तआला पर ईमान लाए और उसे मज़बूत़ पकड़ लिया उन्हें तो वह अन्क़रीब अपनी रह़मत और फ़ज़्ल में ले लेगा और उन्हें अपनी त़रफ़ की राहे रास्त दिखा देगा।'' (175)

क़ुरआन लाजवाब दलील और वाज़ेह़ नूर है (आयत 174, 175) : अल्लाह तबारक व तआला तमाम इंसानों को फ़र्माता है कि मेरी त़रफ़ से कामिल दलील और उ़ज़्र माज़िरत को तोड़ देने वाली चीज़ और शक व शुबा को अलग करने वाली बुरहान तुम्हारी त़रफ़ नाज़िल हो चुकी है और हमने तुम्हारी त़रफ़ खुला नूर स़ाफ़ रोशनी और पूरा उजाला उतार दिया है जिससे ह़क़ की राह स़ह़ीह़ त़ौर पर वाज़ेह़ हो जाती है।

इब्ने जुरैज (रह़.) वग़ैरह फ़र्माते हैं इससे मुराद क़ुरआन करीम है (त़ब्री : 9/428) अब जो लोग अल्लाह तआला पर ईमान लाएँ, तवक्कल और भरोसा उसी पर करें, उससे चिमट जाएँ उसकी सरकार में मुलाज़िमत कर लें। मक़ामे उ़बूदियत और मक़ामे तवक्कल में क़ायम हो जाएँ तमाम उमूर उसी को सौंप दें और यह भी हो सकता है कि अल्लाह पर ईमान लाएँ और मज़बूती के साथ अल्लाह की किताब को थाम लें उन पर अल्लाह अपना रह़म करेगा और अपना फ़ज़्ल उन पर नाज़िल करेगा। नेअ़मतों और सुरूर वाली जन्नत में उन्हें ले जाएगा उनके सवाब बढ़ा देगा उनके दर्जे बुलंद कर देगा और उन्हें अपनी त़रफ़ की सीधी और स़ाफ़ राह दिखा देगा जो कहीं से टेढ़ी नहीं कहीं से तंग नहीं। पस मोमिन दुनिया में स़िरात़े मुस्तक़ीम और राहे इस्लाम पर होता है और आख़िरत में राहे जन्नत और राहे सलामती पर होता है।

शुरू तफ़्सीर मे एक पूरी ह़दीस गुज़र चुकी है जिसमें फ़र्माने रसूल (ﷺ) है कि ''अल्लाह की सीधी और अल्लाह की मज़बूत़ रस्सी क़ुरआन है।'' (तिर्मिज़ी, किताब फ़ज़ाइलुल क़ुरआन, बाब मा जाअ फ़ी फ़ज़्लिल क़ुरआन : 2906; वसनदुहू ज़ईफ़ुन जिद्दा इस रिवायत में ह़ारिस आवर ज़ईफ़ रावी है (अत्तक़रीब : 1/141; रक़म : 39)

***

يَسْتَفْتُوْنَكَ ؕ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِي الْكَلٰلَةِ ؕ اِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَهٗ
اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ ؕ فَاِنْ كَانَتَا
اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰنِ مِمَّا تَرَكَ ؕ وَاِنْ كَانُوْٓا اِخْوَةً رِّجَالًا وَّنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ
حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ ؕ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوْا ؕ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿۱۷۶﴾

तर्जुमा : ''तुझसे फ़त्वा पूछते हैं, तू कह दे कि अल्लाह तआला ख़ुद तुम्हें कलाला के बारे में फ़त्वा देता है। अगर कोई शख़्स मर जाए जिसकी औलाद न हो और एक बहन हो तो उसके लिए उसके छोड़े हुए का आधा हिस्सा है और वह भाई उस बहन का वारिस होगा अगर उसके औलाद न हो। पस अगर बहनें दो हों तो उन्हें कुल छोड़े हुए का दो तिहाई मिलेगा और अगर कई शख़्स इस नाते के हैं। मर्द भी और औरतें भी तो मर्द के लिए हिस्सा मिस्ल दो औरतों के, अल्लाह तआला तुम्हारे लिए बयान फ़र्मा रहा है ऐसा न हो कि तुम बहक जाओ। और अल्लाह हर चीज़ से वाक़िफ़ है।'' (176)

लफ़्ज़े कलाला की बाबत सहाबा (रज़ि.) का मौक़िफ़ (आयत 176) : हज़रत बराअ (रज़ि.) फ़र्माते हैं सूरतों में सबसे आख़िरी सूरत सूरह बरात उतरी और आयतों में सबसे आख़िरी आयत (यस्तफ़्तूनक) उतरी है। (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर, बाब (यस्तफ़्तूनक क़ुलिल्लाहु युफ़्तीकुम फ़िल कलालति...) : 4605; सहीह मुस्लिम : 1618; अबूदाऊद : 2828; तिर्मिज़ी : 3044; मुस्नद अबी यअला : 1743) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) फ़र्माते हैं मैं अपनी बीमारी में बेहोश पड़ा था, जो अल्लाह के रसूल (ﷺ) मेरी एयादत के लिए तशरीफ़ लाए आपने वुज़ू किया और वह पानी मुझ पर डाला जिससे मुझे एफ़ाक़ा हुआ और मैंने कहा, हुज़ूर (ﷺ)! वारिसों के लिहाज़ से मैं कलाला हूँ मेरी मीरास कैसे बटेगी? उस पर अल्लाह तआला ने आयते फ़राइज़ नाज़िल फ़र्माई। (सहीह बुख़ारी, किताबुल मर्ज़ा, बाब वुज़ूउल आइद लिल मरीज़ : 5676; सहीह मुस्लिम : 1616; अबूदाऊद : 2886; तिर्मिज़ी : 2097; इब्ने माजा : 2728; अहमद : 3/298) और रिवायत में इसी आयत का उतरना भी आया है। पस फ़र्माता है कि ''लोग तुझसे पूछते हैं।'' यानी कलाला के बारे में। पहले यह बयान गुज़र चुका है कि लफ़्ज़ कलाला माख़ूज़ है उक्लील से जो कि सर को चारों तरफ़ से घेरे होता है। अक्सर उलमा ने कहा है कि कलाला वह है जिस मय्यित के लड़के पोते न हों

और कुछ का क़ौल यह भी है कि जिसके लड़के न हों , जैसे कि आयत में है (व लैस लहू वलदुन) हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) पर जो मुश्किल मसाइल पड़े थे उनमें एक यह मसला भी था। चुनाँचे बुख़ारी व मुस्लिम में है कि आपने फ़र्माया, तीन चीज़ों की निस्बत मेरी तमन्ना रह गई है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) उनमें हमारी तरफ़ कोई ऐसा अहद करते कि हम उसकी तरफ़ रुजूअ करते, दादा, कलाला और सूद के अब्वाब। (सहीह बुख़ारी, किताबुल अश्रिबा, बाब मा जाअ फ़ी अनिल ख़म्रि मा ख़ामरल अक़्ल मिनश्शराब : 5588; सहीह मुस्लिम : 3033; इब्ने हिब्बान : 5353) और रिवायत में है आप फ़र्माते हैं कि कलाला के बारे में मैंने जिस क़द्र सवालात हुज़ूर (ﷺ) से किए उतने किसी और मसला में नहीं किए यहाँ तक कि आप (ﷺ) ने अपनी उँगली से मेरे सीने में कचोका लगाकर फ़र्माया कि ''तुझे गर्मियों की वह आयत काफ़ी है जो सूरह निसाअ के आख़िर में है।'' (सहीह मुस्लिम, किताबुल फ़राइज़, बाब मीरासुल कलाला : 1617; सुननुल कुब्रा लिन्नसाई : 11135; मुस्नद अहमद : 1/15; अबू यअला : 184; इब्ने हिब्बान : 2091) और हदीस में है अगर मैं हुज़ूर (ﷺ) से मज़ीद इत्मिनान कर लेता तो वह मेरे लिए सुर्ख़ ऊटों के मिलने से ज़्यादा बेहतर था। (मुस्नद अहमद : 1/38; वसनदुहू ज़ईफ़ुन मुन्क़तअ) हदीस में है कि एक शख़्स आप (ﷺ) के पास आया और कलाला के बारे में पूछा तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, तुम्हें आयतुस्सैफ़ काफ़ी है। (अबूदाऊद : 2889; तिर्मिज़ी : 3045; अहमद : 4/293) हुज़ूर (ﷺ) के इस फ़र्मान का मतलब यह है कि यह आयत मौसमे गर्मा में नाज़िल हुई होगी, वल्लाहु आलम! और चूँकि हुज़ूर (ﷺ) ने इसके समझने की तरफ़ रहनुमाई की थी और इसमें किफ़ायत बतलाई थी, अब फ़ारूक़े आज़म (रज़ि.) इसके मानी पूछने भूल गए जिस पर इज़्हारे अफ़सोस कर रहे हैं। तफ़्सीर इब्ने जरीर में है कि जनाब फ़ारूक़े आज़म (रज़ि.) ने हुज़ूर (ﷺ) से कलाला के बारे में सवाल किया, पस फ़र्माया, ''क्या अल्लाह तआला ने इसे बयान नहीं फ़र्माया'' पस यह आयत उतरी।

हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) अपने ख़ुत्बे में फ़र्माते हैं जो आयत सूरह निसाअ के शुरू में फ़राइज़ के बारे में है वह वलद व वालिद के लिए है और दूसरी आयत मियाँ बीवी और माँ ज़ाद बहनों के लिए और जिस आयत से सूरह निसाअ को ख़त्म किया है वह सगे बहन भाईयों के बारे में है जो रहमी रिश्ता अस्बा में चलता है। (इब्ने जरीर)

इस आयत के मानी : (हलक) के मानी हैं मर गया, जैसे फ़र्मान है (كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ) (28/क़सस : 88) यानी ''हर चीज़ फ़ना होने वाली है सिवाए ज़ाते रब्बानी के'' जो हमेशा बाक़ी रहने वाला है। जैसे और आयत में फ़र्माया (كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ۝ وَّيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلٰلِ وَالْاِكْرَامِ ۝) (55/रहमान : 26, 27) यानी ''हर एक जो उस पर है फ़ानी है और तेरे रब का चेहरा ही बाक़ी रहेगा जो जलाल व इकराम वाला है।'' फिर फ़र्माया ''उसका वलद न हो'' इससे कुछ लोगों ने दलील पकड़ी है कि कलाला की शर्त में बाप का न होना नहीं बल्कि जिसकी औलाद न हो वह कलाला है। बरिवायत इब्ने जरीर (रह.) हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) से भी यह मरवी है लेकिन सहीह क़ौल जुम्हूर का है और हज़रत सिद्दीक़ (रज़ि.) का फ़ैसला भी यही है कि कलाला वह है जिसका न वलद हो न वालिद और इसी की दलालत आयत के उसके बाद के अल्फ़ाज़ से भी

होती है। जो फ़र्माया (वलदुव्वंलहू उख़्तुन फ़लहा निस्फ़ु मा तरक) यानी "उसकी बहन हो तो उसके लिए कुल छोड़े हुए माल का आधो आध है।" और अगर बहन बाप के साथ हो तो बाप उसे वर्सा पाने से रोक देता है और उसे कुछ भी इज्माअन मिलता नहीं। पस साबित हुआ कि कलाला वह है जिसका वलद न हो और यह तो नस़ से साबित है और बाप भी न हो यह भी नस़ से साबित होता है लेकिन क़द्रे ग़ौर के बाद इसलिए कि बहन का निस्फ़ हिस्सा बाप की मौजूदगी में होता ही नहीं बल्कि वह वर्से से महरूम होती है। हज़रत ज़ैद बिन साबित (रज़ि.) से मसला पूछा जाता है कि एक औरत मर गई उस औरत का शौहर और एक सगी बहन है तो आपने फ़र्माया, आधा बहन को दे दो और आधा शौहर को। जब आपसे इसकी दलील पूछी गई तो आपने फ़र्माया, मेरी मौजूदगी मे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ऐसी सूरत में यही फ़ैसला सादिर फ़र्माया था। (मुस्नद अहमद : 5/188; वसनदुहू ज़ईफ़; मज्मउ़ज़्ज़वाइद : 4/228) हज़रत इब्ने अब्बास और हज़रत इब्ने ज़ुबैर (रज़ि.) से इब्ने जरीर में मन्क़ूल है कि दोनों का फ़त्वा उस मय्यित के बारे में जो एक लड़की और एक बहन छोड़ जाए, यह था कि इस सूरत में बहन महरूम रहेगी, उसे कुछ भी न मिलेगा इसलिए कि क़ुरआन की इस आयत में बहन को आधा मिलने की सूरत यह बयान की गई है कि मय्यित की औलाद न हो और यहाँ औलाद है लेकिन जुम्हूर इनके ख़िलाफ़ हैं, वह कहते हैं कि इस सूरत में भी आधा लड़की को मिलेगा बसबब फ़र्ज़ के और आधा बहन को मिलेगा, बसबब अ़स्बा होने के अस्वद (रह.) कहते हैं हममें हज़रत मुआज़ बिन जबल (रज़ि.) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) के ज़माने में फ़ैसला किया कि आधा लड़की का और आधा बहन का। (स़हीह़ बुख़ारी, किताबुल फ़राइज़, बाब मीरासुल अख़्वात मअ़ल बनात अ़स्बत : 6741) स़हीह़ बुख़ारी की एक और रिवायत में है कि हज़रत अबू मूसा अशअ़री (रज़ि.) ने लड़की और पोती और बहन के बारे में फ़त्वा दिया कि आधा लड़की को और आधा बहन को, फिर फ़र्माया, ज़रा इब्ने मसऊ़द (रज़ि.) के पास भी हो आओ वह भी मेरी मुवाफ़िक़त ही करेंगे। लेकिन जब हज़रत इब्ने मसऊ़द (रज़ि.) से सवाल हुआ और हज़रत अबू मूसा (रज़ि.) का फ़ैसला भी सुनाया गया तो आपने फ़र्माया, फिर तो मैं गुमराह हो जाऊँ और राह याफ़्ता लोगों में मेरा शुमार न रहे, सुनो! मैं इसमें वह फ़ैसला करता हूँ जो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने किया है आधा तो बेटी को और छटा हिस्सा पोती को तो दो सुलुस पूरे हो गए और जो बाक़ी बचा वह बहन को। हम फिर वापिस आए और हज़रत अबू मूसा (रज़ि.) को यह ख़बर दी तो आपने फ़र्माया, जब तक यह अ़ल्लामा तुममें मौजूद हैं मुझसे यह मसाइल न पूछा करो। (स़हीह़ बुख़ारी, किताबुल फ़राइज़, बाब मीरास इब्नत इब्ने मअ़ब्नतिन : 6736; अबूदाऊद : 2890; तिर्मिज़ी : 2093; इब्ने माजा : 2721; अहमद : 1/389; इब्ने हिब्बान : 6034)

फिर फ़र्मान है कि "यह उसका वारिस होगा अगर उसकी औलाद न हो" यानी भाई अपनी बहन के कुल माल का वारिस है जबकि वह कलाला मरे यानी उसकी औलाद और बाप न हो इसलिए कि बाप की मौजूदगी में तो भाई को वर्से में से कुछ भी न मिलेगा। हाँ! अगर भाई के साथ ही और कोई मुक़र्ररा हिस्से वाला वारिस हो जैसे शौहर या माँ जाया भाई तो उसे उसका हिस्सा दे दिया जाएगा और बाक़ी का वारिस भाई होगा। स़हीह़ बुख़ारी में है हुज़ूर (ﷺ) फ़र्माते हैं "फ़राइज़ को उनके अहल से मिला दो फिर जो बाक़ी बचे वह उस

मर्द का है जो सबसे ज़्यादा क़रीब हो।" (सहीह बुख़ारी, किताबुल फ़राइज़, बाब मीरासुल वलद मिन अबीही व उम्मिही : 6732; सहीह मुस्लिम : 1615; तिर्मिज़ी : 2098; अहमद : 1/292; इब्ने हिब्बान : 6028; बैहक़ी : 6/239) फिर फ़र्माता है "अगर बहनें दो हों तो उन्हें माले मतरूका के दो सुलुस मिलेंगे" यही हुक्म दो से ज़्यादा बहनों का भी है। यहीं से एक जमाअत ने दो बेटियों का हुक्म लिया है जैसे कि दो से ज़्यादा बहनों का हुक्म लड़कियों के हुक्म से लिया है जिस आयत के अल्फ़ाज़ यह हैं। (فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ) (4/निसाअ : 11) फिर फ़र्माता है "अगर बहन भाई दोनों हों तो हर मर्द का हिस्सा दो औरतों के बराबर है।" यही हुक्म अस्बात का है। ख़्वाह वह लड़के हों या पोते हों या भाई हों जबकि उनमे मर्द औरत दोनों मौजूद हों तो जितना दो औरतों को मिलेगा उतना एक मर्द को। अल्लाह तआला अपने फ़राइज़ बयान फ़र्मा रहा है अपनी हदें मुक़र्रर कर रहा है अपनी शरीअत वाज़ेह कर रहा है ताकि तुम बहक न जाओ अल्लाह तआला तमाम कामों के अंजाम से वाक़िफ़ और हर मस्लिहत से दाना, बन्दों की भलाई, बुराई का जानने वाला और मुस्तहिक़ के इस्तिहक़ाक़ को पहचानने वाला है।

इब्ने जरीर की रिवायत में है कि हुज़ूर (ﷺ) और सहाबा (रज़ि.) कहीं सफ़र पर जा रहे थे हुज़ैफ़ा (रज़ि.) की ऊँटनी का सर रसूलुल्लाह (ﷺ) के पीछे बैठे हुए सहाबी के कजावे के पास था और हज़रत उमर (रज़ि.) की सवारी का सर हुज़ैफ़ा (रज़ि.) की सवारी के दूसरे सवार के पास था जब यह आयत उतरी। पस हुज़ूर (ﷺ) ने हज़रत हुज़ैफ़ा (रज़ि.) को सुनाई और हज़रत हुज़ैफ़ा (रज़ि.) ने हज़रत फ़ारूक़े आज़म (रज़ि.) को, उसके बाद फिर हज़रत उमर (रज़ि.) ने जब उसके बारे में सवाल किया तो कहा, अल्लाह की क़सम! तुम बेसमझ हो इसलिए कि जैसे मुझे हुज़ूर (ﷺ) ने सुनाई वैसे ही मैंने आपको सुना दी। अल्लाह की क़सम! मैं तो इस पर कुछ ज़्यादती नहीं कर सकता। पस हज़रत फ़ारूक़ (रज़ि.) फ़र्माया करते थे ऐ अल्लाह! भले तूने ज़ाहिर कर दिया हो मगर मुझ पर तो खुला नहीं। (तब्री) लेकिन यह रिवायत मुन्क़तअ है। इसी रिवायत की और सनद में है कि हज़रत उमर (रज़ि.) ने दोबारा यह सवाल अपनी ख़िलाफ़त के ज़माने में किया था। और हदीस में है कि हज़रत उमर (रज़ि.) ने आँहज़रत (ﷺ) से पूछा था कि कलाला का वर्सा किस तरह तक़सीम होगा? उस पर अल्लाह तआला ने यह आयत उतारी। लेकिन चूँकि हज़रत उमर (रज़ि.) की पूरी तशफ़्फ़ी न हुई थी। इसलिए अपनी साहबज़ादी ज़ोजा रसूलुल्लाह (ﷺ) हज़रत हफ़्सा (रज़ि.) से फ़र्माया कि जब रसूलुल्लाह (ﷺ) ख़ुशी में हों तो तुम पूछ लेना। चुनाँचे हज़रत हफ़्सा (रज़ि.) ने एक दिन ऐसा मौक़ा पाकर पूछ लिया तो आपने फ़र्माया, "शायद तेरे बाप ने तुझे इसके पूछने की हिदायत की है मेरा ख़्याल है कि वह इसे मालूम न कर सकेंगे।" हज़रत उमर (रज़ि.) ने जब यह सुना तो फ़र्माने लगे, जब हुज़ूर (ﷺ) ने यह फ़र्मा दिया है तो बस मैं अब इसे जान ही नहीं सकता। और रिवायत में है कि हज़रत उमर (रज़ि.) के हुक्म पर जब हज़रत हफ़्सा (रज़ि.) ने सवाल किया तो आप (ﷺ) ने एक शाने पर यह आयत लिखवा दी, फिर फ़र्माया कि "उमर (रज़ि.) ने तुमसे इसके पूछने को कहा था? मेरा ख़्याल है कि वह इसे ठीक ठाक न कर सकेंगे। क्या उन्हें गर्मी की वह आयत जो सूरह निसाअ में है काफ़ी नहीं? (فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ)

(4/निसाअ : 11) फिर जब लोगों ने हुज़ूर (ﷺ) से सवाल किया तो वह आयत उतरी जो सूरह निसाअ के ख़ात्मा पर है और ड़मर (रज़ि.) ने शाना डाल दिया। यह हदीस मुर्सल है। एक मर्तबा हज़रत ड़मर (रज़ि.) ने सहाबा को जमा करके शाने के एक टुकड़े को लेकर फ़र्माया मैं कलाला के बारे में आज ऐसा फ़ैसला कर दूँगा कि पर्दा नशीन औरतों तक को मालूम रहे, उसी वक़्त घर में से एक साँप निकल आया और सब लोग इधर-उधर हो गए। पस आपने फ़र्माया, अगर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का इरादा इस काम को पूरा करने का होता तो इसे पूरा कर लेने देता। (तब्री : 9/439) इसकी सनद सहीह है। मुस्तदरक हाकिम में है हज़रत ड़मर (रज़ि.) ने फ़र्माया, काश! मैं तीन मसले रसूल मक़्बूल (ﷺ) से पूछ लेता तो मुझे सुर्ख़ ऊँटों के मिलने से भी ज़्यादा महबूब होता, एक तो यह कि आप (ﷺ) के बाद ख़लीफ़ा कौन होगा? दूसरे यह कि जो लोग ज़कात के तो क़ाइल हों लेकिन कहें कि हम तेरी तरफ़ अदा नहीं करेंगे, उनसे लड़ना हलाल है या नहीं? तीसरे कलाला के बारे में। (हाकिम : 2/303; वसनदुहू ज़ईफ़ुन मुन्क़तअ) और हदीस में बजाए ज़कात अदा न करने वालों के सूदी मसाइल का बयान है। (हाकिम : 2/304) इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़र्माते हैं हज़रत ड़मर (रज़ि.) के आख़िरी वक़्त मैंने आपसे सुना, फ़र्माते थे क़ौल वही है जो मैंने कहा तो मैंने पूछा, वह क्या? फ़र्माया, यह कि कलाला वह है जिसकी औलाद न हो। (हाकिम : 2/303, 304; ह : 3187; वसनदुहू सहीहुन) और रिवायत में है हज़रत फ़ारूक़ (रज़ि.) फ़र्माते हैं मेरे और हज़रत सिद्दीक़ (रज़ि.) के बीच कलाला के बारे में इख़्तिलाफ़ हुआ और बात वही थी जो मैं कहता था। हज़रत ड़मर (रज़ि.) ने सगे भाईयों और माँ ज़ाद भाईयों को जबकि वह जमा हों, सुलुस में शरीक किया था और हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) इसके ख़िलाफ़ थे। इब्ने जरीर में है कि ख़लीफ़तुल मोमिनीन जनाब फ़ारूक़ (रज़ि.) ने एक रुक़्आ पर दादा के वर्सा और कलाला के बारे में कुछ लिखा फिर इस्तिख़ारा किया और ठहरे रहे और अल्लाह तआला से दुआ की कि परवरदिगार! अगर तेरे इल्म में इसमें बेहतरी है तो इसे जारी कर दे! फिर जब आपको ज़ख़्म लगाया गया तो आपने उस रुक़्आ को मंगवाकर मिटा दिया और किसी को इल्म न हुआ कि उसमें क्या लिखा था, फिर ख़ुद फ़र्माया कि मैंने उसमें दादा का और कलाला का लिखा था और मैंने इस्तिख़ारा किया था फिर मेरा ख़्याल हुआ कि तुम्हें उसी पर छोड़ दूँ जिस पर तुम हो। तफ़्सीर इब्ने जरीर में है मैं इस बारे में अबूबक्र (रज़ि.) के ख़िलाफ़ करते हुए शर्माता हूँ। और अबूबक्र (रज़ि.) का फ़र्मान था कि कलाला वह है जिसका लड़का और वालिद न हो, और इसी पर जुम्हूर सहाबा (रज़ि.) और ताबेईन और अइम्मा दीन (रह.) हैं और यही हाल चारों इमामों (रह.) और सातों फ़क़ीहों के मज़हब का है और इसी पर दलालत है क़ुरआने करीम की, जैसे कि बारी तआला ने इसे वाज़ेह करके फ़र्माया, ''अल्लाह तुम्हारे लिए खोल खोलकर बयान फ़र्मा रहा है ताकि तुम गुमराह न हो जाओ और अल्लाह तआला हर चीज़ को ख़ूब जानने वाला है, वल्लाहु आलम! अल्हम्दु लिल्लाह! सूरह निसाअ की तफ़्सीर मुकम्मल हुई, अल्लाह तआला क़बूल फ़र्माए, आमीन, तक़ब्बल या रब्बल आलमीन!

***

मुनाजात

हकीम मुहम्मद सिद्दीक़ ग़ौरी

रब्बे-आज़म, अर्शे-आज़म पर है तेरा इस्तवा,
तू है आली, तू है आला, तू ही है रब्बुलउला।
हम्द, पाकी किबरियाई मेरे सुब्हानो-हमीद,
सिर्फ़ है तेरे लिये जितनी तू चाहे किबरिया।
लामकां, बेख़ानमां, तू है नहीं हर्गिज़ रफ़ीअ
अर्श पर है तू यक़ीनन, है पता मुझको तेरा।
अर्श पर होक भी तू मेरी रगे-जां से क़रीब,
इतना मेरे पास है मैं कह नहीं सकता ज़रा।
अर्श पर है ज़ात तेरी, इल्मो-कुदरत से क़रीब,
तू हमारे पास है ऐ हाज़िरो-नाज़िर ख़ुदा।
अर्श पर है तू यक़ीनन और वह मकतूब भी
तेरी रहमत है फ़ज़ूं तेरे ग़ज़ब से ऐ ख़ुदा।
अरबों ख़रबों रहमतें हों, बरकतें लाखों सलाम,
उन पर उनकी आल पर जो हैं मुहम्मद मुस्तफ़ा।
काबिले-तारीफ़ है तू मेरे रब्बुल आलमीन,
तू है रहमानो-रहीम-मालिके-यौमे-जज़ा।
हम तुझी को पूजते हैं तू ही इक माबूद है,
हम मदद चाहते नहीं हर्गिज़ कभी तेरे सिवा।
तू है ज़ाहिर, तू है बातिन, अव्वलो-आख़िर है तू,
फ़क्र भी तू देर कर दे, क़र्ज़ भी या रब मेरा।
मैं ज़मीनो-आसमां पर डालता हूं जब नज़र,
कोई भी पाता नहीं हूं मैं ख़ुदा तेरे सिवा।
चाँद-तारे दे रहे हैं अपने सानेअ की ख़बर,
तेरी कुदरत से अयां है बिलयक़ीन होना तेरा।
मैं तुझे कुछ जानता हूं, तेरे कुछ औसाफ़ भी,
तू क़यामत में भी होगा जाना-पहचाना मेरा।
तू मेरा ज़ाकिर रहे मैं भी रहूं ज़ाकिर तेरा,
हो ज़मी पर ज़िक्र तेरा आसमां में हो मेरा।
क़ल्बे-मुज्तर को सुकूं मिल जाये तेरी याद से,
और तेरे ज़िक्र से हो मुत्मईन ये दिल मेरा।
रोज़ो-शब, सुब्ह मसा, आठों पहर, चौसठ घड़ी,
तू ही तू दिल में हरे कोई न हो तेरे सिवा।
मैं हमेशा याद रक्खूं अपनी मजलिस में तुझे,
तू भी मुझको याद रक्खे अपनी मजलिस में सदा।
बन्द तेरी याद से मेरी ज़ुबां या रब न हो,
मरते दम तक, मरते दम भी ज़िक्र हो लब पर तेरा।
ज़िन्दगी दुश्वार हो तेरी मुहब्बत के बग़ैर,
माही-ए-बेआब हो बे-ज़िक्र ये बन्दा तेरा।
मैं दुआ के वक़्त तुझ से इतना हो जाऊं क़रीब,
गोया तहतुल अर्श में हूं तेरे क़दमों में पड़ा।
हालते सद-यास में भी ऐ ख़ुदा तेरी क़सम,
जी न हारूं और मैं करता रहूं तुझसे दुआ।
बह रही हो मेरी आँखें मेरी गर्दन हो झुकी,
नाक नगड़े, पस्त होकर, तुझसे मैं मांगू दुआ।
तेरे आगे आजिज़ाना, दस्त बस्ता, सर नगूं,
मैं रहूं या रब खड़ा भी तेरे क़दमों में पड़ा।
हर मेरी ऐसी दुआ हो तेरी नेअमत की क़सम,
जैसे कोई तीर हो अपने निशाने पे लगा।
हर मेरी ऐसी दुआ हो जिससे टल जाएं पहाड़,
ग़ार वालों से भी बढ़कर तेरी रहमत से ख़ुदा।
हर मेरी तौबा हो ऐसी जो अगर तक़्सीम हो,
तेरे बन्दों पर तो बख़्शे जाएं लाखों बे-सज़ा।
नेकियों में तू बदल दे और उनको बख़्श दे,
उम्र भर के अगले पिछले सब गुनाहों को ख़ुदा।
हज मेरे मबरूर हो सब कोशिशें मशकूर हों,
दे तिजारत तू भी वह जिसमें न हो घाटा ज़रा।
तेरी मर्ज़ी के मुवाफ़िक़ हो मेरी कुल ज़िन्दगी,
खाना-पीना, चलना फिरना, बैठना उठना मेरा।
जो क़सम खाई या खाऊं तुझ पे करके ऐतमाद,
मअ फ़लाहे दोजहां के साथ पूरी हो ख़ुदा।

मैं न छोडूं, मैं न छोडूं संगे-दर तेरा कभी, आ गया हूं,
आ पड़ा हूं, तेरे दर पर ऐ ख़ुदा।
हर नज़ाई कोई शय हो मैं तेरी तौफ़ीक़ से,
सिर्फ़ चाहूं तुझसे या तेरे नबी से फैसला।
ऊम्र भरे मेरी नज़र इस पर रहे हो जुस्तजू,
तूने या रब क्या कहा? मुस्तफ़ा ने क्या कहा?
आख़िरत में अपनी या रब कितनी ही मख़लूक़ पर,
मुझ को मेरी आल को तू फ़ौक़ियत करना अता।
उम्र मेरी आख़िरी है दिन है मरने के क़रीब,
मैं रहूं गिरयां के तू ख़न्दां मिले मुझसे ख़ुदा।
फ़ज़्ल फ़र्मा मरते दम तक मैं रहूं इस हाल में,
तुझ से हो उम्मीद बेहद डर भी हो मुझको तेरा।
मैं रहूं बेचैन बेहद तुझसे मिलने के लिये,
जान जब निकले तो तड़पे कब वह हो तन से जुदा।
मौत की ताख़ीर भी हो मौत ही मेरे लिये,
हो दमे-आख़िर मुझे इतना तेरा शौक़े-लिक़ा।
बख़्श दे तू, रहम कर, आला रफ़ीक़ों से मिलूं,
हो मुझे उस वक़्त बेहद शौक़ मिलने का तेरा।
क़ौल साबित पर रहूं साबित ख़ुदाया हो नसीब,
ला इलाहा इल्ला अन्तल्लाह पे मरना मेरा।
आख़री हिचकी मुझे दे तेरी रहमत की ख़बर,
आँख जब बन्द हो तो देखूं तेरी जन्नत की फ़िज़ां।
तेरी रहमत की तरफ़ हो मेरा दुनिया से ख़ुरूज,
जांकनी के वक़्त पाऊं मुज़दा हाए जांफ़िज़ा।
क्या मेरा मस्कन ज़मीनों-आसमां तक रो पड़े,
मेरे मरने पर ख़ुदाया अर्श हिल जाए तेरा।
रब्बे राज़ी की तरफ़ चल हो के राज़ी तू निकल,
रूह से मेरी फ़रिश्ते यह कहे वक़्ते क़ज़ा।
तेरी रहमत के फ़रिश्ते मुझको लेने के लिये,
आएं वह, लेकर चढ़ें, मुझको जहां है तू ख़ुदा।
रूह का आसमां में हो फ़रिश्तों पर वरूद,
हो यही उनकी सदाएं मरहबा सद मरहबा।
क़द्दे मुनी, क़द्दे मुनी ले चलो जल्दी चलो,
जब जनाज़ा ले चलें कहता रहे बन्दा तेरा।
तू मुसल्ली हो मलाइक भी तेरे हों बिलख़ुसूस,
मुझ ग़रीबो-बेनवा का जब जनाज़ा हो पड़ा।
हो मेरा मस्कन वहां, तुझ को जहां भी हो पसन्द,
जो ज़मी हो तुझको पियारी वह बने मदफ़न मेरा।
कर चुके जब दफ़्न मुझको आए मुन्कर नकीर,
रब्बे सब्बित रब्बे सब्बित हो लब पर ऐ ख़ुदा।
क़ब्र हो मुश्ताक़ मेरी उसका बेहतर हो सुलूक,
पाऊं मैं आग़ोशे मादर की तरह उसको ख़ुदा।
ज़िन्दगी के इस सफ़र में तू मेरा साहिब रहे,
कुल मेरे पसमान्दगां में तू ख़लीफ़ा हो मेरा।
तू सफ़र में भी हज़र में भी क़ब्र में भी हश्र में,
मेहरबां मुझ पर रहे बेहद निगहबां भी मेरा।
जांकनी हो, क़ब्र हो या हश्र हो या पुल-सिरात,
सहल तेरे फ़ज़्ल से हो मरहला इक इक मेरा।
रब्बे सल्लिम रब्बे सल्लिम हसबुना नेअमुल वकील,
हश्र के कुल मरहालों में हो यही कलमा मेरा।
रोज़े महशर हो तेरे रूए मुबारक पर नज़र,
जब तेरी पिण्डली खुले सज्दे में हो बन्दा तेरा।
अर्श का साया मिले सातों तरह से हश्र में, मुझको,
मेरी आल को जो हो क़यामत तक ख़ुदा।
गो पलक झपके न झपके मुझसे तै हो पुल-सिरात,
इस कठिन मंज़िल में मेरी मेरे मौला काम आ।
जल्द इसको पार कर यह सर्द कर देगा मुझे,
जब जहन्नुम पर से गुज़रूं वह कहे तुझको ख़ुदा।
आएगा बन्दा तेरा इक दिन कफ़न पहने हुए,
तेरे आगे, बख़्श देना आफ़ियत करना अता।
रास्ता सीधा दिखा, इन्आम कर हम पर मदाम,
उम्मते-अहमद में मुझको ख़ास दर्जा कर अता।
उम्र भर की कुल ख़ताएं उनकी ग़ाफ़िर बख़्श दे,
तू मेरे माँ-बाप की कर मग़्फ़िरत बेइन्तिहा।